

प्रधान संपादक  
धीरेन्द्र मजूमदार  
संपादक  
आचार्य राममूर्ति

तर्प ११ अंक १

वार्षिक चंद्रा ४-००  
एक प्रति ०-२७

## सही स्वराज

सही स्वराज केवल कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में सत्ता के आ जाने से नहीं आयेगा, बल्कि वह तब आयेगा, जब कि सत्ता का दुरुपयोग होने पर सभी लोग उसका प्रतिकार कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में, जनता को इस दृष्टि तक प्रशिक्षित करने से कि वह सत्ता को अपने नियंत्रण और नियंत्रण में रख सके - स्वराज मिलना है।

—गांधीजी



# नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ ,, जुगताराम दवे
- ३ ,, काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ श्रीमती माजेंरी साइक्स
- ५ श्री मनमोहन चौधरी
- ६ ,, क्षितीशराय चौधरी
- ७ ,, राममूर्ति
- ८ ,, राधाकृष्ण मेनन
- ९ ,, राधाकृष्ण

## पाठको से

'नयी तालीम' मासिक का अगस्त १९६२ का यह अंक काशी से प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है। अब तक 'नया तालीम' का प्रकाशन सेवामाम (वर्धा) से होता रहा है। लेकिन ऐसा कि हमारे पाठक जानते हैं, श्री देवीप्रसाद विदेश चले गये हैं, अतः पत्रिका काशी से निकाली जा रही है।

स्थान-परिवर्तन तथा प्रकाशन की व्यवस्था करने के तिलधिले में हम जुलाई का अंक प्रकाशित नहीं कर सके, इसके लिए पाठक क्षमा करेंगे।

संपादकीय या व्यवस्थापकीय पत्र-  
व्यवहार अंग्रेजी में ही करते रहें—

## 'नयी तालीम'

अ० भा० सर्व सेवा सघ  
राजघाट वाराणसी-१

## अनुक्रम

पृष्ठ

संपादकीय	१	राममूर्ति
शेष शक्ति	२	विनाभा
हमसही शिक्षा	३	क. क. क. क. क. क. क.
बलिया गाँव में समग्र नयी तालीम के अनुभव	७	धीरे ड्र मजूमदार
गाँव के काम के कुछ पहले कदम	१२	राममूर्ति
रवीन्द्रनाथ का शिक्षण-दर्शन	१६	काका कालक
सामाजिक-सांस्कृतिक शिक्षण के आगामी अवसर	२३	रद्रभा
सेवामाम में नयी तालीम का परिसंवाद	२४	राधाकृष्ण
अध्ययन-मंडल की पत्रों		
बैठक की कार्यवाही	२५	
समीक्षा पत्र	३२	

# नयीं तालीम

संपादकीय

वर्ष ११ अंक १ • अगस्त १९६२

‘नयी तालीम’ परिवार के भाई बहन,

‘नयी तालीम’ का जुलाई-अंक आपको नहीं मिला। देवीभाई के विदेश चले जाने के कारण यह स्थिति आयी। सबको चिंता जरूर थी लेकिन उपाय नहीं सूझ रहा था। देवीभाई-जैसे व्यक्ति के छोड़े काम को निभाना आसान भी नहीं है, पर उनका छोड़ा काम छूटा रह जाय यह स्थिति की बात होती। हम लोगों ने तय किया कि ‘नयी तालीम’ झी धारा सज्जित न होने दी जाय। ‘नयी तालीम’ निरुल्लंघनी रहेगी और हर महीने आपके पास पहुँचती रहेगी। हाँ, अब सेनाग्राम से न निकलकर बाराणसी से निकलेगी। हम प्रयत्न करेंगे कि समय से निकले, ढंग से निकले। यह सच होगा लेकिन हम जो कठिनाई महसूस कर रहे हैं वह दूसरी है। ‘नयी तालीम’ अगर केवल पत्रिका होती तो काम आसान होता। दो-चार आदमी मिलकर पूरा काम कर लेंत।

“नयी तालीम मेरी सबसे बड़ी देन है”—यापू को इस विरासत को कौन निभाये ? नयी तालीम एक संपूर्ण जीवन-दर्शन है, माननीय क्रांति की कला है, समाज-निर्माण का समग्र कार्यक्रम है। उसे अहिंसा का साधन बनाना है, इसीमें उसकी सार्थकता और पूर्णता है। नयी तालीम का यह भार बहुत सुखद है किंतु किन्हीं दो-चार की शक्ति के बाहर है। इसके लिये पूरे परिवार की शक्ति-चाहिये—जो जहाँ हो, कोई काम करता हो, शिक्षक हो, सामान्य नागरिक हो, रचनात्मक कार्यकर्ता या शांति-सैनिक हो; कुछ न करता हो तो नये मानव का सपना हीं देखता हो। इन सबका चित्तन मिले तो ‘नयी तालीम’ क्रांति का सूत्र बने। जो जहाँ है उसे वहाँ हम ‘नयी तालीम’ का सूत्र मानते हैं।

कलम और कुदाल के मेल से नयी तालीम का अम्बावृक्षम बनता है, इसलिये जिन मित्रों के हाथ में कलम है वे कुदाल लेकर कलम को जरा सजीव करें और जिनके हाथ में कुदाल ही कुदाल है वे थोड़ा कलम को भी पकड़ें। हमें दोनों चाहिये, हर तरह के विचार और अनुभव चाहिये, क्योंकि अगर समग्रता न आयी तो नयी तालीम का नयापन क्या रहेगा ? हमारी कोशिश होगी कि समग्रता आँखों से ओझल न होने पाये। इस कोशिश में हम आपमें से हरएक के सक्रिय सहयोग के प्रायों हैं।

आपका भाई  
राममूर्ति

## आचार्य कृपालानी

### सामाजिक लक्ष्य

हमारे जीवन का शायद ही अन्य कोई क्षेत्र इतना उलझा हुआ होगा जितना शिक्षा का। शिक्षा से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी हो या शिक्षक, माता-पिता हो या जन-सामान्य, यहाँ तक कि सरकार भी आज शिक्षण के नाम से जो कुछ चल रहा है उससे सतुष्ट नहीं है। सरकारों बका बकसर कहते रहते हैं कि हमारे युवकों का शिक्षण खराब है। इसका क्या कारण है? नहीं ऐसा तो नहीं है कि हम शिक्षण का सही अर्थ ही न समझते हो और यह हमें पता ही न हो कि शिक्षण से किन व्यक्तित्व और सामाजिक लक्ष्यों की सिद्धि हम चाहते हैं?

प्रत्येक समाज अपनी नयी पीढ़ी को वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के योग्य बनाने का प्रयत्न करता है। आज तक धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक जितनी भी क्रान्तियाँ हुई हैं वे सभी सफल हो सकी हैं जब कि नयी पीढ़ी के लिए नयी सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल शिक्षण का प्रबंध हो पाया है। कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो या क्रांति हो उसमें जीवन के मूलभूत मूल्यों के परिवर्तन की बात रहती ही है। इन नये मूल्यों के आधार पर नयी समाज-व्यवस्था सड़ों की जाती है। शिक्षण का पहला उद्देश्य यह है कि बच्चों को जो कि भावी नागरिक हैं, वर्तमान समाज के या जिन नये समाज के निर्माण की बात सोची जाती हो उस समाज के लिये समर्थ और सुयोग्य बनाया जाय। अगर नागरिक को संधर्ष रहित और सुगम जीवन व्यतीत करना है तो उसे जिस समाज में वह रह रहा है उसकी या जिस समाज में उसे आगे रहना है उसकी मूल मान्यताओं को स्पष्ट समझ लेना चाहिये। वास्तव में शिक्षण का आरम्भ जन्म के साथ ही होता है। जो शिक्षण घर में माता-पिता ने, मित्रों ने और पड़ोसियों ने आरम्भ किया है उसे ही आगे ले चलना शैक्षणिक संस्थाओं का काम

## हमारी शिक्षा ❀

है। इस स्थिति में ही व्यक्ति और समाज के संबंध समाधानकारक होंगे और वे एक-दूसरे के सहायक और सहयोगी होंगे। आखिर, बड़ा-से-बड़ा प्रतिभावाली व्यक्ति या क्रांतिकारी भी बहुत-हुद तक अपने समाज की ही देन होता है। कोई क्रांतिकारी समाज को सपूर्ण व्यवस्था को पूरा-पूरा नहीं बदल सकता। कुछ-न-कुछ पुराने समाज का अंश अविकल रूप से बचा ही रहता है। कम-से-कम इतना तो होता ही है कि जाति अथवा राष्ट्र की विलक्षण प्रतिभा, उसकी मूल प्रकृति (स्वभाव) और आधार में उसकी अभिव्यक्ति (स्वयम्) प्रायः ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिये हर सुधारक या क्रांतिकारी उसी समाज के परिवर्तन से आरम्भ करता है जिसमें उसका पालन-पोषण हुआ रहता है, क्योंकि वह उस समाज की मलीनता से समझता है। इसके अलावा वह समाज का चाहे जितना विरोध करे, फिर भी उसके मन में अपने समाज के प्रति कुछ अनुकूल भावना रहती ही है। चरित्र क्या है? बच्चे का सामाजिक विवास इस तरह हो कि वह अपने वातावरण के साथ एकरूप होकर सहज भाव से रह सके, इसीको चरित्र का निर्माण कहते हैं। चरित्र उन बुनियादी मूल्यों के अनुसूचक बनता है जिन्हें समाज मान्य करता है और अपना दना लेता है।

नागरिक को पुराने या नये समाज की व्यवस्था के अंतर्गत अपना काम और पैसा खोज लेना होता है। सामाजिक व्यवस्था में उसे सम्मानपूर्ण जीविका का साधन भी मिलना चाहिये। अच्छे और सफल शिक्षण का यह भी एक काम है कि वह प्रत्येक नागरिक में कोई-किसी अपना-पाने की-जितने वह अपनी जीविका के लिये चुने-समझता पैदा करे, अन्यथा नागरिक समाज के लिये भार बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह समाज को अपनी तरफ से कुछ देना नहीं लेकिन अपने लिये पोषण तो लेता ही है, और इस प्रकार वह या तो समाज-तत्त्व बन जाता है या दूसरों के मत्प्रे होता है।

ये दो द्वियामें—एक, बालक को समाज के जीवन के योग्य बनाना और दूसरा, उसे अपने जीवन में कोई न कोई समाजोपयोगी फल, उद्योग, धंधा या काम करने लायक शिक्षण देना—ठीक प्रकार से और दक्षतापूर्वक चले तभी समाज अपना स्वास्थ्य और शक्ति बनाये रख सकेगा। स्वास्थ्य और शक्ति का बना रहना प्रगति और उन्नति के लिये आवश्यक है। स्वस्थ समाज में शिक्षण का तीव्रता काम विद्या का विकास है जो शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच छोटाने सिद्धान्त की प्रक्रिया में अपने-आप हो जाता है। आवश्यकतानुसार ज्ञान के अधिक विकास की दृष्टि से विविध संस्थायें भी सजीनी जा सकती हैं, परंतु यथामंभव ये संस्थायें दैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही जुड़ी होनी चाहियें।

हमने ऊपर कहा है कि जब तक नयी समाज-व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से युवकों के शिक्षण को बदला नहीं जाता तब तक कोई क्रांति परिपूर्ण नहीं होती। इतिहास इसका साक्ष्य है। भारत में शिक्षा की जो पुरानी साहाय्य-पद्धति थी वह बौद्ध-काल में बदल गयी। इसलाम के प्रवेश के साथ-साथ नयी आवश्यकताओं और भावों के अनुसार शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन हुए। अंग्रेजी के समय में तो शिक्षा-पद्धति में क्रोम्वेल्ले से मौलिक परिवर्तन किये गये। यूरोप में पहले ग्रीक और यूनानी शिक्षा-पद्धति चलती थी। ईसाई-धर्म की स्थापना के बाद वह पद्धति बदल गयी। अर्वाचीन युग के प्रारंभ में, ज्ञान और कला की नयी जाग्रति के बाद पाश्चात्य शिक्षण-पद्धति में फिर से परिवर्तन किये गये और फिर औद्योगिक क्रांति के पदचाल समाज की नयी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण की नयी पद्धति अपनायी जाने लगी। पहले प्राचीन भाषाओं और तत्कालीन विद्याओं के अध्ययन पर जो बल दिया जाता था, अब उसका स्थान विज्ञान और संश्लेष (टेक्ना-लाजी) ने ले लिया है। आज स्थिति यह है कि जो विद्वान् विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं जानता है उसकी गणना शिक्षित व्यक्तियों में शामिल ही की जायगी, भले ही वह अन्य विद्याओं का ज्ञाता हो। समाज-में परिवर्तन होने के साथ-साथ शिक्षण के केवल

उद्देश्यों में ही परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि उसकी पद्धति में भी परिवर्तन हो गया है। आज के युग में बच्चों के शिक्षण की जो पद्धति अपनायी जा रही है उसमें बच्चे के मनोविज्ञान का ध्यान रखा जा रहा है और वह अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक होती जा रही है। साधन-वादियों को शिक्षण के उद्देश्य और पद्धति दोनों में ऐसा परिवर्तन करना पड़ा जो उनके नये समाज के लिये अनुकूल और सहायक हो।

हमारे देश के पुनरुत्थान के दिनों में इस विषय पर विभिन्न पहलुओं से विचार और प्रयत्न चले हैं। उत्तर-भारत में एक धार्मिक उफान हुआ जिसके कारण हिन्दुओं के संघर्ष-आर्य-समाज का संगठन हुआ। उसने हिन्दू-समाज को जीवन-पद्धति में परिवर्तन करना चाहता और उसके लिये शिक्षण-पद्धति में परिवर्तन किया। इस पद्धति में गुरुकुलों का आदर्श रखा गया जहाँ पाठ्यो के व्यस्त और निविड जीवन से दूर शांत सप्रेमों के वातावरण में ब्रह्मचारी पलते थे, गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे और एक-दूसरे के अत्यंत निवृत्त सपक में आते थे।

हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात अंग-भंग से हुआ। उस आंदोलन को शिक्षण-समस्या में गहरी रुचि थी, क्योंकि उसे ऐसी शिक्षा चाहिये थी जो उस सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप हो जिसे राष्ट्रवादी स्थापित करना चाहते थे। इस शिक्षण ने सबसे अधिक जोर देश-प्रेम पर तथा विज्ञान और संश्लेष पर दिया। सन् १९०८ में सूरत-कांग्रेस में जिन प्रश्नों को लेकर मत-भेद पैदा हुआ उनमें एक शिक्षा का भी था। उदार-मतवादी (नरम दल के, मांडवरे) लोग अंग्रेजों द्वारा चलायी हुई शिक्षा-पद्धति को बदलने के पक्ष में नहीं थे। उनकी दृष्टि में वह शिक्षण भारत के लिये बहुत उपयुक्त था। राष्ट्रवादी या गरम दल के लोग (एन्ट्रीमिस्ट) उसमें परिवर्तन चाहते थे। उनकी दृष्टि में वह पद्धति दीर्घपूर्ण और अराष्ट्रीय थी। स्वतंत्र और प्रगतिशील समाज के शिक्षण के सवध में कविचर रबीन्द्रनाथ ठाकुर के अपने विचार थे। वह मानते थे कि बच्चों को स्वतंत्र और आनन्दपूर्ण जीवन में पलने देना चाहिये। उन्होंने

अपने विचारों के अनुकूल एक शिक्षा-संस्थान की स्थापना शक्ति निकटन में की लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह भा प्रचलित सचि म ङल दिया गया यहाँ तक कि उसका आदर्श वाक्य 'शान्तम् शिवम् अर्द्धतम्' भी खरम कर दिया गया ।

'होमरूल मूवमण्ट' ने फिर से स्वतंत्र भारत के लिये राष्ट्रीय शिक्षण व प्रश्न को उठाया । 'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन के समय फिर एक बार राष्ट्रीय शिक्षण का प्रश्न प्रमुख रूप से सामन आया । विदेशी शासन के विरुद्ध जो कार्यक्रम चला उसमें शिक्षण-संस्थाओं के बहिष्कार का एक प्रमुख स्थान था क्योंकि उनके ही द्वारा विदेशी सरकार न युवकों क विभाग पर अपना शिक्षा जमा रखा था । जल्दो-जल्दो राष्ट्रीय शालाओं और महाविद्यालयों की स्थापना की गयी ताकि उन सरकारी और सरकार की मदद से चलनवाले स्कूल कॉलेजों से निकलनवाले विद्यार्थियों की स्थान दिया जा सके । इन नयी शालाओं में शिक्षण मातृभाषा में दिया जाने लगा । इनमें उग्र देशभक्ति, राष्ट्र-सेवा और स्वतंत्रता का वातावरण रखा गया ।

### जनता की प्रतिभा और शिक्षण

विदेशी शासन द्वारा स्थापित शिक्षा-व्यवस्था में परिवर्तन क्यों आवश्यक समझा गया ?

भोटे तौर पर परिवर्तन इसलिये आवश्यक था कि वह शिक्षा-व्यवस्था लक्ष्य और पद्धति दोनों दृष्टिया से दोषयुक्त थी । वह भारतीय मस्तिष्क की उपज नहीं थी । उसका भारतीय समाज और भारतीय मानस के साथ मेल नहीं बैठता था । वह बाहर से थोपी हुई चीज थी । जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिय उमकी हपरखा तैयार की गयी था उसमें और भारत के ध्येयों में कोई सामंजस्य नहीं था । उसका उद्देश्य यहा था कि विदेशी शासन को बनाये रखन के लिय निम्न स्तर का सहायक नौकर-बर्ग तैयार हो । भारत जैसे दिगाल राष्ट्र के शासन में लगन वाले छोटे-छोटे कामों के लिय सहायकों की सेना इंग्लैंड से खाना संभव नहीं था । व यही कर सकत थे कि जो ऊँच पद व और जो अत्यंत प्रमुख जिम्मेदारियाँ थी उनके लिये म्यूठीभर अंग्रेजों को अपन देश से लात । व यहाका जनता

के साथ घुल मिलकर रहना नहीं चाहते थे क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो उनकी जाति चली जाती, शासन की शान चली जाती । इसलिये उन्होंने यहाँ की भाषा न सीखकर काम चलाने के लिये अपने सहायकों को ही अपनी भाषा सिखायी, साथ-साथ हीन महत्वाकांक्षा और जो-हुजुरी की भी घूंट पिगयी । उन्होंने शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को दाखिल करने की मूर्खता तो की ही, इसके बलवा अत्यंत सस्ते कामचारियों को तैयार करने वा उनका काम तो निरिखत ही अत्यंत नीच था । उस उद्देश्यहीन शिक्षण से जो भी थोडा-बहुत प्राप्त किया जा सकता था वह भी इस विदेशी भाषा के माध्यम के कारण बटसाध्य ही गया । विद्यार्थियों को विदेशी भाषा सीखन में बहुत समय लगता था । इतने पर भी वे बेचल शब्दों से ही परिचित हो पाते थे, उन शब्दों के पीछे जो वास्तविकता है या उनसे जिस वस्तु का बोध है, उससे वे अछूते ही रह जाते थ । उनके हाथ ऐसा शिक्षा लगता था जो बाजार में मुनाफा नहीं जा सकता था । अक्सर तोते की तरह विदेशी भाषा के उन पाठों को वे रट रटकर पाद कर लेते थे । अपने आसपास के वातावरण से परिचित होने से पहले ही उनको ऐसे विषयों, विचारों और भावनाओं का दार्शनिक परिचय कर लेना पडता था जो उनसे बिलकुल संबध नहीं रखते थे और जो अंग्रेज बच्चों के लिय ही अधिक स्वाभाविक होते थे । जैसे भारत के प्राचीन और नवीन भागों को जानने से भी पहले विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे इंग्लैंड के जिलों के नाम याद करें । परीक्षाओं के मिया इन सबका और कोई प्रयोजन उनके जीवन में नहीं होता था । उनके पाठों में जानेवाली बातों घटनाओं और प्रसंगों का उनके जीवन के साथ कोई संबध नहीं रहता था उन पाठों का विद्यार्थियों के पारिवारिक या सामाजिक परिस्थितियों के साथ कोई सामंजस्य नहीं होता था ।

इन विद्या का यदि कोई ऊँचा उद्देश्य था तो उसे लई मेकाले न बनाया । वह सिहित भारतीयों को एंग्लो संवसन बनाना चाहता था-इस अतर के साथ कि चमड का रफ और खून भिन हो । उसकी दृष्टि में पूव का एक पूरा पुस्तकालय भी पवित्रम के ज्ञान से भरी

एक आत्ममारी का मुभावला नहीं कर सकता था। सारे शिक्षित हिन्दुस्तानियों को मन्त्री और निस्तेज अंग्रेज बना देना साम्राज्यवादियों के श्रेय भन्ने ही जैसा लक्ष्य रहा हो लेकिन उसका पूरा होना आसानी नहीं था। यह बहुत कुछ पीटर महान् और उसके बाद के जार वाइसराहों के प्रयत्न के सामान था जो रूस के पारशासकीकरण के स्वप्न देखते थे। लेकिन जिनकी अपनी सभ्यता इतनी भयम और जैकी हो, भले हा यह कुछ अव्यक्त ही हो गयी हो, उन्हें अंग्रेज नहीं बनाया जा सकता था ही, उनकी मजल में 'भूरे बदर' बनाये जा सकते थे।

नतीजा यह हुआ कि उन लोगों ने जो कुछ ज्ञान दिया वह केवल बौद्धिक और किताबी था जो तोते की रट की तरह याद कर लिया जाता था। मजे की बात यह थी कि जिस अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति की मजल यहाँ की गयी वह मुद्र इंग्लैंड में पुरानी पढ़ती जा रही थी।

इसके अलावा उन लोगों ने जो पद्धति यहाँ चलायी उसने ऐसा दिमाग पैदा किया जो विवेकसूय होकर कहीं हुई बात मान ले जो वस्तुनिष्ठ न हो और जिसमें छान-बीन करके परिणामों पर पहुँचन की क्षमता न हो। इसलिये वह शिक्षार्थी के पूरे व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकी। बढ़ते हुए बच्चे को वह कोई स्वस्थ प्रवृत्ति भी नहीं दे सकी। इस शिक्षा में बच्चे की भावनाओं और उनके सवेगा का विकास नहीं हो पाता था। भारतीय बच्चे को अपरिचित 'बकु' की पुकार में या विदेशी पाठक 'स्वाइलाक' के गीत में, जिसे उसने जीवन भर कभी देखा नहीं, क्या आनन्द आ सकता था? पारशास्य संगीत में वह कैसे रस ले सकता था? पारशास्य कला से जिस वह गदो और सस्ती सस्तीरो म ही देखता था कैसे अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट कर सकता था? उसके लिये भारतीय कला तो जैसे किताबी के अदर बद थी। इतना ही नहीं उसको यहाँ तक सिखाया जाता था कि भारतीय कला बर्बरतापूर्ण और विसंगम है उसमें वास्तविकता और प्रकृति का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा नहीं था कि उसके विदेशी शिक्षक ही यह सब पढ़ाते थे, बल्कि विदेशी शिक्षा प्राप्त देनी शिक्षकों ने भी यही पढ़ाया। इसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। कहा

जाता था कि भारत का राष्ट्रिय वाप्रेष का जो पहला अध्यय था वह दत्त प्रतिगत अंग्रेज था, यहाँ तक कि उत्तम सिमरेंट पत्रकने का दग भी अंग्रेजी था। शिक्षित भारतीय विदेशी भाषा में पढ़ना था और विदेशी भाषा में ही सोचता था। उसकी बड़ी-से-बड़ी खाहिश यह रहती थी कि यह अंग्रेजी में ही चले, बाँचे, छाये, हँसे, अपने कपड़े की साँके, यानी जो कुछ बरे अंग्रेजी दग त कर। अपना भी वह अंग्रेजी में ही देखना चाहता था। मैं जानता हूँ कि कुछ शिक्षित भारतीय अपनी यह जैकी आकांक्षा पूरी कर सके थे।

यह तो रहा शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। जहाँ तक पद्धति का प्रश्न है, वह भी न तो शास्त्रीय थी न बाल-मनोविज्ञान के अनुकूल। उसमें सर्जनात्मक क्रियाशीलता का अभाव था। वह सारे अभिक्रम और क्रियात्मक जीवनीगमित को ही हर लेती थी। उसने जीवन के समृद्ध आनन्द को ही खतम कर दिया जो स्कूल और कॉलेज में पढ़नेवाले यूरोपीय बालकों में भरपूर पाया जाता है।

यह शिक्षण जो स्वतंत्रता से पहले लक्ष्य और पद्धति दोनों दृष्टियों से अत्यंत दोषपूर्ण और राष्ट्रीयता के विरुद्ध माना जाता था, अब स्वतंत्र भारत में आज एक उत्तम राष्ट्रीय शिक्षण मानकर प्रणिष्ठित और प्रचलित किया जा रहा है। योग समझते हैं कि गोरे हाथों से काले हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के जादू के चमत्कार से ऐसा हुआ होगा। आज वर्तमान परिस्थिति से सभी लोगों के दिल में जो असंतोष है उसीसे स्पष्ट है कि यह कितनी बड़ी भूलता की बात हुई है। सन १९५२ में मेकेण्डरी एजुकेशन कमेटी ने शिक्षा का जो विवरण दिया है उससे जाहिर है कि स्वतंत्रता से पहले जो शिक्षण पद्धति थी उसमें कुछ भी रहोबदल नहीं किया गया है। उस कमेटी का कहना है: एक तो हमारा स्कूली शिक्षण प्रत्येक जीवन से बिल्कुल अलग है दूसरे वह अत्यंत संकुचित और एकांगी है और विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व का विकास करने में असमर्थ है तीसरे, अभी तक अंग्रेजी भाषा पढ़ाई का माध्यम भी था और अध्ययन का अनिवार्य विषय भी, इसलिये जो विद्यार्थी उस भाषा में भी कुछ

## धीरेन्द्र मजूमदार

### ग्रामभारती का श्रीगणेश

बलिया में ग्रामभारती की शुरुआत सात लड़कों से हुई थी। क्रमशः वह संख्या १२ तक पहुँचा। अपनी कुटिया के सामने घोड़ो-सी जमीन खोदकर इसका 'श्रीगणेश' हुआ था। उस जमीन पर खेती तथा बच्चों के घर के काम शिक्षा के माध्यम रहे। इस प्रक्रिया से, तालीम की दृष्टि से काफी प्रगति होने लगी। फिर भी बच्चों को पूरा समय शिक्षक के साथ रहने का अवसर मिला, इसका कोई छोर नहीं निकल रहा था। हम लोग विभिन्न कार्यों के समन्वय में विषयों की जानकारी कैसे दी जाय, इसके प्रयोग में लगे।

एक बात विशेष रूप से देखने को मिली—वह यह कि जिन लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और घर के काम में भी बहुत फँसे नहीं थे वे ही 'ग्रामभारती' में तालीम के लिए आते थे। जो दो-चार लड़के स्कूल छोड़कर आये थे वे इसलिए आये थे कि यहाँ पढ़ाई अच्छी थी। उनके माता-पिता अच्छी खेती सिखाने के लिए नहीं भेजते थे। दूसरी चीज यह देखने को मिली कि हमारी कोशिश करने से बाबजूद बाबू लोगों के बच्चे इसमें नहीं आते थे। वे इसे 'मजदूर-स्कूल' ही कहते थे। फिर भी 'ग्रामभारती' के द्वारा दोनो वर्गों के लोग एक साथ आये, इसकी कोशिश जारी रही।

इस प्रकार 'ग्रामभारती' का काम अपने दग से रवा को फसल तक चलता रहा। रबी को फसल की कटाई के समय पूरे ग्रामभारती के लिए एक अच्छा कार्यक्रम मिल गया।

यद्यपि पहले साल परस्पर अविश्वास और कटुता के कारण सामूहिक खेती आखिर में बरबाद हो चुकी थी फिर भी उस खेती के चलते तथा ग्राम शिक्षण और प्रचार के फलस्वरूप गाँव में संघर्ष के प्रसंग कम पैदा हुए। यह बात सहकारिता का वातावरण बनाने के लिए

## बलिया गाँव में समग्र नयी तालीम के अनुभव

निस्संदेह अनुकूल रही है लेकिन बच्चों में मिलकर काम करने के फलस्वरूप परस्पर सहकारिता के भी दमन होने लगे। सब अपने-अपने घर से सामग्री लाकर 'सह-भोज' का अनुष्ठान करते थे। फसल-कटाई में सहकार-वृत्ति निरिच्छन रूप से प्रबल हुई, यद्यपि विजयभाई ने उनसे कह दिया था कि वे अलग-अलग कटाई कर सबते हैं। फिर भी उन्होंने यही तथ्य किया कि वे सामूहिक रूप से कटाई करेंगे और जिनकी मजदूरी मिली उसमें से काफी हिस्सा सामूहिक रूप से रख दिया ताकि वे एक साथ सर्च कर सकें।

### स्कूल भेंस की पीठ पर

फसल-कटाई समाप्त होने पर 'ग्रामभारती' की प्रगति के लिए एक नया अवसर हाथ में आया। खेत खाली हो जाने पर सबके पशु एक तरफ चरने जा सकें, इसका अवसर मिला। मैं हमेशा ग्रामीण जनता से कहा करता हूँ कि भाई, हम विज्ञान के युग में हर एक को ज्ञान प्राप्त करना ही होगा इसके लिए यह आवश्यक है कि सब लोग स्कूल जायें! लेकिन अगर सब लोग स्कूल चले जायेंगे तो घर-गृहस्थों का काम नहीं चल सकेगा। इसलिए यह जरूरी है कि गाँवभर के सारे घर-गृहस्थों के काम भी स्कूल के काम के रूप में परिणित किये जायें। उनसे विनोद में यह कहता हूँ कि अगर भेंस की पीठ पर बैठनेवाले बच्चों को स्कूल भेजना समभव नहीं है तो स्कूल को ही भेंस की पीठ पर ले जाना होगा। फसल कट चुकने के बाद इस विनोद को साकार करने का अवसर मिला। 'ग्रामभारती' के बच्चों के घर के सब पशुओं को एक तरफ चराने की योजना बनी और शिक्षक भी उनके साथ जाने लगे। ऐसे चराने के स्थान पर जो चर्च लिया जाता था उसका नाम 'बहियार-वर्ग' रखा गया। बहियार का मतलब है—खेती का मैदान। आस-पास के लोगों को यह एक दिलचस्प चीज लगी। उन्होंने कभी इस प्रकार की चीजों का स्वप्न भी नहीं देखा होगा।



इस 'बहिहार-वर्ग' से आर्कषित होकर चारों तरफ से लोग अपने बच्चों को 'ग्रामभारती' में शामिल करने लगे। और थोड़े ही दिनों में बच्चों की संख्या १२ से बढ़कर ४५ तक हो गयी। अधिक संख्या में बच्चे होने के कारण तीन शिक्षक अलग-अलग तीन बहिहार में जाने लगे। इस 'बहिहार-वर्ग' के अलावा भी भेस की पीठ पर स्कूल ले जाने की एक प्रक्रिया निकाली गयी! जो बच्चे अलग-अलग भेस की पीठ पर बँठकर चराने जाते थे और रात को 'ग्रामभारती' में आकर पढ़ते थे उनकी किताबों में 'रस्सी बाँधकर उनके गले में लटका दिया जाता था और वे मस्ती से भेस की पीठ पर बँठकर पढा करते थे। इस प्रकार पूरे क्षेत्र में एक अजीब वातावरण फैल गया। जहाँ पहले पशु चरानेवाले बच्चे आपस में लड़ने, माली देने तथा दूसरे की सम्पत्ति बरबाद करने के काम में लगे रहते थे वहाँ अब वे पशु चराने समय पढाई, अच्छे-अच्छे गीत गाने तथा रामायण का उच्चारण करने लगे। इससे 'ग्रामभारती' के प्रति क्षेत्र-भर के लोगों की दिलचस्पी बढ़ी।

लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ी, वह इसलिए नहीं कि लोग 'ग्रामभारती' के विचार को समझ रहे थे बल्कि इसलिए कि हम लोगों के नये तरीकों को देखकर उनके दिमाग में अजीब क्रिम की अभिवृत्ति की प्रतिक्रिया होती थी। अतः थोड़े दिन में छात्रों की संख्या ४५ से घटकर १५-१६ हो गयी, लेकिन इस दिलचस्पी के कारण हम लोगों को व्यापक रूप में विचार-प्रचार का प्रसंग मिल गया।

### 'मजदूर-स्कूल'

यह सब हुआ लेकिन बाबू-वर्ग के दिमाग से 'मजदूर-स्कूल' की भावना नहीं मिटी। जो लोग 'ग्रामभारती' का प्रचार करते थे और मजदूरों के बच्चों को शामिल कराने को जोरिदा भी करते थे, वे भी अपने बच्चा को वहाँ नहीं भेजते थे, यद्यपि वे यह कहते थे कि ऐसी पढ़ाई वहाँ नहीं होती है, लेकिन सोचते थे कि मजदूरों के साथ अपने बच्चों को कैसे बिटायें। इसका कारण यह है कि यह क्षेत्र धीरे-धीरे सामन्तवादी मानस से भरा हुआ है।

बाबू लोगों के बच्चों को न भेजने का एक दूसरा

भी कारण है—वह यह कि वे मानते हैं कि सिद्धित व्यक्ति को नौकरी करनी है, और ग्रामभारती में नौकरी के लिए कोई सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है। यह समस्या पिछले २५ साल से 'नयी तालीम जगत्' के सामने निरन्तर खड़ी है। यह ऐसा प्रश्न है जिस पर नयी तालीम जगत् के समस्त कार्यकर्ताओं को सोचने की जरूरत है। तालीम का लक्ष्य नौकरी है, इस मान्यता का निराकरण क्या है? और जब तक इसका निराकरण नहीं होता है तब तक नयी तालीम का स्वरूप क्या हो, जिससे वर्तमान मान्यता के बावजूद नयी तालीम प्रक्रियाओं के लिए लोक-सम्मति प्राप्त हो? इस दिशा में सोचने पर मुझको ऐसा लगा कि नयी तालीम की प्रक्रिया अलग से बच्चों को लेकर नहीं हो सकती। अगर पूरे समाज को लेकर नयी तालीम की पद्धति चलेगी तो समाज की इकाई-परिवार ही नयी तालीम की इकाई हो सकती है। इसी विचार के आधार पर शिक्षा-पद्धति की रूपरेखा तैयार हो सकती है। उसीकी टेक्नीक निचालना नयी तालीम के कार्यकर्ताओं के लिए बुनियादी कार्यक्रम है।

जनता केवल नौकरी चाहती है, शिक्षा नहीं

किसीको शिक्षा दी नहीं जाती है। शिक्षा को चाहने पर उसकी पूर्ति ही वास्तविक तालीम है। हम जब यह सोचते हैं कि हमें नयी तालीम का काम चलाना है और उसकी पद्धति यह होगी तो निस्सन्देह हमारे दिमाग में अपनी तरफ से तालीम देने का विचार है, ऐसा मानना पड़ेगा। अतएव नयी तालीम के लिए आवश्यक है कि वह खोज करे कि देश की जनता चाहती क्या है। निस्सन्देह आज की जनता को उत्कट माँग बच्चों की तालीम है। लेकिन उनका कारण यह नहीं है कि देश का जन-नमुदाय यह चाहता है कि बच्चों का सांस्कृतिक विकास हो और उसके माध्यम से देश सुसंस्कृत हो। बल्कि लोग मानते हैं कि आज अपने आर्थिक प्रश्न हल करने के लिए नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए शिक्षा चाहिए। इसका अर्थ यह है कि नयी तालीम का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य जनता का नहीं है। अतः केवल बच्चों की तालीम आज की परिस्थिति में नयी तालीम नहीं हो सकती।

अब प्रश्न यह है कि जनता चाहती क्या है। अभी ऊपर कहा है कि वह आर्थिक कारणों से बच्चों को पढ़ाना चाहती है अर्थात् उनकी चाह आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति है। जब तक यह साबित नहीं होगा कि हमारी तालीम की प्रक्रिया इस लक्ष्य की पूर्ति का माध्यम है, तब तक उसके लिए लोक-सम्मति प्राप्त नहीं हो सकेगी। यही कारण है कि मैं आवश्यक कहता हूँ कि गाँव के जितने कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों की तरफकी ही नये धारणा है और यही वे कार्यक्रम पूरे परिवार के हैं इसलिए पूरे परिवार ही 'विद्यार्थी' हो सकते हैं, न कि अलग-अलग बच्चे।

गाँव के बाबू लोग उपर्युक्त कारणों से अपने बच्चों को तो भेजते नहीं थे, फिर भी 'ग्रामभारती' की प्रगति को देखकर उनमें काफी सतोष था। और दूसरे साल खेती के लिए उन्होंने २ बीघा जमीन बच्चों के लिए खलम कर दी। बच्चे मिलकर उत्साह से छगमें खेती करने लगे। इससे कृषि विज्ञान तथा देश के भिन्न भिन्न आर्थिक प्रदान सुलभाने की चर्चा के लिए भिन्न भिन्न प्रसंग उपस्थित होने लगे और बच्चों का बौद्धिक स्तर काफी ऊँचा उठा। लेकिन बच्चों की इस दिलचस्पी के साथ मेहनत करने से दूसरी समस्या खड़ी हो गयी। वह यह कि उनके माता पिता के मन न लालच पैदा होने लगी। जो बच्चे पहले घर का काम नहीं करते थे व ग्रामभारती में विजयनाई और दूसरे लोगों के साथ जब मेहनत करने लगे और उसके फलस्वरूप अपने हिस्से को प्याज, पाट आदि सामग्री घर ले जाने लगे तब उन्होंने समस्या, अगर ये बच्चे मेहनत करते पैदा कर सकते हैं तो ग्रामभारती में क्यों मेहनत करें, घर के काम में क्यों न करें। यह सोचना और कीरे बढ़ने लगा और किसी न किसी बहाने वे अपने बच्चों के लिए शाला से छुट्टी लेने लगे। यह छुट्टी इतनी अधिक होने लगी कि बार की विजयनाई के लिए दो बीघे की खेती भी संभालना कठिन हो गया।

हम अब बच्चों के पालकों को समझाते थे तो वे विचार समझ जाते थे लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उसी पुराने ढर्रे पर चले जाते थे। काफी दिन तक इस प्रकार से समय-समझाकर काम चला और हम लोग किसी तरह मर्दानगी की फसल संभाल पाये। फलक कादन के बाद

हम लोग इस प्रश्न पर फिर से विचार करने लगे। हमने देखा कि बच्चों को भी घर के कामों में ग्रामभारती की खेती की अपेक्षा अधिक दिलचस्पी है, यद्यपि मर्दानगी की फल में उनका हिस्सा काफी सतोषजनक था। उनका हिस्सा इतना अधिक था कि वह गाँवभर की चर्चा का विषय रहा। जो कोई भी मुझसे मिलता था यही कहता था 'आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी'। पढ़ाई के साथ-साथ इतना कमाई हो जाय तो बहना ही क्या? काम करना है तो घर का काम अच्छा

यह सब हुआ लेकिन न बाबू लोगों ने अपने बच्चे भेजे और न ग्रामभारती के बच्चों की हाजिरी के रबबे में कोई परिवर्तन हुआ। धूम फिरकर पालक और बच्चे दोनों इसी बात पर आ जाते थे कि घर का काम ही करना है। हम लोग ने सोचा कि ग्रामभारती में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के टप में दो विभाग रखे जायें। प्रथम विभाग में वे बच्चे रहें जो २४ घण्टे 'गुच्छुल' में ही रहें, सिर्फ खाना खाने के लिए घर जायें। अर्थात् हमने 'ग्रामभारती' के साथ एक 'सूना छात्रावास' (ट्राइ होस्टल) का भी सिलसिला शुरू किया। हमने सब पालकों से कहा कि जिन बच्चा को वे घर के काम से छाली करके 'गुच्छुल' में चौबीस घंटे रख सकेंगे वे प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी होंगे, वे ग्रामभारती की भूमि पर खेती करते मुख्यतः खेती का विज्ञान सीखेंगे और साथ ही साथ प्रातःकाल और रात्रिकाल में गणित और भाषा आदि भी पढ़ेंगे। द्वितीय श्रेणी के बच्चे वे होंगे जो केवल प्रातः और रात्रिकाल में पढ़ने बायेंगे और बाकी समय में घर के काम करेंगे। हमने सोचा कि इतने दिन के सांस्कृतिक विद्यास से अब बच्चों की स्थिति ऐसी हो गयी है, जब घर के काम को सिखा के माध्यम के रूप में पहले से अधिक व्यवस्थित कर सकेंगे। पालकों से २-३ दिन तक विचार किया। वे मानते थे कि अगर पूरा समय विजयनाई के साथ बच्चे रहें, उनके साथ काम करें और पढ़ें तो बच्चों में उत्पादन-शक्ति और सांस्कृतिक विकास दोनों में काफी वृद्धि होगी। लेकिन परम्परागत स्वार्थ उनके इस विचार को भी दबा देता रहा। आखिर में १२ म से ८ बच्चों के पालकों न कह दिया कि वे अपने बच्चों को प्रथम श्रेणी में ही रखना

चाहते हैं। और धीरे धीरे ११ बच्चे उसमें शामिल हो गये। जो एक बच्चा शामिल नहीं हुआ वह २ भाई था, उनके पिता ने छोटे बच्चे का 'ग्रामभारती' में शामिल करके बड़े बच्चे को घर के काम में लगा लिया। इससे स्पष्ट है कि लोग निश्चित रूप से 'ग्रामभारती' की प्रक्रिया का महत्व समझने लगे थे।

### 'सांस्कृतिक विकास' से निरूली समस्याएँ

बच्चों के पूरे समय के लिए छात्रावास में आ जाने पर उनके जीवन पर प्रभाव डालन का मौका अधिक मिलने लगा और उनका सांस्कृतिक विकास तेजी से आगे बढ़ने लगा। खेती के काम भी सुगमवस्थित होने लगे। लेकिन इसम से दो-एक ऐसी समस्याएँ खड़ी हुईं जिन पर हर-एक नयी तालीम के सेवक को विचार करने की आवश्यकता है। जब बच्चे घर के काम में लगे रहते थे उस समय व जितना आराम चाहते थे उससे अधिक आराम यहाँ चाहने लगे। यह सही है कि ग्रामभारती में जो मेहनत करते थे उसका फल उन्हींको मिलता था और वह प्रत्यक्ष रूप में था जब कि घर के काम का कोई मतीजा उन्हें दिखाई नहीं देता था। फिर भी हजारी वर्षों की व्यक्तिवादी, सम्पत्तिवादी मनोवृत्ति के कारण ग्रामभारती के काम में घर के काम-जैसी अभिरुचि पैदा न हो सकी। हम भी मानते हैं कि दैनिक कार्यक्रम में हर एक को आराम चाहिए इसलिए इस समस्या पर हमने अधिक ध्यान नहीं दिया और उनके लिए उतन आराम की व्यवस्था कर दी।

लेकिन दूसरी समस्या अधिक चिंता की हो गयी। वह यह थी कि हमारे माथ रहने के कारण उनमें सफाई की आदत, सुव्यवस्थित ढंग से रहने का अभ्यास तथा सामाजिक शिक्षाचार के विनाश के कारण उनका जीवन स्तर घरवालों के जीवन-स्तर से काफी ऊँचा हो गया। और धीरे धीरे कुछ लड़कों का ऐसा भी मानस बनने लगा जिससे वे घर के दूसरे लोगों से घुणा करने लगे। मैंने मुना था कि किराी कॉलेज के छात्रावास के एक लड़के से उसके पिता मिलने गये थे तो उस लड़के ने अपने साथियों को बताया था कि घर का नौकर उससे मिलने आया था। मैं मानता था कि शहर के आडम्बरपूर्ण

जीवन-क्रम के कारण लड़कों में ऐसी मनोवृत्ति बनती है लेकिन गाँव में किसान-जैसे ही ६-७ घण्टे खेत में काम करनेवाले तथा अपने घर की शोपड़ी जैसे ही स्थान पर रहनेवाले बच्चों के मन में भी जब ऐसी मनोवृत्ति पैदा होती है तब पूरी शिक्षा पद्धति के बारे में ही विचार करने की आवश्यकता हो जानी है। विचार कर किसी निश्चित नतीजे पर पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। हम चाहे जितना खेती-बारी आदि उत्पादक काम करें और चाहे जितनी टूटी शोपड़ी में रहें हमारा सांस्कृतिक स्तर अवश्य ही कुछ ऊँचा रहेगा और हमारे सम्पर्क में तालीम पाये हुए बच्चों का स्तर भी ऊँचा हो जायगा। फिर जब ये बच्चे घर के लोगों के सँभल और अव्यवस्थित जीवन को देखेंगे तो स्वभावतः अपने को कुछ 'अलग' समझन लेंगे। हम चाहे कोई भी शिक्षा-पद्धति अपनायें, शिक्षित बच्चे निस्सन्देह विकसित सङ्कति के होंगे और उनका खेल घर के दूसरे लोगों से नहीं बँटेगा। जब स्थिति ऐसी है तब शिक्षा द्वारा समाज में भेद भाव के निराकरण की बात तो दूर रही, हम तत्काल ही शिक्षा द्वारा परिवार में ही भेद भाव पैदा कर देते हैं। कहते हैं कि चले ये हरि भजन को ओटन लगे कपास। उसी तरह हम ग्रामभारती द्वारा चले ये सामाजिक विषमता का निराकरण करने, लेकिन उस प्रक्रिया द्वारा हमने पारिवारिक विषमता का ही निर्माण कर डाला।

### स्कूल बंद-पूरा परिवार विद्यार्थी

इस प्रश्न पर हम लोग गम्भीरता से सोचने और आपस में चर्चा करने लगे लेकिन कोई तार्कालिक हल नहीं निकाल सके। पूरा परिवार ही नयी तालीम का विद्यार्थी हो, यह विचार यद्यपि पहले ही हमारे मन में आ गया था लेकिन उसका तुरन्त कोई छोर न दिखाई देने के कारण उपयुक्त परिस्थिति के बावजूद बच्चों के शिक्षण को बन्द करने की बात सोच नहीं सकते थे। लेकिन इस बीच कुछ दूसरो परिस्थितियों ने हमको फिर से पारिवारिक शिक्षण की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। यद्यपि पालकों ने बहुत उत्साह से बच्चों को पूरे समय के लिए ग्रामभारती के छात्रावास में शामिल कर दिया था तथापि व्यक्तिवादी संस्कारों के कारण धीरे-धीरे बच्चे गैरहाजिर होन लगे और हम

२-३ महीने में फिर उसी स्थिति पर पहुँच गये जहाँ से 'मूला छात्रावास' की कल्पना शुरू हुई थी। बच्चे फिर से केवल पढने के लिए हाज़िर होते थे। इस परिस्थिति के कारण आखिर हमने निर्णय ही कर डाला कि बच्चों को घर से अलग करके तालीम की व्यवस्था 'समग्र नयी तालीम' की पद्धति में नहीं बँडेगी। और एक दिन बच्चों को बुलाकर उनसे कह दिया कि केवल पढने के लिए जब गाँव में स्कूल मौजूद है तो फिर हम केवल पढाई का काम नहीं करेंगे, इसलिए गाँव में जो स्कूल चल रहा है उसमें जाकर वे भरती हो जायें। हमने गाँवभर के लोगों से कह दिया कि केवल पढने के लिए गाँव का स्कूल काफी है। उसके लिए हम 'ग्रामभारती' नहीं बलायेंगे। इतनी सेवा हम अवश्य कर देंगे कि कोई भी छात्र कमी भी हमारे पास मदद के लिए आ जायगा तो हम मदद अवश्य कर देंगे।

इस प्रकार सालभर के अनुभव के बाद हम बच्चों की अलग से तालीम के कार्यक्रम को बन्द करके पूरे परिवार की तालीम के विचार को ग्रामवासियों के सामने रखना शुरू कर दिया। पूरे परिवार ही ग्रामभारती के विद्यार्थी हो सकते हैं। इस नतीजे पर हम किन परिस्थितियों में पहुँचे, यह जानना दिलचस्प होगा।

(१) सामूहिक खेती के अनुभव से यह प्रतीत हुआ कि गाँव के लोगों के आज जो पारस्परिक सम्बन्ध हैं उनको देखते हुए परिवार में आपस का सहकार किसी प्रकार के राजनैतिक कानून या आर्थिक कार्यक्रम द्वारा विकसित नहीं हो सकता है। उसके लिए समग्र-शिक्षण की आवश्यकता है। और यह शिक्षण व्यक्तिगत न होकर पारिवारिक ही हो सकता है, क्योंकि समाज को दवाई व्यक्ति नहीं, परिवार है।

(२) अगर गाँव के बारे में कार्यक्रम शिक्षा के माध्यम हैं तो आज की परिस्थिति में यह कार्यक्रम निस्संदेह पारिवारिक धर्म्य ही है। 'ग्रामभारती' के लिए अलग धन्य नहीं बनाया जा सकता। अगर पैसा बनाया गया तो उस धन्य के लिए शिक्षार्थियों की उतनी दिलचस्पी नहीं हो सकती है, जितनी कि अपने घर के

धन्य के प्रति रहती है और यह स्पष्ट है कि बिना अभिष्टि के कोई भी धन्य शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकता है। अगर पारिवारिक धन्य शिक्षा का माध्यम है तो चूँकि परिवार का हर एक सदस्य उस धन्य में लगा रहता है इसलिए धन्य का विकास पूरे परिवार के विकास से ही संभव हो सकता है।

(३) अगर समाज का सांस्कृतिक विकास करना है तो वह विकास सारे समाज के साथ-साथ ही चल सकता है। बच्चों को अलग विनियमित करने की प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है, यह हम ऊपर बता चुके हैं। इस परिस्थिति की माँग ही आती है कि समग्र नयी तालीम की इकाई पूरा परिवार ही हो।

अनुभव तीनो कारणों से हमने निश्चित रूप से यह तय कर लिया कि परिवार के शिक्षण का सन्दर्भ निकालकर ही व्यवस्थित तालीम का प्रारम्भ किया जाय और जब तक ऐसा सन्दर्भ नहीं निकलता है तब तक उस सन्दर्भ का निर्माण ही समग्र नयी तालीम का कार्यक्रम माना जाय। हमने अब यह निश्चय किया है कि हम लोग अपने स्वावलम्बन के लिए सबके साथ खेती करें, पारिवारिक उद्योग चलायें और सामूहिक खेती के 'भूमि-सदस्य' और 'धर्म-सदस्य परिवारों' को अपना विद्यार्थी मानकर उनसे सम्पर्क करें, उनकी खेती-बारी, घर-द्वार, आहार-विहार के तरीकों में सुधार लाने की कोशिश करें और इसी कोशिश के सिलसिले में कुछ व्यवस्थित तालीम की पद्धति का छोर ढेंडें।

इस विचार से बलिया के सब साथी उत्साहपूर्वक सहमत हैं। अब देखना है कि समग्र नयी तालीम के इस नये अभियान का क्या परिणाम निकलता है।

[बलिया विहार के पूर्णियाँ जिले का एक सुदूर गाँव है। वहाँ बैठकर गाँववालों के बीच, गाँववालों की तरह रहकर, उनका ही दिया खाकर, उनके साथ काम कर धी धीरे नमाई ने ये अनुभव प्राप्त किये हैं। यहाँ उनके वे अनुभव दिये गये हैं जिनका सीधा सम्बन्ध 'समग्र नयी तालीम' से है।—स० ]

## राममूर्ति



गाँव में काम करनेवाले साधियों की ओर से अपसर प्रश्न उठता रहता है 'गाँव में क्या काम करें ?'

१ आज से ही नहीं, वर्यो पहले जब गांधीजी ने गाँवों के पुनर्निर्माण की बात चलायी थी तब से यह प्रश्न लगातार बना हुआ है। सरकार की ओर से जो लोग गाँवों में जाते हैं उनके लिये यह आसानी होती है कि उनके सामने एक बनी-बनायी योजना रहती है, तैयार कार्यक्रम होता है, और काम भी ज्यादातर ब्लाक, पंचायत, सहकारी समिति आदि सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थाओं के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। वहाँ ऐसे ग्राम-सेवक होते हैं जिनका गाँव के मुख्य लोगों से अपना संपर्क भी होता है। लेकिन यह सुविधा रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सामने नहीं होती। खादी या ग्रामोद्योग आदि की जो संस्थाएँ होती हैं उनकी कोई कानूनी शक्ति नहीं होती, जो भी होती है नैतिक होती है। इनसे भी थोड़े भिन्न वे कार्यकर्ता हैं जो केवल भूदान या कुछ विशेष प्रकार के निर्माण का काम करते हैं। उनकी मुख्य शक्ति अपने अपने सपन और प्रभाव में होती है।

२ जब अंग्रेजी राज्य था तो गाँवों में जो भी काम होता था कांग्रेस की ओर से होता था। बाद भूकूप आदि के अवसर पर स्फुट सेवा के अलावा नियमित रूप से कुछ चुने हुए क्षेत्रों में खादी-ग्रामोद्योग का काम होता था। सरकार की ओर से रूरल डवलपमेंट का जो काम शुरू हुआ वह ग्राम विचार का कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं बन सका। गांधीजी ने कांग्रेस के तत्वावधान में कई रचनात्मक संस्थाएँ—जैसे चरखा सघ, ग्रामोद्योग सघ, गो-शेवा सघ, हिंदुस्तानी तालीमी सघ आदि कायम की थी जो उनके मार्गदर्शन में काम करती थीं लेकिन उनका क्षेत्र सीमित था। उनका महत्त्व मुख्यतः इस बात में था कि उनसे ग्रामनिर्माण के विचार की व्यापक संभावना प्रकट होती थी, भले ही सीमित दायरे में ही। उनके अग्रह रचनात्मक कार्यक्रम बुनियादी तौर पर तीन श्रेणियों के थे—

## गाँव के काम के कुछ पहले कदम

१ उत्पादन वे, जैसे ग्रामोद्योग आदि २ सगठन के, जैसे मजदूरो, स्त्रियो, विद्यालयियों आदि का, ३ शुद्ध सेवा वा जैसे बृष्ट-सेवा, प्राकृतिक चिकित्सा आदि। नयी तालीम को यह रचनात्मक काम क छीर की आत्मा मानते थे। कहते भी थे कि इस रचनात्मक कामों की नदियाँ नयी तालीम के समुद्र में विलीन होती हैं। उनकी बराबर यह कोशिश रहती थी कि रचनात्मक कार्य इस ढंग से किया जाय कि जनता वा स्वावलंबी पुरुषार्थ विकसित हो और जिस क्षेत्र में रचनात्मक कार्य किया जाय उसमें विदेशी शासन के अत्याचार तथा अपने जीवन की अनौचित्य के विरुद्ध अहिंसक प्रतिकार ( रेजिस्टेंस ) की शक्ति संगठित हो। इस तरह वह पूरे देश में रचनात्मक कार्य के माध्यम से जनता को अहिंसात्मक सहकार-विचार का विकास देवता चाहते थे—यहाँ तक कि उसके बरुपर एक दिन हर गाँव भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्था और सुरक्षा में अधिक-से-अधिक स्वावलंबी हो जाय और पूरा देश ऐसे स्व-बलवी और परस्पर-बलवी गाँवों की एक विद्यालय इबाई बन जाय। हर गाँव ( शावरें रिपब्लिक ) पूर्ण-अधिचार-संपन्न गणराज्य हो, ऐसी भाषा वह बोला करते थे।

गांधीजी की यह रचनात्मक थी कि अंग्रेजी राज के बाद एक तो स्वदेशी सरकार हर गाँव को स्वावलंबी इकाई के रूप में विवसित करने की नीति अपनाये और दूसरे, देश में ऐसे लोकसेवकों वा एक समर्थ समुदाय बने जो सत्ता से अलग रहकर स्वतंत्र लोक शक्ति विकसित करे और जिनमें सत्यनिष्ठा की एसी शक्ति हो कि एक ओर वह अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का विरोध करे तो दूसरी ओर जन-जीवन में जो अनौचित्य हो उसकी विरुद्ध भी आवाज उठाये। इस तरह लोक-सेवक निस्पृह, निर्मांक, निष्पक्ष और निर्बैर हो और अपने जीवन द्वारा सत्य और अहिंसा वा प्रतिनिधित्व करे।

३ सन् १९४४ में गांधीजी ने चरखा सघ को विघटित करने की जो योजना बनायी थी वह इसी रूप को

सामने रखकर बनायी थी। उसमें कार्यकर्ता के लिये कल्पना यह थी कि गाँव में जाकर वह धीरे धीरे जन-जीवन में विलीन हो जाय और उम अदर स अहिंसा की दिशा में मोड़े। लेकिन उस वक्त यह विचार कुछ आगे नहीं बढ़ सका।

४ सन १९४७ मजिस विपम परिस्थिति में स्वराज हुआ कुछ उसके कारण अर उससे भी अधिक इस कारण कि जिन नेताओं के हाथ में देश का जीवन गया वे जिस राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति और चिन्तानीति को माननेवाले थे वह गांधीजी के विचार की नहीं थी, देश में प्रधानता उसी मध्यम वर्ग को मिली जो गांधीजी की जीवन-नीति की अपेक्षा पश्चिम की जीवनीति को अधिक मानता था। सबने मिलकर जनता के सामने भविष्य का जो चित्र रखा वह इंग्लैंड-अमेरिका के जीवन के चित्र से मिलता-जुलता था—उस चित्र से विलकुल भिन्न जिसे गांधीजी ने अपने जीवन में प्रस्तुत किया था। गांधीजी के मन में उत्पादको का समाज बनाने की बात थी लेकिन ऐतिहासिक कारणों से उत्पादको का स्थान न स्वराज की लड़ाई में था, न स्वराज के बाद देश के निर्माण में ही हो सका उनकी आवाज में बल नहीं आ सका। हमारा नेतृत्व और देश का ऊपरी वर्ग सत्ता और संपत्ति के मूल्यों को नहीं छोड़ सका, उसने गांधीजी के श्रम और सहकार के मूल्यों को आज की दुनिया में अनुपयुक्त कहकर छोड़ दिया। हर तरह से यही आवाज आने लगी कि बड़े बड़े बल-कारखाने सहे करने हैं, बिजली बनानी है, नदियाँ बाँधनी हैं, देश की दोलत बढ़ानी है, हूनी-चौगुनी रफार से दौड़कर दूसरे उन्नति-शील देशों के मुकाबल में पहुँच जाना है।

५ इस विचार धारा को लेकर प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी। वह १ अप्रैल १९५१ को लागू हुई। स्कूल निर्माण का देशव्यापी कार्यक्रम चालू हो गया। गाँवों के लिये सामुदायिक विकास (कम्युनिटी डेवलपमेंट) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (नेशनल एक्सटेंशन सर्विस) के कार्यक्रम शुरू किये गये। स्कूल, सड़क, अस्पताल, पंचायत पर आदि के निर्माण पर जोर दिया गया। जो भूमि-व्यवस्था पूरे ग्रामीण जीवन की रीढ़ है और जिसे लेकर गाँव के जीवन का असली स्वरूप बनता है, वह

ज्यों-की-तथा रहने दी गयी। केवल जमींदारी तोड़ी गयी, लेकिन जमीन की मालिकी बनी रही। जब मालिक-मजदूर का रिश्ता नहीं बदला तो समाज कैसे बदलता, क्योंकि हर नया समाज नये सबबों से बनता है ?

६ पंचवर्षीय योजना शुरू होने के १७ दिन बाद १८ अप्रैल १९५१ को भूदान यज्ञ आंदोलन शुरू हुआ। पंचवर्षीय योजना ने स्वामित्व के प्रश्न को छोड़ दिया था, इस आंदोलन ने उसीको मुख्य प्रश्न बनाया और विनोबाजी ने कहा कि जब तक जमीन, बल-कारखाने और व्यापार की निजी मालिकियत नहीं मिटेगी तब तक नये अहिंसक समाज का निर्माण नहीं हो सकता। भूमि के ग्रामीकरण को उन्हेने बुनियादी रचनात्मक कार्य बताया। इस तरह सन् १९५१ में ही सरकार की ओर से शुरू की जानेवाली विकास की योजना और विनोबाजी द्वारा शुरू किये गये भू-क्रांति के कार्यक्रम को दिया भिन्न हो गया।

पंचवर्षीय योजना ने विकास और उत्पादन पर जोर दिया, भूदान-यज्ञ ने महत्त्व समता, शोषणमुक्ति और जनता के सामूहिक मुक्तार्थ पर दिया। एक ने देश के सामने एक चित्र (ड्रमज) प्रस्तुत किया, दूसरे ने दूसरा। विनोबा के सामने उत्पादको के समाज का चित्र था। पंचवर्षीय योजना ने कहा कि राष्ट्र को समृद्धि बढ़ने दो तो जनता भी धीरे धीरे सुखी हो जायगी। भूदान-यज्ञ-आंदोलन ने बताया कि जनता एक बार स्वामित्व के पुराने बंधनों से मुक्त हो जाय तो गाँव-गाँव में अपार सामूहिक पुरुषार्थ जमेगा जिसके बल पर जनता समृद्ध होगी और जब जनता संपन्न होगी तो क्या राष्ट्र विपन्न रहेगा ?

७ पिछले ग्यारह वर्षों से अपने देश में ये दोनों पारार्णें बढ़ रही हैं। विनोबा ने अपनी योजना को 'ग्राम स्वराज्य' का नाम दिया है। इस बकउ दो के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है लेकिन शोषण, बेकारी विपन्नता की दृष्टि से उसके जो परिणाम हुए हैं वे सामने हैं। पूँजी से, केंद्रित योजना में, सरकारी तंत्र की शक्ति ने जिस तरह का जितना काम हो सकता है हो रहा है, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि ये शक्तियाँ साम्य और सहकार के आधार पर सुखी, शांत समाज नहीं बना

(२) श्रम वेचनेवालो और श्रम से बचनेवालों का चोचने का तरीका, अनुभूति, आशा और आकांक्षा, सब कुछ भिन्न है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो गाँव तरह-तरह के गुटों ( पावर एण्ड इफ्लूएस ग्रुप ) में बँटा हुआ है जो परिवार, जाति, वर्ग या दलकी प्रविष्टि द्रिता के आधार पर बने हुए हैं।

ऐसा ताना-बाना है गाँव का। इसी कारण सरकार की ओर से या सस्थाओं की ओर से जो काम होते हैं व पूरे गाँव के जीवन को नहीं छू पाते, जो पूँजी, पहुँच या प्रभाववाले हैं वे फायदा उठा लेते हैं और गाँव जैसा का तैसा ही रह जाता है। उसके अतिविरोध किसी अश म बढ जाते हैं, घटते नहीं। अलबत्ता वर्गगत शोषण और जातिगत दमन को सरकार और सस्था की शक्ति और कानून का नया सहारा मिल जाता है।

११ जब गाँव का यह हाल है तो स्पष्ट है कि हमारा पहला काम गाँव को गाँव बनाने का होना चाहिये। विनोबाजी इसीलिये बार-बार कहते हैं कि 'गाँव पहले, निर्माण बाद को'। तो सबसे पहले यह सोचना चाहिये कि गाँव गाँव कैसे बनेगा, उसमें धर्म-भावना कैसे जगेगी। कार्यकर्ता ( जिसकी हैसियत अब मित्र को ही होनी चाहिये ) चेतन-तत्त्व है, उसके अदर प्रेरणा है, उसके सामने एक चित्र है, उस प्रेरणा की छूत फैलाना, उस चित्र को गाँववालों के सामने प्रस्तुत करना उसका मुख्य काम है।

उसके ब्यक्तित्व, चरित्र, प्रेरणा और परामर्श से प्रभावित होकर गाँव अपन लिये क्या काम हाथ में लेगा यह गाँव के अपने निर्णय को बात है। लेकिन कार्यकर्ता केवल शब्दों से दूसरों के जीवन में प्रेरणा नहीं पैदा कर सकता। उसे भी काम के कुछ टग, तरीके अपनाने पड़ेंगे जो लोगों के मन की छुपे। वे तरीके क्या होंगे ?

१२ हमारे गाँवों का परंपरागत संस्कार ऐसा है कि वहाँ के लोग विचार से अधिक आचार में प्रभावित होते हैं—चायद इसलिये कि हमारे धर्म हमेंशा से आचार-

प्रधान रहे हैं। कार्यकर्ता जो कथनी करे उसके अनुसार उसकी करनी न हो तो वह प्रनिष्ठा सो देना है। आज गाँव में पार्टियों की ओर से, सरकार की ओर से, अय सस्थाओं की ओर से अनेक रोजे काम करते हैं। कई कारणों से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिये गाँववालों के मन में इज्जत बहुत कम हो गयी है, इसलिये और भी ज्यादा जल्दतर है कि हम अपने आपको बराबर आँसते रहें। दल या जाति का पक्षपात, छुआछूत, श्रम से बचना, बीबी, मिगरेट आदि का दस्तेमाल, अपना काम छोडकर ज्यादा अनुपस्थित रहना, बर्तन आदि साफ करने के लिये गौकर रखना, अपनी पोशाक में सादी धार मिलावट, एक से अधिक कार्यकर्ता एक जगह रहें तो आपस में लडना या अलग-अलग चूल्हे जलाना, परिवार साथ ही तो पत्नी का बसहयोग प्रकट होना, गाँव के बड़े-बूढ़ों के प्रति अमदना, गाँव के पूर्व-उत्सव आदि के प्रति अनुत्साह, स्त्रियों से बहुत खुला व्यवहार,—पदों के क्षेत्र में यह बहुत नाजुक प्ररन है—गाँव के लोगों से पैसे का लेन देन, पैसे के सबय में लालच या अप्रामाणिकता, सरकारी अधिकारियों या प्रभाववाले स्थानीय ब्यक्तियों के पास इस दृष्टि से बहुत उठना-बँठना कि अपना भी प्रभाव जम जाय—ये सब ऐसी बातें हैं, जो कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा में धक्का पहुँचाती हैं। सर्वोदय का नाम लेने-वाले से लोग विनम्रता, श्रमशीलता, सत्यवादिता, नियमितता, समभाव, नेचनीयती, ईमानदारी, मुदुभाषिता आदि की अपेक्षा रखते हैं। वे चाहते हैं कि कार्यकर्ता गाँव का नागरिक बनकर उनका दुख-मुख में शरीक हो और उनके प्यार और आदर का पात्र बने। उनकी सब अपेक्षाएँ गलत नहीं होती।

यहाँ एक बड़ा प्ररन उठता है। बाहर का कार्यकर्ता और शुरू में कार्यकर्ता बाहर का ही होना चाहिये क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ता परिवार और जाति आदि की प्रतिष्ठा द्रिता के कारण पूरे गाँव का मित्र नहीं बन सकता—गाँव के साथ किस तरह समरम हो, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। बेतन लेबर काम करनेवाले हरएक को गाँववाले 'नौकर' समझते हैं, इसलिये उसे अपनी निभाह से गिरा देते हैं। धमाधार आदि के विचार ऊँचे हैं और कार्य-

कर्ता के ध्वजित्व को ऊपर ले जाते हैं। ऐतिहासिक उग कोटि की समरसता पर हम अगो विचार नहीं कर रहे हैं। बतन के पर भी वायवर्ता का इतना ध्यान सा रखना ही चाहिये कि अगर गाँव में कोई ग्रामसोप, सारनात्रिक या स्थायी, धाता है तो वह अथ नागरिकों की ही तरह उसमें पारो न हो, वजुगी न दिगाये। जहाँ ता समय हो उसे अपने का गाँव का एक उद्बुद्ध 'नागरिक' मानना चाहिए और उसी तरह धारण करना चाहिए।

१३ गाँव को गाँव बनाने की ये सोचियाँ मानो जा सकती हैं।

### प्रवेश

इतनी तैयारी के साथ गाँव के जीवन में प्रवेश शुरू होता है। गाँव में पहुँचते ही बड़ी सभा आदि करने का आग्रह रखना ठीक नहीं है। हमें यह मानना चाहिये कि सपर्क की इच्छा परिवार है न कि गाँव। घनी, गरीब या जाति आदि के भेद भाव को भूत्कर क्षेत्र के एक-एक परिवार से घना सपर्क साधना चाहिये। सपर्क के तीन साधन हो सकते हैं

- (क) बच्चों के साथ खेल
- (ख) मुक्की के साथ श्रम,
- (ग) बुद्धा के साथ गप।

गाँव के ऐसे गृहस्थों के खेत पर सुबह की घटा काम किया जा सकता है जो अच्छी खेती में रचि रखते हैं और हमारे साथ मलकर खुद महनत करने को तयार हो।

इस तरह के सपर्क से कुछ दिन बाद अपने-आप गाँव में ग्राम भाषना रखनवाली एक टीम बन जायगी जो सोचन लगगी कि गाँव के लिये कुछ किया जाय। अतः हम की विरादरी में से गाँव का नया नतूव निकलेगा। नया नतूव बनाना और पुराने नतूव को मिलाना, ये दोनों प्रक्रियाएँ साधनाय चलनी चाहियें लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं तो वायवर्ता अनावश्यक विरोध के दलदल में फँस जायगा।

पैसा पहले कहा है सभा करने को जल्दी नहीं करनी चाहियें। अलग अलग परिवारों के दरवाजा पर

बैठो-बैठो अपने-आप 'परिवार गोष्ठो' के बाद 'टोला गोष्ठो' का नंबर आ जायगा। और जब गाँव के सब टोले म गोष्ठियाँ हो चुकेंगी तो स्वयं अलग-अलग टोला के दो चार प्रमुख व्यक्ति 'गाँव की सभा' बुलायेंगे। इस तरह का क्रम हर गाँव में घळ चुने तो 'क्षेत्रीय सभा' बुलानी चाहिये।

१४ हमारा ध्यान मुख्य रूप से गाँव के जीवन के तीन पहलुओं की ओर जाना चाहिये :

- (क) अर्थात् निवारण—आंतरिक झगडे, बाह्य उपद्रव।
- (ख) उत्पादन-बृद्धि—पाद, लेनी, छादी।
- (ग) संस्कार सिगण—बाल-सभा, खेड, पव, उलगव।

१५ इतना ही चुकने पर गाँव में पुर्णाय-स्वाव लंन के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। पुर्णाय सही दिशा में जाय धगडे लिये नीचे किली बातें सुसायो जा सकती हैं

- (१) धर्मगोला या ग्रामोकोप।
- (२) जिन चार-छह परिवारों में विशेष सामोप्य हो उनमें 'पंच सहकार', जैसे—श्रम-सहकार, उद्योग सहकार, सिगण-सहकार, वाय-सहकार, मत्रण-सहकार।

इस तरह की सहकारी इकाई बनने के लिये किसी वाजास्ता महवारी समिति की जरूरत नहीं है। ग्राम स्वराज्य की भूमिका में हमेशा कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि जीवन की जो भी परिस्थिति आज है उसीमें से सहकार प्रकट हो। जिन परिवारों में सहज सामोप्य हो, व एक-दूसरे के खेत पर काम करें जो शिक्षित हैं वे अक्षित को पडा दें, जो घरखा चलाना जानता हो वह न जाननेवाले को घना से आपस में कोई विवाद हो ता आपस में ही तय कर लें पचाजन के सामन मुकदमा लेकर न जायें तथा घर-गृहस्थी जेती-बारी आदि के बारे में आपस में सलाह करके काम करें।

धारे धारे सहयोग की परिधि और सहयोगी परि वारी को सत्या बडगो। विराधो के बावजूद सहमति और सहयोग के क्षेत्र बढ़ते जात ह्य-परिवर्तन की प्रक्रिया है और यही हमारा लोक सिंघण को बनोती भी है।

(३) ग्राम शाळा—सुन्या रात के समय वायवर्ता गाँव के शिक्षित युवका का सहयोग ले सकता है।



(४) सेवा-सेना का संगठन—पहले गाँव की, फिर क्षेत्र की। सेवा-सेना की अलग-अलग टोलियाँ हो सकती हैं। बाल-टोली, युवक-टोली, नारी-टोली, वृद्ध-टोली और हर एक के अलग-अलग काम हो सकते हैं।

ये प्रवृत्तियाँ ग्राम-पंथना के आधार पर नया नेतृत्व विकसित करने में सहायक होगी। साथ ही गाँव की पंचायत को अपने सेवा-धर्म का भान होगा और वह गाँव की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने लगेगी। आज हालत ऐसी है कि जो भी समस्याएँ हैं वे परिवार की हैं, गाँव की कोई समस्या जैसे हैं ही नहीं, क्योंकि गाँव को एक मानकर सोचनेवाला कौन है! कार्यकर्ता शुरु में अलग अलग परिवारों की समस्या के—जिन परिवार की जो भी समस्या हो—निराकरण में सहायक होगा। परिवारों की सहायता करते-करते वह ग्राम भावना और ग्राम-सहकार विवर्धित करने की कोशिश करेगा। वह अपनी चर्चाओं में बतायेगा कि किस तरह परिवार की समस्याएँ भी ग्राम-स्तर पर सामूहिक प्रयत्न से आसानी से हल हो सकती हैं। आज हमारी यह हालत क्यो है, इसके कारण समझायेगा आदि।

### (५) न्याय—

गाँव में भूदान द्वारा भूमिहीनता मिटाने का प्रयत्न।  
प्रतिकार—

ग्राम्य अन्यायों के सम्बन्ध में जनमत का संगठन तथा नये मूल्यों के लिए विचार-संरक्षण।

प्रतिकार का प्रश्न नाजुक है। गाँव का आज जिस तरह का जीवन है उसमें प्रतिकार किसी समय गुटबन्दी और मर्षक का रूप ले सकता है, इसलिए बहुत सतर्कता से पदम उठाना चाहिए। शुरु में ऐसा कोई घाम हाथ में लेने की बात नहीं सोचनी चाहिए जिसको लेकर गाँव में उग्र विवाद की स्थिति पैदा हो जाय। लेकिन ऐसे प्रसंग पैदा हो सकते हैं जिसमें चुप बैठना अनुचित हो। कई ऐसे अन्याय होते हैं जिनको गाँव के लोग भी अपने मूल्यों में अन्याय मानते हैं, किन्तु गाँव के जीवन में वह अन्याय होता रहता है। ऐसी हालत में गाँव के विद्वेक और सद्भावना को आग्रद्व्युक्त जगाना और जगाने

के अन्याय के निराकरण को परिस्थिति तैयार करना कार्यकर्ता का वर्तव्य है। लेकिन जिस अन्याय को गाँव अन्याय मानता ही नहीं वह प्रतिवार का विषय नहीं बन सकता। वह शिक्षण का विषय है। यह विचार-सिखण का काम है कि वह जन-जीवन में नया मूल्य विकसित करे। इस तर्क से भूमिहीनता मिटाने के लिए भूमिदानों के विरुद्ध तुरत कोई प्रतिकाररत्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती, ऐसा करना सिद्धांत की ही नहीं, व्यवहार की दृष्टि से भी गलत होगा।

### (६) अन्तर-ग्रामीण सम्बन्धों का विकास—

क्षेत्रीय सेवा-सेना, धर्मदान, भूदान, कीर्तन-भजन, नाटक, मैने, आपसी प्रश्नों पर सम्मिलित चर्चा आदि के द्वारा एक पंचायत-क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में सामोप्य पैदा किया जा सकता है।

### (७) सहकारी जीवन का अभ्यास—

प्रारंभिक सहकार का अभ्यास बढ़ता जाय तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि कुछ परिवार या पूरा टोला या पूरा गाँव सहकारी जीवन की बात सोचे। सहकार का पहला क्षेत्र खेती है, दूसरा उद्योग, तीसरा व्यापार। अगर सहकारी खेती होती है तो उसमें सर्व काटकर उत्पादन के बँटवारे का यह अनुपात सोचा जा सकता है।

१० प्रतिशत स्यापी पूँजी के लिए,

६० प्रतिशत धर्म के लिए,

३० प्रतिशत मालिक के लिए।

धीरे-धीरे सहकारी इकाई यह तय कर सकती है कि भूमि का स्वामित्व सामूहिक ही और उत्पादन में नेबल धर्म के आधार पर सबको समान हिस्सा मिले। अगर गाँव में एकना के तत्त्व मजबूत है तो सहकारी जीवन में शरीक होनेवाले परिवारों की संख्या और सहकार की परिधि बढ़ सकती है, जो हमारा लक्ष्य है। ग्रामदान होते ही गाँव में ग्राम स्वराज्य का तत्त्व आ जाते हैं और वह प्रतिकूल दक्षिणों के मुकाबले में एक मर्गटिन मोर्चा बन जाता है। बिना इस शक्ति के जननीति और जनआचार से नहीं बचा जा सकता और ग्राम स्वराज्य की बुनियाद भी नहीं पढ़ सकती।

१९. ( १ ) ये शुरु की सात सीढ़ियाँ हैं। इनके क्रम में हेर फेर हो सकता है। गाँव के काम का कोई बना-बनाया कार्यक्रम नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। कार्य तो कार्यकर्ता और गाँव के मेल से अपने-आप पैदा होगा। ऊपर जो कुछ सुझाया गया है वह इसलिए कि कार्यकर्ता के ध्यान में ये बातें रहें क्योंकि वह सामाजिक क्रान्ति का सिपाही है। वह इस लक्ष्य को भूलकर गाँव की सेवा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वह प्रेरक-शक्ति है। अगर उसे केवल सेवा का काम करना हो तो उसकी हैसियत दूसरी होगी।

( २ ) गाँव का वास्तविक निर्माण उस दिन शुरु होगा जिस दिन गाँव में भूमिका न कोई मालिक रहेगा, न मजदूर। उसी दिन सामूहिक पुरुषार्थ प्रकट होगा, गाँव के साधन, गाँव की बुद्धि और गाँव के धन की सुखद सम्भेदारी प्रकट होगी। तब तक गाँव को एक और नैऋत बनाने की शैक्षणिक, सहकारी प्रक्रिया चलेगी।

( ३ ) गाँव की भूमिका में नयी तालीम के दो अर्थ

हैं—एक, हर चीज में आप्रहमभूत वैज्ञानिक दृष्टि, दो, विरोधों के होते हुए सहमति और सहकार की निरंतर खोज और विकास। शिक्षण के सिवा दूसरी कोई प्रक्रिया मनुष्य के मन को सघर्ष से हटाकर रचनात्मक नहीं बना सकता। इसलिए कार्यकर्ता मित्र होने के साथ-साथ गाँव का शिक्षक, सेवक और सहयोगी भी है। बहु-मुखी व्यवित्तत्व लेकर ही वह गाँव का हृदय-परिवर्तन करने की आशा रख सकता है। हृदय-परिवर्तन के साधन में उस सघर्ष के लिए स्थान नहीं है जिसमें हार-जीत की ब्यूह-रचना हो।

( ४ ) इन सीढ़ियों के बाद आगे की सीढ़ियाँ अपने-आप सूझेंगी। ये जो सीढ़ियाँ बतायी गयी हैं उनकी तफ-सोल पर विचार करने की जरूरत है। ये पंक्तियाँ उन साधियों को ही सामने रखकर लिखी जा रही हैं जो गाँव में वैतनिक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं और वहाँ की कठिनाइयों को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं।



[ 'हमारी शिक्षा' पृष्ठ ६ का संपादन ]

भी बच्चे रह जाते हैं, सामूचे शिक्षण में उनकी बड़ी दुर्घटा हो जाती है, पोषे, पढ़ाई की जो पद्धति है वह विद्यालयों में स्वतंत्र चिंतन-शक्ति और सक्रियता निर्माण करने में अयमर्थ सिद्ध हुई है, परिवर्षे, छात्राओं में विद्यालयों की संख्या इनको बढ़ गयी है वि-शिक्षक और विद्यार्थी का निकट सम्पर्क और आत्मोप-संबंध जुड़ नहीं

पाता और अंतत परीक्षाओं पर जो जोर दिया जाता है उसने शिक्षकों का अभिक्रम घीण हो गया है, पाठ्यक्रम पत्थर की लकीर बन गया है, शिक्षण की पद्धति यंत्रबत् और प्राणहीन बन गयी है, प्रयोगात्मक-वृत्ति समाप्त हो गयी है और शिक्षण में गलत और गीय बातों पर अधि-जोर दिया जा रहा है।" (क्रमशः)



## रवीन्द्रनाथ

का

## शिज्ञान-दर्शन

काका कालेलकर

विज्ञान दर्शन का कोई निश्चित साँचा नहीं बन सकता है। विज्ञान दर्शन तत्त्व दर्शन नहीं है, जीवन दर्शन है। उसका सभी पहलुओं में परस्पर सुसंगति सिद्ध करना आसान नहीं है। आखिर जीवन दर्शन नित्य विकासशील होता है।

क्योंकि त्वय जीवन प्रतिक्षण अभिनव उन्मेषों का साथ विकसित होता रहता है। इसलिए जीवन का सन्ध में हमने फल तो मत निश्चित किया उसमें जान कुछ न कुछ सशोधन, परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। चूँकि जीवन की प्रत्येक अभिव्यक्ति नयी होती है और पुराने अनुभव नये प्रकाश में दारने लगे हैं इसलिए पुराने का अर्थ भी बदलना पड़ता है।

यह है जीवन की कठिनाई। लेकिन अपने लिये या किसी और के लिये निर्मित विज्ञान दर्शन के सन्ध में लिखना या बोलना पड़े तो पहले तीन बातों पर विचार करना पड़ता है। एक अपनी योग्यता, दूसरी अपने को प्राप्त अन्तर और तीसरी अपनी जीवन-दृष्टि। और जब ये बातें एकदम बदल जाती हैं, अनुभव कुछ अधिक परिपक्व होते हैं और दृष्टि निरन्तरती और सूक्ष्म बनती है तब विज्ञान पर नये सिरे से विचार करना पड़ता है। अतएव किसीके विज्ञान दर्शन का सन्ध में लिखना आसान नहीं होता है।

रविनाथ ने जब अपना विज्ञान-सन्ध प्रयोग आरम्भ किया तभी उन्हें इस बात का मान था ऐसा लगता है। शायद इसीलिये शांति निकेतन का विज्ञान कार्य के सन्ध में उन्होंने बहुत कुछ लिखा नहीं, बल्कि शांति निकेतन में दिन भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन-अध्यापन होता है उनके लिये उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने का काम भी वे कई वर्षों तक टालते रहे। वे कहते थे—“पढ़ाने-पढ़ाते ज्यों-ज्यों अनुभव आता जायगा त्यों-त्यों हम परिवर्तन करन पायेंगे। अध्यापक अपनी पढ़ाई के नोट तैयार करेंगे और

मुधारें पायेंगे। जब विश्वास हा जाय कि सारा प्रयोग परिपक्व हुआ तब पाठ्यपुस्तक बना लेंगे।” यह थी उनकी नीति।

विज्ञान के सन्ध में उन्होंने जो आदर्श माना था उसमें भी गार-गार हेरफेर होता रहा। इसी एक उदाहरण से इस बात का समर्थन हो जाता है कि प्रारम्भ में उन्होंने गाल के एक उग्र क्रांतिकारी श्री ब्रह्म-नाथ उपाध्याय को अपने साथ लेकर शांति निकेतन का प्रारम्भ किया था। रवीन्द्रनाथ ने बग भग के बाद का राष्ट्रीय आंदोलनों और स्वदेशी आंदोलनों में पड़े उत्साह से भाग लिया था। आगे चलकर जब उन्होंने देखा कि उनके और दूसरे नेताओं के विचारों में बहुत अंतर है तब तुरन्त खुद इन आंदोलनों से अलग हो गये और उन्होंने अपनी सारी शक्ति अपनी कल्याण के अनुरूप शांति निकेतन का विकास करने में लगायी। धनी परिवार में पला हुआ यह तक्षण कवि सरकारी दमन-नाति देखकर डर गया ऐसा आरोप इन पर कई लोगों ने किया। पर रविनाथ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। खुद को जो ठाक लगे उस पर रचनात्मक ढंग से अमल करना और सार्वजनिक आलोचनाओं की दृष्टि म न पड़ना यह उनकी वृत्ति थी।

शांति निकेतन की स्थापना करते समय उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि अंग्रेजी राज्य का प्रारम्भ से ही सरकारी पद्धति में जो शाय उनको दाखे थे उन्हें अपने प्रयोग म न आने देने का उनका निश्चय था। विज्ञान पद्धति और विज्ञान का वातावरण हमारी सृष्टि, हमारे देश की प्रकृति और राष्ट्रीय स्वभाव का अनुकूल ही होने चाहिए। उनका मन यह निश्चय हो गया था कि शासकों की सांस्कृतिक दृष्टि उन्हें पसन्द नहीं आ सकता।

प्रकृति-भाता और मानव-स्वभाव पर रविनाथ का आस्तिक विश्वास था। सैनिक साँच में टगा हुआ

व्यवस्था व प्रति उठाव मन मं गहरी घृणा थी। इसी लिए उनका आग्रह था कि शान्ति निषेधन म शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच मुक्त-संपर्क रहना चाहिए।

आश्रम का अर्थ 'वैराग्य-वरायण ऋषि मुनियों की तपोभूमि' करना रीतिनाथ व लिए सर्वा असम्भव था। लेकिन रूच्यों का विकास उच्च नैसर्गिक वातावरण में ही इस दृष्टि से रूच्यों की पाठशाळा के लिए भवन निर्माण करने के बजाय उन्होंने वृक्षों के नीचे ही वर्ग चलाने की परंपरा आरंभ की। आम के पेड़ों की घना छाया में विद्यार्थियों के ही बनाये हुए छोटे संचबूतरे पर शिक्षक बैठते और आस-पाम उनकी ओर अभिमुख होकर विद्याया बैठते और शिक्षण-संस्कार पाते।

रविवानू का यह आग्रह था कि किसी भा शिक्षण धर्म या पथ क सिद्धान्तों का कुछ भा आग्रह रखे बिना सस्था में धार्मिकता का वातावरण बना रहे। दिन के प्रारंभ में सभी विद्यार्थी वर्गों म जाने से पहले स्नान करके एक मैदान म एकत्रित होते। उपानपदों का किता एक सर्वसम्मत मन का उच्चार करत और फिर अपनी अभिरुचि के अनुसार कोई एक स्थान चुनकर ध्यान करने बैठते। विद्यार्थियों को अमुक ध्यान ही करना चाहिए एसा कोई बंधन नहीं रहता था। मुक्त वातावरण में कुछ क्षण अतमुख होकर बैठने का आसर मित्रे यही पर्याप्त था। तब कोई भले ध्यान करे या वृक्षों पर फुदकनेवाटे पक्षियों को देखता रहे जैसा मर्जा। ध्यान का समय समाप्त होते ही बच्चे अपने-अपने वर्ग में जाते।

प्रात उठना भी कैस ? पूर्ण दिशा में लालिमा कैने से पहले ही दो-चार विद्याया मिलकर तय करत कि आन कौन सा गाना गाया जाय। फिर वह वैतालिक दठ गाते हुए छात्रालय के चारों ओर परिभ्रम कर अगता। उच्च भावना का एक गीत उत्तम स्वरों में सुनत हुए दिन का आरंभ करने का सुयाग मिलना कितना बड़ा भाग्य है। आधुनिक प्रकार के इन गायकों का स्वर कान में पड़ते ही विद्यार्थी विस्तर से उठ जाता है और प्रार्थना में शामिल होने की

सिद्धता में लगता है। यही इस सस्था का विशेषता थी।

सन् १९१६ में मैंने कुछ महीनों तक शांति निषेधन म अध्यापन कार्य किया था। तब व अनुभवों के आधार पर यह सारा लिख रहा हूँ। वगागी विद्यार्थी शिक्षण व बारे म शायद ही प्रमाद करता है। उसे बाल्यकाठ से ही निश्चय रहता है कि उसका सारा भावी जीवन अध्ययन पर ही निर्भर है। ऐसे विद्यार्थी को अध्ययन करने क लिये तार-तार चाबुक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ यह आग्रह नहीं था कि विद्यार्थी सभी विषयों की तरफ एक साथ ध्यान दें। शिक्षकों को तथा सस्था को इतने स सतोष होता था कि विद्यार्थी वर्ग में आता है, ध्यानपूर्वक स सुनता है और उसक विषय में उसकी अभिरुचि है। उनक अपने विषय म उनकी रुचि निर्माण करने तक का जिम्मेदारी शिक्षकों की रहती थी। आगे उसे जैसा रुचे, जैसा सुझे और जैसा लगे वैसा प्रगति वह करने लगेगा—यह विश्वास वहाँ क शिक्षणक्रम क मूठ में था।

इस सहज वातावरण में उस समय एक ही दिष्ट-भी। शांति निषेधन का शिक्षण पूरा हुआ कि विद्यार्थियों को क्लरुता विररविद्यालय की मैट्रिक पराक्षा में बैठाना पड़ता था। सस्था से बाहर जाने का अर्थ सरकारी दरवाने से ही गुजरना था, इसलिये सस्था का वातावरण चाहे जितना स्टुहणीय हो, फिर भी उस पर कात्मा लय ही जाती।

जब मैं शांति निषेधन में था तब मैं इस व्यवस्था से वैचैन हो जाता था। इसलिये इस सबध में मैंने रविवानू स चर्चा की। उन्होंने कहा—'बया करें? पाठक वर्ग क आग्रह के सामने हमें मुटने टेकना पड़ता है।' मैंने कहा—'पञ्जाब के आर्य-समाजी गुरुकुलों में ऐसा नहीं है। वहाँ की सस्थायें जन-साधारण के दान पर ही चलती हैं। यहाँ आप अकेले हा अपने घर का बहुत सारा धन इसमें लगाते हैं। आपको सरकारी निश्विद्यालय का संध निभाने के लिये बाध्य होने का आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए उन्होंने कहा—'हमारे यहाँ की परिस्थिति

मित्र है। लेकिन शास्त्री महाशय ( श्री विधुसेन शास्त्री ) निम्नभास्त्री प्रारम्भ करना चाह रहे हैं। आप उनसे बात कीजिये। वे आपके ही विचारों के हैं।”

शांति निवेदन के विधा-क्रम में कला का स्थान मुख्य था। कला के बारे में ऐसी कोई कल्पना नहीं थी कि वह धनी लोगों का विलास है, ऐसा लोगों का विभ्रम है। पक्षी गाते हैं, लेकिन वे विलास के लिये नहीं गाते। गाना उनके जीवन का एक अभिभाज्य अंग है। कला के बिना जीवन निष्फल है, निष्पान है—इस भ्रदा के आधार पर ही शांति निवेदन का शिक्षण-क्रम बना हुआ था। यह भ्रदा उधार ली हुई नहीं थी, ‘पर-चूप’ नहीं थी। उपनिषदों के ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि इस हृदयाक्रांति में यदि आनन्द न होता तो कोई कैसे जीवित रह सकता या शास ले पाता। “को हि एव जन्वात् क. प्राण्यात्। यद् एष आकाश आनन्दो न स्यात्।” मुच वायु, वृक्ष-रता पुष्पमय वातावरण, सुखोदय और सूर्यास्त, आकाश में मेघों के विविध आकार और वर्ण, इन सबको निनादित करनेवाला पश्चिममूह का संगीत और कनि-गुह रवीन्द्र-नाथ की नरनवोन्मेषमालिनी प्रतिभा की कृति के प्रत्येक ऋतु में नये-नये रागों में श्रवण और गायन का आनन्द। इन कारणों से बच्चे भी कूल-पत्तों की तरह ही आनन्दपूर्वक बढ़ते।

लेकिन समाज-सेवा ? कवियों-महद सामर्थ्य होती है कि अपनी कविताओं की प्रेरणा से जनता को उद्धारण कर सकें। लेकिन सामान्य विद्यार्थियों के लिए प्रारम्भ से ही सामाजिक सेवा के अभ्यास की क्या आवश्यकता नहीं रहेगी ?

इस प्रकार के आलोचकों से पहले यह कहना होगा कि रवीन्द्रनाथ के निजी जीवन में भी सेवा का अभ्यास नहीं था। काव्यमय मनोवृत्ति और साहित्यिक वातावरण में रहते हुए भी उन्होंने अनेक प्रकार की समाज-सेवा का चिन्तन किया था। साथ ही शांति-निवेदन के पास ही विलुप्त नामक गाँव में उन्होंने श्रीनिवेदन के नाम से एक संस्था प्रारम्भ की, जहाँ विविध ब्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने और आस-पास

के ग्रामों में कला-कौशल का पुनरुज्जीवन करने के प्रयत्न किये जाते थे।

गार्धाजी ने स्वराज्य-आंदोलन का सूत्र अपने हाथों में लिया, इसलिये अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति को राष्ट्रीय स्वरूप देने का उन्होंने पूरा प्रयत्न किया। रविनाथ को प्रतिकूल परिस्थिति में स्वराज्य की पूर्व-तैयारी करनी थी। इसलिए उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति की योजना उतनी ही बनायी थी जितनी उनके बस की थी। इस बात का यदि हम ध्यान करें तो हम आसानी से समझ सकेंगे कि इन दोनों महापुरुषों के आदर्शों में बहुत कुछ समानता तो दीर्घेयी ही बल्कि कार्य-पद्धति और रचनात्मक-कार्यक्रम तरु में भी कई प्रकार की समानतायें स्पष्ट दीर्घेगी।

शांति-निवेदन के बच्चे फुरसत के समय में आस-पास के गाँवों में जाते और वहाँ के सयाली बच्चों को पढ़ाते। अगर उन गाँवों पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आदि संद भी निपत्ति आती थी तो शांति निवेदन के बच्चे उनकी सहायता में सुट जाते।

रवीन्द्रनाथ के समय में राष्ट्र को अपनी परंपरागत संस्कृति का साक्षात्कार कराना था। संस्कृत विद्या का नया और जीता-जागता पुनरुज्जीवन कराना था। अपना इतिहास, अपना धर्म, अपने सामाजिक प्रयोग, साहित्य, संगीत, छन्द, वैज्ञानिक अन्वेषण आदि सभी विषयों में आत्मनिश्वास के साथ लगे हुए राष्ट्र को आत्मपरिचय करा देना था। अपनी निर्धारित विरासत जितनी संपूर्ण और संपाद्य है इसका साक्षात्कार कर लेना राष्ट्र का प्रथम कर्तव्य था। रविनाथ कमी-कमी राज्यशासकों से कहते—“प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक समाज की आत्मनिश्वास का पोषक, थोड़ा-बहुत स्तुतिपरक आहार भी मिलना चाहिये। आप लोग हमें वह भी नहीं देने देते हैं। उठते-बैठते आप लोग हमें तुम लोग नीच हो करान हो आदि निंदा करते हुए टोकते हैं, इसका क्या मतलब ?” एक पीरोदाच राष्ट्रीय नेता को उपयुक्त उद्गार व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस हो इससे बढ़कर ब्रिटिश सवर्षों का वैशुभ और क्या हो सकता है ?

रवींद्रनाथ हमेशा कहते कि "अगर हम यह कहत रहें कि सत्कार से हमें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है तो काम नहीं चलेगा है। सत्कार व विजेता राष्ट्र चार-चार हमारी निंदा और अनहेजना करते रहेंगे तब भी हमें उससे प्रभावित न होकर अपना आत्मविश्वास बनाये रखना तो है ही, परंतु हमारी मनोवृत्ति यह नहीं रहनी चाहिये कि हम सत्कार व शुरु हैं, सत्कार को हमसे हा सीखना चाहिये, हमें दूसरों से क्या सीखना ? इस विपरीत हाथ म मिथा-यान' लेकर यूरोप के दरवाजे पर गिड़गिड़ाने से भी हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें समझ लेना चाहिये कि सत्कार में हमारा भी सम्मानपूर्ण स्थान है और समान भूमिका से परस्पर आदान प्रदान करने की सिद्धता रखनी चाहिये। न सर्व सर्व वृत्ति। जिसमें हम प्रवीण हैं उसे दूसरों को सिखायें और हमें जो चाहिये वह दूसरों से सीखें तथा विश्व-कुटुम्ब क सदस्य बनें"—यहां रविबाबू का आदर्श था। इस आदर्श की सिद्धि के लिए ही उन्होंने विद्यनभारती की स्थापना की और घोषित किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय आदर्श की सत्स्था है।

एसे वातावरण में समन्वय-दृष्टि अपने आप जा जाती है। आज ज्ञाति निवेतन में बौद्ध-संस्कृति के अध्ययन की मुविधा है। 'चाना भवन की तरह हिंदी

भवा' भी है, जहाँ राष्ट्रमापा हिंदी व विकास का प्रयत्न हो रहा है। आज विद्यनभारती एक राष्ट्र की मान्यता प्राप्त विद्वयविद्यालय बनी है। भारत भाग्य विधाता था जवाहरलाल नेहरू उस सत्स्था क वाइस चान्सलर है। सत्स्था न गुददव रवींद्रनाथ के प्रारम्भ किये हुए संस्कृति-समन्वय का विश्वजनीन कार्य हाय में गया है।

यह संस्कृति-समन्वय का आदर्श आज निरन्तरमान्य हुआ है। पाश्चात्य देश अपना रचनी और याज्ञिक पद्धति से युनेस्को के मार्फत यह काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यहाँ भाग्य राज्य-सरकारों के द्वारा अपने ढंग का समाजवाद स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। गांधीजी का विचारधारा और रचनात्मक कार्य-परंपरा सामाजिक क्रांति क द्वारा सवादन का जीवनकालि और विद्वयकालि करने क प्रयत्न में है। साम्यवादा रूस विद्यान क क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके नव मानव-समाज स्थापित करने का साहस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में रवींद्रनाथ के शिक्षण विचार, गांधीजी के शिक्षण विचार और पाश्चात्यों के नव-मानव शास्त्र ज्ञानमत नव शिक्षण विचार का समन्वय किस प्रकार हो पाता है यह देयना है।

[ साधना' ( मराठी ) रवींद्र विशोपाक से साभार ]



मैं देह नहीं देह से अलग हूँ। मेरा सत्य-स्वरूप सुन्दर और परिगुद्ध है यह अखण्ड नहीं होगा। गलतियाँ तो देह के द्वारा होती हैं मेरा शरीर अस्वच्छ होता है, पर मैं अस्वच्छ नहीं होता। देह से निम्न आत्मा का भाग ही शिक्षण है। जहाँ यह भाग नहीं होता वह हमारी शिक्षण-व्यवस्था नहीं, वह शिक्षण-सत्स्था नहीं।

—विनोबा

रुद्रभान

सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक—तीनों दृष्टियों से जगल, सितार और अक्बुर के महीने अपनी अलग विशेषता रखते हैं। इन तीन महीनों के अंदर हमारे देश के कई सांस्कृतिक पर्व, राष्ट्रीय महत्त्व की स्मरणीय तिथियाँ और अनेक महापुरुषों की जयंतियों का समग्र होता है। देश के करोड़ों लोग और लाखों घरघरों इनके कार्यक्रमों में शामिल होकर इस लोकव्यापी परम्परा के बहान को कायम रखती हैं। बच्चे से बूढ़े तक और साधारण नागरिक से राष्ट्र-नेता तक, समाज के प्रत्येक सदस्य और वर्ग पर इनका असर होता है, हर व्यक्ति पर कुछ न कुछ हलकी या गहरी छाप पड़ती है।

ये आयोजन सांस्कृतिक और सामाजिक शिक्षण के साध्य भी हैं और साधन भी। इनमें शरीक होकर व्यक्ति स्वयं भी इनसे प्रभावित होता है और दूसरों को भी प्रभावित करता है। एक ओर इनमें भागीदार होनेवाले लोग गौरव, उल्लास और समाज-साधककार अनुभव करते हैं और दूसरी ओर वे नयी पीढ़ी के लिये एक सजीन और मूर्त परंपरा का चित्र उपस्थित करते हैं। इन आयोजनों का दायरा जितना फैला हुआ होता है इनकी छाप भी उतनी ही गहरी और मोहक होती है। वस्तुतः इनमें लोक-शिक्षण की मार्मिक और समाजव्यापी समावनायक मौजूद हैं।

राष्ट्रीय सरथाओं के लिये १५ अगस्त, ११ सितार और २ अक्बुर तथा सार्वजनिक सरथाओं के लिये १५ अगस्त, २८ और २९ अक्बुर के दिन महान् और महत्त्वपूर्ण हैं। इन दिनों के विशेष आयोजनों के अवसर पर लोगों में प्रायः सहज-स्वामाधिक उत्साह और उल्लास की लहर उठती है। हर एक आदमी इनके लिये अपना सहयोग देने को उत्सुक रहता है। सबसे सहयोग पाने की इतनी अनुसुलता के होने पर भी ये अवसर अर नीरस, निष्कलाहजनक और निरा

## सामाजिक-सांस्कृतिक शिक्षण के आगाभी अवसर

नन्दमय कार्यक्रमों के रूप में दिये जाते हैं। एक दो मिसाल लीजिये :

स्वतंत्रता-दिवस के दिन प्रभात फेरी और शंभो-चौलन के कार्यक्रम बनते हैं। प्रभातफेरी के समय कौन से गीत गाये जायेंगे ? कौन लोग गायेंगे ? किस रास्ते से प्रभातफेरी की टोली गुजरेगी ? शंभो-चौलन के समय लोग किस दंग से उड़े होंगे ? कौन व्यक्ति मुख वक्ता होंगे आदि बातें पहले से तय नहीं होतीं। अक्सर आने पर जो सामने दीप्त गया उससे ही काम लिया जाता है। इस दंग से, खींच-तान करके किसी प्रकार कार्यक्रम तो पूरे होते हैं लेकिन इनका नयी पीढ़ी के मन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। सारा कार्यक्रम अतीत की मुर्दा-परंपरा का अभियोग बान जाता है। उसमें निहित प्रयत्न और आनन्दमय आकर्षण क्रमशः छन होने लगता है।

यदि इन कार्यक्रमों का संयोजन और कार्य-समादन शैक्षणिक दृष्टि से हो तो थोड़े प्रत्यक्ष से ही ये अक्सर नयी चेतना और सकार के प्रेरक वाहक बन सकते हैं।

### शिक्षण-संस्था में भू-जयंती का आयोजन

उदाहरण के लिये हम एक बुनियादी शाला में होनेवाले आयोजन को लेते हैं।

#### पूर्व-नैपथी

भू-जयंती के कम-से-कम २ सप्ताह पहले बुनियादी शाला के छात्रों तथा अध्यापकों की एक सम्मिलित सभा की जाय। छात्रों के सांस्कृतिक भ्रमों के संयोजकत्व में सांस्कृतिक रुचि और सुझ-बूझवाले छात्रों की एक समिति गठित हो जो अपनी-अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार उसकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके। शाला के अध्यापकों में से कोई एक अध्यापक उस समिति को ब्यासमय परामर्श

देने के लिये प्रस्तुत रहे। भू-जयती किस प्रकार मनायी जाय यह कार्यक्रम बनाना छात्र-समिति का कार्य होगा। यह समिति दो दिन के भीतर अपनी प्रारम्भिक योजना बनाकर सबंधित अध्यापक व पाठ पेश करे।

कार्यक्रम बनाने समय छात्र प्रायः वर्षी कार्यक्रम तय करते हैं जो पिछले वर्ष उन्होंने देखा हो, जैसे— प्रभातपेरी, भ्रमदान, पद्यात्रा, गिनोना-जीवन-चर्चा या नाटक आदि। निकुल नये नये कार्यक्रम बनाने की अपेक्षा यह अच्छा होता है कि पिछले कार्यक्रम ही नयी सरसता और आकर्षण के साथ मनाये जायें। कार्यक्रम की प्रथम रूपरेखा छात्र-समिति तय ही तैयार करे। शिक्षक अपना सुझाव या मार्गदर्शन उत्तम ढंग में जोड़ें। कार्यक्रम व मुद्दे तय हो जाने पर छात्र-समिति के सदस्य अपने-अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी लें। प्रत्येक सदस्य अपने-अपने मुद्दे के हर पहलू पर पहले से सोच ले और उसका लिये जिस साधन सामान, अभ्यास या पूर्व-तैयारी की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति में लग जाय।

### कार्यक्रम का सप्ताह

निश्चित दिन पूर्व-योजना के अनुसार भू-जयती मनाया जाय। शाग के अध्यापन-गण अपनी-अपनी-पक्षा के छात्रों की रुचि और महणशीलता के अनुसार पाठ-सूत्र बनायें या छात्रों की सामूहिक सभा में विशेष यार्ता का आयोजन करें। छात्रों की ओर से प्रस्तुत सवाद या नाटक द्वारा सभा की समाप्ति हो ता अच्छा रहेगा।

### सिंहावलोकन

कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद अगले दिन छात्र-समिति एक बार फिर एकत्र होकर इस बात का विचार कर कि कार्यक्रम कहाँ-कहाँ अच्छा रहा और उसके सप्ताह में कहाँ कमी रही। यह चिंतन अगले वर्ष का कार्यक्रम बनाने में सहायक होगा।

सामाजिक अपना रचनात्मक सत्यार्थ भी अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार पूर्व-तैयारी, कार्य-सप्ताह तथा सिंहावलोकन कर सकती हैं।

### सेवाग्राम में नयी तालीम का परिसवाद

सन् १९५९ में जब हिन्दुस्तानी तागामी सत्र और सर्व-सेवा-सभ का समय हुआ तब गिनोना ने सब का सहायित करत हुए कहा था कि उसने सारे कार्यक्रम पर नया तागम का रंग चढ़ाना चाहिए। हमारे सत्र काम नया तालीम का है पना समझकर हम उसे उठाये, तो एक बहुत बड़ी जमात हमारे अनुकूल होगी। शांत सेना के लिए नया तागम जरूरत है और ग्राम-स्वराज के लिए भी। इसलिए सर्व-सेवा-सभ की पूरी ताजत उसमें लगे, इस पृष्ठभूमि में आग के कार्यक्रम के लिए सतंत्रिध उद्देश्य सोचे गये हैं। उसमें से निम्नलिखित चार उद्देश्य विशेष महत्त्व के हैं

- १—नया तालीम राष्ट्रवापी कार्यक्रम बने,
- २—ग्रामदान और ग्राम स्वराज्य का भूमिका में नयी तालीम का नया विकास हो,
- ३—नयी तागम की शिक्षा-मदति और शिक्षण शास्त्र का वैज्ञानिक विकास करना,
- ४—सर्वोदय का काम करनेवाली संस्थाओं की सत्र प्रवृत्तियों पर नयी तालीम का रंग हो।

सन् १९४४ में नयी तालीम का व्यापक अर्थ रखते हुए गांधीजी ने कहा था कि अभी तक हमारा कार्यक्रम बंधा हुआ है, अब हमारा क्षेत्र ७ से १४ साल के बालक का ही नहीं बल्कि गर्भ से मृत्यु तक का

है। इस व्यापक व्यापका के आधार पर और भूदान-यज्ञ मूलक, ग्रामाद्याग प्रधान अद्विष्टक मान्ति व सर्व-म हिन्दुस्तानी तागामी सत्र न सन् १९५७ में निर्णय किया कि ग्रामदान व अद्विष्टक समाज-मान्ति का समय आ गया है, जो चौक अद्विष्टक समाज-मान्ति राजसत्ता के द्वारा न होकर शिक्षा के द्वारा हा हो सकती है, इसलिए इसमें हिन्दुस्तानी तागामी सत्र ने यथासंभव योग देना अपना कर्तव्य माना।

पिछले दो साल से खादा-ग्रामोद्याग के क्षेत्र में ग्रामाद्याग आर्थिक संयोजन पर समय दृष्टि से विचार हुआ है और ग्राम इकाई में नये भौंड का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके साथ ही यह भी विचार चल रहा है कि हमारे कार्यों में जो कारगर लगे हैं—रुनिन, बुनकर आदि-उनका प्रशिक्षण कैसे हो, आगे सवादय के सत्र कार्य नयी तालीम के रूप में कैसे चलें और रचनात्मक काम समग्रता की ओर कैसे बढ़ें।

इस संघर्ष में विचार करने के लिए जुने हुए कार्यकर्ताओं का एक परिसवाद अगस्त के अंतिम सप्ताह में ता० २८, २९ और ३० को सेवाग्राम में आयोजित किया गया है। इस संघर्ष में किसी भिन के कोई विचार हों तो लिखकर भेज दें। —राधाकृष्ण



अखिल भारत बुनियादी तालीम सम्मेलन

## अध्ययन-मण्डल

की

## पहली बैठक की कार्यवाही

अगस्त १९६१ में अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन हुआ था। उसमें एक अध्ययन-मण्डल का निर्माण हुआ था जिसकी पहली बैठक ता० २२ और २३ जुलाई '६२ को गापीग्राम (मद्रास) में श्री जी० रामचन्द्रन् की अध्यक्षता में हुई। उसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे -

- १—श्री जी० रामचन्द्रन्
- २—श्री डॉ० सौन्दरम्
- ३—श्री मुनीयाडी
- ४—श्री प्रमान्दर जी
- ५—श्री महागिरी
- ६—श्री कुमारन्
- ७—श्री डी० पी० नैयर
- ८—श्री राधाङ्गा
- ९—श्री आर० श्रीनिवास्
- १०—श्री जाचारु
- ११—श्रीमती ललितागिरिका
- १२—श्रीमती मुमन यग
- १३—श्रीमती मार्चरी साइन्स
- १४—श्री एस्० रायम्
- १५—श्री अण्णारुन्
- १६—श्री के० लुजम्
- १७—श्री राधाङ्गा मेनन
- १८—श्री एस्० मर्गी
- १९—श्री के० अरुणाचलम्
- २०—श्री ग० उ० पाटणकर

सत्रसे पहले इस अध्ययन-मण्डल के सामने दो प्रश्न थे - (१) गैर-सरकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों से बने हुए इस अध्ययन-मण्डल का स्थान और काम, (२) वैयक्तिक शिक्षा के स्तर में सरकार की नीति के

प्रति इसका रुत। यह सही है कि प्राथमिक शिक्षाओं के लिये बुनियादी शिक्षा राष्ट्र की शिक्षा-नीति के तौर पर मान्य हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में सामान्यतः धारणा यह बनी हुई है कि शिक्षकों में पर्याप्त योग्यता की कमी के कारण उस पर सफलता के साथ अमल नहीं किया जा सकता। उस कार्यक्रम के प्रति जनता का सक्रिय समर्थन प्राप्त नहीं है, बल्कि सहाय्यता का अभाव और विरोध ही है, इस तरह के कारण कि बुनियादी शालाओं में बच्चों को दूसरे स्कूल-कॉलेजों की परावरी का बौद्धिक ज्ञान नहीं मिलता है। शिक्षा-विभाग के बहुत से उच्च अधिकारी भी ऐसे हैं जिनको बुनियादी शिक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है और इसके बारे में उनकी अति अपूर्ण जानकारी भी है। वे जिस शिक्षाक्रम में विश्वित हुए हैं उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं।

इस परिस्थिति में अध्ययन-मण्डल ने निम्न तीन मनुष्य सुदों पर गहराई से विचार करना आवश्यक समझा :

(१) कैसे सिद्ध किया जाय कि बुनियादी स्कूल में सर्वोदय शिक्षा और बौद्धिक स्तर-दोनों दृष्टियों से सफल शिक्षण दिया जा सकता है,

(२) बुनियादी शिक्षा के मूल्यों और सिद्धांतों की दिशा में लोक शिक्षण, ताकि जनता को सही जानकारी प्राप्त हो सके, और

(३) जिन लोगों के हाथ में शिक्षा-नीति निर्धारित करने का अधिकार है उन्हें प्रभावित करना।

अध्ययन-मण्डल की सर्वसामान्य राय रही कि बुनियादी शिक्षा की प्रगति के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि जनता अपना निरलुप पाठ्यक्रम और कार्यक्रम-प्रवृत्ति निर्धारित करने की स्वतन्त्रता प्रत्येक मांग और

शास्त्र के व्यवस्थापकों को होनी चाहिए। सभी वर्गों में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों को हा पढ़ाने के लिए प्रियदा करने का अर्थ है उस स्वतंत्रता का अपहरण। प्रत्येक स्कूल को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपने विद्यार्थियों को बाहरी परीक्षाओं में भज सक, लेकिन उसका काम में बाहर का हस्तक्षेप न हो।

अध्ययन-मण्डल निम्न दो विषयों पर चर्चा करने के लिये दो टुकड़ियों में विभक्त हुआ

- ( १ ) बुनियादी शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण
- ( २ ) उत्तर-बुनियादी शिक्षा

१—बुनियादी शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर विचार करनेवाली पहली टुकड़ी का निवेदन।

संस्थिति •

- १—श्रीमती मार्जरी शाइक्स ( चैयरमैन )
- २—श्री डी० पी० नैयर
- ३—श्री आर० श्रीनिवासन्
- ४—श्री आचार्य
- ५—श्री एस० राजम्
- ६—श्री पाटणकर
- ७—श्री अन्नाकम्
- ८—श्री के० मुनीयडी
- ९—श्री कुन्नु

इस टुकड़ी ने विचार किया कि हमारी अपनी बुनियादी शालाएँ अच्छे शिक्षण-स्तर और शिक्षा-मदति के विकास के लिये अपनी ओर से क्या प्रयत्न कर सकती हैं। अच्छी पढ़ाई इसका मुख्य तत्त्व है लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक को काम के वे सप साधन और सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहियें जो सफल बुनियादी शिक्षा के लिये आवश्यक हैं। उसके लिये आवश्यक प्रणाली ज्ञान और तकनीकी सहायता के लिये जो सुझाव प्रस्तुत किये गये वे निम्न प्रकार हैं

१—उत्पादन, उद्योग और प्रवृत्तियाँ

( अ ) लक्ष्य—उत्पादक-उद्योगों की योजना वैज्ञानिक होनी चाहिये जिससे निर्धारित लक्ष्य सार्थक हो

और बच्चों का दिग्भ्रम बनावे रह। उद्योग-मानव संयोजन में इस सिद्धांत का पालन होना चाहिये। उदाहरणार्थ—कताई-धुनाई का उद्योग किसान काल्पनिक आधार पर होने का बजाय बच्चों का बहन-सवधा आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाना चाहिये। वागवानी और टृपिक उत्पादन लक्ष्य का सबंध शास्त्र के बच्चों के दोपहर का भोजन के साथ होना चाहिये।

( आ ) स्तर—अधिक परिश्रम या अधिक ज्ञान युक्त कर्म का द्वारा उत्पादन का गुण सुधरना चाहिये। शालाओं को अपने क्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन-स्रोतों का लाभ, जैसे—विकास-योजना के कर्मचारी आदि जो भी ग्रामीण विकास-कार्य में लगी हुई सहाय्य हैं, सबकी सहायता प्राप्त करनी चाहिये।

( इ ) मूल्यांकन—प्रगति का मूल्यांकन बारहों महीने लगातार होता रहना चाहिये, न कि केवल वर्ष के अंत में। निरीक्षकों को निरीक्षण कार्य का विशेष शिक्षण देना चाहिये जिसमें उद्योग शिक्षण को भी उचित बल रहे।

( ई ) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम—शालाओं के शिक्षकों के ज्ञान और कला का विकास का दृष्टि से उनके कार्य काट में भा योग्य प्रशिक्षण की व्यवस्था होना चाहिये। इसके लिये सर्व-सेवा सच क तत्त्वावधान में स्थानीय गोष्ठियों का तथा कुछ विशेष शिक्षा-केंद्रों में अल्पकालीन अ रासकर्मों का आयोजन किया जा सकता है।

( उ ) कायकर्मों में दिशा-संकेत—इन सारे कायकर्मों में बुझलतापूर्वक तथा महनत के साथ काम करने की आदत डालने पर चौर होना चाहिये।

२—शाला और समाज

( अ ) अगर शास्त्र-गो द्वारा समाज की सेवा होता है तो उन्हें जनता की अनुकूल भावना प्राप्त होगी।

( आ ) शिक्षकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिये जिसमें वे बुनियादी शिक्षा की अच्छाई को अच्छी तरह समझा सकें ताकि लोगों के मन में जैसे

कि यह पढ़ाई ठीक है। हम भी लोगों में नुनियादी शिक्षा अपनाने के लिये बहुत दुर्साध्यिप्य फहल रहा है कि माथीनी ने कहा था। सबसे पहले हमें यह प्रदान करना होगा कि 'गा समस्त सकें कि अच्छा शिक्षण क्या है।

(६) 'स्थानिय पन्नाय अथिकारी' और 'गाम पर पन्नाय शिक्षण समिति शिक्षण क' 'रतों क' 'सब म' विचार कर सकें, इसके लिये शिक्षण प्रयाग किता 'गा' चाहिये। 'गाम-गाम की हाटी विचार-सहिदा' आना पता की 'स' सक्ती है 'विम १२ से २० तक लोग माम लें ताकि सरफा सक्रिय 'गादान प्राय हा' 'ग'। हमें उनके मा में यह भारना 'गामी' म 'सहायता' करना होगी कि 'गा' की प्रयोगी 'गा' के लिये प्रीया का या है।

(६) स्थानिय 'गा' 'गाम' क' विभांग और 'गा' 'गाम' क' लिये स्थानीय 'सहायता' 'ग' 'विना' 'ग' का प्रवृत्ति का निश्चिन्ता और प्रायःदिना करना चाहिये।

३-साहित्य

शिक्षकों के लिये निम्न प्रकार के साहित्य का आवश्यकता है-

(१) शिक्षण-साहित्य—'गा'-'गाम', 'दो'-'दर' का भोजन, 'गा' का 'ग' 'गा'गा, और 'गा' की 'दे'-'दे'गा और 'उपयोग।

(२) प्रत्यक्ष शिक्षण—अनुभव और परिचित उदाहरणों के आधार पर पाठों क' निम्नूत नमूने तैयार करना।

(३) साहित्य—उत्तरों क' सब म 'गा'कारा और मुझा देने-गा'गे पुस्तकें ( जैसे भारत क' त्याग, विभिन्न धर्मों की प्रार्थनायें आदि )।

(४) विदेशों म' हमारे यहाँ क' काम क' अनुकूल समरसाओं पर 'गे पुस्तकें प्रकाशित हु' हैं उनकी जानकारा देने-गा'गी पुस्तकें।

(५) हमारा साहित्य और शिक्षक प्रशिक्षण 'ग' क' चार्गा क' साथ प्रयोग करने का प्रवृत्ति की प्रा-साहित्य करे यह बहुत महत्वपूर्ण है।

(६) शिक्षक और बच्चे दोनों के काम आ सकें ऐसी आधार पुस्तकें ( 'सार्थक' ) और 'द'-'द'-'ग'यों ( 'दे'-'दे' 'द' 'द' ) की तथा बच्चों के पढ़ने योग्य सामग्री देने-गा'गे 'गा'गा' की आवश्यकता पर हम विशेष धोर देने हैं।

२-उत्तर-नुनियादी शिक्षण पर विचार करने-गा'ली टु'जी का निवेदन।

उपरिचय—

- १—भा' 'गा' 'गाम'-'द'-'द'
- २—भा' 'गा'-'ग'-'ग'
- ३—भा'गा' ल'-'गा'-'ग'-'ग'
- ४—भा'गा' 'गु'-'ग'-'ग'
- ५—भा' 'गु'-'ग'-'ग'
- ६—भा' 'गु'-'ग'-'ग'
- ७—भा' 'गु'-'ग'-'ग'
- ८—भा' 'गु'-'ग'-'ग'

अनुभव 'गा' प्रदे'गों म' नुनियादा शिक्षण क' काम में 'गा' 'द' 'स'-'ग'-'ग'ों को उत्तर-नुनियादा शिक्षण के सब म' 'ग' 'द'-'द'-'ग'ों का सामना करना पड़ रहा है उन पर यह माथियों ने प्रकाश 'गा'।

अनुभव 'गा' 'ग'-'ग'ों य' हैं

१—देश की 'गा'-'ग'-'ग' शिक्षण की 'गा'-'ग'-'ग' पद्धति म' नुनियादा शिक्षण का स्थान,

२—उत्तर-नुनियादा शिक्षण 'गाम' करने-गा'लों के लिये 'गा'-'ग'-'ग' क' अरसर,

३—उप शिक्षण क' अरसर—'ग'-'ग'-'ग' 'ग'-'ग'-'ग' 'ग'-'ग'-'ग' है,

४—उत्तर-नुनियादा शिक्षण क' 'गु'-'ग'-'ग' और 'ग'-'ग'-'ग' विचार का सुविधायें।

दस टुकड़ी 'ग' 'द' 'ग'-'ग'ों पर भा' 'ग'-'ग'ों का

१—उत्तर-नुनियादा शिक्षण क' 'ग'-'ग'-'ग' क' विषय,

२—विभिन्न उदाहरणों का उपयोग,

३—यत्नमान 'स'-'ग'-'ग'ी 'ग'-'ग'ों से 'ग'-'ग'-'ग',

४—'ग'-'ग'-'ग' और 'ग'-'ग'-'ग'-'ग' 'ग'-'ग'-'ग'ों

जैसे ग्रामीण क्षेत्र के सेवाकार्यों के प्रशिक्षण के रूप में उत्तर-युनियादी शिक्षा का संगठन।

निम्न विचारधारा प्रस्तुत की गयी :

१—उत्तर-युनियादी शिक्षा को देश में आज प्रचलित सेकेंडरी शिक्षण के अतर्गत मान्यता मिलनी चाहिये। देश में जगह-जगह युनियादी शालाओं को संचालन करनेवाली गैर-सरकारी सस्थाओं को जिन्होंने युनियादी शालाएँ विकसित की हैं उत्तर-युनियादी शालाएँ चलाने के लिये भी प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि वे इस शिक्षा की समाधनाओं को ऊँचे स्तर पर सिद्ध कर सकें।

सरकार को चाहिये कि जिस प्रकार की सुविधायें आज दूसरे प्रकार के सेकेण्डरी स्कूलों को दी जाती हैं वे सारी सुविधायें ऐसी गैरसरकारी सस्थाओं का भी दे। जनमानस को प्रभावित करने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य में कम-से-कम १०-१५ ऐसी शालायें स्थापित होनी चाहियें। अध्ययन मण्डल ने विश्वास प्रकट किया कि ७० भा० सर्व-सेवा सच, गांधी स्मारक निधि, कस्त्रबा स्मारक निधि तथा रसादी-ग्रामोद्योग आदि गैरसरकारी सेवा-सथायें इस प्रकार की युनियादी शालाओं का संगठन और विकास जहाँ समभव हो सकेंगे।

२—राज्य सरकारों को चाहिये कि वे अपने राज्य में उत्तर-युनियादी शिक्षा के कुछ स्कूल स्वयं खोलें क्योंकि उत्तर-युनियादी शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के लिये मान्य हो चुकी है।

३—चूँकि उत्तर-युनियादी शिक्षण और वर्तमान सेकेण्डरी शिक्षण के बीच समन्वय स्थापित होना है इसलिये यह आवश्यक है कि सेकेण्डरी एजुकेशन बोर्ड ही उत्तर-युनियादी शालाओं के काम का मूल्यांकन करे। उस बोर्ड को उत्तर-युनियादी शिक्षण के उद्देश्यों और लक्ष्यों के आधार पर उनके मूल्यांकन की योजना तैयार कर लेनी चाहिये और एक छोटी समिति के द्वारा जिसमें युनियादी शिक्षण क्षेत्र में काम करनेवालों के प्रतिनिधि भी हों, मूल्यांकन करके विद्यार्थियों को प्रमाणित करना चाहिये कि वे सार्वजनिक सेवा-कार्य या विश्वविद्यालयीन उच्च शिक्षण के लिये योग्य हैं।

आंतरिक मूल्यांकन (इण्टरनल असेसमेंट) के प्रश्न का भी उस बोर्ड को अध्ययन करना चाहिये कि उसे कितना महत्त्व देना चाहिये। सेकेंडरी बोर्ड के निर्णयों को ही अंतिम निर्णय मानना चाहिये। विद्यार्थियों के प्रमाणपत्र में इसका भी उल्लेख होना चाहिये कि उत्तर-युनियादी शिक्षण में विद्यार्थी ने अग्रक कार्य विशेष तौर पर किया है।

४—जब यह कल्पना की गयी है कि उत्तर-युनियादी शालाओं के अभ्यासक्रमों में प्रत्येक राज्य में कुछ न कुछ भिन्नता रहेगी तब शिक्षकों को भी इतना जागरूक रहना चाहिये कि युनियादी शिक्षण के सिद्धान्तों के आधार पर शाला के आंतरिक जीवन तथा काम की स्वतंत्रता बनी रहे। उत्तर-युनियादी शाला का स्वस्थ विकास के लिये यह स्वतंत्रता युनियादी धर्म है।

५—खादी और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में आज प्रयत्न हो रहे हैं कि बड़ी सस्था में ऐसे कार्यकर्ता तैयार किये जायें जो स्वयं करीगर और शिक्षक के रूप में काम कर सकें। उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये उत्तर-युनियादी शिक्षण-प्राप्त विद्यार्थी अधिक उपयोगी होंगे, क्योंकि उनके शिक्षण में ही उत्पादक कार्य, सामुदायिक जीवन और पाठ-पड़ोस के क्षेत्र से संपर्क पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार उत्तर-युनियादी शालाओं का विकास अनिवार्य हो जाता है जिससे इन विद्यार्थियों की रसादी आदि ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में लगनेवाले कार्यकर्ताओं के रूप में तैयार किया जा सके। आवश्यकतानुसार आगे के प्रशिक्षण के लिये कुछ अधिक समय की भी व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार ग्रामीण औद्योगीकरण के प्रयत्न में लगी हुई विभिन्न सथाओं के बीच परस्पर सहयोग का एक नया रास्ता खुल जाता है, क्योंकि इससे ग्रामीण औद्योगीकरण का काम मंजूर करनेवाले कार्यकर्ताओं की तैयारी करने का अन्तर उत्तर-युनियादी शालाओं को मिलेगा।

३—शालाओं में भाषाओं की पढाई।

इसके बाद अध्ययन-मंडल ने शालाओं में मातृ-भाषा के अलावा दूसरी एक भाषा पढ़ाने के प्रश्न पर

विचार किया। इसके सम्बन्ध में विभिन्न प्रदेशों का परिदृश्यित स्पष्ट का गयी। अतः मं. समिति ने निम्न निवेदन स्वीकार किया

“बच्चों को उनकी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी अपरिचित भाषा का पढ़ाई प्रारम्भ करने के लिए, तासकर अंग्रेजी का पढ़ाई शुरू करने के लिए, कौन-सा वर्ष ठाक रहेगा इस पर आज देश में सर्वत्र चर्चा चर रही है। इस वा. का दावा किया जाता है कि इस समान भाषा (अंग्रेजी) के सर्वाधिक अध्ययन से राष्ट्रीय एकता सिद्ध होगी और कई राज्यों में तीसरे दर्जे से ही अंग्रेजी पढ़ाने का योजनार्थ बनाया जा रही है। यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि हाईस्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की व्यापक मुनिधा रहना चाहिये और प्रत्येक चिन्ते में कम-से-कम एक हाई स्कूल ऐसा होना चाहिये जहाँ पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी ही हो।

“इस अध्ययन-मण्डल की राय है कि जिस रा. नैतिक मानना के वातावरण में ये सुझाव दिये जाते हैं वह किसी सुसंगत और स्वयं निर्णय पर पहुँचने के लिये अनुकूल नहीं है। इन सारे विषयों पर वस्तु निष्ठ और भावुकतारहित होकर चर्चा शिवा-जाति का दृष्टि से हा विचार करना चाहिये। इन सुझावों का असर चिन्तन व्यक्तों द्वारा बच्चों के शिक्षण पर पड़ता है उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और सहा परिस्थिति पर अंग्रेजी विरोधा राष्ट्रीय आदर्शन न भा ध्यान नहीं दिया है, न राजनाति से प्रभावित अंग्रेजी समर्थकों ने ही दिया है। राष्ट्रीय एकता के सदर्भ में विचार करने के लिये भा बहुभाषा-भाषी राष्ट्रों के अनुभवों पर शान्ति और सजगता के साथ पैठर अध्ययन करना वहीं अधिक मूल्यवान् है अनिरस्त इसके कि भाशाभाषा स प्रेरित होकर उतारली से काम लिया जाय।

प्रकार के अच्छे शिक्षकों की व्यापक क्रमा महत्त्व हो रही है, तिस पर गुरु के विचारार्थियों का अंग्रेजी पढ़ाने व्यापक शिक्षकों का ता नितान्त अभाव है। भाषा की खराब पढ़ाई न करत निरर्थक है, बल्कि हानिकर भी है। एक बार गत आदत पड़ जाय तो फिर आगे वह सुधार नहीं जा सकती। साथ ही यदि प्रशासन का एक निर्णय अमल में न आ सके तो उसका बहुत उरा प्रभाव नैतिकता और अनुशासन पर अवश्य पड़ेगा। एक नया भाषा को सजगतापूर्वक किस समय से पढ़ाया जाना चाहिये, इस प्रश्न से और शायद के अत्यासन्न में किसी भी भाषा को स्थान देने के सम्बन्ध में जिस सामाजिक और साम्प्रतिक सदर्भ का अवश्य ध्यान रहना पड़ता है, उससे भी निरंकुश भिन्न ये उपयुक्त व्यावहारिक विचार विगेष महत्त्व के हैं। यह अध्ययन-मण्डल इस सम्बन्ध में अपना विचार स्पष्ट करता है कि तासरे दर्जे जैसे प्रारम्भिक समय में ही दूसरा भाषा का पढ़ाना कुल मितकर प्राथमिक शिक्षण के लिये आहतकर होगा। छठे दर्जे से पहले दूसरी भाषा के सामान्यतः दायित्व करने की उपयुक्तता के सम्बन्ध में बहुत सदेह है।

अतः इस विषय को राजनैतिक क्षेत्र से बाहर निकालकर निष्पक्ष और सुयोग्य व्यक्तियों के द्वारा इसका निर्णय करा लेना चाहिये जो अपने निर्णय वैज्ञानिक और सामाजिक तथ्यों के आधार पर दे। यह अध्ययन-मण्डल अ० भा० सर्व-सेवा-संघ से निवेदन करता है कि वह इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करे ताकि इस महत्त्वपूर्ण और ताकालिक समस्या का सही दृष्टिकोण से अध्ययन हो और उस अध्ययन का सार जन-साधारण के मातृदर्शन के लिये उपलब्ध हो।

४—युनियामो शिक्ता म शोध कार्य ।  
शोध कार्य के लिए समस्थायें

युनियामो शिक्ता के शोध कार्य के सम्बन्ध में जो एक नोट तैयार किया गया था उस पर अध्ययन मण्डल ने विचार किया और निम्न निष्कर्ष पर पहुँचा

‘तीसरे दर्जे से अंग्रेजी दायित्व करने का नियम व्यवहार में निश्चित हो करत कागज पर रहेगा। आज प्राथमिक शिक्षण की व्यापक बनाने में किसी

## सर्वोदय-पर्व

[ ११ सितम्बर से २ अक्तूबर ]

११ सितम्बर ( विनोबा-जयन्ती ) से २ अक्तूबर ( गांधी जयन्ती ) तक का समय देशभर में 'सर्वोदय पर्व' के तौर पर मनाया जाय, ऐसा मुझाव है। इस युग की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वोदय विचार को गांधी और विनोबा ने एक नया स्वरूप दिया है। अतः इन दोनों के जन्म दिनों तथा उनके बीच की अवधि का उपयोग खोस-भानस को सर्वोदय विचार की ओर प्रवृत्त करने में हो, यह उचित ही है। कार्यक्रमों के कुछ प्रकार नीचे सुझाये गये हैं

### कार्यक्रम

( १ ) 'सर्वोदय-पर्व' के दिनों में जगह-जगह छोटे-बड़े कार्यक्रमों पदयानाएँ करें। नगर-पदयानाएँ, अर्थात् शहरों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की पदयाना तथा घर-घर से सम्पर्क भी इसमें शामिल है। इन पदयानाओं में साहित्य विक्री का तथा पत्र-पत्रिकाओं के माहक बनाने का विशेष कार्यक्रम रहे। काशिस यह होनी चाहिए कि देश के हर जिले में और हर शहर में कम-से-कम एक पदयाना जरूर हो। पदयानाओं में लोगों को भी शामिल करने का प्रयत्न हो।

( २ ) पदयाना के अगला कार्यक्रमों पर्व की अवधि में जहाँ कहीं भा जायें, अपने साथ शैले में कुछ-न-कुछ सर्वोदय साहित्य अरक्ष करें। इसे किसी भा समय के लोगों को दिखा सकते हैं, उसका परिचय दे सकते हैं। तथा बेच भी सकते हैं।

उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों से सर्वोदय कार्यक्रमों की व्यक्तिगत निष्ठा प्रकट होगी। साथ ही साथ स्थानीय परिस्थिति और उपरान्त दानिक अनुरूप यहाँ दिये हुए सामूहिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकता है

( ३ ) विचार गोष्ठियाँ तथा न्यायानमालाएँ।

( ४ ) शहरों, कस्बों तथा सार्वजनिक स्थानों पर छोटी-बड़ी साहित्य प्रदर्शनियाँ।

( ५ ) सद्बिचारों को प्रेरित करनेवाले नाटक, भजन, कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम।

( ६ ) शिक्षण-संस्थाओं में निबन्ध या वक्तृत्व प्रतियोगिताएँ।

( ७ ) ग्राम-पंचायतों, ग्राम और नगर के पुस्तकालयों, शाला मण्डल, व्यापार-मण्डल, विकास-संघ आदि संस्थाओं के सचालकों से मिलकर साहित्य प्रचार के बारे में उन्हें अनुकूल कर उन संस्थाओं से सवधित

विशेष धर्गों या क्षेत्र में साहित्य प्रचार तथा पत्र-पत्रिकाओं के माहक बनाने का आयोजन किया जाय।

( ८ ) खादी-संस्थाओं का देश के हजारों गाँवों तथा कस्बों से सम्पर्क है, अतः खादी-कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में परिस्थिति के अनुसार ऊपर बताये हुए विभिन्न कार्यक्रम उठा सकते हैं। खादी विनी के लिए खादी संस्थाएँ कमी कमी विशेष 'कमीशन' देती हैं। उसका कुछ अंश सर्वोदय-साहित्य के रूप में दिया जा सकता है।

( ९ ) 'सर्वोदय पर्व' के दिनों में खादी-भण्डारों पर साहित्य की विशेष विक्री का प्रयत्न व प्ररन्ध।

इस वर्ष के लिए खास विषय

सर्वोदय-आन्दोलन की परिस्थिति और आवश्यकता तथा देश विदेश की चालू समस्याओं को ध्यान में रखत हुए हर साल 'सर्वोदय-पर्व' के लिए दो-चार खास विषय चुन लिये जायें, जो सारे कार्यक्रमों के केन्द्र बिन्दु हों। विभिन्न कार्यक्रमों के परिचय इन विषयों पर सर्वोदय-दृष्टिकोण से प्रकाश डाला जाय। इस वर्ष 'सर्वोदय पर्व' के लिए नीचे लिखे पाँच विषय सुझाये जात हैं

( १ ) शांति-सेना की आवश्यकता और इस कार्यक्रम का विभिन्न पहलू।

( २ ) भूमि-समस्या को हल करने का और इस सम्बन्ध में भूदान दृष्टिकोण का महत्त्व।

( ३ ) देश की भावनात्मक एकता—'नेशनल इण्टेग्रेशन'।

( ४ ) ग्राम-स्वराज्य के सदर्भ में पंचायती राज का महत्त्व और उसका उपयोग।

( ५ ) अणुशक्ति और अणुशक्तों के प्रयोगों का विरोध।

# शिक्षा-साहित्य के तीन अनमोल रत्न

## हमारा राष्ट्रीय शिक्षण

लेखक • श्री चारुचन्द्र भण्डारी

हमारा  
राष्ट्रीय  
शिक्षण

चारुचन्द्र भण्डारी

श्री चारुचन्द्र सर्वोदय विनारथारा के मुलके हुए लेखक हैं। उनकी प्राञ्जल और विवेचनपूर्ण शैली से हमारे पाठक परिचित हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने बुनियादादि शिक्षा-पद्धति, उसके प्रयोग, वर्तमान सरकारी शिक्षण तथा शिक्षण के भविष्य पर गभीर अध्ययन प्रस्तुत किया है। विनोबाजी की प्रस्तावना। एक ग्रंथ में अनेक ग्रंथ पढ़ने का आनन्द। पृष्ठ ३३६, मूल्य २५०, सजिल्द ३००।

## बच्चों की कला और शिक्षा

लेखक • श्री देवीप्रसाद

यह पुस्तक अपने ढंग की अनायास है। लेखक बच्चों से कलाध्यापक रहे हैं और बच्चों का मनोवित्तान तथा कला की दृष्टि से पढ़ा पढ़ाया है। डॉ० आकिर हुसेन साहब के शब्दों में "मेरा विश्वास है कि जो शिक्षक इस किताब को पढ़ेगा, वह बहुत लाभ उठायेगा। उसकी समझ भी बढ़ेगी दिल भी गरमायेगा और वह अपने काम में, कि जीवन कला का काम है, जी से और हिम्मत से लग जायेगा।"



पुस्तक में ये विषय हैं :  
भूमिका, कला शिक्षा क्यों?, बच्चों की नजर से, बच्चों के चित्रों का विकास-क्रम, किशोर अवस्था, शिक्षक और शिक्षा का वातावरण, कला दिखाने की पद्धति, कला-बोध, प्रश्नोत्तरी आदि।  
पचासो चित्र, चाररंगे चित्र, बढ़िया छपाई, आकर्षक जिल्द।

पृष्ठ २२८, मूल्य ८००।

## सुन्दरपुर की पाठशाला

लेखक श्री जुगताराम दवे

बुनियादी पाठशाला के छात्रों तथा शिक्षकों के मेल-जोल तथा व्यावहारिक प्रेरणाओं के रूपक द्वारा सफाई कला तथा जीवन-स्वच्छता, अनुशासन और देश-सेवा का सुन्दर विवेचन। पृष्ठ १४४, मूल्य ०७५।



प्राप्ति-स्थान

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी

## सर्वोदय-पर्व

गये साल शरदारभ में शारदोपासना के लिए, अर्थात् सर्वोदय-साहित्य के प्रचार के लिए, सर्व-सेवा-संघ ने सारे भारत में तीन सप्ताह का एक अभियान चलाया था। उसका लोगो मे काफी स्वागत हुआ था, यद्यपि प्राथमिक तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था। इस साल वही अधिक व्यापक दृष्टि से चलाने का साचा गया है और इसलिए उसका 'सर्वोदय-पर्व' नाम दिया गया है।

सर्वोदय-पर्व मे सर्वोदय-साहित्य-प्रचार के मध्य-बिन्दु मे रत्नगर शांति-मेना, भूदान, राष्ट्रीय एकता, ग्राम-स्वराज्य, निःशस्त्रीकरण—इस पंचविध कार्यक्रम के विषय मे लोक-जागृति की जायगी।

मे आशा करता हूँ, यह उपक्रम सर्वोदय के माने गये चद कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा और उसको सार्वजनिक रूप दिया जायगा। सर्वोदय-कार्यकर्ताओं के लिए तो यह नियम-कार्यक्रम है। सारे देश का ध्यान खींचने और सहयोग हासिल करने के लिए यह नैमित्तिक आयोजन है।

भूदान यात्रा  
जि० वामरूप  
( व्यासाम )  
दि० २७ ७-६२



प्रधान संपादक  
धीरेन्द्र मजूमदार

संपादक  
आचार्य राममूर्ति



आचार्य जगन्नाथो

हमारी शिक्षा

धीरेन्द्र मजूमदार

सर्व-सिद्धान्त की नयी धारि या माहम  
नयी शालीम

वर्ष ११

अंक २

मार्जरी साहजस

भूतवाजन और समीक्षा

राममूर्ति

संस्थाओं पर समझ नयी शालीम का संग  
संस्था की शुरू से शिक्षा-(१) मल-सूत्र-स्थान

"शिक्षा-विमल"

कथा पद्याँ, किरासिच पद्याँ और  
किसे पद्याँ?

वार्षिक संदा  
एक प्रति

४-००

०-२०

# नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

१. श्री धीरेन्द्र मजूमदार
२. ,, जुगताराम दवे
३. ,, वाशिनाथ त्रिवेदी
४. ,, मार्जरी साइक्स
५. ,, मनमोहन चौधरी
६. ,, क्षितिशराय चौधरी
७. ,, राधाकृष्ण मेनन
८. ,, राधाकृष्ण
९. ,, राममूर्ति

## सूचनायें

- 'नयी तालीम' हर महीने की १५ तारीख को प्रकाशित होगा।
- इधका वर्ष अगस्त मास से आरम्भ होता है।
- किसी भी महीने से ग्राहक बना जा सकता है।
- चन्दा पेशगी लिया जाता है। वी० पी० डाक से मँगाने पर ६२ न०पै० अधिक लगते हैं।
- पत्र-व्यवहार के समय अपनी ग्राहक सं० का उल्लेख अवश्य करें।
- चन्दा भेजते समय अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखने की कृपा करें।
- 'नयी तालीम' का वर्तमान पता—

नयी तालीम

अ० मा० सर्व-सेवा सघ  
राजघाट, वाराणसी-१

## अनुक्रम

	पृष्ठ	
क्या पढ़ाये किमलिप पढ़ाये, त्रिम पढ़ाये ?	३३	राममूर्ति
हमारी शिक्षा	३४	आचार्य हृपालानी
जर्म निराकरण की नयी क्रांति का पाठन—नयी तालीम	४१	धीरेन्द्र मजूमदार
मस्थायों पर समग्र नयी तालीम का रंग	४७	राममूर्ति
मूल्यांकन और ममीचा सर्वोदय पर्व	४८	मार्जरी साइक्स
भाषा ज्ञान	५०	रुद्रभान
५१	५१	किं घ मधुवाला
नयी तालीम के एक श्रेष्ठ साधक विशोरलाल भाई	५४	गोपालकृष्ण मलिक
बच्चे की शुरु से शिक्षा [१] मल मूत्र-त्याग	५५	राममूर्ति
प्रशिक्षण-कार्य के कुछ अनुभव 'शिक्षक दिवस'	५७	अमरनाथ
६०	६०	राममूर्ति
मैं, मेरे बच्चे और उनका स्कूल प्रातः पुस्तक	६२	कादम्प
६४	६४	

# नयी तालीम

क्या पढायें, कैसे पढायें, किसलिए पढायें ?

इन तीन प्रश्नों में से एक प्रश्न हमेशा के लिए हल हो चुका है। कोई भी देश हो, किसी भी विचार को माननेवाला हो, उसके सामने यह प्रश्न रहा ही नहीं कि कुछ लोगों को पढाना है और बाकी को छोड़ देना है।

लेकिन बाकी दो प्रश्नों के लिए यह बात नहीं कही जा सकती। क्या पढायें, किस लिए पढायें—युग-युग में उठनेवाले इन प्रश्नों का अभी तक कोई निश्चित, प्रामाणिक, एक उत्तर नहीं मिला है। लेकिन एक बात तय है। यह नया युग "प्लैनिंग" का है, इसलिए शिक्षा का प्रश्न, या कोई भी प्रश्न अपने भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर मनुष्य के जीवन को सुनियोजित करना है तो समाज की व्यवस्था सत्तालोलुप राजनीतिको और शिक्षा के व्यवसायी शिक्षको के हाथ में नहीं छोड़ी जा सकती। समाज की शिक्षा पूरे समाज की विद्या और चिंतन का विषय होना चाहिए, केवल 'विद्येपत्रों के नहीं।

एक दूसरी बात भी है। इस युग का जीवन दो शक्तियों से प्रभावित (गवर्नर्ड) है—विज्ञान और लोकतंत्र। हजारों वर्षों के बाद ये दो शक्तियाँ मनुष्य के हाथ आयी हैं। इसलिए इनसे अलग रहकर न राजनीति टिक सकती है, न धर्मनीति, और न अर्थनीति, समाजनीति या शिक्षानीति।

विज्ञान एकांगी नहीं है, समग्र है। सहार उसका विकार है, स्वधर्म नहीं। लोकतंत्र का धमन या दोषण से भल नहीं है, उसका सही स्वरूप समता और सहकार में प्रकट होता है। इसलिए विज्ञान से मेल खानेवाली जीवन-नीति समता और समग्रता की ही हो सकती है, दूसरी नहीं।

विज्ञान और लोकतंत्र के कारण जीवन की परिस्थिति नित्य नयी होती जा रही है, इसलिए अब तालीम भी केवल नयी नहीं, नित्य नयी होगी। इसके अलावा विज्ञान और लोकतंत्र को अनेक असीम अपेक्षाओं की पूर्ति कुछ वर्षों की स्कूली शिक्षा से नहीं हो सकती। उसके लिए पूरे जीवन यानी गर्भ से मृत्यु तक की शिक्षा होनी चाहिए।

गर्भ से मृत्यु तक की शिक्षा क्या होगी, कहाँ होगी ? कुछ किताबों की और किसी बेंचे हुए स्कूल में ? वह तो वहाँ होगी जहाँ मनुष्य रहता है, बसाता है, खाता-पीता और परिवार को पालता है। उसको हर क्रिया—खेती वारो, उद्योग-धंधे, सामाजिक कृष्य और सम्बन्ध, घर का जीवन, पर्व और उत्सव—शिक्षण का माध्यम होगी। उनके जीवन का हर पहलू शिक्षण का विषय होगा। इस भूमिका में समवायी ज्ञान का क्रम बच्चे और प्रौढ दोनों के लिए बिठाना होगा। इस तरह आर्थिक और सांस्कृतिक विकास दोनों शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत जा जायेंगे और जीवन का दंत मित शायया।

तो विज्ञान और लोकतंत्र की भूमिका में ऊपर के दो प्रश्नों के ये उत्तर होंगे क्या पढायें ? जीवन के लिए उपयोगी हर क्रिया, हर ज्ञान केवल कुछ विषय नहीं। किसलिए पढायें ? मनुष्य के साम्य रहकर सुखी रह सके इसलिए। इसी का नाम समग्र नयी तालीम है।

### समता और शिक्षक

आज स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षण-पद्धति में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया हो, ऐसा नहीं है। उसमें जो प्रमुख दोष पहले थे, वे व्यों व त्यों मौजूद हैं। यह केवल शिक्षण की ही बात नहीं है, बल्कि प्रशासन की पद्धति की भी यही स्थिति है। स्वतंत्रता के पहले बार-बार सभी कहते थे कि यह नौकरशाही जड़ है, कल्पना शून्य है, प्रतिभा विहीन है, अल्पावादाही का प्रतीक है, सर्व-साधारण जनता के सम्पर्क से निरंकुश दूर तथा राष्ट्र-यता के विरुद्ध है। सत्ता के हस्तांतरण के तुरन्त बाद ही नौकरशाही मानी क्रिसा चमत्कार से उदल गयी हो। आज उसी नौकरशाही का प्रशासक बार-बार हमारे नेता प्रत्येक प्रश्न में सुत्तकण्ठ से करते हैं।

मैंने पहले ही कहा है कि अच्छे शिक्षण का अनिवार्य परिणाम यह होना चाहिए कि वंचे उस समाज के जिसमें यह रहते हैं या यदि समाज में काह परिवर्तन करने का विचार हो तो उस भावा समाज के नये आदर्शों और नये मूल्यों को आमसात् कर सकें। यहाँ भारत में हमने स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद अपने सविधान में उन आदर्श का बहुत विस्तार के साथ निरूपण किया है जिसके अनुकूल हम अपना देश बनाना चाहते हैं। हम प्रजातन्त्र और समाजवाद चाहते हैं। ऐसा है तो फिर हम अपने न्यों को प्रजातन्त्रीय और समाजवादी आदर्शों की दिशा देना चाहिए अर्थात् हमारा शिक्षण पद्धति प्रजातन्त्रीय और समाजवाद होना चाहिए। क्या हमारा शिक्षण इन दो में से कोई एक भी है ?

यह एक इतिहासिक तथ्य है कि स्कूल और कॉलेजों द्वारा दिया जानेवाला शिक्षण हमेशा बहुत खर्चीला रहा है वह खास कर ऊंचे वर्ग के लोगों की दृष्टि से ही खलवाया गया है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रजातन्त्र की स्थापना हो उसकी नींव

मजबूत हो और वह समाजवादी समाज में विकसित हो, तो हमारे शिक्षण को प्रजातन्त्र और समाजवाद आदर्शों को पूरे तौर पर अपनाना चाहिए। उसका वायरा व्यापक और सर्वमुलभ होना चाहिए। शिक्षा ंके के अनिभावक किन्हीं व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण लड़के के शिक्षण का भार वहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस ंके में शिक्षण णने की पूरी शैक्षिक योग्यता है, तो ऐसे एक भी ंके की मौरा न मिलने जैसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। मैं कोई साम्यवाद का समर्थक नहीं हूँ, पर तबना तो मानना ही होगा कि साम्यवादी देशों में शिक्षण किसी विधि जाति या वर्ग तक ही सीमित नहीं है। यहाँ शिक्षण सर्वमुलभ है। वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कि उच्च शिक्षण देनेवाले उच्च वर्ग के ही वंचे हो। साम्यवादी लोग यह अनुभव करते हैं कि उच्च शिक्षण को सर्वमुलभ बनाने के लिए आवश्यक धनराशि एकत्रित करना सम्भव नहीं है। साथ-साथ यह भी मानते हैं कि प्रत्येक नागरिक को उच्च शिक्षण दिलाया जाय तब भी हर कोई उसका पूरा लाभ उठा नहीं पायेगा और समाज के लिए उसका विशेष उपयोग नहीं हो पायेगा। इसलिए वे उच्च शिक्षण के लिए कुछ उत्तम होनहार विद्यार्थियों को चुनते हैं। इसमें इत बात को तनिक भी महत्त्व नहीं देते कि वे विद्यार्थियों रच व सोझ उठा सकेंगे या नहीं, अथवा उनके माता पिता का समाज में क्या स्थान है। इससे होता यह है कि उच्च शिक्षण के लिए विधि नग से हा जाने के बजाय सर्वसाधारण जनता से से जितने भी उत्तम युवक होत हैं वे आते हैं। यही कारण है कि उन देशों में सक्षम और उत्कृष्ट युवकों की कमी नहीं दिखायी देती है। सुनोप्लानिवा जैसे छोटे से देश में भी प्रशासन के णिए या खेती और अन्य उद्योगों के सफल सञ्चालन के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों की कमी नहीं है। रूस में कुछ

डॉक्टरों और चिकित्सा-कार्य में लगे व्यक्तियों का ६० प्रतिशत स्त्रियाँ हैं। इनमें अधिकतर स्त्रियाँ प्रामीण हैं। एक या दो दशक पहले ये स्त्रियाँ हमारी प्रामीण महिलाओं की तरह, बलिह इनसे भी बुरी हालत में थीं, बिल्कुल अक्षय और सत्काररहित थीं। सोचने की बात है कि उन्होंने डॉक्टर और नर्स का ज्ञान कैसे प्राप्त किया। इसका कारण यही था कि वहाँ इन कामों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव शिक्षण वर्ग या जाति में से न होकर सर्वसाधारण जनता में से हुआ। यह सत्य है कि जिन्हें हम निम्न वर्ग के लोग कहते हैं, उनका नई यंत्रों में पौष्टिक क्षमता उच्च वर्ग के बच्चों का अपेक्षा अधिक रहती है। अगर उन्हें अवसर दिया जाए, तो उच्च वर्ग के बच्चों का अपेक्षा अधिक कार्यक्षमता और प्रतिभा का परिचय दे सकते हैं। एक ओर उनमें अधिक जयनीशक्ति है, तो दूसरी ओर कुछ साखने का उनका अन्दर उत्कृष्टता है। आज भारत में उनकी जो स्थिति है, उसका कारण उनका अन्दर अपनी स्थिति को उत्तम मनाने और उच्च शिक्षण का अवसर प्राप्त करने की तात्पर्य आकांक्षा है। मुझे विश्वास है कि भारत का कोई उच्च जातिवादी पतनोन्मुख है। दश में यदि चेतना का सवार करना है, तो जो पिछड़ हुए और अज्ञान मान जाते हैं, पर जिनमें प्राण शक्ति है, लेकिन वह अभा घोषणा पड़ा है, उसका उपयोग देश के प्राजातन्त्र और समाजवादी दृष्टि के नव निर्माण में करना चाहिए।

यह करने के बिना स्वतंत्रता का दाद हम लोगों ने पहले से ज्यादा पब्लिक स्कूल खोले। ये स्कूल बाल बच्चों के लिए हैं। किसान पतनोन्मुख जाति या वर्ग का कोई जन्म से मूल्य व्यक्ति भी यह शिक्षण ले सकता है, वरतों उसका अभिभावक स्कूल का चर्चा उठा सकता है। इन स्कूलों का शिक्षण अन्य स्कूलों से थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, परंतु इसमें भाव और दायर भर हैं, निम्नका उल्लेख ऊपर किया गया है। कहते हैं कि ये स्थापना माहवट हैं। लेकिन इनको अमार लोगों का और उनके हाथों में राजनीतिक या प्रशासनिक भाग डोर है, ऐसे लोगों का समर्थन और आश्रय प्राप्त होता है। मरीगण इन स्थापनाओं में अक्षर जान

रहते हैं और वहाँ के समारोहों में भाग लेते हैं। वे उन स्कूलों की वृद्ध चढकर प्रशंसा करते हैं। जिस पब्लिक स्कूल की नकल वहाँ इंग्लैंड से की गयी थी, वहाँ भी ये स्कूल नये जमाने में कुछ बेमेलसे माने जाने लगे हैं। इंग्लैंड ऐसा देश है, जहाँ कुछ बेमेल पुरानी चीजों को संरक्षण आज तक मिलता आ रहा है, जैसे राजतन्त्र को। फिर भी अंग्रेजों में एक प्रतिभा है, जिससे वे पुरानी सस्थाओं को उलट-पलटकर अपने काम की बना लेते हैं। आज इंग्लैंड में जो पब्लिक स्कूल और विद्यालय हैं, उन पर धनिकों का एकाधिपति नहीं रह गया है। वहाँ कॉलेज में प्रवेश देने के लिए उच्चतम कक्षा जाँच की जाती है और गरीब तथा योग्य बच्चों को कई स्थानीय सार्वजनिक सस्थाओं का ओर से तथा सरकार की ओर से भी छात्र-वृत्तियाँ मिलती हैं। मैंने सुना है कि इन सस्थाओं में पढ़नेवाले ८० प्रतिशत छात्रों को छात्र-वृत्तियाँ मिलती हैं। हर हालत में यूरोप के दो एक देशों के अलावा अन्य कहीं भावना व प्रजातन्त्र देश हों चाहे साम्यवादी, पुराने दृष्टि के पब्लिक स्कूल नहीं मिलेंगे। जब तक हमारे देश में शिक्षण वर्गों का ये शैक्षणिक स्थापना चालू रहेंगी, तो तब हमारा शिक्षण पद्धति न तो प्रजातन्त्रीय कहा जा सकेगा, न समाजवादी हा। यह कहना बिल्कुल असंगत है कि हमारे वहाँ के पब्लिक स्कूल मानना या व्यक्तिगत स्थापना हैं। जो स्थापना हमारे सामाजिक आदर्शों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का विचार में क्रम उठाया जाना चाहिए। क्या हमने अक्षयता को खत्म नहीं किया है? जमींदार प्रथा का उन्मूलन नहीं किया? क्यों किया? इसलिए कि ये स्थापना प्रजातन्त्र और समाजवाद के प्रतिद्वंद्वी थीं। जब तक वर्ग विशेष के शिक्षण का क्रम जारी रहेगा, तो तब यह घोषणा करना निरर्थक है कि हम प्रजातन्त्र और समाजवाद को मान्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हमने कहा है कि अच्छे शिक्षण उच्च जन्म से प्रारम्भ होता है और बाद में स्कूलों में लाने में जारी रहता है। इसका हेतु यह है कि बालक को एक शिक्षण समान के योग्य नागरिक बनाया जाय। जान

के इन पब्लिक स्कूलों में जो शिक्षण दिया जा रहा है उसके द्वारा किस प्रकार के समाज के नागरिक बनाये जा रहे हैं ? निश्चित ही विद्यार्थी इन पब्लिक स्कूलों के द्वारा भारतीय समाज के योग्य नहीं बनाये जा रहे हैं। इनके विद्यार्थी अपने को उच्चवर्गीय मानते हैं, अपना ही एक विशिष्ट वर्ग मानते हैं। रहन-सहन, आचारा-विचार, र्वि और दृष्टि में पिछली पीढ़ी से अधिक यूरोपीय हैं, जिन्हें समाज के वे हैं उसके नहीं रह जाते हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग, पाश्चात्य-शिक्षण के वायव्य राष्ट्र के शक्तिशाली आंदोलन के साथ एक-रूप हो सकते थे, भारतीय संस्कृति और रहन-सहन को अपना सकते थे और अपनी भारतीयता का गर्व अनुभव करते थे—इन विद्यार्थियों से कहीं अधिक, जो इन पब्लिक स्कूलों में प्रशिक्षित होते हैं। इनका चारा आपसी व्यवहार अंग्रेजी में चलता है। अरुबर यही भाषा वे अपने घरों में भी काम में लाते हैं। माता-पिता भी इसीलिए इन महँगे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, ताकि वे अन्य विषयों के अलावा अच्छी अंग्रेजी सीख सकें। निश्चित ही भारत के बच्चों को किसी प्रकार के भारतीय समाज के योग्य बनाने का यह कोई तरीका नहीं है।

हमारे सामने किन्हीं शासकिय संस्थाओं का प्रश्न नहीं है। चाहे वे दूसरी संस्थाओं से कितनी भी दक्ष हों, हमारे सामने तो देश के शिक्षण की समस्या है, जिससे हम अपने घोषित सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

### अनुशासन

बृहत् का निर्णय उसके फल से करना होता है। हमारी शिक्षा का फल निश्चित ही कठुआ आया है। आज यहाँ के शान-पीठों में, न्यासकर कालेजों और विश्वविद्यालयों में जो कुछ चल रहा है, उससे किसी भी स्वामिनी देश का मस्तक लगना से शक जायगा। इन विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों की अनुशासन-हीनता की यह स्थिति है कि बार-बार विश्व-विद्यालयों को अनिश्चित अवधि तक बंद करना पड़ता है। उन पवित्र विद्यापीठों के पाठ शांति और व्यवस्था

बनाये रखने और छात्रों को हटाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा-संस्थाओं से वहाँ बाहर कर देने पर वे छात्र तो विलकुल स्वच्छंद बन जाते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों एक-दूसरे के द्वारा या उच्च अधिकारियों द्वारा फौजदारी अदालतों में ले जाये जाते हैं। इन विद्या-स्थानों में अकसर हड़तालें होती हैं, मानो वे कोई मिल्-कारखाने हों और यहाँ के शिक्षकों और छात्रों का संबंध शोषक पूँजीपतियों और शोषित मजदूरों का-सा संबंध हो। और यह सारा उस देश में हो रहा है, जहाँ शिक्षक माता-पिता के समान, गुन या भगवान् के समान पूजनीय माना जाता था।

छात्राओं की शिष्टावत है कि लड़के उन्हें बार-बार छेड़ते हैं, दिक् करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। अप्तवारी तक में निःसहाय लड़कियों के प्रति ऐसे हेय, धृणास्पद और कायरतापूर्ण व्यवहारों के बारे में पढ़ने को मिलता है। ऐसे यौवन-सहज, लेकिन निरर्थक और रातरनाक उपद्रवों के विषय कुछ भी कारवाई नहीं की जाती है। छात्राओं और उनके माता-पिताओं की प्रत्यक्ष शिक्षापर पर भी अधिकारी-गण पुरुष-छात्रों के भय के कारण उदासीन रह जाते हैं। ऐसी दशासता के विरुद्ध, जो कि केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए ही नहीं, परंतु देश के लिए भी कथं है, छात्र-समाज की आम राय नहीं बन पाती। मैं ऐसे कई प्रयोग जानता हूँ, जिसमें लड़कियाँ कालेज के शिक्षण की समाप्ति के बाद विश्वविद्यालयीन उच्च शिक्षण के लिए, केवल पुरुषों के अत्याचार के भय के मारे, तैयार नहीं हुई हैं।

गांधीजी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने महिलाओंको परदे और घर से बाहर निकाला। इससे महिलाएँ राष्ट्रीय आंदोलन की कठोर मुसीबतें झेल सकीं। देश-सेवा की इस उत्कृष्ट प्रवृत्ति के कारण वे मुक्त हुईं। हमारे विद्यापीठ, हमारे शिक्षक और हमारे छात्र महिलाओं को परदे के पीछे ही रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह एक प्रतिक्रिति है। इसके लिए हमारी शिक्षा-पद्धति बहुत हद तक जिम्मेदार है।

लेकिन इसमें आश्चर्य क्या है, जब शिक्षक के चारित्र्य को उसकी एक आवश्यक योग्यता नहीं माना

जाता। यह ठीक है कि जनता किस प्रशासक या पदों में लगे व्यक्ति के निजी जीवन का भेद लेने का प्रयत्न न करे, जब तक कि वह कोई बड़ा अपमानजनक कार्य न कर दे। लेकिन जो उपदेशक है या जो सामाजिक व्यक्ति है और शिक्षक है, उसका चारित्र्य जनता के लिए उपेक्षा का विषय बिल्कुल नहीं है। शिक्षक के चारित्र्य का सबंध शिक्षा-संस्था से है, छात्रों से है और माता पिताओं से है। परंतु अक्सर यह दीखता है कि नियुक्ति करनेवाले अधिकारी शिक्षकों के, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों के भी चारित्र्य के संबंध में बिल्कुल उदासीन रह जाते हैं। जिन्हें युक्तों का चारित्र्य निर्माण करना होता है, जिन्हें भारी नागरिकों और नेताओं को तैयार करना है, ऐसे शिक्षकों की नैतिकता के संबंध में समान के अदर यदि कानाफूसी चलती है, तो उनके इस मिथ्या आरोप की छानबीन करनी चाहिए या उनकी नियुक्ति ही नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रसंगों में वास्तविकता की अपेक्षा समाज की निगाह में प्रतिष्ठा का अधिक महत्त्व है। हमारे शिक्षक और उप कुलपति उन्नत चारित्र्य के हों यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि होना यह चाहिए कि वे छात्रों और जनता की दृष्टि में ऐसे दिरंगाई भी दें। मुझे नहीं लगता कि हमारा ऐसा होता है। मानो यह बुराई काफ़ी नहीं है इसके अलावा राजनीतिक व्यक्ति और पक्ष इन शिक्षकों का अपने राजनीतिक खेल में अक्सर उप योग-बलिक दुरुपयोग-कर लेते हैं। कई कॉलेजों में खुद शिक्षक और छात्र ही अपने अदर इस प्रकार के गंदे राजनीतिक खेल रच लेते हैं और ज्ञान-मंदिर के उस निर्मल वातावरण को दूषित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनुशासन या व्यवस्था रातम ही जाता है। उस अव्यवस्था के बीच कोई भी ऊँचा या अव्ययनपूर्ण मौलिक कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसा बात नहीं है कि हमारे छात्र मद दुब्दि हैं, बल्कि ज्ञान और धारण के लिए जा वातावरण आवश्यक है, वह नहीं है। बहुत सारी उपयोगी साधन-सामग्री का अव्यय्य हा रहा है।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि समूची शिक्षा-पद्धति में शिक्षक धुरी है। पहले उसका क्या स्थान था और आज क्या है। बहुत दूर का रात नहीं है, पहले उसका वार्षिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका सामाजिक स्थान निश्चित ही ऊँचा था। पचास वर्ष पहले, जब मैंने अपना अध्ययन समाप्त किया, तब विधित व्यक्ति के लिए अवसरों की कमी नहीं थी। मैं किसी भा काम में, जिसमें पैसे की खूब आमदनी हो सकती थी, लग सकता था। लेकिन मैंने शिक्षा के काम को पसंद किया। उस समय दूसरे किसी काम की अपेक्षा शिक्षक का काम अधिक प्रतिष्ठित था। शिक्षक का समाज में स्थान बहुत ऊँचा और आदरणीय होता था। उसकी निर्धनता के बावजूद, अपने क्षेत्र में उसके लिए उन्नत समाज का द्वार खुला हुआ था। आज की क्या स्थिति है? उसका जितना अन्याय होता है, उतना शायद ही और किसीका होगा।

शिक्षण कार्य के लिए योग्य शिक्षक प्राप्त किये जा सके, तो अनुशासन हीनता का समस्या नहीं आसना से हल हो सकता है। शिक्षक के लिए पहली आवश्यक चीज यह है कि उसके चारित्र्य पर एक भी दाग न हो। दूसरा यह कि उसे अपने विषय में अच्छा ज्ञान हो। तिसरी चीज, वह अपने छात्रों के लिए माता पिता-सुलभ हो। आदर्श शिक्षक में ये तीनों गुण अवश्य होने चाहिए। इनमें पहला गुण सबसे अधिक आवश्यक है। दूसरे दो गुणों में कोई एक भी उसमें हो, तो भी अनुशासन की दृष्टि से उसे कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। शिक्षक अपने छात्रों के साथ उनके माता या पिता के समान व्यवहार करे और उनका प्रति अपने बच्चों के समान ही सहिष्णु और प्रेमल रहे, तो उसमें उसके अत्यापन विषय का यदि कोई कमी हो, तो वह भी क्षम्य हो पायगी। छात्र कहेंगे 'वह मले जादमी हैं, इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए।' तिसपर शिक्षक अपने विषय में भी अच्छा रहे, तब तो छात्र उसकी सारी सपनों को भी बरदास्त कर लेंगे। छात्रों के प्रति वह कठोर हो, चाहे उग्र भी हो, छात्र उसका आदर करेंगे और उसको मानेंगे। हमारे

गर्भों के छात्र और कर्मी के छात्रों के विशेष प्रयत्न भावुक हैं। अगर उनसे अच्छी तरह पच आया जाय, तो ये भी भगने प्रगार हा व्यवहार करेंगे। आगिर नमक ही अपने गारोपन का वा सुका हा, तो गिर उसे नमकीन वैसे क्रिया गाव !

इसका यह अर्य नहीं कि मैं छात्रों की अनुशासन-हीनता क गिए शिधकों को ही दोषी मानता हूँ, जा कि पदडे से ही भारी बाध दो गे हैं। इस बाप में गिद्यार्थियों को भी कारी भागीदार बनना होगा। उनको यह बात स्मरण रगनी चाहिए कि उन शिधकों क अधीन रहने का निधय उन्होंने अपना इच्छा से क्रिया है। उनका माता पिताओं ने उन्हें गुर और कौशलों में यही मानकर दारिण क्रिया है कि यहाँ के शिधक उनसे अच्छे हैं, कम-से-कम शान म तो उत्तम हैं ही। जो व्यक्ति शान देता है, उसका स्थान माता पिता जैसा माना जाता है। यह यचों को गौदिक जीवन में पुनर्जम देता है। हमम मे कितनों के माता पिता आदर्श-स्वरूप हैं ! कइ तो अक्सर गियेक-हीन होते हैं और गड़े गुर भी होते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा, जो उनको आदर के साथ न देपता हो, क्योंकि व उनक माता पिता है ! नहीं, बलिक हम शान में उनसे अधिक आगे गे, तर भा हम उनका आदर करत ही हैं। सदा यह ध्यान मे रगना चाहिए कि नयी पाढ़ा गिछला पीढ़ी की अपना अधिक और उत्तम शान का वारिस है। गैकिन इससे हम अपने वड़ों को जा आदर देना है, उसम कोई फरु नहीं पड़ेगा। उनके अदर बदले म पान योग्य कुछ गुण होते हैं, जैसे अनुभव और गियक उनस गिगता है। शिधकों को भी माता पिता कां श्रणों म हा मानना चाहिए, जिसका स्वमान, दृष्टिकोण और शान का कमी भी हम सहन कर लेते हैं और गिनक प्रति अपना आदर और मान रगत ह।

### दिशा निर्देश का कमी

शिधा के सामान्य उद्देश्यों का बात छोड़ दे, कम स-कम गिद्यार्थियों क जीवन म उनके काम और पडे के लिए आवश्यक योग्यता भी क्या इन शिधा-सस्थाओं से गिगती है ? यद्यपि देश में शिधित

वेक रों का वेगा सत्र पड़, गुर है और उनको मग्या गिल्य बढ़ रही है तथा उच शिधक की मुक्तिपूर्ण काम करने क गिए आवागें उठ रही हैं, ता भी सार्वगनिक क्षेत्र म तथा गिजी क्षेत्र म भी काम देनगाने की सामान्य शिधाया रगती है कि कामों के गिए गिनम गृहिक शान और अभिगम, प्रामागिकता, परिश्रम और टिककर काम करने की आग्न्यकता है, योग्य युगक नहीं गिगते हैं।

परिणाम यह आया है कि गैम हमने पहले कहा है, प्रत्येक व्यक्ति वर्तमा शिधा प्रणया म असतुप है, गिर मा उसे दूर करन का कोई उपाय गीना नहीं ना रहा है। पाश्चाल शिधा-पद्धति में शिधित जो पढ़ी इस समय समात हा रहा है, उस कम-से-कम इतना तो सतोप था—मले ही यह उचित न हा कि उन्होंने अपना और अपने समाज का भन्य क्रिया है। उसने सोचा कि उस पद्धति में चाहे जो दाप रहे हों, गिर भी उससे गानी लाभ उठाया। आन शिधा सस्थाओं में जो छात्र उत्तरोत्तर यदती हुई सग्या म भरे ना रहे हैं, उनको चूँकि करने को कुछ अच्छा काम नहीं है, इसलिए यह सतोप भी नहीं है कि वे अपने लिए या अपने समाज क गिए कुछ भी भागई का काम कर रहे हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत उपयोगिता का प्रश्न है, वे इतना जानते हैं कि यह एक प्रगार का आग्निक अवसर या चूआ है, गिसमें बहुत गेग परिश्रम से कमाया हुआ धन लगाते हैं, लेकिन सफ होते हैं कुछ ही। प्रत्येक व्यक्ति यही मानकर कि सगता का भाग्य उसका ही है, अधिक माना में धन लगाता है। यदि इस शिधा-पद्धति को हमें बनाये रगना ही है, तो इसकी वर्तमान गिधति के गिए जो गिमैदार हैं, कम-से-कम उनको तो इसकी अवगैना नहीं करनी चाहिए। व एक ओर इस गिप नमसे और साथ ही यह भी कहें कि इस पद्धति को चलकर उन्होंने गेगों पर बड़ा उपकार क्रिया, दोनों गानों ठीक नहीं हैं।

नव कमी गिछरी पीढ़ी के गेग इस शिधा-पद्धति के गिरुद गोलते हैं, तो अक्सर उनसे कहा जाता है कि उस पद्धति से ही वे भी शिधित हुए थे, जो हमारे



नेता हो चुके हैं, जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए काम किया है, कष्ट सहे हैं और त्याग किया है तथा बहुत कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त भी कर सके हैं और वे हर प्रकार से महान् सिद्ध हुए हैं। यह सही है। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि वे हमारे नेता स्वयं महान् थे और उस विदेशी शिक्षा के पेशीदा प्रभावों व वायजूद उन्होंने महान् कार्य किये। सबसे पहले जिन जातियों और वर्गों ने अधिकारपूर्वक यह शिक्षण लिया, यद्यपि उन्होंने पाश्चात्य पद्धति को अपनाया, तो भी अपनी भूमि से, अपने घर से और अपने पूर्वजों की श्रद्धा और सस्कृति से जड़ काटकर अपने को अलग नहीं कर डाला। दफ्तरों में और अपने घरों के जीवन में उन्होंने पाश्चात्य लोगों का अनुकरण किया, तो घर और समाज में वे हिन्दू ही बने रहे। पारिवारिक और साम्प्रदायिक परम्परा का प्रभाव तब भी बहुत था।

आगे चलकर, विदेशी सत्ता के मजबूत होने के वायजूद राष्ट्रीय जायति हुई और भले ही वह अपने देश की स्वतन्त्रता की न हो, पर कम-से-कम अपने घर को व्यवस्थित रखने की इच्छा जगी। विदेशी साम्राज्य एक चुनौती था। आध्यात्मिक क्षेत्र में सुधार-आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, यह भारत के लिए स्वाभाविक था। उत्तर भारत में आर्य समाज ने और बंगाल में ब्रह्म-समाज ने धार्मिक और सामाजिक सुधार आरम्भ कर दिया। इन आन्दोलनों की तफसील में उतरने का यह स्थान नहीं है। एक आन्दोलन बढ़े जोरों से चला, जो जन-सामान्य तक फैला और सूर्य करने लगा और हिन्दू धर्म के वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक पहलुओं का नये सिरे से स्पष्ट करने की कायाधक। उसने अपना सुधार-कार्य इस प्रकार किया कि यत्मान अनेक पन्थों व अलग-वकी नया पन्थ न बन जाय। इस आन्दोलन के प्रवर्तक महान् योगी-भक्त रामकृष्ण परमहंस और उसे स्वामी विरिहानन्द ने मजबूत किया। ये सभी आन्दोलन मानववादी दृष्टिकोण रखते थे। इन आन्दोलनों ने हिन्दू-धर्म की सुधारने का, श्रेष्ठत्वता मिटाने का, जातिभेद हटाने का, चिन्तों का दासत्व से मुक्त

करने का, हिन्दू-समाज में विद्यमान सामाजिक दोषों को, जो जन मानस में धर्म के साथ जुड़ गये थे, दूर करने का प्रयत्न किया। ये दोष धर्म के कारण नहीं, राष्ट्र-भाषना के अधिकाधिक सिथिल होने के कारण पैदा हुए थे। इन धार्मिक सुधार-आन्दोलनों के अलावा भारतीय साहित्य, कला और सस्कृति के पुनरुद्धार के भी आन्दोलन चले। इस बहुमुहूर्ती जागरण के साथ राष्ट्र की स्वतन्त्रता का आन्दोलन जार पकड़ता गया। उसने पड़े लिखे भारतीयों को वापस अपने घर और उत्तराधिकार की ओर लौटने का आह्वान किया। तत्पश्चात् वह दरदेशी था। उसके कारण विदेशी शिक्षा प्राप्त लोगों और सामान्य जनता व नीच की खाई पटने लगी। गांधीजी व नेतृत्व तथा राजनीतिक सभ्रम की नयी प्रक्रिया के कारण, जो कि भारतीय जनता की सस्कृति और प्रतिभा के आधार पर रची गयी थी, राष्ट्रीय आन्दोलन शक्तिशाली बना। जनता से, जितने राष्ट्रीय आन्दोलन में अपना उचित योगदान दिया, पुलने मिलने का प्रयत्न हुआ। इन सारे धार्मिक, सामाजिक, कला-सम्बन्धी और राजनीतिक आन्दोलनों का सचित प्रभाव विशेषतः दीपपूर्ण विदेशी शिक्षा के पुनर्भाषों को बदलने लगा। सामान्यतः यह प्रभाव पाश्चात्य जगत् के सांस्कृतिक बहुरूपन के लिए लक्ष्कार था। शिक्षित भारतीय ने भारत को दुबारा पहचाना। यह जो पुनर्शिक्षण है इसके कारण इस देश की स्वतन्त्रता और मुक्ति सम्भव हो सकी। जिस गति से काम सम्पन्न हुआ, वह इस क्रांतिकारी पुनर्शिक्षण व विना नहीं हो सकता था।

आज स्थिति ऐसी नहीं है कि केवल कुछ लोगों की यह पुनर्शिक्षण देने से काम चलाया जाय। यदि हमें प्रजातन्त्र और गणतन्त्र का लक्ष्य सिद्ध करना है, तो हमें व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, मौलिक और राजनीतिक अर्थान् मनुचे राष्ट्र का ही संपूर्ण पुनर्निर्माण करना है। इसके लिए हमें एक सर्व-व्यापी शिक्षण की नयी पद्धति की आवश्यकता है, जिसमें हम सारी जनता को, गांधीकर उन सवृष्टों को, जिनमें धनता सदियों से जबर और प्रेरणा के

आगत में सुगु पड़ी रह सारी है, क्षमता और साधन-  
 रतियों को सक्षिप्त करने का अवसर या सके। यह ऐसा  
 समान अवसर नहीं है, जिसकी पच्चाहमाई यहाँ किंश्वर  
 सुविधा प्राप्त लोग कर दिया करते हैं। श्वर और मेमना  
 दोनों को सुका शीककर कोई यह नहीं कह सकता कि  
 दोनों को समान अवसर प्राप्त है। जब तक श्वर के  
 पत्रे रक्षक और मेमने का पत्रमहा नरय रक्षक, जब तक  
 उनके पिण्ड समानता का अवसर नहीं हो सकता।  
 समान अवसरों का सत्त्व उपयोग हो सके ऐसी  
 परिस्थिति हम निर्माण करनी होगी। या तो मेमने  
 का धर्म पत्रे और नागून देने होंगे या श्वर से उन्हें  
 लीन रेंना क्षमता।

### नयी नालीम

सत्त्वप्रता से पहले गांधीजी ने देश के सामने  
 एक व्यापक शिक्षा-योजना रखी, जो लोकतन्त्रात्मक  
 और समाजवादी थी। तब राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा  
 यह योजना प्रस्तावित की गयी। गांधीजी के नेतृत्व में  
 कांग्रेस ने यह सामाजिक लक्ष्य तब पर किया था,  
 जिसके लिए राष्ट्र को उपयुक्त करना था। स्वतन्त्रता प्राप्ति  
 के बाद उस लक्ष्य की सम्पूर्ण रूप से प्राप्त करना  
 था। यह लक्ष्य यह था कि एक धर्मी समतायुक्त  
 प्रजातन्त्रीय समाज-व्यवस्था कायम की जाय जिसमें,  
 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारण न हो।  
 प्रत्येक व्यक्ति के लिए और राष्ट्र के लिए भी प्रयत्न  
 करने योग्य लक्ष्य स्थिर किया गया था। इस समाज  
 व्यवस्था में वर्तमान भारतीय नागरिक का इस प्रकार  
 गौरव करना होगा और शिक्षित करना होगा, ताकि वह  
 अपना योग्य स्थान स्वयं-से सम्पन्न कटिबन्ध के साथ  
 तोन सके।

एक अमूल्य सामाजिक लक्ष्य के अन्तर्गत गांधीजी  
 वातावरण और वाच-सन्तोषिज्ञान क अनुसूचित शिक्षण को  
 नियामित करने की वैश्विक पद्धति भी अपने पीछे  
 छोड़ गये। उसमें शिक्षण किसी एक उपयोगी और  
 सफल प्रवृत्ति के द्वारा देने की बात थी। उस निमित्त  
 बच्चे को काम करना था और साथ ही कमना और  
 निर्यात भी था। उस महत्त्वपूर्ण उद्योग के साथ पढ़ाई

के माध्यम के रूप में साधुभाषा का जोड़ रहता था।  
 इस प्रकार यह नयी पद्धति बाहर से आगत की हुई  
 कोई विदेशी चीज नहीं थी, जिसकी जड़ भारत की  
 भूमि या समाज में न हो।

नयी नालीम के प्रयोग हुए। इसे बुनियादी नालीम  
 भी कहते हैं। प्रयोगों में यह सिद्ध हुआ कि वर्तमान  
 निष्पत्ति और निष्पन्न शिक्षा-पद्धति की अवस्था इस नयी  
 पद्धति में शायद अधिक अच्छा संभव है और उत्तरी  
 भी संभव है। अवस्था यह तो कि वर्तमान-प्राप्ति के  
 बाद तब कि समूचे राष्ट्रीय साधन-स्रोत देश के हाथ में  
 आ जायेंगे, तब मात्र शिक्षा-क्षेत्र को रखा सके, इस दृश  
 में इस पद्धति को बढ़ावा देना, विकसित किया  
 जायगा और व्यापक किया जायगा। श्वर का रिक्त  
 है कि यह नहीं हुआ। अतिक्रम बुनियादी साधनों में  
 पुगनी लीक पर ही उद्योगों और प्रवृत्तियों का दोग चर  
 रहा है। उनके सुगु सुद्ध भी हो, तो लोग यह शिक्षण  
 राष्ट्र के लिए चाहते हैं, वे भी अपने यशों के द्वारा इन  
 साधनों को संरक्षण नहीं देते हैं। न तो कोई राजनी-  
 तिक व्यक्ति और न प्रशासक अपने यशों को इन  
 साधनों में भेजता है। अधिभार उनके हाथ में है,  
 उनके बच्चे यदि इन साधनों में आते हैं, तब कुछ  
 सुधार होने की उम्मीद हो सकती है। यद्यपि इस  
 बुनियादी शिक्षण का, सके यह सिद्धांत न हो, पर  
 प्रत्यक्ष व्यवहार में निरपेक्ष हो रहा है। फिर भी स्वतन्त्रता  
 के बाद कोई दूसरी शिक्षा-पद्धति विकसित नहीं हुई है।  
 न तो हममें इतनी प्रतिभा दीपनी है कि कोई नयी  
 शिक्षा पद्धति की खोज करें, न ही उन प्रतिभावादी  
 व्यक्तियों के चरणों पर, जो हमें बद्ध भाग्य से मिले थे,  
 चलने की सुसुद्धि हममें है। हम हैं तो अंधे, पर किसीके  
 मार्ग दर्शन भी स्वीकार नहीं करते। अन्य अनेक क्षेत्रों की  
 तरह ही स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक और समाजवादी भागत के  
 भारी नागरिकों के शिक्षण के संरक्ष में भी यदि हम  
 आज भी गांधीजी के चरणचिह्नो पर चरें, तो बहुत  
 अच्छा होगा। अर्थात् नयी युग में गांधीजी ने भारत को  
 और भारतीय जनता को, बाकी करते अधिन, अच्छी

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

वर्ग-निराकरण की नयी क्रांति का वाहन

## नयी तालीम

[ श्री धीरेन्द्र मजूमदार की नयी पुस्तक 'क्रांति की अहिंसक प्रक्रिया-नयी तालीम' का, जो आगामी नवम्बर में सर्व-सेवा-संघ से प्रकाशित होने जा रही है, एक अंश। सं० ]

शासन का विकल्प क्या ?

सन् १९४४ के सितम्बर में गांधीजी जेल से लौट कर आये। लौटने ही वह सन् '४२ के छूटे हुए काम को आगे बढ़ाने के काम में लग गये। चरखा सभ, ग्रामोद्योग सभ, तालीमी सभ आदि सभी सभों के कार्यकर्ता वर्षों में बुलाये गये। चरखा, ग्रामोद्योग और नयी तालीम का एक चरण पूरा हो गया था। जन-कल्याण और जन-संपर्क साधने के रूप में उसे सघटित करना और उसके द्वारा स्वतंत्रता-संग्राम के लिए जनता को सघटित करने का काम ही चुका था। साथ साथ गांधीजी द्वारा परिकल्पित क्रान्ति की बुनियाद डालना भी इन कार्यक्रमों का एक बड़ा काम था। स्वतंत्रता-संग्राम की दौरान में ही अगली क्रांति की व्यूह-रचना की पूर्ण तैयारी सफलता-पूर्वक कर लेना क्रान्ति के इतिहास में वस्तुतः गांधीजी की एक बहुत बड़ी देन थी। इस व्यूह-रचना की प्रक्रिया में चरखा तथा ग्रामोद्योग के विभिन्न पहलुओं पर सोचना, प्रयोग करना तथा कार्यकर्ता तैयार करना अत्यन्त आवश्यक था। हम कहते हैं कि अहिंसक समाज के लिए शासन-मुक्त समाज होना चाहिए। शासन-हीन समाज एक चीज है और शासन-मुक्त समाज विस्तृत दूसरी चीज। शासन-मुक्त समाज वह है, जिसमें शासन निरपेक्ष, आत्मानुशासित संगठन द्वारा समाज से शासन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हो कैसे ? समाज को नियमित रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि समाज में अमन-चैन कायम रहे। इस आवश्यकता को पूर्ति में मानव-समाज ने बड़ शक्ति का आविष्कार किया। अब हम उस दण्ड के शासन को हटाना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि इसके विकल्प में अमन-चैन

कायम रखने के लिए कौनसा अहिंसक उपाय है। स्पष्ट है कि जब तक जनता में प्रेरणा, नेतृत्व, अनुशासन आदि की दृष्टि से स्वावलम्बन नहीं होता है, तब तक दण्ड शासन का निराकरण संभव नहीं है, क्योंकि मानव प्रकृति में सस्टि और विद्वति दोनों चीजों का समावेश है। जब तक मनुष्य में सांस्कृतिक संगठन अत्यन्त मुदब नहीं होगा, तब तक विद्वति के प्रयोग को सांस्कृतिक प्रक्रिया द्वारा संभालना संभव नहीं होगा। अगर सांस्कृतिक प्रक्रिया मानव की विद्वति को नहीं संभाल सकती है, तो उसे संभालने के लिए दण्ड शक्ति को निश्चित रूप से स्वीकार करना होगा। यही कारण है कि गांधीजी कदा करते थे कि सघटन अहिंसा की कसौटी है। स्पष्ट है कि इस प्रकार का सांस्कृतिक सघटन अत्यन्त रुठिन है। रुठिन इसलिए है कि उसे चलाने के लिए सारी जनता को आग्रत तथा सश्रिय रहना पडगा। वस्तुन सङ्कलित की ग्जोमें रहनेवाला मानव आज कहाँ पहुँच रहा है, यह देखने का बात है। कुछ शताब्दी पहले मानव ने अपनी स्वतन्त्रता की बात सोची थी और एतन्न को समाप्त करके जनतन का प्रयोग शुरू किया था। लेकिन सङ्कलित की आकाशा ने उसे अपने ही हाथों से अपनी पैदा की हुई गणतन-रूपो सतान को मार डालने के लिए विषय किया। आर्थिक तथा राजनैतिक केन्द्रीकरण में सघटन का काम आसान होता है, क्योंकि उसमें एक स्थान पर एक शक्तिकाली मनुष्य बैठकर काम देगता है। मनुष्य इस आसानी के मोह में पड गया। इसलिए यद्यपि गणतन के विचार के अनुसार उसने सोचा था कि समाज का शासन अब जनता द्वारा चलाया जाय, फिर भी केन्द्रीकरण के मोह ने 'जनता द्वारा' का अर्थ यह कराया कि शासन 'जनता-सन्द् व्यक्तियों द्वारा' चलाया जाय। फलस्वरूप धीरे धीरे दुनिया में केन्द्री-

करण बढ़ता गया। और बढ़ते-बढ़ते वह आज दुनिया के प्रायः हर मुल्क में ताशाही प्रतिष्ठित कर रहा है। कहीं वर्ग की अधिसत्ता, कहीं दल की अधिसत्ता और कहीं व्यक्ति की अधिसत्ता अधिष्ठित हो रही है। लोग कहने भी लगे हैं कि अधिनायकत्व में समाज का सभ्यत अच्छा और आसान होता है। एक तंत्र शासन तथा पूँजीवादी उत्पादन-व्यवस्था में धमता अधिक रहती है, ऐसा भी लोग मानने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि लोग मानने लगे हैं कि व्यक्तिवाद से सस्थावाद अधिक फटिन है। अगर ऐसा है, तो सस्थावाद से समाजवाद जितना अधिक फटिन होगा, यह हर एक समझ सकता है। इसलिए गांधीजीने कहा था कि संघटन अधिष्ठा की कसौटी है। अगर अधिष्ठा संघटन में नहीं उतर सकती, तो वह टिकेगी कैसे ?

जीवन की नयी भूमिका . विज्ञान और लोकतंत्र लोग कह सकते हैं कि गांधीजी जो चाहते हैं, वह हो जाय तो अच्छा है, लेकिन वह हो कैसे। आदर्श को आम व्यवहार में लाने की चेष्टा में दुनिया में आज जो शक्ति मौजूद है उस छोड़ दें, तो समाज में नी निश्चिन्तता पैदा होगी, उसके कारण क्या समाज टिक सकेगा ? इसलिए कई विचारक यह कहते हैं कि संस्कृति के संघटन द्वारा विवृति को समाज में का रात आदर्श रूप में रखकर निरन्तर उसका प्राप्ति की कोशिश मले ही की जाय, लेकिन विवृति शमन के लिए सैनिक शक्ति के निराकरण की रात सोचना नितान्त मूर्खता है। हमें इस विचार का भूमिका का विदलेपन करना चाहिए। हम सोचें, आज जमाने का परिस्थिति क्या है। वैज्ञानिक प्रगति न इतिहास को ऐसे चौआहे पर पहुँचा दिया है कि अब पुराने दग से सोचने से काम नहीं चलेगा। जिस सैनिक शक्ति क सहारे अब तक जनता निश्चिन्तता क साथ बैठो हुई थी, उस सैनिक शक्ति की आज क्या दुर्दशा है, इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। मनुष्य ने विवृति के नियंत्रण के लिए दण्ड शक्ति का आविष्कार किया। दण्ड शक्ति के प्रयोग के लिए, अरब शस्त्रों का निमाण किया। वैज्ञानिक प्रगति ने सहार के एक से एक साधनों और उपकरणों का विकास किया। इस प्रकार

विज्ञान ने बढ़ते-बढ़ते आज अणुशक्ति द्वारा चाण्डि भयकर अरब शस्त्रों का आविष्कार कर डाला है। ये शस्त्र दिन-ब-दिन शतो भयकर होते चले जा रहे हैं कि इनका निर्माण करनेवाले मुल्कों के नेताओं को यह कहना पड़ रहा है कि अब सारी दुनिया के शस्त्रों को समुद्र के गर्भ में फेंक देने की जरूरत है। क्योंकि ये देख रहे हैं कि शस्त्रों क इस्तेमाल का अर्थ है सारे विश्व का विनाश। अगर खचमुच ऐसा है, तो शस्त्र मानव के संरक्षण के साधन कैसे बन सकते हैं ? केवल यह-यह मुल्कों के नेता हा नहीं, सारे विश्व का जनता इस रात को महसूस कर रही है कि अब समय आ गया है कि शस्त्रों को समाप्त कर दिया जाय। शस्त्र की समाप्ति की आवश्यकता ने समाज शास्त्र में एक गभीर प्रश्न उपस्थित कर दिया है। अगर शस्त्र नहीं रहेगा, तो सैनिक क्या लेकर अपनी शक्ति का परिचय देगा ? अब शस्त्र के साथ-साथ सैनिक का भी निपटन करना होगा। और अगर सैनिक नहीं रहेगा, तो शासन या राज्य किसके जरिये दण्ड शक्ति चला सकेगा ? फिर दण्ड शक्ति न चला सकने पर शासन-सस्था की आवश्यकता क्या रहेगी ? अगर राज्य-सस्था बानी शास्त्र-सस्था नहीं रहेगी, तो मानव विवृति का नियंत्रण किस शक्ति से होगा ? इस प्रकार गहर्गई से विचार और विस्मरण करने पर स्पष्ट हो जायगा कि मानव आज विकास की जिस मजिठ पर पहुँचा है, उस पर शक्ति और सुख्यवस्था की कायम रखने के लिए दण्ड शक्ति माना सैनिक शक्ति के विकल्प में किसी दूसरी शक्ति की खोज करना अनिवार्य है। विज्ञान का शास्त्राधारित सैनिक शक्ति से कहीं मत नहीं है, इतना हा नहीं बल्कि शास्त्र द्वारा स्वयं विज्ञान के समाप्त हो जान का भय है। विज्ञान के साथ मनुष्य की बौद्धिक और भौतिक उपलब्धि तुड़ी हुई है, चावद इसस भी बढ़कर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उसकी उपलब्धि है लोकतंत्र। जितनी प्रगतिशियों के सङ्घर्ष और साधना क रात मनुष्य सम्मति से शासन का स्थिति पर पहुँचा है और आज वह इस चरम म है कि लोकतंत्र में स दण्ड शक्ति का हाथ हटवा जाय और लोक सम्मति संगठित होती जाय और जत में सहकारी

समाज स्थापित हो। दड (coercion) से सम्मति (consent) तक कैसे पहुँचा जाए, यह लोकतंत्र की मुख्य समस्या है। इस समस्या के समाधान में लोकतंत्र की सिद्धि है। इसलिए लोकतंत्र के उपायकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अविद्यमान समाज के आधार के रूप में सैनिक शक्ति का विकल्प दें। गांधीजी ने इसी वैकल्पिक शक्ति की बात बोली थी। अतएव यद्यपि गांधीजी की बात आदर्श है, फिर भी आज की परिस्थिति ने मानव के लिए अनिवार्य बना दिया है कि उसे व्यवहार में लाने के लिए आदर्श और व्यवहार कोई दो चीजें तो हैं नहीं। किसी सिद्धांत को जब मनुष्य के लिए अच्युत और वास्तविक मानना है कि तब वह आदर्श है, लेकिन जिस क्षण वह उसकी जिन्दगी के लिए आवश्यक हो जाता है, उसी क्षण से वह व्यावहारिक हो जाता है। फिर उसे व्यवहार में लाने के सिवा मानव के सामने कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता है। शक्तों के वेकाव होने के कारण सैनिक शक्ति का कोई स्थान नहीं रह गया है। सैनिक शक्ति के अभाव में मनुष्य के लिए सांस्कृतिक समूह ही एकमात्र शक्ति बच जाता है, जो मानव की विद्वति के समर्थित रह सके। इसकी प्राप्ति का तरीका क्या हो ?

### शासन-मुक्ति के लिए संघर्ष-मुक्ति

अब प्रश्न यह है कि ऐसा शिक्षण किस प्रक्रिया से होगा। समाज में आज जो परिस्थिति है, उसके कारण क्या तत्काल सांस्कृतिक संगठन संभव होगा ? कारण चाहे जो हो, आज सारे विश्व में वर्ग भेद का ब्याप्तमूर्ती इतना उत्कट हो चुका है कि हर जगह समाज टिन्न भिन्न हो रहा है। सभी सामाजिक विचारक वर्ग भेद निराकरण की बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि उपाय क्या है। अब तक वर्ग-भेद के निराकरण के लिए वर्ग-संघर्ष का तरीका सामने रहा है। कार्ल मार्क्स से लेकर आधुनिक समाजवादी तक सब इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन वर्ग-संघर्ष के मतों से वर्ग निराकरण हो सकता है, ऐसा दिव्यापी नहीं देता। वर्ग के नाम पर दल की अधि-

सत्ता के स्थापित होने से नये वर्ग भेद की सृष्टि हो रही है। बैंगल वर्ग-भेद की ही सृष्टि नहीं हो रही है, बल्कि इसके कारण सामाजिक विकृति के उत्कट प्रकोप को दान्त करने के बहाने दुनिया में उस सैनिक-शक्ति का भयकर सगठन हो रहा है, जो विज्ञान के इस युग में अपनी अन्तिम साँसे गिन रहा है। शक्ति का विज्ञान के साथ किसी तरह मेल नहीं बैठता। वर्ग-संघर्ष से वर्ग निराकरण न होकर नये वर्ग की सृष्टि होती है और संघर्ष के कारण नये प्रकार के ब्रेष का जन्म होता है, जो फिर नये संघर्ष को पैदा करता है। इसलिए यद्यपि लोग यह मनुष्य करते हैं कि सांस्कृतिक प्रगति के लिए वर्ग-निराकरण की आवश्यकता है, फिर भी निराकरण के लिए संघर्ष के विकल्प से कोई दूसरी सामाजिक शक्ति नहीं निकल पा रही है। गांधीजी ने स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान में दवावमूलक शांतिपूर्ण सत्याग्रह का मार्ग प्रविकसित-शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था। तब से हम वर्ग-संघर्ष के विकल्प में सत्याग्रह की बात सोचते हैं। लेकिन उस पर भी गहराई से विचार करने की जरूरत है। जिस जमाने में साम्राज्यवाद की समाप्त करने के लिए आतङ्कवाद का मार्ग अपनाया जा रहा था, उस समय गांधीजी ने दवावमूलक सत्याग्रह का रास्ता बंद कर प्रतिरोध के शास्त्र में एक मान्य-कार्य कदम उठाया। हिंसा से अहिंसा की ओर जाने के लिए प्रथम कदम के रूप में यह अत्यंत क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। धीरे-धीरे लोगों ने उसे अपनाया और विश्व में उस हिंसा से मुक्ति पाने का एक रास्ता देगा दिया। आज जब मारकाट का मार्ग अत्यावधारिक और करीब-करीब अक्षय हो रहा है, तो हिंसावादी भी संघर्ष के लिए दवावमूलक सत्याग्रह को अपना रहे हैं। इसका परिचय हमें विश्व के कई मार्गों में मिलता रहा है। इस तरह जब विज्ञान ने हिंसा को दूर रख धारण करने के लिए मजबूर किया, तो हिंसा के पुजारियों ने भी गांधीजी के रास्ते हुए शांतिमय दवावमूलक सत्याग्रह का अपने सम्भार में दानित कर लिया। इस तरह जब हिंसा को भी सूझता नहीं और धरना पड़ रहा है, तो क्या अहिंसा का शास्त्र जहाँ था वहाँ ही रहेगा या उसे भी सौम्य

और सौम्यतर बनना होगा? ऐसी हालत में आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आगे नया शोध करें। लोग प्रश्न करेंगे कि क्या शांतिपूर्ण प्रतिकार को अहिंसक सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता? हम मान लें कि हाँ, कहा जा सकता है। तो दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जिस समय हिंसा को भी मृदु रूप धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, उस समय क्या यह देखने की जरूरत है, 'फलेन परिचीयते'। फल देखकर वृक्ष का परिचय मिलता है। जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं उसकी अंतिम परिणति क्या होती है, यह देखने की जरूरत है। शोषक और शोषित के बीच शोषण के निराकरण के लिए जो सत्याग्रह की प्रक्रिया होगी, उसके नतीजे से दोनों पक्षों के बीच का सन्ध क्या बच जाता है, उसके अधिक इसे देखने की जरूरत है। अगर सत्याग्रह के बाद दोनों में परस्पर सद्भावना का निर्माण होता है, तो अहिंसक प्रक्रिया वही जायगी और अगर दुर्भावना बचती है, तो वह हिंसक प्रक्रिया है, भले ही शांतिमय होने के कारण उसे मृदुम हिंसा कहा जाय। अहिंसा का वास्तविक स्वरूप प्रेम है। अहिंसा की प्रक्रिया में सामनेवाले के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम किसीके साथ किया जाता है, उससे खिलाफ नहीं। सत्याग्रह नाम की किसी प्रक्रिया का अगर किसीके खिलाफ प्रयोग होता है, तो वह शांतिमय भले ही हो, अहिंसात्मक नहीं है। हिंसा अहिंसा के इस मृदुम भेद को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। सिर फूटे, लूटा रहे, तमी हिंसा हुई, यह व्याख्या पुरानी हो गयी। समाज की भूमिका में हिंसा अहिंसा की कसौटी भावना की निष्पत्ति है। अगर दुर्भावना की निष्पत्ति हुई है, तो साधन हिंसात्मक है—याहा रूप उसका चाहे जो हो, क्योंकि दुर्भावना से विरोध और विरोध से सघर्ष—ने खींचियाँ सहज ही बन जाती हैं। इसके विपरीत अगर सद्भावना की निष्पत्ति हुई है, तो सघर्ष के स्थान पर सहकार और उसके बाद समन्वय प्रकट होता है।

वर्ग निराकरण के सदर्भ में आज सत्याग्रह वर्ग-सघर्ष के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका जिक्र हमने हिंसात्मक सत्याग्रह के सिलसिले में

किया है। हमने यह भी देखा है कि वर्ग-सघर्ष से वर्ग निराकरण नहीं होता, बल्कि नये वर्ग की सृष्टि होती है। तो अगर हम यह मानें कि सघर्ष का विफल सत्याग्रह ही है, तो सत्याग्रह का स्वरूप और प्रक्रिया क्या होगी, यह विचारणीय है। सत्याग्रह हिंसात्मक है या अहिंसात्मक है, इसकी परख के लिए हमने कहा है कि अगर दोनों पक्षों में सत्याग्रह के बाद सद्भावना पैदा होती है, तो वह अहिंसात्मक सत्याग्रह है। लेकिन इस अहिंसात्मक सत्याग्रह के फलस्वरूप अगर दोनों पक्ष ज्यों के त्यों दो विरोधी वर्गों के रूप में कायम रह गये, चाहे उनका परस्पर सन्ध सद्भावनापूर्ण ही क्यों न हो, तो निश्चित ही वर्ग निराकरण की सिद्धि नहीं हुई। अतएव स्पष्ट है कि हमारी जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया से विभिन्न वर्गों में न केवल सद्भावना पैदा हो, बल्कि वर्गों का ही विरोधान हो, यह जरूरी है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य वर्गों का सह-अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सह-अस्तित्व में अलग-अलग और शायद विरोध के साथ अस्तित्व निहित है। लक्ष्य यह है कि वर्ग रह ही न जायें।

### भूदान की देन

भूदान-आन्दोलन से विनोबाजी ने सत्याग्रह के शाल में एक नयी कड़ी जोड़ी है। सामाजिक अन्याय के प्रतिकार के रूप से दबावमूलक सत्याग्रह (Pressure) के स्थान पर उन्होंने मनाय (persuasion) वाली पद्धति चलायी। मनुष्य के हृदय का परिवर्तन उसके विचार का परिवर्तन कराकर करना सत्याग्रह नहीं तो और क्या है? यह सिद्धांत इस आन्दोलन का मूल तत्त्व है। जब कोई उनसे कहता है कि वह सत्याग्रह क्यों नहीं करते, तो वह कहते हैं कि यह सत्याग्रह नहीं तो और क्या कर रहे हैं। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ ही है सत्य के लिए आग्रह। जो लोग जमीन पर मेहनत करते हैं, उन्हें भी जमीन मिलनी चाहिए, यह सत्य है। विनोबा जब सातत्य और आग्रह के साथ जमीनवालों के हृदय से अघात करत रहे हैं, तो निःसन्देह यह सत्याग्रह की ही प्रक्रिया है। लेकिन दबाव के सत्याग्रह से यह आगे का कदम है और इसे हम सौम्य सत्याग्रह कह सकते हैं। 'सबै भूमि गोपाल

की' यह भी सत्य है, क्योंकि उसका जन्मदाता गोपाल है। तो जब यह प्रामदान की यात समझते हैं, उसका विचार लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश कराने की कौशिल्य करते ह, तो यह सौम्य सत्याग्रह का ही कार्यक्रम है।

### प्रतिकार और वर्ग-निराकरण

इस प्रकार अन्याय के प्रतिकार के लिए विनोदराजी सौम्य सत्याग्रह का स्वरूप और प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन केवल अन्याय का प्रतिकार एक चीज है और वर्ग-निराकरण दूसरी चीज है, यद्यपि गरीबी से देखा जाय, तो यह स्पष्ट होगा कि वर्ग के रहते अन्याय का निराकरण नहीं हो सकता है। फिर भी आज की सामाजिक मान्यता को देखते हुए, निरोधियों में साधारणतः मीठा बर्ताव होने पर अन्याय का प्रतिकार हुआ, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन फोर्ड सोचने-समझनेवाला यह नहीं मान लेगा कि मीठा बर्ताव होने मान से वर्गों का निराकरण भी हो गया।

केवल शोषण और शोषितों में नहीं, केवल अमीर और गरीब के बीच नहीं, केवल मजदूर-मालिक के साथ नहीं, बल्कि एक ही वर्ग में विभिन्न सांस्कृतिक स्तर के लोगों के बीच भी वर्ग विभक्तता है, ऐसा समझना चाहिए। व्याप्त वर्ण व्यवस्था के होने से हिन्दुस्तान में सांस्कृतिक स्तर की विभक्तता के कारण वर्गभेद स्पष्ट है। एक मजदूर दौलत कमाने जमीन का मालिक हो सकता है, लेकिन उसके जीवन का तर्ज अपने वर्गवालों की तरह निम्न प्रकार का रह सकता है। इसके मुकाबले में यह नहीं माना जाता कि उसी आर्थिक दृष्टिकोण का एक ब्राह्मण और धनिय भी उससे ही वर्ग का है। ब्राह्मण और धनिय मालिक-वर्ग बानी शोषक-वर्ग का ही रहेगा। अतएव केवल आर्थिक बोनाना से हम अन्याय का अंत भले ही कर दें, उससे वर्ग निराकरण नहीं होगा, उसके लिए तो त्वायी रूप के सत्याग्रह की आवश्यकता है।

गांधीजी की नयी तालीम वर्ग-निराकरण की नयी क्रांति का वाहन है, क्योंकि इस तालीम की प्रक्रिया के परिणाम से न केवल सामाजिक विभक्तता का निराकरण होगा, बल्कि सांस्कृतिक भेद का भी अंत होगा।

जब तालीम जन्म से मृत्यु तक होगी, हर एक वर्ग के लिए वह समान रूप से उपलब्ध होगी और उसकी प्रक्रिया सब वर्गों को एक साथ मिलाकर चलनेवाली होगी, तो सामाजिक रूप से भेद धीरे भिन्नता मिट जायगी। नयी तालीम वर्ग-निराकरण का वाहन है। इसे तथा इसकी व्यवस्था-रचना का समझने के लिए आज वर्ग-भेद का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर विचार करना जरूरी है।

### शोषण का वास्तविक स्वरूप

प्रायः यह समझा जाता है कि अमीर और गरीब के नाम से पूँजीपति और मजदूर के रूप में दो वर्ग हैं। ऊपर देखने से ऐसा लगता भी है। लेकिन शोषण अगर वर्ग-भेद का कारण है, तो शोषण का साधन क्या है, इसे देखना चाहिए। किसीके पास पूँजी हो जाय और बुद्धि नहीं हो, तो क्या वह शोषण कर सकता है? लेकिन इस विपरीत अगर किसी दूसरे के पास बुद्धि है और पूँजी नहीं है, तो वह अच्छी तरह शोषण कर सकता है। ऐसा समझना कि पूँजी ही शोषण का जरिया है, ठीक नहीं है। शोषण का वास्तविक जरिया बुद्धि है। पूँजी बुद्धि को परीक्षा लेती है, लेकिन शोषण की जड़ में बुद्धि ही रहती है। समाज में बुद्धिजीवी और श्रमजारी के रूप में जो दो श्रेणियाँ बन गयी हैं, उसीको वर्ग भेद का असली रूप समझना चाहिए। वर्ग विभक्तता के साथ में लोग बुद्धिजीवियों ने भी श्रमिक-श्रेणी में गिनते हैं, यह गलत है। अगर किसी शरीर-श्रमिक से पूछा जाय कि उसे बुद्धि बलाकर क्या पसंद है या शरीर बलाकर, तो निश्चित ही वह बुद्धिजीवी बनना पसंद करेगा। फिर दोनों को एक श्रेणी में डालना नहीं ठीक ठीक है? इस ने पूँजीपति-वर्ग को खत्म कर दिया है, लेकिन यह सभी जानते हैं कि वहाँ भी सफेदपादा-वर्ग (व्हाइट कलर्ड क्लास) की सृष्टि हो रही है। इसका कारण यह है कि उन्होंने पूँजी को ही वर्ग भेद का आधार माना है, और बुद्धि को श्रम के साथ जोड़ रखा है।

### पूँजी-श्रम बुद्धि

यह ठीक है कि आज शोषक-वर्ग के पास पूँजी और सुग-सुविधा के साधन दोनों हैं, मजदूर-वर्ग के

पास नहीं हैं। ऐसा इसलिए है कि बुद्धिजीवी-वर्ग के हाथ में समाज-व्यवस्था है और उसने व्यवस्था का तरीका ऐसा बनाया है कि ये दोनों चीजें उसीके हाथ में रह जायें। अतः वर्ग निराकरण की जो प्रक्रिया होगी, यह शोषण-मुक्ति की अगली सीढ़ी है। केवल पूजा से होनेवाले शोषण से मुक्त होने का रास्ता समाजवादियों ने दिखा दिया था, लेकिन उससे शोषण की जड़ नहीं मिटी थी। उल्टे यह हुआ कि समाज की सम्पत्ति के सरकार या अन्य केंद्रित संस्थाओं के हाथ में चले जाने के कारण बुद्धिजीवियों को अधिक अनुकूल जगह मिल गया कि वे धर्मिकों के नाम पर उन पर आधिपत्य बनाये रखे और उनका शोषण करते रहें। गांधीजी ने नयी तालीम की प्रक्रिया से बुद्धि द्वारा होनेवाले शोषण के अंत का उपाय प्रताया। उनका ध्यान है कि श्रम या बुद्धि में से किसीका किसी पर प्रभुत्व नहीं है, बल्कि तीनों का समन्वय है, किसीका अग्य स्तिव्य ठर नहीं है। अतः अगर वर्ग भेद को मिटाना है तो आवश्यक है कि बुद्धिजीवी और धर्मजीवी अलग न रहें सभी अपनी बुद्धि और अपना शरीर चलाकर समाज की सेवा कर। यह बवल इष्ट है ऐसी नहीं, यह आवश्यक भी

है। प्रकृति ने हर एक मनुष्य का मस्तिष्क और शरीर दोनों दिये हैं। दोनों का पूर्ण विकास कर प्रकृति की सेवा न करके कुछ को बौद्धिक विकास का अवसर मिले और कुछ का शरीर-श्रम का, तो समझना चाहिए कि मानव ने प्रकृति के साथ द्रोह किया है। अगर मनुष्य प्रकृति से द्रोह करता है, तो प्रकृति उसका बदला अवश्य लेती है और ले भी रही है।

नयी तालीम का माध्यम उत्पादन का प्रतिपा और सामाजिक वातावरण होना से प्रत्येक शिक्षा का अवसर मिलेगा और शिक्षा को प्रतिपा से प्रत्येक को शरीर-श्रम से (जिसमें बुद्धि का पूरा उपयोग शामिल है) उत्पादन का अभ्यास होगा। साथ ही सामाजिक वातावरण के माध्यम से शिक्षा होने के कारण व्यवस्था को शक्ति हर एक को मिलेगी और हर एक का समुचित सांस्कृतिक विकास होगा ताकि समाज में अलग से व्यवस्थापक-वर्ग रखने का जरूरत न हो। इस आवश्यकता के निराकरण से समाज में ऊपर से संचालन की जरूरत नहीं होगी। परस्पर सहकार से ही समाज चल सकेगा। ऐस सहकारी समाज में वर्ग भेद की गुनाहश ही नहीं रहेगी। (क्रमशः)



## चौदहवाँ सर्वोदय-सम्मेलन

गा० २३, २४ और २५ नवंबर १९६२ को बल्लारी, जिला मुरत (गुजरात) में १४वाँ सर्वोदय सम्मेलन होने जा रहा है। प्रतिनिधियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एकतरफा किराया लेकर वापसी टिकट देने की सुविधा दी है। प्रतिनिधि-शुल्क के र० ३०० मनीआर्डर द्वारा भेजकर रेलवे कन्सेशन का फार्म प्राप्त किया जा सकता है। उस कन्सेशन फार्म को अपने डिविजन के डी० टी० एस० अथवा सी० टी० एम० के पास भेजकर रिआयती टिकट का आदेश-पत्र उनसे प्राप्त करना होगा।

वेङ्गळी पहुँचने के लिए पश्चिम रेलवे की मुसावात-मुरत लाइन के मढ़ी स्टेशन पर उतरना होगा। वेङ्गळी मढ़ी स्टेशन से ११ मील दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए बस की सुविधा है।

रेलवे कन्सेशन का प्रतिनिधि शुल्क निम्न पते से भेजें

श्री मन्त्री, अ० भा० सर्व-सेवा सच रात्रपाठ, चाराणसी-१ (उ० प्र०)





ग्रामभारती क द्वारा समग्र नयी तालीम का स्वरूप प्रकट करने का प्रयत्न हो रहा है लेकिन संगठित स्थाओं के द्वारा दूसरे भी बहुत से काम हो रहे हैं जिनसे समाज के सामने जीवन का कोई-न-कोई चित्र प्रस्तुत होता रहता है। ऐसी वामम प्रयत्नियों को समग्र नयी तालीम की दिशा में ले जाने का दृढ़तापूर्वक और मुनियोजित प्रयत्न होना चाहिए। इस दिशा में कुछ सुझाव प्रस्तुत करता हूँ।

१. ग्राम इकाई क्षेत्रों में, ग्रामसेवा केन्द्रों में या हमारे काम के अन्य क्षेत्रों में ग्रामभारती की प्रक्रियाएँ अपनायी जायें ताकि देश के अनेक स्थानों में विज्ञान और शिक्षण कुछ कार्यकर्ताओं या सरकार की ही विन्ता का विषय न रहकर स्वयं ग्राम-समुदाय का पर काम से कम उलके चेतन व्यक्तियों की भी, विन्ता और चिन्तन का विषय बन जाय और वह न के चिन्तन के आधार पर अपनी परिस्थिति के अनुरूप आरोहण की प्रक्रियाएँ निभाल सके।

२. भूदान और ग्रामदान के गाँवों में जो समस्याएँ पैदा हो गयी हैं उनका मुख्यरिक्त अध्ययन किया जाय। दाता-आदाता का भूदान के बाद भी परस्पर विरोध, गाँव की पूरी भूमि का गाँव के लिए उपलब्ध न होना, खेती के साथ दूसरे किसी भरोसे के उद्योग का न मिलना, ग्रामदानो गाँवों का अपने पड़ोसी क्षेत्र के साथ जो सम्बन्ध रहा है उनमें नयी भूमिका का प्रस्तुत न होना, आदि कई गम्भीर रकबटें हैं जिनके कारण हमारी हृदय-परिवर्तन यानी शिक्षण की प्रक्रिया के प्रति समाज की आस्था नहीं जग पा रही है, और स्वयं हमारे अन्दर भी निराशा धुम रही है। भूदान और ग्रामदान ने बहुत अच्छा बचसर दिया था जिसका इस्तेमाल हम बाल-शिक्षण, प्रौढ शिक्षण और गाँव के आर्थिक विकास के लिए तो कर ही सकते थे, उसके अलावा यह प्रयोग भी कर सकते थे कि मालिग-मजदूर का सम्बन्ध कैसे बदले ताकि वग-संघर्ष का विकल्प विकसित हो सके। नये मानवीय सम्बन्धा के विकास की दृष्टिक प्रक्रिया के शोध क जो क्षेत्र भूदान, ग्रामदान ने बनाये थे उन्हें हम तेजी से खोलें जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि काफी लो चुके हैं, फिर भी अभी कुछ कच्चे धागे बचे हुए हैं।

३ आज अनेक क्षेत्रों में छादी का सपन काम हो रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि ग्रामस्वराज्य

की भूमिका में हो रहा है। लेकिन प्राय यह होता है कि हम गाँव के जीवन में "इन्स्टिट्यूशनलाइजेशन" का नया ताना-बाना बुन देते हैं और लोकशास्त्र के लिए रास्ता साफ करने के स्थान पर नयी रकबटें पैदा कर देते हैं। हो सकता है ऐसा दृष्टिक प्रक्रिया की प्रतीति के अभाव में होता हो। हम यह भी तो नहीं करते कि काम के तिलतिल में हमारे क्षेत्र में स्थानीय युवकों को खेती में, विभिन्न उद्योगों में, स्वास्थ्य-सफाई में, सुरक्षा आदि में कुछ टेक्निकल 'स्क्वाड' तैयार हो जायें जिनसे आगे चलकर ग्रामस्वराज्य की आवश्यक शक्ति प्राप्त हो।

४ हमारी रचनात्मक संस्थाओं के द्वारा कई निर्माण कार्य होते हैं जिनमें मजदूर लगाये जाते हैं। हमें यह स्थिति बदलने क बारे में दो दिशाओं में सोचना चाहिए। एक यह कि खेती क स्थायी मजदूरों के साथ किसी प्रकार की गाठेशारी हो, दूसरी यह कि हम १६ से २१ साल तक के युवक लें जो ६ घंटे कामाई का काम करें और २ घंटे पढ़ें। जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ उनके लिए रात्रि-पाठशालाएँ चलायी जायें। इस तरह ग्रामशालाएँ युवक संगठन में तदा मजदूरों की सहकारी समितियाँ संगठित करने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी।

५ हर संस्था को अपने अपने आँगन से बाहर निकल कर एक कार्य-क्षेत्र तो बनाना ही चाहिए। हर ग्रामीण केंद्र, छोटा या बड़ा, अपने क्षेत्र की समस्याओं के शोध और प्रयोग के केन्द्र के रूप में विकसित हो ऐसी स्थिति हर दृष्टि से शुभ होगी।

६ शहरा के काम महसूस ग्राम वेचकर जीनेवाला का कोई क्षेत्र या समुदाय ले लें, उसकी सारी समस्याओं का अध्ययन करें, जनमत संगठित करें और उन्हें हल करने के लिए सहकारी और गैर-सरकारी साधन 'माविलाइज' करें।

## भूमिका

शिक्षा में सफलता का मूल्यांकन करते समय हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए—

१ सामान्य ज्ञान का औद्योगिक स्तर क्या है और कहाँ तक शाला अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई है।

२ उन उद्देश्यों के प्रकाश में वहाँ के छात्रों का विकास कहाँ तक हुआ है।

उत्तर-युनियादी स्तर में पढ़ने वाले के अनुसार मूल्यांकन विशेषज्ञों की एक छोटी समिति के द्वारा होना चाहिए। इस लेख में हम छात्रों के व्यक्तिगत विकास के सम्बन्ध में अर्थात् उपर्युक्त दूसरे विषय के बारे में चर्चा करेंगे।

## मूल्यांकन के सिद्धान्त

१ इसमें सफलता का विविधता (diversity) शामिल होना चाहिए।

इस देश में यह प्रथा रही है कि छात्र जब ७-८ साल तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है तभी माध्यमिक विद्यालय में वह भर्ती किया जाता है, और जब वह अपना माध्यमिक अभ्यासक्रम पूरा कर लेता है, तो उसे दूसरा सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। वास्तविक मूल्यांकन की दृष्टि से इनमें से कोई भी पद्धति सतोपजनक नहीं है। क्रिश्चियनता की शिक्षा को चाहिए कि वह राज्यों की व्यक्तिगत रुचियों को ध्यान दे और विविधता को प्रोत्साहित करे। मूल्यांकन में इस विकास और सफलता की विविधता प्रतिबिम्बित हो और उसमें उसका स्पष्ट उल्लेख हो।

२ मूल्यांकन घोषित उद्देश्यों की भूमिका में किया जाय।

मूल्यांकन की पद्धति को इस प्रकार आयोजित करना चाहिए, जिससे उत्तर-युनियादी विद्यालय के

कार्यक्रमों के चारों पहलुओं के अन्तर्गत विकास को मंजूरगति आँका जा सके। अतिरिक्त परीक्षा-पद्धति में बढ़ा हुआ तो किसी एक सीमित क्षेत्र पर प्रकाश डाला जा सकता है। इसलिए परीक्षा-पद्धति की पूर्ति में अन्य उपायों का जाड़ देना चाहिए।

३ यह बात स्पष्ट हो कि मूल्यांकन का प्रारम्भ बिन्दु क्या है।

परिवर्तन और विकास का मूल्यांकन तभी ठीक ठीक हो सकेगा, जब यह मादम हो कि उनका आरम्भ कहाँ से हुआ है। इसलिए छात्र का पढ़ना मूल्यांकन उसी समय कर लेना चाहिए, जब वह उत्तर-युनियादी पाठ्यक्रम में प्रवेश करता है।

४ उसे सतत चालू रहना चाहिए।

अध्यापक के लिए छात्रों के विकास की दिशा और गति जानना उसके अन्तिम स्तर को जानने से अधिक आवश्यक है। अतः किसी भी अच्छी मूल्यांकन-पद्धति में सिलेबस बहुत अधिक आवश्यक है, ताकि विश्वसनीय और सर्वोत्तम रिपोर्ट तैयार किया जा सके। मासिक अथवा त्रैमासिक मूल्यांकनों के द्वारा यह बनाया जा सकता है।

५ मूल्यांकन ऐसा हो, जिसमें छात्र भी शरीक हों।

अध्यापकों ने जो कुछ रेकार्ड तैयार किया हो या छात्रों के कामकाज की आवश्यकताओं के मन पर जो छाप पड़ी हो, वही इस मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। सामाजिक शिक्षा का यह एक बहुत आवश्यक पहलू है कि छात्र अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की सफलताओं का मूल्यांकन करना सहज ही प्राप्त कर ले। अतः यह आवश्यक है कि इस मूल्यांकन के काम में आरम्भ से अन्त तक व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर छात्र भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें और जो निर्णय निकलता है, उसके प्रतिउनकी धारणा बने कि यह न्यायपूर्ण और विश्वसनीय है।

### मूल्यांकन के तरीके

छात्रों के विकासक कुछ पहलुओं को यथार्थ और स्टैंडर्ड तरीकों से आँका जा सकता है, जैसे शारीरिक विकास, हाथ का हुनर, शिक्षा के औजारों के उपयोग की कुशलता आदि। दूसरे पहलुओं को, जो इतने ही महत्व के हैं, इस प्रकार नापा नहीं जा सकता, जैसे सामाजिक विकास। उसका मूल्यांकन करने के लिए अवश्य ही नया पद्धतियों की खोज करना होगी। शिक्षा के कुछ उद्देश्य ऐसे भी हैं, जिनका मूल्यांकन करना सम्भव ही नहीं है, जैसे चारित्र्य, सौंदर्य के प्रति सवदनशीलता, कल्याण आदि। इनमें व्यक्ति-व्यक्ति का कितना विकास हुआ, यह सिद्ध करना बाहर्णीय भी नहीं है।

मूल्यांकन करने में निम्न साधन उपयोगी सिद्ध हुए हैं

(१) छात्र के काम का कुछ वस्तुनिष्ठ स्टैंडर्ड स्वीडियाँ।

(२) क्रिसा कार्यक्रम-विशेष के अन्तगत ज्ञान और समझने की शक्ति को जाँचने के लिए शिक्षक समय-समय पर जो टेस्ट बना लेते हैं।

(३) छात्रों और अभ्यापकों द्वारा लिखी गयी दैनिकिना।

(४) विशेष कार्यों का लिखित विवरण।

(५) दस्तावेजी में की गयी उन्नति का लिखित विवरण।

(६) विभिन्न विषयों की नोटबुक।

(७) सभात, नाटक आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के सम्बन्ध का रेकार्ड।

(८) ललित कलाओं में या खेलन में छात्रों का कोई मौलिक कार्य।

(९) शिक्षकों द्वारा त्रिपित ऐसा घटनाभा का रेकार्ड, जिनसे छात्रों के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर प्रकाश पड़ता हो। इसमें उन प्रसंगों का भी समावेश होगा, जिनका उल्लेख माता-पिताओं ने या बाहरी लोगों ने शाला के बाहर के इनके व्यवहार के सम्बन्ध में किया हो। व्यक्तिगत या सामूहिक तौर

पर किसी छात्र के विविध प्रवृत्तियों में विकास के मूल्यांकन के लिए वे साधन हस्तमाला किये जा सकते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे आपस में तथा छात्रों के साथ चर्चा करके विविध क्षेत्रों में मूल्यांकन के लिए उपयुक्त तरीके निकाले।

### मूल्यांकन का विस्तार

उत्तर पुनियादा शाला के चार प्रमुख उद्देश्यों को आधार मानकर जिन क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है, उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है

(१) व्यक्तित्व का विकास

(अ) शारीरिक वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य।

(आ) खेलों में कुशलता और सफलता।

(इ) बौद्धिक क्षमता, ज्ञान-साधन के रूप में पढ़ने, लिखने और गणित में कुशलता।

(ई) बोलने में और लिखने में अपने भावों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की शक्ति।

(उ) समस्याओं का छात्रनीन करने तथा नया ज्ञान प्राप्त करने में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सदर्भ सामग्री आदि का उपयोग करने की क्षमता।

(ऊ) व्यक्तिगत रुचि और रुझान।

(ख) विशेष कुशलताएँ और क्षमताएँ, खास कर सांस्कृतिक क्षेत्र का।

(२) नागरिकता अथवा सामाजिक योग्यता

(अ) मरता होने के समय की या घर की स्थिति और पिछले सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव।

(आ) समाज में विभिन्न स्तरों पर उपस्थित दिकर्तों और जिम्मेदारियों के अन्तर्गत पर अपना कर्तव्य निभान के सम्बन्ध का जानकारी।

(इ) सौजन्य, आम सयम, सहिष्णुता का प्रगति तथा लोगों और परिस्थितियों के अनुकूल आने को पना लेने का सह्यता।

(ई) प्राथमिक उपचार तथा रोगा-सेवा में नियुणता।

(उ) शाला के बाहर सार्वजनिक सेवा कार्य की सफलताएँ।

(ऊ) सामूहिक कार्य करने में एक सदस्य के नाते और नेता के नाते सहयोग देने की वृत्ति।

( ऋ ) सामाजिक सबधों में अपने अधिकृत वस्तु-निष्ठा और तटस्थता की वृद्धि ।

( ३ ) अपने धर्मे और उद्योग में

( अ ) भरती होने के समय की योग्यता—यदि कुछ हो तो ।

( आ ) उत्पादन-गति की वृद्धि और उत्पादित वस्तु क गुण—इनका रकॉर्ड ।

( इ ) लगातार और उद्देश्यपूर्ण काम करने की क्षमता में वृद्धि ।

( ई ) औजारों का उपयोग और उनका सुरक्षा की जिम्मेदारी ।

( उ ) दस्तकारियों में पैदा होनेवाला समस्याओं का प्रति सर्जनात्मक और प्रयोगात्मक वृत्ति ।

( ऊ ) दस्तकारी को समाज-सेवा के साधन के रूप में काम में लाने की वृत्ति ।

( ४ ) शैक्षणिक योग्यता

( अ ) स्वास्थ्य-रक्षा और रोग निरोध विज्ञान की जानकारी ।

( आ ) भारत तथा विश्व का सामयिक समस्याओं को उनके एतिहासिक और भौगोलिक सदर्भ में ज्ञान ।

( इ ) कितना विशिष्ट योजना का या दिये हुए कितना नियम का धारे में विवरण प्रस्तुत करने का क्षमता ।

( ई ) वर्तमान जीवन का अग्रभूत वैज्ञानिक राज्यों और आदिकारों का सामान्य जानकारी ।

★

## “सर्वोदय-पर्व”

‘पर्व’ को काका कालेलर ने समाज का जीवित इतिहास कहा है। वर्ष के किसी निश्चित समय में जब कोई सामाजिक वृत्ति विशेष रूप से समाज में दिखाई देती है तो उसे ‘पर्व’ की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक पर्व का कोई न कोई विशेष आशय होता ही है। जिस पर्व का आशय समाप्त हो जाता है वह पर्व भी समाज से शनैः शनैः लुप्त हो जाता है। उसके बदले नया ‘पर्व’ नये आशय का संदेश लेकर आता है। ‘सर्वोदय पर्व’ नया है। इसका नयापन या आशय क्या है ?

समाज के अधिकांश लोगों का जीवन युग के प्रामाणिक ज्ञान के सस्पर्श से दूर है। लोक शिक्षण तथा ज्ञानार्जन के प्रचलित साधन पुस्तकें, समाचार पत्र और रेडियो दलीय अथवा एक पक्षीय प्रचार भावना से दूषित हैं। तथ्य जो बुद्धि-विभ्रम और अज्ञान के पर्दे को भेद सकें

अब दुर्लभ हो गये हैं।

इस सामाजिक विसंगति का क्या कोई हल हमें दीखता है ?

वाद और पछांगिता से परे हमें निपट ज्ञान मिलना चाहिए। वह ज्ञान अपने आप हमारे पास न आये तो हमें उसके सस्पर्श में आने का स्वयं प्रयास करना है। वैज्ञानिक-युग के आगमन के पहले ज्ञानों, महात्मा पैदल चलकर द्वार द्वार पहुँचते थे और अनवरत समाजोपयोगी, लोक कल्याणकारी ज्ञान का प्रसाद वितरित करते थे। आज वैज्ञानिक उपकरणों की पहुँच घर घर तक हो गयी है किन्तु लोक-कल्याणकारी ज्ञान लोक निर्वाणित है। हमें उस लोक निर्वाणित ज्ञान को आकांक्षा है तो उसकी तलाश भी करनी होगी, उसके सम्पर्क में आने का स्वयं ही प्रयास करना होगा। ‘सर्वोदय-पर्व’ का यह सूत्रन सवत है।

—दरमन

‘नयी तालीम’ का यह अर्थ आपको कैसा लगा ? नया तालीम को अधिक से अधिक लोक-चर्चा और उपयोगी बनाने के लिए आपसे सुझाव और विचार मादर अपेक्षित हैं।



प्राचीन काल से हमारे इतिहास की जाँच की जाय, तो पता चलेगा कि अलग-अलग भाषाओं में उनके बोलनेवालों के जैसी ही प्रमाणता प्राप्त करने का प्रेम और स्वभाषा की अपेक्षा परभाषा के लिए अधिक जादर हमारे देश में उड़े लम्बे समय से चला आया है। आज हम अंग्रेजी को जो महत्त्व देते हैं, वही महत्त्व किसी समय संस्कृत भाषा को देते थे और आज भी उस भाषा के प्रति हमारा आदर बहुत बर स्वभाषा से अधिक होता है। जिस तरह हमारे विद्वानों को मातृभाषा में बोलने की अपेक्षा अंग्रेजी में बोलना आज अधिक पसंद होता है और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के कारण वे अंग्रेजी में अच्छी तरह बोल सकते हैं। जिस प्रकार स्वभाषा में हिंजने या व्याकरण की भूलें होने की अपेक्षा अंग्रेजी में वैसी भूलें होने पर हम बहुत रजित होते हैं या वैसी भूलें करनेवाले का मजाक उड़ाने की हमारी इच्छा होती है, उसी प्रकार एक समय हमारी दृष्टि संस्कृत के संप्रथ में थी। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा सीखने के बाद मातृभाषा बोलने को जगलीपन माननेवाले और बालकों को मातृभाषा से पहले अंग्रेजी बोलना सिखाने के लिए घर में अंग्रेजी का उपयोग करनेवाले हमारे देश में कुछ लोग हैं, उसी प्रकार संस्कृत में ही बोलने का प्रथम लेनेवाले और उपनयन-संस्कार के साथ ही या उससे भी पहले बालकों को शब्दरूपात्मनी और धातुरूपात्मनी सिखानेवाले शास्त्री भी हमारे देश में किसी समय थे और आज भी कुछ होंगे। आज जैसे गांधीजी अंग्रेजी भाषा के मोह के लिए प्रजा को उलाहना देते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा के अनुचित मोह के लिए अत्या, एतनाथ और शनैस्वर जैसे शानियों और सत्तों को अपने समय के लोगों को उलाहना देना पड़ा था और स्वभाषा में ही प्रथम रचने का आग्रह रखनेवाले एकनाथ जैसे लोगों को संस्कृत का आग्रहियों द्वारा दिये गये कष्ट मानने पड़े थे।

प्राचीन काल में संस्कृत के बचाव मातृभाषा का आदर बढ़ानेवालों में बुद्ध और महावीर अपनी मान्यता होते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के सत्तों ने मराठी भाषा को संस्कृत जितना ही महत्त्व देने का प्रयत्न किया। गुजरात में प्रेमानन्द ने गुजराती भाषा की सेवा आरम्भ की। परन्तु प्रेमानन्द को संस्कृत और गुजराती की तुलना नहीं करनी थी उन्हें प्रांतीय भाषाओं में गुजराती को उच्च स्थान दिलाना था। गुजरात में संस्कृत के साथ स्वभाषा की तुलना तो अत्या ने की। एकनाथ जैसी ही, परन्तु अधिक तीव्र भाषा में उन्होंने कहा था —“हे मूर्ख, तू भाषा से क्यों विषय रखता है? जो रण में जीतता है, वही शूर है। संस्कृत भाषा बोलने से क्या हुआ? क्या इस कारण प्राकृत भाषा में से कुछ नष्ट हो जाता है? सारा विस्तार ५२ अक्षरों का ही है। परन्तु अत्या कहता है कि इसके परे रहनेवाला ५३ ग्रां ब्रह्मत्व हम जानें, तभी इस सगर-सागर से पार हो सकते हैं। संस्कृत प्राकृत की मदद से पढ़नी होती है। जिस प्रकार लकड़ियों गडर के रूप में घुमाते रहने से कोई लाभ नहीं होता, गडर को तोड़ने पर ही लकड़ियों का उपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार प्राकृत के बिना संस्कृत व्यर्थ है। व्यापारी हजारों की रकम उही-खाते में लिखता है, परन्तु जब तक पैसे को तुझता नहीं, तब तक व्यापार नहीं हो सकता।”

परन्तु शास्त्रियों में आन्तर प्रांतीय भाषा के रूप में तो संस्कृत ही आज तक उपयोग में आती रही है।

हिन्दु परभाषा सीखने का हमारा यह उल्साह संस्कृत के विषय में थोड़ा कम हुआ, तो दूसरी किसी भाषा के विषय में बढ़ा। इस प्रकार मुसलमानों का राज्य स्थापित होने पर हमारे पूर्वजों ने पारसी भाषा को वही महत्त्व दिया, जो आज हमने अंग्रेजी भाषा को दिया है। पारसी भाषा के ज्ञान में मुसलमानों से भी अधिक लेनेवाले पारसी के समर्थ विद्वान् हिन्दुओं में हो गये

हैं। उस जमाने में फारसी जाननेवाले आदमी की खूब इज्जत करते थे। जिस तरह रास्त पर बैठे हुए किसी मोचा को अमजी का अच्छा शान है, ऐसा जानकर हमें आश्चर्य होता है और जिस तरह रेग्वे स्टेशन पर जो काम गुजराती बोलने से नहीं हो सकता, वह अमजी में एक वाक्य बोल देने से हो जाता है, वैसी ही उस समय फारसी की स्थिति थी। 'पढ़े फारसी बच्चे तल, वह देखो कुदरत का खेल इस कहावत का अर्थ ही यह है कि फारसी का ज्ञान रखनेवाला तब बेचनेवाले की सामान्य स्थिति में हो यह बात उस जमाने में आश्चर्य की मानी जाती थी।

जिन लोगों का अधीनता हमने स्वीकार की उनकी पोशाक, भाषा, रीति-रिवाज, सब कुछ अपना लेने की हमें पुराने जमाने से आदत पड़ गया है। शिवाजी महाराज ने हिन्दू-राज्य स्थापित किया, परन्तु राजभाषा, वेशभूषा और लिपि तो बहुत समय तक मुसलमानों की ही रही। राजपूताने के बहुत से हिन्दू राज्यों में आज भी राजभाषा उर्दू है और पहले वह शायद फारसी रही होगी। उत्तर भारत में अनेक हिन्दू ऐसे हैं, जिन्हें बचपन से उर्दू लिपि ही सिखायी जाती है और देवनागरी लिपि व पढ़ ही नहीं सकते।

यही कारण है कि अमजी राज्य के आते ही अमजी भाषा ने भी स्वभावतः उही प्राधान्य ग्रहण कर लिया। प्रारम्भ से ही उच्चारण गुंदि और व्याकरण पर हमारे देश में बहुत जोर दिया जाता था और उसके लिए खूब परिश्रम किया जाता था। इसलिए किता भी भाषा के शुद्ध उच्चारण करने और भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में दूसरी प्रजाओं से हम अधिक सफल रहे हैं। दो-चार भाषाएँ सीख लेना हमारे लिए बड़े हाथ का खेल है। अतः राष्ट्रीय शिक्षण का आन्दोलन आरम्भ होने पर हिन्दी को प्राथमिक में स्थान देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उस समय कुछ लोगों की यह धारणा थी कि हिन्दी को अनिवार्य बनाकर अमजी को वैकल्पिक स्थान दिया जाय अर्थात् उसे कोई-कौन विद्यार्थी ही सीखें परन्तु अधिकतर शाशुओं और विद्यापियों ने अमजी को तो जारी रखा हा, ऊपर से

हिन्दी को और दारिद्र्य कर दिया। इसलिए आज अनेक विद्यार्थी गुजराती, अमजी, हिन्दी और संस्कृत, फारसी या फ्रेंच इस तरह चार भाषाएँ सीखते हैं। जो लोग कातें नहीं, वे एक भाषा अधिक सीखें, ऐसा विकल्प यदि रखा जाय, तो बहुत से विद्यार्थी एक और भाषा का आभूषण पहनने को तैयार हो जायेंगे।

बसक यह हमारी जनता द्वारा प्राप्त की हुई एक सिद्धि कही जायगी। परन्तु प्रत्येक सिद्धि जैसे अंतिम ध्येय को प्राप्त करने में बाधक होती है, वैसे हा यह सिद्धि भी बाधक होता है। सिद्धि अपना मूल्य बढ़ाकर ध्येय को भुग देती है। किसी भाषा की विशेषता, किसी भाषा का प्राण उसका शब्दों में नहीं, बल्कि उसके बोलनेवालों के चरित्र में होता है। इस बात को हम भूठ जात है और वह मानते हैं कि अमुक भाषा में ही अधिक तज, माधुर्य, कर्कशता आदि गुण हैं और उस भाषा को सीखने से हममें भी वे गुण आ जायेंगे। एक अमेरिकन व्यायाम शास्त्री ने शौर्य का विकास करने की एक विधि सलाह दी है। वे कहते हैं कि पाठ, गरदन और सिर को एक विशेष स्थिति में रखकर चलने से आप लोगों पर रोच जमा सकेगा। सच बात है, इस तरह रोच से चढ़ने का ढोंग तो किया जा सकता है, परन्तु जब तक कोई राधा रोचदार आदमी सामने आकर खड़ा नहीं होता, तभी तक। ऐसे किसी आदमी के सामने आ जान पर रोच जमाने की आदत होत हुए भी पीठ, गरदन और सिर विशेष स्थिति में रखना समझ नहीं होता, क्योंकि धड़कते दिल से यह सब कैसे हो सकता है ?

शौर्य होन पर सभी लोग धर से बाहर निकल आते हैं, परन्तु सच्चे और पक्के वीर की परीक्षा तत्पश्चात् निकलने पर ही होती है।

इसी प्रकार हमारा यह रणाय है कि जिस भाषा में हम बोलते हैं, उस भाषा के बोलनेवालों के गुण हममें आ जाते हैं। दूसरे लोगों की भाषा और वेशभूषण अपनाते से यदि उनके गुण किसीमें आते हों तो गप्पा सिंह का चमड़ा ओढ़कर सिंह बनने की आशा क्यों न रखें ? गुण या ज्ञान चित्त के गुण हैं वाणी या कपड़ों

के नहीं, वाणी और चेष्टा उनकी थोड़ी शॉकी करा सकते हैं, परन्तु उन्हें पैदा नहीं कर सकते।

मातृभाषा का अनादर हमारा प्राचीन काल का रोग मान्य होता है। हमें अपनी भाषा उदा पशु ही मान्य हुई है और स्वभाषा का यह अनादर हममें आत्म विश्वास के अभाव के कारण उत्पन्न हुआ है। निम्न प्रकार गुलामी के स्वाकार की जड़ में स्वाभिमान और आत्मविश्वास का अभाव है, उसी प्रकार परभाषा के मोह में भी इन गुणों का अभाव है।

स्वभाषा का आदर बढ़ाने का उपाय यह नहीं है कि दूसरी भाषाएँ सीखी या सिखाया न जायें। यह तो काका का अपमान करके पिता का मान बढ़ाने जैसा विचित्र मार्ग होगा। परन्तु यह रणार्थ मिट जाना चाहिए कि परभाषा जानना कोई मान, उन्नत या विद्वत्ता की बात है। किसी प्रयोजन के अन्त में मनुष्य को मातृभाषा क सिवा एक भी दूसरी भाषा जानने की आवश्यकता नहीं, परन्तु आवश्यकता हान पर उसे बार-बार नयी नया भाषाएँ सीखनी पड़ती हैं। लेकिन निम्न भाषाओं के बारे में उन्हें विश्वासपूर्वक यह भाव हो कि जीवन में जरूरत पड़ेगी, उन्हें सीखने की मुविधा प्रयोजन के अनुसार की जानी चाहिए। परन्तु यह नहीं मानना चाहिए कि उस भाषा का अभाव का कारण निम्नाया कुछ ज्यादा आदर पाने का अधिकारी हो जाता है, न हमारे मन में यह भ्रम रहना चाहिए कि दूसरा भाषाएँ न जानने से विद्याया का विकास में कोई रुकावट आती है।

दूसरों की भाषा हमें उसका बोलनेवालों की तरह हा शुद्ध रूप में सीखने और लिखने आना चाहिए, एसा मिथ्याभिमान हमारे ही लोगों ने बढ़ाया है और वह निम्न प्रकार का गुलामी हमें स्वाकार की, उसका हम

पर पड़े हुए प्रभाव का परिणाम है। जापानी लोग टूटी-फूटी अंग्रेजी से लाखों का व्यापार चला सकते हैं, अच्छी अंग्रेजी न जानने से उन्हें शर्म नहीं मान्य होती। श्री पाल रिचार् जैसे पुरुष भी अशुद्ध अंग्रेजी बोलने में शरमाते नहीं, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि अंग्रेजी उनकी भाषा नहीं है, काम चलाने पितनी ही अंग्रेजी वे जानते हैं। परन्तु हमारे दफ्तरों में अंग्रेजी पर प्राप्त किये हुए अधिकार का वेहद कीमत आँकी जाती है। उसी से उम्मीद में रहने पर भी हम मराठी बोलने में गन्ती करें या महाराष्ट्रीय लोग गुजराती बोलने में गन्ती करें, तो बोलनेवालों या सुननेवालों को हतास्य नहीं मान्य होता। परन्तु अंग्रेजी में एक मामूलीसी भी गलती हो जाय, तो हम एसी शर्म लगती है कि प्रश्नी जगह कर दे, तो हम उसका भीतर समा जायें।

गुजराती या संस्कृत का भाषा-सवध होने के कारण गुजराती का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक माना जाय, इसे तो मैं समझ सकता हूँ। परन्तु जब कोई यह कहता है कि जो संस्कृत नहीं जानता, वह पूरी तरह शिक्षित नहीं है या संस्कृत के ज्ञान का बिना कोई हिन्दू अपना पूरा विकास नहीं कर सकता, तो ये शब्द मुझे बड़े विचित्र मान्य होते हैं। एसी बात सुनकर मुझे लगता है कि हम इस बात को समझे ही नहीं हैं कि ज्ञान पदों का नहीं, पदार्थों का विषय है। जो पदार्थ जानता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। किसी पदार्थ के लिए किसी विशेष भाषा में लिखा हुआ नाम न जानता हो तो वह उसे नया नाम दे सकता, परन्तु कबल पद को जानेवाला पदार्थ को नहीं पहचान सकता।\*

\* 'तालीम का बुनियादी' पुस्तक से उद्धार।



नयी तालीम के एक श्रेष्ठ साधक

**किशोरलाल भार्गव**

गोपाल कृष्ण मल्लिक

बापू के साथ उदित होने वाले स्व० किशोरलाल भार्गव जैसे विमल विभूति से, जिन्होंने अपनी प्रखर विचार शक्ति, अविरत कर्मयोग और निर्मल चारित्रिक गुणों से देश, काल और समाज को प्रभावित किया, सर्वोदय-जगत् के ही नहीं बल्कि विचार-जगत् के सारे लोग परिचित हैं। श्री किशोरलाल भार्गव तत्त्ववेत्ता और समाज सुधारक हैं नहीं, अपितु शिक्षा शास्त्री और शिक्षक भी हुए। युवावस्था में ही गांधीजी से वे प्रभावित हुए और उनके साथ काम करने के लिए चम्पारन ( बिहार ) गये। पर गांधीजी ने उन्हें देखते ही सावरभती आश्रम की राष्ट्रीयशाला के लिए भेज दिया। उन्होंने स्वयं लिखा है कि, ' बापू ने मुझ से आग्रह किया कि मुझ आश्रम पर जाकर राष्ट्रीयशाला में काम करना चाहिए। ' बापू न पहली ही नजर में उनके इस गुण को भाप लिया पकड़ लिया।

किशोरलाल भार्गव आश्रम की शाला में शरीक हो गये, जड़वत् नहीं बल्कि इस काम में उन्हें पूरी दिलचस्पी थी। स्वयं लिखा है ' मैं जब कॉलेज में था, तभी से मेरा दिल प्राथमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट हो गया था। शिक्षण के क्षेत्र में अपने को लगाने की अभिलाषा का पोषण उस समय से ही मेरे मनमें होता रहा है। परन्तु यह कल्पना तो थी ही नहीं कि जीवन का प्रवाह इसी दिशा में मुड़ेगा। गांधीजी के सम्पर्क के कारण पुरानी अभिलाषाएँ जागृत हो गयीं। "

जब वी० ए० में थे तभी इस विषय पर उन्होंने एक निबन्ध लिखा था, जिसमें पाठ्यक्रम की एक योजना भी सुझायी थी। उसमें मातृभाषा के अनिर्विकट हिन्दी, धार्मिक शिक्षण, धौद्योगिक शिक्षण और ग्रामजीवन के सुधार के विषय रख थे। और जब राष्ट्रीयशाला के सिद्दक हुए तो एक न एक नवीन प्रयोग करते रहे। बाल मानस के विदोष अभ्ययन के लिए बच्चों के जीवन में अधिक शारीक हो गए और रस लेने लगे। वे चाहते थे कि बच्चे अत्यन्त विनयी, परिश्रमी और सयमी बनें।

उनके सरल जीवन का असर विद्यार्थियों पर बहुत हुआ। उनकी नियमितता ने तो बच्चा के मन को ही हर लिया। समय, जादू-सा असर जमाने लगा। बच्चों को लेकर वे मीला पंदल चले जाते, रास्ते भर हँसी-हँसी में जान को बाँटते करते हँसी-सुखी लोट आते। यकान से अधिक, जान रस से वे भरे होते। राष्ट्रीयशाला में आते ही जो पहलो चीज उन्होंने की—वह थी शिक्षा के साथ शरीरधर्म और जीवनोपयोगी उद्योगों की अनिवार्य रूप से जोड़ना। तब बुनियादी या नई तालीम का जन्म नहीं हुआ था, पर उसकी बुनियाद इस प्रकार प्रयोगवत् पड़ रही थी। शिक्षा के साथ कला का कँसा सम्बन्ध हो, क्या अनुबन्ध हो, यह भी व अच्छी तरह जानते थे और मानते थे कि शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों की रसवृत्ति को सकारो और विशुद्ध बनाने के लिए है, न कि विलास की ओर प्रवृत्त करने के लिए। वे मानते थे, इस प्रकार शिक्षण देने से ही मनुष्य में दया, सम्भाव, सार्वजनिक सेवा आदि मनोवृत्ति का पोषण हो सकता है। जिस मनुष्य की इन्द्रियाँ अपन विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं और जिसकी रस-वृत्ति सुस्तकृत नहीं है, हीन प्रकार की है, उसमें उच्च मनोवृत्तियों को पोषण नहीं मिलता। यही न्याय कला को भी लागू है, उनको दृष्टि में। जीवन के साथ स्वभाविक रीति से ताने-बाने की भाँति जो कला और कालिय एक रूप हो सकता है, उसे ही वे सच्ची कला और सच्चा कालिय मानते थे।

शिक्षक रस की नदियाँ बहा दें बच्चों को सूख सुख रखें और उनके साथ खुद भी बालक बनकर नाचें कूदें इस सहज कला रस से उन्होंने कभी अपन आपसो अलग नहीं रखा। और मीठी हँसी के सिवा उन्होंने कभी एक भी कठोर शब्द बच्चों के लिए भूल से भी नहीं प्रकट किया। अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता और स्वभाव की मधुरता से वे विद्यार्थियों की श्रद्धा को अपनी ओर इस प्रकार झुकाते थे, कि फिर उनसे जो भी करा लें। उनकी बुद्धि चाहे कितना ही जागृतमान हो पर उनके स्वभाव की मधुरता तो हिमालय के ऊँचे-से ऊँचे शिखर को भी मात कर देती थी। शिक्षक का यही तो सबसे बड़ा गुण है।

[ दोष पृष्ठ ६१ पर ]



## राममूर्ति



बहुत वर्ष पहिले की बात है पढ़ने समय मेरा एक अंग्रेज सहापाठी था। एक दिन हमलोग साथ भ्रम देखने आ रहे थे, और चलते चलते अंग्रेजी और भारतीय जीवन की कई चीजों को लेकर तुलना करते जाते थे। बातचीत की दौरान मैं जार्जफालोज ( उसका नाम ) ने कहा —“तुमलोगो की चलना तक नहीं आता। सिखाया भी नहीं जाता।” मैं दंग रह गया कि चलना भी कोई सीखने-सिखाने की चीज है। लेकिन आज जब देखता हूँ कि हममें से शायद ही दो ऐसे हो जो साथ चलें और कदम मिला कर चलें, या अकेले चलें तो दारो र सीधा हों, कदम नपे हुए पड़े, गर्दन झुकी न हो और आँखें लगभग भी गज सामने देखें। तो जार्ज की बात याद आती है कि सचमुच हमलोगो को चलना नहीं आता और कभी किसी ने सिखाया भी नहीं—न माता-पिता ने, न शिक्षक ने। इसी तरह हम कई क्रियाओं को जैसे मल-मूत्र-त्याग करना, खाना, सोना, प्रजनन आदि को इतना सहज मान लेते हैं कि सोचते ही नहीं कि इसमें क्या सीखना है। क्या हम जानते हैं कि सही ढंग से सास लेना भी सीखने की चीज है ?

बच्चे के जीवन में अगर शुरु से उसकी शिक्षा-दीक्षा पर ध्यान न दिया जाय तो उसका समुचित सांस्कृतिक विकास नहीं होगा। मनुष्य को यह बहुत बड़ी विजय है कि उसने हर क्रिया को सांस्कृतिक रूप दे रखा है। विल्कुल स्थूल शारीरिक क्रियाओं में टट्टी जाने और पेशाब करने का बहुत अधिक महत्व है। बच्चा सही समय पर, सही स्थान पर, सही ढंग से टट्टी करे, इसे गुरु से ही सिखाना चाहिए। सफाई का गुण जन्मजात नहीं होता, सिखाने से ही आता है। कई माता-पिता यह सोच लेते हैं कि बच्चे को सिखाना बहुत मेहनत का काम है। ऐसी बात नहीं है। बच्चे की शिक्षा में इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि तैयारी की परख रखी जाय और जैसी उसकी तैयारी हो उसका ध्यान रखकर

## मल-मूत्र त्याग

( पहले तीन साल )

ठोस प्रोत्साहन दिया जाय। एक आयु और दूसरी आयु में, एक बच्चे और दूसरे बच्चे में बहुत अंतर होता है। शिक्षण में इस अंतर का ध्यान हमेशा रखना चाहिए।

जन्म से पहले साल में बहुत कम बच्चों का ध्यान मल, मूत्र की क्रिया की ओर जाता है। शरीर की आवश्यकता से अनुसार ये क्रियाएँ अपने आप होती रहती हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह उठने पर या दूध आदि पीने के तुरंत बाद टट्टी होती है। ऐसे बच्चों को समय पर सही स्थान पर बिठा देना आसान होता है। लेकिन जो बच्चे दिन में किसी समय और कई बार टट्टी कर देते हैं उनके लिए पहले साल में कुछ करना संभव नहीं होता। दूसरे साल में बच्चे की मानसिक ध्यान में कई अंतर हो जाते हैं जिनका उनके शिक्षण पर गहरा असर होता है। एक खास बात यह होनी है कि बच्चा यह समझने लगता है कि वह अपनी मा को प्यार करता है और अपनी मा को खुश करने में उसे आनंद आता है। इसलिए अगर माँ भी प्यार से काम ले तो बच्चे को ऐसे काम करना अच्छा लगता है जिनसे मा खुश हो। लेकिन इसके साथ और बातें होती हैं।

दूसरे साल के प्रारम्भ में बच्चे का ध्यान मल-मूत्र-त्याग की क्रिया की ओर जाने लगता है। वह कभी-कभी अपनी मर्जी से टट्टी रोक लेता है, या कर देता है। एक बात और है। अपनी टट्टी को देखकर उसके अन्दर यह भावना जगती है कि यह उसकी चीज है जिस पर उसका अधिकार है। कभी-कभी टट्टी करके वह माँ को बुला लाता है मानो यह कहने के लिए—‘देख, कंसी है यह मेरी कृति।’ गन्दगी के प्रति घृणा जैसी चीज उसके अन्दर नहीं होती। वह टट्टी को हाथ में लेकर खेलता है और कोई न रोके तो उठाकर मुँह में भी रख लेता है।

कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा कुछ दिन पहले तप बामदे से, यही जगह पर बैठकर टट्टी करता था वह अचानक आदत बदल देता है और करता क्या है कि अब तक टट्टी की जगह पर धटा रहेगा टट्टी नहीं करेगा बल्कि उठने के बाद कमरे या बरामदे के कोने में जाकर कर देगा। वह ऐसा क्यों करता है ? क्या वह यह सोचता है कि अपनी चीज इस तरह क्या छोड़ दूँ ? या अब वह हर चीज में—टट्टी में भी—अपनी मर्जी बगाना सीख रहा है ? यह सही है कि पहले साठ में जिनकी आदत सही जगह पर बैठकर टट्टी करने की अच्छी तरह पड जाती है व प्रायः “बगावत” नहीं करते। “बगावत” लडकव जमाटा करते है, लडकियाँ कम। कुछ भी हो, माता पिता के लिए यह उचित नहीं है कि इस उम्र के बच्चे की जिद का जवाब जिद से दें। माँ की धैर्य और प्यार से ही काम लेना चाहिए दबाव से नहीं।

दूसरे साल १८ से २४ महीन के बीच बच्च एक नया काम करने लगते हैं। अब उन्हें टट्टी या पेशाब की हाजत महसूस होती है तो वे इशारा करते हैं। वे चाहते हैं कि माँ आये और उनकी मदद करे। अगर माँ बच्चे को टट्टी या पेशाब करने के पहले इशारा कर देने के लिए प्रोत्साहित करती रही है तो मानना चाहिए

[ डा० स्पाँक की 'बबी एण्ड बाइल्ड केयर के आधार पर ]

कि बच्चे न ऐसा करना सीख लिया। लेकिन वह जरूरी नहीं है कि माँ के प्रोत्साहन से ही बच्चे ने ऐसा करना सीखा हो। ऐसा भी होता है कि इस उम्र में टट्टी या पेशाब के कारण कपडे या बिस्तर के धराव होन पर बच्चा धिन और अशुविषा दोनो महसूस करने लगता है। यह आग के शिषण के लिए शुभ लक्षण है।

दूसरे साल के दूसरे हिस्से में बच्चे की अनुकरण क्षमता तेजी से साप प्रकट होती है। वह अपने भाई या बहन को देखकर सीख लेता है कि टट्टी कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है। इस नयी कला के प्रति उसे इतना उत्साह होता है कि कभी-कभी वह थोडो-थोडो देर पर टट्टी के लिए बैठना चाहता है। इससे हर प्रौढ़ को यह सतावनी लेनी चाहिए कि बच्चे के सामन कोई गलत नमूना न जाने पाये क्योंकि न जाने कब वह किस चीज को नकल करने लग जाय।

दो-दो साल की उम्र में बच्चा पूरी क्रिया अपने आप करने लगता है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि माँ से उसे कितना प्रोत्साहन मिलता है और वह आशानी से अपने कपडे खुद उतार और पहन लेता है या नहीं। फिर भी ३ साल तक खेल में व्यस्त रहने पर या क्षीर किसी समय टट्टी करने में उससे असावधानी हो ही जाया करेगी।





१५ अगस्त १९४७ में देश की स्वतन्त्रता मिली। उसके बाद देश के नवनिर्माण का प्रश्न सामने आया। सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा ग्राम विकास-कार्यक्रम आरम्भ हुआ। दो पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हुईं तथा तीसरी प्रारम्भ हुई। गादी तथा अन्य स्वनात्मक कार्यों का भी प्रसार हुआ। समय-समय पर इन कामों का मूल्यांकन होता रहा और १३ वर्षों के अनुभव से ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रगति की निर्दिष्ट दिशा मिल नहीं पा रही है। जन शक्ति कुटिल होती गयी। लोगों में परावर्ण्यता की भावना जमा। जनता ने माना कि हमारे गाँव के निर्माण की जिम्मेदारी हमारी नहीं, वरन् सरकार की या अन्य संस्थाओं की है। गादी सहायताएँ उनके पास पहुँची जो जरूरतमन्द नहीं थी। आवश्यकता यह महसूस हुई कि ग्राम विकास की विभिन्न एजेंसियों का पारस्परिक समन्वय हो, स्वतन्त्र लोकशक्ति का निर्माण हो, तथा जनता की सकल शक्ति एवं प्रेरणा लगे। इसके लिए ग्राम इकाई कार्यक्रम का जन्म हुआ। ग्राम इकाई क्षेत्र में काम करनेवाले ग्राम-सहायकों व प्रशिक्षण के लिए देश के कई प्रदेशों में ग्राम स्वराज्य विद्यालयों की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में ग्राम-स्वराज्य विद्यालय की शुरुआत १५ जुलाई '६१ से श्री गांधी आश्रम, सेरापुरी में हुई।

एक-एक माह के ५ सत्रों में १४३ ग्राम-सहायकों ने प्रारम्भिक अभ्यासक्रम पूरा किया। दो सत्रों में क्रमशः २२ तथा १७ ग्राम-सहायकों ने विद्यालय से १ माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण पूरा कर ९ माह क्षेत्र में काम करने के बाद पुनः ११ माह के लिए विद्यालय में प्रशिक्षण हेतु आये थे। इस १ वर्ष की अवधि में कार्यकर्ताओं के मानस, प्रवृत्तियाँ तथा कार्यकर्ताओं का दृष्टिकोण, क्षेत्रीय कार्य तथा प्रशिक्षण पद्धति आदि की दृष्टि से जो अनुभव आ रहे हैं, उनका उल्लेख निम्न प्रकार है

१ प्रदेश में ग्राम इकाईयों को प्रवर्तित करनेवाली संस्थाओं में श्री गांधी आश्रम, विकास राण्ड, सपन क्षेत्र, गांधी स्मारक निधि तथा स्वतन्त्र संस्थाएँ हैं। इकाई-कार्य की प्रगति विभिन्न संस्थाओं की भिन्न-भिन्न प्रकार की है।

२ ग्राम इकाई कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित कार्यकर्ताओं का प्रवेश-योग्यता के अनुसार प्रा. कार्यकर्ता नहीं आ पाते हैं। गांधी आश्रम, गांधी स्मारक निधि तथा सपन क्षेत्रों के कुछ कार्यकर्ता ५-७ वर्षों से इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। विनास-राडों से आनेवाले कार्यकर्ता इस क्षेत्र में गिरे दिल्हल नये रहते हैं। अधिकांश कार्यकर्ताओं में गाँव की समस्याएँ, वर्ग-शोषण, जातिगत दमन, ग्रामीणों के आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक बर्तानु समग्र दृष्टि से ग्रामीण जीवन के समस्त ताने-बाने को समझने की आवश्यकता, औद्योगिक क्षमता का अभाव तो दीगता है, किन्तु इस नये कार्यक्रम के सन्ध में श्रमण, स्वाध्याय, चिंतन मनन, परस्पर विचार विमर्श आदि के फलस्वरूप उनमें उत्साह एवं निष्ठा जगती है, किन्तु पिन कार्यकर्ताओं के समुचित भरण-पोषण, आवश्यक स्वतन्त्रता, स्पष्ट मार्ग दर्शन एवं अपेक्षित धारण समय-समय पर मुल्म नहीं हो पाते वे मुस्त पड़ रहे हैं। अधिकांश कार्यकर्ताओं के साथ ये कठिनाइयाँ हैं। संस्थाओं के उन्हीं पुराने कार्यकर्ताओं को ग्राम सहायक के रूप में लिया जाय, जो स्वेच्छा से आने को तैयार हों। कई संस्थाओं ने परिपत्र द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को चुनान में भेज दिया, यह नहीं देखा गया कि उनकी दिलचस्पी इस काम में है या नहीं और व स्वतः आने को तैयार हैं या नहीं।

३ चेतन का प्रयत्न कार्यकर्ता के चिंतन का निपय बना रहता है। यदि स्वेच्छा से कार्यकर्ताओं के मन में चेतन काम करने की प्रेरणा जगे तो ठीक है,

अन्यथा आन की महंगाई को देखते हुए उन्हें इता वेतन तो मित्रना चाहिये, जिसे वे अपने परिवार व भरण-पोषण की जिता से मुक्त शानर कार्य में लग सके, क्योंकि आमतौर पर कार्यकर्ता अपने भरण-पोषण तथा कुछ समाज-सेवा की दृष्टि से जाते हैं।

४ मिलकुठ नये आनेनाउ कार्यकर्ताओं को रच नामक क्षेत्र का अनुभर तो नहीं रहता, किंतु उनमें उत्साह अधिक दीरता है।

५ इकाई कार्यक्रम में यह स्पष्ट है कि जनता व अभिक्रम तथा नेतृत्व की ही प्रधानता है। किंतु प्राय इकाई निश्चित करत समय तथा किसी कारणवश उसे समाप्त करत समय क्षेत्र क चेतन लागी की सम्मति और समाधान का प्रयत्न नहीं किया जाता। इसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए उनके मन में सद्भावना नहीं रह जायगी। साथ ही इकाई समाप्त करते समय ग्राम-सहायक व सहायक सगठन की भी सम्मति एवं समाधान का ध्यान रखा जाना चाहिए।

६ प्रदेश के र्वादी ग्रामोद्योग मडल को कार्यान्वय शक्ति न रहने के कारण वेतन तथा अन्य सद्भूमिते प्राप्त करने में कठिनाई होती है। प्राय देखा जा रहा है कि त्रियालय में हुई चर्चा के अनुसार क्षेत्रीय कार्य पूर्णरूपेण नहीं जम पा रहा है। प्रवर्ती सस्थाओं में इस कार्यक्रम के प्रति अधिक विश्वास एवं सक्रियता का आवश्यकता है। श्री गांधी आश्रम के अधिकाश इनाई क्षेत्रों में त्रियालय से जाने के बाद ग्राम सहायक उसा प्रकार व्यापारिक तथा स्वावलम्बी र्वादी कार्य में लग जाता है, त्रिस प्रकार त्रियालय में आने के पूर्व लगा था। फलस्वरूप क्षेत्र की जनता में उसका संपर्क नहीं जम पाता है। कन्द्र में घाटा होने पर बतन काट लेन की बात भी उनसे कही जाती है। इस सनका पारणाम यह हाता है कि इकाई कार्यक्रम के प्रात उनका उत्साह पीका पड़ने लगता है। गांधी आश्रम के पश्चिमी त्रिजे के अधिकाश इकाई क्षेत्रों में पालवाड़ी, सहायकता आदि का कार्य भी चल रहा है।

प्रवर्ती सस्थाओं के उस मत्री या व्यवस्थापक को ग्राम इकाई-कार्यक्रम की स्पष्टता तथा उसमें विश्वास होना आवश्यक है, त्रिनकी प्रत्यक्ष देख रेग में ग्राम सहायक काम कर रहा हा।

त्रिन प्रवर्ती सस्थाओं की आर से ग्राम-सहायक का थाहा रतन्त्रता मिली है, उन्हां क्षेत्र का जनता में संपर्क, धनका जल्पयन तथा धन का जनता का उन्हीं समस्याओं का भान करान का दिशा में प्रयत्न किया है। साथ ही स्थानाय परिस्थिति व अनुसार कुछ उचाग धन्य भा प्रारभ हुए हैं।

७ कार्यक्रम के अनुसार त्रिभिन्न सरकारा, गैर सरकारा एगैन्सियों का समन्वय भी अभी नहीं जम सका है।

८ क्षेत्र में हम त्रिस उत्साह तथा वादे व साथ काम आरभ करते हैं, बाद में न तो वह उत्साह ही क्षेत्र रह जाता है, न तो उन वादों का पूर्ति ही हो पाता है। प्राय ऐसे वादे उद्घाटन, निरीक्षण आदि अस्तर पर किये जात हैं। इसका अस्तर जन-मानस पर अनुकूल नहीं पड़ता।

प्राय एसा होता है कि डाइरेक्टर, इन्स्पक्टर, आडीटर, व्यवस्थापक, सचालक उसा क्षेत्र में कुछ काम हुआ मानते हैं, त्रिस क्षेत्र में कुछ सहायक समितियाँ खुग गयी हों कुछ चरदे चल रहे हों, सहायक दूकान खुग गयी हों कम्पोस्ट के गन्दे बन गय हों आदि। व सारे काम गाँव में जागोइन (टेम्पो) पैदा कर ग्रामाणों को सन्नरग दिखानर जल्प जग्धि में हा सरलता पृबक त्रिय जा सकते हैं, किन्तु ठास वैचारिक आधार तथा परिवर्तित जनमानस क अभाव में उपयुक्त सारे काम एक निश्चित सीमा पर पहुँचकर हासोन्मुख हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि लोक शिक्षण के माध्यम से जन अभिक्रम प्राप्त कर जनता द्वारा हा कार्य आरम्भ किये जायें, तो उसके लिए हम पैर्ससहित प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि जन-सम्पर्क, लोक शिक्षण, लोक शक्ति तथा लोक-चेतना न तो अल्पावधि में जाग्रत की जा सकती है और न कागज पर आँकने योग्य कोई परिणाम ही आ सकता है। लोक शिक्षण

का मूल्यांकन प्रारम्भ में आँकड़ों से किया जाना समभव नहीं दीखता। हमने सिद्धांत में माना है कि कार्यकर्ता कार्यक्रम का उड़ल लेकर गाँव में न जायें किन्तु मन में थोड़े समय में ही अधिकाधिक प्रवृत्तियाँ देखने की आकांक्षा रहती है, चाहे वह कार्यकर्ता क प्रयास से ही क्यों न हो। इस प्रकार गाँव का जिम्मेदारी, गाँव का नेतृत्व, गाँव की प्रणाली तथा गाँव क पुरोधार्य की संभावना अधिक नहीं रह जाती और सारी प्रवृत्तियाँ कार्यकर्ता केन्द्रित हो जाती हैं।

९ गाँव का जन-मानस इस प्रकार का बन गया है कि व गाँव में जाने पर गाँव व लोग आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में अधिक पूछते हैं। स्वयंसेवक व सामूहिक पुरोधार्य की बात अच्छा तो लगता है, किन्तु व उस दिशा में बढ़ने की तैयारी नहीं कर पाते। वे विभिन्न विकास एजेंसियों क कार्यकर्ताओं द्वारा गम्या-चौड़ी गते मुनने-मुनते ऊन चुक हैं और गाँव में जानेवाले कार्यकर्ता को उपेक्षा तथा शका की दृष्टि से देखते हैं। जनता का विश्वास प्राप्त करना कठिन हो रहा है।

सामान्य जनता भा अपना विकास तो चाहता है, किन्तु पिछले अनुभवों के आधार पर उस विश्वास नहीं हो पाता कि उसके कल्याण क लिए भा सचमुच कुछ हो सकता है। वह तो वह समस बैठा है कि ये सारी

योजनाएँ गाँव के उच्च वर्ग को लाभ पहुँचाने के लिए ही हैं।

जुनाव एव विकास के नाम पर ग्रामीणों क पारस्परिक सम्बन्ध स्वर्द्धामूलक बन रहे हैं, आपस के तनाव भी बढ़ते जा रहे हैं।

गाँव में उपादन के वातावरण का सर्वथा अभाव है। अधिकांश लोग खेती में धंधा मानकर नहीं, विवशता के कारण गगे हुए हैं। उद्योग धंधे भी उपलब्ध दशा में ही हैं।

१० गाँव की उपर्युक्त परिस्थिति का भान रखते हुए हमारे कार्य का संयोजन अत्यधिक स्पष्टता एव गहराई के साथ होना चाहिए। ग्राम इकाई कार्यक्रम के वास्तविक स्वरूप का चितना दर्शन अत तक हो पाया है, उसके कार्यान्वय के लिए सभी प्रकार से अनसर प्रदान किया जाना चाहिए।

यहाँ तक टो सक, विद्यालय को क्षेत्रीय स्वरूप दिया जाय। क्षेत्र में ही विद्यालय चले, यह आवश्यक है। शिक्षकों को कुछ वषा का गाँव का अनुभव होना चाहिए।

उपयुक्त अनुभवों के अनुसार प्रतिद्वलताओं के निवारण का प्रयत्न तथा अनुद्वलताओं की मुम्भता का ध्यान रखने से कार्यक्रम में प्रगति होगी, एसी आशा है।



[ 'हमारी गिना पृष्ठ ४० का सेपाग ]

तरह समझा या। इसलिए लोगों ने सहज प्रेरणा से उन्हें महामा रुधा, राष्ट्रपिता कहा। प्राचीन भारत में जनता के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को नाने वाले और प्रगति के नियमों को लागू करनेवाले ऋषि और महात्मा ही थे।

गांधीजी ने एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा-योजना की नींव डाली है, जो हमारी आकांक्षाओं, आवश्यकताओं

और प्रतिभा क अनुकूल है। हमारा कर्तव्य है कि उसे उदायें और पूणता दें, ताकि समूचे शिक्षा-क्षेत्र को वह व्याप्त कर सके। इस प्रक्रिया में 'नोड-बटव' भी करना पड़ेगा। लेकिन यह धारा काम समाज और व्यक्ति के प्रति गांधाना का जो समग्र दशन था, उस भावना पर आधारित रहकर करना होगा। क्या हममें वैसा करने का कल्पना, शिम्मत और इच्छा है ?



जिस देश में स्वयं राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति शिक्षक रह चुके हों उसमें शिक्षक दिवस न मनाया जाय, यही आश्चर्य की बात होनी। ५ सितम्बर को एक एक शिक्षक ने गर्व का अनुभव किया होगा कि उनकी विद्यादरी के दो पुराने सदस्यों को राष्ट्र ने ऊँचा-से ऊँचा सम्मान दिया है। अब बारी है कि हर गाँव और शहर का हर मुहल्ला अपने प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को सम्मान देना सीखे। शिक्षक के सम्मान से जनता का, नये मूल्यों के सदर्भ में, नया शिक्षण होगा।

इतना मानते हुए भी मन में कई प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर नये हिन्दुस्तान में अभी तक नहीं मिल रहा है। क्या कारण है कि ऐसी स्थिति पैदा हुई कि सरकार को जनता से कहना पड़ा कि वह अपने शिक्षकों का सम्मान करे? क्या जनता के साथ साथ सरकार भी अब अपने शिक्षकों को दूसरी दृष्टि से देखना शुरू कर देगी? आखिर शिक्षक न अपना पुराना सम्मान खोया ही क्यों? मान लीजिये कि ५ सितम्बर को कुछ औपचारिक सम्मान मिल भी गया तो वह स्थायी कैसे होगा और उसे स्थायी बनने के लिए अनुकूल समाजिक परिस्थिति का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि अनुकूल परिस्थिति के बिना किसी गुण का विकास कभी होता नहीं।

शिक्षा और शिक्षक को लेकर आज अपने देश में परिस्थिति क्या है? हम जरा गहराई से देखें तो तीन बातें स्पष्ट दिखाई देंगी। सबसे पहली बात यह है कि आज अपने देश में शिक्षा चाहता कौन है। हरेक नौकरी चाहता है और शिक्षा को नौकरी का पासपोर्ट मानकर उममें पैसा लगाता है। दूसरी बात यह है कि समाज की शारी सगठित शक्ति शासक और सैनिक के हाथ में केन्द्रित है। शासक सिरमौर हैं—समाजवाद और लोककल्याण के नाम में, और सैनिक सिरमौर हैं शान्ति और सुरक्षा के नाम में। ये दोनों मिलकर जिस तरह चाहें सेवक और शिक्षक का इस्तेमाल कर लेंगे हैं। इनके बाद

दूसरी बात यह है कि स्वयं सरकार के शिक्षा विभाग में शिक्षक की तरफकी या यह सिलसिला है कि वह शिक्षक को पवित्र से अलग करके 'शासकों की लाइन में बैठा दिया जाय सब डिप्टी इस्पेक्टर से लेकर डायरेक्टर तक सब आदेश देनेवाले 'अधिकारी' हैं, प्रत्यक्ष शिक्षण-कार्य करनेवाले कोई नहीं। शिक्षण का काम करते-करते पद और प्रतिष्ठा किसको मिलती है? जो शिक्षण छोड़कर प्रशासन में आया, राजनीति में आया, प्रतिष्ठा उसको मिली। हमारे देश में बढा-से-बढा वैज्ञानिक, साहित्यिक, वेद-शास्त्र का ज्ञाता, पंडित, दार्शनिक, कलाकार या समाजशास्त्री—सब पारलिमामेंट के सदस्य होना चाहते हैं। सत्ता के सहारे खड़ा होने पर सम्पत्ति भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है। ऐसी स्थिति में कोई आश्चर्य है कि अपने देश में गैर-सरकारी जीवन जैसे रहा ही नहीं। जो कुछ है सरकार है, जनता कहाँ है, देश कहाँ है? जिधर देखिये सत्ता और सम्पत्ति की माया है।

वह सम्मान कब तक टिकेगा जो दूसरे के द्वारा दिया जायगा? आदमी सम्मान का पात्र होता है। जब सम्मान प्रदान करने की इतनी विधियाँ सोची जा रही हैं तो यह भी सोचना चाहिए कि शिक्षक की पात्रता कैसे बढे। उसकी पात्रता कैसे बढेगी? गिनक नौकर है प्राइमरी और विरवविद्यालय के शिक्षक म जमीन आसमान का अंतर है वह शिक्षा के नाम में ऐसे माल का व्यापार करता है जिसको कोई खुशी से लेना नहीं चाहता, लेकिन हरक को मजबूर होकर महंगा—अत्यंत महंगा—मूल्य बुकाना पड़ता है। अनर्थकारी विद्या के सौदागर का सम्मान बोन करेगा, और कबतक? शिक्षक शिक्षक हुआ ही इस लिए कि उसे सत्ता और सम्पत्ति के दरबार में जगह नहीं मिली। जो एक बार दृज्जत की बाजी हार चुका उसे दुबारा बुलाकर बाहे जितनी इज्जत दीजिए होगी वह मालिक की धरत।

शिक्षक की प्रतिष्ठा का सबध समाज की रचना से है, उसके मूल्यों से है। और प्रश्न भी अकेले शिक्षक की प्रतिष्ठा का नहीं है। स्रोत और कारखाना में काम करने वाला मजदूर, रेल का फायरमैन और ड्राइवर, पुलिस का सिपाही और नदी किनारे का मछुवाहा, इन सबको प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अखिर, प्रतिष्ठा का मापदंड क्या है? सारा समाज जिस शोपनाग यानी मजदूर पर टिका हुआ है उसकी प्रतिष्ठा पहले होनी चाहिए। जो शिक्षक इस मूल्य को नहीं मानता वह अपनी असलियत को भूल रहा है। उसे जानना चाहिए कि कल की दुनिया में कुछ मोट रटाकर बिसी तरह इम्तहान पास करा देनेवाली शिक्षा के लिए स्थान नहीं-है, उसमें उस शिक्षक के लिए

स्थान होगा जो किताब के साथ कुदाल का मेज बिठ सकेगा। शिक्षक का सही स्थान उत्पादक के साथ है, सैनिक, शासक, और उपदेशक के साथ नहीं। उसका भविष्य शोपण मुक्ति और शोसन-मुक्ति से जुड़ा हुआ है। जब तक शिक्षक सरकार के एक विभाग का नौकर है, और उसकी शिक्षा दूसरो को नौकरी दिलानेवाली लाइसेंस मात्र है, तब तक उसके सम्मान में कोई दम नही। शासन-मुक्ति के सारे आन्दोलन में शिक्षा की मुक्ति सबसे पहले जरूरी है। मुक्त शिक्षा का ही शिक्षक सच्चे सामाजिक सम्मान और कृजता का अधिकारी हो सकता है।

★

[ पृष्ठ ५४ का शोपास ]

राष्ट्रीयशाला के विद्यार्थियों पर उनके एक दूसरे गुण की जो बहुत बड़ी छाप पडी थी वह है—उनका स्वाश्रमी स्वभाव और दूसरे का सहारा न लेने की वृत्ति। राष्ट्रीयशाला के एक विद्यार्थी ने विद्योरलाल भाई के विषय में उस काल का सस्मरण लिखा है “सबेरे चार बजे उठने की घंटी लगती, उस समय कोई अपना बिस्तर समेटता, तो कोई अँगुशई लेकर घाल्म्य की भगता। परन्तु उस समय विद्योरलाल भाई अपने घर की सफाई में लगे होते। डेढ-दो घण्टे वे अपने घर का ( शरीर-धम का ) काम करते। जो काम पहिणी का माना जाता है, उसे भी वे आधा या अपिक भी कर डालते। इस बीच उनके मुँह से सुन्दर भजनो का प्रवाह अष्पाहत गति से, स्वर के विषी उतार-चढाव के बिना चलता रहता। कुएँ से पानी लाने में, नदी से बाल्टी भर कर धुले हुए कपडे लाने में अपना भोजन पकाते बकन लकडी की जम्रत पडे, तो उमे लाने में, वे किसी विद्यार्थी या अन्य व्यक्ति को मदद न लेते। कोई मदद करना चाहता भी, तो मीठी हँसी हँसकर कह देने कि मदद की जरूरत नहीं है। पिछ्ते वर्षों में जब वे बीमार हो गए, तब भी ।”

इन कामों के अलावा शाला के अन्मास-क्रम में कठिन शरीरधम के काम में, अपनी इजाजता के बावजूद भी वे किसी से पीछे नहीं रहने। शाला के मकानों की जुलाई का काम चल रहा था। शिक्षण और विद्यार्थी मिलकर ईंटें पट्टवाने, छप्पर पर लपडे चढ़ाने और दानू

की टोकरियाँ भरकर लाने आदि का काम करते। विद्योरलाल भाई भी सबके साथ ये कठिन शरीर-धम करते। अत्यधिक थम भार से वे हाँफने लगते, फिर भी कतार छोडकर अलग नहीं होते। उन्ही दिनों बडा सूखा पडा। शाला में तब कुएँ तैयार नही हुए थे। जमीन कडी थी, और गैती जमीन में एक-दो इञ्च से अधिक गहरी नहीं आ पाती थी। ऐसी कडी जमीन में खाई खोदकर सडक के दोना तरफ आयम की हड पर कंटे की बाड ( झाड ) लगाने का काम शुरू हुआ। सूता के कारण जमीन बिल्कुल कडी पडी थी। झाड फाटकर लाने का काम विद्यार्थी कर रहे थे और शिक्षक खाई खोद रहे थे। विद्योरलाल भाई दो-दो घण्टे गैती लेकर खाई खोदने के काम में बराबर लगे रहते। उनकी शारीरिक कमजोरी पर रहम पाकर कोई उनसे गैती लेना चाहते, पर खाई खोदने का काम वे अन्त तक करते ही रहते। जमाना गुजर गया। वे भी गुजर गये, पर सावरमनी की राष्ट्रीयशाला में उन दिनों के लगाये वे झाड लहलहाते हुए, आदर्श शिक्षक-जीवन की मयुर-रन्मृति का गान अब भी गा रहे हैं।

विद्योरलाल भाई एक आदर्श और कुशल शिक्षक ही नही थे, अपितु एक शिक्षा-विशेषज्ञ, तत्व शास्त्री और प्रगाढ विद्वान थे। शिक्षा-विषयक, तथा शिक्षा शास्त्र पर उन्होंने बहुत तरह से अनुसंधान किया, संकडों लेख और दर्जना पुस्तकें लिखीं। ‘शिक्षा की बुनियाद’ ( केल्ट-पोना पाया ) उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ●

निकटता से जाननेवाले मित्र मुझे भातुक कहते हैं। वैसे मैं अपने को कौरा भातुक नहीं मानता हूँ। फिर भी अपने बच्चों के भविष्य-जीवन के बारे में मरा अपनी कुछ आशाएँ और कल्पनाएँ जरूर हूँ। मेरी तान लड़कियाँ हैं। अभी छोटा हा है। उड़ी का नाम अचला है, दूसरा उपा है और तीसरी ममता है। वे नाम रूतन में मरा अपना एक विचार था। अचला नाम स्थूल प्रकृति का प्रताक है, उपा सूक्ष्म प्रकृति का और ममता अतर्कगत का प्रताक। तीनों नामों क प्रथमाक्षर एक साथ जोड़ दूँ, तो 'ओ' बन जाता है। आप इसे मेरी भातुकता ही भले कह लें, पर नाम क अलावा भा बच्चों के शिक्षण के साथ भी मेरी कुछ कल्पना है। अचला को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, उपा को कला-क्षेत्र में और ममता को दार्शनिक क्षेत्र में विकसित करूँ, यह मेरी कल्पना आरम्भ से ही रही है। इतने में नया एक और सदस्य आ गया। बच्चा है। अर दस महीने का हो गया है। उसक भविष्य के बारे में अभी क्या कल्पना की जा सकती है? फिर भा मिनो कल्पना क्रिय मन मानता भी तो नहीं। वह दस महीन का हो गया, फिर भी एकदम भोला है। कुछ भी समझता बूझता नहीं। कौरा का कौरा है। एक माँ को छोड़ और किसीको पहचानता तक नहीं। यह वरकन मन ने कहा कि यह जे० वृष्णमूर्ति बनेगा। सत्कार क प्रति तटस्थ रहेगा। सांसारिक वस्तुओं को उनको नाम रूप आदि उपाधिमुक्त अवस्था में देखने-समझने की इस जल्दी नहीं है।

अपने बच्चों क साथ रोज़ान समय, बात करते समय और पढ़ात समय भा उनके साथ मेरा रुत इसी प्रकार सा रहता है। भते मरा रुत उहुत स्पष्ट न हो, फिर भी मेरी इच्छा ऐसा रहती है कि अचला के साथ प्रत्यक्ष घटना या पदार्थ की भौतक छानपान करूँ, उपा के साथ उस घटना या पदार्थ क सार्दर्य और माधुर्य की बच्चा करूँ और ममता के साथ रिगानी

वृत्ति स पश आऊँ। सहा दार्शनिक को सत्कार में रिलगना वृत्ति से जाना चाहिए, ऐसा मेरी कल्पना है।

बच्चियाँ ज्यों-ज्यों बड़ी होती जा रही हैं, सयोग ही समझिये, तीनों बच्चियों क स्वभाव में परस्पर भिन्नता हा नहीं है, बल्कि मेरी कल्पना के अनुरूप हा उनका स्वभाव दिख रहा है। बड़ी को तोड़ पीड़ का काम पसंद है, दूसरी को नाचना गाना और पढ़ना पसंद है और तसरी को खेचना-बूदना पसंद है। इन स्वभाव भवों और स्वभाव विशेषों के कारण मझे बड़ा उत्साह मित्रता है कि मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। केरिन जे० वृष्णमूर्ति बीच बीच में मेरे मन में सगली मचा देता है। सोचता हूँ कि इन बच्चों को मैं अनुक रूप देना चाहता हूँ, इनमें अमुक क्वचि पैदा करना चाहता हूँ और सत्कार को देखने की मेरी अपनी दृष्टि थोपना चाहता हूँ, यह सरासर गलत है। इनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। ग्राह्य और त्याग्य क, भते और बुरे का निश्चय करने की इनकी स्वतंत्र कसौटी और दृष्टि हो सकता है। मुझे इनकी वह दृष्टि और क्वचि निगाइना नहीं चाहिए।

गहन में अपने सत्कारों से इतना ककड़ा हुआ हूँ कि जानत-समझते हुए भी अपने को समेट नहीं पाता हूँ। बड़ि जाँ बात समझाती है वह गले नहीं उतरती है। ऐरिना एक बात से सतौप भा कर जैता हूँ कि 'इके को पूर्णतया स्वतंत्र कर दूँगा उस पर कोई चीन लादूंगा नहीं। यह जैसा बने वैसा बने। उसके गारे म अपनी कोई इच्छा या आकाशा नहीं रदूँगा।

तन आती है व-चे की माँ। उनकी दृष्टि से मेरी यह उपेक्षा बच्चे के प्रति घोर अपराध है। भगवान् ने एक लड़का दिया तो क्या यों उपेक्षा करने और आकारा बनने देने क लिए दिया? नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूँगी। अर गुरु होती हैं उनका इच्छाएँ और आकाशाएँ। शायद मेरे रुत की प्रतिक्रिया ही समझिये वे उस बच्चे क भविष्य के बारे में ही



नहीं, बल्कि इस अननान अस्थायी में भी उसको पोशाक, उसके बिस्तार, उसके पिपलौने और उसके उठने-बैठने तक के बारे में अपनी कल्पनाएँ स्थिर करने लगी हैं और उन कल्पनाओं को साकार करने के सपने देखने लगी हैं।

लेकिन एक रात में हम दोनों एन्नाय हैं। वह है सभी उच्चों को संस्कृत तो जरूर ही पढ़ानी चाहिए। परंपरा से हमारा खानदान संस्कृत-सेवी रहा है। संस्कृत का शान हमारे लिये श्रद्धा और आदर का विषय है। अपनी आगे की पीढ़ी को उससे वंचित कैसे रतों ?

बड़ी लड़कियों को स्कूल में मर्ती किया है। उदाहरणों तीसरी में और दूसरी लड़की दूसरी कक्षा में दाखिल हुई है। यहाँ घर के पास ही एक बेसिक कन्या शाला है। मैं जानता हूँ कि इन बेसिक शालाओं की क्या स्थिति है, फिर भी बेसिक शब्द से एक प्रकार का मोह सा हो गया है।

शाला के प्रारंभ हुए सप्ताहभर बीता होगा। बेसिक रोडर से लेकर कई कामियाँ, पेन्सिलें, दवातों आदि की खरीद हुई। मन में चिन्ता रहती थी कि स्कूल में जाकर गच्चियाँ ठीक पढ़ना सिखना सीरों, उच्चारण, ह्रस्व दार्ध आदि मात्राओं की पहचान में कोई गच्छी न करे। उच्चियों की माँ ने एक दिन कहा "मैं चारु मास्टरनी से मिलकर आऊँ और इन उच्चों की जोर खास ध्यान देने के लिए उससे प्रार्थना कर आऊँ"। मैंने कहा 'चरु जाइये।' ता गयी। दूसरी कक्षा की मास्टरनी व पास जानर उपा व बारे में पूछताछ की, तो उन वदना ने उपा को नीचे से लेकर ऊपर तक दो-तान राग अच्छी तरह देखने व राद पूछा "क्या यह लड़की यहाँ पढ़ने आती है ? उपा की माँ व मन को बड़ा चक्का लगा। १०-१२ दिन से अधिक समय हो गया, पर अभी तक उस वदनी को यह पता भी नहीं कि यह लड़का इसी कक्षा में जाकर बैठता है। हाथिया-पिस्टर देया गया, तो उसमें

उपा का नाम भी नहीं था। मर्ती करते समय ही फीस दे दी है, फिर भी नाम क्यों नहीं ? बड़ी मुश्किल से अंत में वदनी ने कहा "आप चार आना दे जाइये, कल रजिस्टर में नाम लिखा दे गे।" फिर हमारी तसल्ली के लिए हेडमास्टरनीजी के पास जाकर उपा का प्रवेश नगर ले आयाँ और एक पुर्ने पर नाम और नगर लिख दिया। मने की रात यह कि पुर्ने में उपा के लिए 'ऊसा' लिखा। उपा की माँ को सुझ नहीं रहा था कि क्या कहे, क्या न कहे। इस वदनी से वह सिसारिच करने गयी थी कि बच्चों की गिनाई की शुद्धता का क्या रतों। तीसरी कक्षा में भी करीब-करीब इसी प्रकार का अनुभव उनको आया। उन मास्टरनियों से अधिक सतर्कता करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। जायात सहने की उनकी सीमा सतम हो गया थी। मायूस चेहरा लेकर घर लौट आयाँ।

चार-पाँच रोच गीते कि एक दिन अचला स्कूल से गीच समय में घर चली आयाँ और कहने लगी कि अग्नेजी की कितान चाहिए। उस दिन तो मेरा भी जी टुपने लगा। नर्दी-सी उच्छी है। एक हिंदी का रोझ ही, मुझे लगता था, उसके लिए काशी से ज्यादा है और इसीलिए अभी संस्कृत तक का आरंभ मैंने नहीं किया। अर क्या अग्नेजी भी इमे पढ़नी ही पड़ेगी ? निर पर वे लोग एक हिंदी का ही सत्तानाथ करके भेजत, तो मैं जैसे-तैसे समय निकारकर मुधार लेता, अर वे हिंदी के साथ-साथ वेचारी अग्नेजी का भी खून करके ही छोडे में दीगता है। मुझे अपनी उच्छी और माया दोनों दृष्टियों से बहुत दुःख हो रहा था, क्योंकि इन म्त्रों और इन मास्टरनियों के हाथ पड़ कर दोनों भ्रष्ट हो जानेवाली हैं। एक बार बचपन में म्त्र आदत पड़ जात तो आगे मुधारता बड़ा कठिन हाता है। फिर भी स्कूल में भेजना तो पड़ेगा ही। वदना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और सारे सपने अधूरे ही रह जायेंगे।

## प्राप्त पुस्तकें

### १ धुनियादी शिक्षा में अनुबन्ध की कला

लेखक अमरसिंह सोलंकी, अनुवादक-रामनाथन चौधरी, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ २४०, मूल्य २-१०।

इस पुस्तक में अनुबन्ध पर गांधीजी के विचारों को स्पष्ट करने की तथा अनुबन्ध की प्रक्रिया, माध्यम और प्रकारों पर भी उनका विचारों का स्पष्टीकरण करने की कोशिश की गयी है। अनुबन्ध की कला के मनो वैज्ञानिक और दिग्भा-सम्बन्धी औचित्य की चर्चा इस दृष्टि से की गयी है कि शिक्षण कला के रूप में उसका ठाढ़ महत्त्व समझा जाय। अनुबन्ध की कला के प्रणाली सम्बन्धी पहलुओं के स्पष्टीकरण की खातिर अनुबन्ध मूलक शिक्षण के विविध सोपानों और पाठ्यक्रम, समय पत्रक और मूल्यांकन कार्य का धार में भी कुछ सुझाव और सकेत दिये गये हैं।

### २ ग्राम-संस्कृति का अगला चरण

लेखक शंकरभाई पटेल, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ १३७, मूल्य १-८०।

किसान का, उसके गाँवों का और इन दोनों के आसपास निरूचित जीवन का भविष्य क्या होगा ? और क्या होना चाहिए, इस विषय पर लेखक ने वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है।

### ३ वा और बापू

संपादक मुकुलभाई कर्णार्थ, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ १७६, मूल्य १-५०।

यह पुस्तक बापू और वा के जीवन का असाव धानी से छूट सकनेवाला परन्तु एक अन्यन्त महत्त्वपूर्ण पत्रिका पक्ष पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है।

### विनोबा जीवन के ६६ वे वर्ष में

उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान में जागतिक विज्ञान न प्रगति के पथ पर लम्बे छलाँ में भरी है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहुँच कर वह अतिरिक्त युग में दाखिल हो गया है।

युग युग से अतिरिक्त विहारी आध्यात्म-ज्ञान अद्वारहवीं शताब्दी में सामान्य मानव की मनोभूमि पर अवतरित हुआ। काल पुरुष युग-पुरुष और विद्व पुरुष की भाव भूमि को स्पष्ट करता हुआ वह आध्यात्मज्ञान अब आत्मज्ञान में रूपांतरित हुआ है।

आज विनोबा जी आत्मज्ञान को लोक युग तक पहुँचाने में भगीरथ प्रयत्न में लग्न हैं। 'जय जगत' उनका साध्य ग्रामदान वाका साधन और लोक चेतना उनकी प्रणाली है।

विनोबाजी के जीवन के अडसठवें वर्ष में प्रवृत्त करने के उपलक्ष्य में हमारी अन्तर्मन से कामना है कि 'जय जगत' के पक्षक यह अत्यंत पथिक जीवन के अतिम क्षण तक अपने प्रिय और धर्म के पथ पर अग्रसर होता रहे।

### ४ मेरे जेल के अनुभव

लेखक गांधीजी, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ ९१, मूल्य ०-७५।

इस पुस्तक में दक्षिण अफ्रीका की जेल यात्रा का अनुभव है।

### ५ गांधीजी : एक झलक

लेखक श्रीपाद जोशी, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ ७१, मूल्य १-२५।

इस पुस्तक में लेखक के गांधीजी-सम्बन्धी सस्मरण तथा कुछ पत्र हैं, जो सन् १९४२ का आन्दोलन से सम्बद्ध हैं।

### ६ बापू की ये बातें

लेखक मनुमहन, अनुवादक काशिनाथ त्रिवेदी, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ ५५, मूल्य ०-७५।

यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। छोटी-छोटी बातों का कितना महत्त्व होता है, इसके कई उदाहरण गांधीजी के मित्रों से।

### ७ अण्डर दि शैल्टर ऑफ बापू

लेखक रत्नचत सिंह, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ २२७, मूल्य ३-५०।

यह कितान बापू की छाया में का हिन्दी से अंग्रेजी में रूपांतर है।

### ८ सामाजिक विश्लेषण

लेखक रामप्रबन्ध शास्त्रा, प्रकाशक साहित्य सभा, सोहान (जलिया), पृष्ठ १२०, मूल्य १-५०।

सामाजिक सुधार की दृष्टि में आज की समस्याओं का सुदूर विश्लेषण।

# नयी तालीम साहित्य

१-बच्चों की कला और शिक्षा	८-००	२६-कतारें शास्त्र	२-००
२-शिक्षण विचार	२-५०	२७-परेलू कतारों की ग्राम यात्रे	१-२५
३-हमारा राष्ट्रीय शिक्षण ( मजिस्ट्रट ३-०० )	२-५०	२८-परेलू कतारों की ग्राम गिनतियाँ	०-७५
४-शिक्षा में आडिसक क्रान्ति	१-००	२९-कतारें गणित भाग-१	१-००
५-बुनियादी शिक्षा • क्या और कैसे ?	१-००	३०-कतारें गणित भाग-२, ३, ४	प्रत्येक ०-७५
६-पूर्व बुनियादी	०-५०	३१-तात नाना	०-६०
७-बुनियादी शिक्षा पद्धति	०-६०	३२-तातुआ	०-७५
८-नया तालीम	०-५०	३३-मगनवीर	०-५०
९-सपाई : विज्ञान और कला	१-००	३४-खडा चरणा	०-७५
१०-सुन्दरपुर की पाठशाला	०-७५	35-The Latest fad-Basic	Education 1-00
११-ग्रामशाला ग्रामशान	१-००	36-The Community of the future	2-50
१२-हिन्दुस्तानी तालीमी सष दस साल का काम	२-००	37-Village Health "	(Bound 3-50
१३-चारिक हुसेन समिति की रिपोर्ट	१-५०	38-Foundation of living	2-00
१४-आठ साल का सम्पूर्ण शिक्षा क्रम	१-५०	39-Basic National Education	0-37
१५-पूर्व बुनियादी शिक्षकों का पाठ्य-क्रम	०-६०	Syllabus	1-50
१६-ग्रीद शिक्षा का उद्देश्य	१-८०	40-Card Board Moulding	1-00
१७-बुनियादी कौमी तालीम	०-७५	41-Nai Tahm & the Social order	0-50
१८-विद्यापियों से	०-२५	42-Picture & Programme of Adult	Education 0-75
१९-शिक्षकों से	०-२५	43-The Idea of Rural University	1-00
२०-बालक सीरता कैसे है ?	०-५०	44-Plan & Practice (Pre-Basic	Education 1-25
२१-माता पिताओं से	०-३७	45-Teachers Traing Syllabus	1-00
२२-मल मून-सपाई	०-५०	46-Work camp	0-50
२३-खेती शिक्षा	१-००	47-Thoughts on Education	3-00
२४-नस्ली	२-००	Bound	4-00
२५-बुनाई	४-००		

## बाल साहित्य

१-बालनी सटमार्च ( पाँच भाग )	प्रत्येक ०-५०	१३-पावन प्रकाश ( नाटक )	०-२५
२-बिल्ली की कहानी ( तान भाग )	२-००	१४-चंद्रलोक की यात्रा "	०-२५
३-बालक बनाम विमान	०-७५	१५-पहली रोटी ( मगीत नाटिका )	०-२५
४-बाग निनीबा ( ६ भाग ) पूरा सेट	१-८०	१६-इतक मैयां धुनु मनइयां ( गीत )	०-७०
५-सपाई भूले भाइया ( पाँच भाग )	१-५०	१७-सनादप की सुना कहानी ( पाँच भाग )	१-२५
६-प्रायश्चित ( नाटक )	०-२५	१८-मूदान पोथी	०-२५
७-नय प्रभात "	१-००	१९-पावन प्रकाश	०-५०
८-एक सहारा "	०-३५	२०-मूदान लहरी	०-०६
९-स्वामित्व विमर्जन ( नाटक )	०-३५	२१-नये श्रद्धुर ( नाटक )	०-२५
१०-मुलदीप "	०-२५	२२-भागूहिक प्रार्थना	०-२५
११-एक भेंट "	०-६२	२३-हमारी प्रार्थना	०-०३
१२-जीवन परिवर्तन "	०-६५		

—: बड़े सूचीपत्र के लिए लिखिए :—

## “हिन्दुस्तानी हैं, पर्दा करती हैं”

करीब-करीब सभी अतिथि खाता घाने बैठ चुके थे। हरौसना भी सतम हो चला था कि इतने म रमशजी ने पूछा—“शशि रहन वहाँ है ?

“नही आयी है —उत्तर मिला ।

“क्या, वहाँ हैं ? क्या खाना नहीं खायगी ? रमेशजी ने फिर पूछा ।

“खायंगी क्यों नहीं लेकिन इतने लोग के बीच कैसे आयें ?

“क्या हर्ज है, आकर आपलोगा के बीच बैठें ।

“हिन्दुस्तानी हैं, पर्दा करती हैं यह प्रेमा का अन्तिम उत्तर था, तिरस्कार और एंठ से भरा हुआ ।

पर्दा अच्छी चीज नहीं है, अच्छी ही नहीं, अमानवीय है । लेकिन जो स्त्रियाँ पर्दा करती हैं वे हिन्दुस्तानी हैं, और जा अब पर्दे स निबल गयी हैं वे वहाँ की हैं ?

प्रेमा कालेज से निकलकर हाल म ही एक बड़े घर की बहू हुई है । अपनी शिक्षा-दीक्षा, आचार विचार और रहन-सहन से अब वह हिन्दुस्तानी नहीं रही । कभी-कभी सोचती भी होगी—“काश इर्नेड या अमेरिका म पैदा हुई होती ।”

शशि का पुराना हिन्दुस्तान, प्रेमा का नया हिन्दुस्तान , क्या पुराने के शील और नये की शैली का मेल नहीं हो सकेगा ?

—राममूर्ति

प्रधान संपादक  
धीरेन्द्र मजूमदार

संपादक  
आचार्य राममूर्ति

वर्ष ११

अंक ३

वार्षिक बढ़ा

४-००

एक प्रति

०-३७

मात्र के शिक्षण का मिश्रण देने  
तीन शब्दों में पाया है—

सत्य	जीवन का लक्ष्य
धर्म	जीवन की पद्धति
सेवा	जीवन का कार्य

यह सब आचरण में पढ़ने  
-यही प्रार्थना भगवान से निरंतर है।

—विनोबा

# नयी तालीम

वर्ष-११ ]

[ अंक ३ ]

## नयी तालीम की जिम्मेदारी

पिछले अगस्त महीने में सेवाग्राम में नयी तालीम की जो गोष्ठी हुई थी उसमें श्री शंकरराव जो ने एव भाकों की बात कही थी। उन्होंने कहा था “आज भूदानयज्ञ जिस अर्थ में विफल हुआ है उस अर्थ में वह विफल नहीं होता यदि नयी तालीम उसे उठा ले सकी होनी।” शंकरराव की यह राय पूरी-पूरी माय हो या न हो लेकिन इतना तो मानना ही पड़गा कि पिछले कुछ वर्षों में यह पहला अवसर है जब इस तरह धुंकर नयी तालीम का महत्व स्वीकार किया गया है जब नयी तालीम को यह मायवा मिला है कि वह बच्चों को पढ़ानेकी पद्धति मान नहीं है बल्कि सधर्ष-भुक्त सामाजिक क्रांति की सम्पूर्ण प्रक्रिया है। अगर ऐसा न होता तो नयी तालीम को इनने बड़े आन्दोलन की विफलता के लिए जिम्मेदार कसे ठहराया जाता।

भूदानयज्ञ आन्दोलन जिस तरह चला, और चल रहा है, जिन परिस्थितियों से उसे गुजरना पडा है, तथा अब तक उसकी जो प्रयत्न और अप्रयत्न निष्पत्ति हुई उन तमाम बातों को देखते हुए उसकी सफलता-विफलता का प्रश्न विवाद का विषय हो सकता है लेकिन विफल मानकर विफलता की जिम्मेदारी नयी तालीम पर बालन विवाद की अपेक्षा निष्पन्नता और गहराई से समझने की बात है।

शंकररावकी न जो कहा है उसका अर्थ क्या है? क्या वह यह कहना चाहते हैं कि नयी तालीम को स्वतन्त्र रूप से अपनी अधिक शक्ति बनाकर रखनी चाहिए थी कि वह भूदानयज्ञ की भी समाल सक्ती? या उनका यह कहना है कि भूदान-ग्रामदान आन्दोलन में पैदा होनेवागी उन समस्याओं का, जिनके कारण आन्दोलन में गिरिलता आयी, समाधान नयी तालीम ने ही तरीके से हो सकता था, सकिन उनका मुकाबला करने के लिए वह आगे मद्दी बढ़ी?

१९४३ में बंगाल के उस भौषण अकाल के समय स्वयं बापूने कहा था कि अगर नयी तालीम होती तो अकाल न होता। उनकी इस उक्ति में यह पोषणा स्पष्ट थी कि विधान और लोचनन के इन युग में समाज के रक्षण, पोषण और निष्पत्ति की एक ही प्रक्रिया है जिसका नाम है (समग्र) नयी तालीम। प्रगति की प्रक्रिया के रूप में गुड, पडम्प, सधर्ष के दिन हमेशा के लिए खतम हो गये।

१९४३ से १९५० तक का इतिहास अभी बहुत पुराना नहीं है। १९४४ में गांधीजी ने पूरे रचनात्मक कार्य का नयी तालीम की दिशा में जो मोड़ देना चाहा था वह बिग तरह बुझुगों और रचनात्मक संस्थाओं को अमान्य हुआ, वह खुली बात है। और अगर कहा जाये तो यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने १९४८ में गांधीजी का वसीयतनामा नहीं माना लेकिन रचनात्मक जगत् ने तो चार साल पहिले १९४४ में ही पुराने रास्ते को छोड़ने से इन्कार कर दिया। बापू की योजना थी कि रचनात्मक कार्य संस्थाधारित न रहकर गांव-गांव में बिलर जाय, सादी-ग्रामोद्योग व्यापार न रहकर ग्राम-स्वावलंबन का माध्यम और आधार बन जाय, और कार्यकर्ता 'मिठास रोडक समूह' बनकर गांव में बैठ जायें। उहोने सात लाख गांधी के लिए सात लाख युवकों की मांग की थी। वह चाहते थे कि कार्यकर्ता अपने अमर और जनता के प्रेम की रोटी खाए और नयी तालीम की प्रक्रिया से गांव का विघ्न और सगठन करें। ग्राम स्वराज्य का जो नारा आज लगाया जा रहा है, लेकिन जिसमें कोई शक्ति आती नहीं दिखायी दे रही है, उसको देशव्यापी ग्युह रचना बापूने १९४४ में ही करमा चाही थी लेकिन हमने चाहा नहीं, समझा नहीं, हम उनके साथ धले नहीं। स्वराज्य के बाद ग्राम स्वराज्य की क्रान्ति को हम नहीं पहचान सके। एक दूसरे ढंग से हमेशा के लिए यह कहने को ही गया कि क्या कांग्रेस में, क्या रचनात्मक क्षेत्र में, मध्यम वर्ग विचार में भी अपना वर्ग-परिवर्तन नहीं कर सका !

१९५१ में जब भूदानयज्ञ शुरू हुआ तो नयी तालीम को क्या ? वही-कहो संस्थाओं में जो तालीम चलती थी वह अच्छी तालीम भले ही रही हो नयी तालीम नहीं थी। जब नयी तालीम थी ही नहीं तो उसकी जिम्मेदारी का प्रदन ही क्या है ? अगर सचमुच नयी तालीम रही होती तो बापू भूदानयज्ञ की जरूरत ही न हुई होती !

विनोबा के मन में भूदानयज्ञ का था जो स्वरूप रहा हो लेकिन जनता के सामने वह "कौतुक" के ही रूप में प्रकट हुआ। आगे चल कर जब उसमें आंदोलन की कुछ व्यापकता और गति आयी तब भी उसकी प्रक्रिया शैक्षणिक नहीं हुई। अगर नयी तालीम की प्रक्रिया अपनायी गयी होती, तो वर्ग-सघर्ष का यह ऐतिहासिक विक्ल्प आंकों में फलकर न रह जाता, और बाद को भूदान ग्रामदान की जो समस्याएँ सामने आयीं उन्हें समझने की तैयारी या हल करने की शक्ति का इतना अभाव न प्रकट हुआ होता। कल्प दान हुआ लेकिन विसर्जन नहीं हुआ, दया को कुछ शक मिला लेकिन मालिक-मजदूर के सम्बंधों में मिठास नहीं आयी, जनता शक्ति हुई लेकिन उठकर खड़ी नहीं हुई। भूदान-ग्रामदान दोनों समाज-परिवर्तन का रास्ता छोडकर प्रचलित नमूने के निर्माण के दलदल में फस गये। अज्ञान, अभाव और अत्याय को लेकर ग्रामस्वराज्य की कोई शक्ति नहीं प्रकट हुई।

सघर्षमुक्त क्रान्ति के सदर्भ में कौन 'नयी तालीम वाला' है, कौन नहीं ! जो 'नयी तालीम वाला' नहीं है क्या वह अहिंसा का सिपाही हो सकता है ? सर्वोदय में यह प्रतीति आज भी अत्यंत अचूरी है।

बीती बातों को समझने की जरूरत है, ताकि समझ में आये कि चूक कहा हुई है। इसे समझने के लिए हमें भूदान या नयी तालीम तक सीमित न रहकर पूरे रचनात्मक कार्य-उसके विकास और अतमान-स्थिति पर विचार करना होगा। रचनात्मक कार्य की परिपत्ति अपने स्वराज्य में हो, यह गाँधीजी की मूल ध्येय थी। परिपत्ति कैसे हो नयी तालीम की 'दायनेमिक्स' से। अगर यह तत्व हाथ से छूट जाता है तो जिम्मेदारी हम चाहे जिसपर डालें प्राण निकल जायेगा धरीर रह जाएगा।

लेकिन अब जिम्मेदारी वाटने में रखा भी क्या है? जिम्मेदारी सचमुच उनकी है जो जिम्मेदारी स्वीकार करें। ऐसे तमाम लोगों को मिलकर सोचना चाहिए कि ग्रामस्वराज्य का अन्वयासक्रम क्या होगा और हमारे रचनात्मक कार्यों में नयी तालीम की 'दायनेमिक्स' कैसे लागू होगी।

राममूर्ति





# नयी तालीम और गांधी-दर्शन

(पूर्वार्द्ध)

## स्वाभाविक व्यवस्था

जब कभी संस्थाएँ अतिजटिल और अति औपचारिक बन जाती हैं और वहाँ झुंटाचार और पतन के लक्षण दीखने लगते हैं तो साधारणतया उनमें उन संस्थाओंकी जन्म देनेवाली बुनियादी और प्रमुख प्रेरणायें समाप्त हो गयी होती हैं। केवल कुछ बाहरी आकार और संगठन बचे रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ की स्वाभाविक व्यवस्था उलट जाती है, प्राथमिक चीजें प्राथमिक नहीं रहती हैं बल्कि गौण बातें ही सारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। इसलिए सुधार का पहला प्रयत्न यह होना चाहिए कि स्वाभाविक स्थिति कायम रहे और एक विशिष्ट मानवीय प्रवृत्ति का आरम्भ करने के पीछे जो मौलिक प्रेरणा और ध्येय थे वे सामने रहें।

हमारी शिक्षा-पद्धति को, न केवल यहाँ, बल्कि संसार भर में, एक ही दुःस्थिति का सामना करना पड़ा है जब उसकी प्राथमिक और मौलिक प्रेरणा व ध्येय तिरोहित हो गये। शुरू-शुरू में ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ? हुआ यह कि पहले अमूर्त भौतिक वस्तु देखी, उसे छूआ-परखा, उसे किसी अर्थ में कुछ नया रूप दिया और इस तरह उसके बारे में जानकारी हासिल की। इसलिए हमारे शिक्षण में भी यदि सुधार करना है तो जनता को वापस प्रकृति की ओर, उस मूल प्रेरणा की ओर मोड़ना होगा जिससे सारा ज्ञान संभव हो सका था। एक सामान्य उदाहरण लें। जैसे हमारी पोशाक। आज के युग में जिसे सभ्य समाज कहते हैं वही लोग, खासकर महिलायें, पोशाक से अपने को सजाती हैं। पोशाक का आरम्भ कैसे हुआ ? शरीर-रक्षा के लिए शरीर को बदलती हुई और अतहनीय वस्तुओं से बचाने के लिए पोशाक का प्रचलन हुआ था। आज अकसर शरीर-रक्षा के उम मूल उद्देश्य तक का मूल्य चुकाकर, उस पोशाक को साज-सिंघार और तडक-भडक का माध्यम बना लिया गया है। पोशाक का असली हेतु पीछे रह गया है। हमारे खान-पान के

## आचार्य कृपालानी

शरीरों में भी इसी प्रकार का परिवर्तन हम देखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि हम अपने इन भीमती वस्त्रों और शानदार भोजन से विरत हो जाते तो उम्र सुन्दर मोटे पपड़े के लिए जिससे शरीर की कड़ी-सख्ती ग्रामी से रक्षा हो सकती है। तथा उस सादे भोजन के लिए जिसमें पेट की भूल मिटती है, हम लागायित रहते। हमने आज पंचन, सजावट और तडक-भडक के नाम से जिन चीजों को अपनाया है इनकी अपेक्षा अधिक मुझ हम उन चीजों से पाते जिन्हें हमने छोड़ दिया है। आज हमारी स्वाभाविक रुचि ही विगड़ गयी है। इसलिए हमारी पोशाक और भोजन में सुधार करनेवाले लोग हमसे प्रकृति की ओर, उस मूल-प्रेरणा और बुनियादी ध्येय की ओर लौटने को कहते हैं जिन के कारण बपड़ा पहनना और भोजन करना आवश्यक हुआ।

हिंदू-दर्शन में कहा है कि सारा संसार नाम-रूपात्मक है। 'रूप' पहले आता है, 'नाम' बाद में। अगर भौतिक पदार्थ न हो और मानवीय क्रिया न हो तो उनकी घोषित करनेवाले नाम कहाँ से आयेंगे। नाम और शब्द आगे नहीं चलते हैं, वरन् मूर्त पदार्थों और उनसे सम्बंध रखनेवाली क्रियाओं के पीछे चलते हैं। परन्तु हमने अपनी शिक्षा-पद्धति में इस स्वाभाविक क्रम को उलट दिया है। पहले शब्दों और सामान्य तथा अस्पष्ट संज्ञाओं को रखते हैं फिर उसके बाद पदार्थों तथा क्रियाओं को लाते हैं। हम ऐसे ही शब्दों, वाक्यांशों और संकेतों के द्वारा शिक्षित हुए हैं। हम बच्चों को वस्तुओं से, मूर्त प्रकृति से, उसकी प्रक्रियाओं से प्रत्यक्ष क्रिया अथवा काम के द्वारा परिचित होने नहीं देते। हम धर्म के साथ शब्दों की प्रकृति की प्रतीक्षा करने देने को तैयार नहीं हैं, बल्कि हम शब्दों के माध्यम से कुछ सिखा देने के लिए उतावले रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि मनुष्य का सारा ज्ञान मूर्त वस्तुओं और धर्म पदार्थों के अवलोकन तथा उनके साथ और उनपर क्रिया करने से प्राप्त होता है।

## करना और सीपना

जब गांधीजी ने पहले पहल अपना सुधार—बर्म द्वारा ज्ञान प्राप्ति करने का विचार—प्रस्तुत किया तब हमारे शिक्षित लोगों को जिनका शिक्षण कोरे शब्दों और वाक्यांशों द्वारा ही हुआ था, बड़ा घबरा लगा। वे इस नयी योजना के निरुद्ध सङ्गे हो गये। वे इस प्राचीन लेकिन बय नये विचार को समझ नहीं सके कि अत्युत्तम और प्रभावशाली शिक्षा इन्द्रियगम्य वस्तुओं को साधन बना कर और औद्योगिक कार्यों द्वारा ही दी जा सकती है। गांधीजी को शिक्षित लोग नहीं समझ सके इसके लिए उन को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गांधीजी में उनको एक ऐसे व्यक्तित्व से पाला पड़ा जो विशिष्ट और विलक्षण था। गांधीजी किसी भी चीज की व्यावहारिकता की ओर इतनी उत्कण्ठता के साथ बढ़ते थे कि किसी भी समस्या पर व्यवस्थित तार्किक विवेचन और विश्लेषण द्वारा विचार करने की बात अक्षर भूल जाते थे, और इसे ही आजकल के हमारे शिक्षित लोग समझ और पसंद कर सकते हैं। गांधीजी पण्डितों की पद्धति से नहीं चलते थे। देशके सामने वे जो भी मुझाव रखते थे उसके संभव में वे बम्बी लंबी दलीलें नहीं देते थे बल्कि जैसे कोई बिजकार अपने विषय को एक झलक में देख लेता है वैसे ही गांधीजी अपनी अचूक प्रतिभा और सजीव कल्पना से अपना नयी नयी योजनाओं को परख लेते थे, और अत्यन्त भूमिका के साथ बत दूर-गामी सुधार प्रस्तुत कर देते थे। हम उनके प्रयोगों, अनुभवों और निष्कर्षों को जिन के द्वारा वे अपने अनोखे और क्रांतिकारी विचारों तक पहुँचे थे नहीं देख सकते थे। शब्द और वास्तविकता

अगर अर्वाचीन पारश्चात्य बौद्धिक वातावरण में पले हुए किसी सुधारकों नयी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन करना पड़ता तो वह पहले शिक्षा का छोटा सा इतिहास प्रस्तुत करता जिसमें आदिमानव के समाज में शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ इसका विवरण होता, इसके बाद वह शिक्षा के ऐतिहासिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक आदि प्रकारों के क्रमिक विकास की धारा का वर्णन करता। यारमें यह विवरण करता कि ज्ञान अमुक निश्चित अवस्था तक पहुँच कर किस प्रकार मातात्मक और अर

सर अनुमानगम्य (भौतिक), सर्व-संगत और राष्ट्रीय बनता है। फिर चमत्कारी व्यक्तियों, उपदेशकों, दार्शनिकों और राजनीतिकों के प्रभाव के कारण वह ज्ञान किस प्रकार शब्दों और वाक्यांशों के जंगल में भटक जाता है। इसके बाद यह दर्शाता कि रूसो, पीट-टालजी, हर्बर्ट, फोवेल, जान डूई तथा ऐसे ही अग्यान्त सुधारकों ने कैसे, क्यों और किस दिशा में शिक्षा के सुधार का प्रतिपादन किया तथा शिक्षा-पद्धति में क्या क्या सुधार दाखिल किये गये, फिर उनका वह आंदोलन कैसे और कहा तक सफल हुआ और कहा तक अपनी लक्ष्य-सिद्धि की दिशा में विफल हुआ और क्यों। इसी प्रकार शिक्षा को उत्पादक प्रवृत्तियों के साथ क्यों नहीं जोड़ा जा सका, तथा पूजोवादी तंत्र में केंद्रित कारखानों के व्यापक उत्पन्न न सफलता को कैसे जटिल बना दिया। वह रूस में प्रचलित शिक्षा की बहुकलात्मकता—पाली टेक्नाइजेशन—का भी थोड़ा बहुत उल्लेख करता। अंत में यह दिखाते हुए अपना विवेचन समाप्त करता कि नया प्रयोग भारतीय परिस्थिति में क्या तरह अनुकूल है। वह यह भी स्पष्ट करता कि उसने जो सुधार प्रस्तुत किया है वह काल-मति के साथ किस प्रकार संगत है। किस प्रकार वह ऐतिहासिक दृष्टि से अनिवार्य है तथा शिक्षा के जो सर्व-मान्य वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उन से मेल खाता है। हमें यह भूलना नहीं चाहिये कि शिक्षित लोगों के मनमें व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रति कितनी आतंन रहती है।

पण्डितों के लिए एक और अडचन यह है कि वे शब्दों के भ्रमजाल में उलझे रह जाते हैं। उन को दृष्टि में अमुक कुछ शब्द अर्थ-विशेष में स्थिर हो चुके हैं, उनके लक्षणिक अर्थ अपरिवर्तनीय हो गये हैं। मिसाल के तौर पर किसी को पूंजीपति या बुजुर्ग का वह दिमा कि बस उसे हृदयहीन और क्रूर शोषक की उपाधि दे डालने के लिए उसने मित्रों जीवन और कार्यों की कुछ भी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता विहित समाज-वादी को नहीं रहती है। इसी प्रकार पुराणमें ही लोग जब किसी के बारे में सुनते हैं कि यह साम्यवादी है तो वे सीमा यही सोचने लगेंगे कि वह तुमो क्रांतिकारी है और समाज को वर्तमान व्यवस्था को खत्म करने की

पात की प्रतीक्षा में है। जब शिक्षा की इस नयी पद्धति की बात आयी तब भी हमारे विदित आलोचक इसी शाब्दिक नुससता के शिकार हो गये।

तिस पर यह नयी पद्धति गांधीजी के मस्तिष्क की उपज थी और वर्षों से निकली थी। तथा कथिन बुद्धिवादी वर्ग की दृष्टि में यहाँ से कोई अच्छी चीज निकल ही नहीं सकती थी। फिर शिक्षा-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की गांधीजी की पात्रता ही क्या थी? वे शिक्षा के बारे में क्या जानते थे? वे कभी किसी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय में रहे नहीं। यह सब उन लोगों के लिए विलकुल अकारण दलीलें थीं। इस लिए उस योजना को और उसके उद्देश्यों को समझने या उसका गुण-ग्रहण करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ। यदि गांधीजी के व्यक्तित्व और पात्रता को लेकर यों दान्दों में उलझने के बजाय उस योजना को समझने का प्रयत्न किया होता तो उस नये विचार का अधिक गुण ग्रहण किया जा सका होता, भले ही उसकी आलोचना भी की जाती, पर अधिक सही तौर पर उसे समझा जा सका होता वह अधिक रचनात्मक होता और सफल भी होता।

### पद्धति

अगर पण्डित लोगों ने समझे-बुझे बिना पसला कर देने के बड़े उसका अध्ययन किया होता तो व पाते कि यह पद्धति प्रकृति के अनुरूप है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही और वैज्ञानिक है। ज्ञान हमेशा मूल से अमूल की ओर, व्यवहार से सिद्धांत की ओर बढ़ता है। हम पहले अब लोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं और तब उनके आधार पर ऐसे सामान्य सिद्धांत निकालते हैं जिनके अनुसार परिवर्तन होते हैं अनुमान (इंटरचेंज) जब पूरा होता है तब हम सामान्य से विशय की ओर-व्यापक से व्याप्य की ओर-बढ़ते हैं जहाँ फिर से प्रयोगों द्वारा उसकी छान-बीन की जाती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान को अव्यक्त से व्यक्त की ओर जाना होता है और मानवीय प्रयोगों और अनुभवों से उसका औचित्य सिद्ध करना होता है।

जब गांधीजी ने यह नयी योजना बनायी तब वे भी इसके बारे में बाल-मनोविज्ञान की दृष्टि से ही विचार करते थे। बच्चों के लिए यही स्वाभाविक और सरल

हीता है कि मयार्थ और व्यवहारे सामान्य और भावात्मक की ओर बढ़ा जाय। बच्चों में ब्रिया दीर्घता की जो एक सहजवृत्ति है उसके कारण किमी भी वस्तु को काम में लेना और उससे द्वारा ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए सहज होता है। आज की शिक्षा-पद्धति इस बाल मनो-विज्ञान के विपरीत चलती है। ज्ञान उसके बानों के जरिए-टूटा जाता है जिसे मुह से या बरतम से उस को धमन कर देना होता है। मुझ कई ऐसे दाम्द याद है जिन्हे स्कूल में हमसे रटाया जाता था और बरटसप कराया जाता था। लेकिन कई वर्षों तक, यानी जब तक कि मैं उन वस्तुओं के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आया, तब तक उन दाम्दों का सही आराय में समझ नहीं पाया था। इसके बजाय यदि प्रत्यक्ष वस्तु ही लेत और टोस समस्याओं को सुलझाने का और द्वात्रयगम्य वस्तुओं को काम में लाने और सवारते का मोका देते तो, मुसे विरवास है, मैं अधिक सीखता से और अच्छी तरह सीखा समझा होता।

यदि नयी तालीम की नयी पद्धति निरुग के अनुरूप है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सही और वैज्ञानिक है तो शिक्षा का हनु कुछ भी क्यों न हो, यह पद्धति अनुकूल सिद्ध होती। आधुनिक शिक्षा के इतिहास में युरप और अमेरिका में शिक्षण देने की एक पद्धति के रूपम परिधम, उद्योग या काम की हिमायत की गयी है, भले ही राष्ट्र की या शिक्षककी दृष्टि म शिक्षा का ध्येय कुछ भी रहा हो। ज्ञानार्जन की सही पद्धति दियारा के ध्यय को, वह चाहे कुछ भी रहे, धीरप्रता से और समग्र रूप से समझने में सहायक होती है। इसीलिए धार्मिक सगठनों को भी अपने धम का शिक्षण देने के लिए शिक्षा की वैज्ञानिक पद्धति की सिफारिस करनी पडी। क्रियात्मक पद्धति से क्षमता और धीरप्रता दोनों बावें सध जाती है।

### लक्ष्य—

गांधीजी ने व्यक्ति और समाज के शिक्षण की इस पद्धति पर अपने जीवन-दशन के सद्भम में प्रकाश डाला। अत सक्षेप में ही सही गांधीजी जिस जीवन-दशन का प्रतिपादन करते हैं उसका विवचन करना अनुचित नहीं होगा। यह इसलिए भी आवश्यक है कि जहाँ हमारी शिक्षा दीपपूर्ण और अवैज्ञानिक पद्धति के कारण दुर्बिधति

में पढ़ गयी है, वहाँ उससे भी अधिक वह सारहीन लक्ष्यों और गलत आदर्शों के कारण भोग रही है।

जब मैं बहता हूँ कि गोरे मालिकों के नीचे काम करने के लिए हलके रंग से रंगे हुए प्रशासनिक और कारकूनो-सहायकों को तैयार करने के लिए आज की शिक्षा की रूपरेखा बनायी गयी थी तो मैं कोई व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ। इसका यदि कोई भी मूल्यवान लक्ष्य था तो लार्ड मैकाले की भाषा में यही था कि आग्लो इण्डियनों की एक जाति का निर्माण किया जाय जो 'केवल अपने चमड़े के रंग में और रंगों में दोबने वाले छून म भारतीय रहे' और किसी चीज में नहीं। फिर भी यह लक्ष्य किसी परिस्थिति में मूल्यवान सिद्ध हो जाता बशर्ते सफल हो गया होता। जपान देश म आग्लो संवसन समाज में कई सराहनीय और उत्तम गुण हैं और भारतीयों को यो रगोन आग्लो संवसन बना भी दिया जा सका होता तो उस प्रयत्न में कुछ तथ्य होता, यद्यपि भारतीय संस्कृति के लिए जिसके प्रति आज भी हमारे मन में गर्व है और विश्व संस्कृति के लिए जिसकी बड़ी देन रही है, यह कोई शोभा देनवाली चीज न होती। कई सदियों के विदेशी शिक्षण के बावजूद यह असंभव ही सिद्ध हुआ। शिक्षित भारतीय कुलेक मामलों में ही आग्लो संवसन बन पाया है, अपेक्षित सभी शिक्षाओं में नहीं। उसने अपने पूर्वजों के अच्छे गुणों को छोड़ दिया और अपने मालिक के रास्ते अपनाये बिनकी अच्छाई के बारे में शक्यता है। इस में कुछ आदरणीय अपवाद भी हो सकते हैं पर वे इने गिने और बिरले ही हैं। हर हालत में यह सोचना असंभव ही था कि भारतीय जन सामाय का इस हीन-पद्धति से आग्लो-करण हो जाय। इस प्रयत्न का परिणाम यही हुआ कि अपेक्षी शिक्षा प्राप्त भारतीय अपने ही जन-साधारण के समाज से एक दम कट गया, और उसने बड़ी कठिनाई के साथ विदेशी भाषा के माध्यम से जो कुछ सीखा वह उसी तक सीमित रह गया, वह छन कर नीचे तक नहीं था सका। उसके और उनके बीच एक खाई बन गयी जो पट नहीं सकती थी, यही नहीं, बल्कि घर के अंदर उसके बुजुर्गों, मा बहनों तक के बीच में खाई बन गयी। यदि राष्ट्रीय आंदोलन प्रारम न हुआ होता तो यह खाई

अक्तूबर, '६२ ]

और भी फैलती और बढती जाती, परंतु राष्ट्रीय आंदोलन ने सभी वर्गों, समाजों, स्त्री-पुरुषों, बूढ़ों, बालकों और सब को एकत्र लाने का और सबके प्रयास के बोध एक समान बोध प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। इसलिए यदि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना है तो शायद पद्धति-परिवर्तन से भी अधिक महत्व की और आवश्यक बात यह है कि उसके सामने उदात्त ध्येय और आदर्श प्रस्तुत किये जायें। गांधीजी ने देश के सामने कौन-सा आदर्श और ध्येय रखा ? अहिंसा

गांधीजी जैसे सुधारक के दर्शन को समझने के लिए उसे ऐतिहासिक पारबन्धन में देखना जरूरी है। तभी समाज की वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए वे जो सुझाव देते हैं उसका पूरा मूल्यांकन हो सकेगा और गुण-ग्रहण किया जा सकेगा।

मानव के विकास का ध्येय यह रहा है कि उसकी प्राकृत अवस्था बदले, मानव जो 'पशु, है उसे एक नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी में परिवर्तित किया जाय और उसे नैतिक या आध्यात्मिक समाज का सदस्य बनाया जाय। यदि मैं कहूँ कि नैतिक व्यक्ति की पहचान क्या है ? भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न पहचान सुचाई जा सकती है। यदि मैं कहूँ कि नैतिक अथवा आध्यात्मिक व्यक्ति एक स्वतंत्र-पुरुष होता है तो शायद ही किसी को आपत्त होगी। स्वतंत्रता के बिना नैतिक प्रगति असंभव है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि वह जो जीमें चाये वह सब कर सके। यह तो जगली जानवरों की स्वतंत्रता हागी जो समाज के जीवन को ही असंभव बना देगी। मानवीय जिम्मेदारियों से अलग करके मानव की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। नैतिक मनुष्य स्वतंत्र निर्णय को उचित समय के साथ तथा स्वतंत्रता को नियमों और जिम्मेदारियों के साथ जोड़ता है। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए उसे दंडनरूप स्वतंत्र समाज का सदस्य बनना होगा। इतिहास की गति इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था लाने का निरंतर प्रयास कर रही है।

मानवता का आरम सघर्ष और हिंसा से हुआ, उसके साथ स्वभाविक मजबूरी जुडी हुई थी। तब

जीवेन विपत्तिमय था, अस्थिर था। जैसे-तैसे इस अराज-  
 क्षतापूर्ण परिस्थिति से मानव पार हो गया फिर वह  
 कठौलों, गुटों, बगों और राष्ट्रो में संगठित होने लगा।  
 इन सामाजिक संगठनों में एक प्रकार की व्यवस्था धानू  
 हुई जिसमें कुछ नियम और पद्धति थी। इससे युद्ध और  
 हिंसा थोड़ा घीछे हटी। फिर भी ये प्रारंभिक संगठन  
 युद्ध और हिंसा के ही परिणाम थे। जो व्यक्ति अथवा  
 समूह शक्तिशाली थे वे अपने अधीनस्थों और विजितो  
 पर अपनी इच्छा और अपने नियम लगाने लगे। इसलिए  
 अधिकतर समाज मालिकों और गुलामों में, शासकों और  
 शासितों में, राजाओं और प्रजाओं में, कुलीनों और अकु-  
 लीनों में तथा रईसों और चाकरो में बंट गये। जहाँ  
 धेदर से ये समूह जो बंट गये वहाँ बाहर से पड़ोसी  
 समूहों के साथ लड़ने-झगड़ने लगे। एकता और समता  
 को खतम करनेवाली व्याप्य और हिंसापूर्ण व्यवस्था भी  
 निष्ठली अस्तव्यस्त परिस्थिति के मुकाबिले प्रगति ही थी।  
 'जिसकी छाठी उसकी भेस' के जीवन में थोड़ा सुधार  
 हुआ। ऐसे समाजों में राजाको देवाय माना जाता था,  
 यह चचित भी था, क्योंकि राजाओंने एक प्रकार की  
 व्यवस्था और समाज के कुछ भागों में स्थूल न्याय कायम  
 किया था। यह एक नीतिक सिद्धि थी। स्मरण रखने की  
 बात है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था जिससे चाहे  
 जैसा सम्भ्य जीवन संभव हो सके अव्यवस्था से तो अच्छी  
 है ही; अराजकता से भी अच्छी है, लेकिन अगर अराजकता  
 और अव्यवस्था थोड़े समय के लिए हो और किसी उन्नत  
 व्यवस्था के लिए जान बूझकर उत्पन्न की गयी हो तो बात  
 दूसरी है। उस स्थिति में अराजकता और अव्यवस्था को  
 अस्वीकार्य मूल्य मानकर स्वीकार करना पड़ता है।

कुल मिला कर स्वतंत्रता की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई  
 मांग को यह समाज सतोप नहीं दे सका। जिन्होंने अपने  
 अंदर से अलार्ड, भ्याय और प्रेमपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता  
 को पुराने सुभी ऐसे अधिक चेतनाशील व्यक्तियों की  
 मांग की यह समाज पूरा नहीं कर सका। इस आकांक्षा  
 की पूर्ति होती भी कैसे? मालिकों और गुलामों में बंट  
 हुआ समाज इस आंतरिक मांग को पूरा नहीं कर सकता  
 था। इसलिए जब ऐसी मांग कुछ लोगों में पैदा हुई तो  
 उन्होंने ज़ब्तदार स्वतंत्र जीवन की खोज में दुश्च समूह

से अलग हो कर यह संसार त्याग दिया। वे अकेले ही  
 छड़े रहे और अपना आदर्श प्राप्त करने का  
 प्रयत्न सुरु करते रहे। वे अंतर्मुखी हो गये  
 और इस संसार और उसके नातो को छोड़ दिया।  
 बुद्ध का संसार-त्याग इसी प्रकार का था। ईसा मसीह ने  
 भी यही कहा था कि उगना राज्य इस लोक का नहीं,  
 दूसरे लोक का है। इन सुधारकों ने अपनी धृष्टता का  
 उपदेश व्यक्ति व्यक्ति को निजी मुक्ति और निजी श्रेय  
 के लिए ही दिया। बुद्ध को बोधि प्राप्ति हुई तो उसने  
 यह कहा कि 'मैं तब तक इन धरती पर बार-बार जन्म  
 लेना चाहूँगा, जबतक कि धरती पर एक भी व्यक्ति  
 निर्वैशे से अंचित रहेगा।' बुद्ध का विचार था कि समाज  
 यानी पृथक्-पृथक् व्यक्तियों का समूह जिसको सारने  
 की आवश्यकता हो। उसकी यह आकांक्षा नहीं थी कि  
 सामाजिक संबंधों को बदल जाय और नये समाज-  
 व्यवस्था कायम की जाय।

संत सत्सुरों के उपदेशों और उदाहरणों का प्रभाव  
 सामाजिक संबंधों पर पड़ता था, लेकिन उसकी गति  
 धीमी और परीत थी। इसीलिए धार्मिक पुराणों और  
 सांसारिक लोगोंके बीच दरार पड़ गयी। महान आत्माओं  
 को संसार और सांसारिक संबंधों का त्याग इस तरह  
 पचना होता था मानो वह कोई परीत की घबान ही।  
 बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश राजाओं और राजकुमारों  
 को दिया, पर वह केवल उनके व्यक्तिगत जीवन और  
 मुक्ति के लिए था, न कि उनके राजनीतिक व्यवहारों  
 को सुधारने के लिए। ईसाई मठों ने  
 राजनीतिक नेताओं और संगठनों को विश्वप्रेम और  
 उदारता के नियमों से परे माना जिनका उपदेश  
 उनके मसीह ने दिया था। कई अहिंसावादी जैनोंने भी  
 राजाओं और राजकुमारों को अहिंसापन के पूर्ण पालन  
 करने की छूट दे रखी थी। लेकिन यह कभी नहीं  
 कहा गया था कि इन में किसी भी राजा, धारक और  
 योद्धा को व्यक्तिगत मोक्ष नहीं मिलेगा। जो समाज पहले  
 से मालिक और गुलाम में विभक्त हो गया था वह आगे  
 चल कर संसार और धरती के मार्गपर चलनेवालों और  
 संसार त्यागकर ईश्वर के मार्ग पर चलनेवालों में फिर

[ दोप पृष्ठ ७९ पर ]

## संघर्ष-मुक्त क्रांति का वाहन समग्र नयी तालीम

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

सत्याग्रह की कसौटी

हमने कहा है कि वर्ग-संघर्ष वर्ग-निराकरण की विधि में असफल हो रहा है। यह बात आज बहुत से विचारक कहने लगे हैं। लेकिन जब लोग इसे कबूल करते हैं तो उनके सामने स्थूल हिंसात्मक वर्ग-संघर्ष ही रहता है। परंतु यह जरूरी नहीं है कि वर्ग-संघर्ष हमेशा मारकाट का ही हो। शांतिमय वर्ग-संघर्ष भी हो सकता है। इसका जिज्ञासु हमने सत्याग्रह का विवेचन करते समय किया है। जगह-जगह वर्ग-संघर्ष के लिए शांतिमय अस्त्रयोग तथा अवज्ञा का तरीका अपनाया जा रहा है। ऐसे शांतिमय तरीके से जो वर्ग-संघर्ष होता है उसे लोग अहिंसा मानते हैं और इस प्रक्रिया को शांतिमय वर्ग-संघर्ष की कोटि में नहीं रखते, लेकिन, जैसा कि हमने पहले कहा है, अगर यह शांतिमय तरीका किसी के खिलाफ दबाव बनाने का है तो वह शांतिमय होने पर भी संघर्ष ही है। बहुत अभी तक जो वर्ग-संघर्ष हुए हैं वे पूंजी और श्रम के बीच, लेकिन अब पूंजी के निजी स्वामित्व के मिटने के बाद जो विरोध प्रकट हो रहा है वह बुद्धि और श्रम के बीच। यह त्रिविध विरोध संघर्ष से कैसे मिटेगा ? अगर मिटाना है तो संघर्ष छोड़कर समन्वय की कोई प्रक्रिया निकालनी होगी, क्योंकि समन्वय की प्रक्रिया सब प्रकार के विरोधों को मिटा सकेगी।

साधारणतः लोग विनोदाजी को मनाने या समझाने की प्रक्रिया को सत्याग्रह नहीं मानते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि सत्याग्रह के सदर्भ में इस प्रक्रिया को हम समझ लें। मान लीजिये कि कोई जमीन का मालिक बटाईदार को जमीन से बेदखल करता है तो वह बटाईदार सार्वजनिक कार्य-कर्ता के पास जाता है। वह कार्यकर्ता तथा बटाईदार दोनों जमीन पर डट जाते हैं। वे कुछ पत्रों-लिखियों और धारियों की बटोर कर जमीन को घेर लेते हैं। इस

प्रकार वे दबाव से जमीन-मालिक को बेदखल करने से निमुखा करते हैं। इस प्रक्रिया को सभी लोग सत्याग्रह नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वह कार्यकर्ता उस बटाईदार तथा दूसरे मित्रों आदि को लेकर जमीन के मालिक के पास जाता है, और वे उसे बार-बार समझाते हैं और अंत में उससे मनवा लेते हैं कि वह बेदखल नहीं करे तो लोग इसे सत्याग्रह नहीं मानेंगे। हमने कहा है कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। इस उदाहरण में जमीन को घेरने और आग्रह पूर्वक मालिक को समझाने दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही सत्य के लिये आग्रह हैं। फर्क यह कि पहले तरीके में मालिक और बटाईदार में दुर्मा-वना का संघर्ष यात्री रहेगा और दूसरे में दोनों में उद्भावना कायम होगी। इस प्रकार विनोदाजी के समझाने और मनाने का जो तरीका है, वह सत्याग्रह है और वह सौम्य सत्याग्रह है, यह स्पष्ट है। इसी तरह लोकतंत्र में सत्य के लिए मत-दाताओं का शिक्षण भी एक तरह का सत्याग्रह है क्योंकि उनके विचार-परिवर्तन से राज्य-सत्ता के असत्याचरण का सुधार होता है। यही कारण है कि गार्गीजी ने मतदाताओं के शिक्षण को रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग माना था।

घास्तविक वर्ग-निराकरण

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या "समझाने" का तरीका कोई स्थाई तरीका है ? क्या वह कोई सामा-जिक शक्ति बन सकता है ? अगर दबाव का तरीका स्थाई सामाजिक शक्ति के रूप में मान्य है तो मनाव का तरीका इसके लिए अधिक मान्य होना चाहिये। आखिर दबाव भी कोई स्थाई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। वह भी तात्कालिक प्रसंग पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह यद्यपि मनाव स्थायी सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, फिर भी उपयुक्त प्रसंग पर दबाव

से अधिक सरलता तथा तत्परता से इस्तेमाल हो सकता है। दबाव के सत्याग्रह की शक्ति को संगठित करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज में कुछ निर्भीक तथा फटोर संकल्प के नेता हों। वे किसी अन्याय या अत्याचार के प्रसंग को लेकर अन्याय-भीड़ित तथा निर्हलित-वर्गों का संगठन करें, फिर संगठन मजबूत होने पर दबाव का इस्तेमाल करें। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि अन्याय और निर्दलन का सात इतना अधिक हा कि जनता को उसका स्पष्ट अनुभव हो। ऐसा होने पर ही संगठन को प्रेरणा मिल सकेगी। कबल अन्याय का सात जबरदस्त हो, इतना ही नहीं, बल्कि उस व्यापक भी होना चाहिए। इस तरह दबाव के सत्याग्रह का अवसर केवल गंभीर प्रश्न पर ही उपस्थित हो सकता है। दूसरी तरफ मनाव की प्रक्रिया के लिए भी नेतृत्व की आवश्यकता है। उसके लिए नेतृत्व में सभा तथा स्नेह का गुण होना चाहिए। ऐसे नेतृत्व को संगठन के प्रारंभ के लिए किसी प्रकार के विशिष्ट अन्याय या अत्याचार के प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सेवक समाज में जाकर बैठेगा, समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति के साथ स्नेह-संबंध स्थापित कर अपना प्रम-सैन्य बनायेगा और उस प्रम-सैन्य के बनाने की प्रक्रिया से उसी समाज में कुछ विचकरील मनुष्यों में आपसी संबंध भी पैदा करेगा। फिर कभी समाज में कोई मामूली अन्याय भा हो, चाहे वह पारिवारिक हो या सामाजिक तो उसके लिए 'मनाव' की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरह जहाँ दबाव वाली प्रक्रिया के संगठन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की आवश्यकता है तथा संगठन पूरा होने पर भी विशिष्ट प्रकार के अन्याय या अत्याचार होने की जरूरत है वहाँ मनाव के संगठन के लिए नित्य अवसर उपस्थित रहता है तथा उसके प्रयोग के लिए सामान्य जीवन के प्रसंग काफी हैं। इस तरह दबाव की प्रक्रिया से मनाव की प्रक्रिया सामाजिक शक्ति के रूप में अधिक स्थायी तथा अधिक व्यापक है, क्योंकि वह स्थायी समाज शिक्षण का कार्यक्रम है, प्रासंगिक प्रवृत्ति-भाज नहीं है।

इस तरह यह स्पष्ट है कि मनाने या समझाने का एक अत्यन्त प्रभावकारी सामाजिक शक्ति हो सकता है और गिनागजी दिला रहे हैं कि वह है भी। लेकिन खाल यह है कि क्या यह शक्ति अपने आप वर्गों निराकरण के लिए काफी है। वर्गों के सर्द्धर्म में दो समस्याएँ स्पष्ट हैं। प्रथम वर्गों में भेद, और द्वितीय वर्गों विद्वेष। निस्संदेह वर्ग-विद्वेष अन्याय और अत्याचार की उपज है। हमने वर्गों में भेद और वर्गों विद्वेष दो चीजें कही हैं। वर्गों में भेद से विशेष प्रकार का सांस्कृतिक भेद प्रकट होता है, खासकर इस मुल्क में तो वह अत्यंत स्पष्ट है। इस मुल्क में हा नहीं दूसरे मुल्कों में भी ब्राह्मण-संस्कृति और शूद्र-संस्कृति के रूप में दो निम्नित संस्कृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। हमने ऊपर कहा है कि रूस के विचारक भी इस बात से चिंतित हैं कि वहाँ एक सफेद-पोदा वर्ग (White colored class) की सृष्टि हो रही है। जब वहाँ भा एक वर्ग अलग से दिखाई दे रहा है और उसका नाम सफेदपोदा वर्ग बताया जाता है तो निस्संदेह उन वर्गों में सांस्कृतिक भेद परिलक्षित हो रहा है। इस भेद का कारण अन्याय ही है, यह जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि बुद्धिजीवी और धर्मजायी वर्गों में विद्वेष हो या अन्याय का संबंध हो। कहा जाता है कि रूस में ऐसा नहीं है, फिर भी भेद है। यह भेद दोनों की रहन-सहन और तर्ज तरीक में दिखाई पड़ता है। बुद्धिजीवी चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, उसके जीवन का तर्ज एक-सा है। उसी तरह धर्मजायी चाहे अमीर हों या गरीब, उनका जीवन का तर्ज दूसरा है। यह आवश्यक नहीं है कि बुद्धिजीवी और धर्मजायी के जीवन-स्तर में अंतर हो, लेकिन धर्म और बुद्धिजाओं के उपयोग में अंतर होने के कारण दोनों के जीवन के तर्जों में भेद हो जाना स्वाभाविक है। वर्गों निराकरण का मतलब केवल वर्गों विद्वेष का निराकरण नहीं है, बल्कि वर्गों में भेद का भी निराकरण है। यह भी कहा जा सकता है कि वर्गों विद्वेष यानी अन्याय, अत्याचार आदि का निराकरण होने पर भी सांस्कृतिक भेद के कारण वर्गों में भेद फायम रह सकता है। इसलिए वर्गों के निराकरण का मतलब वर्गों के बीच के अन्याय,

अत्याचार आदि का निराकरण ही नहीं बल्कि जीवन के तर्क का भेद भी मिटाना है ।

सच श्रमजीवी, बुद्धिजीवी दोनों

लोग कह सकते हैं कि अगर शोषण मिट जाय और अत्याचार-अत्याचार न हो तो इस प्रकार के सांस्कृतिक भेद से हानि क्या है ? एक वर्ग बुद्धिजीवी रहे, दूसरा वर्ग श्रमजीवी रहे, लेकिन संपत्ति के प्रश्न को लेकर मालिक-मजदूर का संबंध न रहे यानी सामूहिक मालिकी रहे तो क्या हर्न है ? मेरी समझ में हर्न है । अगर बुद्धिजीवी वर्ग और श्रमजीवी वर्ग के नाम से दो वर्ग अलग रहेंगे तो निस्संदेह बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में ही समाज की व्यवस्था रहेगी और अगर व्यवस्था के लिए एक विशिष्ट वर्ग होगा तो वह व्यवस्था का प्रक्रिया में अपने लिए सुविधा और अधिकार बना लेगा । अपने लिए विशिष्ट स्थान बनाने की प्रक्रिया में ही उसे शोषण करना पड़ेगा । जब हम बुद्धिजीवी वर्ग के पदे लिखे नौबतानों से कहते हैं कि आप भा श्रमभ्रम से उत्पादन कानिचे तो व उत्तर देते हैं, अगर हमें स्वावलंबन के लिए श्रम करना होगा सा शान, विज्ञान, कला और सस्कृति के विकास के लिए हमारे पास समय कहा से आयेगा ? जब व इस प्रकार की बात सोचते हैं तो यह नहीं सोचते कि अगर व अपना गुजर के लिए उत्पादन नहीं कर सकते हैं क्योंकि शान, विज्ञान, कला और सस्कृति के विकास के लिए उन्हें पुस्त चाहिए तो जो मनुष्य उनको पुस्त देने के लिए श्रम से उत्पादन करेगा उसको अपनी जीविका के अलावा अन्य कला, सस्कृति और शान, विज्ञान के विकास करनेवालों के लिए भी अतिरिक्त उत्पादन करना होगा न ? अगर एक आदमी अपने अकेले के लिए उत्पादन करने के कारण शान, विज्ञान, कला और सस्कृति के विकास के लिए अक्षर नहीं निकाल सकता है, तो जिन्हें अपने स्वावलंबन के अतिरिक्त बुद्धिजीवी वर्ग के हिस्से की भी सामग्री अपने श्रम से उत्पादन करना होगा, उनके शान, विज्ञान तथा कला और सस्कृति के विकास के लिए अक्षर कहाँ से आयेगा ? अगर नहीं आयेगा तो सबको सब चीनों के लिए समान अक्षर दिया जाय, यह सिद्धांत कैसे

अक्तूबर १६२ ]

टिकेगा ! अगर नहीं टिकता है और अंतिम निरूपण में यही बात आती है कि शान, विज्ञान, कला और सस्कृति के विकास के लिए एक वर्ग को श्रम से मुक्त कर उसकी सचा के लिए दूसरे वर्ग को अतिरिक्त श्रम करना होगा, तो क्या यह परिस्थिति एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण की नहीं होगी ! अगर एक वर्ग कला, सस्कृति आदि का विकास करता रहे और उसकी जाविका के लिए दूसरे वर्गों को सांस्कृतिक विकास से वचित रखना अनिचार्य हो तो क्या इस बात से वर्ग व्यवस्था को कायम रखने के लिए माकूल दलाल नहीं निकरती ? इस तरह क्या ब्राह्मण और शूद्र के रूप में दो वर्गों का अस्तित्व कायम रखकर शोषण की प्रक्रिया को स्थाई बनाना नहीं होगा ? जब समाज में बुद्धि के आधार पर वर्ग भेद रहेगा तो कोई शक्ति उस दूसरे वर्गों का शोषण करने से रोक नहीं सकती । चाहे जैसा भी सामाजिक विधान बने, बुद्धिजीवी किसी-न किसी रूप में श्रमजीवी का आर्थिक शोषण कर ही लेगा क्योंकि बुद्धिजीवी में बिना श्रम से उत्पादन किये ही श्रमजीवी से अधिक सहुलियत की चिन्दगी बसर करने की प्रवृत्ति पैदा होगी । जब तक यह तत्व मान्य नहीं होना कि जीविका के लिए श्रम अनिचार्य है और सेवा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व कमरई के लिए नहीं बल्कि समाज के प्रति कर्तव्य के निर्वाह के लिए है तब तक वर्ग निराकरण का स्थायी उपाय नहीं निकलेगा । स्थायी वर्ग निराकरण की दृष्टि से ही गांधा जी ने 'ब्रेड लेनर' को जीवन का अनिचार्य धर्म माना है ।

स्थायी उपाय नयी वालोम विराट स्वरूप

अतएव यद्यपि समझाने या मनाने की प्रक्रिया समाज में अन्याय निराकरण के लिए सामाजिक शक्ति बन सकती है फिर भी वह एक ताकालिक प्रक्रिया होगी और केवल एक पदक के लिए कारगर होगा । लेकिन दोनों वर्गों के सांस्कृतिक भेद को मिटाकर समस्त मानव की एक विकसित सांस्कृतिक वर्ग में परिणत करने के लिए ज्यादा स्थायी तथा क्रमिक प्रक्रिया की आवश्यकता है । उस उद्देश्य को सामने रखकर ही बापू ने नयी वालोम का शेष जन्म से



मृत्यु तक बतिया था। जय समाज के समस्त कार्यक्रम तथा उसकी संपूर्ण परिस्थिति के माध्यम से 'राजीवन शिक्षा' का आयोजन होगा तथा वह शिक्षा समाज के स्वाभाविक वातावरण में ही जायगी, जैसा गांधी जी की कल्पना थी, तो यह समाज नहीं उठेगा कि किसी को किसी चीज की प्राप्ति के लिए किसी दूसरी चीज को छोड़ना पड़े। सच बात तो यह है कि छात्राधिकार विकास और जीविका का मेज मिलाये बिना-एक के लिए नहीं, उनके लिए वर्ग भेद का मिटना समभव नहीं है।

अतएव जय गांधीजी जेल से लौटे और उन्होंने समझ लिया कि अंग्रेजी राज जा रहा है और देश को आजादी जल्द ही आने वाली है तो उनके सामने अहिंसक समाज के लिए क्रांति की नयी व्यूह-रचना तत्काल शुरू करने का प्रयत्न था। हमने कहा है कि इस व्यूह रचना को पूर्व तैयारी-उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में ही कर ली थी और रचनात्मक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के रूप में आगे की क्रांति के औजार भी बना लिये थे। इसीलिए उन्होंने इस क्रांति के काम के लिए उन्हीं को पहले बुलाया जिनको वह पहले से धीरे धीरे तैयार कर रहे थे।

जय लोग सेवाग्राम में एकत्र हुए तो उन्होंने अपनी परिकल्पना सारी संस्थाओं के सामने रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा अब हमारा काम कुछ लोगों को राहत देने का नहीं है। हमें अहिंसक समाज के लिए जन शक्ति का निर्माण करना है और उस जन शक्ति द्वारा क्रांति की व्यूह रचना करनी है। यही कारण था कि उन्होंने सबसे पहले चर्चा सच के सामने यह प्रस्ताव रखा कि सच अपने को विखेर दे और ७ लाख गांवों में फैल जाय। इसका मतलब स्पष्ट है कि वे चाहते थे कि चर्चा किसी संस्था द्वारा बेगन सेना का धरिया न होकर जनता के स्वावलम्बन का साधन बने। सच के ७ लाख गांवों में फैलने का मतलब यह है कि जनता इस स्वावलम्बन के लिए चर्चा-सच जैसी केंद्रित सेवा संस्था का भी मुहताज न रहे। अगर वस्त्रस्वावलम्बन जैसी एक छोटी-सी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी जनता को एक केंद्रित संस्था के

अधीन रहना पड़े तो पूरा समाज शासन-संस्था के नियंत्रण से कैदे मुक्त हो सकेगा। उन्होंने तारीफा सच से कहा अब तब हम बुनियादी शिक्षा के उपसागर में रहे। अब नयी तालिम के महासागर में जाना है तथा जन्म से मृत्यु तक की तालिम की पद्धति खोजनी है। स्पष्ट है कि किसी संस्था की चहारदावारी के अंदर यह काम समभव नहीं हो सकता है। इस प्रकार जेल से निकलते हुए गांधीजी ने सारे कार्यकर्ताओं के सामने अपना यह स्पष्ट विचार रखा कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सामाजिक व्यवस्था और शिक्षण के लिए जनता स्वावलम्बी हो और वह स्वावलम्बन उसके अपने सहकारी प्रयत्न से हो न कि बाहर के नियंत्रण से, चाहे वह सरकार का हो या संस्था का। इसके लिए उन्होंने ७ लाख गांवों के मार्गदर्शन के लिए ७ लाख गेक-सेवकों का आह्वान किया जो अपने धर्म तथा जनता के प्रेम से जीविका चगयें और अपने को जन-जन में विलीन करके क्रांति का प्रकाश स्तम्भ बनें।

ऊपर कहा गया है कि अहिंसक क्रांति विचार परिवर्तन तथा हृदय-परिवर्तन से होती है, और इसका प्रक्रिया बनाने और समझाने की होती है। वह न अत्यक्ष हिंसा की प्रक्रिया है, और न कायल की प्रक्रिया है बल्कि वह शिक्षण की प्रक्रिया है। हमने कहा है कि विचार-परिवर्तन के साथ साथ सृष्टि को भी बदलने की जरूरत है तभी क्रांति पूर्ण हो सकती है। इस परिवर्तन के लिए स्थायी कार्यक्रम की जरूरत है। निःसंदेह वह शैक्षणिक ही हो सकता है। इसलिए जय गांधीजी रचनात्मक कार्य को क्रांति की रीढ़ मानते थे तो वह यह कहते थे कि रचनात्मक कार्य रूपी सभी नदियों को अंत में नयी तालिम के समुद्र में मिलाना होता है क्योंकि जब क्रांति के लिए शिक्षा सामाजिक शक्ति के रूप में अभिष्टित होती है तो क्रांति के उद्देश्य से जो भी रचनात्मक कार्य किया जायगा वह अवश्य तारीफा का माध्यम होगा। गांधीजीने उस समय इस विचार को रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सामने रखा और सभी रचनात्मक संस्थाओं के लोगों को लेकर एक मिलापनी सच का सपटन किया।

इस तरह १९४८-४९ ई० में नयी तालीम के बारे में नया विचार सामने आया। लेकिन इतने विराट विचार की कल्पना गांधीजी ही कर सकते थे। उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से शायद कुछ दिशा भी मिलती। नयी तालीम के प्रथम चरण में श्री आर्यनायकम् जी तथा आशा देवी के नेतृत्व में देश में जगह-जगह नयी तालीम का जो प्रयोग चल रहा था उसके लिए भी गांधीजी का सतत मार्गदर्शन आवश्यक था। यही कारण था कि जब यह विचार होने लगा कि इसकी मुख्य प्रयोगशाला कहा रहे तो बिहार में सरेजे अधिक उत्साह दिखायी देने पर भी उसे बापू के ही पास रखा गया ताकि सेनाग्राम में बैठकर बापू पग-पग पर मार्गदर्शन कर सकें। अगर तांत्रिक में तैरने के लिए बापू का साक्षिण आवश्यक था तो समुद्र बिहार के लिए उनका नित्य-मार्गदर्शन कितना अधिक आवश्यक था, यह सहज ही समझा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह हो नहीं सका। विद्वन्-मुद्र समाप्त हुआ। मुलक के शासन का बागडोर भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित करने के लिए इंग्लैंड के मंत्री तथा उनके साथी देश के नेताओं से चर्चा करने आये ता स्वभावतः बापू का तात्कालिक ध्यान इस काम में लग गया।

बापू के नित्य-मार्गदर्शन के अभाव में हम चला सके तथा तालीमी क्षेत्र के कार्यकर्ता अपने काम के नव-संस्करण की दिशा में विशेष आगे नहीं बढ़ सके। विचार के लिए बापूजी से जो सत्र मिला था उसकी आशुति तो हम हमेशा करते रहे लेकिन व्यवहार में पुराने ढांचे की ही अधिक से अधिक सफाई करने में लगे रहे। देश के चाबू दिग्गज के काम में सुधार का हमारा यह प्रयास कुछ मददगार अवश्य हुआ, लेकिन शिक्षा में अहिंसक क्रांति के विकास या तालीम की क्रांति के वाहन के रूप में अधिष्ठित करने में हम कुछ विशेष नहीं कर सके।

दो साल तक गुलामी और आनादा के बाध का अधिकार में बापू को निरंतर राजनीतिक नेताओं के नजदीक रहना पड़ा। जिस जाति ने अपनी कूट नीति के सारे निरंतर को चाबू में कर रखा था उसके अक्तूबर '६२ ]

चोटी के राजनीतियों से सौदा करने के लिए नित्य बापू को सलाह की आवश्यकता थी। अतः दो साल के बाद जब राज्य की बागडोर नेताओं के हाथ में आयी तो स्वभावतः गांधीजी १९४५ में छोड़े हुए खोर को पकड़ कर आगे बढ़ते और हम लोगों के सामने समाज निर्माण के माध्यम के रूप में विभिन्न रचनात्मक प्रवृत्तियों का, विशेषतः नयी तालीम का, स्वरूप प्रकट होता। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हाँ, हमें आजादी मिली, लेकिन साथ-साथ बर्बादी का भी स्वाद चखना पड़ा। भारत का विभाजन हुआ तथा पूज्यभूत साम्प्रदायिक असहिष्णुता तथा घृणा का घड़ा फूटा। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक कल्लेआम तथा अत्याचार का नया नाच होने लगा। अहिंसाका पुतारी सामान्यतः अहिंसक समाज की व्यूह-रचना में ही लगा रहता है, लेकिन जब समाज में हिंसा का विस्फोट होता है तो उस स्थायी निर्माण के काम को निराला छोड़ना और विस्फोटक तत्वों के शमन के काम में लगना पड़ता है। इसलिए गांधीजी ने सब काम छोड़ कर साम्प्रदायिक विस्फोट के शमन के काम में अपनी सारी शक्ति और चिन्तन लगा दिया। अतः मैं शान्तिके इस अभियान में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी।

१९४७ के दिसंबर का महीना था। गांधीजी नोआप्लागी से दिल्ली लौट आये थे। नोआप्लागी का याना ने साम्प्रदायिक विस्फोट को काफी शान्त किया था। ऐसा आशा होने लगी थी कि अब गांधीजी उधर से पुसंत पाकर बीच में छोड़े हुए काम पर लग सकेंगे। दिल्ली जाकर उन्होंने सारे रचनात्मक कार्यकर्ताओं को बुलाया। सारी समस्याओं का बैठक रखी। रचनात्मक कार्यकर्ता अत्यंत आशा भरे दिल से दिल्ली में एकत्र हुए।

यद्यपि बापूजी की दो साल की अनुपस्थिति में नया मार्ग ढूँढ़ने में कार्यकर्ता असमर्थ रहे, फिर भी स्वतंत्र रूप से काम करने के कारण उन्हें कुछ लाभ हुआ। मुख्य लाभ यह हुआ कि उन्हें मान्य हो गया कि वह हैं कहा। जब हम स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे तो हमारे मन में यह निश्चय था कि स्वराज्यपाने पर

गांधीजी द्वारा प्रवर्तित रचनात्मक कार्य सरकार व द्वारा आसानी से हो जायगा। कांग्रेस ने गांधीजी की चर्चा, प्रामोयोग, तयी तारीख आदि प्रवृत्तियों को स्वीकार कर लिया था। राष्ट्र के तमाम नेता गांधीजी के इन विचारों का धूम धूम कर प्रचार करते थे। तो ऐसी आशा होना स्वाभाविक था कि जब कांग्रेस का मतहत इन नेताओं के हाथ में देश की पागडोर आयेगी तो वही विचार राष्ट्रनिर्माण की बुनियाद होगा जो गांधीजी द्वारा प्रवर्तित रचनात्मक कार्य के पीछे थे। लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। नेताओं ने आजादी की प्राप्ति के साथ-साथ पश्चिमी जगत के पुराने ढंग की मध्यम वर्गीय राजनीति तथा अर्थनीति को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अग्रजों के उताये हुए सामाजिक दर्शन को ही सगठित करने का निर्णय किया। कांग्रेस के मुख्य नेताओं ने गांधीजी के विचार को अस्वीकार करने की खुटे आम तार्किक की। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भागण करते हुए स्पष्ट कहा गया कि आजादी के संग्राम के लिए चर्चा आदि कार्यक्रमों का स्थान अरुण्य था लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में आजाद भारत में इन प्रवृत्तियों के लिए जगह नहीं रह गयी है। हमारे नेता न गांधी विचार की मूल निष्ठाओं पर टिक सके और न वे विज्ञान और लोगतन के इस युग की मांग ही समझ सके। स्वतन्त्रता के जोश में व लोकप्रवाह में यह गये। वे इसे नया मोड़ देने का शक्ति नहीं दिला सके।

### सरकार शक्ति, वनाम लोक-शक्ति

इस प्रकार हम रचनात्मक कार्यकर्ता यह समझ गये कि सरकार द्वारा हमारा काम आगे नहीं चलेगा। रचनात्मक कार्य के कुछ ऐसे नेता जो स्वराज्य के आन्दोलन के समय चर्च के काम में भी लगे हुए थे समझने थे कि राजनीतिक नेताओं ने गांधीजी को धोखा दिया। इसलिये वे सोच रहे थे कि अब समय आ गया है जब राष्ट्र के विचार के अनुयायी अपना सघटन बनाकर सत्ता पर कब्जा करें और सरकारी तारुत से राष्ट्र का स्वप्न पूरा करें। ऐसी मनोदशा में हम सब रचनात्मक कार्यकर्ता दिला में इकट्ठा हुए रचनात्मक

प्रवृत्ति व यह-यह नेता उपस्थित थे। उन्होंने राष्ट्र की के सामने अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने राष्ट्र का यह कहा कि आज जिस हाथ में राष्ट्र का वागडार है उनके द्वारा गांधीजी की कल्पना जाग नहीं चलेगी। उन्होंने अपना भावना को जाहिर करने हुए अधिकार हाथ में लाने की बात कही। कई दिनों तक चर्चा चलती रही। लेकिन राष्ट्र ने विचार हाथ में लेने की बात नामचूर की। उन्होंने कहा कि हम अधिकार का हाथ में लाने की कोशिश नहीं करना है बल्कि जनता में जाकर जन शक्ति निर्माण करना है। गांधीजी जिस तरह का क्रांति करना चाहते थे उस क्रांति की सिद्धि के लिए उनका ऐसा कहना जरूरी था। आगिर में जन वर्ग भद्र का निराकरण होने पर ही सैनिक शक्ति पर आधारित राष्ट्र सस्था का विघटन संभव है ता वय निराकरण का प्रक्रिया राज्य-आधारित कैसे हो सकता है? अतएव रचनात्मक कार्यकर्ता तथा नेताओं का यह समझना कि देश के राज्यकर्ताओं ने गांधीजी का धोखा दिया है और उनकी क्रांति की पूर्ति के लिए उन्हें सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहिए भ्रामक था। आज जब विनोदा जी गांधी विचार को स्पष्टता के साथ हमारे सामने रख रहे हैं तो हमारी दृष्टि धीरे धीरे इस बात के लिए साफ हो रही है कि अगर साध्य और साधन की एकता आवश्यक है तो शासन-सुन समाज की स्थापना के लिए क्रांति भी शासन निरपेक्ष प्रयत्न जन शक्ति के आधार पर ही चल सकती है।

सामप्रदायिक विस्फोट का शमन में गांधीजी का चितना काम था यह ही बुझा था। अब गांधीजी को अपने मौलिक काम में लगना था। निणय यह हुआ कि फरवरी १९४८ ई० के प्रथम सप्ताह में सेवा ग्राम में देश भर के रचनात्मक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया जाय। गांधीजी उस सम्मेलन में रचनात्मक कार्य का दिशा निर्देश करनेवाचे थे। दो साठ भटकों के बाद हमें समुचित मार्ग मिलेगा ऐसी आशा ही चली थी। लेकिन इस बार की आशा भी प्रारंभ में ही समाप्त हो गयी। राष्ट्र सेवाग्राम नहीं पहुच सके। वह कांग्रेस के लिए अगल कदम का दिशा निर्धारित

कर सेवाग्राम के लिए रवाना होने वाले थे। उन्होंने 'नो सलाह' रचनात्मक कार्यकर्ताओं को दा भी यही हिदायत फ्रांसिस के लिए भी मिल रही थी कि वह अधिक अधिकार में न जाकर लोक-सेवक-सचिव रूप में देश में फैल जाय। उन्होंने फ्रांसिस के लिए 'नो महाविद्यालय' बनाया था उसके प्रारम्भ में हा आगे की क्रान्ति के मूल्भूत तत्त्वों का दिग्दर्शन कर दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में यह लिख दिया था कि लोक-तन्त्र की प्राप्ति के लिए हिन्दुस्तान का भविष्य में जो सर्पण करना पड़ेगा यह सर्पण वैज्ञानिक शक्ति और जन शक्ति का बीच होगा। यही कारण है कि उन्होंने अत्यंत हिम्मत के साथ फ्रांसिस का साथ दिया था कि वह सत्ता में न जाकर जनता में फैल कर लोक शक्ति को सघटित करने का काम में लगे, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक शक्ति और जन-शक्ति के सर्पण में अगर जन शक्ति की निजयी होना है तो देश के सन्तसे शक्तिशाली और सघटित समुदाय को उस काम में स्थाना चाहिए। लेकिन सजाग्राम की यात्रा से पहले ही ३० जनवरी ४८ ई० की शाम का भारत मानु गांधी का निर्वाण हो गया। भारत स्तम्भित रह गया। एक धार सारा वातावरण निराशा से भर गया। गांधी के न रहने पर राजनैतिक नेताओं को निश्चय के राजनैतिक इतिहास की परम्परा को छोड़कर नये मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं हुई। शायद गांधी होते तो भी उनकी शिक्षा दीक्षा तथा संस्कार उन्हें गांधी सहाय न मानने देता। बापू की अनुपस्थिति में यह और कठिन हो गया। रचनात्मक

कार्यकर्ता भी निराश होकर गनी उनायी लीक पर ही चलने लगे।

उपर कहा गया है कि यद्यपि गांधी का मार्ग दर्शन के अभाव में नयी तालीम पुराने ढर्रे पर ही चलती रही, फिर भी वह अधिक स्पष्ट और परिमार्जित होती गयी। यह प्रक्रिया नया तालीम के प्रयोगों को अहितक समाज की भ्रान्ति का वाहन तो नहीं बना सकी, लेकिन पुरानी तालीम के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण नमूना पेश कर सकी। सेवाग्राम के मार्गदर्शन में देश की विभिन्न रचनात्मक सस्थाओं में जो प्रयोग हुए उनसे देश के नेताओं को यह बताया जा सका कि शिक्षा में उत्पादक भ्रम का स्थान क्या है। इन प्रयोगों से इतना समित हुआ कि उद्योगों को शिक्षा में स्थान देने से शिक्षित व्यक्ति अधिक व्यावहारिक तथा व्यवस्थित बुद्धि का होता है। यद्यपि रुढ़िग्रस्त मानस होने के कारण लोगों को बुनियादी शिक्षा की बुनियाद को स्वीकार करने में कठिनाई होती रही फिर भी उसके व्यावहारिक स्वरूप को देखने पहचान लिया और आज राष्ट्र की शिक्षा-नीति धारे धारे उस और झुक रही है। फलस्वरूप आज देश का सभी राज्यों में कुछ हेरफेर के साथ सर्वा शिक्षा-योजना को अपनाते का विचार चल रहा है।

इस प्रकार नयी तालीम की प्रगति के इतिहास का प्रथम अध्याय आखिरी दिनों में गांधी जी के मार्ग दर्शन से वंचित होकर भा देश की शिक्षा के क्षेत्र में एक आवरण देना दे सका।

( गतांक से समाप्त )

★

[ पृष्ठ ७२ का शेषांश ]

विभक्त हुआ। इस प्रकार ईश्वरपरायण लोगों को स्वतंत्रता, समता और प्रेम प्राप्त होता जिसका मिलना बाहरके, सघटित समाज में असभव था। यद्यपि वे लोग सामान्य जनता के हृदय में राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के पारस्परिक संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं कर सक, तो भी बाहरी पेशीदा परिस्थितियाँ बावजूद

व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का महत्व और व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता निःसंदेह रूप से सिद्ध कर दी। सामान्य जीवन के सघटित मंदार में वे एक ऊँचे टीले की तरह रहें। यह भी मानव समाज की प्रगति की दृष्टि से एक महान उपरजि ही थी।

अक्टूबर, '६२ ]

[ ७६ ]

आज वहाँ का भी और वँसा भी सवाल हो उसका विचार त्रिवे के सदर्थ में ही करना पड़ता है और विश्व के सदर्थ में विचार करेंगे तो ही छद्मी जवाब मिलना सम्भव है। विज्ञान देस और काल को नष्ट करने भिन्न भिन्न देशों और मानवों का समीप लाया है। लेकिन यह मानव के मनको समीप नहीं ला सका है और इसी में आज के सघर्ष और अज्ञाति का मूल है। मानव के शरीर समीप आये, लेकिन मन व्यापक नहीं हो तो जैसे आज हम देख रहे हैं मानव के शरीर और मन दोनों को ही खतरा है। विज्ञान देस और मानव को समीप ला सका इसका कारण विज्ञान में है उसी तरह मानव के मन को यह समीप नहीं ला सका इसका भी कारण विज्ञान में ही है। आज का विज्ञान अधिकांश फिजिकल है यानी वह भौतिक शास्त्र है। वह सृष्टि और मानव के अन्दर जो जडत्व है उसीका शास्त्र है। लेकिन मानव केवल जड नहीं है। उसमें एक मनस्त्व भी है जो घटन से सस्पृष्ट है। यही कारण है कि केवल जडत्व को लेकर चलने वाला शास्त्र मानव के मन पर व्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है। मनोविरलेपण-शास्त्र अभी तक एक भौतिक शास्त्र जैसा शास्त्र नहीं बन पाया है। बल्कि वह बन जाय तो भी मन के समग्र व्यापार का ज्ञान उसको हो जायगा ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि आज मनोविज्ञान भी जडत्व को लेकर चलने वाला भौतिक शास्त्र ही है। चूँकि मन चेतन से सस्पृष्ट है इसलिए जब तक चेतन के शास्त्र का (सायन्स आफ स्पिरिट का) हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक मनको वह जैसा और जितना है वँसा और उतना समझ नहीं पायेंगे तथा मनको व्यापक बनाने का यह जो शिक्षण का काम है वह भी हम नहीं कर पायेंगे।

भारतीय शिक्षण परंपरा प्राचीन है और ऋषिमुनियों से प्रेरित और प्रसृत है। जिस चेतन शास्त्र की मनको व्यापक बनाने की शक्ति है उस चेतन के धारे में भारतीय ऋषि-मुनियों ने क्या कहा है यह जानना आवश्यक

है। तभी आज भी शिक्षा प्रणाली मन को व्यापक करने का काम कर सकेगी। नारद सनत्कुमार ऋषि के पास गया बड़ी नम्रता-मूर्खता उरफा शिष्य बना और कहा "भगव दोवामि"। भगवन् ने दोषमन्त्र हू। "त मा भगव दोषस्य पार तारयतु" मुझे, हे देव, दोष से पार लगाइए। नारद मन्त्रविद् था। फिर भी दोष-मुक्त नहीं था। इसका कारण वह स्वयं गुरु से कहता है—'सो अह भगवो मन्त्रविदेवामि। नात्मवित्'। हे भगवन् मैं केवल मन्त्रविद् हूँ, पर मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ। नारद दोष मुक्ति और सुख प्राप्ति चाहता है। 'सुख भयवो विजिज्ञास'। हे भगवन् मुझे सुख का मार्ग दिखाइये। यह नारद की गुरु से माग है। इस पर सनत्कुमार ऋषि ने जवाब दिया—'यो वै भूमा तस्मुखम् नास्ते सुखमस्ति'। जो भूमा है वह सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा याना महान्, व्यापक, निरतिशय। यानी जो व्यापक है वह अद्वैत है। एकमेवाद्वितीयम्। जो व्यापक है, जो अद्वैत है वही अमृत है और जो अल्प है, जहाँ द्वैत है वह मृत्यु है। 'यो वै भूमा तदमृतम्, अथ यदल्पं तामर्त्यम्'।

जो एक महान् और व्यापक (मुनिवसंल) है वह अनेक, लघु और विशिष्ट (पटिक्युलर) बनता है तब उसका "बहुधा" स्वरूप हो जाता है। 'एकोह बहुधासु' सकिन् यह जो 'बहु' है वह एक का ही स्वरूप है 'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'। सारी सृष्टि में और मानव समाज में जो विभिन्नता और विविधता हम देखते हैं उसका रहस्य यही है और यही मानव जीवन की बड़ी जटिल और गूढ़ समस्या है, 'गुह्यतमम्'। यह गुह्यतम है इसलिए मानव मृत्यु और अमरत्व के बीच चक्कर काटता रहता है। वह नामा में एक को भूल जाता है तो मृत्यु को पाता है और नामा में एक को देखता है तो अमृतत्व को प्राप्त करता है। 'अविभक्त विभक्त्यु'। मुनिटी इन द्वायवसिटी-विविधता में एकता और द्वायवसिटी इन मुनिटी-एकता में विविधता। जिहोने जीवन के इस रहस्य को पहचाना और जीवन में उसको उतारा, सुख

और घाति उन्हीको बरण करते हैं। भारतीय श्रद्धि-  
 मुनियो ने इस जीवन-रहस्य को ठीक ठीक समझा था  
 और धर्म ( रिलीजन ) अध्यात्म ( स्पिरिच्युआलिटी )  
 विचार या दर्शन ( पाठ ) कला ( आर्ट ) सृष्टि  
 ( कलचर ) आदि, जिन को ( थिस आफ दि माइण्ड )  
 बुद्धि की चीजें कहते हैं उन मानवीय सामाजिक जीवन  
 के कुछ क्षेत्रों में उसे उतारने का प्रयास भी किया था  
 और नाकी हृद तक सफलता भी प्राप्त की थी। उनकी  
 इस सफलता का कारण यह था कि, वायजूद इसके कि  
 यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे, वे सृष्टि के जन्म और स्मिति  
 के इस धर्म की भी जानते थे कि-मुण्डे-मुण्डे मतमिन्ना  
 कुण्डे कुण्डे नव पयः । ( प्रत्येक दिमाग का अपना अपना  
 विचार और प्रत्येक पीछर का अपना अपना पानी । )  
 इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता की मान्यता देते हुए भी  
 उन्हीने व्यक्ति को कुल या जनपद का एक घटक ही  
 माना था और भौगोलिक और मानवीय भिन्नता क  
 आधार पर जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो सह-धर्मों  
 थे उनके विकास के लिए उनकी स्वतंत्रता या स्वायत्तता  
 दी थी। यही कारण है कि भारतीय धार्मिक, आध्या-  
 त्मिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रवाह हजारों वर्ष बहुत  
 हृद तक अबाध और शांत बहता रहा और यही कारण  
 है कि भारतीय सृष्टि में भिन्न भिन्न धर्म, संस्कृत  
 और संप्रदायों को आत्मसात् करने की और समझौता  
 करके उनके साथ सह-जीवन व्यतीत करने की एक विल-  
 साय धमिना दिखाई देती है। कई प्रकार के सफटा और  
 व्यापारों के वायजूद भारत ही एक देश है जिसका आज  
 भी अस्तित्व है-इसका भी यही कारण है। चीन एक ऐसा  
 दूसरा देश था लेकिन वह आज अपनी प्राचीनता की  
 धारणा को खो बैठा है ऐसा लगता है।

आज देश के सामने वैयनल या इमोशनल इण्टि  
 ग्रेसन ( राष्ट्रिय या भावात्मक एकता ) की एक बड़ी  
 समस्या खड़ी हो गयी है ऐसा कहा जाता है और माना  
 भी जाता है। लेकिन जिन शब्दों का हम उपयोग करते  
 हैं उनका अर्थ स्पष्ट समझ कर करना चाहिए। नही तो  
 साप साप कह कर रस्मों की ही पीटते रह जाने की  
 सम्भावना है। कहा जाता है कि भारत के आज टुकड़े-  
 टुकड़े हो रहे हैं और भारतीय लोगों में भावात्मक एकता

का अभाव दोष रहा है। पर जब यह कहा जाता है कि  
 भारत में कभी एक राष्ट्र की भावना नहीं थी तब मनमें  
 प्रश्न उठता है कि जिन हमारे पूर्वजों ने 'दुर्लभ भारते  
 जन्म, मानुष तत्र दुर्लभ' कहा उनके दिल में कौन सी  
 भावना थी? भारत के प्रति उनके मन में प्रेम या भक्ति  
 न होती तो क्या वे कह पाते कि भारत में जन्म दुर्लभ  
 है? आज भी कौन भारतीय होगा जिसके मन में भारत  
 के श्रद्धि मुनि, भारत का अध्यात्म, वेद, ब्रह्म-सूत्र, उप-  
 निषद्, गीता, भिन्न भिन्न दर्शन, रामायण महाभारत  
 आदि पुराणैतिहास-ग्रन्थ, दर्शनकार, आचार्य, संत, कवि  
 आदि के बारे में देश काल स्थान निरपेक्ष प्रेम या भक्ति  
 की भावना नहीं है? उनके नामस्मरण मात्र से आज  
 भारतीय मन प्रफुल्लित होता है और उन श्रद्धि मुनियो,  
 साधु सतों, आचार्य दर्शनकारों की कृति से उन्नत होता  
 है। मस्तक झुक जाता है। प्राचीन काल में आजकी  
 तरह यातायात और आवागमन के साधन नहीं थे, तो  
 भी काशी के विश्वनाथ को रामेश्वर सेतु के पवित्र जल  
 से रोज स्नान कराया जाता था। हम बच्चे थे तब तक  
 भी यह सुनते आये हैं। हम जब सुनते थे तो हमारा  
 मन पवित्र भावना से भर जाता था। और जो यह  
 करते थे उनके प्रति निरात आदर और भक्ति का  
 अनुभव होता था। गंगा, नर्मदा, कावेरी आदि सात  
 नदियां, सात पर्वत, सात नगरिया आदि का स्मरण हर  
 एक भारतीय नित्य करता था। आज भी महाराष्ट्र के  
 देहाती लोग कहते हैं-काशी जावे नित्य वरावे। रोज  
 कहते रहना चाहिये कि काशी जाना है। वे केवल कहते  
 ही नहीं हैं, उसके लिए पैट बांध कर पूंजी भी इकट्ठा  
 करते रहते हैं। काशी पर जिस का राज्य है या काशी  
 पहुँचने के लिए बीच में कितने राज्यों में से गुजरना है  
 यह उसे पता नहीं और पता लगाना वह जरूरी भी  
 नहीं मानता। सदियों से काशी के पण्डितों का धर्म-  
 निर्णय भारत के सभी पण्डित और सामान्य लोगों के  
 लिए शिरोधार्य रहे हैं। आज उत्तर और दक्षिण भारत  
 के बीच सुप्त सघर्ष चल रहा है। लेकिन हम सरकारतार्य,  
 कबीर, मीरा, या संतग्य देव का नाम सुनते हैं, उनकी  
 बाणी सुनते हैं या उनके गीत गाते हैं तो हमारे मन में दक्षिण,  
 उत्तर, पश्चिम या पूर्व ऐसा कुछ ख्याल ही आता नहीं है

बल्कि ऐसा अनुभव होता है कि ये सारे हमारे हैं। किसी प्रकार भेद भाव के बिना उन सब की अमृत वाणी से हम पुष्ट हो रहे हैं।

इसको हम भारतीयों की भावनात्मक एकता नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे ? आज इसमें कुछ कमी दीखती है तो इसका कारण दूसरा ही है। पश्चिम के साथ हमारा संपर्क आने के कारण हममें जो एक अभाव सी प्रथा से हम महसूस होने लगा और उसकी दूर करने का हममें जो प्रयत्न शुरू किया बहुत बड़ी इसका कारण है। भारतीयों में सदियों से इतनी भावात्मक एकता होती हुए भी यह जो कहा जाता है और वह कुछ हद तक सही भी है कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था, पर इसका अर्थ इतना ही है कि समूच भारत को एक राज्य ( One State ) बनाने के प्रयत्न में भारत असफल रहा। इस क्षम में पारचायों की जो सफलता हम दीखने लगी उसके मुकाबले में हमारी यह असफलता हम ज्यादा खलल लगी। साथ ही इस ऐतिहासिक सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत को अपनी इस असफलता के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन साथ साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि पश्चिम में भी जो एक राष्ट्र और एक सरकार की कल्पना का उदय और विकास हुआ है यह अर्धावीन काल में ही हुआ है। इससे पश्चिम को काफी लाभ भी हुआ है यह भी स्पष्ट है लेकिन पश्चिम के राष्ट्रों में इस एक राज्य और एक सरकार की कल्पना का विकास जिस परिस्थिति में और जिस तरह हुआ है उसके कारण उसमें एक प्रकार की आक्रामकता और सकीणता आ गई है। इसका ही एक परिणाम यह है कि उनके इस राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद और विद्वेयुद्ध को जन्म दिया तथा राष्ट्रों का यह सावभोमव ( साबरिनटी आक नेगस ) आज बिम्ब की एकता में एव महान रकावट बन गया है।

आज सारा संसार पश्चिम के ही विचार और आचारोंसे प्रभावित है और सामान्यतया प्रगति का यह लक्षण माना जाता है कि पश्चिम का अनुकरण करते जाय। लेकिन अब नेशनल स्टेट के लिए भविष्य बहुत कम रह गया है। आज व्यक्ति की राजनैतिक चेतना ( पोलिटिकल कांजस ) का अधिष्ठान राष्ट्रीय सरकार

है और वही उदात्त आजागी की बड़ी गैरन्टी है। इसलिए व्यक्ति को अपने लाभ या हित के लिए एक राष्ट्र का घटक नागरिक बनना पड़ता है। यद्यपि दूसरे जन समूह के साथ जुड़ने में यह एक बाधा है पर सच्ची जीवन गति दूसरे लोगों के साथ अपने को जोड़ने में ही है। ऐसी हालत में जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तब यह ध्यान में लेना चाहिए कि यह भावात्मक एकता की बात लोगों के सामने नहीं है। हम जो राष्ट्रीय एकता चाहते हैं वह है एक सरकार और उसके लिए निष्ठा। भारत एक राष्ट्र न रहने के कारण जिस तरह कुछ हानि का गिकार हुआ उसी तरह उससे कुछ लाभ भी प्राप्त कर सका है। और वह है विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं की विविधता संपन्नता सहिष्णुता और अल्प रूपी मूल्यों की प्रतिष्ठा। बिम्ब की एकता और गति के लिए इन गुणा को नितान्त आवश्यकता है। इसलिए हम एक राज्य और एक सरकार की बात करते समय यह ध्यान रखना होगा कि एक अभाव की पूर्ति के लिए दूसरे एक अभाव की जन्म न दें।

आज कल हिन्दी वालों का साम्राज्यवाद जैसा एक बात सुनने में आती है। भारत में भी राजनैतिक और सामाजिक क्षमों में साम्राज्यवाद रहा है लेकिन धर्म संस्कृति भाषा आदि क्षमों में इस साम्राज्यवाद से भारत हमेशा अछूना रहा है। राजनैतिक क्षम का वह साम्राज्यवाद भी अनाक्रामक रहा। संस्कृत भाषा का साम्राज्यवाद जैसी बात हममें कभी सुनी नहीं। आज भी संस्कृत को राष्ट्र भाषा बनाने की मांग इधर उधर बही नहीं सुनाई देती है पर वह ना के बराबर है न वह उचित ही है। तो भी आज इस देश में संस्कृत की भाषना कायम है और संस्कृत के प्रचार की मांग होती है। यह इसलिए कि भारतीय धर्म इन संस्कृति आदि का परिचय कर लेना हो तो संस्कृत का अध्ययन अत्यावश्यक है। यह संस्कृत की ऐयन्नता ही है जो उसे यह शायत दिला रही है। आज भी भारतीय पण्डितों में व्यवहार का भाष्य संस्कृत ही है। आज भारतीय लोक-अवधार के लिए ऐसी एक भाषा की आवश्यकता है और यह हिन्दी हो सकती है हिन्दी ही होने चाहिये। लेकिन अब यह मांग होती है कि हिन्दी राष्ट्रीय सरकारी भाषा हो और वह होती है

तो ही राष्ट्रीय एकाता सधेगी, सब लोगों की इस भाग में साम्राज्यवाद की गंध आने लगनी है। क्योंकि आज की सरकार लोचचाही सरकार है यानी बहुमत से चलने वाली सरकार है लेकिन वह केंद्रीय राज्य है। इसलिये अहिंसी लोगों के मन में—सच्चा या झूठा—यह भय पैदा होता है कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाकर उसके जरिए ये हिंदी भाषी लोग अपना राज्य कायम करना चाहते हैं।

पश्चिम का आज का राष्ट्रवाद एक व्यावहारिक और आक्रामकवाद सिद्ध हुआ है। राष्ट्रीय सरकार—नेशनल स्टेट—एक केंद्रित संगठन है और उसकी प्रवृत्ति सारी सत्ता अपने में केंद्रित करने की रहती है। इसके फलस्वरूप उसके मातहत भिन्न भिन्न धर्मों, संस्कृतियों और सामाजिक विविध जीवन को पनपने के लिए मौका बहुत कम मिलता है। उसका झुकाव यूनिफार्मिटी को ही यूनिटी मानने की ओर होता है। उदार राष्ट्रवाद का इंग्लैण्ड एक नमूना है, तो भी इंग्लैण्ड, स्काटलैण्ड वेल्स आदि भू-भाग में आज भी वहां के लोगों की अस्मिता अपनी कमिन्सिज के लिए छटपटा रही है। आज भारत में जो हम आपसी संघर्ष देख रहे हैं, उसका भी मूल कारण यही है कि प्रादेशिक अस्मिता, संस्कृति, भाषा, साहित्य और समाज जीवन को भय लगा है कि भारत की यदि एक ही सरकार बनती है तो नहीं उनके अस्तित्व को पक्का न पहुँचे। इसलिए हम संघर्ष को केवल सत्ता का संघर्ष मानना सही नहीं होगा।

इस संबंध में यह भी सुना जाता है कि अंग्रेजों के समय हममें जो एकाता और राष्ट्रीय भावना की वह भी आज नहीं रही। लेकिन यह कोई अभूतपूर्व घटना नहीं है। रोमन और ग्रीक साम्राज्य से मुगल साम्राज्य तक संसार भर के सभी साम्राज्यों का यही अनुभव आया है और वही अनुभव ब्रिटिश साम्राज्य के अस्त होने के बाद यहाँ भी अनुभव हो रहा है। इतिहास पुनरावृत्त हो रहा है। साम्राज्य की शक्ति के और नीति के कारण साम्राज्योंगर्भित भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो एकाता दी जाती है वह ऊपर से लायी हुई होती है। वह एकाता ऐच्छित नहीं है, जिंदा नहीं है। जैसे माता का पापा दृष्टते ही उनमें विरोध हुये मणि विगार जाते हैं, वैसे ही

साम्राज्य के अस्त होते ही ये देश पहले जैसे थे वैसे ही अलग अलग हो जाते हैं। आज जो अरबराष्ट्र राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर आपस में झगड़ते हैं वे ही एक जमाना था कि तुर्कों साम्राज्य में एक जैसे थे। साम्राज्य से रोमन या तुर्कों साम्राज्य का जो इतिहास है उसकी पुनरावृत्ति भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य के अस्त होने के बाद, हम नहीं देख रहे हैं—इसके मुख्य दो कारण हैं। एक यह कि प्राचीन काल से भारतीय ऋषि मुनियों ने हम लोगों के हृदय में भारतीय मक्ति का बीजारोपण किया और उसका पोषण किया। दूसरा यह कि अर्वाचीन भारतीय आगरण की बुनियाद अध्यात्म और भारतीयता रही है।

इसलिए आज जिसे हम भारतीय विपत्त की वृत्ति कहते हैं उसका भी यदि तटस्थ बितलेपण करेंगे तो उसका सही स्वस्व समझ में आयेगा। बाहिर आज भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोगों की भाग क्या है? वे अपने प्रदेश की संपूर्ण स्वतंत्रता मांगते हैं या भारतीय संघराज्य के अंतर्गत स्वायत्तता मांगते हैं? तामिलनाड के द्रविड चलनम जैसे छोटे लोगों को छोड़ कर और कोई स्वयं दिल्ली से अलग होना नहीं चाहता है। यह अपने अपने प्रदेश में अपनी सस्कृति, भाषा, जीवन आदि को रखा के लिए स्वायत्तता चाहता है और ज़माना से ज्यादा बुरा यही है कि वह दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदार बनने की इच्छा और ईर्ष्या रखता है। द्रविडचलनम वाले जो स्वतंत्र द्रविडस्तान की माग करते हैं उसका कारण भी यही है कि वे अपने को धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से भारत से इतना भिन्न मानते हैं कि दिल्ली के केंद्रीय शासन से दब जाने का उनको डर है। यह जो अलग पन बनाये रखने की व्यावस्था का अनुभव किया जाता है इसका कारण यह है कि भारतीय ऋषि, मुनि धर्म और संस्कृति का एक वैतन्व्यवस्तु के आधार पर संगम करने के अपने प्रयोग में उस हद तक नहीं पहुँच पाये और जहाँ तक पहुँचे वहाँ भी अधूरे रह गये।

भारत में आज जो संघर्ष दीखता है वह दर असल धर्म और सस्कृति का संघर्ष नहीं है बल्कि वह इण्डिविजुअलिटी ( Individuality ) और अटानमी, ( Autonomy ) तथा ऑटोक्रेसी ( Autocracy ) और कलेक्टिविटी ( Collectivity ) या टोटलिटेरिय-



निम्न (Totalitarianism) का है। चाहे यह एोर  
 दाही के ढग का हो या साम्यवादी ढंग का—इन प्रकार  
 का समर्पण कोई नया नहीं है, बहुत समतल है और यही  
 भिन्न भिन्न साम्राज्यों के उदय और अस्त का कारण है।  
 भारत में धर्म, संस्कृति और समाज जीवन की जो विवि-  
 धता है उसको ध्यान में लेकर ही स्वतंत्र भारत को  
 एक संघ राज्य घोषित किया। लेकिन नाम तो संघ राज्य  
 रखा, पर धारी सत्ता दिल्ली में केंद्रित कर दी और यह  
 अटनमी का झगडा सभी से शुरू हुआ जब सविधान  
 बना। तब यह प्रकट था पर अब गुप्त रूप में है और  
 कभी भाषा का तो कभी संस्कृति का रूप लेकर सामने  
 आता रहता है। असली प्रश्न तो अटनमी इन यूनिटी  
 का ही है, इण्डिपेण्डन्स का नहीं है। यदि यह विरलेपण  
 सही है तो आज के इन संघों का इलाज भी दूसरे प्रकार  
 का ही होगा और आज की परिस्थिति देखते हुए इसका  
 सही इलाज यही है कि भारतीय संघराज्य के अंतर्गत  
 सही स्वायत्तता प्रदान की जाय। यह स्वायत्तता केवल  
 स्टेट या प्रांतों तक ही सीमित रह जाय तो काम नहीं  
 बनेगा, परन्तु सामाजिक जीवन की जो छोटी सी छोटी  
 इकाई होगी वहा तक उसे ले जाना होगा। देश का  
 रोमांच्य है कि इस दिशा में कदम उठने लगा है और  
 पंचायती राज्य को स्थापना इसी दिशा का पहला कदम  
 है। यहा भी सवाल वही है कि ये पंचायतें भी कहीं  
 केंद्रीय सरकार के शासन के तथा विकास योजना के  
 साधन मात्र बन कर न रह जाय। जरूरत इस बात की  
 है कि ये पंचायतें सही माने में लोगों के समग्र जीवन का  
 विकास करने वाले राज्य या शक्ति-केंद्र बनें।

जो लोग विविधता को ही मानवीय जीवन की  
 सपनता मानते हैं उनके लिए राजनैतिक शासन के बारे  
 में भी कुछ न कुछ इसी दिशा में सोचना अनिवार्य है।  
 इस मामले में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि अनजान ही रहे  
 हो और इस दिशा में कोई प्रयोग उन्होंने किया न हो  
 सो बात नहीं है। उन लोगों ने ग्राम-पंचायत से लेकर  
 सम्राट तक एक ऐसा जुड़ा हुआ संगठन खडा किया था  
 जो जनता के विभिन्न धर्म, नीति, संस्कृति, साहित्य, कला,  
 भाषा आदि सामाजिक जीवन की विविधता को रखा के  
 लिए था उनमें दखल देने के लिए नहीं। उनको निय-

त्रित या नियमित करने, या सत्ता के बल पर किसी को  
 दबा कर किसी को उभारने का काम वे नहीं करते थे।  
 परन्तु उनका यह प्रयोग अल्प मात्रा में ही सफल हो  
 पाया।

एकता के मूल आधार हैं अध्यात्म (स्फिरिट) और  
 संस्कृति (कल्चर)। क्योंकि एकता मन से सबरित  
 वस्तु है। मन के मामले में संनिक या प्रशासकीय सत्ता  
 काम नहीं आती है। इसलिए एकता की स्थापना और  
 उसका दृढ़ीकरण नीतियों या राजनीतियों का काम नहीं  
 है। यह तो सत्युष्य शिक्षा और शिक्षकों का काम है।  
 इसलिए भारत की एकता को यदि हम दृढमूल बनाना  
 चाहते हैं और उसे शाश्वत बनाना चाहते हैं तो यह काम  
 सत्युष्य शिक्षा और शिक्षकों का है यह समझ कर  
 उसकी रचना और संगठन करना चाहिये। यदि इस  
 बात को हम मानते हैं कि भारत की भावात्मक एकता  
 का काम सत्युष्य शिक्षा और शिक्षकों का है यानी  
 अध्यात्म और संस्कृति का है तो हमारे ऋषि मुनियों ने  
 इस बारे में जो कुछ सोचा है और किया है उससे हमें  
 बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुख्य बीज-अध्यात्म,  
 दर्शन, संस्कृति वगैरे जो मन की चीजें हैं वे उन ऋषि  
 मुनियों के लिए 'एक चेतन' को अभिव्यक्ति के विभिन्न  
 प्रकार और उस 'एक चेतन' के शाखात्वार के साधन  
 थे। यह मानकर इनका विचार और विकास किया है।  
 यही इस क्षेत्र की उनकी सफलता का कारण था। साथ  
 ही इसी तत्व के व्यापार पर उन्होंने जीवन के जड या  
 भौतिक दोषों में भी प्रयोग किया, लेकिन उनको बहुत  
 कम सफलता मिली। आज हमें इसका चिंतन और खोज  
 करना होगा कि राजनैतिक आदि शरीरगत भौतिक  
 चीजों भी व्यापक पैमाने पर उस एक चेतन को अभि-  
 व्यक्ति के प्रकार कैसे बनें और एक चेतन के साधाल्कार  
 के साधन कैसे बनें? वृ कि ये भौतिक हैं इस लिए इन्हें  
 वह रूप देना अधिक कठिन है। क्योंकि अर्थ और काम  
 का सबंध मानवीय जीवन में जो जडतत्व हैं उनके  
 साथ है।

हमारे पूर्वज इस बात को ठीक तरह से धमस गए थे  
 और इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को  
 पुष्टार्थ कहा। इसका सही अर्थ यह है कि मनुष्य को

अपने काम की तृप्ति और अर्थ की प्राप्ति धर्म से यानी नैतिक साधनों से करनी चाहिए। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। ऐसा लगता है कि प्रारंभ से ही लोगों की धारणा बन गई कि ये चारो अलग अलग स्वतंत्र पुस्तकें हैं। इसी तरह गुण और कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चार वर्ण भी उन्होंने मान और उसका भी शुरू से नतीजा यह आया कि व्यक्ति और समष्टि दोनों विच्छिन्न हुए। यही कारण है कि व्यक्तित्व और समाज को अविच्छिन्न करने का उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ। सही माने में पुरपाय एक ही है, मोक्ष। चूंकि मोक्षार्थों का भी अर्थ और काम के बिना निस्तार नहीं है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि मोक्षार्थों को अपने अर्थ की प्राप्ति और काम की तृप्ति धर्म से करनी चाहिए। इस तरह से मोक्ष ही एक पुरपाय बनता है और मोक्षार्थों के लिए काम और अर्थ की प्राप्ति धर्म से ही करनी आवश्यक होती है तो समाज की श्रेष्ठ-नित्य धर्म के आधार पर चार वर्णों में बाटना अनावश्यक हो जाता है। यह राधेगा तो ही व्यक्तित्व और समाज दोनों अविच्छिन्न होंगे। अर्थात् अपने जीवन की पूणता के लिए हर एक को संपूर्ण नैतिकता यानी अहिंसा अपनानी होगी।

अध्यात्म ( स्फिरिट ) और भौतिक ( बाडी ) के बीच का सेतु नीति है। जीवन के राजनैतिक आर्थिक

और सामाजिक आदि क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्न पुस्तकें या लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए हमारा व्यवहार होगा, उसका आधार नीति होगी और उसके लिए जो सहाय्यें काम करनी होंगी उनके आधार तत्व होंगे—राजनैतिक स्वायत्तता ( पोलिटिकल अटानमी ) आर्थिक विकेंद्रीकरण ( इकोनॉमिकल डेसेंट्रलाइजेशन ) और सामाजिक समता ( सोशल इक्वालिटी )।

जैसे पहले कहा है भारत में भी राजनैतिक स्वायत्तता और आर्थिक विकेंद्रीकरण के आधार पर समाज का सगठन खड़ा करन का प्रयत्न किया गया था पर वह टिका नहीं। इसके दो कारण थे—एक सामाजिक समता पूर्ण रूप से स्थापित नहीं थी और समाज की रक्षा का अंतिम साधन सैनिक या राजनैतिक ( प्रशासकीय ) शक्ति ही था। केंद्रीय करण और आक्रमण-शीलता उन दोनों शक्तियों का गुणधर्म है। इसलिए इसके साथ राजनैतिक स्वायत्तता आदि तत्वों का विरोध आता है। इसीलिए रक्षा के लिए सैनिक और राजकीय शक्ति के बजाय किसी तीसरी शक्ति की खोज करनी होगी और उसी का सहारा लेना होगा। यह स्पष्ट है कि वह तीसरी शक्ति नैतिक शक्ति यानी अहिंसा ही हो सकती है। गांधी जी ने अपने जीवन-काल में इसका ही प्रयोग किया और अपने सारे प्रयोग के निचोटे में रूप में देन और दुनिया को बुनियादी तालीम जैसी नयी शिक्षा प्रणाली भेंट की।



### भूल सुधार

● सितम्बर '६२ के अंक में पृष्ठ ३३ पर नीचे से दूसरी पंक्ति में पढ़े—'मनुष्य मनुष्य के साथ ।'

● पृष्ठ ४४ के पहले कालम में ऊपर से आठवीं पंक्ति में 'यह देखने की जरूरत' से जोड़ लें—'नहीं है कि हिंसा और अहिंसा की सूक्ष्म परस्पर क्या होगी ? कहते'

माह नवम्बर '६२ से 'नयी तालीमो' का वार्षिक चन्द्रा ६ रु० हो गया ऐसी सूचना इसी अंक में दी गयी है। लेकिन जिन मित्रों का चन्द्रा पहले से जमा है उन्हें उतने में ही साल भर मिलती रहेगी। चन्द्रा समाप्त होने पर ६ रु० जमा करना होगा।

( व्यवस्थापक )

## भारतीय किसान को क्या चाहिए ?

[ यह टिप्पणी एदन 'टाइम्स' की है। दो गांवों ने सर्वेक्षण के आधार पर लेखक इस नतीजे पर पहुंचा है कि समग्र नयी तालीम, गांव के जीवन के हर पहलू को स्पष्ट चलनेवाली तालीम ही हमारे गांव को बदल सकती है। येवल आर्थिक कार्यक्रम एवांगी सिद्ध हो चुका है। इसलिए अब एक ही रास्ता रह गया है समग्र नयी तालीम का। धीरेनभाई की 'ग्राम-भारती' इसी तत्व पर आधारित है। स० ]

एशिया के किसान की गरीबी सामान्य बात है। एदि-भाई सरकारी ने आर्थिक प्रगति को जो प्राथमिकता दी है वह ध्यापक है। परिवर्धन की सहायता प्रदान प्रदान है। जब हम विद्वे की पचीस प्रतिशत से अधिक आयदो पर लागू होनेवाले इन सिद्धांतों को गांव के लोगों के जीवन के तथ्यों के सामने रख कर देखते हैं, क्योंकि एशिया के करोड़ों लोग गांवों में ही रहते हैं, तो उन सिद्धांतों की पूर्वनिश्चित उपयुक्तता बहुत कुछ क्षतम हो जाती है। कांग्रेस पक्ष के मुखपत्र 'आर्थिक समीक्षा' में भारत के दो गांवों का जो अध्ययन प्रकाशित हुआ है वह उन पाश्चात्य लोगों की, जो भौतिक विकास को ही गांव की पहली आवश्यकता मानते हैं आखें खोल देगा। केवल परिवर्धनवालों की ही नहीं, बल्कि दिल्ली में बड़े हुए योजना बनानेवालों की भी आखें खोलेंगा जो बंटे बंटे बुद्धि से चूल में चूल मिलाते रहते हैं। सब तो यह है कि गांव किसान की पूरी दुनिया है, और उसके विश्वास, उसकी परंपराएँ और उसका समाज इतना कठोर है कि आर्थिक फावर की धार इतनी तीव्र नहीं है कि वह खुद अंदर घुस कर अपना स्थान बना ले। जीवन की यदि बदलाव है तो एक नदी, कई पहलुओं से एकसाथ प्रयत्न करना होगा।

अधिक रूपया कमाने की इच्छा का सादा उदाहरण लें। क्या यह इच्छा सर्वव्यापी थी ? बिल्कुल नहीं। एक गांव जो उस पहर से चार मील है जहां औद्योगिक विकास का काम आरंभ हो रहा था, लगभग दो तिहाई लोगों ने स्वीकार किया कि वे अधिक आय चाहते हैं,

लेकिन दूसरे गांव में जो कल्पना के पास है और औद्योगिक परिधि के बिल्कुल अंदर है आधे से कुछ ही अधिक लोगों ने वह इच्छा जाहिर की। अधिक आमदनी का साधन अधिक उत्पादन है इस सबध की सजगता दोनों गांवों में भिन्न मात्रा में पायी गयी। पहले गांव में जहां केवल पचीस प्रतिशत लोगों ने यह माना तो दूसरे गांव में चालीस प्रतिशत ने माना। इन किसानों के रुख से जो बात प्रकट हुई वह वही है जो अर्थशास्त्र का एक सामान्य नियम है कि मनुष्य जब काम करता है तब काम और आराम का समान विभाजन करके करता है और उसे जो भी अवसर मिलता हो उसमें कम से कम आराम, अधिक से अधिक काम और अधिक आय के बीच संतुलन बँटाकर करता है। इन गांवों में धरती ही जीवन का एकमात्र आधार है इसलिए इस परिस्थिति को सामने रख कर ही गांव का आदमी अपनी पसंद करता है। पहले गांव में आधे से अधिक लोगों ने स्वीकार किया कि उनको पूरा रोजगार नहीं मिलता। जब वैकल्पिक उद्योगों के बारे में उनसे प्रश्न पूछा गया तो आधे तो ऐसे निकले जो खेती को छोड़ कर अब कुछ सोच ही नहीं सकते थे, बाकी बिल्कुल ही अनजान थे। उनके लिए पहर चार ही मील की दूरी पर था, लेकिन उनको काम के जो अवसर मिल सकते हैं उनकी आतंकी ती चार हजार मील दूर थी।

दूसरे गांव में जहां कारखाने तक आने जाने में बड़ी आसानी है, लोगों ने बातचीत के दरम्यान जो भाव व्यक्त किया वह और भी स्तम्भित कर देनेवाला है। उन

को यह मानूम था कि कारखाने में उनको काम मिल सकता है, पर शायद उनको यह मालूम नहीं था कि यहाँ गांव की औसत आमदनी से लगभग तिगुनी आमदनी हो सकती है। वे अपना गांव छोड़नेको तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका परिचित सभार उतना ही था। यद्यपि कारखाना गांव से दिखाई देता था, फिर भी वह उनके लिए दूर था, पट्टा के बाहर था। समझ है राहरी परिस्थितियों के ज्ञान का उन लोगों के मन पर कुछ हद तक प्रभाव पडा हो। एक गांव में जो कि औद्योगिक क्षेत्र के अर्थात् था उसमें लगभग ७२ प्रतिशत लोगों ने अपने गांव के आदिक व्यवसायों के प्रति असंतोष प्रकट किया और दूसरे गांव में जो शहर से चार मील दूरी पर था केवल ४१ प्रतिशत लोग थे जिनके मन में बंसा असंतोष था। बड़े अनुताप के साथ लेखक भागे लिखता है—'ऐना दीखता है कि ग्रामीण अभी तक अपने घरों के अंदर ही हैं और कोई बाहरी शक्ति उसे फाड़ने में समर्थ नहीं हो पायी है।'

स्मित-परिवर्तन के प्रति यह जो अनिच्छा है इसका विश्लेषण करने पर भाग्यवाद, ज्ञान की कमी, सामाजिक

जडता आदि कुछ कारण दीखते हैं। इस प्रकार के निरोधों द्वारा जो अमगत उत्तर निकलते हैं उनको देख कर सामाजिक सहायन में लगे हुए किसी भी पाश्चात्य की निराशा होगी। निष्कर्ष यही निकलता है कि—

यदि गांव को अपनी परिधि विस्तृत करनी है तो वह एकमात्र शिक्षासे ही संभव है और वह भी ऐसी शिक्षा से जो गांव तक पहुँचायी जा सके, प्राम-जीवन के हर पहलू को छू सके, ऐसे शिक्षण से नहीं जो कुछ मील दूर मिले। औद्योगिक क्रांति करना एक बात है, गांव को बदलना बिल्कुल दूसरी बात है। और औद्योगिक क्रांति के लिए यदि धदला हुआ गांव आवश्यक है तो उसके उन तत्वों पर कहीं अधिक विचार करना होगा जो आर्थिक नहीं हैं। एशिया के गांव बुद्धिवादी आर्थिक उद्धान को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं।

( 'नैशनल हेराल्ड' से साभार )

★

मुझे बार-बार विचारने पर साफ लगता है कि बापू को बापू बनानेवाली चीज उनकी सत्य की अराण्ड उपासना है। इसी सत्य से निर्भयता आयी, जिससे ईश्वर में श्रद्धा रखकर चलने के लिए सत्य के प्रयोगों का मार्ग खुलता ही गया। सत्य की अराण्ड उपासना और सत्य का आचरण करने की पूरी तैयारी मनुष्य को किस बोटी पर नहीं पहुँचा देगी, यह कहना मुश्किल है।

महादेवभाई देशाई

## मल-मूत्र-त्याग

बच्चे की ट्रेनिंग के बारे में सन पालकों की एक दृष्टि नहीं रहती। कुछ तो यह चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्द से जल्द हर काम सही ढंग से करना सीख जाय, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दो-दो साल तक बच्चे के मल-मूत्र-त्याग के प्रश्न को लेकर चिंतित नहीं होते। बच्चा कपड़े में टट्टो करता रहे और वे प्रेम पूर्वक कपड़े साफ करते रहें, इस स्थिति में उन्हें पूर्ण समाधान रहता है। ये दोनों बख शिक्षण की दृष्टि से असंतुलित हैं। प्रायः ऐसा होता है कि हम अपने अनुभव, कल्पना या विद्वान् क साचे में बच्चे को डालना चाहते हैं और बार-बार हमारी इसी दिशा में कोशिश रहती है। हम यह नहीं सोचते कि हम बच्चे के पालक हैं, मालिक नहीं, वह अपना व्यक्तित्व अपनी स्वतंत्र जीवन दिशा और अपनी सामर्थ्य लेकर पैदा हुआ है। वह अपने में पूर्ण है, माता पिता की छाया मात्र नहीं है, अवश्य माता पिता का अंश उसमें है।

कमी कमी ऐसा होता है कि कुछ पालकों को हर बच्चे ट्रेनिंग का भूल सवार रहता है। इसका यह असर होता है कि बच्चे में सफाई की लेकर खफत पैदा हो जाता है। वह बड़ा होने पर हर बच्चे 'भिन भिन' करता रहता है। ट्रेनिंग को लेकर ऐसे पालकों का अपने बच्चों के साथ सघर्ष सा छिद्रा रहता है। इस सिलसिले में ऐसा होता है कि जब पाठक शिक्षण का आग्रह छोड़ देते हैं तो बच्चा सही ढंग अपनाते लगता है। वह ऐसा शायद अनुकरण से करता है। लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे को प्रकृति के भरते छोड़ दिया जाय तो उसमें अपना अभिक्रम जल्द जगता ही नहीं। इसलिए यह मानकर चलना ही चाहिये कि सभी बच्चों के लिए शिक्षण का न कोई एक समय है, न एक तरीका। बच्चा कब क्या सीखने के लिए तैयार है, यह परतना माता पिता का काम है, और वह परत कर प्रोत्साहन द्वारा उसे आगे बढ़ाना

## राममूर्ति

शिक्षण की प्रक्रिया है। हर क्रिया में बच्चे का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि होनी चाहिये। माता-पिता, बुजुर्ग या गुरु का आग्रह—उसके पीछे नेकनीयती चाहे चितनी हो—कमी स्वतंत्र शिक्षण का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए किसी चीज की ट्रेनिंग शुरू करने के पहले यह देख लेना जरूरी है कि बच्चा कुछ थोड़ा भी तो समझने लायक हो जाय। अगर बच्चा रोज करीब एक ही समय पर मल-त्याग करता है तो उसे शौच-स्थान पर बिठाना शुरू कर देना चाहिये। यह ७ से १२ महीने के भीतर हो सकता है। उन बच्चों के साथ ऐसा करने में आसानी होती है जो सुबह नाश्ते के बाद टट्टी करने लगते हैं। लेकिन जिन बच्चों का बच्चा जल्द नहीं बघता, उनके सबध में कठिनाई होती है। वह हमारे आग्रह का उत्तर अपने विद्रोह से देने लगता है।

१२ से १८ महीने के बीच बच्चे का ध्यान अपने आप मल-मूत्र-त्याग की क्रिया की ओर जाने लगता है। ऐसी हालत में अगर उसका मल-मूत्र त्याग का समय भी बध चला हो तो मा को चाहिये कि सघर्ष का अनुमान करके बच्चे को दस पाँच मिनट शौच-स्थान पर बिठाये और अगर वहाँ वह मल-त्याग करना शुरू करदे तो उसे प्रोत्साहित करे। इस तरह शौच स्थान पर बैठना और मल-त्याग करना बच्चे के लिए गर्व का विषय बन जायगा। लेकिन अगर बच्चा इस तरह सहयोग नहीं करता तो धैर्य रखना चाहिये। इस मामले में उसके सहयोग या जिद को अपनी जिद से दबाने की कोशिश करना बेकार है।

कुछ माता-पिता अपनी तरफ से कुछ शुरू न करने के दूधरे छाल में कुछ महीने और बीतने देते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे बिना सिखाये ही शौच की आवश्यकता महसूस होने पर मां को इशारा करने लगते हैं। जो बच्चे इशारा न करें, लेकिन नाश्ते के बाद शौच की जरूरत महसूस होती है, उन्हें शौच

स्थान पर विठाना चाहिए। विठाना ही नहीं चाहिए, बल्कि मा के द्वारा रच्चे को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। बच्चे को यह भाव्य होना चाहिए कि इन्कार करने से वह या सही स्थान पर शीघ्र करने से मा खुश होती है। मा की खुशी किस हद तक शैक्षणिक प्रक्रिया नगरी जा सकती है इसका अनुमान हम लोगों को नहीं रहता। हम समझते हैं कि डाट-डपट और मार पीट से ही मनुष्य सीखता है। बच्चे के शिक्षण में यह दृष्टि घातक है। कई बच्चों को पैट या जाधिये आदि में टंटी हो जाने से घिन लगती है। उठकी इस प्रति क्रिया का लाभ उठा कर मा को कहना चाहिए कि— 'मुझे पहले बता दिया करो तो कपड़ा नहीं गदा होगा।' एक बार कहने से काम नहीं चलता, यह बात बार बार द्धरानी चाहिए। जो रच्चे डेढ़ छाल की उम्र में भी इन्कार न करें या टट्टी से जिन के मन में घृणा पैदा न हुई हो उन्हें कुछ समय नगा छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा टट्टी करने के बाद माको रताना शुरू करेगा, फिर पहले बताने लगेगा। मा के प्रोत्साहन भरे शब्दों में बच्ची दक्षि है। यह याद रहे कि प्रोत्साहन देना एक बात है और रोज घण्टे भर उपदेश का कार्यक्रम घना लेना बिल्कुल भिन्न बात है। शिक्षण के लिए धैर्य चाहिए। डराना, अग्निन करना या उपहास करना आदि का शिक्षण के साथ मेल नहीं है।

बच्चे के लिए परिवार के शौचालय से अलग एक स्थान बनना चाहिए जो उसके लिए सुविधाजनक हो और जिसके सब में बच्चा यह समझे कि नया शौचरथान विशेष रूप से उसके लिए बनाया गया है। बच्चे कभी कभी अजीब क्रिम से जिद दिखाते हैं। विठाने पर ब सही जगह पर बैठ तो जायेंगे, लेकिन जब तक बैठे रहेंगे टट्टी नहीं करेंगे, लेकिन उठते ही थोड़ी दूर जा कर

टट्टी करेंगे या ऐसा भी करेंगे कि मटों बाद तक टट्टी रोक रखेंगे। बच्चों की इस शरारत पर बड़ी सीज होती है, लेकिन मन के व्यापारों को समझना बहुत मजेदार होता है।

बच्चे की इस जिद को कैसे दूर किया जाय, यह प्रश्न है। एक उपाय यह है कि उधा जब तक शौच के लिए बैठा रहे मा भी उसके साथ बैठी रहे और उसे प्रोत्साहित करती रहे। लेकिन बच्चा अगर कुछ मिनट बाद पिना टट्टी किये उठना चाहे तो उसे उठने दे और अगर वह अलग जाकर टट्टी कर देता है तो यह समझ ले कि वह शरारत नहीं कर रहा है, बल्कि यह दिराने की कोशिश कर रहा है कि वह कितना स्वतंत्र है। दूसरा उपाय यह भी है कि अगर बच्चे की जिद कुछ दिनों तक कामय रहता है तो उसे छोड़ देना चाहिए, और कुछ हफ्ते बात बाने के बाद ही फिर कोशिश शुरू करनी चाहिए। इस तरह समझ बूझ कर माको बाच म प्रत्याहित करती रहना चाहिए। प्रोत्साहन के तौर पर नये कपड़े, मिय रिलीने, रबि का मोजन आदि भी देना अच्छा होता है।

अगर ऐसी स्थिति हो कि बच्चे को टट्टी करने में किसी कारण से कष्ट होता हो तो इलाज करना चाहिए। दर्द के भय से भी रच्चे टट्टी करने से बचना चाहते हैं।

रच्चे की जिद का जवाब जिद से कभी न दिया जाय, बल्कि उपेक्षा की जाय। माके क्रोध से मुक्त हो ही अगर क्षरता नहीं मिली तो बच्चे में आत्म मर्त्तना पैदा होती है। अजित करने की प्रक्रिया उसे रफ्तार के चारे में बहनी और नाजुकमिनाज बना देती है। दोनों ही स्थितियाँ बुरी हैं। धैर्य और प्रोत्साहन, धैर्य और प्रोत्साहन—यह यही प्रक्रिया प्रामाणिक है।

★

## नयी तालीम परिवर्तन, सेवाग्राम

अगस्त की २८, २९ और ३० तारीखों को सेवाग्राम में नयी तालीम के धुने हुए कार्य-वर्ताओं की एक गोष्ठी हुई जिसमें नयी तालीम की विविध समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार हुआ। दिशा-संकेत की दृष्टि से उस चर्चा का सार हम नीचे दे रहे हैं।

### बुनियादी शिक्षा की स्थिति

१ पिछले वर्षों में राज्य-सरकारों द्वारा बुनियादी शिक्षा का जो काम हुआ है उसमें उसका सधा स्वरूप बहुत कम देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसी शिक्षा पद्धति को सफलतापूर्वक अमल में लाने के लिए विचार, तथा व्यवस्था सम्बन्धी जिन विविध अनुकूलताओं की आवश्यकता होती है उसका सर्वथा अभाव रहा है। बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय नीति के तौर पर मान्य किये जाने के बावजूद उसे जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली, बल्कि पुरानी शिक्षा की प्रतिष्ठा ज्यों-की-त्यों बनी रही। बुनियादी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऊंची शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों का रास्ता लगभग सब राज्यों में बंद रखा गया है। बुनियादी शिक्षा में विद्यार्थियों की योग्यता आंकने की जो विशिष्ट पद्धति थी उसकी उपेक्षा करके परीक्षा को प्रचलित ढाँचे में ही उसे बिठाने की कोशिश की गयी ऐसी पूर्णतः प्रतिबूल परिस्थिति में बुनियादी शिक्षा से सफलता की अपेक्षा रद्दना अन्याय है।

२ फिर भी यह सतपे का विषय है कि देश में कुछ ऐसी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएँ हैं जिनके शिक्षकों तथा प्रबंधकों ने जिस प्रयोग शीलता का परिचय दिया है उसके कारण बुनियादी शिक्षा की सफलता की स्पष्ट संभावनाएँ प्रकट हुई हैं। उनसे यह विश्वास बढ़ता है कि बुनियादी शिक्षा के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वे सही हैं। आज बुनियादी शिक्षा की विफलता की जो बात कही जा रही है वह साफ साफ इस कारण है कि उसके मूल सिद्धांत सही ढंग से लागू ही नहीं किये गये।

३ शिक्षा-शास्त्र नित्य विकासशील है इसलिए शिक्षा की कोई पद्धति चाहे वह कितनी भी नयी और अच्छी हो, हमेशा के लिए नयी और अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कुछ थोड़ी ही संस्थाओं में सही इस प्रयोग को बढ़ावा के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और किसी एक स्थान पर पूर्व बुनियादी से उत्तम बुनियादी तक की धार्मिक शिक्षा का संपूर्ण दर्शन मिले इस दृष्टि से बुनियादी शिक्षा के एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

### प्रयोग तथा अनुसंधान की दिशा

४ प्रयोग और अनुसंधान का उद्देश्य बुनियादी शिक्षा की समस्याओं का हल ढूँढना तथा उसकी मान्यताओं का निरीक्षण-परीक्षण करना होगा।

५ (१) विज्ञान के कारण मानव के जीवन में सर्वांगीण विकास की जो संभावनाएँ पैदा हुई हैं उनकी पूर्ति के लिए विकेंद्रित उद्योगों तथा खेती की टेकनालोजी की तरफ़ी में आधुनिक वैज्ञानिक उपायों का प्रयोग किया जाय।

(२) विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक प्रयोग किये जाय—मुख्य रूप से 'अथारिटेरियन' समाज को बदलने की दृष्टि से स्वतंत्र विचार-शक्ति और कर्तृत्व-शक्ति के विकास के लिए।

(३) प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक नये नेतृत्वके विकास की दिशामें प्रयोग हों।

(४) दुनियाँ की ज्ञान-साधना तथा प्रचलित ज्ञान प्रवाह के साथ अपने काम का पूरा सम्बन्ध रहे तथा आदान-प्रदान की व्यवस्था हो।

६ अगर प्रयोग वैज्ञानिक ढंग से चलेगा तो उसमें से पर्याप्त मात्रा में शास्त्रीय साहित्य का निर्माण होना स्वाभाविक है, फिर भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

७ आम जनता के पास विचार पहुँचाने वाला 'पाप्युलर' साहित्य का निर्माण हो।

८ अपने चारों तरफ के समाज की समस्याओं का अध्ययन किया जाय तथा विद्यालय में प्राप्त नये ज्ञान को समाज तक पहुँचाने का उपाय किया जाय।

### अवतक के काम का मूल्यांकन

९ अब तक बुनियादी शिक्षा के सरकारी या गैर सरकारी जो प्रयोग हुए हैं उनमें किस दिशा में क्या सफलता या विफलता हुई है उसकी सुव्यवस्थित समीक्षा सर्व-सेवा-संघ की ओर से हो। ऐसा करने से अब तक के दोषों तथा अपूर्णताओं को दूर करने में सुविधा होगी। इस काम में नयी तालीम आन्दोलन में लगे तथा सरकार की ओर से काम करने वाले मित्रों और सस्थाओं से मदद ली जाय।

१० केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से तत्काल यह अपेक्षा है कि वे बुनियादी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऊँची शिक्षा तथा सरकारी पदों का दरवाजा खोल दें। बुनियादी के विद्यार्थियों को प्रतियोगितामूलक सरकारी परीक्षाओं में भी बैठने का अवसर मिलना चाहिए।

११ यद्यपि श्रमाधारित जीवन की साधना और योग्यता विकसित करना नयी तालीम का ध्येय है, फिर भी सरकारी तथा जीविका के दूसरे क्षेत्र भी समाज के आवश्यक कार्य हैं। उनमें व्यक्तिगत लाभ के बदले सेवाभाव का समावेश सही शिक्षा का परिणाम होना चाहिए। इस लिए बुनियादी शिक्षा के विद्यार्थियों में यह भावना कदापि नहीं पैदा होने देनी चाहिए कि शिक्षा की इस पद्धति को स्वीकार करने के कारण वे किसी अवसर से चञ्चरदस्ती वंचित किये जा रहे हैं। इस लिए उनके लिए हमारी ओर से सब रास्ते खुले रहने चाहिए।

१२ अगर सरकार तथा विश्वविद्यालय बुनियादी शिक्षा की 'असेसमेट-पद्धति' को कुछ विद्यालयों तक ही सीमित प्रयोगात्मक मान्यता दगे तब भी बुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

### राष्ट्र-व्यापी नयी तालीम

१३ नयी तालीम को देश व्यापी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि देश के लोग उसको समर्थ और अपनायें। नयी तालीम के सामने समाज-परिवर्तन का जो विशाल चित्र है वह केवल बच्चों की तालीम से नहीं साकार हो सकता। इसके लिए देश में लोक शिक्षण भी नयी तालीम के कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सही है कि अगर बच्चों की शिक्षा में उत्तर बताए हुए प्रयोग और सशोधन होंगे तो नयी तालीम को लोक प्रिय तथा राष्ट्र व्यापी बनाने में मदद मिलेगी।

१४ देश में प्रचलित शिक्षा की सामान्य समस्याओं में नयी तालीम के कार्यकर्ता दिलचस्पी लें तथा उनके माध्यम से शिक्षा के सम्बन्ध में लोक-जागृति पैदा करें। इस दृष्टि से वे शिक्षित वर्ग, सरकारी अधिकारी, पंचायत के पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी आदि के साथ आदर-पूर्ण संपर्क स्थापित तथा विचार का आदान-प्रदान करें।



१५ कार्यकर्ता विशेष रूप से माता पिता से संपर्क करें और उनके जीवन में नयी तालीम के मूल्यों को प्रतिष्ठ करने का प्रयत्न करें। इसके लिए बालक शिक्षक सघ आदिकी स्थापना करें।

१५ बाल मंदिर के द्वारा लोगों को नयी तालीम का भव्य दर्शन मिलना है इसलिए बाल-मंदिर जहाँ योग्य शिक्षक मिलें चले जाय।

१६ शिक्षण-सप्ताह, मनाये जाय तथा सभा-सम्मेलन आदि विचार प्रचार के सारे साधन अपनाये जाय।

१७ नयी तालीम के काम को बल और गति देने के लिए सर्व-सेवा-सघ की एक नयी तालीम समिति बनायी जाय। साथ ही प्रांतीय नयी तालीम सघों को भी सक्रिय किया जाय। जहाँ इस प्रकार के सघ नहीं हैं वहाँ कायम किये जाय। सर्व-सेवा सघ की नयी तालीम समिति काम करने वाली सस्थाओं के साथ सवध रखे और उनका मार्ग-दर्शन करे। यह समिति गैर सरकारी तौर पर चलने वाली नयी तालीम की सस्थाओं को प्रमाणित करे।

‘सोशल डाइनेमिक्स’ के रूप में नयी तालीम

१८ नयी तालीम आर्थिक योजना की पूरक प्रक्रिया नहीं है। उसका लक्ष्य मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज निर्माण है।

१९ लेकिन आर्थिक संयोजन की भूमिका में तालीम से दो अपेक्षाएँ की जा सकती हैं — (क) स्थानीय समस्याओं का अध्ययन, शोध, समाधान, (ख) प्रामाण क्षेत्र के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।

२० संयोजन के कार्यान्वयन की दृष्टि से जनता स्वयं अपनी आवश्यकताएँ आवेगी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति को योग्यता पैदा करना तालीम का काम है।

२१ आज लोक शिक्षण को तीन मुख्य धाराएँ हैं

(१) ‘ग्राम भारती’ की योजना में गाँव की बुद्धि, शक्ति और साधन से गाँव के समग्र विकास को-शैक्षणिक तथा आर्थिक सम्मिलित क्रिया के रूप में-सम्पूर्ण गाँव की नयी तालीम का माध्यम बनाने की कल्पना है। इसका लक्ष्य ग्रम और साम्य के आधार पर शासन निरपेक्ष, सहकारी समाज की स्थापना है।

(२) अत्योदय की दृष्टि से ग्राम निर्माण के लिए जनता को ‘मोपिलाइज’ करना और उसके नेतृत्व के लिए कार्यकर्ता तैयार करना तथा समस्याओं का समाधान देना।

(३) जनता की तात्कालिक समस्याओं (कन्सर्न्स) को शिक्षण और संगठन का माध्यम बनाना। अलग-अलग परिस्थिति में इन तीनों पद्धतियों की उपयुक्तता है, और इनका प्रयोग होना चाहिए।

२२ जो भी योजना ली जाय कार्यकर्ता उसका चेतन आधार है इसलिए इसका प्रशिक्षण सबसे अधिक महत्व रखता है। ठोस प्रशिक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण को क्षेत्र के काम के साथ जोड़ा जाय और शैक्षणिक प्रक्रियाएँ अपनायी जाय।

२३ हमारे हर काम में ‘सह चिंतन’ की प्रक्रिया अपनायी जाय। चिंतन में सहकर होगा तो काम में भी सहकार होगा।

# सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति का भाषा सम्बंधी प्रस्ताव

[ अखिल भारत सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति की १ से ७ सितम्बर ६२ की मसुराई में हुई बैठक में स्वीकृत किया गया, भाषा सम्बंधी प्रस्ताव यहाँ दिया जा रहा है।—सं० ]

भारत सरकार की ओर से यह जाहिर किया गया है कि भारत के संविधान में जल्दी ही ऐसा संशोधन लाने का सोच रहे हैं, जिससे १९६५ के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी बिना कोई अवधि रखते हुए, दूसरी केंद्रीय भाषा के रूप में चालू रखा जायगा।

भारतीय संविधान में, उसके लागू होने के मन्द्रक वर्ष तक, अर्थात् सन् १९६५ के प्रारम्भ तक, अंग्रेजी के केंद्रीय राजभाषा के तौर पर उपयोग की अवधि नियत की गयी थी। इस अवधि के बाद राजभाषा हिन्दी हो, ऐसा मान्य किया गया था।

पर इस बीच किन्हीं कारणों से कुछ क्षेत्रों में एक भय-सा महसूस हो रहा है कि हिन्दी उन पर लायी जा रही है। फलस्वरूप इस बारे में विरोध का एक वातावरण बसा हुआ है।

सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति ने इस विषय पर विचार किया। शिक्षण के माध्यम और स्कूलों में एक भाषा के तौर पर अंग्रेजी के शिक्षण को बाधित करने से संबंधित प्रश्नों पर भी प्रबन्ध समिति ने विचार किया और नीचे लिखे निर्णय लिये :

(१) मौजूदा परिस्थिति में, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, समिति की राय में अंग्रेजी को दूसरी भाषा के तौर पर १९६५ के बाद भी चालू रखने का जो मुद्दा है, वह इस विषय का एक अन्तर्गह्य है। समिति की आशा है कि इस कदम से भय और घृणा का वातावरण धीरे-धीरे निर्मूल होगा।

(२) साथ ही इस बात की ओर ध्यान दिगाना भी आवश्यक है कि अंग्रेजी के उपयोग को मुदत हटाने के साथ-साथ स्वाभाविक ही हिन्दी को पूर्ण विकसित करने की ओर केन्द्रीय राजकाज तथा सरकारी कामों में उसके उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उपयोग की जिम्मेवारी भी बढ़ती

बढ़ जाती है। इस प्रकार की कार्यवाही के अभाव में इस भय की गुंजाइश हो सकती है कि 'दूसरी' भाषा के नाम पर प्रत्यक्षतः एक अंग्रेजी ही चले। इसलिए संविधान में जब संशोधन का घोषा जा रहा है, तब इस श्राद्धीय जिम्मेवारी के अद्य पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

(३) आज की स्थिति में इस बात पर जोर देना जरूरी है कि जहाँ बंसी शक्यता हो वहाँ, प्रांतों का राजकाज और कारोबार जल्दी-से-जल्दी संबंधित प्रांतीय भाषा में चले, इसकी पूरी कोशिश की जाय। अन्यथा स्वतन्त्र-प्राप्ति का लाभ ग्रामीणों तक की जो गिल्टना चाहिए वह नहीं मिलेगा।

(४) स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम जारी रहे, इस प्रकार की जो आवाज स्वचित उठ रही है, उसके अनु-कूल दलीलों का पूरा खयाल रखते हुए भी समिति की यह निश्चित राय है कि यह मांग शिक्षण के इस मूलभूत विचार के ही खिलाफ है कि बालक का शिक्षण उसके वास्तविक के वातावरण की भाषा में होना चाहिए।

कालेजों और विरवविद्यालयों में भी स्वाभाविक ही माध्यम प्रांतीय भाषा होनी चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह उचित है। साथ ही इस बात के लिए गुंजा-इश रहे कि आवश्यकतानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में कालेजों और विरवविद्यालयों में शिक्षण के माध्यम के तौर पर उपयोग में लायी जा सके।

(५) समिति की इस बारे में एतराज नहीं है कि बुनियादी स्तर तक की ताशिम की समाप्ति पर, अर्थात् छात्रों के छात्रों से एक भाषा के तौर पर अंग्रेजी सिखायी जाय। चूंकि हिन्दी भारत की अधिकांश भाषाओं से अंग्रेजी की अपेक्षा ज्यादा नजदीक है, छत्ता उम्तरा शिक्षण पारिबीय भाषा से प्रारम्भ हो सकता है।

## भाषा का प्रश्न

स्पष्ट और वैज्ञानिक चिन्तन के लिए  
एक अनुरोध

- राज्य-भाषा
- शिक्षा का माध्यम
- भाषा का अध्ययन

सिद्धराज ढड्डा

हिन्दुस्तान की राज्य भाषा का खवाल फिर से चर्चा का विषय बन गया है। जब देश का सविधान बन रहा था तब इस प्रश्न पर काफी याद विवाद चला था और अतमें यह फैसला हुआ कि राज्य भाषा हिंदी हो, पर अंग्रेजी से हिंदी की बदल होने की तैयारी के लिए, हिंदी को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए तथा अहिंदी भाषी लोगों को हिंदी सीख लेने का मौका देने के लिए सविधान के लागू होने की तिथि में १५ वर्ष का समय दिया जाय और तब तक अंग्रेजी राज्य भाषा के रूप में जारी रहे। इस आधार पर अंग्रेजी के लिए सन् १९६५ तक की अवधि तय की गयी थी, जिसके बाद केंद्राय सरकार के कामकाज तथा आन्तर प्रांतीय व्यवहार के लिए सिर्फ हिंदी ही जारी रहेगी, ऐसा माना गया था।

दुर्भाग्य से, कुछ तो चंद हिंदी भाषी लोगों की अनुरक्षिता के कारण, कुछ चंद अहिंदी भाषी लोगों के दुराग्रह के कारण और कुछ फैसले को क्रियान्वित करने के बारे में जिम्मेदार लोगों की तथा केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों की दिहाई के कारण हिंदी को राज्य-भाषा बनाने का खवाल इन पिछले वर्षों में काफी विवाद का विषय रहा है और उसका विरोध बढ़ता गया है। एक प्रकार से यह सारा विषय बुद्धि या दलीलों के क्षेत्र से निकल कर भावना के क्षेत्र में चला गया है और अहिंदी भाषी प्रांतों के कुछ लोगों के मन में इस विषय में एक भय-सा पैदा हो गया है। इस माने में यह प्रश्न एक राजनैतिक प्रश्न बन गया है। जब कोई प्रश्न इस प्रकार राजनैतिक बन जाता है और भावना के क्षेत्र में चला जाता है तब उसे लोग अक्सर आन-बान का खवाल बना लेते

हैं और विषय या वस्तु के गुण दोष के आधार पर उसका निर्णय मुश्किल हो जाता है। इस परिस्थिति के कारण भारत-सरकार ने यह फैसला किया है कि अंग्रेजी को राज्य भाषा की स्थिति से हटाने के लिए १९६५ की जो अवधि निश्चित की गयी थी वह हटा दी जाय और हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों राज्य-भाषा के रूप में बिना किसी काल-मर्यादा के चलती रहें अंग्रेजी कम हटे और केवल हिंदी ही राज्य भाषा के रूप में रह जाय, इसका निर्णय आगे बनने वाले वातावरण और परिस्थिति पर तथा खास फरके अहिंदी-भाषी प्रांतों के लोगों की इच्छा पर छोड़ा जाय।

यह निर्णय एक राजनीतिक प्रश्न का राजनैतिक समाधान है। राजनैतिक प्रश्नों के बारे में अक्सर हमें ऐसे निर्णय करने और मानने पड़ते हैं जो गुण दोष या दलील की दृष्टि से वायव सही न हों पर जिनके लिए परिस्थिति हमें मजबूर करती है। इतना ही नहीं, मानवीय संबंधों को बात को ध्यान में रखें तो ऐसे प्रश्नों के निराकरण के लिए जिनके बारे में लोगों में भय या आशका पैदा हो गयी हो उचित मार्ग यही है कि ऐसे प्रश्नों का निर्णय उन्हीं लोगों के हाथों में छोड़ा जाय, जो भय या शका महसूस करते हों। इसी दृष्टि से सर्व सेवा संघ की प्रबंध-समिति ने अभी हाल ही में मद्राई में हुई अपनी बैठक में अंग्रेजी के राज्य-भाषा के तौर पर बने रहने की काल-मर्यादा को हटाने के निर्णय का समर्थन किया है। विनोबा ने भी अपनी यह राय जाहिर की है कि परिस्थिति को देखते हुए मौजूदा काल-मर्यादा हटा देना ही बेहतर है।

पर दुर्भाग्य से राज्य-भाषा के इस प्रश्न की जो चर्चा देश में चल पड़ी है उसमें केवल राज्य-भाषा का ही नहीं, बल्कि दूसरे-भी एक-दो महत्व के प्रश्न साथ जुड़ गए हैं जिसके कारण यह सारा विवाद और भी जटिल बन गया है। इस सारे प्रश्न पर गहराई और गंभीरता पूर्वक विचार करने और राय कायम करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस विवाद के मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझ लें।

मौजूदा विवाद में तीन मुख्य बातें हैं। पहला विषय, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है, राज्य-भाषा से संबंधित है। इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि अभी संविधान में अंग्रेजी के राज्य-भाषा के तौर पर चलते रहने के लिए १९६५ की जो मर्यादा मानी गयी है वह हटायी जाय या नहीं और हटायी जाय तो आगे उसकी समाप्ति के लिए कोई काल-मर्यादा निश्चित की जाय या यह निर्णय भविष्य के लिए छोड़ दिया जाय। हिंदी राज्य-भाषा होनी चाहिए इस बारे में कम से कम इस समय सिद्धांत के तौर पर विरोध नहीं है। संविधान में तो यह मान्य है ही, किन्हीं के मनो में विरोध हो तब भी संविधान के इस फैसले को बदलने की बात कोई गंभीरता-पूर्वक नहीं उठा रहा है। दूसरा सवाल, शिक्षण के माध्यम का है। माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम प्रांतीय भाषा रहे, हिंदी रहे या अंग्रेजी, यह विवाद का विषय बना हुआ है। तीसरा प्रश्न है, एक भाषा के रूप में अंग्रेजी के अध्ययन का। बच्चों को अंग्रेजी सिखानी हो तो वह किस कक्षा या श्रेणी से शुरू होनी चाहिए यह इस विषय में मतभेद का मुद्दा है।

पाठक देखेंगे कि ये तीनों विषय अलग-अलग हैं पहला विषय, जैसा ऊपर कहा गया है, एक राज-नैतिक प्रश्न और भावना का विषय बन गया है, दूसरे दोनों विषय इसी देश से या यहाँ की परिस्थिति से ही संबंधित नहीं हैं, बल्कि वे किसी भी देश में उठ सकते हैं और शिक्षा-शास्त्र के विषय हैं। राजनैतिक प्रश्नों का फैसला हमेशा गुण-दोष के आधार पर या पक्ष-विपक्ष की दलीलों के आधार पर ही नहीं हो

सकता, यह सही है। पर शिक्षण के माध्यम का या भाषा के अध्ययन के प्रश्न राजनैतिक प्रश्न नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पहलेवाले राजनैतिक प्रश्न की चर्चा के साथ पक्ष-विपक्ष दोनों ओर के लोग इन दो प्रश्नों को भी जोड़ लेते हैं और इन दोनों प्रश्नों पर इधर या उधर की दलीलों को अपने पक्ष के समर्थन का और दूसरे पक्ष की काट का साधन बना लेते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। और लोगों की बात तो दूर है, पर जैसा अभी एक वयान में श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा था, स्वयं प्रधान मंत्री ने भी अपने भाषणों में इन सब विषयों को मिला दिया है। अंग्रेजी १९६५ के बाद भी राज्य-भाषा के तौर पर चलती रहे, इस पक्ष का समर्थन करते हुए उन्होंने स्वामी-खाह इस दलील की शरण ली है कि 'आज दुनियाँ से सम्पर्क रखने और दुनियाँ के प्रवाह के साथ चढ़ने के लिए अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अत्यावश्यक है और जो लोग इसका विरोध करते हैं वे दकियानूसी हैं।' मानों, राज्य-भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी अनन्तकाल तक उस रूप में न चलती रहे, यह कहने वाले अंग्रेजी भाषा या उसके साहित्य का विरोध करने वाले हैं। इस प्रकार से प्रश्नों को मिलाना वैज्ञानिक चिन्तनका लक्षण नहीं है। अंग्रेजी भाषा या साहित्य के अध्ययन का विरोध शायद ही कोई समझदार आदमी करेगा। अंग्रेजी ही क्यों, दुनिया की अन्य भाषाओं का भी हमारा शान और अध्ययन बढ़ना चाहिए इसमें शायद ही दो रायें हों पर किसी भी भाषा का अध्ययन एक चीज है और शिक्षण का माध्यम क्या हो और देश की राज्य-भाषा क्या हो, यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

१. भाषा के अध्ययन के विषय पर जो विवाद का मुद्दा हो सकता है वह इतना ही कि मातृभाषा के अलावा बच्चे को किसी दूसरी भाषा का अध्ययन करना हो तो वह किस स्टेज पर अर्थात् किस कक्षा से शुरू किया जाय। मातृ-भाषा के अलावा ऐसी दूसरी भाषाओं के संबंध में इस बात का निर्णय भी सब भाषाओं के बारे में एक-सा नहीं होगा। स्वामा-विक ही जो भाषा या भाषाएं बच्चे की मातृ-भाषा

की सहोदरा हैं या उसके निकट हैं, उनका अध्ययन जल्दी शुरू हो सकता है और इस प्रकार का कोई संबंध मातृभाषा से न रखने वाली दूसरी 'त्रिदेशीय' भाषाओं का अध्ययन कुछ देर से। निम्न शास्त्रियों का मत है कि पहली श्रेणी की भाषाओं का अध्ययन चौथे या पाँचवें दर्जे से शुरू हो सकता है और दूसरे वर्ग में आनेवाली भाषाओं का आठवीं से। इस दृष्टि से अंग्रेजी का अध्ययन आठवीं कक्षा के पहले शुरू करना उचित नहीं होगा। आज पाठ्य नहीं, बल्कि तीसरी कक्षा से अंग्रेजी शुरू हो यह जो आज उठ रही है वास्तव में तो उसके पीछे भाषा क प्रेम की बात उठनी नहीं है जितने शायद अन्य कोई स्वार्थ या हित।

शिक्षण के माध्यम का प्रश्न भी शिक्षण विज्ञान का विषय है, राजनीति का नहीं। यह एकदम सहज और स्वाभाविक है कि बालक के शिक्षण का माध्यम उसकी मातृ भाषा होनी चाहिए। उच्च शिक्षण को भी अर्थात् कालेज के शिक्षण को भी, सामान्यतः यही सिद्धांत लागू होगा। पर विरोध प्रकार के शिक्षण के लिए या विरोध परिस्थितियों में निम्न ही इस नियम का अपवाद किया जा सकता है। कुछ विश्वविद्यालय शिक्षण के माध्यम के तौर पर देश की राज्य भाषा हिंदी

को अपनावें, कुछ विश्वविद्यालय अंग्रेजी को तो इसमें कोई विरोध की बात नहीं होनी चाहिए। कम से कम इस प्रकार के मुद्दा पर निष्पक्ष विचार की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए।

उपरोक्त तीनों विषयों को मिलाया न जाय, हर एक के गुण दोष पर अलग-अलग विचार किया जाय, जहां तक हो सके भावनाओं को बाध में न लाया जाय, यह अत्यन्त आवश्यक है। क्यों कि ये सारे सवाल आज की मौजूदा पीढ़ी तक ही सीमित नहीं हैं। जिस प्रकार १९ वीं शताब्दी के शुरू में मैकाले द्वारा चलायी गयी शिक्षण-योजना के बुरे परिणामों को हम आज तक भुगत रहे हैं उसी प्रकार शिक्षण के माध्यम और भाषा के अध्ययन का प्रश्न शिक्षण से संबंधित होने के कारण आगे आने वाला कई पाठियों पर असर डालने वाला है। राज्य-भाषा अपेक्षाहीन जल्दी-जल्दी बदली भी जा सकती है, पर शिक्षण की नीति में इस प्रकार जल्दी-जल्दी परिवर्तन करना आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलबाद होगा। अतः कम से कम इन दो प्रश्नों को हम राजनैतिक वाद विवाद से या अपने निजी स्वार्थों से अलग रख कर सोचें यह अत्यन्त आवश्यक है।



### क्षमस्व

इस अंक में शिक्षकों की डायरी के पृष्ठ नहीं प्रकाशित हो सके। पृष्ठ ९० पर नयी तालीम परिसंवाद, सेवामाम छपा है। तथा भाषा संबंधी प्रस्ताव पृष्ठ ९६ के बदले पृष्ठ ९३ में छपा है। पाठक क्षमस्व अनुक्रम में इतना सुधार कर लें।

[ स० ]

## अ० भा० सर्व-सेवा-संघ का नया प्रकाशन

जैनेन्द्र की अभिनव कृति

### समय और हम

जैनेन्द्र जी हिन्दा जगत क जाने-माने साहित्यकार हं, जिन्होंने एक अमृतपूर्व शैली दी है। जैनेन्द्र लिखते नहीं, बस अपनेपन की मिठास से भरी धरेलू भाषा में बातों का समा बाँध देते हैं। उनसे आप बातें कीजिए या उनकी कृतियों को पढ़िए, ऐसा लगेगा कि वे अनुभूति से प्रेरित मौलिक विचारों का रस उड़ेल रहे हैं—भावों के गीले पट पर, कल्पना के सादे सुहावने, मनभाते रंगों से वे विचार और विवेचना की परतों को धीमे धीमे जैसे खोलते चलते हैं, मानों अध और अरूत को आँख और स्पर्श मिल रही हो—रस और आनन्द की मधुरिमा के साथ !

इन्ही की एक नवीनतम कृति 'समय और हम' शीघ्र प्रकाशित हो रही है। प्रश्नोत्तर के रूप में निर्मित यह कृति शैली में सरस, विचारों में गहन और अनुभूति में मौलिक तो है ही, इसमें जैनेन्द्रजी केवल साहित्यकार ही नहीं, दार्शनिक, समाज-विज्ञानी और राष्ट्र क सजग चिन्तकों के रूप में पद पद पर दिखाई पड़ते हैं।

\* सम्पूर्णा ग्रन्थ चार खण्डों में बँटा है—परमात्मा, पश्चिम, भारत, और अध्यात्म।

\* जीवन के सभी अंगों और विषयों से सम्बन्धित चार सौ पचास प्रश्नों के उत्तर इसमें संगृहीत हैं। कुछ प्रमुख विषय हैं—ईश्वर, अध्यात्म, साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, व्यक्ति, काम, वाणिज्य, भारत-विभाजन, शिक्षा, अपराध वृत्ति, सिन्का, सत्ता, पार्टियों, इन्द्रिय-बुद्धि-अहम्-आत्मा, चुनाव, प्रजातंत्र, पंचवर्षीय योजना, ऋण, औद्योगीकरण, नि रक्षीकरण आदि आदि।

\* श्री दादा धर्मोपनिषदी ने ग्रन्थ की प्रशस्ति लिखी है और प्रश्नकर्ताने लक्ष्मी भूमिका में जैनेन्द्र-चिन्तन और धर्म-दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विशद विवेचना प्रस्तुत की है।

\* मानवम गहनता का सपर्य और सर्वोदय को बुनियाद पर जीवन और जगत् के विषयों का वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है।

₹७५ पृष्ठ के इस बृहद् ग्रन्थ का मुख्य बचल चारह रुपया।

अखिल भारत सर्व-सेवा संघ-प्रकाशन, राजघाट वाराणसी-१

## मन पुराना, जीवन नया

'यह इस्पेक्टर अजीब आदमी है'—मेरे साथी ने रोप के साथ कहा।

'क्यों, क्या बात है?'—मैंने पूछा।

'पिछला इस्पेक्टर कितना भला आदमी था! खातिर से पेश आता, हम लोगो को हर तरह की छूट देता था, लेकिन यह जैसे पहचानता ही नहीं!'

'ठीक है, लेकिन इसने कोई काम कायदे के खिलाफ तो किया नहीं।'

'कुछ भी हो, यह आदमी कुछ पसन्द नहीं आया।'

'खूब रही! आपको फूलो की वेरायटी पसन्द है, फलो की वेरायटी पसन्द है, खाने और कपडे की वेरायटी पसन्द है, लेकिन इनसान की वेरायटी क्यो पसन्द नहीं है?'

'इनसान की वेरायटी ?'

'हां इनसान की वेरायटी ! इनसान म भी रुचि, स्वभाव, सस्कार की वेरायटी है।'

'बात समझ म आती है, लेकिन मन नहीं मानता।'

×

×

×

मन पुराना हो और जीवन नया हो—इसका मेल कैसे बैठेगा ?

—राममूर्ति

प्रधान संपादक  
धीरेन्द्र मजूमदार

संपादक  
आचार्य राममूर्ति



वर्ष ११

अंक ४



वार्षिक चंदा  
एक प्रति

६-००

०-५०



सीमा-विवाद

श्री धीरेन्द्र मजूमदार  
श्री राममूर्ति

ग्रामसारणी

श्री धीरेन्द्र मजूमदार  
श्री मनमोहन चौधरी

नयी तालीम

आचार्य कृपालानी  
श्री काशिनाथ त्रिवेदी

वाक-शिक्षण

डा० जाकिर हुसेन  
श्री राममूर्ति

भाषा-परत

प्रो० आसराणी  
श्री देवेन्द्रकुमार





# नयी तालीम

• सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ „ जुगताराम दवे
- ३ „ काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ श्रीमती मार्जरा साइक्स
- ५ श्री मनमोहन चौधरी
- ६ „ क्षितिशराय चौधरी
- ७ „ राधाकृष्ण मेनन
- ८ „ राधाकृष्ण
- ९ „ राममूर्ति



## सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अग्रस्त से अग्रम होता है।
- किसी भी मास से ग्राहक बन सकते हैं।
- इस मास के अंक से नयी तालीम का वार्षिक चढ़ा ६० ६ और एक प्रति का मूल्य ५० न. पै. हुआ है।
- पुराने ग्राहकों को वर्ष-समाप्ति तक पुराने मूल्य पर ही अंक जाता रहेगा।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- चढ़ा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।
- नयी तालीम का पता—

नयी तालीम

अ० भा० सर्व-सेवा-संघ  
राजघाट, वाराणसी-१



## अनुक्रम

	शुभ	
जय हिंद - जय जगत्	६७	श्री राममूर्ति
देश के सकट के बारे में श्री धीरेन्द्र		
माई से दो प्रश्न	६६	—
नयी तालीम और गांधी-दर्शन	१०१	आचार्य हृपालानी
भूदान आंदोलन और ग्रामभारती	१०५	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
बुनियादी शिक्षा और ग्राम सेवा	१०६	श्री मनमोहन चौधरी
नयी तालीम की तारक शक्ति		
कुछिठत क्यों ?	११४	श्री काशिनाथ त्रिवेदी
नन्हा मद्रसे चला	११७	डा० जाकिर हुसेन
भारतीय पाठशालाओं की निम्न		
श्रेणियों में अमेज़ी भाषा का		
शिक्षण	१२२	प्रो० उ० आ० आसतानी
क्या अमेज़ी का साम्राज्य बना		
रहेगा ?	१२६	श्री देवेन्द्र कुमार
तरुण शांति सेना	१२८	श्री नारायण देसाई
लोक-संयुक्त तथा शांति सैनिकों		
की शिक्षण समस्या	१२६	श्री बद्रीप्रसाद स्वामी
बच्चे की शुरू से शिक्षा	३	
पेशान बनना	१३०	श्री राममूर्ति
बालमंदिर-ग्रामशाला	१३२	श्री कृति, श्री विद्या
रचनात्मक सस्थाओं से अपील	१३४	श्री धीरेन्द्र मजूमदार



# नयी तालीम

वर्ष-११ ]

[ अंक ४

जय हिन्द—जय जगत्

आज देश पर सकट है, और दुनियाँ भी सकट से दूर नहीं है। स्वभावतः आज देश के लोगों का ध्यान दुनियाँ के सकट से अधिक अपने सकट की ओर है। हमारा सकट दुनियाँ के डिप्लोमेटों वन सकता है, यह सभानना नहीं है। ऐसा कहने का साहस कौन कर सकता है ?

अगर यह मालूम हो जाता कि भारत का सकट चीन के प्रति की गयी उसकी किसी अनीति के कारण है तो हम तुरन्त कह देते कि ऐसे अनीतिकारी हिन्द की जय की कामना हम नहीं करते। अणुयुग में विश्व-संहार के सदर्भ में हमारी राष्ट्रीयता इतनी आगे तो बढ़ ही गयी है कि वह स्पष्ट समझ ले कि जगत् की जय से ही हिन्द की जय संभव है। जगत् की क्षय हो तो हिन्द की क्षय अनिवार्य है। 'मेरा देश सही या गलत'—यह नारा अब बहुत, बहुत पुराना हो गया। व्यक्ति और विश्व के बीच जो अनेक वृत्त हैं, उनमें से एक वृत्त देश भा है, लेकिन देश जबरदस्त वृत्त है।

अभी तक तितनी जानकारी सामने है उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारत ने चीन के प्रति कोई अनीति की है जिससे लुब्ध होकर चीन को हथियार उठाना पड़ा है। सिनाय वृत्त कट्टर, मतांध चीनवादी कम्युनिस्टों के दूसरा कोई भारत को दोषी नहीं मानता। भारत हमारी मातृभूमि है वह हमारी कर्मभूमि और जायिका भूमि है, और प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मर्यादाओं की दृष्टि से निर्दोष भी है। ऐसी हालत में जब उस पर पड़ोसी ने प्रहार किया है तो हमें क्या करना चाहिए ! हम जगत् की क्षय करके हिन्द की जय नहीं चाहते यह साफ है। लेकिन आत्म-समर्पण करनेवाले हिन्द से दुनिया का क्या भला होगा, हम यह भी नहीं समझ पाते।

हम युद्ध को मनुष्यता के विरुद्ध अपराध मानते हैं। क्या हम उस अपराध में शरीक हो ? एक बार सघर्ष ठिठ गया तो विज्ञान संहार को कितनी दूर रहने देगा ?

समझौता, आत्म-समर्पण और प्रतिकार, ये तीन रास्ते हैं।

समझौता हो सके तो सबसे अच्छा ! लेकिन हो कैसे ? कराये कौन ? और समझौता, चाहे प्रत्यक्ष चर्चा द्वारा हो चाहे मध्यस्थता द्वारा, सम्मानपूर्ण तो तब होगा जब दोनों पक्षों की युद्ध के पहले की स्थिति मान्य हो जाय। जो खो चुके उसे देना बतारकर जो समझौता हम करेंगे वह आत्म-समर्पण ही होगा। आत्म-समर्पण युद्ध से बड़ा अपराध है। युद्ध में शरीर को हत्या होतो है, आत्म-समर्पण में आत्मा को। आत्म-समर्पण निन्दा भौत है।

फिर प्रतिकार के सिवाय इज्जत का दूसरा रास्ता क्या है ?

प्रतिकार हिंसा और अहिंसा दोनों से हो सकता है। हिंसक प्रतिकार के रास्ते सबको ज्ञात हैं, और सरकार ने उस रास्ते को अपनाया भी है। देश के करोड़ों लोग नज़्दी गुलामी से बचने का हिंसक प्रतिकार से भिन्न दूसरा कोई उपाय जानते नहीं, मानते नहीं। अहिंसक प्रतिकार में न वे दीक्षित हुए हैं, न प्रशिक्षित। हिंसा में हार हो सकती है, लेकिन वहादुर को अहिंसा में कभी हार होती ही नहीं, यह पाठ उन्होंने अभी पढ़ा नहीं है। हिंसा को हार उन्हें भले ही मंजूर हो लेकिन अहिंसा का जोरिम मंजूर नहीं है। क्या किया जाय, अहिंसा को साधना वापू के बाद इतनी बढी नहीं कि उसको नयी शक्ति प्रकट हो ! क्या करे, हिंसा के रास्ते को भयंकरता को समझते हुए भी मनुष्य स्वत्व-रक्षा के लिए उस पर चलने के लिए विवश है क्योंकि उस पर चलने का वह आदी है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने अहिंसक उत्सर्ग का चमत्कार अभी देखा नहीं है।

अहिंसा हममें से कुछ की जीवन-निष्ठा है, लेकिन जिनकी नहीं है उनसे हम यह नहीं कह सकते कि वे हथियार रख दें, विशेष रूप से जब ज्ञात न्याय उनके पक्ष में है, और विकल्प आत्म-समर्पण के सिवाय दूसरा है नहीं। विश्वास हिंसा में हो या अहिंसा में, आक्रमण की स्थिति में प्रतिकार हम सबका समान धर्म है, लेकिन परिस्थिति यह है कि अहिंसक प्रतिकार के लिए आवश्यक पूर्व-तैयारी नहीं है—लोक-शक्ति असहयोग और अहिंसात्मक उत्सर्ग के लिए संगठित नहीं है। ऐसी हालत में अहिंसात्मक प्रतिकार में विश्वास रखनेवालों का कर्तव्य है कि—(१) वे जनता का साहस बँधायें और किसी तरह 'भोरेल' न गिरने दें, (२) सरकार का बोझ हल्का करें ताकि वह पूरी शक्ति सुरक्षा में लगा सके। शीघ्र ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि एक-एक गाँव और नगर अपनी स्थानीय सुरक्षा और आन्तरिक व्यवस्था सहकार-शक्ति से चलाने के लिए संगठित हो और सरकार को दूसरे आवश्यक काम करने दें। हम सबका यह पहला प्रयत्न होना चाहिए कि देश में किसी प्रकार की आन्तरिक अशान्ति, भ्रष्टाचार या मुनाफाखोरी आदि असामाजिक काम न होने दें। इस तरह के स्थानीय संगठन जनता का साहस बनाये रखेंगे, अराजकता रोवेंगे और लोकतन्त्र की रक्षा के लिए लोहे की दीवाल का काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर इन्हीं संगठनों के द्वारा हमला करनेवालों के साथ सक्रिय असहयोग की व्यापक योजना भी कार्यान्वित की जा सकेगी। नागरिक असहयोग की बात, मुख्यतः हिमालय के क्षेत्र में, अभी से सोची भी जा सकती है।

आक्रमण के कारण अगर इलवाद, जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद का विष कम हो जाय और एकता की भूमिका में लोकशक्ति देश की सुरक्षा तथा निर्माण के लिए संगठित हो सके तो सब मिलाकर देश का भला ही होगा।

राममूर्ति



## देशके संकट के वारेमें धीरेन भाई से दो प्रश्न

प्रश्न—१ देश पर आक्रमण हुआ है इस सम्बन्ध में सर्वोदय का क्या रुख है ?

उत्तर—सर्वोदय का यानी अहिंसक विचार का रुख क्या हो, यह परिस्थिति पर निर्भर है। गांधीजी और विनोबाजी की कोशिश से अगर देश में अहिंसा की मान्यता बनी होती और उसके अनुसार ऐसा संगठन होता जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिकार के लिए शक्तिशाली समझा जाता तो सर्वोदय का रुख देश में अहिंसक प्रतिकार के संगठन का होता। आज यह परिस्थिति नहीं है, इसलिए सर्वोदय का रुख अहिंसक प्रतिकार का नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अहिंसा के पुजारी सरकार को सैनिक कार्रवाई से सहकार करे या नहीं। स्पष्ट है कि अहिंसावादी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि सरकार ने अन्याय के प्रतिकार में पूरे देश की मान्यता के अनुसार कदम उठाया है इसलिए हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। हमारा रुख तटस्थता का हा हो सकता है। इसपर से लोग यह कह सकते हैं कि हम को पक्ष या विपक्ष का रुख अख्तियार करना ही चाहिए, नहीं तो हमारा कोई हस्ती नहीं रह जायगी। मैं मानता हू कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है। हमारा यह समझना कि हम हर प्रश्न पर अपना रुख जाहिर करना हा है गलत है। कागो प्रश्नों पर हम तटस्थ रह सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति उसी तरह का एक प्रश्न है।

प्रश्न—२ इस रुख के होने हुए अहिंसा में विश्वास करनेवाले क्या सक्रिय काम उठा सकते हैं ?

उत्तर—हमारे तटस्थ रुख का मतलब यही है कि हम चुप बैठे रहें। इस समय अहिंसा में विश्वास करनेवालों की विशेष जिम्मेवारी है। ऐसे अरसर पर देश के अंदर विघटनकारी शक्तियां जागरूक हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा काम यह होगा कि हम

सैनिक शक्ति से भिन्न लोक शक्ति का संगठन कर देश-भर में शांति की रणवाली करें। इसके लिए शांति-सेना का व्यापक संगठन अत्यन्त आवश्यक है। हम दह-निरपेक्ष समाज की बात करत हैं। शांति रक्षा के लिए शांति सेना का संगठन कर समाज के सतुलन की रक्षा की मान्यता को उदल सकते हैं। अहिंसा की स्थापना के लिए तथा इस संकटकालीन परिस्थिति में जनता के मारेल को कायम रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हैं। आम तौर से शांति सेना के विचार को वाहनीय मानते हुए भी लोग उसे अवाच्यारिक कहते हैं, क्योंकि साधारणतया लोग आदर्श और व्यवहार को दो चीजें मानते हैं लेकिन सचमुच वे दोनों एक ही हैं। एक ही चीज जब केवल वाहनीय रहती है तब उसे आदर्श कहा जाता है, किन्तु जब वह आवश्यक हो जाता है तब वही व्यावहारिक हा जाता है। जिस समय सरकार का ध्यान समस्त सैनिक शक्ति के साथ युद्ध में केन्द्रित हो जाता है उस समय जनता की मारेल को कायम रखने के लिए दूसरी शक्ति की आवश्यकता पड़ जाती है और वह आन हो गयी है। अब आज की परिस्थिति में शांति-सेना का विचार अत्यन्त व्यावहारिक बन गया है। सौभाग्य से गितना लघु स्वरूप में हो, शांति सेना के संगठन का प्रारम्भ विन्दु हमारे पास है उसी की तेजी से राष्ट्रव्यापी उठाना है क्योंकि यह वैकल्पिक शक्ति आज केवल वाहनीय नहीं है बल्कि आवश्यक है इसलिए पूरा देश इस प्रयास के साथ देगा इसमें कोई संदेह नहीं।

अतएव शांति सेना के व्यापक संगठन पर शक्ति केन्द्रित करने की बड़ी आवश्यकता है।

शांति सेना के अगवा हमका एक दूसरा काम भी उठाना चाहिए। वह यह कि देश के विकास के काम में तथा आवश्यकता का पूर्ति में जो जान पूर्ण रूप से सरकारी ताकत लगी हुई है उसका उदल जनता को

रखत तो यह है इसकी पूरी भोजिश करनी चाहिए। सरकार का ध्यान पूर्ण रूप से युद्ध में फस जाने के बावजूद यह सब काम सरकार निरपेक्ष शक्ति से चला रहे यह भी जनता का नैतिक उत्तर का काम रखने के लिए आवश्यक है। सरकार दूसरी तरफ फस जाय और साथ-साथ जनता अपने का अलहाय महसूस करे ऐसे समय में प्रतिभिया रादी शक्तियों का अस्तर मित्रता है कि ये जनता की भावना का नाजायज लाभ उठाकर परिस्थिति का अपने कब्जे में कर लता हैं। फलस्वरूप, जैसा कि इतिहास बताता है, देश में तानाशाही का खगडन हो जाता है।

राज्य की रक्षा अहिंसा के त्पय की ओर जाने के लिए आवश्यक है। अतएव अहिंसा के पुकारी का उपयोग परिस्थिति निर्माण होने के पाय इसका प्रयास करना आवश्यक है।

इस प्रयास का साकार जरिये ग्राम-पंचायत हैं। इस समय अगर पंचायतों का शक्तिशाली उनाकर उनके मार्फत जन-शक्ति का आधार पर जनता का रक्षण और पाषण की पूर्ण व्यवस्था हो सके तो पंचायतों में दृढ़ निरपेक्ष आत्मशक्ति का मान होगा और जनता उस शक्ति का भरोसा कर सकेगी। ऐसी हीनत में फाद भा प्रतिभियावादी शक्ति राकतन के लिए खतरा नहीं हो सकेगा।

★

## हम क्या करें ?\*

एक तो यह कि सब प्रकार के भेद मिट जाने चाहिए। सारा राष्ट्र एक दिल हो, ऐसा होना चाहिए।

दूसरे, धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए।

तीसरी बात यह कि भारत में कहीं अशांति नहीं होनी चाहिए। यह तब होगा, जब अशांति के कारण मिटेंगे। इसके लिए एक एक गाँव एक एक परिवार के समाप्त बनना चाहिए। सबको तय करना चाहिए कि हमारे गाँव में कोई भूला नहीं रहेगा, बेकार नहीं रहेगा, दुःखी नहीं रहेगा। कोई दुःखी होगा तो उसके दुःख का हिस्सा सब लेंगे।

उपर जो कहा है उसमें सैनिक कार्रवाई का समर्थन नहीं है। आज भी हमारा यह मानना है कि हिंसा से मसले हल नहीं होते, बढ़ते ही हैं। पर लोगों की वास्तविक तैयारी, लोकशाही की दृष्टि (याने लोग ने सरकार को सेना रखने की अनुमति दी है इस दृष्टि से), भारत सरकार की नैतिक स्थिति, अहिंसा के बर्किंग की प्रक्रिया और हमारी अपनी स्थिति—इसकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उसका विरोध नहीं करते इतना ही है। हम हमारा काम करते हैं।

क्योंकि हमें हर परिस्थिति का लाभ उठाकर देश को अहिंसा की ओर ले जाना है, इसलिए देश को समझाते हैं कि हमारे कार्यक्रम (ग्रामस्वराज्य) से आप जो कर रहे हैं उसमें भी मदद मिलेगी। ग्रामदान एक 'डिफेन्स मेजर' है यह हमने पहले ही कहा है।

कायकर्ताओं से हम कहते हैं कि यह एक मौका फिर आया है जब जनता को आप अपनी बात समझा सकते हैं और वह हमारे साथ आ सकती है। इस मौके को आप खोना चाहें तो बात दूसरी है।

\* विनोय से हुई चर्चा के आधार पर।

# नयी तालीम और गांधी-दर्शन

( उत्तरार्ध )

आचार्य कृपालानी

## प्रजातंत्र का उदय

सभ्यता समाजों में जो अन्याय और दमन होता आया था उसमें थोड़ा सुधार जरूर हुआ था फिर भी वह उस वक्त तक होता रहा जब तक सामान्य व्यक्ति ( कामन मैन ) सदियों की अपनी तन्त्रा से जगा नहीं और अपने मालिकों के विश्व खड़ा नहीं हो गया। इस सघर्ष से लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र समाज में व्यक्ति के नैतिक मूल्य पर बल देता है और उसकी प्रतिष्ठा और महत्त्व को मानता है। इसमें व्यक्ति का राजनीतिक शोषण समाप्त हो जाता है अथवा कम से कम कुछ हद तक घट तो जाता ही है। इसमें पक्षोंकी आंतरिक हिंसा मिट जाती है। कोई मामला सुलझाने के लिए सिर काटा नहीं जाता, गिना जाता है। प्रत्येक—सिर 'एक' का प्रतिनिधित्व करता है। लोकतंत्र में एक सरकार की जगह दूसरी सरकार की गुआइश है और इसके अंतर्गत हिंसा का सहारा लिये बिना शासन बदला जा सकता है। इस कारण इसमें स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व जुड़ जाता है। इस प्रकार प्रजातंत्र राजनीतिक क्षेत्र में नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए तो वही कि लोकतंत्र के देशों में जहां कहा जाता है कि तपाकथित मजदूर—पेशा लोग बधनों से जकड़े हुए हैं अपनी कठिनाइयों के हल के रूप में भी तानाशाही साम्यवाद को अपनाते से इन्कार करते हैं ? उन लोगों ने वही कठिनाई के साथ काफी दुःख सहकर राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता पायी है जिसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा का कुछ आस्वादन प्राप्त है। वे अपनी राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता को एक ऐसी क्रान्ति के लिए खरों में डालने को तैयार नहीं हैं जिसका परिणाम अनिश्चित है। वे यही चाहेंगे कि

नवम्बर, '६२ ]

उन की यह स्वतंत्रता बनी रहे और अधिक विस्तृत हो ताकि उसमें आर्थिक सुदृढ़ता भी आ जाय।

अगर राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरा विकास करने का मुक्त अवसर दिया गया होता तो दुनिया के देश आंतरिक सघर्षों से बच गये होते और यथा-समय अपनी दर्दनाक आर्थिक विपमता मिटा कर समग्र और एकरस सामाजिक व्यवस्था कायम कर सके होते। ऐसे समाज में किसी व्यक्ति को अपने निजी समाधान और मुक्ति की खोज में किसी मठ की चारदीवारी के भीतर या जंगल में खोजने-भटकने की आवश्यकता शायद न पड़ती। लेकिन समाज की प्रगति सदा सीधी लाइन में नहीं होती। उसका मार्ग तो ऊपर चढ़ता हुआ लेकिन बहुत टेढ़ा-मेढ़ा है। वही प्रगति है तो अवन्ति भी है। मनुष्य ने जब लोकतंत्र की खोज की तो उसने अपने वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्राकृतिक शक्तियों के नियंत्रण और उपयोग पर अपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली। इस शक्ति से नये मूखण्डों की खोज के साथ औद्योगिक क्रांति और आधुनिक युग के 'साम्राज्य' का प्रारंभ हुआ। ये शक्तियां किस प्रकार क्या क्या परिवर्तन लायीं, यह एक लंबी कहानी है। वे आज भी क्रियाशील हैं और उनकी गति समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उनके एक-से-एक विस्मयजनक अध्याय बनते जा रहे हैं। उनको दूसरी उपलब्धियाँ कुछ भी हों, पर इतना निश्चित है कि औद्योगिक क्रांति ने पुराने विभाजनों और विपमताओं को दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया, वही-वहीं उनको अधिक विस्तृत और सघन बना दिया। इनने समाज में संघर्ष और विपन्नता का, यंत्रों के मालिक और मजदूर का तथा 'बुजुआ' और 'सर्वहारा' का भेद पैदा कर दिया। ऐसे समाज में लोकतंत्र के 'वोट' जो कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा

[ १०९ ]

और समानता का द्योतक है अपना बहुत सारा मूल्य तो देता है। इसने परिणाम-स्वरूप पुराने विरोध आर्थिक क्षेत्र में नये रूप में फिर प्रकट हो गये। जैसे पहले राजनीतिक सत्ता से आर्थिक प्रभुत्व प्राप्त होता था उसी तरह अब आर्थिक सत्ता से राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त होने लगा। फिर वही दृश्य प्रकट हो गया—व्यक्ति नैतिक, समाज अनैतिक !

### मार्क्सवाद का पक्षपात—

अत मानव की आगे की प्रगति के लिए जरूरी हुआ कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक समता को जोड़ा जाय। यह नया सुधार समाजवाद की ओर एक कदम था। समाजवाद आर्थिक क्षेत्र में भी मानव की समानता का दावा करता है। इसलिए यह एक नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है लेकिन उस पर बल देते हुए उसके समर्थकों ने उसे एक सामान्य भौतिक सिद्धांत बना दिया। अर्थात् समाजवाद ने, जिसका जन्म इस यत्र मय, केंद्रित और पूँजीवादी उद्योगों के युग में हुआ है, सोचा कि आज समाज में जो नैतिक मूल्य प्रचलित हैं वे सब ऐसे वर्गों के पैदा किये हुए हैं जिनके हाथ में आर्थिक प्रभुत्व रहा है। इमने पूँजीवाद को भ्रम से लोकतंत्र समझ लिया और यह भूल गया कि पूँजीवाद ने स्वतंत्र और जिम्मेदार व्यक्ति को खत्म करके लोकतंत्र के सिद्धांत को सबसे बड़ी क्षति पहुंचायी। राजनीतिक लोकतंत्र ने पहले जो प्रगति की थी उसको खत्म करके समता का समाजवादी सिद्धांत सामने आया। साथ ही यह भी हुआ कि अपनी समाज बुराईयों के साथ पूँजीवाद अनुशासनहीन और गैर-जिम्मेदार 'व्यक्ति' की स्वतंत्रता के साथ जोड़ दिया गया। इसीलिए समस्या का हल यह सोचा गया कि न केवल मर्यादाहीन और गैर जिम्मेदार व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाय बल्कि स्वतंत्र व्यक्ति को भी खत्म कर दिया जाय। मार्क्सवादी के लिए तो व्यक्ति सामाजिक संबंधों का एक घटक (इन्सेम्बुल) मात्र था, इसलिए उसने जो हल सुझाया वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि से रोग से भी बदतर था। वह तो रोग के साथ-साथ रोगी को भी खत्म कर देना था। निःसंदेह व्यक्ति को खत्म कर देने की मुक्तिसंगत सिद्ध करना आसान नहीं था। इसलिए संपूर्ण साम्यवाद का अवतरण

हो जाने पर यानी जब कि श्रमिक-वर्ग के निरंकुश अधिकार के परिणाम-स्वरूप वर्गहीन और शासनहीन समाज अपने आप प्रतिफलित हो चुका होगा तब उस (व्यक्ति) के पुनरुत्थान का आश्वासन दिया जाता है। जिसने आध्यात्मिक 'पुनरुत्थान' पर विश्वास नहीं किया वह हमें बचन देता है कि भौतिक शक्ति के द्वारा व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा।

रूस में समाजवाद के नये सिद्धांतों को कार्यन्वित होते हम देख रहे हैं। उसका दावा है कि उसने आर्थिक क्षेत्र में समता स्थापित करने की ओर बहुत प्रगति की है। हम इस दावे को स्वीकार कर भी लें तब भी उसे इसके बदले में व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की हत्या का मूल्य चुकाना पडा है। यह अनिवार्य है, क्योंकि नयी नीति के अनुसार वर्ग या समाज के शब्दों से बला व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व या मूल्य कुछ है ही नहीं। इसमें और किसी प्रकार के अर्थ मानकों में साम्यवाद और फासिस्टवाद दोनों एक ही है। फासिस्टवाद व्यक्ति को राष्ट्र या जाति के शरीर का एक जीवकोष (सेल) मात्र मानता है, साम्यवाद सामूहिक शक्ति जगत् का एक जीवकोष मानता है। जबतक विश्व के सारे शक्ति एक न हो जाय और सत्ता हाथ में न ले लें तब तक रूस में 'व्यक्ति' उसी तरह एक छोटा नगण्य 'सेल' है जिस तरह वह फासिस्ट जर्मनी या इटली में है। फासिस्टवादी राज्य का व्यक्ति और साम्यवादी राज्य का व्यक्ति, दोनों शरीर के जीवकोष के ही समान स्वतंत्र हैं यानी किसी परिष्ठ संघटन की मर्जी के अनुसार चलने भर को स्वतंत्र है। उसका अपना जीवन या अपनी मर्जी कुछ नहीं रहती।

रूस के साम्यवाद में, जिसकी लवो हीय हांकी जाती है, आर्थिक समानता का आधार बड़े बड़े केंद्रित और यत्रचालित उद्योग और इन्फ्रि है। राज्य के हाथों में यह जो आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण हुआ उसका परिणाम यह आया कि वह तानाशाही शक्ति समाज के हाथों में रहने के बजाय उस की पाटी के मुट्ठीभर लोगों के हाथ में और अतत एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गयी। सत्ताधारी लोग स्वयं आर्थिक मुविधाओं का उपभोग न भी करते हो, पर उनका पद

उन्हें ऐसी सुविधाएं देता है जिनका आर्थिक मूल्य है। और तानाशाही पर तो कोई रखावट ही हो नहीं। आज रूस में श्रमिकों और किसानों की आमदनी के साथ नीकरशाही व्यवस्थापन, विरोधता आदि की आमदनी की तुलना की जाय तो बड़ी विपत्तय नजर आयेगी। लोकतंत्र में सत्ता पर कोई सविधानिक रोकें हैं, लेकिन एक तानाशाही में सब खतम कर दिये जाते हैं। रह जाती हैं केवल सत्ताधारियों की मर्जी। राजनीतिक व्यवस्था में कुछ पदों का महत्त्व दूसरों से अधिक हमेशा होगा। लेकिन जब प्रजातंत्र के नैतिक और सगठन सबंधी नियम हट जाते हैं तो फिर निरकुश सत्ता के दम और दमन के सिवा कुछ नहीं रह जाता। पहिले के जमाने के राजा और धनी लोग अपने अधिकारों का उपयोग कुछ सीमाओं के भीतर करते थे। जीवन के कई क्षेत्रों में वे काफी स्वतंत्रता देते थे। साम्यवाद ने, जैसा कुछ आज उसका विकास हुआ है, स्वायत्तता के उन सारे क्षेत्रों को खतम कर दिया है। स्वतंत्रता की दृष्टि से देखा जाय तो इसी पाबंदी के परिणाम-स्वरूप जो स्थिति निर्माण हुई है यह उन मनमाने राजावा से भी हीनतर है जो अपने अदर देवी धरित को मानते थे। प्रजातंत्र की अपेक्षा तो हीनतर ही है, भले ही प्रजातंत्र पूजोवाद के कारण बितना भी दूषित हो।

आधुनिक प्रजातंत्र का आविर्भाव करीब-करीब उसी समय हुआ जब विज्ञान प्रगति करने लगा था और जिसके फलस्वरूप नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का बल कुछ घट रहा था। नैतिक जिम्मेदारी से अलग होकर व्यक्ति-स्वातंत्र्य एक प्रकार के अव्यवस्थान-तत्व का कारण बना। उसी समय औद्योगिक क्रांति ने मानव मानव के बीच पैसे और कानूनी समझौते को घुमाया, चाहे वह समझौता किसी भी तरह हुआ हो। अगर बमजोर को दुर्दशा हुई तो यह कहा गया कि यह तो उस वैज्ञानिक सिद्धांत की विजय है जो कहता है कि समर्थ ही जीने का हकदार है। यह भी कहा गया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति पूरे मन से अपने-अपने स्वार्थ का ध्यान रखे तो ऐसा अनेक लोगों का एकत्रित स्वार्थ किसी कोमिया के जरिये परमाय और मानवता में बदल जायगा।

मार्क्स ने औद्योगिक क्रांति के कुछ भयानक मानवीय नवम्बर, '६२ ]

परिणामों और दुर्बलों के निर्मम क्षोषण का समर्थन करने-वाले सिद्धांतों का मझफोड किया। फिर भी मार्क्सवाद ने उस व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया और उसे आर्थिक और सामाजिक सबंधों का सब कुछ माना गया। अब वह आध्यात्मिक इकाई नहीं रह गया जो अपने आप में साध्य होता है।

### समन्वय

अभी हाल में जब लोकतंत्र की फ्रासिस्ट और साम्यवादी तानाशाही से भारी खतरा नजर आने लगा तब उसके समर्थकों को यह प्रतीति होने लगी कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक योजना ही नहीं है बल्कि वह महान नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर सजा है। अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि लोकतंत्र के नैतिक सिद्धांतों का त्याग करने का अर्थ होया मानवता को पीछे ले जाना। यह भी महसूस किया जाने लगा है कि केवल लोकतंत्र के ही नहीं, वरन् समाजवादके सिद्धांत भी मूलतः नैतिक ही हैं जो न्याय, समता और इमानदारी पर आधारित हैं। सामाजिक स्तर पर ये दोनों मानव की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं। यदि इन सिद्धांतों को सारहीन ढांचा मात्र नहीं बना रहना है तो उन्हें जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में लागू करना होगा।

गांधीजी का जीवन-दर्शन इसी समग्र ध्येय का बना हुआ है। गांधीजी का विरवास है कि मानवता का उद्गम और उसकी मजिल दोनों नैतिक हैं। वह मजिल प्रत्येक औसत स्त्री-पुरुष को नैतिक समाज के अदर तय करनी है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को तथा आंतरिक और बाह्य जीवन को सत्य, अहिंसा, न्याय और इमानदारी के सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए। इसे सन्न बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय सबंधों में भी वे ही नैतिक सिद्धांत लागू हों और हमारे ध्येय जितने उन्नत हों हमारे साधन भी उतने ही परिशुद्ध हों। कोई सारा विश्व जीत ले पर आत्मा खो दे तो वह जैसा निकल है उसी प्रकार किसी देश के लिए भी यह लाभदायी नहीं होगा कि वह सारा ससार तो पा जाय, पर अपनी आत्मा खो दे।



हैर हालत में समाज नैतिक तभी होगा जब उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठन और रास्पाएँ उपयुक्त हों। इसी व्यवस्था की स्थापना के लिए गांधीजी का प्रयत्न था कि लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के नैतिक और भौतिक गुण जोड़े जायें। मार्क्स का समाजवाद वृत्ति केंद्रिकरण पर जोर देता है और अपने साधनों में नैतिक सिद्धांतों का स्थान बर देता है, इसलिए वह भौतिक सुविधाओं की भूल मिटाने में चाहे जितना सफल क्यों न हो, फिर भी व्यक्ति को कुचलने वाला ही है। भूल से पीड़ित मानवता, हो सकता है, नैतिक साधनों की परवाह न करे और किसी भी मूल्य पर आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के आसवासन से सतुष्ट हो जाय। परंतु केवल रोटी से न व्यक्ति जो सकता है, न देश। यह भी सही है कि ये रोटी के बिना भी नहीं जो सकते। लेकिन उसके साथ कुछ दूसरे ऊँचे लक्ष्य भी अवश्य चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि वे लक्ष्य ऐसे हो जिनके लिए कल्याण के भौतिक साधनों का स्थान करना पड़े।

गांधीजी ने कुटोरे और ग्रामीण उद्योगों का तथा विकेंद्रित व्यवसाय और कृषि का जो प्रतिपादन किया वह साम्यवादी या पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्रिकरण की अति के इलाक़ के रूप में ही था। इसीलिए गांधीजी की दृष्टि से विकेंद्रिकरण का सिद्धांत एक नैतिक सिद्धांत है। इसमें स्वतंत्र रहने के लिए छूट है। इसमें यह भी समझ होगा कि व्यक्ति अपना इच्छा को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित कर सके। इससे ऐसा एक बाहरी वातावरण निर्माण होता है जो व्यक्ति को अपने स्वतंत्र राज कायम करने और व्यक्त करने के लिए अनुकूल है। भौतिक वस्तुओं की समृद्धि और समान वितरण की रगोन तस्वीर प्रस्तुत करनेवाले साम्यवाद के प्रलोभनों को गांधीजी ठुकरा देते हैं। यह समृद्धि व्यक्ति को स्वतंत्रता और व्यक्ति-स्वतंत्रता की अति का पूर्ण नहीं कर सकता। गांधीजी पहले व्यावहारिक थे, अतः ऐसे केंद्रित उद्योगों का उन्होंने विरोध नहीं किया जो आज की सम्पत्ता को दृष्टि से अत्यावश्यक हैं। साथ ही वे इतने नैतिक और मूल्य मानवतावादी थे कि संघर्ष को स्वतंत्र व्यक्ति पर हावी होने नहीं दे सकते थे। जब कभी केंद्रित उत्पादन की आवश्यकता पड़ जाय तो उनके

अनुसार उतना नियंत्रण समाज के हाथों में होना चाहिए।

राष्ट्र के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजनीतिक जीवन सत्य और अहिंसा के तत्त्व पर चलना चाहिए। अस्व-राज्य और वृद्धनैतिक की स्थान नहीं रहना चाहिए। सत्ताधारियों को अपनी जनता का सेवक बनना चाहिए। उन अस्थायी सत्ता धारियों को आर्थिक जीवन की जो सुविधाएँ मिलें उनका साधारण समाज को उपलब्ध सुविधाओं से मेल होना चाहिए। कोई काम या पेशा ऊंचा या नीचा नहीं माना जाना चाहिए वरतों वह अपना सामाजिक हेतु सिद्ध कर सके। प्रत्येक धारिणर यह चाहे जितना सुच्छ हो, पारिधमिक मात्र का हक्दार नहीं है बल्कि आदरणीय भी है।

गांधीजी ने राजनीति और अर्थनीति के अध्यात्मो-करण का जो प्रयत्न किया वह उसका सक्षिप्त विवेचन है। उनके व्यावहारिक कार्यक्रमों के आधार सत्य और अहिंसा रहे हैं और उनका हेतु नैतिक मानव को एक नैतिक समाज प्राप्त करा देना रहा है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन संबंधी गांधीजी का दशन इतना व्यापक है कि उसमें राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक समाजवाद दोनों को नैतिक, भौतिक और संगठन संबंधी सारी उपलब्धियाँ समाविष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार उसमें अर्वाचीन मानव के इतिहास की विभिन्न धाराएँ संकलित हो जाती हैं। यह ऐसी अहिंसक क्रान्ति और नव-समाज रचना के लिए क्रियाशील है जहाँ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अत्याय और दोषण नहीं होगा। इसे ही गांधीजी स्वराज्य, रामराज्य, धरती पर ईश्वर का राज आदि शब्दों में व्यक्त करते थे।

गांधीजी ने शिक्षण की जो नयी पद्धति दी उसका कार्य यही है कि वह व्यक्ति और समाज दोनों को इस नयी क्रान्ति के सिद्धांतों के प्रकाश में चिम्बित करे। उ होने हमें स्वाभाविक और वंशानिक दोनों दृष्टियों से सही शिक्षा-पद्धति दी और साथ ही व्यक्ति तथा समाज के सामने अमूल्य और उदात्त ध्येय भी प्रस्तुत किया। इस प्रकार में नयी तालीम अथवा मुनियारी तालीम की योजना पर विचार होना चाहिए। ●

(अग्रणी 'गांधीयन पाठ' से साधार)

# भूदान आंदोलन और ग्रामभारती

( प्रश्नोत्तर )

श्री घोरेन भाई

प्रश्न :—‘ग्रामभारती’ का विचार और कार्यक्रम किस तरह अथ तक के भूदानयज्ञ आंदोलन का अगला कदम है, यह स्पष्ट नहीं है। मेरी जो कठिनाई है वह इस प्रकार है। विनोबा के नेतृत्व में जिस तरह भूदानयज्ञ आंदोलन अथ तक चला है उसके दो पहलू प्रकट हुए हैं। एक तात्त्विक, दूसरा ‘पापुलर’। तात्त्विक दृष्टि से उन्होंने सवादायक जीवन दर्शन और समाज दर्शन को वैज्ञानिक ढंग से दुनियाँ के सामने प्रस्तुत किया है। उनके विचार से मत भेद हो सकता है लेकिन अस्पष्टता नहीं है। ‘पापुलर’ ष्ट पर ये समस्याएँ सामने आयी हैं। दान की प्रक्रिया की विशेषता यह उतायी जाती है कि दान से एक आर स्वाभिव्यक्ति का विसर्जन होता है और दूसरी ओर दाता और आदाता के परस्पर सम्बन्ध में समता और मधुरता साध-साध आती है। लेकिन अथ तक का अनुभव यह है कि भूदान से दाता और आदाता के सम्बन्ध मधुर नहीं हुए हैं। जिस करुणा को विनोबाजी अपने आंदोलन का आधार मानते हैं उसकी निष्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि उल्टी स्थिति प्रकट हुई है। ग्राम दानी गावों का यह अनुभव है कि गाव की जो भूमि उद्वेग मालिकों के हाथ में है, चाहे वे गाव के भीतर के हों या बाहर के, वह ग्रामदान में नहीं आया है और न उसे लाने का आंदोलन ने कोई उपाय ही सुझाया है। इसी तरह ग्रामदानी जनता को कोई ऐसा सामाजिक भी नहीं मिल सका है जो खेती की कर्मा की पूर्ति कर सके। गाव का कोई उद्योग बाजार में जाकर मिल के मुकामिले में टिक नहीं पाता। इन बातों व अथाना अभी तक ग्राम के समग्र विकास—यानी आर्थिक और शैक्षणिक विकास—की कोई एक समन्वित प्रक्रिया भी नहीं निरूचित हुई जिसका परिणाम नवम्बर, '६२ ]

यह हुआ है कि कहीं याज्ञा आर्थिक विकास हुआ तो शैक्षणिक नहीं और यदि शैक्षणिक हुआ तो आर्थिक नहीं। ऐसी हालत में आवश्यकता इस बात की थी कि भूदान ग्रामदान आंदोलन के पापुलर ष्ट पर जो समस्याएँ पैदा हुई हैं उनका हल ढूँढा जाय। वही आंदोलन का असली कदम हाता। ग्रामभारती विकास की शैक्षणिक प्रक्रिया भले ही हो, वह अगला कदम कैसे है? अगर हमारा देश वास्तव में लोकतांत्रिक होता तो ग्रामभारती विकास की आदर्श प्रक्रिया होती लेकिन हम तो अभी सामतवाद और सौ साल पहले के पूंजीवाद से जकड़े हुए हैं जिससे मुक्ति के लिए व्यापक विद्रोह की आवश्यकता है। लेकिन आप की ग्रामभारती में तो विद्रोह की मानना तक नहीं है जो क्रांति की मुख्य शक्ति होता है। कृपया आप इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालें।

उत्तर —ग्रामभारती योजना अथ तक के भूदान यज्ञ आंदोलन का अगला कदम है, ऐसा समझना सही नहीं होगा। वस्तुतः यह योजना नहीं तालीम का व्यापक कार्यक्रम है। आंदोलन के सदस्यों में यह कार्यक्रम बुनियादी है, यानी बुनियादी डालने और उसे मजबूत करने का है।

आपने भूदान आंदोलन के ‘तात्त्विक’ और ‘पापुलर’ दो पहलुओं का विश्लेषण किया है। क्रांति के सदस्यों में तात्त्विक पहलू मुख्य होता है लेकिन ‘पापुलर’ आंदोलन से तात्त्विक पहलू भी आगे बढ़ता है। इस पापुलर पहलू के बारे में भी सफाई शर्मा चाशिष्ट। पापुलर पहलू के भी दो हिस्से होते हैं—एक आगे बढ़ने का और दूसरा ‘कन्सालिडेट’ करने का। हिंसक क्रांति में आगे बढ़ने के पहलू पर सारी शक्ति बँटित की जाती है और उसके बाद कन्सालिडेशन का काम शुरू होता

है। लेकिन गांधीजी की बतायी हुई अहिंसक क्रांति की टेकनीक भिन्न है। उसमें आगे बढ़ने का काम और संगठन का काम साथ साथ चलाता है। वस्तुतः क्रांति के इतिहास में यह गांधीजी की सबसे बड़ी देन है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फल बढ़नेवाले पहले से चलते रहने पर राद को कन्सालिडेशन के अवसर पर क्रांतिकारी को संगठित प्रतिक्रांति का सामना करना पड़ता है। होता यह है कि क्रांतिकारी जन एकांगी मार्ग पर बढ़ते रहकर वर्तमान को 'लिक्वीडेट' करता चलता है और साथ-साथ उसके स्थान पर क्रांति-तल के आधार पर निर्माण नहीं करता है तो वह अपने आंदोलन की प्रक्रिया द्वारा ही समाज में 'वैक्युअम' (रिक्तता) की स्थिति पैदा करता है। प्रवृत्ति वैक्युअम बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब क्रांतिकारी उसे अपनी चाज से भरता नहीं है तो स्वभावतः प्रतिक्रान्ति उसे अपनी ही चाज से भर देती है। नवाजा यह होता है कि जब क्रांतिकारी आगे बढ़ने का काम समाप्त करके कन्सालिडेशन के काम में लगने जाता है तब उसको मजबूत बुनियाद पर स्थापित प्रतिक्रान्ति की शक्ति का मुकाबिला करना पड़ता है। क्रांति के सर्प से भका हुआ क्रांतिकारी उसे अवसर पर प्रायः हार गवाता है और प्रतिक्रान्ति के गर्भ में विवर्धन हो जाता है।

आजादी के आंदोलन में गांधीजी ने विदेशी राज्य को समाप्त करने के लिए जहाँ अवहयोग और सत्याग्रह के रूप में आगे बढ़ने का कार्यक्रम दिया वहाँ स्वराज को कन्सालिडेट करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को भी देश के सामने पेश किया। उन्होंने रचनात्मक कार्य की स्वराज्य का बुनियादी कार्यक्रम कहा क्योंकि वृहत् स्वराज्य की बुनियाद डालनेवाला कार्यक्रम था। वह यहाँ तक कहा करते थे कि अगर रचनात्मक कार्य ठीक दग से पूरा किया जाय तो सत्याग्रह की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और विदेशी राज्य हट जायेगा।

दुर्भाग्य से देश के राष्ट्रवादियों ने गांधीजी की उपर्युक्त बृहत्-रचना को समझा नहीं। वे क्रांति की पुरानी लकीर पर चलने रहे। वे मानते थे कि एक बार

अंग्रेजी राज्य गलत करने से सच कुछ हो जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे-जैसे विदेशी सत्ता पछे हटती गयी वैसे वैसे उनका द्वारा छोड़े स्थानों पर पूंज राद तथा सम्प्रदायवाद का कब्जा हाता गया। पन्ध्र रूप आज मुक्त उनके हाथ में इतना मजबूत से जकड़ा हुआ है कि नेताओं द्वारा लोकशाही यानी स्वराज्य-स्थापना का प्रयास विफल हो रहा है और लोकशाही के हर स्तर पर पूंजीवाद और सम्प्रदायवादी शक्तियाँ हावी होती जा रही हैं।

गांधीजी रचनात्मक कार्यों को भी क्रमशः क्रांति के वाहन के रूप में संगठित करते जा रहे थे। वह चरखा सच में जीवन बतन तथा नव-संस्करण का प्रस्ताव द्वारा चरखे की तात्त्विक भूमिका को आगे बढ़ाते गये। उन्होंने नयी तालाम को भी पद्य शिक्षा पद्धति के दायरे में न रखकर समग्र नयी तालाम के नाम से उसे क्रांति का वाहन के रूप में प्रतिष्ठित करने की काशिश की और आधिभूत विदेशी राज्य की समाप्ति तथा स्वराज्य का प्रारम्भ के सधि काल में ही सारे रचनात्मक कार्यों को क्रांति का बुनियादी वाहन, नयी तालाम का गर्भ में विधान करने की बात कही।

विनोबाजी के नेतृत्व में जो भूदान-यज्ञ आंदोलन चला वह कोई नयी क्रांति की शुरुआत नहीं थी। गाँधीजी हमेशा कहा करते थे कि विदेशी राज्य को हटाना स्वराज्य का पहला कदम है। भूदान-यज्ञ आन्दोलन गाँधीजी द्वारा प्रवर्तित स्वराज्य आन्दोलन का दूसरा कदम मान है। विनोबाजी ने गाँधीजी के क्रांति-तल का जो भाव्य क्रिया उसका मूलमंत्र यह है कि अग्र सन्धे स्वराज्य की, यानी अहिंसक समाज की, जिसका मूल रूप शासनमुक्त समाज ही हो सकता है और जिसके लिए दण्ड शक्ति का विरोधान जरूरी है, स्थापना करनी है, तो समाज में से सर्पों की जड़-व्यक्तिगत स्वामित्व-को समाप्त कर 'कौटुम्बिक समाजवाद' की स्थापना आवश्यक है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूदान-यज्ञ आन्दोलन की शुरुआत हुई। जिस तरह स्वराज्य आन्दोलन के पहले कदम में गाँधीजी अवहयोग से सत्याग्रह तक चले गये

[ नयी तालाम ]

उसी तरह विनोबा जी दूसरे कदम में भूदान से ग्रामदान पर गये लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि भूदान और ग्रामदान का कार्यक्रम सच्चे स्वराज्य के पुराने आन्दोलन के पापुलर पहलू का एक हिस्सा यानी जागे उठने का हिस्सा था। कन्सालिडेशन का हिस्सा बलुत बही होना चाहिए था जो गाँधीजी ने उताया था—यानी नयी तालीम।

आप लोगों को याद होगा कि मैंने १९५४ में ही यह प्रस्ताव सर्व-सेवा-सच तथा आन्दोलन के कार्यकर्ता समान के सामने रखा था और तब से तब तक आ रहा हूँ कि भूदान और ग्रामदान क्रान्ति का आन्दोलनात्मक कार्यक्रम है, और नया तालीम उसका रचनात्मक पहलू है। इसलिए दोनों को समान रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस सिग्निले में हमेशा यह विवचन करता रहा हूँ कि एक दूसरे के सहारे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। देश के प्राचीन पौराणिक श्रद्धियों ने लोक कथा द्वारा हमें उताया है कि देव या देवियाँ बिना वाहन के आगे नहीं बढ़ सकती हैं और वाहन भी उन्हें पीठ पर बैठा कर ही प्रतिष्ठित हो सकता है। उसी तरह क्रान्ति देवी नयी तालीम की पाठ पर बैठ कर आगे बढ़ सकती है और नयी तालीम क्रान्ति देवी को पाठ पर लेकर ही समान में फलीभूत हो सकता है, एसा मैं कहता रहा हूँ। लेकिन हम क्रान्ति के सदर्भ में नयी तालीम का बुनियाद नहीं डाल सके। इसके दो कारण हैं—प्रथम कारण हमारी दृष्टि और शक्ति पर्याप्त नहीं थी दूसरा कारण यह था कि हमारे सामने क्रान्ति का वाहन के रूप में नयी तालीम का कोई चिन्म साक नहीं था। गाँधीजी ने नयी तालीम के दो पहलू रखे थे—पहला शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति और दूसरा शिक्षा द्वारा अहिंसक क्रान्ति। यह शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति यानी शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना चाहते थे। यह प्रचलित पुस्तक-मूलक शिक्षा-पद्धति को बदलकर उत्पादन-मूलक शिक्षा-पद्धति को कायम करना चाहते थे और शिक्षा द्वारा समान के अवाङ्मनीय तत्वों को रत्म न कर शिक्षा द्वारा उसे बदलने का अहिंसक प्रक्रिया को स्थापना करना चाहते थे। लेकिन अब

तक नया तालीम का हमने जो प्रयोग किया वह पहले पहलू का ही लेकर किया, दूसरे पहलू पर प्रयोग द्वारा कोई अनुभव नहीं प्राप्त किया। परल्वरूप जब क्रान्ति का दूसरा कदम उठाया गया तो हमारे सामने क्रान्ति को कन्सालिडेट करने के लिए क्रान्ति की वाहक नयी तालीम की रूप-रेखा स्पष्ट नहीं थी। जब मैंने उस सवाल को उठाया तो आन्दोलन में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह दोनों पहलूओं को साथ लेकर चलता।

यह ठीक है कि यद्यपि गाँधीजी ने समान परि वर्तन की प्रक्रिया के रूप में समग्र नयी तालीम की बात कही थी लेकिन जिस समय गाँधीजी ने यह बात कही थी, उस समय उनकी विचारधारा के अनुसार समान-परिवर्तन का वाहन राष्ट्रीय सरकार होगा, एसा हमने माना था। इसलिए भा समग्र नयी तालीम को क्रान्ति की वाहनेमिक्क के रूप में निश्चित करने की अपेन्ती अनुभव न करना उस समय हमारे लिए स्वाभाविक था। शायद वही कारण है कि हम नयी तालीम के क्रान्तिकार पहलू का प्रयोग द्वारा अनुभव हासिल करने में असमर्थ रहे हैं। फिर जब विनाशा का भूदान आन्दोलन चला और वह ग्रामदान तक पहुँचा तो एक बार हमने फिर इसका आदर्शनका पर विचार किया और विनाशा का प्रेरणा से वैसा निर्णय भी किया। लेकिन उस दिशा में हमने कुछ किया नहीं।

आपने जा यह अनुभव किया है कि भूदान से दाता और आदता के सच मधुर नहीं हुए हैं और जिस करुणा को विनोबाजी अपने आन्दोलन का आधार मानते हैं उसकी निष्पत्ति नहीं हुई है इसका मुख्य कारण यह है कि हमने आन्दोलन को आर्थिक और सामाजिक पहलू से ही देखा और चनाया। अर्थात् हमने व्यक्तिगत मिलिक्यतवाद की दिशा में उठनेवाले पहलू का ही अपनाया और मिलिक्यतवाद के निराकरण से उत्तम परिस्थिति को कन्सालिडेट करने के लिए समग्र नयी तालीम की प्रक्रिया को नहीं अपनाया। परल्वरूप जिस तरह स्वराज्य के राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम का उत्पादन के कारण गाँधीजी सच्चे स्वराज्य का वा आधार मानते थे उसका निष्पत्त

नहीं हुई उसी तरह इस आन्दोलन में समग्र नयी तालीम की उपाधा के कारण यह निष्पत्ति नहीं हुई जिसे विनोबाजी इस आन्दोलन का आधार मानते हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि जमीन के वितरण में हमने दाता की उपाधा की। दाता और आदाता के मधुर सम्बन्ध के लिए यह आवश्यक था कि दाता आन्दोलन के सिद्धांत के अनुसार भूमिहीन को भूमि खुद बंटते और हमारे कार्यकर्ता उनके सहायक होंते। हमने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने में हमने क्रान्ति पर खतरा देना। हमने यह माना कि दाता दान करके फिर अपने मन चाहे व्यक्ति को देने की इच्छा रखेगा तो उसका दान 'मोहमुक्त विसर्जन' नहीं होगा यानी वह क्रान्ति की प्रक्रिया नहीं होगी। सिद्धांत की दृष्टि से शायद यह ठीक है लेकिन तालीम की दृष्टि से सही नहीं है। विचार-परिवर्तन और हृदय परिवर्तन निःसन्देह तात्मीम की ही प्रक्रिया है। तालीम का प्रारम्भ में शिक्षार्थी की मौजूदा स्थिति पर से ही उसे आगे बढ़ाना होता है। जब समाज में भूमि के सद्दर्भ में उत्कट मोह और ममता है तो किसी व्यक्ति को इस भूमिका पर से मिलिकृत विसर्जन की भूमि का पर ले जाने के लिए प्रथम कदम में अमुक्त हिस्से की जमीन की ममता छोड़कर अगर अपने ही स्नेही भूमिहीन को जमीन दे देता है तो विसर्जन की दिशा में बढ़ने के लिए इस प्रारम्भ को काफी मानना चाहिए। जब ऐसा नहीं हुआ तो दाता की भी कोई दिलचस्पी नहीं रही और आदाता ने उस दान को कदना की प्रक्रिया न समझकर ऊपर से दिलाया हुआ हक माना। यही कारण है कि स्वयं आदाताओं में भी आपस के स्नेह-सम्बन्ध की निष्पत्ति नहीं हुई। यह सही है कि बाद को यह कमी महसूस की गयी और अब दाता की इच्छा के अनुसार जमीन बांटी जा रही है। केवल बांटी ही नहीं जाती है बल्कि विनोबाजी ने यह भी कहा कि दान-पत्र न लेकर प्राप्ति-पत्र लेंगे। अर्थात् अब मुदान का सम्बन्ध दाता और आदाता के बीच का ही।

आज मैं ग्रामभारता यानी समग्र नयी तालीम पर इतना जार इसलिए देता हू कि नयी तालीम की

ही यह जिम्मेदारी है कि वह दाता और आदाता के सम्बन्धों को मधुर बनाये। मौना चूड़ने का कारण आज यह अत्यन्त गठिन है लेकिन कठिन क्षण पर भी तात्मीम का मार्ग खोजना होगा।

ग्रामदान की गांवों के निर्माण के काम में भी हमारे काम की दृष्टि आर्थिक रही, शैक्षणिक नहीं। आपने ग्रामदान का सवाल उठाया है। लेकिन दृष्टि प्रधान जनता का स्नेही की कमी पूरी करने के लिए ग्रामोद्योग की आवश्यकता सभी गांवों में है और उसे करना है। ग्रामदान की जनता के लिए यह कोई शिक्षित समस्या नहीं है। जैसे-जैसे विवेन्द्रित उद्योगों की तकनीक आगे उठेगा जैसे-जैसे देश भर में इस समस्या का निराकरण हो सकेगा। ग्रामदान की गांवों में जो नहीं हो सक्ता वह यह कि हम मनुष्य के परस्पर स्नेह सम्बन्ध के विकास को मुख्य निर्माण कार्य न मान कर राश निर्माण जादि आर्थिक कार्यक्रम का ही लेकर बैठे रहे। अगर हमारा निर्माण कार्य तात्मीम मूलक होता तो हम विभिन्न वर्गों के परस्पर स्नेह सम्बन्ध के लिए तथा वर्ग निराकरण के लिए कोई तकनीक खोज निकाल सकते थे। लेकिन हमने उस मार्ग का नहीं पकड़ा। जिस तरह दाता और आदाता के सम्बन्ध के बारे में हमने अपने तरीकों में सशोधन किया उसा तरह निर्माण के कार्य में भी उचित सशोधन करने की आवश्यकता है।

आपने माना है कि विद्रोह की भावना क्रान्ति की मुख्य शक्ति होती है। यह क्रान्ति की धारणा पर निर्भर करता है। अन्याय और निर्दलन द्वारा उत्पादित जनता जब मुक्ति का दूसरा मार्ग नहीं देखती है सभी उसके मन में विद्रोह की भावना होती है। हिसात्मक क्रान्ति में यही भावना मुख्य शक्ति होती है और यही कारण है कि हिंसक क्रान्तिकारी अन्याय और निर्दलन में कमी करने के कार्यक्रमों का विरोध करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ऐसा करने से विद्रोही चेतना दानगी हो जायेगी। वे यह नहीं चाहते हैं कि पंक्ति जनता को कोई दूसरा मार्ग दिखाई दे। लेकिन अहिंसक क्रान्ति आरोहण की प्रक्रिया होती है। इस क्रान्ति की प्रक्रिया ही मुक्ति के लिए निराश जनता को आशा दिलाने की होती

# बुनियादी शिक्षा और ग्राम-सेवा

श्री मनमोहन चौधरी

ग्रामभारती के पीछे जो विचार हैं उनपर यह वादस्थिति से पुनर्विचार करना चाहूंगा। दिल्ली में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि ग्रामदान के उद्गम और विनाश के साथ नयी तालीम को नया रूप मिला है। यह यह है कि नयी तालीम अब पहले की तरह स्कूलों का चार दीवारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव के पूरे जीवन को व्याप्त करेगी। सारा गांव ही शाला होगा और गांव के सभी लोग—बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब उसके नियंत्रण में होंगे। उस प्रस्ताव के पीछे का विचार सब को तब अनोखा दस्ता और कद्यों ने महसूस किया कि अतिरिक्त बुनियादी शिक्षा को वर्तमान गणितोप से निरूपण का मार्ग खुला। उस समय मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन बाद में विचार करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उस प्रस्ताव में ऐसा कोई अनोखा विचार नहीं है। यह कुछ प्रचलित बुनियादी शिक्षाओं का, अंतोले ढग से सही, पुनर्वसूच्य मान है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि वह आगे का मार्ग प्रशस्त करने में किसी प्रकार सहायक सिद्ध न हुआ हो।

प्रचलित बुनियादी शिक्षा के हैं (१) शिक्षा जीवन से अलग न रहे और प्रत्यक्ष जीवन में आने-वाले समस्याओं और परिस्थितियों के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध हो। (२) अहिंसक समाज-रचना की प्रक्रियाएँ सुस्पष्ट शैक्षणिक हों। अतः हमारा प्रत्येक रचनात्मक कार्यक्रम और सारी प्रवृत्तियाँ शिक्षण का ही कार्यक्रम और प्रवृत्तियाँ मानी जायें तथा यह शैक्षणिक प्रक्रिया समूचे जीवन को, जन्म से—बल्कि गर्भांस्था से लेकर मृत्युपर्यन्त व्याप्त करे।

बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम इस पहली कल्पना को कार्यक्रम देने का प्रयत्न था। और जब से समग्र

ग्राम-सेवा की बात चली है तब से हमने सारे रचनात्मक कार्यों की दूसरी कल्पना साकार करने की दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया है। दोनों प्रयोगों में हमने कुछ हद तक सफलता पायी है तो उसमें अधिक कई विफलताओं और गतिरोधों का भी हमें सामना करना पड़ा है। ग्रामदान आन्दोलन ने हमें व्यापक अस्तर दिया और एक चुनौती दी कि हम अपने प्रयोगों को लेकर आगे बढ़ें। उसने हमें यह दिग्गम दिया कि अगर एक विशेष प्रकार की शैक्षणिक प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाय तो एक सीमा तक सफलता मिल सकती है। लेकिन दिल्ली के प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं है कि इन अनुभवों से हम लाभान्वित हुए हैं। शिक्षा को अब चारदीवारी के अन्दर सीमित रहने नहीं दिया जाय, इस एक मुद्दा के अलावा उस प्रस्ताव से यह नहीं मालूम होता कि अपनी कार्यपद्धति में नये कदम क्या हो सकते हैं। केवल एक बात समझ में आती है कि अगर बुनियादी स्कूल के शिक्षक पूरे गांव का शिक्षण हाथ में लें तो नयी तालीम की कठिनाई हल हो जायगी।

मेरा मानना है कि इससे हमारे विचारों में उल्लेखन ही पैदा हुई है। हम लोगों में यह एक निश्चित मनीशक्ति है कि किसी भी विचार या कार्यक्रम का स्वरूप एकदम विशाल बना दें ताकि वह समूचे सर्वोदय आन्दोलन को व्याप्त कर ले और उसमें सब कुल समा जाय। यह भावागत अलंकार की दृष्टि से अच्छा है और अपने विचारों और लक्ष्यों को खूब समझाने की दृष्टि से भी ठीक है परंतु जब इसका प्रधान व्यावहारिक मामलों पर भी पड़ता है तो फिर खतरनाक बन जाता है।

नयी तालीम के बारे में यही हुआ है। नयी तालीम का विचार बच्चों और युवकों की शिक्षा की

एक पद्धति की दृष्टि से निकला था। लेकिन सीधे तानकर हमने उसे पूरे सर्वोदय आन्दोलन के बराबर कर दिया। और इसीलिए जब कभी हम शिक्षा-संबन्धी समस्याओं पर विचार करने बैठते हैं तो सीधे समूचे सर्वोदय आन्दोलन के ध्येय और उद्देश्यों की तथा उनकी प्राप्ति के साधनों की चर्चा में रह जाने का हमारा मानस होता है। बाल शिक्षा पर विचार करने के लिए हम यह मानकर शायद ही कभी बैठते हैं कि उसकी अपनी भी कोई समस्या है और बच्चों का दिमाग एक कठोर वास्तविकता है और अब तक हम इन तथा इनके समान और भी कई प्रमुख मुद्दों पर विचार नहीं करते हैं तब तक कोई भी शिक्षा-पद्धति सफल नहीं हो सकती। सर्वोदय आन्दोलन को लें या उसका कोई महत्वपूर्ण अंग, वह जनता के आदर सौम्य पद्धि रचनात्मक शक्ति को जगाने पर ही निर्भर है जो कि सारी सभ्यता का आधार है। यह सही है कि यह जागरण शिक्षा की नीति और दिशा को बहुत दृढ़ तक प्रभावित करेगा। यह भी सही है कि बाल शिक्षा की पद्धति जनता की रचनात्मक शक्ति को जगाने की दिशा में काफी दूर तक जा सकती है। लेकिन अच्छा होगा यदि इन दोनों समस्याओं पर उनके अन्योन्य सम्बन्धों का ध्यान रखते हुए भा. अलग अलग विचार किया जाय। यह कहना निरर्थक है कि बुनियादी शिक्षा को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका हल तभी मिलेगा जब बुनियादी शालाओं के शिक्षक कुछ समय के लिए अपनी शालाएँ बंद करके समूचे गांव के शिक्षण के लिए निकल पड़ें। मेरा अपना निश्चित मत है कि ये दोनों काम समान महत्व के हैं और दोनों एक साथ परस्पर सहयोग करते हुए चलाने जैसे हैं।

## २ जनता के साथ एकरूपता

जनता में समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया का अभि क्रम पैदा करने में 'जर्नर' का काम करना सर्वोदय कार्यकर्ताओं का मिशन-सौभाग्य है। इसके लिए जिस जनता की वह सेवा करेगा उसने साथ एकरूप होना होता है। उसे अपने पड़ोसियों की समस्याओं का निष्पत्ता और परिणता के साथ समझना होगा ताकि

लोग अपना हल खोजने में कार्यकर्ता के विचारों से प्रेरणा ले सकें और उसे अपना प्रेरक मार्ग। जनता को भी उसके साथ एकरूप होना होगा ताकि उसकी बातों और कामों को अपने काम की प्रेरणा के रूप में स्वीकार कर सकें। इस सम्बन्ध में श्री धारण भाई जैसे कुछ लोगों का निश्चित मत है कि इसके लिए कार्यकर्ता को जनता जैसी ही जीवन-पद्धति अपनाना चाहिए उनकी जैसी स्थिति म ही रहकर अपनी बुनियादी आवश्यकता की कुछ वस्तुओं का उत्पादन अपने शरीरभ्रम से करना चाहिए। उनका कहना है कि विरत्रे ही ऐसे होंगे जो दूसरों के प्रति कदृणा और प्रेम से स्वयं प्रवृत्त होने को बाध्य होंगे। औसत व्यक्ति प्रेम आदि भावनाओं से प्रेरित होकर काम में नहीं लगता वह उहाँ कठिनियों को दूर करने में लगता है जिन्हें वह स्वयं भोगता है। सामान्य लोग उसी का अनुसरण करेंगे जो उहाँ के जैसा रहेगा और काम करेगा।

यह जो धारणा है क्या इसका पूर्वापि ठीक है? केवल दूसरों की तरह कठोर जीवन जीने से उसके अन्दर आत्मायता और समवेदना का भाव पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं है। बल्कि दरअसल अतिभ्रम की वजह से मन कड़ा पढ़ जाता है और समग्र है अपने चारों तरफ लाग प्रतिदिन जो दुःख भोग रहे हैं उनका दुःखों और कष्टों के प्रति उसकी सहृदयता भी खतम हो जाय। हम देखते हैं कि गरीब लोग अपनी हा चिन्ताओं से इस कदर धिरे होते हैं कि दूसरों के सुख दुःख के बारे में ध्यान देने को उन के पास न तो समय रहता है, न शक्ति रह पाती है। तब पर जब एक ही प्रकार का दुःख और एक ही प्रकार का भ्रम लगातार सहते जाते हैं तो उस स्थिति को ही लोग वास्तविक मान लेते हैं और उसे सुधार लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। गरीब देशाती समाज में बच्चों जब सात आठ साल के हो जाते हैं तो उनको काम में लग जाना पड़ता है। यह उन के लिए इतना सहज हो जाता है कि इस दुःस्थिति की भयानकता उनको महसूस नहीं होती। इस प्रकार उनके साथ आत्मीयता या समवेदना की अनुभूति बनना भौतिक परिस्थिति से नहीं पैदा होती, बल्कि यह चेतना और प्रतीति

में से निष्पन्न होनेवालों का ज्ञान है। जो कार्यकर्ता स्वेच्छा से सुग्री जीवन त्याग कर कुछ कठोर जीवन अपनाता है वह कष्ट से, प्रेम से, परिस्थिति के अन्वय के विरुद्ध नैतिक असंतोष से, सहजीवियों के प्रति अपने कर्तव्य की भावना से या क्रांति के उद्देश्य के प्रति अपने आदर के कारण बाध्य होता है, क्योंकि ये सारी बातें मन की दृष्टि अस्पर्श हैं और अनुभूति के नियम हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हममें सामान्य व्यक्ति को इस स्वेच्छा-पूर्वक अपना रास्ता खोजने की शक्ति के बारे में भरोसा न रह गया हो और उसे हम इस दंग में तैयार करना चाहते हो कि वह सरल जीवन जीना चाहे तब भी जो न सके और जिस समाज की सेवा करने जाय वहाँ कठोर जीवन जीने के लिए बाध्य हो।

लोग कष्ट सहने वाले व्यक्ति के प्रति आश्चर्य होते हैं और उसके प्रति आभ्युत्थान और एकरूपता अनुभव करते हैं जिसे वे उन के दुःख निवारण के लिए खुद दुःख उठाते देखते हैं। लेनिन दुःख उठाने का यह अर्थ नहीं कि खुद बढ़ भी उन्हीं के दुःखों और कष्टों को धँसे ही भोगने लगे ताकि वे उसे अपना समझने लगे। कोई दूँ रह रहा है तो उसे बचाने के लिए जो प्रयत्न करेगा वही अधिक मिय लगेगा यन्त्रित उसके जो उस दूँ करने वाले की सहायता में स्वयं दूँ करने लगे। जैसे से तयाह हो रहे मारपीतों को वेग का यह उपचार मिय होगा जो उन्हें उससे मुक्त करे। माता अपने उल्टे प्रेम के कारण स्वयं धरना न जानते हुए भी पानी में बूढ़ जायगी; अपने बीमार बच्चे को छाती से लगा कर भगवान से प्रार्थना करेगी कि बच्चे की बीमारी उसे लग जाय और बच्चा ठीक हो जाय। जानवरों में भी यह देखने में आता है कि बच्चे की जान बचाने के लिए मा पत्ता अपने ऊपर झेल लेती है। यह जो प्रेम है, कष्ट है, एकरूपता की भावना है या जो भी नाम इसे दें, यह मनुष्य-मान में रहनेवाली एक उत्कृष्ट और गहरी भावना है इसे धनाने रचना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। साथ ही विवेक के साथ इसे सही दिशा भी देनी चाहिए, क्योंकि अत्यंत मानुष्यव्यक्तियों की यह भावना उस माता की तरह नवम्बर, '६२ ]

सोपे पानी में बूढ़ जाने को प्रेरित कर सकती है। आम सेवक को उसकी जीविका के लिए खुद के शरीरभ्रम पर ही निर्भर होने के लिए जोर देना भरी दृष्टि में अनुचित है। मारपीतों के प्रति अपनी चिता व्यक्त करने के लिए और भी कई उपयोगी और प्रभावशाली मार्ग हो सकते हैं, यन्त्रित इसके कि उनकी तरह ही जीविका कमाने के प्रयत्न में समय बर्बाद किया जाय। उसकी इस प्रकार की सेवा के महत्व को गाँव के लोग और दूसरे कार्यकर्ता मिन न समझ पायें और उसका समर्थन करने को तैयार न हों तो यह और बात है। तब उसे अपनी मेहनत से कमाना पड़ेगा और उसके अनुकूल शिक्षण लेना होगा और अपने में खुद कमाने की शक्ति और आत्म-विश्वास पैदा कर लेना होगा। यह अलग बात है कि कार्यकर्ता को अपने प्रतिदिन के समय में कुछ घंटे उत्पादक धर्म के लिए निश्चित करने होंगे ताकि उसके जीवन में सतुलन बना रहे। उत्पादक परिश्रम के कामों में माग लेना भी समाज के जीवन के एक पक्ष के साथ घुलने-मिलने का अच्छा अवसर है।

कार्यकर्ता में यह जीवित प्रेरणा न हो तो केवल कुछ यांत्रिक दिनचर्या से उसका विकास नहीं हो सकेगा। उसकी सुप्त चेतना को जगाने के दूसरे उपाय खोजने होंगे। प्रायः उन में अज्ञान रहता है। गर्सवी से नस्त समाज की परिस्थितियों की प्रत्यक्ष जानकारी उनको नहीं रहती है। हो सकता है, उनमें कल्पनाशक्ति न हो, यद्यपि की 'न्यूरासिस' के कारण उसके सचेत अक्षरित हो गये हों, या आत्म-मर्त्यना करते-करते वह दूसरों की भावना के प्रति बिल्कुल कठोर हो गया हो। कारण जो भी हो, उसका उपचार मनोवैज्ञानिक ही हो सकता है। उसे अवसर मिलना चाहिए कि वह दूसरों के जीवन में प्रवेश करने की ओर उनकी स्थिति को उन की ही दृष्टि से समझने की कोशिश करे। जोन बीजर का प्रेत हंगर, विभूतिभूषण बन्धोपाध्याय का 'पथेर पाचाली' आदि साहित्य का अध्ययन उसके लिए मददगार हो सकेगा। उसकी दृष्टि हुई भावनाओं को जोर का बक्का लगने दिया जाय ताकि वह अपनी आंतरिक भावना स्वयं



कर पाये। यह अपने को करने में थोड़ी कमी करे और अपने प्रति कुछ उदार हो ताकि औरों के प्रति यह अधिक उदार बन सक।

जाता के साथ आत्यंतिक एकरूपता साधने की इस समस्या की ओर हम अपने अन्दर किसी प्रकार की अपराध भावना में आगे देते हुए यत्ननिष्ठ दृष्टि काग से देग सकते हैं। मनुष्य के मन और शरीर का पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए उसके अंगों का अमुक एक न्यूनतम भौतिक परिस्थिति की आवश्यकता रहती है। जैसे सिपाही है, उसको त्याग के लिए हर वस्तु तैयार रहना हाता है इसलिए उसे युद्धकाठ में एक निश्चित दर्जे का भोजन, वस्त्र और अन्यान्य सुविधाएँ देनी पडती हैं। और हा सकता है कि ये सुविधाएँ समाज के सामान्य मनुष्य के जीवन-स्तर की अपेक्षा अधिक उन्नत हों। लेकिन इस अन्तर को गान नहीं समझना चाहिए और इसको लेकर सिपाही के त्याग का मूल्य घटाना नहीं चाहिए।

भारत में और सत्तर के और भी कई भागों में एगलों-करोड़ों लोग हैं जिनका जीवन-स्तर साधारण से भी नीचा है। इनके शरीर और मन भी निम्न स्तर में ही काम करते हैं। औसत मनुष्य के लिए स्वच्छता से इस स्तर तक उतरना और यत्नवी सेवा कार्य में लगे रहना समय नहीं हाता है। बहुधा यही वास्तविक नैतिकता है कि कार्यकर्ता इस प्रकार के अतिमानवीय प्रयत्नों के पीछे दौड़ने फिरने के उजाय अपनी सारा शक्ति अपन अभागे भाइयों की सेवा में लगाये।

उदाहरण के लिए कोरापुट में एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो अपना जीवन आदिवासियों के जीवन के बराबर जिनमें में सफल हो सका हो। फिर भी जब बाहर से कुछ कार्यकर्ता वहाँ काम करने आये, जो कुछ अच्छा जीवन जीने के आदी थे, तो इसे लेकर वहाँ बड़ी आलोचना होने लगी। क्रांतिकारी भूदान कार्यकर्ताओं और सुधारक निर्माण कार्यकर्ताओं के रूप में रास दो अलग-अलग वर्ग बन गये। माना यह गया कि उन्नत जीवनवाले कार्यकर्ता जो कि अपना जीवन मान सादा नहीं बना पाये, इसलिए आदिवासियों की सेवा के लिए अयोग्य ठहराये गये।

पर ध्यान देने की बात यह है कि सादा जीवन का मापदण्ड उन लोगों के जीवन पर जायारित था ता सादा जीवन का आदी था। इसीलिए चप्पल, दरिया पड़ी, पेन आदि वस्तुएँ उनकी सांगगी में बाधक नहीं थीं जो आदिवासियों के लिए दुर्भंग थीं। चानच, दाट, फड़ी का भोजन जिसमें २५०० कैगरी प्राप्त होती उाच लिए वर्जित नहीं था जब कि औसत आदिवासी पड़ी मुक्ति से १२०० कैगरी युक्त पतंग का मापदण्ड प्राप्त कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति एक अतिरिक्त तोगिया, दूधब्रश और पेस्ट रगता था, चप्पल की जगह शूट काम में लाता था, प्याला भर दूध और एकाध नम्मच भी पाने का आदी था उसे पहिष्ट कर दिया गया।

यह कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत हीनता के कारण ही हुआ हो ऐसी बात नहीं है। गलत मूल्यों और गलत आदर्शों के कारण यह हुआ था। अकसर या कार्यकर्ता इस दलील में खूब गहराई तक उतरगा तो वह पायेगा कि वह स्वयं भी जन साधारण की सेवा करने योग्य नहीं है। तब विच्छिन्न मन (स्प्लिट माइण्ड) की वह हास्यास्पद स्थिति निर्माण होती है जिसे यह स्वीकार नहीं होता कि एक इजानियर को जिउने आदिवासियों की सेवा के लिए अच्छा नौकरा छोड़ी है और रोज अठारह अठारह घंटे काम करता है, तान सी रुपये मासिक वतन दिया जाय, वलिक वही व्यक्ति ठेके पर काम करने लगे, हजारों रुपये कमाने लगे, और इस कमाई के लिए मजदूरों का खून चूसते तो इसे उकी धीरतापूर्वक सहन कर लेगा।

हम थोड़ा नम्र बनें और गरीब जनता के साथ भौतिक एकरूपता साधने की पराकाष्ठा तक न पहुच सकने की अपनी असमर्थता स्वीकार कर लें और जो भी हमारे अन्दर शारीरिक और आतरिक शक्ति है उसका उपयोग पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा में करें तो सारी स्थिति अच्छी तरह सुधर सकेगी। इससे हम अधिक मानवीय बनेंगे, इससे हम उन लोगों के भी नजदीक जायेंगे जो आज पापी समझे जाते हैं।

मनुष्य अपनी आदत के विपरीत तभी कोई काम करता है जब उस पर किसी शक्तिशाली भावना का

दयाव पड़ता है या उसे किसी प्रकार का शारीरिक या भावनात्मक समाधान पाने की उम्मीद होती है।

किसी मौक्तिक लाभ की उम्मीद, भय, क्रोध या द्वेष, दया, साहचर्य, सौंदर्यानुभूति आदि कई कारणों से मनुष्य काम करता है। मनुष्य के अन्दर कुछ भावना सम्बन्धी आवश्यकताएँ हैं जो उस पर उतना ही दबाव डाल सकती हैं जितना कि भौतिक आवश्यकताएँ डालती हैं, लेकिन, यह भी होता है कि दूसरे उद्देश्यों के सामने ये दब जाती हैं या अविकसित रह जाती हैं। फिर रुढ़ि प्रस्त समाज में उन भावनाओं के समाधान के परंपरागत कुछ मार्ग होंगे जो इस कदर एक दूसरे में उलझे होंगे कि सही समाधान छुप्त ही हो जाय। उदाहरण के लिए दान को लें। दान करना स्वस्थ मानव-स्वभाव की एक सहज-वृत्ति है। परंपरागत रुढ़ियों में दान के कई प्रकार हैं। किसी निश्चित सामाजिक पर्व के समय रिश्तेदारों को कुछ देना होता है, ब्राह्मणों या पुरोहितों को देना होता है, तीर्थ-यात्राओं में या रोग शय्या में इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रसंगों में दान देने की कई रुढ़ियाँ हैं। लेकिन इन दिनों हैसियत और सांसारिक सुविधाओं के कारण उन दोनों का मूठ हेतु दब गया है और कहीं उत्सुकतावश तो कहीं अपरदस्ती के कारण दान देने की सहजवृत्ति का जो समाधान है वहीं नष्ट हो गया है। इसी प्रकार आज विवाह के पीछे भी कई प्रेरणाएँ काम करती हैं। जैसे आर्थिक आमदनी, सामाजिक प्रतिष्ठा का पालन, वैयक्तिक स्वयं के प्रति रुढ़ि धारणाएँ आदि। इनके कारण विवाह-संस्कार की मूठ भावना का दब जाना, और पति-पत्नी के बीच सहज प्रेम का नष्ट हो जाना अथ भव नहीं है। मनुष्य में और भी कई प्रेरणाएँ हैं, जैसे कुछ प्राप्त या सिद्ध करने की इच्छा और साहस आदि। कई समाजों में इन सहज प्रेरणाओं का भी बुराफदा निरस्तारहित क्रिया जाता है।

व्यक्ति-व्यक्ति को और समान को सक्रिय बनाने

में सर्वोदय कार्यकर्ता तभी सफलता की आशा कर सकेगा जब वह ऐसी कुछ गहरी भावनात्मक आवश्यकताओं को छू सके और जगा सके। यदि वह अपने में वैसा भावनात्मक समाधान प्राप्त करने में सफल होता है तो फिर वह दूसरों के लिए उदाहरण बन सकेगा। जो आवश्यकताएँ मुक्त हैं, साल उन के लिए यह बात लागू है। लोगों को अत्यान्त सदमों में दान करने से समाधान की अनुभूति होती है तो भूदान के लिए भी, जिसके पीछे बहुत बड़ी बौद्धिक अगील है, उन्हें मनाया जा सकेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को देने के आनंद का अनुभव नहीं है उसमें दूसरों का आनंद समकित करके हो वह अनुभूति निर्माण की जा सकेगी। इसलिए जो कार्यकर्ता समाज का नेतृत्व करने के प्रथम में हैं उसे अपने अंदर भावनात्मक समाधान अनुभव करना चाहिए।

आज कल सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के मन में ऐसी घाण्टा जोरों से काम कर रही है कि उन्हें अपनी भावनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए, खुद को सदा पीछे रखना चाहिए, आत्मत्याग या खलिदान के नाम से अपने निजी सतोष को गौण मानना चाहिए, आदि। इसका परिणाम यह हुआ है कि कार्यकर्ता सामान्यतया अपने को असहाय पाते हैं, निरानंद रहने लगते हैं, सभार क प्रति झुझकते रहते हैं, संवेदनशून्य बनते हैं और अपनी इस असहायपरथा आदि भावना की छूत अपने सारे आसपास के वातावरण में लगा देते हैं। जिस आदोलन में आ कर लोग असहाय हो जाय, पीछे रहने को बाध्य हों, और उनकी भावनाओं की कोई परवाह न हो, ऐसे आदोलनों में लोग किस बात से आहृष्ट हो कर आयें ?

अतः भावनाओं की पुष्टि और समन्वित व्यक्तित्व के विकास को भी हमारे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम में महत्त्व का स्थान दिया जाना चाहिए। अब तक इस पहलू पर हमने अधिक ध्यान नहीं दिया है। यह मूल सुधार देने के लिए यह अच्छा अवसर है।

(अपूर्ण)



# नयी तालीम की तारक शक्ति कुण्ठित क्यों ?

( एक चिन्तन )

श्री वासिनाथ त्रिवेदी

एतन्निष्ठा भं समय-समयपर अनेक प्रवाह आत और आते रहत हैं । कभी शुभ प्रवाहोंका दौरा आता है और कभी अशुभ प्रवाह जोर पकड़त हैं । शुभ प्रवाह लोकजावन व शिष्ट तारक हात हैं, अशुभ-प्रवाह लोकन वन को गन्त दिशा में ले जात हैं और उसकी ऊर्ध्वमुखी शक्ति का मुण्डित कर देते हैं । मानव-समाज के आदिकाल से आज तक संसार में शुभ अशुभ प्रवाहों का यह चक्र लगातार चलता रहा है । यह आवश्यक नहीं है कि दोनों प्रवाह अलग अलग समय में अलग-अलग रातिसे रहें । प्रायः सुख-दुःख, हानि-गम, जीवन-मरण और यश-अयश की तरह ये प्रवाह भी व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया के तारत में एक साथ एक ही समय में अपना काम करत पाये जाते हैं । जब शुभ भाईनाओं का प्रवाह जोर पकड़ता है, तो समाज में व्यापक मांगल्य का और सुख, शांति तथा समृद्धि की स्थिति बनती है । जब अशुभ प्रवाह बलवान् होते हैं, तो दिशा बदल जाती है । व्यक्ति, समाज तथा देश ऊपर उठने के बख्ते नीचे गिरनेकी दृष्टि-दृष्टिनाला बनता है और फिर उसी में रम जाता है । मानव-जीवन के अग-प्रयोग में हमें इस सत्य के दर्शन सदा होने रहे हैं । आज भी हो रहे हैं ।

अपने देश में आज अनेक क्षेत्रों की तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे ही शुभ-अशुभ प्रवाहों का दर्शन हमें निरंतर होता रहता है । हमने यह माना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब शिक्षा दीक्षा के सारे सूत्र हमारे हाथ आयेंगे, तो सहज ही हम अपने देशकी शिक्षा के प्रवाह को सही दिशा में मोड़ सकेंगे । देश के सभी सप्रवृत्त और सदाकाशी लोगों की यही अपेक्षा थी । आज भी ये इसी अपेक्षा से अपनी शक्ति

भर शिक्षा के प्रवाह का शुभ दिशामें उपाय पाव प्रयत्न कर रहे हैं । किन्तु शिक्षा प्रवाह और बढ्ढमूल प्रवाह के विपरीत उन्हें चलाया पन्न रहा है, जसके कारण शुभ प्रवाह का पूरे धग स गर्तमात करना उनके शिष्ट बढ्ढा ही कठिना हा रहा है । स्वतंत्रता के बाद भा तारक मातस पर पराधानता के समय का शक्ति-नाति और शिक्षा दीक्षा का ना प्रभाव बना हुआ है, उसका कारण तबे जोर शुभ प्रवाह के शिष्ट लाकमानसम वह सद्भाव नहीं बन पाया है जिसके सहार वह इस शुभ जोर भयस्कर प्रवाह को अपने जावन में रथान द सक और उसका साथ तत्पू और तदाफार हा सक । यहा कारण है कि जसमग २५ वर्षों का लया समय बीत जानेपर भी आज देश में तया तालीम के विचारके शिष्ट वह अनुकूलता नहीं बन पाता है, ना समाज में उसकी प्राणप्रतिष्ठा के शिष्ट नितात आनश्यक है । आज भी पुरानी परंपरागत और दासतामूलक शिक्षा की ही बना हुई है । जसतक देश का तारक-मानस पुरानी शिक्षा की प्रतिष्ठा को विचारपूर्वक विचरित नहीं करता तब तक तारकजावन में नयी तालीम के लिए यह व्यापक प्रतिष्ठा मुल्य नहीं होगी, जो उसे प्रभावशाली और परिणामकारक ढग से करने में समर्थ बना सके । प्रान केवत थोड़े हर पेरका नहीं है । प्रान आमूल-मूल परिवर्तन का समग्र-काति का है । पुराना पटरो पर नयी चीन को चलाने में उसका सारा तज और प्रभाव कुण्ठित हो जाता है । नयी तालीम के क्षेत्र म हमारे यहा आज यही हो रहा है । इसी कारण हम अपने देश में नयी तालीम की जीवन पद्धति का अप्रतिहत और अबाधित विकास करने में असमर्थ हो रहे हैं । जैसे देखा जाय, तो नयी तालीम का सारा विचार

एक स्वतंत्र और सक्षम विचार है। वह किसी क्रिया की प्रतिक्रिया व रूप में नहीं जन्मा है। उसका जन्म तो लोकर-जीवन के गहरे चिंतन से और एक स्वतंत्र जीवन दर्शन में से हुआ है। इसलिए वह किसी पद्धति या प्रवाह की काठ के लिए नहीं है।

पराधीनता की स्थिति में देश के लोक जीवन में आचार विचारे और व्यवहार आदि की जो मर्यादाएँ लड़ी हुई, रोक-जीवनकी अनेक शुभ अभिलाषाओं का जो हास हुआ, उसके परिणाम-स्वरूप मानव समाज सहज भाव से ऊर्ध्वाभिमुख रहने की अपनी शक्ति और गति खो बैठा और पतनोन्मुखता की ओर उसका दृष्टान बट गया। दीनता, दासता, विवशता, पराधीनता, परमुखापक्षिता और अज्ञान आदि का कुछ ऐसा प्रवाह पीढ़ियों तक चलता रहा कि वह अपने मूल-स्वरूप को ही भूल गया और अपने आज के पतित स्वरूप को ही अपना सहज स्वरूप मानने लग गया। बुद्धि, भाषना, सस्कार, आचार, विचार, रीति नीति आदि की जड़ता ने मानव-मन को दासता के उस भीषण काल में इय बुरी तरह जकड़ लिया है कि उससे पिण्ड छुड़ाना आजके इस स्वातंत्र्य काल में भी उसके लिए अत्यंत कठिन हो गया है। लोक-जीवन की यह व्यापक जड़ता और गतानुगत काल ही नयी तालीम के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन बैठा है। जबतक इस जड़ता पर समान स्वयं कड़े से कड़े प्रहार करने को तैयार न होगा, तब तक नयी तालीम के लिए लोक मानस में नवचेतन और आत्मभाव जाग ही नहीं सकेगा। तपस्वी लोक सेवकों के सामूहिक और सगठित पुत्र्यार्थ के बिना लोकमानस की इस जड़ता पर विजय पाना समभव न होगा। अखण्ड जाग्रति, अविचल निष्ठा, कठिन साधना और अविरत प्रयत्न के सहारे ही लोक-मानसको सही दिशा में मोड़ने का काम किया जा सकता है।

एक द्रष्टा के रूप में जब गांधीजी ने देश के सामने नया तालीम का अपना जीवन दर्शन रखा तो उनका मन में नाना प्रकार की दासताओं से जकड़े हुए लोक-जीवन और लोक-मानस का एसा ही

एक वरुण चित्र था। मनुष्य की स्वतंत्रता के साथ उसके आचार विचारकी जड़ता और दासता का कोई मेल गांधीजी के मन में पैठता नहीं था। अगर देश स्वतंत्रता चाहता है, तो उसे उसका समग्र आकलन और समग्र स्वीकार करना ही होगा, ऐसी उनकी श्रद्धा थी। स्वतंत्रता का उपासक मन-मनकी किसी भी दासता ने बंधा रहे, यह उन्हें जरा भी मजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने देशके सामने नयी तालीम के रूपमें स्वतंत्रता, स्वावलम्बन, स्वयंस्फूर्ति, सहकारिता और सामूहिकता के क्रांतिकारी विचार रखे थे। वे समूचे समाज का विकास और उदय चाहते थे। उनकी क्वि और आस्था अत्योदय में नहीं, सर्वोदय में थी। परिपूर्णता, समग्रता उन का एक जीवन-लक्ष्य बन गयी थी। नयी तालीम के द्वारा वे स्वतंत्र भारत के लोक-जीवन में इस परिपूर्णताको ही प्रतिष्ठित करना चाहते थे। स्वतंत्र भारत का थिथित व्यक्ति जीवन की किसी भी दिशा में अपूर्ण और अपग न रहे, उसके जीवनके प्रत्येक अंग का समग्र विकास हो और वह अपने मन प्राण से शुद्ध बुद्ध बन कर जीवनको अधिक से अधिक पूर्ण और पुष्ट बनानेवाला बने, यही उनकी आकांक्षा थी। इसी-लिए उन्होंने नयी तालीम के कार्यक्रम में स्वच्छता, स्वावलम्बन, शरीरभ्रम, लोकसेवा और सहकारिता जैसे तत्वों को अग्रस्थान दिया था। नयी तालीम के माध्यम से वे देशके लोक-जीवन में ज्ञान, कर्म और शक्ति की एक ऐसी प्रबल त्रिवेणी प्रवाहित करना चाहते थे, जिससे लोक-मानसकी सारी कुण्ठा समाप्त हो जाए और लोक जीवन व्यापक रूप से नयी चेतना से भर जाय।

पिछले २४-२५ वर्षों में देश के शासकीय और अर्द्धशासकीय क्षेत्रों में नयी तालीम का जो काम हुआ है, उसने अभी लोकमानस को इस तरह प्रभावित और प्रेरित नहीं किया है कि जिससे वह अपनी युगों पुराना जड़ता और दासता को उखाड़कर फेंक सके और नयी चेतना के रस में निरंतर डूबा रहे। यह जानते और मानते हुए भी कि नयी तालीम के धर्म में मानवता के लिए आशीर्वाद और बरदान की प्रचण्ड

शक्तियाँ पड़ी हैं, आज सारे देश में उसके लिए बड़ा अनमनापन है। उल्टा भाव से इस विचार को जीवन में सिद्ध करके दिखाने की तत्परता और चिन्ता स्वचित् ही कहीं दिखाई पड़ती है। लोगों ने उसे प्रयोग और साधना के क्षेत्र से हटाकर ज्ञान्तेकी चीज बना दिया है। ज्ञान्ते में जो सहज जड़ता है, उसने आज नयी तालीम के काम को भी ब्रह्म लिया है। उसके विकास में जान्ता एक बहुत बड़ी बाधा है। अगर कोई सोचे कि निरे जान्तेके भरोसे यह नयी तालीम को उत्तने शुद्ध रूप में सिद्ध कर सकेगा, तो उसमें उसे उड़ा धोखा होगा और निराशा ही पल्ले पड़ेगी। जान्ता एक चीज है, नयी तालीम उससे निकलूला भिन्न दूसरी चीज है। नयी तालीम का स्वभाव तो नित्य नूतन रहने का है। जिस तरह सूर्य नित्य उगता है और फिर भी नित्य नया ही बना रहता है, उसके निकट किसी प्रकार का बासापन नहीं टिकता उसी तरह नयी तालीम भी नित्य नूतन रहना चाहती है। इसी में उसकी तारक शक्ति भी निहित है। जो नित्य नूतन नहीं है, उसमें कोई तारक शक्ति भी नहीं होती।

अपनी पराधीनता के काल में हम भारतवासियों को अनेक मारक शक्तियों के बीच बिरकर जीना पड़ा। आज स्वतन्त्रता के इस काल में ये ही शक्तियाँ काम करती चली आ रही हैं। इसे हम अपने देश का एक बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं। देव की बड़ी ही विचित्र लीला है। जिस देश ने स्वतन्त्रता के लिए कड़ी से कड़ी तपस्या की वही आज अपने स्वतन्त्रकाल में तारक शक्तियों की एक निष्ठ उपासना करने के बदले मारक शक्तियों की आराधना में रत है, यह देख कर मन व्यथा से भर जाता है। पता नहीं देश के भाग्य में व्यथा का यह काल कितना लम्बा होगा।

हमारी यह हृदय मान्यता है कि सत्य विचार अन्त तक सत्य ही बना रहता है। समय की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें लगता है कि नयी तालीम का विचार भी ऐसा ही एक सत्य विचार है और सत्य की मौलिक ही वह मानव जीवन के लिए तारक भी है। मानव मन की और जीवन की अनेक छोटी बड़ी दुर्बलताओं

पर विजय पाने के लिए जिस साधना की आवश्यकता रहती है, नयी तालीम के माध्यम से हम उसका लिए यही अनुकूलता कर देते हैं। जिस प्रकार मन-सागर से तरने के लिए भक्ति नाव का काम करती है, उसी प्रकार मानव-मन को उसकी अनेक-विध कुण्ठाओं से मुक्त करने के लिए नयी तालीम वरदान का काम करती है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि नयी तालीम की इस महान् और अद्भुत शक्ति को हम अभी तक पहचान नहीं पाये और उसकी सही परख करने के बजाय उसके नाम से ही भड़कने लगे। जब तक अज्ञान, अन्ध विश्वास, स्वार्थ, प्रमाद, आलस्य, जड़ता और अनास्था से उत्पन्न यह भड़क लोक-मानस से दूर नहीं की जाती है, तब तक देश में नयी तालीम का भविष्य आज की तरह ही सदेहा स्पष्ट बना रहेगा और हम अपने लोकजीवन में उसकी सही प्रतिष्ठा नहीं करा पायेंगे।

हर साल इस देश में नयी तालीम के विकास के लिए पड़े पैमाने पर सहाय्य मगाने की रीति पिछले कुछ सालों से शुरू हुई है। किन्तु इन सत्ताहों को भी हमने जान्ते की जकड़ में इस तरह बाध लिया है, कि बहुत चाहने और यत्न करने पर भी हम इनके द्वारा लोक-मानस में नयी तालीम की प्राण प्रविष्टा नहीं कर पा रहे हैं। हर शुद्ध विचार की अपनी एक प्रतिमा होती है। किन्तु जब उसे किसी विधर्मी अशुद्धता से जोड़ दिया जाता है, तो उसकी असल प्रतिमा पर एक आवरण छा पड़ जाता है। और फलतः लोग उसके सही स्वरूप को देख समझ नहीं पाते। हमारे देश में आज नयी तालीम के साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। इस असंगति के कारण ही नयी तालीम के नामपर देश में जो भ्रम, शक्ति, बुद्धि और सर्पत्त आज खर्च हो रही है, उसका कोई सुफल हमें इधर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। नयी तालीम की तारक शक्ति पर पड़े इस आवरण को हटाने का प्रचण्ड पुरुषार्थ आज की हमारी तात्कालिक आवश्यकता है। भगवान् से हम यही चाहते हैं और मनात हैं कि अपने दिल धिमागपर पड़े इस मायावी आवरण को उतार पँकने की शक्ति वह हम में से हर एक को दे। [श्रीश्री भारती से सामार] ●

## नन्हा मदरसे चला

डा० जाकिर हुसेन

लीजिए, अब आपका नन्हा मदरसे चला । आदमी का बच्चा शुरू शुरू में ऐसा बेयस होता है, और बढ़ा होकर मानवता के जिस स्तर पर उसे पहुँचाना होता है, वह इतना ऊँचा है, कि उसकी शिक्षा में बहुत दिन लगते हैं, और उसके विकास के लिए बड़े यत्न करने पड़ते हैं । इस शिक्षा और विकास के काम में आप, यानी नन्हे के मा बाप, अभिभावक, अकेले जो कुछ कर सकते थे कर चुके । अब शायद आप समझते हैं कि काम केवल आप से न समलगा । इसमें औरों की मदद की जरूरत है । इसलिए नन्हा मदरसे भेजा जाता है । लेकिन शिक्षा और विकास का काम ऐसा मिला-जुला काम है कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ सभी ओर से सिमट कर बच्चे के व्यक्तित्व में इस तरह घुल मिल जाती हैं, कि उन्हें अलग-अलग करना कठिन है । मदरसा जब इस काम को करने सिर लेता है, तब तक घर बहुत-कुछ बना बिगाड़ चुकता है । फिर मदरसे के सुपुर्द होने के बाद भी घर का प्रभाव मिट नहीं जाता । या तो घर और मदरसा साथ-साथ चलते हैं, और एक-दूसरे के काम को समझ कर हाथ बढ़ाते हैं, या वह एक तरफ खींचता है, यह दूसरी तरफ । उसकी दोल्की अलग और हसका राग अलग !

अब जो नन्हा मदरसे चला, वो देखना यह है, कि आप यानी मा-बाप और अभिभावक इसे पहले से क्या बना चुके हैं । मगर आप न जाने क्या-क्या हो सकते हैं ! हो सकता है, कि आप उन अभागों में हों, जिनके पास दूसरों का कमाया हुआ धन इतना होता है कि समझ में नहीं आता उसका करे क्या । धन की विपुलता का बोझ प्रायः अकल की कमी से हल्का होता है । क्या अब्बू है, कि आपका भार भी कुछ इसी तरह हल्का हुआ हो । अगर ऐसा है, तो

अनुमान यही है, कि आपने नन्हे के विकास का कर्तव्य धन-व्यय करके पूरा करना चाहा होगा । नन्हे के लिए अनगिनत, बेकार नौकर होंगे और बेजूरत सामान ! तरह-तरह के कपड़ों से उक्स भरे होंगे, लेकिन शायद ही कोई पोशाक इस बच्चे के लिए उपयुक्त होगी । जूतों की लम्बी कतारे होंगी और नन्हा अक्सर नंगे पैर रहता होगा । रितलौनों का एक अजायब-घर होगा, जिनसे बच्चा कमी का उकता चुका होगा । यह नौकरों पर आपकी नकल करके जा और बेचा हक्मत जताता होगा । घर में लाड़-प्यार करने वाली दादी और नानी होंगी, तो उन्हें खुश करने के लिए जन-तब आपको भी कुछ उल्टा सीधा सुना देता होगा । अपने हाथ-पाव से काम करने की नौजब मुद्रिकल ही से कमी आती होगी, क्योंकि यह बड़प्पन की शान के खिशाक है । बस, खाना खुद हजम करना होता होगा, तो शायद यही काम ठीक पूरा न हो सकता होगा । उखा चिड़चिड़ा होगा, जिद्दी होगा, अशिष्ट होगा, अहिमानी होगा और अब यह मदरसे जाएगा ! आपके किसी दोस्त ने बताया होगा, कि अमुक मदरसे में भेजो, वहा फीस ज्यादा है, इसलिए मदरसा जरूर अच्छा होगा । आपको अगर फुसंत मिली होगी, तो एक सत अंग्रेजी में हेडमास्टर के नाम लिख दिया होगा, और कुवर साहब दो-तीन नौकरों और एक दो धारों के साथ आप की बड़ी मोटर में बैठकर मदरसे में पधारे होंगे । अगर नानी-अम्मा ने एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर बच्चे को मदरसे से न उठा लिया, तो सच मानिए कि मदरसा आपके किये को अनकिया किये दिना अपना कर्तव्य मुद्रिकल से पूरा कर सकेगा, और फिर न मानूस कि घर कहा-कहा मदरसे की राह में रुका बट बने !

ही सकता है, कि आप उन रंगमाला मनुष्यों में से हों, जो अपने परिश्रम और योग्यता से आगे बढ़कर अपने पैसे या कारीगर में विशेष महत्त्व प्राप्त करते हैं, या किसी ऊँचे सरकारी पदपर पहुँच जाते हैं। आपको अन्याय यह चिन्ता होगी कि अपने बच्चे को अपने से और अच्छी मिठा दें। लेकिन आपको खुद इतनी कम पुस्तक होगी कि उसकी देलमाल कोई दूसरा ही करता होगा। लेकिन जिस तरह आप अधिक व्यस्त रहते हुए भी जीवन के सभी प्रधान-क्षेत्रों—धर्म, अर्थनीति, राजनीति—के सम्बन्ध में बस अन्तिम निर्णय करना और उनका प्रचार अपने अल्पज्ञ और भोड़ी पूजावाले साथियों में करना आवश्यक मानते हैं, और समझते हैं कि इससे अपने व्यस्त जीवन की एकांगी प्रवृत्ति में कुछ सीध पैदा करेंगे, उस तरह आप अपने बच्चों की ओर ध्यान न दे सकने की कमी को, इसके सम्बन्ध में और इसकी शिक्षा के साधनों के सम्बन्ध में, खेद है कि विल्कुल अन्तिम निर्णय पर पहुँच कर, पूरा करना चाहते हैं। आप क्योंकि एक सफल मनुष्य हैं, इसलिए अपनी दृष्टि में आप ही मनुष्यता के मान दण्ड ( मयार ) हैं। अगर आपकी दृष्टि में कहीं बच्चे का यह रूप अधिक ठीक जैँचे कि वह आप ही की सहज क्षमताओं का स्वामी है, तो शायद आपकी राय यह होगी कि आपका बच्चा “जीनियस” —प्रतिभा सम्पन्न है। इसकी समझ के क्या कहने इसकी धारणा शक्ति का क्या पूछना ! इसे दो काविताय जवानी याद करा दी गयी हैं, जो आप अक्सर इस गरीब से अपने मित्रों के सामने पढ़वाते हैं। यह उन्हें एक रास दग से सिर हिला हिलाकर और हाथ बढ़ा बढ़ा कर सुनाता है। आपने स्वयं अत्यन्त कृपा करके किसी इतवार के दिन इसे कुछ अंग्रेजी के वाक्य रटा दिए हैं। यह रटा हुआ भी इसे लोगों के सामने दुहराना पड़ता है। और इन प्रदर्शनों के बाद आप अपने दोस्तों को यकीन दिलाते हैं, कि यह लड़का तो जीनियस है, जामियस ! मगर आपको कौन बताए कि इस ऊँचे मानदण्ड के अनुसार तो सारे तोते और सारे बन्दर भी जीनियस हैं। और अगर कहीं काम की अधिकता के कारण आपके रंग पुट्टे कुछ कम

जोर ही गए हैं, निगर का काम भी कुछ खराब है, और बदकिस्मती से बच्चे से कोई मन के विरुद्ध बात भी कई बार हा गयी है, क्योंकि एसी दशा में मन के विरुद्ध बात करने के लिए किसी बड़े हुनर की जरूरत नहीं, तो आप अपनी सहज बुद्धि से इस ठीक नतीजे पर भी पहुँच सकते हैं कि वह गधा है ! अपनी दूसरी रायों की तरह आप अपनी इस राय का भी वक्त के वक्त प्रयत्न करते होंगे, और आदमी के इस बच्चे को गधा बनाने में अपने बस भर तो बसर उठा न रखते होंगे। और अब आपका यह जीनियस या आपका यह गधा अपने साथ बहूप्यन का मिथ्यानुमान ( सुपेरिआरिटी काम्प्लेक्स ) या उससे भी अधिक हीनता का मिथ्याभाव ( इनफीरिआरिटी काम्प्लेक्स ) लेकर मदरसे जाता है। देखिए, मदरसा आपकी पैदा की हुई उल्लसनों को किस तरह मुल्लाता है, और आपका हस्तक्षेप करना वहाँ भी कहीं और गुत्थियाँ तो नहीं डालता ! शायद आपका हरदम अपने काम में लगा रहना ही मदरसे को अपना काम करने दे और आपका जीनियस या गधा आदमी बन जाय !

लेकिन समझ है, कि न आप अनुल घन दोलत के उत्तराधिकारी हों, न दिन-रात कमाई के सफल सपनों में लान ! बल्कि साधारण कोटि के ठीक भले मानस हों। अपनी दूकान रखते हों, किसी दफ्तर में सौ-सवा सौ के नौकर हों, किसी मदरसे में अध्यापक हों, रोज कुछ समय अपने बच्चों में बिता सकते हों, घर का काम आपकी पत्नी आप सम्भालता हो, नौकर चाकर न हों, सभ्य और योग्य पत्नी घरको साफ-सुधारा रखती हो, और बच्चों की भी देखभाल करती हो, तो आपका बच्चा बहुत से उन खतों से सुरक्षित है, जिनकी चर्चा अभी कर चुका हूँ। मगर बच्चा फिर भी बच्चा है ! कमी अधिक साफ सुधरे घर में कहीं कुछ गिरा देगा, धुली चाँदनी मैली हो जाएगी, माँ जो रोटी थपानी में लगी है उसे देखकर नाराज होगी और कहेगी, “अच्छा आने दे बाबूजी को अपने, फल ही इसे मदरसे न भिजवाया तो।” कमी बच्चे से कोई चीज टूट जाएगी—वही मदरसे की धमकी ! कमी खेल-कूद में बच्चा चिल्लाएगा—शोर मचाएगा,

अमी कपड़े बदले गए थे अमी धूल में सना मा के सामने आएगा, तो वही मदरसे भेजने की धमकी दी जाएगी। धमकी का प्रभाव बढ़ाने के लिए मदरसे की थड़ी भयानक तस्वीर भी सामने लायी जायगी। और यों आज के दिन के लिए क्या ही खूप तैयारी की गयी होगी, इसलिए कि आज आप का नन्हा मदरसे चला ।

या हो सकता है कि आप हिन्दुस्तान के उन करोड़ों किसानों और मजदूरों में से हों, जिनके बच्चों के लिए बस घर का कठिन जीवन ही मदरसे का काम देता है। जिनके लिए मदरसे खोलने को कमी काफ़ी पैसे नहीं मिल पाते और जिनके बच्चों की शिक्षा दिलाने के लिए इतने मदरसों की जरूरत है, कि हर एक शिक्षा विदोपक्ष उँगलियों पर हिसाब लगाकर बता देता है कि इतने मदरसे खोलने के लिए जितने धन का जरूरत है, उतना तो मिल ही नहीं सकता वे यह बात बताकर समझते हैं कि बर्षों दूर की कौड़ी लाने। फिर इन घर कठिनाइयों के होते हुए भी अगर कुछ मदरसे इनके लिए बन जाते हैं, तो वे अपने बच्चों को इन मदरसों में भेजने की तैयार नहीं होते। मैंने यह गलत कहा कि आप शायद उन करोड़ों किसानों या मजदूरों में से हों। उन बेचारों का इतना समय कहाँ कि बेफिक्रों की तरह रेडियो पर भाषण सुनें। कहीं-कहीं शिक्षा के अनिवार्य हो जाने के कारण, कहीं इसके निश्चल हो जाने के लालच से, कहीं आस-पास के सपन्न लोगों की देखा देखी ऐसे किसान या मजदूर का नन्हा भी पढ़ने के लिए बैठ दिया जाता है। वह नन्हा जो घर के कामों में मा-बाप का हाथ बटाता है, जो बकरिया चरा लेता है, खेत पर बाप के लिए रोटी ले जाता है, मा जब उपले थापती या रोटी बनाती है तो यह छोटी वहन को बहला लेता है। हाथ पाव का उदा मजबूत है, उस आँखें दुखती हैं, या नाक बहती है। लेकिन आग्न मिला कर बात करता है, बे-सहारे जिंदा रह सकता है, आदमी का उच्चा है, कोई मुसुरों का थैला नहीं, और, हा न यह जीनियस है—न गधा। मगर इसका वाप भी चाहता है कि उच्चा पढ़कर पठवारी बन जाय।

नवम्बर, '६२ ]

यह न हो सके तो लाल-पगड़ी वाला चपरासी ही सही। अनिवार्य शिक्षा का कानून इसके जिले के कुछ गाँवों में लागू हो गया है, इसलिए यह भी आज मदरसे जाता है।

अब आप ही देखिये कि कैसे भाति भाति के प्रच्चे मदरसे जाते हैं। घर ने कैसे-कैसे नमूने बनाये हैं, क्या क्या आशाएँ लगी हैं, और उन्हें पूरा करने का क्या उपाय है? मा-बाप की मानसिक उत्पन्न को देखिये, उनके नतीजे याना बच्चों की मानसिक गुरिययो पर ध्यान दीजिये—तो माइम होता है कि मदरसे का काम भी कितना कठिन है। लेकिन क्या मदरसेवाले इसे सचमुच कठिन समझते हैं? क्या उनका ध्यान अपने काम की इस कठिनता की ओर जाता है? उनका ये कठिनाइया तो सुनने में आयी हैं कि वेतन कम है, काम बहुत है, अपसरों को सलाम झुकाने में या उसकी तदवीर में फुरसत का और कमी-कमी काम का भी बहुत बन्त निकल जाता है। सुटिया कम हैं, अपसर लोग पक्षपात से काम लेते हैं, और कहीं-कहीं तो महीनों तनखाह भी नहीं मिलता। ये घर और इन जैसी बहुत-सी शिकायतें सुनने में आती हैं, और प्राय ठीक भी होता है। लेकिन शिक्षा और विकास के काम की वास्तविक कठिनाई तो और ही है। यह कठिनाई तो वही है, जिसके कारण घरमें विकास-सबधी अनेक भूलें हो जाती हैं। यानी बच्चों का यह अभिमान कि वे ही घर कुछ हैं, क्या कुछ नहीं, वे सब कुछ जानते हैं, मगल जानते हैं, राह पहचानते हैं, सपर की गति विधि निदचय कर सकते हैं, काम उनकी इच्छा के अनुकूल हो, जिसकी अनेक रूपता के क्या कहने, तो सब ठीक। इसके खिलाफ हो, तो घर गलत। उन्हें घमण्ड है कि बच्चा उनकी सपत्ति है, वे चाहे मनोरजन के लिए उसे अपना रिजैना बनायें, चाहे अपने मनमाने उद्देश्यों के लिए अपना दास। उन्हें अपनी बाजीगरी पर पूरा भरोसा है कि आम को हमली और हमली को आम बना सकते हैं। पहले क्या घर में लक्ष्य बनता है इत बात का कि वह सबकी सपत्ति है, और मा-बाप की सर्वशता के दग्ग का। फिर कहीं मदरसे पहुँचता है। क्या मदरसा

[ ११६ ]



इसे इस मुसीबत से छुड़ा सकता है ? क्या अध्यापक महोदय भी उस बीमारी के शिकार नहीं होते, जिसे कि स्वयं अभिभावक थे ? क्या वे भी सब कुछ नहीं जानते और सब कुछ नहीं कर सकते ? क्या वे भी यह नहीं समझते कि बच्चा उनके कुशलकर्तों में, बस, मिट्टी का एक लोढ़ा है ? ये जो आकार चाहें उसे दें, और उसका मस्तिष्क जो कोरा कागज है, ये उसपर चाहे जो लिख दें । यारों ने तो शिक्षा के विद्या विषयक विचारों की पूरी इमारत ही इसी गलत छुनियाद पर खड़ी कर ली है और शिक्षा की व्यवस्था बस इस अहितकर प्रयत्न से की जाती है कि प्रकृति जो चाहती है वह न होने पाये, या जो हम चाहते हैं—प्रकृति को भी वही चाहना चाहिए । प्रकृति तो हर बच्चे में व्यक्तित्व निर्माण के अनगिनत साधनों में से किसी एक विशेष साधन की सफलता चाहती है । किसी ने ठीक ही कहा है, कि हर बच्चा जो पैदा होता है वह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर अभी मानव से निराश नहीं हुआ है और यहाँ पर यह धारणा बन चुकी है कि जो साचा हमने तैयार किया है, बस वही सर्वश्रेष्ठ है । व्यक्तित्व के मोम को पिघला कर बस उसी में ढालना चाहिए और जो ठप्पा हमने बनाया है, वही सब से अच्छा है, उसी की छाप इस पर लगानी चाहिए । इस समय जब कि मैं बच्चों के अभिभावकों और उनके अध्यापकों को लक्ष्य करता हूँ, यह निवेदन किये बिना नहीं रह सकता कि आप किसी तरह अपने को मौलिक भावियों से मुक्त कर लें, बच्चे को मनुष्य का अग्रदूत समझें, उसे बेरहारे खुद भी बढ़ने दें, उसकी प्राकृतिक क्षमताओं और प्रवृत्तियों का सम्मान करें और समझें कि यह छोटा-सा जीव अपने विकास की त्रियात्मक पूर्ति की ओर खुद कदम उठाता है । इसे सहारा दीजिये, मगर इसके चलने की दिशा तो न बदलिए । न इसकी ओर इतना अधिक ध्यान दीजिये कि वह फिर खुद अपनी ओर ध्यान ही न दे सके, न इतनी उदासीनता ही रतिए कि इसकी वे आवश्यकताएँ भी पूरी न हों—जिनमें यह सचमुच आपके अधीन है । न लाइन्प्यार की ज्यादाती से इसे 'मिर्जा-मोया' बनाइये, न ऐसा ही,

कि आप की कठोरता के कारण यह जिदगी या कम से कम आदिमियों से ही घृणा करने लगे । मानसिक जीवन की अनेकरूपता को ध्यान में रखिये और यह विश्वास न कर बैठिए कि ऊँचे पदाधिकारियों या बड़े-पड़े वकीलों के सब बच्चों को ईश्वर रास तौर से गढ़ कर सिविल सर्विस के इम्तहान में बैठने के लिए ही दुनिया में भेजता है । सारास यह है, कि उन समाजवादी के कारण, जो आपके बच्चे के मानसिक जीवन में अभी छिपी हुई हैं, उन मान्यताओं के लिए जिनका वह भार उठा सकता है—आप उसका आदर और सत्कार करें । जो हा, आप धरारों नहीं । मैंने यही कहा कि आप बच्चे का आदर और सम्मान करें । बेशक बच्चे से लेकर एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व तक पहुँचने का प्रयत्न सचमुच बड़ा ही सराहनीय प्रयत्न है । आपने स्वयं चाहे उस राह पर कदम उठाना छोड़ दिया हो और धरु कर कही बीच ही में बैठ रहे हों, कि बहुत से आदिमियों को उस मार्जल तक पहुँचने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, लेकिन आप का बच्चा अभी उस राह पर पहले पहल कदम उठा रहा है, उसका रास्ता तो न रोकिए, और भ्रम में कभी न पड़िए कि वह आपकी सपत्ति है, आप जो चाहें उसे बनायें । वह आपकी सपत्ति नहीं । वह तो आपके पास प्रकृति की एक धरोहर है । प्रकृति के अधिकार को अपने अधिकार से अधिक समझिए ।

अध्यापकों से भी, जिनसे मदरसे में ये बच्चे इसलिए भेजे जाते हैं कि समाज की दृष्टि में घर शिक्षा विकास के कर्तव्य का पूर्णरूप से पालन नहीं कर सकता, मेरी यह प्रार्थना है, कि आप भी अपने इस द्युम कार्य का मौलिक सिद्धांत उसी आदर और सम्मान की भावना की बनायें । यह सिद्धांत यदि आपके मस्तिष्क में बैठ गया, तो शिक्षा के काम में आपका घारा रवैया ही बदल जायगा । आप अपने साथियों को मेहों का समूह न समझेंगे, बल्कि उसमें हर बच्चे की विशेष क्षमताओं और मुरज आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे । मैंने पारिवारिक परिस्थिति के कारण बच्चों में जो भेद उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी ओर सचेत किया है । आप अगर उन पर

नगर रंगेंगे तो जहा सहारे की जरूरत है वहाँ धका लय जायगा, जहाँ हिम्मत बढ़ाने से काम नन सकता है, वहाँ आप मनमुटान का कारण नन जायेंगे, जहाँ आपकी एक मुस्कुराहट से बच्चे के दिल की कली रिक्त सन्तता थी, वहा आपकी उपेक्षा से उसका मुसहाने का डर पैदा हा जायगा। अगर बच्चे का आदर और सम्मान करना आपकी दृष्टि में एक उचित सिद्धात होगा, तो आप अपने छात्रों की मानसिक उल्लसनों का समहाने का कोशिश करेंगे और हर एक के लिए उचित उपाय सोचेंगे। इन सामुदायिक बर्दों के अतिरिक्त बच्चों की मानसिक आवश्यकताओं में जो विभिन्नताएँ होती हैं उन पर भी आपकी दृष्टि रहेगी, तो आप कोशिश करेंगे कि जो प्रवृत्ति अधिक से अधिक बच्चों में हो उसी को समुदाय में भी शिक्षा का साधन बनायें। उदाहरण के लिए सात से बारह चौदह वर्ष तक के बच्चों में अगर आप देखें कि व हाथ के काम की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो आप शायद इस बात पर जोर

न दें कि उनकी शिक्षा उस कितानों ही के द्वारा हुआ करे कि बच्चों का दृष्टि म कितानों का पढ़ना-पढ़ाना ही शिक्षा कहलाता है। छोटी क प्रति आदर भाव तो स्नेह, आशीर्वाद और मृदुता का रूप धारण कर लेता है। यह सिद्धात जो मैंने अभी बतलाया है, आप में बच्चे के लिए स्नेह और सहानुभूति उत्पन्न करेगा, आपको असफलताओं का सामना करने के लिए सहनशीलता और धैर्य का यह शक्ति प्रदाता करेगा जो स्नेह के अतिरिक्त अध्यापक का सत्र से बड़ी पूनी है। आप बच्चों के अच्छे अध्यापक याना प्रवृत्ति की घोहर व बच्चे अमीन बन जायेंगे और आपके परामर्श और और आपके आदर्श से बच्चों के पिता और अभिभावक भी अपने कर्तव्य को मत्री भाति समझ सकेंगे और अध्यापक और अभिभावक के सहयोग से शिक्षा और विकास का काम सचमुच मुचाह रूपसे संपन्न किया जा सकेगा।

( 'शिक्षा' से सामार )



[ पृष्ठ १०८ का शेषाध ]

है। वस्तुतः अन्याय और निर्दलन के लिए पीड़ित जनता के दिल में सुप्त निरोध तो हमेशा रहता है लेकिन वे नहीं जानते हैं कि पीड़ा किधर से होती है। सामान्यतः क्रान्तिकारी उन्ई पीड़ा का स्रोत तो बता देता है लेकिन विद्रोह व सिवाय उसे मुक्ति का दूसरा कोइ मार्ग नहीं बताता है। समग्र नयी तालाम वर्ग निराकरण की रचनात्मक प्रक्रिया का मार्ग उपस्थित कर मुक्ति का सहज उपाय बताता है। ऐसी हालत में यह आशा करना कि इसमें से निद्रोह की भावना निकटगो सही नहीं होगा। क्योंकि जब जनता की मुक्ति के लिए क्रमिक विकास का मार्ग दिखाई देगा तो उसका अन्तर्निहित विरोध पुनःभूत होकर विद्रोह का रूप नहीं लेगा। अगर विद्रोह नहीं होता है तो क्रान्ति नहीं होगी, ऐसा सोचना गलत है। शिक्षण प्रक्रिया से सामाजिक विकारों का बोध और उनके निराकरण के मार्ग का दर्शन क्रान्तिकारी आरोहण के लिए शक्ति का स्रोत है। क्रान्ति को इस नयी टेकनाक पर गभारता से विचार करने की आवश्यकता है। वस्तुतः हमको वर्ग

सर्पर की पूर्व भूमिका क असर से मुक्त होकर नयी बुनियाद पर सोचने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम दिखाई देगा कि नयी तागीम विकास की केवल शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि मूल्य परिवर्तन तथा समाज-परिवर्तन की वास्तविक शक्ति है।

यह सही है कि प्रगतिशील लान्तानिक मुलकों में ग्रामभारती प्रक्रिया द्वारा मुक्ति के मार्ग का दर्शन जल्दी होगा और सामन्तवादी सरकार वाले मुलकों म अधकार और अज्ञान के कारण देर होगी। कभी कभी पीड़ित जनता अधीर होकर विद्रोही भाँ हो जायगी लेकिन नयी तालीम का काम होगा कि वह शिक्षा द्वारा मुक्ति का मार्ग बताती रहे, और जब कभी विद्रोही भावना का अकुर देखे तो उसे अहिंसक मार्ग पर सचलित करे। लेकिन अहिंसक क्रान्ति का यह प्रक्रिया कभी नहीं होगी कि वह व्यापक स्तर पर विद्रोह भावना जगाने का कार्यक्रम अपनाये।



नवम्बर, '६२ ]

# भारतीय पाठशालाओं की निम्न श्रेणियों में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण

श्री उ० ग्रा० अस्सरांनी

पिछले कुछ दिनों से स्कूलों में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की ओर अधिक ध्यान देने के पथ मजबूत की एक लहर-सी उठी है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की भाषा है। इसका ज्ञान हमारे जैसे अविभक्त देश के लिए बड़ा लाभदायक होगा। परन्तु प्रश्न उपयोगिता का उतना नहीं है जितना यह कि अंग्रेजी शिक्षा को कितना महत्त्व देना वाञ्छनीय है। यदि हम अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाते हैं जिस प्रकार हमारे यहां द्वितीय भाषायें पढ़ायी जाती हैं, अथवा जैसे अमेरिका में माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश भाषायें पढ़ायी जाती हैं, तो इसमें किसी समझदार व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किन्तु यदि हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन को अपने स्कूलों और कालेजों के पाठ्य क्रमों में वही विशेष स्थान देते हैं, जो स्वतंत्रता के पूर्व उसको प्राप्त था, तो मेरी समझ में हम एक दुःखद भूल कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी मूर्खता होगी यदि एक स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए भी हम राष्ट्र तथा राष्ट्र भाषा से अधिक महत्त्व एक विदेशी भाषा अंग्रेजी को कदा ३ से ही देने लगे।

यह समझना आवश्यक है कि अंग्रेजी के पढ़ाये जाने का प्रश्न केवल एक पाठ्यविषय जोड़ देने का नहीं है, बल्कि कई विद्वानों के मत के अनुसार राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए किसी भी अन्य उपकरण की तुलना में भाषा का अधिक महत्त्व है। अतः अंग्रेजी शिक्षण पर अधिक ध्यान देना एक विदेशी संस्कृति से अपने शिक्षित वर्ग को प्रभावित करना है और चूंकि यह प्रभाव बहुत प्रारम्भिक तथा सुकोमल आयु में

डाला जा रहा है अतः उस संस्कृति के अच्छे तथा बुरे दोनों पक्षों का प्रभाव चरित्र पर पड़ेगा।

यदि अपनी प्रारम्भिक अवस्था में अपनी मातृ भाषा के द्वारा राष्ट्र की परंपराओं तथा संस्कारों को स्वभावतः ग्रहण कर लेते हैं। यदि वे ६ वर्ष की आयु के बाद कोई विदेशी भाषा सीखते हैं तो स्थूल वस्तुओं को प्रकट करनेवाले उस भाषा के शब्दों के अर्थ चाहे भले ही समझ लें परन्तु भावनाओं और स्वभावों को प्रकट करनेवाले शब्दों की समझना उन के लिए कठिन होता है। राष्ट्रीय भाषा एक अनुभूत भाषा होती है। सीखी हुई विदेशी भाषा ऐसी अनुभूत भाषा नहीं हो सकती। इन दोनों का भेद इस प्राकृतिक तथ्य पर निर्भर है कि ऐसी अनुभूत भाषा विकास किसी व्यक्ति के जीवन काल में केवल एक ही बार होता है। अतः शिक्षा के माध्यम के रूप में विदेशी भाषा का प्रयोग घातक है। इससे छात्र का मस्तिष्क दो विभिन्न मार्गों में बंट जाता है जिनमें से एक मातृभाषा के लिए और और दूसरा स्कूल और कालेज के विषयों के लिए हो जाता है, जिससे वह विदेशी भाषा में सीखे हुए विचारों को मातृभाषा में प्रकट नहीं कर पाता। द्विभाषीयता सर्व साधारण के लिए बड़ी संभव है जहाँ दोनों जातियाँ एक मर्मिलित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रखती हैं। उन की भाषाएँ उसी एक भाषा-समुदाय से संबन्ध रखती हैं। अन्यथा यह द्विभाषीय परिस्थिति एक ऐसे छोटे से गुट तक सीमित रह जाती है जो वा सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में संबंध रखने के कारण अपने राष्ट्र के सर्व साधारण से विलुप्त भिन्न हो जाता है। महात्मा गांधी ने शिक्षित व्यक्तियों द्वारा अंग्रेजी भाषा

के अध्ययन पर विरोध बल दिये जानें। इस दोग को भग्न प्रकार देखा था। उनका कथन था कि अंग्रेजी पर विरोध बल देने से हमारे उच्चे राष्ट्र के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्तराधिकार से वंचित हो गये हैं। अतः उन्होंने सपकी भाषा के रूप में हिंदुस्तानी तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में राज्य भाषाओं का समर्थन किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति की पहली लहर में उत्तर भारत की प्रायः सभी राज्य-सरकारों ने राय की भाषा हिंदी को अंग्रेजी भाषा के मुकाबले में प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (१९४८-४९) साधारण स्तर का अंग्रेजी-ज्ञान का स्तर फल इतना हा रखा कि वह अपने विरोध विषय क अंग्रेजी लेखकों की पुस्तकों को सुविधा पूर्वक पढ़ और समझ सक। स्नातकोत्तर तथा शोधस्तर पर विदेशी भाषा में सही तौर पर अपने भाव प्रकट करने की योग्यता का होना भी वाछनीय समझा जा सकता है। सामान्य शिक्षित भारतीय को फल इतने की ही आवश्यकता है। अंग्रेजी के इतने ज्ञान के लिए हाइस्कूल एवं इंटरमीडियेट स्तर पर चार साल तक और स्नातक स्तर पर दो या तीन साल तक, अनिवार्य दूसरा भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन पर्याप्त हो सकता है। जब तक किसी छात्र का विशिष्ट नियम अंग्रेजी भाषा न हो तब तक न तो अंग्रेजी साहित्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता है और न अंग्रेजी भाषाको शिक्षा का माध्यम बनने का ही।

तिसर हमारा देश विस्तृत और विशाल है। इसकी अपनी अनेक संस्कृति और परंपराएँ हैं तथा इसमें समृद्ध साहित्य भी पर्याप्त है। अतः साहित्यिक आनन्द की प्राप्ति के लिए विदेशी साहित्यों तक जाने का कोई अधिक आवश्यकता नहीं है।

दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के उपरांत इस सबध में अपने देश की प्रगति रुक गयी और अब तो प्रगति का उलटा चक्र घूम रहा है। बंगाल और दक्षिण भारत के प्रायः सभी राज्यों ने उत्तरी राज्यों के साथ चलने से इन्कार किया। अंग्रेजी वहा तीसरी कक्षा से अभावक पढ़ायी जा रही है और विश्वविद्यालय के

स्तर पर अंग्रेजी शिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम अब भी है। १९३७-३९ वाली उत्तर प्रदेशीय आचार्य नरेंद्रदेव-कमेटी ने तो यही सुझाव दिया था कि अंग्रेजी भाषा का अध्ययन नवी कक्षा से पहले आरंभ न किया जाय। परंतु उत्तर भारत के राज्यों में प्रायः पाचवी तथा छठी कक्षा से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी और अब तो १९६१ के मुद्रमन्त्री-समेलन ने यही तय किया है कि सभी राज्यों में अंग्रेजी का अध्ययन कक्षा ३ से आरंभ किया जाय। उत्तर प्रदेश में, जो हिंदी का एक समृद्ध केंद्र है, इस नया नीति को कार्यान्वित करने की घोषणा नवंबर १९६१ में पूरक बजट के समय पर की गयी। गुजरात अंग्रेजी व उद्वे राय भाषा तथा हिंदी को प्रोत्साहन देने में सर राज्यों में अग्रणी था लेकिन अब वहा भा लोग अपने पाव पाछे हटाने का साच रहे हैं। इस नीति के परिवर्तन का कारण यह दिया जाता है कि दक्षिण भारत क विद्यार्थी अरिष्ठ भारतीय पराक्षाओं में अधिक सत्या म अंग्रेजी भाषा के त्र पर सफल हो जाते हैं। उत्तर भारत के विद्यार्थी क्यों पीछे रह जाय ? अर्थ यह हुआ कि दक्षिण भारत में जो तथाकथित हिंदी साम्राज्यवाद की गलतपहचानी फैल रही है उसको मिटाने में उत्तर-भारत असमर्थ हो गया है और अब अंग्रेजी भाषा की प्रभुता कायम रखने में दक्षिण का अनुकरण करने पर विचार हो रहा है। कितना अनर्थ है कि केवल उन बहुत ही अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिए जो अखिल भारतीय परीक्षाओं में बैठते हैं, सारे विद्यार्थी कक्षा ३ से ही एक काठम विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर पर उठावें ? उन में से आध या एक तिहाई तो समभवतः कक्षा ५ से आगे ही नहीं बढ़ेंगे। विश्व विद्यालय के स्तर तक पहुँचते-पहुँचते टायर सौ में से केवल २० रह जायेंगे। बाकी ९० प्रतिशतको छोटी आयु से अंग्रेजी पढ़ाने से क्या लाभ होगा ?

यदि इस नीति-परिवर्तन का ऊपर लिखा हुआ एक ही कारण है तो दक्षिण भारत और बंगाल की तरह बाकी उत्तर भारत के राज्य भी अंग्रेजी भाषा को स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रमों में बही स्थान देने पर विचार हो जायेंगे जो स्वतंत्रता के पूर्व था।

अंग्रेजी हए प्रसार की उगी शिक्षा था, तकि माध्यमिक स्तर मे ए, माध्यम वन जायगी तीर विदाविद्यालय पर स्तर पर एक साधारण अंग्रेजी क अनिवार्य परन क यदते एक ऊचे स्तर का अंग्रेजी साहित्य अनिवार्य किया जायगा। स्कूलों और कॉलेजों में प्रादेशिक भाषा तथा हिंदी-मराठी-पंजाबी-गुजराती-मलयालम-तमिल-कन्नड़-ओड़िया-संस्कृत-प्रारंभिक पाठशास्त्रों में स्तत्रता से पूर्ण अंग्रेजी पर जितना उत दिया जाता था उससे भी अधिक उत देने का तैयार हो गया है। रहने का ता जैसे स्तत्रता से पूर्ण था वैसे अब भी कक्षा ३ से अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ किया जायगा। परंतु स्तत्रतापूर्व, पहले कक्षा ३ और चतुर्थ, उसका बाद १२३ इत्यादि और अब १२३ से ही कक्षाएं प्रारंभ हती हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने १९६१ के पूरक बजट के समय पर शिक्षा नीति-परिवर्तन घोषित करते हुए एक बहुत निरर्थक तर्क दिया कहा कि बुनियादी शास्त्रों में अब तीसरी कक्षा से अंग्रेजी भाषा बनकर एक वैकल्पिक विषय रहेगी। पहले भी अंग्रेजी छठी कक्षा से वैकल्पिक ही रही है, अनिवार्य नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि जो विद्यार्थी कक्षा ६ से अंग्रेजी के बदले संस्कृत या और कोई वैकल्पिक विषय उते हैं तो वे कहा तक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे? इस समय भी बहुत से माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के अनिश्चित और किसी वैकल्पिक विषय का प्रश्न ही नहीं रहता। इसलिए अंग्रेजी वैकल्पिक होते हुए भी लगभग अनिवार्य ही हो जाती है। तब जो बच्चे कक्षा ३ में अंग्रेजी के बदले और कोई वैकल्पिक विषय लेंगे तो कक्षा ८ से आगे वे बढ़ न सकेंगे। विदाविद्यालय के स्तर पर पहुंचना उन के लिए असंभव हो जायगा, क्योंकि वहां अब भी साधारण अंग्रेजी का पचा अनिवार्य है।

यदि अंग्रेजी भाषा को वैकल्पिक रखा जाता है तो उसके बदले कक्षा ३, ४ और ५ के स्तर पर और कौन से वैकल्पिक विषय रहेंगे? यदि मातृभाषा या हस्तकला उसके बदले के वैकल्पिक विषय होंगे तब तो ऊंची शिक्षा के लिए तैयार होने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी

तो ग्रहण कर लेंगे परन्तु हस्तकला या आर्त देस के साहित्य और सभृति से कम परिचय रह जायेंगे। तीसरी कक्षा से अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का स्कूल नाम मात्र के लिए बुनियादी स्कूल कह जायेंगे। उनमें से अम-सन्ही विद्यार्थी तैयार होने के बदले आराम की नौकरियों का चाहने या उ राधु ही उन कर निकरेंगे। यदि विज्ञान, गणित या समाज शिक्षा आदि पर उत घटा कर अंग्रेजी को स्थान दिया जाता है ता हा अनिवार्य विषयों का स्तर गिर जायगा। इसका अर्थ यह है कि हर पहलू से यदि हम गभीरता से विचार करते हैं ता प्रतीत होगा कि अंग्रेजी भाषा का इन छोटी कक्षाओं से प्रारंभ करना शिक्षा के सिद्धांतों के विरुद्ध है और विद्यार्थियों के हित में तथा भारतीय संस्कृति के लिए घातक है।

कक्षा ३ से अंग्रेजी पढ़ाये जाने के पक्ष में एक बड़ा मुद्दा तर्क कुछ क्षेत्रों में दिया जाता है, परन्तु वास्तव में वह असंगत है। वे कहते हैं कि बच्चों में द्विभाषायता की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जिसे सतृप्त किया जाना चाहिए। परन्तु हमें यह नहीं भूना चाहिए कि हिन्दुस्तान में द्विभाषायता की भूय पहने से हा तुष्ट हो जाती है क्योंकि स्थानीय बोली स्कूल की कितानी भाषा से साधारणतया थोड़ी-सी भिन्न हुआ करती है। यदि लिखित भाषाओं में से ही दूसरी भाषा चुननी हो तो भी अंग्रेजी को हम क्यों चुनें? उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में साधारण बच्चे के लिए उर्दू या पंजाबी या उगला भावी जीवन के लिए अधिक उपयोगी होगी।

अमेरिका में १९५२ में वहां के शिक्षा आयुक्त श्री मैकग्राथ ने अपने देश में एक नयी लहर चलायी कि विदेशी भाषायें छोटे-छोटे ६ या ७ साल की आयु के बच्चों को सिखायी जाय, क्योंकि वे उस आयु में उस विदेशी भाषा को अनुकरण द्वारा स्वत ही ग्रहण कर लेते हैं। माण्ड्रियन के स्नायुविशेषज्ञ विल्टर पेनफील्ड ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मस्तिष्क के भाषा ग्रहण करने वाले भाग १० साल तक, अधिक से अधिक १४ साल तक कोमल और चंचकदार होते हैं। भारत के कुछ विद्वान यही तर्क देकर यहां भी छोटी

आयु में ही अंग्रेजी भाषा का प्रारंभ करना चाहते हैं।  
 / पहले तो मस्तिष्क के स्नायुओं की भाषा-सम्बन्धी  
 लवक और बच्चों की अनुकरण विधि से स्वतः विदेशी  
 भाषा सीखने की इच्छा केवल ६ या ७ साल की आयु  
 में नहीं रहती, बल्कि १०-११ या १४ साल तक भी  
 चलती रहती है। उसके उपरान्त भी वह क्रमशः कम  
 होती है, पौरुष नहीं।

दूसरी बात यह कि अमरीका में इस नयी लहर  
 की ठीक प्रियता वैज्ञानिक तर्कों के बढते अभिकतर  
 राजनैतिक कारणों पर निर्भर है। अमरीका अथ  
 कम्युनिस्टों को छोड़ कर बाकी सारी दुनिया का नेतृत्व  
 करना चाहता है और इसलिए वहा यह आवश्यक  
 हो गया है कि उसके निवासी बहुत बड़ी संख्या में  
 विदेशी भाषाएँ, खासकर यूरोपीय भाषाएँ सीखें और  
 दूसरे देशों की संस्कृतियों से धनिय संपर्क स्थापित करें।

तीसरी बात छोटी आयुवाले बच्चों को मातृ  
 भाषा और विदेशी भाषा उनके मस्तिष्क को हानि न  
 पहुँचाते हुए साथ साथ तभी सिखायी जा सकता है  
 जब निम्न शर्तें पूरी हों:-पहली यह कि बच्चे के मापाई  
 विकास के प्रारंभ से ही प्रत्येक अव्यापक या अभि  
 भाषक दोनों भाषाओं में केवल एक ही में उससे  
 बातचाल करे, दोनों में नहीं। दूसरी यह कि विदेशी  
 भाषा ऐसी अनौपचारिक क्रीड़ा पद्धति से सिखाई जाय  
 कि बच्चा उसके सीखने का शोध महसूस ही न करे।  
 तीसरी यह कि दोनों भाषाओं में से किसी एक के प्रति  
 धार्मिक तथा राजनैतिक दृष्टि से कोई प्रभुता या हीनता  
 या पक्षपात की भावना न हो। अर्थात् उन भाषाओं  
 के सीखने में कोई भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक बाधा-  
 बंध न पड़े। इन शर्तों से यह विदित होगा कि अपने  
 देश में किस प्रकार अंग्रेजी पढ़ायी जाती है उससे तो  
 छोटे बच्चों की हानि ही हो सकती है, लाभ नहीं।

चौथी बात यह है कि अमेरिका में जो विदेशी  
 भाषाएँ सिखायी जाती हैं वे मातृ-भाषा से मिली हुई  
 उसी भाषा-समुदाय की हैं। यद्यपि अंग्रेजी भाषा अपनी  
 भारतीय सभी भाषाओं से भिन्न दूसरे भाषा समुदाय  
 की है। इसलिए अमेरिका का उदाहरण यहा की  
 परिस्थितियों में बिल्कुल असंगत है।

नवम्बर, '६२ ]

तिसपर हमारी अपनी परिस्थितियाँ हैं। हमारे देश  
 की एक कठिन परिस्थिति तो राष्ट्रीय एकीकरण है इस  
 लिए हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक यही है कि भारत  
 की ही कोई दूरपी भाषा बचपन से ही प्राथमिक  
 विद्यालयों में खोल या पी० टी० के समय सिखायी और  
 ७ वीं या ८ वीं कक्षा से पहले उसका पढ़ाना या  
 सिखाना प्रारंभ न करें। इसके लिए केवल २-३ घण्टे  
 प्रति सप्ताह पर्याप्त होंगे। अंग्रेजी को उन्हीं सुयोग्य  
 विधियों से ९ वीं कक्षा से ही आरंभ करें, पहले नहीं।

यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्व का प्रश्न है। यह ऐसा  
 प्रतिगमन है जिसमें शिक्षण-समस्याएँ और सांस्कृतिक  
 विपत्तियाँ निहित हैं। इन विपत्तियों को टालने के लिए  
 हमें प्राणों की भी बाजी लगाना पड़ सकती है।

मेरा निवेदन है कि क्यों न आगल भारतीय  
 सेवा-परीक्षाओं का स्थान उर्ध्व स्तर का राज्य सेवा  
 परीक्षाएँ ग्रहण कर लें जो केंद्र द्वारा संचालित हों,  
 परन्तु भिन्न भिन्न राज्यों में पृथक्-पृथक् ली जायें ?  
 इनमें परीक्षाओं के माध्यम का स्थान अंग्रेजी के बदले  
 राज्य भाषाएँ धीरे धीरे ५ वर्ष में ले लें। इन परी-  
 क्षाओं में उत्तर-भारतीय विद्यार्थियों के लिए दक्षिण की  
 कोई एक भाषा और दक्षिण-भारतीयों के लिए हिंदी  
 अनिवार्य की जा सकती है, अंग्रेजी सब के लिए  
 अनिवार्य की जा सकती है, किंतु इन भाषा विषयों में  
 योग्यता का आवश्यक स्तर बराबर उतना ही रखा जाय  
 जिसका उल्लेख अंग्रेजी के सपथ में भारतीय विद्वान  
 विद्यालय-आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किया है, और  
 प्रतियोगिता के परिणाम में ६० प्रतिशत से अधिक  
 अंक न जोड़े जाय। अन्य राज्यों को स्थानांतरित  
 किये जाने वाले अफसरों का चुनाव एक और अखिल  
 भारतीय परीक्षा द्वारा किया जाय जिसमें भाषा विषयों  
 की ही विशेष योग्यता का परीक्षण हो और उनके  
 लिए केवल वे ही अफसर उपयुक्त माने जाय जिन्होंने  
 अपने राज्य में कम-से-कम ५ साल तक यशस्वी सेवा  
 की हो। पाच साल की यशस्वी सेवा की यह बकायत  
 अखिल भारतीय सेवाओं के लिए दक्षता की अनिश्चित  
 गैरन्टी हो जायगी।

[ मीर हृद १९९५ ]

# क्या अंग्रेजी का साम्राज्य बना रहेगा ?

देवेन्द्रकुमार

भारत की आजादी के बाद स्वतन्त्र देश का संविधान बना और १९५० में २६ जनवरी से बहलगा हुआ। उस समय यह तय किया गया कि अपने देश की राज्यभाषा के रूप में अंग्रेजी का जो स्थान था उसे धीरे धीरे समाप्त किया जाय और इसके लिए १५ साल की अवधि मानी गयी। इसके अनुसार १९६५ के बाद देश की राज्यभाषा अंग्रेजी न रहकर हिन्दी हो जायगी, यह निश्चित हुआ।

प्रांतीय भाषना बढी

आज १२ साल में जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें यह अनुमान आया कि अहिन्दी भाषावाले क्षेत्रों में हिन्दी के प्रति जो अनुराग पैदा होना चाहिए था वह पैदा न हो सका। पढ़ा लिखा तबका उन प्रदेशों में ऐसा महसूस करने लगा है कि हिन्दी बोलनेवाले क्षेत्रों के लोगों को हिन्दी के केंद्रीय राज्यभाषा बनने से अधिक लाभ होगा और वे लोग ही दिल्ली से भारत भर पर राज करने की सहूलियत हासिल करेंगे। इन १२ सालों में प्रांतीय भाषनाओं को बढ़ावा भी मिला है। जय देश आजाद नहीं था तब प्रांतीय भाषनाओं के बदले राष्ट्रीय भाषनाओं का बोलचाल था पर अब आजादी के बाद चुनावी सरकारों के अधिकारों की होझ-होझी में अपनी तोलीवाले लोगों को ज्यादा हिस्सा मिले यह भावना बढी है। इसके कारण ही राष्ट्रीयता को धक्का लगा और राष्ट्रभाषा का सवाल खटाई में पड़ गया है।

हिन्दी को केंद्रीय सरकार की राज्यभाषा बनाने के पाछे उद्देश्य "एक हृदय हो भारत जननी" ही था और है। पर तामिल, मलयालम, तेलुगू, कन्नड़, असमी, बंगाल, उडिया, मराठी, गुजराती, पञ्जाबी, सभी भाषाओं के पढे लिखे भारतवासियों में यदि अधिक या कुछ लोग हिन्दी को अपनाने को उत्सुक न दिलें तो वैसे में सरकार द्वारा जनरल हिन्दी का आग्रह "एक हृदय" बनाने के बजाय अलग्गान पैदा

१२६ ]

करनेवाला भी सारित हो सकता है। ऐसे में प्रांतीय भाषनाओं से ऊपर उठकर हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के काम को प्रेम और धीरज से करना हम सब हिन्दी प्रेमियों का कर्त्तव्य है। हिन्दी शासन के द्वारा नहीं, जनता के द्वारा मान्य भाषा बने और शासन इसमें सहकार और सहयोग दे यह रास्ता है आज की परिस्थिति में देश की जवान प्राप्त करने का।

बिखियों के झगड़े में घबर की मौज

इस सिलसिले में राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठकें हुईं। भारत के बड़े दलबूझ के लोगों की कमेटियाँ बनीं और वे इस नतीजे पर आये कि १५ साल की अवधि के बाद केंद्रीय भाषा हिन्दी बन जायगी यह विधान आज स्थगित कर दिया जाय, क्योंकि इसके कारण कुछ प्रदेशों में असुवशा की भावना दीपती है कि हम पर जबरदस्ती हिन्दी लाद दी जायगी। इस लिए हिन्दी सन् ६५ से फाल्गुन द्वारा भारत भाषा होगी यह बचन हटा दिया गया है।

इस घटना का महत्त्व अलग अलग लोगों ने अलग-अलग समझा है। हिन्दी क्षेत्रों में इसकी प्रति क्रिया वैसी ही प्रांतीय भावना से हुई है जैसी अहिन्दी क्षेत्रों में। राष्ट्रीय दृष्टि से देश की भाषा का सवाल जिस धीरज और प्रेम से हल होगा इसकी ओर कम लोगों की नज़र गयी है पर इससे भी अधिक परेशानी की बात है—और यही परेशानी सच्ची है—कि वहाँ दो विज्ञियों की टक्काई में बन्दर की न बन आये।

प्रांतीयता और राष्ट्रीयता के बीच जो लींचतान चल रही है उसमें गैरराष्ट्रीयभाषा अंग्रेजी के पाँच न जम जाय यह खतरा है। इसलिए प्रांतीयता के ऊपर उठकर हम भाषा के प्रश्न को हल करें यही एक-मात्र रास्ता है।

अंग्रेजी हटाओ का मतलब

"अंग्रेजी हटाओ" आन्दोलन का मतलब है मातृ भाषा काओ और राष्ट्रभाषा पैदा करो। प्रांतों में

[ नयी तालीम

हिन्दी के प्रति राष्ट्रीय भाषा का अनुराग प्रैत करना यह अंग्रेजी हटाओ का हिस्सा है। इसके लिए हिन्दी लाने का मतलब जो अहिन्दी क्षेत्रों को हाँ संकृता है उसे मिटा दिया गया है और अज स्नेह, प्रेम, प्रचार से ही हिन्दी को राष्ट्र की भाषा बनाने का रास्ता रह गया है। तब तक के लिए केंद्रीय व्यवहार की भाषा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों रखी गई हैं। अज जो अंग्रेजी है उसका उद्देश्य तो उसको राष्ट्रभाषा की इमारत बनाने में नीचे से टेका देने का है। पर उसका साम्राज्य बना रहेगा इसके खतरे बहुत साफ हैं।

अंग्रेजी को योजनापूर्वक हटा कर लोकभाषा को व्यवहार की भाषा बनाने से ही वर्ग भेद मिटेगा, ज्ञान वृद्धि आम लोगों में होगी और जनता की वाणी सुनर होगी। इसके लिए ठास कदम आवश्यक हैं।

प्रात की सरकार का सारा काम वहाँ के लोगों की आम भाषा में किया जाय। हिन्दीवाले प्रान्तों में हिन्दी में, दूसरे प्रातों में वहाँ की भाषा में ही लिखा-पढ़ी, अखबार और पुस्तक प्रकाशन सरकार की कोर्ट कचहरी आदि विभागीय व्यवहार हो। आन अंग्रेजी का जो चलन अफसरों और पिछली पीढ़ी के पदे लिखों में है उसे मूल्य किया जाय। उनको लोगों की भाषा में बोलना सीखना सिगाना होगा।

केंद्रीय सरकार के बहुत से विभाग हर प्रात में काम करते हैं, उनके आपसी पत्र-व्यवहार में हिन्दी या अंग्रेजी की छूट रखी गई है तथा इस प्रकार अंग्रेजी को केंद्रीय व्यवहार की सहाय भाषा स्वीकार किया है। यह चाहते हुए भी कि अंग्रेजी को पूरा तरह हटा दिया जाय आज प्रातीय भाषाओं के अतिरिक्त अखिल भारतीय व्यवहार का भाषा के रूप में हिन्दी का स्थान मिला नहीं है। यह स्थान दिलाना आवश्यक है, और इस रास्ते से कि किसी भी प्रदेश को इसमें जनरदस्ती न महसूस हो। इसके लिए हिन्दी क्षेत्रों को राष्ट्रीय भाषा का परिचय देने के लिए अहिन्दी भाषाओं को प्रोत्साहन देना होगा। सरकार को पूरी सवकृता धरननी होगी कि स्थापित हित जा अंग्रेजी को पनपाकर अपना वचंत्व कायम रगना चाहते हैं,

नवम्बर, '६२ ]

अखबार, कितान प्रकाशन आदि का धधा चलाने वाले अपने वाजार बनाये रखना चाहते हैं, इन सबको अपने देश के करोड़ों लोगों के हितों के विरोध में अंग्रेजी को प्रोत्साहन देने से रोका जाय।

अंग्रेजी ऐसी सभा सम्मेलनों में फिलहाल चन्गी जहाँ अहिन्दी अंग्रेजी जाननेवाले एकज होते हैं पर जय प्रादेशिक भाषायें बढ़ेंगी तो अंग्रेजी जाननेवाले कम होंगे। प्रातीय भाषाओं में और हिन्दी में निकटता होने से वे हिन्दी सीखेंगे। हमारे अतर्राष्ट्रीय व्यवहार में अंग्रेजी बनी रहेगी पर अपने विदयविद्यालयों में अंग्रेजी विद्वानों के व्याख्यानों का अनुवाद लोगों की भाषा में हो। पढाई का माध्यम लोगों की भाषा हो तभी आम लोग और विद्वानों का भेद मिट पायेगा। आम आदमी की बोली

सचमुच हमें आम जनता की भाषा बोलनी चाहिए, उसमें और हमारी बोली में अतर कम से कम हो, हम आम लोगों की बोली में परिष्करण करें, पर उसकी सरलता, सुगंधता कम करके उसे क्लिप न बनायें। यह उड़ी भारी कोशिश से हा सम्भव है। भारत में कभी सस्कृत, तो कभी फारसी विद्वानों तथा राजकर्त्ताओं की जगान रही अज उन्होंने अंग्रेजी का पल्ला पजड़ा है तो कोई नयी परंपरा नहीं बनायी है, पुरानी लकीर का ही अनुसरण किया है। इसलिए अंग्रेजी हटाओ का अर्थ इस भाषना में है कि गोलबाल, लिखा पढ़ी और वाणी व्यवहार में आम जनता और शासकों का भेद दूर हो। तभी "एक हृदय ही भारत जननी" का नारा सिद्ध होगा।

हिन्दी या अन्य प्रातीय भाषायें भी जय विद्वानों के हाथों पढ़कर आम जनता की बोली से हटकर शासकों की भाषा बन जाती है तो उनका लोकभाषा का दावा गलत सिद्ध हो जाता है और अंग्रेजी को जिस आधार पर हम हटाना चाहते हैं उसमें मानात्मक अतर ही रहता है, गुणात्मक अतर नहीं। अत हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने लिए हमें उस दिशा में सजग रहना होगा।

★

( 'सर्वोदय प्रेस सर्विस', इन्दौर से )



# तरुण-शांति-सेना

श्री नारायण देसाई

अगिल भारत शांति-सेना मंडल ने अपनी मकुराई की बैठक में तय किया कि भारत में जहाँ कहीं भा अनुकूलता हो वहाँ तरुण शांति-सेना की स्थापना की जाय।

शांति की दृष्टि से तरुणों में काम की आवश्यकता ज़रूर से महसूस की जाती थी। आज जहाँ कहीं जिस किसी कारण से दगा होता है उसमें तरुणों का कुछ-न कुछ हिस्सा होता ही है। आये दिन भारत के तरुणों की निंदा भी इसी विषय को लेकर की जाती है। लेकिन जिन्होंने तरुणों के जीवन में दिलचस्पी ली है और खुला मन रखकर उनके बीच जो घुले मिले हैं उनको हमेशा यह अनुभव हुआ है कि भारत के तरुण वास्तव में शांति प्रेमी हैं। पराक्रमों के अरसर के अभाव, कुशिक्षा के परिणाम, परीक्षा-प्रदति, पाठ्य पुस्तक या अन्य बंधनों के कारण पैदा हुई वैकल्प-वृत्ति जीवन के जो आदर्श उनके सामने रखे जाते हैं व्यवहार में वैसा जीवन कहीं देख न पाना आदि कारणों से तरुणों में जो निराशा आती है वही निराशा दगों के समय हिंसक रूप ले लेती है। विधायक पुरुषार्थ का अवकाश मिले तो भारत के तरुण नया शांतिमय समाज रचना करने में अत्यंत सहायता दे सकते हैं।

तरुण शांति-सेना में १२ साल से ऊपर का कोई भी लड़का या लड़की शामिल हो सकेगा। कार्यक्रम के मूल आधार तान होंगे।

१—व्यायाम और परिश्रम

२—स्वाध्याय

३—सेवा कार्य

इन मूल आधारों पर तरुण शांति सेना की अनेक

विध प्रवृत्तियों का नक्शा तैयार हो सकता है। काम के आयोजन के समय तरुणों के मानस को ध्यान में रखना होगा। खेल, कहानियाँ, प्रवास, पर्यटन, निबंध लेखन, चक्रवृत्ता, सभाएँ, गरीब विद्यार्थियों को सहायता, प्राकृतिक आपत्ति में सहायता, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान आदि अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ इसमें से मिल सकती हैं।

अक्सर तरुणों में काम दो दृष्टि से होता है। राज नैतिक पक्ष के लिए भरती करने के मैदान के तौर पर तरुणों का उपयोग करने की प्रवृत्ति पायी जाती है दूसरे प्रकार का काम स्काउटिंग आदि प्रवृत्ति का है, जिसमें सदाचार की शिक्षा पर भार दिया जाता है। नैतिक जीवन विचार से उसका कोई विशेष संबंध नहीं रहता।

तरुण-शांति-सेना का काम तीसरे प्रकार का होगा। वह विचार स्वातंत्र्य को हर तरुण का जन्म सिद्ध हक मानती है, इसलिए किसी वाद के दाय में ( 'सर्वोदयवाद' के भी ) तरुणों को डालना नहीं चाहेगी, लेकिन एक नये जीवन की ओर उनको ले जाना अवश्य चाहेगा। विद्यार्थी अपनी विद्यार्थी अररथा को छोड़ने से पहले जीवन के संबंध में कुछ विचार करने लगे, एक शांतिमय, प्रममय समाज रचना करने का स्वप्न देखने लगे और उसके लिए पराक्रम करने के लिए फटियद हो तो तरुण शांति सेना का उद्देश्य सफल होगा।

तरुणों में काम करने के लिए उत्साही लोगों को इस लेखक से शांति-सेना मंडल, राजगढ़, धाराणसी के पते से पत्र-व्यवहार करने का निमन्त्रण है।

★

# लोक-सेवक तथा शान्ति-सैनिकों की शिक्षण-समस्या

श्री वद्रीप्रसाद स्वामी

अपने देश में जब से नव समाज-रचना की अहिंसक प्रक्रिया में साधारण नागरिक जीवन से कुछ आगे बढ़कर स्वयं और समाज के परिवर्तन हेतु कुछ लोग लगे, तब से ही उनके शिक्षण की बात बराबर चली आ रही है और इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयोग हुए हैं, और आज भी इस सम्बन्ध में बराबर चिन्तन चल रहा है कि आज के लोक-सेवक और शान्ति-सैनिकों के प्रशिक्षण की क्या प्रक्रिया और पद्धति हो।

इस प्रश्न पर अगर हम गहराई से सोचें, तो आज के संदर्भ में यह सवाल उठता है कि क्या शिक्षण की पुरानी पद्धति नव-मानव के निर्माण में सहायक शक्ति हो सकेगी। क्या आज के समाज में नये मूल्यों से निर्मित ऐसे नये मानव हैं, जो कि शिक्षक का काम कर सकेंगे! क्या शिक्षण देनेवाले और लेनेवाले ऐसे दो वर्गों को अहिंसक समाज रचना की शिक्षण-प्रक्रिया में कोई स्थान होगा! क्या एक या अनेक व्यक्तियों के विचारों से, व्यक्ति तथा समाज के व्यक्तित्व का वास्तविक विकास हो सकेगा! क्या केन्द्रित शिक्षण व्यवस्था से विकेंद्रित समाज-रचना और रक्षा की

क्षमता लोक-सेवक और शान्ति-सैनिक प्राप्त कर सकेंगे! क्या साधारण जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें समाज स्वयं सुदृढ़ता सके, इसके लिए सतत् सहायक साधित होने की कला किसी एक विद्यालय में रहकर हासिल हो सकेगी! ऐसे अनेकों प्रश्न इस शिक्षण के प्रश्न को लेकर मेरे मस्तिष्क में चल रहे हैं।

जिन मूल्यों के आधार पर हम जीना चाहते हैं, उनकी साधना और शिक्षण समाज के बीच रहकर ही हो सकती है। ऐसी दूरत में हमारी शिक्षण-पद्धति और प्रक्रिया और उसके द्वारा स्वयं और समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया दो भिन्न पद्धतियों नहीं हो सकती। साधना और साध्य की एक-रूपता ही अहिंसक समाज-रचना की सही कसौटी है।

इसलिए हमारे शिक्षण के स्थान विद्यालय के बजाय ग्राम-परिवार ही हो सकते हैं। हमारे शिक्षण की सामग्री आनतक का संग्रहीत ज्ञान न होकर समाज की आज की समस्याएँ और उनका जीवन ही होगा। स्वयं और समाज का विचार और जीवन-परिवर्तन

[ पृष्ठ १२१ पर ]

[ पृष्ठ १२५ का शीर्षांश ]

ये मेरे कुछ सुझाव हैं। जो कठिन-प्रश्न हैं उनका सामना करने के लिए अन्य सुझाव भी आमंत्रित किये जा सकते हैं। ऐसी अन्य समस्याएँ भी हो सकती हैं जिनका उल्लेख मेरे सुझावों में न हुआ। उदाहरणार्थ ऐसी पारिभाषिक शब्दावली का निरूपण जो सर्वग्राह्य हो। जो भी हो, मेरा व्यक्तिगत आग्रह यह है कि पुरानी गलत-प्रवृत्ति के स्थान पर नयी सहयोग-भावना पैदा करने के उद्देश्य से सभी विवाद्-ग्रस्त प्रश्नों पर उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के लोगों को बातों

को, उदारतापूर्वक यथासंभव अधिक से अधिक मान लें। आखिर तामिल और तेलुगु संस्कृति भी भारतीय संस्कृति के ही अंग हैं। उनको मानने का अर्थ है संश्लेषण जब कि प्राथमिक कक्षाओं की कोमल आयु में अंग्रेजी जैसी विदेशी संस्कृति को अंगभूत करना विदेशी सांस्कृतिक तत्त्वों को आँसू मूँद कर नकल करने का प्रोत्साहन है। इस प्रकार की नकल देय के लिए घातक है।

## पेशाव करना

### श्री राममूर्ति

मूत्र-त्याग की शिक्षा मल-त्याग की शिक्षा से अधिक कठिन है। दो साल का बच्चा मल-त्याग की क्रिया पर काबू पा लेता है लेकिन दार्द साल के अनेक बच्चे पेशाव से अपना जाधिया या रात को विस्तर भिगाते ही रहते हैं। बच्चे स्वयं भी पेशाव को उतने महत्त्व का नहीं समझते जितना मल को समझते हैं।

पहले साल और दूसरे साल के शुरु के महीनों में भी पेशाव प्रायः अपने आप हो जाता है। कुछ बच्चे दो साल तक थोड़ी थोड़ी देर पर पेशाव करते रहते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ मूत्र-त्याग पर काबू जल्द पाती हैं।

डेढ़ साल तक अगर बच्चा लगातार दो घंटे तक पेशाव रोक ले तो बहुत मानना चाहिए। माँ थोड़ा ध्यान दे तो कई बार वह बच्चे की समय से पेशाव करा सकती है। डेढ़ साल के बच्चे से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि पेशाव की जरूरत महसूस करने पर वह इशारा करेगा। इशारा करने का ध्यान बच्चे को डेढ़ से दो साल के बीच होने लगता है। यह भी तब होता है जब माँ अपने अनुमान से बच्चे को समय से पेशाव करा देने की कोशिश करती रहती है। फिर भी कई बार पेशाव कर लेने के बाद बच्चा माँ को बतलाता है। इससे यह नहीं सोचना चाहिए, जैसा कुछ माता पिता समझ लेते हैं कि बच्चा शरारत कर रहा है या माँ को चिढ़ा रहा है, बल्कि उल्टे बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह धीरे धीरे पेशाव उतरने से पहले ही सचेत करना सीख जाय। पूरा सीख जाना तब मानना चाहिए (क) जब वह समय से जान जाय कि उसे पेशाव लगा है, (ख) वह सचेत करने की जिम्मेदारी महसूस करे, (ग) सचेत करने का हुनर सीख जाय और (घ) मूत्रालय में

जाकर, कपड़े समेट कर पूरी क्रिया कर ले। इस पूरे अभ्यासक्रम में प्राय बच्चे के तीन वर्ष जाते हैं। अभ्यास कराने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर डेढ़ साल के बच्चे ने लगभग दो घंटे तक पेशाव न किया हो तो पेशाव कराना चाहिए। इस तरह उसका पेशाव करने का समय बंध जायगा और धीरे-धीरे अवधि बढ़ती जायगी। दिन या रात को सोकर उठने पर तो पेशाव कराना ही चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि बच्चे के लिए मल-त्याग और मूत्र-त्याग दो स्वतंत्र क्रियाएँ हैं और एक के अभ्यास का यह अर्थ नहीं है कि दूसरे का भी अभ्यास हो गया। सामान्यतः दो साल पूरा होते-होते दोनों क्रियाओं का अभ्यास हो जाना चाहिए। इस बीच बच्चा कमी कमी थोड़ी-थोड़ी देर पर टट्टी या पेशाव के लिए शौचालय में जायगा। उसको ऐसा करने में मजा आता है। माँ को इस 'लीला' से खीझना नहीं चाहिए। डेढ़ या दो साल के बीच बच्चा कई बातें सीखने के लिए तैयार रहता है और उसके सीखने में अनुकरण का जो स्थान है उससे कम माँ के प्रोत्साहन का नहीं है। वह चाहता है कि माँ की इच्छा उसे मादूम हो ताकि वह उसकी इच्छा पूरी कर सके।

एक बात पर ध्यान रखना जरूरी है। अगर डेढ़-दो साल के बच्चे को बराबर एक ही जगह पेशाव कराया गया है तो कमी-कमी वह बाहर किसी दूसरी जगह पेशाव करने में पबढ़ायेगा। ऐसी हालत में वह जाधिया रखाव कर लेना ज्यादा अच्छा समझेगा। इसलिए घर में और बाहर पेशाव की दो-तीन जगहें हो तो अच्छा होगा।

दो और तीन वर्षों के बीच अधिकांश बच्चे यह जान लेते हैं कि रात को पेशाव नहीं करना चाहिए,

कुछ एक और दो के बीच जान लेते हैं, और कई तो कहीं तीन के बाद जानते हैं। इस मामले में लड़कियाँ लड़कों से अधिक होशियार होती हैं। जो बच्चे मस्त रहते हैं वे भी जल्द सीखते हैं। लेकिन अभ्यास की दृष्टि से रात की अपेक्षा दिन का महत्त्व अधिक होता

है। अगर दिन के लिए आदत बन जाती है तो रात के लिए माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई माता पिता रात को सोते समय पेशाब करा देते हैं। इससे हमेशा के लिए एक अच्छी आदत बन जाती है।



### [ पृष्ठ १२९ का दोषाश ]

जो कि हमारा लक्ष्य है, उसके साधन स्वयं और समाज ही हो सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि परिवर्तन की शुरुआत उस व्यक्ति से होगी जिसको ऐसी सर्व-प्रथम प्रेरणा हो, और जिसकी परिवर्तन की प्रेरणा जिस क्षण से हुई उसी क्षण से, उस व्यक्ति के स्वयं शिक्षण और परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ होनी चाहिए, वही अहिंसक समाज-रचना, प्रशिक्षण और परिवर्तन का मूल आधार है। इसपर से यह स्पष्ट होता है कि जिन जिन व्यक्तियों की स्वयं तथा समाज-परिवर्तन की प्रेरणा हो, वे समान मूमिका पर, जो कुछ स्वयं चिन्तन करें, उसकी चर्चा अपने साथियों और समाज से समय-समय पर साभ रहकर करते रहें। इस प्रकार सहजीवन, अध्ययन, चिन्तन, मनन और चर्चाओं द्वारा जो विचारों का आदान प्रदान होगा उसी से विचारों का वास्तविक विकास सम्भव है। अगर विचारों का वास्तविक विकास करने में हम सफल हो सकें तो वे विकसित विचार, व्यावहारिक

स्वरूप धारण करके व्यक्ति और समाज का परिवर्तन कर सकेंगे। इस प्रकार एक ही प्रक्रिया से प्रशिक्षण और परिवर्तन की दोनों समस्याएँ सध सकेंगी।

आज के लोक-सेजकों और शान्ति-सैनिकों को अगर निश्चित स्थानों पर समाज से अलग रखकर शिक्षण देने की सोचते हैं तो फिर आज तक की प्रचलित शिक्षण-पद्धति और व्यवस्था से हम बच नहीं सकते। फिर चाहे विश्वविद्यालय हों चाहे आश्रम-विद्यालय हों। उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं होगा। अहिंसक सेवक और सैनिकों के लिए जहाँ वह रहता है वही उसका विद्यालय होगा और उस समाज की समस्याएँ उसके साधन होंगे, और उन समस्याओं को समझने और हल करने की शक्ति सतत समाज में निर्माण करने का प्रयत्न करना ही उसका वास्तविक और व्यावहारिक शिक्षण होगा। और इस प्रकार के शिक्षण में सहायक साधित होना ही हमारी शिक्षण-समस्या का सही मार्ग होगा।



हमारे धारों तरफ छाया हुआ अंधकार अभिगोप नहीं, वरदान है।  
दँधी प्रकाश ने एक कदम रोशन कर दिया तो काफी है, उसके बाद अगला कदम भी जरूर सूझेगा। अंधकार तभी निविड लगाता है जब हम अपने अर्थों के कारण उस एक कदम से आगे देखना चाहते हैं।

गांधीजी

## बाल-मंदिर-ग्राम-शाला

१-८-६२

१—फटाई के बाद आपस में चर्चा हुई। आगे काम को व्यवस्थित रूप देने की योजना बना। १५ दिन का कार्यक्रम बनाया गया। काम के विभाग, काम का विभाजन और १५ दिन का लक्ष्य तय किया गया।

२—अपनी-अपनी राय अलग रहे लेकिन निर्णय तो एक हो।

४-८-६२

३—घर के काम को नियंत्रण हमलोग ६ बजे गये। गांव बढ़ा है। अधिक कुर्मी लोग हैं। चार-पाच घर महाब्राह्मण, नाऊ, धोबी आदि के भी हैं। एक ब्राह्मण पारवार में गये। परिवार बढ़ा है। सास, बहूए सभी से बातें हुईं। बहूए कुछ चिढ़ी हुई माझम देती थीं क्योंकि सिलाई आदि की बातें लेकर सास के ऊपर शिल्ला उठीं। परिवारों में स्त्रियां जितनी बेवसी महसूस करती हैं। मन स्वीक्षा रहता है, तभी तो बाहरी लोगों के आगे बात करने में भी स्वीक्ष प्रकट होती है।

६-८-६२

४—वर्षा के कारण खेत में कोई काम नहीं करना था। बालमंदिर की लिपार्ड के लिए जो, और जी गये थे। हम दोनों बाद में गये। वहां देखा तो ये ही दोनों लिपार्ड कर रहे थे, गांव के फेवल २ ३ बच्चे थे। गांव की स्त्रियां देखती थीं, हसती थीं। लड़कियों ने मुठिया उठायीं, कमरे में झाड़ू लगाया। हम दोनों ने लिपार्ड की। आंगन आदि की सफाई तो हो नहीं सकी, क्योंकि वर्षा के कारण मिट्टी गीली थी। होना तो यह चाहिए था कि गांव के लोग सफाई करते और हम लोगों का भी सहयोग रहता लेकिन इससे उल्टा ही हुआ। अब तक गांव का ऐसा वातावरण नहीं बना है तब तक करना ही पड़गा। कहीं ऐसा न

१३२ ]

हो कि ये लोग इसे हम लोगों का ही काम समझें, अपनी कोई जिम्मेदारी हा त समझें।

८-८-६२

५—एक दूसरे परिवार में गया। हम लोगों का खाना-पाना, काम करना आदि उन लोगों की चर्चा का विषय रहता है। कुछ देर तक बच्चों पर ही चर्चा चली रही। इतने छोटे बच्चे रहते हैं तब तक दूसरे हो जाते हैं, समाजना कितना मुश्किल होता है। सारी परेशानियां होती हैं फिर भी बच्चे जल्दी-जल्दी होते हैं।

१६-८-६२

६—बच्चों को अन्न खान और गिनती सिखायी। दो-तान बच्चे कुछ लिख-पढ़ लेते हैं। गिनती ताली के अभ्यास के साथ करायी गयी। शरीर शिक्षण, अंग परिचय, पायें दाहिने की पहचान करायी। बच्चों से यह सब कराते समय कई जगह मेरी भूल हुईं। नो कराया जाय उस पूरा करके तब दूसरी चीज के लिए कहे नहीं तो बच्चे व्यनस्थित कर नहीं पाते। जो कहा जाय उसे समझाकर कहें। अपनी गलती कराते समय भी महसूस हुई लेकिन उस समय सुधार न कर सकी। जितनी खूना बच्चों को देनी चाहिए उतनी दी नहीं, इसलिए ऐसा हुआ।

७—बच्चों को नाखून घर कटवाने के लिए कहा था लेकिन कोई कटवाकर नहीं आया। पूछने पर सबने यही उत्तर दिया कि मां नहीं काटती। बाल मंदिर में ही काटने होंगे। सफाई का कार्यक्रम रखना होगा। तेल, कानूनी की कमी इस गांव में नहीं है।

८—लड़के ही अधिक आते हैं, लड़कियां कम आती हैं। सब घास काटने, खेत में काम करने जाती हैं। जिस समय बालमंदिर चलता रहता है ख्यानी लड़कियां आकर देखती हैं, काफी देर तक रहती हैं,

[ नयी तालीम

लेकिन उससे रोज आने, कुछ सीखने-पढ़ने की बात कही तो यही जवाब मिलेगा कि समय नहीं है, किस समय आये, काम करने जा रहे हैं। गाव में खेती ही मुख्य धंधा है, सबके घर खेती होती है। कुछ करने, सीखने का उस्ताह अभी लड़कियों में नहीं दिखाया देता।

९—एक दो लड़किया जो कई दिनों से आकर देखा करती थीं आज स्वयं पट्टी और रड़िया लेकर आयी, लिया भी।

१८-८-६२

१०—बालमंदिर से घर जाने पर मा बच्चों से यदि किसी काम के लिए कहती हैं तो बच्चे कह देते हैं कि पढ़कर आ रहे हैं, काम भी करें।

२०-८-६२

११...जी आये, कमरे देखे। बी० डी० ओ० साहब बालमंदिर देरना चाहते हैं, फिर डी० सी० आनेवाले हैं। उनका भी दिखायेंगे। हम लोगों को बालमंदिर व्यवस्थित और बच्चों की सहायता बढ़ानी चाहिए, ऐसा...ने कहा। क्या किसी को दिग्गाने के लिए यह सब किया जाय ? अपनी गति से सब होगा।

२१-८-६२

१२—घड़ी भी नहीं, इसलिए सब काम अदान से ही कराना था। पढ़ाई तो करीब एक घंटा रोज होती है। कुछ बच्चों को अधर-ज्ञान है, कुछ दिन स्कूल गये हैं इसलिए उतना सीप लिया है। लड़किया स्कूल नहीं गयी हैं, उनकी पढ़ाई की शुरुआत यहाँ से ही हो रही है। जिन बच्चों को अधर क्रम से याद नहीं है उन्हें सिखाने में कुछ कठिनाई होती है। जैसे बताओ वैसे न लिखकर अपने मन से लिखने लगते हैं। जो उल्टा सीधा याद है वह भूलता नहीं।

२६-८-६२

वालभोज—

बच्चे आये। चेहरे पर आश्चर्यजनित सकोष।

अपनी-अपनी चीजें लाने को कहा। साथ में सहभोज के लिए चबेना, गुड़ या अमावट, जिसके पर जो हो मंगाया। पहला प्रसंग; समझ ही नहीं पाते थे; सुनकर भी मानों अपने कानों पर काबू रों बैठे हों। धीरे-धीरे दो-दो बार-बार करके गये। गमले में चबेना और पलट्टी में स्वनिर्मित रिलीने, पल, मिटाई लेकर लौटे। ४० मिनट में मेले का समापन हुआ। परीति के डटल की सीटी अलग पुकार कर रही थी। घंटे का शोर सर्वांगपरि। कतार लगाकर हँसते-कूदते गाव से पार होकर सड़क पर पहुँचे और रुके जाकर एक बाग में। जिसने जहा जगह पायी दुकान सजाने लगा। व्यवस्थित कराया। बीच की जगह आनेवालों, देखने वालों के लिए छुड़ाया। पेड़ों के नीचे गोलाकार आकृति में दूकानें, फिर उनके आसपास सड़के, सपाईं, तरह-तरह के पत्ते लाकर दुकानों का सुशोभन, बाल करुण लाकर हरी दूब के योग से तादाय, लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के रिलीने, कागज के रिलीने और पत्तों, टहनियों से अच्छी रौनक आ गयी। मन में मोद। इधर-उधर से दर्शक जुटे। समझने में किसी अपसर के लिए प्रदर्शन है। अपने लड़के-लड़की को इसी शाला में प्रवेश दिलाने की उत्सुकता प्रकट की।

नाटक, खेल समाधे, सौदागर, शाला का दृश्य, लखराजी का चिरापल सब जम गया।

सहभोज के समय बिलर गया। सबका चबेना मिलाने पर कुछ को आपत्ति हुई। उठ उठकर बल दिये। समझाया। समझौता किया, आगे के लिए चेतानवी दी। साथ पढ़ना, साथ खेलना, तो खाना भी साथ-साथ। बड़े लोगों को भी बताया। पतिताऊँ पर प्रथम प्रहार। कुल मिलाकर कार्यक्रम अच्छा रहा। कुल प्रयत्न बच्चों का था। मात्र मुस्ताव के साथी हम, यों देखने में पूरा उस्ताह अपना भी था। अगली बार अपनी तरफ से भी कुछ बस्तुओं का निर्माण रहे तो अच्छा।

—विद्या, क्रांति  
दूवेपुर, सुल्तानपुर



## रचनात्मक संस्थाओं से अपील

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

सन् १९४४ में जेठ से बाहर निकलते ही गांधीजी ने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सामने दो अत्यन्त महत्त्व की सूचनाएँ रखी थीं। पहली सूचना यह थी कि अब अंग्रेजी राज्य बहुत दिनों तक टिकनेवाला नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अंग्रेज शायद हम लोग जितना समझते हैं उससे भी जल्दी चले जायेंगे। दूसरी सूचना यह थी कि उन्हें जेठ में जब यह खबर मिली कि सरकार ने खादी के काम को अस्तव्यस्त कर दिया है तो उनको इस बात का दर्शन हुआ कि एादी मजबूत बुनियाद पर, अपने पैर पर खड़ी नहीं है। अतः उसे जन-जन में फैला कर निरपेक्ष जन शक्ति के आधार पर खड़ी करनी होगी ताकि कोई भी बाहरी ताकत उसे नष्ट न कर सके।

जब गांधीजी ने एक ही बैठक में उपरोक्त दोनों बातें कही थीं तो निःसंदेह निरपेक्षता का मतलब केवल अंग्रेजी सरकार से ही नहीं था, बल्कि किसी भी सरकार से या चरखा सच जैसी केन्द्रित सस्था से भी था।

उपरोक्त उद्देश्य की सिद्धि में वे चरखा सच के सारे काम को गाँव-गाँव में फैला देना चाहते थे और चूँकि केवल खादी की एकांगी प्रवृत्ति से निरपेक्ष जन शक्ति का विकास नहीं हो सकता है, इसीलिए वे गाँव-गाँव में फैले हुए कार्यक्रम को समग्र-ग्राम-सेवा का रूप देना चाहते थे।

स्पष्ट है कि कोई भी कार्य तब तक निरपेक्ष जन शक्ति के आधार पर खड़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसे खड़ा करनेवाले कार्यकर्ता खुद ही अपने अस्तित्व को उस शक्ति के आधार पर कायम रखने की तैयारी न करते हों। आखिर कर्ता के आधार पर ही कर्म होगा। इसलिए कर्ता जिस शक्ति के

आधार पर रहेगा अपने कर्म के लिए भी उसी शक्ति का आधार खोजेगा। अतएव गांधीजी ने इस कार्यक्रम को सगठित करने के लिए चरखा सच के कार्यकर्ताओं को तथा देश के दूसरे नौजवानों को आवाहन किया कि वे गाँव-गाँव में फैल जायें और अपने भ्रम तथा जनता के प्रेम से स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करते हुए देश में समग्र ग्राम सेवा का सगठन करें।

ऐसे स्वावलम्बी कार्यकर्ताओं के लिए गांधीजी की सलाह से चरखा सच ने एक निश्चित योजना बनायी, वह यह थी कि जो सेवक सरुल्यपूर्वक गाँव में जाकर बैठें उन्हें चरखा सच साधन दे और स्वावलम्बन के लिए एक अवधि निर्धारित कर उतनी अवधि तक आर्थिक मदद भी दे। इसका क्रम यह रखा गया कि प्रथम वर्ष पूरा वेतन लेकर प्रति वर्ष २५ प्रतिशत घटा कर पाँचवें साल स्वावलम्बन की स्थिति पर कार्यकर्ता पहुँच जायें।

उन्हीं दिनों इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन आया और सारे देश का ध्यान दूसरी तरफ चला गया। स्वराज्य मिला और फिर बापू भी गये। फलस्वरूप बापू का यह आह्वान और योजना चरखा सच के प्रस्ताव में ही रह गयी। उसका अमल नहीं हो सका।

फिर विनोबाजी के नेतृत्व में ग्राम स्वराज्य के विचार और उसके लिए निरपेक्ष जन शक्ति के अधिष्ठान की आवश्यकता की बात सामने आयी। इस विचार के स्वाभाविक तर्क के अनुसार पानी तथा चालीसगाँव में अखिल भारत सर्व-सेवा-सच ने ग्राम-स्वराज्य आंदोलन को निधि-मुक्त तथा सर्वजनाधारित करने का सकल्प किया। स्वभाषित इस सकल्प ने सर्वोद्देश्य-कार्यकर्ताओं को आलोचित

क्रिया और कुछ लोग उसका छोर रोजने की बात सोचने लगे। अतएव सर्व-सेवा सघ के अध्यक्षपद की जिम्मेदारी से मुक्त होते ही इस अनिश्चित मार्ग की रोज में मैं निकल पड़ा।

समाज-परिवर्तन का मूल आधार राजनीति नहीं हो सकता, अर्थनीति भी नहीं हो सकता, वह शिक्षा-क्रम ही हो सकता है। मेरी यह मान्यता शुरू से रही है। गांधीजी भी हमेशा रचनात्मक कार्यक्रम को स्वराज्य की बुनियाद मानते रहे हैं और यह कहते रहे हैं कि सारी रचनात्मक प्रवृत्तियों की नदियों को नयी तालीम के समुद्र में मिलना होगा। अर्थात् स्वराज्य यानी अहिंसक समाज का अधिष्ठान, संरक्षण तथा संचालन का माध्यम नयी तालीम ही है ऐसा मानना चाहिए। तदनुसार पिछले दो-द्वार सत्र तक अखबार में टटोलने व राद आज समग्र नयी तालीम का एक छोर दिखाई दे रहा है। इसी आधार पर आज ग्रामभारती योजना की बात में करता हूँ। योजना की रूप रेखा सर्व-सेवा सघ द्वारा ग्रामभारती धार्मिक की पुस्तिका में प्रकाशित हुई है। राच-याच में 'मूदान' में मा चर्चा होती रही है।

अब समय आ गया है कि सारे रचनात्मक कार्यकर्ता तथा सस्था इस प्रश्न पर गम्भारतापूर्वक विचार करें। १९४४ में गांधीजी की सत्रह से चरखा सघ जैसी एक शक्तिशाली सस्था ने इस योजना का पहल करने की जिम्मेदारी लेने की सोची थी। जो सेरक गांधीजी के आवाहन पर निकरें उन्हें साधन और सहारा देकर देश भर में जमाने की जिम्मेदारी मा अपने ऊपर उठाया थी। आज चरखा सघ नहीं है। सारा रचनात्मक सस्थाओं और प्रवृत्तियों का नेतृत्व सर्व-सेवा सघ पर है। अत स्पष्ट है कि यह जिम्मेदारी सघ पर स्वत आ जाता है। लेकिन सर्व-सेवा-सघ चरखा सघ जैसी क्रोड्रत निधि-आधारित एक प्रवृत्ति-मूलक सस्था नहीं है, वह एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है। देश में जितना रचनात्मक सस्थाएँ पैली हुई हैं वे सब उसक अङ्ग प्रत्यङ्ग हैं। अतएव इस आवाहन के अनुसार आप जितने नौजवान निकलेंगे उन्हें स्वावलम्बन में अधिष्ठित

करने की जिम्मेदारी तमाम रचनात्मक सस्थाओं पर सामूहिक रूप से आ जाती है।

अप्रैल, १९६० से यानी चर से मैं निकला हूँ तब से आज तक उत्तर प्रदेश के दस नौजवान मेरे साथ आये हैं। और वे देहातों में जाकर बैठ गये हैं। ग्रामभारती की विशिष्ट योजना के प्रकारान के बाद से अब धारे धारे देश के नौजवान मुझे योजना और विचार पर पृष्ठताल करने लगे हैं। अतएव अब समय आ गया है कि सर्व-सेवा-सघ तथा देश का तमाम रचनात्मक सस्थाएँ ऐसे जितने नौजवान निकलेंगे उन्हें साधन और सहारा देकर स्वानलम्बी कार्यकर्ता के रूप में जमाने का काम उठावें।

चरखा सघ ने जिस समय योजना बनायी थी उस समय से आज की परिस्थिति भिन्न है। विचार भी आगे बढ़ा है। उसक सदस्य में मैंने परिवार को निम्नलिखित प्रकार से साधन और सहारा देने की आवश्यकता समझी है।

१—स्वावलम्बन के लिए कृषिमूलक, उद्योग प्रधान अर्थनीति होगी ऐसा माना है।

२—कृषि के लिए आवश्यक भूमि उस क्षेत्र के लोग दान में देंगे जिनकी ओर से कार्यकर्ताओं को निमन्त्रण मिलेगा।

३—यह आश्वासन माना है कि कार्यकर्ता चौथे साल से स्वावलम्बी बनें, अगर श्रमाधार में कुछ कमी पड़े तो वे अपनी लोक प्रियता के आधार पर स्थानीय जनता से प्राप्त कर उतना पूरा कर लें।

४—प्रत्येक सेवक को निवास तथा गृहस्थी साधन, कृषि-साधन और उद्योग-साधन के लिए पाँच हजार रुपया पूँजी के रूप में तीन सत्र में दिया जाय, जिसका क्रम प्रथम वर्ष दो हजार, दूसरे वर्ष दो हजार, तीसरे वर्ष एक हजार होगा।

५—सेवक स्वयं शुरू से ही निधि-मुक्त हो जायँ और जनता व प्रेम और अपने श्रम के सहारे गुजारा करें।

६—उनके परिवार के लिए निम्न क्रम से सहायता दी जाय —



परिवार का प्रकार	सहायता			
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
१-निम्न वर्ण-शाला परिवार	३७५ )	२०० )	—	५७० )
२-एक बच्चेवाला परिवार	५०० )	३२५ )	१२५ )	९५० )
३-दो बच्चेवाला परिवार	६०० )	४५० )	२५० )	१३०० )
४-तीन बच्चे और उसके ऊपर	७५० )	५०० )	३७० )	१६२५ )

७—परिवार सहायता का स्वरूप उनके स्वावर्ग्यन शिक्षण में सहायता के रूप में होना चाहिए जिसके लिए अग्रे से स्वावलम्बन विद्यालय का संगठन करना होगा।

प्रश्न यह है कि विभिन्न रचनात्मक संस्थाएँ इस योजना को किस रूप में मदद करें? मैं मानता हूँ कि यह स्वरूप कुछ वार्षिक अनुदान का न होकर संस्थाएँ एक या अनेक परिवार का अधिष्ठित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। गांधी निधि या गांधी-आश्रम जैसी बड़ी संस्थाएँ अधिक सरया में सेवकों को जमाने की जिम्मेदारी ले सकती हैं। छोटी संस्थाएँ दो, एक या आधे सेवक की भी जिम्मेदारी ले सकती हैं।

सेनकों के परिवार के लिए जो विद्यालय होगा उसका स्वरूप भी विशेष होगा, जो समग्र नयी तालीम की प्रयोगशाला का केंद्र भी हो सकेगा। समग्र नयी तालीम पूरे गाँव को ले, यह तालीम की पद्धति है। अतएव उसका विद्यार्थी परिवार का बच्चा या प्रौढ़ न होकर पूरा परिवार होगा।

पूरे परिवार की समन्वित तालीम की प्रक्रिया 'सेवक परिवार विद्यालय' की स्वावलम्बन-तालीम में से बहुत कुछ निकलेगा। क्योंकि इसके भी विद्यार्थी सेवक का पूरा परिवार होगा। ऐसा विद्यालय किसी

संगठित ग्रामभारती गाँव में अधिक सङ्कलित ले चलाया जा सकेगा। क्योंकि विद्यालय के शिक्षक भी निधि-मुक्त हों यह अधिक इष्ट है। ग्रामभारती गाँव में विद्यालय का अधिष्ठान होने पर विद्यालय गाँव के ही एक टोले का रूप ले लेगा, और वह करीब-करीब ग्रामभारती का एक छात्रावास जैसा होगा।

इस तरह परिवार-स्वावर्ग्यन विद्यालय के लिए करीब ४० छोटे-छोटे शोपनों का एक गाँव-जैसा हा बसाने की जरूरत है, जिसमें उद्योग-ग्रह, विद्यु विहार, बालवाड़ी आदि के शिक्षण की व्यवस्था हा। विद्यालय के लिए प्रथम आवश्यकता निवास तथा दूसरे कामों के लिए मकानों की होगा।

चूँकि यह विद्यालय स्त्रियों और बच्चों के विकास के लिए होगा, इसलिए इसे कस्तूरबा ट्रस्ट के मातहत करना चाहिए। विद्यालय की स्थापना के लिए मकान आदि का जो खर्च होगा, उसमें विभिन्न संस्थाएँ अनुदान देंगी तो आसानी से इसे स्थापित किया जा सकता। मुझे आशा है कि विभिन्न रचनात्मक संस्थाएँ उपरोक्त योजना की मदद में पूरा हिस्सा लेंगी। अधिक जानकारी के लिए मुझे सर्व सेम सच, राजघाट, वाराणसी—१ के पते पर लिखना चाहिए।

★

# हमारा विश्व-शांति साहित्य

१—शांति-सेना -विनोवा

भूदान-ग्रामदान की पृष्ठ-भूमि में विनोवाजी ने शांति-सेना का जो विचार देश की जनता के सामने रखा है, उसका विश्व ने हृदय से स्वागत किया है। गॉन-गॉन में शांति-सेना का सगठन कैसे होगा, वह सेवा किस प्रकार की होगी और देश की आंतरिक रक्षा में अहिंसक साधनों का अवलंब कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, यह सारा विवेचन विनोवाजी की सीधी, सरल और तल स्पर्शी भाषा में।

मूल्य ८-७५ न०पै०

२—अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया -दादा धर्माधिकारी

साधना केन्द्र, वाराणसी में आयोजित सह-जीवन सह-अध्ययन सत्र में अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया पर एक महीने तक दिये गये दादा के भाषणों का सुसंपादित संकलन। आज के सदर्भ में अहिंसक क्रांति का स्थान क्या है और उसे सफल बनाने के लिए कौन कौन से उपाय एवं कार्यक्रम अपनाने होंगे इस विषय पर अपनी अनूठी व्याख्यान-शैली में जो प्रकाश डाला गया है, वह कदृणा-मूलक साम्ययोग-प्रधान अहिंसक क्रांति के प्रत्येक अनुयायी के लिए मनीषी है।

मूल्य २-५०

३—विदेशों में शांति के प्रयोग -मार्जरी साइक्स

प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा विदेशों में किये जानेवाले विश्व-शांति के प्रयोगों का सक्षिप्त परिचय कराते हुए भारतीय शांति-प्रयोगों के साथ उनकी तुलना करने का प्रयत्न किया है।

मूल्य ०-७५

४—मानवता की नव-रचना -पिटिरिम ए० सोरोकिन

लेखक समाज विज्ञान का विश्व-प्रसिद्ध विद्वान है। विभिन्न घर्मों, देशों तथा इतिहास कालीन घटना-चक्रों के साथ वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का सूक्ष्म उद्घाटन करके बताया है कि मानव का और मानवता का निर्माण अब नये रूप में करना होगा। स्वार्थवाद नहीं बल्कि परार्थवाद ही मानव की रक्षा कर सकता है। अनुवादक है श्री कृष्णदत्त भट्ट।

मूल्य २-५०

५—निश्चशांति क्या सम्भव है ? -कैथलिन लासडेल

विषय नाम से स्पष्ट है। विश्वशांति की संभावना पर लेखिका ने गंभीर विचार प्रस्तुत किया है।

मूल्य १-२५

इनके अलावा विश्व-शांति विषयक नीचे लिखी कृतियों भी उपलब्ध हैं —

६—अहिंसात्मक प्रतिरोध -जेराल्ड ई० टिन्डल

मूल्य ०-५० न०पै०

७—अणुयुग और हम -दिलीप

मूल्य ०-५० न०पै०

८—हमारे युग का भस्मासुर : अणुबम -सुभद्रा गांधी ।

मूल्य ०-५० न०पै०

९—पारमाण्विक निर्भीषिता -विक्रमादित्य सिंह ।

मूल्य ०-५० न०पै०

१०—चम्पल के बहेढों में : यागियों का आम-समर्पण -श्री कृष्णदत्त भट्ट

मूल्य १-५० न०पै०

बड़े सूची पत्र के लिए लिखिय ।

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

परिवार का प्रकार	सहायता			
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
१-बिना पच्चेवाला परिवार	३७५ )	२०० )	—	५७० )
२-एक पच्चेवाला परिवार	५०० )	३२५ )	१२५ )	९५० )
३-दो पच्चेवाला परिवार	६०० )	४५० )	२५० )	१३०० )
४-तीन पच्चे और उसके ऊपर	७५० )	५०० )	३७५ )	१६२५ )

७—परिवार सहायता का स्वरूप उनके स्थावलयन दिग्गण में सहायता के रूप में होना चाहिए जिसके लिए अलग से स्वावलम्बन विद्यालय का संगठन करना होगा।

प्रश्न यह है कि विभिन्न रचनात्मक सस्थाएँ इस याजना की किस रूप में मदद करें ? मैं मानता हूँ कि यह स्वरूप कुछ वार्षिक अनुदान का न होकर सस्थाएँ एक या अनेक परिवार को अधिष्ठित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। गांधी निधि या गांधी-आश्रम जैसी बड़ी सस्थाएँ अधिक सस्था में सेवकों को नमाने की जिम्मेदारी ले सकती हैं। छोटी सस्थाएँ दो, एक या आधे सेवक की भा जिम्मेदारी ले सकती हैं।

सबकों के परिवार के लिए जो विद्यालय होगा उसका स्वरूप भी विशेष होगा, जो समग्र नयी तालीम की प्रयोगशाला का केंद्र भी हो सकेगा। समग्र नयी तालीम पूरे गाँव को ले, यह तालीम की पद्धति है। अतएव उसका विद्यार्थी परिवार का बच्चा या म्रौढ़ न होकर पूरा परिवार होगा।

पूरे परिवार की समन्वित तालीम की प्रक्रिया "सर्वरूप परिवार विद्यालय की स्वावलम्बन-तालीम में से बहुत कुछ निकलेगा। क्योंकि इसके भी विद्यार्थी सेवक का पूरा परिवार होगा। ऐसा विद्यालय किसी

संगठित ग्रामभारती गाँव में अधिक सहूलियत से चलाया जा सकेगा। क्योंकि विद्यालय के शिक्षक भी निधि-मुक्त हों यह अधिक इष्ट है। ग्रामभारती गाँव में विद्यालय का अधिष्ठान होने पर विद्यालय गाँव के ही एक टोले का रूप ले लेगा, और वह करीब-करीब ग्रामभारती का एक छापावास जैसा होगा।

इस तरह परिवार-स्वावलम्बन विद्यालय के लिए करीब ४० छोटे-छोटे शोपनों का एक गाँव-जैसा हा बसाने की जरूरत है, जिसमें उद्योग-ग्रह, शिक्षा विहार, बालवाड़ी आदि के शिक्षण की व्यवस्था हो। विद्यालय के लिए प्रथम आवश्यकता निवास तथा दूसरे कामों के लिए मकानों की होगी।

चूँकि यह विद्यालय क्रियों और बच्चों के विकास के लिए होगा, इसलिए इसे कल्चरल ट्रस्ट के मातहत करना चाहिए। विद्यालय की स्थापना के लिए मकार आदि का जो रचव होना, उसमें विभिन्न सस्थाएँ अनुदान देंगी वो आसानी से इसे स्थापित किया जा सकेगा। मुझे आशा है कि विभिन्न रचनात्मक सस्थाएँ उपरोक्त योजना की मदद में पूरा हिस्सा लेंगी। अधिक जानकारी के लिए मुझे सर्व सेना सघ, राजघाट, वाराणसी—१ के पते पर लिखना चाहिए।



# हमारा विश्व-शांति साहित्य

१—शांति-सेना -विनोबा

भूदान-ग्रामदान की पृष्ठ-भूमि में विनोबाजी ने शांति-सेना का जो विचार देश की जनता के सामने रखा है, उसका विश्व ने हृदय से स्वागत किया है। गाँव-गाँव में शांति-सेना का संगठन कैसे होगा, वह सेवा किस प्रकार की होगी और देश की आंतरिक रक्षा में अहिंसक साधनों का अवलंब कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, यह सारा विवेचन विनोबाजी की सीधी, सरल और तल-स्पर्शी भाषा में।

मूल्य ८-७५ न.पै०

२—अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया -दादा धर्माधिकारी

साधना-केन्द्र, वाराणसी में आयोजित सह-जीवन सह-अध्ययन सत्र में अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया पर एक महीने तक दिये गये दादा के भाषणों का सुसंपादित संकलन। आज के संदर्भ में अहिंसक क्रांति का स्थान क्या है और उसे सफल बनाने के लिए कौन-कौन से उपाय एवं कार्यक्रम अपनाने होंगे इस विषय पर अपनी अनूठी व्याख्यान-शैली में जो प्रकाश डाला गया है, वह कठणात् मूलक साम्ययोग-प्रधान अहिंसक क्रांति के प्रत्येक अनुयायी के लिए मननीय है।

मूल्य २-५०

३—विदेशों में शांति के प्रयोग -मार्जरी साइक्स

प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा विदेशों में किये जानेवाले विश्व-शांति के प्रयोगों का संक्षिप्त परिचय करते हुए भारतीय शांति-प्रयोगों के साथ उनकी तुलना करने का प्रयत्न किया है।

मूल्य ८-७५

४—मानवता की नव-रचना -पिटिरिम ए० सोरोकिन

लेखक समाज-विज्ञान के विश्व-प्रसिद्ध विद्वान हैं। विभिन्न धर्मों, देशों तथा इतिहास-कालीन घटना-चक्रों के साथ वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का सूदन ऊहापोह करके बताया है कि मानव का और मानवता का निर्माण अब नये रूप में करना होगा। स्वार्थवाद नहीं बल्कि परार्थ-वाद ही मानव की रक्षा कर सकता है। अनुवादक हैं श्री कृष्णदत्त भट्ट।

मूल्य २-५०

५—विश्वशांति क्या संभव है ? -कैथलिन लांडडेल

विषय नाम से स्पष्ट है। विश्वशांति की संभावना पर लेखिका ने गंभीर विचार प्रस्तुत किया है।

मूल्य १-२५

इनके अलावा विश्व-शांति विषयक नीचे लिखी किताबें भी उपलब्ध हैं:—

६—अहिंसात्मक प्रतिरोध -मेसिल ई० दिनशाँ

मूल्य ०-५० न.पै.

७—अणुयुग और हम -दिलीप

मूल्य ०-५० न.पै.

८—हमारे युग का भस्मासुर : अणुबम -सुभद्रा गांधी।

मूल्य ०-५० न.पै.

९—पारमाण्विक विभीषिका -विक्रमादित्य सिंह।

मूल्य ०-५० न.पै.

१०—चम्बल के बेहड़ों में : यागियों का आत्म-समर्पण -श्री कृष्णदत्त भट्ट

मूल्य १-५० न.पै.

बड़े सूची-पत्र के लिए लिखिये।

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

परिवार का प्रकार	सहायता			
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
१-बिना बच्चेवाला परिवार	३७५ )	२०० )	—	५७५ )
२-एक बच्चेवाला परिवार	५०० )	३२५ )	१२५ )	९५० )
३-दो बच्चेवाला परिवार	६०० )	४५० )	२५० )	१३०० )
४-तीन बच्चे और उसके ऊपर	७५० )	५०० )	३७५ )	१६२५ )

७—परिवार सहायता का स्वरूप उनके स्वावलम्बन शिक्षण में सहायता के रूप में होना चाहिए जिसके लिए अलग से स्वावलम्बन विद्यालय का संगठन करना होगा।

प्रश्न यह है कि विभिन्न रचनात्मक सस्थाएँ इस योजना को किस रूप में मदद करें ? मैं मानता हूँ कि यह स्वरूप कुछ वार्षिक अनुदान का न होकर सस्थाएँ एक या अनेक परिवार का अधिष्ठित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। गांधी निधि या गांधी-आश्रम जैसी बड़ी सस्थाएँ अधिक सत्या में सेवकों को जमाने की जिम्मेदारी ले सकती हैं। छोटी सस्थाएँ दो, एक या आधे सेवक की भा जिम्मेदारी ले सकती हैं।

सेवकों के परिवार के लिए जो विद्यालय होगा उसका स्वरूप भी विशेष होगा, जो समय नयी तालीम की प्रयोगशाला का केंद्र भी हो सकेगा। समय नयी तालीम पूरे गाँव को ले, यह तालीम की पद्धति है। अतएव उसका विद्यार्थी परिवार का बच्चा या मौद न होकर पूरा परिवार होगा।

पूरे परिवार की समन्वित तालीम की प्रक्रिया 'सेवक परिवार विद्यालय' की स्वावलम्बन-तालीम में से बहुत कुछ निकलेगा। क्योंकि इसके भी विद्यार्थी सेवक का पूरा परिवार होगा। ऐसा विद्यालय किसी

संगठित ग्रामभारती गाँव में अधिक सहूलियत से चलाया जा सकेगा। क्योंकि विद्यालय के शिक्षक भी निधि-मुक्त हों यह अधिक इष्ट है। ग्रामभारती गाँव में विद्यालय का अधिष्ठान होने पर विद्यालय गाँव के ही एक टोले का रूप ले लेगा, और वह करीब-करीब ग्रामभारती का एक छावावास जैसा होगा।

इस तरह परिवार-स्वावलम्बन विद्यालय के लिए करीब ४० छोटे-छोटे शोपड़ों का एक गाँव—जैसा ही बसाने की जरूरत है, जिसमें उद्योग-गृह, शिक्षा विहार, बालवाड़ी आदि के शिक्षण की व्यवस्था हो। विद्यालय के लिए प्रथम आवश्यकता निवास तथा दूसरे कामों के लिए मकानों की होगी।

चूँकि यह विद्यालय स्त्रियों और बच्चों के विकास के लिए होगा, इसलिए इसे फ्लूररा ट्रस्ट के मातहत करना चाहिए। विद्यालय की स्थापना के लिए मकान आदि का जो खर्च होगा, उसमें विभिन्न सस्थाएँ अनुदान देंगी तो आसानी से इसे स्थापित किया जा सकता। मुझे आशा है कि विभिन्न रचनात्मक सस्थाएँ उपरोक्त योजना की मदद में पूरा हिस्सा लेंगी। अधिक जानकारी के लिए मुझे सर्व्व सेवक सघ, राजघाट, वाराणसी—१ के पते पर लिखना चाहिए।

★

# हमारा विश्व-शांति साहित्य

## १—शांति सेना -विनोबा

भूदान-ग्रामदान की पृष्ठ-भूमि में विनोबाजी ने शांति-सेना का जो विचार देश की जनता के सामने रखा है, उसका विश्व ने हृदय से स्वागत किया है। गाँव-गाँव में शांति-सेना का सगठन कैसे होगा, वह सेवा किस प्रकार की होगी और देश की आंतरिक रक्षा में अहिंसक साधनों का अवलंब कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, यह सारा विवेचन विनोबाजी की सीधी, सरल और तल स्पर्शी भाषा में।

मूल्य ८-७५ न० पै०

## २—अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया -दादा धर्माधिकारी

साधना केन्द्र, वाराणसी में आयोजित सह-जीवन सह-अध्ययन सत्र में अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया पर एक महीने तक दिये गये दादा के भाषणों का सुमपादित सफलन। आज के सदर्भ में अहिंसक क्रांति का स्थान क्या है और उसे सफल बनाने के लिए कौन कौन से उपाय एवं कार्यक्रम अपनाते होंगे इस विषय पर अपनी अनूठी व्याख्यान-शैली में जो प्रकाश डाला गया है, वह कठणात् मूलक साम्ययोग-प्रधान अहिंसक क्रांति के प्रत्येक अनुयायी के लिए मननीय है।

मूल्य २-५०

## ३—विदेशों में शांति के प्रयोग -मार्जरी साइक्स

प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा विदेशों में किये जानेवाले विश्व-शांति के प्रयोगों का सक्षिप्त परिचय कराते हुए भारतीय शांति प्रयोगों के साथ उनकी तुलना करने का प्रयत्न किया है।

मूल्य ८-७५

## ४—मानवता की नए रचना -पिटिरिम ए० सोरोकिन

लेखक समाज विज्ञान के विश्व-प्रसिद्ध विद्वान है। विभिन्न धर्मों, देशों तथा इतिहास कालीन घटना-चक्रों के साथ वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का सूक्ष्म उद्घाटन करके बताया है कि मानव का और मानवता का निर्माण अब नये रूप में करना होगा। स्वार्थवाद नहीं बल्कि परार्थवाद ही मानव की रक्षा कर सकता है। अनुवादक है श्री वृष्णादत्त भट्ट।

मूल्य २-५०

## ५—निश्चशांति क्या सम्भव है ? -कैथलिन लासडेल

विषय नाम से स्पष्ट है। विश्वशांति की समावना पर लेखिका ने गभीर विचार प्रस्तुत किया है।

मूल्य १-२५

इनके अलावा विश्व-शांति विषयक नीचे लिखी कितनी भी उपलब्ध है —

- ६—अहिंसात्मक प्रतिरोध -जेरिल ई० दिनशॉ मूल्य ०-५० न पै  
 ७—अणुयुग और हम -दिलीप मूल्य ०-५० न पै  
 ८—हमारे युग का भस्मासुर : अणुबम -सुभद्रा गांधी। मूल्य ०-५० न पै  
 ९—पारमाण्विक विभीषिका -विक्रमादित्य सिंह। मूल्य ०-५० न पै  
 १०—चम्पल के ब्रेहडों में : वागियों का आम-समर्पण -श्री वृष्णादत्त भट्ट मूल्य १-५० न पै

बड़े मूची पत्र के लिए लिखिय।

अखिल भारत सर्व-सेवा संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

# नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ ,, जुगताराम दवे
- ३ ,, काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ श्रीमती मार्जरी साइक्स
- ५ श्री मनमोहन चौधरी
- ६ ,, क्षितिशराय चौधरी
- ७ ,, राधाकृष्ण मेनन
- ८ ,, राधाकृष्ण
- ९ ,, राममूर्ति

⊙

## सूचनाएं

- 'नयी तालीम' का वर्ष अग्रस्त से आरंभ होना है ।
- किता भी मास से ग्राहक बन सकते हैं ।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सन्दा का उल्लेख अवश्य करें ।
- चन्दा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें ।
- नयी तालीम का पता—

नयी तालीम  
सर्व-सेवा संघ राजघाट  
वाराणसी-१

●

## अनुक्रम

पृष्ठ

इस लड़ाई में हमारा स्टेक'	१३७	श्री राममूर्ति
श्री धीरेन्द्रभाई से दो प्रश्न	१३६	—
नयी तालीम का हार्द	१४५	श्री शंकरराव देव
बुनियादी शिक्षा और ग्राम सेवा	१३६	श्री मनमोहन चौधरी
अच्छी नीयत के साथ सही दिकमत चाहिए	१५५	श्री राममूर्ति
सामुदाय की समस्याएँ और हमारी कार्य पद्धति	१४६	—
कार्यकर्ता-डायरी से	१६४	—
ग्रामभारती ग्रामशाला	१६५	श्री विजयबहादुर भाई
शांति-सप्ताह और तालीम	१६८	—
प्रबन्ध-समिति के प्रस्ताव	१७३	—

⊙

था, राष्ट्रीयता थी लेकिन राष्ट्रवाद नहीं था। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुरक्षा और स्वतंत्रता का छद्म-वेप घना कर देश के जीवन में इन क्रान्तिविरोधी प्रवृत्तियों का प्रवेश हो रहा है। यह 'साम्यवादी' चीन की देन है!

सैनिकवाद, पूँजीवाद और राष्ट्रवाद का संमिलित नाम है फ़ासिस्टवाद। चीन का साम्यवाद फ़ासिस्टवाद का ही एक नया संस्करण है। प्रश्न है: क्या हम चीनी आक्रमण से मुक्त होकर दूसरी विशाओं में चीन का सूक्ष्म अनुकरण करेंगे? यह ठीक है कि चीनी आक्रमण से हमें जो धक्का लगा है उससे प्रभावित होकर हमारी निगाहें राष्ट्रीय जीवन की कमजोरियों की ओर जा रही हैं और जानी भी चाहियं और उन्हें दूर करने की भरपूर कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हम सारी जिम्मेदारी लोकतंत्र के मध्ये न मढ़ दें तथा प्रगतिशील नेतृत्व और तत्वों में आस्था रखें। ऐसा करना घातक होगा।

हमें सुरक्षा चाहिए लेकिन सैनिकवाद नहीं, उत्पादन चाहिए लेकिन पूँजीवाद नहीं, देश-प्रेम चाहिए लेकिन राष्ट्रवाद नहीं। लोग कहते हैं कि बंदूक की लड़ाई लड़नी है तो जीवन के मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ेगा। यों तो कोई भी संघर्ष हो उसमें 'मूल्यों' के साथ कुछ न कुछ समझौता करना ही पड़ता है लेकिन, आखिर, समझौते की कोई हद तो होगी! हमारा विश्वास है कि इस संकट में भी हमारे लिए यह अनिवार्य नहीं है कि हम समझौते को एक सीमा से आगे जाने दें।

नागरिक-शक्ति फ़ासिस्टवाद का बचाव (antidote) है। नागरिक शक्ति हमारे लिए एक उदात्त मूल्य ही नहीं है, बल्कि युद्ध के कारण पैदा हुई परिस्थिति में देश की आवश्यकता भी है। सुरक्षा के लिए केवल सैनिक काफी नहीं है, उत्पादन के लिए केवल कारखाने काफी नहीं हैं। ऐसी हालत में सुरक्षा और उत्पादन, दोनों क्षेत्रों में नागरिक शक्ति को प्रकट करना एक साथ युद्ध (और भावी विकास) की आवश्यकता माननी चाहिए। इसका यह अर्थ है कि हमारा हर गाँव और शहर का हर मुहल्ला 'मोर्चा' बनें, यानी अपनी संगठित शक्ति से अपनी रक्षा करे और अपनी श्रम-शक्ति से अपने लिए उत्पादन और निर्माण करे।

इस वक्त जनता में जो जोश पैदा हुआ है उसमें होश लाने का और उसे लोकशक्ति की दिशा में क्रान्तिकारी मोड़ देने का यह मुनहला अवसर है। अगर हमने यह नहीं किया और हम ग्राफिल रहे तो हमें भय है कि हम प्रतिक्रांति के फंदे में फँसेंगे।

हमारी लड़ाई भारत की ही नहीं, मनुष्य मात्र की आजादी की लड़ाई है—केवल भूमि की नहीं, विचार की भी। हर एक को अपनी भूमि, हर एक का अपना विचार, यह हमारा क्रान्ति की बुनियाद है। इस लड़ाई में हमारी क्रान्ति हमारा सबसे बड़ा 'स्टेक' है।

—राममूर्ति





## श्री धीरेन्द्र भाई से दो प्रश्न

प्रश्न—१ आपने अपने लेख में कहा है कि 'प्रामभारती' भूदान-यज्ञ आन्दोलन का अगला कदम नहीं है, बल्कि 'कन्सालिडेशन' की प्रक्रिया है, सारे रचनात्मक कार्यों को नयी तालीम में विलीन करने का क्रम है। इस विचार के सम्बन्ध में मेरी निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं—

आप कहते हैं कि प्रतिक्रांति को रोकने के लिए 'कन्सालिडेशन' जरूरी है। यह सही है लेकिन क्रांति के लिए 'काक्वेस्ट' का उससे अधिक और पहिले स्थान है। सर्वोदय ने गांधीजी के बाद क्या विजय प्राप्त की है सिवाय इसक कि भूदान-यज्ञ आंदोलन के कारण सर्वोदय का जीवन दर्शन स्पष्ट हुआ है और समाज परिवर्तन के कुल कौतुक प्रकट हुए हैं ? दूसरा और क्या हो सका है ? यह स्पष्ट है कि सर्वाय विचार के कोई मुख्य तत्व अभी तक देश को मान्य नहीं हुए हैं। लोकनीति, स्वावलम्बन की अर्थनीति, उत्पादन-केन्द्रित शिक्षा, अथवा विस्मर्न द्वारा सामाजिक क्रांति या शासन-मुक्ति इनमें से कौन सा तत्व जनता ने मान्य किया है ? जनता की आवश्यकता या आकांक्षा, दोनों में से एक भी इन तत्वों के साथ नहीं जुड़ पायी है। जनता में प्रचलित व्यवस्था से जो व्यापक 'डिजगस्ट' है उसे सर्वोदय में आस्था मान लेना ठीक नहीं होगा। 'डिजगस्ट' विधायक नहीं होती और उसमें से कभी क्रान्ति की शक्ति नहीं निकलती। क्रान्ति के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं—(१) बुनियादी विचार में जनता का आस्था, (२) विचार द्वारा पैदा की गयी भावस्थ के प्रति आस्था, (३) विचार की 'ह्यूमन लीडरशिप' में विश्वास। इनमें से सर्वाय को एक भी प्राप्त नहीं है। विनोबाजी के लिए जनता के मन में आदर तो है, लेकिन विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में कन्सालिडेशन की बात ऐतिहासिक क्रम और भूदान

यज्ञ आन्दोलन की भूमिका में सही नहीं मादम होती। यह मान लिया जा सकता है कि रचनात्मक कार्य की नयी पद्धति का यह एक साहसपूर्ण प्रयोग है। लेकिन जनतक कि क्रांति के बुनियादी मूल्य मान्य नहीं हो जाते तब तक सामान्य समाज में उनके आधार पर कोई प्रयोग सफल नहीं हो सकता। आज की परिस्थिति में कन्सालिडेशन के लिए 'राष्ट्रीय प्रयत्न' (नेशनल एफर्ट) या प्रचलित परिस्थिति से निकलने का व्यापक आकांक्षा (यानी विद्रोह भावना) होनी चाहिए। हमारा आन्दोलन अभी 'कौतुक-चरण' (मिरैकल स्टेज) में है। इसलिए अभी हमारी मुख्य शक्ति 'काक्वेस्ट' में लगनी चाहिए, नहीं तो मुझे भय है कि हमारे सारे कार्य नयी तालीम में न विलीन होकर 'वैल्फेयर स्टेट' में विलीन हो जायेंगे। मुझे लगता है कि जब देश में ऐसा स्थिति आ जाय कि सरकार और गैर-सरकारी प्रयत्न एक होकर राष्ट्रीय प्रयत्न बन जाय तब 'प्रामभारता' का स्टेज आयेगा। आज सर्वाय अपने मूल रूप में सरकारी प्रयत्न से बिल्कुल भिन्न है, उसमें सरकार को प्रभावित करने की शक्ति नहीं है और नेशनल एफर्ट जैसी चीज तो है ही नहीं।

उत्तर—१ प्रतिक्रांति को रोकने के लिए काक्वेस्ट का स्थान कन्सालिडेशन से अधिक और पहला है, यह विचार क्रांति की पुराना धारणा के अनुसार ठीक है, क्योंकि पहले क्रांति की बात हमेशा हिंसक-क्रांति के संदर्भ में हा सोची जाता था। हिंसक क्रांति में अवतक ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस प्रक्रिया के प्राय अब तक की सभी क्रान्तियाँ प्रतिक्रांति का शिकार बनी हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि काक्वेस्ट की प्रक्रिया के दरम्यान प्रतिक्रांतिकारी शक्तियाँ समाज में अपना कन्सालिडेशन करती रहती हैं और प्रतिक्रांति के बाद क्रांतिकारी जब कन्सालिडेशन का काम शुरू करता

है, उस समय उसे पूर्व संगठित प्रतिक्रातिकारी शक्ति का कठिन मुकाबला करना पड़ता है।

यही कारण है कि गांधीजी ने "काक्वेस्ट" के बाद 'कन्सालिडेशन' के स्थान पर 'कन्सालिडेशन' के बाद 'काक्वेस्ट', फिर आगे "कन्सालिडेशन और काक्वेस्ट", इस प्रकार आरोहण की प्रक्रिया को अपनी क्राति का टेकनिक माना है। आप कहेंगे कि मैं जिसे कन्सालिडेशन कहता हूँ उसे कन्सालिडेशन नहीं कहते हैं, बल्कि 'पूर्व तैयारी' कहा जाता है। कन्सालिडेशन का मतलब तो निष्पत्ति का कन्सालिडेशन है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पूर्व तैयारी का मतलब अभियान के लिए संगठन मजबूत करना है लेकिन पूर्व कन्सालिडेशन का मतलब अभियान की पूर्व तैयारी के साथ साथ समाज को बदल कर जिन तत्वों को कायम करना चाहते हैं, उसका वैचारिक तथा व्यावहारिक अधिष्ठान भी करना है। यही कारण है कि गांधीजी सत्याग्रह से पहले केवल सत्याग्रही शक्ति का संगठन करने को ही नहीं कहते थे बल्कि खादी ग्रामोद्योग अस्तित्वता निवारण आदि उन प्रवृत्तियों का संगठन करने के लिए भी कहते थे जिनकी स्थापना के लिए क्राति का अभियान था। आजादी के आंदोलन के दिनों में बारडोली के सत्याग्रह और इलाहाबाद के सत्याग्रह की बात आप को याद होगी। इलाहाबाद के सत्याग्रह की पूर्व तैयारी में अभियान की शक्तिका संगठन तो किया गया था लेकिन रचनात्मक कार्य द्वारा पूर्व कन्सालिडेशन का काम नहीं किया गया था। आपको मालूम है कि गांधीजी ने बारडोली के सत्याग्रह को इजाजत दी थी इलाहाबाद के सत्याग्रह को नहीं। उसके लिए काक्वेस्ट के पूर्व कन्सालिडेशन और बाद के कन्सालिडेशन का कार्यक्रम तय, एक ही था, ऐसा करने से अभियान के स्वरूपान्तरण प्रतिक्रातिकारी शक्तियों के लिए परिस्थिति पर कब्जा करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि काक्वेस्ट के अभियान के आगे पीछे रचनात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा कन्सालिडेशन की मोर्चाबन्दी चलती रहती है। यही कारण है कि ग्रामदान के बाद उसे कन्सालिडेट करके ग्राम स्वराज्य का अधिष्ठान करने के लिए मैं इनेशा ग्रामभारती-योजना पेश करता हूँ लेकिन साथ

ही समाज आज जहाँ है वहाँ से ग्रामदान तक पहुँचने की प्रक्रिया के रूप में जितने कार्यक्रमों को रखता हूँ उन सब को ग्रामभारती का कार्यक्रम ही कहता हूँ।

मैंने ऊपर आगे पाछे एसा शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपके प्रश्न में पहला कौन और बाद का कौन ऐसी बात कही गयी है। पहले के कार्यक्रम और बाद के कार्यक्रम की जो धारणा है उसे साफ करने की कोशिश की है। वस्तुतः गांधीजी की व्यूह रचना का वास्तविक स्वरूप यह है कि कोई आगे नहीं और कोई पीछे नहीं। उनके लिए काक्वेस्ट और कन्सालिडेशन साथ-साथ चलने की चीज़ है। सत्याग्रह के उफान के दिनों में भी वे रचनात्मक कार्यकर्ता को सत्याग्रह में शामिल होने की इजाजत नहीं देते थे। वे दोनों को साथ साथ चलाते थे। यह दूसरी बात है कि परिस्थिति के कारण कभी सत्याग्रह और कभी रचनात्मक कार्य लोगों को अधिक दिरंगाई देता था। ठीक उसी तरह सर्वोदय की क्राति के लिए भूदान ग्रामदान और ग्रामभारती का कार्यक्रम साथ-साथ चलनेवाला कार्यक्रम है। एक आगे बढ़ने का कार्यक्रम है और दूसरा क्राति को अधिष्ठित करने का कार्यक्रम है। ग्रामभारती जहाँ भूदान और ग्रामदान के लिए छुट भूमि बनायेगी, वहाँ वह भूदान और ग्रामदान को ग्रामस्वराज्य के लिए मजबूत बुनियाद पर अधिष्ठित भी करेगी।

आपने सर्वोदय की विजय प्राप्ति को दो अप्पाय में बाँटा है एक गांधीजी के समय की और दूसरी गांधीजी के बाद की। वस्तुतः भूदान यह जो अलग आंदोलन नहीं समझना चाहिए। गांधीजी ने जो कुछ किया उसी का यह कंटीन्यूएशन है। अतः सर्वोदय, की, निष्पत्ति पर, विचार, गांधीजी ने ले कर आज तक का करना चाहिए। वस्तुतः आगे-पीछे पाछे दोनों प्रकार के कन्सालिडेशन के लिए ग्रामभारती यानी समग्र नयी तालीम की आवश्यकता की बात गांधीजी ने सन् १९४४-४५ में ही देहा के सामने रखी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अग्रज जा रहे हैं, अब मुल्क में ग्रामस्वराज्य की स्थापना का काम करना है। वस्तुतः ग्राम स्वराज्य की स्थापना के लिए शोषण

मुक्ति आवश्यक है। उन्होंने उस समय किसी आन्दोलनात्मक अभियान की बात नहीं कही थी, बल्कि उसके लिए जन-मानस को कन्सा लिडेट करने की बात कही थी। इस काम के लिए उन्होंने समग्र प्रामेया का कार्यक्रम उपस्थित किया था और बाद को उसे समग्र नयी तालीम की सजा भी दी थी। वह मानते थे कि इस कार्यक्रम से कदम दर-कदम लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। समय-समय के प्रसंग पर वह आन्दोलन की भी बात जरूर करते थे, लेकिन उसे वह अलग नहीं मानते थे। मुलक उस विचार की दिशा में अभी तक कुछ विशेष नहीं कर सका है, यह दूसरी बात है। अगर आप माघाजी क बाद का निष्पत्ति क सदर्म में ही बात करना चाहते हैं और आपने देखने में भूदान आधेनन क कारण सर्वोदय का जीवन दर्शन स्पष्ट हुआ है तथा समाज-परिवर्तन के कुछ कौतुक प्रकट हुए हैं, तो फिलहाल हम इतनी हा मयांदा तरु चर्चा सामित रखें तो अच्छा होगा। वैसे जो आपने कहा है कि सनादय विचार के कोई मुख तत्व देस को मान्य नहीं हुए हैं, इस बात से क्रांति के आरोहण में कुछ निष्पत्ति नहीं हुई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्रांति-तत्व को देस ने मान्य कर लिया है, यह स्थिति क्रांति की सिद्धि की स्थिति होती है, न कि आगे बढ़ने की स्थिति। मान्य नहीं हुई है इसलिए क्रांति क कार्यक्रम की आज शकता है। अगर मान्य हा जाय ता फिर कल मान्यता के अनुसार निर्माण का काम रह जाता है। क्रांति का काम समाप्त हो जाता है। यह तो प्रत्यक्ष निष्पत्ति का बात हुई, लेकिन अहिंसक क्रांति का अजर प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। क्रमिक निष्पत्ति मान्यता में प्रत्यक्ष बदल से नहीं होती बल्कि पुरानी मान्यता के अनुसार प्रवृत्तियों में नयी मान्यता का रग चढ़ने लगता है, क्योंकि अहिंसक क्रांति का अजर सौम्य और सूक्ष्म होता है। अतएव जब हम क्रांति की निष्पत्ति की समीक्षा करते हैं तो हमें प्रचलित व्यवस्था में दृष्टिकोण के सूक्ष्म परिवर्तन को भी बारीकी से विश्लेषण करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल आपकी कही हुई निष्पत्ति को ही ले लें।

वस्तुतः आपने जो दो बात कही है, वह सर्वोदय-क्रांति की बहुत उड़ी निष्पत्ति है। किसी भी क्रांति का प्रारंभिक मोर्चा विचारों के स्पष्टीकरण का ही होता है। साथ-साथ अगर समाज-परिवर्तन के कुछ कौतुक भी प्रकट हुए हैं तो समझना होगा कि जन मानस को आकर्षित करने के लिए हमें प्रारंभिक रिदु की प्रति हो गयी है। यह सही है कि आज जनता का आकर्षण सर्वोदय के प्रति जो है, वह विचार की आस्था के कारण नहीं, बल्कि प्रचलित व्यवस्था से असमाधान और असतोप के कारण है। यह भी सही है कि अस-तोप में से क्रांति की शक्ति नहीं निकल सकती है, लेकिन असतोप क्रांति का आवश्यकता-बोध पैदा करने के लिए बहुत उदा उपादान है। हर प्रकार की सृष्टि पाजिटिव और निगेटिव मिल कर हा होती है। प्रच-लित परिस्थिति से असतोप, क्रांति का निगेटिव पहलू है और वाहनीय व्यरथा का विचार, उसका पाजि-टिव पहलू है। जब तरु मनुष्य को प्रचलित व्यवस्था से समाधान है, तबतक वह उसमें से निकलने का बात सोच हा नहीं सकता है जब असमाधान होने लगता है और उसमें से निकलने की बात सोची जाता है, तमा विकल्प का मोत्र होती है। असमाधान तीव्र होकर असतोप का रूप लेता है और साथ-साथ निरुत्थ का पोज भी तावतर होती है। इन्ही तावता में से रचनात्मक द्रण पुरुष का जन्म हाता है, जो दुनिया क सामने पाजिटिव त्रिचार रखता है। वैसे कालप्रवाह के साथ-साथ विचार प्रवाह तो निरतर चलता हा रहता है, लेकिन क्रांति पुरुष उसे जन युग समस्या क साथ जोड़ देता है तमा आम जनता का आकर्षण उस आर जाता है और उसी में से क्रांति का जन्म होता है।

लेकिन असतोप और कौतुक-जनित क्रांति के प्रथम उफान की गति के साथ-साथ रुद्धि प्रस्त मनुष्य की जडता अदृश्य रेजिस्टेंस के रूप में अपना काम करती रहती है। यही कारण है कि क्रांति के प्रथम आलोडन के कुछ दिन बाद मनुष्य पुराना रुद्धियों में गिरफ्तार हो जाता है और क्रांति समाप्त हो गयी, ऐसा उसे दीखता है। क्रांतिकारों को अथवा परीक्षा ऐसे-

समय पर ही होती है। वह ऐसे समय में जनता को निरंतर निपेटिव परिस्थिति की ओर जगमग करने की कोशिश करेगा, पाजिटिव विचार को फैलाता रहेगा और विचार के अनुसार छिट फुट साकार प्रतिमा खड़ा करने के प्रयास में लगा रहेगा, इसी को मैं क्रांति का अज्ञातवास कहता हूँ। अज्ञातवास के काल में आम जनता को वह दिखायी नहीं देगी, लेकिन वह अपने काम से जन मानस को प्रभावित करती रहेगी और तब तक करती रहेगी जबतक कि व्यापक आगोहन के लिए उसे किसी प्रसंग का छोर नहीं मिलता है। क्रांतिकारी की सफलता इसी बात पर है कि वह जन मानस को समझकर ठीक समय पर उपयोगी कदम उठा ले। इस प्रकार कन्सालिडेशन की प्रक्रिया तो तो निरंतर चलती रहेगी लेकिन उपयुक्त प्रसंग में समय-समय पर प्रत्यक्ष काक्वेस्ट की छलांग भी लगती रहेगी। अहिंसक क्रांति के आरोहण की प्रक्रिया इस तरह चलती रहती है।

आपने क्रांति के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं, ऐसा कहा है। लेकिन इन तीनों चीजों की प्राप्ति क्रांति की प्राथमिक चीज नहीं है। वस्तुतः यह क्रांति की प्रगति के काफी आगे की निष्पत्ति है, जिसके आधार पर उसकी गति काफी तेज हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा है विफल की खोज पर क्रांति विचार के प्रति आकर्षण होता है, फिर तत्काल प्रत्यक्ष रूप से विशेष कुछ नहीं दिखाई देने पर वह आकर्षण मुक्त होकर साधारण जनता को उदासीन बना देता है तथा विचारशील व्यक्तियों को न्यूट्रल पोजीशन पर पहुँचाता है। वह क्रांति विचार को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन परिस्थिति का तर्क उसे एकदम अस्वीकार भी करने नहीं देता। क्रमशः परिस्थिति तथा क्रांति का कार्यक्रम उसे स्वीकार की ओर मोड़ता रहता है। जिस समय स्वीकार तथा अवीरकार का बैलेंस स्वीकार की ओर कुछ छुनता है, ऐसे अवसर पर क्रांतिकारी नेतृत्व जनमानस को अपने विचार की ओर तेजी से हटका देने की कोशिश करता है और कोई प्रसंग उपस्थित होने पर उसे आन्दोलन का रूप दे देता है। इस प्रक्रिया की सफलता से नेतृत्व पर

विश्वास पैदा होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह विश्वास स्थायी हो।

मैंने कहा है कि जब कभी क्रांति विचार से जन मानस आलोडित होता है, तब उसे समाज के अन्तर्निहित रूढ़िगत विचारों के रेजिस्टेंस को झेलना पड़ता है। जिस समय आलोडन चलता है, उस समय यह रेजिस्टेंस दब सा जाता है, और जनता का विश्वास लीडरशिप पर होता है, लेकिन जैसे ही आलोडन ठीक पड़ता है, उस समय जनता दिलाई का कारण परिस्थिति में न देकर नेतृत्व की अस्मरता है, ऐसा मानने लगता है। फिर जब वही नेतृत्व अज्ञात-वास की ऊपर बतानी हुई विविध प्रक्रिया से क्रांति विचार को ऊपर उठाकर तथा योग्य प्रसंग के अवसर को इस्तेमाल कर अगली छलांग के लिए आगोहन का आवाहन करता है, तो फिर उसी पर विश्वास लौट आता है। गांधीजी को भी जीवन भर ऐसे ही चढ़ाव-उतार का सामना करना पड़ा था।

मैंने कहा है कि कन्सालिडेशन की बात हर आन्दोलन की भूमिका में बुनियादी आवश्यकता है। क्रांति के इतिहास में यह नयी तकनीक गांधीजीकी महत्वपूर्ण देन है। आपने देखा है कि गांधीजी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता-आन्दोलन की भूमिका में सन् १९२१ के शुरू में ही वैजवाड़ा प्रस्ताव में रचनात्मक काम द्वारा इस प्रक्रिया की बुनियादी डाली थी और अखिर तक इसे बुनियादी आवश्यकता के रूप में ही मानते तथा विकसित करते रहे हैं। क्रांति के इतिहास में यह प्रक्रिया इतनी नयी है कि राष्ट्रीय भारत ने इसको समझा ही नहीं। गांधीजी के सभी साथी इसे उनका पागलपन ही मानते थे। फलस्वरूप राष्ट्र ने इस कन्सालिडेशन के कार्यक्रम को अपनाया नहीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि काक्वेस्ट के बाद के कन्सालिडेशन का सारा प्रयास विफल हो रहा है और पूरा राष्ट्र नैराश्य की विशा में जा रहा है। भूदान-आन्दोलन के सदर्म में भी हम उसी चूक को दुहरा रहे हैं। आन्दोलन द्वारा आगे बढ़ने के साथ साथ समग्र नयी तालीम के कन्सालिडेशन की प्रक्रिया को अतक हमने नहीं अपनाया और आज भी नहीं अपना रहे हैं। पर

स्वरूप आन्दोलन के प्रथम आलोचन की सुस्ती होने के साथ-साथ हम एक प्रकार की शून्यता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप चाहे जितनी कान्फेस्ट में शक्ति लगाने की कोशिश करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि आप कान्फेस्ट के लिए कोई 'बैस' नहीं बना पाये हैं और न इस समय कोई बाह्य परिस्थिति है। यह बात मैंने आप लोगों को सन् १९५८ की जनवरी में ही कही थी। मैंने कहा था कि अब अज्ञातवास की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। साथ-साथ मैंने यह भी कहा था कि इस समय आन्दोलन के 'टेम्पो' को ऊपर उठाने का प्रयास शक्ति को खीण करनेवाला होगा। अभी भी मैं उसी को मानता हूँ। अगर क्रांति के सदर्भ में कन्सालिडेशन की दृष्टि से हम समग्र नयी तालीम का कार्यक्रम चलायें तो हमारे सारे कार्यक्रम को क्रान्ति के वाहन के रूप में अधिष्ठित किया जा सकेगा लेकिन अगर नयी तालीम को एक प्रवृत्ति मानकर कार्यक्रम का एक विभाग बना देंगे तो निःसन्देह नयी तालीम भी सारे कार्यक्रम के साथ वेलफेयर स्टेट में विलीन हो जायेगी। वही कारण था कि जब हिन्दुस्तानी तालीमी सच सर्व सेवा सच में विलीन हुआ था, तो सच के नेताओं द्वारा बार-बार माग होने पर भी विनोबाजी नयी तालीम समिति अलग से बनाना अस्वीकार ही करते रहे और आग्रहपूर्वक यही कहते रहे कि पूरा सर्व सेवा सच ही नयी तालीम समिति है। दुर्भाग्य से हमने विनोबाजी की बात को समझा नहीं।

आपका कहना सही है कि दुनिया के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के जीवन में अनेक बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि सरकारी और गैर-सरकारी प्रयत्न एक होकर राष्ट्रीय प्रयत्न बन जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ऐसी स्थिति में आमभारती का विचार प्राय ही हो। वर्ग-निराकरण का विचार मान्य न होते हुए भी राष्ट्रीय विकास के काम में सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयास एक हो सकता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्र का विकास होगा, क्रांति नहीं होगी। क्रांति तब होगी जब आमभारती की प्रक्रिया द्वारा क्रांति-विचार के अधिष्ठान का प्रयास होगा। निःसन्देह यह प्रयास मूल रूप में सरकारी

दिसम्बर, '६२ ]

प्रयास से विलकुल भिन्न होगा ही, उससे सहकार भले ही होता रहे। अतः इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आमभारती के कार्यक्रम को स्वतंत्र रूप से तथा स्वतंत्र लोक-शक्ति के आधार पर क्रांति की बुनियादी शक्ति के रूप में ही अधिष्ठित करना होगा। अगर हम इस उद्देश्य में असफल होते हैं तो वह नयी तालीम की असफलता नहीं होगी, बल्कि हमारी असफलता होगी और हमारे वाद दूसरे सफल होंगे।

प्रश्न—२. दूसरी बात आपने विद्रोह के बारे में कही है। बालिग मताधिकार के लोकतंत्र में धोमरहित विद्रोह-भावना की कल्पना की जा सकती है। डिजगस्ट जब 'पब्लिटिव' होता है तो डिवाइन्ड डिस्कण्टेण्ड होता है। असंतोष और अस्वीकृति (विल टु से 'नो') को मैं क्रांति के लिए आवश्यक मानता हूँ। हमारा देश मानव कल-कारणानों और 'वेलफेयर स्टेट' के अभी सामन्तवादी युग में है, इसलिए व्यापक विद्रोह-भावना के बिना युग-परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है। 'विद्रोह' के लिए उग्र असहयोग की प्रक्रियाएँ अनिवार्य नहीं हैं, परिस्थिति-विशेष में आवश्यक भले ही हों। मैं मानता हूँ कि विद्रोह-भावना के अभाव में आमभारती की प्रक्रिया या तो टिकाऊ नहीं होगी या विकास और शिक्षण के नाम में 'स्टेटसक्वो' (Status quo) को कायम रखने में मददगार होगी। आज के युग में क्रांति की प्रक्रिया शैक्षणिक ही होगी, यह सही है, लेकिन उसका व्यावहारिक स्वरूप आपकी आमभारती का होगा यह कहना ठीक नहीं लगता। आपकी प्रक्रिया दमन-मूलक सरकार और शोषण-मूलक बाजार की विघटनकारी शक्तियों को रोकने का वातावरण कैसे बना सकेगी ?

उत्तर—हा, अब आपने सही दिशा की ओर संकेत किया है। धोम-रहित विद्रोह-भावना अहिंसक क्रांति का उद्बोधन करती है, यह सही है। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि विद्रोह-भावना धोम-रहित न बन हो सकती है। व्यवस्था के प्रति जो विद्रोह-भावना निर्माण होती है, वहो धोम-रहित हो सकती है, और उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास सर्व-रहित हो सकता है, क्योंकि ऐसी हालत में विद्रोह व्यवस्था

के खिलाफ होगा, न कि शोषण और निर्दलन करने वाले के। विद्रोही को जब स्पष्ट रूप से यह बात समझ में आ जायेगी कि शोषण तथा निर्दलन करनेवाला भी दूषित व्यवस्था का शिकार है और वह मजबूर है, तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से क्रमण की भावना पैदा होगी, न कि विद्रोह की। शोषण करनेवाला भी महसूस करेगा कि इस अनर्थपूर्ण व्यवस्था को बदलने पर ही मुक्त और शांति मिल सकती है, लेकिन अगर विद्रोह-भावना शोषण और निर्दलन की प्रतिक्रिया जनित होगी तो वह क्षोभ-रहित हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उस हालत में प्रतिक्रिया शोषण करनेवालों के प्रति ही होगी। फलस्वरूप विद्रोह-भावना विद्रोह-युक्त बन जाती है, अर्थात् वह क्षोभपूर्ण हो जाती है। इस भावना की अभिव्यक्ति अहिंसक 'क्रांति' में न हो कर अहिंसक 'विप्लव' में होगी।

अब प्रश्न यह है कि विद्रोह-भावना को क्षोभरहित होने में जनता की जिस वैचारिक संदर्भ की आवश्यकता है, उसे कैसे पैदा किया जाय? सघर्ष-मूलक विप्लव की टेक्निक आसान और सीधी है। शोषण तथा निर्दलन-कार्य की प्रतिक्रिया के रूप में जो दबा हुआ विद्रोह मौजूद रहता है, उसी को आन्दोलनात्मक नारों से उभाड़ देना काफी होता है, लेकिन सघर्ष-रहित अहिंसक क्रांति की टेक्निक उतनी सरल नहीं। उसके लिए मुक्त विद्रोह को गिटारक या कम-से-कम उसके उभाड़ को टाल कर वैचारिक भूमिका निर्माण करने की आवश्यकता है। निःसंदेह शैक्षणिक प्रक्रिया के अतिरिक्त दूसरी किसी भी प्रक्रिया से यह समभव नहीं है और आप भी इस बात को मानते हैं। उसका व्यावहारिक स्वरूप विचार-प्रचार, विचार-शिक्षण तथा विचार का संगठन है। प्रामभारती में ये तीनों प्रक्रियाएँ आ जाती हैं। तीनों प्रक्रियाएँ जब ठोस भूमिका पर तथा निश्चित क्रमबद्ध रूप से संगठित की जाती हैं, तब उसे हम प्रामभारती की सलाह देते हैं और कहते हैं कि यह आन्दोलन के कन्सालिडेशन का पहलू है तथा जब हम इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं को भूदान प्रामदान आदि कार्यक्रम द्वारा व्यापक रूप से चलाते हैं तब उसे हम क्रांति का आन्दोलनात्मक

पहलू कहते हैं। यद्यपि यह प्रक्रिया भी समग्र नयी तालीम यानी प्रामभारती की ही प्रक्रिया है। केवल समझने के लिए हम दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अहिंसक क्रांति में कांक्वेस्ट और कन्सालिडेशन भी दो चीज नहीं होती है। केवल समझने के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वह क्रांति एक दूसरे के समवाय में चलती है अर्थात् दोनों अन्योन्याश्रित हैं।

आपने अपने प्रश्न में लोकतंत्र की बात कही है। आपने यह कहा है कि वालिग-मताधिकार के लोकतंत्र में क्षोभरहित विद्रोह-भावना की कल्पना की जा सकती है। लेकिन साथ-साथ यह भी सही कहा है कि यह देश अभी सामतवादी युग में है।

केवल वालिग-मताधिकार होने से ही लोकतंत्र नहीं हो जाता है। राष्ट्र में लोकतांत्रिक चरित्र और मानस होना चाहिए, तभी विद्रोह भावना क्षोभ-रहित हो सकती है या नहीं, इसका विचार किया जा सकता है। आज भारत का सामाजिक चरित्र सामन्तवादी तथा जातिवादी तत्वों से भरपूर है। हजारों वर्षों की विपमता, शोषण तथा निर्दलन के कारण श्रेणीगत और जातियत विद्रोह-भावना पुँजीभूत हो गयी है। यह विद्रोह इतना गहरा है कि हम चाहे जितनी स्पष्टता के साथ व्यवस्था तथा प्रथा के विरोध में व्यापक विद्रोह-भावना का उद्बोधन करें, अन्तर्निहित पुँजीभूत विद्रोह के कारण वह भावना व्यवस्था के खिलाफ जाग्रत होने के बदले निश्चित रूप से अत्याचारी के खिलाफ ही जाग्रत होगी। यह एक वस्तुस्थिति है, जिस पर इस देश की अहिंसक क्रांतिकारियों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

इन्ग्लैण्ड, अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक मूलकों में जहाँ प्रगतिशील पुँजीवादी लोकतंत्र ने सैकड़ों वर्षों के लोकशिक्षण के फलस्वरूप जन-मानस तथा चरित्र में लोकतांत्रिक भावना काफ़ी हद तक विकसित की है वहाँ के अहिंसक क्रांति के विचारक शायद व्यापक आन्दोलनात्मक प्रक्रिया के सहारे क्षोभ रहित विद्रोही-भावना उद्बोधित करने की कल्पना कर सकते हैं।

[ शेष पृष्ठ १४८ पर ]

[ नयी तालीम

# नयी तालीम का हार्द

श्री शंकर राव देव

## गुरु-शिष्य की एकता

विचार व्यवहार से श्रेष्ठ है। साथ ही विचार व्यवहार निरपेक्ष भी है। फिर भी विचार आखिर आचार के कारण ही प्रतिष्ठित होता है। आचरण के प्रति जो विचार उपेक्षा बरतेगा वह प्रतिष्ठित नहीं होगा और उस विचार के आधार पर सामाजिक व्यवहार खड़ा नहीं हो सकेगा। वह कच्ची नींव जैसा है। उस पर पक्की इमारत कैसे खड़ी हो सकेगी? यह विचार भले काव्य हो सकता है, कल्पना हो सकता है, परन्तु जीवन की इमारत की नींव का काम नहीं दे सकता। इसलिए विचार की कसौटी ही यह है कि वह आचार में कहाँ तक सरा उतरता है। इसके विपरीत जो आचार शुद्ध विचार पर अधिष्ठित न हो वह भी हमें अपनी मजिल तक नहीं पहुँचा सकता है। आचार को शुद्ध विचार से संचालित और नियंत्रित होकर ही चलना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि विचार और आचार दोनों में मेल सधे, सामंजस्य बढे और दोनों परस्परबलवी व पोषक हों।

यह शिक्षण शास्त्र का प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक कुछ सिखाता है, शिष्याओं कुछ सीखता है। लेकिन आज शिक्षक को इस बात की चिन्ता नहीं है कि उसके विचारों का असर या प्रतिक्रिया शिष्याओं पर क्या हो रही है और शिष्याओं भी यह महसूस नहीं करता है कि इस सिखाने में खुद का भी कुछ हाथ हो सकता है। आज की शिक्षा-प्रदति एकमुहूर्ती है और इसी का परिणाम है कि आज का शिक्षण निस्तेज और उपद्रवकारी बनता जा रहा है।

शिक्षक का विचार यदि शिष्याओं के व्यवहार में परिणत नहीं होता है, शिक्षक के विचार और शिष्याओं

के व्यवहार में यदि मेल और समन्वय नहीं होता है तो वह दुर्गति बनी ही रहनेवाली है। इसलिए हमारा कहना यह है कि शिक्षक को शिष्याओं भी बनना चाहिए और शिष्याओं को शिक्षक भी बनना चाहिए। शिक्षक और शिष्याओं कोई भिन्न या विरोधी नहीं हैं। शिक्षक और शिष्याओं की अलग-अलग 'कैटेगरी' नहीं है। यह सत्य है कि शिक्षक शिष्याओं भी है और शिष्याओं शिक्षक भी है। इसका मान रखकर यदि शिक्षण का काम चलाया जाता है तो उस शिक्षण में से तेज उत्पन्न होगा। 'तेजस्विनावधी तमस्तु' यह उपनिषद्-वाक्य चरितार्थ होगा। गीता में शिक्षण प्रक्रिया को स्पष्ट करनेवाले दो शब्द हैं— एक है 'परिप्रश्नेन' दूसरा है—'बोधयतः परस्परम्'। यह परिप्रश्न और यह परस्पर का बोध गुरु शिष्यों की एकता से ही सिद्ध हो सकेगा, अन्यथा नहीं। इस ओर जाने के प्रयत्न का नाम ही नयी तालीम है। नयी तालीम से ही सर्वोदय—

आज देश में जितने भी रचनात्मक कार्य चलते हैं उन सबका लक्ष्य क्या है? एक शब्द में बहें तो यह कहना होगा कि सबका एक-मान लक्ष्य सर्वोदय है। सभी रचनात्मक कार्य अपने अपने ढंग से उस ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी हमारा निश्चित मत है कि नयी तालीम के बिना यह लक्ष्य सिद्ध होना संभव नहीं है। सारे रचानात्मक कार्य नयी तालीम के स्वरूप में चलें तो ही सर्वोदय का लक्ष्य सिद्ध हो सकेगा। नयी तालीम जिस मात्रा में कार्यान्वित होगी उसी मात्रा में वह लक्ष्य सिद्ध होनेवाला है और जिस मात्रा में नयी तालीम की कमी रहेगी उस मात्रा में हम लक्ष्य से दूर रहेंगे। इसलिए यह समझ लेना जरूरी है कि नयी तालीम क्या है।

नयी तालीम क्या है ?

हमने कहा कि हमारा लक्ष्य सर्वाध्य है। सर्वाध्य शब्द इतना स्पष्ट है कि उसकी अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज का उदय हो। साम्यवादी और समाजवादी आदि सभी यह बात मानते हैं। पर इसकी सिद्धि के लिए साधन के रूप में गांधीजी ने नयी तालीम की यह विशेष है। गांधी जी की यह एक अत्युत्तम मूल्य है। वे नयी तालीम को जीवन की तालीम कहते थे। अरुसर आज बुनियादी तालीम (बेसिक एज्युकेशन) का अर्थ किया जाता है कुछ मूल उद्योगों के लिए तालीम। इसे ही को रिनेशन या समाज भी कहते हैं।

गांधीजी ने इसे नाम से मरण तरु की तालीम बताया था। उन की कल्पना में यह तालीम जीवन भर अखण्ड चलनेवाली नदी-जैसा है। गांधीजी की कल्पना थी कि यह जीवन नदी बुनियादी तालीम के किनारों के बीच हो कर बहनेवाला है।

आज वैसिक शब्द बहुत चलता है क्योंकि यह विकास का युग है। सारे उद्योगों में वैसिक उद्योगों पर अधिक उल दिया जाता है। वैसिक उद्योग वे हैं जिनके आधार पर दूसरे उद्योग चरते हैं जैसे फौलाद, तेल आदि। जीवन की भी कुछ वैसिक (प्राथमिक) आवश्यकताएँ हैं। हम वैसिक एज्युकेशन (बुनियादी शिक्षण) की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि जीवन की उन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति इस बुनियादी शिक्षण से करना चाहते हैं। इस विचार को लेकर देश में काफी चर्चा हुई, समय चला यहा तक कि लोगों ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा मान लिया है, लेकिन नयी तालीम का अर्थ सामान्यतया यही किया जाता है कि यह शिक्षा कुछ मूल उद्योगों के द्वारा दी जाती है। परन्तु यह अर्थ पर्याप्त नहीं है। इसी विचार पर कुछ गहराई से सोचना चाहिए।

शरीर का पालन पोषण मनुष्य और अन्य प्राणिमात्र के लिए समान है।

आहार निद्रा भय मैथुन च  
समानमेतत् पशुभिर्नराणाम्।

जीवन जीने के लिए आहार, निद्रा आदि की आवश्यकता सबको है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य भी प्रयत्न करता है, और प्राणी भी करते हैं। लेकिन मनुष्य के प्रयत्न में और अन्य प्राणियों के प्रयत्न में एक बड़ा फर्क है। पशुओं का भूख मिटाने का अपना एक ढंग है। आज भी वही ढंग उन में चला है जो हजारों वर्ष पहले भी था। घेर बकरी को मारता है और अपनी भूख मिटाता है। बड़ा मछरी छोटी मछरी को निगलता है और अपनी भूख मिटाती है। चील कबूतर पर हाथपटा है और अपनी भूख मिटाता है। भूख मिटाने का इन सब का एक ही तरीका है। एक डर से भागता है, खुद को बचाना चाहता है और दूसरा उस पर आक्रमण करता है, अपना पेट भरना चाहता है। इसमें भ्रम भी है ही। प्राणी भी भ्रम के द्वारा ही अपना राहण प्राप्त करते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया छीनाछपटी की प्रक्रिया है। इसे जगती कानून कहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मानव-समाज में भी यही कानून आज तक चलता आया है और बहुत हद तक इसीलिए मानव-समाज की स्थिति जगली की सी हा है।

अब प्रश्न यह है कि अपना अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पशु और मनुष्य यदि एक ही प्रक्रिया काम में गये तो मनुष्य में और पशु में फरक क्या है। आज का मानव शिक्षित मानव कहलाता है। लेकिन मनुष्य को आज जो शिक्षण मिल रहा है वह सही मानने में शिक्षण नहीं है। वह यदि सही शिक्षण होता तो मानव-समाज में जगली कानून नहीं चलता होता क्योंकि शिक्षण का प्रमुख और पहला काम ही यह है कि मनुष्य को मनुष्य बनाया जाय, मनुष्य समाज में पशुओं के कानून से भिन्न कानून प्रचलित किया जाय। आज तरु के शिक्षण से यह नहीं हो पाया। यह काम यदि नयी तालीम से सिद्ध नहीं होता है तो नयी तालीम में और वर्तमान शिक्षा-व्यक्ति में कोई फरक नहीं होगा।



स्नेह और सहकार तालीम की कसौटी

मनुष्य और पशुमें फरक क्या है ? उपर्युक्त द्वाेरक के उत्तरार्थ में यह फरक बताया गया है ।

धमा हि तेया अधिको विद्येय  
धर्मेण हीना पशुभि समाना ।

मनुष्य को पशुओं से अलग करनेवाली चीज है धर्म । जा मनुष्य धर्म-हीन है वह पशु-समान है । अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का जगत् कानून से भिन्न कोई दूसरा तराका जब तक मनुष्य नहीं राज लेता है तब तक उसका अदर निहित पशुत्व से उसे मुक्ति मिलनेवाली नहीं है । महाभारत में दुर्याधन न कहा ।

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति  
जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति ।

दुर्याधन को दोनों रातों मादम हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है । फिर भी उसके सामने दिव्यत यह है कि धर्म को जानते हुए भी उस तरफ उसका प्रवृत्ति नहीं होती है और अधर्म का जानने हुए भी उससे वह निवृत्त नहीं हो पाता है । ऐसा स्थिति केवल दुर्याधन के सामने हा नहीं, मनुष्य-मान के सामने उपस्थित होता है । पशु के सामने धर्म-अधर्म की समस्या कभी उपस्थित नहीं होता । शेर बकरा को देगता है तुरन्त उस पर क्षरपटा है और ग्रा जाता है । पशु अपने स्वधर्म को सहज प्रेरणा से (इन्स्टिक्टवली) पहचान लेता है और उसपर अमल करता है । मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि मनुष्य जानता है कि उसका धर्म स्नेह और सहकार है । पशु को उसका स्वधर्म जितना सहज प्रेरणा से दाखता है उतना हा सहज प्रेरणा से मनुष्य को भा उसका स्वधर्म दाखता है । लेकिन दुर्याधन की तरह हरेक मनुष्य को उसके स्वधर्म पर अमल करने से उसके अदर जो पशुभाव का अवशेष अभी भी है रोखता है । इसी प्रकार मनुष्य जानता है कि स्नेह और सहकार का अभाव उसके लिए अधर्म है, लेकिन बड़ा पशुभाव यहा भी उस अधर्म से उसे निवृत्त होने नहीं देता । मनुष्य के अदर जो स्नेहभाव, सहकार-वृत्ति और सहयोग की भावना आज है वह उसके रक्त-सम्बन्धी स्वजनों तक ही सीमित

दिसम्बर, '६२ ]

है । पर मनुष्य म फेरल सहज प्रेरणा ( इन्स्टिक्ट ) ही नहीं है, बल्कि प्रशा ( इण्टेलिजेन्स ) भी है । और वह प्रशा कहती है कि मनुष्य को इस स्नेह, सहकार और सहयोग की भावना को व्यापक करना चाहिए और यहा मनुष्य का धर्म है । व्यापक करने की इस मूल को रथागा बनाना शिक्षण का पहला काम है ।

स्नेह और सहकार जीवन का बुनियादी आर श्यकता है यह हमने देखा । इन के अभाव जीवन का और भी कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं जिन्हें प्राथमिक आवश्यकता कहते हैं । व हैं अन्न, वस्त्र, आवास, रक्षा और शिक्षा ।

जैसे वैश्विक उद्योग पर अन्य सारे उद्योग गृहे होत हैं उसा प्रसार बुनियादी शिक्षा पर चानन रखा होना चाहिए, यही बुनियादी शिक्षा से अभिप्रेत है । अर्थात् बुनियादी तालीम से अपक्षा है कि उससे स्नेह और सहकार के त्रिए जीवन की अन्न वस्त्र आदि आवश्यकताओं का पूर्ति हो और वह पूर्ति होने की प्रक्रिया पक्षा हो तिससे स्नेह और सहकार-वृत्ति में वृद्धि भी हो । वन्त कुछ मूल उद्योगों द्वारा अन्य विषयों का ज्ञान करा देने से यह सिद्ध नहीं होता है ।

गांधीजी न कहा था कि समस्त वृक्ष कर कातो । शिक्षण म कातना एक मूल उद्योग माना गया है । समस्त-वृक्ष कर कातना का अर्थ केवल यह नहीं है कि कातने का या क्रिरी भा उद्योग की यात्रिक जानकारी प्राप्त का जाय, बल्कि यह समस्त लेना कि उद्योगों के द्वारा अन्न, वस्त्र आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ इस जीवन में स्नेह और सहकार-वृत्ति कैसे बडे । इन वृत्तियों को बढ़ाने की दिशा में उद्योगों को चलाना ही समस्तना-वृक्षना है और यही नया तालीम है ।

इसके साथ-साथ एक और बात और ध्यान देने योग्य है । 'वसुधैव कुटुम्बकम्'-यह भारतीय सस्कृति की निद्रा है । इसकी पहुच यहा तक है कि यह जो स्नेह और सहकार की भावना है वह मनुष्य-समाज या चर सृष्टि तक ही सीमित न हो, बल्कि सारी चर-अचर सृष्टि तक व्यापक हो । बुनियादी तालीम से स्नेह और

सहकारवृत्ति के व्यापक करने और उसके आधार पर समाज-जीवन प्रतिष्ठित करने का अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते समय न केवल अपने समाज के साथ, अपितु सारी सृष्टि के साथ स्नेह और सहकार बनाये रखने का भी ध्यान रखना होगा। शिक्षण-पद्धति ही ऐसी हो जिससे मनुष्य या प्राणिजगत् अपनी अन्न, वस्त्र आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अचर सृष्टि से विपुल साधन-सामग्री

लेता है तो उस अचर-सृष्टि के जीवन के लिए चर-सृष्टि को जो कुछ देना होगा वह उदारतापूर्वक देने की वृत्ति मनुष्य में बनी रहे। तभी सारी सृष्टि और मानव समान धरातल पर परस्पर भावयन्त जी सकेंगे तथा गांधीजी की कल्पना के अनुसार समाजकी शांतिपूर्ण स्थायी आर्थिक व्यवस्था (इकानमी आफ परमनेन्स एण्ड पीस) का सिद्धांत नयी तालीम से चरितार्थ होगा।



### [ पृष्ठ १४४ का शेषार्थ ]

गांधीजी के विचारों से उन देशों के जो लोग प्रभावित हैं, वे इस सर्दर्म में विचार भी करते हैं। इन्हें उधर से श्री हाउजर दम्पति हमारे यहाँ आये थे उन्होंने इस पद्धत पर काफी चर्चा की थी और उससे हमलोग काफी प्रभावित भी हुए थे, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि यद्यपि श्री हाउजर जैसे लोकतांत्रिक देश के नागरिक के लिए इस प्रकार का चिंतन बिल्कुल स्वाभाविक है लेकिन हमको इसे ग्रहण करने में काफी सहसाई से विचार करने की जरूरत है। मेरी अपनी मान्यता यह है कि श्री हाउजर के विचार से प्रभावित होकर सीधे आन्दोलनात्मक प्रक्रिया से व्यापक रूप से विद्रोह भावना से उद्बोधन और संगठन करने का कार्यक्रम उठा लेना हमारे लिए वस्तुस्थिति की अनभिज्ञता का परिचायक होगा। हमको तो सुव्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा ही क्रांति की भूमिका निर्माण करनी होगी। यह सही है कि क्रांतिकारी आन्दोलन के लिए व्यापक नारों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन इस देश की विशिष्ट

परिस्थिति में यह विद्रोह भावना का उद्बोधक न होकर कष्टना, स्नेह तथा प्रेम की भावना का ही प्रेरक होनी चाहिए। आज विनोबा वही कर रहे हैं।

तो हमारी क्रांति की टेक्निक चतुर्विध होगी —

१ वर्तमान दूषित व्यवस्था का विश्लेषण तथा विकल्प के रूप में वाछनीय व्यवस्था का व्यापक विचार प्रचार तथा विचार शिक्षण।

२ ग्रामभारती की प्रक्रिया द्वारा गहरे तथा सुव्यवस्थित शिक्षण से विद्वेष विरोधी तथा लोकतांत्रिक चरित्र निर्माण के साथ व्यवस्था और पद्धति से अछ तोप निर्माण का प्रयास।

३ स्नेह करुणा आदि भावनाओं का व्यापक उद्बोधन।

४ क्रमबद्ध ग्रामभारती के कार्यक्रम द्वारा वर्ग विद्वेष के निरसन का प्रयास तथा सहकारी भावना और कार्यक्रमों का संगठन।

वस्तुतः उपर्युक्त चारों कार्यक्रम ग्रामभारती की चहारदीवारी के अन्दर के कार्यक्रम हैं।



## बुनियादी शिक्षा और ग्रामसेवा

(खंड २)

श्री मनमोहन चौधरी

### ३ प्राप्ति प्रेरणा

हम सब समाज के शीघ्र परिवर्तन की कुर्जी की रोज में लगे हैं। मैं नहीं मानता कि कोई एक कुर्जी ऐसी होगी जो सभी द्वार खोल दे। समस्याएँ नाना प्रकार की हैं जिनका समाधान विभिन्न स्तरों में और विभिन्न सदस्यों में गंजना आवश्यक है। कई माचों पर किये गये कई प्रयोगों के परिणामों का सकलन अंतिम समाधान के निकट पहुँचाने का सफल साधन हो सकेगा। फिर भी कुछ समस्याएँ ऐसी हैं जो अत्यंत प्रसृत हैं और ऐसा लगता है कि उनका समाधान का विशेष प्रभाव दूसरी समस्याओं पर भी पड़ सकता है। ऐसी समस्याओं में एक-समाजविज्ञान के पण्डितों की भाषा में—प्राप्ति प्रेरणा (अचॉवमेंट मोटिवेशन) है। एक बार विनोबाजी ने इसका विश्लेषण निम्न शब्दों में किया था। मान लजिये मैं यहाँ नये बदन बैठा सदाँ में काँप रहा हूँ। मेरी चादर यहाँ से इतनी थोड़ी दूर पर है कि मैं उठूँ और दो फुट चढ़ूँ तो वह मिल सकती है और मैं पल-भर में आराम पा सकता हूँ, लेकिन अपनी लापरवाही के कारण मैं कापटा रह जाता हूँ। यदि कोई दूसरा मुझे वह चादर हाथ में पकड़ा दे तो मैं कृतज्ञ होता हूँ। लेकिन मैं स्वयं प्रयत्न करना नहीं चाहता। यह उदाहरण भारत के सभी मामलों की स्थिति का अच्छा परिचायक है। यहाँ हमारे प्रगति-पथ का सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। यहाँ के लोगों में कोई भी चीज़ प्राप्त करने की—उसका साधन चाहे जितना समीप क्यों न हो—इच्छा और अभिक्रम नहीं है।

जनशक्ति जागृत करने के प्रयत्न का हमारा जो आशय है, यह उसका एक हिस्सा है। इस शब्द को

दिसम्बर, '६२ ]

अत्यंत सकुचित आशय दे दिया गया है। हम ऐसा मान लेते हैं गोया सरकारी प्रयत्न और गैर सरकारी प्रयत्न एक दूसरे से गिल्कुल भिन्न हैं। इसमें उच्चतर प्रेरणा और कुछ मूल्यों का स्वीकार निहित है। लेकिन यह गिल्कुल स्पष्ट है कि जो न्यूनतम प्राप्ति प्रेरणा मान्य हो सकती है उसका सरकारी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में अभाव है। इस समस्या का अध्ययन करनेवाले मनो वैज्ञानिकों का कहना है कि बचपन का शिक्षण बहुत गहराई तक इस दिशा में प्रभावी डालता है कि मनुष्य प्रोत्साहित हागा या दबा रहेगा। बच्चे को आगे बढ़ने, प्रयोग करने और खतरों उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और उसी प्रकार पीछे हटने, मयभीत होने और सहारा खोजने और नये प्रयोगों के खतरों से बचकर पुरानी चीजों को ही मान कर चलने के लिए भी तैयार किया जा सकता है।

शिक्षा शास्त्रियों के सामने यह एक समस्या है। साधारण स्कूलों और बुनियादी शालाओं के शिक्षित बालकों में जो प्राप्ति प्रेरणा दीग्वती है उसका मूल्यांकन और तुलना की जाय और देखा जाय कि बुनियादी शालाक विद्यार्थियों में वह गुण अधिक मात्रा में है या नहीं, यह लाभदायी होगा। तब इस प्रेरणा को अधिकृत जगहों और विकसित करने की योग्य शिक्षण-पद्धतियों की खोज करना जरूरी होगा। भारत के शिक्षाशास्त्रियों के लिए यह सब से बड़ा काम है।

रूढ़िप्रसृत हिंदू समाज ने प्राप्ति प्रेरणा के सभी प्रकारों को व्यवस्थित रूप से खतम कर दिया। उसने अनभिज्ञत प्रतिबंधों के जरिये जो कि जीवन के सभी पदद्वारों में फैले हैं अपने को बनाये रखा है। उसमें एक प्रतिबंध बड़े भाई को छोटे भाई की स्त्री की तरफ

देरने या उससे बात करने तक से मना करनेवाला है तो एक समुद्र-याना को निषिद्ध करनेवाला है। इस प्रकार कट्टरपथीयन के कारण हमारा गुण विकास रुक गया है और हर प्रकार का अभिक्रम नष्ट हो गया है।

हमारे यहाँ परलोक सभ्यता दर्शन का काफी विकास और निस्तार हुआ है। डैनिलो डीलाई के शब्दों में परलोकवाद जड़ अर्थ-व्यवस्था की उपज है जहाँ एक निश्चित अवधि के अन्दर सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है। इसके विपरीत यह भी सही है कि एक गजब जीवन दर्शन से चिपके रह जाने के कारण ही भौतिक ससार में रोज और अन्वेषण करने की वृत्ति रतम हो गई जिससे तकनीकी प्रगति की ओर बढ़ना भी असंभव हो गया। कुछ भी हो, आज की समस्या यह है कि जनता को उन प्रतिबंधों से जो उन्हें सदियों से बरतार दबाते आये हैं कैसे मुक्त किया जाय। उसका सामना करने का एक अपरिहार्य मार्ग है बाल शिक्षण। लेकिन वह अकेला अपने आप में अपर्याप्त है और जबतक बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी सीधा प्रभावित करने का प्रयत्न नहीं किया जायगा तबतक उसे कई कड़े प्रतिरोधों का शिकार होता रहना पड़ेगा।

यह काम बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सफल बनानेवाले किसी एक कार्यक्रम की निश्चित लक्ष्य-सीमा देना कठिन है। हम यही कर सकेंगे कि अपने और दूसरों के पुराने अनुभवों का सूत पकड़ कर आगे प्रयोग करते जाय। हो सकता है कि हमें लोगों की धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं का जो उन्हें परलोक और मृतकाल से बाध रखती हैं, मुकाबिला करना पड़े, हो सकता है हमें आधुनिक विज्ञान और टेक्नालाजी की विशाल समावनाओं को उन के घर तक ले जाना पड़े ताकि उनकी कल्पनाशक्ति बढ़ सके, हो सकता है कि लोगों को छोटे-छोटे प्रयत्नों की ओर लगने के लिए प्रोत्साहित करना पड़े जिसकी सफलता के कारण कुछ प्राप्त करने की प्रेरणा की भूल उन में तेज हो। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सम्बन्ध गांव का सामना करने के बजाय अलग-अलग

व्यक्तियों से निपटना अधिक आसान और हितकर होगा। इस अर्थ में व्यक्ति-व्यक्ति से मिलने और उनके साथ चर्चा करने का भी धारण भाई का प्रथम निकुल टोक और लाभदायी दीगता है। इसी प्रसंग में मैं एक छोटा सा विचार प्रेरक अनुभव बता दूँ। उड़ीसा के एजेन्सी क्षेत्र में आदिवासियों के बीच काम करनेवाले कुछ ईसाई मिशनरी लोग हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि मिशनरी लोग काम करने गांव में जाते हैं तो उसके कुछ ही वर्षों के अन्दर उन आदिवासियों में बड़ी माना में एक आश्चर्य-जनक परिवर्तन स्पष्ट होकर लगत है। लोग पहले से अधिक निर्भीक बनते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, अन्ध ज्ञान में निश्चित प्रगति करते हैं और अपने वारे में अधिक ध्यान देने योग्य बनते हैं। ईसाई धर्म भी हिंदू धर्म की ही तरह कट्टर बना हुआ है और उसमें भी कई निषेध और प्रतिबन्ध हैं। इसीलिए ईसाई धर्म अपनाना इस युग में कोई बहुत महत्व की बात नहीं है, फिर भी मिशनरियों की सफलता का महत्व इस तथ्य में है कि वे आदिवासियों के मन को हिला सके, उनकी पुरानी रूढ़ियों से मुक्त कर सके। मन एक धार हिला दिया गया तो फिर भले ही वह नये किसी कट्टर धर्म शरीर को ही अपना तारक मान बैठे, परन्तु उसमें मामूली विश्वासों की सीमा से अधिक दूर तक अपना धृत्त बनाने की वृत्ति पैदा होती है। तिस पर चूकि ईसाई धर्म के स्वीकार से आदिवासी लोग आधुनिक ससार में दुबारा जन्म लेते हैं।

यह भी ध्यान देने जैसी बात है कि रचनात्मक कार्य लगभग उतने ही अरसे से और उसी जनता के बीच चलते हुए भी तुलनात्मक दृष्टि से वैसा कुछ परिवर्तन लाने में असफल रहा। इसके कारण रोजने होंगे। यहाँ मैं उसका कारण नहीं दूँगा। फिर भी मैं दिल कड़ा करके इतना तो अनुमान कर सकूँगा कि इस का एक कारण यह है कि हमने अपना काम अल्पकालिक परिणामों के लिए ही आरंभ किया था और इसीलिए लोगों के विश्वासों और रसानों को टूटाने की दिशा में प्रयत्न ही नहीं किया। कहीं कुछ प्रयत्न हुआ भी हो तो बहुत मर्यादा से हुआ।

[ नयी तालीम ]

सर्वादि दर्शन ने एक ओर आधुनिक संसार का निषेध किया और दूसरी ओर अपना नीय मूलांक में जमाया। इस कारण स भी परंपरागत विद्वानों और रक्षकों को डीला करन क पना मजबूत फरन के प्रयत्न का ही बच मिश्र ।

विचार और व्यावहारिक कदम का दूसरा मार्ग सत्याग्रह क विचार से निकलता है । सत्याग्रह आदो लन गाथा जा ने प्रारम्भ किया और जनता का अभि क्रम उन्मुक्त करन की दिशा म वह सफल रहा । उसकी गति हम काफा दूर तक ले आयी और आज भी एकदम रतम नहीं हो गयी है । यह महत्व की बात है कि सत्याग्रह आंदोलनों ने, यद्यपि उनका आधार अहिंसा और प्रेम है, फिर भी दुर्भावना और आक्रमणशीलता को भी काफा उत्तेजित कर दिया, जिसस जन साधारण क मनमें सत्याग्रह दुर्दम्य और दुर्बुद्धि प्रेरित दृष्टिमिता का पर्यायवाची बन गया । इसीलिए विनोबा जी ने सत्याग्रह सम्बन्धी गाथो ना न पहलुओं से अभावनात्मक करार देना पड़ा । अगर इस बात की गहराई से छान-बीन को जाय ता पहली नजर में वह जैसी दीप्तता है सचमुच उस तरह की नहीं है । यह भी एक तथ्य है कि स्वतंत्रता क मुक्त पश्चात् और अत तक भारत में अंग्रेजों के प्रति द्वेष या दुर्भावना सर्वथा एतम हो गयी है ।

यह वस्तुस्थिति आधुनिक मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों क साथ भला प्रकार सुसंगत है । मनोरोगों के उप चारों की यह खोज है कि जहा श्लेष, द्वेष आदि नकारात्मक भावनाओं को मिटा दिया जाता है और बाहर आने नहीं दिया जाता है तब उसके साथ और उसके बाद प्रेम, सहयोग, करुणा आदि भावात्मक भावनाएँ भी मिट जाती हैं । लम्बे समय तक इस प्रकार भावनाएँ दबायी जाय तो इससे मानसिक और शारीरिक शक्ति का ह्रास हो जाता है तथा अपने आसपास के वातावरण के प्रति रुचि नहीं रह जाती और जड़तापूर्ण निष्क्रियता आ जाती है ।

जब नकारात्मक ( निगेटिव ) भावनाओं को बाहर निकलने और खत्म होने दिया जाता है तभी

दिसम्बर, '६२ ]

विधायक ( पाजिटिव ) भावनाएँ ज्योंगा और बाहर आयेगा तथा व्यक्त क कामों को प्रभावित करेंगी । यह जा अचरुद्ध नकारात्मक भावनाओं के विरोधा का नाम है इससे व्यक्तियों म अपने आस पास क मामलों में रुचि लेने की शक्ति मजबूत होता है और उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति भी बनी रहती है ।

इसका अर्थ यह कि प्राति प्रेरणा के अभाव का कारण भावनात्मक भा है बचपन क शिक्षण और सांस्कृतिक सद्वर्ध म ता है हा । अंग्रेजों क प्रति हमारे मन में ना विराधा भाव था वह इस भावनात्मक उल्लेखन का हा एक अग था । प्रत्येक व्यक्ति का अपने परिवार के साथ जो संबंध है, सामाजिक संबंधों में उसकी जा श्रेणी है, उसकी जो आर्थिक अवस्था है इन सब म उसक ऊपर कई दबाव है । और इसी तरह और भा कई मामलों में उसका उल्लेख और प्रतिशोध का दायरा बहुत बड़ा है । सर्वादि-कार्यकर्ता के लिए यह अपने आप में एक समस्या है कि लोगों क मनमें जा भावनाएँ हैं उद किस तरह खोज जाय । सपर है कि इसक लिए कुछ हद तक सत्याग्रह का नकारात्मक कदम भी उठाना पड़ ।

आचार्य राममूर्ति ने इस तथ्य की ओर ध्यान खींचा है कि भूमि वितरण से जैसा अपयश थी उस माना में भूस्वामियों के प्रति लोगों क मन में सन् भावना निर्माण नहीं हा सका । उल्टे तो भूमिहान के उन क मनम दाताओं क प्रति दुर्भावना, द्वेष और गैरजिम्मेदारी का भावना हा बड़ा है । यह जो शोचनीय अनुभव प्रत्यक्ष है यह भा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से मिलता हुआ ही है ।

भूमिहानों को इतना दयाया गया था और उनकी सही भावना को व्यक्त होने नहीं दिया गया था कि ज्यों ही उन को भूमि का छोटा सा टुकड़ा मिश्र जाता है त्यों ही व अनुभव करने लगते हैं कि अब उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ गयी, वे अब पुराने उन मालिकों के अधीन नहीं रहे और अपनी भावना और इच्छा व्यक्त करने क लिए स्वतंत्र हुए हैं ।

[ १५१ ]

दासता के कारण जिसे एक शिष्टाचार के रूप में भूषित किया गया था, जो दुर्भावना और द्वेष दबे हुए थे वे अब उद्दण्डता के साथ प्रकट होने लगे हैं। ग्राम-सेवक के सामने यह एक समस्या है कि इस पहलू का शीघ्र से शीघ्र हल करने का सौम्यतर साधन ढूँढें। समभवतः वह हल यह हो सकता है कि ऐसे लोगों को ग्राम-सभाओं में बेलगाम अपनी भावना उगलने का मौका दिया जाय अथवा कार्यकर्ता स्वयं एक मनोवैज्ञानिक की भांति उन के सारे भावनात्मक विस्फोटों को अपने ऊपर झेले और जहर स्वयं पी लें।

इस प्रकार कार्यकर्ता का पहला काम यह होगा कि ग्रामीण जनता के अंदर छिपे हुए द्वेष और विरोधों को ऊपरी सतह पर लाया जाय और उन्हें बखला जाय ताकि सहकारवृत्ति, सद्भावना और तेजस्वी क्रियाशीलता प्रकट हो सके।

#### ४ अधिकारवाद की परंपरा

ग्राम-समाज में और भी कई असंतोष और विसंगतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। उनमें अधिकतर सामाजिक संगठन की अधिकारवादी व्यवस्था की उपज हैं। यह अधिकारवादी व्यवस्था समाज के सभी स्तरों पर छापी हुई है और उसकी जड़ परिवार-संस्था में ही निहित है। पिता घर के प्रमुख के नाते घर में सर्वोच्च माना जाता है और पत्नी या बच्चों को कोई आवाज उसके खिलाफ नहीं उठ सकती। बच्चों को माता-पिता की प्रत्येक बात चूँ किये बिना माननी होती है और उन के बारे में सब कुछ भा-व्य ही निर्णय करनेवाले होते हैं। विवाह निश्चित करते समय भी माता पिता ही निर्णय लेते हैं। लड़कियों से तो सलाह बिलकुल ही नहीं ली जाती, बल्कि अधिकतर लड़कों से भी नहीं ली जाती है।

सामंतवादी समाज का संगठन भी इसी नमूने पर हुआ था जहाँ गांव का नेता, क्षेत्र का मुखिया, राजा या महाराजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। हम ने सामंतवादी स्वामियों को उस उच्च स्थान से गिरा तो दिया, लेकिन उन्होंने जिस अधिकारवाद का नमूना, जो आदतें और जो मनोवृत्ति पैदा की थी, उन को

नहीं मिटा पाये। परिवार का अधिकारवादी स्वभाव अभी बदला नहीं है। बाल्य काल में जो स्वभाव बन जाता है उसका प्रभाव लंबे समय तक, व्यक्ति के प्रौढ़ जीवन में भी, उसके व्यवहारों को आकार देता रहता है। उसकी जिम्मेदारी की भावना और निर्णायक शक्ति अविकसित रह जाती है और वह हमेशा किसी न किसी बाहरी प्रमाण का सहारा रोजगार रहता है जिस पर वह निर्भर रह सके अर्थात् वह ऐसे किसी आदमी की तलाश में रहता है जो उसके पिता का स्थान ले सके और रास्ता दिखा सके। ऐसा व्यक्ति कोई राजनीतिक नेता हो सकता है, आस्थात्मक गुरु हो सकता है, या संगठन का कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है। उसका विवेक इतना आतंरिक बन जाता है कि वह जो कुछ करता है और जो नहीं भी करता है सब उसके माता पिता या बिनकी वह माता पिता के समान मानता है उन के निर्देश के अनुसार ही करता है या नहीं करता है। इसीलिए उसके कुछ करने या न करने के पीछे उसकी दलील यह रहती है कि मैं यह न करूँ, या यह करूँ तो अमुक नाखुश होंगे। इस प्रकार वह अपना समर्पण जहाँ किसी न किसी प्रमाणीभूत व्यक्ति के हाथों कर देता है वहाँ साथ ही वह बड़ा विद्रोही भी होता है और उसके कारण वह दुर्दमनीय बन जाता है। यह किसी भी मुताबक को अपने पर एक बोझ या दबाव का अनुभव करता है और उसे फँक देने की मनोवृत्ति उसकी बनी रहती है। अपने बचपन के दो चार साथियों के अभाव और किसी के साथ समानता की भूमिका में मिलने जुलने का उसे कुछ भी अनुभव नहीं रहता। पुराने समाज के अंदर उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रमाण की दृष्टि से या तो बड़ा होगा या छोटा। अपने बड़ों की आलोचना करने की उसमें क्षमता ही नहीं रहती विवाह इसके कि किसी संवेग के प्रभाव में वह ऐसा कर बैठे।

उसके व्यक्तित्व की यह गठन किसी भी परिवर्तन के प्रति उसे मीढ़ और सहायशील बना देती है और वह अपने अभ्यस्त जीवन क्रम से चिपके रहना या बहुमत को मान कर चलना पसंद करता है। विशिष्ट

[ नयीं शालीम ]

परिस्थितियों में वह अपने प्रमाणीभूत व्यक्ति या वस्तु को बदल सकता है, लेकिन वह हमेशा सुरक्षा की, निर्णित मूल्यों और व्यावहारिक पद्धतियों की पोज करेगा जिसका वह आसानी के साथ अनुसरण कर सके। अक्सर हम ऐसे कई व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं जो प्रत्यक्षतः आत्यंतिक रूप में व्यक्तिवादी होते हैं, अतिवादी होते हैं, और वे अपने साथ किसी को ग्रीच कर नहीं ले चल सकते, अपनी राह अकेले चलते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो किसी के हाथों अपना समर्पण कर देते हैं उनसे किसी मात्रा में ये कम पराजयनी नहीं हैं और उन लोगों की मनाबुद्धि की ही तरह वे भी बड़े फट्टर होते हैं। जिन्होंने एक बाहरी प्रमाण को अपनाने के बजाय अपनी ही एक फट्टर पद्धति कायम कर ली होती है जिसमें अपनी सुरक्षा महसूस करते हैं।

यह एक प्रतिदिन का दुःखद अनुभव है कि हमारे उत्कृष्ट कार्यकर्ता भी आपस में सहयोग करने में असमर्थ व्यक्ति में किसी ओर बढ़क जाने का वृत्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी एक नेता या गुरु के प्रति अकेले-अकेले अपनी निष्ठा रखता है, लेकिन उन लोगों के बीच कुछ भी आपसी नावा नहीं रहता। इसका साथ ही एक यह भी प्रयत्न करता है कि वह स्वयं बड़ा बने, गुरु बने और अपने हार्दिक कुछ अनुयायियों और शिष्यों को जुटावे या उसका इससे भी समाधान ही संभला है कि वह किसी संस्था का कार्यवाहक बने और अपने अधीन कुछ कार्यकर्ताओं को नौकरों के रूप में आदेश दिया करे।

अक्सर कार्यकर्ताओं की यह शिकायत रहती है कि गाँव के लोग उनकी सलाह मानते नहीं हैं। प्रारम्भ में वे लोग बड़े उत्साही थे, चाहते थे कि उनके गाँव में कोई केंद्र खुले, शायद उसके लिए कुछ भूमि, पैसा और छात्र-सामग्री भी दी। लेकिन आज वहाँ कार्यकर्ता है, वह लोगों से कुछ करने को कहता है, पर वे यत्नि नम्रता पूर्वक हों तो भर लेते हैं, पर उनके मुझावों पर अमल नहीं करते। हम भी अच्छे भले लोगों से शिकायत सुनते हैं कि इन दिनों हमारे समाज

दिसम्बर '६९ ]

में अनुशासन टूट रहा है। हर एक की अपनी-अपनी टफली बचने लगी है, कोई किसी को बात मानने या सुनने को तैयार ही नहीं है।

ये दोनों शिकायतें एक ही परिस्थिति के दो पहलू हैं। प्राचीन काल में कुछ प्रतिष्ठित जातियाँ और परिवार थे जिनकी बात गाँव भर में घेदवाक्य की तरह थी। व्यवहार के नियम भी ऐसे कहे थे कि उनका उल्लंघन करने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। अब बढ़ते हुए बाहरी वातावरण के परिणाम-स्वरूप वह फट्टर स्थिति टूट रही है। सर्वोदय-कार्यकर्ता भी आज वस्तुतः उसी पुरानी परिस्थिति को ही चालू करने के प्रयास में हैं कि लोग उस पुराने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व के स्थान पर इसकी बात को प्रमाण मानें।

लोग भी अपने ऊपर किसी न किसी का अधिकार रखने देने के आदी हो गये हैं और सर्वोदय-कार्यकर्ता को उस स्थान पर गिटाना चाहते हैं। तब कार्यकर्ता अपने को उस पुराने नेतृत्व के विरोध की सी स्थिति में पाता है। यदि वहाँ कोई विरोध या सघर्ष न भी हो, तब भी कार्यकर्ता उन लोगों की वह श्रद्धा अपने लिए प्राप्त करे जो वे लोग अपने परंपरागत प्रमाणभूत व्यक्तियों को देते आये थे, आसान नहीं है क्योंकि विद्रोह करके चलने की उनकी पुरानी आदतों का विश्लेषण परंपरागत ढंग से ही फौरन करे और उन की अभ्यस्त प्रणालियों से करे तभी उन्हें दूर किया जा सकता है। पर उन आदतों को नये परिवर्तनों से बड़ा भय लगता है।

कार्यकर्ता अपने अधिकारवाद का प्रमाण लोगों पर जमाने के लिए जो जो पद्धतियाँ अपनाते हैं वे भी विविध प्रकार की होती हैं। वे अपने कपड़ों का ढंग बदलेंगे, रताने-पीने की आदतें बदलेंगे, उपवास करेंगे और इस प्रकार अपने अपने ढंग की साधनाएँ करेंगे। इस प्रकार लोगों से ये अपेक्षाएँ रखते हैं कि लोग जादूगरों, साधुओं आदि के प्रति जो आदर रखते हैं वह इन्हें प्राप्त हो जाय। कुछ और कार्यकर्ता सरकारी सहायता की रकम अपने नियंत्रण में रख लेते हैं ताकि

[ १५३ ]

## अच्छी नीयत-के साथ सही हिकमत चाहिए

राममूर्ति

अगर हमारे देश में नागरिक शक्ति संगठित होती तो इस राष्ट्रीय संकट के समय जो कई काम सरकार की ओर से हो रहे हैं वे नागरिकों की ओर से होते। रुपया या सोना इकट्ठा करना रकनदान, जनता में प्रचार, सबक और पुल आदि की रक्षा तथा स्थानीय सुरक्षा-समितियों का संगठन आदि ऐसे काम हैं जो गैर-सरकारी शक्ति से हो सकते हैं और होना चाहिए। लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो पा रहा है। गांव और जिले के स्तर पर सरकार और गैर-सरकारी लोगों का केवल इतना मेल दिखाई देता है कि स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने सुरक्षा समितियों में कुछ 'प्रमुख' लोगों को नामजद कर दिया है। इन प्रमुख लोगों में ज्यादा लोग दासक-दास के हैं, कुछ विरोधी दलों के हैं और इन्ने गिने ऐसे भी हैं जो पण मुक्त नागरिक हैं। देहात में जो भी काम हो रहा है वह सब पचायतों के द्वारा। लेकिन हर जगह प्रेरणा और नेतृत्व सरकारी अधिकारियों का है, वे ही समितियों के उपमनितियों के अध्यक्ष या सयोजक हैं। इन समितियों का मुख्य काम इतना ही है कि वे ऊपर के आदेशों के पालन में या चर्चे आदि के लक्ष्यवादी की प्राप्ति में स्थानीय अधिकारियों को सहायता करें।

यह सही है कि नीनी आक्रमण के कारण देश में जो एकता और उत्साह पैदा हुआ है उसे छ्करा लग बहुत कुछ करने को तैयार है, और कर रहे हैं, लेकिन यह भी आसानी से समझा जा सकता है कि कुछ लोगों को अपन पीछ-पीछ चला कर सरकारी बधिचारी उस छोस, टिकाऊ, व्यापक नागरिक-शक्ति का संगठन नहीं कर सकते जिसका देश की शक्ति रक्षा, उत्पादन-बृद्धि और निर्माण के लिए आवश्यकता है। कुछ नागरिकों का 'सहयोग' और सब नागरिकों की संगठित शक्ति—दोनों में बहुत अंतर है। आज संगठित नागरिक-शक्ति के बिना न स्वतंत्रता की रक्षा संभव है, न लोकतंत्र का विकास संभव है, और न निर्माण संभव है। इसलिए

दिसम्बर, '६२ ]

जिस युद्धस्तर पर मैनिफेस्टो को विकसित किया जा रहा है उसी स्तर पर नागरिक-शक्ति को भी संगठित करने की कोशिश होनी चाहिए। हमारी दृष्टि में वास्तविक 'विविल डिफेंस' का अर्थ ही है नागरिक शक्ति का संगठन।

सही नीयत सही हिकमत को गारण्टी नहीं है। नीयत के सही होते हुए भी काम की हिकमत गलत हो सकती है, और दोनों सही हो फिर भी जरूरी हिम्मत के अभाव में काम विगड़ सकता है। इसलिए हमें सुरत यह सोचना चाहिए कि नागरिक शक्ति संगठित करने की दृष्टि से हमारे ढंग में कहीं कमी है और वह कैसे दूर हो सकती है। हम इन सबब में अपने अनुभव के आधार पर मुख्य रूप से नीचे लिखी बातों को और ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं —

(१) स्थानीय समितियों की जिस तरह रचना हुई है उसमें प्रचानता अकसरों की है और 'निना' उनके साथी हैं। जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है वह कहीं अपना स्थान नहीं देखती सिवाय इसके कि जब लोग उनके पास पहुँचें तो वह चंदा या खून दे दे। बात कुछ ऐसी है कि पिछले पंद्रह वर्षों में हमारे देश के नागरिक-जीवन का जिस तरह विकास हुआ है उसके कारण जनता की नजर में अफसर भय या दुराव तथा नता विरस्कार या अविश्वास का पात्र बन गया है। इस संकट की स्थिति के कारण यह भावना कुछ दब अखर गयी है, लेकिन बिलकुल दूर हो गयी हो एसा बात नहीं है। ये लोग जनता में उत्सर्ग की प्रेरणा नहीं भर सकते। समितियों को रचना में होना यह चाहिए कि अगर शहर को समिति बनानी है तो हर महल्ले या बाड के हर परिवारसे एक-एक बालिंग-वाड-समा' में इकट्ठा हो और य बालिंग एक राय हो कर—बुनाव म हो—तीन या पाँच ब्यक्तियों को 'वाड-समिति' बनाएँ जिसका एक सयोजक हो और बिभिन्न कामों के लिए वाड-समिति की उप



समितियों बनायी जायें, जिन के अलग-अलग सयोजक हों। इस तरह हर गाँव के सयोजकों को लेकर 'नगर-समिति' बने जो आवश्यकतानुसार अथ सरकारी और गैर सरकारी 'प्रमुख' व्यक्तियों को 'बो आउट' कर ले या उन में से कुछ को अपनी बैठकों में "स्थायी रूप से" आमंत्रित कर लिया करे। इस तरह बनी हुई "नगर-समिति" नागरिकों का विश्वास प्राप्त कर सकेगी और उन्हें त्याग और उत्सर्ग के लिए प्रेरित कर सकेगी और हर व्यक्ति यह महसूस करेगा कि देश की रक्षा और निर्माण में उसे केवल आदेश का पालन नहीं करना है बल्कि अपने अभिक्रम से निर्णय करना है, और अपने निर्णय के काम करना है।

इसी तरह ग्राम-समितियों की भी रचना होनी चाहिए—हर टोले के लिए अलग-अलग, और पूरे गाँव के समिलित। टोले के हर परिवार से एक बालिग को लेकर 'टोला-सभा' बनायी जाय जिम्मा एक सयोजक को। 'टोला सभा'—अगर गाँव छोटा हो तो सीधे ग्राम-सभा बन सकती है—इकट्ठा हो कर तीन या पाँच की 'टोला-समिति' बनाये जो अपने सयोजक के नेतृत्व में टोला-सभा के निर्णयों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी ले। टोले में रहनेवाले १६ से ४५ साल तक के सब पुरुष—जहाँ समब हो स्त्रियाँ भी—स्वेच्छा से अपना नाम देकर 'टोला सेना' बनायें और संगठित ढंग से काम करें। इस तरह हर "टोला-सभा" के सयोजक को लेकर और पचासत, को अपार्टेडिव और स्कूल के कुछ लोको को तथा अथ 'प्रमुख' लोगों को शामिल करके 'ग्राम-सभा' बन। यह ग्राम सभा लगभग ११ सदस्यों को 'ग्राम-समिति' बनाये जिसमें अन्य लोग भी रहें लेकिन टोला समितियों के सयोजक अवश्य रहें। हर टोला-सेना को मिलाकर 'ग्राम सेना' कहलाये। कई ऐसे गाँव भी हो सकते हैं जिनमें टोला-समितियों की जरूरत न हो, और एक साथ पूरे गाँव का संगठन काफी हो। मुख्य बात यह है कि बालिगों की आम सभा समय-समय पर मिले, और नीति तय करे जिसका कार्यान्वयन एक छोटी समिति के नेतृत्व में ग्राम-सेना के द्वारा हो। ऐसा करने से ही अधिक से अधिक बालिगों में अभिक्रम और निर्णय की शक्ति जगेगी जो लोक-राज्य की बुनियाद होगी। जरूरत इस

बात की है कि हर जगह इस सचट का मुकामिला करने के लिए नया, समन्वित, विश्वास-पात्र नेतृत्व पेश हो, वही, किसी प्रकार का हठ या विरोध न रहे। किंगी को पाटों, जाति, धर्म, क्षत्रियता या सत्ता के कारण न प्रमुखता मिले और न दुराय। हमें नये सिरे से कोशिश करनी है कि राष्ट्रीय जीवन में ऐसे अधिकारियों और नागरिकों का जिनमें दमनकारी, लगन और सेवा भावना तो है लेकिन कोई 'उपाधि' नहीं है, बर बड़े और के सामने आने की प्रोत्साहित हों। इसके लिए बने बनाये नेताओं, दलों और संस्थाओं से परे जाकर जनता-जनार्दन को संबोधित करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता अपने को उपेक्षित महसूस करेगी। उपेक्षा से लोग अयमनस्त हो जायेंगे, फिर मन में खटास आयगी और खटास से असहकार की वृत्ति पैदा होगी और आज जो रियाज दिखाई देता है उनका रथान अविश्वस और स्वार्थ से लेगा।

(२) छोटा किसान, मजदूर, हरिजन, आदिवासी तथा इसी तरह के दूसरे लोग जिन को सत्ता अपने देश में करोड़ों करोड़ है आज भी स्वतंत्रता की भूमिका में इस सचट का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। उनके जीवन में जो हो इतना सचट रहता है और हमेशा से रहा है कि क्या से बड़ा सचट भी उनके लिए नया नहीं रह गया है। इन लोगों में सक्रिय देश प्रेम जगाने का क्या उपाय है? इन्हीं के पास देश की श्रम शक्ति है, और अगर इनके मनमें सक्रिय देश प्रेम न हो तो परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। यही वह समुदाय है जिसमें 'मुक्ति-सेना' का जादू भी काम करता है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से इस विशाल जन-समुदाय को रोटी और इज्जत देने के प्रश्न को 'डिफेंस मेजर' मानना चाहिए। भूमि, धना, शिक्षा, मकान और स्वास्थ्य, ये इस समुदाय की आवश्यकताएँ हैं जिनकी पूर्ति के उपाय सरकार होने चाहिए। गाँव की पचासत, ग्राम-सभा और राजकीय यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए और निर्धारित अवधि के भीतर इसे पूरा करना चाहिए। अपने भीतर के अभाव को मिटा कर ही हम बाहर के अभाव का सकल प्रतिवार कर सकते हैं। यह भावना गाँव गाँव, गहर गहर में फैलनी चाहिए।

(३) युद्ध के लिए घन इकट्ठा करने में भी भूलें हो रही हैं। इन्कम टैक्स अफसर, सेल्स टैक्स अफसर या इक्वाइज इन्स्पेक्टर द्वारा चश बसूल करना मलत है। चश घमका कर चश बसूल करना या लक्ष्याक पूरा करने की उतावली में कुछ "बडी मछलियो" को पकड़ कर काम चला लेने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस काम में दबाव या भय का स्थान तो बिल्कुल है ही नहीं, और चंदे के लिए भी कुछ चुने हुए लोगों के पास नहीं पर-धर जाना चाहिए। देश के लिए त्याग करने के आनंद से कोई भी बचित क्यों रहे ?

चश बसूल करने के अभियान में नेतृत्व नागरिक का हो और सरकारी अधिकारी उसका सहयोगी हो, और अगर अधिकारी इस काम में आगे बढे तो वह नागरिकों के बीच नागरिक की हैसियत लेकर जाय, सरकारी रोब-दाब लेकर नहीं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो खूबी के साथ जनता का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन बाकी अपने गलत तरीकों से दुराय की नयी दीवालें खड़ी कर रहे हैं। चंदे की बान्हायदा रसीद दी जानी चाहिए और उसका हिसाब-किताब अधिकारियों के ही पास रहना चाहिए।

पचायतो की भी चश बसूल करने का काम सोचना ठीक नहीं है। बहुत कम गांव ऐसे हैं जिनमें पचायतें दलबंदी और शगड का कारण न बनी हो। ऐसे हालत में वे पूरे गांव का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकतीं और व्यापक लोक-शक्ति का माध्यम नहीं बन सकती। कोई भी तंत्र जो कानून और पार्टी की शक्ति पर मडा है यह काम नहीं कर सकता। इन कामों के लिए हमें निर्दलीय ग्राम-नामाओं और ग्राम-समितियों का ही सहारा लेना चाहिए।

(४) अब हम केवल कुछ चुने हुए लोगों की प्राय निरुत्साह देते हैं तो व बाद की किसी न किसी तरह हमारी देवसी और अपन पद या स्थान का अनुचित लाभ उठान की कोशिश करते हैं। ठीकदार या व्यापारी ज्यादा चश देकर मुनाफा-पैरी का तरकायें सोचते हैं। आज इस बात की बहुत चडी जरूरत है कि स्वार्थी अधिकारी, स्वार्थी व्यापारी और स्वार्थी नेता का गुट न बनन दिया जाय। अगर जगह जगह इस तरह के गुट बन गये— और अगर हमारा काम करने के डग में सुधार न हुआ तो दीप्र धन जायगे—तो निरिपत रूप से हमारा नागरिक मोर्चे में बढो चौडी दरार पडेगी जिसे बाद में भरना असमय नहीं तो अत्यन्त कठिन अवसर होगा।

दिसम्बर, '६२ ]

(५) बाजारों के लिए हर जगह बिजिलेन्स समितियाँ होने चाहिए। एक ओर तो नगर-समितिया और ग्राम-समितिया यह काम करें और दूसरी ओर अनाज, कपडा, दवा, नमक मिट्टी के तेल, सीमेन्ट और कागज आदि के व्यापारी अपनी ओर से भी समितिया बनायें जो मुनाफा-खोरी न होने दे। कई बार बाजार में गडबडी अधिकारियों के गलत निर्णय के कारण पैदा हो जाती है। ऐसा बातावरण बने कि किसी अधिकारी या व्यापारी को गलत काम करने का साहस न हो।

(६) हर ग्राम-समितिया नगर सैनिक अपने पडोस के दस या पंद्रह परिवारों की सेवा की जिम्मेदारी विशेष रूप से ले। उसका यह काम होगा कि वह इन परिवारों को आदवस्त रखे, देखे कि उनका बाजार में शोषण न हो उन पर कोई जोर-जुल्म न हो और वे बेकारी या बीमारी आदि के दिक्कार न होने पावें। गरीबों, कमजोरों, या जो आज तक उपेक्षित और तिरस्कृत हैं उनकी ओर अब तत्परता पूर्वक ध्यान जाना चाहिए।

(७) अगर सरकार और जनता को राष्ट्रीय सकट में एक साथ मिलकर चलना है तो आवश्यक है कि सरकारी कार्यालयों की सफाई हो—अष्टाचार से, टालमटोल से, प्रमाद और अनास्था से। इसके बिना राष्ट्र का चरित्र ऊपर नहीं उठेगा और चरित्र बिना शक्ति कदा से आयेगी ?

हमारा यह ख्याल है कि अगर इन बातों का ध्यान रखा जायगा तो सरकार की सुरक्षा सबधों जो भी योजनाए हागी व अच्छी तरह चलेंगी और सबसे बडी बात तो यह होगी कि शांति रक्षा, उत्पादन वृद्धि और निर्माण से मद्रघ रघनत्राल सरकार के कई काम जनता को सहकार शक्ति उठा लेगी और सरकार की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा के कामों के लिए बच जायगी। ऐकिन यह तब होगा जब सरकार यह सोचेगी कि नागरिक शक्ति का गठन एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, यह काम अधिकारी का आदेश या नता के उपदेश से नहीं हो सकता। इसी लिए यह आवश्यक है कि हर जगह कुछ जागस्क, निर्गुन निर्गुण और निर्गुन व्यक्ति निकले जो जनता और सरकार दोनों के मामल सर' रब शर्वे और जो दोनों के बीच 'पुल' बन सकें। यह सबट नया है, इसलिए इसका मुकविन्ग करन के तरीके भा नये होने चाहिए।

—राममूर्ति

# समुदाय की समस्याएं और हमारी कार्य-पद्धति

[ निर्माण कार्य में लगे कार्यकर्ताओं को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वही परिस्थिति सवार भर के सारे देशों की है। उस परिस्थिति के मुद्धार का उपाय लोचन-तन्त्रात्मक प्रक्रिया से रोजने की दिशा में विदेशों में भी नाना प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद मित्र कर रोजें, विचार और कार्य दोनों में समुदाय का सचि समिगित रूप से काम करे यह लोकतन्त्र का एक बुनियादी तत्व है। अनरीका के एक राग्य-पार्टी रिक्का-क कार्यकर्ताओं को इस प्रक्रिया के जा अनुभव आये हैं उनका एक अद्य जो मुनेरका न 'दि एप्रोच टु कम्युनिटी प्राब्लेम्स' के नाम से प्रकाशित किया है उसका अनुवाद यहा दिया जा रहा है। स० ]

## भाग १

### टोली-सगठक का काम

टोली-सगठक ऐसा व्यक्ति है जो कई समुदायों से जाकर मिलता है। लोगों के सामने वह कई प्रश्न रखता है। उसके प्रश्नों से लोगों को अपने बारे में तथा अपने समुदाय के सर्व-साधारण हितों के बारे में गहराई से सोचने में मदद मिलता है। और जब वह अधिक सक्रिय हो उठता है तब वह नेता का रूप नहीं लेता है, बल्कि चर्चा के प्रमुख वक्ता का रूप लेता है। वह लोगों को फिल्में दिखाता है, पर वह पेशेवर फिल्म प्रदर्शक नहीं होता है। लोगों के पढ़ने के लिए वह किताबें लाता है और समुदाय में बैठकर उन्हें पढ़ता भी है, पर वह लोगों का शिक्षक (टीचर) नहीं बनता। एक शिक्षा शास्त्री के नाते चार्जों की प्राप्ति से जितना वह अपने को सम्बद्ध महसूस करता है उतना ही उन तरीकों से भी जिनसे लोग चीजें प्राप्त करते हैं। सामाज्य समाज की सेवा के लिए जिसने अपन को तैयार किया है उस पेशेवर कार्यकर्ता की वैशानिक जानकारी का वह सम्मान तो करता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि एक इजीनियर कभी यह भूँस सकता है कि समुदाय के विकास के लिए किया गया उसके ज्ञान का उपयोग कुछ लोगों को केवल काम में लगा देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

वह टोली-सगठक अपना प्रशिक्षण समाप्त करके सेवाधेन में आते ही सब से पहला काम यह करेगा कि अपने धेन में जगह-जगह उत्साहा लोगों की सभाए करेगा ताकि लोग उसका काम से परिचित हो सकें। इसा तरह अपनी और अपने काम का जानकारी देने की दृष्टि से धेन के प्रतिनिधियों, पचायत या नगर पालिका के अधिकारियों से भी मिलगा और उप समुदाय को अच्छी तरह समझने में उन लोगों की सहायता भी मागेगा।

उस कार्यकर्ता के पास उस धेन का एक नक्शा होता है जिसमें वहा के प्र-अन अल्लोत, पर्यत, यह, स्कूल, चच आदि का निर्देश होता है, और उस नक्शे का उपयोग वह बराबर करता है

मुख्य सड़क छोड़ कर वह देहात के रास्ते की ओर मुड़ता है। धह वहा तक चला जाता है जहाँ नदा का रेताला किनारा आ जाता है और रास्ता खतम हो जाता है। वहा अपनी सवारी छोड़ कर पहाड़ी पगडण्डी पकड़ कर पैदल चल पड़ता है। सबसे पहले जो घर मिलता है वहा रुकता है, कुछ आराम करता है साम ही घरवालों से बातें करता है। बात चीत के दौरान में उन से कुछ मामूली बातें पूछ लेता है—जैसे, स्कूल के लिए बच्चों की कितनी दूर जाना पड़ता है, दूध कहा मिलता है, दवापाना कहा है,

[ नयी टाळीम

आदि। यह भी समझ लेता है कि गाव का चर्च कहा है, गाव का मुखिया कौन है, गाव में सभी पुरुषों को काम मिलता है या नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य की क्या हालत है, पानी कहां से लाया जाता है, आदि। इसी तरह की कई बातें हैं जिन के बारे में गाव के लोग खुल कर बात करते हैं। फिर उन से निदा लेने से पहले वह अपना तथा अपने काम का परिचय भी उन्हें देता है।

दिन-भर वह इसी तरह घूम घूम कर लोगों से मिलता है, बात-चीत करता है और उन की बातें सुनता है। गाव में जो मुखिया माने जाते हैं, उन के घर भी वह जाता है, लेकिन पहले नहीं। मिलने पर उन से भी वैसा ही ब्यवहार करता है जैसा निम्न स्तर के माने-जानेवाले लोगों के साथ करता है। ऐसा वह जानबूझ कर ही करता है। क्यों कि प्रशिक्षण के समय इस सभ्य में काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। वह गाव पहुँचते ही मुखिया के घर सीधे जाता है तो लोग यही समझेंगे कि वह उसी पद्धति से काम करने जा रहा है जो अभी प्रचलित है। लेकिन वह न वर्तमान पद्धति से काम करना चाहता है न उसके विषय चलना चाहता है। उस पद्धति को न व्यवहार पहुँचाना चाहता है न उसे दुर्बल बनाना चाहता है। जो कुछ करना है उसका पूरा अधिकार और जिम्मेदारी लोगों की अपनी है। वह जानता है कि उसे सोच समझ कर चलना है, क्यों कि उस का एक एक कदम और एक एक शब्द लोगों के बीच कानों-कान फैलनेवाला है। वह दूकानों में, रास्ते चलते, खुले मैदान में—जहाँ भी लोग मिलें उन से बात करता है। टोली-सघटक के लिए दूसरी जरूरी चीज यह है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि लोगों को यह कैसा दीख रहा है और लोगों में उसका प्रवेश किस प्रकार हो रहा है।

लोगों के साथ की इस पहली भेंट में वह इतनी ही अपेक्षा रखता है कि फिल्म किस जगह दिगयी जाय इस बारे में लोग उसे सुनाएँ। साथ ही वह उन को एक बात का सुझाव देता है कि कुछ पढ़ने या अध्ययन करने के लिए वे अपनी एक टोली बनाएँ। वह उन्हें कुछ शैक्षणिक पुस्तकें भी ला देता है।

पुस्तक-वितरण के लिए तथा पढ़ने के लिए स्वैच्छिक ( वॉलेंटियरो ) समिति

इस समस्या को हल करने के लिए कई यांत्रिक पद्धतियाँ थीं जिनमें से किसी को भी वह टोली-सगठक चुन सकता था। वह खुद घर घर जा कर किताबें बाँटने का प्रयत्न कर सकता था। किसी स्कूलमास्टर से कह सकता था कि वह अपने छात्रों में वे किताबें बाँट दे। या किसी दूकान में सारी किताबें रग कर जो भी ग्राहक आवे उसे एक एक किताब दिला सकता था। या किसी छिनेमाघर के बाहर लज्जा हो कर बाँट सकता था। लेकिन इनमें से किसी पद्धति से लोगों को यह अग्रसर नहीं मिलना कि इस समस्या को वे अपनी समस्या समझ सकते। साथ ही जब लोगों से मिलने वह उन के घर जाता था तब पुस्तक की एक प्रति उन्हें दिग्याता, उसमें क्या है यह समझता, उस के बारे में चर्चा करता और लोगों से साफ कहता कि वे जो भी मदद दें वह केवल उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि समूचे समुदाय के लिए होगी। इस पर उसे कई प्रकार के जवाब मिलते थे। एक भाई का कहना था कि वह बहुत गरीब है समाज में उसका कोई मान नहीं है, वह पढ़ा लिखा भी नहीं है, इस लिए वह समझ नहीं पाता है कि वह समुदाय की मदद कैसे कर सकता है। टोली-सगठक ने उससे पूछा कि—आप के अंदर अपने पड़ोसी की मदद करने की इच्छा है यह दिग्याने के लिए क्या पैसे या जमीन की जरूरत है? दूसरे एक सज्जन ने, जो उस गाव का मुखिया माना जाता था, उन पुस्तकों को खुद बाँटने की इच्छा प्रकट की। टोली सगठक ने उससे कहा कि—यदि आपका इस बात में विश्वास नहीं है कि दूसरे भी सेवा का अवसर पायें तो आप जरूर बाँटें। एक तीसरे व्यक्ति ने, जो काफी एस्टेट या गन्ना लेती का मालिक था, कहा कि पुस्तकें उसको पसंद आयें और उसको लगे कि इन से कुछ प्रकाश मिल सकता है तो वह अपने आदमियों से गटवा देगा। उस आदमी से टोली-सगठक ने कहा—चूँकि यह काम स्वैच्छा से करने का है, इस लिए मेरा विश्वास है कि मैं खुद लोगों से मिर्द तो ही ठीक रहे।

## गुठ मूलभूत सिद्धांत और पद्धतियाँ

संगठक जब अपने उस समाज के साथ घनिष्ठता से काम करने की स्थिति में पहुँचता है तब तक वह उस समुदाय को और उसके आस पास के वातावरण को फार्मी गहराई से समझ चुका होता है। उन के बीच वह जिस प्रक्रिया से काम कर रहा होता है उस के बारे में अपने दूसरे संगठक साथियों के साथ काफी विस्तार से चर्चा कर चुका होता है। विकास की इस स्थिति में उस के साथी कुछ काम शीघ्र ही हाथ में लेने के लिए जोर देंगे ता, यद्यपि उन की बात वह अनसुनी नहीं करता है, फिर भी समुदाय की मलाई के लिए कुछ न कुछ कर डालने की योजना बनाने के लज्जाल में वह पसता नहीं है। वह उन सब की बात सुनता है और उन को समझता है कि समुदाय के दूसरे लोगों के मन की बात समझना भी कितना आवश्यक है।

समुदाय के लोगों में कुछ लोग यदि किसी समस्या को सुलझाने के लिए आतुर हैं तो संगठक अपनी टोली के साथियों से निवेदन करता है कि वे देखें कि लोगों की वह माग किस हद तक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। समस्या यदि गभीर है, प्रायः वह गभीर ही रही है, तो वह कुछ प्रश्न लोगों के सामने प्रस्तुत करता है जिन से उस प्रमुख समस्या से संबंधित कुछ दूसरी समस्याएँ भी स्पष्ट सामने आ जायें जिन पर अब तक विचार नहीं हो पाया है। चर्चा में संगठक के नेतृत्व में लोगों को यह महसूस होने लगता है कि काम की सफल बनाने के लिए काम हाथ में लेने से पहले उस का अध्ययन करने और योजना बनाने के लिए भी कुछ समय देना आवश्यक है। इस पहली सभा में यदि कुछ सदस्य चाहें, अरुसर ऐसा होता ही है, कि एक उप समिति का चुनाव किया जाय जिसके अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि अधिकारी हों, तो टोली संगठक उन से यह छान-बीन करने की प्रार्थना करता है कि उस अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष का कार्य क्या होगा। जैसे उन को किस लिए नियुक्त करना चाहते हैं, क्या करेंगे, उन के अलावा दूसरे लोग क्या करेंगे,

बैठक के बाद की कार्यवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा-आदि। ऐसे प्रश्नों से टोली के सदस्य समझ जाते हैं कि वे उस घिसे पिटे तरीके से ही चलने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नतीजा यह होता है कि आगे का सारा भार किसी एक या दो व्यक्तियों पर डाल दिया जाता है और बाकी सब सदस्य हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम से घर लौट जाते हैं।

लोकतन्त्रात्मक पद्धति में हमेशा नजदीक का रास्ता योजना की उत्सुकता नहीं रहती है। कोई सरपंच से मिल लेना चाहता है, कोई दृष्टि विशेष से, तो कोई स्वास्थ्य अधिकारी से ही अपना काम निकाल लेना चाहता है। संगठक के पास वाहन-साधन है। उसका उपयोग क्यों न कर लिया जाय ! नहर का मामला है, किसी को राजधानी जाना है, तो जमीन मालिक को भेज दिया जाय क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि कैसे क्या होना चाहिए। रुपये की जरूरत है, देश में पैसेवाले लोग बहुत हैं, गांव के पड़े लिखे लोग अपने पहा की आवश्यकता और गरीबी के बारे में उन लोगों को एक पत्र लिख दें। या ऐसे लोगों का एक मण्डल गहरा जाय जो व्यापारियों से चंदा माग लाये और लबाब में 'ना' नहीं लाये। लेकिन इस प्रकार बाहरी सहायता प्राप्त करने से पहले अपने पास क्या-क्या साधन-स्रोत हैं इसकी गहराई से जाच पड़ताल करके उन साधनों का पूरा पूरा उपयोग कर लें यह आवश्यक है। इस में समय बहुत लगता है, लेकिन अधिक आत्म विश्वास और आत्म-समान का मार्ग यही है।

कुछ लोग काम शुरू करने के लिए इतने व्यग्र हो जाते हैं कि यदि कहीं मकान बनाना है तो घर से कुदाल उठाया और जहाँ प्लाट मिला हो वहाँ जा कर लगे गाँव छोड़ने। यह सोचा नहीं कि मकान के लिए लकड़ी कहाँ से आयगी और सिमेंट कैसे मिलेगा। संगठक का यह काम है कि जब तक आगे का रास्ता साफ न हो जाय तब तक काम शुरू न होने दे। चर्चा करने बैठें तो लोग समझ जायगे कि किसी काम के लिए आयोजन जितना आवश्यक है लोकतन्त्रात्मक पद्धति भी उतनी ही आवश्यक है और उसकी सफलता के लिए बार बार बैठकें आयोजित करना भी आवश्यक

है। चर्चा करते समय जो जाति और वर्ग का भेद मिट चुका होता है उसे काम के समय भी पनपने नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति पहले हमों से काम करने के अतिरिक्त अगर कोई सहयोग न दे सका हो, अब केवल वही शारीरिक भ्रम करनेवाला न रहे। नेता हुआ, प्रभाव-शाली व्यक्ति हुआ या शिक्षित जमींदार हुआ—कोई भी हो, यदि उसने ऊपर के किसी भी सिद्धांत को ग्रहण किया हो तो अपनी अधिकार संपन्नता के कारण निरीक्षक जैसा हल्का काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा पूर्वक कोई भी शारीरिक भ्रम करने को उसे तैयार रहना चाहिए जो उसके हिस्से में आये। विकास की यह प्रक्रिया यदि सफलतापूर्वक चलती है तो फिर पड़ोस का बड़ा जमींदार यह मान कर सतोप नहीं कर सकेगा कि विकास-योजना के लिए अपनी ओर से दो नौकर भेज कर उसने अपना दायित्व पूरा कर दिया। इस प्रकार सप्ताह भर की चर्चा के परिणाम-स्वरूप जो काम हाथ में लिया जाता है वह अपने आप में उस चर्चा का पूरक बन जाता है। लोग एक दूसरे के साथ मिल कर काम करने लगते हैं, खियाँ उनके लिए घर में रोटी बनाती हैं और बच्चे खेत पर खाना ले जाते हैं और इस प्रकार काम में सब अपना अपना हाथ बटाते हैं तो उस वातावरण में एक मित्रता की भावना बनती है और काम क प्रति गौरव अनुभव होने लगता है। और यह सब समाज को उन्नत सभार की ओर बढ़ने के प्रयत्न में एक दूसरे को अधिक घनिष्ठता के सूत्र में बांध देता है।

## भाग २

### समूह-चर्चा की प्रक्रिया का प्रशिक्षण

एक डिवीजन के क्षेत्रीय कार्यक्रम की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी हम तीन व्यक्तियों पर दी गयी थी। हम तीनों तीन अलग-अलग कार्य-क्षेत्र के लोग थे। एक समाज-सेवा का, एक कृषि का और एक शिक्षण-क्षेत्र का था। फिर भी हम तीनों ने आपस में कुछ भूलभूत बातों के बारे में चर्चित कर लिया और इससे विकास कार्य के प्रारम्भ के दिनों में हम तीनों का लक्ष्य बहुत कुछ समान हो सका।

हमारा उद्देश्य यह था कि प्रशिक्षण-कार्यक्रम इस ढंग से आयोजित किया जाय कि प्रत्यक्ष क्षेत्र के कार्य-कर्ताओं को समूह-चर्चा (ग्रुप डिस्कशन) करने की प्रक्रिया का अनुभव मिल जाय। निश्चित ही यह आसान नहीं था। प्रशिक्षणार्थियों की चार टोलियाँ बनायी गयीं। चारों टोलियों का जो प्रमुख बनता था वह केंद्रीय कार्यालय का भी कार्यकर्ता था। उस टोली-नायक से टोली के दूसरे सदस्य बार-बार यही आग्रह करते कि वह एक शिक्षक (टीचर) की तरह काम करे। सारे प्रशिक्षार्थी यही चाहते थे कि टोली-नायक बताये कि क्या सोचना है, वही उनको कुछ आदेश दे, बोलने की बारी लगाये और कुल मिला कर उसी तरह काम करे कि उन लोगों को विश्वास हो कि वही पुराना शिक्षक और छात्र का संबंध यथा भी है। टोली-नायक उनकी बात न मानता तो यह भी डर था कि कुछ सदस्य चर्चा छोड़ कर चले जाय, फिर भी टोली-नायक ने उस ढंग से काम लेने से साफ इनकार कर दिया और समा का अनुशासन रखने आदि का सारा भार वापस उन सदस्यों पर ही सौंप दिया। इस पद्धति को चलाने में टेपरिकार्डिंग एक अच्छा साधन सिद्ध हुआ। मुद्दह की चर्चा में जो कुछ बातचीत चलती थी वह सब टेप पर रिकार्ड कर लिया जाता था और बाद में फिर से वही बजाया जाता था। मुद्दह के हल्ले-गुल्ले की आवाज जब लोग अपने कान से सुनते तो उसका निश्चित और अच्छा प्रभाव पड़ता था। दूसरा साधन जो काम में लाया गया वह था अभिनय का। साफ कर देश में प्रचलित अन्याय्य जीवन-पद्धतियों पर विचार करते समय यह साधन बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। जो सदस्य जैसा अभिनय कर सकता हो वैसा कोई पार्ट चुन लेने के लिए हर एक से कहा जाता था। शुरू शुरू में लोग अपने-अपने पार्ट का अभिनय हृद से ज्यादा और खूब गंवारू ढंग से करते थे, फिर भी उन के इस मनमौजा आनंद ने उन्हें गंभीरता-पूर्वक सोचने योग्य बनाया और आगे चल कर प्रत्यक्ष-कार्य के समय आनेवाली कई समस्याओं को मुद्दाने में कंधे मिला कर चलने योग्य भी बनाया।

धारे धारे ये सब इस विंदु पर पहुँचे जहाँ पहुँच कर उन्होंने समझ लिया कि चर्चा में बोलने के समान सुनना भी सहयोग देने का अच्छा साधन है। किसी विशेष आशा के आगे खिंचा कर चलने के राजाय दूसरों की राय का आदर करने से अच्छी चर्चा का आरंभ होता है। तब उन्होंने यह भी महसूस किया कि वे न केवल अनुदासित सम्य सदस्य हैं, बल्कि विचार की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्ति भी हैं। रवानुदास का के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की यह प्रक्रिया विस्तृत नहीं थी।

टोली-संगठक के प्रमुद् टक्नीशियन बनने में मदद

पड़ोसी टोलियों के साथ कई महानों तक धनिय सपक के बाद धेनीय कार्यकर्ता को अनुभव होने लगेगा कि कार्य-पद्धति और प्रक्रिया के बारे में कई समस्याएँ ऐसी हैं जिनका उत्तर अकेला वह खोज नहीं पाता है। तब वह चाहता है कि निरीक्षक-वर्ग का एक सम्मेलन हो और प्रति-मास जिलास्तर की बैठकें हुआ करें। लेकिन इस सम्बन्ध में गहराई से खोज करने का अच्छा अवसर तो तब है जब वह प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कार्य के प्रशिक्षण में होता है। यहाँ उसकी तथा उसके काम की पुनः परीक्षा शुरू होती है। उसको प्रशिक्षण देनेवाला कार्यकर्ता उसे अपने बारे में ऐसी कल्पना करने को कहता है कि वह वहीं दूर गाँव में है, घर लौटने लगा है, आधी रात हो गयी है, वह ४५ किलोमीटर नीचे किसी कीचड़ भरे रास्ते में है खिंच पर मूसलाधार पानी बरस रहा है, गायान भिया, और काफी थक गया है। ऐसी परिस्थिति में उसे गहराई से सोचने को कहा जाता है कि वह उस वक्त कहा क्यों है? कल उसे क्या क्या करना है? वह घर पर ही रह जाय तो क्या फर्क पढ़ने वाला है। आदि। इन प्रश्नों से और ऐसे ही दूसरे प्रश्नों से उस कार्यकर्ता को अपने काम के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए फिर एक बार अपना जीवन समर्पित करने की प्रेरणा मिलती है।

ऐसा करते हुए वह इस बात की परीक्षा ले लेगा कि कार्यकर्ता किस प्रकार काम करता है। यही समय है जब वह प्रशिक्षक कार्यकर्ता के साथ उसकी पद्धति

और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। अभी हाल ही में धेनीय कार्य के प्रशिक्षण में मेने गये आठ व्यक्तियों के सामने २५ प्रश्न रखे गये और उन लोगों अपने ही अनुभव के आधार पर उन का उत्तर दिया। सारा चर्चा समस्या केंद्रित ही रही। उनमें से उदाहरण के लिए कई बार प्रश्न यहाँ देखे हैं, इससे स्पष्ट हो जायगा कि धेनीय कार्यकर्ताओं का विकास किस हद तक हुआ है।

सामूहिक कार्य के प्रस्ताव को लेकर कोई गिळी उठाते हुए हसने लगे ता उस भाव के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे ?

उन लोगों ने स्वीकार किया कि टोली-संगठक को चर्चा के प्रमुख वक्ता के नाते ऐसे प्रश्नों में उत्तेजित होने की गलती नहीं करनी चाहिए, जैसा कि अक्सर हम में उपरिमत अधिस्तर लागू कर जाते हैं। सब ने इस बात का महत्व माना कि यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह व्यक्ति क्यों हस रहा है। अक्सर यों हसने का कारण यह होता है कि वह व्यक्ति अपने पर विश्वास नहीं कर पाता है और इस बात में भी उसे विश्वास नहीं होता है कि इस काम में वह भी खुद हाथ बटा सकता है। टोली-संगठक को भाँस है कि ऐसे आदमी के आदर स्वामिमान जगाने में उसे मदद करना चाहिए और उसे अपना विरोधी मान कर उसके साथ व्यवहार करने से यह हो नहीं सकता है। ऐसे प्रश्नों में टोली-नायक ने बराबर यही कोशिश की है कि उस आदमी को टोली के अधिक सपक में लाया जाय और उसके हाथ बढाने का कोई अवसर खोजा जाय।

चर्चा के प्रमुख के साथ यदि कोई कानाफूसी करने लगे तो उसके साथ कैसे पेश आयेंगे ?

चर्चा में जितने भी टोली नायक के सब का सर्व-साधारण अनुभव यह रहा कि अक्सर ऐसा होता ही है। ऐसे लोग टोली के साथ कुछ छल करना चाहते हैं, बल्कि वैसा प्रकृत होने नहीं देना चाहते, या ऐसे भी होते हैं जो अपने को अति तुच्छ मानते हैं और अपनी बात खुल कर कहने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। चाहे जिस तरह के लोग हों उन से टोली-

नायक आग्रह पूवक कहेगा कि वे सीधे सभा के सामने अपना विचार खुद रखें ।

सभा का कोई सदस्य टोली-नायक को या किसी दूसरे व्यक्ति को बड़ा आदमी मान कर उसके साथ बड़े का ही व्यवहार करने लगे तो आप क्या करेंगे ?

थोड़ा सी चर्चा के बाद सब इस निश्चय पर पहुँचे कि यदि सभा के प्रवाह में विशेष रुकावट न पड़े तो इस प्रश्न पर सभा स्वयं विचार करे । मानवीय व्यवहार में लोकतंत्र को कार्यान्वित करने का यह दूसरा मौका है । अन्ततः सभ के ध्यान में आना कि यह व्यक्तिगत गुण विशेष पर निर्भर है और इसकी परख उसने साथ रह कर ही की जा सकती है ।

सदस्य जब दूसरों की तरफ ध्यान न देकर केवल टोली-नायक के साथ ही बात करने लगे तब क्या करना होगा ?

लोगों ने स्वीकार किया कि इस समस्या को मुल्ले ज्ञाते समय उन को अपने प्रशिक्षण के समय सीखी हुई बातों का बहुत सहारा लेना पड़ा । उन्हें याद करना पड़ा कि प्रशिक्षण-काल में चर्चा के समय उन के टोली-नायक ने ऐसे प्रश्नों में क्या किया था, किंच प्रकार वह सभा के दूसरे सदस्यों की तरफ ही देखा करता था और उस बोलनेवाले की तरफ बिलगुल नहीं देखता था और इस प्रकार बोलनेवाले के सन्नेषण का स्वयं ग्रिपय बनना बराबर टालता था । उन्होंने यह भी याद किया कि जब उस टोली-नायक से सीधे प्रश्न पूछा जाता तो वह उसक उत्तर के लिए उल्टे बही प्रश्न सभा सामने ही रख देता था ।

प्रत्येक प्रश्न पर जो चर्चा हुई वह पूरी-पूरी हुई, यद्यपि वह चर्चा इतनी ठोस और निष्कर्षात्मक नहीं थी जितनी यहां दी जाती है । इस सदर्भ में जिन दूसरे प्रश्नों पर चर्चा हुई वे इस प्रकार हैं :—

जब कोई व्यक्ति इधर-उधर की बातें छोड़ कर चर्चा में भाषा डालता है तो आप क्या करेंगे ? जब प्रतिनिधियों की उपस्थिति कम हो तो क्या करेंगे ?

सभी एकसाथ बोलने लगे तो ? कोई बड़ी बड़ी डींग हाकता है और दूसरे लोग प्रायः उसी की बातों में आते दीखते हैं तो ? समस्या को मुल्लेजाने के लिए यदि कोई सदस्य राजनैतिक या साम्प्रदायिक साधनों का उपयोग करना चाहे तो ? या कोई इस टोली का उपयोग राजनैतिक या साम्प्रदायिक हेतु के लिए करना चाहे तो ? जो लोग अपने को बड़े कार्य व्यस्त दिखाते हैं और सभा से उठ कर जाना चाहते हैं उनके साथ कैसा बरताव करेंगे ? कोई शरारत पीकर सभा में आ बैठे तो ? कोई दूसरे साधियों के साथ हुई बात को लेकर सभा में अतर्कितोप पैदा करना चाहे तो ? इत्यादि । इन में कोई समस्या अपने आप में ऐसी कोई भयानक नहीं है, फिर भी इन में एक एक समस्या पर सभा की, नाम की, प्रक्रिया की, और प्रायः एक-साथ काम करने के इस प्रयास की सफलता या विफलता निर्भर है ।

इस प्रकार परस्पर आदान प्रदान के वातावरण में टोली-नायक को एक ऐसा आदमी बनने में सहायता मिलती है जो अपने आसपास की सभी बातों से खुद वाकफ रहता है और उस परिस्थिति का सामना करने के लिए सज्ज रहता है, साथ ही वह समझता है कि ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का यह भी एक अंग है । उसके सामने बने-बनाये निष्कर्ष रखने के बजाय उसको हम इस बात के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि अपनी बहुत सारी समस्याओं का हल खोजने में वह अपनी ही शक्ति और सामर्थ्य से काम ले । इसका यह अर्थ नहीं कि सामूहिक शक्ति (ग्रुप डायनेमिक्स) के क्षेत्र में होनेवाले शोधों की हम अनदेखली करते हैं । "समूह विकास की राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला" (नेशनल ट्रेनिंग लैबोरेटरी इन ग्रुप डेवलपमेंट) जैसी संस्थाओं में जहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने अध्ययन किया है और सैद्धांतिक चर्चा का कुछ आधार खोज निकाला है वहाँ से जितनी भी सामग्री हम अपना सके हैं उससे हमारा काम समृद्ध हुआ है और प्रत्यक्ष अनुभव से अधिक समझ में भी आने लगा है ।

★



## कार्यकर्ताओं की डायरी से

ग्रामइकाई-वालवापर मुंगेर - ५-६-६२

मैं अमा तक प्रामोदय सहयोग समिति का संगठन कर रहा हूँ। प्रामोदय सहयोग समिति की जमीन रजिस्ट्री करा चुका हूँ। गावों में ६ तकुवे का चर्पा चलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में खादी का भी प्रचार हो रहा है। जनता में सम्पर्क भी बढ़ रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे गाव में दो मिलें खड़ी हो गयी हैं। जिससे यह समय में नहीं आता है कि ग्रामशोध कैसे चगाया जाय। जैसे धान कुटार्द, तेरुधानी इत्यादि।

द्वारिकानाथ

ग्रामइकाई-धोवघट, मुंगेर ७-६-६२

अभी हमारा सारा समय धान की इटरफलचरिंग में बात रहा है। खेती यहा का मुख्य उद्योग है। इस काम के जरिए सभी वर्गों के लोगों के साथ सम्पर्क हो रहा है।

निवास अस्थायी तौर से गिद्धौर में रगा है। गाव के लोग कहते हैं कि गाव में ही आकर रहूँ। अभी उतनी आकांक्षा नहीं देखता हूँ।

आगे परिवार-सम्पर्क का काम सोचा है। चर्खा पर ज्यादा जोर देने का विचार किया है। खेती के बाद कौन सा उद्योग गाववाले पसन्द करेंगे यह देखने की बात है।

देश्वर प्रसाद

ग्रामइकाई अग्रहया, मुंगेर १०-६-६२

सम्पर्क के ही दौरान मैंने ४०-१० परिवारों का सर्वेक्षण किया। साथ साथ लोगों से अपना परिचय किया तथा ग्रामइकाई के बारे में समझाया। गाव में सहकारी भावना का प्रचार करना है जिससे ग्रामशक्ति

१६४ ]

का संगठन हो। बिना सहकारी भावना पैदा हुए ग्राम-शक्ति प्रकट नहीं होगी। गाव में एकता लाने के बाद ही कोई शक्ति पैदा हो सकती है। गाव में जन तक भेद भाव रहेगा तबतक गाव गाव नहीं बन सकता है। गाँव के अन्दर से जयतक जाति का भेद, ऊच नीच का भेद तथा आपस के वैमनस्य का भेद नहीं मिट जाता है तबतक लोगों में एकता की भावना नहीं आ सकती है।

चन्द्रकिशोर

ग्रामइकाई-समस्तोपुर, मुंगेर ५-६-६२

मैं मुखिया, सरपच, ग्रामसेवक, शिक्षक एवं ग्रामीणों से मिला, बातचीत हुई। सभी हमसे सहमत हैं। उन लोगों का कहना है कि हमलोग मित्रक कदम बढ़ायें।

इस बीच प्रखंड विकास की ओर से वार्षिक ग्राम योजना समिति बनी है। ३१८ को बैठक हुई थी, जिसमें सदस्यों का नाम हर पचासत से दे दिया गया है। अब यह योजना-समिति गाव की योजना बनाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को देगी। प्रखंड वि० पदाधिकारी विभागीय मजूरी कराकर फिर ग्राम-समिति को देंगे जिसके आधार पर आगे का कार्य होगा। इससे गाव की उन्नति होने की सम्भावना देखकर मैं भी इसमें सहयोग दे रहा हूँ।

मैं एक भ्रमदान-समिति कायम करना चाहता हूँ, जिसमें हर परिवार के एक-एक व्यक्ति रहेंगे। विशेष आयत में युवकों से रखना जो सप्ताह में एक दिन कुछ घंटे भ्रमदान कर सकें, पाषाण की सरम्मत एवं सफाई वगैरह कर सकें।

इसके सम्बन्ध में मुखियाजी से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ समय तक यह कार्य

[ पृष्ठ १६७ पर ]

[ नयी वाल्मी ]

## ग्रामभारती-ग्रामशाला

दिनांक १२-१-६१ से मैंने ग्रामभारती, बलिया (पूणिया, बिहार) का काम सभाला। शुरू में २० विद्यार्थियों का नाम था जिसमें १२-१४ की उपस्थिति रहती थी। शुरू में जन-मानस को नयी तालीम की बात जचती नहीं थी। पढा लिखा वर्ग भी इस बात को नहीं समझ पाता था।

बच्चों में गाली-मलौज करने की आदत थी। जब से इन्होंने होम समाला सबसे धुमकूड की जिन्दगी बितायी थी इसलिए एक स्थान पर एक घटा भी बैठना इनके लिए कठिन था। सिर्फ दो बच्चों को छोड़कर सभी में बौड़ी पीने की लत थी। आपस में मारपीट करना तो इनके लिए बहुत ही आसान काम था। बहुत सारे दोपों के बावजूद इनमें दो अबरदस्त गुण थे। १-इनका दिल बड़ा साफ था, कोई भी बात साफ-साफ, बिना किसी आवरण के कह देते थे, २-इनके हाथ पाव बचपन से कार्य करने के अभ्यस्त थे-टाटी वाघना, लकड़ी काटना, हल चलाना रस्सी बनाना आदि, बहुत सार कार्यों को कुशलता इनकी उगलियों को प्राप्त थी।

उनकी पढाई अक्षर-ज्ञान से न शुरू कर पद्य से शुरू की। बच्चे पूरा पद्य याद कर लेते थे। इस सिलसिले में चार माघ बीत गये, फिर भी उन्हें सिलसिलेवार क, ख ग, घ बक्षर नहीं लिखाये गये। इसी प्रकार पहाड़ा और गिनती पर भी जोर नहीं दिया गया। भैंस चराने वाल बच्चे थे। इन्हें २० तक गिनना आता था। जोड़ की प्रक्रिया द्वारा गिनती आगे बढ़ायी गयी। इस प्रक्रिया से छोटे दायरे में ही गुणा, भाग, जोड़, घटाव सब आता रहा। इस प्रक्रिया द्वारा बच्चे रटने को ऊबानेवाली प्रक्रिया से बच गये।

दिसम्बर, '६२ ]

आज वे बच्चे खेत को हाथ, खुरपा, या डन्डा से नापते हैं और बताते हैं कि इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग-खुरपी, वर्ग-डेग, या वर्ग-हाथ हुआ।

चरित्र निर्माण में हमने सच्चाई, निर्भयता, और सह-योग-वृत्ति पर जोर दिया। थोड़े ही समय में परिणाम अच्छा आया। बच्चे निर्भय होकर अपनी गलती स्वीकार करने लगे। इतनी बौड़ी पी, दिनभर गोली खेलो, अमुक को गाली दो, अमुक को पीटा। यहाँ तक भी, पाचवी और छठी धेणो के विद्यार्थी, अपनी डायरी में लिखने लगे कि अपनी भैंस अमुक आदमी के खेत में छोड़ दी, अमुक का खेत चरा डाला। बच्चों ने समझ लिया कि झूठ बोलना सबसे बड़ा दोष है।

प्रसंग-बस घूत्रपान से स्वास्थ्य खराब होता है यह बच्चों को बताया। उन्होंने पूरी सभा में तय किया कि यह लत धीरे धीरे छोड़नी है। वे सप्ताह में दो दिन बताते थे कि अब कितनी बौड़ी पीते हैं। कई बच्चों की बौड़ी पान की आदत छूट गयी। अब भी एक दो पीते थे। गोली-बौड़ी खेलन की जहाँ तक बात है यह आपसे आप बन्द हो गयी। दिनभर के कार्यक्रम के कारण गोली खेलना बन्द हो गया। बच्चे भी समझ गये कि गोली कौड़ी में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है।

एक दिन एक छात्र कहने लगा—'गुरुजी मैं अब पतंग घर नहीं ले जाऊंगा, पिताजी मारते हैं।' आपे फिर उसने कहा—'ये लोग होली में भद्दी भद्दी गाली देते हैं। हम तो ग्रामभारती में काम करते हैं, पढते हैं, लिखते हैं, थोड़ा पतंग उड़ा लिया तो क्या हर्ज है।' मैंने कहा—'ठीक तो है, पिताजी को समझाते क्यों नहीं हो?'

वृषि का समय आया। अपने पास हल-बैल नहीं थे। बच्चे खुद अपने-अपने घर से हल-बैल मांगकर लाये। फिर सब मिलकर मांगने जाते थे। बच्चों ने रोज ६-६ घंटे तक काम किया। मक्का, धान, प्याज लगायी गयी। फसल अच्छी आयी। टमाटर, खीरा और कद्दू खूब फला। रोज नियमित रूप से दो-तीन घंटे काम होता था। वृषि के प्रति बच्चों में काफी उत्साह पैदा हुआ।

कुमारभा स्मारक निधि की बात सरल ढंग से बच्चों को समझायी गयी। थड़ा और ध्रम के प्रतीक रूप में बच्चों ने दो दिन की फसल कटाई की मजदूरी इसके लिए समर्पित की।

प्रेम-क्षेत्र में गेहूँ-कटनी का आयोजन बच्चों की प्रेरणा से की गयी। ५ दिन कटनी की गयी। बच्चे रात को 'कुटिया' पर आकर सो जाते थे। सुबह चार बजे जगते थे और दिन निकलते निकलते एक एकड़ से ढेर एकड़ तक खेत काट डालते थे। अन्तिम दिन यानी ६ अप्रैल को ढेर एकड़ खत काटकर हिसिए के साथ प्रभातफेरी की। कटनी की मजदूरी एक मन गेहूँ मिला।

बहियार में बर्ग लेने की बात सोची गयी। बच्चे भैंस चराने जाते थे। हम भी बच्चों के साथ चारागाह में जाने लगे। हम तीन शिक्षक थे। तीन बर्ग लगने लगे। चारागाह बर्ग के कारण नये-नये १०, १५, १८ वर्ष के बच्चों से परिचय हुआ। उनकी कठिनाइयों को नजदीक से देखा। उन्हें पढ़ने की प्रेरणा मिली। फलस्वरूप ४० लड़कों का नाम लिखा गया। हिसाब लगवाना तथा किताब पढ़ाने का काम तो होता ही था लेकिन हमारा मुख्य ध्यान चरित्र-निर्माण पर था। मैं किचोरो के साथ बहियार-बर्ग में जाता था। इस बहियार-बर्ग से लोगों को हैरानी होती थी।

मैंने दो प्रकार के बच्चे पाये-मध्यमवर्गीय परिवार और चरवाहा परिवार। चारागाह में अध्यापकों की उपस्थिति और अध्ययन के वातावरण ने बहुत-सी गाली-गलौज और दूसरे की खेत-चराई खत्म कर दी। भड़े-भड़े गाने भी कम हो गये, पर हम इसके स्थान पर अच्छे गाने न देख सके। यदि हमारी तैयारी होती और हमारे पास गाय या भैंस होती तो गो-सेवा का उत्तम आदर्श भी बच्चों के सामने उपस्थित कर सकते थे।

इन बच्चों के साथ हमारे रहने के कारण इनके साथ किसी का बुरा बर्ताव नहीं होता था। नहीं तो कोई भी इन्हें डांट देता था, मार देता था, गाली दे देता था। इनका भय दूर हो गया। बहियार-बर्ग के कारण बच्चों में सहयोग वृत्ति पनपा। ग्रामभारती के खेत पर साथ-साथ काम करते थे। शिक्षक की देखरेख में यहाँ काम होता था। स्वतः-स्फूर्त-वृत्ति वहाँ नहीं आयी। चारागाह में भैंस देखने के लिए खूबटा लगा दी गयी। एक लड़का १०-१५ लड़कों की १०-२० भैंस देखता था और बाकी बच्चे बैठकर पढ़ते थे। इससे बच्चों में स्वयं अनुभव किया कि सहकार से कितने समय की बचत कर सकते हैं। इस प्रकार जो समय बचा उसमें हमने बच्चों को पढ़ाया ही। इस तरीके से इन बच्चों में आपसदारी बढ़ी।

हर गुरुवार की रात को ६ से ८ तक बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते थे। उसी दिन बाल-सभा भी होती थी। जाड़ में बच्चों को काफी टंडक लगती थी। वे लकड़ी इकट्ठा करके लाते थे और आग जलाकर उसीके पास बैठते थे। आग के पास कहानियाँ और गाने चलते थे। बच्चों को सिनमा के गाने याद रहते हैं या कुछ ऐसी कहानियाँ उन्हें मालूम रहती हैं जिनके गाने और कहने में शर्म मालूम होती है। हमने भजन गायें और कहानियाँ सुनायीं। समाजोपयोगी विचारों से ओतप्रोत साहित्य की कमी बहुत खटकती है।

बच्चों ने एक दिन रामनवमी मनाने का प्रस्ताव सामने रखा। इसके पहले उत्सव आदि के बारे में थोड़ा बताना दिया जाता था। ५-६ दिन पहले से रामनवमी की तैयारी होने लगी। "भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कोसत्या हितकारी"। बार-बार पाठ कराया गया। रामनवमी को प्रभातफेरी हुई। दिन में कीर्तन, रामायण-पाठ और भोज हुआ। इन्हीं बच्चों से दूसरे रोज श्वधन-कुमार नाटक का आयोजन हुआ। भैंस चरानेवालों की यह करामात देखकर वहाँ के लोग काफी प्रभावित हुए। बच्चों में पढ़ने की प्रेरणा जगी। नाटक की सात दिन की तैयारी में बच्चों ने पढ़ने का काफी अभ्यास किया।

हमारे महा कुछ बच्चे प्राइमरी स्कूल से भाये थे। बात-बात में गुरुजी से शिक्षायत करने की आदत इनकी पड़ी हुई थी। यह आदत छुड़ाना बहुत जरूरी था। क्योंकि दूसरे बच्चों में भी यह आदत पड़ रही थी। दूसरी बात यह थी कि हम चाहते थे कि काम के समय बच्चे अपने जम्मेदारी महसूस करें। इसलिए बाल-सभा का गठन हुआ। प्रति सप्ताह सर्व-सम्मति से एक नायक चुना जाता था। खती के कार्य का संचालन अध्यापक की राय से यही नायक करता था। किसी बच्चे की कोई गिनायत हो तो वह नायक की दायरी में लिखा देता था और बाल-सभा में हर गुरुवार को उसपर विचार किया जाता था। अब दूसरा परिणाम यह आया कि तत्काल मारपीट या गुरुजी से नालिश न कर कोई भी बच्चा नायक की दायरी में दर्ज कराने की धमकी देता था। बच्चों में पचायत द्वारा अपने मसले हल करने की भावना का बीजारोपण हीन लगा।

मध्यम वर्ग के लोग बच्चों की प्रगति से काफी प्रभावित थे। गांव में जगह-जगह इसकी चर्चा होती थी। बच्चों ने साठे सात मन प्याज और ४१ १८ रुपए का पट्टू पैदा किया था। प्रतिदिन २ घंटे काम करते थे। बाकी समय या तो अपने घर काम करते थे या पढ़ते थे। बटवारी के विषय में बच्चों को काफी सदेह था। उन्हें इस बात का सदेह था कि यह पैसावार गुरुजी ले लेंगे। हम उन्हें समझाते थे कि फल का बटवारा होगा पर न बच्चों को ही इसका भरोसा होता था न उनके माँ बाप को ही। इसलिए जल्द से जल्द रकम का बटवारा किया गया। फिर सबको विश्वास हो गया कि जो जितना काम करेगा उसे उतना हिस्सा मिल जायेगा। बिद्यायियों की हचि भी बदल गयी।

विजय महादुर भाई

☆

[ पृष्ठ १६४ का रोपाश ]

चलाया था, लेकिन गांव के कुछ व्यक्तियों ने यह इल्जाम लगाया कि भ्रमदान से काम करके उस का पैसा मुचियाजी ले लेंगे। फलस्वरूप कुछ ही दिनों में भ्रमदान का सिलसिला थक हो गया। लेकिन सब लोगों से बातचात कर इसे करना चाहता हूँ। देखू आगे क्या होता है।

राजेन्द्र प्रसाद सिंह

ग्रामइकाई-परोडा, मुंगेर

५-९-६२

अमा तक मैं अपने गांव में १३ कम्पोस्ट पिट बनवा सका हू। यह दियारा का इलाका है। अधिकांश मवेशी दियारा में ही रखे जाते हैं। गांव में कम हा

मवेशी रखते हैं। अभी दियारा में पानी आ गया है, पानी खुलने पर कम्पोस्ट का काम बड़ा अच्छा तरह से चलेगा।

मैं कुछ पुराने साधारण खरें चला रहा हू। घर पर जाकर चर्चा ठीक कर दिया करता हू।

पचायत के मुखिया, सरपंच, ग्रामसेवक, स्कूल के शिक्षकों तथा ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों और नवयुवकों से सम्पर्क स्थापित कर चुका हू। साथ-साथ यह क्रम चल भी रहा है।

रामाशाप राय

★

# शांति-सप्ताह और तालीम

लोकभारती शिवदासपुरा, जयपुर

[ राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट शिवदासपुरा में लगभग षड् वर्ष से नया तालिम विद्यालय चल रहा है। गत ११ सितंबर से विद्यालय ने शांति-सप्ताह मनाया। पहले और दूसरे वर्ष के छोटे-छोटे बालकों को लेकर शिक्षक पास के शिवदासपुरा और चदलाई दो गाँवों में गये। सभाएँ कीं शांति विचार समझाया घर घर घूमे गतिप्रतिष्ठा पर लगभग ११०० हस्ताक्षर प्राप्त किये। सहज ही दोनों गाँवों का सर्वेक्षण किया बाँकों को समवाय शिक्षण देने का अच्छा अवसर मिला। पूरे सप्ताह का विस्तृत कार्यक्रम शांति-सप्ताह और तालीम के नाम से पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ है। उससे कुछ समवाय-पाठ यहाँ दे रहे हैं। ये समवायी-पाठ आदर्श समवायी-पाठ के रूप में नहीं दे रहे हैं। यह एक नयी सत्या का नया प्रयास है अब सत्याओं से भी प्रकाशनार्थ समवायी पाठों की अपेक्षा है। स० ]

## पहला और दूसरा वर्ग

प्रसंग —

नयी तालीम विद्यालय द्वारा अणुबम परीक्षणों के विरोध स्वरूप शांति-सप्ताह मनाया गया, जिसमें पहली और दूसरी कक्षा के बालकों ने भी भाग लिया। उन्होंने गाँवों के दृश्यस्थानों का भ्रमण किया। ग्राम सर्वेक्षण में पशुओं की जानकारी, सावजनिक एवं दर्शनीय स्थल तथा पोशाकों संबंधी जानकारी समग्र की। इस आयोजन के द्वारा बाँकों का जो शिक्षण हुआ वह निम्न प्रकार है।

### दर्शनीय स्थल —

बच्चे निम्नांकित सार्वजनिक स्थानों को देखने गये—बालमंदिर, मातृ एवं शिक्षकल्याणकेंद्र रामद्वारा भारती पुस्तकालय, शंकरधर, औषधालय जैन-मंदिर, जगदीशजी का मंदिर, और धमशाला। बालकों को इन स्थानों के इतिहास व उपयोग के बारे में कथा नियों की तरह सरल तरीके से समझाया गया।

### पोशाक एवं गहने —

बालकों ने गाँव की पोशाक के बारे में भी जानकारी ली जिसमें उन को बड़ा आनंद आया।

### किसानों की पोशाक —

किसान मेहनत का काम अधिक करते हैं, इस लिए काम के अनुसार ये मोटा कपड़ा पहनते हैं। पुरुष धोती, अंगरखी, साफा, कुर्ता पहनते हैं। कुछ पुरुष गहना भी पहनते हैं जैसे कड़ा, मुकौं तावीज आदि।

### स्त्रियों की पोशाक —

घाघरा दूगड़ी कच्चा काचली पहनती हैं। गहनों में कड़ा टड्ड करधनी इसली पहनती हैं। शिथिल लेंग धोता कमोज कुर्ता पाजामा निकर पहनते हैं। स्त्रियाँ साड़ी ब्लाउज, पेटीकोट पहनती हैं।

### ग्रामोद्योग —

गाँवों में चलनेवाले उद्योगों को जहाँ वे जिस रूप में चलते हैं वहाँ ले जाकर दिखाया गया। उसके द्वारा बालकों को कई बातें जानने की मिलीं।

### लुहार —

लोहे की वस्तु बनानेवाले को लुहार कहते हैं। ये लोहे से खुर्ची, कुदाली फरसा हँसुआ पाल कढ़ाई कुल्हाड़ी दँतली चमकू आदि बनाते हैं। इन औजारों से बालक परिचित हैं लेकिन इन वस्तुओं के बनाने की प्रक्रिया में उन्हें आनंद आया। लोहे को लाल

[ नयी तालीम

करने पर चीजें बनाने और उसे मोटा करते देख कर बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ ।

**दर्जी :—**

दर्जी की मशीन और मशीन के पुजों को देखा ।

**तेली :—**

धानी से तिल और सरसों का तेल निकालते हुए देखा । धानी के बारे में जानकारी प्राप्त की ।

**चर्मकार :—**

चमड़े से जूते, चप्पल व चड़स बनाते देखा तथा जानकारी ली ।

**सुनार :—**

चादी व सोने की चीजें बनाता है जिन्हें स्त्रियाँ और पुरुष पहनते हैं ।

**खाती :—**

लकड़ी की चीजें बनाता है । खाट, बैलगाड़ी, हल, भेज, कुर्सी, क़ियाड चर्खा, तपती आदि भी बनाता है ।

**कुम्हार :—**

मिट्टी से चारू पर बर्तन बनाता है—मटके, मुराही कपेल् आदि ।

**पशु :—**

गाँव में कौन से पशु हैं इसकी जानकारी की गयी । गाँव में प्रत्यक्ष बच्चों द्वारा देखे गये पशु—गाय, बैल, भैंस, साण्ड, घोड़ा, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि ।

**पक्षी :—**

मोर, क्यूतर, मुर्गा, मुर्गी, तोता, मैना, वीतर, बटेर, बुलबुल । सबेरे मोर को नाचते हुए देख कर बालक खुद ही नाचने लग गये ।

**खेती :—**

वर्षा का मौसम होने के कारण निम्न फसलें प्रत्यक्ष में जाकर देखीं—तया हर पौधे की पहचान करायी । मक्का, बाजरा, उड़द, मूग, चावल, तिल, मूंगफली, ज्वार, गुरद, टमाटर, भिण्डी, मिर्च, ककड़ी । बालक सब्जों के पौधों से परिचित थे ।

दिसम्बर, '६२ ]

**दवाखाना :—**

यहाँ सरकारी दवाखाना है जिसमें एक वैद्यजी, एक दाई, एक कम्पाउण्डर और एक सहायक हैं । यहाँ दवा बिना पैसे के मिलती है । दवाइयों का प्रबंध सरकार की ओर से होता है ।

**ग्रामवासियों का भोजन—**

सामान्यतः ये सब शाकाहारी हैं । अब लोगों में चाय पीने का प्रचलन बढ़ा है ।

**भाषाज्ञान :—**

प्रसंग से आये हुए शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा उन के अर्थ का ज्ञान कराया गया । जैसे—शाति-सताह, अणुवम, घर्मशाला, रामद्वारा, पुस्तकालय, मंदिर, डाकघर, हरिजन, डाक्टर, दवाखाना, फसल, वैद्य, दाई, सहायक, औषधि, अगरखी, कुरता, कब्जा, काचली, कडा, टट्टा, करधनी, हंसली, कुल्हाड़ी, दतुली, चप्पेल आदि । दूसरे वर्ग के बालकों को लिखना सिखाया ।

बालकों ने निम्नांकित नारे याद किये—

जन जन से है यह अनुरोध

एटम् वम का करें विरोध ।

हमारे गाँव में धाति हो ।

हमारे गाँव में सफाई हो ।

आज का मंत्र जय जगत्

**गणित और सामान्य ज्ञान—**

बच्चों ने डारुघर को विशेष रूप से देखा । उन्हें बताया गया कि डाक थैले में आती है फिर उसकी सील खुलती है । फिर हर कागज पर भाषाजी छाप लगाते हैं । छाप लगाने के काम में बालकों को बड़ा मजा आया । डाक किंच प्रकार रेल से दूर तक चली जाती है यह समझाया । फिर पोस्टकार्ड, लिफाफा, अतद्वैधीय पत्र, तथा टिकटों के बारे में जानकारी दी । और जबानी गणित टिकटों को जोड़ कर तथा बाकी निकाल कर बताया ।

## गणित दूसरा वर्ग —

गाँव में खेल	२१५
गाय	४७६
नकरी	२१६
गंधा	६५
<b>कुल</b>	<b>९५२</b>

टिकट	१ न०	पै०
"	२	"
"	३	"
"	५	"
"	८	"
"	१०	"
"	१५	"
"	२५	"
"	५०	"
<b>कुल</b>	<b>११९</b>	<b>"</b>

जबानी गणित पहला वर्ग

जोड़

पाठ कांड ५ न० पै०

अतर्देशीय पत्र १० "

लिफाफा १५

**कुल ३० "**

इस प्रकार शांति सप्ताह से सामाजिक ज्ञान भाषा, सामान्यज्ञान, गणित का समवाय शिक्षण दिया जा सका।

कौशल्या शर्मा

नल्थीलाल गुप्ता

शिक्षक

## तोसरा वर्ग

### प्रसंग —

शांति-सप्ताह के उपलक्ष्य में शिवदासपुरा और चदलाई ग्राम में सर्वेक्षण ग्राम दर्शन और शांतिप्रतिष्ठा पत्रों का द्वारा समवाय-पाठ।

### सामाजिक ज्ञान

इस सप्ताह में दो गाँवों के लिए हर रोज १ से ३ बजे तक २ घण्टा करके ४ दिन में कुल ८ घण्टे का

१७० ]

## लिखित जोड़

भेड़	५२५
भैंस	१५६
ऊँट	१८
घोड़ा	५
	<b>७०४</b>

समय सर्वेक्षण कार्य में लगा। बच्चे ग्रामफेरी करने, घर घर खाना पाने तथा हस्ताक्षर सप्ताह करने जाते थे। इस सिग्निले में पंचायत घर डाकघर, बाजार, मंदिर तांत्रा, प्रभृतिघर आदि जगहों को देखने से स्वभावतः उन के मन में अनेक प्रश्न आते थे। अतः इन सब के बारे में प्रसंग से उन्हें चल्ते फिरते उठते-बैठते, स्थान-स्थान पर बताया गया। इस स्थानों का उपयोग और महत्व उन के जिज्ञासा पूर्ण प्रश्नों के आधार पर समझाया। उदाहरणार्थ—एक दिन अनन्त चतुर्दशी थी। उस दिन दोपहर को २ बजे खाना मिला। बच्चों न पूछा-आज घरों में भोजन देर से क्यों बना ? इसे समझाने के लिए घरों में जा कर पूजा का आयोजन दिखाया और समझाया कि आज अनंत भगवान का पूजा होती है। पूजा के बाद हा खाना खाया जाता है। आज विशेष भोजन बना है। होला, दीवाली के उदाहरण से उनके समक्ष अनन्त-चतुर्दशी का इतिहास बताया क्योंकि-ज्यों-समझाता गया अनंत भगवान के बारे में बालकों की जिज्ञासा बढ़ती गया और भगवान की व्यापकता, अनंत शब्द का अर्थ विविध उदाहरणों से उन के प्रश्नों के सदर्भ में समझाया गया। इसी प्रसंग में आकाश पाताल, जाव-अजाव, वनस्पति आदि क विषय में भी समझाया। सर्वेक्षण कार्य के लिए दूसरे वर्ग को दो विषय दिये गये

१ गाँव के विशेष त्योहार एवं राति रिवाज

२ गाँव की फसलें।

इस प्रसंग में शिवदासपुरा और चदलाई गाँव में जो त्योहार, मेले सकीतन, विशेष समारोह इत्यादि होते हैं उनका जानकारी दी गयी। उदाहरणार्थ रक्षा बंधन, कजली तीज होली, दीवाली, गणेश, रोटवाज गुदली का मेला, शीतला का मेला आदि। गाँव की फसलों के बारे में बालकों में कृषि का पूर्ण ज्ञान होना के कारण सर्वेक्षण बच्चों पूरा रहा। गाँवों की फसलों को हर बालक ने पूछ पूछ कर अपना पुस्तक में नोट किया।

### सामान्य व्यवहार —

सर्वेक्षण से वातचीत करने का ढंग, बच्चों से और

[ नयी तालीम

छोटों से बात करने का व्यावहारिक विद्याचार समझाया गया जिससे जन-संपर्क के तरीकों का सामान्य अभ्यास हुआ ।

**इतिहास :-**

बच्चों ने जिज्ञासावश पूछा कि गाव का नाम शिवदासपुरा क्यों है ? इस प्रश्न से गाव के इतिहास की जानकारी करायी । अपने विद्यालय का नाम नयी तालीम है, क्यों कि वहा नये ढंग के शिक्षण का प्रयोग कर रहे हैं । यहा तालीम नये ढंग से दी जा रही है, इसलिए इसका नाम नयी तालीम रखा गया । इसी प्रकार शिवदासपुरा नाम के पीछे हेतु होना चाहिए । बच्चे बोल नहीं सके, लेकिन बड़ी उत्सुकता से सोचने लगे कि शिवदासपुरा नाम के पीछे क्या क्या बात है ? उन के चेहरों पर जिज्ञासा युक्त हावभाव देख कर मैं ने समझाया । पुराने जमाने में जयपुर रियासत थी, तो कई गाँवों में छोटे-छोटे जागीरदार रहते थे । वे वहा का राजा होते थे । वहा भा एक प्रकार के जागीरदार रहते थे, उन का नाम था शिवदास । उन्हीं के नाम पर गाव का नाम शिवदासपुरा हो गया । बच्चे अपने अपने नाम के बारे में सोचने लगे । अपने नाम का क्या क्या मतलब है यह सोचने लगे और अपने नामों के बारे में अर्थ लगाने लगे । इस प्रयोग से कई बच्चों के नाम से इतिहास की जानकारी हो गयी । उदाहरण के लिए एक बाठिका का नाम था सीता । तो सीता और राम के बारे में बालकों को बताया ।

चदलाई गाव में एक बड़ा बाघ है । बाघा बड़ा है, झील जैसा लगता है । सिंचाई के लिए गाव के लोग अपने अपने खेतों में पानी इसी से लेते हैं । बच्चे पूछ बैठे—इतना बड़ा तालाब कब और क्यों खोदा गया ? कितने दिन लगे ? क्या भ्रमदान से खोदा गया ? मुझे भा ठाक ठाक मादम नहीं था । तो हम सब चले गाव क बुतुर्ग पटवाराजा क पास । उन से बाघ के बारे में पूछा तो बड़े प्रेम से उन्होंने उसका वर्णन किया । व जब बहुत छोटे थे, आन से ५० ६० साल पहले, एक बार वहा अकाल पड़ा । उस अवसर पर जयपुर क राजा का राज था । उन की बड़ी कृपा हुई और उन्होंने यह तालाब खुदवाया । खुदाई के

बदले गेहूँ, या कुछ दूसरा अनाज मिलता था । बड़ी तन्मयता से बच्चों ने यह कहानी सुनी और फिर लिख डाली ।

**भूगोल—**

हर रोज बालक अलग अलग घरों पर जाकर भोजन करते थे । एक दिन पूछा कि बताइये किस किसने क्या क्या खाया है । इस पर कोई बोलो जौकी रोटी तुवर की दाल किसी ने कहा बात्तरे की रोटी, चने की दाल किसी ने कहा जौ चने की मिला हुई “मिसी” को रोटी आदि । मैंने पूछा यह अनाज कहा से आता है ? बात्तकों ने कहा—यहाँ पैदा होता है । तब वहा की स्थानीय पैदावार क्या है, इसकी जानकारी बच्चों ने चाही । तो सूची बनाना प्रारम्भ हुआ । बालक बोत्ते गये और मैं गिनता गया ।

अनाज—मकई, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चना, जौ आदि ।

दाल—भूग, मोठ, तुवर, उरद, आदि ।

इसके अलावा तिलहन, भूगफली, और सब्जी सामान्यत कम होती है । लेकिन मूमि इस लायक हो सकती है कि फल और सब्जी की पैदावार हो सके ।

गन्ना और कपास के बारे में जानकारी की तो मादम हुआ कि यहा पर कपास नहीं होती है । तो बच्चों ने तल्दा से पूछा कि कपास कहा पैदा होता है । तो बालकों को भानचित्र के सहारे वे प्रदेश जहा कपास पैदा होती है, बताया । व फिर पूछ बैठे कि कपास वहा क्यों होती है । इस सदर्म में हिंदुस्तान की पैदावार की जानकारी दी गया । मानचित्र के सहारे हिंदुस्तान को तान भागों में बाटा और उन्हें बोर्ड पर लिखकर उनकी मुख्य फसलें समझाई ।

१ समुद्र व किनारे वाले प्रदेश और उन की फसलें । बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, केरल, मैसूर आदि मे धान, नारियल, पटसन आदि ।

२ मध्य भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, पन्जाब, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि में गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, कपास आदि ।



३ पर्वतीय अचल काश्मीर से दार्जलिंग, असम आदि में चाय और फल आदि ।

इस प्रसंग से समझाया कि भूमि की किरम और जलवायु पर फसल की पैदावार निर्भर करती है । कपास को काली और चिकनी मिट्टी चाहिए और पानी की बहुतायत चाहिए । मध्य प्रदेश, गुजरात, बंबई ये तीन मुख्य प्रदेश हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में भी जहा मिट्टी और पानी की अनुकूलता है कपास होती है । यहा पर जमीन काली और मुलायम नहीं है तथा पानी का अभाव रहता है । इसलिए कपास नहीं होती है । यहा से चंदलाई जाते समय ध्यान देने लायक जगहें —

बाध और रेलवे लाइन ।

चंदलाई में कई ऐसी फसलें हैं जा शिवदासपुरा में नहीं होतीं ।

भाषा

दैनिक कार्यक्रम की डायरी लिखी गयी ।

सामान्यज्ञान

चंदलाई की सीमा से दिशाओं का ज्ञान कराया गया । लोकभारती

उ०  
खेत प०—चंदलाई ग्राम—प० रामसागरबांध

द०

सद्यपुरिया

मोटर, रेलगाड़ी, साइकल, गाड़ी आदि यातायात के साधनों का ज्ञान कराया गया ।

सत्याग्रह, श्रमदान, जागीरदार, पर्वत, हस्तश्रम, सर्वेक्षण, मंदिर, बाघ, पटवारी, समुद्र, आचल आदि शब्दों का ज्ञान कराया गया ।

★

[ पृष्ठ १५४ का शेषांश ]

को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था । अपने आश्रम जीवन में और प्रशिक्षण पद्धतियों में कट्टर विश्वासों पर बल देने लगे, इच्छीलिए परिवर्तन का वाहन बनने के लिए जो अत्यावश्यक गुण हैं—वृत्ति की उदारता, मनकी स्वतंत्रता, आदि, इन का विकास हमारे आश्रमों से निकले हुए लोगों में ठीक तरह नहीं हुआ । बुनियादी शालाओं का जो थोड़ा बहुत अनुभव मुझे है उसमें रात प्राइवेट स्कूलों की पक्की छाप मेरे मन पर यह पड़ी है कि वे विद्यार्थियों में थोपे हुए विश्वासों से मुक्त और स्वाधीन चरित्र का विकास नहीं के बराबर कर पाये हैं । वहा यद्यपि सिद्धांततः विद्यार्थियों का स्व प्रबोध, सामूहिक जीवन, आत्म निवेदन धमता आदि बातें उन के अस्थासकम में जरूर हैं पर प्रत्यक्ष व्यवहार में आश्रमीय, अधिकार-प्रधान परम्परा बहुत प्रबल है और सभी 'नीजों' पर उसका प्रभुत्व गहरा रंग जमा रहा है ।

विनोबाजी ने काचीपुरम् सर्वोदय-सम्मेलन के अवसर पर जब ग्राम-सेवकत्व पर जोर दिया तब एक नया अभियान शुरू हुआ । पवनार में

ब्रह्मविद्यामंदिर स्थापित करते हुए उन्होंने वहा के लोगों से कहा कि प्रत्येक मामले में सामूहिक और सर्व सम्मत निर्णयों पर ही चलें, किसी दूसरे की सलाह पर निर्भर न करें चाहे वह बुजुर्ग साधक ही क्यों न हो । मुझे मालूम नहीं कि वर्तमान मनोवृत्तियों और आदतों को बदलने और दूर करने की कोई मुनिभित प्रक्रिया या पद्धति वहा अपनाया जा रही है या नहीं । लेकिन अकोला में जो युवक नेता प्रशिक्षणकेंद्र है उसके उत्साह जनक अनुभवों के बारे में मैंने सुना है कि उनका दावा है कि अमुक प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने सफलता पायी है । कम से कम इतना तो है ही कि परिस्थिति का उनका अप्रयत्न हमारे अनुभवों से बहुत कुछ मेल खाता है और उन्होंने जिस पद्धति का अनुसरण किया है उसका सुषगत मनोवैज्ञानिक आधार है । यही समय है कि हम इन सब समस्याओं पर ध्यान दें, अकोला के प्रयोगों का लाभ उठावें और हमारे आश्रमों, प्रशिक्षण केन्द्रों और बुनियादी शिक्षा-संस्थाओं को नव-मानव निर्माण करनेवाले सही केन्द्र बनायें ।

## प्रबंध समिति के प्रस्ताव

अखिल भारत सर्व सेवा संघ की प्रथम समिति को तैठक ता० ९ से १३ नवम्बर १९६२ तक श्री विनोबाजी के सान्निध्य में हुई थी। तैठक में स्वीकृत तथा सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर संघ-अधिवेशन में संशोधित प्रस्ताव नीचे दिये जा रहे हैं।

### (१) चीन-भारत संघर्ष सबधी निवेदन

१ चीन भारत संघर्ष ने सत्सार के सामने एक गभीर समस्या पैदा कर दी है। विश्व शांति और जय जगत की भावना में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए तो यह परिस्थिति कसौटी की ही है। हम मानते हैं कि यह संघर्ष भारत पर चीन द्वारा लादा गया है, क्योंकि भारत हमारा शांतिमय उपायों से अपने सीमा विवादों को हल करने के लिए प्रयत्न करता रहा है। जब एक पक्ष शांतिमय और वैध उपायों से समस्या का हल करने के लिए तैयार हो तब दूसरी ओर स शस्त्र प्रयोग द्वारा विवाद को हल करने का प्रयत्न करना या उस पक्ष पर अपना निर्णय लादने की चेष्टा करना आक्रमण ही है। इसलिए हमारी पूर्ण सहानुभूति भारत के साथ है। हम आशा करते हैं कि आज की संकट कालीन परिस्थिति में भी भारत अपना निर्वैर वृत्ति कायम रखेगा, क्योंकि वैर से वैर कभी शमन नहीं होता।

२ निर्वैर वृत्ति का लक्षण यह है कि बात चीत, पंच-पैसले (आर्बीट्रेशन) आदि के लिए द्वार सदा खुले रहें, दोनों देशों की प्रतिष्ठा सुरक्षित रखते हुए निर्णय कराने का तैयारी रहे संघर्ष की परिस्थिति होत हुए भी दोनों देशों का जनता क बीच द्वेष न रहे तथा देश में सुख-प्यार पैदा न हो। भारत में रहने वाले चीनी तथा चीन में रहने वाले भारतीयों के प्रति सहृदयता पूर्ण बरतान हो।

दिसम्बर, '६२ ]

३ इस प्रसंग की गंभीरता और अपनी शक्ति की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम अहिंसा और शांति में अपनी निष्ठा फिर से दुहराना चाहते हैं। शस्त्रों से किसी का भला नहीं हो सकता तथा न ही युद्ध से, सास करके इस आणविक युग में, कोई मसला हल हो सकता है। इसलिए अहिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति या शांति-सैनिक प्रत्यक्ष युद्ध में शरीक नहीं होगा। उसका यह परम कर्तव्य होगा कि वह अविरोध एसा प्रयत्न करता रहे जिससे युद्ध का शांतिशीघ्र अंत हो। युद्ध की अविलम्ब समाप्ति न केवल भारत बल्कि चीन यहाँ तक कि संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए भी नितांत आवश्यक है। इस दिशा में हमारे प्रयत्न इसी व्यापक भूमिका से होंगे।

४ इसीलिए हमारा चीन से भी साग्रह अनुरोध है कि यह युद्ध की तुरन्त समाप्ति के लिए सारे सभ्य शांतिमय उपायों का शोध तथा अवलंबन करे। हमें विश्वास है कि चीन के सारे शांति निष्ठ व्यक्ति भी युद्ध को अनर्थकारक मानकर इन प्रयत्नों में अग्रसर होंगे।

५ इस सदर्भ में यह स्वीकार करना होगा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए देश में आज आवश्यक अहिंसक शक्ति विकसित नहीं हुई है। लेकिन इसमें निराशा का कोई कारण नहीं है। यह संभव है कि इस विपत्ति के प्रसंग में से ही भारत की जनता में अहिंसा की अमोघ शक्ति प्रकट हो। देश की रक्षा के लिए आज जनता में जो त्याग तथा बलिदान की अपूर्व भावना जाग उठी है, उसकी हम सराहना करते हैं हमें श्रद्धा है कि आगे चलकर इस भावना का विकास वीरों का अहिंसा में हो सकता है। अहिंसा में विश्वास करनेवाला कोई भा व्यक्ति ऐसे संकट की बेला में निष्क्रिय नहीं रहेगा,

बल्कि देश की अहिंसक सामर्थ्य और अहिंसक प्रतिष्कार की शमता बढ़ाने में अपनी पूरी शक्ति लगायेगा। अहिंसक प्रतिष्कार किसी पक्ष-विरोध की विजय के लिए नहीं बल्कि सत्य और बन्धुत्व की स्थापना के लिए ही हो सकता है। इसलिए अहिंसक प्रतिष्कार हमेशा संपर्प की भूमिका से ऊपर उठ कर ही होता है।

६. अहिंसक प्रतिष्कार का विचार आते ही युद्ध क्षेत्र पर जाकर आक्रमण का मुकाबला करने की कल्पना आती है। यह हर्ष और अभिनदन का विषय है कि देश में आज कितने ही शांति-सैनिकों ने इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए अपने प्राण तक अर्पण करने की उत्कृष्टता प्रकट की है। किन्तु आज के संयोगों में इस कार्यक्रम पर गंभीर विचारणा की आवश्यकता है।

७. भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता में अहिंसक प्रतिष्कार की सामर्थ्य पैदा करना हमारा एक महत्व का काम होगा। इन क्षेत्रों में, जहाँ अनुकूलता हो, शांति-सैनिक गांव-गांव के लोगों को ग्राम-स्वावलंबन तथा आक्रमणकारी से असहयोग के लिए प्रेरित करेगा। आवश्यकता पड़ने पर इस प्रयत्न में शांति-सैनिक अपने प्राण अर्पण करने की तैयारी रखेगा और लोगों को भी वैसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

८. लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण और इससे कहीं व्यापक कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक क्रांति द्वारा देश की शक्ति को बढ़ाना है। राष्ट्र की एकता और जनता का नीति-धैर्य (मोरेल) उसका सबसे बड़ा संरक्षण है। इसके लिए राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आधार और व्यवहार में न्याय और समत्व के नये मूल्यों की स्थापना करके उसे मजबूत बनाना होगा। सद्भाव से इस दिशा में अहिंसा कुछ प्रगति कर चुकी है। विनोबा के ग्रामदान, ग्राम-स्वराज्य आंदोलन ने देश के सामने एक ऐसा कार्यक्रम उपस्थित कर दिया है जिसमें मानवीय मूल्य, वैज्ञानिकता तथा संरक्षण की त्रिविध शक्ति निहित है। आज की परिस्थिति में गांव-गांव में पंचायतों

द्वारा अपने संरक्षण के कार्यक्रम के तौर पर यह हेतु संकल्प हाना चाहिए कि हमारे गांव में कोई बेरोजगार और निराश्रित नहीं रहेगा, भूमि हीनों को यथा-संभव भूदान देकर उनको ग्राम-परिवार में शामिल किया जायगा, उत्पादन के हर साधन का समुचित उपयोग होगा, किसी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक अवरदस्ती नहीं होगी, गांव के शराबे गांव में निपटायें जायेंगे, धार्मिक तथा अन्य लघु-मत्तियों को सुरक्षित रखा जायगा और गांव का संरक्षण गांव के लोग स्वयं करेंगे। इसी प्रकार नगरों में भी आर्थिक और सामाजिक समता ही दृष्टि से बढ़ा की परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रम उठाया जाना चाहिए।

९. कहना नहीं होगा कि, इस महान कार्य की पूर्ति के लिए देश की समग्र अहिंसक शक्ति एकत्रित और संयोजित की जानी चाहिए। संकट और परीक्षा के इस अवसर पर विश्व-मैत्री की भावना को अधुण रचते हुए राष्ट्रीय एकात्मता के निर्माण तथा अहिंसक प्रतिष्कार की शमता बढ़ाने के द्विविध कार्य में सहयोग देने के लिए अहिंसा में विश्वास रखनेवाली देश की समस्त संस्थाओं, प्रवृत्तियों और व्यक्तियों को आवाहन है।

१०. यह सद्भाव का विषय है कि आज सत्तर में ऐसे अनेक मनीषी, संस्थाएँ और समुदाय हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति का प्रतिपादन बड़ी वीरता के साथ अपनी वाणी और कृति से किया है। ऐसे सारे व्यक्ति, संस्था, समुदाय तथा अखिल मानव-समाज की अन्तरात्मा का इस कसीदी को घड़ी में हम आवाहन करते हैं और विश्वास करते हैं कि वे इस संपर्प को त्वरित समाप्त करने में अपनी संपूर्ण शक्ति अखिल्य लगायेंगे।

(२) आज के संदर्भ में खादी-कार्य

खादी की बिक्री पर आज सरकार की ओर से प्रति रुपया २० नये पैसे की रिबेट माहकों को दी जाती है। खादी-कार्य का मुख्य-उद्देश्य स्वतंत्र लोकशक्ति के निर्माण का होते हुए भी स्वराज्य के बाद काम को व्यापक पैमाने पर फैला सकने की

दृष्टि से हमने इस सहायता को स्वीकार किया था। गाव-गाव की जनता स्वाश्रयी बने और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले इस दृष्टि से इस काम में मदद करना सरकार का भी कर्तव्य है ही। पर अन्ततोगत्वा खादी इस प्रकार की मदद के बिना टिके तभी वह स्थायी और व्यापक हो सकती है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले तीन चार बषा में कई बार रिबेट के प्रश्न पर प्रगथ समिति, सर्व सवा सघ की खादी प्रामोद्योग समिति, खादी कमीशन तथा खादी-सस्थाओं के कार्यकर्ताओं में चर्चा होती रही है। आज देश के सामने एक सकट उपस्थित हुआ है। ऐसे समय में, रिबेट लेने के औचित्य-अनौचित्य की चर्चा में पड़े बिना, हम रिबेट देने का जिम्मेदारी से सरकार को मुक्त कर सकें, यह सन दृष्टियों से वाञ्छनीय है। अत सर्व सवा सघ की प्रबध समिति खादी सस्थाओं से अपाल करती है कि खादी कार्य को पहले जैसे उत्साह और तत्परता के साथ चलाते हुए व रिबेट छोड़ देने का निर्णय अपनी ओर से जाहिर करें।

खादी सस्थाओं ने चालीसगाव क अपने निर्णय द्वारा खादी में नये मोड़ क कार्यक्रम को स्वाकार किया है। इस पद्धति से खादी कार्य चलाने पर रिबेट छोड़ देने क यावजूद खादी के उत्पादन में या बेकारी निवारण के काम में खास कमी आने का कारण नहीं। नये मोड़ की पद्धति से उत्पादन का काम ग्राम इकाइयों के सहयोग से चलेगा। ग्राम सकल्प के आधार पर और ग्राम स्वावलम्बन के उद्देश्य से अगर काम नदेगा तो उत्पादन मुख्यत स्थानीय खपत के लिए होगा और उसके लिए बाजार की जरूरत कम रहेगी, काम को इस दिशा में मोड़ने के लिए खादी कमीशन की ओर से भिन्न भिन्न प्रकार की मदद उपलब्ध है। इसके अलावा सर्व सेवा सघ की ओर से यह सुझाव भी पेश किया गया है, जो खादी कमीशन और सरकार के विचाराधीन है, कि जो क्षेत्र स्वावलम्बनके लिए खादी का उत्पादन करें, वहा प्रति व्यक्ति वार्षिक १२ वर्ग गज के हिसाब से

दिसम्बर, '६२ ]

कपडे की आवश्यकता पूर्ति के लिए मुफ्त बुनाई का इन्तजाम किया जाय। प्रबध-समिति को आशा है कि इस प्रकार की सहायताकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जायेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिकाधिक काम मिल सके और स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकता पूर्ति के लिए कपडे के उत्पादन को प्रोत्साहन मिले। इस दिशा में कदम उठाने से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ बनेगी और खादी सस्थाए भी अपनी सेवाए पूर्ववत् जारी रख सकेंगी।

(३) भारतीय शांति-सैनिक का प्रतिज्ञा-पत्र

१८ साल से बड़ी उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक जो नीचे लिखी धोषणा व प्रतिज्ञा करे वह शांति-सैनिक बन सकेगा।

में विश्वास रखता हूँ कि—

१—सत्य और अहिंसा पर आधारित नया समाज बनना चाहिए।

२—समाज में होनेवाले सारे सघर्ष, अहिंसक साधनों से हल हो सकते हैं और होने चाहिए। खासकर इस अणु युग में।

३—मानव-मात्र में मूलभूत एकता है।

४—युद्ध मानवता के विकास में बाधक है और अहिंसक जावन-पद्धति का विपर्यय है,

इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि—

(१)—शांति के लिए कामकरूंगा और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण समर्पण करने को तैयार रहूँगा।

(२)—जाति, संप्रदाय, रंग पथ आदि क भेदों से ऊपर उठने की पूरी-पूरा कोशिश करूंगा क्योंकि यह भेद मनुष्य की एकता की मानने से इनकार करते हैं।

(३)—किसी युद्ध में शरक नहीं होऊंगा।

(४)—मुरखा क अहिंसक साधनों तथा वातावरण को बनाने के लिए सहायता करूंगा।

(५)—नियमित रूप से अपना कुछ समय अपने मानव-बन्धुओं की सेवा में लगाऊंगा।

(६)—शांति-सेना के अनुयायन को मानूंगा।

[ १७८

नाम                      हस्ताक्षर  
पता                      ताराख

### (४) शराबबंदी

अखिल भारत सर्व सेवा सच की प्रथम समिति ने अपनी पटना में हुई ता० १७ से २३ त्त १९६२ की बैठक में शराबबंदी पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया था। प्रस्ताव में जाहिर किया गया था कि प्रदेश सर्वोदय समूहन सचका सहयोग लेकर जनानिक्रम द्वारा शराबबंदी के लिए समुचित कार्यक्रम चलायें। सत्याग्रह करने की स्थिति आये तो श्री विनोबाजी तथा सच की प्रथम समिति की सलाह से समय समय पर आवश्यक कदम उठावें। अत में अपेक्षा की गयी थी कि जनता और सरकार दोनों शराबबंदी की आवश्यकता, उपयोगिता और गभीरता को महसूस करेंगे तथा सरकार समाज हित के इस कार्य के सिलसिले में जल्दी कदम शीघ्र उठावेंगी।

यह प्रवृत्तता की बात है कि उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र आदि कई क्षेत्रों में शराबबंदी के लिए विशेष प्रयत्न आरंभ हुए और उनमें जनता का उत्साहजनक सक्रिय सहयोग भी प्राप्त हुआ। यह खेदजनक ही है कि कहीं भी प्रदेश-सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया।

देश में आज एक सकट-कालीन स्थिति बना है। इसलिए उत्तरप्रदेश के आगरा शहर में चल रहे शराब बंदी सत्याग्रह को स्थगित किये जाने का जो निर्णय लिया गया वह उचित है। हम महसूस करते हैं कि आज की सकट-कालीन परिस्थिति में देश के नैतिक बल को ऊंचा उठाने के लिए शराबबंदी की आवश्यकता कहीं अधिक है। इस दृष्टि से आज भी सरकार को इस दिशा में कदम उठाने का विचार करना चाहिए।

साथ ही गांव-गांव और नगरों में भी शराबबंदी सम्बन्धा लोक शिक्षण, शराब का घना करनेवालों और शराब पीनेवालों से निकट सम्पर्क तथा उससे विरत होने के लिए उनके हस्ताक्षर कराने, पचायतों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से शराब की बिक्री बंद करने

की मांग प्रस्तुत करने, आदि का कार्यक्रम जनता के सहयोग से सतत चरना चाहिए ताकि देश का नैतिक बल बढ़े और आज की विशेष परिस्थिति में धर्म-शक्ति व अन्य साधनादि के पूरे-पूरे उपयोग का वातावरण बनने में मदद मिले। गांव-गांव में जहां भा पचायत वगैरह की शराब की बिक्री बंद करने का सर्व सम्मत माग हा उसकी पूर्ति की ओर सरकार को दुरन्त ध्यान देना चाहिए। स्पष्ट ही सरकार की एसी परि स्थिति नहीं पैदा होने देना चाहिए जिससे जनता को अपनी मांग की पूर्ति के लिए कुछ साधा कार्रवाई का कदम उठाना पड़े।

### (५) ब्यसन व विलास की सामग्री पर रोकथाम

यह देखा गया कि शराब के अलावा अन्य कई प्रकार की ब्यसन व विलास की सामग्रिया विदेशों से भगाई जाती हैं। इनकी कामत करोड़ों में पहुंचता है। इनमें बहुत-सी चीजें देश में भी बढ़े परिमाण में तैयार की जाती हैं। यह हो सकता है कि इनमें से कुछ चीजें व्यक्तिगत नीति की दृष्टि से मुकदानदेह न हों। भारत जैसा एक दरिद्र देश जब अपने भविष्य निमाण में लगा हो और विशेषत जब वह एक सकट काशीन स्थिति में से गुजर रहा हो, उस समय इस प्रकार का सामग्री के लिए देश के बाहर करोड़ों रुपये भेजा जाना और देश में भी उनके उत्पादन में पूर्वी, धर्म, वगैरह का अव्यय होना एक अपराध ही माना जायगा। इसके अलावा विलास तथा ब्यसन का नाना प्रकार की सामग्रियों का उपयोग शरीर तथा सपन्न के भेद को अधिक उरुत रूप से सामने लाता है। इसलिए आज इनसे मुक्त होने के लिए जनता को प्रेरित करने की तथा इनके आयात तथा उत्पादन के खिलाफ जनमत जागृत करने की अत्यन्त आवश्यकता है। जीवन में सादना, कष्टसहिष्णुता तथा धर्म निष्ठा के आधार पर ही कोई देश उन्नति कर सकता है। सच आशा करता है कि भारत की जनता और यहां की सरकार इस विषय के प्रति इस समय जागरूक होगी और इन वस्तुओं के उपयोग, उत्पादन, आयात वगैरह को निवृत्त व र्त्तम करने की ओर ध्यान देगी।

## गीता प्रवचन

विनावा जी द्वारा गीता पर  
दिये गये प्रवचन।

हिन्दी भाषा में मूल्य १-२५

संस्कृत ,, ,, ,, ३-००

अन्य १५ प्रादेशिक भाषाओं एवं

अंग्रेजी में भी प्राप्य

## ज्ञानदेव चिन्तनिका

सत शानेश्वर व चुने हुए भक्तों

का श्रवण मूल्य १-००

## शिक्षण विचार

शिक्षण सम्बन्धी विनोबा जी व

मौलिक और क्रांतिकारी विचार

मूल्य २-५०

अंग्रेजी एवं अन्य ११ प्रादेशिक

भाषाओं में भी प्राप्य

## आत्म-ज्ञान और विज्ञान

दार्शनिक और वैज्ञानिक अनुभू-

तियों में परिपूर्ण मूल्य १-००

अंग्रेजी में भी प्राप्य

## ग्राम पंचायत

पंचायत राज व्यवस्था विनावा जी

के विचारों का संकलन

मूल्य ०-७५

# विनोबा साहित्य

साहित्यिकों से १-००

मूदान मंगा(संस्कृत)मेट १-००

लाक नाति २-००

सर्वोदय विचार व

संगण्य शास्त्र १-००

ग्राम दान १-००

स्त्री शक्ति १-००

कार्यकर्ता क्या करें ०-७५

अशोमनीय पास्तमं ०-६०

राज्यकर्ता पाषेय ०-५०

साहित्य का धर्म ०-५०


निषेणा ०-५०

जय जयत ०-५०

शुचिता में आत्म दर्शन ०-४०

मान्य सूत्र ०-३७

गम नाम एक चिंतन ०-३०



सवाद्य पात्र ०-२५

भाषा का प्रश्न ०-२५

सवाद्य का आधार ०-२५

एक रत्नो और नेक रत्ना ०-२५

गाँव व लिए आराग्य

योजना ०-११

Talks on the Gita, 3 00

Thoughts on

Education 4 00

Swaraj Shastra 1,00

Shanti Sena 1 50

Science and self-

knowledge 1 00

The Essence of Quran

Extract of Quran in English

Price Rs. 4 00

## मोहञ्जन वा पैगाम

मानव मात्र 'मोहञ्जन' हर रत्ने

का समाधान इस पुस्तक में

पादिए। मूल्य २-५०

## दान-श्राग

'वीना कट्टा' अभियान का अनु-

पम विरलेपण। मूल्य १-००

## शान्ति-सेना

शान्ति सेना की आदर्शरत्ना का

अनुपम विवेचन। मूल्य ०-७५

## प्रेरणा-प्रवाह

सत्य, प्रेम, करुणा का विवेणी का

समय। मूल्य १-२५

## मधुकर

राजनीति और क्रांति के दर्शन

साहित्य की शालीनता व साथ

कीजिए। मूल्य १-००

## क्रान्त दर्शन

'विनोबा जी के क्रांतिकारी विचारों

का अनुपम संकलन। मूल्य १-२५

## नगर-अभियान

विनोबा जी द्वारा हदोरे में दिग्

गये प्रवचन

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१.

## हमारा हिन्दुस्तान कहाँ है ?

मैं भुगाली सैनियोरियम देखकर कुली की तलाश में नाचे उतरा। फाटक पर एक बैठा हुआ था। मैंने उसे इशारे से बुलाया और पूछा—‘बस-स्टैंड चलाने ?

‘क्यों नहीं चलूंगा, और करता ही क्या हूँ’—ऊपर से नीचे तक मुझे देखकर उसने कहा। उसने बीड़ी चुम्माई, बिस्तर सिरपर रखा और चल पड़ा।

उस निर्जन सड़क पर हम दो के सिवाय तीसरा कोई नहीं था। उसने कहा, “बाबूजी, नैनीताल में पढ़ता था तो मैं भी जलूस में शरीक होता था। मैं पंतजी की मीटिंग में भी गया हूँ। कितने जोर के साथ हम लोग नारे लगाते थे, ‘हिन्दुस्तान हमारा है’।”

‘ता तुमने स्वराज्य की लड़ाई में भी काम किया है ?’

‘एक बार, बाबूजी, तीन महीने के लिए जेल भी गया हूँ, लेकिन आज . . . . .।

‘क्या, घर पर कुछ खेती नारी भी है ?’

‘नहीं।’

‘क्यों ?’

‘कई बार दरस्वास्त दी। मेरे घर के पास ही जमीन का एक टुकड़ा है, चाहता था, मुझे मिल जाय, लेकिन हाकिमों के यहाँ सुनवाई नहीं हुई।’

‘होगी, अब तो हिन्दुस्तान अपना है।’

‘कब होगी ? अब तो धीरे धीरे हाथ-पैर भी थक चले। मैं आज भी कभी-कभी सोचता हूँ, हमारा

हिन्दुस्तान कहाँ है ?’

बस स्टैंड आ गया। मैंने उसके हाथ में चक्की रखी। देखा, उसकी आँखें नम थीं।

!दृष्णदत्त भट्ट सर्व सेवा सघ, की ओर से शिव प्रेस, पल्लवाघाट, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित।

केजल कवर—मुद्रक सण्डेलवाल प्रेस, मानमन्दिर, वाराणसी।

गत मास छपी प्रतियाँ ३१००, इस मास छपी प्रतियाँ ३०५०

प्रधान संपादक  
धोरेन्द्र मजूमदार

संपादक  
भाचार्य राममूर्ति



वर्ष ११

अंक ६



वार्षिक अंदा  
एक प्रति

६-००

०-५०



‘लोकतंत्र’ की शक्ति का स्रोत कहाँ है ?

श्री राममूर्ति

चीन-भारत संघर्ष का विवरण

श्री शंकरराव देव

बालकों की यह दुःशा और उपेक्षा क्यों ?

श्री कारिनाथ त्रिवेदा

बाल मनोविज्ञान और माता-पिता

श्री आर० एस० विचार्यो

हम शिक्षक क्या कर ?

सुश्री मार्जरी साइवस

उ० प० नयी तालिम गोष्ठो

श्री वृष्ण कुमार



# नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ ,, जुगताराम दवे
- ३ , काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ श्रीमती मार्जरी साइक्स
- ५ श्री मनमोहन चौधरी
- ६ ,, क्षितिशराय चौधरी
- ७ ,, राधाकृष्ण मेनन
- ८ , राधाकृष्ण
- ९ ,, राममूर्ति



## सूचनाएं

- 'नयी तालीम' का बय अगस्त से प्रारंभ होता है ।
- क्रिया भी माघ से प्राहक बन सकते हैं ।
- पत्र-व्यवहार करते समय प्राहक अपनी प्राहक सल्ला का उल्लेख अवश्य करें ।
- चर्चा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें ।
- नया तालीम का पता—

नयी तालीम

सर्व-सेवा-संघ राजघाट  
वाराणसी-१



## अनुक्रम

	पृष्ठ	
लोकतंत्र की राक्षि का स्रोत		
कहाँ है ?	१७७	श्री राममूर्ति
विज्ञान और लोकतंत्र की चुनौती	१७६	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
बुनियादी शिक्षा और धाम-सेवा	१८१	श्री मनमोहन चौधरी
बालकों की यह दुदशा और		
उपेक्षा क्यों ?	१८६	श्री काशिनाथ त्रिवेदी
भारत चान सघर्ष का विकल्प	१८६	श्री शंकरराव देव
३० प्र० नयी तालीम गोष्ठी	१६४	श्री कृष्ण कुमार
बच्चों की शुरु से शिक्षा (४)		
एक साल की खतरनाक आयु	१६७	श्री राममूर्ति
बाल मनोविज्ञान और माता पिता	१६६	श्री आर एस बिद्यार्थी
संस्कार शिक्षण	२०२	श्री क्रांति बहन
हम शिक्षक क्या करें ?	२०३	श्रीमती मार्जरी साइक्स
प्राम कार्यकर्ताओं की		
हस्तपुस्तिका का सारंश	२०६	---
लोक शिक्षण में कार्यकर्ता		
प्रशिक्षण	२०६	---
सेवामाम-परिपद् के निर्णय	२११	---
'खेती के अनुभव'	२१३	श्री राममूर्ति
सार सकलन	२१५	---



# नयी तालीम

वर्ष-११ ]

[ अंक ६

लोकतंत्र की शक्ति का स्रोत कहाँ है ?

लोकतंत्र की शक्ति का स्रोत कहाँ है ? इस प्रश्न का महत्त्व सदा रहा। लेकिन चीन के आक्रमण ने हमारे लोकतंत्र के अस्तित्व और भविष्य लिए जो चिंता पैदा कर दी है उससे संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर तत्काल ने की आवश्यकता है।

स्वराज्य के बाद हमारे देश में जो शासन-प्रणाली शुरू हुई उसकी एक तबड़ी अच्छाई यह है कि हर वालिग को शासक चुनने के मामले में गनी पसंद प्रकट करने का अवसर है, और एक शासक के निकम्मा साबित जाने पर उसे बदलने की पूरी छूट है। लोकतंत्र में पार्सी-विरोप को फार को बदलने की बात कहना "राजद्रोह" नहीं है। साथ ही एक गरी बड़ी अच्छाई यह है कि लोकतंत्र की भूमिका में सामाजिक क्रान्ति लिए न पहचान करने की आवश्यकता है, न सघर्ष की। जनता के 'मत' क्रान्ति का स्रोत है। हमारा पंद्रह साल पुराना लोकतंत्र चाहे जितना धूरा हो लेकिन उसने परिवर्तन के जो अवसर सुझे रखे हैं वे विकास। दृष्टि से अनमोल हैं। इसलिए आज हमारे सामने दुहरी समस्या है- क ओर चीन से अपनी भूमि की रक्षा, दूसरी ओर फासिस्टवादी शक्तियों इस 'अवसर' की रक्षा।

तर्क के लिए अगर यह मान भी लें कि भूमि की रक्षा सेना से ही हो कती है, यद्यपि आज के व्यापक युद्ध में नागरिक शक्ति के बिना शायद नना होना भी कठिन है, लेकिन लोकतांत्रिक और समान 'अवसर' की रक्षा कैसे होगी ?

पिछले पंद्रह वर्षों में हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो स्वरूप प्रकट हुआ है उसमें हमारे नेताओं ने जैसे यह मान लिया है कि पाँच साल में एक बार जनता घोट दे दे और सरकार की ओर से लोक-कल्याण के कुछ काम होते रहें तो लोकतंत्र शक्तिशाली हो जायगा। उन्होंने यह नहीं समझा कि उनकी नीति-रीति के कारण लोकतंत्र तो बहुत फैला लेकिन 'लोक' निरंतर दुर्बल होता गया, यहाँ तक कि स्वराज्य की लड़ाई के जमाने में जनता में अनीति और अन्याय के प्रति जो "रेज़िस्टेंस" था वह भी समाप्त हो गया और जनता दिनोंदिन असहाय और असमर्थ ही होती गयी। वायजूद इसके कि तीन देश-व्यापी पंचवर्षीय योजनाएं चलीं जनता अपने को अलग (लेफ्ट आउट) ही पाती है। लोकतंत्र की श्रेष्ठता इसमें है कि जनता अपने लिए कितना करती है और सरकार कहीं तक जनता की पूरक शक्ति बन सकती, न कि इसमें कि सरकार जनता के लिए कितना करती है और जनता को कहीं तक अपनी मर्जी के अनुसार चला लेती है। अगर हम केवल तंत्र की दृष्टि से देखें तो फासिस्टवाद लोकतंत्र से शायद अधिक सक्षम साबित हो। लोकतंत्र का स्रोत जनता की सहकार-शक्ति यानी लोकशक्ति में है, सरकार-शक्ति में नहीं।

वापू ने अपने जीते-जी लोकशक्ति की पौद भारत की भूमि में लगा दी थी लेकिन उसके बाद के लोकतंत्र ने लोकशक्ति को उखाड़ फेंका। नेता और शासक ने मिलकर जनता को उमड़ने नहीं दिया। जिस देश को गांधी ने विरासत में नेहरू और विनोबा जैसे मानवतावादी जननायक दिये वहाँ लोकशक्ति का इतना पूर्ण अभाव दिखायी दे, इसे इतिहास का एक कौतुक ही मानना चाहिए। अगर देश में आज थोड़ी भी नागरिक-शक्ति होती तो हमारी भूमि इतनी अरक्षित न होती, लोकतंत्र पर इतने अघात न होते। जो कुछ भी हो, चीनी आक्रमण ने देश के जीवन में जो मंथन पैदा किया है उससे स्पष्ट है कि हमारा आज का लोकतंत्र सैनिक में अपनी शक्ति का स्रोत देखता है, नागरिक में नहीं। इसलिए वह कहीं तक फासिस्टवाद के प्रहारों को बर्दाश्त कर सकेगा, कहना कठिन है। अगर उसे सचमुच अपनी रक्षा करनी है तो अविलंब अपना रंग-ढंग बदलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 'तंत्र' को छोड़कर जितना ही वह 'लोक' के पास जायगा उतनी ही अधिक उसकी शक्ति बढ़ेगी। 'लोक' गाँवों, टोलों और महलों में रहता है, राजधानी के महलों और व्यापार-केन्द्रों की कोठियों में नहीं। लोकतंत्र के विकास में शिक्षा, उत्पादन और व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना पहला अनिवार्य कदम है। शिक्षा सरकार से मुक्त हो, उत्पादन पर से निजी स्वामित्व हटे, और व्यवस्था सहकारी हो—ये तीन काम लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यक हैं। इनसे कम में जनता उठ खड़ी होने के लिए प्रेरित नहीं होगी। भाषणों, गीतों और नारों की दुनियाँ टिकाऊ नहीं होती। विनोबा का प्रामस्वराज्य आन्दोलन लोकतंत्र को स्थायी और सबल बनाने का आन्दोलन है।

क्या हमारे नायकों को यह बात सूझेगी या देश इसी तरह नियति के ही भरोसे रहेगा ?

—राममूर्ति

## विज्ञान और लोकतंत्र की चुनौती

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

विज्ञान और लोकतन्त्र आज इस युग की सबसे बड़ी देन हैं। मनुष्य की स्वतंत्रता का विकास एक तरह से पराक्रान्ता पर पहुँच गया है। लेकिन इन दो चीजों में क्या है इसे सोचने की जरूरत है। आज विज्ञान और लोकतंत्र, दोनों मानव-समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गये हैं और मानव समाज विज्ञान और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इस तरह से दोनों का दोनों पर प्रभुत्व है। मानव का प्रभुत्व विज्ञान और लोकतंत्र पर है और विज्ञान और लोकतन्त्र का प्रभुत्व मानव पर है। आज विज्ञान की क्या चुनौती है? विज्ञान की चुनौती है—मनुष्य तुम अपना स्वभाव बदलो, तुम अपने लिए रास्ता चुनो। मनुष्य के स्वभाव में जो बाते हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। सत्तानाद और प्रतिस्पर्धावाद, इन दोनों का दोनों पर प्रभुत्व है। प्रतिस्पर्धावाद ने विज्ञान के विकास को एक दूसरे को परान्वित करने के काम में लगाया है। इसके लिए नये-नये औजार निकाले हैं। अणुशक्ति आदि क्या-क्या निकले हैं।

मैं कहा करता हूँ कि पुराण में देव, दानव और मानव कहा गया है लेकिन ये तीन चीजें नहीं हैं। देव और दानव का मिश्रण मानव है, वह देवानुस है। हरेक मनुष्य के दिल में देव भी है, असुर भी है। इसके रहते हुए मनुष्य सोचने लगा कि मनुष्य का विकास कैसे हो, तो उसने शिक्षा निकाली। शिक्षा के जरिए देव को अपने बचाया और राजतंत्र को निकालकर असुर को दबाया, लेकिन राजतन्त्र जब से आया तब से सत्तानाद घुसा, आकाशवाणी घुसी, प्रतिस्पर्धावाद घुसा और इस तरह से शक्तों का आधुनिक रूप हुआ। जब शक्तों का आधुनिक रूप

हुआ तब सवाल आया कि यह प्रतिस्पर्धा अगर मनुष्य के स्वभाव में रह जाय तो मनुष्य अपने समाज के कारण अपना नाश करेगा और ये बम धीरे-धीरे सब एक दूसरे पर गिरेंगे। तो लोगों ने सोचा कि इन सबको खत्म करना चाहिए, तब निश्चयीकरण की बात कही। हम निश्चयीकरण की बात रोज सुनते हैं, लेकिन यह हो कैसे?

ये चिंतने बिल्गस्तर लोग कहते हैं कि अणुशक्ति बन्द करो, गलत कहते हैं। मानलिये यह सब बन्द हो जायगा तो यह राजदण्ड, जो अमुर दमन के लिए बना हुआ है—मनुष्य जब से आया है तब से यह राजदण्ड चल रहा है—क्या करेगा? जब अमुर का प्रकोप होगा तब यह पुलिस क्या माला लेकर आयेगी आपका नियंत्रण करने!

अगर प्रकृति का अन्त है विवृति तो वह मिट नहीं सकती। उसका प्रकोप जरूर होगा। आज दण्ड शक्ति की जो 'शक्ति' शक्ति है उसे खत्म करना चाहते हैं तो फिर कौन-सी शक्ति अमुर के प्रकोप को दबाने का काम करेगी? यह एक सवाल आज विज्ञान की चुनौती है। लोकतंत्र की चुनौती मनुष्य पर है कि मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलेगा तो मनुष्य लोकतन्त्र को खायेगा। पहले जमाने में यह था कि राजा का बेटा राजा हुआ और बड़ा ही बेटा राजा हुआ। लड़ाई होती थी तो भाई भाई में बड़े भाई का गला काट दिया तो छोटा भाई राजा हो गया। लेकिन यह हरिहर मासी कभी नहीं सोचता था कि हम राजा होंगे। लोकतन्त्र में हरिहर मासी भी स्वप्न देखता है कि हम राजा होंगे। तो जहाँ हरेक को सत्ता मिल सकती है वहाँ प्रतिस्पर्धा आज सामाजिक

अज्ञ हो गयी। और किसी का समाजीकरण हो या न हो सत्ता की प्रतिस्पर्धा का समाजीकरण हो गया। साम्यवाद से समाज पर और कोई चीज नहीं पहुँची परन्तु प्रतिस्पर्धा साम्यवाद से समाजवाद पर पहुँच गयी। ऐसी हालत में चाहे हमारे कुछ नेता हजार सेवा भारती फिर इसीलिए सोले कि उसमें लीडर पैदा हों तब भी सत्तावाद व समाजीकरण होने के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा बन्द नहीं कर सकेंगे। क्योंकि सत्ता न छोड़ने की इच्छा मनुष्य के स्वभाव का अङ्ग है। मनुष्य क्या देवता का भी वही स्वभाव है। परलोक में तपस्या का जो रेकार्ड रीट करेगा वह इन्द्र होगा। और जैसे ही इन्द्र हुआ कि दूसरों की तपस्या को भङ्ग करना गुरु कर देगा। यह मनुष्य-स्वभाव लोकतन्त्र पर खतरा है।

तो ये दो सतरे हैं। विज्ञान को विज्ञान से उतारा यह है कि मनुष्य-स्वभाव के कारण अगर सच हो जाय तो चाकी चीजें कहीं भी जाय पहले विज्ञान को ही खत्म होना पड़ेगा। मनुष्य-स्वभाव ने सत्ताको सार्वभौम बना दिया है और सेवक को सेवक, 'दास' बना रखा है। इस तरह लोकतन्त्र पर मनुष्य-स्वभाव का खतरा है। अब दोनों को बचाने के लिए एक ही उपाय रह जाता है। दण्ड के बदले कोई दूसरी सांस्कृतिक शक्ति मनुष्य के भीतर के 'अमुर' का नियन्त्रण करे। ऐसा सांस्कृतिक विकास हो ताकि वह क्रोध आदि पर समय कर सके। समाज के अन्दर सामाजिक शक्ति इतनी सगठित हो कि समाज के आदर जो स्पष्ट विद्युति होगी, जो तात्कालिक उभार की विकृति होगी, उसको वह दबा सके। अगर ऐसी परिस्थिति आप नहीं पैदा करेंगे तो आज जो शशास्त्र हैं वे हमारे लिए घातक हैं। मैं आपसे निश्चित कहता हूँ कि यह शस्त्र कहीं न कहीं गिरेंगे, या तो मानव के सिर पर गिरेंगे या खुशबू के कहने के मुताबिक समुद्र में। बस मानव के सिर पर गिरेगा तो सर्वनाश होगा और समुद्र में गिरेगा तो 'युवदा निर्वास' होगा।

ऐसी हालत में शिक्षा को वह स्थान लेना पड़ेगा जो स्थान आज राजदंड के हाथ में है। राजदंड का

समाज में जो पब्लिक है वही शिक्षा का पब्लिक होगा।

एक धर्म के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने से काम नहीं चलेगा। समस्त मानव के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, उसकी टेक्नीक निकालना होगी। इसीलिए प्रायः मैं कहता हूँ, अर्मा मॅने काफ़ी विस्तार से लिखा भी है कि अतएव समाज-परिवर्तन, समाज के अधिष्ठान और समाज की धारण शक्ति का जो दायनेमिक्स—चायक शक्ति—है वह आगे सामाजिक नहीं होगी, आर्थिक नहीं होगी, वह शैक्षणिक-शक्ति होगी। मंत्रिप्रिय व राजनीति और अर्थनीति का स्थान नहीं है। उल्टि समाज की लीडरशिप और समाज का दायनेमिक्स शिक्षा होगी।

जब आप सरकार प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो यह समय नहीं है कि आपको अपने स्वामाधिक कर्म से छुट्टी दिला कर शिक्षा दें। आपको गांधी के मार्ग पर आना पड़ेगा। आज के जमाने के विज्ञान और लोकतन्त्र की चुनौती है कि आना पड़ेगा। यानी दंड शक्ति के विकल्प में सांस्कृतिक शक्ति को अगर अधिष्ठित करना है तो समग्र शिक्षण के दिना दूसरा कोई उपाय नहीं है।

राजतन्त्र में सर्वोत्तम शिक्षण की व्यवस्था युवराज के लिए किया जाता था और वह शिक्षा वाम से ही शुरू की जाती थी। लोकतन्त्र में हरेक भगते का बच्चा हरेक मुसहर का बच्चा, हरेक चमार का बच्चा युवराज ही सकता है तो समाज के श्रेष्ठतम शिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक युवराज के लिए करनी ही होगी। लोकतन्त्र की इस महान चुनौती को आज का समाज इन्कार नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोकशाही नहीं चलेगी। या तो सुडानन होगा या धोखेबाजी का तंत्र होगा या किसी और का होगा लोकतन्त्र नहीं होगा।

यह सेवाभारती की जो परिस्थितना है वह सारे देश के साठे पाच लाख गांव में जहाँ ग्रामभारती का काम शुरू हो जायगा तब भी इस प्रकार की सस्था की आवश्यकता रहेगी। इसकी जो कल्पना है वह

[ लेख पृष्ठ २१५ पर ]

# बुनियादी शिक्षा और ग्राम सेवा

( लेखांक-३ )

श्री मनमोहन चौधरी

मैंने पहले कहा है कि बच्चों का शिक्षण और प्रौढ़ों का साधारण शिक्षण—दोनों पर अलग-अलग विचार करना सुविधानुसृत रहेगा। राद् के परिच्छेदों में ऐसे कुछ विचारों की चर्चा की है जिससे यह स्पष्ट समझने में मदद होती है कि इन दोनों क्षेत्रों में, हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना है और आगे के काम को क्या स्वरूप देना है। मैं बुनियादी शिक्षा के पूर्व बुनियादी और उत्तर बुनियादी दोनों स्तरों के आगे के कार्य पर विचार करना चाहूँगा।

जैसा कुछ मैं देख रहा हूँ हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम को दो स्तरों में काम करना होगा। एक स्तर में उसकी ऐसी पद्धति का विकास और प्रयोग करना होगा जो अहिंसक समाज रचना की दिशा में उपयोगी साधन सिद्ध हो सके। और दूसरे स्तर में जनता और सरकार दोनों हमारी इस पद्धति को अधिकाधिक अपना सकें ऐसा प्रयत्न करना होगा। सामाजिक क्रांति का दिशा में आज महत्त्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि समाज में लमार का काम दे सकने वाले सुसज्ज और प्रमुद एक वर्ग का निमाण हो। देश में कुछ शालाएँ ऐसा होनी चाहिए जो इसी कार्य के लिए समर्पित हों। कहना न होगा कि निश्चित हा इन सस्थाओं का सञ्चालन सार्वजनिक आधार पर होना चाहिए और इन्हें सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज की स्थिति में यह अपेक्षा मुश्किल है कि ऐसा शाला को कोई गांव या कुछ गावों का समूह पूरा आर्थिक आधार और विचारधियों को प्रभ्रय देगा। लोगों को ऐसा लग सकता है कि इन शालाओं का लक्ष्य उन को पहुँच के बाहर है। ऐसी शालाओं के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता राज्यस्तर या दश के स्तर तक पर भा एकान्त करना होगा और विद्या र्थियों की मर्तों के बारे में भा ऐसा हा सोचना होगा।

जनवरी, '२३ ]

विनोबाजा ने कई बार अपनी इच्छा व्यक्त की है कि एक शाला भी तो ऐसा शाला हो जो नौकरा पणा लोगों को तैयार न करता हो। इसका आशय में यह दर्शा कि उस शाला से निकले हुए विद्यार्थी विचारों से इस हद तक अनुप्राणित होंगे कि उन्हें नौकरा की तलाश में निकलने से घृणा होगा और किसी न किसी दस्तकारी में व इतने कुशल होंगे कि स्वयं किसी लामदाया घघ में गग सकें।

इस प्रकार शालाओं के सामने दो काम प्रस्तुत होत हैं एक है सतुलित और समग्र व्यक्तित्व का विकास और दूसरा उच्चस्तरीय तकनाकी शान देना। और भी कुछ मुद्द हैं जो पिछले परिच्छेदों में उल्लिखित व्यक्तित्व विकास से संबन्धित ह, जैसे उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत प्रेरणा बौद्धिक गतिशीलता, जडवत न रहने की वृत्ति, मुदद आमनिश्चय, भावनामक पारपक्वता आदि। यह बहुत आवश्यक है कि सारा वातावरण बौद्धिक दृष्टि से और स्वाभाविक रूप से स्फूर्तिप्रद हो। पुनरुक्ति का दोष स्वाकार करते हुए भी मैं एक बार आर दुहराना चाहता हूँ कि हमें इस व्यक्तियों का निमाण नहीं करना है जो पूर्व निर्धारित कट्टर विधासा और आचारों से चिपके रहें, बल्कि ऐसा मन निमाण करना है जो इस दृष्टि से किसी प्रकार सञ्चर्ण न हों और सचार भर में जो असख्य कट्टरताएँ हैं उन को टुकरा सकें।

इन शालाओं के पाठ्यक्रम में अग्रचना और यदि समव हो तो अन्य विदेश भाषाओं की निश्चित रूप से स्थान मिलना चाहिए।

शालाओं में अनिवार्य सामूहिक प्रार्थना में कितना क्या आध्यात्मिक मूल्य है इस बारे में मुझे बड़ा सशय है।

शात्राओं का सांस्कृतिक वातावरण निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। हिंदुत्व या राष्ट्रियता आदि संकीर्ण पृष्ठभूमि से विलुप्त परे होना चाहिए जो सर्वाद्य आंदोलन में भी विरासत के रूप में सुख गया है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आतिर अरुओघों की उस मजबूत गॉट से बाहर निकल आवे हैं जो हमने आप ही बाँध रती थी, और आज के युग में ग्रामोयोगों के स्वरूप और कार्य का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए हम अब अधिक स्वतन्त्र हैं। जैसे श्री अण्णा साहब बार-बार कहते रहते हैं कि ग्रामोयोगों की तकनीकी क्षमता हमें अत्यधिक मात्रा में बढ़ानी होगी ताकि हम आधुनिक स्तर की तुलना में लड़े हो सकें और यह करने के लिए विजली और अयाय शक्तियों का मुक्त भाव से उपयोग करना होगा। इन शालाओं को इस संवध में प्रयोग करने होंगे और ऐसे सुधरे तरीके के ग्रामोयोगों का प्रदक्षिण उन विद्यार्थियों को देना हागा। विद्यार्थियों में इतनी क्षमता और आम विश्वास पैदा करना होगा कि वे अपने पैरोंपर खड़े हो सकें और सतोपजनक कमाई कर सकें। इस बारे में मैं हिंदू धर्म की बहिष्कारों से भरी हुई उस मनोवृत्ति की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा जो सर्वोदय में भी आ गयी है। जैसे एक बार विनोबाजी ने जिक्र किया था यदि कोई बुनियादी शिक्षा पानेवाला युवक बाहर जाकर एक होटल चलाने का विचार करे तो हम में से अधिकतर लोगों को धक्का लगेगा। यह मनोवृत्ति रतम होनी चाहिए। विद्यार्थियों में इतनी उदात्तता और क्षमता निर्माण करनी चाहिए कि जब वे आजीविका कमाने निकलें तब जो भी प्रतिष्ठित धधा उ है पसद आवे या सहज प्राप्त हो वे उसे अपना सकें।

हम अपेक्षा रख सकते हैं कि इन शालाओं से निकले हुए अधिकतर विद्यार्थी सर्वाद्य आंदोलन में पूरे समय के सक्रिय कार्यकर्ता बनना चाहेंगे। यह इसलिए नहीं कि उन्हें नौकरी की आवश्यकता है और कहीं दूसरी जगह जीविका कमाने में वे असमर्थ हैं, बल्कि इसलिए कि सर्वाद्य में काम करने की उनकी इच्छा होगी। यह बहुत आवश्यक है कि विद्या

र्थियों में एक न एक साधन द्वारा जायिका कमाने की उनकी अपनी योग्यता के संवध में पक्का रिस्सा पैदा किया जाय।

जो विद्यार्थी पूरे समय के कार्यकर्ता के रूप में आना नहीं चाहेंगे, किसी दूसरे काम में लगे, उन से भा हम इतनी आशा जरूर रख सकेंगे कि वे तब भी सर्वाद्य-दृष्टिकोण से अनुप्राणित रहेंगे और अन्यान्य नागरिक के रूप में वे इस आंदोलन की सहायता करेंगे तथा वे जहाँ भा रहें अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की छाप छोड़ेंगे।

सर्वाद्य आंदोलन में विभिन्न कई प्रवृत्तियाँ हैं जिन में विशिष्ट प्रतिभा की आवश्यकता है। इन बुनियादी शालाओं को इनकी पूर्ति का काम करना होगा। हमें अपने प्रशासन विभाग के लिए पत्रकारों और साहित्यिकों, खादी ग्रामोयोग के प्रयोग के इंजीनियरों, अर्थशास्त्रियों, शरीर शास्त्रियों और मनो वैज्ञानिकों, कृषि विशारदों, शांतिसैनिकों आदि का बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है जो उत्कृष्ट योग्यता रखते हों। तो जो गेग सर्वोदय-आंदोलन के पूरे समय के कार्यकर्ता बनना चाहेंगे उनको एक क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त करनी होगी। हमारे प्रकाशन विभाग, शांति सेना-मण्डल, सेवाग्राम का कृषि-उद्योग प्रधान निर्माण-कार्य आदि प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ उस-उस विषय के उच्च शिक्षण और प्रयोगों की सुविधाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे, मानव विज्ञान, समाज मनोविज्ञान अथवा मकै निकल इंजीनियरिंग, ऐसे कुछ विषयों के उच्च शिक्षण के लिए कुछ लोगों को सव-साधारण विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में भेजना होगा।

जब तक देश में परीक्षा पद्धति को बदलने में हम सफल नहीं हो जायेंगे तब-तक प्रसंगवशात् अपने ही लाभ की दृष्टि से वर्तमान परीक्षा प्रणाली को अपनाना होगा। इसका आशय यह है कि हमारी इन शालाओं के विद्यार्थियों को उन परीक्षाओं में बैठने का मनाही नहीं होनी चाहिए।

प्रचलित शिक्षापद्धति में और बुनियादी पद्धति में विद्यमान फरक के संवध में विनोबाजी और दूसरे लोग

बार-बार जिक्र करते रहते हैं कि इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बुनियादी शालाएँ अपनी श्रेष्ठता के इस फयन का उपयोग अक्सर अपनी हीनता क आच्छादन के रूप में कर लेती हैं। दूसरे भी इस फयन का उपयोग एक उद्देश्य से करते हैं। हम म से कई लोगों को भय है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष सभार में स्वयं अपने पैरों पर सफलता पूर्वक रहने होने लायक क्षमता प्राप्त कर लेगा तो फिर वह सर्वाधिक-क्षेत्र को छोड़ जायगा। मैं ऐसे कई जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को जानता हूँ जो अपने सहायक कार्यकर्ताओं को कुछ अप्ययन आदि करके अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के विरुद्ध हैं। सार्वजनिक सस्थाओं द्वारा सचालित बुनियादी शालाओं के कर शिक्षकों से मने बातचीत की है कि वे अग्रेजी का और पराधा का निरोध क्यों करते हैं, तो मादूम हुआ कि यह विरोध इस विचार से निकला है कि एक बार ऐसा कर देने का अर्थ होगा विद्यार्थियों को औरों की तरह अपना स्थान मान बनाने के लिए अवसर प्रदान करना। दूसरे क्षेत्र के लिए किसी की अयोग्य बना कर सर्वोप्य क्षेत्र में बनाये रखने का यह प्रयत्न वैसा ही है जैसे बैल को केवल जोतने के ही लायक बनाना। मनुष्य-स्वभाव के प्रति इस प्रकार की मनोवृत्ति समूचे रुढ़िगत हिंदू विचार पर छापी हुई है और हमारे विचारों पर भी इसका इतना प्रभुत्व जम गया है कि हमें उसका भान भी नहीं होता है। जितनी जल्दी इन अनिष्ट विचारों से हम मुक्त हों उतना अच्छा। उसके बाद हा अग्रेजी का और परीक्षा का हमारा निरोध वास्तव में प्रगति शील बनेगा।

## ६ नयी तालीम को लोकप्रिय बनाना

यह समय नहीं है कि विशिष्ट रूप से चलाया जानेवाली कुछ योद्धा शालाओं में शिक्षण का जो स्तर रहेगा वह लाखों शालाओं में भी कमी बनाया जा सके। इस विषय में सरकारी शालाओं और सार्वजनिक सस्था द्वारा चलनेवाली शालाओं में कोई फरक नहीं है गो दूसरे पहलुओं से इनम बड़ा मौलिक भेद हो जाता है। तिस पर यह भी अपेक्षा नहीं की जा सकती

जनवरी, '६३ ]

कि जनता या सरकार कोई भी, किसी एक कार्यक्रम को, भले ही वह सर्वाच्छ्रेष्ठ कार्यक्रम हो, पूरा का पूरा अपना सपेगी। यस्तुरियति तो यह है कि जो सर्वात्तम है वह स्वीकार किये जाने की राह पर ही रह जाता है। ऐसी श्री जी० बी० शाह ने व्यंग्य किया था कि किसी सुधार को बहुमत से स्वीकार कराने में तीस वर्ष ल्यंगे और तब तक वह सुधार पुराना पड़ जायगा।

इसका यह अर्थ नहीं कि शासन हमेशा प्रतिक्रियावादी ही होता है और किसी भी मौलिक सुधार के कार्यक्रम को शासन से मनवाने की आशा ही नहीं की जा सकती, अपवा हम समय से इतना आगे बढ़ चुके हैं कि जनता हमारे विचारों को ग्रहण नहीं कर सकती। इसका सीधा सादा अर्थ यही है कि जो आदोलन सजीव है, तेजस्वी है, और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है, वह बराबर नये-नये शोध करता रहेगा और नये विचारों और कार्यक्रमों को जन्म देता रहेगा। इस प्रकार अतीत का उ के विचार प्रचार में आते रहेंगे और नये कार्यक्रमों के नवशे आखों के धामने रूपित होते रहेंगे। इस पर से यह बात प्यान में आती है कि प्रजातंत्र की अच्छी से अच्छी सरकार भी औसत बहुमत का ही प्रतिनिधित्व कर सकती है, उससे बहुत आगे नहीं जा सकती।

और कोई आदोलन यदि निरंतर प्रयोगों और शोधों द्वारा जीवित रहता है तो वह भी अपने पिछले विचारों को समाज से मनवा नहीं सकेगा। जिनके पास एक दो ही विचार हैं और ल्यातार उसी का दोल पीटते रहते हैं तो वे जल्दा ही अतात के राज्य म निवासित किये जात है। कुछ ही समय के बाद वे यह भी नहीं जान पायेंगे कि उनका विचार कब मान्य हुआ था और उसी को जब वे दूसरे जाने में देखेंगे तो पहचान भी नहीं पायेंगे।

बुनियादी शिक्षा की सर्वमान्यता के लिए प्रयत्न करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। इस पद्धति का विकास २५ वर्ष पूर्व उस समय की परिस्थिति के परिणामस्वरूप हुआ था। नया हमने तब से अब तक उसमें कोई महत्वपूर्ण नया शोध किया है। या हम में यह भावना है कि हमने हमेशा

[ १६३ ]



के लिए उपयोगी, और परिपूर्ण पद्धति पा ली है ! शिक्षा जगत के सामने समय-समय पर आनेवाली समस्याओं को क्या हमने अपनी दृष्टि के सामने रखा है और उनके साथ अपने कार्यक्रमों को जोड़ा है ! क्या इस सम्भावना का हमें मान है कि यह विश्व और उसके साथ-साथ शिक्षा-विज्ञान इस अरसे में निरन्तर आगे बढ़े होंगे और धरती पर ऐसे भी लोग होंगे जिनको हमारी जैसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा तथा उनके हल के लिए वे भी प्रयत्नशील होंगे ! बुनियादी शिक्षा आंदोलन के भविष्य-निर्णय की दृष्टि से इन प्रश्नों का उत्तर अत्यन्त महत्त्व रखता है । -

मुझे ऐसा लगता है हमारे आंदोलन को बहुत सारे विरोधों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, उससे हमारे अन्दर अपना बचाव करने की एक मनोवृत्ति पैदा हो गयी है और हम कट्टर बन गये हैं । इस कारण हम दूसरों की राय और भावना के प्रति निर्विकारी बन गये हैं और नये विचारों और परिस्थितियों का आह्वान सुनने लायक नहीं रह गये हैं । इसका उलटा नतीजा यह हुआ है कि विरोध कड़े होते गये । -

भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार कर लिया है और इसका प्रसार करने का वचन दिया है । इससे वर्तमान परिस्थिति किसी तरह सुलक्षी नहीं । शिक्षा शासन का विषय है, पर शासन के अधिकारियों में इसके प्रति अत्यल्प श्रद्धा है । अतः वे इस मामले को दृढ़ से छू भर देते हैं, इससे केन्द्रीय दबाव लाकर इसे कुछ आगे बढ़ाने के हमारे सारे प्रयत्न विफल होने के सिवा और कुछ नहीं होता ।

कभी-कभी हम लोगों को लगता है कि यह सब सामाजिक क्रान्ति से ही ठीक हो सकेगा । सामाजिक सद्म का प्रभाव शिक्षण के स्वरूप पर पड़ता ही है । उदाहरण के लिए जो समाज वर्गभेद के आधार पर खड़ा है और उसी को आगे भी चलाने में विश्वास करता है वह निश्चित रूप से अपनी शिक्षा-पद्धति में वर्गभेद पर जोर देगा ही । यह भी सही है कि अन्तर सरकारी को खासकर भारत सरकार को जो निश्चलता के लिए बदनाम है, कुछ हिलाने में ये क्रान्तिकारी

पटनाएँ सहायक होती हैं । पर क्रान्ति कैसी ! किन्हीं हम प्रामदान आन्दोलन के रूप में भूमि-सम्बन्धी एक क्रान्ति के लिए काम कर रहे हैं । मान लें भारत में छात्रों की संख्या में प्रामदान हो गये हैं । वह शैक्षणिक मोर्चों को किस तरह प्रभावित कर सकेगा ! क्या इससे धाज नौकरी के बढ़ते हुए अवसर जो बुद्धिजीवी युवकों को गाँवों से दूर जाने के लिए आकर्षित कर रहे हैं वे रतम हो जायेंगे या कम होंगे ! क्या यह प्रवाह बुनियादी शिक्षा के प्रति शहरी लोगों के विरोध को खतम करेगा !

कोई देवी घटना भी हमारी सारी समस्याओं को एक झटके में हल नहीं कर सकती । एक-एक करके हमें उनका सामना करना होगा और उन्हें हल करना होगा । हमारी पहली कठिनार्थ यह है कि बुनियादी शिक्षा के प्रति देहाती लोग भी बेचरती बरतते हैं । उनके मन में संशय है और यह भी सही है कि सरकार ने बुनियादी शिक्षा को एकदम निम्न स्तर में ढकेल दिया है । शिक्षा के तीन स्तर हैं :—पहला ऊँचा स्तर पब्लिक स्कूल का है जो शासकवर्ग के बच्चों के लिए है ; दूसरा, साधारण स्कूल जो सामान्य बुद्धिजीवी वर्ग के लिए है और तीसरा, बुनियादी शाला जो देहाती लोगों के लिए है । इस कठिनार्थ को यों दूर किया जा सकता है कि बुनियादी के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षण का द्वार खोल दिया जाय जो आज बंद है । लेकिन आज की परिस्थिति में हमारे लिए यह देना ही ज्यादा कहा जायगा, लेना कम । बजाय इसके होना यह चाहिए कि देना लेना दोनों ही दोनों के लिए बराबर हो । फिर भी थोड़ा बहुत समझौता आज की स्थिति में भी वाछनीय है जो कि आगे के बड़े कदम के लिए तैयारी का काम सिद्ध हो । उदाहरण के लिए अंग्रेजी का मामला ही लें । हमारी दलीलें प्रवाहदृश्य हो गयी हैं, स्थिति लेकिन यह है कि भाषा-संबन्धी हमारे मतभेदों के कारण विश्वविद्यालयों और प्रशासन में अंग्रेजी को हटाने के मार्ग में गंभीर कठिनाइयाँ पैदा हो गयीं । ऐसी परिस्थिति में उसे सेकेण्डरी दर्जे से स्वीकार करना उचित नहीं होगा । उसे देर से दायित्व करने की माग हम ने यह मान

कर की कि कोई भी विदेशी भाषा सीखना ९१० साल की अपेक्षा १३ १४ साल की अवस्था में आसान होता है। बल्कि तब हमें अंग्रेजी सिखाने की अधिक सक्षम पद्धति खोज लेनी होगी ताकि जो विद्यार्थी बुनियादी शाला में सातवें या आठवें दर्जे में अंग्रेजी सीखने लगेगा वह साधारण स्कूलों में उससे भी पहले के दर्जे में अंग्रेजी सीखनेवाले लड़के की बराबरी कर सके।

लेकिन इसका अगला महत्त्व का कदम यह होगा कि जहाँ कोई भी आंदोलन आरंभ हो वहाँ जनमत तैयार हो। इस दिशा में हम अधिक कुछ नहीं कर पाये हैं। इसके लिए हम नयी तालीम की ओर एक शैक्षणिक आंदोलन की दृष्टि से देरना हागा, वजाय इसके कि यह पद्धति व लिए आवश्यक एक प्रतिन्यायन समझौता जाम। किसी भी आंदोलन को सामयिक समस्याओं और मामलों से संपर्क रखना और जनमानस को उकसाते रहना आवश्यक है। उसे निरंतर समानधर्मी आंदोलनों और शक्तियों से संपर्क रखते हुए खुद को समृद्ध और विशाल बनाने को प्रयत्नशील रहना चाहिए। जनता के सामने विशाल मोर्चे प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट मामलों के अनुकूल जन-मानस प्रभावित करने का भी प्रयत्न करना चाहिए।

इसके लिए शिक्षा-पद्धति व विभिन्न तत्वों की अलग-अलग लेकर चलना ही अधिक सफल होगा, अनिश्चित इसके कि सब को एक गठरी में गांध कर चला जाय। जो विषय जुनै वे बुनियादी शिक्षा की पहलू न होने चाहिए, बल्कि शिक्षा-सामान्य की समस्या होनी चाहिए, फिर उन का संबंध बुनियादी शिक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण व लिए आज की अनुशासनहीनता की ज्वलंत समस्या को लें। इस समस्या व मूल में निहित कारण क्या हैं? उन समस्याओं को सुझाने में बुनियादी शिक्षा की देन क्या है? बुनियादी शालाओं का हमारा अनुभव क्या है? क्या हमारे पास कोई आधार-भूत सामग्री है जिस पर भरोसा किया जा सकता हो? पद्धति कौन से ऐसे तत्व हैं जो सफलता की दिशा में ले जा सकते हैं, जिन्हें हम प्राप्त कर सके हों? इस समस्या को सामने रख कर हमने क्या अपनी शालाओं में प्रयोग किया है?

इस समस्या पर राष्ट्रव्यापी विचार-चर्चा का आरंभ ही नहीं, बल्कि अपनी शालाओं में हम इस पर प्रयोग भी करने होंगे जिस से अधिक सक्षम पद्धतियों का विकास हो सके।

इसी प्रकार राष्ट्रीय एकरता की समस्या को ले सकते हैं। शालाएँ किस प्रकार उसे प्रेरित कर सकती हैं? इसमें समाज विज्ञान व अध्ययन का और सामूहिक जीवन का स्थान क्या होगा? इस दिशा में बुनियादी शालाओं ने किस प्रकार की सफलता प्राप्त की है?

अथवा बड़ी संख्या में टेकनीकल व्यक्तियों की आवश्यकता का ही प्रश्न लें इसका भी संपन्न बुनियादी शिक्षा में हो सकता है। विद्यार्थियों में तकनीकी मनोवृत्ति का समुचित विकास करने के लिए किस प्रकार की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पद्धति आवश्यक है? सरकारी और मौखिकता का वाग्दना प्रिलुप्त पैमाने पर कैसे उदायी जा सकता है? इन विषयों में बुनियादी शिक्षा कहा तक सहायक सिद्ध हो सकती है?

इन चर्चाओं को प्रारंभ करते समय हम ध्यान रखना होगा कि दोनों तरफ से द्वार खुला रहे। यदि हम चाहते हैं कि इन चर्चाओं से दूसरों को लाभ पहुँचाना है तो हम भी लाभान्वित होने को तैयार रहना चाहिए। देश में कई समस्याएँ और कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शिक्षा पद्धति और विचार काफी प्रगतिशील हैं, पर व समा मामलों में हम से हूँ हूँ एकराय नहीं हैं। हमें प्रयत्न करना होगा कि किस किस क्षेत्र में वे और हम सहमत हो सकते हैं। हम यह सोचें और फिर इन विषयों व अनुकूल जन-मानस दिशित करने का हमें संयुक्त अभियान करना चाहिए। हो सकता है हमें बुनियादी शिक्षा का विशिष्ट प्राथमिकता न देते हुए शिक्षा-क्षेत्र व शिक्षा-मसलों को हाथ में लाना पड़े। शिक्षण को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना एक ऐसा ही प्रश्न है। दूसरा है पाठन पुस्तकों में छिछोरापन। तीसरा महत्त्वपूर्ण विषय है शिक्षा में एन० सी० सी० ट्रेनिंग का समाहित अनिवार्यता। हम यदि यह मांग करें कि एन० सी० सा० की ट्रेनिंग [ शेष पृष्ठ १६८ पर ]

## वालकों की यह दुर्दशा और उपेक्षा क्यों ?

श्रीकाशिनाथ त्रिवेदी

आज अपने इस प्राचीन और पुरातन देश में हम नव-निर्माण की बड़ी-छोटी योजनाएँ बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में लगे हैं, उत्पादन बढ़ाने की योजनाएँ बन रही हैं, नये-नये फ़ाउण्डेशन की योजनाएँ चल रही हैं, बीमारियों से जूझने और उनके कारणों का निवारण करने के यत्न हो रहे हैं, खेती की पैदावार बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, ज्ञान-विज्ञान की और तंत्रशास्त्र की शिक्षा का विकास हो रहा है। अभी-अभी देश की सीमा पर युद्ध की स्थिति खड़ी हो गयी, तो हमारा ध्यान शास्त्रात् बढ़ाने और देश के सारे नौजवानों को शास्त्रात् चलाने की विद्याएँ सिखाने की ओर जोरों से गया है, और अब हम सोच रहे हैं कि प्राथमिक पाठशाला से लेकर विद्या-विद्यालय तक ऐसी कौनसी योजनाएँ चलायें जिन से देश का बच्चा-बच्चा, नौजवान और नवयुवती सब कोई युद्ध के सैनिक बनने की कला और विद्या सीख सकें। लगता है कि केंद्र का शिक्षा-मन्त्रालय भी इस बारे में बड़ी गंभीरता और तत्परता से कुछ सोच रहा है और राज्य-सरकारों के शिक्षा-विभाग भी इस विषय में अपनी-अपनी योजनाएँ बनाने और अपने-अपने लक्ष्य स्थिर करने में लगे हैं। सारे देश में व्यापक लोक-जाग्रति की और देश की रक्षा के लिए कुछ कर गुजरने की एक जोरदार हवा पैदा हो रही है। तात्कालिक दृष्टि से इस सब का अपना उपयोग है, महत्व है, मूल्य है, आवश्यकता भी है, पर मुझे नहीं लगता कि इतने काम से हमारा सब काम बन जायगा।

जरा लंबी निगाह से और गहराई में उतर कर सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज हम अपने समूचे देश में इस छोर से उस छोर तक जिस मानवीय

पुरुषार्थ को जगाना चाहते हैं वह आज की हमारी पूँजी पर अच्छी तरह जाग नहीं सकेगा। जितना भी कुछ जागेगा उसमें अनेक प्रकार की भारी भुटियाँ, कमियाँ और दोष रह जावेंगे। क्यों कि जिस मानवीय माल और मसाले को हाथ में लेकर हम नये संदर्भ में मेहनत करना चाहते हैं उस माल-मसाले की बुनियाद बहुत कच्ची, खोपली और गलत तत्वों से बनी हुई है। जिस की बुनियाद में दोष है भारी गलतियाँ और ग़राबियाँ भरी पड़ी हैं उसे हम किसी ऊँची और मजबूत इमारत के रूप में नहीं देख सकते। कच्ची बुनियाद पर खड़ी की गयी ऊँचाईयाँ अकसर मामूली-सा धक्का खाकर गिर पड़ती हैं। यह हमारा आये दिन का अनुभव है।

इस लिए आज कच्ची बुनियाद और कच्ची कुर्सियों पर जिनके जीवन की मंजिलें खड़ी हुई हैं उन पर सारे देश में बेहिजाब धन, बेहिजाब समय, बेहिजाब शक्ति और बेहिजाब साधन खर्च करने का जो लंबा-चौड़ा रास्ता खुल गया है उसकी उपयोगिता में हमें सहज ही संदेह होता है। यह बात दूसरी है कि आज की हालत में और कुछ कर नहीं सकते, इसलिए लाचारी की दूरत में यही सब करना पड़ रहा है। पर यह भयाँदा आज के लिए हो सक्ती है, कल, परसों, तरसों के लिए तो नहीं। तो क्या हम सिर्फ आज का सोच कर रह जावेंगे, कल परसों की किन्न नही करेंगे ? अगर ऐसा हुआ तो कहना चाहिए कि भारी धोखा होगा। इसलिए इच्छा होती है कि समस्या का जो एक गहरा और दूर तक असर डालनेवाला अजूता पहलू है उस पर भी हमें तात्कालिक पहलू के साथ ही संजीदगी और सुसैदी से सोचना होगा और शायद उसे सर्वोच्च प्राथमिकता भी देनी होगी, नहीं तो

जो कुछ चाहते हैं, देश में पैसा ताकत और तबीयत टूटनी करना चाहते हैं शायद वह सही नहीं हो पायेगी ।

अपने इस लेख में मैं आम तौर पर आज का भारतीय परिवारों में बोलनेवाले बाल बचपन को कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। दुनिया के सभी समसदर लोग मानते हैं कि शांति मनुष्य-समाज की बुनियाद में पैदा है। शांति है, तो मनुष्यों की दुनिया है, बालक नहीं, तो यह दुनिया भी नहीं। इतनी बड़ी और बुनियादा हस्ती जिस शांति की है, उसके जीवन को ठाक टग से समालने, सगारने का काम देश में चहुँओर नहीं चला तो सोचिए कि उसके कितने गदरे और दूर तक प्रभाव डालनेवाले परिणाम होंगे ! आज हमारे घरों में बालक की क्या हालत है ? अगर घर में बालक नहीं है और नहीं आ रहा है तो हमारे घरों में उसके लिए भगवान से भीख माँगी जाती है। मान मित्रत, ब्रत, पूजा, जप, तप, दान, पुण्य श्राद्ध-भूक, दवा दारू, तीर्थ-यात्रा आदि नाना उपायों से हमारे घरों और परिवारों में शांति का आवाहन किया जाता है। माता पिता, पति-पत्नी, सगे-सबधो, मित्र-परिचित सब को चिंता बनी रहती है और सब इसा कोशिश में रहते हैं कि घरमें बच्चा आवे। एकतरफ समाज में बच्चे के लिए इतनी ज़ोरदार भूल है और दुर्भाग्य से दूसरी तरफ आय हुए या आने वाले बच्चे के बारे में हमारी घोर उपेक्षा है और भारी अज्ञान है। जब तक इन दोनों छोरों के बीच ठीक पट्टी न बैठे, तब तक हमारे देश के घरों में और परिवारों में बच्चों की तो पजीहत ही पजीहत समझिए।

हमारे लोक-जीवन की असंगतियों का कोई पार नहीं है। एक ओर हम मानते हैं कि बच्चा भगवान की देन है। हमारे बस की बात नहीं है कि हम जब चाहें, बच्चा हमारे घर में या हमारी गोद में, तभी आ जाय। अनुभव से हमने यह माना है कि जैसे मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं, वैसे ही जन्म भी उसके बस का नहीं। वह निमित्त बन सकता है, पर मुख्य कर्ता वह नहीं। गाँठ में यह अनुभव है। फिर भी नित्य

जनवरी, '६३ ]

के व्यवहार में यह लगभग भूल जाते हैं और यही मानने लगते हैं कि बच्चा तो हमारी पैदा की हुई चीज है, हमारे बीच उषकी विधात ही क्या ? हमारे लिए वह लौंडा है, छोकरा है, हमारा नौरु है, चारुर है, फरमारदार है अगर नहीं है तो उसे होना चाहिए, वह होता नहीं दीपता तो मार-मार कर उसे वैसा बनाने की कोशिशों में जमान आसमान एक कर देते हैं। कहते हैं कमबख्त, लौंडा है हमारी ही नहीं मुनता। मतलब यह हुआ कि आज हमारे घरों में बालक भगवान की भेची निभूति नहीं, महज इनसान का औलाद बन गया है, और इनसान है कि उसे अपनी दौलत समझ कर उसके साथ पैसा भी चाहता है व्यवहार करता है। कहीं, किसी तरह की रोक-टोक उसने लिए है नहीं। नतीजा यह है कि हमारे बीच हमारे ही अपने निदाय बालकों का जीवन इस तरीके से पीतता है, मातों कई राशियों के बीच में ब आ फँसे हों। अकसर घरों में घर के बड़े बूढ़े सन मुग्रह से शाम तक मासूम बच्चों के साथ इतना बेचा और जगली बरताव करते रहते हैं कि जिसका कोई हिस्सा नहीं। मार-पीट, डाँट डपट, दुतकार-फटकार, गाली-गालौज, सजा इनाम, आदि की ऐसी शृङ्खला लग जाती है कि भगवान ही जाने अपनी किस ताकत के बन्ने यह उन्हा-सा बालक अकेला, अनाथ, लाचार, इन सब भारी मुसामतों की शेलकर, पचा कर और डेल कर भी हमारे बीच जी पाता है। अपनी तरफ से तो जाने-अनजाने हम उसके जीवन को दुखी बनाने में कोई कसर नहीं रखते।

आज भी हमारे घरों में बच्चा हमारा गुलाम है, उसे हमारे पीछे पीछे घिसट घिसट कर चलना होता है, घर में उसकी अपनी कोई कीमत नहीं, बक्त नहीं, हस्ती नहीं, उसके लिए घर में उसकी अपनी कोई चीज नहीं। सारी चीजें बड़ों के लिए आती हैं, बड़ों के लिए बनती हैं बच्चों की उन में से भीख के कुछ टुकड़े मिल जाते हैं। घरों में बच्चों की किसी तरह की कोई आजादी नहीं। न वे अपने मन का और जरूरत का कुछ खा सकते हैं, न पी सकते हैं,

[ १८७ ]

न पहन सकते हैं, न खेल सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। हर चीज में एक मजबूती उनके सामने मौजूद रहती है। यह मजबूती जन्म के दिन से शुरू होती है और मरते दम तक बनी रहती है। अपने बच्चों को हम हर तरह की मजबूरियों से अकड़ देते हैं। भगवान की कमी यह मशर नहीं रही, पर जहाँ हमारा मतलब आता है, हमारे मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, स्वार्थ-लोक आदि का प्रदन आता है हम भगवान की परवाह ही कहाँ करते हैं, जो बच्चे की परवाह करने का हमें ध्यान आये। हम तो अपने मोह में और स्वामित्व के अपने अहकार में इतने डूबे रहते हैं कि बालक को उसके सच्चे स्वरूप में जान समझ नहीं पाते। आज हमारे परिवारों में हमारा ही बच्चा अप्रतिष्ठित है, वह इतना पगु और विवश है कि जिसका हिसाब नहीं। जिस बालक का जीवन ऐसी मजबूरियों मुसावतों और मोहताजियों में बीतता हो वह बड़ा बन कर जीवन की ऊँची से ऊँची मजिल पर पहुँचे तो वह किस ताकत के भरोसे पहुँचे? हमने उसके हौसले तो सारे परत कर दिये जब वह मासूम बच्चा था। बड़ेपन में हम उसे जोश दिलाने और उसका हौसला बढ़ाने की जो कोशिश करते हैं वे अकसर इसी लिए नाकाम होती हैं कि हमने बचपन में उसके हौसलों को, जोशो-खरोश को, उत्साह और उमंग को अपने हाथों बेरदों से दबा दिया था।

जिस देश में बालक को भगवान की तरह पूजने की पवित्र परम्परा बनी थी, जिसमें आज भी हिन्दू परिवारों की माताएँ और बहनें पीतल, ताँबे, सोने, चाँदी या पत्थर के बालकृष्ण को बड़े भक्ति भाव से पूजती हैं, उसी देश में हाइ-मास का, हँसता-बोलता, रोता-गाता जीता जागता, बालक आज इतना दुर्लभ क्यों है! उसे सही दृष्टि से देखने और उसके साथ सही-सही व्यवहार करने की हमारी बुद्धि, शक्ति और भावना को किस का घाप लग गया है कि आज हमारे ही बालक हमारे हाथों इतना नारकीय कष्ट पा रहे हैं! यह एक सारी समस्या है, जिसका जवाब देश के कर्णधारों को और साधारण नागरिकों

को जीजान से मेहनत करके खोजना है। यदि हमने उसके लिए समय रहते नहीं सोचा और हमारे घरों में, समाजों में और शिक्षा-संस्थाओं में बालकों के साथ आज के जैसा ही गलत और जगली व्यवहार चलता रहा, तो डर है कि हम अपने देश में ऊँचे दर्जे का बढ़िया नागरिक कभी लड़ा ही न कर पायेंगे और हमारा नागरिक धन आज से भी अधिक क्षीण होता चला जायगा।

समाज में जिस तरह हमने अछूतों को अप्रतिष्ठित किया उसी तरह लियों और बालकों को अप्रतिष्ठित रखा, बालकों में भी हमने बालिकाओं को हीन माना और अपने नित्य के व्यवहार में उन्हें अपनी समानता समझ कर विवाह और शादी के मामलों में उनको सौदे की चीज बना लिया। आज हमारी सयानी बहन बेटी ब्याह के बाजार में बेची खरीदी जाती है, उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। जो ज्यादा धोली लगाता है, बहन बेटी को उसके घर जाना पड़ता है। जो हालत गाय-दोर की है वही बहन बेटी की भी है। हमारी पढ़ी लिखी, सुपरी सम्पन्न बहन बेटीयों भी इस भयंकर मजबूती से बच नहीं पातीं। बेटी के बाप को समाज इस खुरी तरह नीचता है कि उसका इज्जत-आवरु के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। बेटी घर में कुंवारी नहीं रह सकती। उसके हाथ को जैसे भी बने, लाल-पीले करने ही होते हैं। इसलिए माता पिता पाप का पैसा कमा कर अपने ब्याही (समथी) और दामाद को रिहाते हैं और बेटी से छुट्टी पाते हैं। बहन-बेटी के नाते समाज में स्त्री का यह जो अपमान जनक स्थान बन गया है, इस कारण घर में बेटी का जन्म घरवालों के लिए अधिशाप का सूचक हो गया है। इसका एक बड़ा भयंकर परिणाम यह हो रहा है कि आज सन् ६२-६३ के इस जमाने में भी हमारे देश में ऐसी माताएँ मौजूद हैं, ऐसे पिता और पालक मौजूद हैं, जो बराबर घर में जनमी अपनी बेटी की मृत्यु-कामना रखते रहते हैं। वह क्या रेपन में ही किसी तरह मर जाय तो माँ-बाप को एक बड़ी चिन्ता से छुटकारा

[ शेष पृष्ठ २०५ पर ]

# चीन भारत-संघर्ष का विकल्प

श्री शंकरराव देव

[ यह लेख श्री शंकररावजी के एक भाषण के आधार पर तैयार किया गया है। यह भाषण उन्होंने २० दिसंबर '६२ को नागपुर में दिया था। इस संदर्भ में एक बात की ओर हम पाठकों का ध्यान खीचना चाहते हैं। इसी मास की १ तारीख को प्रधान मंत्री नेहरू ने चाउ एन छाई को लिखे अपने पत्र में इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की बात सुझायी है। यद्यपि इससे पहले भी एक बार संसद में और एक बार अपने रेडियो भाषण में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख पण्डित जी ने किया है, फिर भी अधिकृत रूप से उनका यह सुझाव इस मास की ता० १ के पत्र में ही पहली बार हुआ है। सर्व सेवा संघ के नवंबर '६२ के वेङ्गली सम्मेलन में, सेवामाम के दिसंबर के शांतिवादी कार्यकर्ता-सम्मेलन में यह सुझाव पहले ही प्रस्तुत किया गया था। उसी संदर्भ में श्री शंकररावदेव का यह भाषण हुआ था। कोलंबो में एशियाई ६ राष्ट्रों की परिषद् हो रही थी तब सर्व सेवा संघ की ओर से श्री जयप्रकाश नारायण और श्री शंकरराव देव ने पंचफैसले के सुझाव की दिशा में प्रयत्न करने के संबंध में कोलंबो-परिषद् के सदस्यों का तार भेजा था। हमें प्रसन्नता है कि आखिर पण्डित जी ने अपनी ओर से चाउ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में समस्या को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया है। सं० ]

गत ४-५ वर्षों से मैं सार्वजनिक आन्दोलनों में भाग नहीं लेता रहा। एक प्रकार की निवृत्ति अपना ली थी। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बनी है कि मेरी यह मनोवृत्ति बदलने लगी है। मुझे इस वक्त आवश्यकता महसूस हो रही है कि एक जन-आन्दोलन खड़ा किया जाय। परिस्थिति मुझे इतनी भयानक दीख रही है।

लम्बे अरसे के बाद भारत स्वतन्त्र हुआ था। भारत में आज जिस प्रकार का लोक-स्वातन्त्र्य हम देख रहे हैं वैसा लोक-स्वातन्त्र्य पहले कभी यहाँ नहीं था। यह स्वातन्त्र्य जब प्राप्त होने को था उस प्रवृत्तिकाल में भी उस पर कई प्रकार के सकट आते

रहे और उस समय के नेताओं को उस स्वातन्त्र्य की रक्षा की चिन्ता लगी हुई थी। उन्हें मय था कि उस स्वातन्त्र्यवृक्ष का नन्हा पौषा कहीं खूत न जाय। लेकिन गांधीजी ने उसे अपने खून से सींचा और अपने बलिदान से उसकी रक्षा की। तब जाकर भारत का विकास-कार्य प्रारम्भ हुआ।

प्रारम्भिक सङ्कट भले दूर हो गया था, लेकिन दूसरे कई भयानक सङ्कटों की भीषण छाया उभरने लगी। भारत की भूमि में उन सङ्कटों की जड़ें बहुत पहले से ही जमी हुई थीं। सब इस बात से भयग्रस्त थे कि देश में जो आपसी फूट है, धर्म, वर्ण, जाति, भाषा, प्रदेश आदि नाना निमित्तों से एक दूसरे को

अग्य करने की जो मनोवृत्ति है वह भारत को फिर से भयानक सड़क की आग में कहीं शोक न दे। देश के सामने 'भावनात्मक एकता' एक समस्या बन गयी थी और इसीलिए राष्ट्रीय भावनात्मक एकता का कार्यक्रम एकमेव महत्त्व का कार्यक्रम बनना और राष्ट्रीय एकता प्रतिष्ठापन पर हस्ताक्षर कराने का आयोजन व्यापक पैमाने पर किया गया। उस प्रतिष्ठापन में यह भी है कि आपसी मतभेदों को शान्तिपूर्ण तरीकों से मिटाया जाना चाहिए इसलिए इसी में ऐसे प्रसंगों में हिंसा का सहारा नहीं देंगे। उस प्रतिष्ठापन में एक सभ्य-समाज (सिविलाइज्ड सोसायटी) की कल्पना की गयी है। याना एक ऐसा समाज निर्माण करने की आकांक्षा उसमें निहित है जिसमें मानवीय सम्बन्धों में उपस्थित होनेवाले हर एक मतभेद को विवेक से सुलझाया जायगा, किसी प्रकार का हिंसात्मक उपाय नहीं अपनाया जायगा। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि राष्ट्र की प्रगति तभी सम्भव है जब हम आपसी, मतभेद शान्ति से हल करने में धृढ़ रहें और वैसा एक अलिखित नियम बन जाय। यह किसी भी देश की प्रगति के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में राष्ट्र के अन्दर अराजकता फैलने और राष्ट्र के विकास-कार्य के रुक जाने का खतरा है।

आज प्रश्न यह है कि आपसी सहयोग और विवेक की इस समस्या पर राष्ट्र के दायरे में ही विचार करना क्या काफी है? निश्चित हा काफी नहीं है। आज किसी भी समस्या का विचार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही करना पड़ता है। विनैकपूर्णक देखा जाय तो स्पष्ट द्खेगा कि अकेले राष्ट्र को चिन्ता करना काफी नहीं है। आज व्यापक भूमिका में ही सोचना अनिवार्य है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि दूसरों के साथ खेह, शान्ति और सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना मानव का लक्षण है और यही जगली समाज और सभ्य समाज में फर्क है। सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना मानव का लक्षण तो है ही, साथ ही आज के वैज्ञानिक युग में परिस्थिति का तकाजा भी है। क्योंकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि भौतिक

सृष्टि अन्त और व्यापक है। सृष्टि का यह अर्न्तता और व्यापकता अर कल्पना का विषय नहीं रही। इसलिए कोई भा विचार अकत व्यक्ति, अकेले समूह या अकते देश का ही करने से काम नहीं चलेगा, समूचे विश्व का ही विचार करना होगा। गांधीजी ने सर्वोदय का भी अर्थ यही किया था कि सर्वोदय वह है जो सनका कल्याण करे। यह अष नैतिक या आध्यात्मिक मूल्य नहीं रह गया है, विज्ञान ने इसे भौतिक मूल्य बना दिया है।

“वसुधैव कुटुम्बकम्” और “यथा विण्डे तथा ब्रह्माण्डे” आदि सारी अनुभूतियाँ पहा आध्यात्मिक जीवन म दुजा करता था, अर विज्ञान क कारण उन्द् भौतिक ज्ञान का अनुभूतियाँ बनाना होगी। मानव क प्रयत्न उसा दिशा में हो रहे हैं। जरूरी है कि मानव के उस प्रयत्न में जो भी बाधा आये उसे दूर किया जाय और उस आकांक्षा और प्रयत्न म उ रुकता लायी जाय। विज्ञान क कारण विश्व को ‘सभ्य समाज’ का रूप देना अनिवार्य हो गया है। केवल राष्ट्र के अन्दर का समान सभ्य बने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में जगल नीति बनी रहे— ऐसी विसंगति आन नाकाम सिद्ध होनेवाली है। क्योंकि आज सारा विश्व एक हो गया है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में जगल नीति स व्यवहार हाता है तो उसका प्रभाव राष्ट्रीय जीवन पर भा अवश्य पड़ेगा। सभार के प्रबुद्ध मानव इस सत्य को समझ गये हैं, इसीलिए अन्तरराष्ट्रीय व्यवहारों में स्नेह, शान्ति और सद्भावनापूर्ण नाति लागू करने के हेतु से कई सस्थाएँ भी बनायी हैं। व्यक्ति का जीवन आज विश्व जावन है। मानव एक प्रकार से विश्व नागरिक भा ह वैदिक भाषा में वह ‘विश्वमानव’ है। सयुक्तराष्ट्र सष दिवस आज सारे राष्ट्रों में मनाया जाता है। सर्वत्र आकांक्षा व्यक्त का जाती है कि सयुक्तराष्ट्र सष शक्तिशाली हो, सर्वत्र शान्ति और समाधान रथापित हो। हर कहीं यही आराज है और इसी दिशा म प्रयत्न है। साथ ही यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस प्रयत्न की गति धीमी है, जमाने के तकाजे के अनुरूप उसकी गति नहीं है।

इसका अर्थ यह है कि इन प्रयत्नों में कहीं बाधा अवश्य है।

यद्यपि सृष्टि मौतिक नियम के अनुसार व्यापक और अनन्त है, फिर भी आन मानव का मन ध्यापक और अनन्त नहीं बना है, सकुचितताओं से ऊपर नहीं उठा है। इसीलिए मानव का मनोव्यापार सृष्टि के ज्ञान और नियमों के अनुरूप नहीं चल रहा है और इसका प्रभाव विश्व-जीवन पर भी पड़ता ही है। विश्व तो अनन्त है, पर उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। क्योंकि मन अन्त भी धर्म, संस्कृति, राष्ट्र आदि सकुचित कल्पनाओं के शिकने में तकड़ा हुआ है। गांधीजी कहते थे कि राष्ट्रीय नागरिकत्व और और विश्व नागरिकत्व के बीच विरोध नहीं होना चाहिए। विचारवान लोगोंका भाव कहना है कि यदि मानव का मन अखण्डता और व्यापकता का दिशा में विकसित नहीं हुआ तो विश्व संहार निश्चित है।

इससे हमारी विश्वास स्पष्ट हो जाती है कि आज हमारे सामने जो समस्या है उस पर हम किंचि भूमिका से विचार करें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि राष्ट्रीय नागरिकत्व और विश्व-नागरिकत्व में कोई विरोध नहीं है। देश के आंतरिक मामलों की तरह ही राष्ट्रों को भी आपसी मतभेद शांति और समाधान के तारकों से दूर कर लेना चाहिए और इस मूल्य को मान कर आज की समस्या का विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए— यह महा भूमिका है।

विज्ञान का विकास और प्रगति सशकल पर आधारित नहीं है, बल्कि विवरु और सहकार पर आधारित है, और यह नियम हम ने राष्ट्र के आंतरिक मामलों में स्वीकार किया है, अब अंतर्राष्ट्रीय मामला में भी स्वीकार कर लेना होगा। इसका अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में जो भी मतभेद उत्पन्न हो व यदि आरंभ बातचीत से सुलझते नहीं हैं तो फिर उन्हें पंचसंघ के लिए छोड़ देना चाहिए। सर्व सवा सघ के बड़का ओर सेवाप्राम क समेलनों में जो निवदन स्वीकृत हुए हैं उनमें यही शब्द प्रयोग हुआ है। हाल ही में प्रधान मन्त्री नेहरू ने माकहा है कि चीन के सितवर के पड़ले का स्थिति में चला जाय और

भारत की ससद् अनुमति दे तो वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने यह समस्या रखने को तैयार हैं। राष्ट्रों की आपसी समस्या शांतिमय उपायों से सुलझनी चाहिए— यह अंतर्राष्ट्रीय आचारसंहिता है। और इसी क अनुरूप पण्डितजी का यह रुचन है। देश में शांति स्थापित करनी है तो विश्व शांति स्थापित होनी चाहिए और विश्व में शांति स्थापित करनी है तो देश में शांति स्थापित होनी चाहिए। यह आज सहा जीवन धर्म बन गया है। इस ओर मानवता की चतना जगाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार देश क अंदर क लोगों से कहत हैं, उसा प्रकार राष्ट्रों से भी कहना होगा कि 'कानून को अपने हाथ में न लो'।

यह मानी हुई बात है कि राष्ट्रों में जो आंतरिक व्यवहार-शांति अपनाया गया है उसके पाले आन भी पायाशांति ही आत्म आपार (संस्कृत) है। तब प्रश्न उठता है कि दो राष्ट्रों से पंचसंघला मान्य कराने क पीछ अतिम आपार (संस्कृत) क्या हो। तो आज उत्तर बड़ी दिया जायगा कि वह आपार पायनी शक्ति हा हो सकता है। और उस शक्ति का उपयोग क करने लिए समुक्त राष्ट्र सघ को घारे घारे मान्यता मिलवा जा रहा है। समुक्त राष्ट्र सघ क पास अपनी कोई सना नहीं है, परउ उसक सदस्वरष्ट्र आवश्यकता पड़न पर उसक काम क लिए अपना सनाएँ भेजने लगे हैं। कानून क्या जान का स्थिति में इस प्रकार का सैन्यशक्ति अततागत्वा प्रभावशाली और पारणामकारा हां सकता है। मरा नष्टराय में नहीं हो सकती। यहा कारण है कि आज इस शक्ति स सत्य, न्याय और नात का स्थापना नदो हो पा रहा है। पिछले जमान में राजाओं का उपयोग करक कोई एक जातता था और यह सवाय कर सकता था कि उस न्याय मित्र है। क्योंकि जीत का न्याय समझना उनका सटकार था। 'तब श्री विजयो मूर्ति ध्रुवा नीति मतिमम।' लेकिन आज हथियारों का स्वरूप एसा हो गया कि उनके प्रयोग से दोनों हा पक्षों का सर्वनाश हा जाने का भय रहता है। किसी एक की हार और दूसरे की जीत जैसी स्थिति अन्त नहीं रही। इसीलिए सत्य, न्याय और नीति को



स्थापना करने के उद्देश्य से भी इन हथियारों का सहारा लेने में सवार की आस्था नहीं रही। क्यूबा के मामले में युद्ध की सारी तैयारी हो जाने के बावजूद सुश्रेव ने अपना कदम पीछे ले लिया। उस पर हला हुआ कि वह कागजातों से डर गया। उससे पूछा गया कि तुम साम्यवाद का क्या भला कर सकोगे? उस पर सुश्रेव ने जवाब दिया कि वह कागजातों से भले ही डरा हो, लेकिन उसके पास मिसलौज़ है। इसलिए हम सुदचीव से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह "यतो धर्मः ततो जयः" वाली श्रद्धा से युद्ध करने को तैयार हो। जो लोग इस वचन पर श्रद्धा रख कर सत्य की स्थापना के लिए युद्ध को धर्म मानते थे उनकी श्रद्धा प्रामाणिक होते हुए भी उसके परिणामों से यह सिद्ध हो चुका है कि उनकी यह श्रद्धा भ्रामक थी। यह जय सत्य की नहीं थी, शस्त्रों की थी। यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि सशरक शस्त्र-सभार का अपरिमित विकास तो हुआ है, लेकिन उसी अनुपात से सत्य और नीति का हाव ही हुआ है। सभार को जैसे-जैसे यह मादम होता गया कि शस्त्रालों का प्रयोग यानी सैन्य है, जैसे जैसे शस्त्रों से सत्य की स्थापना करने पर श्रद्धा घट गयी। यह स्वामाविक ही था। इसके बावजूद यदि भारत उस हिंसक शक्ति को अपने और विकास करने की बात सोचता है तो यह भी स्पष्ट है कि दूसरों के मुकामिले में विकास करना आज की स्थिति में भारत के बूते के बाहर की चीज है। इस के अलावा वह असंभव संभव हो भी जाय तब भी उससे समस्या सुलझनेवाली नहीं है।

इसलिए यदि कोई कहता है कि हमें हिंसा से भिन्न किसी दूसरी शक्ति का विचार करना चाहिए तो उसे देशद्रोही या मानवद्रोही नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार जो लोग दूसरी शक्ति को आजमाने की बात सोचते हैं उन लोगों ने गत १५-१६ दिवस के सेवाग्राम के सम्मेलन में सभार भर की जनता का आवाहन किया और पंचमैसले का विचार प्रस्तुत किया। समस्या का समाधान खोजने की दृष्टि से दोनों राष्ट्रों के बीच परस्पर बातचीत होनी चाहिए, साथ ही जनता के बीच उस दूसरी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए नयी शालीम ]

ताकि बातचीत के लिए जनता का मानस अनुकूल हो सके। इस भूमिका से सोचें तो यह दूसरी शक्ति कौन सी हो सकती है? उत्तर स्पष्ट है कि यह दूसरी शक्ति यही है जो गांधीजी और जिन्नेवा जी की पद्धति से निकलित हुई है। वह है अहिंसा, प्रेम और सहकार की शक्ति। लोगों में भी यह विश्वास जागृत करना होगा कि उस पद्धति से किया जानेवाला प्रयत्न विश्व-शांति का पोषक ही होगा। अन्यथा भारतीय परंपरा पर बड़ा आघात पहुँचेगा।

इस अहिंसक शक्ति पर विश्वास करनेवाले लोग यह नहीं कहते कि चीन के आक्रमण के सामने भारत अपना मस्तक छुड़ा दे। उनका कहना इतना ही है कि दोनों राष्ट्र साथ साथ बैठकर समस्या सुलझा लें, आवश्यकता हो तो किसी तीसरे तटस्थ की मदद लें, और यही उनके पंच-मैसले के मुद्दाय का अर्थ है।

यह हमें स्वीकार करना होगा कि जिस प्रकार हिंसाशक्ति में सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अहिंसा में भी पर्याप्त सामर्थ्य आवश्यक है। अहिंसा में माननेवालों को अपनी अहिंसा में यह सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हर समय प्रयत्न करने का अधिकार है और उनके ऐसे प्रयत्न में, आज की परिस्थिति में भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दिल्ली के अणुस्त्र-विरोधी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि वे तत्त्वतः अहिंसा में मानते हैं, लेकिन जनता अहिंसक उपाय काम में लेने को तैयार हो इससे पहले जनता को ठीक तरह से उसके लिए शिक्षित करना चाहिए। लोगों को यह अहिंसा की शिक्षा देने का काम शासन सस्था नहीं कर सकती, शासन के बाहर के और अहिंसा में माननेवाले लोगों का ही यह काम है। इस प्रकार समस्या को अहिंसा से सुलझाने की बात करनेवाले लोग कोई कट्टरपथी या श्रुति-मुनि नहीं हैं, राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि वे किसी मोक्ष या पारलौकिक श्रेय की प्राप्ति के लिए जनता को अहिंसा की शिक्षा देने की बात नहीं सोचते हैं, उनका प्रयत्न यही है कि जनता का ऐहिक जीवन सुख और शांतिमय हो और उसके लिए उनके पारस्परिक

व्यवहार में स्नेह और सद्भावना आये। लेकिन आज केवल कोई एक समूह या देश अपने व्यवहार में स्नेह और सद्भावना से काम लेता है तो वह उसके सुख और शांतिमय जीवन के लिए काफी नहीं है। आज मानवता और विज्ञान दोनों की चुनौती है कि सारे विश्व का व्यवहार स्नेह और सद्भावनापूर्ण हो, और सभी छोटे समूहों और राष्ट्रों का जीवन भी सुख और शांतिमय हो सकेगा।

भारत की उत्तरी सीमा में आज सर्प जो रुका हुआ है उसे फिर न होने देने का प्रयत्न भारत और चीन दोनों देशों की दृष्टि से करना चाहिए। यह ध्यान में रखना है कि यह समस्या किसी व्यक्ति की, समाज की या अकेले राष्ट्र की समस्या नहीं है; यह विश्व की समस्या है। तभी एक तरफ इंग्लैंड और अमेरिका भारत की मदद करने आगे आये तो दूसरी तरफ अफ्रीका और एशियाई राष्ट्र भी समस्या का हल खोजने की दृष्टि से कोलंबी में एकत्र हुए। आज यह कहना उचित नहीं होगा कि हम शत्रु से मसला हल करने के पक्ष के हैं, पंच-पैसले के पक्ष के नहीं हैं। भारत की सरकार तो पंच-पैसले की बात कहने लगी है, लेकिन भारत की जनता को भी वैसा कहना चाहिए और पंच-पैसले को स्वीकार करने के अनुकूल अपना मानस बना लेना चाहिए। सकुचित राष्ट्रीयता के घेरे से बाहर निकलने का, मन के मूलमूल्यों से छुटकारा पाने का समय अब आ गया है।

मानव चाहे अतिरिक्त में रहे चाहे धरती पर, वह यदि शांति और स्नेह चाहता है तो शांति और स्नेह का मूल्य सर्वत्र प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसी लिए

सर्व सेवा संघ ने विश्वभर में शांति-प्रयत्न में लगे हुए लोगों को सेवाग्राम में निमंत्रित किया था। वहाँ इस विचार के प्रतिनिधित्वरूप विदेश के जो लोग उपस्थित थे उन्होंने भी स्पष्ट स्वीकार किया कि यहाँ की यह समस्या केवल यहाँ की समस्या नहीं है, सारे सभ्यता की समस्या है। न हम केवल भारतीय हैं, न वे केवल अमेरिकी या केवल अंग्रेज, सब एत हैं। सेवाग्राम में उन सारे शांतिवादी लोगों ने तय किया कि दिल्ली से पेरिस तक एक मैत्री-यात्रा की जाय। उस यात्रा के पीछे वहाँ स्नेह और शांति का मूल्य है।

आज तक 'जिस की लाठी उसकी भैंस' वाला न्याय चलता रहा है। क्योंकि सत्य-जैसे महान् मूल्य की प्रतिष्ठा में पारशी शक्ति से हो करने की कोशिश होती आयी है। इसका परिणाम यह आया है कि जिस मूल्य की प्रतिष्ठा के लिए पारशी शक्ति का प्रयोग किया जाता है वही शक्ति पहले उस सत्य का ही हनन करती है। जैसा मैं ने पहले कहा है, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा भौतिक शक्ति से करने की आज तक कोशिश जो हुई है, उसी लिए उन मूल्यों की प्रतिष्ठा होने के बदले वह भौतिक शक्ति ही बढ़ी और प्रतिष्ठित हुई है। जब तक आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा आध्यात्मिक और नैतिक साधनों से ही नहीं होती है तब तक सही माने में उन मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं होती है—यह मानव को समझ देना चाहिए। सत्य की प्रस्थापना सत्यमय साधनों से ही हो सकती है। इसी प्रकार यदि हम मैत्री चाहते हैं तो तलवार से वह प्राप्त नहीं हो सकती। मैत्री से ही मैत्री सिद्ध हो सकती है।

★

## सेवापुरी में नयी तालीम-गोष्ठी

श्री कृष्ण कुमार

सेवापुरी में उत्तर प्रदेशीय नयी तालीम परिसंवाद २२ और २३ दिसम्बर '६२ को हुआ। इस परिसंवाद में भाग लेने वाले ये प्रमुख लोग थे—श्री धीरेन्द्र मन्मथ दार, श्री वेद्यमान राय ( उप शिक्षा मंत्री, उ० प्र० ) श्री अभय कुमार करण, श्री राधाकृष्णन ( मंत्री, अ० भा० सर्व सेवा सघ ) आचार्य राममूर्ति जी श्रीमती शुभदा तैलग ( प्रिन्सिपल, पाउण्डेशन फीर न्यू एट्ट केशन, पार निमन, राजघाट, काशी ), श्रीमती सरला बहन ( लक्ष्मी आश्रम, कौसाना ), प्रो० आसरानी। इनक अलावा उत्तर प्रदेश माघा स्मारक निधि व कार्यकर्ता तथा शिक्षा में काम करनेवाले सरकारी और गैरसरकारी लोग भी थे।

श्री करण भाई ने आगे हुए अतिथियों को आश्रम परिवार और नयी तालीम परिवार की ओर से स्वागत किया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा कि हमारे समाज में जो समस्याएँ हैं उनका समाधान शिक्षा के अन्दर से निकलना चाहिए। बुनियादी तालीम के अन्दर से तो उसका हल निकलना ही चाहिए। आगे उन्होंने शिक्षा की दो समस्याओं की ओर ध्यान आकृषित किया। १ देश के लाखों-करोड़ों लोगों को तालीम कैसे दी जाय ? २ उत्तर प्रदेश में बुनियादी तालीम का स्वरूप कैसे निर्गरे ?

इनके बाद उत्तर प्रदेश के उप शिक्षा मंत्री श्री केन्दुमान राय ने बुनियादी तालीम की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अगर बुनियादी तालीम असफल होती है तो वह पूरे मानव मात्र की असफलता मानी जायगी। बुनियादी तालीम ही एक मात्र वह मार्ग है जिससे मानवता की रक्षा हो सकती है। नया तालीम का विचार गांधी का विचार है। गांधी व्यक्ति नहीं थे, व युग थे। उनक इस विचार में पूरा

१६४ ]

मानवता छिपी हुई है। इसलिए मानवता की रक्षा करने के लिए बुनियादी तालीम की अत्यन्त उप-योगिता है।

श्री धीरेन्द्र भाई ने कहा कि नयी तालीम पर विचार करते समय दो घटनाओं की ध्यान में रखना चाहिए। १९६७ में भारत आजाद हो गया और २६ जनवरी ५० का आन्विक्य मताधिकार का एलान किया गया। आजादी के बाद और मताधिकार के एलान के साथ ही शिक्षा का स्वरूप बदल गया। इस एलान के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी राजा हो सकता है। इसलिए हर आदमी को बालिग होने तक इतनी शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए ताकि वह मेनि फेस्टी को समझ सके। लोकतंत्र की इस सुनौती को ध्यान में रखकर करोड़ों को शिक्षा देने की बात सोचनी चाहिए।

श्री करण भाई ने ' शिक्षा के सघन क्षेत्र ' के नाम से परिसंवाद के सामने एक प्रस्ताव पेश किया। जन जन तक शिक्षा कैसे पहुँचे इसकी यह योजना सफल साबित होगी अगर इसमें शक्ति लगायी गयी। श्री करण भाई ने इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव गाँव के असरय लोगों को शिक्षित करने का है। शिक्षित से मतलब पढ़ा लिखा देने भर नहीं है। उत्पादन बढ़ाने का काम शिक्षण को लेना चाहिए। निम्नलिखित प्रस्ताव परिसंवाद में स्वीकार किया —

### ' शिक्षा के सघन क्षेत्र '

" १ १६२७ से आज तक २५ वर्षों के बुनियादी शिक्षा के जो प्रयोग हुए हैं, उनके आधार पर राष्ट्रीय चेतना ने शिक्षा की दृष्टि से उसका श्रेष्ठता और उप-योगिता को स्वीकार कर लिया है। सरकार की पंच

[ नयी तालीम

वर्षीय योजनाओंमें बुनियादी शिक्षाके सत्यात्मक और गुणात्मक विकास का आयोजन हुआ है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा के स्टेटबोर्ड की स्थापना एक अत्यन्त समीचीन कदम है। सरकार के अलग-अलग प्रदेश की कई रचनात्मक सस्थाओंमें बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयोग किये हैं।

२ आज जब देश के सामने सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ है तो शिक्षा-पद्धति में ऐसे सुधारों की बात तत्परता पूर्वक सोची जा रही है जिन से विद्याभियोगों में उत्पादन की क्षमता आये और उनके नैतिक-न्यायिक गुणों का विकास हो। ऐसी स्थिति में बुनियादी शिक्षा का महत्त्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। यह नया तागम गाड़ी महसूस करना है और राज्य सरकार से सिफारिश करती है कि एसा नैतिक और रचनात्मक सस्थाओं को आधार मान कर कुछ चुने हुए विकास क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा का सघन अभ्यास हो। इसके नियमन और संचालन के लिए एक क्षेत्रीय समिति गठित की जाय ताकि इस दिशा में अविलम्ब कार्रवाई की जा सके। समिति के निम्न लिखित सदस्य हों :—

- (१) ग्लोबल विकास समिति के अध्यक्ष
- (२) स्थानीय सस्था के सचालक (अध्यक्ष)
- (३) अतिरिक्त जिला परिषद के अध्यक्ष  
अथवा उनके एक प्रतिनिधि
- (४) क्षेत्र के कोई एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता
- (५) क्षेत्र के सहायक उपनिर्वाह्य निरीक्षक
- (६) क्षेत्र के सीनियर स्कूलों का एक प्रतिनिधि
- (७) क्षेत्र के जूनियर स्कूलों का एक प्रतिनिधि
- (८) सस्थागत शाग का प्रधानाचार्य (मर्त्री)

३ समिति के मुक्त रूप से ये काम होंगे —

- (१) क्षेत्र के गांवों में प्रौढ़ शिक्षा का सघन कार्य—  
ताकि निश्चित अवधि में कोई अधिष्ठित न रह जाय
- (२) स्कूलों में सामुदायिक जीवन, सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रम, स्वस्थ और स्वच्छ जीवन का विकास तथा आसपास के समाज से जीवित

जनवरी, '६३ ]

सघन स्थापित करने की दृष्टि से कार्यक्रम बनाना और मार्गदर्शन करना,

- (३) स्कूल में चलनेवाले उद्योगों को उत्पादन तथा शिक्षण की दृष्टि से सक्षम बनाना,
- (४) उत्पादन, प्रकृति तथा सामाजिक वातावरण को आधार मानकर शिक्षण की समन्वय-पद्धति निरूचित करना।”

श्री मती सरला यहन ने प्रस्तुत पर चर्चा करत हुए कहा कि सघन क्षेत्र का काम अच्छा है, परन्तु इस काम में समय लगाने की जरूरत है। इसके लिए जीवन समर्पण करना चाहिए। आगे आपने कहा कि हम भागों के जावन में जो तत्व देतना चाहते हैं वह हमारे अन्दर भी आना चाहिए। गुजरात की नयी तालीम की सहाइना करते हुए कहा कि हम भी उन लोगों की तरह उत्तर प्रदेश में काम कर सकते हैं।

श्री राधाचूष्ण जाने तान बातों पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि लाकतन की परम्परा को स्कूलों में दायिल करना चाहिए। बच्चों में श्रुत से ही लौकतन की भावना पैदा होनी चाहिए। दूसरे तत्व के रूप में स्कूलों में उत्पादन को दायिल करना होगा। इस समय राइफल ट्रेनिंग का वातावरण है। इसक बजाय अगर उत्पादन का ओर ठीक ध्यान नहीं गया तो पूरा देश फासिज्म को ओर जायेगा। स्कूलों में तीसरा काम शांति का हो सकता है। शालार्प अपने क्षेत्र में शांति-रक्षा की निम्मेदारी ले लें। अतवक शिक्षण ने नेशनल जम्बेक्टिव को ध्यान में रख कर काम नहीं किया है, लकन अब उसका ध्यान रचना आवश्यक है।

दूसरे दिन श्री राममूर्ति जी ने सेवामारता का प्रस्ताव परिसवाद के सामने रखा और परिसवाद ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। प्रस्तान पेश करते हुए आपने कहा—“एक एक गाव को विद्याविद्यालय बनाने की कल्पना आज शिक्षा जगत में आ गयी है। वह कब चरितार्थ होगी यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारा सगठित पुरुषार्थ उस दिशा में जाना चाहिए

[ १६५ ]

यह निमित्त है। लेकिन ग्राम विद्यालय के बनने के पहले कोई ग्रामीण विद्यालय बनना चाहिए। ऐसा कोई शिक्षण और बोध का स्थान बने जहाँ शिक्षा से लेकर प्रौढ़ तक की शिक्षा हो और यह माध्यम हो कि किस तरह शिक्षण जीवन के करीब आ रहा है, जीवन के लिए हाँ रखा है और जीवन के द्वारा हो रहा है। इसलिए यह महसूस हुआ कि सेवापुरी की सस्था का यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लनी चाहिए। प्रस्ताव निम्न प्रकार है —

### ‘सेवाभारती’

“१ सेवापुरी के १६ वर्षों के इतिहास में बापू का एक स्वप्न सन्निहित है। उनकी प्रेरणा से इस सस्था ने शुरू से ही शिक्षण प्रशिक्षण को अपना मिशन माना और आज दिन तक यह अपनी शक्तिभर उसी काम को करती जा रही है।

२ इस समय सेवापुरी में ये शैक्षणिक प्रवृत्तियाँ चल रही हैं —

- (१) पूर्व बुनियादी, बुनियादी और उत्तर बुनियादी
- (२) सशित महिला शिक्षण ( कण्डेन्स कोर्स )
- (३) नयी तालीम अध्यापन मन्दिर ( टीचर्स ट्रेनिंग )
- (४) क्षेत्रीय खादी मामोयोग विद्यालय
- (५) ग्राम स्वराज्य विद्यालय
- (६) बुनाई अभ्यासक्रम
- (७) चमोदोम अभ्यासक्रम

३ इन विविध प्रवृत्तियों को इतने दिनों तक चलाने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अब सेवापुरी को नयी तालीम के क्षेत्र में अगला कदम उठाना चाहिए, यानी अब उसे सेवाभारती के रूप में विस्तार का दिशा में बढ़ना चाहिए। उत्तम बुनियादी उत्तर बुनियादी के बाद का स्वाभाविक कदम है। विस्तार क अतर्गत नयी तालीम के विचार का प्रचार, उत्तर प्रदेश के स्थानों में चलनेवाली सस्थाओं को मान्यता देना और उनका मार्ग दर्शन करना, नयी सथाएँ विकसित करना, साहित्य निर्माण तथा इस समय में जो भी काम आवश्यक हों, आदि सहज आ जाते हैं। इस दृष्टि से यह नयी तालीम-गोष्ठी गांधी स्मारक निधि के उत्तरप्रदेशीय स्टेट बोर्ड से विचारित करती

है कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक स्थायक समिति गठित की जाय, ताकि शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जा सके :—

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| (१) श्री धीरेन्द्र गजूमदार  | अध्यक्ष |
| (२) श्री आचार्य युगल विद्या | सदस्य   |
| (३) श्री अ० सु० करण         | सदस्य   |
| (४) श्री कपिल भारद्वाज      | सदस्य   |
| (५) श्रीमती सुचेता त्रिपाठी | ”       |
| (६) श्री कमलापति त्रिपाठी   | ”       |
| (७) श्री रामलाल भारद्वाज    | ”       |
| (८) श्री राधाटण्ड           | ”       |
| (९) श्री चन्द्रभूषण         | सहस्रमं |
| (१०) श्री राममूर्ति         | सदस्य ” |

प्रस्ताव पेश करने के बाद श्री राममूर्ति ने कहा— “बुनियादी शिक्षा को यह बात तय करना है, सेवाभारती के तत्त्वाधान में, कि हम समाज में किस तरह की अर्थ-नीति चलाएँगे, समाज के लिए किस तरह की शिक्षा नीति ठीक होगी, किस तरह की समाज-नीति ठीक होगी और यह भी कहा जा सकता है कि किस तरह की राजनीति और किस तरह की धर्म-नीति ठीक होगी।”

सेवाभारती की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर ध्यान दिलाते हुए आचार्यजी ने कहा कि “हम एक दूसरे का सिर तोड़कर क्रान्ति नहीं करना चाहते, हम सरकार के कानून के तल पर क्रान्ति नहीं चाहते, हम अपने पुरोहित के आदीवाँद पर क्रान्ति नहीं चाहते और हम पुलिस के डबे से समाज का बदलन में आस्था नहीं रखते। अब अगर हमारी पुरानी आस्थाएँ हिल गयी हैं और बेकार साबित हुई हैं तो बुनियादी शिक्षा आज के जमाने की हमारी आस्था है, हमारा उसमें विश्वास है और हम उस पद्धति से जीवन परिवर्तन और समाज परिवर्तन की बात सोचते हैं और कहते हैं तो इन सब विचारों को आधार मानकर प्रयोग शुरू करना और उस प्रयोग को समाज के साथ जोड़ना और समाज की भूमिका में बुनियादी शिक्षा की कार्यक्षमता को सिद्ध करना है। यह सब जिम्मेदारी सहज ही सेवाभारती पर आती है।”

## एक साल की 'खतरनाक' आयु

अतः आप बच्चे को मालिकू ये, ओ चाहते ये खिलाते ये, जहा चाहते ये मुलते ये, हर चीज में अपनी मर्जी चलाते ये, उसकी मर्जी का सवाल ही नहीं था, लेकिन अब बात बदल गयी है। अब वह एक साल का हो गया है, अब वह समझने लगा है कि वह भी कुछ है और उसकी इच्छा-शक्ति की उपस्था पहिले की तरह नहीं की जा सकती। जो चीज उसे पसंद नहीं है उसके सम्बन्ध में वह अपनी स्पष्ट अस्वीकृति प्रकट करना चाहता है। कभी कभी तो जा चीज उसे पसंद है उसके लिए मा 'नहीं' कह देता है—शायद इसलिए कि उसकी मर्जी की कद्र की जाय। इस व्यापार में मा अक्सर परी ध्यान हो जाती है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि यह 'नहीं' बच्चे के व्यक्तित्व को विकास के अंतर्गत है। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रकृति उसे 'नहीं' कहना सिखाती है।

एक साल के बच्चे को लिए दुनिया की हर चीज कुतूहल का विषय है। वह हर चीज छूना, खाना, उठाना, फेंकना चाहता है। मा कहती है—'बच्चा नहीं आपत है।' वह बेचारा क्या जाने कि उसका बच्चा इस विविध, अपरिचित दुनिया से परिचय बढ़ा रहा है, उसमें अपने लिए रास्ता बना रहा है। वह 'आपत' द्वारा अपने शरीर आर बुद्धि का तज्जा का परिचय दे रहा है। सचमुच वह अपने आप अपने को सिखा रहा है जब कि उसे कोई दूसरा नहीं सिखाता।

बच्चे को लिए यह उम्र बहुत खतरनाक हाती है। कब कौन-सी चीज अपने ऊपर गिरा ले, क्या कर दे, क्या खा ले, कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए जरूरत इस बात का होता है कि बच्चा ज्योंही एक साल का हो जाय घर के चारों सामान की व्यवस्था उसको फन्द्र मानकर की जाय, माता पिता की पूरी

दिनचर्या बच्चा केन्द्रित हो जाय। उसकी आज्ञादी में बाधा हीन न डाली जाय, लेकिन जोखिम से बचाने की सतर्कता रखी जाय। अतः, बच्चे को खोईघर में प्रवेश न हो। वहा आग या दूसरी कोई गर्म चीज छू लेने का मय बरानर बना रहता है। इसी तरह पैसा, बख, शीशे के टुकड़े, या अनाज जैसी छोटी चीजें सामने न रहें कि वह उन्हें उठाकर मुह में रत ले और जोखिम पैदा कर ले। निजली क तार, दियासलाई, स्टोय, कूआ, तालाब, ब्लेड, चाकू, दवा की शायिया, सिगरेट, स्याही, पालिश आदि चीजें तो बच्चे का पहुँच क भातर कभी रहना ही नहीं चाहिए। इसी तरह बच्चे का अपरिचित कुत्तों क पास भी नही जाने देना चाहिए।

इस उम्र में बच्चे को बचल इन चीजों से ही नहीं, डरावने दृश्यों और डरावनी ध्वनियों से भी बचाना चाहिए। उसको भय न दिखाया जाय बल्कि डरावने दृश्य या ध्वनि से उसका ध्यान दूसरी चीजों की ओर माड दिया जाय। इस उम्र में बच्चा तंजी स हिलने वाला किसी चीज, जार क शीर, तेजी के साथ खुलेन वाले छाते, क्रिटाव के चित्र, कुत्ते की भूक, रेल, परतों का तज एड्रपडाइट आदि से भी डर जाता है। इसी चीजों के पास बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए जतक कि धारे धारे वह आदी न हो जाय।

स्नान के समन बच्चे को नाटी में तेजी से बहने वाउ पानी, या साबुन के आप में लग जाने से घबड़ाहट होता है। बच्चा अपरिचित मनुष्यों से भी डरता है। लगभग पाँच महाने तक वह क्रिया से नही घबड़ाता लेकिन उसक बाद वह अपरिचित व्यक्ति से सतर्क होने लगता है। कभी-कभी डर क मारे रोने लगता है और देर तक रोता रहता है। और तो और, पिता की मूर्छें भी उसके लिए भय का कारण बन

सकती हैं। बात यह है कि अब वह मित्र और शत्रु का भेद सीधे रहा है। अच्छा होगा कि थोड़े दिन तक उसे अपरिचितों से जरा अलग ही रखा जाय शीघ्र वह हिलना मिलना सीधे लेगा। कई बच्चे मनुष्य से अधिक चीजों में रुचि रखते हैं, उन्हें चिंता नहीं रहता कि कौन आया, कौन गया। सयानों का भी चाहिए कि वे किसी अपरिचित बच्चे के प्रति प्यार दिवाने का जल्दी न करें, स्वयं बच्चे को अपनी मर्जी के अनुसार पास आने या न आने का अवसर दें। जबरदस्ती के प्यार से छोटे बच्चे में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होती।

जब बच्चा चलने लगे तो उसे खुलकर लोगों के पास जाने देना चाहिए। उसे दूकान पर या जहाँ खेलते हों वहाँ ले जाया जाय ताकि वह तरह-तरह के लोगों को देखे। जो बच्चे तीन साल तक दूसरे बच्चों से अलग रह जाते हैं उन्हें बाद की हिलने मिलने में कठिनाई होती है।

एक साल की उम्र में बच्चे में दो परस्पर विरोधी बातें दिखाई देती हैं। एक ओर वह मा से जरा भी अलग होने पर रोने लगता है, दूसरी ओर वह स्वावलम्बी होने की भी कोशिश करता है, नयी चीजों, जगहों और लोगों की ओर झुकता है।

स्वतंत्रता और सुरक्षा की गह उसमें साथ साथ पैदा होती है। गुटने के उत्तर लिखकर वह अपने मन से रोज़गार रहता है, लेकिन अचानक से कुछ छोड़ कर मा के लिए चिल्ला उठता है। ऐसे समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता में बाधा तो न डाली जाय, लेकिन जब व सुरक्षा चाहे ता स्वतंत्र बनाने के लिए बच्चे को अलग रखना जब कि वह मा के साथ के लिए चिल्ला रहा हो नादानों का काम है। लेकिन यह भी ठाक नहीं है कि मा बच्चे को हर वक्त चिपकाये घूमती रहे, ऐसा करने से वह समय पर अपरिचित व्यक्तियों या वस्तुओं की आदत नहीं डाल पाता और तरह तरह के भयों का शिकार हो जाता है।

स्वतंत्रता का अभ्यास कराने के लिए एक उपाय यह है कि जब बच्चा चलने लगे तो उसे गाड़ी में चलाने घुमाने की जिद नहीं करनी चाहिए। कपड़े गंदे होने के डर से बच्चे को चलने फिरने न दिया जाय, यह सुखता की पराकाष्ठा है। जरूर उसे धूल या बालू से मुह में डालने से बचाना चाहिए, कोई दूसरी आकर्षक चीज हाथ में देकर। छोटा बच्चा अपने से अधिक उड़ो उम्र के बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है।

☆

[ पृष्ठ १२५ का शेषांक ]

केवल हमारी बुनियादी शालाओं में दाखिल नहीं की जाय तो वह गलत होगा। पसंद करने की स्वतंत्रता हर एक शाला के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए भागी जानी चाहिए।

जब बुनियादी शिक्षा के लोग सामान्य शिक्षा जगत् के बीच समीर का काम करेंगे और विचार प्रवाह बहने लगेगा तभी आगे की छात्रांग भरने योग्य वातावरण बन सकेगा।

(समाप्त)

★

# वाल-मनोविज्ञान और माता-पिता

श्री आर० एस० विद्यार्थी

बच्चा खेलने का एक साथन है और साथ ही एक समस्या भी है। बिलोने की तरह उससे खेलिए या उससे एक अतिवेकी पिता या बेवकूफ माता का सा बर्ताव कोजिए। आप उससे यदि दूसरे प्रकार से। पेज आते हैं तो बच्चा अवश्य ही दमिज्जाज और चिडचिडा बन जायगा और हमेसा के लिए परेसानी का कारण बन जायगा। लेकिन जहा बेहद प्यार करने से और जरूरत से ज्यादा ह्याल करते रहने से बच्चा विगड सकता है वहा उपेछा और मरुती के कारण वह अपने को उपेक्षित सा अनुभव करने लगता है। अतः बडी सावधानी के साथ इन दोनो अतिरेको से बचने की आवश्यकता है।

बच्चो को सही ढंग से विकसित करने के लिए थोडा सा उनका मनोविज्ञान समझ लेना बहुत आवश्यक है। माता पिता दोनो को समानरूप से उसकी जानकारी कर लेनी चाहिए। यहा एक उदाहरण प्रस्तुत है जिसमे पता चलता है कि परिवार बाहे जितना अच्चा क्यों न हो परंतु माता पिता अपने अन्दर आवश्यक गुणो से यदि नावाकिक रहे तो बच्चो पर कितना बुरा गुजरता है।

फतेहगढ में बच्चो का एक जेल है। वहा एक जेलर थे जो वाल-मनोविज्ञान के अच्छे जानकार थे। अपने पास आनेवाले प्रत्येक अपराधी बालक का सारा इतिहास और पूरा रेकार्ड बं रखते थे। एक बार उन्होने एक कैदी-बालक का रेनाडे मुझे दिखाया और उस लडके से मिलाया भी। वह लडका उमरमग ८ साल का था। देखने में बडा मुन्दर और स्वस्थ था। बेहरे से और हाव-भाव से लगता था कि सुसिद्धित, शरीफ उच्चवर्गमि सपन परिवार का लडका है। जेलर ने कहा कि वह

लडका पक्का जेब-कतरा है। मेरे सामने उन्होने उस लडके से अपना करतब दिखाने को कहा और आश्वासन दिया कि उसके लिए उसे कोई सजा नहीं देंगे। गुरू में लडका सहमा और इनकार करने लगा। पर जेलर के बार-बार आग्रह करने से और सजा न देने का बचन देने से किसी समय अपनी बला दिखाना बबूल कर लिया।

जेलर अपनी दैनिक गरती पर गये और मैं भी अपने कमरे में लोट आया। लगभग ३ घण्टे बाद जेलर गरती से लोट आये और मुझे भी बुला भेजा। मेज के सामने एक कुर्सी पर वे बैठे थे और दूसरी कुर्सी पर मैं बंठ गया। उन्होने दूसरे भी कई बाल-अपराधियों के रेकार्ड मुझे दिखाते रहे। एक से एक मामला बडा दिल-चस्प था, कई तो बडे ही आश्चर्यजनक थे और कई तो छलपूर्ण भी थे। जेलर ने बात करते करते सहज ही अपनी ऊनी कोट की जेब पर हाथ फेरा तो बटुवा गायब था। वे हक्का-बक्का रह गये और सारी जेबें टटोलने लगे। जेब अन्दर से बटी हुई थी। वे आपे से बाहर हो गये और उसी लडके को बुलाया जिससे थोडी देर पहले उन्होने अपना करतब दिखाने को कहा था। लडका आया और पूछने लगा कि क्या बात है। जेलर मुस्ते से भर कर डांटेने लगे कि यह तूने क्या कर डाला ? मेरी नयी गरम कोट तू ने फाड दी। लडके ने तपस्की से जवाब दिया—आप मुझ पर बिगडते क्यों हैं ? पहली बात तो यह कि मैंने किया कुछ नहीं। किया भी तो आप के कहने ही पर किया और आप ने सजा न देने का भी बचन दिया। जेलर ठण्डे पडे और बटुआ



यापस मांगी। लडका मुस्चुराते हुए बोला-बटुआ मुझ से क्यों मांगते हैं? मुझे बटुआ चुराते हुए आपने देखा बोटे हो है? लेकिन बाद में उसने बटुआ लौटा दिया और पैसे जाँच लेने को कहा। देवा तो पूरे पैसे पडे थे। जेलर ने उस लडके और मेरे सिवा बकी सबको बाहर भेज दिया और लडके से प्यार से पूछा कि उसने बटुआ कब उड़ाया। लडका चुप रहा। फिर दुबारा पूछने पर कहा—जब आप मुझ से करतब दिखाने को कह रहे थे तभी मैंने निकात्र लिया था और वह इस ब्लेड से किया था।

लडके को भेजकर जेलर ने उसका पुराना इतिहास मुझे दिखाया। वह इलाहाबाद का रहनेवाला था और एक जज साहब का लडका था। अफसर अपन माता-पिता के साथ चौक तक हो जाता था। वे बाजार से सामान खरीदते थे, पर उन लडके को कुछ भी खरीदने नही देते थे। पिता बडे गुस्सेल था और उनसे गुस्से से वह इतनी दुरा तरह डरता था कि अपनी इच्छाएँ भी जाता था। पिता के सामने उसकी माता भी कुछ बोल नही सकती थी। लेकिन वह लडका हमेशा उन मिठाइयों की ओर लालायित रहता था जिन्हे वह खरीद नही पाता था।

एक दिन एक आदमी ने उस लडके को देखा और इशारे से पास बुलाया। उमने लडके के हाथ में कुछ पैसे रख दिये और कहा—जो जी में आये खरीद कर ला लो। लडका पैसे लेकर अपने माता पिता के पास पास चला आया और फिर उनको नजर बचाकर कुछ मिठाई खरीद ली और अपनी लालसा पूरी कर ली।

वह अपने माता पिता के साथ जब भी चौक जाता सब-सब यही क्रम चलता रहा। एक दिन उस आदमी ने, जो उसे दिया करता था लडके को अपने साथ चलन को कहा। लडका उसके साथ चल दिया। दूर से जाकर उस आदमी ने बताया कि वह किस तरह दूसरों की जेब से पैसे उड़ा लाता है। उस लडके के लिए जेब-बतराई का यह पहला पाठ था। इसके बाद वह घर लौटा और माता पिताओ ने बहाना कर गया कि वह रास्ता भूठ गया था। उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया।

मात यहाँ तक बढ़ती गयी कि कुछ समय बाद वह लडका उस बदमाश आदमी के हाथ का एक अच्छा सासा साधन बन गया। उस जेब-बतराई ने इन्हे जेब काटने की कला अच्छी तरह सिखा दी और यह जेब काट कर जो कुछ लाता उसे दोनों आधा-आधा बाट लिये थे। इस तरह वे बड़े लडका पकरा घोर बन गया और एक दिन रंगे-हाथी पकटा गया। उमे एक साल की सजा हुई और फतेहगढ़ की जेल में भेज दिया गया।

उस लडके के माता पिता बडे पाब से उसस प्यार करते थे। लेकिन उसकी मा एकदम लाड करती थी और पिता एकदम कडे थे। लडका अपने ढंग से बढ़ता गया और उसकी आदतें और भावनाएँ उसकी अपनी ही बनती गयी। वह अपन पिता स किसी बात के लिए कुछ पूछता नहीं था और पिता की वह बटोरता उगस सहन नहीं होती थी। उसकी दबी हुई अभिलाषायें बदमाशों के सहारे पलने लगी और बेताब हो कर दौड़ने लगीं। उन बदमाशों ने उसे जेब काटना सिखाया और अपना उल्लू सीधा करने का उसे एक साधन बना लिया। ऐसे अच्छे भले घर का लडका इस तरह से जेब-बतरा बन गया।

जेलर ने बाल-मनोविज्ञान के सूदम अध्ययन के लिए इस लडके के केस को चुना। उनके अध्ययन का निष्कर्ष बताता है कि उस लडके के माता पिताओ ने उसकी देखभाल ठीक तरह से नहीं की। उसकी जो भी इच्छा होती थी मा बिना कुछ सोचे विचारे ही उसे पूरी कर दिया करती थी। पिता का बर्ताव इसस बिल्कुल विपरीत था। लडके के सामन पिता हमेशा अपना रौद्र रूप ही दिखाता रहा और लडका उससे हरदम भयभीत रहता रहा। लडके की आवश्यकताओ के संबंध में पिता की अपनी ही कुछ धारणाएँ थीं और वह उन्हें अपने ही ढंग से पूरी कर दिया करता था, बच्च से कुछ भी सलाह नहीं करता था।

लडका यों तो बाहर से चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर वह विद्रोही बनता जा रहा था और किसी कदर पिता की निगाहों से बच निकलन की ताक में रहता था। पिता के अनुशासन की आड में बच्चे के अंदर यह जो विद्रोह और विरोध की भावना पनपनी जा रही थी

उसकी ओर न माता ने ध्यान दिया और न पिता ने ही सोचा। उस लड़के को गुनराह होने के लिए एक अजनबी आदमी का छोटा सा लालच काफी हो गया कि वह आगे चल कर एक पक्का जेबकतरा बन गया। न तो उस सरत पिता ने न उस बेवकूफ माता ने कभी सोचा था कि उनके उस प्रकार के बर्ताव के कारण उनका प्यारा बच्चा या जेबकतरा बन जायगा। लेकिन जेल के अंदर उस दयालु जेलर ने सद्ब्यवहार के कारण उस लड़के ने समझ लिया कि वह गन्ती कर रहा है, गुनाह कर रहा है। जब वह जेल से बाहर आया तो उसने वह घधा छोड़ दिया, नये कि उसने अनुभव कर लिया था कि जेब काटना एक और सामाजिक पाप है तो दूसरी ओर अनैतिक काम भी है।

वास्तव में बच्चों को अपनी इच्छा से कुछ करने-धरने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर इसका यह अर्थ नहीं कि बच्चों को ओर ध्यान ही नहीं दिया जाय या पूरी सजगता न बरती जाय। बच्चों को न घमकाने की जरूरत है, न लाठ लड़ाने की, इतना भर काफी है कि अपने खुद के आचरण में कोमल मार्गदर्शन किया जाय। बच्चों में अनुकरण करने की एक जबरदस्त नैसर्गिक शक्ति होती है और वह हमेशा खुद देखने और खुद सुनने की उत्सुक रहता है। उसे ऐसी चीजें देखने नहीं देनी चाहिए जिनके बारे में हम सोचते हो कि बच्चे वैसा न करें। विवेक करने की शक्ति बच्चों में बिलकुल नहीं होती। बच्चे दूसरा को जो कुछ करते देखते हैं वही खुद भी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बच्चों के

लिए पहला शिक्षण यही है कि उन्हें ऐसी चीजें देखने न दें और ऐसी बातें सुनने न दें जिनके बारे में हम चाहते हैं, कि बच्चे वैसा न करें या वैसा न बोलें। इस मामले में यदि उपेक्षा बरतते हैं या असावधान रहते हैं तो मतीजा यह होगा कि बच्चे जिद्दी और बेबाक बन जाते हैं। बच्चों को बाजार से जाय, वहाँ बच्चे दूसरे बच्चों को खाते या खरीदते देखें और फिर उन्हें कुछ भी खाने या खरीदने न दें तो निश्चित ही हम बड़ी मूल करते हैं और बच्चों के प्रति हम बड़े गुनाहगार होंगे। ऊपर का दृष्टान्त इस बात की सच्चाई के लिए पर्याप्त प्रमाण है। माता-पिताओं को बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यह समझने के लिए भी उपर्युक्त घटना काफी है।

बच्चों को जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अपने घर के अंदर जितना उत्तम शिक्षण मिलता है वे आगे चल कर उतने ही सुसंस्कारी बनेंगे। माता-पिता अपने दैनिक जीवन के प्रत्यक्ष उदाहरण से बच्चों को बहुत अच्छी तरह विकसित कर सकते हैं और शिक्षित कर सकते हैं। माता-पिता चाहते हो कि बच्चे अच्छे नागरिक बनें तो उन्हें खुद अपना चरित्र आदर्श शिष्टाचार-संपन्न बनाना होगा। सही बात तो यह है कि इस प्रकार माता-पिता अपने बच्चों का जीवन बनाने लगते हैं तब स्वयं बच्चे भी अपने माता-पिताओं का चरित्र-कालते जाते हैं।

(कुरुक्षेत्र से सामार)

★

## संस्कार-शिक्षण

३०-११-६२

१ मैंने अपने बर्तव्य की इतिथी को नापा बच्चा के माँवो से। उन्होंने प्रेम और अपनापन महसूस किया, यह पार्यन्त था। अब जो गणित, भाषा आदि की बात है वह गौण हो जाती है। संस्कार और वृत्ति की युद्धि प्रधान हो जाती है। इस युद्धि का अपने आप में महत्व जीवन की इस कृति से गुँथा है, स्वतंत्र तो कुछ है नहीं।

२ मात्र सफाई में लड़कों की अभी उन्नत होती है। उसके साथ सुशोभन को जोड़ देना से उसाह बना रहता है। साथ ही बच्चों के मानस को अभिव्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र कृति भी हो जाती है। किस बच्चे ने किस तरह फूलों को रखना पसंद किया, किस तरह के फूल चुने, इसका रकाई रखने से अतमन का कुछ सकैत मिलने में सरलता होगी। सफाई को सुशोभन के साथ जोड़ने से बच्चों को एकत्र होने और प्रसन्न रहने का सहज ही आधार मिल जाता है। मानद कृत योदय बड़ा को भी आवर्षित करता है। उपासना और सजावट का मेल शास्त्रीय है।

सुशोभन के साथ-साथ सफाई और व्यवस्था अपने आप आ जाती है। माँवो, बँच आदि को भी सुघडता की दृष्टि से जमान की कला भी इन बच्चों में विकसित हो रही है।

बच्चों का जोरें कभी-कभी स्वयं व्यवस्थित कर दें तो उद्यम अंतर उनके मानस पर अच्छा पडता है। मैंने देखा कि मुनूद सबने अपने बर्तों एक पत्तार म टगे पाय तो एक दूसरे को आर वध कर प्रसन्नता प्रकट करने लगे। व्यवस्था का तत्व अर्थात् जल्दी ग्रहण कर लेती है, कान नहीं। बचल बनान रहने से वे समझ ही नहीं पाते कि क्या है उसी तरह छाँड देना म क्या मुक्तान है। अर्थात् देख लती हैं ता हाथा म क्रिया बड़ जाती है।

८-१२-६२

३ हम लोगो म से एक को बात दूसरे से बच्चे गलत ढग स कहते हैं। इस चीज को दूर करने की

कोशिस करनी चाहिए। बच्चाने इगो तरह की बेवकूफी की। उसे और दूसरे लडकाको बुलाया, पूछा। जो बात सचमुच थी उसमें और उसने कही उममें क्या अंतर हो गया, यह उन्हो लोगो द्वारा समझाया गया। बात जैसी सुने उसी तरह याद न रहे तो कभी इधर की उधर नहीं कहना चाहिए। किसी को बात किसी से कहने में एक प्रकार का आनन्द मिलता है जिमका आगे जाकर कभी-कभी बहुत हीन स्वरूप प्रकट होता है।

४ प्रापना का समय। बुदाल को टाग दिया गया है, घटी का काम देनी है। मुनू कर लडके क्या, राही भी रुक जाते हैं। को आने में देरी हुई। शांति-मन शुरू होने के कुछ पूर्व ही साइकिल देख कर बच्चों ने कहा—जल्दी से शुरू की जाय, पण्डित जो देर स आये। बच्चों के इस वाक्य में कुतूहल, आनन्द के साम बडप्पन भी था। उस बडप्पन को वे प्रकट होने देना नहीं चाहते थे। मैंने पूछा—'अच्छा, पण्डित जो देर से आ रहे हैं तो क्या किया जाय?' सब के सब बोले—'डाटा जाय, डाटा जाय।' कौन इस क्रिया को करे? सब पीछे हटने लगे जब कि तमन्ना हर एक की थी। रिहसल कराया। जिमकी डाँट अच्छी जम जाय वह डाटे, यह तय हुआ। बारी बारी रिहसल शुरू किया। इस रिहसल म सारी मुप्त बातें निकल रही थीं जो समय समय पर उह मुनन को मिलती थी पर चूकि छोट है इसलिए मुनू कर चुप रह जाते थे। इतना सब होते होते पण्डितजी ने पहुँचन की भनक सुनाई दी तो तत्पर ही कर शांतिपाठ किया। समाप्ति पर मैंने सारी बात कह सुनायी। बच्चों के मन स भय निकले और आत्मानुशासन उसकी जगह ले, यह बठिन नहीं है, अगर हम लोग अपनी-अपनी जगह कुछ सहनशील बनें तो। हम सुधार के, व्यवस्था व शांति के ओर नियमितता के ठेकेदार बने रहते हैं, इसलिए उन लोगो का सहयोग नहीं प्राप्त कर पात।

—प्रान्ति बहन



## हम शिक्षक क्या करें ?

श्रीमती 'मार्जरी, माइन्स

गत नवम्बर के प्रारंभ में सामुदायिक विकास के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुछ सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं से मिलने और चर्चा करने का मुझे मौका मिला था। हम सभी के दिमाग में प्रधानता सीमा पर उत्पन्न आन्तरिक स्थिति को ही थी और कइयो ने मन की बात शब्दों में व्यक्त किया "हम इस काम में क्यों लगे रहें? ऐसे समय में इन विकास-कार्यों से क्या होता है? हमें उठ खड़े होना चाहिए और कुछ करना चाहिए।"

समय है कि कई शिक्षक और छात्र भी ऐसा ही सोचते हों 'ऐसे समय में स्कूल चला कर क्या होगा? हम उठ सड़ा होना चाहिए और कुछ करना चाहिए।' साथ ही यह भी समझ है कई बुनियादी शालाओं के शिक्षक इस बात से हैरान हों कि अधिकांश समाज-व्यवस्था कायम करने के लक्ष्य को लेकर चलनेवाली इस शिक्षा का आज कहीं और क्या स्थान है।

यह अच्छा हुआ कि हम लोगों को एक धक्का लगा। हम सब के लिए यह बहुत सहज है कि कुछ आलसी बन जायें और अपने काम में शुरू का उत्साह खो दें। कभी कभी अच्छे से अच्छे शिक्षक भी अपनी ताजगी खो देते हैं और निष्प्राण और जड़ दैनिक कार्यक्रम में चिर जाते हैं। इतने दैनिक कार्यक्रम कच्चेकर म बाहर निकलने के लिए हम सीमा स्वयं के समाचार न अच्छा धक्का दिया। हम ने भारत के लगभग प्रत्येक निवासी को नये सिरे से अपने आप से प्रेरित करने की प्रेरित किया कि वह देश की अधिकांश अच्छी सेवा किस प्रकार कर सकता है। इस बात पर भी सोचने को यह अच्छा मौका है कि हमारे स्कूल, हमारे शिक्षक और हमारे छात्र देश की अच्छी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। 'हमें उठ खड़ा होना चाहिए और कुछ करना चाहिए।'

जनवरी, '६३ ]

हमें क्या करना है? मेरा निश्चित मत है कि यदि हमारे अंदर अपने बच्चों के प्रति कुछ भी प्रेम और दिलचस्पी है तो हमें स्कूल हरगिज उद नहीं करना चाहिए। बल्कि अब तक जितना करत रह है उससे अधिक चिंतन, अधिक समय और अधिक शक्ति अपने स्कूलों के लिए देना चाहिए। अच्छे स्कूल वे नहीं हैं जहाँ के शिक्षक प्रतिदिन ५ घंटे के जड़ कार्य से सतोष कर लेते हों, बल्कि अच्छे स्कूल वे हैं जहाँ के शिक्षक-भाई और बहन बच्चों के लिए मन और शरीर दोनों से अपना कड़ा धर्म करने में पूरा समय लगाते हैं।

एक शिक्षक से देश-सेवा के रूप में यहाँ अपेक्षित है कि वह 'शिक्षक के नाते' अपना कर्तव्य पूरी शक्ति लगा कर जितना अच्छा निभा सकता हो निभाये। यदि शिक्षक १० बजे से ४ बजे तक प्राणहिन, क्षमता-शून्य और जड़ शाला चला कर ही सतोष कर लेता है, तो वायजूद इसके कि वह स्कूल के समय से अलग सुबह-शाम किसी दूसरे प्रकार की सुरक्षात्मक प्रवृत्तियों में भाग लेता हो, देश सेवा के काम में विफल ही माना जायगा। वास्तव में शिक्षक की देश-सेवा बच्चों को, बच्चों द्वारा और बच्चों के साथ की सेवा है।

### बच्चों की सेवा

सन १९४० में जब नाथ पर हिटलर की सेना ने धावा बोल दिया और हिटलर के प्रतिनिधियों ने अच्छा जमा लिया तब नाथ के सारे शिक्षकों ने निश्चय किया कि वे पढ़ाने का काम छोड़ने नहीं। बच्चों की सेवा का निमित्त उन लोगों ने स्कूल जारी रखे। प्रत्येक शिक्षक ने कक्षा के सामने पवित्र सकल्प दोहराया कि बच्चों को वे कोई ऐसी बात नहीं पढ़ायेंगे जो नैतिक दृष्टि से गलत है और अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध है।

आज भारत के प्रत्येक शिक्षक को अपने मन में इसी प्रकारका सकल्प कर लेना चाहिए। उसे निश्चय

[ २०३ ]

कर लेना चाहिए कि वह अपनी समता का पुरा-भूरा उपयोग करने की व्यवस्थित योजना बना लेगा और कक्षा के बच्चों की इतनी पक्की तैयारी कर लेगा ताकि बच्चों का जरा भी समय व्यर्थ न जाय। उसे अपने बच्चों की रुचि सजगता और विषयों को फीज रख लेने की दक्षिण बनाय रखनी चाहिए।

मुनिवादी शाला के शिक्षक को विनोबाजी की वह बात स्मरण रख लेना चाहिए कि लिखना, पढ़ना और गणित आदि विषयों का, जो कि ज्ञान-साधन हैं, पुरा ज्ञान प्रतिदिन की एक घटकी कुशल पढ़ाई से प्राप्त हो जाना चाहिए।

इसका अर्थ है कि शिक्षक का स्वानुशासन, नियमितता और सब से बढ़ कर कठिन श्रम। अर्थात् होम-गार्ड के लिए कक्षा-पढ़कान में रोज ३ घंटे बिताने की अपेक्षा अधिक श्रम और अधिक स्वानुशासन। यह मन और शरीर दोनों के लिए कठिन है। यह कोई नाटक नहीं है। तबिन एक ईमानदार शिक्षक को इससे कम में सतों नहीं मानना चाहिए। उसे महसूस होना चाहिए कि शाला में पूरे दिन के कठिन श्रम के रूप में देश-सेवा किये बगैर देश से पूरे दिन का बेतन लेना नीतिक दृष्टि से ठीक नहीं है।

बच्चों की सेवा का यह भी अर्थ है कि बच्चों के शारीरिक और विकास को और प्रेमपूर्वक और सजगता के साथ ध्यान दिया जाय। दोपहर का खाना हुआ स्कूल के बगीचे के उत्पादन का बटवारा हुआ और इसी प्रकार कोई भी प्रथम हो सबको शिक्षा का हो अंग मान कर उन्हें बच्चों के सक्रिय सहयोग से और पढ़ाई के ही समान अत्यन्त प्रमाणिकता समता और नियमितता से करना चाहिए। इस सब के अलावा शिक्षक को बच्चों के घर जाकर उन के माता पिताओं से मित्रता स्थापित करने के लिए भी कुछ समय देना चाहिए जिससे बच्चों की भलाई से संबंधित सभी बातों में स्कूल और घर दोनों के बीच सही विश्वास और सहयोग प्राप्त हो सके।

### बच्चों के द्वारा सेवा

बच्चों के द्वारा सेवा करने का विचार शिक्षक पर एक ऐसा अवसर और उत्तरदायित्व डालता है कि वह शिक्षक के नाते बच्चों को स्वस्थ, सामाजिक दृष्टिकाल,

उपयोगी तथा अपने देश और मानवता लिए सेवा करने की तीव्र मानव के रूप में विकसित कर। इनके बहुत प्रमुख अंग हैं हम शिक्षकों की अपना कठिन श्रम करने की समता, ईमानदारी, नियमितता और हर प्रकार का स्वानुशासन। क्यों कि आगिर शिक्षक सही सब निष्ठा है जो वह खुद है। हमारा अपना शिक्षण-कार्यक्रम जितना उत्तम होगा उतना ही बच्चे अच्छे सिद्ध होनेवाले हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि शाला को अपने ढंगका एक अोजस्वी सामूहिक जीवन विकसित कर लेना चाहिए। सभी प्रवृत्तियों में, उनके सगठन और प्रत्यक्ष काम दोनों में, जहाँ जहाँ सम्भव हो वहाँ बच्चों का हाथ अवश्य होना चाहिए। इस संबंध में काफी लिखा जा चुका है और अच्छी मुनिवादी शिक्षण शालाएँ इसे प्रायः निश्चित करके दिखाने का बराबर प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन यह बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि निस्वार्थ सामूहिक कार्य, अपने को परिस्थिति के अनुकूल बना लेना सहिष्णुता आदि नागरिक गुणों का विकास ऐसे नागरिक जीवन का अभ्यास से ही किया जा सकता है। महान और अर्थ सरजाम आदि की देखभाल करने में, दैनिक कार्यक्रम के संयोजन में, कक्षा, शाला आदि की सफाई में, पुस्तकालय और बगीचे की व्यवस्था और काम में, अतः बग में बैठ कर जो कुछ सीखना सिखाना होता है उन घंटों में भी बच्चों को बराबर यह शिक्षण मिलते रहना चाहिए कि समिलित जिम्मेदारी क्या है और एक दूसरे की भलाई और प्रगति का ख्याल किस रखा जाता है। इसका अर्थ है शिक्षक का अधिक काम, कम नहीं। साथ ही यह भी कि आनन्द रस और सतोंप में वृद्धि।

### बच्चों के साथ सेवा

बच्चों के साथ सेवा करने का अर्थ है शिक्षक और बच्चे दोनों मिल कर अपने शत्रु के लोगों के लिए उपयोगी कोई साधारण सा सेवा-कार्य अपने हाथ ले लें। चीन के सपप के कारण जो धक्का देश को लगा है उससे स्कूलों को भी लाभ उठाना चाहिए और अपने आस पास की जनता की सेवा किस प्रकार की जा सकती है इस सब में नये सिरे से सोचना चाहिए। अधिक किये गये कठिन श्रम के कारण और अधिक दक्षता से पढ़ाने के

कारण जो समय बचता है, शिक्षक और छात्र दोनों को उस समय का उपयोग समाज-सेवा की किमी प्रवृत्ति में करना चाहिए। स्वच्छा से अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। ऐसी कुछ प्रवृत्तियाँ ये ही सचनी हैं —

१ बच्चों के घरों और शाला के बगीचों में सघन काम और सही पद्धति द्वारा खाद्य सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाना,

२. अपने धास-पास के क्षेत्र की नियमित सफाई, घास-फूस और जंगली पौधों को उखाड़ना और सभी प्रकार के कचरे से उत्तम कम्पोस्ट खाद तैयार करना,

३ वृद्धों और रोगियों के लिए पानी भरना, उन तक समाचार पहुँचाना, उन के लिए बाजार से सामान लाना, घर की सफाई आदि आवश्यक सेवा करना,

४ छोटे-छोटे चिबिरो का आयोजन करना जहाँ बच्चे और शिक्षक मिल कर कुबो और तालाब के धास-पास की गदगी हटाने, सडक या मैदान से काटा आदि साफ करने—जैसे अपनी शक्ति के अनुरूप धर्म-कार्य कर सकें।

दो बातें और हैं जिन पर इस छोटे से लेख में भी ध्यान देना आवश्यक है। एक तो यह कि देश में रहनवाले विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों के बीच स्थायी और ठोस एकता की भावना

[ पृष्ठ १८८ का शेषांश ]

मिले। कहीं-कहीं इसी विचार से बैठियों को जीते-जी योजना पूर्वक मौत के रास्ते लगाया जाता है। उन्हें कम से कम खिलाना, धीमार पड़ने पर दवा न करना, बासी खिलाना, फटे कपड़े पहनाना, मजदूरिन की तरह दिन-रात घर का सारा काम उनसे कराना और उन्हें हर तरह खजाना, खजाना, दवाना, नहीं आज की हमारी एक प्रतिष्ठित रीति बन गयी। देश के अनगिनत घरों में आज भी कम-ब्यादा यही हवा है और दुर्दैव यह है कि वह जोर पकड़ती जा रही है।

जिस देश में बचपन से बच्चों के साथ इतना घोर दुर्व्यवहार होता है, उस देश की नयी पीढ़ी का जीवन अनेकानेक कुण्ठाओं, अभावों, अट्टितियों, विडित्तियों और मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं से भरा पूरा

बनाये रखने का एक शक्तिशाली साधन ये स्कूल बन सकते हैं। आज इसे बढ़कर और इसे जल्दी का दूसरा काम नहीं है कि लोगों के मन में समान लक्ष्य की निष्ठा और भावना जगायी जाय और जाति या संप्रदाय के भेदों का ख्याल न करते हुए केवल एक पड़ोसी ने माते सब का ख्याल रखने की वृत्ति बढ़ायी जाय। शाला-समाज इस व्यापक निष्ठा का प्रशिक्षण स्थल है।

दूसरी बात यह कि यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सही तौर पर 'जयहिंद' तभी बोल सकेंगे जब हम 'जय जगत' भी बोलें। किसी बाहरी खतरे की ओर ध्यान खींच कर अपने आपसे टिष्टपुट विवादों को भुला देना और इस प्रकार एक अस्थायी एकता स्थापित कर देना आसान है, लेकिन ऐसी एकता खतरे के दूर होने पर शायद ही टिक पाती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम रचनात्मक कार्यों में सहकार करने से प्राप्त आनंद की अनुभूति की गहरी बुनियाद पर प्रतिष्ठित एकता लाने का प्रयत्न करें। वह एकता और आत्मोपता की भावना इतनी व्यापक हो कि उसके अंदर मानव-मात्र समा सके, वे भी छूट न जायें जो तालालिक घटनाओं के कारण कुछ समय के लिए हमारे बिरोधी बन होते हैं। हर प्रकार की सही स्वतंत्रता का मूल भय-मुक्ति और द्वेषमुक्ति में है।

★

हो, तो इसमें आश्चर्य क्या? प्रश्न यही उठता है कि क्या भारत-राष्ट्र के गौरव की और जीवन की रक्षा का काम जिन्हें आज सम्भालना है और भी आगे भी सम्भाले रहना है, उन्हें हमारा यह पुरातन देश अपनी ओर से जो उपहार देगा, क्या वे ऐसे ही हीन और मलिन प्रकार के उपहार होंगे? क्या शासन में, समाज में और परिवार में मुस्त्रिया बनकर बैठे हमारे बड़े और बुजुर्ग आज के इस भारी सकट-काल में प्रश्न के इस घम्भीर पहलू पर ध्यान नहीं देंगे? आज नागरिक को इस मामले में नए खिरे से प्रशिक्षित नहीं करेंगे? हमें लगता है कि यह सब आज ही से सोचा और किया न गया, तो भविष्य गडबड ही रहेगा।

★

# ग्राम-कार्यकर्ताओं की हस्तपुस्तिका का सारांश

पाकिस्तान के ग्रामीण कृषि-उद्योग विकास विभाग की योजना का एक अंश

ग्राम-कार्यकर्ता तब प्रभावशाली हो सकेंगे जब उन्हें ग्रामीणों के काम की बातों का परिचय मिले। उन्हें केवल यह जान लेना पर्याप्त नहीं है कि वे काम कैसे किये जाय, बल्कि उन्हें कैसे करना है यह लोगों को दिखाने की भी क्षमता और तैयारी उनमें होनी चाहिए। उनमें लोगों को प्रेरणा देने की और उनमें इच्छाएँ जगाने की क्षमता होनी चाहिए, भविष्य के प्रति आशा होनी चाहिए, अपने साक्षियों के बख्शाण की बिता रहनी चाहिए और उस संबंध में प्रयत्नशील होने की सेवाप्रत की (मिसाली) भावना होनी चाहिए। दूसरी में यह सब निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्य-कर्ता खुद ऐसा बनें।

इस प्रकार के सर्वोत्तमोच्चो ग्राम-कार्यकर्ताओं का एक वर्ग तैयार करने के लिए उन्हें कृषि, पशु-पालन, स्वास्थ्य, गणित, शिक्षा, पारिवारिक-अर्थनीति, सङ्कारिता और ग्रामीणों का बुनियादी तात्त्विक और प्रात्यक्षिक ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। कृषि कार्यकर्ता इन सब कामों में बुनियादी और प्रमुख मान्य हैं अतः इन विषयों का ज्ञान उन्हें अनिवार्य रूप से उपलब्ध बनाना ही चाहिए। कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने और ग्रामीण विकास के सर्वोत्तम नयी-नयी जानकारीयों समय समय पर सतत उन्हें देते रहने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अर्थात् प्रशिक्षणियों के लिए विभिन्न संघों के विशेषज्ञों के अपने अपने विषयों पर भाषणों और प्रदर्शनों का आयोजन करना होगा। इसका अर्थ यह कि सरकारी स्तरों को इस भावना से और इस ढंग से सजिय होना होगा कि कालेशों, त्रिद्व-त्रिपाल्यों और सरकारी कार्यों में जो दोष चलते हैं उन्हें समाप्त में प्रत्यक्ष लागू करने के लिए वे कार्यकर्ता अत्यंत मायन बन सकें।

शुरू में इस दिशा में किये गये बहुत से प्रयत्न विफल हुए थे, क्योंकि ग्रामीणों से जिन कामों की अपेक्षा थी उन कामों को हमारे विशेषज्ञ, वैज्ञानिक या सरकारी अधिकारी खुद अपने हाथ से करके दिखाने में असमर्थ रहे और यह सब करने की वे भन से तैयार भी नहीं थे। इस लिए प्रत्येक कार्यकर्ता से और सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा है कि जो कुछ करना है उसे वह स्वयं अपने हाथ से प्रत्यक्ष करके दिखायें। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी अपने-अपने विशिष्ट कार्यक्षेत्र में वस्तुतः ग्राम-कार्य-कर्ता बन जाता है।

सामान्यतया ग्राम-कार्यकर्ता का प्रशिक्षण एक वर्ष का रहता है। उसे वहाँ सुधरी पद्धति से भूमि तैयार करना, बीज बोना, जोतना, खाद डालना, सुधरे बीजों का ज्ञान, बीजों से फसल का बचाव और गाँव के कूड़े-कचरे से खाद बनाना आदि सिखाया जाता है। लोगों के सामान्य कारण, मलेरिया, हैजा, विषमज्वर आदि बीमारियों को रोकने के उपायों का भी ज्ञान दिया जाता है। इस बात का भी विचार उन्हें मिलता है कि पशुओं का इलाज कैसे होता है, नसल कैसे सुधारी जाती है और सुधरी नसल के पशु कहाँ मिलते हैं और ग्रामीणों को वह किस तरह उपलब्ध हो सकते हैं। उसे बुनियादी विद्या के सिद्धान्त भी जानने होते हैं। लोगों में कुछ सोचने की दृष्टि जागृत करने की तथा उनकी उस आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। कार्यकर्ता को सहकारिता के सिद्धांत भी जानने चाहिए और लोग अपने लाभ की दृष्टि से जिन कामों में सहकार करना चाहें उनमें उन को मदद कर सकना चाहिए। गाँव के लोगों में नेतृत्व पैदा करने और व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से विद्या प्रयत्न अपने हाथ में लेने की दक्षिण उनमें पैदा करने की योग्यता कार्यकर्ता में होनी चाहिए। कार्यकर्ता को इस बात का भान होना चाहिए कि वे न तो समस्या

उसकी सामर्थ्य से वाहर की है और उसे हल करने में वहाँ से विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है। उसे अपने जीवन में उद्योग, मितव्ययिता, अच्छा नागरिकत्व और सफाई का नमूना पेश करता चाहिए।

विज्ञान के इस विद्यालय कार्यक्रम को प्रत्यक्ष क्षेत्रों में लागू करते समय इसका स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। परन्तु बुनियादी सिद्धांत सर्वत्र एक ही होगा। अन्तःकार्यकर्ता जिस क्षेत्र के लिए तैयार किया जा रहा हो उस क्षेत्र की तुरत की आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से उनका पाठ्यक्रम भी बदल जाता है।

### प्रसार कार्य की पद्धतियाँ

लोग अपने लिए जिन बातों की आवश्यकता महसूस करते हो उनकी पूर्ति की दृष्टि से सहायक क्रियाओं और पद्धतियों का बार बार उनसे सामने प्रदर्शन किया जाता है और उन्हीं के आधार पर प्रसार-कार्य आयोजित किये जाते हैं।

### तुरंत परिणाम दिखाने वाले प्रदर्शन—

पहले-पहले होनेवाले प्रदर्शनों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिनका परिणाम तुरन्त दिख सके। इसमें सुघरे हल, बोनो की सुघरी पद्धति, चीवा के प्रभाव की रोकथाम, दीमक नाश, सुघरे चूल्हे का निर्माण आदि चीजों का समावेश हो सकता है। इन चीजों को स्पष्ट देखा जा सकता है और तुरन्त निर्णय भी लिया जा सकता है कि ये नया पद्धतियाँ वास्तव में सुघरी हुई पद्धतियाँ हैं या नहीं। इनकी काम में लेने का निर्णय गाववालों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उन पर कोई निर्णय थोपना नहीं चाहिए।

### ऋतु विशेष में परिणाम दिखाने वाले प्रदर्शन

उपरोक्त प्रकार के प्रदर्शन एक बार में लगातार कुछ समय तक दिखाने के बाद और विज्ञान को यह अनुभव होने लगे कि इन से उम्मीद लाभ होना है तो दूसरी ऐसी चीजों के प्रति भी उसका रुख अनुकूल हो जाता है जिनकी उपयोगिता या अनुपयोगिता का निर्णय करने के लिए उदा समय लग सकता है। इन प्रकार के प्रदर्शन में गेहूँ, धान, कपास, पटसन, दलहन या अन्य फसलों की सुघरी पद्धति का उपयोग सामायनिक खाद, जनवरी, '३ ]

हरी खाद, फल के पौधों की छंटाई और दवा का छिड़काव आदि क्रियाओं का समावेश हो सकता है। ऐसी क्रियाओं के प्रदर्शन का परिणाम कुछ समय के बाद ही देखने को मिलता है। यहाँ भी उत्पादन की दृष्टि से नयी और पुरानी पद्धतियों में तुलनात्मक विवेचन गाववालों को ही करने देना चाहिए। जल्द ही बात यह है कि एक ही प्रकार के एकाधिक प्रदर्शन गाव के पास, चलकर देखने योग्य फासले पर किये जाने चाहिए ताकि लोग नयी पद्धतियों को अपनाने या ठुकराने का निर्णय लेने से पहले एक बार सारे प्रदर्शनों को अपनी आँखों से देख सकें। यह इसलिए जरूरी है कि अक्षम यह सम्भव है कि जहाँ प्रदर्शन किया गया हो वहाँ की परिस्थिति सब जगह न हो और इस प्रकार वह प्रदर्शन भ्रम पैदा करने वाला सिद्ध हो जाय। एक ही प्रदर्शन देख कर निर्णय ले लेना सायद गलत भी हो जाय। इस लिए लोगों को अलग-अलग प्रदर्शनों को टीक देखने और उमक बाद ही निर्णय लेने को प्रेरित करना चाहिए।

लंबे समय के बाद परिणाम दिखाने वाले प्रदर्शन

कई क्रियाएँ ऐसी हैं जो ग्रामीणों के लिए बहुत लाभदायी तो हैं पर ऐसे सिद्ध करने के लिए जो परिणाम जल्द ही हैं उनमें लम्बे समय लगे। उसे प्रदर्शनों में सुघरी नसल के बीज, नये ढग के भवन निर्माण, साफ पानी के प्रबंध की नयी पद्धति आदि का समावेश हो सकता है जिनका परिणाम कुछ समय के बाद देखने को मिलता है।

जब तक ग्रामीण लोग छोटे छोटे कामों को सफल होते नहीं देखते और उनसे अपने जीवन और अपनी परिस्थिति को लाभान्वित नहीं अनुभव करते तब तक वे ऐसे प्रदर्शनों से लाभ उठाने को तैयार नहीं होते जिनका परिणाम कुछ अरसे के बाद देखने को मिलता है।

### सामूहिक चर्चा-गोष्ठी

जब भी कोई समस्या सामने आय सामूहिक चर्चा गोष्ठी का आयोजन कर लेना चाहिए। ऐसी समस्याओं का अध्ययन इस ढग से करने का प्रयत्न होना चाहिए कि कुछ निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके। चर्चा के समूह में दृढ़ हाँ तो कुछ बुने हुए प्रतिनिधियों को



उपसमितिया बनायी जा सकती है जो प्ररुत समस्या के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं से गहराई से विचार कर सके ।

### सूत्रात्मक पाठ

विस्ती विषय को पढ़ाने या उसका प्रदर्शन करने में सूत्रात्मक पाठ बहुत प्रभावशाली साधन होते हैं । सूत्रात्मक पाठ निम्न बुनियादी तत्वों पर आधारित होता है 1— क्या करना है,

क्या करना है,

कब करना है और

कैसे करना है ।

किसी विशिष्ट काम को करने का ढंग पढ़ाने या प्रदर्शित करने के लिए सामग्री भी विशिष्ट प्रकार की आवश्यक होती है और प्रत्यक्ष काम में ध्यान देने योग्य बातों को नोट भी कर लेना होता है ।

सूत्रात्मक पाठ बड़े महत्व के होते हैं । उन से इधर-उधर की सारी बातें छट जाती हैं और कार्यकर्ता के लिए हम बारी में निश्चित हो जाना संभव हो जाता है कि सभी आवश्यक बातें उसने प्राप्त कर ली हैं । शिक्षक का सरोकार सही हो तो कोई भी विषय प्रभावशाली रूप में सिखाया जा सकता है ।

यदि विद्यार्थी ने सीखा नहीं तो समझना शिक्षक ने सिखाया नहीं है ।

सूत्रात्मक पाठ तैयार करने के लिए पाठ्य विषय को कुछ निश्चित भागों में बांट लेना होता है । शिक्षक के लिए इस प्रकार के सूत्रात्मक पाठ तैयार करना कठिन है बनिश्चय इसके कि अमुक विषय के बारे में कुछ साधारण सी बेडगी बातें बतला चला जाय जिससे लोगों के पल्ले कुछ भी न पड़े, प्रस्तुत विषय भी समझ में न आये । यदि सूत्रात्मक पाठों के आधार पर पढ़ाया जाता है तो विषय को समझने में सीखनवालों को भी आसानी होती है ।

### प्रभावशाली शिक्षण की जांच

प्रभावशाली शिक्षण के कम से कम चार विभाग हैं —

१ विद्यार्थी को ज्ञान के लिए तैयार करना ।

विद्यार्थी के मन में कुछ सीखने की क्षमिताया पैदा कीजिए । उसे यह दिखाइए कि क्या सीखना है और यह सीखना उससे लिए क्यों आवश्यक है । संभव है इससे लिए अनेकों प्रयत्न करने पड़ें । यह भी हो सकता है कि जो सिखाया जा रहा है वह उससे लिए जरूरी ही न हो । यदि वह जरूरी नहीं है तो धायद यह उसे सीखेगा ही नहीं, सीखेगा भी तो उसका ज्ञान बढ़ेगा नहीं । विद्यार्थी को ब्रह्मण करने के लिए तैयार करना चाहिए । 'क्या' और 'क्यों' यही है ।

२ विद्यार्थी को बतलाइए कि उस क्या सीखना है । जो भी काम सीखना है उस शिक्षक खुद करे और शिक्षक को जो काम करते हुए कदम ब कदम वह देखे । यह है 'प्रदर्शन' ।

३ विद्यार्थी के साथ-साथ आप भी काम कीजिए । हर एक प्रक्रिया साथ साथ कीजिए । जो भी बठिनाई आये उसमें विद्यार्थी की मदद कीजिए । प्रमुख मुद्दों की ओर जहां बही गलती हो सकती हो वहां उनका ध्यान आकर्षित कीजिए । विद्यार्थी को शिक्षक के साथ-साथ काम करन दीजिये । यह है 'मिथाना' ।

४ फिर विद्यार्थी न जो कुछ सीखा उसका प्रदर्शन उसी से कराइए । वह खुद काम करते-करते उसका प्रदर्शन करता जाय और प्रमुख मुद्दों की ओर तथा जहां कहीं गलती हो सकती हो वहां ध्यान आकर्षित करता जाय । उसने यदि इतना कर लिया तो समझिए कि उसने सीख लिया । यदि विद्यार्थी ने सीखा नहीं तो दोष किसका ?

( मुनस्को के स्टडी किट के आधार से )



## लोक-शिक्षण में कार्यकर्ता-प्रशिक्षण

### सामाजिक संदर्भ में शिक्षण-कार्य की अमरीकी योजना का एक सारा

कोस्टारिका राज्य के समान विकास-कार्य के अत-  
गंत लोक शिक्षण का काम करनेवाले शिक्षक कार्यकर्ताओं  
का प्रशिक्षण निम्न तीन पद्धतियों से किया गया :—

१. अल्प कालीन अभ्यासक्रम
  २. क्षेत्रीय काम में मार्ग-दर्शन और
  ३. परिवसवाद
- अल्प-कालीन अभ्यासक्रम :—

जब पहले पहल यह अभ्यासक्रम प्रारंभ किया गया  
तब पहले सत्र में २४ कार्यकर्ताओं ने प्रवेश लिया। उन  
में अधिकतर कार्यकर्ता, चुने हुए कुछ प्रयोगात्मक क्षेत्र में  
रूढ़े हुए थे। वह अभ्यासक्रम सात सप्ताहों का था।  
प्रशिक्षार्थियों को समाज के, सगठन के सवध में कुछ  
मार्गदर्शन देने के अलावा पोषण, उत्पादन, स्वास्थ्य और  
कृषि के सवध में कुछ सैद्धांतिक और कुछ प्रात्यक्षिक  
जानकारी दी गयी।

धीरे धीरे अनुभव के आधार पर अभ्यासक्रम कुछ  
समृद्ध होता गया और तीन वर्ष बाद के अभ्यासक्रम में  
मुख्य रूप से निम्न विषयों का समावेश हुआ—

समाज विज्ञान,  
पारिवारिक ज्ञान  
कृषि,  
स्वास्थ्य,  
लोक शिक्षा की कार्य-पद्धति के सिद्धांत और  
सामूहिक मनोरंजन।  
यहाँ इन विषयों के दायरे का संक्षिप्त विवेचन किया  
जा रहा है।  
जनवरी, '६३ ]

### समाज विज्ञान

इसमें समाज-संरचिति के परिवर्तन की प्रक्रिया की  
ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रयोग के लिए चुने  
गये क्षेत्रों की वस्तुस्थिति के प्रकार में इन बातों की  
चर्चा की जाती है कि लोग कृषि में, घरों में तथा  
सामाजिक सगठन आदि क्षेत्रों में विभिन्न पद्धतियाँ किस  
कारण अपनाते हैं या छोड़ देते हैं। इन्हीं प्रत्यक्ष  
उदाहरणों के आधार पर इस बात का भी अभ्ययन किया  
जाता है कि समुदाय और समूचे समाज के सगठनों में  
स्वेच्छा से काम करने की प्रेरक शक्ति क्या है।

### पारिघारिक ज्ञान

इसमें खास कर देहाती पोशाक नहाना-बोना, बपडों  
की सफाई, बड़ईगिरी और साधारण रसोई आदि सामिल  
है। यह पाठ्यक्रम कार्यकर्ताओं को इन कलाओं का केवल  
ज्ञान देने के लिए नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं में इन  
कलाओं का इतना विकास करने के लिए है कि वे देहाती  
परिवारों में इन्हें प्रवर्ध कर सकें।

### कृषि-संबंधी ज्ञान

प्रशिक्षण-काल में कार्यकर्ता कृषि-ज्ञान की कोई एक  
योजना हाथ में लेता है जिसका उपयोग उसके प्रायोगिक  
क्षेत्र में हो सके और लौट कर वह उसका विकास  
कर सके। इस योजना को तैयार करने तथा उसके लिए  
आवश्यक पद्धति तय करने में शिक्षक उनकी सहायता  
करते हैं। कार्यकर्ताओं को कृषि-संबंधी कुशलताएँ  
सिखाने के बजाय उन योजनाओं के शैक्षणिक पहलू पर  
अधिक बल दिया जाता है। यह तो मानी हुई बात है

कि इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में दूसरो एजेंसियों के टेक्नीशियनों का भी सहयोग लिया जाता है ।

### स्वास्थ्य

इस विषय के प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र की जनता की आवश्यकता के अनुसार उन्हें स्वास्थ्य के बुनियादी तत्व सिखा सके, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझा सके और उन्हें उत्तम रीति से मुलाकातों की प्रेरणा उन में जगा सके । प्राथमिक उपचार, मातृ-शिशु सगोपन, पोषण तथा पेट की बीमारियों के इलाज का सामान्य ज्ञान उन्हें कराया जाता है ।

### लोक-शिक्षण की कार्य-पद्धति के सिद्धान्त

इसमें निम्न विषयों का समावधान है —

- १ समाज विकास के जितने भी स्तर होंगे उन सब अनुस्यूत कार्य-पद्धति बना हो सकती है,
- २ समाज को प्रमुख बुनियादी बातें सिखाने की पद्धति,

अ छोटे क्लबों के लिए और

आ किशोरी और प्रौढ़ों के लिए

- ३ प्रत्यक्ष योजनाओं, अभियान मण्डलों, क्लबों और प्रवृत्तियों तथा दृश्य साधनों के उपयोग से समय-समय पर मार्ग-दर्शन और शिक्षण,

४ सामाजिक कामों में लगी हुई अर्थात् एजेंसियों के कार्यक्रमों में सहयोग और

५ समाज शिक्षण के कार्यक्रम के एक साधन के रूप में पुस्तकालय का संचालन ।

### सामूहिक मनोरंजन

इस विषय के प्रशिक्षण से यह अपेक्षा है कि कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र के लोगों के बीच निम्न काम करें—

- १ देहाती समाज में इस समय मनोरंजन की जो पद्धतियाँ हैं उन्हें लोग बनाये रखें तथा उन्हें प्रोत्साहन मिले ।

२ लोगों को समाज में जिन मनोरंजन की प्रवृत्तियों में वास्तविक रस आता हो उन्हें प्रोत्साहित करें ।

३ मनोरंजनारम्भ प्रवृत्तियों को इस प्रकार प्रोत्साहित करें कि उससे निम्न बातें सिद्ध हो सकें—

अ समाज के अंदर व्यक्ति के बीच तथा एक समाज और दूसरे समाज के बीच सामाजिक संबंध स्थापित हो,

आ राष्ट्रीय लोक-नृत्यों का निर्माण,

इ व्यक्तिगत कलाभिव्यक्ति,

ई पारिवारिक मनोरंजन ।

### २ क्षेत्रीय कार्य में मार्गदर्शन :-

अल्प कालीन अभ्यासक्रम समाप्त होने के बाद कार्यकर्ता अपने-अपने प्रयोग के क्षेत्रों में-जाते हैं जहाँ अभ्यासक्रम में से प्राप्त बुनियादी सिद्धांतों और धारणाओं को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते हैं ।

कुछ समन्वय-समितियाँ होती हैं जिन के सदस्य समय-समय पर इन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उनके काम में आवश्यक मार्गदर्शन करते हैं । काम करते समय जो कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें कार्यकर्ता ठीक से नोट करके रखते हैं और उन पर वही बैठ कर विचार किया जाता है और पूरे ध्यान से उन्हें हल करने का प्रयत्न किया जाता है । स्पष्ट है कि इस प्रकार की बैठकें या मुलाकातें सलाह मगविरे के ही रूप में होती हैं ।

### ३. परिसंवाद :-

प्रतिमास सभी कार्यकर्ता एकत्र आते हैं और वहाँ परस्पर विचारों का आदान प्रदान चलता है । क्षेत्रों में जो कठिनाइयाँ उन के सामने आयी हैं उन का विश्लेषण होता है और उन के परिणामों पर भी चर्चा होती है । इससे कार्यकर्ता समूचे कार्य क्षेत्र के निष्पत्तियों से अवगत होते हैं और उनमें समूह भावना ( टीम स्पिरिट ) बनी रहती है जो इस प्रकार के काम के लिए बहुत आवश्यक है ।



## सेवाग्राम-परिषद के निर्णय

सर्व सेवा संघ के वेङ्कट्टी सम्मेलन में चीन-भारत सीमा संघर्ष में जो निवेदन स्वीकृत किया गया था और उसके संदर्भ में देश में कार्यक्रम की जो रूपरेखा सोची गयी थी उस पर अमल करने की दृष्टि से रचनात्मक कार्य करनेवाली अखिल भारतीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को एक परिषद सेवाग्राम में १५ और १६ दिसंबर १९६२ को सर्व सेवा संघ की ओर से बुलायी गया थी। उसमें निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ:—

### [ १ ] संयोजन समिति

“असम, बिहार और उत्तराखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जो टोल्बियाँ गयी थीं उनकी रिपोर्ट परिषद के सामने विचारार्थ रखी गईं। खादी ग्रामोद्योगों की समावनाओं के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी उसकी रिपोर्ट भी पढ़ी गईं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में जो रचनात्मक कार्य किया जायगा उसकी योजना बनाने और संचालन करने के लिए परिषद की ओर से निम्न सदस्यों की एक संयोजन समिति (कोऑर्डिनेटिंग कमेटी) नियुक्त की गयी —

( १ ) श्री जयप्रकाश नारायण, ( २ ) श्री श्रीमान्त भार्द, ( ३ ) श्री वैकुण्ठलाल मेहता, ( ४ ) श्री राजलक्ष्मी बहान, ( ५ ) श्री जी० रामचन्द्रन, ( ६ ) श्री देवर भार्द, ( ७ ) श्री करण भार्द, ( ८ ) श्री नारायण देसाई, ( ९ ) श्री मनमोहन चौधरी, ( १० ) श्री राधाकृष्णन् ।”

### [ २ ] पंच फ़ैसले का तरीका

“चीन की ओर से इकतरफ़ा युद्धबन्दी किये जाने और दिसम्बर १९६२ से चीनी फौज वापिस

जनवरी, '६३ ]

किये जाने से परिस्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उस पर परिषद् में विचार किया गया। चीन की ओर से जाहिर की गयी युद्धबन्दी आगे जारी रहे और चीन-भारत के सीमा विवाद को बातचीत के शांतिमय तरीके से हल करने की दिशा में मार्ग ढूँढ़ने के लिए ६ अफ़ो एशियन देशों की कोलम्बो में जो कान्फ़रन्स हुई उसका यह परिषद् स्वागत करती है।

हम फिर एकबार यह दोहराना चाहते हैं कि शरुबल के बदले समस्या को हल करने का एकमात्र उपाय आपस की बातचीत या पंच-फ़ैसला ही हो सकता है। आज की परिस्थिति में सीधी बातचीत की सम्भावना नहीं दीख रही है। पंच-फ़ैसले या न्यायालय के द्वारा इस प्रश्न का हल निकालने की अपनी तैयारी घोषित करने की कोशिश की जाय ऐसा हम चाहते हैं। हम भारत की जनता से आग्रह करते हैं कि इस समस्या का शान्तिमय और सम्माननीय हल ढूँढ़ने की दृष्टि से पंच-फ़ैसले की दिशा में किये जानेवाले प्रयत्नों को वह पुष्टि दे। पंच-फ़ैसले की शर्तों और अन्य प्राथमिक तैयारी के सम्बन्ध में चीन और भारत के साथ बात करके उभयमान्य तरीका ढूँढ़ा जाय।”

### [ ३ ] नागरिक स्वातन्त्र्य

“देश की सकलकालीन स्थिति में नागरिक स्वतन्त्रता को खतरा पैदा होने की कोशिश करनेवाले लोग शासन में और शासन के बाहर हैं उन सभी से ऐसे समय में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है—देखा यह परिपक्व मानती है।

देश की सुरक्षा के ख्याल से नागरिकों की स्वतन्त्रता पर कुछ अकुश लगाने की आवश्यकता विशेष परिस्थिति में पैदा हो सकती है यह मानते हुए भी हमारा विश्वास है कि जहाँ तक हो सके विचार प्रकाशन का स्वतन्त्रता जो लोकतन्त्र की बुनियाद है, सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसी कुछ घटनाएँ भी हुई हैं जिनसे यह आशंका होती है कि नागरिक स्वतन्त्रता को सिर्फ सरकार की ओर से ही नहीं बल्कि जनता में कुछ असहिष्णु जमातों की ओर से भी खतरा पैदा हो सकता है। देश की ताकत इसमें नहीं है कि जो कुछ चल रहा हो उसी को सब चुपचाप मानलें बल्कि जो लोकमान्य नहीं है ऐसी राय भी मुक्तता से कोई प्रकट करे तो उसे परदास्त करने की नागरिक स्वतन्त्रता क तत्व की रक्षा के दृष्टता से करें।”

गांधी स्मारक निधि और गांधी पीस फाउण्डेशन की ओर से श्री श्रीकांत भाई, श्री जी० रामचन्द्रन् और श्री ओमप्रकाश गुप्त, खादी प्रामोचोग आयोग की ओर से श्री ध्वजावानू, श्री के० अरुणाचलम् और श्री अण्णा सहस्रबुद्धे, वर्ल्ड पीस थियेट्र की ओर से अमरीका के श्री ए० जे० मस्ते, क्वेकर सेंटर की ओर से श्री मिस्टल और श्री जान रसेट थे। इनके अलावा श्री डेबर भाई, श्री श्रीमन्नारायण, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री तुकडोजी महाराज, श्री काकासाहेब कालेकर, श्री स्वामी रामानन्द तीर्थ, श्री शकरराव देव, श्री दादा धर्माधिकारी, श्री आर्य-

नायकम्, श्री नवरुष्ण चौधरी, श्री नारायण देसाई, श्री २० श्री० धोंडे, तथा सर्व सेवा सभ के अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी और मंत्री श्री राधाकृष्ण आदि उपस्थित थे।

परिपक्व श्री मनमोहन चौधरी की अध्यक्षता में ता० १५ को दोपहर २॥ बजे शुरू हुई। निम्न विषयों पर विचार विनियम हुआ :-

- (१) सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रत्यक्ष कार्य का स्वरूप क्या हो और उसका सयोजन कैसा हो और उसके द्वारा हो।
- (२) देश की सकलकालीन स्थिति में नागरिक स्वतन्त्रता (सिविल लिबर्टी) की रक्षा का खयाल रखा जाय।
- (३) फौजी तैयारियों की दृष्टि से युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए एन० सी० सी० में दायित्व होना लाजिमी करने की नीति सम्बन्धी विचार।
- (४) सीमा विवाद के प्रश्न को पच-पैसले जैसे शांतिमय तरीकों से हल करने की आवश्यकता।

फौजी तालीम तथा एन०सी०सी० की लाजिमी मर्तों के सबध में यह तय किया गया कि इस प्रश्न के सबध में आज सरकार के शिक्षा मन्त्रालय की तथा युनिवर्सिटीज की क्या नीति है इस सबध में अधिक जानकारी प्राप्त की जाय और संघित लोगों से प्रत्यक्ष बातचीत की जाय। लेकिन जहाँ तक रायफल ट्रेनिंग की बात का सम्बन्ध है एन०सी० सी० में भर्ता होने की बात लाजिमी (कपल्सरी) न की जाय इस सबध में प्रतिनिधियों की एक राय रही। अनुशासन, फिजिकल ट्रेनिंग, फवाबद, आदि बातों में हर विद्यार्थी को जरूर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और उच्च दृष्टि से खास कोर्सेज की व्यवस्था रहनी चाहिए—यह भी महहूस किया गया।

## ‘खेती के अनुभव’

‘खेती के अनुभव’—श्री गोविन्द रेड्डी, सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन,  
राजघाट, वाराणसी, पृष्ठ १००, मूल्य ८० नये पैसे

१९५७ में जब मैं बिहार के मुगेर जिले में पदयात्रा कर रहा था तो मैंने देखा कि दक्षिण मुगेर की पूरी धान खेती में मजदूर मुसहर रहते हैं और उत्तरी मुगेर में खरीफ और रबी की खेती में चमार। मुसहर और चमार वहा की खेती के आधार हैं। वहा ही क्या, पूरे देश की खेती मजदूरों के ही भरोसे होती है जो प्रायः भूमिहीन हरिजन हैं। यह देखकर उसी वक्त मेरे मन में यह प्रतीति जगी कि जब खेती को इन मजदूरों के ही भरोसे होना है तो निश्चित ही वह एक कठोर सीमा के आगे नहीं जा सकती। अभी हाल में जब मैंने श्री रेड्डी जी की पुस्तक में पढ़ा कि “शिक्षित जनता श्रम करना बिल्कुल नहीं चाहती और उसके बिना भारत की इपि प्रणाली में अदल बदल करना असंभव है” (पृ० ७) कि अपने देश में खेती के ह्रास का मुख्य कारण यह है कि गाँव का आदमी खेती से अधिक खेती को महत्व देता है और शिक्षित व्यक्ति खेती से अधिक नौकरी को। शिक्षित हो या अशिक्षित, मेहनत से बचना परंपरा से हमारी सबसे बड़ी आकांक्षा और श्रम से बचने में प्रलिप्ता भी है। इसलिए खेती में खाद, पानी और मुचरे यंत्रों की समस्या तो है ही, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिसके पास बुद्धि है वे कुदाल में हाथ लगाने को तैयार नहीं है। रेड्डीजी ने साफ लिखा है कि “अनुभव से मैं इस नतीजे पर आया हू कि मौजूदा औजारों से कई गुना पैदावार बढ़ायी जा सकती है, श्रम भी कम हो सकता है और पशु की सख्या भी कम हो सकती है। परंतु यह सब क्यों नहीं होवा ? न होने के दो कारण हैं : पहला कारण, आज जिनके पास कला है वे श्रम से बचने का भरसक प्रयत्न करते

हैं। उनकी सतानें शहर की तरफ जा रही हैं। जहा श्रम से बचने का प्रयत्न है वहा पैदावार कैसे बढ़ेगी ?”

श्री पृष्ठों की इस पुस्तक के अछाह छोटे-छोटे अध्यायों में रेड्डी जी ने चक्रवर्दी और भूमि संरक्षण से लेकर अन्न-भांडार तक खेती के जितने पहलू हैं उन सब पर अपने २७ वर्षों के अनुभव से उन्होंने चुन-चुनकर काम की बातें लिखी हैं जिनके कारण उनके अन्नमोल अनुभव ‘एवरी मैन्स गाइड टु एग्रिकल्चर’ बन गये हैं। सर्वोदय की सत्याओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह पुस्तक पूरी चुनौती जैसी है जो इन शब्दों में प्रकट हुई है : “सरकारी और गैर सरकारी सत्याओं के पास विकास के लिए काफी पूंजी और मुचरे हुए औजार भी हैं। परंतु अभी तक ऐसी सत्या नहीं मिली जिसने आज की अपेक्षा ५, १० या १५ गुना पैदावार बढ़ायी हो, श्रम की बचत की हो। बैलों की सत्या कम की हो।”

खेती के कई पहलू हैं—भूमि व्यवस्था, खेती की तकनीक, बाजार में खेती और उद्योग का संबंध तथा सरकारी मूल्य और टैक्स नीति और खेती। इस पुस्तक में रेड्डी जी ने मुख्यतः खेती की तकनीक के बारे में अपने अनुभव बताये हैं। जरूर, चक्रवर्दी की चर्चा करते हुए सोचते ही पृष्ठ पर उन्होंने यह दिया है कि “मेरे तेरे पन की भावना मिटे बिना उपर्युक्त सुझाव के अनुसार चक्रवर्दी होना कठिन है। चक्रवर्दी हुए बिना न तो उपज बढ़ेगी और न गाँव के शगुनों का अंत होगा। इसलिए जरूरी हैं कि गाँव की सारी जमीन का मालिक गाँव (समाज) बने।”

अच्छी खेती का नाम लेते ही मशीनों का विपणन आ जाता है। सरकार और विशेषज्ञों की ओर से इसी तरह का प्रचार भी होता रहता है लेकिन रेड्डी जी ने बताया है कि रोती में गुधार का आधार पूरे गांव के स्तर पर सयोजन है। उन्होंने श्रम, पशु, फर्पोस्ट की खाद और देश के विभिन्न भागों में प्रचलित औजारों तथा सुलभ प्रक्रियाओं के आधार पर अच्छी से अच्छी खेती का विपणन उपरिष्ठत किया है। लेकिन अब सयोजन की इकाई परिवार नहीं हो सकता, सयोजन की इकाई पूरा गांव ही हो सकता है। और यह 'मेरा तेरा' मिटे बिना समन नहीं है। खेती पर पशु मनुष्य का तेजी से प्रतिद्वंद्वी होता जा रहा है, इस प्रतिद्वंद्विता को पशु की सखा कम करके जल्द से जल्द मिटाना चाहिए। रेड्डी जी ने विचारित की है कि बछड़े को तीन साल की उम्र होते होते बधिया कर देना चाहिए। इसी तरह की उन्होंने अनेक सीधी-सादी लेकिन उपज बढ़ाने की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी बातें लिखी हैं।

रेड्डी जी ने बाजार और सरकार का उल्लेख नहीं किया है। इन दोनों का रोती से सीधा सम्बन्ध है, बिना इनको समझे रोती का अर्थदात्र फर्मी स्पष्ट हो नहीं सकता। लेकिन खेती के सम्बन्ध में बाजार और सरकार इस पुस्तक के विषय नहीं हैं।

धोरेड्डी उन व्यक्तियों में हैं जो रोती को पधा नहीं जीवन-पद्धति मानते हैं। देश के लिए कौन सी जीवन पद्धति उपयोगी होगी इसे तय करने के बाद ही उत्पादन की प्रवृत्तियों का सद् सयोजन हो सकता है। श्री रेड्डी मानते हैं कि रोती-मूलक जीवन-पद्धति सही भारतीय पद्धति है। उनकी यह पुस्तक कृष्णदास जी की 'परेश्वर कर्तार की आम बातों' के साथ 'खेती की आम बातों' के रूप में हर कार्यकर्ता और निवारणाल गेतिहर के हाथ में होनी चाहिए।

राममूर्ति



[ पृष्ठ १९६ का शेषार्थ ]

श्रीमती सुमदा तैलग ने 'सेवाभारती' प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि समाज-परिवर्तन के लिए, समाज की नया मोड़ देने के लिए और क्रान्ति लाने के लिए यह 'सेवाभारती' का पराक्रम सिद्ध होगा। आज के प्रतिमूल वातावरण में 'सेवाभारती' जो काम करने जा रही है उससे उदार भावना और उच्च चरित्र के बालक और बालिका तैयार होंगे।

'सेवाभारती' प्रस्ताव पर अन्य सदस्यों ने दिलचस्पी के साथ चर्चा की और इस प्रस्ताव का स्वागत किया।

अन्त में श्री धीरेण भाई ने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उपर्युक्त दोनों प्रस्ताव अलग अलग नहीं हैं, इस युग की दो देनों, लोकतन्त्र और विज्ञान, पर चर्चा करते हुए आपने कहा कि मानव समाज विज्ञान और लोकतन्त्र को चुनौती बन गया है। मानव का स्वतंत्र विज्ञान और लोकतन्त्र पर है और विज्ञान तथा

लोकतन्त्र का स्वतंत्र मानव पर है। इस स्तर से बचने और बचाने के लिए शिक्षा की सोचना होगा। इसके लिए अच्छी प्रक्रिया की तैयारी करनी होगी। शिक्षा में काम करनेवालों के लिए यह चिन्तन का विषय है। समस्त मानव की शिक्षा-व्यवस्था कैसे की जाय इसकी प्रक्रिया की खोज करनी होगी। आगे आनेवाले जमाने के लिए अर्थनीति और समाजनीति 'दायनेमिक्स' नहीं होगी बल्कि भविष्य में समाज का नेतृत्व और समाज का दायनेमिक्स शिक्षा होगा। उन्होंने ग्रामभारती के सदस्यों की चर्चा करते हुए कहा कि जन देश के साठे पांच लाख गाँवों में ग्रामभारती की स्थापना हो जायेगी तब भी 'सेवाभारती' जैसी सस्था की आवश्यकता रहेगी। जिस प्रकार सुनिश्चिटी के लिए रिस्चर्व लेबोरेट्री होती है उसी प्रकार 'सेवाभारती' ग्रामभारती की रिस्चर्व लेबोरेट्री होगी।

## निर्माण-कार्य का एक नमूना

अमेरीका के एक राज्य में निर्माणकार्य करनेवाले कार्यकर्ता यह आग्रह रखते हैं कि कोई भी काम हो समाज के सारे लोग उस पर स्वयं सोचें, चर्चा करें और स्वयं निर्णय करें। अमीर हो चाहे गरीब, जमींदार हो या मजदूर, नेता हो या अनुयायी सबको चर्चा में भाग लेने और निर्णय करने का समान अधिकार है। अतः अंतिम निर्णय पर पहुँचने से पहले कार्यकर्ता प्रत्येक को सुलभ चर्चा में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। कार्यकर्ता मानता है कि बहुमत से जल्दी किसी निर्णय पर पहुँचने के बजाय इस प्रकार सर्वानुमति प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करना अच्छा है। इसलिए सारे लोग जब तक एकरूप न हो जायें तब तक वह निर्णय टालता जाता है। वह सबकी बातें सुनता है, चर्चा का प्रारंभ करता है और जब तक लोग खुद उसकी मदद न चाहें तब तक वह तटस्थ रहता है और मदद जब चाही जाती है तब उनकी समस्या को ठीक समझाने और हल खोजने की दृष्टि से मदद करता है।

इस प्रक्रिया से काम होने में समय लगता है और

### अफ्रीका की पुस्तकालय-योजना

सार्वजनिक पुस्तकालयों के संबंध में विचार करने के लिए अभी हाल में नाइजीरिया सरकार तथा युनेस्को द्वारा अफ्रीका के १८ देशों का क्षेत्रीय परिसंवाद आयोजित किया गया था। परिसंवाद ने तय किया कि अब से १९७० तक सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कम से कम ८०,०००,००० डालर की धनराशि खर्च की जाय।

परिसंवाद में भाग लेनेवाले विशेषज्ञों की राय में पुस्तकालयों का स्थान राष्ट्र के सिधा-विस्तार कार्य के अंग के रूप में ही महत्त्व का नहीं, बल्कि पुस्तकालय अपने आप में मौलिक तथा सांस्कृतिक केंद्र भी हैं।

परिसंवाद ने अफ्रीकी राष्ट्रों से अपील की है कि वे अपने सिधा-संबंधी बजट में १९७० तक कम से कम

देखने में ऐसा लगता है कि कुछ भी आकार नहीं बन रहा है। महीनों चल जाते हैं पर स्पष्ट कुछ दीखता नहीं है। एक जगह एक शाला-भवन निर्माण करने के प्रयत्न पर चर्चा करने में नौ महीने लगे और फिर निर्णय होने पर भवन तैयार होने में केवल दो महीने लगे। दूसरा एक पुल बनाने के बारे में चर्चा चली थी पूरे ६ महीने तक। एक और जगह एक दुग्धशाला प्रारंभ करने का प्रयत्न लेकर लगभग साल भर चर्चा होती रही। यह सब ऐसा इसलिए हुआ कि इन कार्यकर्ताओं का सिद्धांत है 'लोगों को स्वयं ही निर्णय करना है।'

इस सिद्धांत में माननेवालों की राय में यह जो बीच का समय जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि समाज-निर्माण का यही असली ताना-बाना है। इस अवधि में लोग अपने पुराने रिवाजों और मान्यताओं के सहकार से ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं, दूसरों को अधिक ठीक समझने लगते हैं, अपनी सामर्थ्य और साधन-सामग्रियों को टटोलते हैं तथा खुद बदल जाते हैं।

★

एक प्रतिशत तथा उसके बाद १९८० तक २ प्रतिशत व्यय सार्वजनिक पुस्तकालयों पर करें। परिसंवाद की यह भी सिफारिश है कि जिन देशों में प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आमदनी १०० डालर से कम है वहाँ यह खर्च हुना करना चाहिए।

एक सिफारिश यह भी है सार्वजनिक पुस्तकालयों के सेवा-कार्य को राष्ट्रीय शिक्षा-योजना के अंतर्गत माना जाय और इस संबंध में कानून में आवश्यक सशोधन किया जाय। अधिक से अधिक १९६५ से ही यह सेवा-योजना चालू करने के लिए सरकारों से निवेदन किया गया है।



## उत्तर प्रदेश के चल-तुस्तकालय

उत्तर प्रदेश के सामुदायिक विकास खण्डों में कुछ जगह चल पुस्तकालयों की योजना काम कर रही है। प्रत्येक खण्ड में तीन प्रकार के पुस्तकालय होते हैं— (१) केंद्रीय पुस्तकालय, (२) ग्रामीण पुस्तकालय और (३) चल-पुस्तकालय।

इन पुस्तकालयों के संबंध में अपनी कठिनाई व्यक्त करते हुए लखनऊ के SEOTC के उपसचालक श्री शंकरराम लिखते हैं कि एक तो लोगों में पढ़न की रुचि नहीं है, दूसरे, थोड़ा बहुत पढ़ने की रुचि रखनवाले लोग पुस्तकालय तक आकर पुस्तकें ले जाने और लौटाने का बंध नहीं कर सकते और तीसरे पुस्तकालयों की व्यवस्था भी उतनी आकर्षक और सुविधापूर्ण नहीं है जितनी होनी चाहिए। और इही कठिनाइयों को दूरे करने के लिए चल पुस्तकालयों की योजना चलायी जा रही है। इसमें भी स्वतंत्र कार्यकर्ता के अभाव से और पर्याप्त प्रमाण में पुस्तकों की सख्या और विविधता के न होने से यह काम भी पूरा सतोप जनक नहीं हो रहा है।

उपयुक्त लेखक नयी योजना सुझाये हैं जिसमें इस काम के लिए एक स्वतंत्र कार्यकर्ता की व्यवस्था है। उसके पास एक सायकल रहनी १५० के आसपास पुस्तकें होंगी वह रोज दो गांवों में जा सवेगा यो सप्ताह के

६ दिनों में १२ गांव और सप्ताह में एक बार निश्चित गांव में जा सकेगा।

योजना के मुख्य सुझाव ये हैं—

- (१) पुस्तकें ठीक समय पर बांटी जानी चाहिए।
- (२) लोगों की रुचि तथा आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त पुस्तकें होनी चाहिए।
- (३) नयी नयी पुस्तकें बराबर दालिल की जानी चाहिए।
- (४) पुस्तकों के अलावा अच्छी पत्र-पत्रिकाएँ भी साथ में रहनी चाहिए।
- (५) पुस्तकों की विविधता का प्रतिपाद सामान्यतया निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

१ कृषि पन्थालन संबंधी पुस्तकें	२० प्रतिशत
२ सहकारिता पंचायतराज	१० ,
३ स्वास्थ्य लोकशिक्षण	१० ,
४ सर्वोदय	५ ,
५ धार्मिक	५ ,,
६ विज्ञान और समाज विज्ञान	५ ,,
७ महापुरुषों की जीवनी	५ ,,
८ महिलाओं तथा बच्चों के लिए	१० ,,
९ कहानी उपन्यास आदि	१० ,,
१० नौ सिखुओं के योग्य	२० ,,

### [ पृष्ठ १८० का शेषांश ]

शोध की है। जिस तरह से एक युनिवर्सिटी के लिए रिसर्च लेबोरेट्री होती है उसी तरह से सेवाभारती ग्राम भारती की रिसर्च लेबोरेट्री होगी। चूंकि आज ग्राम भारती बनी नहीं है वह खोज की दशा में है इसलिए इसका महत्त्व कुछ बढ़ जाता है।

मेरा यह निवेदन आप सबके सामने है कि रचनात्मक काम की क्रिमी प्रवृत्ति में आप लगे हुए हों, चाहे वह रसादी का हो या गांधीजी के नाम से रचनात्मक काम का कोई भी अंग चलाते हों अत्यन्त त्वरा के साथ उसे नयी तालीम के समुद्र में विलीन करायेंगे। और तब ग्रामभारती और सेवाभारती का

रूप निखरेगा। हम जो ग्रामभारती के काम में बैठे हैं उनको सामग्री सप्लाई का यह सेवाभारती एक बहुत बड़ा स्थान होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। आज शिक्षा और शिक्षा शास्त्रियों के लिए अधिक सुनौती है कि आखिर शिक्षण और लोकशाही जी मनुष्य को खाने लिए दौड़ रही है, इस महान राक्षस के मुँह से कैसे हम बचें। यानी उसका उपयोग मानव विकास में कैसे किया जाय। इसकी रोज और शीघ्र नयी तालीम को करना होगा।

[ नयी तालीम गोष्ठी, सेनापुरा में किये गये भाषण के आधार पर ]

# सर्व-सेवा-संघ का नया प्रकाशन

जैनेन्द्र की अभिनव कृति

## ‘समय और हम’

जैनेन्द्र जी हिन्दी जगत के जाने माने साहित्यकार हैं, जिन्होंने एक अभूतपूर्व शैली दी है। जैनेन्द्र लिखते नहीं, बस अपनेपन की मिठास से भरी घरेलू भाषा में बातों का समा बंध देते हैं। उनसे आप बर्तों कीजिए या उनकी कृतियों को पढ़िए, ऐसा लगेगा कि वे अनुभूति से प्रेरित मौलिक विचारों का रस उडेल रहे हैं—भावों के गीले पट पर, कल्पना क सादे सुहावने, मनभाते रंगों से वे विचार और विवेचना की परतों को धीमे-धीमे जैसे खोलते चलते है, मानों अध और अरुम को आँस और सूक्ष्म मिल रही हो—रस और आनन्द की मधुरिमा के साथ !

इन्हीं की एक नवीनतम कृति ‘समय और हम’ प्रकाशित हो गयी है। प्रश्नोत्तर के रूप में निर्मित यह कृति शैली में सरस, विचारों में गहन और अनुभूति में मौलिक तो है ही, इसमें जैनेन्द्रजी केवल साहित्यकार ही नहीं, दार्शनिक, समाज-विज्ञानी और राष्ट्र के सजग चिन्तकों के रूप में पद पद पर दिखाई पड़ते हैं।

\* सम्पूर्ण ग्रन्थ चार खण्डों में बँग है—परमात्मा, पश्चिम, भारत और अध्यात्म।

\* जीवन के सभी अंग और विषयों से संबंधित चार सौ पचास प्रश्नों के उत्तर इसमें संगृहीत हैं। कुछ प्रमुख विषय हैं—ईश्वर, अध्यात्म, साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, व्यक्ति, काम, वाणिज्य, भारत-विभाजन, शिन्ता, अपराध-वृत्ति, मित्रता, सत्ता, पार्श्वियाँ, इन्द्रिय-बुद्धि-अहम् आत्मा, चुनाव, प्रजातंत्र, पंचवर्षीय योजना, ऋण, औद्योगीकरण, नि रन्वीकरण आदि आदि।

\* श्री दादा धर्माधिकारी ने ग्रन्थ का प्रशस्ति लिखा है और प्रश्नकर्ताने लम्बी भूमिका में जैनेन्द्र-चिन्तन और धर्म-दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विरह विवेचना प्रस्तुत की है।

\* मानवीय गहनता का सम्पर्क और सर्वोदय की बुनियाद पर जीवन और जगत क विषयों का वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण इस ग्रन्थ की अपना विशेषता है।

६७५ पृष्ठ के इस सुहृद् ग्रन्थ का मुख्य बयल बारह रुपया।

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन. राजघाट. वाराणसी-?

## उत्तर प्रदेश के चल-पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश के सामुदायिक विकास खण्डों में कुछ जगह चल-पुस्तकालयों की योजना काम चर रही है। प्रत्येक खण्ड में तीन प्रकार के पुस्तकालय होते हैं— (१) केंद्रीय पुस्तकालय, (२) ग्रामीण पुस्तकालय और (३) चल-पुस्तकालय।

इन पुस्तकालयों के सबध में अपनी बठिनाई व्यक्त करते हुए लखनऊ के SEOTC के उपसंचालक श्री शंकरराम लिखत हैं कि एक तो लोगों में पढ़ने की रुचि नहीं है दूसरे, थोड़ा बहुत पढ़ने की रुचि रखनवाले लोग पुस्तकालय तक आकर पुस्तकें ले जाने और लौटाने का कष्ट नहीं कर सकते और तीसरे पुस्तकालयों की व्यवस्था भी उतनी आकषक और सुविधापूर्ण नहीं है जिसनी होनी चाहिए। और इन्हीं कठिनाइयों को दूरे करने के लिए चल-पुस्तकालयों की योजना चलायी जा रही है। इसमें भी स्वतन्त्र कार्यकर्ता के अभाव से और पर्याप्त प्रमाण में पुस्तकों की संख्या और विविधता के न होने से यह काम भी पूरा सतोप जनक नहीं हो रहा है।

उपयुक्त लेखक न नयी योजना सुपायी हैं जिसमें इस काम के लिए एक स्वतन्त्र कार्यकर्ता की व्यवस्था है। उसके पास एक सायकल रहनी १५० के आसपास पुस्तकें होगी वह रोज दो गांवों में जा सकेगा जो सप्ताह के

६ दिनों में १२ गांव और सप्ताह में एक बार निश्चित गांव में जा सकेगा।

योजना के मुख्य सुझाव ये हैं—

(१) पुस्तकें ठीक समय पर बांटी जानी चाहिए।

(२) लोगों की रुचि तथा आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त पुस्तकें होनी चाहिए।

(३) नयी नयी पुस्तकें बराबर दाखिल की जानी चाहिए।

(४) पुस्तकों के अलावा अच्छी पत्र-पत्रिकाएँ भी साथ में रहनी चाहिए।

(५) पुस्तकों की विविधता का प्रतिशत सामान्यतया निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

१ कृषि प्रणुपालन सबधी पुस्तकें	२० प्रतिशत
२ सहकारिता पंचायतराज	१० "
३ स्वास्थ्य लोकशिक्षण	१० "
४ सर्वोप्य	५ "
५ धार्मिक	५ "
६ विज्ञान और समाज विज्ञान	५ "
७ महापुरुषों की जीवनी	५ "
८ महिलाओं तथा बच्चों के लिए	१० "
९ कहानी उपजास खादि	१० "
१० नौ सिलखों के योग्य	२० "

### [ पृष्ठ १८० का चोपान ]

शोध की है। जिस तरह से एक युनिवर्सिटी के लिए रिचर्च लेबोरेट्री होती है उसी तरह से सेवाभारती ग्राम भारती की रिचर्च लेबोरेट्री होगी। चूकि आज ग्राम भारती बनी नहीं है वह खोज की दशा में है इसलिए इसका महत्त्व कुछ बढ़ जाता है।

मेरा यह निवेदन आप सबके सामने है कि रच नामक काम की किसी भी प्रकृति में आप लगे हुए हों, चाहे वह ग्रामीण का हो या गांधीजी के नाम से रचनात्मक काम का कोई भी अंग चलेते हों अत्यन्त तरा के साथ उसे नयी तालीम के समुद्र में विलीन करायेंगे। और तब ग्रामभारती और सेवाभारती का

रूप निखरेगा। हम जो ग्रामभारती के काम में बैठे हैं उनको सामग्री सप्लाई का यह सेवाभारती एक बहुत बड़ा स्थान होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे।

आज शिक्षा और शिक्षा शास्त्रियों के लिए अधिक चुनौती है कि आखिर विज्ञान और लोकशाही जो मनुष्य को खाने लिए दौड़ रही है, इस महान रागस के मुँह से कैसे हम बचें। यानी उसका उपयोग मानव विकास में कैसे किया जाय। इसकी खोज और शोध नयी तालीम को करना होगा।

[ नयी तालीम गोष्ठी, से 19री में किये गये भाषण के आधार पर ]

## सर्व-सेवा-संघ का नया प्रकाशन

जैनेन्द्र की अभिनव कृति

### ‘समय और हम’

जैनेन्द्र जी हिन्दी जगत् के जाने माने साहित्यकार हैं, जिन्होंने एक अभूतपूर्व शैली दी है। जैनेन्द्र लिखते नहीं, बस अपनेपन की मिठास से भरी घरेलू भाषा में बातों का समा बंध देते हैं। उनसे आप बातें कीजिए या उनकी कृतियाँ को पढ़िए, ऐसा लगेगा कि वे अनुभूति से प्रेरित मौलिक विचारों का रस उँडेल रहे हैं—भावों के गीले पट पर, कल्पना के सादे सुहावने, मनभाते रंगों से वे विचार और विवेचना की परतों को धीमे-धीमे जैसे खोलते चलते हैं, मानों अध और अधूरे को आँस और सूँघ मिल रही हो—रस और आनन्द की मधुरिमा के साथ।

इन्हीं की एक नवीनतम कृति ‘समय और हम’ प्रकाशित हो गयी है। प्रश्नोत्तर के रूप में निर्मित यह कृति शैली में सरस, विचारों में गहन और अनुभूति में मौलिक तो है ही, इसमें जैनेन्द्रजी केवल साहित्यकार ही नहीं, दार्शनिक, समाज-विज्ञानी और राष्ट्र के सजग चिन्तकों के रूप में पद पद पर दिखाई पड़ते हैं।

\* सम्पूर्ण ग्रन्थ चार खण्डों में बँटा है—परमात्मा, पश्चिम, भारत और अध्यात्म।

\* जीवन के सभी अंग और विषयों से सम्बन्धित चार सौ पचास प्रश्नों के उत्तर इसमें संगृहीत हैं। कुछ प्रमुख विषय हैं—ईश्वर, अध्यात्म, साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, व्यक्ति, काम, वाणिज्य, भारत-विभाजन, शिक्षा, अपराध-वृत्ति, मित्रता, सत्ता, पार्टियों, इन्द्रिय-बुद्धि-अहम् आत्मा, चुनाव, प्रजातंत्र, पंचवर्षीय योजना, ऋण, औद्योगीकरण, निश्चिन्ता आदि आदि।

\* श्री दादा धर्माधिकारी ने ग्रन्थ की प्रशंसा लिखा है और प्रश्नकर्ताने लम्बा भूमिका में जैनेन्द्र-चिन्तन और धर्म-दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विशद विवेचना प्रस्तुत की है।

\* मानवीय गहनता का सम्पर्क और सर्वोदय की बुनियाद पर जीवन और जगत् के विषयों का वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है।

₹७५, पृष्ठ ५ इस बृहद् ग्रन्थ का मूल्य केवल चारह रुपये।

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन. राजघाट. वाराणसी-१

## उत्तर प्रदेश के चल-तुस्तकालय

उत्तर प्रदेश के सामुदायिक विकास सङ्घों में कुछ जगह चल पुस्तकालयों की योजना काम कर रही है। प्रत्येक सङ्घ में तीन प्रकार के पुस्तकालय होते हैं—  
(१) केंद्रीय पुस्तकालय, (२) ग्रामीण पुस्तकालय और (३) चल-पुस्तकालय।

इन पुस्तकालयों के सवध में अपनी कठिनाई व्यक्त करते हुए लखनऊ के SEOTC के उपसचालक श्री शंकरराम लिखते हैं कि एक तो लोगों में पढ़ने की रुचि नहीं है, दूसरे, थोड़ा बहुत पढ़ने की रुचि रखनेवाले लोग पुस्तकालय तक आकर पुस्तकें ले जाने और लौटाने का बट्ट नहीं कर सकते और तीसरे पुस्तकालयों की व्यवस्था भी उतनी आनपक और सुविधापूष नहीं है जितनी होनी चाहिए। और इन्हीं कठिनाइयों को दूरे करने के लिए चल पुस्तकालयों की योजना चलानी जा रही है। हममें भी स्वतंत्र कार्यकर्ता के अभाव से और पर्याप्त प्रमाण में पुस्तकों की सख्या और विविधता के न होने से यह काम भी पूरा सतोप-जनक नहीं हो रहा है।

उपयुक्त श्रेष्ठक ने नयी योजना सुझायी है जिसमें इस काम के लिए एक स्वतंत्र कार्यकर्ता की व्यवस्था है। उसके पास एक सायकल रहनी १५० के आसपास पुस्तकें होंगी, वह रोज दो गावों में जा सकेगा दो सप्ताह के

६ दिनों में १२ गांव और सप्ताह में एक बार निश्चित गांव में जा सकेगा।

योजना के मुख्य सुझाव ये हैं—

- (१) पुस्तकें ठीक समय पर बांटी जानी चाहिए।
- (२) लोगों की रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पुस्तकें होनी चाहिए।
- (३) नयी नयी पुस्तकें बराबर दाखिल की जानी चाहिए।
- (४) पुस्तकों को थलावा अच्छी पत्र-विद्यार्थों भी साथ में रहनी चाहिए।
- (५) पुस्तकों की विविधता का प्रतिशत सामान्यतया निम्न प्रवार रखा जा सकता है—

१ कृषि, पशुपालन संबंधी पुस्तकें	२० प्रतिशत
२ सहकारिता, पंचायतराज	१० "
३ स्वास्थ्य, लोकशिक्षण	१० "
४ सर्वोदय	५ "
५ धार्मिक	५ "
६ विज्ञान और सामान्य विज्ञान	५ "
७ महापुरुषों की जीवनी	५ "
८ महिलाओं तथा बच्चों के लिए	१० "
९ कहानी, उपनास आदि	१० "
१० नो सिखुओं के योग्य	२० "

### [ पृष्ठ १८० का संशोधन ]

शोध की है। जिस तरह से एक सुनिश्चिती के लिए रिजर्व लेबोरेट्री होती है उसी तरह से सेवाभारती ग्राम भारती की रिजर्व लेबोरेट्री होगी। चूंकि आज ग्राम भारती यमी नहीं है, वह खोज की ब्या म है इसलिए इसका महत्त्व कुछ बढ़ जाता है।

मेरा यह निवेदन आप सबके सामने है कि रच नात्मक काम का किसी भी प्रवृत्ति में आप लगे हुए हों, चाहे वह खादी का हो या मापीजी के नाम से रचनात्मक काम का कोई भी अंग चाहते हों अत्यन्त त्वरा के साथ उसे नयी तालीम के समुद्र में विलीन करायेंगे। और तब, ग्रामभारती और सेवाभारती का

रूप निखरेगा। हम जो ग्रामभारती के काम में बैठे हैं उनकी सामग्री सज्जाई का यह सेवाभारती एक बहुत बड़ा स्थान होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। आज शिक्षा और शिक्षा शास्त्रियों के लिए अधिक सुनौती है कि आखिर विज्ञान और लोकशाही जो मनुष्य को खाने लिए दीख रही है, इस महान् संघर्ष के मुंह से कैसे हम बचें। यानी उसका उपयोग मानव विकास में कैसे किया जाय। इसको खोज और शोध नयी तालीम को करना होगा।

[ नयी तालीम गोष्ठी, सेठपुरी म क्रिये गये भाषण के आधार पर ]

## “बुढ़िया का छोटा सवाल”

उस दिन शाम को बहुत अच्छी सभा हुई। पूरा गाव उमड़ आया था। मैं बोला भी बहुत जोश के साथ। सभा के समाप्त हो जाने पर मैं गाँव के स्कूल में अपने निवास पर गया। कमरे में जाकर हाथ-मुह धोने के लिए फिर बाहर निकला तो देखना है कि दरवाजे के सामने एक बुढ़िया बैठी है। सोचा यों ही बैठी होगा। ‘सभा खत्म हो गयी, अब घर जाओ’—मैंने लापरवाह क साथ कहा। बुढ़िया ने जैसे सुना ही नहीं। मेने फिर कहा। उसने अनसुनी कर दिया। तीसरी बार मैंने जरा फड़ाई क साथ कहा तो बोली ‘मुझे कुछ कहना है।’ ‘कहो, क्या कहना है?’—मैंने झुंझलाकर पूछा। बुढ़िया ने कहा ‘मूखी हूँ, एक मुट्ठी चावल चाहिए।’ ‘चावल-दाल मेरे पास नहीं है, मुझे जो कुछ कहना था सभा में कह दिया। फौरन घर जाओ, यहाँ मत बैठी।’ यह कहकर मैं जरा तनकर खड़ा हो गया।

बैठी-बैठी बुढ़िया अचानक उठी और सोड़ियों की ओर बढ़ी। मैंने सुना, कह रही थी ‘इतना बड़ा भाषण लेकिन मुझ मूखी के लिए एक मुट्ठी चावल नहीं! मेरा इतना छोटा सवाल

बुढ़िया चली गयी। मालूम नहीं जिंदा है या इतने दिनों में मर गयी। लेकिन उमका परन बना हुआ है। आज तक मैं उस ‘बुढ़िया के छोटे सवाल’ का उत्तर नहीं सोच सका हूँ। मैं नहीं तो क्या कोई सोच सका है? शासक, नेता, अर्थशास्त्री वैज्ञानिक, साधु या सेवक, किमके पास हिन्दुस्तान के करोड़ों मूखों—बेकारों के इस ‘छोट सवाल’ का उत्तर है ?

—रामभूति

भीष्मपुस्तक भद्र सर्व सेवा मण की ओर से शिव प्रेस, प्रह्लादपाट, धाराणवी में मुद्रित तथा प्रकाशित।

केवल कवर—मुद्रक खण्डेलवाल प्रस, मानमन्दर, धाराणवी।

गत मास छपी प्रतिर्या ३०५०, इस मास छपी प्रतिर्या २८६०

प्रधान संपादक  
धोरेन्द्र मजूमदार

संपादक  
आचार्य राममूर्ति

'लोकतंत्र' की रक्षा कैसे करें ?

श्री धीरेन भाई

खादो का नया मोड लेकिन मुडे किधर ?

श्री राममूर्ति

शारदा-स्तुति

श्री कागिनाथ त्रिवेदी

शिक्षण और समाज

श्री ति० न० आत्रेय

पश्चिमी जर्मनी में स्कूली शिक्षण

डा० वारकेरवर ममाद सिंह

युवभारती का विसर्जन

श्री राममूर्ति

वर्ष ११

अंक ७

वार्षिक चंद्रा  
एक प्रति

६-००

०-५०

## “बुद्धिया का छोटा सवाल”

उस दिन राम को बहुत अच्छी सभा हुई। पूरा गाव उमड़ आया था। मैं बोला भी बहुत जोरा के साथ। सभा के समाप्त हो जाने पर मैं गाँव के स्कूल में अपने निवास पर गया। कमरे में जाकर हाथ-मुह धोने के लिए फिर बाहर निकला तो देखना है कि दरवाजे के सामने एक बुद्धिया बैठी है। सोचा यों ही बैठी होगी। ‘सभा खत्म हो गयी, अब घर जाओ’—मैंने लापरवाही के साथ कहा। बुद्धिया ने जैसे सुना ही नहीं। मैंने फिर कहा। उसने अनसुनी कर दिया। तीसरी बार मैंने ज़रा कड़ाई के साथ कहा तो बोनी ‘मुझे कुछ कहना है।’ ‘कहो, क्या कहना है?’—मैंने झुकलाकर पूछा। बुद्धिया ने कहा ‘भूखी हूँ, एक मुट्ठी चावल चाहिए।’ ‘चावल-दाल मेरे पास नहीं है, मुझे जो कुछ कहना था सभा में कह दिया। फौरन घर जाओ, यहाँ मत बैठो।’ यह कहकर मैं जरा तनकर खड़ा हो गया।

बैठी-बैठी बुद्धिया अचानक उठी और सोदियों की ओर बढ़ी। मैंने सुना, कह रही थी ‘इतना बड़ा भाषण लेकिन मुझ भूखी के लिए एक मुट्ठी चावल नहीं! मेरा इतना धोरा सवाल’

बुद्धिया चली गयी। मालूम नहीं जिंदा है या इतने दिनों में मर गयी। लेकिन उसका प्रश्न बना हुआ है। आज तक मैं उस ‘बुद्धिया के छोटे सवाल’ का उत्तर नहीं सोच सका हूँ। मैं नहीं तो क्या कोई सोच सका है? शासक, नेता, अर्थशास्त्री वैज्ञानिक साधु या सेवक, किमके पाम हिन्दुस्तान के करोड़ों भूखों—बेकारों के इस ‘छोट सवाल का उत्तर है ?

—राममूर्ति

श्रीकृष्णरत्न भट्ट सब सेवा मठ की ओर से शिव प्रेस, प्रहादघाट, धारारण्डी में मुद्रित तथा प्रकाशित।

केवल कवर-मुद्रक खण्डेलवाल प्रेस, मानमा-दर, धारारण्डी।

गत म स ७५० प्रतियाँ ३०५०, इस मास ७५१ प्रतियाँ २५६०



प्रधान संपादक  
धीरेन्द्र मजूमदार

संपादक  
आचार्य राममूर्ति

वर्ष ११

अंक ७

'लोकतंत्र' की रक्षा कैसे कर ?

श्री धीरेन भाई

खादी का मया मोड लेकिन मुझे किधर ?

श्री गणमूर्ति

शारदा-स्तुति

श्री काशिनाथ त्रिवेदा

शिक्षण और समाज

श्री ति० न० आत्रेय

पश्चिमी जर्मनी में स्कूल शिक्षण

डा० तारकेश्वर प्रसाद सिंह

भ्रमभारती का विसर्जन

श्री राममूर्ति

वार्षिक संदा

६-००

एक प्रति

०-२०

# नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ „ जुगताराम दवे
- ३ „ काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ श्रीमती मार्जरी साइक्स
- ५ श्री मनमोहन चौधरी
- ६ „ क्षितिशराय चौधरी
- ७ „ राधाकृष्ण मेनन
- ८ „ राधाकृष्ण
- ९ „ राममूर्ति

●

## सूचनाएं

- 'नयी तालीम' का बर्ष अगस्त से श्रावण होता है।
- किसी भी मास से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- चंदा भेजते समय अपना पता स्थल पत्रचरो में लिखें।
- नयी तालीम का पता—

नयी तालीम  
सर्व सेवा संघ, राजघाट  
वाराणसी-१

●

## अनुक्रम

पृष्ठ

लोकतंत्र का 'लोक' २१७	श्री राममूर्ति
लोकतंत्र की रक्षा कैसे करें ? २१६	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
ग्यादी का नया मोड़ लेकिन	
मुझे किधर ? २२५	श्री राममूर्ति
शारदा स्तुति २३३	श्री काशिनाथ त्रिवेदी
पश्चिमी जर्मनी में स्कूली शिक्षण २३७	श्री डा० तारकेश्वर प्रसाद सिंह
शिक्षण और समाज २३८	श्री लि० न० आश्रय
भ्रमभारती का रिमजर्न २४५	श्री राममूर्ति
नयी शिक्षा-नयी दिशा २४७	श्री विजय पहाडुर भाई
बच्चों की शुरु से शिक्षा (५)	
एक सान की 'खतरनाक' आयु २४६	श्री राममूर्ति
सार-संकलन २५१	—
पुस्तक पत्रिका २५४	—
सादर-स्वीकार २५६	—

●

# नयी तालीम

वर्ष-११ ]

[ अंक '७

## लोकतंत्र का 'लोक'

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में अगर 'लोक' लुप्त हो गया तो तंत्र का कोई मूल्य नहीं रह जायगा। 'लोक' प्राण है, 'तंत्र' शरीर; प्राण-विहीन शरीर का क्या मूल्य है? आज दुनियाँ के अनेक देशों में लोकतंत्र के नाम से जो तानाशाही व्यवस्थाएँ चल रही हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि प्राणविहीन शरीर कितना विकृत हो सकता है। जहरीला शरीर स्वयं प्राण को समाप्त कर देता है इसलिए आज तमाम दुनियाँ में यह समस्या है कि शरीर से प्राण की रक्षा कैसे की जाय।

अपने ही देश में जिस तेजी के साथ 'तंत्र' 'लोक' पर हावी होता जा रहा है उसे देखकर लोकतंत्र के भविष्य के बारे में मन में गंभीर शंका होती है। आज इस देश में वालिग मताधिकार है, बोलने और संगठन धनाने की छूट है, सरकार बदलने के लिए पडयंत्र करने और फार्सी के तख्ते पर लटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना सब होते हुए भी देश में गैर-सरकारी जीवन के नाम से पुकारी जानेवाली चीज का कहीं पता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे 'लोक' है ही नहीं; और जब 'लोक' ही नहीं है तो लोकशाक्ति कैसे होगी? यही कारण है कि देश के जीवन के किसी पहलू में लोक का दर्शन नहीं होता; हर जगह सरकार का धोखाळा है जो बनती तो है जनता से लेकिन चलती है 'निता' और 'नौकर' से। इसीलिए देश के नेता और नौकर की शक्ति के सामने जनता की शक्ति क्षीण होती चली जा रही है। ये लक्षण लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं हैं।

गांधी जी ने इस स्थिति की कल्पना कर ली थी और उन्होंने मरते-मरते हमें यह चेतावनी दे दी कि हिन्दुस्तान में लोकतंत्र के विकास में सैनिक और नागरिक शक्ति में टकराव अवश्यंभावी है, और वह यह भी बताने लगे कि अगर नागरिक शक्ति को विजयी बनाना है तो सेवा को सत्ता से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। पहले कदम के रूप में उन्होंने सुझाया था कि कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी से अलग होकर लोक-सेवक संघ बन जाय और सैनिक शक्ति के मुकाबिले नागरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करे और राज्य के लिए अपने कर्तव्य की परिधि घटाने की परिस्थिति पैदा करे। लेकिन यह सब कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या कि सेवक-सत्ता में जुटे और लोकतंत्र के नाम में चलनेवाले एक विशाल लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। पिछले पंद्रह वर्षों में इस वटवृक्ष को छाया गाँव-गाँव तक पहुँच गयी है। हर जगह कल्याणकारी संस्थाओं का जाल बिछ गया है और विलता ही जा रहा है। गाँव की पंचायत, गाँव का स्कूल, गाँव की सहकारी समिति, ये सब राज्य रूपी तंत्र के पुत्र बनाये हैं। धर्म और जाति के नाम से जो कठोर तंत्र परंपरा से चले आ रहे थे उसमें ये नये तंत्र जुड़ गये हैं। स्वभावतः इसका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ देर एतंत्र ही तंत्र दिखायी देता है, लोक नहीं दिखायी नहीं देता, और इसलिए लोकशक्ति के आधार पर खड़ा होनेवाला लोकतंत्र भी नहीं दिखायी दे रहा है, और अगर यही हाल रहा तो शीघ्र वह समय आयेगा जब तंत्र के बोझ से दबकर लोक पूर्णतः लुप्त हो जायगा।

ऐसी स्थिति में लोक को तंत्र से अधिक से अधिक मुक्त करने का प्रश्न लोकतंत्र की रक्षा का तात्कालिक प्रश्न बन जाता है—व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न तो वह है ही। राज्य की परिधि कैसे कम हो, अधिकार का दुरुपयोग कैसे रुके, सरकार की शक्ति जनता की शक्ति को पूरक कैसे बने, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनपर तुरंत विचार होना चाहिए। और यह काम संस्थाओं का नहीं है, चेतन व्यक्तियों का है। भारतीय समाज का विकास अब चेतन व्यक्तियों से ही होगा, राज्य और उसके प्रश्रय में चलनेवाली संस्थाओं से नहीं। संस्था अब समाज-परिवर्तन का आधार (सामाजिक बेस) भी नहीं बन सकती, वह अब विकास के लिए बाध का काम कर रही है।

जितना भी तंत्र है वह सब सत्ता और सम्पत्ति के आधार पर बना है और इनके ही सहारे खड़ा है। इसलिए सत्ता और सम्पत्ति का विघटन लोकतंत्र की दिशा में बुनियादी कदम है। इस सम्बंध में दो बातें फौरन सूझती हैं—एक गाँव की पंचायत—आज उसका जो भी अपूरा रूप है—सरकार के कानून से मुक्त हो और गाँव के वालियों की सम्मति से अपने कृत्य और गाँव के जीवन की मर्यादाएँ स्वयं स्थिर करे; दो, चेतन व्यक्ति संस्थाओं को सीमा से बाहर आये और प्रत्यक्ष लोक-जीवन के प्रसंगों के माध्यम से लोकशक्ति विकसित करने के काम में लगे। लोकतंत्र का 'लोक' तंत्रमुक्त होकर ही जगेगा, यद्देगा।

—राममूर्ति

## लोकतंत्र की रक्षा कैसे करें ?

श्री धीरेंद्र मजूमदार

प्रश्न—चीन के आक्रमण के परिणाम-स्वरूप हमारे देश के जीवन का जो मथन हो रहा है उसमें फासिस्टवाद की ऐसी शक्तियां प्रबल होनी दिखाई दे रही हैं जो यहां के लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध होंगी और कोई आश्चर्य नहीं कि समय पा कर उसे निगल भी जायें। एही स्थिति में हमारी सामाजिक क्रांति के लिए कोई अरसर ही नहीं रह जायगा। दूसरी ओर जनता को लोकतंत्र का पिछले १५ वर्षों में जो स्वाद मिला है उसके कारण वह या तो डिक्टेटोरशिप को पसंद करने लगी है या बिल्कुल उदासीन हो गयी है। जन जनता का यह हाल है तो नागरिक शक्ति की क्या बात की जाय ? क्या आप बता सकते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के निमित्त हम लोगों को क्या करना चाहिए ? यह भी बताइए कि क्या प्रचलित लोकतंत्र को इसी रूप में रखाता समभव भी है ?

उत्तर—चीन के आक्रमण के परिणाम-स्वरूप हमारे देश के जीवन का जो मथन चल रहा है जिसमें फासिस्टवाद की ऐसी शक्तियां प्रबल होती दिखाई दे रही हैं जो यहां के लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध होंगी तो मैं कहूंगा कि जहाँ चीनी आक्रमण देश के लिए एक अभिघात है वहाँ इस परिस्थिति के कारण वह एक बहुत बड़ा बदलाव भी हो गया है। जो वस्तुस्थिति देश में पहले से मौजूद थी वह आक्रमण के परिणाम-स्वरूप सामने आ गयी। वस्तुतः अंग्रेजों के चले जाने के बाद से ही हमारे देश में इन शक्तियों का सहज, शांत और सुव्यवस्थित संगठन हो रहा था। लोकतंत्र के वैधानिक प्रसार के नाम पर

फरवरी, '६३ ]

उसने इस तरह घूँघट बाल रखा था कि ऊपर से दिखाई नहीं दे रही थी। आज अगर वह दिखाई दे रही है तो लोकतंत्र के मविष्य के लिए यह एक शुभ लक्षण है, क्योंकि ऐसी हालत में देश के लोकतांत्रिक विचारक चेत जायेंगे और गभीरता के साथ उपाय ढूँढने लगेंगे, नहीं तो आज राजनीतिक विधानों में हेर फेर करके लोकतंत्र के विकास और प्रसार की जो चेष्टा चल रही है उसी के बहम म ये निश्चित रहते और उसकी जड़ में अंग्रेजी साम्राज्यवाद द्वारा छोड़ा हुआ अधिस्तावादी मानस का चीज अक्षुरित तथा फल्लवित हो कर अचानक फूट पड़ता और लोकतंत्रवादी को समय पर इसका मुकाबिला करने का अवसर भा नहीं मिलता।

गांधीजी हमेशा कहते थे कि अंग्रेजी राज्य को समाप्त करना स्वराज्य का पहला काम है। उनके लिए स्वराज्य का अर्थ ही जनता की आत्मशक्ति का प्रकट होना था। वे चरसे द्वारा इस शक्ति का संगठन करना चाहते थे और कहते थे कि चरसे से ही स्वराज्य होगा। गांधीजी तो अंग्रेजी राज्य के रहते ही चरसे द्वारा इस शक्ति को जड़ जमा लेना चाहते थे। १९२५-२६ से ही वह हम लोगों को कहा करते थे कि चरसे द्वारा गरीबों को जो कुछ पैसा मिल जाता है वह अपने आपमें एक अच्छी चीज है, लेकिन चरसे द्वारा तो प्रत्येक कतिन को स्वराज्यवादिनी बनाना है। इसका अर्थ यह है कि वह स्वराज्य आंदोलन की ऐसी म्यूहरचना करना चाहते थे जिससे विदेशी राज्य का निराकरण और स्वराज्य के अधिष्ठान की प्रक्रिया

[ २१६ ]

साथ-साथ चले। असहयोग और सत्याग्रह आंदोलनों के द्वारा साम्राज्यवादी शक्ति का मुकाबला करना और चरखा आंदोलन द्वारा स्वराज्य के विचार का प्रशिक्षण तथा आत्म निर्भरता के आधार पर आवश्यक जन शक्ति के संगठन की परिकल्पना यह दोनों को समानरूप से साथ साथ करते थे, इतना ही नहीं बल्कि चरखा मूलक रचनात्मक कार्यक्रम पर अत्यंत आग्रह के साथ विशेष जोर देते थे। उनका जोर यहाँ तक था कि व्यापक सत्याग्रह आंदोलन के लिए शर्त के रूप में रचनात्मक कार्य के व्यापक संगठन को आवश्यक मानते थे।

मानव की सामाजिक प्रगति का आरंभ अव्यवस्थित जगली न्याय से निकल कर दण्ड आधारित राजतंत्र पर पहुँचने में हुआ था। इस व्यवस्था ने सामंतवादी पद्धति का संगठन तथा प्रसार किया। यह पद्धति जहाँ मनुष्य को असम्यता से मभ्यता की ओर ले गयी, वहाँ इसने केंद्रित हुक्मतवादी मनोभावना को शास्त्र-सुद्ध मान्यता भी दी। औद्योगिक क्रांति ने जन पूर्णजीवाद को जन्म दिया तब अपने विकास के लिए सामंतवाद को समाप्त करना उसके लिए जरूरी था। औद्योगिक क्रांति की प्रगति विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ ही होना संभव था और विज्ञान की प्रगति के लिए व्यापक रूप से मनुष्य का स्वतंत्र चिंतन आवश्यक था। इस आवश्यकता ने और मानव की सांस्कृतिक प्रगति ने लोकतंत्र की कल्पना को जन्म दिया इसके अधिष्ठान के लिए भी सामंतवाद को समाप्त करना आवश्यक हुआ। यह तभी हो सकता था जब साम्य, मैत्री और स्वतंत्रता के नारे के आधार पर राजनीतिक क्रांति होती तथा साथ-साथ विचार प्रचार और विचार शिक्षण से पूर्ण संगठित अधिसत्तावादी मानस का भी निराकरण होता।

पाश्चात्य देशों में लोकतांत्रिक क्रांति उपयुक्त कठिनों के हिसार से सहजरूप से हुई। यही कारण है कि इंग्लैण्ड आदि जिन मुल्कों में लोकतंत्र का अधिष्ठान और विकास हुआ वहाँ वैधानिक सुधार के साथ साथ आवश्यक मानसिक तथा चारित्रिक परिवर्तन भी होता गया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सका।

पश्चिम में जहाँ एक तरफ लोकतंत्र का विकास हुआ वहाँ पूर्णजीवाद की प्रगति के लिए कच्चे माल की खोज ने साम्राज्यवादी आकांक्षा पैदा की। उस आकांक्षा ने भारत में सामन्तवाद के रहते ही उसे विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार बनाया। अंग्रेजी साम्राज्य के लिए यह आवश्यक था कि अपनी सत्ता को मजबूत तथा स्थायी बनाने में सामन्तवादी अधिसत्तामूलक मानस को वह अधिक गहराई से पनपाता। इस देश में तो उसे दुहरी मुविधा मिली। यहाँ दुनिया के दूसरे मुल्कों के समान सामन्तवादी राजनीतिक एरिस्टोक्रेसी तो थी ही, साथ-साथ इस देश की विशिष्ट प्रकार की वर्ण-व्यवस्था के कारण सामाजिक एरिस्टोक्रेसी भी लोक जीवन के राग राग में सुसी हुई थी। अंग्रेजों ने इस मुल्क पर अपनी धाक जमाने के लिए दोनों प्रकार की एरिस्टोक्रेसी को अपनी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा देकर अपने साथ मिला लिया। उन्होंने इन दोनों का अच्छी तरह संगठन कर लिया इतना ही नहीं बल्कि व्यवस्था के नाम पर साम्राज्यवादी नौकरशाही की एक नयी एरिस्टोक्रेसी की सृष्टि की। पल-स्वरूप पूर्णजीवाद के विकास तथा लोकतंत्र के विचार ने दुनिया में जो अधिसत्तात्मक चरित्र को ढोला किया उसका लाभ भारत को नहीं मिल सका। अर्थात् पिछली दो शताब्दियों के राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनों का मनोवैज्ञानिक तथा चारित्रिक लाभ भारत को नहीं मिला।

लेकिन विचार बहुत दिन तक किसी भौगोलिक सीमा के अंदर बंधा हुआ नहीं रह सकता। साम्य, मैत्री तथा स्वतंत्रता का विचार भारत तक भी पहुँचा। अंग्रेजी शोषण, अन्याय तथा निदलन ने इस देश में स्वतंत्रता की आकांक्षा जगायी और उसके लिए आंदोलन लड़ा हुआ। ऐसे समय भारत के सार्वजनिक जीवन में गांधी का जन्म हुआ।

धस्तुस्थिति को भूत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में सहजरूप से ठीक ठीक देख लेने की अलौकिक शक्ति गांधीजी में थी। उन्होंने उपयुक्त परिस्थिति को सहज ही समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि अंग्रेजी साम्राज्य के बलते इस देश में

मानव-समाज का सहज प्रवाह अरसे से रुका हुआ है। भारत की आजादी की प्राप्ति के बाद आधुनिक जगत् के लोक्रतात्रिक विचारों के आधार पर सजा करना है तो जिस मानसिक भूमिका के बनने में अब तक रुकावट रही है उसके विकास का कार्यक्रम प्रारंभ से ही हाथ में लेना होगा, अन्यथा समाज में पैला हुआ अधिसत्तात्मक मानस हर प्रकार के लोक्रतात्रिक प्रयासों को प्रारंभ में ही विफल कर देगा। अतः उन्होंने अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक अपने साधियों को यह समझाने की कोशिश की कि भारत में अगर सही लोक्रतंत्र का विकास करना है तो उसकी पद्धति देश की विशिष्ट वस्तु स्थिति क सद्वर्धन में ही बनानी होगी, पादचात्य जनतात्रिक देशों की नकल करने से काम नहीं चलेगा। वह चाहते थे कि लोक्रतंत्र के विकास की प्रक्रिया लोक मूलक हो, तंत्र-मूलक नहीं।

लोक्रतंत्र कोई भौतिक परिस्थिति नहीं है और न यह एक राजनीतिक व्यवस्था-मान है, यह वास्तव में एक सांस्कृतिक परिस्थिति है। यह मनुष्य की सांस्कृतिक प्रगति की एक आधुनिक कड़ा है। मानव जगत् के न्याय से पराधात होकर प्रजापति के पास समाधान के लिए पहुँचा था और वहाँ से दण्डशक्ति की पद्धति को अपना आंतरिक सुरक्षा और शांति के लिए प्राप्त किया था—प्रजापति प्रयोग में ऐसी कथा बतायी जाता है। इसका अर्थ यह है कि दण्डशक्ति क आविष्कार से मनुष्य ने अपनी जगली स्थिति से निरुल कर सम्पत्ता की और एक कदम बढ़ाया और राजदण्ड क सहारे अपनी प्रकृति के अतर्निहित विवृति का नियंत्रण करते हुए वह शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सांस्कृतिक विकास करता रहा। लेकिन दण्डशक्ति के सहारे सांस्कृतिक प्रगति का एक सीमा होता है जिससे आगे बढ़ना सम्भव नहीं होता। अगर मनुष्य को शांतिमय सतुलित समाज के लिए हमारा राजदण्ड का हा सहाय लेना पड़ा तो वह सांस्कृतिक मानव कैसे बन सकेगा? जब दण्ड का सहारा नहीं था तब वह जगत् के पशु के समान था दण्ड का सहारा पाकर उसका सांस्कृतिक विकास इतना हो हुआ कि वह सर्कस के पशु जैसा केवल शांति बन गया। लोक्रतंत्र मानव की इस स्थिति से आगे बढ़ाने

की पद्धति है। लोक्रतंत्र की पद्धति दण्ड के दबाव से शांत और सतुलित रहने की स्थिति से आगे बढ़ा कर निवारण की प्रेरणा से तथा अपने अतर्निहित सत्त्विति के आधार पर समाज के सतुलन को अधिष्ठित करने की प्रक्रिया है। वह समाज की चालक शक्ति के रूप में 'दबाव' (प्रेसर) के स्थान पर 'मनाव' (पर्सुएशन) का पद्धति का अधिष्ठान करना चाहता है, अर्थात् यह हिंसात्मक समाज से अहिंसात्मक समाज की ओर बढ़ने का मार्ग उपस्थित करता है।

अतएव यह स्पष्ट है कि लोक्रतंत्र क विकास की बुनियाद केवल वैधानिक प्रक्रिया से नहीं डाली जा सकती। उसकी बुनियाद तो रचनात्मक शैक्षणिक प्रक्रिया से ही डाली जा सकती है। यहाँ कारण है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता-संग्राम के प्रथम से ही इस प्रक्रिया का आरंभ कर दिया था और स्वतंत्रता रूपा स्यादय के पहले के ब्राह्ममुहूर्त से ही देश में वास्तविक लोक्रतंत्र के अधिष्ठान का ब्यूह-रचना का सुनिश्चित योजना बना रहे थे। उन्होंने देश क रचनात्मक कार्यकर्ता तथा कांग्रेस के राष्ट्र-नायकों से अपनी शक्ति को इसी काम क लिए केंद्रित करने को कहा था, क्योंकि उन्होंने भारत की शिक्षण परिस्थिति में वैधानिक सुधार से पहले लोक्रतंत्र के लिए रचनात्मक शैक्षणिक आंदोलन क संगठन को अनिवार्य रूप से आवश्यक माना था।

गांधीजी १९४४ के सितंबर माह में जेल से निकलते हा इस ब्यूह-रचना में लग गये। चरखा सच तथा दूसरी रचनात्मक संस्थाओं के मुरा कार्यकर्ताओं को अपने पास बुलाकर उन्होंने यहाँ कहा कि वे अब अपने कार्यक्रमों के 'तंत्रमूलक' स्वरूप को बदल कर 'लोकमूलक' बनायें। उन्होंने रचनात्मक कार्य क केंद्र बिंदु को चरखा सच आदि संस्थाओं में न रख कर ७ लाख गाँवों में फैले हुए लोकसेवकों में रखना चाहा था। इसक लिए उन्होंने देश भर के ७ लाख नौजवानों को ७ लाख गाँवों में जा कर समग्र प्राम सत्ता के लिए बैठने का आवाहन किया था। उन्होंने लोक-सेवकों से तपाधार पर न रह कर लाकाधार पर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि वे लोकसेवक अपने धर्म तथा जर्मता

के प्रेम के आधार पर सुजर कर समग्र प्राम सेवा करें। फिर इन सेवाओं को शिक्षा मूलक बनाने को कहा। जन उन्होंने यह कहा कि सारी रचनात्मक प्रवृत्ति रुपी नदियों को नयी तालीम के समुद्र में विलीन होना है तब इसका स्पष्ट आशय यही था कि समग्र प्राम-सेवा समग्र नयी तालीम का रूप ले।

स्पष्ट है कि गांधीजी ने भारत में स्वराज्य यानी लोकतंत्र के अधिष्ठान, संगठन और प्रसार के लिए 'तंत्र' के प्रसार से पहले 'लोक' का विकास आवश्यक माना था। लेकिन रचनात्मक संस्थाएँ तथा उनमें काम करनेवाले कार्यकर्ताओं के हाथ में देश का नेतृत्व नहीं था। देश-मान्य राष्ट्रनायक संस्था तो कांग्रेस ही थी। गांधीजी ने कांग्रेस के नेतृत्व के अर्थात् ही इन संस्थाओं को जन-सेवा को साधना के लिए समर्पित किया था। इन संस्थाओं के कार्यकर्ता भारतीय जनता के स्वतंत्र अभिक्रम की बुनियाद डालने तथा उसे समर्थित करने के साधक थे। य लोकरक्षेत्र तथा संगठन से लोकतंत्र की जड़ मजबूत कर सकते थे, लेकिन राष्ट्रव्यापी जन-चेतना को आलाङ्कित कर पूरे राष्ट्र को उस दिशा में प्रेरित नहीं कर सकते थे। यह काम राष्ट्र के साधक का नहीं, बल्कि राष्ट्र के नायक का था। अतः गांधीजी ने दूसरा तरफ से यह कोशिश की कि देश का नायक-संस्था कांग्रेस ही अपने को लोक सेवक रूप में परिणत कर समग्र लोक सेवा का देशव्यापी जन-आन्दोलन समर्थित कर ताकि देश का चेतन 'लोक'-जनता-समस्त-बुद्ध कर अपने 'तंत्र' को नीचे से ऊपर तक समर्थित कर सक। गांधीजी ने स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि देश को ऊपर बताया हुई अवस्था परिस्थिति में अगर लोकतंत्र की स्थापना करना है तो वह इसी प्रक्रिया से संभव हो सकता है क्योंकि इस परिस्थिति में केवल तंत्र-मूलक प्रक्रिया की अपनाने से यह होगा कि परिपुष्ट लोकचेतना का अभाव में धारे तंत्रों पर मुक्त का अधिष्ठानादी मानव तथा चरित्र हावी होकर लोकसत्ता के नाम पर फासिस्टवादी अधिसत्ता की स्थापना कर लेगा। इसी कारण से उन्होंने कांग्रेस को लोक सेवक रूप के रूप में परिणत करने के प्रस्ताव की प्रस्तावना में यही कहा था कि

२२२ ]

भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए नागरिक शक्ति तथा सैनिक-शक्ति के आपसी संघर्ष में नागरिक शक्ति विजयी हो सके, इस उद्देश्य से प्रस्ताव की आवश्यकता है, क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत की विविध परिस्थिति में यह संघर्ष अवश्यमानी है।

मैंने कहा है कि जैसे वाशवाच्य देशों में लोक-चेतना के अभिन्नम से संघर्ष कर लोकतंत्र की स्थापना हुई या वेग इस देश में नहीं हो सका। स्वराज का संघर्ष भी हुआ तो उच्चता संघेतन स्वर लोचन की पद्धति की स्थापना न होकर गुणगो को हटाना था। इस देश में प्राचीन काल से मुगल भारत तक राजा या बादशाह की ओर से तंत्र बनाकर लोक पर उसे लादे जाने की परंपरा बनी हुई थी। फलस्वरूप अंग्रेजों के आने तक यहाँ का लोक हमेशा तंत्र के नीचे ही दबा रहा। यह जरूर है कि अंग्रेजों के आने के पहले तक तंत्र का दाचा अधिक निरुद्धित न होने के कारण अपने आन्तरिक काम-काज के लिए लोक-चेतना भी काफ़ी बनी हुई थी लेकिन अंग्रेजों राज्य में धारे-धारे इसका भी खोप हो गया। इस काल में नौकरशाही की वज्रमुष्टि के नाचे धारे धारे अंग्रेजों तंत्र कुल कर इतना मजबूत हो गया कि लोक उद्धित हो गया। इसके ऊपर से विदेशी राज्य ने अपनी सत्ता को हमेशा बनाये रखने के लिए जो 'डिवाइड ऐण्ड रूल' की भेद नाति अपनायी उससे लोकचेतना फवल कुद्धित हुई इतना ही नहीं बल्कि पारस्परिक कलह से यह विरुद्धत स्थूल हो गया।

गांधीजी को लोकतंत्र की स्थापना के लिए परिपूर्ण तंत्र के नीचे दबे हुए मूलभूत लोक की इस विकट परिस्थिति का धामना करना था, अतः उनके लिए यह सोचना स्वाभाविक था कि देश की सर्वाधिक शक्तिशाली जमात कांग्रेस तंत्र में न जाकर इस मूल-भूत लोक में प्राण-संचार करे और कांग्रेस के अलावा बची हुई राष्ट्रीय शक्ति तंत्र चलाये जिससे लोकचेतना मजबूत होकर तंत्र पर हावी हो सके। भारत की विविध परिस्थिति में लोकतंत्र की स्थापना के लिए ऐसी ब्यूह-रचना आवश्यक थी। तभी सैनिक शक्ति पर लोकशक्ति विजय पा सकती थी।

[ नयी तालीम ]



दुर्भाग्य से यह सब नहीं हो सका। न चरखा सघ आदि देश की 'साधारण' सस्थाओं के लोग और न 'राष्ट्र-नायक सस्था कांग्रेस' के लोग वापू की इस गहरी तथ्यपूर्ण बात को समझ सके। उन्होंने देश का आर्थिक और राजनीतिक विकास लोक-मूलक प्रक्रिया से करने के बजाय तन्त्र-मूलक प्रक्रिया से ही करने का प्रयास किया। रचनात्मक सस्थाएँ केंद्रीय तंत्र के आधार पर ही रानी, प्रामोचोग, नयी तालीम आदि सारे कार्यक्रमों को चलाती रही और कांग्रेस केवल वैधानिक विकेंद्रीकरण द्वारा लोकरतंत्र की स्थापना का प्रयास करती रही।

इसी धींच भारतीय मंच पर विनोबा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने देश की मुख्य समस्या भूमि के सवाल को तन्त्र-मूलक लोक शिक्षण के आधार पर हल करने के आदोलन की शुरुआत की। विनोबा की अदृष्ट तपस्या तथा नये विचार के आकर्षण के कारण देश में कुछ आलोडन हुआ, लेकिन इस आलोडन का सगठन भी तन्त्र-मूलक ही हुआ और इसकी चालक शक्ति देश की साधारण सस्था यानी रचनात्मक सस्थाओं के कार्यकर्ता ही रही। मूलक के राष्ट्रनायक इस आदोलन के साथ सहायतुमूर्ति ब्यक्त जरूर करते रहे लेकिन उन्होंने इसे अपनाया नहीं। १९५५ के पुरी सर्वाडिय सम्मेलन के अवसर पर विनोबाजी को अत्यंत दुःख के साथ कहना पड़ा कि 'देश के राष्ट्रनायको ने वापू के इस महत्वपूर्ण कार्य का न अपना कर हमारे कमजोर कंधों पर इसे डाल दिया।' और उन्होंने अत्यंत व्याकुलता के साथ उनकी अपने पद से निकल कर इस आदोलन को जन-आदोलन के रूप में परिणत करने का आह्वान किया, क्योंकि यह स्पष्ट समझते थे कि व्यापक जन आलोडन देश के मान्य नेताओं का प्रेरणा से ही हो सकता है। लेकिन देश के नेता अपने स्थान पर से आसानी से नहीं उतरते, पर व आदोलन को देश व्यापक नेतृत्व देने के लिए आगे नहीं बढ़ सक।

ऐसा परिस्थिति में विनोबा अकेले ही, आज्ञादी आदोलन के अवशिष्ट रचनात्मक सस्थाओं से जो कुछ सहाय मिलता रहा उसी के भरोसे आदोलन को यथासमय चलाते रहे। लेकिन साथ ही साथ इसे भी फरवरी, १९६३ ]

केंद्रीय तंत्र और निधि के अधीन देकर चिंतित भी रहे और दूसरे ही साल अपने साथियों को आदोलन के लिए तत्रमुक्त और निधिमुक्त होने के सकल्प के लिए आह्वान किया। साथियों ने विनोबाजी के तर्कों की अनिवार्यता को देखा और उत्साहपूर्वक सर्वसमति से उसे स्वीकार किया।

सरकार अत्यंत प्रबल होता है। वह अत्यंत तर्क-शुद्ध बुद्धि पर भी हावी हो जाता है। हम भी उसके अनबाद नहीं रहे। यह सही है कि गांधीजी ने चरखा सघ आदि रचनात्मक सस्थाओं को अपने परिकल्पित क्रान्ति के वाहन के रूप में ही सगठित किया था। लेकिन उनका भी तात्कालिक लक्ष्य राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य मात्र होने के कारण उनमें छुआकुट आदि में तो सामान्य सामाजिक प्रगति जरूर हुई लेकिन पुरानी परम्परागत सामान्यवादी पद्धति पर सीधा प्रहार का कोई सन्दर्भ न होने के कारण उनकी जीवन-दृष्टि पुरानी समतवादी तथा जातिवादी ही रह गयी। यही कारण है कि हम विनोबाजी के तत्रमुक्ति के विचार को मानते हुए भी उसे अपना नहीं सके और आज तर्क लोकाभिमुखता की आकाशा के बावजूद हमारा काम लोकरमूलक न होकर तत्रमूलक ही बना हुआ है। लोकाभिमुख होने के विचार से हम सस्थाओं के तंत्रों को विकेंद्रित तो करते हैं लेकिन आधार तंत्र का ही बनाये रखते हैं। हम लोक शिक्षण को केंद्रित कर तथा उसी को पैला कर लोकरतंत्र के विकास का प्रयास नहीं करते। राजनीतिक नेता भी उसी तरह केंद्रीय 'तंत्र' के सहारे छोटे छोटे 'तंत्र' ही खडा कर रहे हैं। हम 'लोकर' को केन्द्र मान कर शिक्षण प्रक्रिया द्वारा उसे परिपुष्ट तथा प्रसारित नहीं कर रहे हैं।

हम मानते हैं कि आर्थिक तथा राजनीतिक सस्थाओं को विकेंद्रित कर देश में लोकतंत्र को अधिष्ठित कर रहे हैं और इसी वहम में निश्चित भी हैं। हम को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि समतवादी राजनीतिक परिस्थानों, ब्राह्मण डाकुरवादी सामाजिक एरिस्टोक्रैसी तथा साम्राज्यवादी नोकरशाही की तीन एरिस्टोक्रैसी मिलकर अधिसत्तावाद का जो त्रिवेणी-

संगम इस देश में मौजूद है, देश के अंग प्रत्याग में उसका इस तरह पैंगव हुआ है कि तंत्र को हम चाहे जिस रूप में रले एरिस्टोफ्रेसी की शक्ति उसे चारों ओर से घेर कर अपनी ही मुट्ठी में बाँध रखती है।

चीन के आनमण से इतना ही हुआ कि फासिज्म के उपर्युक्त निविध गठ-बधन जो ऊपर से पैले हुए अहिंसा, लोकतंत्र तथा समाजवाद के नारों के पीछे छिपा हुआ था, प्रकट हो रहा है। अगर लोकतंत्र को माननेवाले नेता तथा विचारक आज की इस परिस्थिति के कारण सचेत हो जाय और गांधाजी द्वारा प्रदर्शित समग्र नयी तालीम द्वारा लोक शिक्षण मूलक प्रक्रिया से स्वतंत्र लोकशक्ति की बुनियाद डालने में लग जायें तो चीन ने हमला करके देश का कुछ उपकार ही किया ऐसा मानना होगा।

आप पूछेंगे कि क्या तत्रमूलक वैधानिक प्रक्रिया और शिक्षा-मूलक लोक विकास की प्रक्रिया दोनों साथ साथ समानांतर चल सकती हैं। इंग्लैण्ड आदि पादचाल्य देशों में जहाँ स्वतंत्र लोक-चेतना के अभियान ने सामतवाद को समात कर लोकतंत्र को स्थापित किया वहाँ लोकतंत्र का क्रमिक विकास जन-चेतना के आधार पर लोक शिक्षण की सहज प्रगति के रूप में समानांतर गति से चल सका था, क्योंकि यह प्रक्रिया लोकतंत्र के विकास के प्रारंभ से ही शुरू हुई थी और उसकी शुरुआत का प्रारंभबिंदु भा लोक चेतना ही था। सशर के लोकतांत्रिक विचार की सहज प्रगति के दिनों में बाहर से सामान्यवाद ने आकर उन देशों में सामतवादी मानस को प्रोत्साहित तथा सगठित नहीं किया था। उन देशों में वर्ण-व्यवस्था जनित सामाजिक एरिस्टीक्रसा नहीं था। उन देशों की नौकरशाही सहज लोकतंत्र के विकास के साथ-साथ पनपी थी। भारत-जैसे वहाँ के सरकारी नौकर 'हाकिम' नहीं बल्कि 'पब्लिक सर्वेंट्स' य। अतः उन देशों में सहज रूप से जिन मार्गों से लोकतंत्र का विकास हुआ भारत की

अवकृद्ध परिस्थिति में यह मार्ग कामयाब नहीं हो सकता है।

आपने जनता द्वारा पिछले १५ साल में चले लोकतंत्र के जिध स्वाद का मित्र किया है वह बहुततः लोकतंत्र का स्वाद नहीं है, वह लोकतंत्र के नारे तथा सविधान के पीछे के प्रच्छन्न अंधिनायकवादी मानस का स्वाद है। देश के लोकतांत्रिक नेता तथा विचारक अगर आज की परिस्थिति से सचेत हो सके ता जनता का उपर्युक्त स्वाद ही लोकतंत्र के लिए जन-चेतना निर्माण का उपादान बनेगा, नहीं तो लोकतंत्र के नाम से चलनेवाली पद्धति का अनुभव उन्हें अधिक मजबूती के साथ पाथिस्टवाद की गाद में ले जायगा। अगर देश के नेता सचेत नहीं हुए तो आप-जैसे मुट्ठी भर लोग जो मौजूदा परिस्थिति से परिचित हैं उन्हें अपनी छोटी शक्ति से ही लोकतंत्र को बचाने का दुहरा कार्यक्रम चलाना होगा। अधिकाधिक सत्या में स्वतंत्र लोकशक्ति के आधार पर गांधी में बैठ कर नागरिक शक्ति के विकास का जामन बनना होगा और समग्र नयी तालीम के कार्यक्रम से लोकतांत्रिक चेतना उद्बोधित कर लोक शक्ति का सगठन करना होगा। साथ ही साथ दूसरा काम जनता को उनकी परेशानी का कारण बता कर व्यापक लोकशक्ति की चेतना जाग्रत करनी होगी। देश में गांधाजी द्वारा चलायी हुई जितनी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें तत्र निरपेक्ष लोकाधारित कैसे बनाया जा सके उसका छोर खोजना होगा। इस काम के लिए लोकतंत्र के नेता तथा विचारकों को भी उद्बोधित कर उनका ध्यान खींचना होगा। इस बात से चिंतित हो कर कि देश के गणवादी नेता उदासीन हैं, अपनी शक्ति का अप-यय नहीं करना चाहिए, बल्कि यथाशक्ति सघर्ष करते हुए लोकतंत्र के बाँज के संरक्षण में लगा रहना चाहिए।

इन प्रक्रियाओं के बिना अगर कोई चाहे कि आज के प्रचलित लोकतंत्र को इसी रूप में बनाये रखेंगे तो वह बहुत बड़ा भ्रम में है।



## लेकिन मुड़े किधर ?

श्री राममूर्ति

१ अभी कुछ दिन हुए हमारे एक मुख्य भण्डार से खबर आयी कि एक कार्यकर्ता ने गपन किया है। खबर पाने पर, जैसा होता है, सत्या की ओर से जाच मिठायी गयी। अब पता चल रहा है कि एक या अधिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर त्यागपत्र तीन हजार रुपये का गोलमाल किया है। सूत-खरीद के रोजनामचे में कुछ लिखा, खाते और पास-बुक में कुछ दूसरा लिखा और दोनों के अंतर को जेब में रख लिया यह कार्रवाई महीनों पहिले से चर रही थी। कार्यकर्ता सब नये, युवक, शिक्षित और परिश्रमी हैं। पहिले से बदनाम भी नहीं हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि हमारे ये युवक मिन किसी तात्कालिक प्रगोभन के शिकार हुए। वास्तव में उन्होंने जो कुछ किया है तथा योजना बना कर हा किया है।

२ इन्हीं दिनों इंग्लैंड में एक घटना घटी है। वहाँ की जल-सेना में काम करनेवाले 'बासल' नाम क एक कर्मचारी ने ब्रिटिश जल-सेना के कुछ मेदरू क हाथ बेचे और पैसे बनाये।

३ ये दो घटनाएँ हैं—एक इंग्लैंड में घटी, दूसरा यहाँ। वहाँ की घटना का नायक एक सरकारा कर्मचारी था और हमारा घटना का नायक एक प्रशिक्षित, सेवा-परायण युवक, सर्वोदय-जैसे उदात्त विचार का प्रतिनिधि। इंग्लैंड की घटना ने वहाँ के सार्वजनिक जायन में एक गहरा मयन पैदा किया। लोगों के मन में व्यापक रूप से यह प्रश्न पैदा हो गया कि आखिर इंग्लैंड के सामाजिक वातावरण में, वहाँ के हवा पानी में, कौन-सा ऐसा दोष आ गया है जो दशदोह फरवरी, '५३ ]

जैसे अपराध के रूप में प्रकट हो रहा है। वहाँ विचारकों सुधारकों और पत्रकारों की ओर से विचार के स्तर पर सुनियोजित छानबीन चल रहा है। कोई कहता है, इंग्लैंड में सस्ता कमाई (चीप मनी) की लिप्सा बढ़ रही है, कोई कहता है, स्त्री पुरुष के लैंगिक सम्बन्धों (सेक्स) में टिलाई आने के कारण सामान्य नैतिकता भी थियिल हो रही है। इस तरह की अनेक बातें कही जा रही हैं, और समाज का पूरा जीवन वैज्ञानिक विश्लेषण की चलनी में छाना जा रहा है।

४ वहाँ जो हो रहा है उसके विपरीत हम यहाँ क्या करते हैं ? घटना घटी, जांच कर ली, कार्यकर्ता को मुअराल कर दिया, किस्तों में वेतन से रकम बसूल कर ली यह नहीं किया तो कार्यकर्ता को नौकरी के मुक्त कर दिया, इससे भी अधिक करना हुआ तो मामला पुलिस को दे दिया, लेकिन देश के कानून के सामने जाने क पहिले मन म कितना तरह का आगा-पीछा होता है। हम कभी यह सोचते भी नहीं कि इन घटनाओं के पीछे सत्या उसका रचना और भूमिका, कार्यक्रम और पद्धति का 'आवोहवा' (क्लाइमेट) है उसका भी छानबीन करें और देखें कि सड़न कहाँ है, उसक लिए सत्या, समान और सरकार में से किसकी कितनी जिम्मेदारी है, और सुधार के क्या उपाय हैं। हम प्राय इतना कह कर सतोप मान लेते हैं कि अमुक कार्यकर्ता बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है व्यक्तिगत पाप पुण्य से या जमाने को कोसकर सतोप मान लेने से, भिन्न बात अकसर हम सोचते नहीं, इसलिए उपाय के रूप में दड के

विषय दूसरा कुछ हमें एहसास नहीं। अगर चरित्र का पतन कुछ इने गिने कार्यकर्ताओं तक सीमित रहता तो दंड की प्रक्रिया कुछ काम भी करती लेकिन समस्या जब व्यापक हो जाती है तो ऊपरी और तात्कालिक उपाय काम नहीं करते। खादी सरकारी मदद की मुहताज रहे, गोदामों में स्टॉक पड़े रहें, पहनने की खादी की विक्री कम होती जाय बख्तवाय लयन का विचार छूट होता दितायी दे, खादी समस्याएँ एत और स्टॉक की बढ़ता की आय पर चले, क्विन् कारीगर कार्यकर्ता किसी के जीवन में खादी विचार की झलक न दितायी दे, जनता को खादी के भरने या जीने की चिंता न हो, खादी में समाज-परिवर्तन की शक्ति न आ रही हो क्या ये समस्याएँ ऐसी हैं जो ऊपरी उपचार से हठ होनवाली हैं और क्या इन समस्याओं के रहते रहते रचनात्मक काय के लिए अनुकूल वातावरण बन सकता है ?

५. बालास साय पहिले खादी को हमने आजादी की बर्दा के रूप में स्वीकार किया था। उस में खादी हमारी भावना का रानी बनी थी। धारे धीरे उसका आर्थिक स्वरूप प्रकट हुआ। खादी सकट में राहत और खेतिहर को खेती से बचे समय में पूरक धधा दे सकती है यह हमने देखा। इन सब से अधिक गांधी जी ने खादी को एक नयी समाज रचना के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन खादी एक नया औद्योगिक क्रांति का मध्य बिंदु है, उसके पछ कोई नया जीवन-दशन है, यह तब संभव है हमने पहचाना नहीं और अगर कुछ जाना था तो उस रास्त पर चलने की कमी कोशिश नहीं की, या यह भी हो सकता है कि हमारे देश का विकास उस मजिल पर नहीं पहुँचा है जहाँ यह आदिवासी को राजनीति में और खादी को अर्थनीति में सहज भाव से स्वीकार कर सके। आज स्थिति यह है कि हम खादी को वस्तुतः 'लोक-चर' के रूप में निभा रहे हैं। इस दृष्टि से उसका वास्तविक स्थान ग्रामोद्योग (विलेज इंडस्ट्री) का नहीं बल्कि ग्रामीण उद्योग (रूरल इंडस्ट्री) का है जिससे निरस देह लालों लोगों को आंशिक रोजगार मिलता है और कुछ करोड़ रुपये देहात में पहुँच जाते हैं। खादी को

ग्रामोद्योग तो हम तब कहेंगे जब वह पूरे गाँव की समग्र सामाजिक-आर्थिक (सोशियो इकोनॉमिक) योजना में अपना उचित स्थान बना कर बताये। गाँव का सामूहिक स्वामित्व, गाँव की बुद्धि द्वारा सद्योजन, सग ठन और व्यवस्था गाँव की मनुष्य और पशु शक्ति की प्राथमिकता, गाँव में उपलब्ध कच्चे माटू द्वारा गाँव के लिए उत्पादन—जब तक यशस्वी पूरी नहीं हाती तब तक सर्वांश की भूमिका में किसी उद्योग का ग्रामोद्योग कहना कहाँ तक उचित होगा, यह सचने का बात है। खादी आज केवल इस अर्थ में प्रमाद्योग है कि उसकी त्रियाएँ देहात में होती हैं और उसकी काफी कमाई देहातवायों के पास जाती है।

६. पंचपर्याय योजनाओं ने देश व विकास का जो दिशा दी है, और अय सुरक्षा का प्रश्न देश की अर्थनीति को जो दिशा दे रहा है, उसमें खादी के लिए हम क्या स्थान चाहते हैं, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। सुरक्षा की आइ में इस देश में पूँजीवाद दिनोंदिन मजबूत हो रहा है, चाहे वह निजी पूँजीवाद हो चाहे राज्य का पूँजीवाद इतना ही नहीं, सुरक्षा के नाम में फासिस्टवाद की शक्तियाँ तेजी से मुसगठित हो रही हैं और जनता राष्ट्रीयता के जोश में उनका समर्थन कर रही है और आगे भी करेगी। इस स्थिति में हम रचनात्मक कार्यकर्ताओं का क्या रुत हांगा और हमारे कार्यक्रम की क्या दिशा होगी ? अगर हम भी सुरक्षा के नाम में फासिस्टवाद और पूँजीवाद से समझौता करने को तैयार हों तो हमें खादी के लिए अधिक से अधिक ग्रामीण उद्योग (रूरल इंडस्ट्री) की ही स्थिति से सतोय मानना पड़ेगा, नारे हमारे चाहे जो हों, लेकिन अगर हमें लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन करना हो तो खादी के दर्शन (विलासपी), खादी व सग ठन (आर्गनाइजेशन) उत्पादन यंत्र (टेक्नीक) और कार्यकर्ता के स्थान (रोल) के चारों प्रश्नों पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है क्योंकि तब खादी को रचनात्मक कार्य का एक आइटम न मानकर एक मूल्य (वैशु) और सामाजिक शक्ति (सोशल पोर्स) बनाने की बात सोचनी पड़ेगी।

पॉजिटिव प्रश्न सरकार से मिलनेवाली सहायता ( पैटर्न आव असिस्टेंस ) का है लेकिन वह इन चारों के तय होने पर ही तय हो सकता है ।

७-चीन के आक्रमण ने हमारे लोकतन्त्र के गुणों और दोषों, दोनों को अच्छी तरह प्रकट कर दिया । यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे देश का जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढाँचा है उसे कायम रखते हुए लोकतन्त्र शक्ति शाली नहीं हो सकता । भविष्य में स्थिति ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि या तो लोकतन्त्र जो भी अधूरा रूप देश में उसका है समाप्त होगा या आज का ढाँचा टूटेगा । दोनों का यह अस्तित्व अब समझ नहीं है । बापू की वह चेतावनी साफ सुनाई दे रही है कि भारत के लोकतांत्रिक विकास में नागरिक शक्ति ( सिविल-पावर )—और सैनिक शक्ति ( मिलिटरी-पावर ) में सर्घर्ष अनिवार्य है । खादा की जितनी समाज रचना है और उसका जितना जीवन दर्शन है वह नागरिक स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की ही पारदर्शकता में पनप सकता है, पूँजीवाद और फासिस्टवाद में नहीं । इसलिए लोकतन्त्र की बुनियाद के रूप में लोकशक्ति को सुदृढ़ करना हमारे सारे रचनात्मक कार्य का पहला काम हो जाता है ।

८-अगर यह बात सही हो तो आज जब कि देश में प्रवृत्तियों और शक्तियों का मथन हो रहा है तो खादी को और हम खादीवालों को तय कर लेना चाहिए कि लोकतन्त्र के विकास में हमारा क्या रोल होगा । आज जा भी खादी है मुख्यतः व्यापारिक है । व्यापारिक खादा मिल्लुल उद हो जानी चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते । दुर्भाग्यवस्तु देश में कोई भी प्रवृत्ति जिससे कुछ याइ लोगों को भी पूरी या आधा रोटा मिले, बद नहीं की जा सकती । लेकिन विचार की मर्यादा और दिशा स्पष्ट हो जानी चाहिए । पंचरूपीय योजनाओं के अंतर्गत व्यापारिक खादी के लिए यही गुणाइय रायी गयी है कि वह गाँव में बने और बाजार में निके, यानि 'रुग्ण इन्डस्ट्री' के रूप में चले इससे अधिक नहीं ।

९-ऐसी हालत में क्या स्वावलम्बन की बात कहना छोड़ दें ! नहीं, लेकिन यह सबक लें कि किसी गाँव का फरवरी, '६३ ]

हर परिवार अपने कपड़े के लिए आवश्यक सूत कातले जिसे गाँव का बुनकर बुन दे और कपास भी गाव में ही उगा ली जाय । फिर भी आज जिस मजिल पर सामाजिक विकास का विचार पहुँचा हुआ है उसे देखते हुए हम शायद यह नहीं कह सकेंगे कि यह सर्वायव की कल्पना का स्वावलम्बन हुआ । अब हमारा ग्राम स्वावलम्बन ग्राम-स्वामित्व और ग्राम-स्वराज्य के साथ जुड़ गया । अगर इस जोड़ पर हम ध्यान न दें और तर्क के लिए यह मान भी लें, जो समझ नहीं है, कि देश में हर गाव वस्त्र-स्वावलम्बी हो जाय फिर भी यह समझ है कि पूँजीवाद और फासिस्टवाद चलता रहे । बात यह है कि जब तक जमीन, कल कारखानों और व्यापार की मालिकी चल्ती रहेगी तब तक हर परिवार और हर गाँव प्रतिद्विधा-मूलक अर्थनीति ( काम्पिटि टिव इकानमी ) का ही अग बना रहेगा इसलिए गाव की कपास, गाँव का सूत और गाँव का कपड़ा समाज के पूँजीवादी सम्पन्धों के स्थान पर समतामूलक सम्पन्धों की स्थापना में ज्यादा से ज्यादा सहायक और पूरक ही हो सकता है, इससे अधिक नहीं । कारण यह है कि वस्त्र-स्वावलम्बन सामाजिक शक्ति नहीं है, इस युग की सामाजिक शक्ति है 'सबकी सम्पत्ति' ( स्वामित्व विश्व जर्न-नो प्राइवेट प्रापर्टी ) और उसके आधार पर खड़ी होनेवाली सबकी शक्ति ( लोकशक्ति-पावर टु आल ) । मुझे इसमें भी शक है कि केवल 'वस्त्र-स्वावलम्बन' ग्रामस्वराज्य का युद्ध घोष ( बैटिलक्राई ) भी बन सकता है ।

१० इस तरह सहायक होने के लिए भी खादी में एक बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है यह यह कि खादी का ग्रामीण उद्योग (रूरल इण्डस्ट्री) देहात के प्रवृत्ति बन जाय यानि खादी का काम देहात के लोग अपने किसी व्यापारिक संगठन के द्वारा करें । हमारी सेवा-संस्था शिक्षण और संगठन का काम करे और "टेक्नीकल सर्विस" दे । इससे कई लाभ होंगे । एक तो गाँव-गाँव में एक आर्थिक प्रवृत्ति चल जायगी जिसके आधार पर गाँव वालों की कुछ सहकारी व्यवस्था शक्ति विकसित हो सकेगी, दूसरे, गाँव के लोगों में गाँव के लिए सोचने

का अन्वयण बढेगा, तीसरे, देश के स्तर पर शहर के मुकाबिले गाँव की सौदे की शक्ति (वारगनिंग पावर) बढेगी। अतः मं गाँव में एक प्रकार का 'इकोनामिक पोरुस' बन जाने से देश की व्यापक अर्थ नीति में नया मोड़ भी आ सकता है।

११-जिस किसी दृष्टि से देखा जाय, सेवा-संस्थाओं का आज का सगठन व्यापार और स्वावलम्बन दोनों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। अगर जिले के आधार पर प्रामोण उद्योगों के विकास और व्यापार की बात सोचनी हो-इससे नीचे के स्तर पर सीधी भी क्या जा सकती है! तो पूरे जिले के लिए 'एक कारपोरेशन' की बात सोचनी चाहिए जिसके नीचे गाँव-स्तर तक विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के लिए छोटे-छोटे कारपोरेशन हो सकते हैं जो सब विशुद्ध व्यावसायिक ढंग से चलेंगे। अब यह मान लेना चाहिए कि संस्था में नित्य बढ़नेवाली आज की सेवा-संस्थाओं के पास न पूँजी की प्रचुरता है, न उसके कार्यकर्ताओं में व्यापार की क्षमता है, और-न व्यापार की शक्ति ही है। धन पैदा करने का ढंग कोई सेवा-संस्था कर ही नहीं सकती, और न उसे करना ही चाहिए। इसलिए अब समय आ गया है कि व्यापार सीधे-सीधे कारपोरेशनों को सौंपा जाय तथा लोक शिक्षण, सगठन और प्राविधिक सहायता का काम सेवा-संस्थाएँ करें। ग्राम-स्वावलम्बन को आधार मानकर गाँव में किसी प्रवृत्ति को चलाने की जिम्मेदारी ग्राम-समा और उसके द्वारा चुनी हुई ग्राम-पंचायत या सहकारी समिति को ही लेनी चाहिए। गाँव स्तर पर शुरू होनेवाले ऐसे प्रयत्नों को हर तरह से बढ़ावा देना हमारी संस्थाओं का मुख्य काम होगा। सेवा-संस्था, पंचायत, कोऑपरेटिव तथा कारपोरेशन का परस्पर क्या सम्बन्ध हो, यह आसानी से तय किया जा सकता है। ऐसा करने से संस्था का रूप बदल जायगा, उसके वैतनिक कार्यकर्ता एक एक हुनर में पूरे तौर पर 'ट्रेड' होंगे और उनकी सेवा की जनता में माँग होगी और वह उनकी सेवा के लिए पीस भी देने को तैयार होगा। इस स्थिति में संस्था के लिए रिबेट से व्यापार चलाने का प्रयत्न ही नहीं रह जायगा, लेकिन प्रामोण उद्योगों के विकास के लिए

सरकार को सम्मिडी, अनुकूल मूल्य नीति (प्रारथ पालिसी) गोदाम, मार्केटिंग, फर्ज आदि की सुविधा देने के लिए प्रयत्न होना पड़ेगा।

१२-व्यापार से अलग नये समाज की रचना के रूप में खादी तब प्रकट होगी जब हम गाँव के पूरे जीवन को लेंगे और समग्र योजना बनायेंगे जिसमें गेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, स्वास्थ्य, न्याय, सुव्यवस्था और सुरक्षा आदि का अपना संतुलित स्थान होगा और गाँव की जनता सहकारी पद्धति से सभ्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की कोशिश करेगी। गाँव के पूरे जीवन से अलग रहकर खादी केवल खादी बनकर न बहुत दिन तक टिक सकेगी, न बहुत कुछ कर सकेगी। इसलिए सच्चे स्वार्थलभ में रुचि रखनेवाले मित्रों को स्वामित्व विचारन की प्रक्रिया के शोध में लगना चाहिए और वे जनता के बीच 'चिंतन तत्व' (कान्थास एलिमेंट) बनकर बैठें और काम कर सकें इसलिए संस्थाओं को उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। ग्राम इकाई न योजना इस तरह का अवसर देती है कि कार्यकर्ता जाविका के लिए संस्था धारित रहकर भी ग्राम निर्माण को जनाधारित बना सके। धारण माई की ग्रामभारती रोज जीवन को स्वयं लोकाधारित बनाने की दिशा में इससे नहीं आगे बढ़ा हुआ साहसपूर्ण कदम है।

१३-लेकिन अगर खादी के काम में ऐसा नया मोड़ देना हो तो पूरे रचनात्मक कार्य में नया मोड़ देना होगा। पिछले वर्षों में भूदान-यज्ञ आन्दोलन ने सर्वोदय की जो भूमिका बनायी उसका अनुकार रचनात्मक कार्य ने अपनी दृष्टि, दिशा और पद्धति नहीं बदली। भूदान यह समाज के साम्यतिक सम्बन्धों को बदलने के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन प्रचलित रचनात्मक कार्य ने नये मूल्यों और नयी सामाजिक शक्ति को नहीं पहिचाना। कलकत्ता योजनात्मक कार्य का 'विजन' नहीं बदला और यह बात कहने की हो गयी कि 'सर्वोदय का भी नाम लेनेवाला मध्यमवर्ग समाज परिवर्तन के लिए अपने का तैयार नहीं कर सका।

आन्दोलन के क्रम में भूमिहीन को जमीन तो मिली लेकिन हमने उसे उद्योग देकर पूरा किसान नहीं बनाया, वह आधा किसान बना और आधा मजदूर रह गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी नयी हैसियत और नया मानस लेकर पुराने समाज में बेनेल (मिसफिट) हो गया और हम मालिक मजदूर के नये संबंधों का कोई नमूना भी नहीं प्रस्तुत कर सके। हमारी इस विफलता से भूदान यज्ञ और रचनात्मक कार्य दोनों को आघात लगा और दोनों में से किसी में भी समाज-निर्माण की शक्ति नहीं प्रकट हो सकी।

१४. बायजूद-भूदानयज्ञ आन्दोलन के हमने रचनात्मक कार्य की सामान्यतः ग्वादी, छातुन, और घानी तक ही सीमित रखा। हम समाज के बहुमुखी जीवन में उसकी विविध उत्पादन प्रवृत्तियों को और उनके कारण बने हुए मानवीय संबंधों को रचनात्मक कार्य की परिधि के बाहर ही समझते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि हम स्वयं समाज के वास्तविक रचनात्मक जीवन से अलग पड़ गये। हमें यह चिंता नहीं हुई कि खेती में, पशुपालन में, कुम्हारी में, चमड़े के काम में, बर्दईगिरी और लोहारी में, या और दूसरे कामों में उत्पादन कैसे बढ़ेगा और उन कामों में लगे हुए लोगों को उचित पारिश्रमिक कैसे मिलेगा तथा मालिक मजदूर के संबंधों को नया भूमिना कैसे तैयार होगा। इन प्रश्नों से जैसे हम से मतलब ही नहीं था। हमने गाँव की समस्या को उसकी समग्रता में नहीं देखा, हमने जनता की नयी आकांक्षाओं को नहीं पहचाना, और भूदानयज्ञ आन्दोलन ने किस तरह क्रांति की एक शैक्षणिक प्रक्रिया शुरू की है, इसे हमने नहीं समझा। इस एकांगी दृष्टि ने हमें जनता के जीवन प्रवाह से इतना अलग कर दिया कि आज जनता को हमारे चरों के जीने-मरने की चिंता भी नहीं रह गयी है। अब इसका प्रायश्चित्त यह है कि हम गाँव के समग्र विकास की बात सोचें। तभी हमें यह पता चलेगा कि समग्र योजना में खेती तथा अन्य धर्मों के साथ ग्वादी का क्या स्थान है और विकास के कार्य में चरखे का क्या क्रम है।

फरवरी, '६३ ]

तब हम यह भी देखेंगे कि हमारे देश में वास्तविक समस्या मूल में सामाजिक और सांस्कृतिक है जिसका समाधान 'समग्र शिक्षण' के अलावा दूसरा है ही नहीं। और शिक्षण मनुष्य द्वारा मनुष्य का होता है; उसमें तंत्र का स्थान न्यूनतम है।

१५. समग्र विकास की दृष्टि से ग्राम इकाई की योजना समय से आयी है, लेकिन दुःख है कि सामान्यतः रचनात्मक सर्वाथ 'उसे लड़कों का खेल समझ रही है। अगर वे इससे भिन्न कुछ समझती तो अपने मुख्य कार्य-कर्ताओं और अपनी मुख्य शक्ति को समग्र विकास में लगाती, समस्याओं का अध्ययन करती और उन से जूझने की तैयारी करती और यह उत्कटता प्रकट करती कि व्यापार की जिम्मेदारी कब, किस तरह उन क सिर से उतरेगी। लेकिन एसी कोई चिंता सर्वाथों में दिखाई नहीं देती। गाँव का काम जा नि.सदेह सब से बड़ा और कठिन काम है, कच्चे लोगों का कम-जोर कंधों पर ढाल दिया गया है। क्या इससे यह संभव नहीं मिलता कि हम राहत के काम से आगे बढ़ कर क्रांति के नजदीक नहीं जानना चाहते ?

१६. ग्राम-इकाई का कार्यक्रम स्थानीय जनता को सक्रिय और जिम्मेदार बनाने का अच्छा कार्यक्रम बन सकता है लेकिन ग्राम इकाई की योजना में एक बहुत बड़ा धाखा भी है। आज वस्तुस्थिति यह है कि कोई गाँव सचमुच 'इकाई' है ही नहीं, न उसमें आर्थिक एकता है, न सामाजिक, न सांस्कृतिक। जब गाँव ही इकाई नहीं है तो पचायत इकाई कैसे हागा ? प्रशासन की दृष्टि से बनायीं हुई इकाइयों के पाछे कोई आर्थिक या सामाजिक दृष्टि नहीं है। ऐसी हालत में ग्राम इकाई का कार्यक्रम इस आधार पर नहीं बनना चाहिए कि गाँव या पचायत एक इकाई है। बल्कि इस आधार पर बनना चाहिए कि उसे इकाई बनाना है। ऐसा तभी हो सकता है जब काम के माध्यम से सहकार की परिधि निरंतर बढ़ती रहे। यह वास्तव में शिक्षण की प्रक्रिया है जिस में जनता के चरित्र, उसके-सांस्कृतिक स्तर, उसकी भौतिक परिस्थिति, उसकी शक्ति और साधन, उसकी आकांक्षा और उसकी विवशताएँ सब का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ग्राम-

इकाई के नारे के प्रभाव में आकर अगर हम ने यह मान लिया कि जो कुछ महत्व है पंचायत का है, परिवार, टोले या गाँव का नहीं है और जो कुछ करना है मुरिया और सपच के ही द्वारा करना है तो हम भारी भूल करेंगे। हमें गाँव में कुछ जुने हुए, आम-मावना रखनेवाले, चेतन व्यक्तियों के माध्यम से—केवल पदाधिकारियों के नहीं—प्रवेश करके परिवार को प्रारंभिक इकाई मान कर काम शुरू करना पड़ेगा और धीरे-धीरे पूरे गाँव, पंचायत, ब्लॉक और जिले की सहाकार के स्तर में वापस की प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी।

१७. जनता में सुषने का हथारा अप्रोच क्या है, इसका बुनियादी महत्व है। शासन-निरपेक्ष समाज में विद्वान् रखते हुए हम तब को कर्मा प्रायमिषता नहीं दे सकते। प्रायमिषता हमें मनुष्य को ही देनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ दिनों मधुम-निरकर हम अनिवार्य रूप से समष्टिवाद (कलेक्टिविज्म) पर पहुँच जायेंगे, और अच्छी नीयत होत हुए भी गलत हिकमत के कारण लोकतन्त्र को समाप्त कर देंगे। 'ह्यूमन अप्रोच' और 'इन्स्टिट्यूशनल अप्रोच' के बीच अपनी पधद हमें तय कर लेनी चाहिए। आज तक सरकार की ओर से या हमारी ओर से जितना निर्माण-कार्य हुआ है उस सब म तब और सध्या की प्रचानता रही है। इस का परिणाम क्या हुआ है ? जनता अपने को अलग (लेफ्ट आउट) महसूस करती है। लोकतन्त्र में 'लोक' का पता नहीं है और आज देश में नागरिक-शक्ति नाम की जैसी कोई चीज नहीं रह गयी है। इस लिए अब जरूरत है मानवीय दृष्टि-ह्यूमन अप्रोच' की। इसके अनुसार हमारा प्रवेश व्यक्ति द्वारा होता है और प्रारम्भ परिवार से होता है, और विकास की दिशा परिवार-सहकार की होती है। इस तरह सहाकार की परिधि बढ़ती है।

१८. इस नये दर्शन को कार्यान्वित करने के लिए नया संघटन, नयी तकनीक और नया व्यक्तित्व चाहिए, यह स्पष्ट है। गाँव को कार्यक्षेत्र और गाँव के समग्र विकास को अपना कार्यक्रम बनाने ही हमारे संघटन के स्वरूप में अन्तर पड़ जायगा; तब हमारा गाँव का कार्यकर्ता मुख्य व्यक्ति और सध्या उसकी

पूक और सहायक ही जावेगी। ऐसी सध्या कार्यकर्ताओं और स्थानीय मित्रों का एक व्यापक संघ बनेगा। आज यह स्थिति दूर की भले ही। माध्यम ही लेकिन जाना है हमें उसी ओर। शासन निरपेक्ष लोकतन्त्र की स्थिति खाने की दिशा में एक बड़ा टोख कदम उठ जायगा अगर हमारी सध्याएँ तंत्र-निरपेक्षता का निचार मान्य कर लें और उस ओर कदम उठाने के लिए तत्पर हो जायें। व्यापार से मुक्त होने पर ऐसा करना आसान होगा।

१९. इस टेकिनपल युग में ग्वादी-ग्रामोयोग के पूरे विचार में सुधरे यनों और मुनियोजित उत्पादन-पद्धति का बुनियादी स्थान है। उत्पादन में यत्र, धन, बुद्धि, पूँजी, संघटन आदि सब का अपना-अपना स्थान है इसलिए उन सब को सामने रख कर ऐसी उत्पादन पद्धति का विकास करना चाहिए कि जो शोषण-मुक्त समाज बनाने में सहायक हो। आज-कल विज्ञान का नाम लेते ही बड़े-बड़े यनों का चित्र सामने आ जाता है। विज्ञान को बड़े-बड़े यनों तक सीमित रखना अवैज्ञानिक है। यत्र प्रेरित होने चाहिए जो हमारे सामाजिक लक्ष्यों (सोशल आयजेक्टिविज्म) के अनुकूल हों। इस दृष्टि से उत्पादन पद्धति के सबध में चार प्रारंभिक बातें सामने रखनी लायक हैं : १-काम की तकनीक काम करनेवालों के चरित्र का ध्यान रखकर निकाली जाय, २-बहुल धन और बुद्धि का संयोजन किया जाय फिर सुधरे यत्र लाय जायें जा लोगों की आर्थिक और धार्मिक शाक्त कबाहर न हों, ३-सहकारिता या सामूहिकता का नाम म परिवार क अलग अस्तित्व और उसका अलग निर्भरता का जपेक्षा न की जाय। ४-निर्भरता हर परिवार को अलग रहे लेकिन सामूहिक निर्णय और परस्पर-सहकार की परिधि बढ़ाने की मुनियोजित कोशिश हो।

वाचक इसके कि लादी में अन्तर का अवतार हुआ है यह मानना पड़ेगा कि यत्र या पद्धति के विकास में सध्याओं की ओर से नहीं के बराबर काम हुआ है। इसके कई कारण हैं इतलिद गावदयक है कि हर संस्था अपनी एक खोज, प्रयोग और शोध यूनिट (रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन यूनिट)



काम करे जो गांव के समग्र विकास की दृष्टि से शोध और चिंतन का काम करे।

२०—हम चाहे जो कार्य करना चाहें, कर्ता हमारे पूरे कार्यक्रम का प्राण है। शायद हा काइ एसो सस्था हो जा इस बात का दावा कर कि सामान्यत जैसे जैसे सेवा की अवधि वाताता है उसक कायकता आ का वो दक, टेकनिकल और चारित्रिक विकास होता जाता है। अधिकांश कार्यकता समय क साथ पाछ खिसकत हैं, और नय लोगों मे पाछ खिसकने का गति आधरु तज है। यो ता पूरे दश मे चरित्र का सकट (क्राइसिस आब कैरेक्टर) है लेकिन जा सस्थाए बड़े विचार क साथ जुड़ा हुई है उनका भी नैतिक बल (मारल रेजिडेंस) दिनोदिन घटता जाय तो कैस माना जाय कि उसके द्वारा कोई सामाजिक शक्त प्रकट होगा। कोइ भी व्यक्ति या समुदाय हो, जब तक विरोधा शक्ति के प्रहार और प्रलोभन के मुकाबिले उसमें 'प्रह्लाद शक्ति' नहीं विकसित होगा उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। क्या हम प्रहारों को बढ़ास्त करने और प्रलोभनों को पी जाने का शक्ति तन्त्रों से खोंते नहीं जा रहे हैं ?

२१ इस हास के कारण अनेक हैं लेकिन मुख्य ये मान्दम होते हैं —

१ आर्थिक अभाव और अरक्षा (इकोनामिक घाट एंड इन्सक्योरिटी) अपना इच्छाए ऊँची, परि वीर का शोष बढ़ा और कमाइ छोटा-तगियों क बाच रहने वाले याकत क मनोबल का सामा हाता है। एस किन्ते हैं जो अभाव का अनुभव करते हुए भा मन को अभाव के प्रभाव स बचा सकें ? कहावत है अभाव स स्वभाव नष्ट होता है।

२ काम और जावन का विसंगत तादा की आज की स्थिति है। उसमे एक तरफ अपेक्षा यह है कि कार्यकर्ता (पक्का ट्रेयन बनकर) मुनाफा कमाय, दूसरा तरफ अपेक्षा यह है कि गांधी और विनोबा क मान में यह अपने को ब्रातिकारा महसूस करे और समर्पण का जीवन बिताये। इन दोनों अपेक्षाओं क विरुद्ध स्वयं उसके मन में आकांक्षा है पीसे से प्राप्त होनेवाले सुख और सामाजिक सुरक्षा भोगने की।

फरवरी, '६३ ]

इस जबरदस्त विसंगति में कोई आश्चर्य नहीं कि औसत कार्यकर्ता पतन और प्रमाद का शिकार होता जा रहा है।

३ देश के जीवन में आदर्श का पूर्ण अभाव-चरित्र हमेशा किसी आदर्श के सर्द्ध में ऊँचा उठता है शून्य में चरित्र का विकास नहीं होता। गुलामी में स्वतंत्रता का आदर्श या स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में 'साम्य' की केवल चर्चा शुरू हुई है यह भावना या आदर्श नहीं बना है। एसा हालत में किस चाज क किए त्याग और समर्पण हो ? कार्यकता देखता है कि सस्था स्वयं स्वावलंबन को बात कहता है लेकिन स कारा सहायता पर खड़ी होती है न कि अपने पुरुषार्थ पर तो क्या आश्चर्य कि उसमे ऊँचे मूल्यों के प्रति अनास्था पैदा हो ? क्या 'सन्धिडी' और पुरुषार्थ में विरोध नहीं है ?

४—सस्थाओं में मुख्य व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं के बीच भाई-चारे (कामरेडशिप) का अभाव-अधिकारवाद (अथारिटेरियानिज्म) या पितृवाद (पेटर्नेलिज्म) क वातावरण में विचार में आस्था और व्यक्ति में श्रद्धा दोनों की समाप्ति हो जाती है। अगर 'अधिकारवाद' और पितृवाद' न होता तो सस्थाओं में यह चिंता होती कि उसक सदस्यों की बुद्धि और कार्यधमता बढे और अमानतदारी (ट्रस्टी शिप) की प्रवृत्त जगे लोकरुन बड़ों की ओर से ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं होता। जिस समाज या सस्था में नेतृत्व का सकट (क्राइसिस आर लीडर शिप) हांता है उसमें दूसरे सकटों का पैदा होना अनिवार्य है। स्वभावत अपना देय जा न हर तरह के सकट का अनुभव कर रहा है।

५ इन चारों तलों की इतिहास का इस भूमिका में देयना चाहिए कि स्वयं इतिहास व्यापारिक सेना सस्था (कमर्शियल चैरिटेबल इन्स्टिट्यूशन) क विरुद्ध है। लोक-कल्याणकारी राज्य (वेल फअर स्टेट) का स्थापना क बाद और पूँजावादा अर्थनाति में किंसा सवासस्था क लिए जो पूँजापतियों की कृपा और कल्याणकारा राज्य का सहायता से व्यापार करना चाहे, स्थान होता ही नहीं। एसा परिस्थिति

[ २३१ ]

में तीन ही तरह को 'स्वतंत्र' प्रवृत्तियाँ चल सकती हैं—  
 विशुद्ध सेवा की, लोक शिक्षण की, बग़ावत की।  
 लोकतंत्र में बग़ावत भी लोक शिक्षण की ही एक प्रक्रिया  
 बन जाती है। ऐसी ऐतिहासिक प्रतिकूलता में हमें  
 अपना स्वधर्म फिर स्थिर करना चाहिए। मुझे लगता  
 है कि हमारा स्वधर्म सेवा और शिक्षण से भिन्न कुछ  
 दूसरा है नहीं।

२२ अगर ये बातें किसी अंश में सही हों तो अब  
 हमें सोचना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता उत्पादक  
 (प्रोड्यूसर) और साथी (फ़ैमरेड) कैसे बनेगा  
 और उसका काम उसके गुणात्मक विकास का माध्यम  
 कैसे बनेगा। क्या हम यह सोच सकते हैं कि प्रारंभिक  
 मजिल का रूप में हम अपने जिले के लिए ये लक्ष्य  
 स्थिर करें ?

१ जिन गाँवों से हमारा काम का संबन्ध है  
 उनमें से हर गाँव में एक मित्र और उन मित्रों में से

ग्राम-स्वराज्य के पांच सौ 'ग्रामस्वराज्य-तैयार' तैयार  
 किये जाय। (नाम कुछ दूसरा भी हो सकता है)

२ जिले में ग्राम स्वराज्य के अंतर्गत पाँची  
 ग्रामोद्योग के विकास के लिए अपनी पूजा इकट्ठा  
 की जाय।

३ एक सौ कार्यकर्ताओं का पूर्ण रूप से ट्रेड  
 और अभ्यस्त 'टैक्निकल कोर' तैयार हो। खेतों,  
 ग्रामाण इजानियरिंग, आहार और स्वास्थ्य, मकान  
 निर्माण, खादी ग्रामोद्योग, कृषि और संस्कृति व्य  
 वस्था, सहकारिता और संगठन-ग्रामाण जीवन के  
 इन सार्वोपदेशों के लिए एक एक टोली बने और  
 संस्था उन्हें प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी ले।

४ प्रारंभिक अनुभव और अभ्यास के लिए जिले  
 के एक या दो सघन क्षेत्र चुने जाय।

लोकतंत्र की भूमिका में पाँच-ग्रामोद्योग के कई  
 दूसरे पहलू हैं जो अलग चिंतन के विषय हैं।

### [ पृष्ठ २४० का शेषांश ]

ये सभी विद्यालय बहुमुखी प्रशिक्षण देते हैं।  
 यह के शिक्षक छात्रों को केवल ज्ञान देने में ही अपने  
 कर्तव्य की दृष्टि नहीं मानते अपितु अपने विद्या  
 र्थियों को व्यावहारिक क्षेत्र में भी निपुण बनाने  
 का प्रयास करते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि वे  
 छात्रों को स्वतंत्र तथा योग्य नवयुवक बनाना चाहते  
 हैं जिससे वे अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार  
 समझ सकें। इसके लिए कमी कमी शिक्षक और  
 विद्यार्थी एक ही विषय का साथ-साथ अध्ययन करते  
 हैं। कमी-कमी छोटे-छोटे समुदायों में भी कार्य करते  
 हैं। समुदाय स्नातकों तथा शिक्षकों के होते हैं। कमी  
 कमी देखा भी होता है कि यह समुदाय केवल शिक्षकों  
 के ही हों और कमी केवल विद्यार्थियों के ही हों।  
 कमी शिक्षक और छात्र साथ-साथ धूमने भी जाते हैं  
 और गाँवके घरों में ठहरते भी हैं। एक स्थान के

बच्चे तथा परिवार दूसरे स्थान के बच्चों तथा परिवारों  
 में जाते रहते हैं।

नाजी शासन के समय शिक्षा केंद्रीय विषय था।  
 नाजी सरकार ने स्कूलों की भी नाजी प्रचार का एक  
 केंद्र विद्युत बना लिया था। इस कारण युद्धोत्तर जर्मनी  
 में शिक्षा राज्य का विभाग हो गया। सभी राज्यों के  
 शिक्षा मंत्री तथा दूसरे अधिकारी समलों में तथा  
 अन्य प्रकारों से एक-दूसरे से मिलते हैं तथा विचारों  
 का आदान प्रदान करते हैं। इससे शिक्षा का स्तर  
 स्थिर रखने में योग्य मिलता है।

खुले में जर्मनी में शिक्षा का व्यवस्था, शिक्षा  
 प्रणाली तथा शिक्षा के प्रकारों को रूप देना यहाँ  
 प्रसृत की गयी है। इतने विवेचन से जर्मनी की  
 शिक्षा प्रणाली समझने में सहायता अवश्य मिलेगी।

## शारदा-स्तुति

श्री काशिनाथ त्रिवेदी

श्लोक :—या कुन्देन्दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता  
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना  
या त्रयान्द्युतशंकरप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता  
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥

अर्थ :—चौ कुन्द, चन्द्र या यरफ के हार के समान गौरवर्ण है, जिसने सफेद वस्त्र पहने हैं, जिसके हाथ वीणा के सुन्दर दण्ड से सुशोभित है, जो सफेद कमल पर बैठी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देव सदा जिसकी स्तुति करते हैं, समस्त अज्ञान और जड़ता का जो नाश करनेवाली है वह देवी सरस्वती मेरी रक्षा करे ।

भाषार्थ :—इस श्लोक से हमें विद्या की, ज्ञान-विज्ञान की, अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के, जिसे शारदा भी कहा जाता है, स्वरूप का पता चलता है । इस देश में विद्या की उपासना एक विशेष निष्ठा के साथ की गयी है । उसके पीछे हमारा अपना एक जीवन-दर्शन रहा है । इसी लिए हमारे यहाँ विद्या को मुक्ति का वाहन माना गया है और उसे अमरता के साथ जोड़ा गया है, कहते हैं—सा विद्या या विमुच्यते अर्थात् विद्या है जो मनुष्य को मुक्त करे । विद्या की उपासना किस लिए आवश्यक है इसकी चर्चा करते हुए हमें अपने पूर्वजों ने यह सिखाया है कि विद्यया अमृतं अस्तुते यानी विद्या के सहारे अमरता की प्राप्ति होती है । जो विद्या पढ़कर मुक्त नहीं हुआ और जिसने जीवन में अमरता की साधना नहीं की उसकी विद्या निष्फल रही, यही माना जाता था । इस कसौटी पर जो खरे करवरी, '६३ ]

उतरते थे वे ही सच्चे विद्वान, ज्ञानी या विश्वानी कहलाते थे । उन दिनों विद्या केवल पेट भरने के लिए नहीं पढ़ी जाती थी । वह उसका लक्ष्य नहीं था । पेट तो सब का भरता था पर विद्या केवल पेट के लिए नहीं थी । उसका मुख्य उद्देश्य था मुक्ति अथवा अमरता । मुक्ति से मतलब मोक्ष या शरीर से छुटकारे का नहीं, पर प्रत्यक्ष जीवन में, रोज-रोज के काम-काज, विचार-व्यवहार, लेन-देन आदि में नाना प्रकार की बुराइयों से बचने का निर्दोष, निष्पाप, निष्कलक और निर्मल जीवन बिताने की शक्ति प्राप्त करने का रहा । जिसने विद्या पढ़कर जीवन को सब प्रकार-की बुराइयों से बचाने की कला सीख ली, इस दिशा में जिसकी निष्ठा बढ़ ही गयी वह मुक्त बन गया । उसके पास न भय फटकता है, न स्वार्थ, न लोभ और न किसी प्रकार की हीनता, हीनता अथवा पामरता ही उसे हू पाती है । वह इन सबसे कौंधों दूर रह कर शुद्ध, पवित्र और निर्मल जीवन बिताने की शक्तिवाला बन जाता है । गुण-उपासना उसके जीवन का एक छंद, एक धुन बन बैठती है । इस अर्थ में वह दोषों, पापों, दुर्गुणों, दुर्वाचारों आदि से मुक्त होता है और यह मुक्ति ही आगे उसके लिए अमरता का पथ खोल देती है । विद्या की ऐसी महिमा हमने मानी, जानी

है। इसी विद्या की जो अधिष्ठात्री देयी है, जिसे हमने सरस्वती और शारदा कहा है, उसका रूप-रूप की जो सुन्दर और सुगानों चर्चा इस दशोक में की गयी है अब हम उस पर थोड़ा विचार करें।

इस दशोक की पहली पंक्ति में सरस्वती के रूप का वर्णन है। कहते हैं उसका रूप कुन्द की तरह गोरा है, पुनों के चांद की तरह गोरा है, यर्ष के हार की तरह गोरा है। मतलब यह कि सृष्टि में जो गोरी सी गोरी चीजें पायी जाती हैं सरस्वती उनसे कम गोरी नहीं है। जैसे उसका रंग गोरा है जैसे ही उसके बन्ध भी गोरे हैं। वह सदा श्वेत अर्थात् सफेद वस्त्र ही पहनती है। उसके शरीर पर रंगीन वस्त्र कभी रहता नहीं। वह पैठनी भी है तो सफेद कमल पर ही पैठती है। पाउ या नीला कमल उसे पसंद नहीं। उसका रूप गोरा, उसके कपड़े गोरे, उसका वाहन गोरा। उसके आस-पास कालापन कहीं दिखता नहीं। वह कालेपन के पास कभी जाती नहीं, कभी उसे चाहती नहीं। उसके जीवन की सबसे बड़ी निम्निति है उसकी गौरवा, शुभ्रता, निर्मलता।

फिर कहते हैं कि उसके हाथ में वीणा का सुन्दर दण्ड सुशोभित है। हमारी सरस्वती गहनों, आभूषणों, अलंकारों आदि का शौकान नहीं। रत्नाकरों से, सोने चांदी की माया से वह सदा ही दूर रहती है। उसकी प्रति तो वीणा से है। वीणा हमारे देश का एक उच्चम वाद्य है। जैसे पूर्ण में कमल सबसे श्रेष्ठ है, वैस ही वाजों में वीणा सबसे ऊँचा वाजा है। अनेक तारों के योग से बजनेवाला यह वाजा वाजों में अपनी कोई मिसाल नहीं रखता। सरासिवा इसका सबसे बड़ा गुण है। इसका एक एक तार एक दूसरे से मिल कर जिस सगीत की सृष्टि करता है, उसमें अपार मोहक शक्ति होती है। वीणा का नाद किसे मोहित नहीं करता! साय और शिरन से लेकर मनुष्य तक सब उससे मुग्ध हो जाते हैं। सरस्वती में सम्मोहन की यह जो विराट् शक्ति पड़ी है वीणा उसकी प्रतीक है। इसीलिए सरस्वती को हम वीणावादिनी भी कहते हैं। सरासिवा का जो गुण वीणा में प्रकट हुआ है, वह सरस्वती की उपासना करनेवाले मनुष्य में प्रकट

हो और उसका पर बाहर का चारा जीवन सुन्दर, समन्वय, मेल मिश्रण और सरसता समृद्धता में परिपूर्ण हो इसकी अपेक्षा रखी गयी है।  
कहा है कि,

सरसो विपरीतश्चेत्  
सरसत्वं न हीयते  
साश्रया विपरीताश्चेत्  
राक्षसाण्यं चैव लभ्म् ।

जो सरस होता है, मरम्यता का पुत्र होता है वह विरोधी बनकर भी, विपक्ष में जाकर भी कभी अपना सरसता अर्थात् मनुष्यता नहीं छोड़ता पर जो केवल साधर है, जिनमें शिर्ष विद्या पदा है, पर गुणी नहीं, वह जब विरोध पर उतारू होता है वा साश्रया राक्षस ही बन जाता है। हमारे जीवन दर्शन में सरसता और सद्बुद्धता का पितना महत्व है, उतना विद्वता, पाण्डित्य अथवा साधरता का नहीं है। इसीलिए हमने सरस जीवन को ही सदा जीवन माना है और इसी विचार से सरस्वती के हाथों में वीणा का धरदण्ड रीया है। हमारे राम सरसता के जीर हमारा रागण सागरता का प्रताक है। दोनों में जो अन्तर है वह स्पष्ट है।

इस दशोक के रचयिता का अपना यह दृढ़ विचार है कि 'ब्रह्मा' 'विष्णु' 'महेश्वर' आदि चार देवता सरस्वती की उपासना अग्रगण्य रूप से करत ही रहते हैं। सरस्वती को अपनी खण्डित उपासना पसंद नहीं। जन्म की घड़ी से लेकर मृत्यु का घड़ी तक जिसका जीवन सरस्वती की उपासना में बीता वहाँ सरस्वती का सच्चा और अमर उपासक बना। मतलब यह कि मनुष्य सरस्वती की उपासना को १०, १५, २०, वर्षों तक सीमित नहीं कर सकता। ८१० साल पढ़ लिये और फिर पढ़ना छोड़ दिया। अपने देश में हमने इसे सरस्वती की उपासना की रीति नहीं माना। इसीलिए श्लोक में 'सदा वदिता' शब्द आये हैं। ज्ञान विज्ञान की उपासना, विद्या का अध्ययन, अनुशीलन नित्य की वस्तु है और जीवन के अन्तिम ध्येय तक उसका क्रम टूटना नहीं चाहिए। यही हमारी परंपरा रहा है, लेकिन आजका हमारा दग इससे बिल्कुल भिन्न है।

चौथी, छठी, दसवीं, बारहवीं, चौदहवीं या सोलहवीं पढ़कर हम पढ़ाई से अर्थात् विद्या की उपासना से छुट्टी ले लेते हैं। हमारे लोक-जीवन का यह एक बड़ा दोष आज हमें नाना प्रकार से कमजोर किये जा रहा है। श्लोककार चाहता है, सुझाता है कि सरस्वती की आराधना-उपासना तो सदा ही चलती रहनी चाहिए।

फिर कहा है कि उपासना का अधिकारी कौन ? उपासना किसे किसे करनी है ? तो कहते हैं ब्रह्मा को करनी है, विष्णु को करनी है और शक्रर आदि देवताओं को करनी है। ये ब्रह्मा, विष्णु और शक्रर कौन हैं ? मनुष्य समाज में ये कहा पाये जाते हैं ? जहां मनुष्य रचना, निर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है वहां वहां ब्रह्मा का प्रतिनिधि है, स्वयं ब्रह्मा बन कर काम कर रहा है। ब्रह्मा के लिए यह जरूरी है कि वह सरस्वती की उपासना सदा करे। हमारे किसान, मजदूर, बर्दई, कुम्हार, मोची, तेली, सुनार, दरजी ये सारे समाज के ब्रह्मा हैं, सृष्टि कर्ता है, निर्माता हैं, विधाता हैं। कच्चे को पकना बनाने की कला इनके हाथ में है। यदि वे सरस्वती के उपासक नहीं हुए तो इनके जीवन का सारा धैम्य छुप्त समक्षिण-जैसे आज वह छुप्त प्राय दीख रहा है। तो जीवन की यह पहली शर्त है कि जो पैदा करनेवाला है वह सरस्वती का उपासक हो, वह विद्वान हो, विचक्षण हो, आज की तरह गवार, अनाडा, और जड़ न हो। यदि से स्र ब्रह्मा हैं तो फिर समाज में विष्णु कौन है ?

हमने अपने देश में विष्णु को पालन करनेवाला माना है। ब्रह्मा की बनायी हुई चराचर सृष्टि का पालन करने में जिसका क्षण क्षण सातता है उसे हम अपने यहाँ विष्णु के रूप में पूजते हैं। जो गृहस्थ है, बाल बच्चेदार है, नागरिक है वही हमारा विष्णु है। इस विष्णु के लिए भा यह जरूरी माना गया है कि वह अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक सरस्वती की उपासना में लगे रहे। भगवान का सृष्टि में मनुष्य ही एक प्राणी है जिसे जीते जी एक ही जीवन में ब्रह्मा, विष्णु और भ्रदेश तीनों के काम करने होने हैं। जब मनुष्य पैदा करने के काम में लगता है तो यह ब्रह्मा की गादी सहालता है, वही जब अपनी पैदा की हुई

सृष्टि की सार-सम्हाल के, पालन-पोषण-सम्बर्धन के काम में लगता है, तो उसकी बैठक विष्णु की बन जाती है और जब अपनी पाली-पोसी चीज उसके काम में नहीं रहती तो मनुष्य शक्रर बन कर उसे ठिकाने लगा देता है। पंच-तत्त्व से निकली चीज की वापस पंच-तत्त्वों के हवाले कर देता है। तो जो गृहस्थ है यानी विष्णु है और सेवक है यानी शक्रर है, मगी, चमार, नाई, घोषी आदि काम करता है उसके लिए भी सरस्वती की आराधना आवश्यक मानी गयी है। समाज के जो जो अग समाज की सेवा में, उसके योग-क्षेम में लगे हैं वे सब समाज के लिए देवता स्वरूप हैं और उन सनका यह धर्म है और कर्तव्य है कि अपने अपने कामों को अच्छी तरह करने के लिए वे ज्ञान विज्ञान की उपासना दिन रात करते रहे। बिना इसके वे अपने-अपने धर्मों का सही पालन कर नहीं सकते। सैकड़ों साल पहले इस देश में जिस समाज व्यवस्था का विकास हुआ था, उसका स्वरूप सकेत हमें इग्रेक की इस तीसरी पक्ति से मिलता है। धीरे-धीरे के जमाने में यह सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गयी। इसका दुःपद परिणाम आज हमारे सामने है कि न हमारा 'ब्रह्मा' सरस्वती का उपासक रह गया है और न हमारे 'विष्णु' तथा 'शक्रर' ही सरस्वती की उपासना करने में मानते हैं। आज के हमारे समाज में अज्ञान और अन्ध-विश्वास का जो गहरा अंधेरा छाया हुआ है उसका मूल कारण यही है कि समाज ने परिस्थितियों के फेर में पढ़कर सच्ची विद्या से, सरस्वती की शुद्ध उपासना से मुह मोड़ लिया है। परिणाम यह हुआ कि सारा समाज अटूट जड़ता का शिकार बन गया। आज देश को इस जड़ता से मुक्त करने का विशेष आनश्य फता है। जब तक यह बुनियादी काम नहीं हागा और शुद्ध रूप में वास्तविक गति से नहीं हागा तब तक समरगाए बनीं रहेंगा।

श्लोक के अंत में भगवती सरस्वती से प्रार्थना की गयी है कि वह अपने उपासक की रक्षा करे और उसके जीवन की सारी जड़ता को जड़-मूल से मिटा दे। इस पक्ति से हमें यह आश्वासन मिलता है कि जो जीवन में ज्ञान विज्ञान की, विद्या की अथवा कल्प-

कौशल को सही-सही उठावना, आराधना करेगा वह सब प्रकार की जड़ता से, अनाड़ीपन से, नासमसी, नालायकी और नाकामी से बच जायेगा और अपने को हर तरह से निर्मल, निष्पाप तथा निष्कलंक बना सकेगा। इसीलिए एडोके के आरम्भ में सरस्वती का स्वरूप गोरा बनाया है। जिसने विद्या पढ़ी है, ज्ञान-विज्ञान सीखा है, कला-कौशल में जो प्रयोग हुआ है उसका सारा जीवन शुभ अर्थात् वेदांग बनना चाहिए उसमें किसी प्रकार के दोष या दुराचार के लिए गुजा-इश नहीं रहनी चाहिए। यह हमारी असली कसौटी रही है और इस कसौटी को अपने सामने रखकर हमने किसी जमाने में इस देश में शिक्षा की और ज्ञान-विज्ञान को उपासना की थी। किंतु यह कसौटी हमसे छिन गयी है। हमने इसे अपने हाथ में रखने की चिंता ही नहीं की। स्वतंत्र भारत के कर्णधारों ने भी कभी शान्त-स्वस्थ भाव से इस कसौटी के बारे में गहराई से नहीं सोचा अगर सोचा होता तो आज इस देश में प्राथमिक शाला से लेकर विश्व-विद्यालय तक जो शिक्षा उस का रूप कुछ और ही हुआ होता।

आज देश को चरित्रवान नागरिकों की आवश्यक-

कता है। आज देश में राष्ट्रीय एकरा की मूर्त है। आज देश को जरूरत है कि उसका एक-एक नागरिक समर्थ बने। परन्तु देश में शिक्षा की जो गड़बड़ व्यवस्था प्रचलित है उसके कारण समाज को गड़बड़ नागरिक ही मिल रहे हैं; समर्थ और शुद्ध-चरित्र नागरिक इने-गिने ही मिल पाते हैं और जो मिल पाते हैं वे वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था के मात्राजुद ही मिलते हैं। आज जीवन में संवादिता रह नहीं गयी है; शील सस्कार, सरसता, सहृदयता आदि का भारी अभाव पाया जाता है। जिस देश में जीवन-भर सरस्वती की उपासना करने का वातावरण था, परंपरा थी वहां आज करोड़ों बालक और करोड़ों स्त्री-पुरुष ऐसे हैं जिनके जीवन से ज्ञान-विज्ञान कोसों दूर पड़े है। जड़ता का तो पार ही नहीं है, जो शिक्षित कहे जाते हैं वे अधिष्ठित से भी अधिक जड़ बनते जा रहे हैं। मनुष्यता मुरझा रही है, उसके पोषण के द्वार बंद हो रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में इस श्लोक के अर्थ का चिंतन हमें निश्चय ही एक प्रकाश देता है। काश हम इसे समझें और इससे प्रेरणा लेकर नियमित नितनये उत्साह के साथ ज्ञान-विज्ञान-युक्त मानवता की उपासना में रत रह सकें

★

[ चोप पृष्ठ २४८ का शेषांश ]

अन्त में धीरेन भाई का मारण हुआ। उन्होंने गाँववालों का ध्यान देना की स्थायी एवं तात्कालिक समस्याओं की थोर लींचा और अन्त में बताया कि ग्रामभारती ही इन सभी रोगों का निवारण करने में समर्थ है।

गाँववालों की तरफ से डाक्टर साहय तथा शुक्ल जी ने धीरेन भाई के मार्गदर्शन में ग्रामभारती की सफल बनाने का अपना संकल्प पुनः दोहराया। शुक्ल जी ने बताया कि हमारे गाँव में पहले केवल सात मास तक खाने भर को अन्न पैदा होता था पर अब ग्रामभारती के मार्गदर्शन में काम करने पर हमें साल भर के लिए पर्याप्त अन्न होने लगा है। ग्रामभारती के आदर्श क्षेत्र की खेती की सभी आगन्तुकों तथा बक्ताओं ने सराहना की।

एक ग्रामीण ने बताया कि गर्मी के दिनों में बरन-पुर गाँव के कुएँ सूख जाते थे। डेढ़ मील दूर से उन्हें पानी लाना पड़ता था। जब दादा धीरेन भाई ने कहा कि तुम लोग तालाब बनाओ और कुएँ में पानी साल भर रहेगा तब ग्रामीणों को विश्वास तो नहीं हुआ, परन्तु उनके कहने से हमसोपों ने श्रमदान द्वारा यह तालाब तैयार किया और अब हमें बारहों मास अपने कुओं में पर्याप्त पानी मिलता है।

इस प्रकार एक परिवारिक वातावरण में इस गोष्ठी की चर्चा तीन दिनों तक चली। फिर सभी साथी ३० गाँवों के क्षेत्र में अन्न-समृद्ध के निमित्त से जन संपर्क एवं विचार प्रचार के लिए निकल पड़े।

विजय बहादुर भाई

## पश्चिमी जर्मनी में स्कूली शिक्षा

डा० तारकेश्वर प्रसाद सिंह, पी एच. डी (पौन)

स्कूली शिक्षा-पद्धति का आरम्भ पश्चिमी जर्मनी में लगभग ११०० वर्ष पूर्व हुआ था। अनेक-जर्मन राज्यों ने अपने यहाँ स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उसे अनिवार्य कर दिया। १९ वीं शताब्दी में इस शिक्षा का चरम विकास दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि उस समय विद्यापन उस शताब्दी के मध्य में पूरे जर्मनी में यह शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी। कलात्मक तथा प्रारम्भिक शिक्षा यहाँ बहुत पहले से निःशुल्क है। इस समय ग्रामर (स्कूल एक उच्च प्रकार का विद्यालय) तथा हाई स्कूल (उच्च शिक्षा विद्यालयों) में भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इन शिक्षा-योजनाओं की एक मौलिक विशेषता यह है कि इस शिक्षा के ग्रहण करने में जिन साधन सामग्रियों की आवश्यकता होता है उनका प्रबन्ध राज्य की ओर से है। इस कारण शिक्षार्थियों को अर्थभाव के कारण पैदा होनेवाली बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। पूरा एकाग्रता के साथ अपने अध्ययन में सारा समय लगा सकते हैं।

यहाँ की शिक्षा प्रणाली भी सुन्दर है। स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ३ से ६ वर्ष तक के बच्चे बच्चियाँ किंडरगार्टन खेल खिलौने आदि के द्वारा बच्चों को शिक्षा देनेवाले विद्यालय जा सकते हैं। इससे बच्चों के अध्ययन में सुविधा हाता है। ३ से ६ वर्ष की आयु इतनी छोटी आयु होता है कि इस समय बच्चे स्वभावतः खेल खिलौने में अधिक अनुरक्त रहते हैं। इस कारण खेल खिलौने के माध्यम से शिक्षा देने से बच्चे उसे बिना कठिनाई के ग्रहण ही ग्रहण कर लेते हैं। यह किंडरगार्टन सस्थाओं, गिरजाघरों,

कल्याणकारी समितियों तथा जनता में प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं। इस प्रकार के विद्यालयों में ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि बच्चे स्वयं खेलें। उससे उनके भावी निर्माण तथा विकास में बड़ा योग मिलता है। बच्चों को उनकी आयु के अनुसार खेल के विभिन्न साधनों से शिक्षा दी जाता है कि उनका व्यक्तित्व उनके परिवार तक ही सीमित नहीं है, अपितु वे एक समुदाय के सदस्य हैं। उस प्रकार का व्यवस्था से बच्चों का ऐसा विकास होता है कि उनकी प्रतिभा सीमित न हो कर बहुमुखी हो जाता है। सब से बड़ा लाभ यह हाता है कि वे घारे घारे अपना आयु के साथ विकास कर पाते हैं। अचानक विकास जाने पर उतना अच्छा नहीं होता बितना अवस्था के अनुसार घारे घारे विकसित होना। किंडरगार्टन उस उत्तरदायित्व को पूरा करता है।

उन किंडरगार्टन विद्या कर्तों का अपना विशिष्ट मौलिकता है। यह जानना नहीं कि समा बच्चे ७ वर्ष की आयु में स्कूली शिक्षण ग्रहण करने के लिए योग्य प्रतिभा का विकास कर लें। पर किंडरगार्टन में जाने से समा बच्चे ७ वर्ष में स्कूली शिक्षा ग्रहण करने की प्रतिभा विकसित कर लेते हैं। और ६ वर्ष का आयु तक किंडरगार्टन विद्या केन्द्र बालकों को स्कूली शिक्षा के योग्य बनाते हैं और बालकों को स्कूली शिक्षा के अनुरूप प्रौढ़ता उपयुक्त विद्यालयों से आता है। स्कूली शिक्षा में प्रवेश पाने का शक्ति आये उसक लिए यह विद्या-केन्द्र बच्चों को खेल में भाग लेने के लिए उत्साहित करते हैं।

पश्चिमी जर्मनी में कुछ ऐसे भी विशेष विद्या-  
केन्द्र हैं जहाँ पर किण्डरगार्टन की शिक्षिकाओं का  
दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है ।

जब बालक ६ वर्ष का होता है तो अनिवार्य  
शिक्षा प्रारम्भ होती है । १८ वर्ष की आयु में यह  
अनिवार्य शिक्षा समाप्त होती है । प्रारम्भिक विद्यालयों  
में स्कूली शिक्षा ८ या ९ वर्षों तक चलती है ।  
उसके उपरांत बोकेसनल (स्कूल-व्यापार, व्यवसाय  
इत्यादि का शिक्षण देनेवाला विद्यालय) में तीन वर्ष  
की शिक्षा होती है । व्यापार, व्यवसाय आदि का  
प्रशिक्षण देनेवाले विद्यालय कुछ निर्धारित समय तक  
अपना प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं । प्रारम्भिक  
विद्यालयों में बच्चे तथा बच्चियाँ एक-साथ शिक्षा  
पाते हैं । कुछ वर्षों के उपरांत यह सह शिक्षा समाप्त  
होती है और बच्चे बच्चियाँ अलग अलग विद्यालयों  
में शिक्षा प्राप्त करते हैं । उससे उनकी भावनाएँ परि-  
ष्कृत रहती हैं और वे बिना किसी मानसिक उद्वेग  
के शिक्षा प्राप्त करते हैं ।

प्रारम्भिक स्कूलों में लड़कें तथा लड़कियाँ एक-  
साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं । यहाँ चार वर्षों तक बच्चे  
शिक्षा प्राप्त करते हैं । इन चार वर्षों में वे विद्यालय  
बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण देते हैं कि उनकी प्रतिभा  
तथा गुणों का सर्वतोमुखी विकास होता है । इस निर्धा-  
रित समय में उपयुक्त विद्यालयों के शिक्षक बालकों  
को किसी एक विशेष प्रकार की शिक्षा न देकर समस्त  
आवश्यक विषयों की जानकारी से उन्हें अवगत कराते  
हैं । इससे बालक सभी आवश्यक बातों की ओर एक  
समान रुचि रखते हैं । ऐसा नहीं कि एक ही समस्या  
व समाधान में अपना समस्त शक्ति का हाव कर दें ।  
इससे उनके चिन्तारों की सकृषणता समाप्त होती है  
और उनकी दृष्टिकोण विस्तृत होता है । ठीक विद्या-  
लयों में लिखित शिक्षा के अलावा व्यावहारिक तथा  
रचनात्मक कार्य की जानकारी भी बच्चों को कराने  
का प्रयास किया जाता है । इससे बच्चों को केवल  
सामित शिक्षा का ही ज्ञान नहीं होता, अपितु वे अपने  
किले के विभिन्न पहलुओं-भूगोल, ऐतिहासिक, उत्पादन,  
गणित आदि-को भी जान पाते हैं ।

बालकों के सरदाओं की इच्छा होने पर चौथे  
वर्ष के अंत में बच्चों को अधिक प्रगतिशील  
विद्यालयों में भेजा जा सकता है । यदि बच्चों के सर-  
दाक चौथे वर्ष के अन्त में प्रगतिशील विद्यालय में  
भेजने की अभिलाषा प्रकट न करें तो वह प्रारम्भिक  
स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त करेगा और उसकी स्कूली  
शिक्षा और चार वर्षों के बाद समाप्त हो जायगी ।  
कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ स्कूली शिक्षा समाप्त होने में  
५ वर्षों और लम्बा जाने हैं । आधुनिक ढंग में इन  
प्रारम्भिक विद्यालयों में इन चार वर्षों में बालकों को  
ऐसा शिक्षण दिया जाता है जिससे द्वारा वे वाणिज्य  
या उद्योग में निपुण हो सकें एवं व्यावसायिक जीवन  
को उन्नत करने के लिए आगत कठिनाइयों का सहन  
करने की क्षमता प्राप्त कर अपने भारी जीवन को  
सुग्री कर सकें । ऐसे बच्चों की संख्या पहले ७३ प्रति-  
शत है जो पुनः चार वर्ष प्रारम्भिक स्कूल में ही निताते  
हैं । पहले उनकी संख्या ८० प्रतिशत थी ।

प्रायः जैसा सभी देशों में है उसी प्रकार जर्मनी में  
भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट तथा धर्म निरपेक्ष आदि  
विभिन्न विचारों वाले लोग हैं । जर्मनी में इस विषय  
को लेकर अत्यधिक वाद विवाद हुआ है कि कैथोलिक  
बच्चों की शिक्षा एक अलग स्कूल में हो या सभी  
ईसाई बच्चों की एक साथ हो इसी प्रकार प्रोटेस्टेंट  
बालकों का शिक्षा अलग से हो या दूसरों के साथ हो,  
कि धर्म निरपेक्ष लोगों के बच्चों की पढ़ाई भी अलग  
हो या सब के साथ । इस विवाद का भिन्न भिन्न रायों  
में भिन्न भिन्न प्रणालियों से समाधान किया गया है ।

प्रारम्भिक विद्यालयों में धार्मिक ज्ञान, जर्मन  
भाषा, गणित, पौराणिक कथाओं के बारे में बालकों  
को जानकारी करायी जाती है । इससे बालकों में और  
भी विषयों के ज्ञान की अभिरुचि जाग्रत होती है ।  
प्रारम्भिक आयु में ही धर्म की शिक्षा प्राप्त करने से  
बच्चों को अपने धर्म के प्रति दृढभाविक ही रुचि  
जाग्रत होती है जो उनके जीवन के अन्त तक उसी  
प्रकार रनी रहती है । प्रारम्भिक स्कूल में पाँचवें वर्ष  
से भूगोल, इतिहास, विज्ञान, चित्र-रत्ना, सर्गात तथा  
धारीक व्यायाम की शिक्षा दी जाती है । शारीरिक



व्यायाम से प्रारम्भकाल से ही बालक का शरीर पुष्ट होता है और वह स्वस्थ रहता है। जपनी तथा अपने देश की उन्नति के लिए अधिष्ठ परिश्रम से कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त लड़कियों को सिटाई की भी शिक्षा दी जाती है। इससे वे गृहकार्य में निष्णात रहती हैं। यदि इच्छा हो तो विद्यालय में ५ वें वर्ष से एक विदेशी भाषा भी पढ़ायी जा सकती है। ऐसी व्यवस्था होने से छात्र योद्धी सी आयु में एक विदेशी भाषा के माध्यम से वहाँ की सङ्कृति, समाज आदि का भी अध्ययन करने का सुअवसर पाता है। स्कूल के पाँचवे या ऋषी-कमी सातवें वर्ष से विस्तृत अध्ययन-क्रम प्रारम्भ होता है। यह विद्यालय बालकों को चार वर्षों में उच्च स्तर की शिक्षा देते हैं जिस स्तर की इण्टरमीडियट स्कूल (माध्यमिक विद्यालय) में दी जाती है।

एक प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एड-वान्सड स्कूल (प्रगतिशाल विद्यालय) में प्रवेश लेना हाता है। उन प्रगतिशाल विद्यालयों की शिक्षा-प्रणाली विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की होगी है। प्रार-भिक तथा माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक उन प्रगतिशाल विद्यालयों में होनेवाली परीक्षा को साथ-साथ देते हैं। माध्यमिक (सेकेंडरी) विद्यालयों में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेण्ट की एक साथ शिक्षा दी जाती है।

माध्यमिक विद्यालयों में वैशिक शिक्षा दी जाती है। ६ वर्षों में बड़ा सामान्य ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। उससे छात्रों का सामान्य ज्ञान सबधा जानकारी बढ़ती है। यहाँ शासन, व्यापार, वाणिज्य, गृह-अर्थ-शास्त्र एजोनियरिंग इत्यादि के बारे में स्नातकों को सामान्य ज्ञान प्रदान जाता है। इससे उनका व्यक्तित्व बहुमुखी विकास कर पाता है और सभी प्रकार के विषयों की जानकारी रखने के कारण किसी भी विषय में एकदम अपरिचित नहीं रह जाते। उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान इस कारण भी उन्हें कराया जाता है कि उन विषयों के ज्ञान के लिए एक पृष्ठभूमि बन जाय। इस विद्यालय में समाज-शास्त्र, गणित तथा विज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है। माध्यमिक स्कूलों में प्रथम वर्ष से एक विदेशी

भाषा सीखना अनिवार्य होता है। तीसरे वर्ष में छात्र स्वेच्छा से दूसरी भाषा का भी शिक्षण प्राप्त कर सकता है। ६ वर्षीय माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कुछ राज्यों में तीन-चार वर्षों में ही माध्यमिक शिक्षा समाप्त हो जाती है। यह तभी होता है जब प्रारभिक स्कूल में दो वर्ष की और अधिक शिक्षा मिल चुकी हो। इस प्रकार उन राज्यों में भी स्कूली शिक्षा की अवधि १० वर्ष की होती है। इस समय जर्मनी के १० प्रतिशत छात्र माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

हाइस्कूल को जर्मनी में 'जिम्नाजियम' कहा जाता है। उनमें सामान्यतः अधिक बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार के शिक्षण से उन व्यक्तियों में अधिक योग्यता मिलती है जिन्में अधिक योग्यता की अपेक्षा होती है। इस शिक्षा प्रणाली की अवधि ६ वर्ष की होती है। इस प्रकार के शिक्षण का अत विद्य-विद्यालय की प्रवेश-परीक्षा के साथ होता है। जर्मनी में तीन प्रकार के हाइस्कूल (जिम्नाजियम) होते हैं।

१. उच्च भाषाओं (लैटिन, ग्रीक आदि) के शिक्षा का विद्यालय।

२. आधुनिक भाषाओं का शिक्षण देनेवाले विद्यालय, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच आदि।

३. गणित, विज्ञान का प्रशिक्षण देनेवाले विद्यालय-इन विद्यालयों में उपर्युक्त विषयों के सबध में शिक्षा दी जाती है। जो छात्र प्रारभिक शिक्षा को सफलता पूर्वक समाप्त कर लेते हैं उन्हें ही उन विभिन्न विद्या-केंद्रों में प्रवेश मिलता है। ६ वर्ष के बाद प्रौढ़ता की परीक्षा होती है इसका अभिप्राय यह है कि ६ वर्ष बाद शिक्षक देखते हैं कि छात्रों में आगे की शिक्षा में प्रवेश करने योग्य समुचित प्रौढ़ता अभी आयी है या नहीं। इस प्रकार के विद्यालयों का उद्देश्य बालकों का निर्माण है। इसी लिए इन्हें 'निर्माण करनेवाले विद्यालय' भी कहा जाता है। यह उच्च स्तर का विद्यालय होता है। यहाँ छात्र विद्य-विद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इन विद्यालयों में साध्यकालीन केल में भी शिक्षा देने की व्यवस्था होती है। यह विद्यालय गुणी नव-युवकों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। यहाँ पर

नीन वर्षाय शिक्षा की व्यवस्था है। जो पहले से नौकरी में हैं उन्हें ये विद्यालय इस बात का आश्वासन देते हैं कि वे प्रवेशिका परीक्षा पास करने की तैयारी कर सकें तथा भावी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।

जर्मनी में इन विद्यालयों के अलावा लड़कियों के लिए एक उच्च-स्तरीय हाइस्कूल की व्यवस्था है। इसे नारी उच्च-स्तरीय विद्यालय (अपर स्कूल) कहते हैं। इनमें स्त्रियों के व्यावहारिक जीवन के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इससे नारियों को एक विद्यालय में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का सुन्दर अवकाश मिलता है। कुछ राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त से अर्थशास्त्र के उच्च-स्तरीय विद्यालय हैं। जहाँ छात्रों को व्यवसाय के संबंध में विशेष शिक्षा देकर प्रशिक्षित किया जाता है। उसमें अर्थशास्त्र तथा अन्य सामाजिक नेषाओं के संबंध में छात्रों को ज्ञान कराया जाता है जिससे व्यावसायिक ज्ञान के साथ साथ उन्हें अन्य सामाजिक सेनाओं के ज्ञान से अपनी प्रतिभा के बहुमुखी विकास का योग मिलता है।

जर्मनी के हाइस्कूल अपने स्नातकों से बौद्धिक विकास की आशा तो करते ही हैं, उसके साथ ही वह अपने विद्यार्थियों से यह भी चाहते हैं कि छात्रों में बौद्धिक विकास पाने की तीव्रता हो। यदि छात्र विद्यालय की इच्छानुसार अपेक्षित विकास पूर्णरूपेण नहीं कर पाते तो उन्हें अपना अध्ययन विना पूरा किये ही विद्यालय छोड़ देना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि छात्र विद्यालय के नियम से वाध्य होकर निर्धारित समय में बौद्धिक दम से अपने को निकसित कर लेते हैं। इस प्रणाली से स्नातकों की प्रतिभा प्रसर होती है तथा वे शत्रुओं को प्रहण करते हैं। प्रायः छात्र कुछ व्यावहारिक कार्यों के लिए दसवा वर्ष पूरा करके ही छोड़ देते हैं। दसवा वर्ष पूरा करने पर उन्हें विद्यालय की ओर से इस बात की पुष्टि करते हुए प्रमाणपत्र दिया जाता है कि उन्होंने यहाँ की समस्त शिक्षा को पूरा करके विद्यालय छोड़ा है। इसी प्रमाणपत्र का प्राप्त की आशा में छात्र दसवा वर्ष पूरा करके छोड़ते हैं।

विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तथा कई प्रकार की नौकरियों और पेशे के लिए 'आग्निदुर' (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) आवश्यक हैं। कठने का अतिप्राय यही है कि जर्मनी में कुछ ऐसे ही विद्यालय हैं जहाँ छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने तथा कई प्रकार की नौकरियों तथा व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि यह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आवश्यक नहीं हैं। इस प्रकार इन विद्यालयों की उपयोगिता और अनुपयोगिता को लेकर भी काफी वाद विवाद हुआ है। आज भी इसी कारण जर्मनी में शिक्षा-सुधार के लिए बहुत राद विवाद चल रहा है। इससे यह पूर्णरूपेण स्पष्ट होता है कि जर्मनी शिक्षा-सुधार को और लोगों को नहीं प्रसन्न रहित है। जिस देश में शिक्षा के सुधार पर चल दिया जाता है वहाँ का माया समृद्ध होती है लोगों की समुचित उन्नति और प्रगति भी होती है तथा जनता को अपने बहुमुखी विकास में भी योग मिलता है।

प्रायः प्रत्येक देश में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक दृष्टि से निष्ठुर होते हैं। इसके साथ ही उनमें शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता है। जर्मनी में भी ऐसे व्यक्ति हैं। वहाँ ऐसी के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ पर अंधे, बहरे तथा गूरे व्यक्तियों की शिक्षा के लिए भी विद्यालयों में व्यवस्था है। यहाँ पर अपंगों के बहुमुखी विकास का बहुत ख्याल किया जाता है और अंधों के लिए अलग, बहरो के लिए अलग और गूगों के लिए अलग विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में छात्रावास की भी व्यवस्था है। इन विद्यालयों में ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे उस शिक्षण के माध्यम से ऐसी परिस्थिति हो कि उनका अपने भावी जीवन में विना किसी बाहरी सहायता के काम चल जाय।

बहरो में उपर्युक्त विद्यालयों के अलावा निम्न निम्न स्कूलों का स्थापना होने लगी है। प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूलों के स्थान में इकाई स्कूल स्थापित हो रहे हैं। [घोष पृष्ठ २३२ पर]

# शिक्षण और समाज

ति० न० आश्रेय

सामाजिक संदर्भ में शिक्षा का स्वरूप

पुस्तकों की पढ़ाई और विशिष्ट नियमों की जान कारी देना ही यदि शिक्षा का अंत नहीं है, और यदि हम समान निर्माण में भी शिक्षा का स्थान स्वीकार करते हैं तो शिक्षा के सामने एक विकृत प्रश्न खड़ा होता है। वह यह कि चूँकि समाज परिवर्तनशील है इसलिए शिक्षा को भी अपना स्वरूप बदलत रहना होगा। प्रश्न यह है कि शिक्षा क्या समाज के परिवर्तनों के अनुरूप ढलती जाय अथवा समाज के परिवर्तन का स्वरूप निर्धारित करने का वह साधन बन सकती है या नहीं। क्योंकि पुरानी परंपरा के आधार पर सामाजिक जीवन का सतुलन बनाये रखना एक बात है और समाज का सतुलन बनाये रख कर समाज के जीवन को बदलना बिल्कुल दूसरी बात है। शिक्षा से ये दोनों काम किये जा सकते हैं। आज ससार भर के शिक्षा शास्त्रज्ञ इन दोनों उद्देश्यों को सामने रख कर शिक्षा के स्वरूप के बारे में विचार कर रहे हैं।

जीवन का मूलभूत संपर्क

मानव जीवन का यह एक सत्य है कि उसे प्राचीन और नवीन के संपर्क में से ही गुजरना पड़ता है। उसका अतीत उसे पीछे की ओर खींचता है तो उसका भविष्य उसे आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यह स्थिरता और परिवर्तन के बीच का संपर्क है, परंपरा और सुधार के बीच का संपर्क है। राजनीति में उदार-मतवादी और क्रांतिकारियों के बीच का संपर्क यही है, धर्म में रूढ़िवादियों और सुधार-वादियों के बीच का

संपर्क भी यही है। व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में प्राचीन संस्कारों और नये विकासों के बीच भी यही संपर्क है। समाज का कोई पहलू या कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। समाज का यह भी एक सत्य है कि सफल जीवन जीने के लिए अधिकांश लोगों को एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा तथा समान परंपराओं से जुड़ा हुआ अपना एक क्षेत्र आवश्यक होता है जिसमें वे जैसे-जैसे बढ़ते जाय वैसे-वैसे नयी-नयी परिस्थितियों और नये-नये सबंधों को अपने अनुकूल बनाने का एक ठोस आधार पा सकें।

अतीत का मूल्य

चाहे कितना उन्नत आर विकसित समाज हो उस समाज का जीवन और कार्य तथा यशस्वी हो सकेगा जब कुल परंपराएँ और मान्यताएँ पहले से रूढ़ हो कर चली आयी हों, जिनके कारण लग बड़े परिवर्तनों के बावजूद अपने को 'एक समाज का' समझ सकें और अपना सुरक्षा अनुभव कर सकें। चूँकि जीवन क्रमा स्थिर रहने का नहीं है इसलिए परिवर्तन बराबर आत रहेंगे। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि समाज की बुनियादी परंपराओं के द्वारा उन परिवर्तनों का नियंत्रण भी होता रहे। असल में लाल प्रयत्न करने पर भी कोई देश अपने अतीत को सर्वथा मिटा नहीं सकता। जो देश अपने का अत्यन्त क्रांतिकारी कहते हैं वे भी अपना अतीतकाल पूरा पूरा भुला नहीं पाये हैं। मिछाल के तौर पर रूस में जाट के समय की परंपराएँ आज के स्टैलिन और सुखचेव के

जमाने में भी पूरी मिट नहीं पायी हैं, लोगों की धार्मिक शक्ति पूरी तरह शांत नहीं हो सका है। अधिनायकवादी राष्ट्रों की तुलना में प्रजातंत्रीय देशों में परंपराओं का महत्व अधिष्ठित है। क्यों कि प्रजातंत्रात्मक राज्य-व्यवस्था में व्यक्ति को कई प्रकार का स्वतंत्रताएँ उपलब्ध हैं उसमें लोकजीवन को किसान कड़े केन्द्रीय शासन से नियंत्रित नहीं किया जाता।

दूसरी बात यह भी है कि ये परंपराएँ ही समाज का चारि व और समाज की विघ्ननाएँ हाता हैं।

### सुधार की आवश्यकता

लेकिन क्या परंपरावाद पर्याप्त नहीं होता है। मत पचास वर्षों में मानव-समाज के अंदर भौतिक परिस्थितियों में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया जितना पहले के दो हजार वर्षों में भी नहीं हुआ था। इन भौतिक परिवर्तनों के कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन भी काफी हो गये हैं। इनके कारण हम लकीर के फकार बन कर पुरानी परंपराओं से चिपके रहे तो काम नहीं चलेगा, बल्कि उनका छोड़ना और परिवर्तन करके आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है। अन्यथा समाज का पतन अनिवार्य है।

### शिक्षा से अतीत का रक्षा

शुरू के दिनों में इन परंपराओं को बनाये रखने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योग रहा है। आज के बच्चे कल की प्रीढ़ हैं, इसलिए वे जिस समाज में रहते हैं उस समाज की श्रद्धाओं और विविध दृष्टिकोणों का शिक्षण उन्हें मिलना ही चाहिए ताकि वे उन्हें आगे भी चलाए रख सकें और अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में दे सकें, क्योंकि प्रत्येक समाज चिरकाल तक बना रहना चाहता है—स्थूल रूप से नहीं बल्कि अमुककुछ निर्दिष्ट आदर्शों, मूल्यों, लक्ष्यों और आचार-व्यवहारों का अनुसरण करनेवाली एक सामाजिक इकाई के रूप में। इस फल के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण और अनिच्छित घात माना गया है। खास कर कई कम विकसित और कम-सुसंगठित देशों में जहाँ इसका अच्छा उपयोग किया गया है कि-व्यक्ति-जीवन पर तथा परिवारों पर इसका इतना अवरुद्ध

प्रभाव पड़ा है कि वे उसे टाक नहीं सके। कई राष्ट्रों ने अपने स्कूल कार्यक्रमों को इस दम में संगठित किया कि वे राष्ट्र के परंपरागत जीवन क्रम को बनाये रखने में सहायक हों, इस प्रकार राष्ट्र की एकता बना रहे और नयी पीढ़ी निश्चित रूप से पुराने जीवन क्रम में दीक्षित होती जाय। यह क्रम जन-साधारण व सरस्य और सुगम जीवन के लिए आवश्यक है।

### अतीत का विवेक

यह भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसलिए शालाओं का इस उद्देश्य की पूर्ति की तरफ भी समुचित ध्यान देना होगा। इस के लिए शालाएँ क्या-क्या कर सकती हैं, यह एक स्वतंत्र विषय है, लेकिन संक्षेपमें यहाँ इतना उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि भारत जैसे देश में जिसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है और जिसकी सभ्यता समृद्ध रही है, इतना तो किया ही जा सकता है कि उस पुरानी परंपरा और प्राचीन चारित्र्य के महत्वपूर्ण और सुनिश्चिती मूल्यों का चुन लिया जाय और उतना अंश नयी पीढ़ी को विरासत में दिया जाय। फल मूल्यों, इतिहास और भाषा आदि पदानों के बजाय उन मूल्यों का शिक्षण मा साथ-साथ दिया जा सकता है। अच्छा तो यही हो कि शागर्थों में सामूहिक जीवन की व्यवस्था हो और वहाँ प्रत्यक्ष जीवन के द्वारा उन मूल्यों को बच्चों में प्रतिष्ठित किया जाय। इसके लिए शिक्षकों को इस बात का सदा परकृष्ट होनी चाहिए कि कौन सी परंपराएँ और कौन से चारित्र्य देश को बना सकते हैं और कौन से नहीं, तथा शिक्षकों में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि नयी पीढ़ी को उन परंपराओं और चारित्र्य में डाल दें। किसान भा राष्ट्र की शाला हो, वहाँ निश्चित ही किसी न किसी परंपरा को साकार करने का प्रयत्न चलता ही है। और चूंकि सामान्यतया शालाओं का छात्राव परिवर्तन की ओर नहीं होता है, एक-सी बने रहने की ओर ही होता है इसलिए शिक्षकों के खास प्रयत्न के बिना ही कुछ ऐसे पुरानी परंपराएँ भी रूढ़ हो चली हैं जिनका कोई मतलब नहीं रहता।

## शिक्षा को सृजनशीलता

यद्यपि शिक्षा सञ्चालित और परंपरा को बनाये रखने का अत्यंत प्रभावशाली साधन मानी गयी है और परिवर्तनों को सहज ही आत्मसात् करा देने योग्य साधन के रूप में उसे लोगों ने व्यापक माना है मान्य नहीं किया है, फिर भी शिक्षा में एक जबरदस्त सृजन-शक्ति भी है इसमें सदेह नहीं। आधुनिक शिक्षाशास्त्रियों का निश्चित मत है कि शिक्षा की इस सृजनशक्ति का अधिकाधिक आविर्भाव होना चाहिए और समाज के नव-निर्माण के लिए शिक्षा का उपयोग होना चाहिए।

## शिक्षा का दूसरा कर्तव्य

यद्यपि यह सही है कि शिक्षा में समाज की प्रवृत्ति प्रतिबिंबित होती है और इसलिए शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राचीन परंपराओं को चालू रखती है, फिर भी आज समाज जिस प्रकार और जिस गति से बदलता जा रहा है उसके अनुरूप लोगों में जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह पुरानी शिक्षा प्रणाली से पूरी नहीं हो पा रही है। शिक्षा को लोकतंत्र के सिद्धांतों के अधिक निकट लाने का काम कोई आसान नहीं है, लोकतंत्रीय राष्ट्रों को इसके लिए काफी परिश्रम करना पड़ा है। समाज का आवश्यकताएँ और समाज के लक्ष्य बदलते हैं तो उसके अनुरूप शिक्षा को भी बदलना होगा यह आज सब मानने लगे हैं। शिक्षा शास्त्री यह मानत हैं कि समाज में जब शक्ति और सत्ता का स्थिति होता है तब शिक्षा में समाज प्रतिबिंबित मले हा हा, पर जब समाज में असंतोष और परिवर्तन का स्थिति होता है तब समाज का आवश्यक परिवर्तन करने का साधन शिक्षा को बनना होता है। अमेरिका के एक शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा का अर्थ ही यह किया है कि "संजगतापूर्वक नियंत्रित सामाजिक प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है कि जिससे व्यक्ति तथा समुदाय दोनों का आचार-व्यवहार बदला जाता है।" श्री ज्ञान दूई लिखते हैं कि "शिक्षा के द्वारा समाज अपना स्वतंत्र उद्देश्य स्थापित कर सकता है, अपने ही साधन-स्रोत सगठित कर सकता है और इस प्रकार

अपना रूप स्वयं निर्धारित कर सकता है तथा चाहे जिस प्रकार की अर्थ नीति कायम कर सकता है।"

## नयी अपेक्षा के तीन कारण

इस प्रकार समाज को नयी दिशा देने में तथा नये ढंग का समाज-स्थापित करने में शिक्षा का उपयोग करने की बात सोचने के पीछे तीन कारण हैं : एक कारण यह है कि इससे पहले भी कई देशों में शिक्षा का इस प्रकार उपयोग किया गया है, दूसरा कारण यह है कि हमें अब मानव-स्वभाव के सबंध में पहले से अधिक जानकारी हो गयी है और तिसरा कारण यह कि हम समाज के सबंध में भी पहले से बहुत ज्यादा ज्ञान गये हैं और कुछ बातों में निश्चित रूप में, पर कुछ बातों में तर्क शुद्ध समावना के रूप में समाज के भविष्य की रूपरेखा के बारे में निश्चित राय दे सकते हैं।

## पहला कारण-पिछला अनुभव

भारत में शिक्षा का इस प्रकार उपयोग कभी हुआ होगा ऐसा नहीं दीरता। लेकिन पश्चिम के कई राष्ट्रों में इसका सफल प्रयोग हुआ है। जर्मनी का उदाहरण प्रसिद्ध है। राष्ट्र के संगठन के लिए शिक्षा का महत्व हिटलर ने जान लिया था और फौरन सारे राष्ट्र की शिक्षाप्रणाली में उसने आमूल परिवर्तन कर दिया। उसमें जर्मन जाति का श्रेष्ठता, अपने नेता के प्रति निष्पत्ता का अलावा युद्ध के लयक शरीर-गठन पर बहुत बल दिया गया। वहाँ की क्रांति नयी शिक्षा का ही परिणाम है।

पुराने फ्रांस में स्यार्टा एक राज्य था और वहाँ भी शिक्षा के द्वारा ही राज्य क्रांति हुई।

इस समय भा इनमारु, मिच्छाइन और अमेरिका में यही तरीका काम में लिया जा रहा है जिसका परिणाम काफी सतापजनक रहा है।

## दूसरा कारण-मानव-स्वभाव की जानकारी

आज मनुष्य के विकासक्रम को नियंत्रित करने और दिशा देने की शक्ति हमें प्राप्त हुई है। मनोविज्ञान ने मानव मन की प्रतिक्रियाओं और गतियों का गहरा अध्ययन किया है और शिक्षा-पद्धति का वैज्ञानिक

स्वरूप योजना; में यंत्री सहायता की है। भौतिक विज्ञान ने भी मेट्रियो से लकर न जाने कितने कितने साधन सुग्म बना दिये हैं जा प्रवृत्तितत्वों का अधिक गहराई से जानने का बेचल पल ही नहीं है, बल्कि सदी रूप में काम में लें तो बहुत महत्वपूर्ण और परिणामकारी विद्या-साधन सिद्ध हो सकते हैं। इनसे मनुष्य रचना की गति विधियों को अच्छा तरह समझा जा सकता है और उनको सहाय दिशा में प्रभावित भी किया जा सकता है। इसका यह आशय नहीं कि इन साधनों से मनुष्य के स्वभाव का हम जड़मूल से बदल देंगे, बल्कि प्रत्येक स्त्री पुरुष, युवक-युवती, बच्चा बूढ़ा जिस ढंग से सोचता है, जिस ढंग से व्यवहार करता है, जैसा कुछ अनुभव करता है सब विचारों, व्यवहारों और अनुभवों में अवश्य ही सहायन किया जा सकता है। लोगों को जिस रूप में ढालना चाहें उस प्रकार का आदर्श उनका ध्यान प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें उन आदर्शों के अनुरूप अपने को ढालने को प्रेरित कर सकते हैं। शालाओं में इस प्रकार का प्रयोग करते समय एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जब तक शाला के बाहर के जन-साधारण का समर्थन जैसे आदर्शों के अनुकूल प्राप्त नहीं किया जाता तब तक शाला के अंदर के प्रयोग पूरा सफल नहीं हो पायेंगे। विचारकों का एक वर्ग एसा भी सोचता है कि पूरी कोशिश करने पर यह समभव है कि रूढ़ के बच्चों के जीवन से उनके माता-पिताओं पर अर्थात् जन-साधारण पर भी प्रभाव पड़े और कम से कम इतना तो होगा ही कि जो बच्चे आज इस प्रकार का संस्कार पा रहे हैं वे अपनी अगली पीढ़ी को भी वही संस्कार विरासत में दें। और इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह चिलचिला बढ़ता जाय और आगे चल कर सारा समाज नयी भूमिका को अपनाने के अनुकूल बने।

### तीसरा कारण-समाज विज्ञान का ज्ञान

हमें समाज के बारे में बहुत कुछ मासूम हो गया है। समाज का परिवर्तन किन साधनों से हो सकता है यह भी कुछ कुछ समझ में आया है और एक दो पीढ़ी के बाद समाज का क्या स्वरूप होगा इसका

फलना आज की जा सकती है। जैसे समाज में आज स्त्री पुरुषों का अनुपात क्या है, जिस गर्म में कितने लोग काम करने लायक होंगे, काम के साधन-न्याय कितने हैं, जनसंख्या का समाज की आर्थिक स्थिति पर क्या और किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है, क्या उत्तरे समाहित हैं, उन्हें कैसे ढाला जा सकता है आदि बातें आज हम काफी निश्चयात्मक रूप से सोच सकते हैं। इसका यह भी अर्थ नहीं कि शिक्षक राष्ट्र की पुरानी संस्कृति तथा चारित्र्य से मुह मोड़ लें। राष्ट्र का इतिहास, भूगोल और जातिगत विरासतों में पूरा परिवर्तन न हो जाय तब तक मूल संस्कृति और परंपराएँ बदली नहीं जा सकती हैं। इतना हा सकता है कि राष्ट्र में जो समय-समय पर प्रतिनिधायु होती रहती हैं उनका स्वरूप बदला जा सकता है और उनको सहाय दिशा देकर अधिक मूल्यवान परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

### शिक्षा के दो पहलू

इस प्रकार सामाजिक सदम में शिक्षा के दो (अतीत और अनागत) पहलू हैं। शिक्षा में एक ओर निश्चित रूप से अतात का प्रतिनिध सलकता है तो दूसरी ओर शिक्षा का उपयोग नवीन को अपनाने तथा तदनुकूल परिवर्तन लाने के लिए भी किया जा सकता है। शिक्षा एक ओर परंपरा की रक्षक है तो दूसरी ओर नवीन को सहाय भी है। शालाएँ इन दोनों उद्देश्यवित्त्वों का निर्वाह कैसे कर सकती हैं ?

### एक उपाय-मूल्यों की प्रतिष्ठा

इसके दो उपाय हैं। एक उपाय यह है कि बदलती हुई परिस्थिति के लिए पुराने और नये दोनों प्रकार के कौन कौन से गुण और दख आवश्यक हैं यह समझ कर शाला अपना वातावरण उनके अनुरूप बना ले, स्तर उँचा उठा ले और शिक्षक बार बार स्वर्चाओं और विचारों के द्वारा वैसी आदतें लड़कों में डालते जायें। जैसे बच्चों में जिम्मेदारी की भावना और अभिक्रम बढ़ाकरा सकता है जिसे वे बच्चे रुदिवादी और गवारा समाज के ही अंग बने रहने

## श्रमभारती का विसर्जन

श्री राममूर्ति

( एक )

२१ जनवरी १९६३ को श्रमभारती, खादीग्राम, को संचालन-समिति ने निर्णय कर लिया कि मन्था का विसर्जन कर दिया जाय। इस आशय का प्रस्ताव उस दिन पास हुआ और अब सर्व-सेवा-संघ की प्रथम समिति व सामने स्वीकृति के लिए पेश होगा।

श्रमभारती विसर्जित हुई, विलीन नहीं। अगर ग्राम स्वराज्य संघ, मुंगेर, चाहे तो उसके कार्यकर्ताओं और सामान आदि को ले सकता है। जमीन भी इस्त्रमाल के लिए ले सकता है, उस पर स्वामित्व सब सेवा संघ का ही रहेगा। लेकिन अगर ग्राम-स्वराज्य संघ को इनकी जरूरत न हो तो वह इनकार भी कर सकता है, और तब यह माना जायगा कि श्रमभारती विसर्जित हो कर इतिहास के क्षय में चली गयी।

यह अच्छा हुआ कि विसर्जन का निर्णय श्रमभारती के मन्थापक श्री धीरेनभाई की उपस्थिति में हुआ। श्री ध्वजावधु उम दिन की बैठक के अध्यक्ष थे। श्रमभारती के पुराने सदस्य में श्री पारसभाई थे, श्री रवीन्द्रसिंह भाई थे और मैं था। संचालन समिति के अन्य सदस्यों में श्री रामनारायण बाबू और श्री निर्मल भाई थे। सब सेवा-संघ के प्रधान कार्यालय, वाराणसी, की ओर से श्री दत्तोबा दास्ताने गये थे। ग्राम-स्वराज्य संघ, मुंगेर के चारों पत्रकारों मौजूद थे—मैं अध्यक्ष, रामनारायण बाबू उपाध्यक्ष, निर्मलभाई मंत्री, पारस भाई सहायक। ये चारों श्रमभारती की संचालन समिति के भी सदस्य हैं। ऐसा लग रहा था जैसे एक हाथ से रहा हो, दूसरा से रहा हो।

फरवरी, १९६३ ]

चर्चा और प्रस्ताव पास होने में कुछ दम मिनट से अधिक समय नहीं लगा। शुरू में जब श्रमभारती के मकान बन रहे थे तो धीरेनभाई बराबर कहते थे—'ऐसे मकान मत बनाना जो दस साल से अधिक चले।' मकान अभी टूटे नहीं हैं लेकिन उनकी चेभावनी ठीक निकली।

२१ जनवरी '६३ की शाम को मैंने सामने की पहाड़ियों को देर तक निहारा। खादीग्राम जो अब तक हमारा मायका था आज 'समुराल' बन गया। कल तक की बेटो आज बहू बन गयी। बेटो ने मायके का प्याठ छोड़ा तो समुराल का अधिकार पाया। मैं बराबर सोचता रहा कि मैंने क्या छोड़ा और क्या पाया।

( दो )

श्रमभारती को कम लोग जानते हैं, खादीग्राम को अधिक। यह बहुत कम लोगो को मालूम है कि श्रमभारती का जन्म खादीग्राम में नहीं हुआ था। श्रमभारती उम्र में खादीग्राम से बड़ी है। उसकी स्थापना २५ दिसम्बर १९५१ को सेवाग्राम में हुई थी। खादीग्राम में धीरेनभाई २६ जनवरी १९५३ को पहुँचे थे। विद्युत् शुरू के साधियों में अभी तीन खादीग्राम में मौजूद हैं—श्री मिट्टूभाई, श्री पारसभाई, श्री रवीन्द्रनाथभाई। मैं १० मई १९५४ को घरीक हुआ था।

खादीग्राम में आज से दो साल पहले ही २१ जनवरी १९६१ को जिला खादी प्रामोद्योग संघ, मुंगेर ( अब ग्राम स्वराज्य संघ ) का प्रधान बन्दूक बा चुना था। दा साल तक श्रमभारती और जिला संघ का सह-अस्तित्व

रहा, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया श्रमभारती सिद्ध होती गयी और अन्त में विसर्जन में ही उसने अपनी सिद्धि देखी। बात यह है कि जन्म से ही श्रमभारती सस्था से अग्रिम एक विचार थी। विचार नया-नया परिधान और परिवेश ढँढता है, और एक को छोड़ कर दूसरे में प्रवेश करता है। विचार वहीं एक जगह चिपक कर रह नहीं सकता।

अगर हम में से हर एक से अलग-अलग पत्र जाता तो कई लोग विसर्जन का समर्थन न करते और श्रमभारती के स्वतंत्र अस्तित्व को आवश्यकता और औचित्य बताते। बताते भी हैं। कई ऐसे दाम्भविन्ताक और मित्र हैं जो यह सुन कर कि श्रमभारती अब नहीं रही बड़ा अफसोस प्रकट करते हैं। उन्हें नहीं मान्य है कि उनकी कल्पना को श्रमभारती कई साल पहिले ही समाप्त हो चुकी थी। १९५२ से १९५६ तक श्रमभारती के जीवन का पुँआधार' युग था। इस सस्था न इन गिन पाँच वर्षों में साम्यद पचीस साल का जीवन जीया, बहुत किया, बहुत खोया, बहुत पाया, लेकिन जो कोई भी श्रमभारती के पास आया उसे उसकी तेज आँच जलकर लगे। यह उसकी विशेषता थी। लेकिन १९५७ में जब उसके अधिकांश सदस्य अलग-अलग पदयात्रा में निकल गये और खादीग्राम में मश-नेवा-सय का दफतर चला गया तो श्रमभारती की धारा ने तीखा मोड़ लिया। श्रमभारती कार्यालय प्रधान हो गयी। ३१ दिसम्बर '५७ को पदयात्रा समाप्त हुई और में कई साथियों के साथ खादीग्राम स्थापन आया तो तय हुआ कि शिक्षण का पुराना सिलसिला जो '५७ में टूट गया था '५८ में फिर शुरू कर दिया जाय। शुरू हुआ भी। साथ साथ साथ का कार्यालय भी चलता रहा। व्यवस्था की जिम्मेदारी कार्यालय पर थी और शिक्षण का काम श्रमभारती की पुरानी टीम पर था। काम शुरू हुआ, कुछ दिन जोर जोर के साथ चला, लेकिन अक्टूबर में चालीसगाँव में निधिपुक्ति का निणय लागू होने पर दो सवाल सामने आये—एक, बाहर से सहायता नहीं मिलेगी तो सस्था कैसे चलेगी दो, सस्था में बँठकर कुछ बच्चों को पढायें या समाज में जाकर क्रांति की खोज करें। तय हुआ कि शिक्षण की टोली क्रांति के अगले कदम के लिए निकले।

२४६ ]

जनवरी '५९ में यह टोली निकल गयी। शिक्षण का काम समाप्त हो गया। जो सचमुच 'श्रमभारती' थी यह सस्था से निकल गयी। श्रमभारती का नाम चलता रहा, कार्यालय जारी रहा, खेती होती रही, कुछ उद्योग भी चालू रहे, लेकिन श्रमभारती नाम से जिस तत्त्व का बोध होता था वह नहीं रहा।

१९५७ में गाँव में धूमते धूमते मुझे यह प्रतीति दी गयी थी कि जिस नयी तालीम को बापू ने अपनी सर्वोत्कृष्ट देन कहा और जिसके लिए यह दावा किया कि रचनात्मक कार्य की सब नदियाँ नयी तालीम के समुद्र में बिलीन होती हैं वह नयी तालीम सस्था में बँधी हुई चीज नहीं हो सकती। समुद्र तो समाज है जिसमें सस्था रूपी नदी को मिलना है न कि समुद्र को समिट कर नदी में मिलना है। इस प्रतीति ने मेरे अन्दर बेचैनी तो पैदा की लेकिन सस्था से भिन्न समाज में नयी तालीम का क्या स्वरूप होगा यह स्पष्ट नहीं होता था। मेने अक्तूबर या नवम्बर में किसी गाँव से धीरेनमाई को यह भी लिखा कि यात्रा के समाप्त होने पर मुझे किसी गाँव में ही रहने दीजिए। मैं ढूँढना चाहता था कि नयी तालीम कहाँ है। वह कौन सी प्रक्रिया है जो तालीम और समाज परिवर्तन की एक बना देती है। मेरे मन में यह बात यहाँ तक समा गयी थी कि अगर खादीग्राम लौटना ही पड़े तो पास के गाँव ललमटिया में अपना निवास रखूँ ताकि सस्था में काम करते हुए भा मेरी जड़ गाँव, यानी सहज-समाज, म रहे। लेकिन सस्था से अलग रहने की मेरी बात उस समय धीरेनमाई को पसन्द नहीं आयी। उन्होंने एक लम्बे पत्र में मुझे विस्तार-पूर्वक समझाया कि क्रांति की उस समय की द्युह रचना की दृष्टि से सस्था में रहना अधिक उपयोगी है।

४ मई १९६० को धीरेनमाई खुद नयी तालीम की तलाश में निकल गये और पहुँचे पूणिया जिल के सुदूर गाँव बलिपा में। मैं १९५८ में निकल गया था लेकिन धीरेनमाई के जाने के बाद लौटना पडा—निधिमुक्ति से विफल होकर पर गहरे अनुभव लेकर। मेरे साथ और साथी भी लौटे लेकिन क्रमिक शिक्षण का काम बन्द ही रहा। तब से अब तक मैं सस्था में धीरेनमाई की छाती जोगन के लिए बना रहा।

( क्रमशः )

★

[ नयी तालीम ]



## नयी शिक्षा: नयी दिशा

बलिया (प्रणिया) से आने के बाद तीव्र इच्छा थी कि बरनपुर जाऊँ और अपने साथियों के जीवन-सपर्यं का प्रत्यक्ष दर्शन करूँ। आखिर दो मास बाद यह सुयोग मिला। धीरे-धीरे जाने-जाने कहा कि हो सके तो बरनपुर भी जाना। ता० १ को प्रातः काल मगबहाल भाई के साथ बरनपुर के लिए निकल पड़ा।

शाम का छुटपुटा। नीरव वातावरण। विन्ध्य की अस्पष्ट पर्यंत-मालाएँ मेरे मानस के धुंधले विचारों से एक-रूप हो रही थीं। फौरन से आगे एक मोड़ पर हमारी बस ने विदाई दी और चल बड़े हम दो साथी उस टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडी पर रनेह-सम्मेलन के लिए।

डेढ़ मील का रास्ता पार कर आखिर पहुँच गये, नये समाज, नये मानव निर्माण के उस अभिनव प्रयोग-स्थल पर। बलिया के दो वर्ष के जीवन में काफी ऊँचा नीचा देखा था। वहाँ के छोटे से क्षोण्डे में हम पाँच और कभी-कभी तो सात-आठ लोग रहते थे। धीरे-धीरे भाई कहते थे कि हमारी कुटिया गर ही है चाहे जब जितना चाहे उतना बढ़ा लो और जितने लोग चाहें रहे। मन में रह रह रही उरकटा जाग रही थी कि अहिंसक सैनिकों का यह दूसरा खेमा भी गर का ही है या उससे भी अधिक किसी लचीली धातु का।

धीरे-धीरे भाई के कमरे में पहुँचा। बरामदे में जाने के लिए पूरा छकने पर भी सिर में थोटा लगने का डर बना ही रहता था। दाईं हाथ चौड़ा बरामदा होगा और करीब तीन हाथ चौड़ा लम्बा-सा बेडरूम कमरा।

फरवरी, '६३ ]

मैं बार-बार छत और दीवारों की तरफ देख रहा था न आल्मारी, न रैक, न पीढे, न कुर्सी। एक तरफ क्रांति बहन कुछ पका रही थीं, दूसरी ओर कुछ पुवाल पड़ा था और उसी पर धीरे-धीरे भाई अपना आसन जमाये थे। एक टूटी सी ग्लास भी बगल में पड़ी थी। यहाँ के मस्त साथियों की व्यस्त कुटिया बोल उठी— गिन धरनी घर भूत का डेरा। और तभी क्रांति बहन कहने लगी— 'गिजब भाई, आज क्या देग रहे हैं आप— कल देखते तो कहते, यह तो मैंने लियाई की है। और तब' मैं नतमस्तक हो उठा बाबा भूतनाथ और उनके गणों की साधना पर।

बरनपुर गाँव दो टोला है। पश्चिम टाले पर हमारे साथी लोग रहते हैं। उसमें लगभग ७० घर होंगे घर क्या है, खपरैल और मिट्टी के छोटे मोटे मलीन आकार। सड़कों और गलियों म तो साल में छाड़ लगने की शारद ही कमी नौरत आयी हो।

इस गाँव में अब कोई भूमिहीन नहीं है। ग्राम-दानाँ गाँव है। भूमि का छटा हिस्सा निकाश कर सभी भूमिहीनों को वितरित कर दिया गया है। जमीन का औसत प्रति व्यक्ति काफ़ी है फिर भी ग्रामीणों को मकान और उनकी रहन-सहन देना कर लगा कि उनकी मांगी हालत अच्छी नहीं है।

दिनांक २१ ६३ से ग्रामभारती शिबिर का प्रारंभ था। पर अभी तक तीन ही व्यक्ति बाहर से आ पाये थे। अनौपचारिक ढंग से ही सात कार्यक्रम शुरू हुआ। हमलोग ग्रामभारती के नेताओं की ओर धम करने गये

को घटे तक मिट्टी छोड़ कर मेड़ बनायी गयी और आगे मेड़ बाँधने के लिए लाइन लगाया गया। विकास पदाधिकारी भी वहाँ पर आ गये। सड़ने गुड़ और लाई का नास्ता किया और वहाँ पर सेत-यर्ग शुरू हो गया।

चर्चा में धीरेन भाई ने बताया कि हमारी लड़ाई का दो मोर्चा है। एक सीमा का मोर्चा, दूसरा देश के अन्दर का मोर्चा। सीमा का मोर्चा ता सरकार देय रही है पर नागरिक मोर्चे के लिए जनता को तैयार करना ग्रामभारती का काम है। नागरिक मोर्चे में गरीबों, भूमिहीनों को आदरस्त करना सर्व प्रथम काम है ताकि चीन की मुक्तिसेना क नारे का मुका बग किया जा सके। इसीलिए उन्हे जर्मन का हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वे इस देश को अपना देश समझ सकें।

बातचीत के सिस्तिडे म जादिर हुआ कि चन्दा वगूल करने के तरीके में दवाय अधिक है। भर्नागण जन-समाजों में तो कहते हैं कि चन्दा देना स्वेच्छा पर है पर जब अपने कर्मचारियों से मिलते हैं तब उनके बाँस बनकर चन्दा वगूल करने का फोटा निर्धारित करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह एक अपूर्व अवसर है कि हम जनता को लोकशाही और नीरशाही का भेद समझायें। युद्ध के सन्दर्भ में हम जनता को भली प्रकार समझा सकते हैं कि ग्रामदान और भूमिदान सुरक्षात्मक कार्रवाई है।

धीरेन भाई ने कहा कि जन-नायक, जन प्रतिनिधि और जन-सेवक तीन तबका है। जन-नायक किसी क्रान्तिकारी विचार का वाहन होगा है। वह जन शिक्षण द्वारा जन मत तैयार करता है। जन प्रतिनिधि उसका अनुसरण करता है और जन-सेवकों को तदनुसार कार्य करने का आदेश देता है। हमारे देश की ट्रेजडी यह है कि जन-नायक और जन प्रतिनिधि एक ही व्यक्ति हो गया है इसीलिए यह सारा धपला होता है कि जनता के सामने कुछ और कहना पड़ता है और कर्मचारियों को दूसरा ही आदेश मिलता है।

शिविर का सारा प्रबन्ध गाँव वालों ने स्वय किया था। यहाँ के ग्रामीण ही रोशनी, भोजन, तथा बैठक

आदि का सारा प्रबन्ध कर रहे थे। देगने से प्रतीत होता था कि यह शिविर गाँव वालों का है। गाँव क बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरी दिलचस्पी ले रहे थे।

धीरेन भाई अक्सर कहते हैं कि सेवा तो हम करेंगे पर सेवा लेने की गरज किसकी है। गरज सेवा लेने वाले की होनी चाहिए न कि सेवक की। यहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि गाँव के लोग ग्रामभारती का सारा काम अपनी गरज समझते हैं।

इस शिविर में एक रात बड़ी मनेदार रही। कई रचनात्मक सस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने पहले धीरेन भाई से पूछा था कि हम अपनी जगह पर रहते हुए ग्रामभारती के कार्य में कैसे योग दे सकते हैं। धीरेन भाई ने कहा था कि आप हमारे १५ दिन के शिविर में शामिल हों। तद्हेतु तो कार्यकर्ता आना चाहते हैं सस्था उन्हें सचेतनिक अपकाश दे। मार्ग व्यय कार्यकर्ता मित्राचार से जुटाये और शिविर की प्रारम्भिक गांधी के तीन दिन का भोजन-व्यय कार्यकर्ता स्वय वहन करे। यह बात गाँववालों को बड़ी अटपटी लग रही थी कि हम शिविरार्थियों से भोजन का पैसा लें। जन शिक्षण के इस अवसर पर धीरेन भाई ने उन्हें धार बार समझाया कि इससे सस्था के कार्यकर्ताओं का भी अभिन्नम प्रकट होता है।

२-१-६३

कल शाम को राममूर्तिजी और स्वामी वृष्ण स्वरूप आदि आ गये थे। नित्यप्रति की भाँति भ्रमदान हुआ। दोपहर में आचार्य राममूर्ति जी से चर्चा हुई। ४-१-६

आज दोपहर के बाद सभा हुई। आरुपास क गाँवों के लोग लगभग २०० की संख्या में आये थे। राममूर्ति जी ने बताया कि आज लोकतन है पर सारा तन ही तन दिखाई देता है और तन्त्र क नीचे लोक गायन हो गया है। इस तन्त्र को हटा कर लोक को पुन स्थापित करना ग्रामभारती का काम है।

स्वामी वृष्ण स्वरूप ने अपने आधे घंटे के भाषण में ऐसा बुनियादी काम शुरू करने के उपलक्ष में ग्रामीणों को बधाई दी और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। [ शेष पृष्ठ २३६ पर ]

## एक साल की 'खतरनाक' आयु

( लेखांक २ )

श्री राममूर्ति

आज-कल कई माता-पिता अपने शिशुओं को घिरे हुए झूले में रखते हैं, और चाहते हैं कि वह उसमें अधिक से अधिक समय तक रहे, खेलता रहे और उन्हें दूसरे कामों के लिए फुर्सत मिली रहे। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चा बाहर निकलना चाहे तो उसे जरूर निकाल दिया जाय नहीं तो उसकी क्रियाएँ अवरोध होंगी और इत्रियों के सहज विकास में बाधा पड़ेगी।

इस उम्र में शिशु को हर चीज की आदत डालनी पड़ती है—अपरिचित व्यक्तियों की भी। शुरू में शिशु अपरिचितों से सजक रहता है फिर वह उन से 'मित्रता' भी करना चाहता है, कभी-कभी पास जा कर उन्हें ध्यान से देखेगा, उन्हें कुछ देगा, फिर ले लेगा, या घर की तमाम चीजें लाकर उन के सामन ढेर लगा देगा। ऐसे समय में शिशु को छेड़ना नहीं चाहिए नहीं तो वह डर के मारे भाग कर मा के पास चला जाता है। इससे उसका साहस टूटता है, ऐसी स्थिति में प्रौढ के लिए सचित यह है कि वह शिशु को ओर ध्यान ही न दे।

जब बच्चा थोड़ा चलने लगे तो उसे ऐसी जगहों में ले जाना चाहिए जहाँ छोटे बच्चे खेल रहे हों ताकि वह उन्हें देखे और दो साल का हट्टे-होते उन के साथ खेलने लगे। कभी-कभी दूकान आदि में भी ले जाना चाहिए ताकि तरह-तरह के अपरिचित लोगों को देखे और धीरे-धीरे अपरिचितों से भय छूटे।

फरवरी, '६३ ]

शिक्षा की दृष्टि से एक साल के शिशु में एक बड़ी भारी अच्छाई होती है—वह यह कि किसी क्षण उसका ध्यान एक वस्तु से हटा कर दूसरी वस्तु पर ले जाया जा सकता है। उसकी इस विचोपता के कारण उसके दिमाग के सामने अनेक चीजें लायी जा सकती हैं। दूसरी दृष्टि से उसकी यह अच्छाई माता पिता के लिए परेशानों का भी कारण बन जाती है क्योंकि जब वह हर्ष प्रकट करता है तो घर की तमाम चीजों को झपट से उभर करता फिरता है। ऐसी हालत में क्या किया जाय ? यह तो किया ही नहीं जा सकता कि वह कोई चीज छुए ही न। दस चीजों में आठ उसकी पहुँच के भीतर रख दी जायें तो दो खास चीजें बचायी जा सकती हैं। उन आठ चीजों में वह फसा रहेगा और दो को भूल जायगा। नीचे की आलमारी या रैकमें पुराने नपड़े, खिलौने, धातु के छोटे बर्तन तथा और इस तरह की चीजें रख देनी चाहिए ताकि बच्चा अपनी मर्जी से उन्हें निकाले, रखे, जो चाहे करे।

दो-ढाई साल तक यह समस्या हर बच्चे सामने रहती है कि बच्चे को क्या चीज छूने दी जाय, क्या नहीं। केवल मना करने से वह मानता नहीं—कम से कम शुरू में तो नहीं ही मानता जब तक कि वह जान न जाय कि माता पिता का 'नहीं' 'नहीं' है और 'हाँ' 'हाँ' है। समझ लीजिए कि यह उम्र ऐसी है जिसमें तरह-तरह की चीजें लेने, क्रियाएँ करने, की प्रेरणा उसे अंदर से होती है। आदेश मानने की प्रेरणा तो होती ही नहीं। ऐसी हालत में कभी दूर से डाँट कर आदेश मत दीजिए, बल्कि

कीजिए यह कि हमारे सामने कोई दूसरी आवश्यक चीज पेश कर दीजिए ताकि उसका ध्यान पहली चीज से हट जाय। मान लीजिए बच्चा लैम्प उठाते की बोधिका कर रहा है, तो करना यह चाहिए कि पहले दो-तीन बार बच्चे को जल्दी से उठा कर कमरे के दूसरे कोने में रख दीजिए और हाथ ही 'नहीं' कहते रहिए ताकि वह 'नहीं' का अर्थ समझ जाय। साथ ही उसके हाथ में कोई दिलचस्प चीज रख कर उसका ध्यान दूसरी ओर मोड़ दीजिए। वह न माने तो लैम्प को हटा दीजिए या उसे ही कमरे के बाहर ले जाइए। किसी तरह उसे मालूम हो जाना चाहिए कि 'नहीं' का अर्थ 'हां' नहीं होता,

और लैम्प खोलने की चीज नहीं है। इस तरह शिक्षण होता है, डाँट फटकार से शिक्षण नहीं होता। बच्ची भी बच्चे के लिए ऐसी स्थिति मत पैदा कीजिए कि भय से स्वीकार कर लेन या उद्वेगनायक अस्वीकार कर देने के सिवाय उसके सामने दूसरा विकल्प ही न रह जाय। बच्ची पहले से यह सोच कर मत धक्का दे कि बच्चा यह शरारत कर देगा, वह शरारत कर देगा। कई बार बच्चे के मन में शरारत होती भी नहीं लेकिन मा की पेशगी परेशानी देव कर उसे गुठल कर देने की लालच होती है। लेकिन अगर बच्चा चूल्हे के पास जा रहा हो तो उसे वहाँ से जबरदस्ती हटा देना एवमान उपाय है।

### [ शोध पृष्ठ २४४ का शेषांश ]

से होनेवाली हानि के दुष्प्रभावों से बच सकें। शिक्षक लड़कों को इस दृष्टि से शिक्षित कर सकता है कि आज हमारी सभ्यता पर विज्ञान और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का जो जबरदस्त प्रभाव पड़ा है उसका परिणाम स्वल्प लड़के अधिकाधिक विचारवान बनें, जानी बनें। लड़कों को शिक्षक एक सवादी समाज के सदस्य के रूप में तैयार कर सकता है जहाँ मानव मानव की समानता उत्तरोत्तर गहरी होती जाय, जहाँ मानव की प्रतिष्ठा उसके गुणों और चारित्र्य के आधार पर हो और समाज का गौरव नेता नहीं, व्यक्ति हो।

### दूसरा उपाय—शोध वृत्ति का विकास

दूसरा उपाय यह है कि प्रत्येक लड़के में शोध और खोज की वृत्ति तथा रचनात्मक भावना या विचरना करने की शक्ति पैदा की जाय जिससे वह धियेक से काम ले सके, पुराने में जो उपादेय हो वही ग्रहण कर सके और नयी परिस्थिति के अनुरूप नया रूप देकर उन्हें अपना सके। जो भी नया विचार आता है वह समाज में, अव्यक्त में पैदा होता हो सो नहीं है, कोई न कोई व्यक्ति ही नया विचार देता है। नया विचार देनेवाला और दूसरों को भी सहयोग देने को प्रेरित करनेवाला व्यक्ति ही होता है। इस लिए समाज की प्रगति का भी वहीं जिम्मेदार होता

२४४ ]

है। आज समाज में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो विचार और दृष्टि दे सकें। और यह शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने लड़कों में निहित ऐसी हर क्षमता का विकास करने का मौका वह उन्हें दे। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री सर पर्सनन ने लिखा है शिक्षा योजना का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर निहित एक न एक महानता का विकास वह शिक्षा कितनी मात्रा में कर पायी है। हम समाज का या विश्व का जिसे गुण या चारित्र्य कहते हैं वह व्यक्ति-व्यक्ति के गुण और चारित्र्य से, व्यक्ति-व्यक्ति के कार्य और प्रवृत्ति से भिन्न कुछ नहीं है।

### किसी को उपेक्षा नहीं

इसका यह अर्थ नहीं है कि शिक्षक ऐसे लड़कों के प्रति उदासीनता बरते जिनमें ऐसा कोई महान गुण या उड़ी देन होने की संभावना कम है और उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए एडी-बोट का पसोना एक करने के लिए छोड़ दें, यद्यपि ईमानदारी और निष्ठा से किया जानेवाला वह श्रम भी पवित्र ही है, परन्तु शिक्षक को इस बात का संकल्प कर लेना होगा कि कइयों का भला करने के नाम पर कुछ की वह उपेक्षा नहीं करेगा।

[ नयी लालीम ]

## नयी तालीम सर्वोदय-तालीम है

श्री कामा कालेलकर

### १. जीवन-शिक्षा

हमने असंख्य प्रयोग करने के बाद जान लिया है कि जीवन और तालीम एक-दूसरे से दूर नहीं हो रह सकते। 'जीवन के लिए तालीम' यह सूत्र तो अब सब जानते ही हैं और साधन-जीवन की स्पष्ट कल्पना यदि समाज को हो सके तो 'तालीम के लिए जीवन' यह सूत्र भी उतनी ही आसानी से स्वीकृत हो सकेगा। सिखा-बाल अलग और जीवन-काल उससे बाद, ऐसा जो मानते हैं वे दोनों के बारे में अपनी संकुचित कल्पना जाहिर करते हैं। शिक्षा का समय और जीवन का समय अलग-अलग है ही नहीं। कुछ अमुक साल तक ऊंचा बढ़ता है और फलता है, और उसके बाद वह प्रवृत्ति बदल कर अन्दर से परिपक्व होता जाता है उसी तरह जीवन को पूर्व-तैयारी को हम तालीम कहते हैं, लेकिन सच्ची तालीम तो उससे बाद भी सारे जीवन के दरम्यान चलती रहती है।

### २. श्रम-निष्ठा

दुनियाभर के बर्ज क्लर्कों ने और समाज-सेवकों ने एक बात बूढ़ निकाली है कि निष्पाप जीवन जीना ही तो परिश्रम करने पसीना उतारना ही होगा। मनुष्य चाहे जितना उन्नत वृत्तिवाला क्यों न हो लेकिन यदि वह सेवा के लिए परिश्रम नहीं करता तो उसका जीवन लम्बे भरने तक निष्पाप नहीं रह सकता। जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता उसके लिए किसी दूसरे मनुष्य को परिश्रम करना ही पड़ता है। दुनिया का स्वावलम्बन

दूटता है और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में पाप घुस जाता है। अतः परिश्रम एक अनिवार्य तत्व है।

वह परिश्रम यदि विचार-पूर्ण हो और कौशलपूर्ण हो तभी मानवता का विकास हो सकता है। विचार प्रेरित सार्वभौम सिद्धांत से बफादार रह कर कौशल्य बढ़ाना और ऐसे कौशल्ययुक्त परिश्रम से समाज को सेवा करना यही है सकारात्मक जीवन। उम्र जीवन के लिए हम जो तैयारी करनी है उसका नाम है तालीम।

### ज्ञान और कर्म की एकरता

विचार जीवन नहीं है, कर्म ही जीवन है। कर्म की शुद्धि के लिए, सफलता के लिए और अन्त में मोक्ष पान के लिए विचार जरूरी है। 'ज्ञानाद् एव तु वैवल्यम्' यह बात जितनी सत्य है उतनी ही 'ज्ञानाद् एव तु कौशल्यम्' भी सत्य है और इसीलिए ज्ञान की इतनी महिमा गायी गयी है। गीता में ज्ञान भी जो व्याख्या दी गयी है उसमें बहूना से तत्व तो कर्म के ही हैं। सच्चा ज्ञान कर्म के बिना खिल ही नहीं सकता, रिक भी नहीं सकता और अपना अकार करने के लिये प्रवाहमान भी नहीं हो सकता। ज्ञान-कर्म समुच्चय यह परम अपूरा है। गीता की व्याख्या की परिभाषा का स्वीकार करें तो ज्ञान-कर्म की एकता ही अभाष्ट है। यही सच्चा तत्व है। और इसीलिए सर्वोदय का तालीम में जीवन-शुद्ध का प्रथम आग्रह होना चाहिए। जीवन विचारमय हो, कर्ममय हो और कौशल्ययुक्त हो यही हमारा, अन्तिम आदर्श है। उसे शुद्ध, समृद्ध और सम्यक् स्थापित तालीम

बहने के बजाय शाधीजो ने उसे नाम दिया बुनियादी तालीम अथवा नयी तालीम ।

तालीम परिश्रमयुक्त होगी, चिंतन और कोशस्य से प्रेरित होगी तो स्वावलंबी होगी। निष्पाप जीवन को ही परिश्रम युक्त स्वावलंबी जीवन कहा है ।

#### ४. धर्म-समन्वय

महाभारत में कहा है कि आदिम सत्ययुग में केवल एक ब्राह्मण-वर्ण ही था। जैसे-जैसे समाज का अथवा युग का ह्रास होता गया वैसे-वैसे 'युगह्रासानुरूपत' चार वर्ण हो गये। यह भीमात्मा यदि सही हो और यदि हम प्राथमिक स्वरूप का नहीं बल्कि जो विकसित और समृद्ध हुआ है ऐसा सत्ययुग फिर से लाना चाहते हैं तो चार वर्णों के आदर्श का ज्यादा विकास करके उन सबका सत्यमूलक एकरस करना ही होगा। सर्व-वर्णों के समन्वय से पूर्ण-मानव या त्रिव-मानव तैयार होगा। यह महत्व का सवाल नहीं है कि उस वर्ण की ब्राह्मण कहना या नहीं। वर्ण-समन्वय को नाम होना जरूरी नहीं है। सात वर्णों को यानी रंगों को जब हम चक्राकार घुमाकर परस्पर ओतप्रोत करते हैं तब उसमें से शुद्ध और उज्वल सफेद वर्ण तैयार होता है। उस तरह का सर्व-समन्वय जनित शुद्धवर्ण हम विकसित करनेवाले हैं और उसके लिए जो जरूरी तालीम है वह सर्वोदय की तालीम है ।

#### ५. धर्म-समन्वय

सर्व-समन्वयकारी सर्वोदय की स्वीकार करने के बाद और उसका गहरा चिंतन करके उसकी बीजा लेने के बाद मनुष्य को सर्व धर्म समन्वय सूत्रगा ही। धर्म का अर्थ ही है जीवन समृद्ध बना कर समूच समाज का धारण-बीषण करना। धर्म की दृष्टि इस तरह मूल में सत्य-व्यवस्था और व्यापक होने के कारण सब धर्मों को एक-दूसरे की दृष्टि और आग्रहों को समझना चाहिए। सब धर्मों की स्पर्धा, खीचातानी और अहम्येयसी छोड़कर परस्पर की दृष्टि और परस्पर का जीवनादर्श समझ लेना चाहिए। सब धर्मों की पशु-सम्राज्य के वन्य पशुओं की तरह अलग-अलग पिंजरे में न रहते हुए एक-दूसरे को स्वीकार करके सब धर्मों का एक विद्यालय धर्म-शुद्धि स्थापित करना चाहिए। उसके लिए

धर्म-स्पर्धा ही जरूरी है ही लेकिन उससे भी विशेष साधना द्वारा सब धर्मों का रहस्य समभाव-पूर्वक समझ लेना चाहिए। धर्म-समन्वय करने से पहले हर एक धर्म में महत्व का हिस्सा बोनसा है और केवल स्थानिक या कालिक महत्ववा हिस्सा बोनसा है—यह सब को मिलकर ढूँढ़ निकालना चाहिए।

#### ६ धर्म-जीवन

आज सर्व की तरह धर्म भी जहाँ-तहाँ अप्रतिष्ठित हुए हैं। उसका कारण आसानी से ध्यान में आ सकता है। उस अप्रतिष्ठा के कारणों की तरफ और मूढ़ने से नहीं चलेगा। हर एक धर्म में अतर्मुल्य हो कर अतिनिरीक्षण करने की शक्ति और आदत होनी चाहिए। जिस तरह अनेक तरह के बानूनों का शास्त्र (जूरिस्पुडेन्स) बनाया जाता है अथवा जिस तरह अनेक तरह की समाज व्यवस्थाओं का स्वरूप समझ कर उन सब के अध्ययन से सर्व-साधारण समाज शास्त्र उत्पन्न किया जाता है उसी तरह सब धर्मों का स्वरूप समझ कर, उनमें सार्वभौम सर्वव्यापी तत्व कौन से हैं यह पहचानकर और गीण बातों को उनके गौरवरूप में पेश करने के बाद सब धर्मों में से धार्मिकता का और धर्म जीवन का एक सार्वभौम धर्म-शास्त्र तैयार करने के दिन आ पहुँचे हैं। पुराने लोगों ने 'धर्मशास्त्र तु वं स्मृतिः' कह कर धर्मशास्त्र का महत्त्व सङ्कुचित अर्थ किया। वह छोड़कर सब धर्मों का सम-भावपूर्वक, आदर-पूर्वक गहरे अध्ययन के बाद सर्व-धर्म-समभाव मूलक एक धर्मशास्त्र उत्पन्न करना चाहिए और फिर सब धर्म एकत्र कैंसे रह सकते हैं यह ढूँढ़ निकालने के लिए सर्वोदयवालों को नये ढंग के आश्रमों को मारफत धर्म-जीवन के प्रयोग चलाने चाहिए ।

#### ७ आश्रम-जीवन

प्राचीनकाल में हमारे ऋषि-मुनि अपने अपने आश्रमों में धर्म-जीवन जीते थे और सब वर्णों के और सब प्रदेशों के युवकों और युवतियों को अपने पास रख कर परिस्थिति के मुताबिक जीवन-चिंतन और जीवन-प्रयोग चलाते थे। हम में से बहुत से शिक्षाशास्त्रियों को इस तरह के आश्रम स्थापित करके नये ढंग के धर्म-जीवन के प्रयोग चलाने चाहिए। यहाँ धर्म-जीवन-शा' अर्थ है

धर्मों में बतलाया हुआ और भोली जनता द्वारा विकसित धर्म-जीवन नहीं, बल्कि व्यापक अर्थ में सर्व-धर्म-समभाव से अनुप्राणित और धर्म से भी परे ऐसी आध्यात्मिक सस्कृति द्वारा प्रेरित किया हुआ जीवन समझना है। नये ढंग के ऐसे सब आश्रम शिक्षण की प्रमुख समस्याएँ ही होंगी और इन आश्रमों में पुराने चारों आश्रमों को जीने की ओर परस्पर बसर करने की पूरी छूट होगी। नयी

तालीम में जीवन के इस अंग की उपेक्षा न हो इसका ध्यान रखना आवश्यक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोदय, विचार और नयी तालीम दोनों के आधारभूत तत्व समान हैं। नयी तालीम का काम करनेवालों सच्चाई सर्वोदय विचार के प्रति पूर्ण निष्ठावान् हो कर ही अपने तालीम के काम को तेजस्वी बना सकती है, अन्यथा नहीं।

(‘लोक भारती’ सप्ताहिका के भाषण से)

## टिप्पणियाँ

ये आँकड़े !

### १. २००० ईसवी में ६ अरब

सँसार की आबादी आदि-युग से १८३०

तक लाखों लाख वर्षों में १ अरब

१८३० से १९३० तक केवल १०० वर्षों में २ अरब

१६३० से १९६० तक केवल ३० वर्षों में ३ अरब

१६६० से २००० तक केवल ४० वर्षों में ६ अरब

आज पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनके हिस्से प्रति व्यक्ति (पुरुष, स्त्री, बच्चा) १२ ५ एकड़ भूमि पड़ती है। उसमें से केवल १ १ एकड़ पर खेती होती है। विज्ञान और बड़े और पूँजी श्रुब लगे तो १ १ की जगह ३ एकड़ पर खेती हो सकती है, लेकिन बाकी ९ ५ एकड़ पर खेती असम्भव हो रहेगी।

२००० ईसवी में तो प्रति व्यक्ति जोत की जमीन केवल १ ५ एकड़ रह जायगी।

यह विज्ञान की चंतायनी है, लेकिन २५ ता० को मले के दिन बाबा विप्लवाय के मंदिर के सामने बँठा वह ‘साधु’ हर युवक, युवती को भ्रूत दे कर यही आशीर्वाद देता था कि ‘बेटा हो’ और मैंने देखा देखते-देखते उसकी मुट्ठी पैतों से भर गयी। यह तब जब दुनियाँ में हर सातवाँ आदमी भारतीय है।

### २. भारतीय संसद में छोटा किसान, मजदूर और भूमिहीन !

१ राजनीतिक, सामाजिक और ट्रेडयूनियम कार्यकर्ता	१३२
२ बड़े किसान	११४
३ बकौल	१०२
४ पत्रकार	३५
५ व्यापारी	४१
६ उद्योगपति	८
७ डाक्टर	१५
८ शौनियर	४
९ शिक्षक	५
१० लेखक	४
११ प्रोफेसर	६
१२ प्रिंसिपल	१
१३ पुराने रजवाड़े	१४
१४. धार्मिक नेता	२

४८७

संसद में समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज कैसे पहुँचेगी? और अगर अंतिम व्यक्ति की आवाज न पहुँचेगी तो विकास क्या लोकतंत्र क्या ?

राममूर्ति

## ‘पुराने बोल नये मोल’

‘नयी तालीम’—परिवार के लिए श्री काशिनाथजी त्रिवेदी अपरिचित नहीं हैं। महात्मा गांधी की आत्मबधा के अनुवादक के नाते ही नहीं, बल्कि जाने-माने लेखक, संपादक, शिक्षक तथा प्रभावशाली वक्ता के रूप में भी आप हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं। नयी तालीम आपका प्रिय विषय है। बालों की दुर्दशा से इनके समान व्यथित होनेवाले बहुत कम हैं। सर्वोदय आप की जीवन निष्ठा है। इस समय मध्य प्रदेश के धार जिले के अतर्गत टवलगाई गाँव में ग्रामभारती आश्रम का संचालन कर रहे हैं। आश्रम में श्रम-साधना, बुनियादी शिक्षा और ग्रामोद्योगों की कुछ प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। अब पुस्तक प्रकाशन की एक नयी प्रवृत्ति और जुड़ी है। हाल ही एक मास तीन पुस्तकें वहाँ से प्रकाशित हुई हैं। तीनों हिंदी भाषा में हैं—एक श्री काशिनाथजी की मौलिक रचना और दो इन्हीं के अनुवाद हैं। प्रस्तुत पुस्तक ‘पुराने बोल नये मोल’ आपकी लिखी हुई है। पुस्तक १३० पृष्ठों की और डेढ़ रुपये के मूल्य की है।

पिछले साल मध्यप्रदेश गांधी स्मारक निधि के संचालन में पश्चिम निमाड जिले के पचो, सरपचो, उप सरपचो और पचायत सचिवों के शिक्षण के कुछ सिविल टवलगाई तथा अन्य कई स्थानों में चलाये गये जिनका मार्गदर्शन और प्रत्यक्ष-संचालन श्री काशिनाथ जी ने किया। उस प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षायिका के साथ सुबह-शाम की प्रार्थना के बाद स्वाध्याय करने की दृष्टि से पुराने कुछ सस्कृत के श्लोक चुने गये थे और उनके सहारे कुछ लेख तैयार किये गये। वैसे २५ श्लोकों का भावार्थ हम पुस्तक में संकलित है। इनके द्वारा लेखक ने उन प्राचीन श्लोकों को और मनो को नये मूल्यों

के साथ समझाने का प्रयत्न किया है और इसी कारण पुस्तक का सार्थक नाम रखा है—पुराने बोल : नये मोल।

बंदों से लेकर आज तक का सस्कृत साहित्य ऐसा अगाध सागर है जहाँ डूब कर मोतियों का चयन करने लगे तो उत्तम अंत ही नहीं गया जा सकता। इन प्रकार के चयन आज तक संकष्टो हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। वैसे ही यह भी एक चयन है।

यहाँ जो श्लोक चुने गये हैं वे काफी विचार-मूर्धक चुने गये मानूँ होते हैं। इन श्लोकों का मूल्य समूचे जीवन में है और विशेषतः विद्यालयों की दृष्टि से अधिक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन साधक-जीवन है और ये श्लोक केवल ज्ञान-वर्धक ही नहीं, स्वकार देनेवाले भी हैं।

२५ श्लोकों में ५ श्लोक ( १९, से २३ ) विभिन्न उपनिषदों के हैं बाकी महाभारत, भागवत आदि विभिन्न ग्रंथों के हैं, परंतु सभी काफी परिचित और प्रचलित हैं।

विषयों की दृष्टि से निम्न प्रकार इनका वर्गीकरण किया जा सकता है ईशावास्य (२०) सहनाववतु (१९) और असतो मा सद्गमय (२३) इन तीन सुप्रसिद्ध और सुपरिचित मंत्रों के अतिरिक्त जीवन के आधारभूत ‘सत्य’ से सम्बंधित श्लोक ८ हैं, (१ से ८) देवता स्तुतिपरक श्लोक ६ (९, १४, १६, १७, २४ और २५) और नैतिक-धर्म पर प्रकाश डालनेवाले ३ (११, १२ और १५) श्लोकों के अलावा तपोमहिमा (१३), गुणस्तुति (१८), ईशदृष्टा (१०) जीवन का आदर्श (२१), तथा समीचीन कार्य पद्धति (२२) पर एक एक श्लोक है।

विनोबाजी ने गीता प्रवचन में एक स्थान पर लिखा है कि पुराने शब्दों को नया अर्थ देना विचार-क्रांति की



अहिंसक प्रक्रिया है। इस पुस्तक की विशेषता यही है कि इसमें न केवल दो चार शब्द, बल्कि पूरा का पूरा श्लोक ही नये प्रकाश में प्रस्तुत किया गया है।

आज के सदमर्भ की दो विशेषताएँ हैं—एक, आज व्यक्ति समूह से अलग रह कर केवल अपनी उन्नति की बात नहीं सोच सकता और दूसरी यह कि समाज का निमंत्रण बाहरो तंत्रों से नहीं, व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा और स्वच्छा से ही संभव है। लेखक न प्रत्येक श्लोक में एक न एक प्रकार से इन दोनों पहलुओं पर प्रकाश डाला है और दोनों पहलुओं को परिपुष्ट करन की दृष्टि से श्लोकों का मधन किया है।

गाधीजी के आश्रम में प्रार्थना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब प्रार्थना में गान के लिए चुन गये श्लोका में वक्रतुण्ड महाकाय, याकुर्वेदु, शताकार आदि श्लोका को लेकर आश्रमवासियों में काफी चर्चा होती थी। इस बात का आक्षेप किया जाता था कि जहाँ सब-धर्म समभाव का प्रत हो वहाँ हिंदु धर्म में ही प्रचलित विराष्ट आकृतियोंवाले देवताओं की स्तुति कहाँ तक उचित है। यद्यपि गाधीजी का समाधान वास्तव में समाधानकारक नहीं होता था फिर भी गाधीजी के व्यक्तित्व और निष्ठा क बल पर वह सब निभ जाता था। पर वह प्रश्न आज भी उठ सकता है और उसका समाधान दूसर ही प्रकार से करना होगा। प्रस्तुत पुस्तक में जिस ढंग से एस श्लोकों का विवचन किया गया है उससे उक्त प्रश्न का समाधान कुछ हद तक अवश्य हो सकता है। क्योंकि उन्हें धर्म के बाहरी कलेवर से हटाकर मनुष्य मात्र को लागू होने की स्थिति में उनका विवचन किया गया है। पुरानी बातों का नया अर्थ देने का यह सारा प्रयास यहाँ कोई पाण्डित्य या चानुच-मात्र नहीं है लेखक न कई जगह अपनी दृष्टि और अपने विचारों को सुक्ति-संगत और उचित करके दिखाने का भी प्रयत्न किया है।

फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि श्रद्धा-पूर्वक जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता हो उन को उतनी ही श्रद्धा से देखन के साथ-साथ उन्हें नये-नये अर्थों में ग्रहण करना हिम्मत का ही काम है। क्योंकि श्रद्धास्पद शब्दों को श्रद्धास्पद बनानेवाले जो अर्थ और भाव हैं उन्हें हटा

कर बिल्कुल भिन्न अर्थ या भाव देने का अर्थ है श्रद्धा को ही डिगाना। लेकिन विचारक्रांति में श्रद्धाओं का संशोधन और संस्करण एक महत्वपूर्ण अंग है। पुरानी श्रद्धा से विचलित हुए बिना नये विचारों और नयी दृष्टि को अपनाने की शक्ति पैदा नहीं होती है। नयी दृष्टि एकदम साफ नहीं भी हो तब भी पुराने का मोह छोड़ कर नये की सोच या छानबीन करने की तैयारी भी बहुत बड़ी तैयारी है। इस दृष्टि से यह पुस्तक बहुत मूल्यवान और उपयोगी है। पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें पुराने भावों के स्थान में नयी दृष्टि बहुत स्पष्ट है, पाठकों की बुद्धि को ही नहीं, हृदय को भी छूनेवाली है।

पुस्तक के प्रकाशन के समय में लेखक की भावना बहुत मार्मिक है। उसमें लेखक की सहृदयता ही नहीं, सात्विकता भी झलकती है। लेखक की ही भाषा में—  
“व्यवसायी प्रवासकों के काम की यह चीज ह नहा।

“बाजकल पुस्तकों में बाजार की चीज बन गयी है। पर इस स्वाध्यायचर्चा का आज के बाजार से कोई संबंध नहीं। यह तो लेखक की अपनी प्रिय मतान है। कोई भला पिता अपनी सतान को बाजार में खड़ा नहीं करता। सतान की शोभा घर में है, बाजार में नहीं। उसका लालन-पालन, सगोपन-सवधन, घर में घरकी रीति से ही होना चाहिए। यही इष्ट है, धर्म्य है। इस दृष्टि से लेखक की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी इस अल्प सी कृति को व्यवसाय के फर में डाले। इस के प्रकाशन की भावना के मूल में व्यवसाय नहीं, स्वाध्याय है, सहजीवन और सह-चिन्तन के सहार जीवन-यात्रा को एक सुविचारित और सुनिर्दिष्ट रथ तक पहुँचाने की नम्र अभिलाषा है।”

हमें विश्वास है कि सेवक-समाज में तथा शिक्षा-केन्द्रों में यह पुस्तक अत्यंत आदर के साथ पढ़ी जायगी। पाठ्य-पुस्तक के रूप में न सही, स्वाध्याय के लिए अनिवार्य पुस्तक के रूप में इस पुस्तक का अच्छा स्वागन होगा। भारत की सभी दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हो कर घर-घर में प्रवेश पाने योग्य पुस्तकों में निर्दिष्ट ही यह एक है।

★

- आ

— [ २४५ ]

## खास्य खलीक्राय

१. पुराने बोल : नये मोल लेखक: श्री काशिनाथ-त्रिवेदी,  
प्रकाशक : ग्रामभारती आश्रम, टवलाई,  
घार, म० प्र० पृष्ठसं० १३०, मूल्य : १-५०
२. दिवास्वप्न लेखक : श्री गिजुभाई बघेका  
अनुवादक श्री काशिनाथ त्रिवेदी, प्रकाशक -  
उपर्युक्त, मूल्य १-२५
३. प्राथमिक शाला मे भाषा-शिक्षा लेखक श्री गिजुभाई बघेका  
अनुवादक, प्रकाशक उपर्युक्त, मूल्य १-००
४. राष्ट्रमूर्ति राजेद्रबाबू लेखक श्री गोपाल कृष्ण मल्लिक  
प्रकाशक आनन्द पुस्तक भवन, वाराणसी  
मूल्य ३-५०
५. चरित्र सपत्ति लेखक श्री गोपाल कृष्ण मल्लिक  
प्रकाशक सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी  
मूल्य ०-७५
६. योगवासिष्ठ सार लेखक श्री वी० एल० आत्रेय  
प्रकाशक दर्शन प्रिंटर्स, मुरादाबाद
७. भारतीय संस्कृति लेखक, प्रकाशक उपर्युक्त
८. श्री शंकराचार्य का मायावाद लेखक, प्रकाशक . उपर्युक्त  
मूल्य १-००

# हमारा महत्त्वपूर्ण अनुवाद-साहित्य

विश्वके विशाल वाङ्मयमें विभिन्न भाषाओंमें अनेक अनमोल रत्न छिपे पड़े हैं। सर्व सेवा संघ अपनी सीमित शक्तिके अनुसार इन रत्नोंका हिन्दी तथा अन्य भाषाओंमें अनुवाद करके जनता को लाभान्वित कर रहा है। अंग्रेजी भाषासे किये गए अनुवाद साहित्यकी एक हलकी सी भाँकी यहाँ दी जा रही है।

## मानवता की नव-रचना [ पितिरिम ए० सोरोकिन ]

विश्वके प्रसिद्ध समाज-शास्त्री डाक्टर सोरोकिनकी महात्मा गांधीकी समर्पित यह रचना अपने ढंग की अनाखी रचना है। इसमें उसने नैतिक मूल्योंपर जोर देते हुए मानवताको सर्वनाशसे बचानेके लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत की है।

सोरोकिन विधिवत गवेषणा करते हुए कहता है कि शान्तिके लिए अनाइं बेंयो द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, धार्मिक आदि तरह-तरहकी श्रोषधियाँ खोजी जा रही हैं, परन्तु गांधी जहाँ की तहाँ अटकती है। लोग शान्तिकी पुकार मचा सो रहे हैं परन्तु होता उल्टा ही है। वैमनस्य और विरोध, घृणा और मत्सर, संघर्ष और युद्ध घटनेके बजाय बढ़ते ही चलते हैं। आँकड़ों और तथ्यों द्वारा विभिन्न तंत्रों और पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, फासिस्वाद आदि अनेक वादों की भरपूर आलोचना करते हुए सोरोकिन कहता है कि शान्ति और स्थायी शान्ति का एक ही साधन है और वह है—साधुसन्तों, ऋषियों, महर्षियों द्वारा प्रदर्शित सत्य प्रेम और करुणा का पुरातन मार्ग। इन नैतिक मूल्यों की ओर अग्रसर हुए बिना मानवता की नव-रचना हो नहीं सकती।

३२० पृष्ठ : मूल्य २।।)

## ऐसा भी क्या जीना ! [ पेरी बर्गेंस ]

एक अमेरिकन वैजिक की वह करुण आत्मकथा जिसके रोम-रोम से एक ही ध्वनि निकलती है—'ऐसा भी क्या जीना !'

बुद्ध रोगियों के अनुभवी सेवक पेरी बर्गेंस की यह अमर रचना 'हू वाक प्लान' पत्थर की भी द्रवित करने वाली है। जिन अभंगाओं को कोई छूना भी नहीं चाहता उनके भी हृदय है, वे भी जीवित रहना चाहते हैं इसका रहस्य इसके पले-पत्ते में है। उपन्यास से भी अधिक रोचक, करुणा से ओत प्रीत।

पृष्ठ ३१८ : मूल्य २)

## विश्व-शान्ति क्या सम्भव है ? [ कैथलिन लांसडेल ]

एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शान्तिवादिनी महिला द्वारा शान्तिकी समस्यापर वैज्ञानिक विचार।

१७२ पृष्ठ : मूल्य—१।।)

लेखिका अपनी भूमिका में लिखती है :—

"द्विरोधितमार पहला परमाणु बम गिराये जानेकी खबर जब ज़िन्देके पत्रोंमें छूरी तो मेरी एक मित्र अभिनेत्री, जो शान्तिवादी नहीं थी, बिल्कुम्भावस्थामें मेरे पास आयी और लवने कहा : 'देख नहीं रही हो कि आज तुम वैज्ञानिकोंने क्या कर डाला है ?' यह पुस्तक उसी प्रश्नका उत्तर देनेका प्रयास है और इस दृष्टिसे लिखी गयी है जैसे मैं पाठकसे बात कर रही हूँ।"

पुस्तकके अन्तमें लेखिकाने बताया है कि अहिंसा ही एकमात्र उपाय है विश्वशान्ति का। पर उसके लिए हमें अहिंसाको अपने दैनिक जीवनमें स्थान देना पड़ेगा। वह कहती है—"अहिंसाके अभ्यसनका समुचित तरीका अहिंसाका व्यवहारमें उतारना और उसका स्वयं प्रयोग करना है।

अहिंसात्मक जीवन और सुराईके अहिंसात्मक प्रतिरोधके व्यावहारिक रूप हमारे दैनिक अनुभवके अंग हैं। जब भी 'नम्र उत्तर' देते हैं तो क्रोध हवा हो जाता है। यों हम अहिंसाकी कलाकी व्यवहारमें उतारते "

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी

## कुत्ते से तो अधिक इज्जत मिले !

गाड़ी आर्यों, प्लेटफार्म पर चहल-पहल बढ़ गयी। सामने के डबे से दो बेयरर चमकीली धालियाँ, प्लेटें, चम्मच, लुरी, काटे, लिये उतरे और प्लेटफार्म पर रखी बेंच के पास ही बैठ कर बर्तनों का बचा-बुचा जूटा भोजन—रोटी, चावल, सब्जी, शोरबा, मास, हड्डी क टुकड़े आदि—एक धाली में इकट्ठा करने लगे। इतने में ही मैले-कुचैले, अधमरे से, १३-१४ साल की उम्र के दो लड़के कहीं से आ पहुँचे और उन बेयरर्स के पास बैठ कर लालच-भरी आर्यों से भोजन के जूटे टुकड़ों की ओर देखने लगे। कहीं से दो कुत्ते भा आ धमके। बर्तनों का जप सारा भोजन इकट्ठा हो गया तो बेयरर रोटा वगैरह तो लड़कों को, और मास के टुकड़े, हड्डी आदि कुत्तों को देने लगा। एक लड़के ने कहा, “हमें ही दे दो, भूखे हैं।” बेयरर ने लापरवाही से कहा, “अरे जूटन ही तो है, कितना खायगा ? कुछ कुर्ता को भी खाने दे।” “कुत्ते खायें और हम भूखे रहें ? हम लोग क्या कुर्ता से भी ?” बेयरर ने कुछ चीजें कुर्ता क सामने डाल ही दी। अब कुत्ता और लड़कों में खीच-तान शुरू हुई। लड़कों ने कितनी ही मुत्तैशी दिखायी, फिर भी कुत्तों ने कुछ तो खा ही लिया। लड़के बैठ कर जल्दी-जल्दी खाने लगे, खाने क्या, ट्रेसने लगे। अजब तमाशा था कितना धिनीना किन्तु कितना यथाथ, मनुष्य की हीन दशा का कैसा बिचित्र चित्रण !

गाड़ी रवाना हुई; भाई साहब को बिदा कर हम लोग भी निवास की ओर लौटे। उस दरम्य ने आज तबीयत बड़ी लिज कर दी थी।

अणु-परमाणु में भी उस विराट की ज्योति के दर्शन करनेवाले इस देश में विराट की सर्वश्रेष्ठ कृति—मनुष्य को कुत्ते से अधिक इज्जत कष मिलेगी ?

प्रधान सपादक  
धीरेन्द्र मजूमदार

सपादक  
आचार्य राममूर्ति

●

राजेन्द्रबाबू  
मंत्री के यात्री

गांधी विचार प्रचार केन्द्र!

C/O सर्वोदर स्वास्थ्य सदन

घाटखोपर गाँव धान्य रोड

घाटखोपर बन्दर २९

श्री राममूर्ति

लोकतंत्र और आज का रचनात्मक कार्य

द्वय ११

अंक ८

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

शिक्षण और लोकतंत्र

श्री नि० न० आग्नेय

●

इंग्लैण्ड में शिक्षा का स्वरूप

श्री रामभूषण

विष्णु स्मृति

श्री कारिनाथ त्रिवेदी

वार्षिक चंदा  
एक प्रति

६-००

०-५०

●

वेदना स्वयं गांधी के हृदय में थी यह उनके यफादार साथी के मन में कैसे न होती ? लेकिन वेदना साधना में प्रयत्न न हो सकी उल्टे यह हुआ कि चीनी आक्रमण के संकट में वह अयोध भी हो उठे । राजेन्द्रबाबू के हृदय में गाँधा की याद थी, देश का प्यार था । जो दिल में प्यार लेकर गया उसे देश भूलेगा नहीं ।

### मैत्री के यात्री

१ मार्च को दिल्ली से तेरह यात्री, कुछ भारतीय, कुछ विदेशी-चीन के लिए निकले— उसी चीन के लिए जिससे भारत की लड़ाई है । सब 'जय जगत' की भावना लेकर 'शत्रु' के देश में मित्रता का संदेश लेकर ये क्यों जा रहे हैं ?

कोई कहता है 'पागल हैं', कोई इन 'गहनों' को काला झण्डा दिखाता है, कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं : 'ये अहिंसा के विश्वासी हैं, म्यून्सलोन में त्रिचरण करनेवाले' ।

आज तक किसी ने फेनेडी या पृथ्वे को पागल नहीं कहा जो दिन रात दुनियाँ को खतम करनेवाले अन्ध-शस्त्र खाने में लगे हुए हैं । किसी ने कोलम्बो में इनट्टा होनेवाले नेनाओं को भी पागल नहीं कहा जिन्होंने अपना प्रतिनिधि पेकिङ्ग और दिल्ली भेजा । यह भी तो मैत्री की ही यात्रा थी ! अन्तर इतना था कि उस समय चीन और भारत की सरकारों से बात करनी थी, और अब ये यात्री जनता की अदालत में फारियाद करने निकले हैं । ये यात्री मानते हैं कि अन्तिम अदालत जनता की हाँ है, वही है क्रान्ति की अन्तिम शक्ति और शान्ति की अन्तिम भक्ति है । क्या यह श्रद्धा इनका अपराध है ?

हजारों वर्षों तक नेताओं, सेठों, शासकों, योद्धाओं और गुरुओं ने जन मानस में छिपे सद्भावना और मित्रता के अक्षय स्रोत को फूटने से रोक रखा था, अब समय आ गया है कि उसे खोला जाय । ये यात्री उसे ही खोलने निकले हैं । इनका विश्वास है कि जनता लड़ती नहीं, लड़ायी जाती है जनता शान्ति चाहती है, लेकिन उसे युद्ध दिया जाता है जनता मित्रता को भूखी है, लेकिन उसे घेर का घूँट पिलाया जाता है ।

इन इन गिने यात्रियों की पैदल यात्रा से भारत और चीन फिर भाई भाई हो जायेंगे, इसकी आशा नहीं है । ये चीन की सीमा में घुसने पायेंगे, इसमें भी शक है । केवल इतना निश्चित है कि इनकी लगन से एक ली जलेंगी ।

यदि आते हैं वे शब्द जो चार सौ वर्ष पहले लेटिमर ने जलने के लिए तैयार अपने साथी रिड्ले से कहे थे :

रुखा रहो, रिड्ले हिम्मत न छोडो । आज के दिन हम ईश्वर की कृपा से इंग्लैण्ड में यह दीपक जलायेंगे जो कभी बुकेगा नहीं । यह दीपक इंग्लैण्ड के लिए जला था, आज तमाम दुनिया के लिए जलाया जा रहा है ।

अगर युद्ध के गीत गाये जाते हैं तो शान्ति के क्यों नहीं गाये जायेंगे ? क्या विश्व की जनता कभी समझेगी ही नहीं कि युद्ध कितना बड़ा पागलपन है और उसे युद्ध में ढकेलनेवाले नेना नितने बड़े स्वार्थी और पागल हैं ?

मानव की सद्बुद्धि और सद्भावना में श्रद्धा रखनेवाले इन यात्रियों को विदा ! ये हमारी विवशता के नहीं, आकांक्षा के प्रतिनिधि हैं ।

राममूर्ति

## लोकतंत्र और आज का रचनात्मक कार्य

श्री धीरेंद्र मजूमदार

लोकतंत्र की रक्षा पर लिखे गये लेख में, जो फरवरी '६३ की 'नयी तालीम' में प्रकाशित हुआ है, आपने कई ऐसी बातें कही हैं जिनका अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक है। उनमें से एक बात निम्नलिखित है -

१ आपने कहा है कि गांधीजी की ब्यूह रचना दुहरी थी—अंग्रेजी राज्य का मुकाबिला और लोकचित्त का संगठन, और ये दोनों प्रक्रियाएँ कांग्रेस के माध्यम से और उसके तत्वावधान में चलती थी। इसका एक यह परिणाम हुआ कि जहाँ एक ओर रचनात्मक कार्य में आजादी प्राप्त करने की तीव्रता आयी वहाँ यह भी हुआ कि रचनात्मक कार्य का 'टोन' कांग्रेस के साथ साथ 'मध्यमवर्गीय' (बुर्जुआ) रह गया, 'समाजवादी' नहीं हो सका। अपनी रचना में भी रचनात्मक संस्थाएँ 'पेट्टर-नल्लिस्टिक' ही रहीं, लोकतांत्रिक नहीं हो सकीं। क्या यह एक बहुत बड़ा कारण नहीं है कि इतनी संगठित, देश भर में फैली हुई ये गैरसरकारी संस्थाएँ लोकचित्त का माध्यम नहीं बन सकी, और उनका 'टोन और टेम्पर' आज तक अधिकारवादी (अथारिटेरियन) ही बना हुआ है और रचनात्मक कार्यक्रमों के गले के मोवेमट बात अब भी नहीं उठर रही है कि रचनात्मक कार्य समाज-परिवर्तन के लिए है? आज भी रचनात्मक कार्य इतना रंगु है कि यह सत्ता के ही सहारे सड़ा है, और सड़ा रहना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि रचनात्मक कार्य स्वयं सत्ता अधिष्ठित एक संगठन है, स्वतंत्र आंदोलन नहीं।

विस्तार से कहने की कोशिश की है। मैंने कहा है कि गांधी जी का आशय दुहरे मोर्चे का था, लेकिन न चरखा सभ आदि दश की साधन संस्थाओं के लोग और न राष्ट्रनायक संस्था कांग्रेस के लोग ही बापू की इस गहरी-तथ्यपूर्ण बात को समझ सके।

यह सही है कि गांधी जी ने कांग्रेस के तत्वावधान में अपने रचनात्मक कार्यक्रम को विशिष्ट रूप से अपने ही मार्ग-दर्शन में चलाया, लेकिन जो लोग उसमें आये वे उनके मूल लोकतांत्रिक विचार को स्वीकार करके आये ऐसी बात नहीं थी। उन सबने राष्ट्रीय आजादी प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर ही गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया था। राष्ट्रवाद एक चीज है और गांधी जी द्वारा परिवर्णित स्वराज्य यानी बुनियादी लोकतंत्र दूसरी चीज है। कांग्रेस के नेता तथा रचनात्मक कार्य के नेता दोनों में से कोई भी अपिनायक-नयवादी नहीं थे, विचार से वे सब लोकतंत्रवादी थे। लेकिन वह विचार परंपरागत लोकतंत्र का था न कि उस लोकोत्तम का, जिसके सदस्यों में गांधी जी कहा करते थे कि इस्टैब्लिश्मेंट आदि देशों में भी स्वराज्य नहीं है।

आप पूछ सकते हैं कि जिन लोगों ने गांधी जी के बताये हुए रचनात्मक काम में अपनी निष्ठा बनायी और जिन्होंने केवल दबावमूलक राजनैतिक संघर्ष में ही अपने को मर्माहित किया उन दोनों में वैचारिक अंतर क्या था। इसी प्रश्न पर गांधी जी के साधिया के बारे में काफी मालुमफ़्दमी है। आप धारणा यह हैं कि जो लोग गांधी जी के स्वराज्य की मूठ धारणा के बावजूद वे रचनात्मक काम में लगे, और जो परंपरागत

उत्तर—आपने रचनात्मक संस्थाओं के बारे में जो कुछ कहा है, उसका कारण तो मैंने पिछले लेख में मार्च, '६३]

यानी पाश्चात्य पैठन के लोचनन के बायत से, वे काँग्रेस के राजनैतिक समर्थन रहे, गृहार्थ के विलेपन करने पर यह धारणा मही नहीं गिरयेगी। दोनों पक्ष के विचार में अंतर अवश्य था, सविन उमका सदर्थ भिन था।

एक पक्ष यह मानता था कि गांधीजी का चरखा आदि का विचार पुराना दनियानुमो है, आपुनिक नहीं है। लेकिन आजादी के समर्थ में उसका कुछ महत्व हमलिय है कि जन समर्थ साधने का यह एक अच्छा जरिया है, इनलिय वे इस काम का समर्थन तो करते थे, लेकिन उसमें सक्रिय भाग नहीं लेते थे। गांधीजी के नेतृत्व का लिङ्गा भी इन कार्यक्रमो के अनुमोदन का एक कारण था। दूसरा पक्ष देना की गरीबी, आदि को परिस्थिति का गृहार्थ से देना था और मानता था कि गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में देश की बेकारी तथा गरीबी की समस्या का हल है। वह मानता था कि आजादी के बाद जब राष्ट्रीय सरकार बनेगी तब उसे मुक्त की इन समस्याओं की हल करने के लिए गांधीजी के यथावत हुए तरीकों को अपनाया होगा। आजादी के आन्दोलन के साथ साथ इन कार्यक्रमो की बुनियाद डालन का प्रयास गांधीजी की भाति की गिणितता है ऐसा व मानते थे। व मानते थे कि ऐसा करने से स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए प्रारम्भ से ही पूरे सगठित पृष्ठभूमि मिल जायगी। इस युग में सक्षर का राजनैतिक कश्मक इतनी तीव्र है कि इस प्रकार की प्रारम्भिक पृष्ठभूमि राष्ट्रीय 'स्टैबिलिटी' के लिए एक बहुत बड़ी आधार तिला बनेगी। लेकिन वे भी स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाये थे कि चरखा आदि रचनात्मक काम राज्य निरपेक्ष स्वतंत्र लोकसक्ति के अधिष्ठान का वाहन है क्योंकि लोकतंत्र में जनता का वोट ही स्वतंत्र लोक सक्ति का आधार है, इस परंपरागत विचार को वे मानते थे। यही कारण है कि १९३५ के राजनैतिक मुद्दा से स्वराज्य को एक शुद्ध मालक मिलते ही जब चरख को मालिक मजदूर के बोध के अयाय के निराकरण का साधन बनाने के उद्देश्य से गांधी जो ने छादी बार्थ में जीवन-वेतन के सिद्धांत को अपनाते को कहा, तब रचनात्मक-कार्य के सभी

नेताओं ने उसका विरोध किया और सन् १९४४ में अंग्रेजों के चले जाने का आशापत्र पाते ही जब गांधीजी ने चरखा मूक रचनात्मक कार्य को तंत्रमुक्त तथा स्वतंत्र शोषक-आधारित बनाने के लिए चरखा सच के नवतास्करण का प्रस्ताव रखा, तब गम्भी लार्गों ने इसे गांधी जी का नितामत्त पागलपन यज्ञाकर अस्वीकार कर दिया। इससे स्पष्ट है कि भारत की पनी आजादी तथा गरीबी के सदर्थ में ही उद्योगे इन कार्यक्रमो को स्वीकार किया था और राष्ट्रीय सरकार को यह जिम्मेदारी है कि वस्तुस्थिति के सदर्थ में ही यह देना का निर्माण करे, ऐसा विचार के रमने से। यही कारण है कि आज सारी रचनात्मक संस्थाएं मानती हैं कि यह काम जनता सरकार की जिम्मेदारी है और अपने को मजदूर आधारित रमने का तर्क भी पेश करती हैं।

मैन पिछले लेख में लोचनन के सदर्थ में भारत की विशिष्ट परिस्थिति का विवेचन किया है। अंग्रेजों साम्राज्य के कारण इन देश में जिन तरह लोचननिक संस्कार के पनपने का मार्ग अवश्य हुआ और उसके स्थान पर यह मुक्त जिस तरह सामतवादा, जाति वादी, पूँजी वादी तथा हाकिमवादी चतुर्विध अधिसत्तात्मक मानव का भिकार बना, इसका जिक्र किया है। स्वभावतः काँग्रेस के राजनैतिक तथा रचनात्मक, दोनों पक्ष इसमें अपनाद नहीं हो सके क्योंकि आन्दोलन के दरम्यान उनका ध्यान गुलाबो के निराकरण पर ही केन्द्रित रहा। परस्पर मानत पुराना ही बना रहा।

प्रश्न-२ क्या आपका यह क्वाल है कि बोर्ड आरी लन केवल निष्ठाओं पर खड़ा किया जा सकता है? बापु के रचनात्मक कार्य में निष्ठाओं की प्रधानता थी, जैसे एकादस द्रत आदि। यही कारण है कि रचनात्मक संस्थाएँ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का अभ्यास वेद्र बनीं, लोक-जीवन का साधना स्थल नहीं, क्योंकि लोक-जीवन में लोक की आवश्यकताएँ और आकांगण होती हैं, निष्ठाएँ नहीं।

उत्तर—केवल 'निष्ठा' नाम की कोई चीज नहीं होती है। निष्ठा किसी विचार के लिए होती है। निष्ठा के अभाव में कोई विचार फेल नहीं सकता है और जो



विचार फलदा नहीं है, वह आन्दोलन का रूप नहीं ले सकता है ।

लोकजीवन के लिए कोई आधार चाहिए। आज उसका आधार कानून और दंड है। गांधी जी उस आधार को बदलना चाहते थे और दंड के स्थान पर सकल्पनिष्ठा—जो स्थापित करना चाहते थे। वे समाज के 'हायनेमिक्स' को ही बदलना चाहते थे, भय के स्थान पर विचार को स्थापित करना चाहते थे। नि सदेह भयरहित समाज शून्य पर स्थिर नहीं रह सकता है, उसे निष्ठा आधारित बनना पड़ेगा। अगर लोकजीवन को निष्ठा आधारित बनाना है तो निष्ठा को कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का अभ्यासरूप मान बनाने से काम नहीं चलेगा, उसे निश्चित रूप से लोकजीवन का साधना क्रम बनाना होगा। यही कारण है कि गांधी जी पूरे आन्दोलन को आत्म-शुद्धि का आन्दोलन कहते थे और प्रार्थना को आश्रमों की चहारदीवारी के अंदर मर्यादित न रख कर सार्वजनिक सभाओं के अतिरिक्त अंग के रूप में रखते थे। एकाग्र व्रत आदि वा उच्चारण भी व्यापक लोकजीवन में फैलाते थे। जो केन्द्र क्रिया भी आन्दोलन का 'बैस' बनेगा, नि सदेह उस केन्द्र में आन्दोलन को विचार निष्ठा का अभ्यास अधिक गहराई में करना आवश्यक है। आश्रमों को गांधी जी अपने आन्दोलन का 'बैस' बनाना चाहते थे इसलिए उनमें निष्ठाओं की प्रधानता आवश्यक थी।

आप पूछेंगे कि फिर सस्थाएं अपनी निष्ठा को लेकर जड़वत क्यों रह गयीं ? इसका कारण भी वही है जो मैंन ऊपर बताया है। प्रश्न यह है कि निष्ठाओं का अभ्यास करनेवालों की निष्ठा किस पर रही ? समाज के 'हायनेमिक्स' के रूप में भयशक्ति के स्थान पर निष्ठा शक्ति पर निष्ठा थी या नहीं ? मैंन पहिले ही कहा है कि जो लोग गांधी जी के साथ आन्दोलन में शामिल हुए थे, उनमें करीब तभी लोग केवल राष्ट्रीय आजादी का लक्ष्य रखते थे। गांधीजी के रचनात्मक कार्य के आश्रम के लोग भी इसमें अन्वेषण नहीं थे। अगर वे एकाग्र व्रत आदि निष्ठाओं का अभ्यास करते थे तो यह समाज में नयी 'हायनेमिक्स' के अधिष्ठान की दृष्टि से नहीं था, बल्कि प्राचीन परंपरा के अनुसार व्यक्तिगत जीवन की साधना की दृष्टि से था। फलस्वरूप वह

निष्ठा सामाजिक शक्ति न बनकर व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा बन कर रह गयी। उनमें से किनोबा आदि जैसे जो लोग निष्ठा को समाज की आधार-शक्ति के रूप में देख सके थे, उनको निष्ठा आज भी अपनी-अपनी शक्ति-धर समाज को आन्दोलित कर रही है।

अतः जब आप गांधी जी की चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तब उनका हर चीज को मूल विचार के सदर्भ में तोलना होगा और उनके बताये हुए कार्यक्रम को माननेवालों ने उसे किम सदर्भ में स्वीकार किया था इसको जाच अत्यंत बारीकी से करनी होगी, क्योंकि गांधी जी का पूरा जीवन काल अग्रणी राज्य को समाप्त करने में ही लग गया। इसके कारण देश के हर प्रकार के सामाजिक विचार रखनेवाले उनके नतुल्य के नीचे आये और वे उनके कार्यक्रमों को अपनी अपनी भावना तथा विचार के अनुसार स्वीकार कर उनका अमल करते थे। कांग्रेस का राजनैतिक पक्ष तथा रचनात्मक पक्ष दोनों ही एक प्रकार के सम्मिश्रित मोर्चे के रूप में ही काम करते रहे हैं। यही कारण है कि आज क्रिती पक्ष की निष्ठा किसी एक सामाजिक पद्धति के पक्ष में नहीं बन सकी और इसी कारण से उनमें कोई निश्चित दिशा नहीं बन सकी। यही कारण है कि उनमें से कोई पक्ष लोक जीवन को आलोडित नहीं कर पा रहा है।

प्रश्न—(३) मेरी ऐसी धारणा है कि हमारे देश में जिस तरह राजनीतिक नेता सत्ता के नाम में लोकजीवन से हट गये उसी तरह रचनात्मक कार्यकर्ता भी सेवा और लोक-बल्ल्याण के नाम में लोक जीवन से हट गये। अपने देश में कोई और सरकारी पुनरुत्थान का आन्दोलन 'गान अकिसियल रिनेसन्स मूवमेंट' बन ही नहीं सका। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र की विकलता के मुख्य कारणों में एक कारण है रचनात्मक कार्य की विकलता और रचनात्मक कार्य की विकलता के मुख्य कारणों में एक यह है कि रचनात्मक कार्य शून्य से ही सत्ता ( पावर ) की खोज के साथ जुड़ा रहा और वह आज भी सत्ता से अलग नहीं हो रहा है। इसलिए यह कहना पड़ता है कि गांधीजी को आकाशा लोक शक्ति की दिशा में चाहे जो रही हो, उनकी व्युत्-रचना में कमी थी। क्या ऐसा कहना ठीक है ? आप

## शिक्षा का अर्थशास्त्र

श्री राममूर्ति

१ सदियों तक शिक्षा समाज के उस समुदाय तक सीमित रही है जो हाथ से कमाई का काम नहीं करता था। वह संस्कार आज तक इस रूप में बना हुआ है कि शिक्षित आदमी हाथ से काम नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे-जैसे विज्ञान और लोकतन्त्र के इस युग में आर्थिक विकास होता जा रहा है लोगों में यह प्रतीति जगती जा रही है कि शिक्षा आर्थिक विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी सांस्कृतिक विकास के लिए। भौतिक जगत के ज्ञान से ही आधुनिक टेक्नाजोजी का विकास हुआ है जिसने मनुष्य के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोले हैं। इसलिए ज्ञान का उत्तरोत्तर समग्र और उसे नयी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध करना आर्थिक प्रगति की बुनियाद है। इस कारण से शिक्षा का खर्च बराबर बढ़ता जा रहा है। हिसाब लगा कर देखा गया है कि आर्थिक विकास के प्रारम्भिक काल में राष्ट्रीय आय का १२ प्रतिशत ही शिक्षा में खर्च होता है लेकिन विकास के साथ-साथ यह खर्च ४ से ५६ प्रतिशत तक पहुँच जाता है। खर्च के बढ़ने के सिवाय घटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक ओर आर्थिक विकास की आवश्यकता है, दूसरी ओर लोकतन्त्र में अशिक्षी, गियों तथा अन्य अल्पसंख्यकों की ओर से समान अवसर की माँग है जो पहिले शिक्षा से वंचित रखे जाते थे लेकिन अब किसी तरह उन्हें अलग नहीं रखा जा सकता।

२ इतना ही नहीं, अब स्वयं अर्थशास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बढ़ती हुई टेक्नालोजी में आर्थिक विकास के लिए केवल पूँजी (फिजिकल

इन्वेस्टमेण्ट) काफी नहीं है, बल्कि सबसे अधिक महत्व है आर्थिक प्रवृत्तियों के मूल में काम करनेवाले सम्पूर्ण सामाजिक जीवन और लोगों की जीवन दृष्टि का। विकास केवल आर्थिक नहीं है, वह सम्पूर्ण और समग्र है।

३ आज तक शिक्षा ने किसी समाज की विशिष्ट सङ्कृति को सुरक्षित रखने का ही काम किया है। धर्म और उसकी प्रेरणा और उसके प्ररन्ध में बल्ले वाली शिक्षा ने यही काम किया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और मानव शास्त्र को आधार माननेवाली शिक्षा परिवर्तन और विकास को ही लक्ष्य मानकर चल सकती है। शिक्षा विकास की गति को तेज बनाने के लिए है, और अब तो यह भी सिद्ध हो गया है कि समाज के रुके हुए जीवन को विकासशील बनाने के लिए पहले के जमाने में जो खूब बढ़ता था और पूरे समाज को परिवर्तन के नाम में जो वेदना सहनी पड़ती थी उससे बचाने की शक्ति शिक्षा में ही है। शिक्षा सन्धि काल (ट्रैन्जिशन) को आसान बना सकती है। इस दृष्टि से स्वास्थ्य, यातायात लोक नृत्याण आदि के साथ-साथ शिक्षा को 'सामाजिक पूँजी' (सोशल कैपिटल) मानना चाहिए जिसके बिना केवल प्रत्यक्ष उत्पादन में पूँजी लगाने से पूरी सफलता नहीं हासिल की जा सकती। बिना आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था के कोई विकासशील आर्थिक ढाँचा काम नहीं कर सकता क्योंकि आर्थिक क्रियाओं के लिए जिस बारीक हुनर की जरूरत होती है वह शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। स्व, अमेरिका और पाश्चात्य योरोप के विकास से यह प्रमाणित होता है।

कि धर्मियों और कारीगरों को जितनी ही अधिक शिक्षा दी गयी है, उतनी ही उनकी उत्पादन-क्षमता बढ़ती है, साथ ही यह भी प्रकट हुआ है कि हुनरवाले लोगों की कमी के कारण आगे का विकास रुक गया है।

४ इस तरह आर्थिक विकास के लिए तीन चीजों की मुरय जरूरत है।

(क) आर्थिक विकास के प्रति जनता की दृष्टि।

(ख) हर स्तर पर हुनर की उपलब्धि।

(ग) पूँजी।

आज प्रायः सभी उन्नत देशों में, मुख्यतः फ्रांस, रूस, नीदरलैंड, युगोस्लाविया और स्वीडन आदि में, अच्छी तरह हिंसाय लगा लिया जाता है कि समाज की आर्थिक मशीन के लिए किस तरह के कितने प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है, और तब शिक्षा द्वारा उन्हें तैयार करने की कोशिश का जाती है। इसे 'मैन पावर फोरकास्टिङ्ग' कहते हैं, पंचवर्षीय योजना के प्रभाव में अपने देश में भी इस विचार की गूँज पैदा हो रही है, लेकिन कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों से शिक्षा में कोई नया अभिन्नम नहीं प्रकट हो पा रहा है।

५- यहाँ स्वयं शिक्षा की उत्पादन शीलता (प्रोडक्टिविटी) का प्रश्न उठता है। क्या आर्थिक विकास के साथ-साथ शिक्षा ज्यादा खर्चीली हो जाती जायगी? क्या उससे कोई प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होगा? एक ओर शिक्षा और शिक्षकों की माँग बढ़े, और दूसरी ओर उनकी उत्पादनशीलता न बढ़े, तो क्या ऐसे विशाल अनुदाय का बोझ समाज उठा सकता है जिनकी सेवा समाज के लिए आवश्यक तो है लेकिन जो स्वयं कोई उत्पादन नहीं करता?

६ शिक्षित और अधिशिक्षित व्यक्ति की कमाई करने की क्षमता में बहुत अन्तर होता है। इस अन्तर को पैदा करने के लिए स्वयं समाज को शिक्षा के माध्यम से बहुत खर्च करना पड़ता है। शिक्षा के खर्च में वेतन, सामान (गुड्स), आवश्यक सेवाएँ, (सर्विसेज) सभी शामिल हैं। इनके जलावा अगर हम यह भी जोड़ लें कि अगर विद्यार्थी शिक्षा में न रह कर कमाई का

मार्च, '६३ ]

काम करता तो वह कितना कमाता तो शिक्षा का टोटल मूल्य कहीं अधिक बढ़ जाता है। ऐसी हालत में स्पष्ट है कि अगर हमें शिक्षा को समाज के विकास की आवश्यकता के साथ जोड़ना है तो उसकी बनावट, संगठन, पद्धति आदि सब में कितना बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा। पुराना पाठ्यक्रम, शिक्षकों का पुराना प्रकार या सग्या, और शिक्षा के पुराने साधन काम नहीं देंगे।

७ अभी तक हमने शिक्षा को केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा है। हम ने दो ही प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है—एक, उच्चे का स्वभाव, दो, शिक्षण की प्रक्रिया (लर्निंग प्रोसेस)। लेकिन हम ने यह नहीं सोचा कि समाज में प्रचलित अभाव, सामाजिक संबंध और अभियोजन (एंडाउल्मेण्ट), गरीबी और निरक्षरता, ये सब देखने में आर्थिक और सामाजिक प्रश्न हैं, पर बुनियाद में शिक्षा की समस्याएँ हैं। भारत-जैसे अधिकांश देश में आर्थिक समस्या का स्थान सब से पहला है। उसके हल हुए बिना किसी प्रकार की प्रगति समझ नहीं है।

८ अगर यह बात सही हो तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आर्थिक विकास में बाधक न हो, बल्कि साधक और सहायक हो। अगर शिक्षा द्वारा प्रति क्रियावादी सांस्कृतिक और सामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता रहेगा तो विकास में बाधा पड़ेगी, इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री ऐसे विषयों, जैसे-गणित, विज्ञान, समान शास्त्र आदि पर जोर देते हैं जो दिमाग के पुराने आग्रहों और रुढ़ियों को तोड़ ताकि बुद्धि सत्कार पर विजय पा सके। हुनर की दृष्टि से विभिन्न दस्तकारिया तथा प्रारम्भिक खेती भी आवश्यक मानी जाती है क्योंकि इन से आदमी की कमाई करने की क्षमता बढ़ती है।

९ आजकल शिक्षा में एक विचित्र विरोधी रिश्ता पैदा हो गयी है। एक ओर शिक्षा की भूपर उदर रहा है और दूसरी ओर शिक्षितों की बेकारी बढ़ रही है। बी० ए०, एम० ए०, जैसी कला की डिग्रियाँ प्राप्त करके लोग मारे-मारे फिर रहे हैं या थोड़े पैसों पर काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों,

[ २६८ ]

डाक्टरों और इंजीनियरों की कमी भी पड़ रही है। इस का कारण क्या है, और निवारण का उपाय क्या है ?

१० क्या अप्रिकृत देश का विकास, जिस में पूँजी का अभाव और मनुष्य शक्ति की प्रचुरता है, हम उन्हीं तरीकों से कर सकते हैं जो पाश्चात्य जगत् में इस्तेमाल किये गये हैं जहाँ परिस्थिति मित्रकुल मिल रही है ? इस प्रश्न पर हमें तत्काल निर्णय कर लेना चाहिए कि हम ( १ ) प्रचलित तरीकों से अपने देश का विकास करेंगे और लोगों को लाने लाने का पूर्ण या आंशिक तौर पर बेकार रखेंगे या ( २ ) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मनुष्य शक्ति को सघन आर्थिक विकास का आधार बनायेंगे ? हमें यह जान लेना चाहिए कि श्रम-संश्लिष्ट टेक्नालोजी का स्वरूप पूँजी केन्द्रित टेक्नालोजी से निकलता है। दोनों के लिए दो तरह के हुनर आवश्यक होते हैं। दोनों में दो तरह के भूमिक और सुपर-वाइजर चाहिए। इसके अगवा हमारे निर्णय के साथ मजदूरी और वेतन का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। हमें पुरस्कार और पारिश्रमिक में यह गुंजाइश रखनी ही पड़ेगी कि योग्य और हुनर सीखे हुए लोगों को काम की प्रेरणा मिल सके और किसी तरह किसी के बेकार रहने की परिस्थिति न पैदा हो।

११ शिक्षा सत्रसे अधिक मनुष्य शक्ति का ही इस्तेमाल करती है। गरीब देशों में श्रम शक्ति सस्ती है, लेकिन हुनर प्राप्त लोग महंगे हैं। शिक्षित लोग बेकार हैं जब कि स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। एसी परिस्थिति में तीन ही रास्ते हैं।

क मजदूरी और वेतन की सीमा समाज के वास्तविक जीवन के सदृश में तय होनी चाहिए, और विभिन्न देशों के प्रति समाज में जो मूल्य प्रचलित हैं उन में परिवर्तन होना चाहिए।

ख प्रतिबद्धिवा-मूलक अर्थनीति को खुली छूट दे दी जाय।

ग बाहर से मदद मंगा कर शिक्षा का विकास किया जाय, लेकिन यह सोच लेना चाहिए कि क्या ऐसा करना उचित या संभव होगा।

१२ आर्थिक विकास की कोशिश करने में अनेक पेचीदा प्रश्न पैदा हो जाते हैं, जैसे रुपये का मूल्य घटना और विदेशी व्यापार में प्रतिकूल स्थिति, आदि जिसकी पूर्ति के लिए बाहर से पैसा लेना पड़ता है और यह कमी जितनी ही तेजी से पूरी की जायगी उतनी ही तेजी से विकास होगा।

१३ तो गरीब देशों के सामने जो समस्याएँ हैं वे धनी देशों के सामने नहीं हैं और इसलिए उन के समाधान के उपाय भी एक नहीं हैं। (क) गरीब देशों में शिक्षा अत्यंत महंगी पड़ता है, (ख) गरीब देश बाहर से पैसा ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि विदेशी टेक्नालोजी भी ले रहे हैं जो उन की परिस्थिति के लिए अनुपयुक्त हैं—नया आर्थिक दृष्टि से ही अनुपयुक्त नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी। इसलिए सत्र से पहले आवश्यक है कि हम अपने लिए उपयुक्त टेक्नालोजी के प्रश्न पर स्वतंत्र रूप से विचार करें। (ग) एसी परिस्थिति में नीचे से ऊपर तरफ की शिक्षा का स्वरूप क्या हो ? लोकतंत्र में व्यापक प्राथमरी शिक्षा के विस्तार की मांग स्वाभाविक है, और जब प्राथमिक शिक्षा का विस्तार होता है तो माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाओं का विकास अनिवार्य हो जाता है। शुरू और बाद की शिक्षा का यह सत्रध किसी देश के पूरे शैक्षणिक ढांचे को स्थिर करता है। इस दृष्टि से संपूर्ण ढांचे पर विचार किये बिना विस्तार के प्रश्न पर नीति-संबंधी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता।

अगर शिक्षा और विकास को एक साथ ले चठना हो, जो प्रिशन और लोकतंत्र की भूमिका में अनिवार्य है, तो बिल्कुल नय सिरे से विचार करना चाहिए।



# शिक्षण और लोकतंत्र

ति० न० आत्रेय

आज लोकतन्त्र केवल एक सामाजिक मूल्य नहीं बल्कि मानव के पूरे जीवन का ही एक मूल्य बन गया है। मानव अपने राष्ट्र की व्यवस्था लोकतन्त्र के आधार पर चलाने का इच्छुक तो हो ही गया है, इससे भी अधिक वह इस चिन्तामें है कि जीवन के दूसरे पहलुओं में भी लोकतन्त्रात्मक तत्त्व कैसे दायिल हों। साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, रैनिक्वाद आदि विभिन्न पद्धतियों को आजमाने के बाद वह लोकतन्त्र को अपनाने की स्थिति में पहुँचा है। सही अर्थ में लोकतन्त्र की स्थापना और विकास के लिए व्यापक समग्र-शिक्षण की आवश्यकता को सारा सारा मानने लगा है। इस संदर्भ में शिक्षण का स्वरूप और शिक्षक के कर्तव्य का कुछ विवेचन यहाँ करेंगे।

प्रारम्भ में, शक्षण में यह स्पष्ट कर लेना ठीक होगा कि लोकतन्त्र क्या है।

आज की विभूति : व्यक्ति

लोकतन्त्र के कुछ बुनियादी सिद्धान्त हैं जिनके बिना वह कुछ रह नहीं जाता। व्यक्ति अपने में विभूति है, यह उसका पहला सिद्धान्त है। लोकतन्त्र मानता है कि व्यक्ति अपने आप में 'व्यक्ति' है, इस लिए व्यक्ति के नाते वह 'मूल्यवान' है। लोकतन्त्र में किसी भी व्यक्ति की उपमा नहीं हो सकती, एक के भले के लिए दूसरे को साधन बनाना या दूसरे को साधन बनने के लिए विवश करना लोकतन्त्र को मान्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पूरा विचार करने का अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में जो एक न एक विशेषता विद्यमान है उस निस्तारने का उसे पूरा अधिकार है।

मार्च, '६३ ]

इन सब बातों के पीछे वही सिद्धान्त है कि 'व्यक्ति' इस युगकी विभूति है। अतः किसी एक को भी उपेक्षा किमी बिना सब का भला करने के हेतु से सब के हित सम्बन्धों की रक्षा के लिए सबका मिला जुग जो सगठन बनता है उसीका नाम लोकतन्त्र है।

अधिनायकवादी राज्य-व्यवस्था में इनके विपरीत होना है। व्यक्ति का मूल्य वहाँ हम बात पर निर्भर है कि वह राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए बिना सहायक है। वहाँ देश ही सब कुछ है, व्यक्ति का अपना कोई स्थान नहीं है।

यह वैज्ञानिक युग कहा जाता है, पर विज्ञान में भी व्यक्ति का व्यक्ति के नाते कोई मूल्य नहीं है। विज्ञान की दृष्टि में मनुष्य एक अधिक विकसित इन्द्रियो-वाला और सेतनाशील प्राणिविद्य के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन लोकतन्त्र के लिए 'व्यक्ति वा भला' कोई संकवास नहीं है या 'अविचारणीय विषय' भी नहीं है क्योंकि व्यक्ति लोकतन्त्र का सत्व है, मुख्य अधिष्ठान है।

लोकतन्त्र का उदय ईसाई धर्म के प्रसार के बाद हुआ है, इसलिये लोग कहते हैं कि लोकतन्त्र की बुनियाद में आध्यात्मिक विचार का प्रभाव है। न केवल ईसाई धर्म में, बल्कि धर्म-मान में मानव को, वह चाहे किसी भी देश का हो, ईश्वर की सन्तान माना जाता है। ऐतिहासिक जीवन में इस मान्यता की अभिव्यक्ति कई रूपों में प्रकट हुई है। मुख्य रूप में मृत्युदण्ड की और सामाजिक बहिष्कार को अमानवीय कहने के पीछे वही मान्यता विद्यमान रूप से काम कर रही है।

## समानता

शोकतन्त्र का दूसरा सिद्धान्त है मानव मात्र की समानता। यहाँ समानता का अर्थ यह नहीं है कि शोक-तन्त्र सबको धारीरव या दौदिक व्यक्ति में समान मानता है या सब को आवश्यकता का परिमाण और प्रकार समान है। यहाँ समानता का अर्थ यही है कि धर्म, जाति, लिंग, अवस्था आदि सभी भेद भुलाकर सब को अपना अपना विचार करने का समान अवसर मिलना चाहिए और सब का समान रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक या देवी विपन्नताएँ जिस हद तक व्यक्ति के विकास में बाधक होती हैं वह यहाँ विचारणीय विषय नहीं है। समानता का यह सिद्धांत और बाकी सिद्धांत भी व्यक्ति को विभूति माननेवाले पहले सिद्धांत से निकले हुए हैं, विशेष बल देने की दृष्टि से इन्हें स्वतन्त्र सिद्धांत के रूप में माना जाता है।

## स्वतन्त्रता

तीसरा सिद्धांत है स्वतन्त्रता का अधिकार। लोकतन्त्र में व्यक्ति के जीवन पर किसी बाह्यी शक्ति का नियंत्रण नहीं रह सकता। सभी व्यक्ति पूर्णतया स्वतन्त्र हैं। जैसे 'स्वतन्त्रता' शब्द अक्सर उल्लेखन पैदा करता है क्योंकि सामाजिक यतया स्वच्छन्दता और स्वतन्त्रता को ममानार्थी मान लाने की भूल हो जाती है। वस्तुतः स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता नहीं है। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज को व्यवस्थित बनाये रखने में ही व्यक्ति का भला है इस लिए स्वतन्त्रता को स्वच्छन्दता में बदलने देना आवश्यक हो जाता है। अतः एक ओर व्यक्ति की स्वतन्त्रता है और दूसरी ओर समाज का जीवन है और इन दोनों में सतुलन बिठाना एक महत्व का काम है।

लोकतन्त्र में स्वतन्त्रता का अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति अपने गुणों और विशेषताओं का चाहे जितना विकास कर सकता है वैसे कि उनके द्वारा वह दूसरों का भला कर सके अर्थात् व्यक्ति अपना यही गुण और यही विशेषता विकसित करने को स्वतन्त्र है जो दूसरों के काम आ सके। इसीका नाम नैतिकता है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता हमेशा नैतिक जिम्मेदारी से नियंत्रित है।

एक व्यक्ति का हित-संग्रह दूसरे व्यक्ति से और सारे समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वतन्त्रता को आवागमन और उपयोग का अर्थ ही है 'सर्वेषां अविरोधेन' जोने का प्रयत्न।

## दया प्रवृत्ति, मनन

लोकतन्त्र का चौथा सिद्धांत यह है कि किसी से कोई काम लेना है या कोई बात मनवानी है तो वह जोर-जबरदस्ती से न हो, समझा-बुझाकर ही, विचार-विनिमय के द्वारा हो। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय कायम करने का, निर्णय लेने का और उस पर अमल करने का पूरा अधिकार है। यद्यपि कोई बात जोर-जबरदस्ती से मनवानी आसानी है और उससे काम लेना अमानवीय मानता है, परन्तु लोकतन्त्र दण्ड के भय से काम लेना अमानवीय मानता है। दूसरे के मन को ही बात बचो न ही फिर भी जब तक वह मानता नहीं है कि वह भली बात है तब तक उस पर कोई बात लादी नहीं जा सकती। जहाँ तक व्यवहार का प्रश्न है सत्य सापेक्ष है और इसी लिए चर्चा और विचार को लोकतन्त्र महत्व का साधन मानता है। लोकतन्त्र में बहुमत से निर्णय लेने की प्रथा हम लिए नहीं चल पड़ी है कि अल्पमत का कोई काम मूल्य है, परन्तु इसलिए खली कि सर्वसम्मति जब तक सम्भव न हो तब तक काम चलाने के लिए एकाधिकार से काम चोपवाली प्रथा यही देखी।

मूलतः ये चार मूलभूत तत्व हैं जिन पर लोकतन्त्र आधारित है। प्रत्येक प्रसङ्ग में अगुल्य निर्देशपूर्वक इन तत्वों को दिखाना हमेशा साध्य सम्भव न हो फिर भी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में प्रत्येक प्रसङ्ग में ये तत्व बराबर काम करते रहते हैं और इनका जाने अनजाने हर कदम पर प्रभाव पड़ता है। ये तत्व जिस मात्रा में स्पष्ट होने जाते हैं और जितना परिमाण में अधिक बाधक काम में लिये जाते हैं उसी परिमाण में मानव-समाज आगे बढ़ेगा और जीवन सहज और सुन्दर बनेगा और ऐसी परिस्थिति के निर्माण में तथा उसमें आनेवाली बाधाओं को दूर करने में शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्तमान स्थिति में शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का विचार करना यहाँ शायद सम्भव नहीं होगा, इसलिए केवल छ समस्याओं को लेकर शिक्षा के बर्तव्य पर विचार करेंगे ।

### शिक्षा का क्षेत्र

शिक्षा से यहाँ शालेय शिक्षा ही अभिप्रेत नहीं है, बल्कि शालेय शिक्षा के साथ लोक-शिक्षा भी है । शिक्षा जन्म से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती है, इसलिए शालेय शिक्षा तो उस व्यापक शिक्षा का अंश-भाग है । इस वर्ष में शिक्षा के सामने दो ही इकाइयाँ रह जाती हैं—एक, व्यक्ति जो वास्तव में शिक्षा का पात्र है और जहाँ शिक्षा को चरितार्थ होना होता है, और दूसरी इकाई 'विश्व' जो शिक्षा की अन्तिम परिधि है । चूंकि शिक्षा जीवन-मूलक ही हो सकती है इसलिए जीवन के आयोजन, संयोजन और कार्यक्रम की दृष्टि से एक और इकाई हो सकती है और वह है 'पात्र' की । विदेशों में 'कम्युनिटी' के रूप में इसीका बोध होता है । आयोजन के लिए यह युनियनवादी इकाई है । इन तीन के अलावा परिवार से लेकर प्रांत, राष्ट्र आदि कोई दूसरी इकाई हो नहीं सकती । गांधीजी की भाषा में तरंगों के समान उत्तरोत्तर विस्तृत होती जानेवाली परिधियों में परिवार, प्रांत, राष्ट्र आदि सीमाओं का समावेश हो सकता है, पर परिपूर्ण और समग्र इकाई के रूप में उनका कोई स्थान नहीं है । शिक्षक की आत्मा के सामने व्यक्ति है जिसकी वह प्रत्यक्ष सेवा कर सकता है, और उसके मन में विश्वास है जिसकी वह भक्ति या भावना कर सकता है और जिसकी भावना से व्यक्ति-सेवा को निर्दोष और तेजस्वी बना सकता है । शिक्षा के आधार के रूप में इन दो या तीन सीमाओं से भिन्न कोई सीमा मान लेना लोकतंत्र के लिए पातक है, क्योंकि बाकी सीमाएँ फूट और भेदभाव के कारण बनती हैं ।

अब हम व्यक्ति और विश्व से संबंधित और लोकतंत्र में महत्त्व रखनेवाले कुछ मुद्दों पर विचार करें जो शिक्षा से अतिव्यवधान हैं ।

### पहला मुद्दा : मानव का अमानवीकरण

ज्या ज्यों विज्ञान के नये नये आविष्कार सामने आते जा रहे हैं त्यों त्यों मनुष्य का मनुष्यत्व समाप्त होता मार्च '६३ ]

जा रहा है । मानव के अमानवीकरण के तान मुख्य पहले हैं—एक यह कि समाज के सारे काम यंत्र प्रधान होत जा रहे हैं, दूसरा यह है कि मनुष्य का मनोरंजन यांत्रिक और यंत्राधीन हुआ है और तीसरा यह कि व्यक्ति पर समूह बड़े पैमाने पर हावी हो रहा है और समूह तो अनेक उलझनों से भरा है जिसके कारण व्यक्ति का भी जीवन उलझनों से भर गया है ।

उद्योगों में यंत्रों के दाखिल होने के कारण आज हाथ की कारीगरी—जैसी कोई शोष नहीं रह गया है । शिल्प आज उतना प्रतिष्ठित तत्त्व नहीं रहा । पहले जमाने की तरह काम, कला, जीवन और पूजा ये चारों पर्यायवाची शब्द नहीं रहे । यद्यपि मानव की इच्छा को उत्तम बढाने में मदद करने के बजाय उस शक्ति को कुण्ठित करने लगे हैं । विविधता में सौंदर्य का अनुभव करने की रुचि यंत्रों के कारण बदल गयी है । समाजों के रूप आज की विद्यपता बना है । यंत्रों के कारण काम में मानव की सूक्ष्म-बुद्धि को बहुत कम स्थान रह गया है । यदि इस प्रकार मनुष्य की भावना और सूक्ष्म-बुद्धि के लिए गुंजाइश न रहे तो कोई भी यंत्र मनुष्य के भी यंत्र बना देता है और आज करीब-करीब यही स्थिति है ।

दूसरा पहलू मनुष्य के मनोरंजन का भी यंत्र प्रधान होता है । आज अपने मनोरंजन के लिए व्यक्ति को स्वयं कुछ करने या कुछ उठाने की आवश्यकता नहीं है । व्यक्ति आज केवल दर्शक या केवल श्रोता रह गया है । एक बटन दबा दीजिए, बढिया संगीत सुनिए, बढिया नाटक देखिए, काव्य सुनिए और चाहे जा आनन्द लीजिए । नृत्य, गायन, चित्रकारिता आदि कलाओं का उपयोग कला के रक्षास्वादन के लिए न होकर बस गुजारने या मन का बोझ हल्का करने के साधन के रूप में होने लगा है । परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिकाधिक निष्क्रिय बनता जा रहा है, प्रांतभा और बला भी मुट्ठी-भर लागू की बगोनी बनती जा रही है । इस प्रकार मानव अपनी एक बड़ी विशेषता खो रहा है ।

तीसरा पहलू, व्यक्ति पर समूह हावी हो रहा है । आज लास-करोड़ों की भाषा ही काम में ली जाती है, इसलिए नाम का स्थान सख्या न ले रहा है । जहाँ मनुष्य केवल सख्या बन जाता है वहाँ उसकी अपनी विशेषता

या प्रोत्साहना का कोई स्थान नहीं रह जाता है। व्यक्ति के नाते व्यक्ति आज क्षुब्ध हैं, अस्तित्व क्षुब्ध है। साक्षर पदार्थ का काम करने वाले स्कूट वालेओं की भी यही स्थिति है। वहाँ भी सख्या ही 'सब कुछ' बनती जा रही है।

मानव को मानव बनाने रखने का काम जितना शिक्षा का है उतना और विनी का नहीं है। व्यक्ति को कुशल, प्रतिभावान और प्रतिष्ठित करने की दिशा में शिक्षा को ही प्रयत्न शील होना होगा।

### दूसरा मुद्दा : लोक शिक्षण के साधन

वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के साथ मानव का मन और अस्तित्व भी काफी विनमित होता जा रहा है। पिछले सताब्दी के मानव की आशावादाओं और आवश्यकताओं के साथ इस सताब्दी के मानव की आकांक्षा और आवश्यकता का मेल साध्य ही बैठ सकता है। नयी आकांक्षा और नयी आवश्यकता के अनुरूप ही नये साधन और नये मार्गों की खोज मानव ने कर ली है। इसी प्रकार एक लोकनियोग देश को आज की समस्याएँ और उनके समाधान का स्वरूप भी पिछली सताब्दी की तुलना में आज बिल्कुल ही भिन्न होगा। भारत में लोकतंत्र का विचार अभी-अभी होने लगा है, संसार के अय राष्ट्रीयों के मुकाबिले यहाँ का प्रयोग बिल्कुल ही प्रारम्भिक अवस्था का है।

देश में अब ५०-६० वर्षों में जिन-जिन क्षत्रों में प्रगति तभी का साथ हुई है उन में तीन क्षत्रों की ओर सब से पहले ध्यान जाता है जो लोकशिक्षण के माध्यम भी है। एक छापाखाना दूसरा चलचित्र और तीसरा रेडियो। छापाखाना बाकी दो की अपेक्षा पुराना जरूर है, फिर भी तंत्र-शास्त्र (टेक्नालोजी) और यातायात के साधनों की प्रगति के कारण तीनों साधन समानरूप से व्यापक और अधिक परिणामकारी हो रहे जा रहे हैं। समाज में इन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इन का उपयोग सब के लिए बहुत आसान हो गया है। इनकी विशेषता यह है कि इनके बलपर व्यक्ति से चाहे जैसा काम लिया जा सकता है और व्यक्ति पर चाहे जिस प्रकार का प्रभाव डाला जा सकता है। ये साधन गलत

हाथों में चले जायं तो समूचे देश को भ्रष्ट और दुराचारी बनाने में कोई दर नहीं लगती। नैतिकता की दृष्टि से जो व्यवहार और जैसा जीवन अनिष्ट है उस ही प्रतिष्ठित और प्रसारित करना आज बहुत सरल हो गया है। रोज-रोज एक ही बात पढ़ते-पढ़ते और देखते-देखते लोग उस से इस हद तक प्रभावित हो जाते हैं कि अपना विवेक छो देते हैं, गूढ़ सोचने और खुद निर्णय करने की अपनी शक्ति गवा बंटते हैं।

बहुते को आवश्यकता नहीं, कि व्यक्ति के अपनी सद-विवेक वृद्धि गायम रखने में जो-जो चीजें बाधक हैं, निश्चित ही वे लोकतंत्र की भी पातक हैं। लोकतंत्र की रक्षा और विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विवेकील बनाने रखना और बाहरी प्रभाव को उस हद तक नियंत्रित रखना परम आवश्यक है।

उपयुक्त तीन साधनों के अलावा एक जबरदस्त साधन और है जिस का प्रभाव बहुत गहरा और मूर्ख है तथा जिसमें मनुष्य की रूचि और निर्णय पर सख्त नियंत्रण करने की अद्भुत शक्ति है और वह है विज्ञापन। दुनियाँ की सभी देशों में व्यापार का वह एक अनिवार्य साधन बन गया है। वैसे नया और उपयोगी वस्तुओं का सामान्य जनता को परिचय कराने की दृष्टि से वह साधन बुरा नहीं है लेकिन समाज में दिन प्रति दिन बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, मुनाफाखोरी और मानवीय कमजोरियों की अधिकाधिक जानकारी के कारण विज्ञापन एक बहुत खतरनाक साधन सिद्ध हो रहा है। मनुष्य के दोषण का भी यह एक नया मार्ग बना है। लोकतंत्रीय सिद्धांतों में से व्यक्ति स्वातंत्र्य और व्यक्ति की विशेषता आदि का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हानन इन सभी साधनों से हो रहा है। इन का नियंत्रण करना शासन का काम हो सकता है, पर इन दोषों से जनता को बचाना लोक शिक्षण का विषय है। यह शिक्षक की ही समस्या है, क्योंकि हम ने शिक्षा का क्षेत्र थाला तक ही सीमित नहीं माना है, समूचा समाज जीवन माना है।

### तीसरा मुद्दा : धर्म-निष्ठा का हास

आज के समाज का यह एक विवादास्पद विषय है। सामान्यतया कहा जाता है कि समाज में धर्म निष्ठा कम



हो गयी है। गहराई से देखने पर पता चलेगा कि ऐसा कहनेवाले वर्तमान के मुकामिले में अतीत काल को बड़ा-बड़ा कर देखते हैं क्योंकि कि इस कथन में सत्यास अधिक नहीं है। हां यह सही है कि पिछले जमाने में लोग मदिरो और मठो पर विश्वास रखते थे, उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे और बात-बात पर भगवान को या भाग्य को दुहाई देते थे, और ये बातें जिन लोगो के जीवन वा अंग बन गयी थीं समाज में उनका आदर ज्यादा होता था। आज स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन जहा तक 'धर्म-जीवन' का प्रश्न है, सदाचार या सद्ब्यवहार का सम्बन्ध है, यह कहा नहीं जा सकता कि धर्म क प्रति आज पिछले जमाने से कम आस्था है।

मदिर, भगवान या भाग्य उस जमाने में मनुष्य का एक शांति स्थान था, लेकिन आज वही शांति और समाधान पाने के कई नये और अधिक समर्थ साधन मनुष्य को मिले हैं, आवागमन के साधन सुलभ हुए हैं, शक्ति बढ़ी है, इसलिए और इनके कारण जो मनोवृत्ति और जो वातावरण बना है उनके कारण भी पुराने अर्थ की 'धर्म भावना' आज कम प्रतिष्ठित हुई है। साथ ही एक महत्व का कारण यह भी है कि पुराना धर्म वर्तमान समय के मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान सुझा नहीं सका है।

इसके अलावा इम युगकी औद्यिक और भावनात्मक परिस्थिति भी श्रद्धा और विश्वास के लिए अनुकूल नहीं रही। विज्ञान और तंत्रशास्त्र के विकास न सृष्टि की मौलिकता पर अधिक प्रकाश डाला और उसके रहस्य अधिकाधिक खुलते गये, और मनुष्य श्रद्धा के स्थान पर विज्ञान को प्राधान्य देने लगा। विज्ञान जहाँ वस्तुस्थिति और व्यवहार पर जोर देता है वहाँ धर्म या श्रद्धा अदृश्य और पारलौकिक बातों पर बल देती है। यत दो विद्व-युद्धो व परिणामोंने भी मनुष्य की धर्म' से विचलित कर दिया है।

लेकिन लोकतंत्र मे हमका क्या संबंध है ? जैसा पहले कहा है लोकतंत्र के मूल मे 'धमानता वा यानो अध्यात्मका विचार रहा है। लोकतंत्र मे व्यक्तित्व का मौलिकता और उसके विभूति होने वा जो तत्त्व ह वह इसी धम-निष्ठा की देन है। प्रत्येक व्यक्ति को समानदृष्टि से देखने

को प्रेरणा मूलन धार्मिक है। यद्यपि मनुष्य में नीति, सदाचार, आनुस्व आदि सद्भावनाओं का विकास करने का साधन आज धर्म नहीं रहा तो भी समाज में इन चीजों का महत्त्व आज कम नहीं है। ये आज भी आवश्यक माने जाते हैं और इन का विकास करने का एक न एक प्रयत्न आज भी चल रहा है। इस मानी में लोच-तंत्र के सामने यह एक बड़ा खतरा है कि जनता में इन गुणों का विकास जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में नहीं हो रहा है। समाज इस धर्म के विना खड़ा नहीं रह सकता। यद्यपि समूचे समाज को किसी एक 'धर्म'-विशेष वा अनुयायी बनाना संभव नहीं है, फिर भी 'धर्म-निष्ठ' जीवन का विकास तो किया ही जा सकता है।

### चौथा मुद्दा: अंतर्राष्ट्रीयता

संसार पहले से आज इस मानी में भी भिन्न है कि आज सारे राष्ट्रों का हित-संबंध एक-दूसरे पर अवलंबित हो गया है। यातायात के साधनों और समाचार-संपर्क के साधनों में जो अभूतपूर्व शोध हुए हैं उन के कारण सभी राष्ट्र अपने यहाँ की भौतिक सुविधाओं और बच्चे माल की दृष्टि से एक दूसरे के निकट आये हैं। सब आपसी सांस्कृतिक संपर्क से जुड़ते जा रहे हैं। साथ ही राष्ट्र के बीच तनाव और सघर्ष भी बढ़त जा रहे हैं। संसार यह कि निश्चित ही अब हम बहुत समय तक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 'अपना' समाज बनाय नहीं रख सकेंगे। मनुष्य विश्व नागरिक के रूप में पहचाना जाने लगा है। अर्थात् प्रभुसत्तासंपन्न साम्रज्य राष्ट्रत्व की बात अब थोड़ा दिन की बात है। संसार को आर्थिक और सांस्कृतिक विकास से भी बढ़ कर परमाणु शक्ति के आविष्कार न इस निकटता की अधिक आवश्यक और अनिवार्य बना दिया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रीयता सर्वथा बुरी है, राष्ट्रीयता वहाँ तक अच्छी ही है जहाँ तक विश्व-समाज के अंग के रूप में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के विकास और उन्नति के लिए समुचित योगदान देता रहेगा, क्योंकि इसका बिना व्यक्ति का विकास संभव है। राष्ट्रीयता को भावना समुचित होने के कारण व्यक्ति की वृत्ति भी समुचित होती है।

‘इन त्रिए यह निर्वाणवाद विनय है नि आज हमें या तो साथ-साथ जीने की कला सीखनी होगी या नि महाय होकर मर जान के लिए विवश होना होगा। इस रूप में शिक्षण का यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। व्यक्ति को विश्वनागरिक बनने की तैयार करने का अर्थ ही है सहाकारी जीवन सिखाना।

### पाँचवाँ मुद्दा : विज्ञान

कहने की आवश्यकता नहीं कि आज विज्ञान और टेक्नालजी बहुत प्रमुख तत्त्व बन गये हैं। रक्षा-व्यवस्था के लिए ही नहीं, जीवन स्तर ऊँचा करने से लेकर बहुत हद तक आध्यात्मिक विकास तक सभी क्षेत्रों में विज्ञान की अतिप्रगति सिद्ध हो रही है। इसका अर्थ यह है कि समाज में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की संख्या बढ़नी चाहिए। विज्ञान को जीवन में स्थान मिलना है तो शिक्षकों का कर्तव्य हो जाता है कि वे वैज्ञानिकों और तत्त्वशास्त्रियों को जो काफी मात्रा में तैयार करें।

लेकिन वैज्ञानिकों के नाम से एक वर्ग खड़ा करना पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यक तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक दृष्टि से हर एक व्यक्ति सोच सके, देख सके और विचार कर सके। वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब है वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। किसी भावना और मानसिक उद्वेग के शिकार हुए बिना सत्य क्या है, परिस्थिति क्या है और मनुष्य के नाते हमारा कर्तव्य क्या है इतनी बात का रयाल रख कर मनुष्य को काम करना सीखना होगा। विज्ञान को इस विशेषता को हम अपना जीवन-आधार बनाना होगा।

यहाँ तथ्य और मूल्य का विवेक करना जरूरी होगा। विज्ञान जहाँ तथ्य का शोध करता है और अपने अनुसंधान के फलस्वरूप कुछ प्राकृतिक नियम निर्धारित करता है वहाँ वह समाज के आचार या व्यवहारों का नियामक या नियंत्रक नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक इतना ही कह सकता है कि क्या है, लेकिन ‘क्या होना चाहिए या क्यों होना चाहिए’ यह निरिक्त करने का काम उसका नहीं है। वैज्ञानिक अत्यंत नम्र है, वह अपने किसी शोध और ज्ञान को ‘अंतिम सत्य नहीं कहता है स्वयं वह अपनी अपूर्णता को स्वीकार करता है वह निःस्वार्थ होता है, उसका अपना कुछ नहीं है, लेकिन

२७२ ]

ये गुण उनकी प्रकृति हैं। ‘उदा’ नहीं है ‘प्रेरक’ मात्र है। इसलिए इन गुणों के वावजूद वैज्ञानिक यह नहीं निरिक्त कर सकता कि समाज वैसा हो। यह काम ‘वैज्ञानिक’ से परे ‘मनुष्य’ का है। अतः सामाजिक नीति या व्यवहार का निर्धारण करते समय विज्ञान के ‘तथ्यों’ और जीवन के ‘मूल्यों’ का सही विवेक कर लेना होगा। यह विवेक करने में भूत हुई तो मूल्य का स्थान तथ्य ले लेंगे और समाज छोटला बनेगा और अवनति की ओर बढ़ने लगेगा। चूँकि लोकतंत्र का आधार जीवन-मूल्यों पर है इसलिए लोकतंत्र में विज्ञान का स्थान निर्धारित करना एक बहुत काम है।

विज्ञान का शिक्षण देनाओं का ही यह काम है कि विद्यार्थियों में तथा समूचे समाज में यह विवेकशक्ति जागृत करें ताकि वैज्ञानिक दृष्टि के साथ जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा का समन्वय साधा जा सक, कम से कम इन दोनों में विरोध मानने की भूल बार्दे न करे। विज्ञान के शिक्षकों को कभी ‘मानवता’ नहीं भूलनी चाहिए। वैज्ञानिक की तरह वह सोचे जरूर, पर जीव मानव बन कर ही। एक कदम आगे जा कर हम यह कहना चाहेंगे कि हम ‘अवैज्ञानिक मानवों’ को बरदारत कर सकेंगे, बजाय ऐसे वैज्ञानिकों के जो मानवता रहित हो। अंतिम बात यह है कि कला, संस्कृति आदि से विज्ञान को हमें अलग नहीं रखना चाहिए। य सब मानव के विभिन्न अंग हैं और किसी एक के काम होने से मानव पूरा नहीं कहलायेगा, पूरा ही रहेगा।

### छठा मुद्दा : कल्याणकारी राज्य

कल्याणकारी राज्य की कल्पना आज करीब-करीब समाया है। सारा भर के सभी देशों में उड़ी दिशा में काम होना लगा है और सभी राजनतिक पक्ष एक न एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य की मूल कल्पना को माय करके चलते हैं। इस लिए यह कहा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य की बात स्थायी हो चला है। लेकिन आज कल कल्याणकारी राज्य का जो रूप हम देख रहे हैं वह मूल कल्पना से बहुत दूर है, इस सम्बंध में बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है। कल्याणकारी राज्य के नाम पर जब भागरिक को सरकार की ओर से जीवन के लिए आवश्यक सभी बातों की सेवाएँ अपने-

पेज पृष्ठ २८६

[ नयी तालीम

## इंग्लैण्ड में शिक्षा का स्वरूप

श्री रामभूपरा

आज शिक्षा की चर्चा सर्वत्र जोरो पर है। दुनियाँ के उन देशों में जिन का विकास अभी तक बहुत सिधिल रहा है, विवसित ढग की शिक्षा की चर्चा और उसका प्रचलन तो स्वाभाविक ही है, औद्योगिक और तकनीकी दृष्टि से विवसित पचिम के देशों में भी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि विज्ञान ने मनुष्य को अपना जीवनमान ऊँचा उठाने में अभूतपूर्व सहायता दी है। दूसरा यह है कि ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तेजी से वृद्धि होती जा रही है। शिक्षा इन दोनों ही के परिणाम से अछूती बच भी कैसे सकती है ?

पारचातव देशों में भारत के गौरव की वृद्धि करने वाले स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था—“शिक्षा, शिक्षा, केवल शिक्षा ! यूरोप के अनेक नगरों का भ्रमण करते समय वहाँ के गरीबों के भी आराम और शिक्षा का जब मैंने निरीक्षण किया तो उससे अपने देश के गरीबों की स्थिति की याद जाग उठी और मेरी आँवों से आँसू गिर पड़े। इस अंतर का कारण क्या है ? उत्तर मिला ‘शिक्षा-शिक्षा’ के द्वारा उन में आत्म विश्वास जामृत हुआ जो सभी प्रकार के विकास की आधारशिला है।”

यूरोप के देशों में इंग्लैण्ड का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और आज भी है। इंग्लैण्ड भी महान् विचारकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, राजपुरुषों और शासकों की जन्मभूमि रहा है। आज भी उस देश को गर्व की अनुभूति करने के लिए अनेक कारण हैं। अपने प्रचलित अर्थों और रूपों में तो वह जन-तंत्र का जन्मदाता देश कहा जाता है। ऐसे देश में सार्वजनिक शिक्षा का जो मार्ग, '३३ ]

स्वरूप है उसके सम्बन्ध में जानकारी उपादेय भी है और रोचक भी।

इसके पूर्व कि इंग्लैण्ड में बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों की शिक्षा का जो स्वरूप है उसका चित्र प्रस्तुत किया जाय, यह जान लेना उपयोगी होगा कि वहाँ शिक्षा प्रदान करने का संगठन और ढांचा क्या है।

इंग्लैण्ड में बच्चों और युवकों की शिक्षा की जो भी सुविधाएँ हैं उनकी भूतकाल में कभी कोई राष्ट्रीय प्रणाली नहीं रही है। १९४४ के शिक्षा-ऐक्ट के पहले राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रणाली की योजना भी कभी नहीं बनी थी। उससे पहिले तो विभिन्न प्रणालियों से और एक-दूसरे से असंबद्ध रूप में ही शिक्षा चलती थी।

१८७० में जो प्रारम्भिक शिक्षा शुरू की गयी थी उसका उद्देश्य था देश के शीघ्रता से हो रहे औद्योगिक विकास के लिए पढ़े-लिखे लोग तैयार करना और साथ ही जब उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाय तो वे अच्छे नागरिक की तरह सोच-समझ और व्यवहार कर सकें। लेकिन तकनीकी विज्ञान के विकास के साथ औद्योगिक उन्नति भी होती जा रही थी जिसके लिए केवल प्रारम्भिक शिक्षा ही पर्याप्त न होती। इस आवश्यकता की पूर्ति की गयी १९ वी सताब्दी के आखिरी दशक में “हायर एलमेंटरी” या “हायर ग्रेड स्कूलस” और ‘टेक्निकल डे एण्ड ईवनिंग स्कूलस’ की स्थापना करके। १९०४ के “एज्युकेशन ऐक्ट” के अनुसार जब “सेने-ण्टरी स्कूलस” का सर्व जनता सहन करने लगी उस समय तक भी विभिन्न प्रकारों और स्तरों के स्कूलों को किसी एक निश्चित प्रणाली में संगठित करने का प्रयास नहीं किया गया था।

## संगठन का सिद्धान्त

जनतंत्र में शिक्षा को किस प्रकार संगठित किया जाय इस सम्बन्ध में इंग्लैंड की कुछ खास बातें हैं जिसे उदाहरण देकर अधिक स्पष्ट किया जा सकेगा। १९२७ में शिक्षा बोर्ड ने प्रेमिटेण्ड ने किसी देशभक्त सत्या की इस सिफारिश को कि स्कूलों में देश भक्ति की व्यवस्थित शिक्षा-पाठ्यक्रम का अंग बना दिया जाय, निम्नांकित आधारों पर ठुकरा दिया 'सरकार चाहे वह स्थानीय ही या केंद्रीय, शिक्षकों को शिक्षा का तरीका सिखाने लगे या उन पर इन मामलों में कोई बंधन ही डालने लगे तो उन तमाम बुराइयों के पैदा हो जाने का खतरा है जो भीते जमानों में हमन प्रथा में देखा है और आज रूस में देख रहे हैं।' कुछ वर्षों बाद रमन् बोपम-ब्रय लाई मोल्बरी-ने भी जब वह बोर्ड आव एग्जुक्शन के पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी थे उसी सिद्धांत पर निम्न शब्दों में बल दिया 'चूंकि मैं व्यक्ति के विकास पर पूरा जोर देता हूँ इसीलिए मैं शिक्षा को राज्य के अधीन बनाने में खतरा देखता हूँ। यदि हम एक ही तरह की चीजें चाहते हैं एक ही स्तर चाहते हैं और यह चाहते हैं कि लोग समान रूप में आज्ञाकारी बन जाय तब तो हमें या तो कुछ बोझों से लोगों के घासन या फिर अधिनायकशाही की बात करनी पड़ेगी। शिक्षा सबधी स्वतंत्रता में तो यह बान शामिल ही है कि हम गलतियों करने भी प्रयोग करने रहें और आगे बढ़ते रहें।' इस प्रकार हम देखते हैं कि इंग्लैंड की शिक्षा पद्धति के विकास में डेमोक्रेसी का कितना बड़ा हाथ है और वहां के लोग इस चीज की कितनी इज्जत करते हैं।

दूसरे महायुद्ध की घुसवात के मौके पर लोग ने बोर्ड आव एग्जुक्शन के एक दूसरे पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी मि० चूटर ईड से यह सिफारिश की कि वह एक सर्वरूल जारी कर दें जिसके अनुसार व स्थानीय अधिकारों शिक्षकों की आजादी के सबंध में बताने और उस पर सोच देने की हिदायत कर दें। इस पर उस पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी ने जवाब दिया 'यह चीज सीधे शिक्षक से ही सबंध रखती है और वे लोग इन चीजों को जितना महत्व देना चाहिए, देंगे। मैं समझता हूँ बोर्ड

२७४ ]

जितना महत्व देना चाहेंगे उतने वक्त यह दे भी नहीं रहे हैं।' स्वतंत्रता से सबंध रखनेवाली एक खास कितान को स्कूलों में पालू कराने की सिफारिश जब मि० ईड ने की गयी तो उन्होंने कहा, 'बोर्ड का यह काम नहीं है कि किसी खास विचार के लिए बहता रहे—इस चीज के सबंध में स्थानीय अधिकारियों को हम पूरी-पूरी स्वतंत्रता देते हैं।' दूसरी तरफ तरीका यह है कि स्थानीय अधिकारी स्वयं अपने नियंत्रण में रहनेवाले स्कूलों में शिक्षण का तरीका, विषय आदि सुझाने के चक्कर में नहीं पड़ते, न वे इसे जरूरी ही समझते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता को शिक्षा सबंधी संगठन और घासन का आधार बना दिया गया और ऐसा करने से स्थानीय परिस्थितियों का अधिकाधिक ध्यान भी रखा जाना सम्भव हो गया। १९१८ का शिक्षा-बैकट या विचार ऐक्ट शिक्षा के क्षेत्र में एक बंदम और आगे का था, और इस ऐक्ट न और आगे बढ़ने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों पर अधिकारिक डाल दी।

## महायुद्धों के बीच के साल

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि १९१८ के ऐक्ट में सभी स्थानीय अधिकारियों को सेक्रेटरी शिक्षा देने का अधिकार दिया गया और इस तरह एलिमेण्टरी और सेक्रेण्टरी शिक्षा का दोहरा क्रम चलता रहा। १९२६ में एक विशेष कमेटी ने, जिसके चेयरमैन सर हेनरी हैडी थे, नवयुवकों की शिक्षा के सबंध में, वे नवयुवक जो ११-१४ वर्ष की उम्र के बीच पढ़ते थे, यह सिफारिश की कि उनके एलिमेण्टरी स्कूल के अंतिम तीन साल 'मोनियर स्कूल' के अंतर्गत समझे जाय और उन्हें श्री जानेवाली शिक्षा 'जूनियर सेक्रेण्टरी एग्जुक्शन' नाम से सम्बोधित हो। लेकिन वे एलिमेण्टरी स्कूलों के नियमों के अंतर्गत ही काम करें। १९३६ में क्विंसेटरी स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों की उम्र की सीमा १५ वर्ष तक बढ़ा दी गयी। एग्जुक्शन ऐक्ट की धाराएं १९३९ में कायरूप में बदलती लेकिन महायुद्ध की घुसवात ने यह काम होने नहीं दिया।

महायुद्धों के बीच का समय वास्तव में तैयारी का समय था जिनमें शिक्षा-सबधी छोटी-बड़ी सुविधाओं को

[ नयी तालीम

मिला कर एक पूर्ण राष्ट्रीय योजना को आकार दिया जाता। लडाई की शुरुआत ने इस संगठन के कार्य में और तेजी ला दी। उद्योग-पधो की आवश्यकता-पूर्ति के लिए औद्योगिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता की सतोपजनक रूप में पूर्ति सरल न रह सकी।

### १९४४ का एज्युकेशन-एक्ट

महायुद्ध की समाप्ति के बाद शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता बड़ी तीव्र हो गयी ताकि सारे राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकनी। जिन सिद्धांतों पर शिक्षा का पुनर्गठन होता उनमें से एक तो इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री डिब्ररायल के इन शब्दों में समाहित था। "इस देश के लोगों की शिक्षा पर ही इस देश का भाग्य निर्भर करता है।" दूसरा सिद्धांत इन शब्दों से प्रभावित था कि राष्ट्र के युवकों में ही राष्ट्र का सबसे बड़ा हित छिपा हुआ है। एक्ट के अन्तर्गत शिक्षा-बोर्ड के प्रेसिडेन्ट को इंग्लैंड और वेल्स के शिक्षा सम्बन्धी मामलों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गयी। एक्ट के पहले ही भाग में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया वह था केन्द्रीय और स्थानीय अधिकारियों के सम्बन्धों में परिवर्तन। अब तक जो संगठन बोर्ड के रूप में चला आ रहा था वह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया जो एक मिनिस्टर के अन्तर्गत रहने लगा। वह मिनिस्टर ज्यादातर कॅबिनेट का ही एक सदस्य रहता। मिनिस्टर को वह द्यूटी भी दी गयी जो बोर्ड के प्रेसिडेन्ट की नहीं थी, यानी इंग्लैंड और वेल्स की शिक्षा का विकास और साथ ही इस कार्य में जो सहाय्य एगी हा जनता की उत्तरो चार विकास करना, और यह भी देखना कि उनके अन्तर्गत जो स्थानीय अधिकारी हैं वह प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा संबंधी सुझावों को घोषित राष्ट्रीय नीति के ही अनुरूप कार्यनिष्ठ कर रहे हैं।

१९४४ के एज्युकेशन एक्ट के अनुसार एज्युकेशन मिनिस्ट्री भी बड़ गयी। यहा तक कि वह बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्रियों में से एक हो गयी। मिनिस्टर कॅबिनेट का ही सदस्य होने लगा। उसकी सहायता के लिए पालियामेन्ट में एक पालियामेन्टरी सेक्रेटरी रहने लगा जो पालियामेन्ट का ही सदस्य होता। मिनिस्ट्री में स्थानीय सिविल सर्वेंट रहते जिनके लिए एक स्थायी

सेक्रेटरी रहता जो शासन के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार रहता। स्थानीय शिक्षा के क्षेत्र में 'हर मंजे-स्टोज इन्स्पेक्टर', काम देखने लगे जो इन्स्पेसन करते और स्कूलों की चमता आदि के सबध में रिपोर्ट देते, और पार्ट कोर्स में सम्मिलित होने के लिए आने पर उन्हें ठीक सलाह भी देते। इन्स्पेक्टर लोग मिनिस्ट्री, स्थानीय शिक्षा तथा शिक्षा-नीति से संबंधित दूसरी सस्थाओं के बीच एक प्रकार से संघ स्थापित करने का काम करने लगे।

### स्थानीय प्रशासन

शिक्षा के स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी वाउ-रिटियों और वाउण्टीबरो-नगर, जिनकी जनसंख्या ५०००० से कम न हो—की काउन्सिलों पर ही गयी। ये वाउन्सिलें लोकल एज्युकेशन अथारिटीज (एल० ई० ए०) बनी जाती हैं। जन-विशेषण को प्रणाली संगठित करने की जिम्मेदारी स्थानीय शिक्षा कन्सिलारियों (लोकल एज्युकेशन अथारिटीज) पर दा गयी। जनता के लिए एलिमेन्टरी स्कूल और घोड़े से लोगों के लिए सेनेइडरी स्कूलों को जो दोहरो प्रणाली थी उसकी जगह एक व्यवस्थित ढग बना दिया गया जो इन शब्दों में स्पष्ट होता है—“जनता का शिक्षण तीन उत्तरोत्तर विकसित ढगा में संगठित होगा जो प्राथमरी एज्युकेशन, सेनेइडरी एज्युकेशन और उसके आगे का शिक्षण—इन नामों से जाने जायेंगे और लोकल एज्युकेशन अथारिटीज का, जहा तक उनकी अधिकार-सीमा होगी, यह कर्तव्य हागा कि उस क्षेत्र को आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन तीनों तरह के स्तरों पर लोगों की अच्छी शिक्षा दी जाय ताकि लोगों का आध्यात्मिक, नैतिक और शारीरिक विकास हो सके।”

इसलिए स्थानीय अधिकारियों का यह भी कर्तव्य है कि वह प्राइमरी व सेनेइडरी स्कूल पर्याप्त सहाय्य में बढायें ताकि शिक्षार्थियों को विविध प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो और उन्हें वह व्यावहारिक शिक्षा भी मिले जो उनके विकास में उपयोगी हो सके। शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का हानतावाक बन्धा के लिए भी शिक्षा को व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व स्थानीय अधिकारियों को दिया गया।

स्थानीय शिक्षण अधिकारियों के अधिकार के अन्तर्गत यह भी जाना है कि वे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना करें और उन स्कूलों की देखभाल करें जो किसी अन्य माध्यम से स्थापित हुए हैं। साथ ही, मिनिस्टर की स्वीकृति से इन दूसरे प्रकार के स्कूलों की वे आवश्यक मदद करते रहें।

### स्वतन्त्र स्कूल और धार्मिक शिक्षा

एंग्लिकेयान-एक्ट में तीन प्रकार के स्वतंत्र स्कूलों को स्थान दिया है एक ऐसे स्कूल जिनके मैनेजर स्कूल को स्टैंडर्ड तक पढ़ाने के लिए लगनेवाले खर्च का आधा न दे सकते हो या स्कूल तथा खेल के मैदान की मरम्मत आदि में जो खर्च लगता हो उसका भी आधा न दे सकते हो। ऐसी दशा में स्थानीय शिक्षा-अधिकारी स्कूल के रद्दोबदल का मरम्मत का, देखभाल का खर्च उठा लेते हैं। ऐसी दशा में वह मैनेजरों और शिक्षकों का २।३ नियुक्त कर सकते हैं लेकिन यह खयाल रखते हैं कि शिक्षकों के १।२ रिजर्व ग्रीन्स रहने दें। दो, सहायता प्राप्त स्कूल व हैं जिनके मैनेजर रद्दोबदल और मरम्मत का आधा खर्च उठा सकते हैं और शेष आधा स्थानीय शिक्षण अधिकारी देते हैं। ऐसा दशा में स्थानीय अधिकारी मनजरों में से १।३ की नियुक्ति करते हैं। तीन, विद्यार्थियों के समक्षोत्तेजक स्कूल (स्पेशल एप्रिमेण्ट स्कूल) वे हैं जिन्हें १९३६ के एक्ट के अन्तर्गत ५० स लेकर ७५ प्रतिशत तक बंपिटल ग्राण्ट इमारतों के लिए दी गयी थी। उस समय यह आशा थी कि इस सहायता से अनिवाय उपस्थिति १५ वर्षों की उम्र तक बढ़ायी जा सकेगी।

बाउण्टी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का जो रूप रखा गया है कि उसके अनुसार एक निश्चित सिलेबस पर आधारित यह शिक्षा दी तो जाय, लेकिन उस शिक्षा को देने के लिए न तो शिक्षकों को मजबूर किया जाय न विद्यार्थियों को, और यदि अभिभावक चाहें तो अपने बच्चों को उस शिक्षा से हटा भी सकते हैं।

### विकास-योजनाएँ

प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा के संगठन के लिए स्थानीय अधिकारियों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि

वे अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं का सर्वे करके उनके विकास की योजनाएँ भी तैयार कर लें। आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करते समय वे बाउण्टी और स्वतन्त्र स्कूलों की मौजूदा सहायता, नये स्कूलों की आवश्यकता, मौजूदा स्कूलों को स्टैंडर्ड तक पढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य—स्कूलों में लड़कों के रहने आदि की व्यवस्था, यदि आवश्यक हो तो कुछ विशेष प्रकार के स्कूल खोलने के सम्बन्ध में सुझाव और विद्यालयों में विद्यार्थियों की भर्ती आदि—इन सभी बातों का ध्यान रखें। विकास की कोई भी योजना मिनिस्टर तक जाने से पहिले यह आवश्यक है कि शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले सभी प्रकार के लोगों से—स्थानीय सहायक, सेकेंडरी स्कूलों के गवर्नर, टीचर्स ट्रेनिंग कालेज—आवश्यक विचार विमर्श हो जाय। सहायक सेवाएँ

दुनिया के और किसी देश में शायद बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को शिक्षा में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है जितना इंग्लैंड में। १९०७ में ही बच्चों की शारीरिक जाँच की व्यवस्था कर दी गयी थी, चिकित्सा की व्यवस्था बाद में की गयी। १९४४ के एंग्लिकेयान-एक्ट के अनुसार तो स्थानीय अधिकारियों की यह छूट्टी है कि अपने स्कूलों के सभी बच्चों की शारीरिक जाँच और चिकित्सा की वे व्यवस्था करें। अलग अलग स्तरों पर अलग-अलग प्रकार की शारीरिक जाँच की जाती है।

जहाँ तक बच्चों की नास्ता और भोजन देने का सम्बन्ध है, १९०६ से ही मील्स-एक्ट के अनुसार एलिमेण्टरी स्कूल के जल्दतम लड़कों के लिए इन चीजों की व्यवस्था करने का नियम है। लडाई का जमाने में तो इस व्यवस्था का और भी विकास हुआ और यह व्यवस्था इतनी उपयोगी मानी गयी कि ऐक्ट ने स्थानीय अधिकारियों की यह छूट्टी बना दी कि अपने अन्तर्गत स्कूलों में यह दूध, भोजन, तथा जलपान का प्रबन्ध करें। लड़कों के माँ बाप या अभिभावकों से उतना ही चाँज लिया जाता है जो भोजन पर पड़ता है लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि जैसे ही इस व्यवस्था की कोई राष्ट्रीय सेवा योजना हो जायगी, बच्चों को मिलनेवाला भोजन मुक्त कर दिया जा सकेगा। स्थानीय

निष्क्षण-अधिकारी उस समय बच्चे को जूता और बपटा दे सकते हैं जो इनके अभाव में, दी गयी शिक्षा का लाभ उठा सकने में अपने को असमर्थ पाता हो। लेकिन ऐसी दशा में अपनी इन्कम्-स्केल के अनुसार माँ-बाप को खर्च का कुछ हिस्सा उठाना पड़ेगा।

स्थानीय अधिकारियों की यह भी एक ड्यूटी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और इसके आगे की शिक्षा में मनोरंजन और सामाजिक तथा शारीरिक शिक्षा की पूरी-पूरी सुविधा प्रदान की जाय। इन वार्गों के लिए व मिनिस्टर की स्वीकृति से कम्प, छुट्टियों के बन्नास, खेल का मैदान खेलने के ऐसे स्थान जिनमें तैराकी-टैंक आदि भी शामिल हो—इन सभी चीजों को व्यवस्था कर सकते हैं। कम्प्यूनिटी की सामाजिक चेतना और लोगों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कम्प्यूनिटी सेंटर स्थापित किये जा सकते हैं। युवक-विकास-सेवाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण चीज समझी जाती हैं और इस काम में मिनिस्ट्री, स्थानाय शिक्षा-अधिकारी तथा स्वतंत्र सस्थाएँ भी एक-दूसरे से सहयोग करके काम करती हैं। ये युवक-विकास-सेवाएँ पहले महायुद्ध के समय की 'जुवेनाइल धार्गनाइजेशन कमेटी' से ही निकली हुई चीज हैं जिसे १९१९ में बौर्ड को ट्रान्सफर कर दिया गया।

शिक्षा के संबंध में होनेवाला व्यय

इंग्लैंड में शिक्षा पर जो खर्च होता है उसे केंद्रीय शासन और स्थानीय शिक्षा-अधिकारी मिल कर वहन करते हैं। १९४४ तक तो यह खर्च करीब करीब बराबर उठाया जा रहा था लेकिन इसके बाद सरकार के जिम्मे पाँच प्रतिशत खर्च और बढ़ा दिया गया। इतना करने पर भी स्थानीय अधिकारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ना।

शिक्षा-मन्त्रालय, जिसे पार्लियामेण्ट के जरिये पैसा मिलता है, सन का ६४ प्रतिशत उठाता है। केंद्रीय शासन खर्च का अधिक हिस्सा उठाता है, लेकिन इस नीति को जरा सा ही दृष्टि से देखा जाना है क्योंकि ऐसा न हो कि केंद्रीय शासन शिक्षा के संबंध में पूरा डिक्लेट ही करने लगे।

प्राइवेट स्कूल

इंग्लैंड में 'प्राइवेट' या 'इन्डिपेण्डेण्ट' स्कूलों की मात्रा, '६३ ]

भरमार है। इन स्कूलों में नर्मरी तथा क्रिण्डरगार्टन स्कूलों से लेकर प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलों तक, सभी हैं। ये स्कूल कितो सेंट्रल या स्थानीय शिक्षा अधिकारियों (लोकल एज्युकेशन अथारिटीज) के अंतर्गत नहीं हैं, हा, छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान करनेवाले ये स्कूल यदि स्वयं चाहें तो एलिमेण्टरी स्कूलों के विषय पढ़ान की उन की योग्यता की जांच हो सकती है। इण्डिपेण्डेण्ट स्कूल शिक्षा-मन्त्रालय से यह सिफारिश कर सकते हैं कि वह उनकी जांच करा ले। इस प्रकार कई प्रसिद्ध स्कूलों की जांच हो भी चुकी है। इतना जरूर है कि कोई भी ऐसा स्कूल तब तक आर्थिक सहायता (ग्रांट) नहीं पायेगा जब तक वह सेकेंडरी स्कूल न हो, अपने कुल विद्यार्थियों के २५ प्रतिशत को नि शुल्क स्थान न देता हो या नियमित रूप से उसका इन्स्पेक्शन न होता हो। जिन स्कूलों के चलान के पीछ किसी व्यक्तिगत लाभ आदि की भावना नहीं रहती उन्हें 'डायरेक्ट ग्राण्ट स्कूल' कहते हैं। नि शुल्क स्थान प्राप्त करने व लिए चूँकि यह शर्त है कि लड़के न कम से कम दो वर्ष किसी एलिमेण्टरी स्कूल में बिताया हो, इसलिए 'डायरेक्ट ग्राण्ट स्कूल' पब्लिक स्कूलों से एक तरह से जुड़ ही रहते हैं।

प्रमुख शिक्षा-अधिकारी

स्थानीय शिक्षा-अधिकारियों की अब यह ड्यूटी मानी जाती है कि वे किसी योग्य आदमी को चीफ एज्युकेशन अफसर नियुक्त करें। शिक्षा का यह चीफ अफसर शासन के काम-काज ( विजिनेसवाले ) पहनु के लिए जिम्मेदार रहता है, जिस में धन, इमारतें, साम-सामान, सेवा-योजनाएँ और इसी तरह की चीजें शामिल रहती हैं। यह भी जरूरी है कि यह चीफ अफसर शिक्षा के क्षेत्र में लीडर या अग्रजा हो—साधारण जनता और अपने नीचे काम करने वाले, शिक्षा में लगे लोग, दोनों का। इस संबंध में एक खास बात यह भी है कि ज्यादातर लाग, 'डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन' की जगह 'चीफ एज्युकेशन अफसर' ही पसंद करने लगे हैं। वैसे अभी तक डायरेक्टर राइट ही ज्यादा प्रचलित रहा है। दूसरे सरकारी अधिकारियों की तरह स्कूल प्रचारक से भी अपने तमाम स्थानीय इन्स्पेक्टरों, सगठकों और लोक-कल्याण-अधिकारियों आदि के सम्बन्ध में यही उम्मीद

रखी जाती है कि यह लोगो को हायरेशन देने के बजाय उन्हें सुधाया या सहाह देकर ही काम करेगा।

## शिक्षा का राजमार्ग

इंग्लैण्ड में शिक्षा को उत्तरोत्तर विकसित सीढ़ियाँ हैं जिन्हें पारकर शिक्षा के राजमार्ग पर कोई भी चल सकता है। शिक्षा के माग में दा बड़ी बाधाएँ दूर कर दी गयी हैं, माता पिता या अभिभावक की आर्थिक असमर्थता बच्चे के 'बवाइसाने से लेकर विश्वविद्यालय तक' होनेवाले शिक्षण में आज बाधक नहीं हैं, दो वर्ष की उम्र से पाच वर्ष की उम्र तक बच्चा नर्सरी क्लास या नर्सरी स्कूल जा सकता है। स्कूल की अनिवार्य हाजिरी पाच वर्ष की उम्र से शुरू होती है और १ अप्रैल १९४७ से तो १५ वर्ष की उम्र तक जाती है। बच्चे के लिए आज यह जरूरी नहीं है कि वह किसी पब्लिक स्कूल में ही भर्ती हो, बसो कि कानून अब केवल यही कहता है कि कम्पत्सरी स्कूल एज (स्कूल जान की अनिवार्य उम्र) वाले प्रत्येक बच्चे के मां-बाप का यह कर्तव्य है कि बच्चे को अच्छा, पुरे समय को ऐसी शिक्षा दिलायें जो बच्चे की उम्र, उसकी योग्यता और उसके मानसिक क्षुभाव के अनुरूप हो, चाहे बच्चा स्कूल में रख कर पढ़ाया जाय चाहे कोई दूसरा ही प्रबंध हा।

अपनी पाच वष की उम्र में बच्चा जब प्राइमरी में पढ़ना शुरू करता है तो पाच वष की उम्र से सात वर्ष की उम्र तक वह इन्फैण्ट स्कूल में पढ़ता है और सात से ग्यारह वष तक 'जूनियर स्कूल' में। ग्यारह से पंद्रह वर्ष तक की उम्र को सेकेण्डरी एज्युकेशन में लगानी

पड़ती है जो तीन प्रकार के स्कूलों-ग्रामर या एबंडेमिक, माडन या जेनरल और टेक्निकल-में दी जाती है। कोई लडका या लडकी किस प्रकार के स्कूल में भेजी जायगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उम्रका पहिले का स्कूल रेकार्ड कैसा रहा है और उसकी योग्यता और मानसिक क्षुभाव की जांच के हेतु लिये गये टेस्ट में कैसा उत्तरता है।

अनिवार्य शिक्षा के चार दीप वर्ष पूरे करने के बाद कोई लडका या लडकी दो दार्द वर्ष तक और पढ़ सकता है और तब वह विश्व विद्यालय में प्रवेश पाने योग्य हो जाता है। स्थानीय या राज्यद्वारा प्रदान की हुई स्लार-शिपो की मदद से अब विश्व विद्यालय की शिक्षा इंग्लैण्ड के निवासियों के लिए काफी सरल हो गयी है।

जहां तक प्रौढशिक्षा का संबंध है, वह स्थानीय शिक्षा-अधिकारियों, विश्वविद्यालय और स्वतंत्र रूप से काम करनेवाली कई संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसी संस्थाओं में, बसर्स एज्युकेशन एसोसियेशन सब से श्याति प्राप्त है। ऐसे भी रेजिडेण्ट कालेज हैं जो एक सप्ताह या कई सप्ताह तक चलनेवाले कोर्स देते हैं। ऐसे कालेजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्कूलों में स्कूल प्राइकास्टिंग सिस्टम और जनरल रेडियो प्रोग्राम भी चलाया जाता है।

इंग्लैण्ड में शिक्षा का जो ढांचा काम कर रहा है, सोडे शब्दों में उसकी रूप-रेखा प्रस्तुत की जा चुकी, अब अगले अंक में वहाँ बच्चों, युवक युवतियों तथा स्वयं शिक्षकों को प्रदान किये जानेवाले शिक्षण और ट्रेनिंग की विवेचना का हम प्रयास करेंगे।

## [ छुट २९१ का घोषणा ]

सुनाती रही जब ये बहू थीं। की मा समझदार है, कुछ पढ़ना श्रमना भी जानती है। बुद्धिया के जाने के बाद बहूओं ने अपनी शुरू की। क्या आता है, क्या नहीं आता, क्या सीखना चाहती हैं। एक ने

पढ़ने की इच्छा प्रकट की, लेकिन चाहती हैं कि मैं उनके पति से कहूँ, लेकिन क्या कहूँ, यह वह इस समय बता न सकीं। मायका दूर है, पत्र लिखने की इच्छा होती है, इसलिए पढ़ने की आतुरता है।

विद्या

मामभारती, दूबेपुर, मुल्तानपुर

★



## विष्णु-स्तुति

श्री काशिनाथ त्रिवेदी

श्लोक : शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्,  
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवशं शुभांगम् ।  
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगन्धम्,  
वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥

अर्थ : ससार के भय का नाश करनेवाले, सप्त लोकों के एक मात्र स्वामी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। उनका आकार शान्त है, वे शेषनाग पर लेटे हैं, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, वे सब देवों के स्वामी हैं, वे सारे विश्व के आधार हैं, वे आकाश की तरह अल्पित हैं और उनका वर्ण मेघ की तरह श्याम है, वे कल्याणकारी गानवाले हैं, सप्त सम्पत्ति के स्वामी हैं, उनके नेत्र कमल के समान हैं, योगी उन्हें ध्यान द्वारा ही जान सकते हैं।

मात्तार्थ : सृष्टिकर्ता की जिस विभूति ने सारे सन्नराचर ससार के पालन-पोषण सर्वधर्म और संरक्षण का भार अपने कंधों पर उठा रखा है, हम अपने देश में उसे 'विष्णु' के नाम से पहचानते हैं। यह श्लोक उन्हीं विष्णु की वन्दना में कहा गया है। इसमें विष्णु के अलग-अलग गुणों का वर्णन है। उनके निजी वैभव का बतान है, उनके रूप-स्वरूप का सुन्दर और सरस विवेचन है। चूँकि विष्णु का पद पिता का पद है, इसलिए मानव-समाज में विष्णु की महिमा अधिक जानी-माननी गयी है। अपने देश में तो हमने विष्णु को बहुत ही ऊँचा स्थान दिया है। विष्णु की पूजा, उपासना, आराधना, और उनके गुणों का भजन-कीर्तन हम अपने देश में हजारों सालों से करते चले

आ रहे हैं। हमारे लोक-जीवन का अपना एक विशिष्ट दर्शन रहा है। उस दर्शन के कारण ही हम विष्णु के प्रति इतना अनुराग रखने लगे हैं। सारी सृष्टि का संचालन और नियमन करनेवाली जो परमशक्ति है उसी का एक अंश विष्णु की निर्मृति के रूप में हमारे बीच इतनी प्रतिष्ठा पा गया है। दूसरे दो अंश ब्रह्मा और शिव के नाम से पूजे जाते हैं। वैसे, इन तीनों की समान प्रतिष्ठा है, फिर भी पालनकर्ता के नाते लोगों के दिलों में जो आत्मीयता, ममता और पूज्यमान विष्णु के लिए है, वह अपने आप में एक निराली वस्तु है।

हमारे महान पूर्वजोंने सृष्टि के सारे गूढ़ तत्वों का गहन अध्ययन-अन्वेषण करके उनमें से मानव-समाज के नित्य-जीवन के लिए जिन तत्वों को बहुत हितकारी और श्रेयस्कर समझा उन्हें इस तरह अपना लिया कि वे मानव-स्वभाव के अंग से बन गये। इसी प्रकार उन्होंने सृष्टि के पालक तत्वों का भी पता लगाया और इन तत्वों की जिन विशेषताओं से वे प्रभावित तथा प्रेरित हुए उन तत्वों को उन्होंने अपनी कठिन साधना से अपने नित्य-व्यवहार का अंग बना लिया। इसी कारण वे निरंतर महानता की ओर बढ़ते चले गये और अपने

देश को जगद्गुरु बना पाये। इस दृष्टिकोण में हमें अपने पूर्वजों की इसी सर्वप्राप्ति, शुभग दृष्टि का दर्शन होता है। उन्होंने अपनी गहरी सूक्ष्म-समझ के सहारे मनुष्य-समाज के शाश्वत मार्गदर्शकों के लिए कुछ ऐसे अद्भुत और दिव्य भव्य प्रतीक रच दिये कि जिन्होंने सही-सही समझ पाना आज हमारे लिए बहुत ही कठिन हो गया है। इन प्रतीकों का निर्माण जीवन के बहुत गहरे अनुभवों के आधार पर हुआ था। उन्हा ऊँचा और सच्चा सीधा चिंतन इनके मूल में था किन्तु बाद में परिस्थितियों के फेर से हमारी गिरावट के दिन आये और हम सब तरफ से इतने गिरे, इतने पीछे हटे और इतने दबे कि अपनी मूल वस्तु को पहचानने समझने और उसके मोक्ष-महत्त्व को जानने की हमारी शक्ति बहुत ही क्षीण हो गयी। हम केवल अंधकार की पकड़ कर बैठे रहे। भावार्थ की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा सका। यही कारण है कि आज देश में शिक्षा का इतना विस्तार होते हुए भी हमारा पढ़ा लिखा और अपढ़ नागरिक अपनी मूल पूजा के प्रति इतना असावधान और बेगबर बना हुआ है।

अब हम देखें कि यह विष्णु कौन है। इसका इतना महत्त्व क्यों है? मेरा निवेदन यह है कि हम में से हर एक एक एक विष्णु है। यदि वह कहे जाय कि हम ही हमारे ब्रह्मा हैं हमी विष्णु और हमी शंकर हैं तो शायद वह गलत नहीं होगा। एक समय या जब हम अपने देश में राजा को विष्णु का अवतार मानते थे और जिस दिन राजा के दर्शन कर पाते थे उस दिन को अपने सौभाग्य का दिन समझते थे। सैकड़ों सालों तक राजा हमारे बीच इस रूप में पूजा और प्रतिष्ठा का पात्र बना रहा। बाद में राजा ने अपना राज धर्म छोड़ा, वह भोग विलास में डूब गया और सेवा धर्म से हट कर अपनी प्रजा का पीड़क शोषक और भयानक बन गया तो वह देखते देखते आम लोगों की निगाहों से गिर गया और उसकी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गयी। प्रजा के मन में उसका कोई सम्मान नहीं रहा। प्रजा ने उसे अपना समर्थन देना बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जिस दुनिया में सैकड़ों सालों तक राजा महाराजाओं के नाम और

पद वैभव की धूम मनी रही, आज वे अपना सारा पद वैभव खोकर साधारण नागरिक की स्थिति में आ गये हैं।

अब प्रश्न हुआ कि समाज का धारण-पोषण कौन करे। उत्तर यह मिला कि जिस नागरिक की सामूहिक सद्भावना के सहारे राजा खड़ा रहा था वह नागरिक अब खुद ही अपने सामूहिक वर पोषण व भरोसे समाज का भरण-पोषण और रक्षण करने का जिम्मेदारी उठा ले। मतलब यह कि सच्चियों और पीढियों की साधना के बाद राजा ने अपने जीवन में जिन सद्गुणों का विकास किया था उन सद्गुणों को अब साधारण नागरिक अपनी नित्य की उपासना-आराधना और साधना का विषय बनाये। तभी विष्णु के कर्तव्यों का पालन करने की जो जिम्मेदारी जमाने ने उन पर टापी दी है, उसे पूरा करने की बुद्धि, शक्ति और भावना भक्ति के अपने में विकसित कर सकेंगे। आज का जमाना नागरिक को विष्णु बना कर काम करने का है।

आज के समाज में जो नागरिक, फिर वह पुरुष हो, चाहे स्त्री, विष्णु के धर्म का पालन करने की जिम्मेदारी लेगा, उसके जीवन में, नित्य के जीवन में वे सारे गुण प्रकट होने चाहिये जिन गुणों के सहारे सृष्टि का पालन-पोषण करनेवाली वैष्णवी शक्ति अपना काम लगातार करती चली आ रही है। जब तक आज नागरिक अपने इस नये दायित्व को समझकर उसे निवाहने के लिए शुद्ध बुद्ध भाव से प्रयत्न नहीं करेगा तब तक नागरिक के भरोसे चलनेवाली समाज-व्यवस्था और राज-व्यवस्था, जिसे आज हम लोकतन्त्र जनतन्त्र या गणतन्त्र का नाम से पहचानते हैं और चलाने का फौंडेशन में लगे हैं पूरी सफलता के साथ और सम्पूर्ण यश-शौरव के साथ नहीं चल सकेगी। राजा के जमाने में जो शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित होकर पड़ी थी लोकतन्त्र के इस युग में अब उसे जन-जन में प्रकट होना होगा, तभी जनतन्त्र पक्की बुनियाद पर खड़ा हो कर अनाश्रित रूप से आगे बढ़ सकेगा।

प्रश्न यह है कि क्या आज का नागरिक अपने को विष्णु के रूप में देखना पसंद करेगा। क्या विष्णु

[ नयी ताळीम

का-सा जीवन बिताने की उसकी आंतरिक तैयारी होगी ? यह तो हम में से हर एक को मान ही लेना होगा कि हमारा विष्णु हमारे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं। उसका धीर-सागर और उसकी शेष-शय्या भी हमारे ही अंदर है। इन्हें खोजने के लिए कहीं बाहर जाना जरूरी नहीं। तो अब हम यह देखें कि इस श्लोक में विष्णु के जिन गुणों का वर्णन है उन्हें हम अपने जीवन में जगह दे सकते हैं या नहीं और हम स्वयं अपने लिए छोटे-बड़े विष्णु बनकर जीने की तैयारी कर सकते हैं या नहीं ? इन प्रश्नों के सही उत्तर पर ही आज की दुनिया के और भारत के जन-तंत्र का भविष्य निर्भर करेगा।

श्लोकरूढ़ार कहता है कि जो नागरिक मानव-समाज में मुखिया बन कर बैठेगा, जो अपने घर-परिवार, गाँव, तहसील, जिला, प्रांत या देश के मरण-पोषण और रक्षण की जिम्मेदारी समालेगा उसका पहला गुण यह होना चाहिए कि वह सदा शांत, स्वस्थ और प्रसन्न रहे; इतना शांत कि लोग उसे शांति का अंतरा ही मानें। उसके जीवन के क्षण-क्षण में शांति मूर्तिमत् होनी चाहिए। अशांति के बड़े से बड़े निमित्त के रहते भी वह अपनी शांति को डिगने न दे, इसी में उसके विष्णुत्व की सार्थकता है। इसी लिए कहा है कि हजार मुहवाले शेषनाम की शय्या पर लेट कर भी विष्णु के चहरे की शांति अटल रहनी चाहिए। अब यह हजार मुहवाला साप या नाग कुदरत में तो कहीं दीखता नहीं। हम इसे प्रतीक मानें, श्वेत मानें और उसीके आधार पर आगे बढ़ें तो काम चल सकता है। जब मनुष्यों के समाज में कोई छोटा या बड़ा मुखिया बन कर बैठता है, चाहे पांच प्राणियों के परिवार का ही मुखिया क्यों न हो, तो वह समूचा परिवार उस मुखिया के लिए शेषनाम बन जाता है। उसके फन सदा उठे रहते हैं और उसकी फुफ्फुओं सदा छूटती रहती हैं। मुखिया के दोष देखना और उसके हर काम में अड़गे डालकर उसे त्रस्त करते रहना, यही आम तौर पर घर, परिवार, गाँव आदि के लोगों का बहुत पुराने समय से रवैया रहता रहा है। मनुष्य-समाज के

मुखिया के लिए यही जीती-जागती शेष शय्या है। सब का जहर पचा कर, सर्वकी गरी-गोटी सुन कर भी जो अंदर से शांत, स्वस्थ बना रहता है वही अंत तक अपना मुखियापन कायम रख सकता है। हजार मुहवाला साप कुदरत ने तो नहीं बनाया, पर मनुष्यों के समाज ने अपने में उस साप के सारे गुण प्रकट करके अपने को ही शेषनाम बना लिया है। मुखिया की कोई चीज़ नहीं बचती, जिसकी टीका, कड़ी से कड़ी टीका, जहरीली से जहरीली टीका, समाज के लोग दिन-रात न करते हों। फिर भी मुखिया है कि सब का सारा जहर पचा कर वह सदा शांत-प्रसन्न बना रहता है और अपना अमीयत कार्य कुशलता के साथ करता चला जाता है। इसीलिए कहा है—शान्ताकार मुजगशयन। यह मुखिया का पहला गुण है।

भगवान ने साप को दाजीमें दाँ हं। मनुष्य को एक ही जीम मिली है, पर उससे वह दो तरह के काम लेता है: जब जी चाहता है, अमृत बरसाता है, और जब जी चाहता है, जहर उगलने लगता है। अभी जिस जीम से स्तुति को था, दूसरे ही धण, उसी जीम से, निन्दा का स्रोत बहा देता है। कहते हैं, साप का काटा घड़ीभर बच भी जाय, पर मनुष्य की जीम का काटा कभी बचता नहीं, उसका पाव इतना गहरा होता है कि जनम-जनम तक भरता नहीं। इसलिए मनुष्य-समाज के पाच बेचारा मुखिया तो जिंदा भून दिया जाता है। पर उसका प्राणशक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह उस भारी आच में से भा हेमल्लम पार निकल आता है और अपना धर्म प्रसन्नता-पूर्वक पालता रहता है। इसी कारण मुखिया को 'पद्मनाभ' माना गया है। उसकी नाभि में से कमल प्रकट होता है। मतलब यह कि समाज का कीच और दलदल के बीच रह कर भी वह अपना मनुष्यता का सदा सुशोभित बनाय रखता है, जैसे कीच में कमल। कमल के सारे गुण मुखिया के जीवन में प्रकट होते हैं। वह निर्लेप, निर्विकार और निर्मल बन कर अपनी मुवाच से, अपने सहज सौंदर्य से, अपनी सरसता और कोमलता से सब का मन हरता रहता है। मुखिया की यही विशेषता है। यही नागरिक का भूषण है।

आगे कहा है कि विष्णु अर्थात् मानव-समान को मुखिया 'सुरेश' होता है। मतलब यह कि वह देवताओं का सरदार होता है जो स्वभाव से भग है, किसी के छेने देने में नहीं रहता, जो सदगुणों का भण्डार है, दैवी सपदा से युक्त है, उसे हमने अपनी भाषा में 'सुर' अथवा देवता कहा है। मनुष्य समाज के मुखिया में देवत्व का यह गुण इतना अधिक होता है कि वह सद्गुण ही सब छोटे-छोटे देवों का सरदार बन जाता है। उसकी भलाई, सचाई, त्याग, सेवा, परोपकार, शील, सयम, सदाचार आदि की कोई सीमा नहीं रहती। भलाई में उसे कोई पा नहीं सकता। इसी लिए उसे सुरेश कहा है। जिस मुखिया में यह गुण होता है, वह अपने समाज में देवता की तरह पूजा जाता है। अपने अपने समय में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि ने इसी प्रकार की ईशता प्राप्त की थी। यही आज भी हमें साधारण नागरिक के नात प्राप्त करनी होगी, तभी हम अपने लोक तंत्रको सुरक्षित रख सकेंगे और उसका उत्तम विकास कर सकेंगे।

विष्णु को हमारे यहाँ विश्व का आधार माना गया है। वह सब की चिंता रखता है। सबको सहारा देता है। यह चेतन सब उसके आसरे पलते-बढ़ते हैं। आज के नागरिक को भी अपने नित्य के जीवन में विश्वास आधार बन कर बढ़ना होगा। उसे पानी, मिट्टी, हवा, पेड़, तने, पशु पक्षी, वृद्धि, कीट, साप, विच्छू, मनुष्य, अपने-पराये सब क प्रति समत्व रख कर, सब के योग क्षेम का चिंता करनी होगी। हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में इस विभूति का दर्शन हमें कराया है। गांधीजी को पत्नी, खेत की मिट्टी, फागज, पेन्सिल, कपड़ा, घासगैद, साप, विच्छू आदि सबकी इतनी चिंता रखते देखा है कि जिसकी कल्पना भी साधारण आदमी के बसकी बात नहीं। अपने इसी गुण के कारण गांधीजी सृष्टि के उन तत्वों के साथ इतने समरस हो पाये थे और मानवता की इतनी ऊँचा सेवा कर सके थे। वे विश्व मानव बने और सारा विश्व, सारी दुनिया उनके परिवार में समा गयी इसका रहस्य यही था कि उन्होंने जीवन में समुची

चराचर सृष्टि को सहारा देना सीखा था, उसके सुख दुःख, हानि-लाम को अपना सुख दुःख, और हानि-लाम समझा था। जब तक हमारा औसत नागरिक अपने में इस गुण का ठीक ठीक विकास नहीं करता, हमारा लोकतंत्र पगु और अपूर्ण ही रहेगा। हमें इस बारे में गहराई से सोचना होगा।

आगे कहते हैं, विष्णु 'गगनसदृश' होता है। मतलब यह कि उसकी ऊँचाई का कोई पार नहीं। उसकी नि सगता और निर्विकारिता की कोई सीमा नहीं। उसकी निष्ठा का कोई पैमाना नहीं। जैसे, आसमान सदा नीला बना रहता है, अपना रंग रूप, अपनी भूमिका, कमी नहीं छोड़ता, वैसे ही मुखिया नाम का प्राणा अपने जीवन में सदा एक निष्ठ होता है। वह गिरगिट की तरह रंग बदलनेवाला और दस घोड़ों पर सवारी करनेवाला नहीं होता। कमी लाल टोपी, कमी सफेद टोटी, कमी काली टोपी कमी केसरिया टोपी, इस तरह नार नार टोपियाँ बदल कर अपनी जीवन निष्ठा को बेचने का पाप वह कभी नहीं करता। अपने धर्म-कर्तव्य और रूप-स्वरूप के बारे में उसकी निष्ठा अटल होती है। वह जीवन में इतना ऊँचा उठ जाता है कि निन्दा-स्तुति का, मान अपमान का और हानि लाम का उसे चल बिचल करनेवाला कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। आसमान पर धूल फेंको, उसे गाली दो, उस पर धुँकी, वह अपना स्वरूप नहीं छोड़ता। ऐसी ऊँची भूमिका जिस के जीवन की है, वही मानव समाज का सारा मुखिया बन सकता है। इसी लिए हमारे लोगों ने उसे गगन सदृश कहा है। आज यह सिद्धि हम से दूर है, पर पुरुषार्थ करने से, तप तपने से, कल हम इसके निकट पहुँच सकते हैं। आज से पहले हमारे लोग इस तक पहुँचे हैं, आगे भी पहुँचेंगे। इसी के लिए तो हमारा जीवन है।

विष्णु के गुणों और लक्षणों में एक उन की मर वर्णता भी है। पानी से भरे यादलों का जो मुहावना, साबुला रूप होता है वही हम ने देखा है जातवान मुखिया का माना है। इसी लिए हम उन्हें मेघश्याम, धनश्याम आदि नामों से भी जानते हैं। भारत के

जल-वायु का जिन्होंने गहरा अनुभव किया था, भारत के लोक-जीवन को जिन्होंने बहुत नजदीक से देखा-समझा था, वे इस नतीजे पर पहुँचे थे कि इस देश की मानवता का मुखियापन करनेवाले को अपने पसीने की रोटी खानी होगी और जीवन में कड़ी से कड़ी मेहनत करने का व्रत लेना होगा। खेत-खलिहान में धूप, बरसात, सर्द सहनी होगी और तन-मन को हर सकट के लिए तैयार रखना होगा। मुखिया क हिस्से आराम कभी आयेगा नहीं। जिस तरह बैसाल जल को धरती पानी की प्यासी हो जाती है, उसी तरह सभार के विविध तारों से तपा मनुष्य भी प्यार-दुलार का प्यास बन जाता है। मुखिया अपने जीवन के अनुभवों का अमृतघट लारकर सतत मानव के सामने उसका मुह खोल देता है और हरा-यका मनुष्य उस घट के अमृत को चख कर जीवन में फिर से हराभरा हो जाता है। जो काम धरती के लिए पानी भरने बादल करते हैं वही काम मानवता के लिए मेघश्याम मनुष्य करता है। इसलिए हमारे देश में साँजले रूप की इतनी महिमा है। मुखिया तो सावला ही भला। मुखिया के साथी चाहे गोरे हों, पर मुखिया को तो सावला ही रहना है। जैसे, राम के साथी लक्ष्मण, कृष्ण के बलराम। मतलब यह है कि जो समाज के कर्णधार बनेंगे, वे अपने जीवन में किरि प्रकर की भ्रष्टता, दुष्टता, और दुष्टाचार को कभी प्रश्रय नहीं देंगे। वे अत सरू कठोर परिश्रम-पूर्वक जीने और स्थावलयन सिद्ध करने की वृत्ति तथा साधनावाले होंगे।

फिर कहा है कि जो विष्णु है, मुखिया है, मनुष्य समाज का सेवक है, उसके अग्रप्रत्यग शुभ होंगे। वह शुभांग होगा यानी उसका सारा शरीर सुडौल और रुचा गसा रहेगा। वह न तो दीन दुर्बल होगा, न कच्चा-पाचा होगा। परिश्रम ही उसके नित्य के जीवन का आधार रहेगा, इसलिए उसके शरीर में न तो कोई रोग होगा, न कोई दूषण होगा। उसका सुदर-सुडौल शरीर सब को आँखों में बसा रहेगा। मुखिया के गुणों में इस गुण की अपनी विशेष महिमा है। आज अपने देश में हमने शरीर को सशक्त और सुडौल बनाने का विचार छोड़ दिया है, इसलिए

मार्च, '६३ ]

हमारी सेवा शक्ति, पुष्पाय शक्ति और जीवन-शक्ति भी बहुत घट गयी है। यदि समाज का नेतृत्व करना है, तो हम शरीर को खूब स्वस्थ और सशक्त रखना हा होगा। गांधोजी कहा करते थे कि सेवक का शरीर तो वज्र की भाँति अटूट होना चाहिए। इनुमान में शरीर को यह शक्ति थी, इसलिए वे सेवकों में शिरोमणि बने। आज जवाहरलाल लगातार ५० वर्षों से इस देश की और दुनिया की मानवता की सेवामें जुटे हुए हैं, पर उनका शरीर कभी यका नहीं। वे जितने सुन्दर हैं, उतने ही स्वस्थ, मुडौल और सशक्त भी हैं। मुखियापन के लिए इसकी खास जरूरत है।

जो मुखिया होगा, मानवता को सरदारी करेगा, उसे लक्ष्मी के स्वामी होना चाहिए। श्लोक में उसके लिए लक्ष्मीकान्त शब्द दिया है। जाज तो हम लक्ष्मी शब्द का अर्थ रुपया, पैसा, सोना, चादी हीरा, मोती आदि करते हैं। पर असल में यह लक्ष्मी नहीं है। हमने अपने देश में लक्ष्मी को सद्-गुणों के, सदाचार के रूप में जाना था। मनुष्य को सच्ची शोभा उसके सद्गुणों से हाती है, रुपये-पैसे से नहीं। हमारा असल मुखिया सदा ही सद्गुणों का स्वामी रहा। वह दैवी सपदा की उपासना में लगा रहा। जिस के पास सद्गुणों की संपत्ति है, उसे धन-दौलत के पीछे भटकना नहीं पड़ता। माया तो उसका अनुसरण करती रहती है—रुपया-पैसा खरी लक्ष्मी नहीं, निरी माया है। इस माया से ऊपर उठकर जिस ने जीवन भर उत्तम गुणों का सच्य सम्पादन किया, वही मनुष्यों में सरदार बन कर उत्तम सेवा कर सका। इसलिए विष्णु को लक्ष्मी का स्वामी माना गया है। जीवन के सही मूल्यों का ध्यान और भान न रहने से हमारे नित्य के जीवन में जो गिरावट आज आ गयी है उससे समाज को बचाना है तो लक्ष्मी के मूल अर्थ को पुनः अपना-कर उसे सिद्ध करने के पुष्पार्थ में हमें मन प्राण-पूर्वक लग जाना होगा।

कहते हैं, हमारा विष्णु कमल-नयन होता है। मतलब यह कि उसकी आँखें निर्वैर होती हैं, निर्वि-

कार होती हैं, उन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती। वे सदा हँसती रहती हैं। वे सदा सबका स्वागत करती रहती हैं। अपने पराये, शत्रु मित्र, ऊच नीच, अमीर गरीब, आदि का कोई भेद वे नहीं जानती। जिस तरह कमल का कोप सत्र तरह क मीरों क लिए सदा खुला रहता है, जब जिसका जो आवे, रस पान करे और चला जाये, उसी तरह मुखिया क दिल का और घर का दरवाजा सदा सब के लिए खुला रहता है। वह सब को अपने जीवन का रस छुटाता है, सब को अपनी सुवास से मुग्ध करता रहता है। वह निर्लेप और निरुग होता है। दुनियादारी का कोई प्रभाव वह अपने ऊपर पड़ने नहीं देता। इस अर्थ में हमारा मुखिया कमल-नयन होता है। जब तक समाज में ऐसे कमलनयन मुरिया जगह जगह खड़े न होंगे, तब तक नये समाज का निर्माण हो ही नहीं सकेगा। अपना सारा पुरुषार्थ लगा कर इस देश क नागरिकों में हमको यह कमल नयनता उत्पन्न करनी होगी। सभी नागरिक उन्नत जावन चिता सवेगा और अपनी सुवास चारों ओर फैला सकेगा।

यदि हमारे भाग्य से हमें अपने बीच जीने और काम करनेवाला ऐसा विष्णु यानी मुखिया मिल भी गया, ता प्रश्न यह है कि उसकी परख कौन कर सवेगा ? उसके महत्व को कौन जाने-समझेगा ? कौन उसका कदर कर सवेगा ? तो कहते हैं, योगी कर सवेगा। गाता में कहा है। 'योग कमसु कौशलम्'। कर्म-कुशलता ही योग है। घर में, गाव में, जहा-जहा ऐसे कर्म कुशल लोग होंगे, वही व इस मुखिया को जान-समझ सकेंगे और इसकी कीमत कदर करक इसका अनुकरण करने की चिंता रखेंगे। कहते हैं कि गुणा हा गुणवान का कदर कर सकता है। आज हमारे समाज में गुण की कद्र करनेवालों का अभाव है इसलिए गुणियों का अभाव खड़ा हो गया है। ठाक हा कहा है कि 'गुण न देरानो गुण-गाहक देरानो है।' जब समाज स्वय गुण-सम्पन्न होगा, तो वह अपने गुणवानों के गुणों की कद्र करके उन से लाभ छटा सकेगा। गुलामी ने हमारी गुण ग्राहकता

का बड़ा धक्का पहुँचाया है। इसी कारण हम गांधी जी की सही कदर नहीं कर सके। इसी कारण आज जवाहरलाल और विनोबा की कद्र करने में भी हम पिछड़े रहे हैं। हमारी गाठ में अपना कुछ गुण होता, तो हम इन गुणों पुर्यों के जीवन से बहुत कुछ पा सकते थे। अब भी कुछ गिगड़ा नहीं है। हम चाहें और प्रयत्न करें तो स्वय गुणी बन कर देश के और दुनिया के गुणवानों की कीमत-कदर हम जरूर कर सकते हैं और इस प्रकार अपनी मानवता को उज्ज्वल तथा प्रखर बना सकते हैं।

श्लोक के अंत में विष्णु को भयभयहर और सर्व लोकैकनाथ कहा है और उसकी वन्दना की है। जो समाज का सच्चा सेवक और सरदार होता है, वह समाज की दुनियादारी के और दुनिया क सारे डरों से मुक्त करने में लगा रहता है। सामाजिक मूल्यों को बदलना, आर्थिक, राजनीतिक और धर्म-मजहब, ऊच-नीच, छूत अछूत, मालिक-मजदूर आदि भेदों के कारण समाज में जो विषमता, भय और दास छा जाता है उसे समाज को मुक्त करना, मुक्त होने का रास्ता दिखाना, यही मुखिया का अपना जीवन कार्य होता है। इसीलिए वह भव भय-हारी कहा गया है। राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर से लेकर गांधी तक के सारे महापुरुष इस अर्थ में हमारे लिए भव भय हारी रहे हैं। जिन बधनों में अज्ञान आदि के कारण मनुष्य बध जाता है उन बधनों से मुक्त होने का माग ये महापुरुष उसे दिखाते रहे हैं। मुरिया का भी वही धर्म माना गया है।

जो विष्णु, यानी मुरिया, सेवक या सरदार अपने समाज के बीच इतने सारे गुणों को लेकर पूरे तप, तेज और प्रताप के साथ जाता है, यदि उस उस क्षेत्र की सारी मानवता उसे अपना एकमात्र स्वामी, वारनहार, उदारक या कर्णधार मान ले, तो इस में आश्चर्य ही क्या ? इसीलिए श्लोक का अंत सर्वलोकैक नाथम् से किया गया है।

जो धीरसागर में रहता है, यानी जिस का जीवन दूध के समान पीपक तत्वों से भरा है, जो जन-समाज [ शेष पृष्ठ २८९ पर ]

## एक साल के बच्चे का सोना और खाना

श्री राममूर्ति

सोना—

एक साल का बच्चा अपने सोने का समय बदलता रहता है। अभी तक अगर वह एक समय सोता था तो अब दूसरे समय सोयेगा और थोड़े दिन बाद फिर समय बदल देगा। मा के लिए इन अमुविधाओं को बर्दाश्त कर लेने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। उसे जानना चाहिए कि ये अमुविधाएँ थोड़े समय की हैं और शीघ्र बच्चा अपने सोने का समय तय कर लेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे को नींद न लगी हो तो उसे अबरदस्ती मुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक साल का बच्चा दिन भर सोता ही नहीं जिसके कारण शाम को थक कर चूर हो जाता है और बिना कुछ खाये पीये जल्द ही बिस्तर पकड़ लेता है। ऐसी हालत में उसके भोजन का समय कुछ पहिले कर देना चाहिए।

सोने के बारे में बच्चों की अपनी विशेषता होती है। यह जरूरी नहीं है कि सोने में सब बच्चे समान हों, इसलिए भिन्नता के कारण चिंतित नहीं होना चाहिए।

खाना—

एक साल के इर्द गिर्द बच्चा खाने में अपनी पसंद प्रकट करने लगता है। जब वह ७-८ महीने का था तो चाहे जो चीज दी जाती खुशी से खा-पी लेता, लेकिन एक साल में वह समझने लगता है कि क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं अच्छा लगेगा। बात यह है कि एक साल के बच्चे में अपने स्वतंत्र मार्ग, '६३ ]

व्यक्तित्व का मान होने लगता है। वह सोचने लगता है "मैं भी कुछ हूँ"।

दात निकलने के कारण भी भूख कुछ कम होती जाती है। अक्सर लगातार कई दिन तक बच्चा सामान्य से आधा ही खाता है और कभी-कभी तो विल्कुल खाता ही नहीं। इसके अलावा यह भी है कि भूख कभी एक तरह रहती नहीं, पसंद भी बदलती रहती है। यह बात हम लोग खुद अपने जीवन से समझ सकते हैं कि भोजन में एक दिन की मात्रा दूसरे दिन नहीं रहती, एक दिन जो चीज पसंद आती है वह दूसरे दिन पसंद नहीं आती। वही हाल बच्चों का भी है और मनुष्य में बहुत जल्द खाने-पहाने की चीजों और मिलनेवाले व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह बन जाते हैं। बच्चों के भोजन के बारे में जो प्रयोग हुए हैं उनसे बड़े मजेदार परिणाम प्रकट हुए हैं। उनमें से तीन मुख्य हैं :

१—जो बच्चे तरह-तरह की चीजों में अपनी पसंद से चुनकर खाते हैं उनका विकास बहुत अच्छा हुआ है। वे न अधिक मोटे हुए हैं और न बहुत पतले ही रह गये हैं।

२—अपनी पसंद से बच्चों ने ऐसी ही चीजें चुनी हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से संतुलित भोजन के अंतर्गत गिनी जाती हैं।

३—भूख बराबर बदलती रहती है—समान नहीं रहती।

इसका यह अर्थ नहीं है कि बच्चा जब खाना चाहे तो उसके सामने तरह-तरह की चीजें रखी जायें,

लेकिन इसका यह अर्थ जरूर है कि अगर बच्चे की रूचि गलत खाना खिलाने के लिए नहीं दी गयी है तो वह हमेशा स्वस्थ, सतुलित चीजें ही पसंद करेगा और अगर वह प्रस्तुत चीजों में से कोई एक दूसरी चीजों की अपेक्षा कुछ अधिक खा लेता है तो चिंता का कोई कारण नहीं है। ऐसा करने से वह बीमार नहीं पड़ेगा। जिस तरह यह चिंता का कारण नहीं है उसी तरह यह भी चिंता का कारण नहीं है कि क्या जिस चीज को चाय के साथ खाता था उसे अब नहीं खा रहा है। भोजन में 'पसंद' और 'नापसंद' का खेल बराबर चलता रहता है।

आजकल भोजन के बारे में वैज्ञानिकों के क्षेत्र से इतनी बातें कही जाती हैं कि हमें भोजन के सम्बन्ध में बच्चों के विवेक पर भरोसा नहीं रह गया है। हमें यह जानना चाहिए कि लोगों को मनुष्य के शरीर को जो अभ्यास हुआ है उसने बहुत हद तक उसे सिखा दिया है कि क्या खाना चाहिए। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणधारियों में आत्म-रक्षा के लिए आवश्यक विवेक का विकास हुआ है। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि सतुलित भोजन की जानकारी न रखी जाय और बच्चे को सतुलित भोजन दिया न जाय, इसका इतना ही अर्थ है कि बच्चों की सहज श्रुति पर भी भरोसा रखा जाय, और बच्चे में भोजन के सम्बन्ध में पूर्वाग्रह न पैदा होने दिये जायें। कभी यह कोशिश न की जाय कि जिस चीज को हम वैज्ञानिक, स्वस्थ और उपयोगी समझते हैं उसे बच्चा

जरूर खाये चाहे वह उसे पसंद हो, चाहे न हो। दूध के बारे में ऐसी 'जबरदस्ती' अक्सर की जाती है। इस अति आग्रह का नतीजा यह होता है कि कई अच्छी चीजों के लिए बच्चे में घोर और स्थायी अरुचि पैदा हो जाती है। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे में किसी चीज के लिए स्थायी अरुचि न पैदा होने पाये। थलिक करना यह चाहिए कि जो चीज उसे नापसंद हो जाय वह उसके सामने बार-बार दिन पेदा ही न की जाय। इससे यह होगा कि उसकी छुट्टी हुई रूचि वापस आ जायगी। लेकिन जरूर इससे मां को परीक्षानी होती है। जिस चीज को उसने मेहनत से खरीदा, चिंता से बनाया और प्यार से परोसा उमे क्या खूबे न तो उसे यही निराशा होती है, और अक्सर वह धुंध हो उठती है और आग्रह करती है कि बच्चा खाये, जरूर खाये, लेकिन यह निश्चित है कि ऐसा करना गलत है। बच्चे की मर्जी को स्वीकार कर लेने में ही अच्छाई है। उसे एक चीज की जगह दूसरी चीज देनी चाहिए और अगर वह सब्जी की जगह फल चाहता है तो फल से ही सतोष मान लेना चाहिए।

दूसरे साल में कई बार बच्चा अनाज से ऊन खाता है, या सब्जी लेना बिल्कुल बंद कर देता है। अगर वह ऐसा करे तो घबड़ाने की जरूरत नहीं है। हर चीज के विकल्प मौजूद हैं। जरूरत है विवेक की, धैर्य की।



[ शोप पृष्ठ २७२ का शोपाक ]

[ क ]

आप मुफ्त मिलने लगती हैं तो सहज ही नागरिक उन चीजों के उत्पादन में या उनके लिए कुछ करने के विषय में अपनी जिम्मेदारी कम महसूस करता है और हर बात के लिए सरकार पर निर्भर करने लगता है। कल्याणकारी राज्य की मूल कल्पना में यह परिणाम साध्य ही अपेक्षित हो, क्योंकि आज की इस स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों की हानि है। इसमें व्यक्ति अप्रतिष्ठित होता है और समाज पर भार बढ़ता जाता

है। व्यक्ति गैरजिम्मेदार बन जाता है और सारो व्यवस्था का सूत्र धुंधीभर लोगों के हाथ में केन्द्रित होता जाता है। इसका अनिवार्य परिणाम लोकतंत्र की समाप्ति ही में होता है।

कल्याणकारी राज्य में दूसरा एक स्तर यह है कि उसमें आयोजन बहुत महत्व का बन जाता है जो सर्व साधारण के लिए दुर्लभ और दुर्लभ होता है। आयोजन

[ शोप पृष्ठ २९२ पर ]

[ नयी वाणी ]



## प्राथमिक शिक्षा

### श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारि

प्राथमिक शिक्षा चाहे लिखने, पढ़ने और गणित के रूप में देने की हो या काम के जरिए या खेल-कूद द्वारा देने की, उसमें बालकों को उनके प्रारंभिक जीवन से ही आरंभ में घेर कर हैरानी और सिरपघी का आदी बनाने की योजना न हो। उसमें चीजों से व्यवहार करने तथा खेलने और काम करने की योजना होनी चाहिए, जिससे वे काम और खेल दोनों को अलग-अलग न मानें और दोनों में आनन्द लें। उसे हम मापटेछोरी पद्धति कहें, बुनियादी कहें या और कुछ नाम दें, हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था इस ढंग की होनी चाहिए कि वह मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल हो, क्योंकि साफ है कि हम अपने खयालों के अनुसार वस्तुस्थिति को हमेशा नहीं बदल सकते। यदि आप बैठकर अपनी योजनाओं का और देश की आमदनी का, जिसके ही सहारे सब योजनाएँ पूरी होती हैं, हिसाब लगायें तो आप देखेंगे कि आपकी कई योजनाएँ तो हिसाब करते-करते ही खतम हो जायेंगी और निराशा में दब कर आपको श्रद्धुमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में छिपा कर अपने सामने की वस्तुस्थिति को देखने से इनकार करना पड़ेगा।

यदि हमारे बालकों की अच्छी तरह और बुद्धिमाननी के साथ परवरिश नहीं हुई तो हमारे पास रक्षा करने योग्य संस्कृति ही कौनसी रहेगी! सौभाग्य की बात है कि कानूनों, सुधार के आंदोलनों और सधों द्वारा की गयी समाज-सुधार और पुनः-संगठन की सारी कोशिशों के बावजूद हमारे परंपरागत पारिवारिक संस्कारों ने उन व्यवसायों को बराबर कायम रखा है

मार्च, '३३ ]

जिन पर राष्ट्र का जीवन टिका हुआ है। तभी तो अधिकांश बच्चे आज भी अपने माता-पिता के काम में हाथ बंटाते और किसी पाठशाला या संस्था की सहायता के बिना अपने परिवार के परंपरागत उद्योग को सहज में ही भलीभांति सीख लेते हैं। किसान, बढ़ई, मोची, मगी, लोहार, बुलाहे, दूकानदार, गाड़ी-वाले आदि लाखों गरीब जन बड़े लोगों की आकांक्षाओं और आदर्शों से अनजान रह कर सहज ही समाज का काम करते चले आ रहे हैं और उनके बल पर समाज जीवित है। हम अपने हवाई मिले बेरोक बाध सकते हैं, क्योंकि जमीन पर के जिस धर में दर असल हम रहते हैं, उसे तो दीन और अपढ़ समाज हमारी ऊपर की करामातों से बेगबर बना हुआ नीचे से समाले हुए है। अन्न पैदा होता है, कपड़ा बुना जाता है, मेड़ों की ऊन निकाली जाती है, गायें चरायी जाती हैं, जूते सिये जाते हैं, सफाई होती है और बैलगाड़ी के पहिये तथा हल बनते और मरम्मत किये जाते हैं क्योंकि ईश्वर की कृपा से काम चलानेवाली जातियाँ अब भी कायम हैं। उनके घर घर का काम भी देते हैं और घरों की पाठशालाओं का भी, माता-पिता भी हैं और शिक्षक भी जो अपने निराकाशी बालकों को अपने आप ही काम सिखा देते हैं।

इन हालातों को बिगाड़ने का प्रयास शायद कोई पागल आदमी ही करेगा। तब ऐसी हालातों में हमारी स्थापित और मविष्य में स्थापित होनेवाली प्रारंभिक शालाओं में हमें कौनसी योजना अमल में लेनी चाहिए!

[ २० ]

क्या यह कहना ठीक होगा कि जो बच्चे घर में अपने माता पिता से अपना पारिवारिक उद्यम सीखते हैं, उन्हें काम साखने की सुविधा स अलग करके सारे समय के लिए उन पाठशालाओं में डाल दिया जाय जि हैं हम कायम करते जा रहे हैं ? और हम कितना भी प्रयत्न क्यों न करें हम जानते हैं कि उन पाठशालाओं की शिक्षा के लिए अपने बच्चों को हम कितने कार्य-कुशल बना पायेंगे । तब फिर क्या ऐसी हालत में बालकों को बहा भरती करके अपने माता पिता के धर्मों को सीखना उनके लिए असभव बना दें ? बाद के जीवन में तो वे उसे अच्छी तरह नहीं सीख सकते और न उन धर्मों को हम इन पाठशालाओं में सिखाने की उम्माद ही कर सकते हैं । उन्हें चलाने का काम हम जल्दीरानी में तारीफ पाये हुए शिक्षकों को सौंपते हैं इस बात में हैरत हो जाता हूँ क्योंकि इस कदम में पैदा होनेवाली सुराई मुझे साफ तौर स दिखायी देती है । लेकिन एक आशंका है कि मेरा डर अनावश्यक है क्योंकि मुझे विश्वास है कि हम क्रिती ही कोणिंग बर्धों न करे सौभाग्य से हमारे बालकों की बड़ी सख्या हमारे कुलमें से बच जायगी और पारिवारिक शिक्षा और परपरा के धर्म चाद रहेंगे । क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने शिक्षा प्रकार के इस महान काम और पारिवारिक शिक्षा और परपरा के धर्मों को चाद रखने की आवश्यकता के बीच गड कैसे बिठायेंगे ? मैं तो मध्यम मार्गों हूँ और हर एक के साथ उचित रीति से समझौता करने के लिए तैयार रहता हूँ । और इसलिए मैं अनिश्चय शिक्षा के हामिनों के सामने यह सुझाव रखने की हिम्मत करता हूँ कि क्या तीन दिन की पाठशाला की पदाई से हमारा सतोप नहीं होगा ? इन तीन दिनों में आप बच्चों से किस तरह पेश आना चाहें आ सकते हैं । लेकिन शेष चार दिनों में बच्चों को अपने माता पिता के साथ काम करने का मौका दीजिए । देखें तो सही, क्या होता है । इस प्रकार हमारी भूल का बीमा हो जायगा । दूसरे शब्दों में कहें तो हम आगे भी बढ़ेंगे और पहले छूटे हुए से हमारा संघ जैसा का वैधा सुरक्षित रहेंगे । जो अपने माता पिता का धर्मा

नहीं करना चाहते या जिनके पास ऐसा कोद धर्मा नहीं है और जिनके माता पिता उनके लिए परोपजीवी जीवन, सरकारी भौकरी या होड तथा विविध प्रकार के रूप वगैरह की योजना सोचते हैं ऐसे वादक सताह में चार दिन जैसे चाहे रच कर सकते हैं । लेकिन गरीब विद्यार्थी वे चार दिन अपने माता पिता का धर्मा सीखने में लच करेंगे और तीन दिन पाठशाला में पढ़ेंगे जो, मैं मानता हूँ, काफी होना चाहिए ।

इससे हमारी पाठशालाओं और शिक्षकों की ताकत दुगुनी हो जायगी, क्योंकि आराम की एक दिन की छुट्टी के बाद सताह में विद्यार्थियों की दो टोलियों की पदाई की जा सकेगी ।

इस व्यवस्था स आर्थिक समस्या भी बहुत कुछ हलकी हो जायेगी और बालकों के कोमल निमाम पर आकड़ों और शब्दों का बोझ भा कम होगा । चार दिन की छुट्टी के समय में बच्चों को ताजा होने का मौका मिलेगा और अपना पाठशाला में पाया हुई शिक्षा को पचा लेने, अनुभव में लाने और उससे फायदा उठाने का मौका मिलेगा । दर असल मैं सोचता हूँ कि इससे शिक्षा के गुण में और उसे पचा लेने के काम में सुधार होगा ।

मैं दिन के दो निमाम करने का विकल्प पसंद नहीं करता । पाठशाला और पारिवारिक धर्मों की मुसह और दोपहर दोनों का फायदा मिलना चाहिए । क्रिस्तान बालकों को पूरे तीन दिन पाठशाला में जा कर पढ़ना चाहिए और शेष चार दिनों में अपने माता पिता के साथ अपने ढोंरों के साथ या अपनी काम की दूकानों में रहना चाहिए । हमें पाठशाला या परिवार की मुसह या दुपहरी की फायदेमद स्थितियों से बिलकुल ही बचित नहीं करना चाहिए ।

इस सुझाव का हेतु आर्थिक नहीं है क्योंकि रच खास चीज नहीं है । खास चीज तो यह है कि हम अपने बुनियादी धर्मों को किस तरह कायम रखेंगे जो आज हमारे समाज को पोस रहे हैं । मैं सारे देहात के फारीसों, सुतार उगहे वगैरह सबके बारे में सोच रहा हूँ जिनके धर्मों को हमें कायम रचना है ।

मैं देहात को शिक्षा संपन्न देखने के लिए किसी से कम उत्सुक नहीं हूँ। लेकिन जरा हमारी पाठशालाओं को तो देखिए। जुलाहा लड़के का पिता उसे पाठशाला में बुनाई सिखाने का तमाशा करनेवाले शिक्षक से बहुत अच्छी बुनाई जानता है। इतने पर भी हम लोगों को व्यवस्थित सस्थाओं के प्रति अध-विश्वास हो गया है और इसलिए हम अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं। यदि आप समाज का वैज्ञानिक दृष्टि से निचार करें तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बुनियादी धधे हैं जो समाज का पोषण करते हैं और उन्हें फायम रखने के लिए आपको या तो कुछ पाठशालाएँ रखनी चाहिए या फिर पारिवारिक तालीम देनी चाहिए। कम आवादी-वाले देशों में तो औद्योगिक केंद्र सोल कर बच्चों को जरूरी तालीम देना और उन्हें विविध धधे चाद रखने की शक्ति देना संभव होता है। लेकिन आज हमारे यहाँ औद्योगिक शिक्षा देनेवाली कुछ कितनी संस्थाएँ हैं? शहरों के कुछ लड़के इन सस्थाओं में जाकर तालीम लेने हैं और उरके बाद उसी धधे में उत्पादक नहीं, बल्कि शिक्षक का काम करते हैं। क्या समाज के लिए इतना काफी है?

किसान के बच्चों को उनके जीवन के समी जरूरी कामोंकी तालीम मिलनी चाहिए। उन्हें अपना खेती

का काम सीखने रहना चाहिए और वह वे बचपन में ही सीख सकते हैं। इससे मेरी बात का खुलासा हो जाता है। आप उन्हें बहुत ही अच्छी शिक्षा दें पर साथ ही अपने धधेकी तालीम भी लेने दें। आज आपके और मेरे बालक भी जो शिक्षा पा रहे हैं उसका बेहूदापन आपने उतना नहीं समझा है जितना मैंने समझा है। वह तमाम शिक्षा अनास्तविक और निरर्थक है। पुराने दम की शिक्षा पाने पर भी जीवन में जिन्होंने सफलता पायी है उनको और आप धायद अगुली दिखायेंगे। बात यह है कि कई कठिनाइयों के बावजूद मनुष्य की रचना इतनी परिपूर्ण है कि वह उसे सफलता दिला देती है। लेकिन काम किसी तरह चलता रहे इसकी वनिस्वत उसे अच्छा तरह करना कुछ अलग ही बात है। मैं समझता हूँ कि बच्चों को पाठशाला में जो शिक्षा मिलती है वह प्रकृति के सपर्क से बहुत सुधारी जा सकती है जिसमें खेल और काम दोनों शामिल हैं। आज जो प्राथमिक शिक्षा बालकों को हम पाठशाला में देते हैं, वह सुधर सकती है, बच्चों बालक उसके साथ किसी प्रकार का काम भी करें। और बालकों के लिए जो काम उनके घर या खेत में करने को मिलता है उससे अधिक धोग्य और फीनसा काम हो सकता है।

★ ( भारतीय विद्यामवन बबर् के भापण से )

[ शेष पृष्ठ २८५ का शेषाश ]

का जहर पीकर उसके लिए अमृत की वर्षा करता रहता है, जिस की भलाई का पार नहीं है, जो सब के लिए सहारा बन कर जाता है, जो जीवन में बहुत ऊँचा उठता है, जिसकी निष्ठा कभी डिगती नहीं, जो कठिन धम करके अपनी जाँविका चलाता है, जिसका शरीर सदा स्वस्थ और सद्यन्त रहता है, जो सद्गुणों का उनासक है, जो निर्वैर, नि.सग और निमल बन कर चलता है, जो दुनियादारी के फेर में नहीं पड़ता, जो रिशत मानव की भूमिका धारण करके सारे निरन के साथ अपने परिवारका-सा व्यवहार करता है, वही नागरिक आज के संघार में और

आनेवाले संघार में भी सब का सेचक, सहायक, शिरोमणि, साथी, मित्र और मनी बन कर सब के दिलों में सद्ता के लिए बस सकता है। अमरता इसी का नाम है।

आइए, हम अपने बीच ऐसा नागरिक खड़ा करने के लिए तप तपें, जप जपें, और जीवन को ऊँची साधना की ओर ले जायें। भारत को मानवता की यह जो मव्य विरासत मिली है, उसके अनुरूप हमारा सारा जीवन बने, यही इष्ट है, श्रेयस्कर है और जीवन की परिपूर्णता के लिए धावश्यक और अनिवार्य भी है।

★

' माचें, '६१ ]

[ २८६ ]

## काम के अन्तुभव

: १ :

### ग्रामभारती, वरनपुर

सुदूर देहात में एक गांव वरनपुर के दक्षिणी-पूर्वी छोर पर मुख्य नहर के किनारे एक अपहेटा क्षोण्डा और मिट्टी की कुछ उठती हुई दीवारें दिखाई पड़ती हैं जहाँ पूज्य धीरेन्द्र भार्गव के शोध-पूर्ण जीवन की नवीनतम—(और शायद उनके ही शब्द में अंतिम भी)—देन “ग्रामभारती” की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है। इस सुनियारी कार्य में रत छात्रियों का प्रतिकूलताओं से संपर्क करते हुए निरंतर उत्साह के साथ आगे बढ़ना एक प्रेरणा-प्रद स्थिति है।

ग्रामभारती, वरनपुर के कार्यकर्ता छात्रियों के साथ दो-तीन दिनों तक कार्य करने, उनके विचारों और भावनाओं से परिचित होने का बाद मरे मायुक मन के सामने एक प्रश्नचिन्ह खड़ा हुआ—“लगभग तीन साल बाद जब खेतों का मट्टे बनाने, दीवारें उठाने, लोगों से नये-नये परिचय प्राप्त करने, कार्य-कर्ता परिवार को प्रोत्साहन करने आदि का काम पूरा हो जायगा, जब कृषि, गोपालन आदि कार्य एक सिल-सिले में जम जायेंगे, कार्यकर्ता सप्ताहवार श्रमाधारित जीवन बिताने लयेंगे, वरनपुर का आसपास के गांवों से सघन संपर्क स्थापित हो जायगा तो उसका बाद अनिवार्य रूप से सामने आनेवाली स्थिति—आपसी तनाव, गांवों के लोगों के साथ अनेक सुनियारी मान्यताओं के प्रश्नों पर खींचतान, आदि उलझनों को लोक शिक्षण के प्रोजेक्ट मान कर उनके हल ढूँढ़ने या इन उलझनों में फँसकर अपने को कालि से दूर न होने देने के लिए फिर कोई नया कदम उठावेंगे और पिछले तीन सालों में किये गये प्राथमिक निर्माण कार्यों

की पुनः एक नयी भूमिका के साथ पुनरावृत्ति करेंगे ? प्रश्न कुछ पूर्व धारणाओं के आधार पर सामने आना था, इसलिए कुछ सकोच हुआ। लेकिन चूँकि यह जानने की प्रयत्न मिश्राया थी कि इस कार्य में लगे छात्रियों की इस पर क्या राय है, अतएव मैं ने उन लोगों के सामने इसे रखा और यह जानकर मुझे बहुत सताप हुआ कि वे लोग आपस में इस प्रश्न पर काफी चर्चा करते रहते हैं और इस दिशा में पूरी तरह सजग हैं।

आपस की लची चर्चाओं में दो विषयों पर सर ने अपना मत व्यक्त किया। १. जिस काम में हम लगे हैं उसकी मूल प्रेरणा क्या है और उस काम की हमारे मन में क्या कल्पना है।

२. जिन पूर्व-सरकारों, मान्यताओं के कारण आपस के तनाव बढ़त हैं, उलझनें बढ़ती हैं, उनको छोड़ने, दबाने या खुद अलग होने की जगह उनसे हीकर गुजरने के लिए हमारी क्या तैयारी है और किस सीमा तक ?

वास्तव में हमारे सामने यह एक सुनियारी सवाल है, क्योंकि हम जिस विचार का दुनिया की हवा में न्यास करना चाहते हैं उससे लिए हमारे विचार, वाणी और चरित्र में तारुत चाहिए और उस ताकतको हासिल करने के लिए कोई ठास आधार चाहिए। चूँकि हम आर्थिक सामाजिक, नैतिक जीवन के तीनों क्षेत्रों में परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं इस लिए उक्त आधार को प्राप्त करने के लिए-कृषि-गोपालन, खादी प्रामोद्योग, शिक्षण प्रविश्लण आदि जो भी काम शुरू करते हैं उसके साथ समग्र जीवन के प्रश्न

आ बुझते हैं। लेकिन जब हमारे पुराने जीवन-मूल्यों, मान्यताओं की टक्कर होती है, तनाव बढ़ते हैं, तो अन्तर हम उन्हें दना देते हैं या हटा देते हैं और इस प्रकार हमारे आन्दोलन का कोई 'शक्ति-केंद्र' नहीं बन पाता।

क्रांति की दार्शनिक प्रक्रिया में चाहे हम समाज के किसी भी हिस्से को, किसी भी स्तर से, अपना कार्य क्षेत्र क्यों न बनायें यह आवश्यक है कि हमारे जीवन के मूल्य बचें ताकि हमारा क्रियाएँ हम जो कुछ कहते हैं उसके समर्थन में अपना प्रभाव डालें और इस प्रकार की क्रियाशीलता के लिए यह अनिवार्य है कि हमारी उल्लसनें, हमारे तनाव हमारे लिए 'एज्युकेशनल प्रोजेक्ट्स' हों।

तब फिर प्रश्न यह है कि जब हम दो साथियों ने मिल कर एक साथ कोई काम शुरू किया तो प्रारम्भ में विचार के आदान में हम एक-दूसरे के पूरक दीग्यते थे, लेकिन आगे जा कर यह स्पष्ट हुआ कि हमारे विचारों में बहुत तीव्र विरोध है। ऐसी स्थिति में हम एक-साथ कैसे काम कर सकते हैं? और जब एक साथ काम नहीं कर सकते तो इस विरोधाभास को 'एज्युकेशनल प्रान्ठम' के रूप में कैसे ले सकते हैं?

तब क्या कोई ऐसी मजबूत ऊर्जा है हमारे आरवा जीवन में जितक चाहते, या तब हमारे सारे अतीत रोषों, उल्लसनों और तनावों के हम एक साथ रह कर इन्हें ही अपना पाठ बना सकें, क्योंकि इनके मूल में हमारी पुराना मान्यताएँ और जीवन मूल्य ही तो रहते हैं?

एक दूसरे की निन्दगी में गहरी दिलचस्पी और विचारों के आमद का तब माननीय सम्बन्धों का शोध-शक्ति इन दो पटरियों पर चर कर सम्भव है हम आलोचना का दिशा में अपसर हा सकें। ग्राम भावों, वरनपुर के मित्रों से चर्चा करते पर एसा लगा कि उच्च प्रश्न के दो तब उनके अंतर में अकुरित हुए हैं। पूज्य पार्लेन्ट मार्ले ने एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह अपनी निन्दगी के सारे प्रयोगों से अहिंसक क्रान्ति के जो पार्श्व "ग्रामभारती" के रूप में हमारे सामने

माये, '६३ ]

रखा है उनके आधार पर वरनपुर का प्रयोग आदों को एक नयी दिशा देना ऐसी आशा की जा सकती है, क्योंकि वह एक व्यक्ति का नहीं, "कार्यकवाओं की एक टीम" का प्रयोग है।

—रामचन्द्र राही

२

१. कोई हर्ज नहीं लेकिन दुनियाँ मानती है।

की मजदूरिनें खेत में मटर का फली तोड़ रही थीं। कूप पर पानी पाने आयीं। मुझसे पानी पिलाने को कहा। मैंने कहा—'खींचकर पा लो'। यह ऊहकर मैं बोटा लेने आयी। व राही रह गयीं, एक दूसरे का मुह देखती रही। मैंने दुबारा कहा तो एक बोली—'हम लोगों को लोग डाटते हैं।' मेरे बार-बार कहने पर पानी खींचकर पीया। दूर से देख रहे थे। ने कहा—'आपके कहने के कारण हम चुप रहे, गरी तो अच्छी तरह पटकारते।' ने कहा—'एन अट कर दिया, कोई धर्म कर्म नहीं रह गया।' कुछ देर तक इन लोगों से बातें हुईं। बाद में मान ता लिया कि 'कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दुनियाँ मानता है।

२. विवाह क्या बला है।

मिला। हाथ पकड़कर घर में लिवा ले गयी। मा से अपने गहने और कपडे लाकर दिखाने को कहा। कितनी खुश है अपने गहने और कपडे देखकर। इससे अधिक वह जानता मा नहीं कि विवाह क्या बला है। इतना छोटा बच्ची जान भी क्या सकती है।

३. सास वनाम बहू।

घरा तीन बने गयीं। आन बहों की सन खियाँ मंगा देखने गया थीं। लेकिन गाँव की दोस्तान बूढ़ी खियाँ आ गयीं कुछ देर बैठीं। अपना जोर अर को बहूओं की तुलना काम करने, लौहार मनाने और लड़ार शगड़ा करने में कर रहा थी। पहिले गावों में लौहार कैसे मनाये जाते थे, लोगों को कितनी खुशा होती थी, अब तो लोगों को भार-जैसा लगता है। किसी को माने-बचाने का शौक नहीं, चार-छ लोग एक पगड इटाहा हाकर कुछ करते नहीं। बुढ़ियाँ अपना पहिले का हाड

[ चैप ४४ २५५ पर ]

[ २६१ ]

## क्या यह जिम्मेदारी स्कूल की नहीं ?

श्री कादम्ब

असम्भ्यता

किसी की अपानवायु (पाद) निकले और दूसरा हँसे तो वह हँसना मुझे बुरा लगता है। हम छोक्ते हैं, खासते हैं, जमाई लेते हैं, डकार आती है उसी तरह पादते भी हैं। ये सब शरीर की स्वाभाविक क्रियाएँ हैं। इस पर हँसने की क्या बात है ? यों हँसने की प्रथा कब और किस कारण चल पड़ी मादम नहीं, पर मुझे यह असम्भ्यता मादम होती है।

उस दिन अचला और उपा दोनों बैठकर कुछ लिख रही थीं। अचानक किसी की पाद आवाज के साथ निकल पड़ी। तुरत दोनों क्षण भर एक-दूसरे का चेहरा देखती रहीं और फिर फफ से हस पड़ीं मानों कोई शरमनाक बात हो गयी।

इतने दिन हो गये, घर में ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। उस दिन देख कर मुझे विचिन सा लगा। डाटने की इच्छा हुई। फिर भी सत्र के साथ मैंने यह जानने की कोशिश का कि वे क्यों हँसा ? विनोद के 'नूड मे जब मैं बात करने लगा तो दोनों खुल कर कई घटनाएँ सुनाने लगी कि स्कूल में कब किस लड़की की पाद निकली और दूसरी लड़कियाँ कैसे हँसी आदि। मजेदार बात तो यह थी कि हर समन उनकी भास्टर नीजी भी बराबर हँसे विना नहीं रहती।

बच्चियाँ यह सब सुनाते समय ऐसे खिल रही थीं कि डाटना चाहते हुए भी मैं डाट न सका, समझा कर चुप किया और आगे के लिए सचेत करके छोड़ दिया। मन ही मन मैं बड़ा क्षुब्ध रहा कि स्कूल का यह संस्कार है।

ईर्ष्या

उपा दो-चार दिन के लिए मेरे मित्र के साथ उन के गाँव गयी थी। घर में अचला री, छोटा गुड्डू था। एक दिन अचला को मा अपनी माताजी को पत्र लिखने बैठी तो अचला ने भी नानी के नाम एक पत्र खुद लिखना चाहा और छोटा सा पत्र लिखा भी। और क्या लिखती ? 'मैं स्कूल जा रही हूँ, गुड्डू मेरी काफी फाइ देता है, पेन्सिल ले कर भाग जाता है। मुझे काम करने नहीं देता' आदि ये ही सारी बातें लिखीं। हमें पढ़ कर मुनाया। मैंने सद्ब ही कहा कि 'यह भी लिखो कि उपा चोलापुर गयी है, मेरा मन नहीं लगता।' यह बात सुनते ही अचला शट विर दिला कर बोली कि 'ना, मैं यह नहीं लिखूँगी।' उसका भाव देख कर मैं दग रह गया। अमी इसकी उम्र ही क्या है ! आठ साल की ही तो है ! लेकिन अपनी छोटी बहन के प्रति इसके मन में इस तरह का अग्र्या और असहिष्णुता पत्र रही थी यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत दुल हुआ। मैंने पूछा—'उपा घर में नहीं, तुम अकेला रहती हो, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता ?' अचला चुप रही। कुछ भी बोनी नहीं। उसका मौन ही काफी था। मैं सोच मे पड़ गया अचला की माँ से मद्यविरा किया। हमें ऐसा एक भी प्रसंग याद नहीं आ रहा रहा था कि हम ने कमा दोनों बहनों में तुलना की हो या एक के मुकाबिले में दूसरी की निन्दा या तारीफ की हो। फिर यह ईर्ष्या आयी कहा से ? मुझे डर था कि मैं इसी समय इसकी लेकर कुछ भी कहने जाऊँ तो अचर उल्टा ही न हो जाय, ईर्ष्या मिटने के बजाय बढ़ने न लग जाय। इस

लिए चुप हो गया और अचला की माँ से कह रहा कि इसकी जड़ का पता लगायें ।

कुछ दिन बाद बातों-बातों में मादम हुआ कि यह ईर्ष्या का बीज स्कूल का ही बोया हुआ है । मास्टरनी हर एक गलती पर लड़कियों की तुलना करती रहती हैं और कहती हैं कि 'दिलो, वह लड़की कितनी होशियार है, एक तू है निरी भोंदू ।' आदि । बीज जीवन में बो दिया गया है तो जीवन भर में फलता-फूलता रहेगा ही ! घरकी सगी बहन भी उसमें अपवाद कैसे हो ?

### जाति-भेद

चार-पाँच रोज पहले की बात है । शाम को टहलने जा रहा था । साथ में अचला, उपा दोनों थीं; गोद में गुड्डू भी था । थोड़ी दूर जाते ही देखा कि उस पार के फुटपाथ पर एक छोटा बच्चा खड़ा हमारी ओर टुकुर-टुकुर देख रहा था । मैंने गुड्डू से कहा— 'दिलो, यहाँ छोटा बच्चा खड़ा है । उसे 'जय' करो ।' गुड्डू हाथ उठा कर 'जय' करने लगा ।

इतने में अचला बहने लगी— "हट पिताजी ! आप यह क्या कर रहे हैं ! उस लड़के को मैं जानती हूँ, वह तो भगी का बच्चा है ।" मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था । इस लड़की के दिमाग में यह बला कहाँ से आ चुकी ! हम जिस जगह रहते हैं,

कई सालों से साथ-साथ रहते हुए भी पड़ोसियों के बारे में हमें यह मादम तक नहीं कि कौन किस जाति का है और अमुक जाति का होने के कारण ऊँच-नीच की बात भी हमारे मन में कभी नहीं आयी थी । आज मेरी ही बच्ची एक बच्चे को भंगी का बच्चा पहचान रही है और उससे बड़ी आसानी से नफरत भी करने लगी है ।

तहकीकात करने पर मादम हुआ कि यह संस्कार भी स्कूल का ही है । कोई एक मास्टरनी ब्राह्मणी है, वह स्कूल की हर लड़की से उसकी जाति पूछती रहती है और हरिजन की लड़कियों को दूर एक कोने में बैठने को कहती है ।

समाज की दूषित भावनाओं से बचना 'घर' के लिए कठिन है वनिस्वत 'स्कूल' के । घर को बने-बनाये वातावरण में बने रहना होता है जब कि स्कूल विशिष्ट वातावरण प्राप्त कराने के लिए ही बना होता है । घरों में माता-पिता जो शान और जो सत्कार नहीं दे पाते हैं उसकी पूर्ति हो सके यही स्कूल का हेतु है । खास कर बुनियादी शालाएँ तो जीवन शिक्षा को ही अपना 'सब-कुछ' मानती हैं । वहाँ भी आज यह वातावरण है ! स्कूल कम से कम इतना तो करें कि अनिष्ट सत्कारों से बच्चों को दूषित और भ्रष्ट न करें । क्या यह जिम्मेदारी स्कूल की नहीं है ?

[ शेष पृष्ठ २७२ का शेषांश ]

[ र ]

को मनुष्य से ज्यादा महत्व मिलने लगता है । व्यापक आयोजनों में मनुष्य का मनुष्य के नाते उतना अर्थ या प्रयोजन नहीं रहना जितना सभ्यता के रूप में होता है । जैसा पहले कहा गया है व्यक्ति के स्थान पर जब संस्था आ जाती है तो लोकतंत्र नाममात्र का रह जाता है ।

बलायणकारी राज्य को सहो मानी में खरिदार्य करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं : एक, प्रत्येक व्यक्ति का चारित्र्य इस प्रकार विकसित करना होगा ताकि उसमें सामूहिक संबन्ध और सामूहिक हित-साधन की वृत्ति जगे । सामूहिक प्रवृत्तियों में अक्सर व्यक्तिगत उदासोन्मत्ता

अधिकतर देखने में आती है, अतः उस ओर से सजग रहने की आवश्यकता है । दूसरी बात समाज की हर-एक प्रवृत्ति शिक्षा-मूलक हो यह भी आवश्यक है । शिक्षा में 'विशेषज्ञता' के स्थान पर 'समग्रता' पर बल दिया जाना चाहिए ।

ये कुछ व्यापक स्तर हैं जिन के निवारण के लिए शिक्षा को ही अभिक्रम लेना होगा और मूलतः ये सब शिक्षा की ही समस्याएँ हैं । इन सबके निवारण में शासन का, उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, वैज्ञानिकों का तथा

[ शेष पृष्ठ २९५ पर ]

## परिस्थिति और प्रवृत्ति

### १ एक स्तुत्य प्रसंग

अमेरीका और सोवियत रूस दोनों इस प्रयत्न में हैं कि अतिरिक्त विपणक शसोधनों पर आपस में मिल-जुल कर विचार करें ताकि प्रयोगों की सम्भावित पुनरावृत्ति को तथा अर्थ और शक्ति के अनावश्यक अपव्यय को रोक सकें। सभ्यता उनकी बैठक इसी मार्च में रोम में होनेवाली है।

हम यह भूल नहीं सकते कि अतिरिक्त सवषी सदी धन का उपयोग केवल ज्ञानवृद्धि में नहीं होता है, वह राष्ट्र की एक सुप्त सैनिक शक्ति भी है। आज सभ्यता का कोई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति की गुप्त बातें दूसरे पर प्रकट करने को तैयार नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में रोम में होनेवाले उच्च विलक्षण बैठक से यह संकेत मिलता है कि दो राष्ट्र अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने के बावजूद जिन बातों में गुप्तता अनावश्यक है उन पर मिल जुल्कर चर्चा, प्रयोग और एक-दूसरे को मदद कर सकते हैं।

कई मामलों में विरोध और मतभेदों के बावजूद सहयोग और मतैक्य का क्षेत्र चुन कर दो व्यक्ति, दो समाज तथा दो राष्ट्र अपनी सामान्य कार्यक्रम बना सकते हैं यह सिद्धांत यहाँ चरितार्थ होता देखता है।

### २ शिक्षा बनाम सिगरेट

ब्रिटेन की यह स्थिति है कि यहाँ १९५९-६० में शिक्षा पर ( विद्वान विद्यालयों सहित ) कुल खर्च का बजट बना था ८५ करोड़ पाउण्ड का जब कि १९५९ में यहाँ केवल सिगरेट पर व्ययित राशियों का कुल रकम ९३ करोड़ पाउण्ड है।

२६४ ]

उसी वर्ष यहाँ हर प्रकार के तंबाकू की बिक्री ( सिगरेट सहित ) १०५ करोड़ पाउण्ड की तथा अन्य मादक पदार्थों की कुटकर बिक्री ६३ करोड़ ९ लाख पाउण्ड की हुई है।

भारत की स्थिति और भी चाँकानेवाली है। सन् १९५९-६० का केंद्रीय शिक्षा बजट ४८ करोड़ ५० लाख रुपयों का बना था और उस वर्ष तंबाकू की ( देश के अंदर की ) बिक्री ७२ करोड़ ६३ लाख रुपयों की हुई है। ( बीड़ी, सिगरेट आदि रूप में तैयार माल की बिक्री का आकड़ा मिला नहीं है। वह आकड़ा इससे कई गुना अधिक ही होगा इसमें शक नहीं है। )

### ३ रूस में पुस्तक-प्रकाशन

सभ्यता में प्रकाशित होनेवाली प्रतिचार पुस्तकों में एक पुस्तक सोवियत संघ की है।

गतवर्ष सोवियत संघ में कुल ७६,००० पुस्तकों की १२० करोड़ प्रतिपां छपी गयी हैं।

टालस्टाय साहित्य के १९०० संस्करण हो चुके हैं और कुल प्रतिपां साठे दस करोड़ हैं।

अलेग्जाण्डर पुशकिन के साहित्य के २००० संस्करण और ९ करोड़ प्रतिपां प्रकाशित हैं।

मैक्सिम गोर्की साहित्य की कुल प्रकाशित प्रतिपां ६ करोड़ ९० लाख हैं।

विदेशी साहित्य के प्रकाशन में भी सोवियत संघ की प्रगति उल्लेखनीय है। यहाँ प्रतिवर्ष विदेशी लेखकों की डेढ़ लाख पुस्तकें प्रकाशित होती हैं।

[ नयी वालीम



बाल-साहित्य के प्रकाशन में भी रुक आगे है।  
सैकड़ों संस्करण और करोड़ों प्रतियाँ अब तक छप चुकी हैं।

मार्क्स और एंगल्स की पुस्तकों के अब तक २१६६ संस्करण हुए हैं तथा लेनिन की पुस्तकों के ८३०० संस्करण हैं।

सोवियत संघ में लगभग ४ लाख पुस्तकालय हैं जहाँ कुल २०० करोड़ पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ हैं।

### ४. हमारा भू धन और आयोजन

भारत की उत्पादक-संपत्ति के कुल आकड़े रिजर्व बैंक ने प्रकाशित किये हैं। उसमें माना गया है कि १९५० में एसा कुल संपत्ति ३४,९४० करोड़ रुपयों की थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक वह ५२,००५ करोड़ रुपयों का होगी। उस अनुमानित आकड़े का नैटवारा इस प्रकार है —

रुपये करोड़ों में

१ कृषि के औजार	८६०
२ पशुधन	२,७०२
३ बगीचे-बनाय का छोड़कर	३५
४ जंगल और मछली	४०
५ अन्य कृषि-सामग्री	५,१४६
६ खान	१८३
७ विनली	१,१७४
८ चाय के बगीचे	२८२
९ निजी कारखाने	३,२३६
१० सार्वजनिक कारखाने	७६७

११ लघु-उद्योग	१,२००
१२ वाहन के पशु	३९४
१३ रेलवे	२,७४६
१४ जहाजकंपनी	१३५
१५ सड़क और अन्य वाहन	८३७
१६ हवाई जहाज	१०६
१७ सरकारी प्रोजेक्टों में लगी पूँजी	१,८१०
१८ व्यापार छोटे, बड़े	३,२६०
१९ बैंक और विमा कंपनी	१३८
२० शहरों में मकान	४,१८१
२१ गाँवों में मकान	२,०३२
२२ भू धन	२०,२४१

कुल ५२,४०५

१ इन आकड़ों से स्पष्ट है कि भारत अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान देश है,

२ १९५० के आकड़ों से तुलना करने पर निजी तथा सार्वजनिक कारखानों में वृद्धि दूनी से ज्यादा यानी जहाँ २,०६६ करोड़ थी वहाँ ५,२०३ करोड़ होगी,

३ प्रतिशत अकों क अनुपात में देखें तो उत्पादक संपत्ति की कुल वृद्धि ५० प्रतिशत दीप्तता है लेकिन भू धन को छोड़ देने पर बाकी संपत्ति में १७,०८६ से २२,१६४ करोड़ रुपयों की अर्थात् लगभग ९० प्रतिशत की वृद्धि होगी।

आयोजन में कृषि-योजना पर अधिक जोर देने का नारा बहुत सुना गया, पर आकड़ों से कुल और ही तथ्य सामने आ रहे हैं।

### [ शेष पृष्ठ २७२ का शेषार्थ ] [ ग ]

धर्म-मुद्दों आदि सब का प्रयत्न आवश्यक है। शिक्षक अरेला सारी समस्याओं का सभी दृष्टियों से मुकाबिला नहीं कर सकता, फिर भी दूसरी सारी नियामक दायित्वों को भी प्रभावित करने की दायित्व गिष्ठा में है, गिष्ठा के हाथ में है और गिष्ठा-स्थानों के जीवन में है।

गिष्ठावर्ग शाला के बाहर समाज में भी कई ऐसी प्रवृत्तियाँ खानू कर सकता है जिसका 'मैकान' समाज

की नीति और सम्मति ही हो। उनसे द्वारा वह लोक-शिष्य का अपना कृत्य पूरा कर सकता है। इस मानी में गिष्ठावर्ग को वे प्रवृत्तियाँ तो शिष्या प्रवृत्तियाँ होगी ही सांस्कृतिक क्षेत्र भी बन सकती हैं। गिष्ठाक इनका समझ ले कि कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं जो गिष्ठा का विषय न हो, अतएव गिष्ठा की पहुँच के बाहर हो।

## ‘भूदान और नव-निर्माण’

प्रकाशक उत्तर प्रदेश-भूदान यज्ञ-समिति,  
सेवापुरी, वाराणसी।

‘नयी तालीम’ के पाठ्य भूदान यज्ञ आन्दोलन से अपरिचित तो नहीं ही होंगे। विनोबा के द्वारा १९५१ में यह आन्दोलन हैदराबाद से शुरू हुआ और आज तक सतत प्रवाहित है। हा, इस समय इस आन्दोलन में विधिलता जरूर आ गयी है।

उत्तर प्रदेश में विनोबा जा का दो बार शुभागमन हो चुका है। पहली बार ८ अक्टूबर, १९५१ से १३ सितम्बर १९५२ तक विनोबा यज्ञ रहे और दूसरी बार अमम के रास्ते में १९६० में यहाँ आय।

उत्तर प्रदेश में अक्टूबर १९५१ से १९६२ तक भूदान काम और नवनिर्माण के काम की पूरी जानकारी आकड़ों के साथ इस पुस्तक में दी गयी है।

पहली यात्रा की अवधि में भूदान में ५ लाख एकड़ भूमि के दानपत्र विनोबा को मिले थे।

उत्तर प्रदेश की दूसरी पदयात्राओं का भी उल्लेख किया गया है। जिन जिलों के जितने गावों ने दान दिया उन जिलों के नाम गावों की संख्या के साथ दाता-संख्या और प्राप्त भूमि के आकड़ों की पूरी पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गयी है। १९५१ से १९६२ तक ११,४८२ गावों के ३४,८७३ दाताओं द्वारा ४,३३,९७२,७९ एकड़ भूमि मिली और १९६२ तक ६०,५८० आदाताओं में १,८९,११२,२३ एकड़ भूमि बटी है। ५६ गावों का ग्रामगान हुआ। इन गावों की पूरी जानकारी इसी पुस्तक में मिलेगी।

जिन गावों का ग्रामदान हुआ और जिन गावों में जमीन बाँटी गयी है उन गावों में नवनिर्माण के काम भी हुए हैं। इसके बारे में खुद प्रकाशक ने लिखा है— अब सुखे चेहरों में दीप्ति डालकर पुष्पाथ जहाँ देस को सबल बना रहा है उसको झलक-अच्छा तो रहता कि कार्य स्थल को निरीक्षण करके ली जानी, पर जो वहाँ न जा पायें, वे—आने के पृष्ठों में अखित बहा की सही-सच्ची रिपोर्ट से लें और भूदान गंगा के दूसरे कूल के सौ-दर्य दर्शन से अपना हृदय समृद्ध करें।’

## ‘गांधी के पथपर’

‘गांधी के पथ पर’ उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक विधि की तरफ से एक मासिक पत्रिका थी अक्षय कुमार करण के सम्पादन में सेवापुरी, वाराणसी से प्रकाशित होती है।

मुख्य रूप से गांधी में काम करनेवाले कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर ही यह पत्रिका प्रकाशित होती है। उत्तर प्रदेश में हो रहे रचनात्मक कार्यों की जानकारी बराबर होती रहती है इस पत्रिका से। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा उपयुक्त है।

जनवरी १९६३ का अंक ‘सम्मेलन विरोधात्’ प्रकाशित हुआ है। सेवापुरी में १९ से २१ दिगम्बर ‘६२ तक ‘कार्यकर्ता सम्मेलन’, २२ और २३ को ‘नयी तालीम परिसवाद’ और २४, २५ को ‘ग्रामसुवाद सम्मेलन’ हुआ। इस सम्मेलन के अवसर पर सम्मेलन में जितने प्रमुख लोग आये थे उनके भाषणा का सफल इस अंक में प्रकाशित हुआ है।

पाठकों को इस अंक में एक साथ ही विभिन्न प्रकार के विचार पढ़ने को मिलेंगे। चीन भारत सीमा विवाद पर कार्यकर्ताओं ने अच्छी चर्चा की। चूंकि भारत के सामने भारत की रक्षा का सवाल मुख्य हो गया है इसलिए इसकी छोटकर कोई दूसरी चर्चा कर ही नहीं सकता।

चीन भारत सीमा विवाद पर चर्चा करते हुए एक भाषण में कहा गया है कि यह लड़ाई थोड़ी सी जमीन की नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की लड़ाई है। हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है। इस विषय पर भाषण में काफी विस्तार से साफ साफ समझाया गया है। चीन भारत सीमा विवाद के बारे में कई लोगों के विचार पढ़ने को मिलेंगे जो पठनीय और मननीय है।

गांधी स्मारक विधि, उ० प्र० के कामों के संचित परिषय की भूमिका में बताया गया है कि किन किन केन्द्रों में कौन सा काम हो रहा है।

नयी तालीम पर श्री वेंकटभान राय, श्री अक्षयकुमार करण, श्री धीरेन्द्र मजूमदार और श्री राममूर्ति आदि के विचार प्रकाशित हैं।

१८ अप्रैल, १९६३ के अवसर पर

# “भूदान-यज्ञ” साप्ताहिक का एक संग्रहणीय विशेषांक

१२ वषों के समग्र घटनाक्रम और भूदान-आन्दोलन के

एक युग का छेखा-जोखा

- पत्रिका का आकार डबलमाउन अठपेजी (७½' × १०") तथा पृष्ठ-संख्या लगभग १०० होगी।
- बहुरंगी मुखपृष्ठ तथा आन्दोलन से सम्बंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के चित्र।
- नक्शे, चार्ट, ऑकड़े तथा प्रगति के बढ़ते चरण आदि की जानकारी।
- आन्दोलन की समस्त प्रवृत्तियों पर विशिष्ट विचारकों की, चिन्तन तथा उनकी अनुभव-प्रधान महत्वपूर्ण सामग्री का चयन।

● सर्व-सेवा-संघ का इतिहास, प्रवृत्तियों की गतिविधि, कार्यक्रमों का सिंहावलोकन तथा विभिन्न पहलुओं का दिग्दर्शन।

● एक की एक प्रति का मूल्य दो रुपया।

● रुपया भेज कर अपनी प्रति अभी से सुरक्षित करा लें।

● यह विशेषांक आन्दोलन से लगे कार्यकर्ताओं, रचनात्मक संस्थाओं, अध्ययन-शील व्यक्तियों, विद्यार्थियों, सामान्य नागरिकों तथा पुस्तकालयों के लिए सामान्य रूप में उपयोगी साबित होगा।

## विज्ञापन

इस अंक में भूदान पत्रिकाओं तथा सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन का पुस्तिका का विज्ञापन रहेंगे। इन विज्ञापनों के लिए दाताओं से दान प्राप्त करने के लिए दरें नीचे अनुमार रहेंगी और उनका स्थान उनके द्वारा प्रदत्त घोषित रहेगा।

पूरे पृष्ठ के विज्ञापन के लिए रु० १००-००

आधे पृष्ठ के विज्ञापन के लिए रु० २५०-००

‘भूदान यज्ञ’ के जिन नये ग्राहकों का चर्चा हमारे पाम ३१ मार्च '६३ तक आ जायेगा, उन्हें यह १८ अप्रैल का ‘विशेषांक’ नि:शुल्क दिया जायेगा।

—मन्त्री, अ० भा० सर्व-सेवा संघ-प्रकाशन

‘भूदान और नव-निर्माण’

प्रकाशक : उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ-समिति,  
सेवापुरी, वाराणसी।

‘नयी तालीम’ के पाठ्य भूदान यज्ञ आन्दोलन से अपरिचित तो नहीं ही होगे। विनोबा के द्वारा १९५१ में यह आन्दोलन हैदराबाद से शुरू हुआ और आज तक सतत प्रवाहित है। हा, इस समय इस आन्दोलन में शिथिलता गहरा या गयी है।

उत्तर प्रदेश में विनोबा जा कर दो बार गुमागमन हो चुका है। पहली बार ८ जनवरी, १९५१ से १३ सितम्बर, १९५२ तक विनोबा यज्ञ रहे और दूसरी बार अगम के रास्ते में १९६० में महा आये।

उत्तर प्रदेश में जनवरी १९५१ से १९६२ तक भूदान काम और नवनिर्माण के काम की पूरी जानकारी आकड़ों के साथ इस पुस्तक में दी गयी है।

पहली यात्रा की अवधि में भूदान में ५ लाख एकड़ भूमि के दानपत्र विनोबा को मिले थे।

उत्तर प्रदेश की दूसरी परयात्राओं का भी उल्लेख किया गया है। जिन जिलों के जितने गांवों ने दान दिया उन जिलों के नाम गांवों की संख्या के साथ दाता-संख्या और प्राप्त भूमि के आकड़ों की पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गयी है। १९५१ से १९६२ तक ११,४८२ गांवों के ३४,८७३ दाताओं द्वारा ४,९३,९७२.७९ एकड़ भूमि मिली और १९६२ तक ६०,५८० आदाताओं में १,८९,११२.२३ एकड़ भूमि बटी है। ५६ गावा का ग्रामगण हुआ। इन गावों की पूरी जानकारी इस पुस्तक में मिलेगी।

जिन गावों का ग्रामदान हुआ और जिन गावों में जमीन बांटी गयी है उन गावा में नवनिर्माण के काम भी हुए हैं। इसके बारे में खुद प्रकाशक ने लिखा है—‘अब सूखे बेहरी में वीथि डालकर पुष्पाज नहर देश को सबल बना रहा है, उसको झलक-अच्छा तो रहता कि कार्य-स्थलों का निरीक्षण करके ली जाती, पर जो वहां न जा पायें, व—आगे के पृष्ठों में अधिक वहां की सहीमन्वी रिपोर्ट से लें और भूदान गावा के दूसरे कूट के सौंदर्य दर्शन से अपना हृदय समृद्ध करें।’

‘गांधी के पथ पर’ उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि की तरफ से एक मासिक पत्रिका श्री अक्षय कुमार करण के सम्पादनत्व में सेवापुरी, वाराणसी से प्रकाशित होती है।

मुख्य रूप से गांव में काम करनेवाले कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर ही यह पत्रिका प्रकाशित होगी है। उत्तर प्रदेश में ही रहे रक्षतात्मक कार्यों की जानकारी बराबर होती रहती है इस पत्रिका से। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा उपयुक्त है।

जनवरी १९६३ का अर्ध-सम्मेलन विरोधाभास प्रकाशित हुआ है। सेवापुरी में १९ से २१ दिसम्बर ‘६२ तक ‘कार्यकर्ता सम्मेलन’, २२ और २३ को ‘नयी तालीम परिषदवाद’ और २४, २५ को ‘ग्रामद्वन्द्व सम्मेलन’ हुआ। इस सम्मेलन के अवसर पर सम्मेलन में जितने प्रमुख लोग आये थे उनके भाषणों का संकलन इस अंक में प्रकाशित हुआ है।

पाठकों को इस अंक में एक साथ ही विभिन्न प्रकार के विचार पढ़ने को मिलेंगे। चीन भारत सीमा विवाद पर कार्यकर्ताओं ने अच्छी चर्चा की। चूंकि भारत के सामने भारत की रक्षा का तबाल प्रश्न हो गया है इसलिए इसकी छोटकर कोई दूसरी चर्चा कर ही नहीं सक्ता।

चीन भारत सीमा विवाद पर चर्चा करते हुए एक भाषण में कहा गया है कि यह लड़ाई थोड़ी सी जमीन की नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की लड़ाई है। हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है। इस विषय पर भाषण में काफी विस्तार से साफ साफ समझाया गया है।

चीन भारत सीमा विवाद के बारे में कई लोगों के विचार पढ़ने को मिलेंगे जो पठनीय और मननीय हैं।

गांधी स्मारक निधि, उ० प्र० के कामों के संबंधित परिषद की भूमिका में बताया गया है कि जिन रिज रेन्डों में फोन का काम हो रहा है।

नयी तालीम पर श्री वेदशमान राय, श्री अण्णकुमार करण, श्री धीरेन्द्र मजूमदार और श्री रामभूति आदि के विचार प्रकाशित हैं।

कु० कुमार

[ नयी तालीम ]

१८ अप्रैल, १९६३ के अवसर पर

## “भूदान-यज्ञ” साप्ताहिक का एक संग्रहणीय विशेषांक

१२ वषों के समग्र घटनाक्रम और भूदान-आन्दोलन के

एक युग का ठेखा-जोखा

- पत्रिका का आकार इन्डिया टाइम्स (७ 1/2" x 10") तथा पृष्ठ-संख्या लगभग १०० होगी।
- बहुरंगी मुखपृष्ठ तथा आन्दोलन से सम्बंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के चित्र।
- नक्शे, चार्ट, डॉक्यूमेंट तथा प्रगति के बढ़ते चरण आदि की जानकारी।
- आन्दोलन की समस्त प्रवृत्तियों पर विरिष्ट विचारकों की, चिन्तन तथा उनकी अनुसर-प्रधान महत्वपूर्ण सामग्री का चयन।

● सर्व-सेवा-संघ का इतिहास, प्रवृत्तियों की गतिविधि, कार्यक्रमों का सिंहावलोकन तथा विभिन्न पहलुओं का दिग्दर्शन।

● अंक की एक प्रति का मूल्य दो रुपये।

● रुपया भेज कर अपनी प्रति अभी से सुरक्षित करा लें।

● यह विशेषांक आन्दोलन से लगे कार्यकर्ताओं, रचनात्मक सस्थाओं, अध्ययन-शील व्यक्तियों, विद्यार्थियों, सामान्य नागरिकों तथा पुस्तकालयों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी साबित होगा।

### विज्ञापन

इस अंक में भूदान पत्र पत्रिका तथा सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन की पुस्तकों का विज्ञापन रहेंगे। इन विज्ञापनों के लिए दाताओं से दान प्राप्त करने के लिए दरें नीचे अनुसार रहेंगी और उनका स्थान उनका द्वारा प्रदत्त घोषित रहेगा।

पूरे पृष्ठ के विज्ञापन के लिए रु० १००-००

आधे पृष्ठ के विज्ञापन के लिए रु० २५०-००

‘भूदान यज्ञ’ के जिन नये ग्राहकों का चेका हमारे पास ३१ मार्च '६३ तक आ जायेगा, उन्हें यह १८ अप्रैल का ‘विशेषांक’ नि:शुल्क दिया जायेगा।

—मन्त्री, अ० भा० सर्व-सेवा-संघ

## भारी है तो क्या, भाई है

मसूरी के कैंपटी हाल की ओर जानेवाली सड़क पर एक छोटी-सी पुलिया है। मैंने देखा— एक बच्चा पुलिया पर खड़ा था, दूसरा नीचे जमीन पर। पहला लड़का था, पाँच-छह साल का, खूब मोटा-ताजा; दूसरी लड़की थी, कुछ ही बड़ी, लेकिन शरीर से हल्की। लड़की लड़के को गोद में उठा कर चलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका बोझ समाल नहीं पानी थी। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन हर बार असफल। मैं और मेरे मित्र, दोनों खड़े-खड़े देखते रह। देखते-देखते मैंने खोज कर कहा —

‘बहुत भारी है, क्या उठानी है, पैदल चलने दे।’

लड़की तपाक से बोली —

‘भारी है तो क्या, भाई है।’

मैं देखता रह गया। वयन १९३४ की है, लेकिन आज तक भूलती नहीं।

—राममूर्ति

श्रीकृष्णदास भट्ट, सर्व मेधाभूष, की आर से शिव प्रेम, प्रह्लाददास, वागण्ठी मं मुद्रित तथा प्रकाशित

केरल करर—मुद्रक एण्डेलवाल प्रेम, मानमन्दिर, वाराणसी।

गत मास छपी प्रतियाँ ३०००, इस मास छपी प्रतियाँ २,८००



प्रधान सपादक  
धीरेन्द्र मजूमदार

सपादक  
आचार्य राममूर्ति

वर्ष ११

अंक ९

वार्षिक खर्चा  
एक प्रति

६-००

०-२०

सद्ग्रन्थों का प्रभाव

श्री विनोया

जया मोड़ नहीं; जया घोर

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

मैं कहाँ पहुँचा हूँ?

श्री राममूर्ति

वालवाडी में बगों की देखभाल

श्री बी० एच० मेहता

लाइसेन्स न० ४६

पहले से डाक व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

मार्च १९६३

नयी तालीम

रजि० सं० ए० १७०३

## भारी है तो क्या, भाई है

मसुरी के कैंपटी हाल की ओर जानेवाली सड़क पर एक छोटी-सी पुलिया है। मैंने देखा— एक बच्चा पुलिया पर खड़ा था, दूसरा नीचे जमीन पर। पहला लडका था, पाँच-छह साल का, खूब मोटा-ताजा; दूसरी लडकी थी, कुछ ही बड़ी, लेकिन शरीर से हल्की। लडकी लडके को गोद में उठा कर चलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका वजन सभाल नहीं पाती थी। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन हर बार असफल। मैं और मेरे मित्र, दोनों खड़े-खड़े देखते रह। देखते-देखते मैंने खीझ कर कहा—

‘बहुत भारी है, क्या उठानी है, पैदल चलने दे।’

लडकी तपाक से बोली—

‘भारी है तो क्या, भाई है।’

मैं देघता रह गया। बात १९३४ की है, लेकिन आज तक भूलती नहीं।

—राममूर्ति

श्रीकृष्णदास भट्ट, सर्व मेधा-ग्रन्थ, की आर से शिव प्रेम, प्रह्लादघाट, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

केवल कथर—मुद्रक गण्डेलयाल प्रेष, मानमन्दिर, वाराणसी।

गत मास छपी प्रतिर्था ३०००, इस मास छपी प्रतिर्था २,५००



प्रधान संपादक  
धीरेन्द्र मजूमदार

संपादक  
आचार्य राममूर्ति



वर्ष ११

अंक ९

सद्गुणों का प्रभाव

श्री विनोबा

नया मोड़ नहीं, नया घोर

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

मे कहीं पहुँचा हूँ?

श्री राममूर्ति

बालवाड़ी में वृक्षों को देखना

श्री बी० एच० मेहता

वार्षिक बंदी  
एक प्रति

६-००

०-२०

# नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ , जुगताराम दवे
- ३ ,, काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ श्रीमती मार्जरी साइक्स
- ५ श्री मनमोहन चौधरी
- ६ , क्षितिशराय चौधरी
- ७ ,, राधाकृष्ण मेनन
- ८ , राधाकृष्ण
- ९ ,, राममूर्ति

०

## अनुक्रम

पृष्ठ

नया मोड़ नहीं, नया छोर २६७	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
सद्मर्थों का प्रभाव २६६	श्री विनोबा
मैं कहीं पहुँचा हूँ ? ३२१	श्री राममूर्ति
बालवाडी में बच्चों की देखभाल ३०३	श्री बहराम एच० मेहता
इस्लाम की शिक्षा-प्रवृत्ति ३०६	श्री रामभूषण
शिक्षण और वातावरण ३१६	श्री ति० न० आग्नेय
मानव धर्मसार ३२६	श्री काशिनाथ त्रिवेदी
बच्चों की रुढ़ानियों ३२६	श्री जुगताराम दवे
प्रसंग के एक अचल का	

जन जीवन ३३२ श्री रवा द्रनाथ

परिस्थिति और प्रवृत्ति ३३४ सकलित

धामभारती (सद्य और योजना)

वरनपुर, इलाहाबाद ३३५ श्री धीरेन्द्र मजूमदार

१

## सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी मास से माहक बन सकते हैं।
- पत्र व्यवहार करते समय माहक अपना माहक मस्या का उल्लेख अवश्य करें।
- चंदा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।
- नया तालीम का पता—

नयी तालीम

अ० भा० सर्व-सेवा संघ राजघाट,  
वाराणसी-१

०

# नयी तालीम

वर्ष-११ ]

[ अंक ६

## नया मोड़ नहीं, नया झोर

कार्यकर्ता सपरिवार निधिमुक्त तभी हो सकता है जब वह मुख्यतः धर्म-आधारित हो सके। अब तक मैंने इपि उद्योग को मूल उद्योग के रूप में माना है। दूसरे उद्योग सहायक उद्योग हों, ऐसा रग्या है। अब ऐसा लगता है कि धर्माधार के लिए अगर बल-उद्योग का मूल उद्योग माना जाय तो क्रांति के सदर्भ में वह अधिक तजरती हागा। इपि क्रांति का प्रताक नहीं है। प्रचलित मान्यता इपि विराधी है और हम इपि के काम में सगते हों तो वह क्रांतिकारी काम हागा। पढ लिखे मध्यम वर्ग क नव जवान अपने हाथ से लेती करते हैं, यह भी कोई नया बात नहीं है, मले ही भारत-जैसे देश में साम-तवादी तथा जातिवादी मानस क कारण, यहाँ साथियों का सेती से गुनारा करना एक नयी बात मालूम हाता हा। लेकिन चरला प्रचलित आधिक् मान्यता के विराध में प्प चुनाती है। वस्तुत हमारा क्रांति के सदर्भ में सादी और ग्रामदान हा बुनियादी कार्यक्रम है। सादी पूँजीवाद का चुनौता दती है और ग्रामदान राब्यवाद का।

अब नये मोड़ का चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ है, उसक मुडने का चाई गुआइरा नहीं दिसता है। १९४४ ४५ में वैचारिक सदर्भ में सस्थाए नव अधिक नरम थीं, तब अगर मुड नहीं सकीं ता आन जब इतनी सस्त हा गया ह तब मुडने की काशिश में टूट मले ही जायें, वह मुडेंगा नहीं, एसा दीसता है। इसलिए मरा मन अब इस बात की ओर मुड रहा है कि 'नया मोड़' की काशिश छोडकर 'नया झोर' खोजने का प्रयास

करना चाहिए। इस दिशा में जितना ही सोचता हूँ, उतना ही इस निर्णय पर पहुँचता हूँ कि १९४४-४५ के 'नये संस्करण' के प्रस्ताव पर से ही 'नया छोर' पकड़ने की आवश्यकता है। अर्थात् इकाई-केन्द्रित संयोजन को छोड़ कर समग्र-ग्राम-सेवक-केन्द्रित संयोजन पर जाना होगा। बापू का वह आवाहन कि ७ लाख गांव में ७ लाख सेवक बैठ जायें और अपने थम तथा जनता के प्रेम के सहारे गुजारा भरते हुए समग्र-ग्राम-सेवा करें, वह मेरे दिमाग में निरंतर गूँजता रहता है। समग्र ग्राम-सेवा का स्वरूप 'तालीम-मूलक-वृषि प्रामोद्योग' का हो और वही कार्यक्रम सेवक के गुजारे का साधन भी हो। अर्थात् सेवक का जीवन-संपर्क गाव वालों के जीवन-संपर्क के साथ एकरूप होने पर उसी के समवाय में तालीम का कार्यक्रम बने।

अगर सेवक कताई और चुनाई में तन्न हो जाय और पूरे साधन के साथ एक एक जमीन अपने साथ रते तो यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। कार्यकर्ताओं का एक लक्ष्य गाव वालों से जमीन का साधन लेकर तथा संस्थाओं से उद्योग का साधन प्राप्त कर कताई-चुनाई तथा थोड़ी देती से अपने गुजारे के कार्यक्रम से शुरू कर गांव या क्षेत्र में फैलने की योजना रते, तभी आगे चलकर वह ग्राम स्वराज्य की बुनियादी इकाई हो सकेगा। ऐसी इकाई, सरकार जनता के लिए जो सहूलियत देती हो, वह तो ले, लेकिन केन्द्र के लिए जो सन्धिडी आदि देती है, वह न ले। कार्यकर्ता गांव के लोगों से कह सकता है कि आप के लिए हम सिर्फ थोड़ा रत्न संस्था से लेकर मुफ्त उसकी चुनाई कर देंगे। और यह चुनाई कार्यकर्ता खुद कर दे और जैसे जैसे मूल की कताई बढे, वैसे-वैसे गाव के परिवारों में से कुछ की अपने संपर्क से चुनाई-परिवार में परिणत बने। कातनेवालों को अपने सूत का कपडा मिल जाने पर उसे इस्तेमाल करने के बाद जो कुछ बचे, उसे वह खुद अडोस-पडोस में बेच ले। हम खादी भंडार न रोलें और न प्रमाण-पत्र की आवश्यकता मानें।

—धीरेन्द्र मजूमदार



बहुश्रुत परित्राजकों का यह जमाना नहीं रहा; फिर भी गाव-गाव में सद्ग्रन्थों का सामूहिक श्रवण आज भी कम श्रेयस्कर नहीं है।

## सद्ग्रन्थों का प्रभाव

### विनोबा

पुराने जमाने में जब गाँव स्वाधीन थे तब जमीन गाँव की मालिकी में थी। उसे कोई बेच नहीं सकता था। वैसे ही गाय, कन्या और हरिकथा को कोई भी बेच नहीं सकता था। जमीन सबकी थी इसलिए गाँव में समृद्धि थी। गाँव में आवश्यक चीजें बनाने के उद्योग थे। स्कूल ग्राम पचायत की ओर से चलाये जाते थे। ली ो की जैसी इच्छा होती, वैसी तालीम दी जाती थी।

#### तालीम का रंग

तालीम का रंग कैसा था ? जहाँ कात्तिदास रहते वहाँ रामायण और जहाँ काशीराम रहते वहाँ महाभारत सुनाते होंगे। जैसा विद्वान् वैसी तालीम। पढ़ना, लिखना और हिसाब करना, यह तीन चीजें मिलायी जाती थी। विद्वान्ते के मुस्ताबिर विशेष विशेष विद्या विभाग थे। उन दिनों विद्वान और ज्ञानी केवल सहरो में ही नहीं रहते थे ऋषि, मुनि, नपस्वी और पण्डित छोटे-छोटे गावों में और खास कर नदों के किनारे रहते थे। वहाँ विशेष प्रकार का ज्ञान मिलता था। कुछ लोग उत्तरा-वस्था में घूमते थे। व चातुर्मास में वहाँ एक जगह निवास करते थे। उस समय स्पेशल सेमिनार चलता था। घूमनवाले लग सारे भारत में घूमते थे, उन्हें भूगोल, जड़ो-बूटो और सद्ग्रन्थों का ज्ञान रहता था ग्रामीण लोगों को सुन्दर विचार सुनने के लिए मिलते थे।

आज सारी स्थिति बदल गयी है। श्व ग्राम सभा नहीं है। गाँव में उद्योग नहीं है। गाँव की, सबकी अपनी जमीन भी नहीं है। ज्ञानी पण्डित तो देहात में आते ही नहीं। व सहरो में ही रहते हैं। इसलिए जो लोग

अप्रैल, १९३ ]

कालेज में जा सकते हैं वे ही ज्ञान के द्वार पर पहुँच सकते हैं। आज बंगाल में बीस प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, उनमें से दस प्रतिशत चार पाँच क्लास तक ही पढ़े होंगे। जो अगूठे के बदले हस्ताभार करते हैं। आज उनकी गिनती भी पढ़े लिखों में हो गयी है। अंग्रेजों में ज्यादा पढ़े लिखे को बेल रेड बरते हैं। पहले उसे बहु-श्रुत कहा जाता था। हर रोज हरिकथा होती थी और पुराण श्रवण होता था। इस श्रवण-व्यवस्था ने लोगों को ज्ञान दिया। इसलिए जो ज्यादा ज्ञानवाला होता, वह बहुश्रुत कहलाता था। देश को हर भाषा में रामायण, भागवत और महाभारत ग्रन्थ लिखे हुए हैं। इन ग्रन्थों के अध्ययन और श्रवण से सारा तत्व ज्ञान ग्रामों में पहुँचा है। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते वे भी श्रवण से भारतीय तत्व ज्ञान समझ सकते थे।

#### भूदान ही तालीम का माध्यम

में पञ्जाब से एकाएक राजस्थान गया। वहाँ एक ऐसा गाँव मिला—जहाँ एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। सभा में बहुत बड़ी सख्या में बहनें आयी थीं। वे नहीं जानती थी कि यह भूदानवाला बादा क्या है। उन्हें न भूगोल का ज्ञान था और न इतिहास का। तेल-गाना क्या है और भूदान कैसे शुरू हुआ, इसका उन्हें पता नहीं था। मुझे लगा कि अब इन्हें कैसे समझाऊंगा। आखिर भारत के तत्व ज्ञान का आश्रय लिया। मैंने पूछा—'मरने के बाद क्या होता है ?' जवाब मिला—'दूसरा जन्म मिलता है।' फिर पूछा—'कैसे मिलेगा?' 'मला काम किया तो मला जन्म मिलेगा और बुरा

विद्या तो बुरा ।' 'सुरे काम बौन बौन से हैं और भले कौन से ?' 'बोरी बरना बुरा काम है और गरीबों को मदद देना अच्छा ।'

ऐसे मवाद से उ हैं भूदान की विचार-धारा गम-सायी । ब्रह्मदेव की सीमा पर ठीक दस से उलटा अनुभव आया । आसाम और ब्रह्म देस की सीमा पर जगल में एक गाँव है । वहाँ हमारी सभा में नया लोग इकट्ठा हुए थे । उनकी भाषा ही दूसरी थी । हमने उनसे पूछा 'मरने के बाद क्या होगा ?' बोले—'बपा होगा, कुछ भी नहीं होगा ।' मैं घबरा गया—'कुछ तो जरूर होगा । अगर भला काम करेंगे तो भला हीना और अगर बुरा करेंगे तो बुरा ।' फिर मैंने और भी बातें समझायी, लेकिन वहाँ कोई ज्ञानो नहीं था और ज्ञान की भूमिका भी नहीं थी । हमें मालूम हुआ कि वहाँ रामायण, महाभारत और भागवत जैसे ग्रंथ नहीं चलते ।  
ज्ञान प्रचार

रामायण, भागवत तथा महाभारत ग्रंथों ने असाधारण ज्ञान प्रचार किया है । इनसे ब्रह्म विद्या का प्रचार हुआ । ज्ञान, काम, जन्म, पुनर्जन्म, मन बुद्धि, चित्त अहंकार आत्मा प्राण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि सभी परिभाषाएँ गाँव गाँव के लोगों को इन ग्रंथों ने समझायी । विद्या जागृति, स्वप्न पुनर्जन्म, काम का परिणाम, स्वर्ग-नरक की व्यवस्था चौरागी छात्र मोति, मनुष्य की विदोषता, आदि सारी भाव धारा और तत्त्व-ज्ञान इन ग्रंथों ने गाँव गाँव में पहुँचाया ।

अप्रेजी में आत्मा को सोल' कहेंगे या 'स्फिरिट' इगका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है । मगर भारत

के अनपढ़ लोग भी इन सारी परिभाषाओं को समझ सकते हैं ।

## निष्ठा

एक बार एक मिशनरी आये, वे कहने लगे—'हिन्दुस्तान के लोग अनेक भगवान् को मानते हैं ।' उस गाँव में कुछ बच्चे बँटे हुए थे । उनसे पूछा 'इस गाँव में कितने मन्दिर हैं ?' बोले—'पाँच' । 'हुनुमान का, देवी का, विष्णु का और गंगे' तथा शंकर का मन्दिर है ।' हमने पूछा—'भगवान् कितने हैं ?' जवाब मिला—'एक ।' छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि मगधान एक है तो हम ने उस मिशनरी से कहा कि आप यह मत समझना कि यहाँ के लोग अध्यात्म मूय हैं, नरक के अधिकारी हैं, इ ह म्पिन की बहानी सुनाओगे तभी इनका उद्धार होगा । इसी धर्म में रहकर गाँवी गरीब बने विवकान द विवकान द बने हैं । आप निरहकार बन कर सेवा कीजिए । 'श्रीच लेस एण्ड प्रेजिटस मोर' यह बात हमन मिशनरी को कही ।

गाँव के लोग आध्यात्मिक विद्या सम्पन्न हैं, लेकिन अब यह परम्परा टूट रही है । आजकल कुरान, भागवत, रामायण, बाइबिल आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं होता । यह अच्छी स्थिति नहीं है । हर रोज घाम को हरि-चर्चा होनी चाहिए । ग्रामदान के बाद क्या करेंगे यह सवाल हमारे सामने आता है । तो मैं कहता हूँ कि कम से-कम हर रोज घाम को अच्छी-अच्छी बात सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए । ग्रामदान के बाद इतना तो सर्वप्रथम होना ही चाहिए ।

○

जो लोग सेवाभाव से गाँवों में चले हैं, वे अपने सामने कठिनाइयों को देखकर हतोत्साह नहीं होते । वे तो इस बात को जानकर ही चला जाते हैं कि अनेक कठिनाइयों में, यहाँ तक कि गाँववालों की उदासीनता के होते हुए भी, उन्हें यहाँ काम करना है । अतः जिन्हें अपने मिशन और खुद अपने आपसे विश्वास है, वे ही गाँववालों की सेवा करके उनके जीवन पर कुछ असर डाल सकेंगे । सादा जीवन बिताना खुद ऐसा सरक है, जिसका आसपास के लोगों पर जरूर असर पड़ता है ।

-गांधीजी

## मैं कहाँ पहुँचा हूँ ?

### एक कार्यकर्ता

मुझे आज भा वह दिन अच्छी तरह याद है जब वर्षों पहले विनोबाजी पहला बार बनारस आये थे। दुबारा, नगा बदन, सिर पर हर कपड़ का टुकड़ा, काले बाजू, सफेद दाढ़ी—एसी शकल-मूरत का आदमा बापू के बाद पहला ही बार भारताय जन जावन मे दिरयाया पड़ा था। जन मने इस आदमी को देखा तो सबसे ज्यादा असर भरे ऊपर उसका असाधारण चाउ का पड़ा। भरे मन मे राग-रार यह सवाल उठता था कि यह आदमी इतना तज क्यों चरता है कि इसक साथ के दूसरे लोगों को दौड़ना पड़ता है, और राग-रार मरा मन यह कहता था कि इस तरह विचार का डोरी में बाध कर जो दूसरों को दौड़ा सके उसमें कोई असाधारण तत्व जरूर है। अजीब शकल, अजीब चाल ढाल, अजाय वारों निरा चीन का 'प्रचण्टि से कोई मल ही नहीं बैठता था, फिर भी भारताय जावन का न जाने किस अज्ञात आक्राधा का वह प्रताक होकर आया था कि लोग उसे देपना चाहते थे, सुनना चाहते थे, और उसक कराव जाना चाहते थे। उसका भाषा समझ में आता थी, लेकिन भाव गले क नाचे नहीं उतरत थे सब मिलाकर यह स्पष्ट था कि मन का छूनेवाला काई जादू कही था।

( २ )

शाम का सार्वजनिक सभा थी। हजारों का भीड़ थी। औरों की तरह भरे मन में भा यह कुतूहल था कि 'भूमिवाला' गारा क्या कहता है। मैं सभा में श्रद्धा लेकर नहीं गया था बल्कि कुछ जानने का निश्चया लेकर गया था। दान का माग और क्रांति की बात दोनों का मन में ही रिडा पाता था। मैं यह मानता था कि दान दान है और क्रांति क्रांति,

जो दोनों का मेल मिश्रण सके वह या तो 'जीनियस' है या 'पागल'। मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि समाज के विकास में वर्ग सत्रप का भी कोई विकल्प हो सकता है। गांधी ने रिडा का विकल्प तो दे दिया था, लेकिन क्या सत्रप का भी कोई विकल्प हो सकता है ?

मैं सभा से लौटा। मुझ नहीं लगा कि सुनने वागे ने कुछ समझा भा, लेकिन 'बाधा को कुछ देना चाहिए' यह हवा जरूर महसूस हुई। भरे मन में एक प्रश्न था 'आज तक मनुष्य ने लेने का प्रक्रिया में क्रांति देना है, लेकिन यह आदमी कहता है कि नया क्रांति देन का प्रक्रिया में से निक्लेगा'—यह कैसा क्रांति है ? इसका मनोविज्ञान क्या है ? क्या इसका कोई एतदासिकता भा है ? जिस देने का प्रक्रिया में क्रांति है, उसमें कुछ थाड़े हा लोगों क लिए स्थान है क्योंकि सत्ता हमेशा खट्रित हा होता है, लेकिन देने का क्रांति में हर व्यक्ति क्रांतिकार है क्योंकि हर एक क पास देने के लिए कुछ न कुछ है हा। लेकिन क्या क्रांति क मनोविज्ञान में इस दान क लिए गुजाइश है कि हर आदमा देते देते यहा तक दे डाले कि उसके पास देने क लिए कुछ बच हा न जाय, याना सच्चा और सम्पत्ति का प्रदान अपने आप हल हा नाय ? क्या दान' की कोई सोशल डाइनेमिक्स भी बन सकता है ? कुछ अजाब उल्लसन नेत्र में लौटा, लेकिन यह अनभूति चरर हुई कि एसा उल्लसन पहले कभी नहीं हुई था। आस्था नहीं जगा, लेकिन अनान्या पर प्रश्न रिड गया।

( ३ )

१३ अप्रैल १९५२ को सेवापुरा ( वाराणसी ) में सवादय-सम्मेलन हुआ। उस दिन दिनभर मैं सेवापुरी

में ही रहा। पुराने कामों से अधिवेशनों की याद जाती थी। उसी तरह की चड़ल-पड़ल थी, जोश था, सारे वातावरण के मध्य में विनोबा कौतुक बनकर बैठे थे। समा में होनेवाले भाषण तो बहुत समझ में नहीं आये क्योंकि उनकी भूमिका अपरिचित सी थी, लेकिन जब यह निर्णय हुआ कि भूमिहीनों के लिए पच्चीस लाख एकड़ भूमि इकट्ठा करनी है तो ऐसा लगा कि भारतीय आसमान व आर पार चाँद और तारे अपनी भाषा में कुछ गिन रहे हैं जिसकी रोशनी मन की छमाती है लेकिन क्या गिना है, यह समझ में नहीं आता। जमान मित्रे या न मिले किन्तु मुझे यह लगा कि हिन्दुस्तान के किसी मंच से इस आवाज का निकलना कि भूमि में सबका समान हक है, उस पर मालिकी किसी की नहीं है, नये हिन्दुस्तान के नये इतिहास का पहला अध्याय गिाने की कोशिश था। क्या यह स्वराज्य के 'सुर्जुआ रेवोल्यूशन' के वाद 'मालिटैरियन रेवोल्यूशन' का शुभारंभ था ?

इतिहास पढ़ना बहुत मजेदार है, लेकिन इतिहास बनाने में शरीक होना कहीं ज्यादा मजेदार है। तो फिर शरीक क्यों न हुआ जाय ? मेरे मन में यह प्रश्न पैदा हुआ। देखते देखते जब मई १५२ में मंगरौठ का 'पहला ग्रामदान' हुआ तो ऐसा लगा कि कौतुक का जमाना अभी गया नहीं है।

( ४ )

मन को एक मोहक खिलौना मिल गया। कभी कभी अपनी ही एक मुनहली दुनिया आरों के सामने नाच उठती। फिर सवाल उठता 'क्या सचमुच माग मागकर जमीन इकट्ठा करने से मालिकी मिट जायगी ? मित्रों से चर्चा होती अक्सर पढ़ा जाता, कुछ सोचने की क्रिया होती—सब मिलाकर दिमाग यह कोशिश करता कि इस विचार की समाधान प्यादा से ज्यादा दूर तक समझी जाय। वर्ग वर्ण का नैतिक और दैविक विकल्प व विचार में बड़ा रोमांच दिखाने देना लगा। भूदान के नैतिक सामाजिक मूल्य आकर्षित करने लगे।

( ५ )

बिहार से लखर आती थी कि जमीन पैकड़ों

३०२ ]

नहीं, हज़ारों एकड़ मिल रही है। मुनकर मेरे 'समान वादी' मन को बड़ा समाधान होता था। मैं सोचता था कि अगर इस तरह मालिक अपनी मालिकी छोड़ते जाय, यदा तक कि पूरे देश में स्वामित्व समाप्त हो जाय तो दुनिया हृदय-परिवर्तन द्वारा विचर्चन को वर्ण का विकल्प मान लेगा और भविष्य व जिस स्वर्ण युग की कल्पना मार्क्स ने की थी वह साकार हो उठेगी। कभी कभी यह भी लगता था कि जो भी जमीन मिल रही है वह संत-महिमा से और भय होता था कि भले ही विनोबा सत हों लेकिन देश के जन जीवन में 'पर्सनैलिटी कल्ट' शुरू करने का स्थायी परिणाम शायद दुरा ही होगा। कुछ भी हो, नगी आखें अपने सामने यह कौतुक तो देख ही रही थी कि जमीन जैसी चाज भी 'दान' में मिल सकती है और मजदूर के लिए भी स्वामिनी किसान का जीवन संभव बनाया जा सकता है। मुझे याद है कि 'दा' का शक्ति का वर्णन करते हुए मैंने एक मित्र से कहा था कि गया जिले में जमीन की परीद बिक्री करीब करीब खत्म हो गयी है।

मैं सोचने लग गया कि इस काम में लगने लायक है। बिहार में भ्रमभारती, रादीग्राम की स्थापना १९५२ में ही हो चुकी थी। धीरेन भाई से मरा वर्णों का परिचय था। १९५३ की गर्मी में मैं बहा गया—गर्मा की लम्बी छुट्टी बिताने और यह देख लेने के लिए भी कि धीरेन भाई की भ्रम साधना में मेरे जैसे आरसी, तिकम्मे, अपने हाथ से अपना कपड़ा धोने को भ्रम शक्ति का अपव्यय माननेवाले के लिए भी स्थान हो सकता है या नहीं। मेरे कई मित्र पहिल से धीरेन भाई के साथी बनकर मेरे लिए रास्ता खोल चुके थे। यह सब था फिर भा मुझे पका निर्णय करने में लगपग एक साल लग गया। १० मई १९५४ को मैं भ्रमभारती में पूरा कार्यकर्ता बन गया। पहुँचते ही धीरेन भाई ने हाथ में टोकरी और पावड़ा दे दिया और कहा—'इस विषयविद्याय के बिल्कुल पहिले दर्जे में तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है। देवना फेल मत होना।

[ शेष पृष्ठ ३१८ पर ]

[ नयी तालीम ]



# बालवाड़ी में बच्चों की देखभाल

श्री बहराम एच. मेहता

बालकों की समस्या का निराकरण एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से दो मुख्य कार्यक्रम मानव समाज ने स्वीकार किये हैं—बच्चों की देखभाल और बच्चों की शिक्षा। देश के सुदृढ़ और स्वस्थ विकास के लिए उपर्युक्त दो बातों की ओर पूर्ण ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए जनसाधारण को बालकों की शिक्षा की तरफ आकृष्ट करना जरूरी हो जाता है। उसके लाभ तथा उसकी आवश्यकता स्वयं स्पष्ट है। इसी के साथ राज्य को भी इस शिक्षा की दृष्टि दी जानी चाहिए। अतः जनसाधारण को बच्चों की देखभाल की वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देना तथा उसके लाभों से परिचित कराना आवश्यक है। जब तक बच्चों की देखभाल नहीं की जाती तब तक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता।

बालवाड़ी क्यों ?

प्लेटो और रूसो जैसे महान् शिक्षाशास्त्रियों ने प्राथमिक शिक्षा को राज्य का प्रथम कर्तव्य माना और तब से ही राज्य बच्चों के प्राथमिक सिद्धांत की ओर अधिक ध्यान देता आया है। सामन्त-युग में शिक्षा केवल उच्च वर्ग के बालकों को मिलती थी। फ्रांस की राज्य क्रान्ति और खासकर रूसो ने समस्त बालकों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया परन्तु फिर भी लोकतन्त्रीय शिक्षा का आदर्श पर बीसवीं सदी में ही प्रमुखता से विचार किया जा सका। "बच्चों की देखभाल"—एक व्यापक शब्द है, जिसमें शिशु कल्याण केन्द्र तथा बालवाड़ी—इन दो प्रवृत्तियों का समावेश होता है।

अप्रैल, '६३ ]

कुछ शिक्षाशास्त्री, समाजशास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिकों ने बालवाड़ी के विचार को निरर्थक कहा है। क्योंकि उन्होंने बाल्यावस्था में बच्चों के लिए बाहरी मार-सम्भाल की अपेक्षा घर एवं परिवार का सम्पर्क अधिक आवश्यक माना है। माता न केवल मानव समाज में, बल्कि पशु-पक्षी एवं प्राणी जगत में भी बच्चों की, 'प्राकृतिक शिक्षिका' मानी गयी है। इसके अलावा बच्चों को जिस प्यार और सुरक्षा की जरूरत होती है, वह केवल माता-पिता एवं परिवार के द्वारा ही मिलना सम्भव है। आज भी ऐसे कई प्रगतिशील लोग हैं, जो बालवाड़ी तथा प्रशिक्षित बालसेविका की अपेक्षा बुद्धिमान्, स्नेहशील माता-पिता का संपर्क अधिक पसन्द करेंगे।

सामन्त-युग में औद्योगिक क्रान्ति के आरम्भ-काल में मनुष्य का जो सामान्य दृष्टिकोण बदला तथा जो सामाजिक उन्नति हुई उसका इस समस्या के हल किये जाने के तरीके पर भी प्रभाव पड़ा है। १९ वीं और २० वीं सदी के राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधारा ने राज्य को 'बच्चों की देखभाल' तथा 'बालकों की शिक्षा' का महत्त्व स्वीकार करने के लिए विवश किया। फलतः कई राज्यों ने बाल कल्याण तथा बालका की शिक्षा का उत्तरदायित्व उठाना स्वीकार कर लिया है। जब तक समस्त बच्चों को स्वस्थ रूप से जीवित रहने और सब प्रकार से अपना विकास करने का पूरा-पूरा अवसर नहीं मिलता, तब तक सच्चे अर्थों में न स्वतन्त्रता का उपयोग और न सामाजिक समानता एवं न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति ही सम्भव है। इन उद्देश्यों

[ ३०३ ]

को प्रथम रूप में मान लेने पर अब बच्चों की शिक्षा और उनके कल्याण के लिए शासकीय कार्यवाही, व्यापक मगठन एवं स्थानीय संस्थाओं के समुचित संचालन को आवश्यकता पैदा हुई है और इस तरह बालवाड़ी प्रवृत्ति समाज के दौढ़गिन कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बन गयी है। बालवाड़ी का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि वह आरम्भ से ही बच्चों में कार्यक्षमता की नींव डाले, जिससे समाज को कार्यक्रम अधिक ही नही, अपितु निपुण तन्त्रज्ञ, मानिक और प्रशासक भी प्राप्त हों।

### गुण विकास का सक्षम साधन बालवाड़ी

प्राणिशास्त्र, शारीर विज्ञान और मनोविज्ञान की उन्नति ने भी बालवाड़ी की आवश्यकता पर जोर दिया है। बच्चे के सम्पूर्ण विकास के लिए आज के परिवार एक माता पिता का भान पर्याप्त माना गया है। जिन मोहल्लों, घरों और छोट्टियों में लालों परिवार रहते हैं, उनका वातावरण बच्चे के सम्पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि बच्चे की आदतों का, उसके बर्तानों का और उसकी कार्य प्रवृत्तियों का विकास घर के सीमित वातावरण में संभव नहीं है और व्यक्तित्व एवं कल्पना के विकास के लिए तो उसे व्यक्तिगत देखभाल तथा बच्चों के मेल मिलाप की भी जरूरत रहती है। बालक का समग्र विकास उसके अपने अनुभवों से ही होता है और वे अनुभव विविध एवं सृजनात्मक होने चाहिए।

समाज की प्राथमिक अवस्था में, उन्नत समाज तिरु जनसंख्या के सख्यात्मक पहलू पर ही ध्यान देते थे। उसमें भी विशेषतः यही देखा जाता था कि बच्चे जीवित रहें तथा स्वस्थ रहें, परन्तु आज समाज की या देव की उन्नति और महानता समाज के सख्यात्मक पहलू को अपेक्षा उसके गुणात्मक पहलू पर अधिक निर्भर है। 'गुणात्मक' पहलू तब तक नहीं आ सकता जब तक अपग और मूढ़ बच्चों का ही नहीं, शिशु मात्र की देखभाल और उसके सच्चे कल्याण की और पूरा ध्यान नहीं दिया जाता।

इससे भी अधिक गाँवों और आदिवासी क्षेत्र में तो बच्चों की समस्या तीन प्रकार की है—अ-म-दर कम

करना, मृत्यु दर घटाना और सारे समाज को पूर्ण स्वस्थ बनाना। अतः यहाँ बच्चों की देखभाल का नया अर्थ प्रयुक्त होना चाहिए। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं, किन्तु उनसे साधन सीमित हैं और उनमें बच्चों के सम्पूर्ण विकास की क्षमता और बच्चों को प्रगति भी गाँव के तग एवं सजुचित वातावरण के कारण अपर्याप्त रहती है।

भारत में बालवाड़ी प्रवृत्ति को प्रयोगात्मक ढंग से शुरू करने की आवश्यकता है। साथ ही एक ऐसे वर्ग की जरूरत है जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में बालवाड़ी की देखभाल का भार उठाने के लिए प्रतिभाग्य प्राप्त हो। वर्तमान परिस्थिति में तीन साल से कम उम्र के बच्चा की आवश्यकताएँ और समस्याएँ हल करना कठिन है। इसका अधिकांश भार परिवार और स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं को उठाना होगा। तीन वर्ष की उम्र के बाद के बच्चे बालवाड़ी में भरती दिये जा सकते हैं, जहाँ उन्हें विकास की बुनियादी सुविधाएँ प्राप्त होंगी। बुनियादी सुविधाओं में विशेष वातावरण, स्वास्थ्य रक्षण, पोष्टिक आहार की सुविधा, योग्य साध, वैज्ञानिक ढंग से विकास की मुख्य बातों की ओर शास्त्रीय रीति से ध्यान बगैरह बातें सुलभ होंगी।

### गाँव की आदर्श बालवाड़ी

कुल मिलाकर देखा जाय तो ग्रामीण वातावरण में स्वास्थ्य विकास अधिक अच्छी तरह हो सकता है। क्योंकि शहरी गंदगी से मुक्त प्राकृतिक वातावरण का रक्ष होता है। बालवाड़ी प्रवृत्ति के विचार का इस तरह से विकास किया जाना चाहिए कि जो संस्थाएँ विना विशेष साधन सामग्रियों के कम खर्च में दक्षतापूर्वक कार्य करती हैं उन्हें अधिक से अधिक संस्था में बच्चों की बालवाड़ियाँ चलाने का मौका दिया जाय। यह जरूरी नहीं कि ग्रामीण बालवाड़ियाँ शहर की सड़क धन का अनुकरण करें। गाँव से कुछ दूर दो एकड़ जमीन पर बालवाड़ी का आरम्भ किया जा सकता है। पाठ में कुशा या पानी का सोता होगा जरूरी है, जिससे वैयक्तिक सफाई और आसपास की सफाई हो सके। ये दोनों ही बातें बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

दो एक्ड जमीन पेड के नीचे खुले स्थल में कचरा आरंभ करने के लिए पर्याप्त है तथा इसी पर काम चलाऊ छप्पर डालकर बरसात या जाड़े से बचने के लिए प्रबंध हो सकता है। इसी में छोटा-सा खेल का मैदान बनाकर उमम वहीँ के बच्चे द्वारा बनाये गये सी सा, झूले, फिसलनी, जगजिम जैसे खेल के साधन लगा सकते हैं। एक अन्य खेल मैदान सामूहिक खेलकूद के लिए बना सकते हैं। प्राथमिक स्तरीय बालवाड़ी की एक बुनियादी प्रवृत्ति है। इसमें बच्चे बगीचे में फूल और तरकारी-भाजी उगाते हैं। वहाँ मुर्गीपालन की भी व्यवस्था हो सकती है। बच्चे अन्य पालतू पशु पक्षियों को देखभाल भी स्वयं कर सकते हैं।

सद्भाग्य से ग्राम शिक्षिका से विस्तृत भिन्न अर्थ में बाल-सेविका चार घण्टे का प्रचलन हो गया है। बाल-सेविका मुख्यतः बच्चों की मित्र और साधिन होती है। वह काम करती है। उसे शिक्षा-प्रणाली के पुराने तरीके से ही सतोप नहीं होता। वह बच्चों के साथ खेलती है और दिन भर उनकी देखभाल करती रहती है तथा उनके जीवन में सक्रिय भाग लेती है।

बड़े-बड़े मकान और अन्य सामग्री पर बेकार खर्च न करना पड़े इसके लिए बालवाड़ी किस प्रकार चलाना है, इस बात को ठीक से सोच लेना चाहिए, जिससे अनुकूल ऋतुओं में बालवाड़ी के कार्यक्रम निरमित रूप से चलाये जा सकें। वर्षा व अत्यधिक शीत के दिन विशेष रूप से छोड़ देना चाहिए। बच्चों को साल में आठ नौ महीने बालवाड़ी में शिक्षा मिल जाये, तो फिर घर में भी उसका ठीक तरह से विकास हो सकेगा।

साधारणतया बालवाड़ी के कार्यक्रम में सुबह की सामूहिक प्रार्थना, स्नान, बलेवा और दो घण्टे का विश्राम भी जोड़ना चाहिए। बालवाड़ी में कार्यक्रम सुबह से शाम तक इस तरह होना चाहिए कि बच्चे प्रसन्नता का भी अनुभव करें और सीखते भी जाय तथा अन्त में खेल-कूद कर पर जाय। सुबह की प्रार्थना से लेकर शाम के खेल कूद तक का साढ़े दस घण्टे का कार्यक्रम अच्छे रोचक ढंग से बनाया जा सकता है।

बच्चों के लिए साढ़े दस घण्टे का कार्यक्रम बहुत बोझिल होता है, यह दलील ठीक नहीं। बच्चों के दिन अप्रैल, '६३ ]

भर के कार्यक्रम में पढ़ाई के घण्टे तो चार रहते हैं, दोप समय तो नाश्ता, आराम, निद्रा और मनोरंजन के लिए। साधारण तौर पर एक बाल सेविका अपनी सहायिका की मदद से २५ बच्चों की देखभाल कर सकती है। बालवाड़ी में बालक तीन वर्ष के दरमियान २४ से २७ माह तक उपस्थित रहेगा। प्राथमिक बालवाड़ी का कार्यक्रम सादा और सरल होना चाहिए। उसमें बालक की देखभाल पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, पढ़ाई की पद्धति पर नहीं।

बालवाड़ियों के भिन्न-भिन्न रूप

भारत-जैसे देश में जहाँ ऐतिहासिक परम्पराएँ और रीतिरिवाज इतने भिन्न हैं, वहाँ सब राज्यों की बालवाड़ियों के लिए एक ही प्रकार का कार्यक्रम बनाना संभव नहीं है। यह केवल उपयुक्त साधनों का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि उपयुक्त साधनों को काम में लाने का भी प्रश्न है। इसलिए यदि राष्ट्रीय उन्नति के लिए बालक का सम्पूर्ण विकास करनेवाली उन्नत प्रकार की साधन सम्पन्न दिन भर की बालवाड़ी संभव न हो, तो साढ़े और सरल प्रकार की ऐसी बालवाड़ी जिसे कम व्यय और कम परिश्रम से चलाया जा सक, आरंभ करनी चाहिए।

पहले प्रकार की बालवाड़ियाँ देश के बहुत से भागों में चल रही हैं, जिन्हें आधे दिन की बालवाड़ी कहते हैं। इसमें बच्चे सुबह आठ बजे एकत्रित होते हैं—प्रातः कालीन प्राथना से दिन आरंभ होता है। खेलकूद के पश्चात् लगभग एक बजे नाश्त के साथ उम दिन का कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आधे दिन की बालवाड़ी सप्ताह में पांच दिन चलती है। दोपहर का विश्राम और नींद को छोड़कर आधे दिन की बालवाड़ी में पूरे दिन की बालवाड़ी के सभी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। फिर भी ऐसी बालवाड़ी में बाल-सेविका और बालक का सम्पर्क उतना कारगर नहीं रहेगा और हो सकता है कि विभिन्न कार्यक्रम भी जल्दबाजी में किये जायें। फलतः पूरे दिन की बालवाड़ी के सदृश उच्च स्तर आधे दिन की बालवाड़ी में नहीं आयेगा। इतना अवश्य है कि ऐसी बालवाड़ी का संचालन व्यय कम होगा। क्योंकि ग्राम-सेविका से दिन में कुछ घण्टे बाल-सेविका का कार्य

कराया जा सकता है और साम की यह ग्राम सेविश का नाम भी कर सकती है। तब भी, खेलकूद एवं शिक्षा सम्बन्धी सामाज्य माधमों की सहायता से मुन्गी हस्त म बालवाड़ी आरम्भ की जा सकती है जिससे आगे चलकर यदि पचासत और प्राचीण समाज वाग्वादी का महत्व और उसकी उपयोगिता समझे, तो अधिक् यहा यता व साधन उपलब्ध पुर आधे दिन की बालवाड़ी पुरे दिन की बालवाड़ी में परिवर्तित कर सकते हैं।

यहा इत प्रकार की आधे दिन की भी वाग्वादी चलाना सम्भव न हो, यदि गांववाले बच्चों की शिक्षा में रुचि रखते हुए अनुभव करे की सासन से इत शिक्षा में सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है और व आधे दिन की बालवाड़ी चलाने लायक साधन सामग्री भी नहीं जुगा पा रहे हैं, तो वहाँ शिक्षु केन्द्र चलाना जा सकता है। यदि वर्ग किमी सच के गांव वाले चाहें कि गांव व बच्चों की देखभाल का आयोजन हो और उसने हनु गांववाले यदि एक कार्यक्रम दे सकें, तब बच्चों के लिए या तो सुबह आठ से दस या शाम को तीन से पांच बजे तक दो घंटे का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। बच्चे रोजाना एकपित हो सप्ताह में दो दिन खले अथ दो दिनों में हस्तदीर्गल का काम करें और किसी एक दिन दोपहर या शाम की बच्चे सर करने या घूमन किग्न जायें। इस प्रकार बारी-बारी से बच्चे उन कार्यक्रमों म भाग ले सकते हैं जो तीन से छह बप की आयु तक के बालकों के शारीरिक भावनात्मक एवं मानसिक विकास के लिए अवेक्षित हैं। वस्तुतः मनोरंजन के आधार पर रोचक और आवश्यक शिक्षु से द्रो का संगठन सम्भव है तभी समय समय पर गांववालों द्वारा आयोजित सामुहिक खनकूद एवं विभिन्न कार्यक्रमों म बच्चे आनंद ले सकते हैं।

इसलिए हमारी राय है कि समाज में इस प्रकार की चेतना उत्पान की जाय जिससे माता पिता महसूस कर सकें कि घर पर बच्चों की उचित देखभाल करना बच्चों के ही हित म है। साथ ही व शिक्षु विकास सम्बन्धी सस्था के कार्यक्रमों में भाग ले ताकि वैज्ञानिक पद्धति से शिक्षु विकास सम्भव हो सके। माता पिता के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो या नीचा यह तो गौण है। सबसे मुख्य

३०६ ]

ध्यान देने योग्य बात यह है कि समाज अपने सम्पन्न बच्चों व प्रति स्त्री रखे, उनके विवाह में दिलचस्पी ले और उनकी पार समाज करे। इही बर्णों में सार्वजनिक चेतना गिन होनी है।

### आर्थिक पहलू

साधारण तौर पर पूरे दिन चलीवाला २५ बालकों की बालवाड़ी का वार्षिक व्यय अधिक् १० अधिक् ३००० मे ४,००० रु० तक होता है। आधे दिन की बालवाड़ी आगामों से ६०२००० के खर्च से चलायी जा सकती है। जहाँ बच्चों के प्रति प्यार, ममता है, जहा बच्चा के लिए त्याग की भावना है, यहा आगामों दम बर्णों के अन्दर भारत ने समस्त गाँवों के बच्चों के बर्त्याण के लिए व त्यागपूर्ण बतान में वयस पस की बटिनाई कोई दबाव नही डाल सकती। अत इस दिशा में शीघ्र ही निश्चित और ठोस बचदम उठाना अत्यन्त जरूरी है, जिससे तृतीय पंचर्षीय योजना में कम से कम समय में शिक्षु बर्त्याण काय की नीव दया सम्भव अच्छी तरह रख जा सके।

यह स्मरण रहे कि यदि हमें शिक्षु-बर्त्याण कार्य उचित ढंग से आरम्भ करना है और उत्तरा एवं विवाए स्तर कायम रखना है तो जब तक गांव का प्रत्येक निवासी अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुपात में धन की सहायता नहीं करता और केन्द्रीय तथा प्रांतीय सासन गजर पालिसा एवं दवायवों द्वारा सहयोग प्राप्त नहीं होता तबतक वैश्व प्राप्त साधनों द्वारा तृतीय पंचर्षीय योजना के अर्तव्य देय के २० प्रतिशत बच्चों की भी ब्यवस्था करना सम्भव होगा।

### और प्राथमिक शिक्षा ?

यह भी हमें स्पष्ट समझ लाना चाहिए कि जब तक देश में प्राथमिक शिक्षा का पूरा तरह विवास नहीं होता, तब तक बालवाड़ी जैसे पूव गालेय शिक्षु सस्थाओं से प्राप्त लाभ पर्यप्त नहीं होगे। जहाँही बालवाड़ी में निष्ठा है, और जो सचमुच ही बच्चों का हित चाहते हैं वे बालवाड़ी का महत्त्व अच्छी तरह जानते हैं। बिगु इसके साथ ही भारत में प्राथमिक शिक्षा का निम्न स्तर एवं एवं स्वस्थ सुहृद बुनियाद शिक्षा पद्धति की नीव डालने में सासन की असमर्थता देखाकर उ हें निराशा होती है।

[ नयी साठीम

यदि हम हर बच्चे को स्वस्थ और जीवन संघर्ष के योग्य बनाना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से उन्हें कार्यक्षम बनाना चाहते हैं एवं घरेलू, पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन में सुखी और स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो सुदृढ़ शिक्षा-नीति अपनानी ही होगी। साधारणतः तीन वर्ष तक पढविपूर्वक शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे ऐसी प्राथमिक पाठशालाओं में भेजे जायें जहा शिक्षा का स्तर सतप जनक हो, तथा शिक्षा-कल्याण में वास्तविक रुचि रखने वाले सुयोग्य शिक्षकों द्वारा ही जहा शिक्षा दी जाती हो। अतः यह जान उन लोगों की दृष्टि में यह भी जरूरी है कि गाँवों में कार्यक्षम बुनियादी पाठशालाएँ भी हो। यदि हम भावी पीढ़ी को विकसित, स्वस्थ और सुयोग्य नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं तो दोनों प्रकार की शिक्षाओं को समान महत्त्व देना बहुत आवश्यक है।

बालवाडी जैसी पूर्व शालेय सस्या का प्रयोग यूरोप, अमेरिका, बियेना, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड जैसे देशों में किया गया। ये सभी देश इन्हीं तत्त्वों पर विशेष जोर देते हैं कि बच्चों को प्रेम, स्वच्छता, साधनी कितु सहवास, सौख्यपूर्ण वातावरण, रचनात्मक कार्य, परस्पर सहयोग-पूर्ण आनन्द, पौष्टिक भोजन एवं विद्यानि मिले। प्रकृति-निरीक्षण, सैर आदि कार्यक्रमों के द्वारा प्रकृति के साथ बालक का वास्तविक और निकट सम्पर्क स्थापित हो।

बालवाडी में बच्चे कई तरह से क्रियाशील रहते हैं, हाथ के काम करते हैं, चाला, वागवानी और खेती के कामों में सहयोग देते हैं। इसके अलावा बाहरी जीवन में भी बच्चे ही क्रियाशील रहते हैं—जैसे सैर को जाना, पहाड़ी पर चढ़ना, तैरना, बगीरह। पूर्व शालेय बच्चों का जीवन हमेशा निविध्न और मुक्त रहता है।

तीन वर्ष तक बच्चे का विकास पूर्णतः शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक दिशा में होता है। कलाओं के कुछ घटों में कहानी, गीत और नाटक आदि के द्वारा बालक की कल्पना शक्ति का, उसके मस्तिष्क का और धारणा शक्ति का बिना किसी प्रयत्न के विकास किया जा सकता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे उनकी ऊँचाई बढ़े, शरीर

अप्रैल, '६३ ]

मजबूत हो और उसमें कार्यक्षमता पैदा हो। तीन वर्ष की आयु तक हर तीसरे माह बच्चे का स्वास्थ्य विवरण दर्ज करना चाहिए, जिसमें इन पांच बातों की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है—१ पौष्टिक आहार, २. खेल के मैदान में और बन में व्यायाम ३ रोगों से बचाव तथा स्वास्थ्य-सुरक्षा, ४. शारीरिक स्वच्छता व सार-संमाल ५. पर्याप्त विद्याम और भरपूर नींद।

दुर्भाग्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण, भौतिक एवं मानव-सुलभ साधनों के अभाव में जितना करना चाहिए उतना ही नहीं पाता। स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए।

- १ रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगाना।
- २ वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण।
- ३ बच्चों के शारीरिक विकास का विवरण रखना।
- ४ परीक्षण के बाद चिकित्सा-सेवाएँ।
- ५ चिकित्सकों के मार्गदर्शन एवं निरीक्षण में पौष्टिक आहार।

### शिक्षा साधन

पूर्व-शालेय शिक्षा संस्थाओं में, प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत बालक का इन्द्रिय विकास, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार आदि का समावेश है ही। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित बाल-शैविका तथा समुचित साधनों की आवश्यकता है। समस्त देश में विभिन्न क्षेत्रों में खेल-कूद या शिक्षा के लिए उपयुक्त सस्ते और सुलभ साधन निर्माण करने के लिए छोटे पैमाने पर ग्रामीणों का संगठन किया जाना चाहिए। विंडर गार्टन या माष्टे-सरी शालाओं में प्रयुक्त खर्चीले साधनों की सरल सुलभ बनाना होगा। ग्राम-वातावरण के अनुकूल सरल, शैक्षणिक-साधन उपलब्ध होने चाहिये, जिसमें बालक की स्वाभाविक कार्यकुशलता, क्षमता और अच्छी आदतों का विकास हो।

ग्रामीण क्षेत्रों की बालवाडियों या शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा-यात्रियों एवं बाल मनोवैज्ञानिकों के सहयोग से हस्तकौशल का मूलभूत विकास होना चाहिए। गाँवों में आसानी से प्राप्त होने वाली वस्तुएँ—मिट्टी,

लकड़ी, पेड़, पशुपक्षी आदि का उपयोग सूक्ष्म बुद्ध पूर्वक किया जाय तो उक्त प्रकार के प्राकृतिक साधन गाँव में ही उपलब्ध होंगे। सामान्य साधनों के उपयोग द्वारा बच्चों की कार्य-बुद्धता और कार्य-क्षमता बढ़ जायेगी और वह उनके भावी जीवन में प्रमत्त बढती रहेगी। अपनी अपनी मातृभाषा में बालवाडो के बच्चा के स्थायक वाच-साहित्य निर्माण करने की आवश्यकता है। कहानी गीत, ऐतिहासिक कथाएँ भूगोल का सामान्य ज्ञान और प्रकृति का निरीक्षण, भाषा एवं गणित का परिचय, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें देश के बाल साहित्य प्रेमियों और कलाकारों का अथक परिश्रम अपेक्षित है। बाल साहित्य में रंग और चित्र अनिवार्य हैं। उचित मार्गदर्शन के अंतर्गत ग्राम कलाकारों को बच्चों के लिए अपनी कला का समुपयोग करन का अवसर मिल सकता है।

### ग्राम कला

बच्चों की कला देश की संस्कृति को समृद्ध करती है। बच्चों के भावनात्मक विकास में चित्रकला, मिट्टी के खिलौने बनाना रंग भरना रंगीली बनाना, सामूहिक गीत नृत्य नाटको आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। शैशव अवस्था में शौर्य ज्ञान तथा शौर्य विषयक दृष्टि का बढो हो आत्मानो से विकास होता है। उक्त कलात्मक प्रवृत्तियाँ बच्चों का जीवन अधिक सम्पन्न और सम्पूर्ण बनाती हैं और उन्हें आनंद प्रदान करती हैं। प्रोबेल न हमें बच्चे के जीवन का अत्यन्त महत्वपूर्ण

अनुभव माना है। बालवाडो में बालक जब अथ बालको के साथ रहता, खेलता और काम करता है, तब भी उसका भावात्मक विकास होता है।

जबतक घर और माता पिता या बालवाडो तथा सिंगु केन्द्रों के कार्यक्रम एवं आयोजनों से सम्बन्ध स्थापित नहीं होता तब तब बालक का मनुष्यत्व विकास सम्भव नहीं। यह पाया गया है कि माता बालवाडो या सिंगु केन्द्रों के कार्यक्रमों में और अपने बच्चों के जीवन में अधिक दिलचस्पी लेती हैं। बालसेविका, ग्रामसेविका तथा महिला मंडल के पारस्परिक सहयोग से माता पिता तथा बालवाडो या सिंगु केन्द्रों का सम्बन्ध बनाया जा सकता है। गाँव के प्रत्येक घर में एक अच्छी बाल सेविका का सदा हितैषी मित्र की भाँति स्वागत होता है। वह सामाजिक शिक्षिका है जो धीरे धीरे माताओं की सिंगु संगोपन सिखाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि है। वह माताओं में बच्चों के प्रति उत्साह और आकर्षण भी पैदा करती है।

यदि गाँव के बच्चों की उचित देखभाल हो तो राष्ट्र अपनी सुरक्षा में सदा समर्थ रहेगा। बच्चों की देखभाल केवल माता पिता या बालवाडो या समाज को अकेले अकेले नहीं करनी है। इस कार्य के लिए घर, समाज, तथा बालवाडो का सहयोग एवं शासन का संरक्षण प्राप्त होना आवश्यक है जिससे राष्ट्रीय जीवन की सर्वांगीण प्रगति के लिए एक सुदृढ़ चारित्र्यवान् चकितशाली नये समाज का निर्माण हो सके।

[ कस्तूरबा स्मारक से साभार ]

माँ-बाप अपने बालकों का जो सच्ची सम्पत्ति समान रूप से दे सकते हैं, वह है उनका अपना चरित्र और शिक्षा की सुविधाएँ।

-गांधी



विभिन्न देशों में  
विभिन्न युगों में

श्री रामभूषण

## इंग्लैंड की शिक्षा-पद्धति

(वृत्तार्थ)

### बच्चों की शिक्षा

नया सगठन

१९४४ के एज्युकेशन ऐक्ट से इंग्लैंड की शिक्षा सगठन को जनतांत्रिक प्रणाली पर चलने का मार्ग प्रदत्त हो गया। ऐक्ट के अनुसार पब्लिक शिक्षा का कानूनी ढांचा तीन स्तरों पर सगठित हुआ, इसमें से पहला है 'प्राइमरी शिक्षा' जिसमें पांच से ११ या १२ वर्ष तक के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है। प्राइमरी के तुरंत बाद सेकण्डरी एज्युकेशन का नगर आता है जो सर्वाधारण और विशिष्ट वर्ग के लिए शिक्षा का इस असंगत प्रणाली को समाप्त कर देता है।

शिक्षा का प्राइमरी स्तर स्वयं भा नई स्तरों में बटा हुआ है। अगर नर्सरी स्कूल को भी शामिल कर लिया जाय तो पहला स्तर तो वह है जो आनवार्य शिक्षा की उम्र शुरू होता है और आगे बढ़ कर इन्फैण्ट स्कूल में सात वर्ष का उम्र तक चलता है। और इसके बाद जूनियर स्कूल का नगर आता है जो ११ वर्ष के उम्र तक चलता है। जनता का इस प्रकार का शिक्षा अलग अलग स्कूलों में ही उपलब्ध है, हा, कुछ उन जगहों को छोड़ कर जहां नर्सरी बगस इन्फैण्ट स्कूलों

से जुड़े हुए हैं या उन जगहों में, विशेषत

इंग्लैंड का इस बात का श्रेय है कि यहां शिक्षा पर शासन का सम-सकम नियंत्रण है, शिक्षा सर्व-सुलभ है और शिक्षा का प्रबंध अधिक से अधिक लोकतंत्रीय है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां इन्फैण्ट स्कूलों और जूनियर स्कूलों को अलग-अलग हटाना एक तरहसे असंभव हो रहा है। फ़िंडर गार्टन स्कूल तो हमेशा प्राइवेट ही चलाये गये हैं और जिन स्कूलों में पाठ ला भी जाती है, उनको पब्लिक पण्डस कोई सहायता नहीं मिलता। फ़िंडर गार्टन के जो आधुनिक सिद्धांत हैं उन्होंने इन्फैण्ट स्कूलों में चलने वाला पद्धति पर भा अवर डाला है।

नर्सरी स्कूल और नर्सरी बगस

प्रथम विश्व महायुद्ध के बाद बच्चों का देशभाउ के संबंध में कुछ आधुनिक तराफों की पराधा ली गयी। उन के पहले तो बच्चों का जो क्लास चलता था वह धारारिक या शैक्षणिक दोनों ही तरीकों से असंतोषजनक था। इस नयी भावना पर रैडेल और मागरेट मैकमिलन की रचनाओं का काफी प्रभाव पड़ा। इन महानुभावों ने १९०९ में लण्डन का गद्दी बस्तावाले इशकों में एक नर्सरी स्कूल चला रला था। १९१८ के शिक्षा ऐक्ट ने स्थानान्तर अधिकारियों को यह अधिकार दिया कि स्थानान्तर पण्डस से वे 'डे नर्सरी' या 'नर्सरी स्कूल' चलायें। लेकिन एसी कोई

झूटा नहीं बनायी गया। इस बात का भा प्रयत्न

किया गया कि यदि ऐसे स्कूल चलाये ही जाते हैं तो उनका आधा पर्स बोर्ड आब एज्युकेशन देगा, एगिन कई कारणों से, मुख्यत आर्थिक कारणों से, पब्लिक नर्सरी स्कूलों जोर नर्सरी क्लास का संगठन बढ़ा शिथिल रहा।

नर्सरी स्कूलों में शिक्षा पर नितनता जोर दिया जाता है उतना ही बच्चे की शारारिक दशा का देखभाल पर भी है। मेडिकल इन्स्पेक्शन और ट्रेड शिक्षकों की उत्तक टा) से बच्चे का कमजोर या खराबी का पता प्रारम्भ में ही लगा कर खड़ी जानन की अधिकाधिक सफल बनाने का प्रयास किया जाता है।

नर्सरी स्कूलों का महत्व तो केवल इस बात से समझा जा सकता है। कि उन की व्यवस्था करना उच्च स्थानीय शिक्षा अधिकारियों की खूटी के अंतर्गत आ गया है। १९४४ के एज्युकेशन ऐक्ट का आठवा पैराग्राफ अन्य बच्चों के साथ यह भी व्यवस्था करता है कि अपने बर्तव्यों का पालन करत समय कोड़े स्थानीय शिक्षा अधिकारी इस बात का पूरा ध्यान रखे कि जिन बच्चों की उम्र अभी पाच वर्ष की नहीं हुई है उसके लिए नर्सरी स्कूल अपश्य स्थापित किये जाय या जहा ऐसे नर्सरी स्कूलों का स्थापना जरूरी न समझी जाय वहा कम से कम नर्सरी क्लासों की व्यवस्था तो की ही जाय। नर्सरी स्कूलों या नर्सरी क्लासों से यह उम्मीद की जाती है कि ये बच्चों के घरों से निकट सम्बन्ध बनाये रखने और साथ ही बच्चों की माताओं को यह जानने में मदद भा करते रहने कि अच्छा तरह घर-बार चलाने और अच्छी जिदगी बिताने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। नर्सरी स्कूल का उद्देश्य १९४५ में लखनऊ में प्रकाशित मिनिस्ट्री आब एज्युकेशन के पैम्फलेट न० १ (दी नेचरल स्कूल, वेयर प्लान एण्ड परपज) में स्पष्ट बताया गया है—नर्सरी स्कूल का विद्यर उद्देश्य है जिन बच्चों की जरूरत हो, मेडिकल सहायता करना, उन्हें अच्छी आदतों और ठाक बर्तव्य की ट्रेनिंग देना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिन में अपनी अवस्था के अनुरूप बर्तव्य

वे सीप सकें। इस प्रकार रचनात्मक, कलनात्मक तथा स्वयं निमित्त किये हुए विभिन्न प्रयोग व रंगों की व्यवस्था का प्रयत्न नर्सरी स्कूल करता है जोर बच्चों को अपने शारारिक विकास का पूरा अवसर देता है। अपने चारों तरफ गिरना सामंजस्य सपनि व सुख मं भी बच्चों को अनुभव गित इच्छा भी उन्हें मौजा दिया जाता है। उन व हाथों में इनर आय जोर वे सीप सकें कि जिस चाज के साथ केशा व्यवहार किया जाना है। जाणर में तथा अपने बर्तव्य से बात करवे व भाषा का प्रयोग भा सीखत है।

### इन्फैण्ट स्कूल—

बच्चों का खड़ी जिदगी का दूसरा स्तर है इन्फैण्ट स्कूल जहा बच्चा अपनी अनिवार्य शिक्षा की रूपआत पाच वर्ष की उम्र से करता है। इन्फैण्ट के इन्फैण्ट स्कूलों का इतिहास १४० वर्ष पुराना है। १८३७ में प्रकाशित ईडब्लुक आब आर्गनाइजेशन व एडु ९८ पर इन्फैण्ट स्कूल का यह रूप दिया गया है 'इन्फैण्ट स्कूल वह स्थान होगा जहाँ जीवन की शैशवावस्था का उसकी वाचगियों और निम्नितताओं के साथ स्पष्ट दर्शन होगा और जहा प्रत्येक कार्य एक जीवत भावना (सिस्टि आय एड धेंचर) के साथ हुआ, जहा बच्चों का अपना रुचि की अनेक पार्जें मिलेंगा और अपना अवस्था क अनुरूप उन्हे स्वतन्त्रता और अनुशासन दोनों मिलेगा और इस तरह उनकी समझमें रहनेना भावना का विकास होगा। इस स्कूल का पाच वर्ष का बच्चा अपने हम-उम्र बच्चों क मुकाबिल अधिक आत्मस्थ, उत्तरदायित्वपूर्ण, स्वतन्त्र और किसी काम में अपने को अपने पूरे ध्यक्षित क साथ लगा देने के अधिक योग्य होगा। साथ हा उस कार्य विधेय को करने का जो सही तरीका है उसके प्रति भी उसके मन में अन्य बच्चों के मुकाबिले अधिक आस्था होगा।'

जहाँ तक आँकड़ों का सम्बन्ध है, वहाँ केवल यह निर्देश किया जा सकेगा कि १९५३ में इन्फैण्ट के ५४७५ विभिन्न इन्फैण्ट स्कूलों में बच्चों की संख्या १,१४६,३५४ (५६१, ६८२ लड़के, और ५६५,२०२



लक्षकिया) थी और जूनियर स्कूलों से लगे हुए स्कूलों में ५ से ७ वर्ष के बच्चों के बच्चों की संख्या ४७६, ६४६ थी।

## जूनियर स्कूल

प्राथमरी शिक्षा में जो स्तर सम्मिलित हैं उनमें जूनियर स्कूल का नवरा तीसरा पड़ता है। जूनियर स्कूलों में बच्चे इन्फैण्ट स्कूलों से ७ वर्ष की उम्र में आते हैं और यहाँ से पढ़ कर वे किसी सेकेंडरी स्कूल में ११ वर्ष की अवस्था में चले जाते हैं। जूनियर स्कूल की स्थापना का रास उद्देश्य है बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए अवसर प्रदान करना तथा बच्चों की शिक्षा में एक ऐसा स्तर प्रदान करना जो उसे आगे आने वाले स्तर के लिए तैयार करने का माध्यम बने।

जूनियर स्कूल हो या और कोई स्कूल, इंग्लैण्ड में सभी प्रकार के स्कूलों की यह एक बड़ी विशेषता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन न तो 'करोक्वुलम' लादती है न 'स्टडी-कोर्स' और न 'मेथेड ऑफ इन्स्ट्रक्शन' ही। उसे न इस बात की आकांक्षा ही रहती है कि १६४४ के एज्युकेशन एक्ट ने उसे जो अधिकार दिये हैं उनका वह कोई इस्तेमाल करे ही। प्रत्येक स्कूल का प्रशासन उसके हेडमास्टर द्वारा चलाया जाता है जो बच्चों का वर्गीकरण और स्कूलों के शिक्षकों का निरीक्षण करता है। यह अपने स्टाफ की सहायता के साथ या बिना उसके पढ़ाई का 'करोक्वुलम' या 'कोर्स ऑफ स्टडी' या 'सिलेबस' भी बनाता है। इन सब मामलों में स्कूलों को कितनी छूट है उसका पता इसी बात से चल जाता है कि कोई छपी-छपाई चाज इन सब चीजों के मार्गदर्शन के लिए नहीं है। यह बहुत संभव है कि एक स्कूल और दूसरे स्कूल के स्टैण्डर्ड में भिन्नता हो लेकिन काम करने की इतनी छूट और इतना मौका है कि जिनमें काम करने, आगे बढ़ने और दूसरे का मार्ग दर्शन करने की योग्यता होती है उन्हें भरपूर अवसर मिलता है।

नर्सरी और इन्फैण्ट स्कूलों का तरह प्राइमरी अप्रैल, '६३ ]

स्कूलों में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। शायद सब से बड़ा परिवर्तन जो प्रथम विश्व-महायुद्ध के बाद हुआ है, यही है कि अब स्कूल डेमाक्रेसी का स्थान बन गया है। निरक्षरता दूर करने, बच्चों की मानसिक ट्रेनिंग, दिमाग में ज्ञान का कुछ स्टाक जमा कर लेना—इन चीजों पर अब तक जोर दिया जाता रहा था, उसने स्थान पर अब व्यक्ति के चतुर्दिश विकास पर जोर दिया जाने लगा है।

इसी प्रकार का परिवर्तन स्कूल का उद्देश्य निश्चित करने में भी हुआ है। कुछ विषयों की पढ़ाई के बदले अब स्कूल का काम है :

१ ऐसा वातावरण प्रदान करना जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही रूपों में विकास के उपयुक्त हो,

२ ऐसे उपयुक्त वातावरण में स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करना और उसका मार्गदर्शन करना,

३ बच्चों को इस योग्य बनाना कि उनमें ऐसी आदतों, हुनर, ज्ञान, रुचि और मानसिक दृष्टान्त का विकास हो जिनका आवश्यकता उन्हें पूर्ण और उपयोगी जीवन बिताने के लिए पड़ेगी। और

४ व्यनहार, प्रयत्न और प्राप्ति का ऐसा मान-दण्ड स्थापित करना जिससे वे अपने चरित्र की जांच स्वयं कर सकें।

आज तो इस बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर है। बच्चे की स्कूल में जो शिक्षा हो उसका सम्बन्ध स्कूल की बाहरी दुनिया के साथ भी हो। इसलिए स्कूल की यह ड्यूटी हो जाती है कि वह अपने बच्चों को बाहरी दुनिया देखने और समझने का एक बनाये। प्राइमरी स्कूल का मुख्य उद्देश्य है—“बच्चे जब तक बच्चे हैं उन्हें स्वस्थ रहने में मदद देना और जहाँ तक संभव हो उन्हें प्रसन्न रखना। वे शरीर से मजबूत और मन से जिंदादिल रह ताकि अनुभव के साथ-साथ जैसे जैसे वे परिणार रूप से सस्था में पहुँचें, जीवन के लिए जो भी ज्ञान आवश्यक है वे अच्छी तरह प्राप्त कर सकें और साथ ही जो भी योग्यता

पैदा करने की उन्हें आवश्यकता पड़े वे उसे पैदा कर सकें।”

## युवकों की शिक्षा

सेकण्डरी शिक्षा सचके लिए

१९४४ के एजुकेशन बिल द्वारा “सेकण्डरी शिक्षा सच के लिए” के आदर्श की पूर्ति होती है, और यह चीज इंग्लैंड की शिक्षा पद्धति के विकास क्रम में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्तर है। यह प्राति उच्च आन्दोलन का परिणाम कही जा सकती है जो प्रथम महायुद्ध के दौरान ही किया गया था और जिसका पूर्वाभास १९१८ के फिचर ऐक्ट में मिलता है। यह फिचर ऐक्ट “इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा की ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था बनायी जाय जिससे वे सभी पायदा उठा सकें जो उठा सकने क योग्य हों”, इस बात की व्यवस्था करता है कि “इस ऐक्ट के अन्तर्गत रखी गयी स्क्रीमों द्वारा एसी उपयुक्त व्यवस्था की जायगी जिससे बच्चे और युवक उस किसी भी शिक्षा से वञ्चित नहीं रहें जायेंगे, जिससे वे फायदा उठा सकते हैं, चाहे वे फीस देने में असमर्थ ही क्यों न हों।” इस ऐक्ट ने वेसे, शिक्षा के पूरे दायरे के पुनर्गठन की व्यवस्था नहीं की।

सबको समान अवसर—

१९१८ का फिचर ऐक्ट बना तो जरूर लेकिन कोई प्रगतिशील कदम उठाने के पहिले ही लड़ाई शुरू हो गयी। फिर भी, दोनों बड़ी लड़ाइयों के बीच जिस सभ्यता ने जन्म लिया था उसे थुलाया भा कैसे जा सकता था ? जिन आदर्शों के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था और लड़ाई के बाद के वर्षों में जिन राष्ट्रीय आवश्यकताओं की योजना हुई थी इन दोनों ने ही पुनर्निर्माण की योजनाओं को एक नयी शक्ल दी। वह मूलभूत सिद्धांत जिस पर सभी योजनाएँ आधारित थीं, या शिक्षा के लिए डिमानेसों के अर्थ की पहिले किसी भी समय से अधिक प्रगति। इसका यह अर्थ हुआ कि सामाजिक या आर्थिक, किसी भी व्यक्ति की योग्यता के अनुरूप शिक्षा के मार्ग की सभी बाधाओं की समाप्ति। राष्ट्र के हित के लिए भी

३१२ ]

शैक्षणिक अग्रसरों की समानता की व्यवस्था ताकि ऐसी प्रतिभाओं को नोज और उनका विकास सम्भव हो सके जो अतः तब की शिक्षा की प्रचलित पद्धति में प्रकाश में आ नहीं सकी थीं। इसके अतिरिक्त, उद्योग धर्मों और व्यापार में लगे लोगों की योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से भी अधिकाधिक शैक्षणिक अग्रसरों की उपलब्धि आवश्यक हो गयी। और अन्त में, जैसे सांस्कृतिक स्तर की प्राप्ति के लिए भी, प्रजातन्त्र में रहने वाले नागरिकों को अधिकाधिक शैक्षणिक अवसर मिलने ही चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा अब जीवन पर्यन्त एक विकासक्रम बन गयी और राष्ट्र का यह उत्तरदायित्व हो गया कि वह इसे सभी के लिए उपलब्ध बनाये ताकि अपनी योग्यता के अनुसार सभी इससे लाभ उठा सकें। शिक्षा के इतिहास में कभी भी इस प्रकार की योजना की न तो कल्पना हुई थी और न कभी कोई एसी चीज चरितार्थ हो चुकी थी। धन के उत्तरोत्तर विकास तथा विज्ञान और तकनीकी धन के परिणाम स्वरूप सेकेण्डरी स्तर पर भी शिक्षा की उपेक्षा हो भी कैसे सकती थी ?

१९४४ का एजुकेशन ऐक्ट—

कन्जरवेटिव, लेबर और लिबरल दलों की सहमति से सरकार ने १९४४ के एजुकेशन ऐक्ट को जन्म दिया। ऐक्ट के सेक्शन आठ में स्थानीय शैक्षणिक अधिकारियों (एल० ई० एज०) की यह ड्यूटी बना दी गयी कि वे प्राइमरी और सेकण्डरी शिक्षा के लिए पर्याप्त स्कूलों की व्यवस्था करें। सेकण्डरी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती थी उसकी परिभाषा इस प्रकार थी “पूरे समय की शिक्षा जो सीनियर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सक। यह शिक्षा पूरे समय की उच्च शिक्षा से अलग ही होगी जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत सीनियर विद्यार्थियों को जैसी शिक्षा के लिए की जा सकती है। सीनियर विद्यार्थी ग्यारह वर्ष की उम्र के ऊपर के लड़के-लड़कियों को कहा जा सकता है, अतः सेकेण्डरी स्कूल के लिए व्यवस्था अनिवार्य है। इस प्रकार की शिक्षा या ट्रेनिंग की जो विभिन्न अवस्थाओं,

[ नयी सालीम

योग्यताओं, रक्षान की दृष्टि से उपयोगी हो। साथ ही यह शिक्षा उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हो जो अपनी व्यावहारिक शिक्षा और ट्रेनिंग दोनों ही दृष्टियों से अलग-अलग समय देकर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं।

१९६४ के एज्युकेशन ऐक्ट के अन्तर्गत सेवेण्डरी शिक्षा—

१९६४ के एज्युकेशन ऐक्ट और उसके रेगुलेशनों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड सेवेण्डरी शिक्षा पब्लिक द्वारा संचालित ग्रामर, टेकनिकल, माडर्न स्कूलों के द्वारा जो डाइरेक्ट ग्रांट स्कूलों के अन्तर्गत आते हैं, दी जाती है, और साथ ही वह ऐसे प्राइवेट या इण्डिपेंडेंट स्कूलों में भी दी जाती है, जिनकी सख्या पर्याप्त है और जिनमें 'पब्लिक स्कूल' भी आ जाते हैं। पब्लिक द्वारा चलाये गये स्कूल "रेट" या स्थानीय टैक्स और सरकार की उस ग्रांट के आधार पर चलते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन के नियमों उप नियमों के अन्तर्गत दी जाती है। हर प्रकार के स्कूल में विद्यार्थी अपनी योग्यता और रक्षान के हिसाब से भेजे जाते हैं। इस योग्यता और रक्षान की जांच एक परीक्षा द्वारा तथा उन सूचनाओं के आधार पर की जाती है जिन्हें स्कूल बच्चों की ११ वर्ष की उम्र होने पर देते हैं।

हर प्रकार के स्कूल के निर्दिष्ट कार्य और उद्देश्य होते हैं जो उसे दूसरे स्कूलों से अलग करते हैं। लेकिन सभी स्कूलों के उद्देश्य ऐसे हैं जो सब पर समान रूप से लागू होते हैं। सबसे अधिक मूल्य और महत्त्व 'चरित्र' को प्रदान किया जाता है। कुछ धार्मिक शिक्षा और सामूहिक उपासना के साथ कार्यात्मक स्कूलों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि चरित्र के आध्यात्मिक पहलू के विकास के लिए इनकी उपादेयता बड़ी ही महत्वपूर्ण समझी जाती है।

लडके-लडकियों के ज्यादातर सेकण्डरी स्कूल अलग अलग ही होते हैं। इस बात से अधिकतर लोग सहमत हैं कि सेकण्डरी स्तर पर लडके-लडकियों के स्कूल अलग अलग ही हों। कई स्कूल ऐसे भी हैं

जिनमें लडके-लडकियाँ दोनों ही पढ़ते हैं लेकिन उनमें से अधिकांश यह व्यवस्था तभी तक रखते हैं जबतक सच्चा इतनी अधिक नहीं हो जाती है कि अलग-अलग व्यवस्था अनिवार्य हो जाय।

ग्रामर स्कूल

इन तीनों प्रकार के स्कूलों—ग्रामर, टेकनिकल और माडर्न के कई उद्देश्य तथा अन्य कई चीजें एक ही प्रकार की होंगी और पहले दो वर्गों में, विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम को छोड़कर सबका पाठ्यक्रम भी समान ही होगा, जो विद्यार्थियों की विभिन्न योग्यताओं के अनुरूप होगा। फिर भी, विद्यार्थियों की विभिन्न अभिरुचि और योग्यता तथा स्कूल में उनके निवास-काल का ध्यान रखते हुए हर स्कूल का अपना पाठ्यक्रम होता है। ग्रामर स्कूल के कोर्स की अवधि (११ से १८) ७ वर्षों की होती है। जहाँ तक व्यवहार का प्रश्न है, अनिवार्य उपरिचय की सीमा तक पहुँचते ही काफी तादाद कम हो जाती है। स्कूल में जो विद्यार्थी बच जाते हैं, उनमें से अधिकतर किसी चीज में विशेष योग्यता प्राप्त करने की तैयारी में लग जाते हैं। वे विद्यापीठ विषय पार्स या छोटे वर्ग में, जो सबसे ऊँचा दर्जा समझा जाता है, एक से लेकर तीन वर्ष तक का समय व्यतीत करते हैं और तब या तो विश्वविद्यालय, या टेकनिकल कालेजों या टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों में चले जाते हैं।

ग्रामर स्कूल के पाठ्यक्रम में रेलिजस इन्स्ट्रक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज एण्ड लिटरेचर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथेमेटिक्स, साइन्स, क्लासिकल और माडर्न लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक, इंटरिअर डिजाइन (लडकियों के लिए) और फिजिकल एज्युकेशन सम्मिलित रहता है। प्रारम्भिक वर्षों में विद्यार्थी क्लासिकल या माडर्न लैंग्वेज का अध्ययन शुरू करते हैं और छोटे वर्ग में पहुँचने तक वे उस स्टेपडर्ड तक स्पेशलाइज कर लेते हैं जहाँ तक अमेरिकन हाई स्कूलों के विद्यार्थी क्लासिकल, लैटिन एण्ड माडर्न लैंग्वेज, साइन्स और मैथेमेटिक्स में नहीं पहुँचते। बड़े स्कूलों में

हिस्ट्री या ज्यामिती में भी स्पेशलाइजेशन करने की सुविधा दी जाती है। दूसरे क्षेत्रों में, जैसे इंजीनियरिंग के विषय, कमर्शियल वर्क, आर्ट एण्ड क्राफ्ट्स या डोमेस्टिक विषयों में स्पेशलाइजेशन सम्भव तो है लेकिन ज्यादातर लोग इनमें करते नहीं।

यहाँ सिक्स्थ फार्म या छठे वर्ग के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना समीचीन होगा। सिक्स्थ फार्म स्कूल के फार्मल कोर्स से भी अधिक महत्त्व रखता है। इसका काम स्कूल के स्कॉलरशिप वर्क का एक निदर्शन समझा जाता है और स्कूल को एक कम्प्यूनिटी समझने और उसकी कारपोरेट लाइफ को दृष्टिगत रखते हुए, जैसे, रागवी वे० आरनलड की परम्परा में, सीनियर विद्यार्थियों पर काफ़ी जिम्मेदारी के काम छोड़े जाते हैं ताकि वे बौद्धिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में नेतृत्व उठा सकें। सिक्स्थ फार्म की सभी कमी अत्यधिक स्पेशलाइजेशन के लिए आलोचना भी की जाती है, फिर भी इरिथ सेकण्डरी एजुकेशन में आर्नलड के समय से ही इस सिक्स्थ फार्म का बड़ा ऊँचा स्थान रहा है। स्पन्स कमेटी रिपोर्ट 'निम्नलिखित शब्दों को अनेक प्रसिद्ध शिक्षाविदों ने अपनी स्वीकृति दी है, 'चरित्र के निमाण और उच्चरहास्य की भावना के विकास की दृष्टि से सिक्स्थ फार्म ग्रामर स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान अंग है और इसकी स्थिति पर ग्रामर स्कूल की परम्परा में जो कुछ सर्वावृष्ट है, निर्भर करता है।' (पृष्ठ १६६)

### डाइरेक्ट ग्रान्ट स्कूल

ज्यादातर विद्यार्थी, यदि वे किसी ग्रामर स्कूल के दल्ल के सेकण्डरी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो पब्लिक द्वारा परिचालित स्कूलों में ही जाते हैं। कुछ सीमा तक ग्रामर स्कूल की शिक्षा 'डाइरेक्ट ग्रान्ट स्कूलों' में बिना ट्यूशन फीस दिये भी मिल जाती है। ये एक तरह के ग्रामर स्कूल ही होते हैं जिनकी अपनी परम्परा होती है और अपनी गवर्निंग समितियाँ होती हैं जिनमें स्थानीय अधिकारियों का भी प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार के कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं

११४ ]

जो फीस भी लेते हैं। कुछ को राज्य की सहायता भी मिलती है लेकिन शर्तें यह रहती हैं कि उनका इन्स्पेक्शन हर मैजेस्ट्रीज इन्स्पेक्टर—एन० एम० आइज़—के जरिये करवाते रहना पड़ता है और साथ ही वे ऐसे विद्यार्थियों को २५ प्रतिशत स्थान निशुल्क देते हैं जो किसी पब्लिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ चुके होते हैं। सेवेण्डरी एजुकेशन शिक्षा पद्धति में डाइरेक्ट ग्रान्ट स्कूलों का रखा जाना आलोचना का भी विषय रहा है और यह कहा जाता है कि वे वर्ग भेद और अलग-अलग को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ऐसे स्कूलों में अच्छे विद्यार्थी फीस देनेवाले होते हैं। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिस्टर आर० ए० बटलर ने, जिन्होंने १९४४ में पार्लियामेंट में एजुकेशन बिल के ऐक्ट बन जाने तक मार्गदर्शन किया था, इस सम्बन्ध में कहा था, 'जिन मूलभूत आधारों पर यह बिल बना हुआ है उनमें से एक यह है कि स्कूलों के कई प्रकार रखे जायेंगे, इन्हीं में से एक प्रकार का स्कूल जो मैं समझता हूँ सर्वथा न्यायसंगत भी है, वह होगा जिसमें माँ बाप या अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के लिए सर्व भार उठाना सम्भव हो सकेगा।'

### स्कालरशिप

अंग्रेजी शिक्षा में स्कालरशिप का तरीका बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पराधारी का स्तर बनाता है और अच्छे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। राज्य और लोकल एजुकेशन एथारिटीज के जरिये जो स्कालरशिप दी जाती है वह उनके अतिरिक्त होती है जो यूनिवर्सिटी टियाँ देती हैं या जो राज्य स्कूल उन विद्यार्थियों को देते हैं जो विदनविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। राज्य द्वारा स्कालरशिप देने का तरीका प्रथम विदन महायुद्ध के अन्त से शुरू किया गया और अब तो इन स्कालरशिपों की संख्या २०० से बढ़ कर २००० तक पहुँच गयी है। इन सब का परिणाम यह हुआ है कि इंग्लैण्ड में अब पैसा शिक्षा के लिए पासपोर्ट नहीं रह गया है। जिसे बुद्धि है वह बुद्धि-विकास के मौकों से जायदा उठा सकता है। समता

[ नयी वाक्यीम

वादी समाज की स्थापना की ओर क्या यह एक महत्वपूर्ण कदम नहीं है ?

१९५३-५४ के अकेडमिक ईयर के लिए दी गयी स्कालरशिपों की संख्या १३,१९५ थी जिस में से ३२९७ राज्य की ओर से थीं और ९९२८ लोक एज्युकेशन अधिरिटीज की ओर से। १९५२-५४ में विश्वविद्यालयों में भता होनेवाले विद्यार्थियों की संख्या १८,०९२ थी जिस में से १,००० ओवर सीज़ स्टूडेंट्स थे जिन्हें स्कालरशिप नहीं दी गयी। लेकिन ७५ प्रतिशत विद्यार्थियों को कोई न कोई मदद दी गयी। स्कालरशिप एक विशिष्ट प्रकार की जाँच के अनुसार दी जाती है। जिन अभिभावकों का इनकम ४५० और २००० पाउण्ड के बीच होता है उन्हें विद्यार्थियों के खर्च का कुछ हिस्सा वहन करना पड़ता है।

### टेक्निकल सेकेण्डरी स्कूल

प्राइमरी स्कूल स्टेज के बाद टेक्निकल शिक्षा जूनियर टेक्निकल स्कूलों में दी जाती रही है। ये स्कूल ऐसे लड़के और लड़कियों को जो एलिमेण्टरी स्कूलों में ११ वर्ष की अवस्था में भर्ती किये गये थे, दो या तीन वर्ष का कोर्स देते हैं। ऐसे स्कूल ज्यादातर ऐसे टेक्निकल कालेजों में चलते हैं जहाँ अन्य विद्यार्थी शाम को कालेज में पढ़ते हैं और दिन में काम करते हैं। इन कालेजों के कोर्स में गणित और निश्चान की पढ़ाई सम्मिलित रहता है जो कि साधारण उद्योग के अनुरूप ही रहता है और साथ ही कुछ सामान्य विषय, जैसे इतिहास, भूगोल आदि भी रहते हैं। ऐसे कालेजों के विद्यार्थी स्थानांतरण उद्योगों से निकट रूप में सम्बन्धित हो कर चलते हैं। साधारणतः इंग्लैंड की शिक्षा प्रणालि ऐसे स्कूलों का अपना ही प्रकार है, इसलिए जिन नियमों-उपनियमों से दूसरे प्रकार के स्कूल परिचालित होते हैं उन से इनके नियम उपनियम भी भिन्न ही हैं।

टेक्निकल स्कूलों की संख्या कमटी के अनुसार टेक्निकल स्कूलों का करिक्युलम 'माटे तौर पर इस स्तर के दूसरे प्रकार के सेकेण्डरी शिक्षा के स्कूलों का ही तरह होना चाहिए। विषय के शीर्षक तो प्रामाण्य अप्रैल, '६३ ]

स्कूल के ही हो सकते हैं लेकिन टेक्निकल स्कूलों का करिक्युलम प्रामाण्य स्कूल के करिक्युलम से जिस चीज से अधिक भिन्न है वह है किसी विषय की पढ़ाई और उसे विद्यार्थियों तक पहुँचाने का ढंग। करिक्युलम में इंजीनियरिंग, ड्राइंग और वर्कशॉप के प्रैक्टिकल फ़ाइट्स सम्मिलित होंगे, लेकिन विज्ञान और उसका प्रयोग 'प्रेरणा के केंद्रबिंदु' के रूप में रहेगा।'

सेकेण्डरी लेवल पर स्कूलों और विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से टेक्निकल स्कूलों की संख्या कम रही है। १९५३ में २९२ टेक्निकल स्कूल थे जिनमें विद्यार्थियों की कुल संख्या ७९, २१४ थी, जब कि १, १८४ प्रामाण्य स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल संख्या ५१२,६१३ थी।

### सेकेण्डरी माडर्न स्कूल

ऐसे सिद्धांत में यह पूर्णरूप से अनोखा नहीं है, फिर भी इसका मुल्य काम अभिभावकों और जनता का विश्वास प्राप्त करना है। शिक्षा मंत्रालय की पैग-लेट 'दो न्यू सेकेण्डरी एज्युकेशन' के पृष्ठ २९ पर जो स्टेटेमेंट है वह इस संघर्ष में उपयुक्त है—'माडर्न स्कूलों का उद्देश्य ऐसी चतुर्भुजा अर्थात् सेकेण्डरी शिक्षा प्रदान करना है जिस पर स्कूल करिक्युलम से परंपरागत विषयों में अधिक जोर नहीं दिया गया है। यह शिक्षा उनके सामान्य आधुनिक दुनिया का विकसित चित्र प्रस्तुत करेगी और उन्हें अधिक से अधिक जीवन की ट्रेनिंग देगी-ऐसी ट्रेनिंग जिसमें अवकाश के सही उपयोग की भी शिक्षा रहेगी। स्वतंत्रता और अनाग्रह इसके मुल्य तत्व हैं और साथ ही उन के लिए उपलब्ध इस शिक्षा में निहित महान अवसर भी।'

इस प्रकार माडर्न स्कूल का मुख्य कार्य है विद्यार्थियों को पर्याप्त विकसित रूप में 'जनरल एज्युकेशन' प्रदान करना, यह जनरल एज्युकेशन उस प्रत्यक्ष वातावरण से निकट रूप से संबद्ध रहेगी जिसमें विद्यार्थी रहते हैं और अपनी शक्ति के अनुरूप अपना विकास खोजते हैं, करिक्युलम कोई 'बोवदानल' नहीं रहेगा, लेकिन जीवन और अवकाश के लिए तैयारी

करने के उद्देश्य ने 'प्रवृत्तियों' का विशाल दायरा (राइटिंग) शिक्षार्थियों के सामने रहेगा। क्रिकेटम में साधारणतः जो विषय सम्मिलित होते हैं वे हैं - रिजिस्टर (धार्मिक ग्रन्थ) इतिहास, इतिहास और भूगोल, या समाज विज्ञान, गणित, विज्ञान, कला, संगीत, प्रात्ययिक प्रवृत्तियाँ और शारीरिक शिक्षा। परिस्थिति की अनुकूलता के अनुसार विदेशी भाषाओं को भी क्रिकेटम में जोड़ा जा सकता है। चूक राहरी हस्तहानों का दाना शिक्षकों पर नहीं रहता, इसलिए शिक्षा और शिक्षा विषयों में अधिकाधिक स्वतंत्रता समभव रहती है।

### स्कूल का जीवन

स्कूल-जीवन का एक पहलू जो सभी स्कूलों में पाया जा सकता है, वह है पाठ्यक्रम के बाहर शिक्षा विषयों के खेल कूद और विभिन्न क्रिया कलाएँ। ऐसी परंपरा पहले पब्लिक स्कूलों में निरूचित हुई और धीरे-धीरे सभी स्कूलों ने उसे अपनाया। धीरे-धीरे यह तथ्य भी ग्रहण किया गया कि स्कूल जीवन में भाग लेने से विद्यार्थियों के चरित्र का अधिक विकास समभव है। इसीलिए 'प्रोफेक्ट सिस्टम' इंग्लिश सेवेण्टरी स्कूलों का एक अभिन्न अंग बन गया है। शारीरिक व्यायाम, खेल-कूद आदि की स्कूलों में धूम रहती है, उसी तरह से जैसे अमेरिकन जीवन और वहाँ के हार्ड स्कूलों में रहती है। लेकिन इंग्लिश स्कूलों में अमेरिकी स्कूलों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा कम रहती है। विद्यार्थियों की रुचि और प्रतिभा की विकसित करने के लिए अन्य सगठन भी होते हैं, जैसे, डिबेटिंग, लिटरेरी और साहित्यिक सोसायटीज़ आदि। नेचुरल हिस्ट्री, फोटीोग्राफी, चैस, डाक टिकट-संग्रह आदि के लिए क्लब भी होते हैं। साथ ही ड्रैमेटिक सोसायटीज़, स्ली क्लब, स्कूल आफेंस्ट्री, लड़कों और लड़कियों का स्काउट आर्गनाइजेशन, स्कूल मैगजीन तथा एसी अन्य चीजों की भी व्यवस्था रहती है।

### शिक्षकों की शिक्षा

मौजूदा प्रणाली : एशिया ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन क्रियम, मिस्टल, कैम्ब्रिज, डुरहम, लीड्स,

लिनरपूड, लण्डन, मैन्चेस्टर, नाटिंगम, आयसबोर्ड, रीडिंग, रोफोल्ड, राउथेम्पटन, वल्स और एक्सटर, इल और लीसेस्टर के विद्वानविद्यालय कालेजों के सहयोग से सत्रह एशिया ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन बनाया गया। इनमें पन्द्रह ने 'ए' टाइप आर्गनाइजेशन चुना और दो (कैम्ब्रिज और रीडिंग) ने 'सी' टाइप। इनमें से अधिकांश सगठन इन्स्ट्रक्शनल जूनियर एजुकेशन कहे जाते हैं और दूसरे स्कुल ऑफ एजुकेशन। जहाँ तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है, 'ए' टाइप सगठन की यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमेटी से सहायता मिलती है और 'सी' टाइप की सीधे शिक्षा मन्त्रालय से।

प्रत्येक इन्स्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन या एशिया ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन का शासन एक काउन्सिल के हाथ में रहता है। इस काउन्सिल में संबंधित विश्व विद्यालय, ट्रेनिंग कालेजों, लोकल एजुकेशन अथॉरिटीज़ तथा नौकरी में लगे शिक्षकों के प्रतिनिधि रहते हैं। प्रत्येक काउन्सिल में मिनिस्ट्री का प्रतिनिधित्व एक एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर और एक इन्स्पेक्टर करता है जो कि दोनों ही वोट देने के अधिकारी नहीं होते। काउन्सिल के 'एकडेमिक बोर्ड' में मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व दो इन्स्पेक्टर करते हैं। 'सा' टाइप के सगठन में ए० टी० ओ० मन्त्रालय से सीधे सम्बंधित रहते हैं। 'ए' टाइप के सगठन अपने से सम्बंधित विश्वविद्यालय के शासन के अन्तर्गत ही काम करते हैं।

१९५३ में मन्त्रालय के वार्षिक विवरण में एशिया ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन का कार्य इस प्रकार दिया गया है 'सदस्य-कालेजों में पाठ्यक्रम का निरीक्षण करना और मन्त्री के पास योग्यता—प्राप्त शिक्षकों की मर्ता के लिए उन विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सिफारिश करना जिन्होंने अपना प्रशिक्षण सतोष जनक ढंग से पूरा कर लिया हो। इनका सम्बन्ध अपनी एशिया में प्रशिक्षण की सुविधाओं के विकास से भी है जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों और नौकरी में लगे हुए शिक्षकों के उपयोग के लिए दीक्षक केंद्रों की तथा स्कूलों में

योग्यता-सम्पन्न शिक्षकों के आगे अध्ययन की व्यवस्था करना भी सम्मिलित है।”

नेशनल एडवाइजरी बोर्ड

शिक्षा-मन्त्री ने शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी उपलब्धि के लिए १९५६ में एक नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल बनायी। इसके सदस्यों में एरिया ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन, लोकल एज्युकेशन अथारिटीज, और नेशनल असोसिएशन ऑफ टीचर्स सभी के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका काम है—“योग्य शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी स्थिति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति को दृष्टिगत रखना और साथ ही स्कूलों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के उपयोग के लिए शिक्षकों की भर्ती और उनके विभाजन के सम्बन्ध में सलाह देते रहना।” यह काउन्सिल शिक्षा नीति के सामान्य प्रश्नों का निराकरण करता है और इसमें दो स्टैण्डिंग कमेटीयों हाताई हैं एक ट्रेनिंग से सम्बन्धित और दूसरी भर्ती और सप्लाई से।

शिक्षकों की तैयारी के लिए संस्थाएँ

ऊपर बताए गये ‘ए’ और ‘सी’ दोनों तरह के एरिया ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन में विद्यार्थ्यालय और ट्रेनिंग कालेजों के शिक्षा विभाग सम्मिलित रहते हैं। दो वर्षों के ट्रेनिंग कोर्सवाले कालेज विशेषतः इन्फेण्ट और प्राइमरी स्कूलों के लिए शिक्षक तैयार करते हैं। ऐसे कालेज उन प्रेज्युएटों के लिए एक वर्ष का ट्रेनिंग कोर्स भी देते हैं जो सेक्रेण्डरी स्कूलों में पढ़ाने के इच्छुक होते हैं और वे अपना दो वर्ष का कोर्स उन शिक्षार्थियों के लिए एक वर्ष और बढ़ा सकते हैं जो विशेष योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं। विशेष योग्यता का शिक्षा देनेवाले ट्रेनिंग कालेज साधारणतः तीन वर्ष का कोर्स रखते हैं।

विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग को आर्थिक सहायता यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमेटी द्वारा विश्वविद्यालयों को दी गयी सहायता से मिलती है। ट्रेनिंग कालेज चलाने वाले लोकल एज्युकेशन अथारिटीज को कालेज चलाने के सभी उपयुक्त खर्च का सौ फी सदी दिया जाता है।

अप्रैल, १९६१]

ट्रेनिंग कालेजों में शिक्षार्थियों को प्रवेश जनरल सर्टिफिकेट आथ एज्युकेशन के आधार पर मिलता है। यह सर्टिफिकेट सेक्रेण्डरी स्कूलों में शिक्षार्थियों की परीक्षा के लिए १९५१ में शुरू किया गया था।

ट्रेनिंग कालेजों का कोर्स

ये कोर्स दो वर्ष के रखे जाते हैं जिसमें ‘एकडेमिक’ और ‘प्राफेशनल’ दोनों प्रकार का अध्ययन तथा ‘प्रेक्टिस टाचिंग’ सम्मिलित रहती है। फाइन के कार्य में क्या-क्या है इसका निर्णय के लिए प्रत्येक कालेज का स्वतन्त्रता रहता है, लेकिन यह नोट इंटिस्ट्यूट का बोर्ड आथ स्टडीज से जिसका स्वयं कालेज भी एक सदस्य होता है, स्वीकृत होना चाहिए। प्रोफेशनल स्टडीज में शिक्षण सिद्धांत और व्यवहार, स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षा का इतिहास, आथ शिक्षा मनोविज्ञान सामाहित है। कृषि विषय विशेष के सन्दर्भ में विशेष दृष्टि भी सिखाया जाता है। प्रैक्टिस टाचिंग में व्यवस्था अलग अलग प्रकार की है। विद्यार्थियों का अध्ययन और मनोविज्ञान से सम्बन्धित कोर्स के लिए “आवृत्त-वैयक्तिक विजिट्स” की व्यवस्था रहती है। कुछ कालेजों में साथ तो प्रैक्टिस के लिए स्कूल जुड़े होते हैं, लेकिन लोग इस कार्य के लिए स्थानाथ स्कूलों को ही पसंद करते हैं।

सेक्रेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों का तैयारी

सेक्रेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों की शिक्षा तो वैसे किसी विश्वविद्यालय में ही होती है, लेकिन प्रेज्युएट होने पर व किसी विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग या ट्रेनिंग कालेज में एक साल का कोर्स पूरा करते हैं। १९५१ तक तो चार साल का ग्राण्ट पाये हुए होने वाले शिक्षकों को एक प्रतिशत भ्रमना पड़ता था जिसके अनुसार वे नैतिक रूप से शिक्षा को अपना कैरियर बनाने के लिए बाध्य होते थे। १९५१ में यह नियम तोड़ दिया गया, क्योंकि युवकों से इसका पहले कि वे अपने लिए अन्य समाधानों पर विचार कर सकें, ऐसा कोई प्रतिशत-भ्रमना अनैतिक समझा जाने लगा।

[ ३१०

## सर्टिफिकेट प्रदान करने की प्रणाली

एक निर्धारित कोर्स पूरा करनेवाले प्रशिक्षार्थियों को एक लिखित परीक्षा तथा कोर्स पूरा करने के समय में उनके कार्य के अनुसार सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यह दूसरा तरीका द्वितीय महायुद्ध के पहले इस्तेमाल किया जाता था, महायुद्ध के दौरान तो यह अनिवार्यतः इस्तेमाल किया जाने लगा। आज तो दोनों तरीके प्रचलित हैं।

## वेतन और पेन्शन

वेतन वगैरह एक कमेटी तय करती है जिसे सामान्यतः बर्नहम कमेटी कहते हैं। यह कमेटी लार्ड बर्नहम की अध्यक्षता में १९१६ में गठित हुई थी। इस कमेटी में टीचर्स आर्गनाइजेशन, लोकल एज्युकेशन अथारिटी और मन्त्रालय के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। यह कमेटी शिक्षकों का जो भी वेतन-क्रम निश्चित कर देती है वही नौकरी देनेवाले अधिकारियों को देना पड़ता है।

## [ पृष्ठ ३०२ का शेषांश ]

'५४ की गमी से '५६ के अंत तक का पूरा समय सत्या में बीता। खूब भ्रम हुआ। शिक्षण और सह-जीवन के नये-नये प्रयोग हुए। ऐसा लगता था जैसे हम लोगों ने उमर पैयाम की तरह अपने मन की दुनिया बसा ली है।

( ६ )

उन दिनों भ्रम भारती में कार्यकर्ता प्रशिक्षण का काम जोरों से होता था। कई जगह से नये जीवनदानों सामो भी आते थे। कई कारणों से भ्रमभारती कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान मानी जाती थी। सुबह चार घण्टे पुरुषों और स्त्रियों का उत्पादक भ्रम, बौद्धिक चर्चा, पद प्रतिष्ठा, लिंग और यैतन की समता, भ्रम के माध्यम से ग्राम सम्पर्क, निरक्षित 'पुल्लिंग' व्यवस्था, आदि—सब मिलाकर एखा बातव्यवस्था थी जो जीवन को नयी दृष्टि और गति दे सकता था। विनोबाजी उन दिनों लगभग दार्दिक वर्ण विहार में रह चुके थे। उनके प्रवास के कारण

## शिक्षकों का शिक्षा-काल में प्रशिक्षण

एरिया आर्गनाइजेशन ने सेवा-कार्य में लगे शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। साथ ही ऊंचा योग्यताओं की प्राप्ति के लिए भी शिक्षकों को सुविधा है। इस आर्गनाइजेशन ने जो एक और सुविधा की व्यवस्था कर दी है वह है सशोधन कार्य, जिसका द्वितीय महायुद्ध के बाद काफी विकास हुआ है। इसमें अतिरिक्त मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर नि.शुल्क शार्ट रिफ्रेशर कार्य का व्यवस्था है। शिक्षकों की सामाजिक स्थिति में जो विकास हुआ है उसका अधिकांश श्रेय शिक्षक-संगठनों (नेशनल यूनियन आव टीचर्स) आदि-पर है जिसके सदस्य प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाते हैं। नेशनल यूनियन आव टीचर्स के साथ सेकेंडरी एज्युकेशन का प्रतिनिधित्व करनेवाले अन्य संगठन—दी डेड मास्टर्स कम्प्रेस, दी असिस्टेंट मास्टर्स असोसियेशन, दी असिस्टेंट मिस्ट्रेसेज एसोसिएशन भी सहयोग करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करते समय शिक्षा मन्त्रालय को एन० यू० टी० के सहयोग की सदा अपेक्षा रहती है। ●

जनता में जो जाग्रति आयी थी उसे शक्ति में परिणत करने की कला विकसित करने की कोशिश उन दिनों खादीग्राम में होती थी।

मैंने उस समय तक प्रत्यक्ष रूप से न जमीन मांगी थी, न बाटी थी, और न प्रचार का ही कोई काम किया था। मैंने भूदान यह जो विचार के रूप में समझा था, आंदोलन के रूप में नहीं देखा था। 'जीवनदान' कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे कार्यकर्ता-स्तर पर आन्दोलन को देगने का बहुत अच्छा अवसर मिला। बहुत कम 'कर्ता' ऐसे थे जिन्हें अपने कार्य व सही स्वरूप का पता था। जिसे 'जाति' कहते हैं उसका दर्शन भुधला या स्वप्न—इने-गिने लोगों को ही था। अपने कार्य में क्या प्राति-सत्त्व है—इसका ज्ञान का सर्वथा अभाव उस समय कार्यकर्ता के जीवन का मुझे सबसे दुःखद पहलू लगा। जमीन का निर्धारित कोटा पूरा कर लेने व सिवाय कोई दूसरी चीज उन्हें मायः माय ही नहीं थी। (क्रमशः)

[ नये ताळीम ]



## शिक्षण और वातावरण

मानव के अन्दर दो गुण हैं—एक, वह स्वयं परिस्थिति व अनुरूप बन सकता है और दो, वह परिस्थिति का अपने अनुकूल बना ले सकता है। शिक्षा का अस्तित्व इन्हीं दो बातों पर समन हुआ है। परिस्थिति या वातावरण व अनुकूल बनना मनुष्य का ही नहीं, सामान्यतः सृष्टिमात्र का स्वभाव है क्योंकि जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है। गिरगिट का रंग बदलना, मौसम क बदलते ही पक्षियों का स्थान बदलना आदि कई ऐसा घटनाएँ हैं जो प्राकृतिक रूप से ही सृष्टि में होती रहती हैं, ये सारी प्रक्रियाएँ अपने को प्रकृति के अनुकूल बना लेने की ही प्रक्रियाएँ हैं। मानव समाज में भी हम देखते हैं जो आत्मा से अघा होता है उसकी दूसरा इन्द्रिया तेज होती हैं और वह आप के बिना भी सकार में बने रहने लायक सुविधाएँ प्राप्त कर ले सकता है। मनुष्य सहित सारे प्राणियों के लिए परिस्थिति का यह अनुसरण जहाँ स्वाभाविक है वहाँ मनुष्य इतना निवृत्त भी नहीं है कि परिस्थिति के अनुरूप हमेशा वह बदलता ही जाय। कुछ सीमा के बाद वह परिस्थिति का मुकाबिला कर जाता है। उसमें ऐसी बुद्धि और शक्ति भी है कि परिस्थिति को ही अपने अनुकूल बना ले सके।

वातावरण क्या है ?

परिस्थिति या वातावरण किसे कहते हैं ? सामान्यतया वे सभी चीजें वातावरण में मानी जाती हैं जो हमारे चारों ओर हैं और जिनका प्रभाव हम पर पड़ता

शाला की शिक्षा म जो भी विशेष है या जो भी प्रमुख है, वह वातावरण ही है और शिक्षक का काम इससे अधिक कुछ नहीं है कि बच्चों का अमुक वातावरण उपलब्ध करा दे और विद्यार्थियों को भी इतना ही काम है कि वे अमुक वातावरण में पलें, बढ़ें।

### ति० न० आश्रेय

है। जैसे—नदी, पहाड़, समुद्र, जंगल, हवामान आदि जो भौतिक चीजें हैं, जो प्राणी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, और मनुष्य की दृष्टि से उसका समाज, उसका गाँव, उसका शहर, उसके पड़ोसी, उसके साथी, घर, सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था आदि सभी चीजें वातावरण में शामिल हैं। यह एक सत्य है कि हम पर वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ता है बहुत हद तक हम वही हैं जो हमारा वातावरण है।

यह वातावरण दो तरह का है—एक आंतरिक है, दूसरा बाह्य। अक्सर हम इन दोनों में विरोध भी देखते हैं। पुराने समय में आंतरिक वातावरण को, जिसे पूर्व-संस्कार कहा जाता है अधिक महत्व दिया जाता था। उन लोगों की दृष्टि में पूर्वजन्म का संस्कार ही इस जन्म का स्वभाव और स्वरूप निर्धारित करने वाला था। पर इन दिनों वह विचार शिथिल हो गया है और यह माना जाने लगा है कि पूर्व संस्कार से अधिक प्रभावशाली और परिणामकारी संस्कार इसी जन्म का है, इस जन्म में ऐसा वातावरण और ऐसी

परिस्थिति निर्माण की जा सकती है कि चाहे जैसा रूप और भाव मनुष्य के चरित्र को दे सकें।

### वातावरण पर मनुष्य का अधिकार

वातावरण के दो प्रकार और किये जा सकते हैं— एक वह जो हमारे काबू में आ सकता है और दूसरा वह जो हमारे काबू से परे है। काबू से परे वे चीजें हैं जो प्राकृतिक नियमों और सृष्टि से संबंधित हैं; जैसे, काल, आकाश, हवामान, ऋतु परिवर्तन, भौगोलिक स्थिति आदि। लेकिन इन के संपर्क में सही और गहरी जानकारी प्राप्त करने पर मनुष्य उनका प्रभाव कम ज्यादा जरूर कर ले सकता है, उनसे होने वाले खतरों से बच सकता है भले ही उन्हें पूरा पूरा बदल भी न सके। प्राणिजगत और नररूपित जगत के गुणधर्मों के सही ज्ञान से मनुष्य एगमन्वित हो ही सकता है। आगे चर्चा कर मनुष्य अपने नित्य जीवन के भी कई नियम बना ले सकता है जिनसे वह अधिक सुखी और शांत जीवन बिता सकता है। इस प्रकार आज हम देख रहे हैं कि जिस वातावरण को पहले मनुष्य के काबू के बाहर माना जाता था उस पर भी बहुत हद तक मनुष्य आज काबू पा सका है और वह क्षेत्र निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। सारांश यह कि मानव-समाज इस माने में भी परिवर्तनशील है कि मनुष्य अपने प्रयत्न से उसे चाहे जो रूप दे सकता है। शिक्षा के लिए यही महत्वपूर्ण आधार है।

### आपसी सम्बन्धों में संशोधन

मनुष्य सामाजिक प्राणी है इसका अर्थ यह है कि जहाँ वह अकेले उन्नति के शिलर तारू पहुँच सकता है वहाँ दूसरों के साथ मिल-जुट कर रहने को भी बाध्य है। उसकी पूर्णता इसीमें है कि वह दूसरों के साथ प्रेम, सहकार, स्वार्थ और कभी कभी लड़ाई शमदे आदि नाना प्रकार के सम्बन्धों से जुड़ा रहे। आज यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि इन्हीं हित सम्बन्धों से मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है। हमारे अन्दर वे ही मूल्य, वे ही विचार, वे ही ध्येय और वे ही व्यवहार रूढ़ होते हैं जो हमारे उन संबंधों में निकलित होते हैं। पुराना इतिहास, मानव जीवन संबंधी (व्यक्तिगत तथा सामाजिक) कान और

लोक शिक्षण के नये नये विभिन्न साधन—ये सब इस बात के साक्ष्य हैं कि मनुष्य में यह शक्ति है जिससे वह उन संबंधों का उचित संशोधन और सही सज्जो बन कर सकता है।

### शान्ति वातावरण

हम देख सकते हैं कि अमुक विचार, अमुक मूल्य और अमुक प्रकार के आचार-चरहार का ठोस विकास करने की दिशा में उपयुक्त और प्रभावशाली वातावरण उपलब्ध करने में पाठशालाएँ बहुत हद तक सफल रही हैं। इस में कोई संदेह नहीं कि शाला का अर्थ ही 'कृत्रिम वातावरण' है जो कि अमुक प्रकार की कला, विशेष मूल्य और अपेक्षित व्यवहार सिखाने के लिए बनाया जाता है। वह कृत्रिम इस माने में भी है कि जुले समाज न व्यक्ति और परिवार पर जो हानिकारक प्रभाव चारों ओर से पड़ सकता है उन सब से शाला की सुनियोजित रूप से बचाया जा सकता है अथवा कम-से-कम उन का प्रभाव वहाँ उस हद तक घटाया जा सकता है ताकि विशेष हानि न हो पाये। दूसरा यह कि पाठशाला का अपना मकान होता है, उसके अपने नियम होते हैं, उसका अपना प्रभाव होता है, पाठ्यक्रम और पढ़ाई आदि बातें भी हैं। ये सब शाला का बाहरी समाज से अलग करने वाले साधन हैं।

### वातावरण की विशेषता

यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि शाला की शिक्षा में जो भी विशेष है या जो भी प्रमुख तत्व है वह वातावरण ही है और शिक्षक का काम इससे अधिक कुछ नहीं है कि बच्चों की अमुक वातावरण में पढ़ें, बढें। वातावरण इसलिए इतना प्रभावशाली होता है कि किसी बात के लिए आदेश नहीं देता है, संस्कार देता है। स्थूल पढ़ाई या आदेश की तरह संस्कार बोशिल नहीं होता है, बल्कि उनसे अधिक ठोस होता है। इसी लिए बच्चे जो बात आदेश से मानने को तैयार नहीं होते वही बात संस्कार के रूप में बड़ी आसानी से, सहजभाव से ग्रहण कर लेते हैं।

[ नयी वालीम ]

संस्कार में विरोध करने की भावना को मौका ही नहीं मिलता जो आदेश सुनते ही जगती है।

### शिक्षण-संस्था का उगम

शिक्षण-संस्था मानव समाज का पुरातन संस्थाओं में से एक है। मामूली साँचे-सादे परिवार में जहाँ पढ़ाने, पहनने और थोड़ी सी आद भर का ही प्रयत्न है, आवश्यक कामों की शिक्षा बच्चों को देने का काम घर ही में हो जाता है। लड़कों को खेती-बाड़ी करना बाप सिखा देता है और घर गिरस्ती की बातें लड़कियों को माँ सिखा देती है, लेकिन सभ्यता का विकास होते-होते जीवन में ऐसी कई नयी बातों का समावेश हो गया, जैसे लिखना, पढ़ना, हिासब करना, फायदे-कायान, इर्जानियरां, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि, जिन सब को घर में ही, माँ बाप ही सिखा सकें ऐसी स्थिति नहीं रही। ये सब बातें सिखाने के लिए कुछ दूसरी ही व्यवस्था करनी पड़ी, दूसरे ही लोगों को नियुक्त करना पड़ा और उन लोगों की जीविका का भार माता-पिताओं का उठाना पड़ा और इस प्रकार शाला का प्रारंभ हुआ।

### सामाज में शाला का स्थान

कुछ ही समय में यह महसूस किया गया कि शालाएँ विद्या सिखाने के अतिरिक्त और भी बहुत सारे काम कर सकती हैं। सामाजिक परम्पराओं, मूल्यों और आदर्शों को बनाये रखने में भी शालाओं का योग महत्वपूर्ण हो सकता है। ऋषि मुनियों के तपोवनों और बाद में गुरुकुलों में यही सब होता रहा। फिर जब गुरुकुल-जैसा संस्थाएँ नहीं रहें, धार्मिक और सांप्रदायिक संगठन भी क्षिणिल हो गये तब भी समाज ने देखा कि पाठशालाओं के द्वारा परंपराओं का सिलसिला बनाये रखने का काम सहजता-पूर्वक हो सकता है। आज भी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाये जानेवाली शालाओं में तो यह काम होता ही है, बल्कि सामान्यतया दूसरे स्कुलों में भी बहुत हद तक यही होता है।

इस प्रकार शिक्षण संस्था एक तो बहुत पुरातन है और दूसरा सभ्य-समाज का प्रमुख अंग बन गया

है, इसलिए समान्यतया ऐसा माना जाता है कि विद्या और सामाजिक मूल्यों के प्रसार की दृष्टि से समाज का बहुत प्रमुख, बल्कि एकमात्र साधन शाला ही है। लेकिन यह सही नहीं है। विद्या ही सिखाने के तो उस उस विद्या में पारंगत व्यक्ति अलग-अलग या एक होकर विद्या सिखा सकते हैं और मूल्यों का प्रसार ही करना है तो भी वह काम शालाओं की अपेक्षा घरों और जातीय समाजों द्वारा अधिक अच्छे ढंग से हो सकता है। तो वास्तव में शाला का महत्व इन दो से भिन्न कुछ और ही कारण से है और वह वह कि बच्चों पर हम जिस प्रकार का संस्कार डालना चाहते हैं, जिन पारिवारिक और सामाजिक बुराइयों से उन्हें बचाना चाहते हैं वह संस्कार डालना और उन बुराइयों से बचाना पाठशालाओं से बढ़ कर शायद ही किसी दूसरी संस्था से हो सक।

### वातावरण की विसंगति

आज तक शिक्षा-क्षेत्र में प्रायः हमारा यही बड़ा भूल रहा है कि हम से बच्चों के चरित्र-निर्माण में सामाजिक वातावरण की इस हमान शक्ति से बेखबर रहे। वातावरण की शैक्षणिक क्षमता को हमने चरितार्थ होने नहीं दिया और शालाओं से अपना अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होता देख कर निराश हुए। इस सामाजिक वातावरण के अतगत कुछ बातें ऐसी हैं जिनपर हम अधिक नियंत्रण रख सकते हैं—जैसे शिक्षा-पद्धति, स्वास्थ्य नियम सेवाकार्य आदि; और कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर नियंत्रण कुछ कम ही रख पाते हैं, जैसे, साहित्य प्रसार, फिल्म, व्यापारिक विज्ञापन, रेडियो, शहर का तड़क-भड़क, तापा परिवार, मित्र और निकट व लोगों का संपर्क आदि इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर, व्यक्तित्व पर तथा हमारे विचार, हमारी रूचि, हमारी भावना और हमारे व्यवहारों पर बहुत पड़ता है। उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों का प्रभाव रचनात्मक होता है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि इन सब का संस्कार निरुद्ध हुआ करता है, एक का संस्कार दूसरे के संस्कार को काटता है। यह विरोध केवल इसलिए नहीं है कि दोनों के

परिणामों में अंतर है, बल्कि इसलिए भी कि उन कम नियंत्रणकारी चीजों पर जितना कुछ नियंत्रण किया जा सकता हो उतना करने की हम कोशिश नहीं करते, बल्कि उसकी उपाय ही करते हैं। विषय एक उदाहरण लें :-मानव संबंधों में एक आर तो हम प्रामाणिकता, उदारता, भ्रमनिष्ठा, सहकार आदि बातों का महत्वपूर्ण कहते हैं। बच्चे प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक की प्रामाणिकता अरुण समाज में सुदुपन सिद्ध होती है, साधुता मजारू का विषय बनती है, सचि बुटाने म भ्रमनिष्ठा के मुकामिले सदा, बुआ या लाटरी जैसे सरल साधन बेरोक काम म लिये जाने हैं, तब बच्चे इन संस्कारों से कैसे बच पायेंगे और उन से ईमानदार और मुशील तथा भ्रमनिष्ठ बनने की आशा कैसे की जाय ?

### विसंगति का परिणाम

यह सघर्ष शाला और समाज के बीच का संघर्ष है। लेकिन सघर्ष क्यों पैदा हुआ ? दोनों की दिखाएँ विरुद्ध क्यों हैं ?

इसलिए कि शालाएँ अपने को समाज से अलग रख कर काम करती आयी हैं। समाज और शाला को एक मान कर, शाला को समाज का ही एक अंग समझ कर शाला का काम चलाया गया होता ता यह संघर्ष न पैदा हुआ होता। उल्टा होता यह कि शाला के अन्दर बच्चों में जिन गुणों का विकास करने का कोशिश होती उन गुणों का विकास आसपास के समाज म करने की चिंता का जाता। शाला और समाज को एक न मानने का कारण मा यही है कि समूचे वातावरण को शिक्षा का साधन नहीं समझा गया। लेकिन अब जब यह मालूम हो गया है कि शिक्षा म वातावरण बहुत प्रामुख्य है तो फिर शिक्षकों का यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि कम से-कम अपने स्कूल के अन्दर की शिक्षा को सफल होने देने के लिए ही क्यों न हो, बाहरी समाज के लोगों को बतायें कि वे स्कूल के विरुद्ध व्यवहार न किया करें, जो बात बच्चों को स्कूल में बतानी आती हैं उनसे सल्टी बात बच्चों के संस्कार में न आने दें। इसका अर्थ यह है

कि शाला को समाज के अत्यन्त निकट संघर्ष म आना होगा। तभी लोगों को स्कूल की बातों का महत्व समझा, स्कूल का वातावरण बनाये रखने म लोगों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करना और स्कूल के काम में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाना सम्भव हो सकेगा। इसलिए शाग न खेन बरुन शाग-भयन ही नहीं, सारा समाज ही बने, शाग का कर्त्तव्य बच्चों की आयु के योगे से क्यों तक ही सीमित न होकर मनुष्य के समूचे जीवन तक निभे, तथा शिक्षक बरुन विषय विशेष के शिक्षक न होकर जीवन-रूप के शिक्षक बनें यह अनिवार्य है।

### वातावरण की अनन्यता

बच्चों के लिए सामाजिक वातावरण कोई एक ही चीज हो सो नहीं है। उसमें कई बातें आती हैं। जैसे घर, परिवार, पड़ोसी, शाला, गाँव या शहर, प्रदेश, राष्ट्र, राष्ट्रों का समूह आदि। किसी का कम तो किसी का ज्यादा, पर घर का प्रभाव बच्चों के जीवन पर अत्यन्त पड़ता है। बच्चा इन से बच कर नहीं जी सकता।

### वातावरण का पहला दायरा-घर

शिक्षण विचार में आज घर और परिवार की बुनियादी महत्व प्राप्त हो गया है। यह बात सत्य सिद्ध हो गया है कि घर के लोगों में यदि तनाव और असंतोष रहा ता उस घर में पलने वाले बच्चों में निश्चित ही विशिष्ट भावनाएँ और अपराधी मनीष्टि विकसित होगी। समाज विज्ञान के विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और साधारण मनुष्य तक सभी इस बात से सहमत हैं कि घर के वातावरण का प्रभाव बच्चे के जीवन पर इतना गहरा होता है जो अन्त तक बना रहता है।

इस लिए बच्चों में जो भी गुण हम देखना चाहें पहले उन्हें अपने अन्दर विकसित करने का प्रयत्न पर व सभी सदस्यों को करना चाहिए। सब से उड़ी और पहली बात यह कि मनुष्य को मनुष्य के आदर देना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि न्याय, प्रामाणिकता, दया दूसरों के सुख दुःख की चिंता,

सहकारवृत्ति जिम्मेदारी की भावना, स्वानुशासन, नैतिक और शारिरिक शक्ति, धर्मनिष्ठा, उन्नत ध्येय, शोध और प्रयोग-वृत्ति आदि बाकी सभी गुण जो जीवन क आवश्यक गुण हैं, उसी एक मानवता का प्रतिष्ठा में से निकलते हैं। दुहराने का आवश्यकता नहीं कि ये सारे गुण जादेच देने से या सिखाने से आने वाले नहीं हैं, सरकार रूप में हा आने वाले हैं जो सामान्यतया समाज के सहज वातावरण से और विशेषतया घर के वातावरण से प्राप्त होता है।

## आदर्श परिवार

इस दृष्टि से जो आदर्श परिवार होगा उसमें माता या पिता का घर के दूसरे सदस्यों पर शासन नहीं चक्रेगा, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में व अपने लवे अनुभव के कारण सब के मार्गदर्शक जरूर रहेंगे, लेकिन दूसरों का प्रतिभा और सुझ में बाधा नहीं पैदा करेंगे। अपने बच्चों को उनकी उम्र के लिहाज से और घर में उन का जो स्थान होगा उस दृष्टि से हा नहीं, बल्कि उन-उन की भावना और नैसर्गिक विषमताओं के रवाल से भा उन्हें योग्य स्थान मान और आदर देंगे, घर के सामूहिक हित के लिए प्रत्येक को सोचने का और उसकी सिद्धि में हाथ बटाने का मौका देंगे, वे न बल घरवालों और मित्रों से बल्कि नौजरो से, दूकानदारों से, अर्थात् घर के काम आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ केवल मनुष्य के नाते समान आदर के साथ कैसे पेश आया जाता है, उनका कैसे रवाल किया जाता है और सब मिल कर परिवार का हित कैसे साधते हैं इस बात का पदार्थगत अपने दैनिक व्यवहारों से देंगे। विचार, बातचात और व्यवहार तानों में प्रामाणिकता का संस्कार व अपने बच्चों को देंगे। आदर्श परिवार में खैल-बूद, काम काज, लिखाई-पढ़ाई आदि सभी मामलों में सहयोग का, दूसरे का रवाल रखने की वृत्ति का, योजना-पूर्वक काम हाथ में लेने और उसे पूरा करने का मौका प्रत्येक बच्चे को हर समय मिलगा। बड़ों व व्यवहार से ही बच्चे अपनी बचि को परिकृत कर लेंगे, पुणित विषयों के प्रति उन का ध्यान अप्रेल, '६३]

जायगा ही नहीं। इस प्रकार बच्चे का चरित्र निर्माण करने का पूरा पूरा भार घर और परिवार पर है जो उसे अपने सहज वातावरण के संस्कार द्वारा देना है। परिस्थिति का विश्लेषण

सभन है एसा आदर्श-परिवार संसार में एक भा न हो, फिर भी यह आदर्श है जिस की ओर प्रत्येक परिवार जा सकता है, कई बातों में उस ओर फाकी आगे बढे हुए परिवार आज भा हम देख सकते हैं। लेकिन खेद का बात तो यह है कि सामान्यत प्रत्यक्ष व्यवहार में आज भी यह बात विल्कुल भुला दी गयी है कि बच्चों के शिक्षण में घर का स्थान बहुत प्रमुल है। घर में बच्चों की कितानी पढ़ाई जरूर होता होगी, लेकिन घर भा शिक्षण का एक माध्यम है यह बात गेगों क ध्यान स उतर गया है। इस क कई कारण हो सकत हैं। शाश्व शिक्षा का व्यापक प्रचार होने लगा है, प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दा ज रहा है। स्कूलों में साधन सामग्रा इतना अच्छा और इतनी ज्यादा मिल जाता है जो सर्व-साधारण घरों का पहुँच के बाहर का चाज है, स्कूल शिक्षा स प्राप्त होने वाली विद्या ही सही विद्या मानी जाती है आदि। सब से बढ कर एक कारण यह भी है कि घर आज खाने, पीने और सोने की जगह से अधिक कुछ रहा नहीं। वहीं किसी घर म लोग सहयोग पूर्वक रहें, साथ साथ काम करके आनन्द के साथ जिये तो कुछ तो विशेष सा लगने लगता है, वह घर का सामान्यस्थिति जैसा दीरता हा नहीं। सामान्य धारणा ही उन गया है कि कन्ह, द्रप और ईंध्या हा घर का लक्षण है। स्वातंत्रय व नाम पर बड़रों में घर की मा-बहनें घर से बाहर नौकरी करने जानें लगीं—यह भी घर का उजाड़ने में कम कारण नहीं है।

## घर और स्कूल का सन्ध—

लेकिन सन्धता क इस वहाव का ओर तटस्थता से देखने की जरूरत है। यद्यपि स्कूलों का स्थान भा कोई कम नहीं है, फिर भा अच्छा स अच्छा स्कूल भी सामान्य घर का काम नहीं कर सकता है और

उत्तम से उत्तम शिक्षक भी माता पिता का स्थान नहीं ले सकता। अकेला घर बच्चों की आवश्यकता का सारा ज्ञान देने में आज अममर्थ है इसलिए स्कूल भी रहें, पर घर का स्थान घर का है, स्कूल का स्थान स्कूल का। अतः शांति और घर दोनों को समझ बूझ कर सहकार करके चलना चाहिए और इस में घर अब तक अपनी जो जिम्मेदारी छोड़ बैठा था वह फिर से उसे उठानी होगी।

### प्रौढ-शिक्षण

इसका अर्थ है घरवालों और माता पिताओं को शिक्षा देना। उन्हें सिखाया होगा कि माता पिता बनने की जिम्मेदारी क्या होती है और बच्चों के जीवन में परिवार जीवन का कितना प्रमुख स्थान है। स्कूलों में गृह-विज्ञान का नाम से एक घण्टा पढ़ा देने मात्र से वास्तविक गृह विज्ञान सिखाया नहीं जा सकता, वह तो परिवारों से प्रत्यक्ष संपर्क रखने से, समझ बूझ कर प्रतिनित्य प्रयत्न करने रहने से ही संभव है।

### वातावरण का दूसरा दायरा-समाज

वाल शिक्षण में जहां घर के वातावरण का इतना महत्वपूर्ण स्थान है वहां उससे भी बढ़ कर महत्व का स्थान उस समाज के वातावरण का है जिसमें बच्चा और बच्चे का घर रहता है, क्योंकि समाज का प्रभाव बच्चों पर ही नहीं होता है, बच्चे व माता पिता पर भी होता है, और घर का वातावरण उस समाज के वातावरण से ही बना होता है। जाने अन जाने घर पर समाज का चारित्र्य इतना हाव्य रहता है कि घरवाले उस प्रभाव से अलग हो कर स्वतंत्र वातावरण बनाने का बात आसानी से साच भा नहीं सकते।

### समाज या बहु-मुखत्व

वास्तव में बच्चों का शिक्षक कौन है? सीधा सा उत्तर है समाज का प्रत्येक व्यक्ति बच्चे का शिक्षक है। बच्चे जिन जिन लोगों से, चाहे वे बड़े थूड़े हों, जवान हों, चाहे बच्चे ही हों, मिलते हैं उन सब से सीखते ही हैं। बच्चों के असंख्य शिक्षक हैं—

३२४ ]

घर के सदस्य, गैर के साथी, गुरु चलनेवाले, दूकानदार कारीगर और बड़ी उम्र में साथी, एक साथ काम करनेवाले, एक साथ पढ़नेवाले तथा इन सभी पर अपना प्रभाव डालने का यह समाज, उसका उद्योग, उससे गातापात के साधन, उसका बाजार, उसके विज्ञापन, उससे अन्वयार, उसकी विरुद्ध, साराश यह कि समाज का प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक व्यक्ति बच्चों का शिक्षक है। इस के होने २४ घण्टों में कुछ गिने-गुने घण्टों के लिए चहारदीवारी के अंदर बच्चों को रग कर उनके कान में कुछ टुस देने से ही या जबानी कुछ रटा देने से ही बच्चे उस बाहरी जगत् के प्रभाव से बच जायेंगे ऐसा समझना बड़ी भूल है।

### वातावरण का संस्कार ही स्वभाव है

आज के संसार में समाज की व्यवस्था काफी व्यवस्थित है, समाज विज्ञान काफी परिचित हो गया है फिर भी समाज की किस बात का प्रभाव हम पर कब कैसे पड़ता है इसका हमें पूरा ज्ञान नहीं हा पाया है। कई बातों को हम अपना स्वभाव कह देते हैं, लेकिन वह स्वभाव आखिर क्या है! वातावरण के निरंतर प्रभाव और तज्जन्व संस्कार के सिवाय वह और कुछ नहीं है। किसी का पहाड़ पिय है, किसी की नदी प्यारी लगती है, किसी को हरिद्वारी से लहहराता हुआ गाय भाता है तो किसी को अट्टा लिकाओं से सजा नगर अच्छा लगता है, यह सब किसी न किसी रूप में उस वातावरण का ही संस्कार है जिस की छाया में वह पगता है।

संस्कार देने का शक्ति केवल भौतिक वातावरण में ही नहीं है, हमारे विचारों धर्मों, मान्यताओं, निष्ठाओं और हमारी कार्य-पद्धतियों में भी है। यह सब समाज में परंपरा प्रवाह से प्राप्त होते हैं, इन से बचकर कोई नहीं जा सकता, इस अनिवार्य परिस्थिति से शिक्षक इनकार नहीं कर सकता।

### संस्कारों का सघर्ष

इस देश के संस्कारों में अति पुरातन काल से कई संस्कार रचगत हो कर चले आये हैं। भूतदया,

[ नयी दाखीम ]

अहिंसा, सत्यनिष्ठा, दान, त्याग, विचार-स्वातन्त्र्य, समन्वय आदि गुण यहाँ की सस्कृति की विशेषता है, लेकिन इन को खतम करनेवाले कुछ विरोधी तत्व भी यहाँ घुस आये हैं। सभ्य समाज के अनिवार्य अंग के रूप में उनका प्रसार किया जाता है। हार खात प्रधान खेल-कूद से स्पर्धा-भावना को उत्तेजित किया जाता है, जीवन बीमा आंदोलन से समग्र वृत्ति को प्रश्रय दिया जाता है, अत्यन्त भीड़ भरे और दूर दूर तक फैले हुए शहरों के विकास से पड़ोसी से अपरिचित रहने को शान मानने के लिए विवश किया जाता है। व्यापार प्रधान समाज बना कर विज्ञापना और बाहरी प्रलोभनों का शिकार बननाया जाता है और हर तरह से व्यक्ति को विवेकशून्य बनाया जाया है।

अतः नियंत्रण ।

इस प्रकार सामाजिक वातावरण यहाँ तक दूषित हुआ है कि शिक्षण से हम लोकतंत्र के लिए अनुकूल जो वातावरण निर्माण करना चाहते हैं, व्यक्ति को प्रसुद्ध बनाने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति तैयार करना चाहते हैं। आज वह वातावरण उसके विपरीत ही बन गया है। अतः यहाँ नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। लोकतंत्रीय राष्ट्र में भी इस प्रकार का नियंत्रण अनिवार्य है। इन बुराइयों से बचने का प्रयत्न व्यक्ति और परिवार अलग-अलग भले ही कर ले सके पर नियंत्रण लाने का काम सरकार का ही है। सरकार का काम इतना ही नहीं है कि शिक्षा-पद्धति तय कर दे, शिक्षक दे दे और दूसरे साधन जुटा दे,

बल्कि यह देखना भी सरकार का काम है कि शिक्षा उस समाज पर ठीक प्रकार से परिणाम कर सके और उसमें कोई बाधा न आने पाये।

पहला और आखिरी साधन-विवेक

साथ ही शाला के शिक्षकों और समाज के सेवकों का भी कर्तव्य है कि वे अपनी रुढ़ी शक्ति लगा कर बच्चों और बड़ों को सिखायें कि वे प्रत्येक मामले में विवेक से काम लें। विवेक बहुत बड़ा साधन है। बुद्धि जितनी विकसित होगी उतना ही विवेक विकसित होगा, अपरिपक बुद्धि के कारण विवेक भी सदीप हो सकता है, कभी कभी ऐसे सदीप विवेक से लिया जाने वाला निर्णय गलत भी हो सकता है, लेकिन निर्णय जो लिया वह गलत है या सही, इसकी अपेक्षा निर्णय लेने में विवेक से काम लिया या नहीं यह महत्व की बात है। विवेक से काम लेने का कला और क्षमता लोगों में पैदा करना ही एकमात्र प्रमुख काम है और वातावरण के दुष्प्रभावों से बचने का सही उपाय है। सरकार कानून द्वारा जितना भी प्रयत्न करे, समाज से दुष्प्रवृत्तियों को, स्वार्थ को तथा अन्याय को सर्वथा मिटा नहीं सकती। यह मानकर ही चलना चाहिए कि समाज का वातावरण सौ पीसदो पवित्र और शुद्ध कभी होगा नहीं, अतः विवेक से काम लेने के सिवा शुद्ध जीवन जीने का दूसरा उपाय नहीं दीतता है। विवेक पूर्ण शुद्ध जीवन का अपना वातावरण बन सकता है जो बुरे वातावरण का प्रभाव घटा सके और शिक्षा का असली हेतु सिद्ध कर सके।

शिक्षक विद्यार्थी-परायण, विद्यार्थी शिक्षक-परायण, दोनों ज्ञान-परायण और ज्ञान सेवा-परायण—हमारी पाठशाला की यही योजना होगी। हम नये समाज के निर्माण का शिक्षण दें। प्रचलित शिक्षण देने के लिए अनेक अनेक पाठशालाएँ समर्थ हैं।

—विनोदा

## मानव धर्मसार

ईशावास्यमिदं सर्वं यद्विक्रंच जगत्या जगत् ।  
तेन त्वक्वत्तेन भुजोथाः सा गृधः कश्यपिद्रुतम् ॥

अर्थ :—इस जगत् में जो भी कुछ जीवन है, वह सब ईश्वर का बसाया हुआ है ।

इसलिए ईश्वर के नाम से त्याग करके यथा प्राप्त भोग किया कर । पितृ के धन की वासना न रख ।

भावार्थ :—हमारे देश में मानव धर्म को समझने के लिए पुराने जमाने के जो अनेकानेक ग्रन्थ मिलने हैं, उनमें चार वेदों के बाद अठारह मुत्प उपनिषदों और अठारह मुत्प पुराणों व अलावा रामायण तथा महाभारत-जैसे ग्रन्थ प्रमुख हैं । यहाँ जिस मन्त्र की चर्चा हम कर रहे हैं वह उपनिषदों में भी 'ईशावास्य' नाम का जो सबसे छोटा उपनिषद् है, जिसमें केवल १८ मन्त्र दिये गये हैं, उसके पहले मन्त्र की कर रहे हैं । सन् १९१३-१४ के जमाने में जब गांधीजी ने हरिजननों की समस्या को लेकर सारे देश की यात्रा की थी, तब दक्षिण भारत के विद्वानों के साथ हुई चर्चा में उन्होंने ईशावास्योपनिषद् के इस पहले मन्त्र की चर्चा की बहुत ध्यान से सुना था । इस मन्त्र का विचार उन्हें इतना जँच गया कि उन्होंने इसे अपनी नित्य प्रार्थना में पहला स्थान दिया और अपने 'हरिजन' पत्रों में इसकी चर्चा करते हुए लिखा कि दुनिया के और देश के सारे धर्मग्रन्थ लुप्त हो जायें और केवल यह एक मन्त्र लोगों के ध्यान में रह जाय तथा इसके मर्म को समझ कर दुनिया के लोग

सारा जीवन, सारा विचार, सारा शासन, और सारा व्यापार, यही नहीं, सारा शिक्षण भी आज स्वार्थ-केन्द्रित होकर चलता-सा दिख रहा है । '..... ऐसी विकट स्थिति में 'ईशावास्य' का यह एक विचार ही हमें रास्ता बदलने और नयी मंजिल की दिशा में आगे बढ़ने की सही प्रेरणा दे रहा है ।

### श्री काशिनाराय शिवेदी

चलने लगे तो न दुनिया को और न दुनियादारी को ही कभी कोई धोखा हो । गांधीजी ने जिस मन्त्र के महत्व को इतनी गहराई से जाना-माना था और जिसे अपने नित्य के चिंतन में स्थान दिया था, उसकी थोड़ी चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं ।

इस मन्त्र का पहला विचार यह कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी जीवन है और जितना भी जीवन है उस सबमें भगवान विराजमान है । भगवान ने ही उसे बनाया है और बसाया है । सारी बराबर सृष्टि का वही स्वामी है, वही कर्ता, भर्ता और हर्ता है । उसके वैभवा को कोई सीमा नहीं । उसकी महिमा का पार नहीं । उसकी शक्ति अनन्त है । उससे बढ़ कर कोई बला नहीं । उसका दान प्रवाह अनादि काल से अणुबल चला आया है । वह चोंचों को चून, हाथी को रोट और मनुष्य को उसकी लिए जरूरी अन्न जल भादि देता है । उसने सब के लिए समुचित व्यवस्था करके रखी है । इस परम समर्थ और एकमेवाद्वितीय परमात्मा की कृपा से हमें अपने जीवन धारण के लिए अन्न, जल आदि के रूप में जो भी कुछ मिलता है वह सब उसी का आशीर्वाद है । वह हमारा नहीं, उसकी का है और हमारे पास तो वह उसके प्रसाद के रूप में आता है । हम अपने को उसका स्वामी नहीं मान सकते । इसलिए उसके इस प्रसाद को भी हम अपना न माँगे । वह भी उसी का है, और इस



पर भी हमारा अधिकार तो उतने के लिए ही है जितने की हमें अपने रोज-रोज के जीवन के लिए जरूरत है। मतलब यह कि उसके प्रसाद का उपयोग भी हमें त्याग बुद्धि से, संयम और विवेक पूर्वक ही करना चाहिए। इसी में हमारा और हमारे समय के समूचे सवार का हित और कल्याण समाया हुआ है।

जो हमें नहीं मिला है, पर हमारे पड़ोसी को, साथी को, मित्र को, सगे सम्बन्धियों को अथवा हमारे किसी विरोधी को, दुश्मन को या हमारे देश-प्रदेश से मित्र किसी और देश-प्रदेश को मिला है, वह उसी का है, हमारा नहीं। इसलिए उसके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार की लालसा, वासना, वृष्णा या लोभ नहीं रहना चाहिए। इसी विचार से इस मन्त्र के अन्त में कहा है कि किसी के धन की ओर हम गिद्ध की-सी लोभ-वृत्ति से न देखें। मतलब यह कि उसे छीनने, छपटने, नोचने, हड़पने या पचा जाने का कोई दुष्ट और अमंगल विचार हम पर कभी सवार न हो। यहाँ 'धन' शब्द अपने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। धन से मतलब केवल रुपया-पैसा अथवा सोना-चाँदी नहीं। आशय यह है कि जो हमारे पास नहीं है, पर दूसरे के पास है, उसके लिए भी हमारे मन में कोई वृष्णा और लोभ न हो। स्वास्थ्य, सौंदर्य, विद्या, बुद्धि-शक्ति, भावना, भक्ति, कुशलता, धमता, सेवापरायणता, परोपकारिता, शील, संयम, सदाचार, निष्ठा, त्याग, तप, दान शीलता, आदि-आदि जो गुण हैं, वे भी मनुष्य के लिए धन-रूप हैं, वैभवं-रूप हैं। इस मानवीय गुणवाले 'धन' के प्रति भी हमारे मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं रहना चाहिए। जहाँ लोभ आता है, वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, कलह, युद्ध, हिंसा आदि उसके सारे सगे-सम्बन्धी आते ही हैं। इसीलिए इस मन्त्र में किसी के भी धन-वैभवं को लालचाई निगाह से न देखने की बात अत्यन्त दृढ़ता के साथ कही गयी है। इस मन्त्र में 'धन' शब्द के द्वारा जो संकेत किया गया है, उसमें मानव-समाज की सब प्रकार की भौतिक सम्पत्ति के साथ ही आत्मिक अथवा आध्यात्मिक सम्पत्ति का भी समावेश होता है। इस विचार को इतनी गहराई तक

समझाने के बाद कौन भला आदमी होगा, जो अपने नित्य के व्यवहार में किसी भी प्रकार की दृष्ट-खसोट की थोड़ी भी जगह देगा ? और जब मन में से तथा जीवन में से दृष्ट-खसोट का सारा विचार ही सदा के लिए निकल जायगा, तो फिर मनुष्यों के बीच कलह के निमित्त ही क्यों खड़े होंगे ?

इस सारी चर्चा में बहुत गहराई से और सगई से समझने की बात तो यह है कि इस दुनिया में जो कुछ है, वह हमारा नहीं, भगवान का है। हम खुद भी, हमारा यह साधे तीन हाथ का शरीर भी, हमारा नहीं, भगवान का है। जब तक वह इसे हमारे पास रहने देता है, तब तक उसकी प्रसादी के रूप में यह हमारा हो कर रह लेता है, पर जिस पड़ी उसका दुःख दूरता है और वह अपनी चीज को वापस लेना चाहता है, हमें उसी पड़ी निरुपाय भाग में उसकी चीज उसे देनी पड़ती है। हम नहीं कह सकते कि इसे हम ने २५, ५०, ७५, या १०० बरस तक जतन से बरता है, इसलिए अब यह हमारा ही है और भगवान को भी हक नहीं कि वह इसे हम से छीन ले ! विचार बहुत गहरा और ऊँचा है। अगर सारी दुनिया के सब लोग इस विचार को इसकी इस ऊँचाई और गहराई के साथ पकड़कर चले, जायें और व्यवहार करें तो क्या दुनिया मानवता के लिए रम्य से अधिक सुखद और श्रेयस्कर नहीं बन जायगी ? हम सोचें, हमसे जोर तय करें !

आज अपने इस भारत देश में हम अपनी आजादी लेकर जी रहे हैं। लगभग १०० साल तक हम इस आजादी के लिए लड़े। जो चीज हम से छिन गयी थी, उसे हम ने लम्बी जद्दोजहद के बाद, बड़ी-बड़ी कुरबानियाँ देकर, तप, त्याग और बलिदान की भावना से भर कर, भारी मुर्खियों को श्रेयते हुए पाया। जब तक हमें अपनी आजादी नहीं मिली थी, हम उसकी रट लगाये रहे उसके लिए मरने, मिटने रहे। पर जब एक बार वह हमें मिल गयी और ऐसी रीति से मिली, जो सारी दुनिया के लिए उदाहरण बन गयी, तो हम फिर गणतन्त्र में पड़ गये। अपने सारे धर्म, नीति, कर्तव्य, विचार, तत्व, प्रतिज्ञा,

धोषणा, सकल्प, सब को भूल कर, अपनी मरती में सुरी तरह द्रव्य सवे। परिणाम यह हुआ कि आज आजादी के हम सोचेंगे साठ में भी इस देश के करोड़ों करोड़ लोग बेहिजाब गरीबी, गदगी, गुन्गामी, बेकारी, भुरभरी, नासमझा, नाभयही और नाउम्मीदी का जीवन बिता रहे हैं। सारे देश में आर्थिक और सामाजिक विषमता इतने वेग से बढ़ रही है कि उसमें मनुष्य का विचार तरु करने की पुरसत नहीं रह गयी है। सारा जीवन, सारा विचार, सारा शासन, और सारा ध्यापार, यही नहीं, सारा शिक्षण भी आज स्वार्थ-केंद्रित होकर चलता-सा दौर रहा है। किसी को इसका मान तरु नहीं रह गया है कि हम सब तो जन्मित हैं और ईश्वर की इस सृष्टि में

ईश्वर के ही काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। हम पर कुछ ऐसा आसुरी भाव सा छा गया है कि अपनी देवी सम्पद का क्षण भर को भी विचार करने की अनुमति आज हमारे मन-मस्तिष्क में रह नहीं गयी है। यह एक भयकर और भारी निस्पोटक स्थिति है। किसी भी क्षण इस के बढ़े गभीर, भयावने और सत्य नाशकारी परिणाम निकल सकते हैं। देश की और दुनिया की ऐसी निकट स्थिति में 'ईशावास्य' का यह एक निवार ही हमें रास्ता बढहने और नयी मजिठ की दिशा में बढ़ने की सही प्रेरणा दे रहा है।

क्या हम इसे अपनाकर अपनी और अपने समय के सकार की रक्षा करेंगे ?

## स्वाधीनता के सूत्र

सिलान क दारे के समय बहुत से लोग मुक्त से पूछने, "हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए ?" में स्वभावतः स्वतन्त्रता के आर्थिक पहलु में रस लेता हूँ, क्योंकि स्वतन्त्रता और अर्थ-शास्त्र अग्निभाज्य हैं। मैंने उनसे कहा, "स्वतन्त्रता पाने के पहले स्वतन्त्र टिकाने की आप में शक्ति हानी चाहिए। बताइये कि आप क्या पैदा करते हैं, किम चीज का आयात करते हैं और किम पर गुजारा करते हैं ?" उन्होंने बताया, "हम चावल पर अपना गुजारा करते हैं। सारा चावल बर्मा और स्याम से आता है। हमारे कपड के लिए कनाडा की मिसो का सूत आता है। हम यहाँ रबर चाय व चाफ़ी पैदा करते हैं और उसका निर्यात कर देते हैं।" तब मैंने कहा, "स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए पहली बात जो आप कर सकते हैं, वह यह है कि आप हाजम को रबर साने का आदी बनाएं। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो आप स्वतन्त्र हो नहीं सकते। दूसरी चीज आपकी यह बननी चाहिए कि चाय की पत्तियों से कपडा बनाने का कोई तरीका आप ढूँढ निकाल, करना आपकी कपडे मिल नहीं सकते। क्योंकि कोलंबो बंदरगाह में एक जग़ी जहाज आपका आपकी नगे और भूरे रहने के लिए मजबूर कर सकता है। प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में आपको आत्म निर्भर होना ही चाहिए।"

—जो का पुमारणा

# वच्चों की कहानियाँ

श्री जुगतराम दवे

[ श्री जुगतराम माई बुनियादी शिक्षा-जगत के लिए अपरचित नहीं हैं। आपने गुजरात में बालशिक्षण का अच्छा संगठन खड़ा किया है। उन्होंने गुजराती भाषा 'बालवाडी' में (पूर्व बुनियादी बालशिक्षण नाम से) एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद शीघ्र ही प्रकाशित होगा। इस पुस्तक का एक अंश हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं।—सं० ]

बालको को जिस प्रकार दुई मिर्द रहनेवाले मनुष्यो के जीवन का निरीक्षण उपलब्ध है, उन्ही प्रकार उन्हें उसके आसपास रहनेवाले पशु-पक्षियों के जीवन भी देखने की मिलते हैं। पशु-पक्षी उन्हें मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगते हैं क्योंकि एक तरह से देखा जाय तो ये प्राणी बाल स्वभाव के ही होते हैं। बिड़िया, कौआ, मोर, तोता आदि के पक्षो का शृङ्गार, उनका उड़ना, पेड़ पर बैठना और नीचे उतर कर दाना चुगना, नाचना, कूदना और सारा दिन कुछ न कुछ बोलते ही रहना क्या छोटे बालकों—जैसा व्यावहार नहीं है? पक्षी रोज दाना चुगन आठ है और साप अपने बच्चों को लाते हैं और बिड़िया तो अपने घर में आकर घोंसला भी बनाती है।

दूसरी तरफ से बिल्ली, कुत्ता, गिलहरी चूहा ये सभी बालकों का बड़े दोस्त हैं। वे आहिस्ता आहिस्ता तो चकते ही नहीं, बालकों के समान ही दौड़ते रहते हैं। जब बिल्ली और कुत्ता के बच्चे पैदा होते हैं तब तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। उनके साथ खेलना, उनको खिलाना, यह बालकों के लिए बड़ा दिलपसन्द काम हो जाता है। इन सब को मनुष्यो—जैसी बाणी नहीं है फिर भी बालक उनको उनके मन के भाव से समझ लेते हैं। कुत्ता पूछ हिलाते हुए और बिल्ली

छलाप मारते हुए आये तो बालक समझ जाते हैं कि वे खुशी में आये हैं।

उसो प्रकार गायें और उनका बछड़े, हिनहिनाते घोड़े, डकरते बेल और बिल्लाते गधे बालकों के परिचित हैं। घोड़ा और बेल तो गाड़ी में जाते भी जाते हैं और उसमें बच्चों को बैठने की मिलता है। घोड़े पर सवारी भी की जा सकती है। जिनका बिल्कुल डर नहीं लगना ऐसी बकरिया भी बालकों को भाती हैं।

बालकों के इन सब प्यारे मित्रा के जीवन पर भाँति-भाँति की बाल-कथाएँ रची जा सकती हैं। बालकों के इन पशु पक्षियों के जीवन की सारी, सरल वणनात्मक कहानियाँ, जो उनके अनुभव—जैसी हीनी है, बालवाडी के शुरुआत में बालकों को बहान ही पसंद आती हैं। कहानियों में ये प्राणी मनुष्यो की तरह बोलेंगे और बात करेंगे। बालवाडी के बालकों में से कोई-कोई इस कथा के पात्र के रूप में काम करेंगे तब इस कथा का आनन्द और बढ़ जायेगा।

## १--मोहन की चिरैया

मोहन के घर में चिरैया घोंसला बनाने वाली है उसकी कहानी वही जा सकती है—

एक था घर। घर में मोहन झूले पर बैठकर झूल झूल रहा था। इतने में एक चिरैया बहन फर फर करती बहा आयी।

मोहन बोला—चिरैया बहन, चिरैया बहन, कैसे आना हुआ ?

चिरैया बोली—मोहन, मुझे तुम्हारे घर में घासला बनाना है।

मोहन—हां, चिरैया बहन, खुशी से मेरे घर में घासला बनाओ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी सफेद टोकरी लटका देता हूँ। फिर मोहन ने ऊपा चढ़कर छप्पर के बांस में एक रस्सी बांधी और उसके एक सिरे पर एक छोटा सी टोकरी बांध दी। उसमें थोड़ी-थोड़ी नरम-नरम रूई भी बिछा दी।

चिरैया बहन को यह छोटी टोकरी बहुत पसन्द आयी। बोली—मोहन तू कैसा होशियार लडका है। दम बार मरा घासला बहुत सुन्दर होगा।

फिर वह चिरैया बहन चिराटे को बुला लायी और घासला बनाने लगी।

उड़कर बाहर जायें और कुछ-न-कुछ ले आयें। घास के तिनके लायें, पल लायें, लव डो के टुकड़े लायें और धागे के रेशे भी ले आयें।

पूरा दिन दोनों मेहनत करते रहे, जायें आयें, जायें आयें और बीच में पकड़कर कुछ न कुछ ले आयें।

मोहन बोला—चिरैया भाई, चिरैया भाई, तुम तो बहुत मेहनत करते हो, तुम थकते नहीं ?

चिरैया—मोहन, मोहन, मेहनत बिध बिना कहीं घर बनता है ? अभी तो घासला बाधा रह गया है। अब बचा काम हम बत करेंगे।

चिरैया और चिरैया दूसरे दिन भी घासला बनाने का काम करते ही रहे।

चिरैया भाई घास के तिनके लाये और चिरैया बहन ने पाव के अगुलियों से घासला तैयार करे। फिर चिरैया भाई कुछ पत्ते लाये और चिरैया बहन पाव के अगुलियों से उसे बहा रत दे। घासला तैयार हुआ तो चिरैया ने उसमें दो अडे दिये।

अप्रैल, '६३ ]

मोहन को अंडा देगने की बहुत इच्छा थी। पर मो ने कहा, वेटा, अंडा देखने के लिए ऊपर नहीं चढ़ना। हमारे घोसले के पास जाने से चिरैया को डर लगता है।

फिर तो कुछ दिनों के बाद अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकले। वे धीमे धीमे धी धी धी धी बोल्ने लगे। पहले उनको आँसे बन्द थी। उन्हें उड़ना भी नहीं आता था।

चिरैया और चिरैया कुछ-कुछ लाकर उनसे मुह में डालते है। मोहन जब खाता है तब चिरैया उसके पास जाती है, मोहन उसे भात का एक दाना देता है, चिरैया खुद उसे नहीं खाता है। वह घासले में जाकर बच्चे को खिलाता है।

अब बच्चा की आँसे खुले है। उनको उड़ना भी आता है। चिरैया चिरैया उनको लेकर मोहन के पास आते है। मोहन उनके सामने मुरमुरा और लावा फेंकता है, बच्चे दौड़-दौड़कर उन्हें खाते है।

कौआ कहाँ जाता है ?

अब हम एक कौए की कहानी लेंगे। वह भी बालका का परिचित ही है। पर बालक के घर वह पड़ी दो पड़ी के लिए ही आता है। कुछ खाने को मिले तो खाकर और थोड़ा काँव काँव कर उठ जाता है। फिर पूरा दिन वह कहाँ फिरता होगा, उसका घोसला कहाँ होगा इसकी बालक को कुछ भी खबर नहीं। कौए के जीवन का यह अज्ञात पहलू बालक के सामने खोलेंगे तो बालक को कुछहल वृत्ति जागृत होगी और वह दिलचस्पी से कहानी सुनेगा—

एक था कौआ।

नानू के घर छप्पर पर रोज सबेरे आकर वह काँव-काँव काँव काँव का गीत गाता था।

नानू बोला—कौआ भाई, कौआ भाई, तुम कहीं से आये हा ?

कौआ बोला—मैं ता घागरा नदी से आया हूँ।

नानू बोला—ओ हो, घागरा नदी तो बहुत दूर है, इतने दूर से तुम आये हो ?

कौआ बोला—वह बहुत दूर कहाँ है ? यहा य तिनके दो गाँव ही घो होगा।

नानू घोला—दो गाँव कुछ थोड़ा अंतर हुआ ? इतना चलने के लिए तो हमें बहुत समय लगेगा।

कौआ घोला—मैं तुम्हारे जैसा पैदल नहीं आता। मैं तो उड़कर आता हूँ। इसलिए मैं तो थोड़े ही समय में आ गया।

नानू घोला—कौआ भाई, तुम घागरा नदी किसलिए गये थे ?

कौआ घोला—घागरा नदी पर मैं नहाने गया था। दूसरे सब कौएँ भा घागरा नदी में नहाने आये थे। हम रोज सुबह नहाने जाते हैं। पंख फड़फड़ा कर खूब नहाते हैं और खूब आनन्द लेते हैं।

~ प्रातः स्नान बिना हमें अच्छा नहीं लगता।

नानू—फिर तो मैं तुमको कागऋषि कहूँगा। कागऋषि, कागऋषि, यहाँ से आप कहा जायेंगे ?

कौआ—स्नान करके मैं सबसे पहले तेरे घर आता हूँ। तेरी मा बहुत अच्छी है। वह मुझे रोज रोटी का टुकड़ा देती है। तेरे घर से मैं मुन्नी के घर जाऊँगा। उसके घर में सब बरतनों में बहुत-सा जूठा छोड़ा रहता है, वह सब वे लोग बगीचे में फेंक देते हैं। इसलिए मेरा काम बन जाता है। फिर मैं मनोहर हलवाई के दूकान में जाऊँगा। उसकी दूकान में सेब, चबेना, पेड़ा और दूसरी-दूसरी मिठाई बिकती है। किसी बक्क मनोहर रोठ का लड़का मुझे सेब, चबेना डाल देता है। और कभी-कभी तो मैं बालियो में झपट कर पेड़ा ही उठा ले जाता हूँ।

नानू—कौआ भाई, तुम रोज हमारे घर आते हो ?

कौआ—हाँ, अपना घर मैंने तय कर लिया है। दूसरे कौआ ने भी अपने-अपने घर तय किये हैं। यहाँ तब कि हन तय किये हुए घरों में ही जाते हैं। फिर कोई घरवाला यदि हमको मारे या फट दे तो उसका घर छोड़कर हमें दूसरा घर तय करना पड़ता है।

नानू—कौआ भाई, फिर तुम कहा जाओगे ?

कौआ—गाँव में से फिर मैं जग्गू भाई ठाकुर के खेत में जाऊँगा। उनके खेत में अभी मूँगफली उखाड़ी गयी है, पर भूमि पर बहुत फली रह गयी है। ये लोग देख नहीं सकते पर हम उड़ते उड़ते ऊँचाई से देख लेते हैं, इसलिए हमको तुरन्त वह मिल जाती है।

नानू—कौआ भाई, जग्गू भाई ठाकुर के खेत से फिर तुम कहा जाओगे ?

कौआ—उसके बाद मैं रमाकान्त त्रिपाठी के बगीचे में जाता हूँ। वहाँ अमरूद और अनार खूब पके हैं। फिर वहाँ एक पपीता भी पका है। उसकी किसी को खबर नहीं है, पर मैंने देख रखा है।

नानू—कौआ भाई, बगीचे से फिर तुम कहाँ जाओगे ?

कौआ—बगीचे से मैं चमारो की धस्ती में जाऊँगा। एक भैंस भर गयी है। उसका चमड़ा उन लोगों ने निकाला है। वहाँ मुझे माम के टुकड़े मिलेंगे।

नानू—कौआ भाई, वहाँ से तुम कहाँ जाओगे ?

कौआ—इतने में तो धाम हो जायेगी। इसलिए मैं अपने गाँव जाऊँगा और अपने घोसले में जाकर सो जाऊँगा।

नानू—कौआ भाई, कौआ भाई, आपका गाँव कहाँ है ?

कौआ—जंगल में एक तालाब है, तालाब के किनारे बबूल की झाड़ी है। वहाँ कोई जाता नहीं, जाता नहीं—उस झाड़ी में सब कौआ ने अपना मकान बनाया है, वही हमारा गाँव है। अच्छा तो अब राम-राम। अब मुझे देर हो रही है। अथवा हो जायेगा तो मुझे दीखेगा नहीं।

नानू—कौआ भाई, कल सबेरे मैंरे घर जरूर आना... जरूर आना।



एक था घर । घर में मोहन झूले पर बैठकर झूल झूल रहा था । इतने में एक चिरैया बहुत फर-फर करती वहां आयी ।

मोहन बोला—चिरैया बहन, चिरैया बहन, कंठे आना हुआ ?

चिरैया बोली—मोहन, मुझे तुम्हारे घर में घोंसला बनाना है ।

मोहन—हा, चिरैया बहन, तुमी से मेरे घर में घोंसला बनाओ । लो, मैं तुम्हारे लिए छोटी-सी टोकरी टोकरी लटका देता हूँ । फिर मोहन ने ऊंचा चढ़कर छप्पर के बाँध में एक रस्सी बाँधी और उसके एक सिरे पर एक छोटी-सी टोकरी बाँध दी । उसमें थोड़ी-थोड़ी नरम-नरम रुई भी बिछा दी ।

चिरैया बहन को यह छोटी टोकरी बहुत पसन्द आयी । बोली—मोहन तू कैसा होसिमार लटका है । हग बार मेरा घोंसला बहुत सुन्दर होगा ।

फिर वह चिरैया बहन चिरौटे को झूला लायी और घोंसला बनाने लगी ।

उड़कर बाहर जायें और कुछ-न-कुछ ले आयें । घास के तिनके लायें, पंख लायें, लकड़ों के टुकड़े लायें और धाने के रेशे भी ले आयें ।

पूरा दिन दोनों मेहनत करतीं रहे, जायें आयें, जायें आयें और बीच में पकड़कर कुछ-न-कुछ ले वायें ।

मोहन बोला—चिरौटा भाई, चिरौटा भाई, तुम तो बहुत मेहनत करते हो, तुम थकते नहीं ?

चिरौटा—मोहन, मोहन, मेहनत किये बिना कही घर बनता है ? अभी तो धोसला आधा रह गया है । अब बचा काम हम कर लेंगे ।

चिरैया और चिरौटा दूसरे दिन भी धोसला बनाने का काम करते ही रहे ।

चिरौटा भाई घास के तिनके लाये और चिरैया बहन ने पाँव के अंगुलियों से धोसला तैयार करे । फिर चिरौटा भाई कुछ पत्ते लाये और चिरैया बहन पाँव के अंगुलियों से उसे बहा रक्ष दे । धोसला तैयार हुआ तो चिरैया ने उसमें दो अंडे दिये ।

अप्रैल, '६३ ]

मोहन को यंदा देगने की बहुत इच्छा थी । पर माँ ने कहा, बेटा, यंदा देगने के लिए ऊपर नदी बहना । हमारे घोंसले के पाँव जाने में चिरैया को डर लगता है ।

फिर तो कुछ दिनों के बाद अंडों में से दो छोटे-छोटे बच्चे निकले । वे धीमे-धीमे घों घों की बोलीं टपे ।

पहले उनकी आँखें बन्द थीं । उन्हें उड़ना भी नहीं आता था ।

चिरौटा और चिरैया कुछ-कुछ लाकर उनके मुँह में डालते हैं । मोहन जब राता है तब चिरैया उसके पाँव जाती है, मोहन उसे भात का एक दाना देता है, चिरैया घुड़ उसे नहीं पाता है । वह घोंसले में जाकर बच्चे की खिलाता है ।

अब बच्चों को आँखें खुली है । उनकी उड़ना भी आता है । चिरैया चिरौटा उनकी लेकर मोहन के पास आते हैं । मोहन उनके सामने मुरमुरा और लावा फेंकता है, बच्चे दौड़-दौड़कर उन्हें खाते हैं ।

कौआ कहाँ जाता है ?

अब हम एक कौए की कहानी लेंगे । वह भी बालक का परिचित ही है । पर बालक के घर वह घड़ी दो घड़ी के लिए ही आता है । कुछ खाने को मिला तो खाकर और थोड़ा काँव-काँव कर उड़ जाता है । फिर पूरा दिन वह कहाँ फिरता होगा, उसका घोंसला कहाँ होगा इसकी बालक को कुछ भी खबर नहीं । कौए के जीवन का यह अज्ञात पहलू बालक के सामने खोलेंगे तो बालक की बुतूह्य वृत्ति जागृत होगी और वह दिलचस्पी से कहानी सुनेगा—

एक था कौआ ।

नानू के घर छप्पर पर रोज सबेरे आकर वह काँव-काँव काँव काँव का शौत पाता था ।

नानू बोला—कोआ भाई, कोआ भाई, तुम वहाँ से आये हो ?

कौआ बोला—मैं तो पाणरा नदी से आया हूँ ।

नानू बोला—अँ ही, पाणरा नदी तो बहुत दूर है, इतने दूर से तुम आये हो ।

कौआ बोला—वह बहुत दूर कहाँ है ? यहाँ से सिर्फ दो गाँव ही तो होंगे ।

नानू घोला—दो गाँव कुछ छोडा अंतर हुआ ? इतना चलने के लिए तो हमें बहुत समय लगेगा।

कौआ घोला—मैं तुम्हारे जैसा पैदल नहीं आता। मैं तो उठकर आया हूँ। इसलिए मैं तो थोड़े ही समय में आ गया।

नानू घोला—कौआ भाई, तुम घागरा नदी किसलिए गये थे ?

कौआ घोला—घागरा नदी पर मैं नहाने गया था। दूसरे सब कौए भा घागरा नदी में नहाने आये थे। हम रोज सुबह नहाने जाते हैं। पक्ष फड़फड़ा कर खूब नहाते हैं और खूब आनन्द लेते हैं। प्रातः स्नान विधि बिना हमें अच्छा नहीं लगता।

नानू—फिर तो मैं तुमको कागच्छपि कहूँगा। कागच्छपि, चागच्छपि, यहाँ से आप कहा जायेंगे ?

कौआ—स्नान करके मैं सबसे पहले तेरे घर आता हूँ। तेरी मा बहुत अच्छी हैं। वह मुझे रोज राती का टुकड़ा देती हैं। तेरे घर से मैं मुन्नी के घर जाऊँगा। उसके घर में सब बरतनों में बहुत-सा जूठा छोडा रहना है, वह सब ब लोग बगीचे में फेंक देते हैं। इसलिए मेरा काम बन जाता है। फिर मैं मनोहर हलवाई के दूकान में जाऊँगा। उसकी दूकान में सेब, चबेना, पेडा और दूसरी दूसरी मिठाई बिकती है। किसी बफ मनोहर सठ का लडका मुझे सेब, चबेना डाल देता है। और कभी-कभी तो मैं चालियो में शपट कर पेडा ही उठा ले जाता हूँ।

नानू—कौआ भाई, तुम रोज हमारे घर आते हो ?

कौआ—हाँ, अपना घर मैं तय कर लिया है। दूसरे कौआ न भी अपने-अपने घर तय किये हैं। यहाँ तक कि हन तय किये हुए घरों में हो जाते हैं। फिर कोई घरवाला यदि हमको मारे या बट्टे दे तो उसका घर छोड़कर हमें दूसरा घर तय करना पड़ता है।

नानू—कौआ भाई, फिर तुम कहा जाओगे ?

कौआ—गाँव में से फिर मैं जगू भाई ठाकुर के खेत में जाऊँगा। उनके खेत में अभी मूगफली उखाड़ी गयी है, पर भूमि पर बहुत फली रह गयी है। ये लोग देख नहीं सकते पर हम उठते उठते ऊँचाई से देख लेते हैं, इसलिए हमको तुरन्त वह मिल जाती है।

नानू—कौआ भाई, जगूभाई ठाकुर के खेत से फिर तुम कहा जाओगे ?

कौआ—उसके बाद मैं रमाकान्त त्रिपाठी के बगीचे में जाता हूँ। वहाँ अमरूद और अनार खूब पके हैं। फिर वहाँ एक पपीता भी पका है। उसकी किसी को खबर नहीं है, पर मैं देख रहा हूँ।

नानू—कौआ भाई, बगीचे से फिर तुम कहाँ जाओगे ?

कौआ—बगीचे से मैं चमारो की बस्ती में जाऊँगा। एक भैंस भर गयी है। उसका चमडा उन लोगों ने निकाला है। वहाँ मुझे मास के टुकड़े मिलेंगे।

नानू—कौआ भाई, वहाँ से तुम कहाँ जाओगे ?

कौआ—इतने में तो शाम हो जायेगी। इसलिए मैं अपने गाँव जाऊँगा और अपने घोंसले में जाकर सो जाऊँगा।

नानू—कौआ भाई, कौआ भाई, आपका गाँव कहाँ है ?

कौआ—जगल में एक तालाब है, तालाब के किनार बबूल की झाडी है। वहाँ कोई आता नहीं, जाता नहीं—उस झाडी में सब कौआँ ने अपने-अपने मकान बनाये हैं, वही हमारा गाँव है। अच्छा तो अब राम-राम। अब मुझ देर हो रही है। अपना हो जायगा तो मुझ दीखना नहीं।

नानू—कौआ भाई, बल सबरे मेरे घर जरूर आना जरूर आना।



## असम के एक अंचल का जन-जीवन

श्री रवीन्द्रनाथ

असम के ११ जिले, नेचा में ५ अंचल और मणापुर, त्रिपुरा, नागालैंड को मित्राकर कुल १६ भागों में हम असम को बांटते हैं।

१—इनमें मैदान के ६ जिले हैं। गुरालपाड़ा, कामरूप, दरंग, नौगाव, लखामपुर, शिवसागर। ये ब्रह्मपुत्र के किनारे हैं। मिट्टी बड़ा अच्छी है। धान को दो फसल आम तौर से लेते हैं। एक, 'आहु' दूसरा, साली धान। आहु को रोपते नहीं। खत तैयार करना शुरु हो गया है। अभी तक ब्राडकास्टिंग करके बो देते हैं। साला जैसे हमारा यहाँ होता है धैते ही और उखी मौसम में यहाँ भा फरते हैं। इसके जगजा दाल मूग, उड़द का एक जाति जिसे माटा कहा कहते हैं, और अरहर तथा खसारा भा हाता है पर बहुत ही कम। यहाँ का बीघा छोटा होता है। करीब तीन बाघे का एक एकड़ होता है। यहाँ क बाघे में प्रति बीघा १० से १५ मन तक धान आम तौर से होता है। अर्थात् ३० से ४५ मन प्रति एकड़ यहाँ की मिट्टी के कारण। पद्धति और औजार तो हम लोगों के देहातों से भा पिढडा हुआ है। घरों की फसल भा अच्छा हाता है।

२—इसी में हर घर में किचन गार्डन एक एकड़ के करीब मिलेगा। जिसमें आद, हरी सन्जी, केला, बास होता है। फल सन्जी यहाँ के लोग खूब खाते हैं।

रोती में सिंघाई करना ये नहीं जानते। धान की सिंचाई होती है। नदी और नाग यहाँ हर कदम पर करीब-करीब जमीन क सतह पर बहते हैं। अत

सिंचाई की योजनाएँ सरती होती है। पर धान के अतिरिक्त और फोद फसल ये नहीं खीचते किचन गार्डन को तो बतई नहीं। घर में केला, बास जगल जैसा मिठेगा। इसी से घर पर हात की फंसिंग करते हैं।

यहाँ चरागाहों के बड़े बड़े मैदान हैं—हजार हजार एकड़ के। यहाँ गाय चराने के लिए ग्राइस ख लेना पड़ता है। पशु रखने तथा बसने और सन्जी उगाने के लिए २ बीघा जमीन मिलती है, पर अति क्रमण (इंकोचमेंट) खूब होता है। गोपालक खती में भी कारी जमीन रखते हैं। गोपालन का पशा मुख्य रूप से नेपाली लोग करते हैं। ये लोग आज ४०, ५० वर्ष से असम में बसे हैं, लेकिन मुस्तकिल नहीं।

इस प्रकार इन मैदानों में से जमान निकालकर बंगाली शरणार्थी तथा बादप्रस्त क्षेत्र के लोगों को दी गयी है। इस क्षेत्र में भा सरकारी अपसरों की टिलाइ के कारण लोगों को बड़ा कठिनाई हाता है।

—तीव्रों का नाम नहीं है। हर घर के लाग खुद रोती का सारा काम करते हैं।

—शिक्षा का प्रसार हा रहा है। पढ़ने धान लटक धाबू हा रहे हैं। हमारा यहाँ स भी ज्यादा।

—सारा आतिथ्य घर का खा करता है।

—यूद यहाँ क गावों में दिवाइ हा नहा दत। पता नहीं क्या खात है। शायद उग्र कम हाती है।



गायें दूध-बहुत कम देती हैं, एक सेर से दो सेर तक। मैंस भी जहा-तहा हैं। खेती में बैल ज्यादा हैं, मैंसा बहुत कम। बैल मोटे और चौड़े होते हैं, इसी तरह यहा के ट्राइबल लोग भी।

मैं जिस छेत्र में हूँ, यह कामरूम जिले का उत्तर पश्चिमी भाग है—उत्तर में भूटान से सटा हुआ। भूटान का सीमा में भी जाने का अवसर मिलता है। आने जाने की कोई रोक नहीं है। बाजारों में भूमिया लोग आने जाते हैं। लोगों का पहना है कि लड़ाक के कारण भूमिया लोगो की चेकिंग होती रहती है ताकि भूमिया लोगों की चेच में चीनी न था जाय। भूमिया और चांगो की शकल इतनी मिलती है कि अन्ग फरना कठिन है—रग रूप, फफड़ा सन।

असम एसी जगह है जहा नद धर्म बद् जाति, तथा अनेक भाषा के लोग हर जगह हैं। ये जो इनके १६ भासा ई व एक दूसरे स बहुत ही भिन्न हैं।

आदिवासो जिहें ट्राइबल कहा जाता है उनकी भा अनेक बोगी हैं, एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न। पुरुषों की पोशाक तो घोता, कमाज, पैंट के कारण एक तरह की है, पर स्त्रियाँ की उनक कपड़े से, पहनने के ढंग से पहचाना जा सकता है कि यह किस हिस्से की रजा है। यहा का रियाज साड़ा की जगह 'मैन्गल' पहनती हैं और ऊपर से चादर ओढ़ती हैं। वैसे आमतौर पर चादर नहीं ओढ़तीं। मेगला एक दूरी समझिए जो सोने से घेर तक रहती है। इसी एक कपड़े से काम चलता है। आमतौर पर प्लाउज पहनने का भा रियाज नहीं है। २४ प्रतिशत पहनती हैं। बहुत कम कपड़े से इनका काम चलता है।

कपड़े की बुनाई घर घर में होती है। ६६ प्रतिशत घरों में बुनाई होती है। स्त्रियाँ अपना कपड़ा तो खुद ही बुन कर पहनती हैं किन्तु पुरुष आध से ज्यादा बाहर से करावत हैं। ये रियाज डिजाइन और फूल वगैरा भा बुनता हैं। सारा कपड़ा मिल-साल का होता है। अन्गल और मूंगा भा जगह जगह बुना जाता है।

खान, तमक, मिट्टा तन मसाला पैसा ही चाचें गरीरते हैं। ये चाचें बाजारों म बड़ी महंगा मिलती हैं। यह खान में भातर देहात की कर रहा हूँ।

इसी तरह महाजन इतना ज्यादा खूद लेते हैं कि गाँव तनाह रहते हैं। उदाहरण रूप से ६ माह में २०) ६० का कवल खूद एक मन से डेढ़ मन घान होता है। इसक अन्गाम मूलधन कर्न ही बना रहता है। कैश में ५० प्रतिशत खूद तो आम बात है।

सक के पास खेत है। अत घान उपजाते हैं। खूद में दे देते हैं। यह लक्षण स्पष्ट होने लगे हैं कि कुछ दिनों मे कर्न के कारण जमान इनके हाथ से निकल कर महानों के हाथ में खटी जायगी।

यहाँ क गाँवों में न नारं हैं, न बहद्रे अपवाद रूप में ही हैं। सभा कारीगर छपरा, गोरखपुर, बरभगा गौरह के हैं। कुली भी पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार क ई, सङ्क, रटेहन, रिङ्गा, खेत की मिट्टी काटना गौरह काम सभा बाहर के मजदूर करत हैं। भायों में लोग कवठ अपनी खेती और पशु देखते हैं। नौकरों का नाम नहीं है। हर घर क गेस खुद स्वता का चारा काम करत हैं।

शिक्षा बहुत कम है। अर स्कूल खुल रहे हैं और शिक्षा का प्रसार हो रहा है। पढ़नेवाले ठुङक बाबू ही रहे ह हमारे यहाँ स भी ज्यादा।

चाय का बहुत रियाज है। हर घर में चाय का बहुत खर्च है। परिवार पाछे पीन सर चाय पत्ती का खर्च प्रति माह है। चाय ५ ६० स ६ ६० प्रति सर यहाँ मिन्टी है। सम्मन नहीं है कि किसी घर में जाइए और जिना चाय क लौटिए। चाय के तान तागूल। तामगूल यहाँ कबा मुपाड़ी की कहते हैं। हर घर में २४ दर्जन मुपाड़ी के वृथ हैं। कया मुपाड़ी एसी हाती है कि हाथ से मसल देने पर कच्चे सिंघाड़ की तरह पिघ जायगी। इसका पङ खूद, ताङ की तरह हाता है—पतला और खूद लम्बा। ४ साल में ७७७७ गुरू हो जाता है और साङ में बारबार ७७७७ रहता है—जैम घनाता। मुपाङा का पङ नारियल की शकल का होता है। खूद छोटा साईंग नारियल की कल्पना करने पर मुपाड़ी की कल्पना हम कर सकते हैं। नारियल की तरह दसपर भी मूना होता है। खूना हटाने पर मुपाङा भीतर स निकलती है।

[ छेत्र वृष्ट ३३६ पर ]

१८ अप्रैल, १९६३ के अग्रपर पर

# “भूदान-यज्ञ” साप्ताहिक का एक संग्रहणीय विशेषांक

१२ वर्षों के समग्र घटनाक्रम और भूदान आन्दोलन के

एक घुग का लेखा-जोखा

कुछ विशेष लेख—

- १—भूदान यज्ञ की क्रांति और अहिंसक प्रक्रिया
- २—भूदान यात्रा के बारह वर्ष
- ३—चामी की मालकीयत दासता का कारण
- ४—भूदान आन्दोलन के चारह साल
- ५—भूमि समस्या के हल में भूदान-यज्ञ का योगदान
- ६—भारत के ये खेतीहर मजदूर
- ७—कोंगपुट में ग्रामदान का अनुभव
- ८—कोंगपुट में ग्रामदान और जनता विकास
- ९—सम्पत्तिदान यज्ञ
- १०—सविभाग रिया खेतीग्रदान
- ११—पटयात्रा, पथ्य और लाभ
- १२—भूदान आन्दोलन के नेतृत्व का लेखा जोखा
- १३—राष्ट्रवाद नहीं, मानवनिष्ठ भारतीयता
- १४—भारत और चीन का सम्बन्ध
- १५—नशाबंदी
- १६—नगरों में सौंदर्य की दिशा
- १७—शांति मेवा आज और कल
- १८—ग्रामदान द्वारा समाचाराद की स्थापना

राजेन्द्र प्रसाद  
विमोचा  
हेनरी जार्ज  
श्रीराम मजूमदार  
ठाकूरदास बग  
श्रीहृष्य दत्त भट्ट  
मनसाहन चौधरी  
श्री० साहब सहस्रजुडे  
श्री० हृष्यदास जानू  
प्रभाष चौकमा  
वल्लभ स्वामी  
वसन्त नारंगोत्तम  
दादा धर्माधिकारी  
जगहिरलाल जैन  
सिद्धराज टंडुल  
मणोन्द्र कुमार  
नारायण देसाई  
रविशंकर महाराज

इनके अन्तर्गत मित्रों के विचार और व्यक्तित्व पर संप्रदर्शनीय सामग्री । भूदान ग्रामदान शांतिमेवा  
रां अद्यतन जानकारी और आश्चर्य ! आदि सामग्री में भरपूर ।

पार्थक्यांशु, मंथाशु, पुस्तकालयों, अध्ययनरतों व्यक्तियों तथा सामान्य नागरिकों के लिए  
समान रूप में उपयोगी श्रृंखला ।

प्रति प्रति का मूल्य ० रूपये

ग्रामभारती योजना उपयुक्त विचार के अनुसार समग्र नयी तालीम की योजना है। अतः दण्ड निरपेक्ष शक्ति द्वारा ही इसका सयोजन आवश्यक है। दण्ड निरपेक्ष सामाजिक शक्ति कानून के स्थान पर सामूहिक सफल तथा टेक्स (आर्थिक शक्ति) के स्थान पर दान (यत्) ही हो सकती है। अतः ग्रामभारती उसी क्षेत्र में सगठित हो सकती है जहाँ की जनता इसके लिए सहकृत्य करे। इसका आर्थिक सयोजन भी सेवकों के अम, क्षेत्रीय जनता के अन्नदान तथा विभिन्न स्थान के मित्रों के धन दान के आधार पर ही हो सकता है।

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के ग्रामदानी गाँव बरनपुर के नागरिकों द्वारा ग्रामभारती के लिए सामूहिक सहकृत्य करने पर तथा क्षेत्र भर की स्वाकृति पर बरनपुर को केंद्र मान कर समग्र नयी तालीम का यह प्रयोग करने का निणय किया गया है।

प्रथम तीन वर्षों के लिए ग्रामभारती, बरनपुर का निम्न विरित कार्यक्रम बना लिया गया है। निरक्षरता तथा ग्राम साधना के अनुहार धरे धरे पूरे क्षेत्र के सर्वोत्तम विकास का कार्यक्रम बन आयगा। प्रथम तीन वर्षों की समग्र नयी तालीम की योजना-सामग्र नयी नागरीय-योजना एक पूरे क्षेत्र की शिक्षण-योजना है। उद्देश्य का कार्यक्रम मुख्यतः तीन दिशों में रहेगा :-

- |                            |    |                                       |
|----------------------------|----|---------------------------------------|
| १. शिक्षण-क्षेत्र          | —  | एक ग्राम सभा का                       |
| २ सेवा-क्षेत्र             | —  | एक भाग चालीस गाँव                     |
| ३ सर्कल तथा प्रचार-क्षेत्र | -- | एक विकासदण्ड अर्थात् २०७ ग्राम-सभाएँ। |

कार्यक्रम :-

शिक्षण-क्षेत्र :-

- क. कृषि शिक्षण तथा उत्पादन वृद्धि
- ख. मोद तथा बच्चों का शिक्षण—रात्रि पाठ-शाला के माध्यम से, गाँव की शक्ति तथा साधन से प्राथमिक पाठशाला का सगठन
- ग. शिशु विहार तथा बालवाही
- घ स्वास्थ्य, सर्कार्ड तथा उपचार-व्यवस्था
- च वस्त्र तथा अन्य उद्योग

सेवा क्षेत्र :-

- क खेतों-मुधार तथा उत्पादन वृद्धि
- ख धर्मशाला का सगठन
- ग स्वास्थ्य तथा सर्कार्ड
- घ. बच्चोद्योग

संरक्षक क्षेत्र —

- क ग्राम स्वराज्य का विचार प्रचार
- ख सामान्य वृषि-मुधार
- ग नयी तालीम के विचार को पैलाया
- घ योजना के लिए अन्नदान और सवसिदान का सगठन।

### [ दृष्ट ३३३ का शेषांश ]

यह सारा आतिथ्य घर में ग्नी ही करेगी। अगर ग्नी ने मुद नहीं गिलाया या चार नहीं खी तो अपमान होगा। किसी की घर के बाहर स्वागत करने का रिवाज नहीं है। जो आयेगा घर के आंगन में ही बैठेगा। बिहार-उत्तर-में गाना बाहर गिलाने का जो रिवाज है वह यहाँ के लोगों के लिए असम्भव है। यहाँ एक मित्र नहीं हैं। अपना अनुभव-दरमिया का-समाने हुए कह रहे थे कि कई जगह इन्होंने इसी कारण आतिथ्य अस्वीकार कर दिया।

इनके घर भी हमारे यहाँ के घर से निम्न हैं। मिट्टी ऐसी नहीं है कि दोवार बन सके। घर लकड़ी,

बाँस और लर का बनता है। खपड़ा तो मैंने यहाँ देखा ही नहीं।

८९ साल की बन्धियाँ अरनी पीठ पर समझे में २४ माह के बच्चों को बाँध लेती हैं। वे बच्चे भी ठेमे आती हैं कि मोद से बनाया पीठ पर बंधना ही पसन्द करते हैं। मातार्ये हठी प्रकार बच्चों को पीठ पर लेकर पानी भरना या अन्य यद्दरथी का, रसोई, शाहू आदि का काम किया करती हैं।

बूटे तो यहाँ के गानों में दिखाई ही नहीं देते। पना नहीं क्या बात है। धायद उच्च कम होती हो।

१८ अप्रैल, १९६३ के अमर पर

## “भूदान-यज्ञ” साप्ताहिक का एक संग्रहणीय विशेषांक

१२ वृषों के समग्र घटनाक्रम और भूदान आन्दोलन के

एक घुग का लेखा-जोखा

कुछ विशेष लेख—

- |  |                     |
|--|---------------------|
| १—भूदान यज्ञ की भावि और अहिंसक प्रक्रिया     | राजेन्द्र प्रसाद    |
| २—भूदान यात्रा के बारह वर्ष                  | विनोबा              |
| ३—जमीन की मालकीयत दासता का कारण              | हेनरी जार्ज         |
| ४—भूदान आन्दोलन के बारह साल                  | श्रीरन्द्र मजूमदार  |
| ५—भूमि समस्या के हल में भूदान-यज्ञ या योगदान | ठाकुरदास बग         |
| ६—भारत के ये रोतीहर मजदूर                    | श्रीरङ्ग दत्त मट्ट  |
| ७—कोरापुट में ग्रामदान या अनुभव              | मनमोहन चौधरी        |
| ८—कोरापुट में ग्रामदान और जनता विकास         | श्री साहच सहस्रजुजे |
| ९—सम्पत्तिदान यज्ञ                           | श्री वृष्णदास जानू  |
| १०—सविभाग विना उद्योगदान                     | प्रभाय चौकसा        |
| ११—पदयात्रा, पथ्य और लाभ                     | वल्लभ रामा          |
| १२—भूदान आन्दोलन के नेतृत्व का लेखा जोखा     | वसन्त नारगालकर      |
| १३—राष्ट्रवाद नहीं, मानवनिष्ठ भारतीयता       | दादा धर्माधिकारी    |
| १४—भारत और चीन का सम्बन्ध                    | जगहिरलाल जैन        |
| १५—नशाबंदी                                   | सिद्धराज ढड्डा      |
| १६—नगरों में सर्वोदय की दिशा                 | मणान्द्र कुमार      |
| १७—शांति सेना आन और कल                       | नारायण देसाई        |
| १८—ग्रामदान द्वारा समाचाराद की कल्पना        | रविशंकर महाराज      |

इनके अनाया विनोबा के विचार और व्यक्तित्व पर संप्रहणीय सामग्री ! भूदान ग्रामदान शांतिसेना की अद्यतन जानकारी और आरुडे ! आदि सामग्री से भरपूर !

पार्यटकाओं, संस्थाओं, पुस्तकालयों, अध्ययनरतों व्यक्तियों तथा सामान्य नागरिकों के लिए समान रूप में उपयोगी ग्रंथ ।

प्रति प्रति या मूल्य २ रुपये

प्रकाशक—श्री० भा० सर्व-सेवा-संघ, राजघाट, वाराणसी-२

## क्या जीना भी गुनाह है ?

‘एक पैसा देदो बाबू’—घिपियाते स्वर में कहते हुए भिखारी ने अपना धिनीना हाथ मेरी ओर बढ़ाया जो मेरे कुर्ते से करीब-करीब छू गया। मैंने उसे कुछ डपटते हुए कहा—‘मीस भी मांगते हो, बद-तमीजी भी करते हो! हमें नहीं आती तुम्हें मांगते हुए और वह भी तमीज के साथ नहीं!’ मेरी डाँट से भिखारी सड़म कर पीछे हट गया, लेकिन समल कर बोला,—‘तीन दिन से भूखा हूँ बाबू, एक पैसा दे दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जायगा ? किनने का तो दिन में पान खाकर थूक देते होंगे।’

‘हाँ, पान तो खाकर जरूर थूक देता हूँ, लेकिन उस पान के लिए मेहनत भी तो करता हूँ, तुम क्या करते हो ?’

‘मेहनत की ही बात कहते हो तो बाबू, सुबह से शाम इस तरह मागने में मेहनत कुछ कम नहा होती, फिर भी दुनियाँ कहता है कि हम निठल्ल रहते हैं।’

‘कुछ काम क्यों नहीं करते ?’

‘काम कहाँ धरा है बाबू, काम की ही तलाश में तो अब इस दश में पहुँच गया हूँ कि कोई काम हो नहीं सकगा !’

मुझे जल्दी थी, कौन समय खपाता ? कठ्ठा से तो कम, लेकिन उस धिनीनी शकल से पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से मैंने पॉच नये पैसे का एक सिक्का उसकी तरफ फेंक दिया और चल पड़ा। जाते जाते मुना, भिखारी बड़बड़ा रहा था, मागने पर कोई देना नहीं चाहता, न मागे तो जिये कैसे ? क्या जीना भी गुनाह है !’

×

×

×

भिखारी को भिदा देकर उसकी कुछ तात्कालिन सहायता करना या किसी का पेट न काटते हुए ऐसी जिंदगी बिताना जो उस समाज के बनने में सहायक हो जिसमें कोई भिखारी न हो—दोनों में अन्वेषण क्या है ?

—रामभूषण

भट्ट, अ० भा० राय सेवा सच, की ओर से शिव प्रेस, मझारपाट, चाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

केरल कवर—मुद्रक मण्डलवाल प्रेस मानमन्दिर, चाराणसी।

गत मास मग्ये प्रतियाँ २ प०० इस मास मग्ये प्रतियाँ २ ०००

प्रधान संपादक  
घोरेन्द्र मजूमदार

संपादक  
आचार्य राममूर्ति

संस्था की बुनियाद

गांधीजी

भाषा-कानून का संकेत  
शिक्षा और सुरक्षा

श्री राममूर्ति

बालक और संस्कार

श्री जमनालाल जैन

संस्था की पाठ : एक सुझाव

श्री कमलावति

नागरिकता की शिक्षा

श्री ति० न० आत्रेय

वार्षिक बंधा  
एक प्रति

६-००

०-५०

# नयी तालीम

सालाहवार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ ,, जुगताराम दवे
- ३ ,, काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ ,, मार्जरी साइक्स
- ५ ,, मनमोहन चौधरी
- ६ ,, क्षितीशराय चौधरी
- ७ ,, राधाकृष्ण मेनन
- ८ ,, राधाकृष्ण
- ९ ,, राममूर्ति

○

## सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का धर्म अगस्त से आरम्भ होगा है।
- किसी भी मास से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र ध्यानहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- चन्दा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम का पता :

नयी तालीम

अ० भा० सर्व सेवा संघ, राजघाट,

वाराणसी-१

○

## अनुक्रम

दृष्ट

भाषा-नानून का मंत्र ३३७	श्री राममूर्ति
सामयिक प्रश्न	
शिक्षा और सुगन्धा	३४० श्री राममूर्ति
सार सङ्कलन	
समवाय की युनियाद	३४२ गांधीजी
मे कहीं पहुँचा हूँ ?	३४४ एक कार्यकर्ता
हम और हमारा जन्म	३४६ श्री काशिनाथ त्रिवेदी
रचनात्मक कार्य .	
ग्राम-इन्फार्ड-ग्रामस्वराज्य	३४८ श्री राममूर्ति
समवाय पाठ	
समवायी पाठ : पर सुमान	३४३ श्री कमलावति
नये जमाने की नयी तालीम	
नागरिकता की शिक्षा	३४५ श्री ति न आद्रेय
श्रमभारती का निस्सर्जन	३६१ श्री राममूर्ति
शिक्षा विभिन्न देशों में	
विभिन्न युगों में	
समुत्तराज्य अमेरिका	
की शिक्षा-पद्धति	३६४ श्री वांटलिंग
वालफ और संस्कार	३६६ श्री जमनालाल जैन
बच्चे की शुरु से शिक्षा-७	
प्रेम का जुनम	३७१ श्री राममूर्ति
गुरुजी की छद्मि	३७३ श्री शृणु कुमार
लघु-कथा	
मंत्रेय का शिक्षक-दल	३७४ श्री रावी
परिस्थिति और प्रवृत्ति	
भारत में शिक्षा विस्तार	३७५ सकलित
भारत की दृष्टि और योजना	सकलित

○

# नयी तालीम

वर्ष-११ ]

[ अंक १०

## भाषा-कानून का संकेत

पिछले दिनों संसद् में दो बड़े महत्त्व की बिले पास हुईं जो शीघ्र कानून बन जायेंगी। एक बिल संघ-सरकार की राज-भाषा के संबंध में है और दूसरी देश की अग्रगण्यता और प्रमुखाता की रक्षा के संबंध में। भाषा के प्रश्न पर कानून द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि १९६५ के बाद भी अनिश्चित काल के लिए भारत-सरकार अपने कामों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी का समान स्तर पर इस्तेमाल करती रहेगी और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी का स्थान तभी लेगी जब अ-हिंदी क्षेत्रों के लोग हिंदी को स्वीकार कर लेंगे। सरकार का यह कहना है कि आज देश की जो स्थिति है उसमें अंग्रेजी के सिवाय दूसरी कोई ऐसी भाषा नहीं है जो देश के विभिन्न भागों को जोड़ सके। विशिष्ट समुदायों में अंग्रेजी हर जगह धोली जाती है इसलिए वह एक प्रकार से अग्निल भारतीय भाषा है। अंग्रेजी अंग्रेजी बनाने से शासन और शिक्षा की भाषा रही है, इसलिए यह अधिक व्यापक और भाग्य है। राज्य-सरकारें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में काम करेंगी। इस नये कानून के लागू होने के दस वर्ष बाद संसद की एक समिति पूरे प्रश्न पर फिर विचार करेगी और राष्ट्रपति समिति की सिफारिश पर राज्य-सरकारों से राय लेकर अपना निर्णय देगे।

दूसरी बिल का यह उद्देश्य है कि माधु-स्वातंत्र्य आदि के मूल अधिकारों की आड़ लेकर कोई नागरिक या दल भारत की अग्रगण्यता या प्रमुखाता पर आघात न पहुँचाये अथवा भारत से अलग राज्य बनाने की बुनाव का प्रश्न न बना सके।



दोनों बिलों का मन्शा यही है कि भारत एक रहे। किसी देश के जीवन में एकता ऐसा तत्त्व है जिस के लिए कोई भी मूल्य बढ़ा नहीं कहा जा सकता। और, आधुनिक भारत के इतिहास में यह पहला अपसर नहीं है जब एकता के लिए ऐसा मूल्य चुगाना पड़ रहा है जिसका समर्थन विवेक नहीं कर पा रहा है।

अंग्रेजी का प्रमुख स्वराज्य के लिए कलंक है, इसमें शक नहीं। स्वराज्य की पहचान यह है कि अपने देश में अपना राज हो, अपनी रोटी हो, और अपनी भाषा हो। अगर देश के शासन की पद्धति विदेशी हो भले ही शासक अपने हों, अगर अनाज विदेशी हो भले ही चूल्हा अपना हो, और अगर भाषा विदेशी हो भले ही उसे धोलनेवाले देशी हों, तो मानना चाहिए कि सच्चा स्वराज्य होने में देर है। अंग्रेजी इस देश के करोड़ों की भाषा नहीं है, और न कमी हो सकती है। अवश्य, अंग्रेजी दुनिया की महान् भाषाओं में से एक है, और उसका जानना आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने और दुनिया से संपर्क रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए जो लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं वे जरूर पढ़ें विदेशों से संपर्क बढ़ायें और अधिक से अधिक आधुनिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन जो शासन करोड़ों के लिए हो और जो करोड़ों के पैसे से चलता हो उसकी भाषा अंग्रेजी हो, इसका क्या अर्थ है? अगर इतना ही होता कि भारत में सब से अधिक बोलती जानेवाली हिंदी को अ-हिंदी राज्यों के लोग नहीं मान रहे हैं तो कोई शिकायत न होती। सही या गलत, किमी की मर्जी के खिलाफ कोई भाषा उसके मर्ते नहीं मढ़ी जा सकती। कानून के बल पर हिंदी राष्ट्र की भाषा बने, यह न उचित है, न संभव। उसे अ-हिंदी जानता का प्रेम पाकर ही आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दो विकल्प हो सकते थे—एक यह कि हिंदी भारत सरकार की मुख्य भाषा होती और उसके साथ की दूसरी भाषा अंग्रेजी न होकर भारत की वे सब भाषाएं होती जो संविधान में मान्य हुई हैं और सरकारी कामों में हिंदी मूल का अनुवाद उन सब भाषाओं में होता। दूसरा विकल्प यह था कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों चलें, यानी वस्तुतः अंग्रेजी ही चले। भाषा-बिल के नाम से यह दूसरा ही विकल्प मान्य हुआ है। आज एकता की दृष्टि से देश की जो स्थिति है उसमें दूसरा कुछ होना संभव नहीं था, इसे हम समझ सकते हैं, भले ही दुःख और शर्म के साथ समझना पड़े। राजाजी और उनकी तरह सोचनेवालों को इतने से भी संतोष नहीं है; वे भविष्य में भी किसी समय अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को नहीं देना चाहते।

इस मनोवृत्ति का क्या उत्तर है? और इसका क्या कारण है कि एकता के नाम में देश भर में छोटे बच्चों की शिक्षा में भी अंग्रेजी को फिर स्थान देने की योजना बनायी गयी है? क्या भारत की एकता, विकास और आधुनिकता के लिए हर बच्चे के सामने अंग्रेजी पढ़ने का

प्रलोभन प्रस्तुत करना आवश्यक है ? प्रधान मंत्री बार-बार कहते हैं कि अंग्रेजी भारत की जनता की भाषा नहीं हो सकती; वह यह भी कहते हैं कि अंग्रेजीवालों की एक अलग 'जाति' बन गयी है जिसका जनता के साथ कोई भावनात्मक मेल नहीं है। अगर ऐसा है तो राज्यों में शिक्षा के जो 'सुधार' हो रहे हैं उनके द्वारा यह कुचक्र क्यों चलाया जा रहा है ? हमें चिंता यही देस कर हो रही है। जब हम पिछले पंद्रह वर्षों का इतिहास सामने रखते हैं तो देखते हैं कि विकास के नाम से ऐसी अर्थनीति चलायी जा रही है जिसमें बारह वर्षों के बाद भी जनता अपना स्थान नहीं पा रही है लोकशाही के नाम में ऐसी राजनीति घरती जा रही है जिसमें दिनों दिन लोक-निरोधी तत्वों का संगठन और नौकरशाही का बोलचाल होता जा रहा है; और राष्ट्र की भावनात्मक एकता के नाम में विदेशी भाषा के द्वारा करोड़ों बच्चों का सहज विकास कुण्ठित किया जा रहा है। यह देखकर सहज ही यह कहना पड़ रहा है कि भारत की अंग्रेजी और अंग्रेजियत-परस्त यह 'जाति' सरकार की शक्ति के माध्यम से बहुसंख्यक जनता पर हमेशा हावी रहना चाहती है। यह लोकतंत्र के लिए अत्यन्त अशुभ संकेत है। हमें अंग्रेजी की प्रभुता के पीछे आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लोकजीवन के निरुद्ध एक व्यापक पथ को छाया दिखायी दे रही है।

इस देश में जो लोग लोकजीवन और जनता की सहकार-शक्ति को समृद्ध और सशक्त बनाना चाहते हैं उनके लिए यह संकेत सतरे की घण्टी है। रहे अंग्रेजी जहां वह रखी गयी है, लेकिन हम यह मान कर चलें कि भारतीय जनता और लोकतंत्र की विविध समस्याएँ राजनीति और कानून के पचड़ों से नहीं हल होंगी; उसका एक ही उपाय है—लोकशक्ति का विकास और संगठन जो राजनीति और कानून को सही जगह पर रख सके। लोकशक्ति का अर्थ है सत्ता और संपत्ति का अन्त, यानी संपूर्ण सामाजिक शांति। उसके द्वारा जब 'लोक' 'तंत्र' से मुक्त होकर ऊपर आयेगा तब सच्चे स्वराज्य की शक्ति प्रकट होगी, और तभी जिसे हम जनता कहते हैं वह एक होगी, नेक होगी। वास्तव में आज भारतीय जीवन का मूल प्रश्न है लोकतंत्र की रक्षा। इसी प्रश्न की भूमिका में सब दूसरे प्रश्नों को देखना चाहिए।

राममूर्ति

## शिक्षा और सुरक्षा

जब से चीन का आक्रमण हुआ है लोगों का ध्यान राष्ट्रीय जीवन की उन कमजोरियों की ओर गया है जिन के कारण विदेशी आक्रमण संभव हुआ और जिनका निराकरण होने से ही आगे स्वतंत्रता की रक्षा संभव है। स्वभावतः नये सिरे से सेना व सगठन का ओर ध्यान सब से अधिक गया है, उस से कम महत्व आर्थिक विकास का नहीं माना जा रहा है क्यों कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर देश यंत्रों की लड़ाई में कभी मजबूत नहीं सिद्ध हो सकता। वास्तव में आज के जमाने में न विनाश आधिक रह गया है और न विकास। दोनों 'टोटल' हैं—संपूर्ण और समग्र हैं। एक राष्ट्र अपनी टोटल शक्ति से विरोधी राष्ट्र की टोटल शक्ति का मुकाबिला करता है। इस लिए नये जमाने की भूमिका में सुरक्षा का अर्थ है अपनी संपूर्ण शक्ति का संयोजन, विकास और सगठन। इस लिए जहां संपूर्ण शक्ति के विकास का प्रश्न उपस्थित होता है वहां शिक्षा का प्रश्न सामने आ जाता है, क्योंकि शिक्षा के सिवाय विकास की दूसरी कोई प्रक्रिया संपूर्ण और समग्र नहीं होती। ऐसी हालत में स्वभाविक है कि अपने देश में शिक्षा के पुनर-सगठन की चर्चा जोरों से चल पड़ा है।

सुरक्षा के लिए सब से बड़ी तैयारी मनुष्य तैयारी है। सक्षम शरीर, सक्रिय, सतृप्त बुद्धि, अपने से समाज की ऊपर रखनेवाला चरित्र तथा हुनर खोखी उमलियाँ—ये चार चीजें मनुष्य की तैयारी के

दुरत है कि आज हमारे देश की शिक्षा में चातावरण सामतवाद और प्रेरणा नौकरशाही की है। समाज की आवश्यकता और आवृत्ता स उसना कतई कोई संवध नहीं है।

### श्री राममूर्ति

लिए जरूरी है। अगर ये न हों तो चाहे जो तैयारी की जाय वह कुछ बहुत टिकाऊ नहीं होती। और ये चार चीजें ऐसी हैं जो शिक्षा के सिवाय और किसी उपाय से पूरी भी नहीं की जा सकतीं। क्या हमारी शिक्षा इन चार में से किसी एक उद्देश्य को भी पूर्ति कर रही है? अगर नहीं तो सकट का यह उपयुक्त अवसर है कि हम देश के लिए उपयुक्त शिक्षा के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करें।

सरकार के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है इसलिए उसकी ओर से शिक्षा में सुधार के लिए सुझावें सराबर आ रहे हैं। गणित और विज्ञान की पढ़ाई तथा रैतिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा में उत्पादन के तत्व का भी समावेश किया जाय ताकि व्यापक पैमाने पर लोगों में हुनर पैले और उत्पादन बढ़े।

सुधार बहुत से सुझावे जा सकते हैं, लेकिन पहला प्रश्न यह तय हो जाना चाहिए कि हम देश के सामने विकास का क्या चित्र (इमेज) प्रस्तुत करना चाहते हैं। कोई भी सुधार या योजना हो उसे उस मूल 'इमेज' में पिठ होना चाहिए। जो बात साफ है वह

यह है कि अधूरे सुधारों से अब काम नहीं चलेगा, उतना ही यह भी सही है कि गाव-गाव में पैली जनता के सदर्म में ही सोचने से कोई स्पष्ट चित्र सामने आयेगा। वर्ग विशेष के लिए शिक्षा (क्लास एज्युकेशन) को चाहे जितना सुधारने की कोशिश की जाय उस में कमी विज्ञान और लोकतंत्र क जमाने की मांग पूरी करने की शक्ति नहीं आयेगी। दु ख है कि आज भी हमारे देश की शिक्षा में वातावरण सामंतवाद और प्रेरणा नौकरशाही की है। समाज की आवश्यकता और आकांक्षा से उसका कतई कोई सम्बन्ध नहीं है।

बुनियादी शिक्षा के नाम में आज कितने बर्षों से यह मांग की जा रही है कि जीवन की स्वभाविक क्रियाओं (एक्टिविटीज) को ही शिक्षा का मान्य बनाना चाहिए। अगर हम यह आधार नहीं स्वीकार करते तो शिक्षा में उत्पादन का क्या आधार बनेगा, क्योंकि करोड़ों लोगों की सन से मुख्य और व्यापक क्रिया उत्पादन ही है और अगर यह मूल बात मान ली जाय तो प्रकृति, समाज और उत्पादन के रूप में शिक्षा की त्रयी तैयार हो जाय। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो शिक्षा चल रही है उस से समाधान नहीं है, और जो चलनी चाहिए उसे मानने और अपनाने की तैयारी नहीं है। नेता में कल्पना का अभाव है, शासक में भावना का, इस अभाव के कारण जनता की कोई योजना चल नहीं पा रही है।

सही शिक्षा कैसे विकसित होगी ? कौन प्रयोग कर के बतायेगा कि क्या सही है, क्या सही नहीं है ? आज सारी शिक्षा सरकारी है, इस लिए पूरे तौर पर 'रेजिमेण्टेड' है। सरकारी नियम-कानून, टेक्स्ट बुक तथा परीक्षा ने शिक्षा को जकड़ रखा है, इस बुरी तरह जकड़ रखा है कि वहां तक विज्ञान और


लोकतंत्र की ताजा हवा पहुँच ही नहीं पाती। इसलिए सुधार का पहला कदम यह होना चाहिए कि शिक्षा में अधिक से अधिक विविधता की छूट दी जाय ताकि कुछ जीवत प्रयोग हो सकें। अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी नये विचार को ले कर प्रयोग करना चाहे तो उसे छूट मिलनी चाहिए—छूट ही नहीं, प्रोत्साहन और सहायता भी। ऐसे प्रयोगों के लिए एक स्वायत्त संस्था द्वारा मान्यता की व्यवस्था की जाय। प्रयोग में सरकार अपने अभ्यासक्रम या दिनचर्या आदि का आग्रह न रखे, हाँ, मिडिल और हाइस्कूल आदि की परीक्षाओं का आग्रह रखा जा सकता है ताकि प्रयोग के निवारियों और उनके अभिभावकों को अशन्तोष न हो। इतना मानते हुए प्रयोग-कर्ता अभ्यास की अवधि, क्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षकों का पारिश्रमिक, विद्यालय की दिनचर्या आदि के बारे में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे।

सरकार के शिक्षा विभागों से नहीं, इन प्रयोगों में से ही आगे की शिक्षा निकलेगी। इतनी बात तय है कि देश के जीवन के केवल एक पहलू में क्रांति नहीं हो सकती। यह नहीं हो सकता कि केवल शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाय, और राजनीति, आर्थिक रचना, धर्म, सामाजिक मान्यताएँ आदि ज्यों की त्यों बनी रहें। आज के जमाने की विधायक क्रांति सम्पूर्ण और समग्र ही हो सकती है। शिक्षा के प्रयोग समाज-निर्माण का स्वरूप, गति और पद्धति स्थिर करेंगे। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र का शासन अगर इतना भी नहीं कर सकता तो मानना पड़ेगा कि ऊँची बात करनेवालों की नीयत सही नहीं है, और जब नीयत सही नहीं है तो हिकमत कभी सही नहीं हो सकती।

★

जिसमें हम 'लोक-शिक्षण' कहते हैं और जिसमें हम अपने जीवन के अनेक विषयों का समावेश करते हैं, जीवन-शिक्षण भी जिसको नाम दे सकते हैं, यह यही हो सकती है, जहाँ एकरस समाज होता है।

—विनोय



हमें सच्ची जरूरत तो ऐसे शिक्षकों की है, जिनमें नया-नया सर्जन करने की शक्ति हो, सच्चा उत्साह और जास हो और रोज-रोज विद्यार्थी को नया सिखायेंगे, यह सोचने की शक्ति हो।

## समवाय की बुनियाद

गाधीजी

प्रश्न—हाथ द्वारा मन को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है, यह आप समझावें ?

उत्तर— गाधी जी—

स्कूल में चलनेवाता सामान्य पाठ्य-क्रम में एकाध उद्योग जाड़ देना यह पुरानी कल्पना थी। अर्थात् उसमें हस्त उद्योग को शिक्षा से बिल्कुल अलग रखकर सिलिलाने की बात थी। मुझे यह एक गर्मीर भूठ लगती है। शिक्षक को उद्योग छील लेना चाहिए और अपने ज्ञान का अनुसंधान उस उद्योग के साथ करना चाहिए जिस से वह अपने पसंद किये हुए उद्योग द्वारा यह सारा ज्ञान विद्यार्थियों को दे सके।

कतारई का उदाहरण लयिए। जब तक मुझे गणित नहीं आया तब तक मैंने तकली पर कितने गज दूत काता या उसके कितने तार हुए या मेरे क्राते हुए दूत का अक कितना है, यह मैं नहीं कह सकूंगा इसे करने के लिए मुझे आकड़ सीखने चाहिए और ओड़ बाका, गुणा व माग भी सीखने चाहिए। अटपटे हिसाब गिनने में मुझे अक्षरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अतः इस में से मैं अक्षर-गणित सीखूंगा। इस में भी मैं रोमन अक्षरों के बजाय हिन्दुस्तानी अक्षरों के उपयोग का आग्रह रूपा।

३४२ ]

फिर ज्यामिति लीजिए। तकली की चकती से अधिक अच्छा गोलाई का प्रदर्शन और क्या हो सकता है ? इस प्रकार मैं युक्लिड का नाम लिए बिना ही विद्यार्थी को वस्तु या गोलाई के बारे में सब कुछ सिखा सकता हूँ।

फिर आप शायद पूछेंगे कि कतारई द्वारा बालक को इतिहास भूगोल किस तरह सिखाये जा सकते हैं ? थोड़े समय पहले 'कपास—मानुष्य का इतिहास (काटन दि स्टीरी आब मैनकाई-ड-)' नामक पुस्तक मेरे देखने में आयी थी। उसे पढ़ने में मुझे बहुत ही आनंद आया। वह एक उपयोग जैसी लगी। उसके शुरू में प्राचीन काल का इतिहास दिया गया था। फिर कपास पहले-पहल किस प्रकार और फल बोयी गयी, उसका विकास किस तरह हुआ, अलग-अलग देशों के बीच रूढ़े का व्यापार कैसे चलता है, आदि वस्तुओं का बणन था। अलग अलग देशों के नाम में बालक को मुनाजगा साथ ही स्वाभाविक रीति से उन देशों के इतिहास भूगोल के बारे में भी कुछ कहता जाऊंगा। अलग-अलग समय में अलग अलग व्यापारिक सभियों किस किसके राज्यकाल में हुईं ! कुछ देशों में रूढ़े महती पड़ती है, कुछ कपड़ा बाहर से मगाना पड़ता

/

[ नयी वाक्यम

है, उसका क्या कारण है ? हर एक देश अपनी-अपनी जरूरत के मुताबिक रूढ़ नहीं उगा सकता ! यह चर्चा मुझे अर्थशास्त्र और कृषिशास्त्र के मूलतत्वों पर ले जायगी। कपास की अलग-अलग जातियाँ कौन सी हैं, वे किस तरह की जमीन में उगती हैं, उन्हें कैसे उगाया जाय, वे कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं, वगैरह जान-कारी मैं विद्यार्थी को दूँगा। इस तरह तकली कातने की बात पर से मैं ईस्ट इण्डिया कंपनी के घारे इतिहास पर आऊँगा। वह कंपनी यहाँ कैसे आयी, उसने हमारे कताई-उद्योगों को किस तरह नष्ट किया, अंग्रेज आर्थिक उद्देश्य से हमारे यहाँ आये और उसमें से राजनैतिक सत्ता जमाने की आकांक्षा वे क्यों रखने लगे; यह वस्तु मुगल और मराठों के पतन का, अंग्रेजी राज्य की स्थापना का और फिर बापस हमारे जमाने में जनसमुह के उत्थान का कारण कैसे हुई, यह सब भी मुझे वर्णन कर के बताना पड़ेगा। इस तरह इस नयी योजना में शिक्षा देने की अपार सुझाव है। और बालक यह सब उसकें दिमाग और स्मरण-शक्ति पर अनावश्यक बोझ पड़े बिना ही अधिक जल्दी सीखेगा।

इस कल्पना को अधिक विस्तार से समझा दूँ। जैसे किसी प्राणी-शास्त्री को अच्छा प्राणीशास्त्री बनने के लिए प्राणी-शास्त्र के अलावा दूसरे बहुत से शास्त्र सीखने चाहिए उची प्रकार बुनियादी तालीम को यदि एक शास्त्र माना जाय, तो वह हमें ज्ञान की अनन्त शालाओं में ले जाता है। तकली का ही विस्तृत उदाहरण लिया जाय, तो जो शिक्षक-विद्यार्थी केवल कातने की यांत्रिक क्रिया पर ही अपना लक्ष्य एकाग्र नहीं करेगा, इस क्रिया में जो वैज्ञानिक वह निष्णात होगा ही, बल्कि इस वस्तु का तत्व ग्रहण करने की कोशिश करेगा, वह तकली और उसके अंग-उपाग का अभ्यास करेगा। तकली की चकती पीतल की और सौंके लोहे की क्यों होती है, वह प्रश्न अपने मन से पूछेगा। जो असली तकली थी, उसकी चकती चाहे जैसी बनायी जाती थी। इस से भी पहले की प्राचीन तकली में बास की सौंके और स्लेट या मिट्टी की चकती उपयोग में ली जाती थीं। अब तकली का

शास्त्रीय ढंग से विकास हुआ और जो चकती पीतल की और सौंके लोहे की बनायी जाती है, वह सकारण है। यह कारण विद्यार्थी को छूँट निकालना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी को यह भी जाचना चाहिए कि इस चकती का ब्योस इतना ही क्यों रखा जाता है, कम-ब्यादा क्यों नहीं रखा जाता ? इन प्रश्नों का सतोप-जनक हल छूँटने के बाद इस वस्तु का गणित जान लिया कि आप का विद्यार्थी अच्छा इजीनियर बन जाता है। तकली उसकी कामधेनु बनती है। इसके द्वारा अपार ज्ञान दिया जा सकता है। आप जितनी शक्ति और श्रद्धा से काम करेंगे, उतना ज्ञान इस के द्वारा दे सकेंगे।

मैंने कताई का उदाहरण विस्तार से बतलाया है, इसका कारण यह है कि मुझे उसका ज्ञान है। मैं बढ़ई होता, तो मेरे बालक को ये सब बातें बढ़ईगिरी के मास्कर सिखाता। अथवा कार्ड-बोर्ड का काम करने वाला होता, तो उस काम के मास्कर सिखाता।

हमें सच्ची जरूरत तो ऐसे शिक्षकों की है, जिन में नया नया सर्जन करने की और विचार करने की शक्ति हो, सच्चा उत्साह और जोश हो और रोज-रोज विद्यार्थी को क्या सिखायेंगे, यह सोचने की शक्ति हो। शिक्षक को यह ज्ञान पुराने ढोयों में से नहीं मिलेगा। उसे अपनी निरीक्षण और विचार करने की शक्ति का उपयोग करना है और हस्त-उद्योग की मदद से जयान द्वारा बालक को ज्ञान देना है इसका अर्थ यह है कि शिक्षा पद्धति में क्रांति होनी चाहिए। शिक्षक की दृष्टि में क्रांति होनी चाहिए। आज तक आप निरीक्षकों (इस्पेक्टरों) की रिपोर्टों से मार्ग-दर्शन पाते रहे हैं। आपने निरीक्षक को पसन्द आये वेश करने की इच्छा रखी है, ताकि आप की अपनी तनकराह में बढ़ती हो। पर नया शिक्षक इस सब की परवाह नहीं करेगा। वह तो कहेगा, मैं यदि मेरे विद्यार्थी को अधिक अच्छा मनुष्य बनाऊँ और वेसा करने में मेरी सब शक्ति लगाऊँ, तो कहा जायगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मेरे लिए इतना ही काफी है।

## में कहां पहुँचा हूँ ?

( २ )

### एक कार्यकर्ता

और, फाटा पूरा करने में भी शुद्धता का ध्यान रखनेवाले बहुत कम थे। काम होना चाहिए, किसी तरह ही, यही आम मान्यता थी। भूदानयज्ञ आंदोलन में लक्ष्यांक पूरा करने की वृत्ति उस वक्त भी कई बुराईयों का कारण बनती थी, और अन्त भी बनती जा रही है। बात यह थी कि हमारे काम और उसको करने के तरीकों का क्रांति की साधना के साथ क्या सम्बन्ध है, इसका न कार्यकर्ताओं को पता था, न उनमें समझने की क्षमता ही थी। समान के विकास में आर्थिक, राजनातिक और मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का क्या स्थान होता है, इस की प्रतीति सामान्यतः उन को न तब था, न अब है। लेकिन एक बात या। जो सार्थी किसी राजनातिक दल के कार्यकर्ता रह चुके थे या सीधे सामान्य समाज से आये थे उनमें अपेक्षा कृत जागरूकता और स्फूर्ति अधिक थी। वे समझते अधिक थे उनमें उत्कण्ठता अधिक थी, और वे गाव के लोगों में घुल मिल कर उन्हें प्रभावित भी अधिक कर लेते थे। मैंने देखा कि जो किसी आधम में रह चुके थे वे निष्ठा या आदर्श को चर्चा तो अधिक करते थे लेकिन गाव के मोर्चे पर कमजोर स्थाित होते थे। तब से मेरी निश्चित धारणा हो गयी है कि जो आचरण शैक्षणिक प्रक्रिया द्वारा चरित्र का अंग नहीं बन जाता वह दम्भ का रूप लेता है या 'रिप्रेशन' का कारण बन कर चरित्र को कुण्ठित करता है।

शिक्षित कार्यकर्ताओं का, विशेष रूप से जिन के पास कोई डिग्री थी, गाव के अर्धशिक्षित साधियों के साथ मेल मिश्रण कठिन होता था। डिग्रीवाला यह नहीं मानता था कि जो खेती जानता है अपना मकान बनाने या सफाई की कला में निपुण है, लेकिन उसके पास स्कूल या कालेज की उपाधि नहीं है, वह भी उस

के मुकामिने शिक्षित माना जा सकता है। डिग्रीवाले का अहंकार और विना-डिग्रीवाले का अति आत्म-विश्वास, दोनों को मिश्र कर एक चौड़ी खाई बन जाती थी और विद्यालय के वातावरण में परास्पर त्रिप पैदा होता रहता था। जो डिग्रीधारा था और कुछ बड़ी आमदनी छोड़ कर आया था उसके अहंकार की तो सीमा ही नहीं होती थी। अहंकार से मिल् कर त्याग कितना असामाजिक हो जाता है, इसका एसा अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था।

मैं यह भी देखता था कि सस्था में कुछ दिन रह लेने के बाद साधियों को गाव के काम से अर्चि हो जाती था, और कई तो यह फोशिय करतें थे कि प्रशिक्षण के बाद सस्था में ही जगह मिल जाय। यह बात उन्हीं पर लागू नहीं थी जो बेकारी के कारण काम की तलाश में प्रशिक्षण में आते थे, बल्कि उन पर भी लागू थी जो देखने में क्रांति की प्रेरणा लेकर आये थे। मुझे वहाँ यह अनुभव हुआ कि सामान्यतः मध्यम वर्ग के युवक का 'यकित्व' तरह-तरह की पारिवारिक या अन्य उल्लानों से कितना कुण्ठित होता है, इस लिए मुश्किल से ही मैं एक दो ही ऐसे निकलते हूँ जो जिदगी को 'देखें-कर' समझने का साहस करें। ऐसे युवक इन्ने गिने थे—वे क्रांति की बात बजादे जितनी करें—जिनके जीवन-मूल्य नये हों और जो नयी आकांक्षाओं से प्रेरित हों। 'सर्वाद्य' में जिस संपूर्ण क्रांति का बोध होता है उसका भाग एक ही दो को था—हा, सैकड़ों में एक दो को।

मैं एक सस्था में—बहुत बड़ी सस्था में—काम करता था और अपनी पूरी शक्ति से अपने निर्धारित काम को पूरा करने का फोशिय करता था। सस्था में सुबह से शाम तक हम लोगे भ्रम, शिष्यण या कार्यालय

आदि के विभिन्न कामों में फंसे रहने थे और सोचते थे कि सामान्य समाज से अलग, सस्था के विशिष्ट वातावरण में रह कर हम लोग अपना पूर्ण वर्ग-परिवर्तन (डीक्लासिंग) कर पायेंगे, लेकिन वर्षों की रगड़ के बाद यह अनुभव हुआ कि सामान्य समाज से अलग रह कर कोई बड़ा और स्थायी अभ्यास नहीं किया जा सकता। चिंतन और ध्यान आदि की बात में नहीं यह मकाना, लेकिन सामाजिक सदगुणों के त्रिवेकपूर्ण विकास के लिए सामान्य समाज का वातावरण आवश्यक है।

१९१४, '५५ और '५६ के तीन वर्ष सस्था के भीतर क्रांति के जावन मूल्यों के सघन अभ्यास में बीत गये। इतना अवश्य हुआ कि सस्था में रहते रहते पन्द्रस के गाँवों के साथ साप्ताहिक भ्रमदान द्वारा 'भ्रम की निरादरी' अच्छी तरह जोड़ी गयी जिससे मुझ में यह प्रतीति जगी कि अगर गाँव के छोटे खेतियों तक पहुँचना है तो भ्रम से अच्छा दूसरा माध्यम नहीं है। और भ्रम ही एक एसी चीज है जो सर्वाध्य को प्रवर्तित अर्थनीति, समाजनीति और राजनीति आदि से बहुत दूर के साथ अलग कर देती है।

१९५६ के अंत में १९५७ की धूम मची। जिस तरह गांधाजी ने पहले असहयोग आंदोलन में 'एक साल म न्द्रराज्य' का नारा दिया था, उसी तरह '५७ में भूकालिका नारा मिला। अतः यह था कि भूकालिका का नारा कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहा, जनता में उस का कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन १९५७ के साथ जोड़ कर १९५७ के प्रति जनता में कुछ अस्पष्ट आका के भार पैदा हो गये थे।

दिसंबर के अंतिम दिनों में हमारी सस्था में सर्व सेवा सत्र की प्रथम-समिति की बैठक थी। उसमें श्री जयप्रकाश जी आये थे। उस समय वह साल भर की अनपठ पद-यात्रा के लिए समय दान माग रहे थे। उन दिनों हम लोग मुद्रा रूप से भ्रमशाशा-बुनियादी शाशा से कुछ भिन्न-और उद्योग शाशा चलाते थे। स्वाभाविक था कि जयप्रकाश जी के आह्वान का हम लोगों पर गहरा प्रभाव होता, और हुआ भी। वस १ जनवरी से निकल जाना है, यह उफान लोगों के मन में आ गया। उनका भाषण सुनकर समा में मैं

मई, '६३ ]

बाहर निकला। देखा सामने धीरेन माई टहल रहे हैं। पूछा- 'क्या करना है?' बोले- 'जाना है। तैयार हो?' मैंने उत्तर दिया- 'जी हाँ'। पद यात्रा में क्या करना है, क्या करना है, कहा जाना है, आदि की कल्पना मुझे नहीं थी। सस्था में भेजेनी थी, सरगर्मी थी, सर जाने की उत्सुक थे, वस देर थी चल देने की। तब यह हुआ कि श्री पुरुष, उच्चे सर पदयात्रा में जायेंगे, कवल एक या दो साथ सस्था की धाती समालने के लिए रह जायेंगे। अजीब अभियान था जिसकी ब्यूह रचना के बारे में किसी को कुछ माध्यम नहीं था, लेकिन जिस के लिए सर के मन में उत्साह था।

१ जनवरी १९५७ को उत्तर बुनियादी के विवाधा को सर १६ १७ १८ वर्ष के थे, सर से पहले निकले। कठोर सर्दी के दिन थे, खाने पीने रहने का ठिकाना नहीं था, लेकिन जवानी की उम्र थी, और दिल में कानि का जोश था।

हम लग अपना अपना काम समेटने में लगे। बहने अपनी सहृदयी समेटने में लगीं। एक साल के लिए जाना था। लौटने पर क्या होगा, कौन जाने! धीरेन माई ने अपने जिदाई भाषण में कहा 'जिदा मत लौटना, मर जाओगे तो लाख लाद कर ले जायेंगे।' जिदा लौटने का खवाल ही क्या था! मन में उत्सर्ग था, पलायन नहीं।

सस्था से ३३ मील दूर एक कसबे के मिडिल स्कूल में २६ जनवरी १९५७ को सामूहिक अरपठ पद यात्रा का शुभारंभ हुआ। नवबाबू ने आशीर्वाद दिया। धीरेन माई ने उपस्थित जनता से कहा 'अगने इस छोटे परिवार को आज से जिल के बड़े परिवार में मिला रहा हूँ।'

परे धीरे पदयात्रियों का बुद्ध आने बदा। श्री, पुत्र, बच्चे, शिशु, सब मिला कर लगभग ६४ व्यक्ति थे। सब से छोटी बच्ची ३ साल की भी नहीं थी, मैं अगुया था। शाम को कहा जायेंगे कहा शीयेंगे, माध्यम नहीं था। वस चलना अपना काम था।

क्रांति की एक बड़ी पहचान यह होती है कि वह छोटे आदिमियों से भी बड़ा काम करा लेती है।

[ भ्रमच ]

\*

[ ३४६ ]



## हम और हमारे उत्सव

सगाई के समय सौदा, प्याह के समय सौदा, जनेऊ के समय सौदा, मान मिनत के समय सौदा, पूजन, भजन, कीर्तन, जप, तप, यज्ञ, दान, पुण्य आदि के समय सौदा; हर जगह, हर चीज में सौदा। सौदेवाजी की इस वाद में आज आदमी या ईमान, धरम, हया, शरम, शील, संश्लेष तन घुरी तरह धहा जा रहा है।

### श्री काशिनाथ त्रिवेदी

भगवान ने मनुष्य को ऐसा मन दिया है, जो हमेशा खुश रहना चाहता है और खुशी के मौके खोजने में लगा रहता है। खुशी बाहर की नहीं, अन्दर की चीज है। आदमी को सधी खुशी की तलाश रहती है और वह उसे अपने ही में मिल सकती है, बाहर कहीं नहीं। असली खुशी दिल ही की खुशी होती है। अगर दिल में खुशी है, तो गरीबी भी अमीरी में बदल जाती है, गम भी गलत हो जाता है और हार को भी जीत का रूप मिल जाता है। इस लिए कहा है कि दिल खुश, तो दुनिया खुश।

लेकिन मनुष्य के मन की बनावट में कुछ ऐसी खामी रह गयी है कि उसे अन्दर की चीज से पूरी तसल्ली नहीं होती। वह बाहर भी पैलना चाहता है और फैलते फैलते बाहर की माया में इतना उलझ जाता है कि अन्दर का आपा ही खी बैठता है। धीरे-धीरे अन्दर से खोलना और बाहर से सजा धजा, आदमी के मन का और उसके जीवन का ऐसा एक नरकशा छा बन जाता है। दिल दिमाग पर एक नशा-सा छाया रहता है और उसका असर यह होता है कि आदमी अपने असल रूप को भूल कर नकल में रम जाता है। नतीजा इसका यह होता है कि चार आदमी में अच्छा दीपने के लिए और चार लोगों के मुंह में अपनी तारीफ सुनने के लिए आदमी अपनी हैसियत के बाहर खर्च करने लगता है।

एवं उसके जीवन का एक धरम बन जाती है। वह रोज रोज के अपने जीवन में फूट-खर्च करने के साथ ही वार-नगोहार और ब्याह शादी आदि के मौकों पर इतना फेयाज बन बैठता है और इतनी बेदरदी से पैसा खर्च करता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वह इतना बेहोश बन जाता है कि उसे न तो अपनी हैसियत का प्याल रहता है, न अपनी हालत का। करज करके भी कारज करने में वह अपनी शान और इज्जत समझता है और अपने ही हाथों अपनी बरबादी को न्योतता है और इस तरह वह खुद भी दुःखी होता है और पूरे घर-परिवार को भी दुःख की आंन में झोक देता है। उसके तन का तौल, मनका तौल, और जीवन का तौल एक एक कर सब खतम हो जाता है। हयादारी, शरमदारी सब उसके जीवन को उजाड़कर उससे अपना नाता तोड़ लेती हैं। बेहिसाब और बेहद बेधरमी ही उसका स्वभाव और धरम बन जाती है। खयम, विवेक, मर्यादा, माया, ममता, स्नेह, सौजन्य, शील, सदसचार सब उसका साथ छोड़ देते हैं। उसके जीवन में एक भारी अभाव गढ़ा जाता है। उसे न घर में अच्छा लगता है, न गांव में। न खाने में मुत्त, न पीने में मुत्त, न सोने-बैठने में मुत्त। जीवन बरबान नहीं, बाप बन कर उसके प्राणों को अदर ही अन्दर मुपाता चला जाता है। मुख चाहनेवाला हमारा यह आदमी बाहरी मुत्त के फेर में पड़ कर दुःख के

दलदल में इतना पस जाता है कि न खुद उबरने की ताकत रह जाती, न किसी का सहारा लेकर उबरने की हिम्मत रहती है।

समाज ने घर में, गांव में और देश में उत्सवों का आरम सच-मुच तो मन के सुख, सन्तोष, सस्कार और समाधान के लिए किया। जीवन में आशा उना रहे, उत्साह, उमंग, उल्लास और आनन्द उना रहे, इसी लिए मनुष्य ने अपने जीवन में उत्सवों को गूथ लिया। शुरू में उत्सवों ने उमका उमहा बढ़ाया। उमे पुबराय के गिरे प्रेरित किए। उसमें परमार्थ की वृति का पोषण किया। पर धारे धारे उत्सवों का रूप बिगड़ा, रास्ता बिगड़ा, जो सुप सताप, सस्कार और समाधान के साधन थे, वे अमुच, असतोष, असस्कार और असमाधान के निमित्त बन गये। फलत जीवन भार रूप ही नहीं उना थाप रूप भी बन गया।

ब्याह सादी की बात को लीजिए अथवा मुण्डन, कमछेदन, जनेऊ गंगापूजन, सत्यनारायण की कथा और मान मित्रत जैसे आये दिन के छोटे-छोटे प्रसंगों को लीजिए उत्तम सस्कार की भावना के कारण इन का हमारे घर और समाज में भी गणेश हुआ, पर आग बिगड़ने निगड़ने इनका रूप और इनकी रीति इतनी बिगड़ गयी है कि क्या अमार और क्या गरीर, दोनों, इनके कारण अपने परेल्ड जीवन में हर तरह बरबाद और बेभारू होने चले जा रहे हैं। इन शुभ सस्कारों के आसपास मनुष्य ने इतना दिखावा, इतना दोग, इतना लोम, इतना पाण्ड और इतनी फूल खरबा पदा ला है कि देखकर भारी हैरानी और परेशानी हुए पिना नहीं रहती। बड़ी-बड़ा हैसियतवाले लोग आम जनता पर अपने धन-वैभव की छाप डालने और उसे चकाचाँध करने के लिए इतनी बेदरमा और बेदरदा से श्रपना धन छुटाते और परच करते हैं कि देर कर मन गिच हो उठता है। लोग अपने ही देशवासियों को नाना प्रकार से छट छटकर घर में पाप का पैसा पटोरते हैं और फिर ब्याह शादा के मौकों पर अपने उस खाटे वैभव का भोंडा प्रदर्शन कर क गगन जनता को खीर रास्त जान क लिए न सिर्फ ललचात और मज्जूर करते हैं, बल्कि जले पर नमक छिड़कत

हैं। आज इस देश में जीवन के छोटे-बड़े सभी पवित्र सस्कार और कार्य हाट-बाजार के सौदा की पात में बैठ गये हैं। सगाई के समय में सौदा, ब्याह के समय सौदा, जनेऊ के समय सौदा, मान मित्रत के समय सौदा, पूजन, मनन कीर्तन, जप, तप, यज्ञ, दान, पुण्य आदि के समय सौदा हर जगह, हर चीज में सौदा। सौदेवाजी की इस बाद में आग आदमी का ईमान, धरम, हया, धरम, शील, सकोच सब बुरी तरह बहा जा रहा है। और धाज का सीरा पड़ा, खाना पीता, कमाता धमाता तथा इज्जत आरुलवाला आदमी भी इसी सौदेवाजी के फेर में पड़ कर बुरी तरह अपनी मानवता से गिर और किसल रहा है।

जो शुभ सस्कार, शान्त, एकान्त, प्रसन्न और भरे पूरे वातावरण में मन की निर्मलता पवित्रता, नम्रता, तथा उज्वलता के साथ सम्पन्न होने चाहिए, उनके निमित्त से हम अपने घर, गांव और मुहल्ले में इतना आडम्बर, कोलाहल, और दिखावा और नमाया, राडा कर लेते हैं कि नयी पीढा क बालक-बालिकाओं को अपनी छोटी उमर में उत्तम सस्कार मिलने के बदले कुसस्कार ही अधिक मिलते हैं। जहा लोम, लालच, दग्म, पाखण्ड, बनाव सिंगार, और दिखावे तथा तमाशे का ही जोर हो उसी की इज्जत और उसा वाहवाही की हवा हो वहा नया पाढ़ी के कोमठ मति बालकों को जावन के उत्तम सस्कार मिलें तो कैसे मिलें और उनक जीवन में मानवता के शुभगुणों का बिकास हो तो कैसे हो ?

इस पाखण्ड और प्रदर्शन की हमा का आज समाज में इतना जोर है कि धनवानों का नकल किये बिना गरीबों को सन्तोष नहीं होता। धनवान दूसरों का छटकर अपने वैभव का भोंडा प्रदर्शन करत हैं और गाव अपने ईमान, धरम, धरदार, खेत गल्लिहान, गहने-गाटे आदि को बेच कर या गिरवा रतकर इस दौड़ में सब क आग रहने की कोशिश करत हैं और अन्त में तन-मन धन से बरबाद होकर दानता और हानता का जावन पिताने हैं। इन छोटी उत्सव पियता ने कितनों क घरों में और दिल-दिमागों में

आग लगायी है, क़ितनों को दर दर का भिलारी और मुहताज बनाया है कौन कह सकता है !

आज तो हालत यह है कि हमारे घर-परिवार के ये संस्कार-सूचक उत्सव ही नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उत्सवों में भी आदमी अपना तौल खोकर बरतने लगा है। चाहे गणगति उत्सव हो, चाहे दशहरे दीवाली का उत्सव हो चाहे रामनवमी हो, चाहे वृष्णाष्मि हो, चाहे हनुमान जयन्ती हो, चाहे महावीर जयन्ती, बड़ा दिन हो, चाहे छोटा दिन हो, गुरु पूजन हो, प्रयपूजन हो, चाहे पार वैशम्भरों की याद के जलसे हों, चाहे उर्स हो या ईद हो, १५ अगस्त हो, २६ जनवरी हो अथवा २ अक्टूबर हो, सब कहीं एक ही श्लेषुग राग और बेदग दिखावा, नकल और तमाशा दिखायी पड़ता है। आज आदमी इतना बाहरी बनता जा रहा है कि आदर को गहरी चीजों से भी उसका कोई सरोकार है, ऐसा न तो उसकी बातों से लगता है, न रीत भाति से और न ही चाल दाल से।

इस जमाने में गांधी ही एक ऐसा आदमी हुआ, जिन्होंने हर तरह के उत्सवों और त्योहारों को बाजारू दिखावों से दूर रखकर अन्तर की शोध और अन्तर की निर्मलता का साधन बनाया। गांधी ने श्राव श्रावों और मौत के मौकों को इतना सादा और कम खर्च वाला बना दिया कि अगर हम लोग उस रास्ते चलते, तो इन ४०-५० सालों में तन मन और जीवन के क्षेत्र में बहुत ऊँचे उठ जाते और बहुत नरें पकके बन

जाते। गांधी के आश्रम में श्राव का सारा खर्च पाँच रुपये के अन्दर निपट जाता था। पैतागैस मिनट से ज्यादा उबत नहीं लगता था। दिन टैन फर्ई बन्द था। खान-पान और उड़े-बड़े भोजों, दावतों और ज्योनारों की तो बात कोई भोच भी नहीं सझता था। गरीब से-गरीब आदमी इस तरह बड़ी शांति, पवित्रता और निश्चितता से अपने घर का शुभ संस्कार कर करा सझता था। मौत के अन्तर को भी उन्होंने इसी तरह सादगी, सयम, सेवा, स्वाध्याय आदि के जरिए बहुत ऊंचा उठा दिया था। न रोना थोना चल्ता था, न क्रिया काण्ड चलता था, न भोज होते थे। मृत व्यक्ति के निमित्त से अधिक भ्रम यश क्रिया जाता था। धर्म ग्रन्थों का पाठ होता था। सेवा के उत्तम कामों की व्यवस्था की जाती थी और मृत व्यक्ति के गुणों के चिन्तन के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना होती थी।

मनुष्य उत्सव प्रिय है, इसमें सदेह नहीं, पर उत्सव उसक लिए है, वह उत्सवों के लिए नहीं है। यदि वह उत्सवों का दास बन जाता है और अपना असल रूप खोकर नकली रूप धारण करता है, तो उत्सवों से उसे लाभ नहीं, हानि ही अधिक होती है।

आज के हमारे मेले डेले, पर्व त्योहार, प्रदर्शन सम्मेलन आदि सब हमें हर तरह महंगे पड़ रहे हैं और हमारे ईमान, धरम तथा हमारी मनुष्यता को भारी आंच पहुँचा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम सब सोचें, समझें और रास्ता बदलें।

जो काम मारने-पीटने से नहीं हो सकेगा वह किंचित धमकाने से हो सकता है। जो काम धमकाने से नहीं हो सकेगा, वह समझाने से जरूर होगा। जो काम समझाने से नहीं होगा, वह प्रेमपूर्वक सेवा करने से जरूर होगा। जो काम प्रेम-पूर्वक सेवा करने से नहीं होगा, वह उसके लिए प्रेम-पूर्वक अधिक त्याग करने से जरूर होगा।

-विनोबा

# रचनात्मक कार्य-ग्राम इकाई-ग्राम-स्वराज्य

श्री राममूर्ति

## १. ग्राम इकाई की पृष्ठभूमि

१—गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ होने के कारण हमारे देश में 'रचनात्मक कार्य' से विशेष अर्थ का बोध होता है। गांधी जी का नाम लेते ही रचनात्मक कार्य दमन की सत्ता से भुक्ति, स्वावलम्बन, और व्यर्थोदय की भावना का द्योतक हो जाता है। यह क्रमशः उसकी राजनीति, अर्थनीति और समाजनीति है। इस ऐतिहासिकता में ही हमारे रचनात्मक कार्य की विविधता है, अन्यथा कोई युग नहीं, कोई देश नहीं, कोई शासन नहीं जिसके अंतर्गत रचनात्मक कार्य न होता हो। वास्तव में रचनात्मक कार्य के बिना किसी समाज का जीवन एक दिन भी नहीं चल सकता। किसान, मजदूर, कारीगर, व्यापारी, शासक, शिक्षक, सेवक, पुरोहित, ये सब अपनी जगह एक तरह के रचनात्मक कार्यकर्ता ही हैं। जर्मनी में हिटलर के काम, इटली में मुसोलिनी या रूस में स्टालिन के काम उनकी अपनी दृष्टि से रचनात्मक ही थे। स्वयं भारत में क्या अंग्रेजी राज में कम रचनात्मक कार्य हुए? कल-कारखाने, रेल, तार-डाक, सड़कें, अदालतें, अस्पताल, स्कूल-कालेज, विश्व विद्यालय, आदि क्या विध्वंसरामक कार्य थे? फिर भी हमने अंग्रेजी राज को सैतानी राज कहा, और दुनिया हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन को निर्माता नहीं, जालिम के नाम से याद करती है। क्यों? इसलिए कि यद्यपि इन कार्यों से जनता का बर्दशरह से बहुत कल्याण हुआ पर वह भुक्ति की दिया में आगे नहीं बढ़ी; इसके विपरीत वह अधिकाधिक दमन और शोषण के ही चिह्नों में प्रतीत होती। इसलिए गांधी जी ने दूर से

ही अपने रचनात्मक कार्य को मूलतः जनता की भुक्ति के साथ जोड़कर रखा। अगर भुक्ति न मिले तो रचना किस बात की?

२—पिछले चारह वर्षों से अपने देश में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला जारी है। अबो रुपये के खर्च से शहर-शहर, गांव-गांव में विकास-कार्यों का जाल तेजी से फैला जा रहा है। बड़े-बड़े संयोग खड़े हो रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, लोगो का स्वास्थ्य सुधर रहा है, शिक्षा फल रही है, राष्ट्र की आय ऊपर जा रही है। सब मिलाकर राष्ट्र आज पहिले से अधिक समृद्ध, सुसंगठित और सुरक्षित है। ऐसी हालत में कौन कह सकता है कि यह सारा काम रचनात्मक नहीं है? इतना होने पर भी हम अपने को रचनात्मक कार्यकर्ता कहने-वाले लोग पंचवर्षीय योजना से असन्तुष्ट क्यों हैं? आखिर, हम चाहते क्या हैं?

३—बात यह है कि हमारे संस्कार में गांधी जी का रचनात्मक कार्य बसा हुआ है, उन्हीं की तराजू में हम पंचवर्षीय योजना के व्यापक, विविध, विकास-कार्यों को तोलते हैं, और जब हमें उनमें गांधी की भुक्ति की क्रांति नहीं दिखायी देती तो निराशा होनी है। सरकार के कल्याणकारी रचनात्मक कार्यों में हमें अन्त्योदय नहीं दिखायी देता, गांव का स्वावलम्बन नहीं मिलता, भुक्ति का दर्शन नहीं होता। इन कार्यों में हम गांधी का सच्चा स्वराज्य या विनोदा का ग्राम-स्वराज्य देखना चाहते हैं, लेकिन दिखायी नहीं देता। हमें पंचवर्षीय

धीनता का क्या समूह है ? ये मुख्य गंधी के थे किनोवा के ६ राष्ट्रीय योजना के इन मुख्यों को सभी स्वीकार ही नहीं किया। पंचवर्षीय योजना के सामन राष्ट्र का चिन्त है गाँव के स्वयं प्रभुत्व (इंस्टिट्यूटियुमिडिटी) को कह नहा माननी।

४—गांधी जी रचनात्मक काय क तीन पद्धतु के एक जालिम सत्ता के मुकाबिले में जनता की प्राधिकार गति (पंचर आर्गनिसिडिटी) विकसित करना दो समाज म वायपुण साम्प्रतिक सम्बन्ध की स्थापना करना तीन मनुष्य के जीवन को अन्तर के बाधना-मुक्त करना। इस त्रिविध साधना से वह जन जन म टिपी गति को प्रकट करना चाहते थे। अहिंसक घोषण मुक्त समतामूलक धर्मनिष्ठ उत्पन्न पद्धति को वह नया समाज रचना की बुनियाद मानते थे इसलिए सर्वोच्च से लोह-लकड़ी से घने एक तुच्छ उत्पादन-यन्त्र को अहिंसा का प्रतिक कहते थे। अथ क्रान्तिवो को अनेका गांधी के रचनात्मक काय की विवेकता यह थी कि उनम धर्म की सगठित दमित से पूजे के घोषण और जनता की सगठित सहकार दमित से सत्ता के दमन का समाप्त करने को व्यूह-रचना थी। इस तरह उनक रचनात्मक काय म सत्ता-परिवर्तन और समाज परिवर्तन की दुहरी समान तर प्रक्रिया थी।

५—१९४४ म जब गांधी जो जेल से छूट तो उन्होंने देख लिया कि जहाँ तक अग्रजो का सम्बन्ध है स्वराज्य का प्रथम हल होने के करीब है इसलिए अब जनता के सच्चे स्वराज्य की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। इसी दृष्टि से उन्होंने रचनात्मक काय को संस्था क सीमित आधार स निकालकर जनाधारित करने की प्रक्रिया म साठ पाँच लाख गांव म साठ पाँच साल कार्यकर्ता जो अपन धर्म और जनता के प्रेम की कमाई पर रहनेवाले हो विटाणे की बात सोचो। यह सारी योजना लोक सक्ति विकसित करने और रचनात्मक काय को जन आंदोलन का रूप देने की थी। और १९४८ म कायस को लोक सेवक सच बनाने की बात कहकर तो उन्होंने सेवा सत्ता नेतृत्व और लोकतंत्र के विचार में एक ऐसे तत्व का समावेश दिया जो इतिहास में बिल्कुल नया था। यह लोकचक्र की जिसे वह

नागरिक गति कहने के घोषणो था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि नारायणों ने गता छोड़ी और म तबकी न संस्था। परिणाम यह हुआ कि देश में नया और मोहर का मिलावर छात्र-व्यापणकारी राज्य की स्थापना हुई और संस्थाओं म भी उन्नी व्यापणकारी राज्य के अन्तगत अपना स्था। मानकर काम करना मुक्त कर दिया। इस प्रकार संस्थागत व्यवस्था न अपने अंतत गत गति म मका और उद्योग तीनों चीज समेट ली गिता पहिल ग ही सामन का अग पा अब बोझापरदेव क नाम में पाँचवीं चीज रोती को भी लान की कोशिस चल रही है। इसका अर्थ यह है कि अब त्रिविध और व्यापण क नाम म समाज का पूरा जीवन सरकार और त्रिविध अदमरकारी और गरगरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित नियमित होगा। समाज भाईचारा (ब्रॉदर लुड) नहीं रहेगा मर एक व्यापक इस्टीमेशन का रूप ल सगा। स्पष्ट है कि एसी व्यवस्था से सशक्त लोगनाहो के लिए स्थान नहीं है।

६—१९४४ से १९४८ के वष गांधीजी न देश के लोक जीवन की लोकतांत्रिक ढंग म सगठित करने की जो व्यूहरचना की थी उसके बुनियादी तत्त्व ये थे

एक देश के ऐच्छांतिक विदास म नागरिक दमित और सनिक-दमित म टक्कर अनिवाय है

दो सगठन अहिंसा की बसोटी है

तीन खादी को गाँव गाँव म बिसर देना है और लोक जीवन को उससे चारो ओर सगठित करना है

चार सारे रचनात्मक काय नया तालिम के समुद्र म विलीन होते हैं यानी अहिंसा की प्रक्रिया दिग्गज-मूलक है सचय मूलक नहीं।

पाँच आधिक समता अहिंसा की बुनियाद है इसलिए अगर सम्प्रतिबन्ध स्वच्छा से स्थापित नहीं छोड़ेंगे तो हिंसक क्रान्ति नहीं टल सके।

७—गांधी जी के इन विचारों के सामने होते हुए भी १९४८ में स्वराज-सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति म यह घोषणा की कि देश की स्थिति को देखते हुए उत्पादन के यन्त्र (प्रोडक्शन अपरेटस) म कोई मूठ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सोची भाषा में इसका अर्थ यह होता है कि मुनाफाखोरो की अथनीति

(प्राफिट इकोनामी) चलनी रहेगी; अब सरकार के नियन्त्रण में चलेगी। मुनाफाखोरी की अर्थनीति (प्राफिट इकोनामी) और सत्ता की राजनीति (पावर पालिटिक्स) का थोड़ी-बामन का सम्बन्ध है; एक को छोड़कर दूसरी रह नहीं सकती। सरकार ने तय कर लिया कि लोक-तन्त्र के लिए सत्ता की राजनीति आवश्यक है, और विकास के लिए मुनाफाखोरी की अर्थनीति, क्योंकि दल नहीं होंगे तो सरकार कंठे बनेगी और मुनाफा नहीं होगा तो पूँजी कंठे बनेगी !

८—१ अप्रैल १९५१ को जिस प्रथम पंचवर्षीय योजना, और भारत में योजना युग, का मूलपात हुआ उसमें न सत्ता (पावर) पर प्रहार था, न सम्पत्ति (प्रापर्टी) पर। उस में नागरिक शक्ति की प्रधानता नहीं थी, प्रधानता थी राज्य-शक्ति की। उसमें गाँव केवल कृषा और कल्याण का अधिकारी था, विधायक नहीं; उसमें जनता की रोटी की विन्ता नहीं थी, व्यवस्था थी राष्ट्रीय उत्पादन-वृद्धि की। जिस दिन यह योजना शुरू हुई, मानना चाहिए कि, उसी दिन देश के हाथ से गांधी का रचनात्मक कार्य छूट गया। हम रचनात्मक कार्यक्रमों ने भी अपने लिए सत्ता और सम्पत्ति पर बाधित व्यवस्था का संरक्षण स्वीकार कर लिया। फलतः आज रचनात्मक कार्य बस्तुतः सरकार के गैर-सरकारी फण्ट के रूप में चल रहा है।

अकेले एक विनोबा, बापू के प्रथम सत्याग्रही, ने यह स्थिति नहीं स्वीकार की। उन्होंने अपने लिए बतवाच तय किया, इसलिए 'पंचवर्षीय योजना के १७ दिन बाद १ अप्रैल १९५१ को उनकी पदयात्रा शुरू हुई। उनका भूदान-ग्रामदान आन्दोलन सत्ता और सम्पत्ति के विरुद्ध युवा, सोम्य, लोकतांत्रिक विद्रोह था। नृत्तिकारी हमेशा समाज का संरक्षण ढूँढता है, इसलिए विनोबा गाँव-गाव में घूम रहे हैं। अभी क्रांति के अवतरण की, ईशामसोह के जन्म की तरह अंतरिक्ष में घोषणा ही हुई है, वह धरती पर अवतरित नहीं हुई है। नया इतिहास नायक किशो बहदुर, अज्ञात पुस्तक में लिखा जा रहा है।

९—बारह साल हो गये, सरकार अपनी योजनाओं में और हम अपने रचनात्मक कार्यों में व्यस्त हैं। इन

बारह वर्षों की निष्पत्ति क्या है? खेता-जोखा लैनेवालों कहेगा कि बेकारी बढ़ रही है, विपमता बढ़ रही है, खेतों का उत्पादन घट रहा है। उद्योगों में उत्पादित सामग्री को खपाने की ऋण-शक्ति देश की जनता में नहीं है। विकास का एक ऐसा बिज उपस्थित हो रहा है जिसमें राष्ट्र का अर्थशास्त्र (नेशनल इकोनोमी) जनता के अर्थशास्त्र (पीपुल्स इकोनोमी) से तेजी के साथ अलग होता जा रहा है। जनता स्वतंत्र उत्पादक नहीं है, वह अपने बच्चे माल की विक्रेता और दूसरे के तैयार माल की खरीददार रह गयी है। तेजी से एक नये प्रकार की शहरी (मेट्रोपालिटन) और औपनिवेशिक (कालोनियल) अर्थनीति विकसित हो रही है। लगता है जैसे गाँवों में रहनेवाला हिन्दुस्तान शहरी में रहनेवाले हिन्दुस्तान का उपनिवेश है। कोई आश्चर्य है कि ऐसी स्थिति में जनता अपने को राष्ट्र की योजना से अलग (लेफ्ट आउट) महसूस करती है? जिस आवासनपर वह योजना के साथ उरसाहपूर्ण सहयोग करे? लोग कहते हैं कि तृतीय योजना का अन्त होत-होते दशको के लिए हमारी विरमत पर मुहर लग जायगी। संकेत स्पष्ट है।

दूसरी ओर रचनात्मक संस्थाओं का यह हाल है कि उनकी गोदामों और दूकानों में खादी पड़ी हुई है, कोई खरीददार नहीं है। चले बडेँ तो मूत का क्या होगा? खादी कहाँ विकेगी? सरकार रिबेट और सबसिडी उठा लेगी तो कोई प्राहक भी बचेगा या नहीं? सरकार का सहारा और चरें का मय—यह हाल है हमारा चालीस वर्षों की रचनात्मक साधना के बाद। मण्डारों के और दफ्तारों के बाहर लोक-जीवन में बहों हमारे रचनात्मक कार्य की जड़ नहीं है।

हमारी ही क्या, किसी की भी जड़ लोक-जीवन में नहीं है। नेता को मतलब है वोट से, शासक को मतलब है फाइल से, सेवक को मतलब है संस्था से। नतीजा यह है कि आज देश में गैर-सरकारी जीवन (नान-आफिशियल लाइफ) जंघी खोज रह ही नहीं गयी है। जहाँ राजनीतिक नेता दिन रात सत्ता की गोट बिटाने में व्यस्त हों, जहाँ पूँजीपति अपनी पैनी से नेता, शासक और सेवक सबको

सारीदने का दम भरता हो, जहाँ सहकारी अधिकारी का स्थान श्रेष्ठ प्रतिनिधि से ऊँचा होता जाता हो, जहाँ धर्मिक विरास और उपेक्षित हो, जहाँ शिक्षितों में जीवन के ऊँचे मूल्यों के प्रति धीरे शंका और अनास्था हो, जहाँ लोकतन्त्र और विकास के नाम में नीचे से ऊपर तक निहित स्वार्थों (वेस्टेड इंटरेस्ट्स) और प्रति-क्रियावादी तत्वों (रीऐक्शनरी एलिमेंट्स) का भयंकर सगठन हो रहा हो, तथा सबसे अधिक जहाँ सारी शक्ति का स्रोत साक्षात् जनता-जनार्दन में अन्याय, अनोख और अनाचार के विरुद्ध आवाज उठाने की शक्ति न हो, वहाँ इससे भिन्न स्थिति हो क्या सकती है? स्वाभवन, विन्न और विरास जनता ने अब जीवन को उसकी सारी कुरूपताओं के साथ अत्यन्त निम्नस्तर पर स्वीकार कर लिया है। दूसरा वह करे क्या? देश में कितनी जीवनी शक्ति है, इसका अन्वय चीनी आक्रमण में मिल गया। सैनिक शक्ति और नागरिक शक्ति दोनों में हम कहीं हैं, इसका पता चल गया। इसलिए सब मिलाकर अगर कोई कहे कि राष्ट्रीय चिन्तन पर विघटन, अराजकता, या सैनिक शासन का छाया डिल्ली में देने लगी है तो साम्यवाद कुछ बढ़ाने अत्युचित नहीं होगी।

१०—आखिर, इस राष्ट्रीय ह्रास की जड़ें कहीं हैं? हमारे देश में सदियों से सामन्तवादी समाज रहा है। वर्णाश्रम धर्म न हमें जाति दी, सामन्तवाद के बाद सोचा विदेशी साम्राज्यवाद आया तो उसने अपन चार मद्दगार तैयार किये—भूमि का मालिक,

नया औद्योगिक पूँजीपति, कुर्सी पर बैठकर पाठन चलानेवाला अधिकारी और शिक्षित युवक जो शक्ति और अनायास में पूर्णतः विदेशी था। इस पर स्वराज्य ने 'नेतावाही' जोड़ी। यह हमारे समाज में 'रेरिस्टाक्रेसी' का पचमेल है जिसके हाथ में आज देश के जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सूत्र हैं। इस ऐतिहासिक सदर्भ में वार्षिक मताधिकार द्वारा लोकतन्त्र का ढाँचा खड़ा किया गया है। हमने इंग्लैंड की जनता की तरह एक एक कदम आगे बढ़ कर लोकतन्त्र की लड़ाई नहीं जीती है। हमारे लिए लोकतन्त्र नये मूल्यों का नाम नहीं है, बल्कि केवल जातिगत, वर्गगत, दलगत, प्रतिद्वन्द्विता प्रकट करने का तरीका है। बापू जानते थे कि ऐसे देश में लोकतन्त्र की समस्या अत्यन्त कठिन है। खादी प्रामोद्योग द्वारा औद्योगिक पूँजीवाद को तोड़ना, शासन की गाँव गाँव में सहकारी व्यवस्था का रूप देना और नयी तालीम द्वारा दमन और शोषण के संस्कार मिटाकर धर्म और समता के संस्कार विकसित करना—यह हमारे देश में लोकतन्त्र की समस्या है। इस समस्या का समाधान है नागरिक-शक्ति का विकास। बापू रचनात्मक कार्य को नागरिक-शक्ति, अथवा लोकशक्ति, के सगठन की माध्यम बनाना चाहते थे।

११—प्रश्न यह है कि रचनात्मक कार्य अपने इस ऐतिहासिक मिशन की क्यों नहीं पहचान सका?

[ क्रमशः ]

★

अहिंसक सेना हथियार चन्द सैनिकों की तरह न केवल दंगे के चक्र बलिक शान्ति के मध्य भी काम करेगी। संघर्षों को शान्त करने के लिए पर्याप्त सख्या में शान्ति सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ सौ या कुछ हजार ऐसी निर्दोश मृत्युएँ ऐसे संघर्षों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगी। जानबूझ कर क्रोध का शिकार होनेवाले कुछ सौ तरुण स्त्री-पुरुषों का आहुति ऐसे पागलपन का मुखावला करने के लिए पुलिस और फौज के प्रदर्शन के घनिष्ठत निश्चय ही किसी भी दिन एक सत्ता आर महादुराना उपाय होगा।

★

महात्मा गांधी

कच्चा चार के लिए

जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर

कहीं-कहीं जून के पहले सप्ताह में और कहीं कहीं तीसरे या आठवरी सप्ताह में वर्षा शुरू हो जाती है। ऋतु-परिवर्तन होता है और तपती हुई धरती की प्यास बुझती है। मौसम बदलता है और मौसम के साथ साथ हमारी क्रियाएँ भी बदलती हैं। मई के तीसरे सप्ताह से धान-खेती की तैयारी होने लगती है। जो किसान अभी घर पर दिनभर बैठा रहता था वही अब खेतों में दिखायी पड़ने लगता है।

यह एक ऐसा अगसर है जब कि इसका लाभ शिक्षण के लिए लिया जा सकता है। लेकिन हम इन अवसरों का समुचित लाभ नहीं उठा पाते। जब भा समवाय पाठ की बात मन में आती है तब तुरत हमारा दिमाग उलझ जाता है। आखिर समवाय किसका, किसके साथ? क्यों का जवाब तो मिला कि समवायी प्रक्रिया शिक्षण की आसान और सही प्रक्रिया है, लेकिन किसके किसका समवाय हो, यह साफ नहीं होता है। हमारे जितने स्कूल चलते हैं सच खेतों से दूर-रहते हैं या गाँवों में रहते हुए भी गाँवों के बाटा वरण से अपरिचित होते हैं—अपने घरे रसम रिवाज से अनभिज्ञ, और अपनी समस्याओं से दूर, बहुत दूर!

इसलिए यह पाठ उन बच्चों के लिए हा है जो खेतों में अपना कुछ समय शिक्षण के साथ बिताते हैं तथा गांव के वातावरण से परिचित हैं और विद्यालय भी उसका प्रयत्न करता है। शायद कुछ खेती में रुचि रखता है और कोशिश करता है कि

मई, '६३ ]

## समवायी पाठ : एक सुभाव

श्री कमलापति

बच्चों को आवश्यक सारी जानकारी प्रयोगों के माध्यम से मिल जाय और बच्चे आसानी से बिना किसी प्रकार के भार के जो सीखना है सीख सकें।

### पाठ के आधार

#### १ प्रकृति

अ० मौसम वर्षा

आ० वनस्पतिया

इ० जीव, कीड़े-मकोड़े आदि

#### २ उत्पादन ( खेती )

अ० धान

आ० बरसाती सब्जिया

इ० अन्य

#### ३ सामाजिक पर्व और त्योहार

#### १ प्रकृति—

अ—बदलता मौसम—साल में कितने मौसम, नितनी ऋतुएँ, हिंदी तथा अंग्रेजी महीनों का ज्ञान। कैलेंडर में पहले से तारीखें कैसे जान ली जाती हैं? कैलेंडर देखना, दिन, घटा, मिनट, जोड़ घटाव आदि। गर्मी के बाद ही वर्षा क्यों? वर्षा कैसे? अपने देश में कहां नितनी वर्षा होती है और क्यों? वर्षा कैसे होता है? आकाश में पानी आता कहा से है? इतनी वर्षा होती है फिर पानी जाता कहा है? बादल आकाश में कैसे आये और चलते हुए क्यों दिखायी देते हैं?



अपने राज्य, भारत और दुनिया के नक्शे से परिचय करना। अपने जिले और प्रांत का अच्छा परिचय। नक्शा आदि पढ़ना।

आ—वनस्पतियों—वनस्पति किसे कहते हैं ? आसपास की वनस्पतियों की पहचान। वन और शनस्पतियों की रक्षा क्यों आवश्यक है ? इनका हमारे जीवन में क्या लाभ है ? कुछ वनस्पतियों का सामान्य इस्तेमाल। जंगल का परिचय और जंगल में रहने वाले लोगों का परिचय।

इ—वनजीव—वन में रहनेवाले पशुओं का परिचय। साप, साप की जानिया। साप से लाम, हानि। पिप-वाले साप और बिना पिपवाले साप साप के काटे जाने पर सामान्य उपचार।

बिच्छू की किस्में, निय, उपचार।

उनेले पशु—हिंसक—क्या हमारे निकट रहने वाले पशु भी कभी बनैले थे ? वे हमारे निकट कैसे आ गये ? अहिंसक पशुओं की किस्में और उनका परिचय। हिंसक पशुओं में कौन कौन शाकाहारी हैं और कौन-कौन मासाहारी—दोनों की किस्में और परिचय। इन पशुओं के स्वभाव। नरभशी की आदतें तथा उसके जीवन की मनोरंजक कहानिया। किस प्रदेश में किस किस्म के जंगली पशु अधिक मिलते हैं।  
२ खेती—

अ० धान—रोप के लिए खेत तैयार करना। प्रमाणिक लम्बाई चौड़ाई की क्यारियों की जानकारी। कीते से खेत की लम्बाई, चौड़ाई निकालना, उसका पैमाना मान कर कापी पर नक्शा बनाना। किनारे की नालिया, बीच की नाली तथा क्यारियों के बीच बीच में नालियों का आवश्यकता तथा उनका माप। बनाये हुए खेत का नक्शा कापी पर बनाना। भ्रम के किनारे धुंटे लगे, यदि मजदूरी जोड़ी जाय तो कितना खर्च लगेगा ! बीज का परिमाण। कितना खेच रोपने के लिए कितना खेत रोप के होना चाहिए। पुराने प्रचलित तरीके से हम लोग खेती क्यों नहीं करते ? इसे 'जापानी' खेती क्यों कहते हैं ? जापान के बारे में कहानी। पुरानी पद्धति से कितनी उपज होती है ? नयी पद्धति से कितनी होगी ? बीज की

दुलना। जापानियों ने धान खेती कहा से सीखी ? हमारे देश में धान रोती किस किस प्रदेश में अधिक होती है ? अपने राज्य में कहा कहा होती है ? सर नक्शे में दिखाना।

वेह बनाने के लिए किस किस साधन सामान की आवश्यकता पड़ेगी। बीज को नमक के घात में धोना, क्यों ? नमकीन पानी में बीजें क्यों नहीं डूबतीं। समुद्र का पानी नमकीन होता है, क्यों ? वेह बनाने में जो साधन लगते हैं वे कहाँ कहाँ से आते हैं ? रोप उखाड़ने का तरीका, रोप उखाड़ने में इतनी सावधानी क्यों ? धान रोती के लिए जलवायु—भिट्टी आदि। किस प्रकार के जलवायु में धान पैदा होता है वहा के लोगों का भोजन, वस्त्र, रहन-सहन आदि।

रोपने के लिए खेत तैयार करना। खेत की जोताई, किनारे की जमीन की छटाई। कितना पानी, बोझी देना। रोपाई के लिए साधन-सामान। कितने दिन बाद मोरी रोपते हैं।

रोपने का तरीका—

लाइन में, एक-पौधे से दूसरे का फासला—इससे फायदा। भ्रम, धटे व मजदूरी का हिसाब जोड़ घटाव में। बीघा, बिस्वा, बिस्वायी का हिसाब बनाना। जड़ों को धोकर, अगुली पहले धँसाकर रोपना और उसका शास्त्र। खेत की गुड़ाई कितने समय बाद ? बीच-बीच में कितने समय का अन्तर होना चाहिए। खाद—

खाद की आवश्यकता क्यों ? पौधों की खुराक, पौधे अपनी खुराक कैसे लेते हैं ? कुछ पौधों को लेकर धीरे-धीरे गिलास में रंग आदि डालकर उससे प्रभाव से प्रमाणित करना कि पौधे अपनी खुराक कैसे लेते हैं ? पौधों के अलग-अलग अंगों के क्या-क्या काम हैं। जड़ों के प्रकार व उनकी पहचान।

धान के रोग व उनका निवारण—

रोग के प्रकार, रोग लगा हो तो पहचानपाना या पहले से उसकी जानकारी करा देना। किस रोग में [ रोप पृष्ठ ३७० पर ]

## नागरिकता की शिक्षा

-शिक्षा-क्षेत्र का यह एक महत्वपूर्ण दायित्व स्पष्टतया आवश्यक हुआ है कि लोगों को अच्छा नागरिक बनाया जाय : यह जिम्मेदारी शिक्षक और शाला ले ।

-बच्चों को ऐसे ढंग से शिक्षा देनी होगी जिससे वे अपनी कल्पना को विस्तृत सीमा एक फैला सकें, तथा उनके सामने उतना विशाल, समृद्ध और विविध कार्य-क्षेत्र प्रस्तुत करना होगा जहाँ वे अपनी उस कल्पना को कुछ आकार देने का प्रयत्न कर सकें ।

### ति० न० आश्रेय

शिक्षा के हेतु के सम्बन्ध में आज तक जो-जो विचार सामने आये हैं उनमें प्रमुख दो हैं—एक, समाज की जो कुछ विदीपता है, परम्परा से विकसित होनी आये संस्कृति का जो सार-रत्न है उसे बनाये रखना और समाज की एकता को मजबूत करना, दूसरा, समाज को अपनी उन परम्पराओं और संस्कृतियों को नये युग के अनुकूल नया रूप देने में सहायता करना ताकि समाज नये जमाने की चुनौतियों का मुकाबिला कर सके । इन दोनों प्रश्नों में से दोनों का समाधान है कि शिक्षा दो प्रकार की है—एक, नागरिकता की शिक्षा और दूसरी, नैतिक शिक्षा । आज समाज की जो आवश्यकता और आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए एक और नागरिकों को अच्छे नागरिक बनाना है और दूसरी ओर लोक-नैतिकता बढ़ाना है । समाज में होनेवाली स्तर रहेगा नई, '६३ ]

हो—एक राह दिखानेवाला का, दूसरा उनके पीछे चलनेवालों का । जरूरी नहीं कि राह दिखानेवाले हमेशा राह दिखानेवाले ही रहें और पीछे चलनेवाले हमेशा पीछे चलनेवाले ही रहें । व्यक्ति बदल सकता है, परन्तु समाज की प्रगति की प्रक्रिया में ये दो कार्य अनिवार्य हैं—एक चलना, दूसरा ले चलना । चाहे तो वो कहें कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल चलना नहीं, बल्कि चलना और ले चलना दोनों क्रियाएँ मान्य होनी चाहिए । इसी को हमने नागरिकता और नैतिकता दो नाम दिये ।

पहले हम नागरिकता की शिक्षा पर विचार करें । नागरिक बनाना प्रजा ।

विषय आरम्भ करने से पहले स्पष्टता की दृष्टि से एक बात ध्यान में रख लेना उचित होगा । नागरिक

राष्ट्र हमने ज्ञान वृद्ध कर प्रयोग किया है। यह नागरिकों का जमाना है, प्रजा का नहीं। चाहे पुरानी सामन्तशाही हो या आज की टोटलिटैरियन स्टेट हो जो शासन अधिनायक सत्तात्मक है वहाँ की जनता 'प्रजा' कहलाती है, लोकतन्त्रात्मक या उदारमतवादी शासन के अधीन जनता 'नागरिक' कहलाती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि दोनों राज्य व्यवस्थाएँ एक-दूसरे की विन्तुल विरुद्ध हैं। अधिनायक-सत्तावाद को ही सैद्धांतिक कल्पनाओं और मान्यताओं पर आधारित है तो लोकतन्त्र व्यावहारिक अनुभवों और वास्तविकताओं पर खड़ा है। पहला तन्त्र अमूर्त विचारमान है, तो दूसरा व्यवहार प्रत्यक्ष है। पहले की सारी शक्ति (संबन्ध) सैनिक शक्ति है और दण्डमय की शक्ति है, तो दूसरे की शक्ति सामाजिक न्याय की शक्ति है। पहला तन्त्र राष्ट्र के लोगों के समूचे जीवन पर अपना नियन्त्रण रखना है और अपने लाभ के लिए ही लोक शक्ति का उपयोग करता है, तो दूसरा तन्त्र अपने अधिकारों का उपयोग राष्ट्र के लोगों के हित और कल्याण के लिए तथा उस कल्याण की सिद्धि में आये जानेवाले रोड़ों को दूर करने में करता है, और वह भी लोक-सम्मति से करता है। अधिनायकवाद में राष्ट्र ही इच्छांवर है, वहीं अंतिम ध्येय है, लोकतन्त्र में राष्ट्र लोगों की समृद्धि और सम्पन्नता सिद्ध करने का एक साधन मात्र है।

### शिक्षा का एक स्वतन्त्र विषय

पिछले जमाने में 'नागरिकता की शिक्षा' की आवश्यकता आज की तरह स्पष्ट और स्पष्ट नहीं थी, उन दिनों समाज आज की तरह खपाया जटिल नहीं था, इसलिए प्रौढ़ों की अच्छे नागरिक के रूप में रहना सास-सोर पर शिक्षावा नहीं पड़ता था। पारिवारिक जीवन से और दूसरे-दूसरे प्रकारों से हर कोई यह जान जाता था कि समाज एक है और वह उसका ही एक सदस्य है। बच्चे शुरू से ही उस समाज की जीवन-मदति, उसके इतिहास, उसकी श्रद्धाएँ और उसके सोचने और काम करने के तरीकों से सहजमात्र से परिचित हो जाते थे और उन्हें सहज अपना लेते थे। लेकिन इन दिनों करीब-करीब यह विचार ही सतम हो गया है

कि परिवार और समाज भी शिक्षण का एक प्रमुख माध्यम है। इससे अलावा समाज भी आज इतना विशाल और विविधतापूर्ण हो गया है कि परिवार की या समाज की वह क्षमता भी घट गयी कि वह बच्चों को सुनिश्चित सहायक सहज दे सके। इसीलिए शिक्षा-क्षेत्र का यह एक महत्वपूर्ण दायित्व स्पष्टतया आवश्यक हुआ है कि लोगों को अच्छा नागरिक बनाया जाय, यह जिम्मेदारी शिक्षक और शाला ले।

### नागरिकता की मर्यादा

'नागरिकता की शिक्षा' कहने ही यह कहना होगा कि जमुक समाज की नागरिकता की शिक्षा। क्योंकि एक ही नाम की राज्यव्यवस्था का स्वरूप हर कहीं, समाज ही होता हो सो नहीं है। लोकतन्त्र नाम एक है, पर समाज भर में जितने लोकतन्त्रात्मक राष्ट्र हैं सबका लोकतन्त्र एक ही प्रकार का नहीं है, अमेरिकी लोकतन्त्र का एक रूप है तो इंग्लिश लोकतन्त्र का दूसरा, वह भी १९ वीं शताब्दी का लोकतन्त्र एक प्रकार का तो २० वीं शताब्दी का उससे भिन्न प्रकार का। इसलिए नागरिकता की शिक्षा देने से पहले यह स्पष्ट कर लेना होगा कि हम किस प्रकार के समाज की नागरिकता की शिक्षा देने जा रहे हैं यह समाज कैसा होगा जिसमें आज के बच्चे नागरिक कहलाएंगे, और उस समाज के 'अच्छे नागरिक' का क्या अर्थ होगा, ताकि उससे उस समाज को पूरा समाधान हो सके।

फिर भी लोकतन्त्र के कुछ स्थायी मूल्य हैं जिनकी खर्चा पहले को जा चुकी है, उन का विकास हर एक क्षण में और हर एक लोकतन्त्रीय राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक के अंदर करना है इतना तो निश्चित ही है। उन के अतिरिक्त दो एक बातें हैं जिन का निश्चयन यहाँ करेंगे।

### नागरिकता का अक्षरिङ्ग

नागरिकता की शिक्षा के दो स्वरूप हैं—एक यह कि प्रत्येक नागरिक को अपने-अपने समाज की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी तथ्यों की जानकारी स्पष्ट रूप से करानी जाय। शासन-तंत्र किस प्रकार से काम करता है यह जाने बगैर नागरिक को उसमें अपनी ओर से जितना

और जैसा योग देना होगा वह उतना नहीं दे पायेगा। प्रत्येक नागरिक को कम से कम इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि सरकार कैसे बनती है, लोक-समाज क्या है, सरकार के क्या-क्या काम हैं, विरोधी पक्ष क्या होता है, मंत्रिमण्डल का क्या काम है, चुनाव की पद्धति और तंत्र कैसा है, आदि। उसे यह भी मालूम होना चाहिए, केवल प्रौढों के लिए ही नहीं, बच्चों को भी पूरा-पूरा परिचय कराना शायद अधिक आवश्यक हो, कि स्थानीय प्रशासन कैसे चलता है, ग्राम-पंचायत, पंचायत-परिषद्, न्याय-पंचायत, बड़े शहरों में नगर पालिका और उसके विभिन्न विभाग आदि के काम-काज क्या है और उन के काम में जनता की कहां-कहां और किस रूप में सहयोग करना होता है आदि। नागरिक को यदि अपने समाज के काम में उत्साह के साथ उसका कर्तव्य निभाना है तो इतनी जानकारी उसके लिए निश्चित ही आवश्यक है।

इसकी शिक्षा कैसे दी जाय यह प्रयोग करके देखने की चीज है। शालाओं में सिविकस (नागरिकशास्त्र) पढ़ाते समय या इतिहास के अंदर इन विषयों को तफ-सील से पढ़ाया जा सकता है; बल्कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में बच्चों की प्रत्यक्ष से जा कर जहाँ के अधिकारियों से बात-चीत के द्वारा और समय-समय पर विभिन्न प्रसंगों में प्रत्यक्ष कार्य के साथ संपर्क रख कर यह सब किया जा सकता है।

नागरिकता की शिक्षा के इस पहलू का महत्त्व मिडिल या हाईस्कूल के स्टेज में होता है, क्योंकि बच्चों की तभी अपने समाज का भान होने लगता है और वे उस उम्र में महसूस करने लगते हैं कि यह स्कूल और यह घर ही नहीं, वह समाज भी उन का अपना है और वे उसके भी सदस्य हैं।

### नागरिकता का अंतरंग

नागरिकता की शिक्षा का दूसरा स्वरूप है—बच्चों को लोकतंत्रीय नागरिक-जीवन जीने की कला सिखाना। अपेक्षाकृत यह अधिक महत्त्व का काम है। बच्चों को लोक-तंत्र के मूल सिद्धांतों की समझना होगा और यह भी जानना होगा कि दैनिक जीवन में उन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाय। बच्चों को इस चीज के लिए भी तैयार करना

होगा कि वे समाज से लाभ उठाने के साथ-साथ समाज के सर्व-साधारण हित के लिए भी काम करें। लेकिन वे बातें स्कूल में बैठ कर विज्ञान से पढ़ा कर सिखायी नहीं जा सकती, बल्कि इनके लिए बच्चों को जैसे एक सामूहिक जीवन का वातावरण उपलब्ध कराना होगा जहाँ लोकतंत्र के आदर्श और व्यवहार नित्य-जीवन के अभिभाग्य अंग बने हों। स्कूल यदि बच्चों को लोक-तन्त्रात्मक समाज की नागरिकता सिखाना चाहता है तो उसे स्वयं लोकतन्त्रात्मक जीवन जीना होगा और वह भी केवल मिडिल या हाईस्कूल के स्टेज में नहीं, बल्कि बाल-मंदिर और नर्सरी स्कूल के स्टेज में ही वह संस्कार उन्हीं देना होगा। स्वस्थ समाज के अच्छे नागरिक बनाने की दृष्टि से बच्चों को सिखाना यह होगा कि वे परस्पर सबंध अच्छा रखें, सर्व-साधारण के हित के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने को सदा इच्छुक रहें, सुलू कर चर्चा करें, कोई बात मनवाने हो तो तथ्य और युक्तियों द्वारा ही मनवायें, किसी बाहरी दबाव का सहारा लें नहीं, दुराग्रह न रखते हुए समझौता करने की वृत्ति बनाये रखें, और उन में निरपेक्ष व्यवहार, न्याय, प्रामाणिकता, कठिन धर्म, आराम-उपम आदि गुण बढ़ें।

ये सब गुण बढ़ों के आपसी व्यवहार की देख कर ही सीख जा सकते हैं। बड़े लोग आपस में तथा अपने छात्रों के साथ कैसे पेश आते हैं, व्यवस्था और नियम के अंदर रहते हुए ना सद्व्यवहार करना उनका रक्तगत स्वभाव कैसे बन गया है, खेल-कूद में, शैक्षणिक प्रवाह में और एस हा विविध कार्यक्षेत्रों में सब शिक्षक कैसे पुल-मिल कर रहते हैं, सब के हित को ध्यान में रख कर अपना-अपना कर्तव्य ठीक ढंग से कस निभाते जाते हैं—इन सब बातों का प्रत्यक्ष देखकर बच्चे जितन सहज भाव से आत्मसात् कर सकते हैं उतना पढ़ान से या डरा-धमकाने से नहीं।

### विसंगति का कारण—मनोवृत्ति

आज की हमारी शालाएँ क्या ऐसी शिक्षा दे पाती हैं? बच्चों को लोकतंत्रीय समाज का नागरिक बनाने में स्कूल-कालेज कहा तक प्रयत्न करते हैं? सामान्यतया यही कहना होगा कि हमारे स्कूल-कालेजों की स्थिति आज कभी लोकतन्त्रात्मक नहीं, अधिकारवादी (अथारिटेरियन)

ही है। विषयो को पढ़ने में ही नहीं, शिक्षकों के वैयक्तिक व्यवहार में भी यहीं लोकतन्त्र की गंध भी नहीं है। आज भी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के बीच बड़े और छोटे का ही नाश है, आदेश से ही काम लिया जाता है, धाक जमाने की ही कोशिश चलती है और व्यवस्था की आलोचना कोई सामान्य शिक्षक करे तो उसे निद्रोह का प्रथम चरण ही माना जाता है। बच्चों के विकास के संबंध में माता पिताओं या अभिभावकों को जितना महत्त्व मिलना चाहिए या उन का जितना सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए उस पर भी ध्यान नहीं गया है। जब यह स्थिति है, तब हम कैसे कहें कि बच्चों को लोकतन्त्र की नागरिकता की शिक्षा मिल रही है ?

एक बड़ा दोष यह अभी तक जारी है कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है। स्पर्धा का माहुर बड़ा भयानक होता है। शरीर और मन दोनों पर इसका बुरा असर पड़ता है और जीवन का जो अनमोल गुण है—सहकार—उसी को वह खतम कर देती है।

कुछ लोगों का कहना है कि प्रतियोगिता हर तरह से बुरी ही हो सी बात नहीं है, न केवल शिक्षा में, बल्कि कई दूसरे विषयों में भी प्रतियोगिता की भावना मनुष्य की प्रगति का प्रेरकत्व बनती है। अपनी ही पूर्वापर स्थिति की तुलना करके मनुष्य भी प्रगति कर सकता होगा उससे अधिक अच्छी प्रगति दूसरे व्यक्ति के काम की तुलना अपने काम से करके वह कर सकता है।

फिर भी लोकतन्त्र का यह तकाजा है कि व्यक्ति को समाज के हित के लिए विवेकपूर्वक और स्वच्छ से अपना स्वार्थ छोड़ना होगा, और ऐसे प्रसंग तिर्य कई आते रहते हैं। इस लिए इन उदारता की शिक्षा में योग्य स्थान मिलना चाहिए। प्रतियोगिता का आधान मांग अपमान से पहले इस उदारता और सहयोग का अच्छो तरह विचार कर लेना चाहिए। प्रतियोगिता की वृत्ति को सर्वथा समाप्त नहीं ही की जा सकती ही तो भी सहयोग और स्वायत्तता के साथ उसका समुल्लन विधान निश्चित हो आवश्यक है।

**पद्धति का महत्त्व**

नागरिकता की शिक्षा में सिया पद्धति का कम महत्त्व नहीं है। यद्यपि स्कूल के सामूहिक-जीवन के साथ

पढ़ाई के तरीके का कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर भी पढ़ाई के तरीके को देख कर हम यह आंक सवेंग कि ब्यक्तिगतिक के बीच कैसा सवध विकसित विषय जा रहा है। नागरिकता की शिक्षा को दृष्टि से 'उत्तम शिक्षक वह है जो अपने को दृष्ट बनाने में पूरा सफल हो जाय।' जो शिक्षक अधिकारवादी (अथॉरिटारियन) होगा और बच्चों में वही जानकारी दू देने का प्रयत्न करेगा जो वह जरूरी और उत्तम समझता है, और बच्चों से यह अपेक्षा रखेगा कि वह जो कुछ पढ़ाये उसे व आलस भूहकर खोलते जाय और अपना डालें, वह निश्चिन्त ही बच्चों को बौद्धिक और नैतिक शिक्षण नहीं देता है बल्कि उन्हें जिम्मेदार और सुमनसोल नागरिक बनाने का बजाय पराधीनता और आशाकारिता का ही पाठ पढ़ाना है जो लोगतन्त्र के लिए घातक गुण है। बच्चों को टोलिया में बंधकर सह विचार और सह-काय की पद्धति से यानी ऐक्टिविटी मेथड से पढ़ाना चाहिए निश्चित कार्य हाथ में लेकर उसे पूरा करने को और उसे जाच-परख कर आगे बढ़ने की प्रक्रिया से काम लेना चाहिए। इतने बच्चे हर बात के लिए शिक्षक पर निर्भर न रहकर खुद जिम्मेदारी उठाने-योग्य बनेंगे और साथ ही इससे उन्हें अभिक्रम, सहयोग जैसे अभ्युत्थ गुणों के विकास के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।

### सैद्धांतिक आधेष्टान

जहाँ बच्चों को गलत ढग के समाजिक अनुभवों से बचाना जरूरी है वहाँ सही ढग के अनुभव देना भी उतना ही जरूरी है। सही ढग का अनुभव तभी दिया जा सकेगा जब कि लोकतन्त्र के मूल सिद्धांतों को दृढ़तापूर्वक मानें, खास 'मनुष्य को व्यक्ति के नाते मूल्यवान' समझने के सिद्धांत को सबसे बड़कर प्रमुखता दें। इस सिद्धांत को मानने का अर्थ होगा—स्कूल में प्रत्येक लड़के या लड़की को, प्रत्येक स्त्री-पुरुष को मनुष्य के नाते ही पूरा आदर दिया जायगा, उनमें जो भी विचार भेद या मत भेद हो उसकी तरफ पूरे आदर से देखा जायगा मले ही उनका वह भिन्न विचार आगे चलकर उनके अकल्याण का कारण सिद्ध हो। तब शिक्षक का केवल यही कर्तव्य होता है कि वह बच्चों का सजगता और धीरज के साथ अध्ययन कर, कोई बच्चा एकदम

मद बुद्धि दीखे तो भी उसमें कोई न कोई दूसरे प्रकार की जा भी क्षमता और योग्यता होगी उसे विकसित करे ताकि वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्नति के गिहर तक पहुँच सके। इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे कमजोर बच्चों को ज्यादा लाड किया जाय या जबरन से ज्यादा दुलाराया जाय, बल्कि ऐसा करना भी गलत ही होगा, क्योंकि प्रत्येक को भावर समुचित मात्रा में ही मिलना चाहिए, न कम, न ज्यादा। उल्टा अनुप्य में विभिन्न सारसत्व को या विविध गुणों को पहचानने के लिए यह भी जरूरी होता है कि उसे कई घबके साने प और कई विकलनाओं में से गुजरना पड़े। समानता का मन्लर इनना ही है कि चाहे बौद्धिक क्षेत्र हो या कूद वा मैदान हो या निस्य जीवन हो, हर वही प्रत्येक को अपना विवास करने का मुवन अवसर मिल।

एक शिक्षा शास्त्री ने कहा है— शिक्षा के सही तत्व का नानकार वही है जो बच्चों की भावना को सहजभाव से पलने दे, सक्रिय होने दे और किसी बाधन में बाँधे नही, और साथ ही बच्चों को समय समय पर सचेन करता रहे जहाँ वे अपने अहित को न पहचानन हुए मनमानो करने लगेँ अर्थात् स्वतन्त्रता और नियन्त्रण का सन्तुलन ठीक रख सके।

शालेय जीवन में ये बातें और प्रीत होनी चाहिए कि कोई निर्णय लिया जाता है तो खूब-सलाह मसविदे के बाद, शप्यो के आधार पर, सत्यनिष्ठा से प्रेरित होकर और मनाव की पद्धति से ही लिया जाय। लोकतन्त्र के सही नागरिक को तैयार करने में शालाओ का यह स्वरूप अत्यन्त आवश्यक है। शालाओ को यह जान लेना चाहिए कि यह उनको नागरिक तैयार करने के लिए मिला हुआ एक अवसर है, न कि बेरोक अधिकार चलाने का क्षत्र।

### तत्र मुक्ति

शिक्षा का दूसरा भी एक कर्तव्य है। लोकतांत्रिक नागरिक तैयार करने के अपने लक्ष्य को यदि सिद्ध करना है तो शिक्षा को अपना वह दूसरा कर्तव्य भी निभाना ही होगा, और वह है शिक्षा स्वयं किसी बने बनाय ढाँच में बंध न जाय। यह इसलिए आवश्यक है

कि जीवन का विकास हर तरह के ढाँचे से परे है और शिक्षा है जीवन के विकास के लिए। अधिनायकवादी (डिक्टेटेरियन) राज्य में और लोकतन्त्रात्मक राज्य में यही तो बड़ा अंतर है। बच्चों को यह तो जानना चाहिए कि उनका समाज किन सिद्धांतों और तत्वों की भाव पर सजा है और उस समाज में जीना है तो उन्हें किस प्रकार अपनी वृत्तियों को मोडना है, पर उनसे बधना नहीं है, जह नहीं बनना है। बल्कि उस प्राचीन सस्कृति का आधार बनाये रखते हुए भी वनमान जीवन की गति विधियों का आनवोन करने और आवश्यकतानुसार उस पर कँची चलाने की भी हिम्मत होनी चाहिए। जीवन के भावो स्वरूप को निर्धारित करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। यह सारा तभी होगा जब प्रत्येक नागरिक का विकास तत्र-मुवन हो, शिक्षण मात्र से परे हो।

### कसौटी

सच्चा नागरिक तैयार करने की दृष्टि से शिक्षक के लिए शायद सबसे ज्यादा कठिन काम बच्चा में अभिक्रम और सृजन सोलता का विकास करना ही है। क्योंकि आगे चलकर समाज में जो सृजनशील ब्यापक परिवर्तन (क्रियेटिव चेंज) दाखिल होंगे उन सबका आधार यही है। सृजनशीलता और अभिक्रम ये ही दो गु हैं जिनके मल से योग्य परिवर्तन की स्वस्थ परपरा पडती है। इन दो गुणों को सक्रिय होन न दिशा-दर्शन करनेवाला गुण है भावो समाज का समुक्त ऊहापाह करन की दक्षि। वर्तमान की सजादे संवारा न का निर्देशक तत्व भी भाविय की कल्पना और उसे साकार करने की महत्वाचा ही है। इसका अर्थ यह कि बच्चो को ऐसे ढप से शिक्षा देनी होगी जिसने व अपनी कल्पना को बिस्तृत सीमा तक फैला सकें, तथा उनके सामने उतना विशाल, समुद्र और विविध कायक्षण प्रस्तुन करना होगा जहाँ वे अपनी उस कल्पना को कुछ आकार देने का प्रयत्न कर सकें। इसका अर्थ उनमें रचनात्मक ढ्य से विवेचन करने की वृत्ति को प्रोत्साहन करना होगा और उन्हें वर्तमान पर नजर रखना सिखाना होगा, वर्तमान पर नजर रखना, आगे पीछे की सुध-बुध छोडर

में खो जाना नहीं है, बल्कि वर्तमान को भविष्य की प्रगति के लिए पिछली सीढ़ी के रूप में देखना। इसी का यह भी अर्थ है कि स्वतंत्रता और प्रभुता (भयारिटी) के संतुलन का अभ्यास, जिसमें बच्चों की प्राचीन संस्कृति और प्रवृत्ति जीवन मूल्यों के दायरे में नयी-नयी सृष्टि और प्रगति करने का पूरा अवसर मिल सके। हमी का अर्थ है प्रत्येक बच्चे को उसकी जाति, वर्ण, धर्म आदि भेद छोड़कर समान मानना, उन्हें व्यक्ति के नाते विभूति समझना और जिम्मेदार नागरिक बनने की पूरी क्षमता-युक्त व्यक्ति जानना।

### अर्हता का प्रश्न

नागरिकता की शिक्षा को लेकर शिक्षा शास्त्रियों के बीच बड़ी म-यन चलता है। शिक्षा शास्त्रियों का एक पक्ष ऐसा है जो मानता है कि नागरिकता की शिक्षा वास्तव में बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए ही है क्योंकि वे कहते हैं बच्चों के अर्थ में नागरिकता नहीं है, वे नाबालिग हैं। राष्ट्र की आदिक समृद्धि की दृष्टि से वे कुछ भी पैदा नहीं करते हैं। स्थानीय या राष्ट्रीय राजनैतिक मामलों में वे कुछ भी सक्रिय हिस्सा नहीं ले सकते तब क्या वे नागरिकता को समझ पायेंगे? अगर नहीं, तो उन्हें नागरिकता का पाठ पढ़ाने से क्या लाभ?

यह दलील एक हद तक सही है। जैसा किसी ने कहा है—'राष्ट्र की किसी भी नीति में कोई व्यक्ति तब तक स्वेच्छा से रुचि लेता नहीं जब तक उस नीति का सम्बन्ध उसकी जेब से नहीं होता।' फिर हर कोई व्यक्ति राष्ट्र के मामलों में रुकावट बजाह क्यों देता है?

लेकिन यह विषय इतनी आसानी से टालने जैसा नहीं है। नागरिकता के जिस पहलू का हम विचार कर रहे हैं वह सरकार से सम्बन्धित है। वह सरकार जितनी प्रारम्भिक अवस्था से शलाका जा सके उतना अच्छा। अतः शिक्षकों को इसका पहलू अपनी ओर से करना चाहिए। बच्चा जो सक्रिय और सृजनशील बनाने की दिशा में शिक्षक या स्कूल कुछ कर सकते हैं तो यही कि बच्चा में यह अनुभूति जगा दें कि वे उस समाज के ही अंग हैं।

### संकुचितता

नागरिकता की शिक्षा में दो एक खतरों भी हैं। पहला यह कि नागरिकता के आदर्श को सही-सही रूप में प्रस्तुत न कर पायें और उससे संकुचितता भी ही प्रोत्साहन मिलने लगे तो वह मानवता के लिए ही खतरा बनेगा। मानव-समाज का जिस रूप में विकास होता आया है उसकी आज माँग है कि सब के हृदय विशाल हो और राष्ट्रों की रक्षाओं से विश्व के टुकड़े न बनें। नागरिकता की शिक्षा को इन भावनाओं की बाधक न होने देना आवश्यक है। आज, यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि, राष्ट्रीयता विद्वेषान्ति के लिए बड़ा रोड़ा बनी है।

### जड़ता

दूसरा खतरा यह है कि 'भूति' 'नागरिकता' का अर्थ ही एक नमूना है, प्रचार विशेष है, इसलिए नागरिकता की शिक्षा को प्रधानता देने के अवसर में व्यक्ति को किसी माचे में न डालने की मूल नीति पर प्रहार हो जा सकता है। समाज मानस का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि समाज जहाँ परंपरा प्रिय है वहाँ निरंतर प्रगति के रास्ते में गतिरोध की भी बड़ी बरदाश्त नहीं करता है। उसे नित्य नया परिवर्तन पसंद है। परंपरा उसे वहीं तक प्रिय है जहाँ तक समाज का अस्तित्व अधुण्य रहे, बाकी वह किसी भी प्रकार के रूपों का स्थागत हो करेगा। इसलिए नागरिकता की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह संस्कृति की रक्षा करने के अपने कर्तव्य से अलग न होती हुए भी समाज को गति दे सके और नये विचार में बढ़ने की प्रेरणा दे सके। अतः नागरिकता की शिक्षा के नाम पर यदि किसी बन-बनाने साधे में डालने का ही काम चलता है तो समाज गतिशील नहीं रह पायेगा, निश्चित हो उनमें अड़ता घुस आयेगी।

ध्यान रखने की बात यह है कि जहाँ व्यक्ति एक नागरिक है वहाँ वह एक मनुष्य भी है। लोकतंत्र का आदर्श है मनुष्य को मनुष्य के रूप में विचारित होने देना। राष्ट्र की दृष्टि से नागरिकता चाहे जितना महत्वपूर्ण हो फिर भी वह मनुष्यत्व के विकास में बाधक न हो हम बात की सावधानी रखनी होगी।

# श्रमभारती का विसर्जन

## वर्ग-निराकरण का अभ्यास

( ३ )

निर्माण और विसर्जन, ये दोनों एक ही उपासना की दो क्रियाएँ हैं। दोनों को मिलाकर उपासना पूरी होती है। अगर विसर्जन न हो तो उपासना अधूरी रह जायगी।

श्रमभारती का निर्माण किस लिए हुआ था और विसर्जन क्यों हुआ, यह प्रश्न अपने बहुत से मित्रों और शुभचिंतकों के मन में है। इस प्रश्न का सार्वजनिक महत्त्व इसलिए हो जाता है क्योंकि जहाँ तक भेरी जानकारी है जीवन के नये सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से श्रमभारती का प्रयोग देश के जीवन में असाधारण रहा है। चायद इमीलिए कुछ लोगों को दुःख भी हुआ है कि ऐसा प्रयोग टूट गया, लेकिन सन्तोष यह है कि अगर तोड़ा तो उसी ने तोड़ा जिसने जोड़ा था, इसलिए मानना चाहिए कि बिगाड़ने में भी बनाने की कोई योजना अवश्य रही होगी। कलाकार ने कला नहीं छोड़ी, केवल कला का स्वरूप बदल दिया।

श्रमभारती में किस चीज का प्रयोग था ? शिक्षण और प्रशिक्षण को श्रमभारती ने प्रवृत्तियों के रूप में अपनाया था, उन प्रवृत्तियों के पीछे तब दूसरे थे।

एक दिन—शायद १९१६ की बात है—एक सञ्जन श्रमभारती देखने आये थे। धीरेन भाई को देखकर पूछने लगे—‘वहाँ क्या-क्या होता है?’ धीरेन भाई बोले—‘यह हज़ुर से सज़ुर बनाने का कारखाना है, और ये युवक कारखाने के कच्चे माल हैं।’ यह कह कर कुछ देर तक धीरेन भाई उस मित्र को वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया समझाते रहे।

जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं श्रमभारती को हमेशा वर्ग-निराकरण की ही प्रयोगशाला मानता रहा। उत्पादक-श्रम वर्ग-निराकरण का माध्यम, साम्य वर्ग-निराकरण का रक्षक, नयी तालीम वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया—यह कल्पना और योजना श्रमभारती की थी। धीरेन भाई सोचते थे कि अगर अहिंसक समाज बनाना है तो क्रांति भी अहिंसक, होनी चाहिए और क्रांति को अहिंसक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वर्ग-सघर्ष की भूमिका मिटे। विज्ञान और लोकतंत्र के इस युग में सघर्ष की, चाहे वह देखने में कितना भी शांतिपूर्ण हो, निष्पत्ति कभी अहिंसक नहीं हो सकती। इसलिए सघर्षमुक्त क्रांति वा रास्ता यह है कि मध्यम वर्ग, जिसके हाथ में आज शासन और शोषण के सूत्र हैं, अपने परिवर्तन की प्रक्रिया ग्रहण करे। कम्युनिस्ट निते वर्ग-परिवर्तन ( डीकलासिंग ) कहते हैं वह केवल बौद्धिक होती है और सत्ता मिलने तक सीमित रहती है, लेकिन अहिंसा में बौद्धिक प्रतीति के साथ-साथ जीवन-परिवर्तन भी आवश्यक है, क्योंकि अहिंसक क्रांति में क्रांति क्रांतिकारी के अपने जीवन से शुरू हो जाती है।

सादोप्राम में हम लोगों ने वर्ग-निराकरण की दृष्टि से जीवन-परिवर्तन के दो मूलतत्त्व ग्रहण किये थे—श्रम और साम्य। हमारी मान्यता थी कि वास्तविक वर्गविहीन समाज तब होगा जब हर एक उत्पादक होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बुद्धि और श्रम का सघर्ष निरन्तर चलता रहेगा, भले ही सामूहिक स्वामित्व द्वारा पूर्ण के साथ होनेवाला संघर्ष मिट जाय। यद्

मई, '६३ ]

[ ३६१ ]



सोचकर हम लोग ने सबसे लिए चार घण्टे का उत्पादन धर्म अनिवार्य माना। जीविका के लिए बाठ घण्टे का काम हर एक को करना ही चाहिए, जिसमें चार घण्टा उत्पादन-धर्म हो और बाकी चार घण्टा शिगण या व्यवस्था में लगे।

गुरु म अपेक्षा यह थी कि हर सदस्य उत्पादन, शिगण और व्यवस्था, तीनों काम करे, लेकिन बाद को जब शिगण और व्यवस्था दोनों को साथ निभाना बठिटा हो गया तो उत्पादन क अलावा इन दोनों में से कोई एक मात्र किया गया।

उत्पादन धर्म में हम लोगो ने पहला स्थान भूमि सेवा, यानी खती-भोसेवा और भूमि सुधार को दिया। यह निर्माण, वृष-सेवा, उद्योग और गृह-सेवा, यानी सफाई और रसोई का भी स्थान उत्पादन धर्म के अन्तगत था। कताई को हम उत्पादक तो मानते थे लेकिन धर्म नहीं मानते थे। साधारण घसों को कताई में कोई खास शारीरिक धर्म होता भी नहीं। धर्म न करने का संस्कार बदलन की दृष्टि से हम लोग शरीर धर्म पर बहुत अधिक जोर देते थे, इसलिए मिट्टी खोदने और सिर पर टीकरी डोन का महत्त्व सबसे अधिक था। हाथ से टट्टी की सफाई करना, खाना बनाना, मिट्टी खोदना आदि कामों से सामा यत पुरुष बचता है इसलिए हम लोग इनको आग्रहपूर्वक ऊंचा स्थान देते थे। सारी कोशिश इस बात की थी कि बाबूगीरी दिमाग से निकल जाय।

उत्पादन-धर्म पुरुषो के लिए ही नहीं, स्त्रियों के लिए भी अनिवार्य था। घर की रसोई या शिशु-मालन उत्पादन धर्म का विवरण नहीं था। बच्चों के लिए शिशु विहार और बालमार्ग दार था। सामूहिक भोजनालय से अलग अगर किसी को अपनी रसोई बनानी हो—बाद का निजी भोजनालय की छूट दे दी गयी थी—तो धर्म के समय के बाद बनाये। शुरू में ८ घण्टा का काम स्त्रियों के लिए भी जरूरी था बाद को ६ घण्टा कर दिया गया, लेकिन कमाई भी दो रुपये से ३३ रुपये कर दी गयी।

जान-बूझ कर कार्यक्रम और दिनचर्या की ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि लोगों में यह संस्कार बने

कि जीविका के लिए पत्नी बहाना है। समाज में कुछ भी हो, हमें अपना जीवन योग्यपुन बना लेना था।

हममें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे लादीप्राम जान के पहिले से नियमित धर्म करने का अभ्यास रहा हो। पावशा चलाने और टीकरी डोने से शरीर बहुत दुबला था, लेकिन नौद भी गुब आती थी, और आज भी १९५५ और ५६ में उन्हीं दिनों की याद सबसे अधिक आती है जब लोग रात से मिट्टी में सने हुए लोटते थे और रात को चारपाई पर मुँद की तरह अचेत पड जाते थे।

जीविका के लिए उत्पादन—धर्म अनिवार्य तो था, लेकिन उत्पादन पर जीविका निर्भर नहीं थी। हर तरह के धर्म का सामान मूल्य रखा गया था, और धर्म के घण्टे गिनकर 'मजदूरी' मिलती थी। 'मजदूरी' धर्म का ही व्यवहार होता था ताकि दिमाग से 'मालिकी' का बीडा निकल जाय। धर्म, शिगण या व्यवस्था के एक घण्टे की चार आने मजदूरी रखा गयी थी। हम लोग बाठ घण्टे के काम के लिए दो रुपये रोज की 'मजदूरी' पाते थे। अगर काम के घण्टे कम हुए तो मजदूरी कट जाती थी, लेकिन अगर अधिक हो गये तो अतिरिक्त कमाई की गुंजाइश नहीं रसी गयी थी। यह मान लिया गया था कि कोई भी ६० रुपये से अधिक क्यों से, विपय रूप से वह जो धर्म और समता में विरवास करता है ?

धर्मभारती सब-सेवा-सथ की सस्था थी। सारा पैसा वहाँ से ही आता था। धर्म की यह सब जो रचना हुई थी वह धर्मिको के प्रत्यक्ष उत्पादन पर नहीं चलती थी बल्कि सब-सेवा सथ से प्राप्त 'सन्निधो' पर टिकी हुई था। और धर्मभारती में जो खती-बारी और उद्योग होना था उसके लिए हम बायकर्पोजो का चार घण्टे का धर्म पर्याप्त भी नहीं होता था, उसके लिए गांव के मजदूर रख गये थे। ये ही सारे उत्पादन की रीढ़ थे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि धर्म का अभ्यास खूब हुआ। अभी उस दिन साथ स्थान आते हुए चीनू कह रहा था 'शैया, उन दिनों आप लोगों का काम देखकर हम लोग डरम लगे थे कि अब हमारा क्या होगा ?'

[ शेष पृष्ठ ३७४ पर ]

[ नयी साळीम ]

## मैत्रेय का शिक्षक-दल

श्री रावी

एक बार धरती के एक चक्रवर्ती सम्राट ने अपने राज्य के शिक्षाध्यक्ष-पद पर मैत्रेय ऋषि को नियुक्त किया। प्रजाजनो के लौकिक और पारलौकिक विकास के लिए शिक्षा-क्रमों का निर्माण तथा शिक्षकों और प्रचारकों के प्रशिक्षण एवं नियुक्ति का कार्य इस पदाधिकारी द्वारा ही किया जाता था। राज्य की आय का एक तिहाई भाग इस शिक्षा-विभाग में ही व्यय होता था।

मैत्रेय ने अपने कार्य का दायित्व तो स्वीकार कर लिया किंतु किसी भी शिक्षक और प्रचारक की नियुक्ति नहीं की, उन के प्रशिक्षण का कोई शिविर नहीं खोला और न किसी शिक्षा-क्रम की ही राज्य में घोषणा की। फलतः राज्य-कोष से इन कार्यों के लिए उन्होंने कोई धन भी नहीं लिया और वे अपने पर्वत-प्रदेशीय आश्रमों में ही रहे।

जब दस वर्ष इसी प्रकार बीत गये तो राजा की चिंता हुई, और प्रजा को भी शिक्षकों के अभाव में अक्षयताप और आशकाओं का मन होने लगा। राजा और प्रजा दोनों की ओर से एक शिशु-मण्डल मैत्रेय के आश्रम में उन से मिलने गया।

‘आप लोग कैसी बात कहते हैं!’ मैत्रेय ने उन की बात सुन कर आश्चर्य के स्वर में कहा, ‘मैं ने तो इन दस वर्षों में शिक्षकों को एक बड़ी सख्या आप के राज्य में भेज दी है। जाइये, खोजिए, आप उन्हें पा जायेंगे।’

शिशु-मण्डल लौट आया, लेकिन उसे या राज्य के किसी भी नागरिक को एक भी शिक्षक कहीं नहीं देख पड़ा। दुबारा वह मण्डल मैत्रेय के पास पहुँचा।

सई, '६३ ]

‘आपने उन की रोज नहीं की। इस समय तक कोई भी घर ऐसा नहीं जिसमें वे पहुँच न गये हों। क्या नगरों का गलियो में, हाटा के झूलो में, माताओ की गोदी में आप ने उन्हें अभी तक नहीं देखा?’ कह कर मैत्रेय ने उन्हें वापस कर दिया।

नगरों की गलियों, हाटों के झूलों और माताओं की गोदी में नागरिकों के बालक-बालिकाओ से भिन्न और किछ की ओर मैत्रेय का सकेन हो सकता था! विद्वान अर्थकारों ने समझा कि ये प्रौढ़-नागरिकों के शिक्षक हैं और मैत्रेय ऋषि ने उन्हें ही आवश्यक ज्ञान-दान की क्षमता से संपन्न कर दिया है।

लोग बालकों से भावि-भास्ति के प्रश्न पूछने, शंकाओं का समाधान मागने और ज्ञान-दान की याचना करने लगे। किंतु वे बालक उन्हें कुछ भी न बता सके। लोग ने बच्चों के व्यवहारों का अपने पारस्परिक व्यवहार में अनुकरण करने का भी प्रयत्न किया, किंतु उस का फल मा अत्यन्त अनुविधा-जनक रहा। विवद ही तीसरी बार जन वह शिशु-मण्डल मैत्रेय ऋषि की सेवा में उपस्थित हुआ तब उन्होंने कहा :

‘आप लोगों ने मेरा अभिप्राय ठीक ही समझा। किंतु प्रश्नों के उत्तर देने, शंकाओं का समाधान करने और व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करने-वाले शिक्षक एक साधारण सीमा के आगे आप का पय प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप लौटकर अपने बच्चों के और भी निकट संपर्क में आने का प्रयत्न कीजिए। उन के व्यवहारों का अनुकरण न कीजिए बल्कि अपने प्रति जैसे व्यवहारों के लिए वे आपको प्रेरित और

[ शेष शृङ्ख ३६८ पर ]



## संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षा-पद्धति

(श्री वाटलिंग के लेख के आधार पर)

संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि उस शिक्षा के द्वारा वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धर्मता के अनुरूप उन्नति करने का पूरा अवसर मिले। यह वहाँ के नागरिक का नैतिक हक माना जाता है। अमेरिका ने अपनी मारी प्रगति का आधार मुख्यतः व्यक्ति की विद्यता और कुशलता को ही माना है और वहाँ के राष्ट्र-निर्माताओं ने इसी बात पर बराबर जोर दिया है कि वहाँ का नागरिक प्रबुद्ध और सक्रिय हो।

समय-समय पर वहाँ के पहले जब दूसरे उपनिवेशों में लोग वहाँ आकर बसने लगे तो वहाँ व्यापक सार्वजनिक शिक्षा का विचार विकसित हुआ। उस वक़्त के लोग अपनी मानुभूमि में राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक बंधनों के कारण बुरी तरह पाहित थे, इसलिए अमेरिका में आकर बसे तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि नये स्थान में उस प्रकार का कोई बंधन या अवरोध न रहने पाये। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठा कर नये मूल्यों का आधार पर शुरू से ही ऐसी शिक्षा-व्यवस्था कायम की जिससे उस समय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

चूँकि उन्होंने अपना यह स्वप्न बना लिया था कि प्रत्येक परिवार के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देनी ही है, इसलिए उनको इस निर्णय पर पहुँचना पड़ा कि

शिक्षा की व्यवस्था सार्वजनिक सहायता (पब्लिक सपोर्ट) से ही करनी है। १७८५ में एक भूमि विधेयक स्वीकृत हुआ और तीन वर्ष बाद दूसरा एक विधेयक 'पश्चिमोत्तर विधेयक' (नार्थवेस्ट फ्राण्टियर ऐक्ट) के नाम से पास हुआ। ये दोनों ऐतिहासिक विधेयक माने जाते हैं। दोनों में यह स्पष्टता निर्देश दिया गया था कि पब्लिक स्कूलों को आवश्यक सहायता देना समाज का कर्तव्य है, यह समाज की ही जिम्मेदारी है। शिक्षा पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण किसी प्रकार न रहे यह प्रयत्न आरम्भ से ही हुआ और १७८९ में जो संविधान लागू हुआ उसमें भी सार्वजनिक शिक्षा को केंद्रीय शासन के नियंत्रण से मुक्त ही रखा गया। साथ ही हर एक राज्य ने अपने यहाँ की शिक्षा का भार स्वयं मान्य किया और यह तय किया कि सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। तब से इसी दिशा में वहाँ शिक्षा का विकास होता आया है।

जब शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण नहीं रहा और राज्यों को ही सारा विचार अपनी ओर से करना पड़ा तो सहज ही प्रत्येक राज्य की शिक्षा में कुछ न कुछ विविधता भी आयी। प्रत्येक जगह की भौगोलिक, धार्मिक, जातीय और वैचारिक भिन्नताओं का प्रभाव वहाँ के स्कूलों के रूप, कार्यक्रम और गतिविधि पर पड़ा। यद्यपि बाद में समूचे राष्ट्र को दृष्टि से कुछ

[ नयी वालीम

विषयों में समानता लाने का प्रयत्न हुआ और आज भी वैसी कुछ सर्व-सामान्य पद्धति राष्ट्रभर में देखने को मिलती है, फिर भी हर तरह से विविधता सतम हो गयी हो, ऐसा नहीं है।

इस प्रकार के विकेंद्रीकरण से शिक्षा के सबंध में सोचने और उसका नियंत्रण करने का भार वृत्तों के माता पिता और अभिभावकों के ऊपर अधिक आता है। जबल माता पिता ही नहीं, सामान्य नागरिक भी उसका नीति और लक्ष्य निर्धारित करने में भाग ले सकते हैं और अमेरीका में आज वैसा हो रहा है। राज्य और स्थानीय शासन भी अपने स्कूलों का अधिकाधिक स्वतंत्रता देते हैं ताकि व स्थानाय समुदायों और क्षेत्रों का आवश्यकता पूरी करने में सफल हो सकें। इस प्रकार विकेंद्रिकरण के कारण विविधता को प्रोत्साहन मिलता है।

विकेंद्रिकरण में एक सतरा भी है और वह यह कि नाति, लक्ष्य और कार्यक्रम में विविधता को प्राप्ता इन मिल जाने से समूचे राष्ट्र का दृष्टि से जो एक समान गुण-स्तर और समान कार्यक्रम आवश्यक है वह नहीं रह पाता है। साथ ही यह भा हो सकता है कि जो कुछ सुविधाएँ मिलता हैं उनका सहा उपयोग करने के लिए उचित योजना सब जगह ठाक-ठीक न बन पाये और धन-राशि का अपव्यय हो जाय। जा डिग्रिया या उपाधियाँ सभी राज्यों में दी जाती हैं उनके सबंध में यह भय पैदा होता है कि उन डिग्रियों और उपाधियों को पानेवाले स्नातकों की योग्यता समान नहीं भा हो सकता है।

### दर्शन और लक्ष्य

शिक्षा राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों को नया पीढ़ी के लोगों तक पहुँचाने और उनके जीवन में स्थापित करने का एक साधन है। दर्शन का काम यद्यपि मूल्यों की स्थापना और विवेचन करना हो है, फिर भी अमेरिका की शिक्षा का विकास करने में वहा के दर्शन के अवर्गत शिक्षा सम्बन्धा सिद्धांतों का बड़ा हाय रहा है। वहा शिक्षा का लक्ष्य क्या रहे, पाठ्यक्रम में किन किन विषयों का समावेश हो, शिक्षा-पद्धति

वैसी हो, शिक्षा-कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जाय, आदि बातें तय करने में उन तत्वों का जपरदस्त हाय रहा है।

अमेरीका में प्रचलित शिक्षा सिद्धांतों का उद्गम प्राचीन विश्व सस्कृति ही है, परंतु वहा उसका जो व्यावहारिक रूप है वह विशेषतः यूरोप की पद्धति के अनुसार है। वहा के शैक्षणिक मूल्यों पर लेवनीज, काण्ट, हेगल, शोपेनहाजर आदि जर्मन शिक्षा शास्त्रियों का बड़ा प्रभाव रहा है, इन्ग्लैण्ड के हब, ल्यूक, बर्कले, ह्यूम आदि शिक्षाविदों का योगदान भी ठोस है, और प्रारंभिक काल की विचारधारा रूसो के विचारों से तो प्रभावित है ही।

अमेरीका जय एक राष्ट्र बना और नये सदभ में सारी रातों पर विचार करने लगा तर नई नये विचारों और मूल्यों का जन्म हुआ। अमेरीका राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए सफल संघर्ष कर चुका था, और मौखिक जगत् की जुनौती में भी वह काफी अग्रणी रहा। इन्हीं सारी सफलताओं ने आगे जा कर नय दार्शनिक मूल्यों का रूप लिया।

वह एक नया दर्शन था। उसे व्यवहारवाद ( प्रेम्पेटिव्ज ) अथवा प्रयोगवाद ( एक्स्पेरिमेण्टलिज्म ) कहत हैं। वह पुराने और नये दोनों दिमागों की उपन है। इस विशिष्ट विचार-सरणि का विकास और परिष्कार करने का श्रेय अमेरिका के मनीषी विलियम जेम्स, चार्ल्स पियर्स और जोन डूई को है। आदर्शवाद ( आइडियालिज्म ) और यथार्थवाद ( रीवा लिज्म ) आदि पुराने दर्शनों के सारे गुणात्मक मूल्य पहुँच के बाहर ये जब कि इस नये दर्शन ने सिद्ध किया कि सत्य सापेक्ष है और नैतिक मूल्य भी कोई अपरिवर्तनीय या शाश्वत नहीं हैं, परिस्थिति और सदभ के अनुसार उनका रूप बदल सकता है।

इस व्यवहारवाद की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें विविधता में एकता का दर्शन करने की धमता है। सभी शिक्षा का लक्ष्य यह नहीं माना गया कि व्यक्ति को एकमात्र समाज की सेवा के लिए ही तैयार किया जाय, बल्कि यह कि चूकि

व्यक्ति और समाज दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है अतः दोनों के विकास के लिए समान रूप से प्रयत्न किया जाय व्यक्ति के वैयक्तिक गुणों और विशेषताओं को निरारामे का प्रयत्न किया जाय और व्यक्ति और समाज दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में विकसित किया जाय ।

व्यक्ति अमरीका की शिक्षा पर इस व्यवहारवाद का रंग सन् १९०० से ही चढ़ा है फिर मा यह कहना शायद गलत होगा कि वहाँ की शिक्षा पर इसी का प्रभाव सार्धभूमि रहा है । वस्तुतः शिक्षा के तत्वों को अमरा में उतने समय अग्र-अग्र दर्शन के तत्व उसमें घुस आते हैं और कुछ हद तक सब को अपना कर चलना होता है । अमेरीका में इसे एक प्रकार का सासप्रहवाड ( एक्लेक्टिसिज्म ) कहते हैं । कुछ लोग इसे अच्छा और उपयोगी मानते हैं तो कुछ इसे कमजोरी का लक्षण कहते हैं । इन दोनों दृष्टि कोणा को लकर आज अमेरीका में तत्र मन्नेद और काफी वाद विवाद चलता रहता है ।

अमेरीका की शिक्षा पर लोकतन्त्र के सिद्धांतों का एक समवेत जीवन ( असोसियेटेड लिविंग ) के रूप में बड़ा प्रभाव पड़ा है । जय वहाँ के सविधान ने लोकतन्त्र को मान्य कर उस पर जोर देना शुरू किया तो समूचे शिक्षण विचार और शिक्षा सिद्धांतों पर वह छा गया । लोकतन्त्र ने यह सिद्धांत जोरों से पेश किया कि व्यक्ति स्वयं व्यक्ति के नाते मूल्यवान है और प्रतिष्ठित है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता और समानता का पूरा अवसर समान रूप से मिलना चाहिए और किसी भी सधप को मिटाने का एक मात्र साधन विचार है । इन सिद्धांतों की वजह से अमेरीका के समाज में, खास कर शिक्षा में एक नवरदल नया मोड आया और शिक्षा इन सब आदर्शों का पूर्ति की दिशा में उत्तरोत्तर प्रभावशाली योगदान देने को बाध्य हुई ।

गत कई दशकों में शिक्षा के लक्ष्य और हेतु को वहाँ के शिक्षा शास्त्रियों में काफी मयन चला है । सन् १९१८ में सेवेण्टरी शिक्षा के पुन सगठन

के संबंध में विचार करने के लिए एक कमीशन नियुक्त हुआ था जिन्होंने 'कार्टिनल प्रिंसिपल्स' के नाम से कुछ लक्ष्य देश के सामने रखे और १९१८ में गिना हेयुओं की एक लम्बी सूची प्रकाशित हुई । इन वक्तव्यों का प्रमाण काफी गहरा हुआ, क्योंकि इनमें बार बार यही बात दोहराया गयी था कि प्रत्येक बालक को अपनी क्षमता के अनुसार पूरा प्रगति और उन्नत करने का अवसर मिलना चाहिए ताकि राष्ट्र का संस्कृति को संपन्न और समृद्ध करन में कोई व्यक्ति वंचित न रह जाय और इस शिक्षा की व्यवस्था सावजनिक स्रोतों ( पब्लिक सपौट ) से हा होनी चाहिए ।

### सगठन और महायता

यद्यपि केंद्रीय शासन राष्ट्र की शिक्षा के लिए किसी प्रकार के कानून के सामन विभंगतर नहीं है, फिर भी राष्ट्र भर म रचना मक गिना के विकास के लिए उसने भारी प्रोत्साहन दिया है । गत दो सौ सालों में लगभग बीसों कारवाइया केंद्र सरकार की आर से हुई हैं और इस समय समूचे शिक्षा-व्यय का चार प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय सरकार से आता है । शिक्षा क्षेत्र में काम करनेवालों के मार्ग दर्शन के लिए कुछ पास जिम्मेदारिया देकर १८९७ में एक नेशनल ब्यूरो की स्थापना का गया था जिसे इस समय आपिस आव एज्युनेशन कहते हैं । इस कार्यालय के हाथों में शिक्षा का नियंत्रण आदि का कोई कानूनी अधिकार नहीं है बल्कि विभिन्न स्कूलों का अध्ययन कर आदर्श आइडे इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना सर चगह स्कूलों से संचित जानकारी पहुँचाना संगठन पाठ्यक्रम दिना पद्धति, शिक्षकों की तैयारी उनका स्थान-मान और इसी प्रकार की सब के लिए उपयोगी जानकारी देते रहना आदि कामों के द्वारा यह राष्ट्रों तथा जिलों की मद करता है । वह कभी-कभी सर्वेक्षण भी करता है गाला-व्यय तथा के संबंध में सगह मशविरा देता है विविध सेवाओं के लिए केंद्रीय सरकार से मिलनेवाली आर्थिक सहायता का वितरण करता है । केंद्रीय सरकार से व्यावसायिक शिक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यावसायिक

पुनर्वास और ऐसे राष्ट्र दित के अन्य कार्यों के लिए सहायता मिलती है।

यद्यपि सिधा सुधारतः राज्यों के अधिकारक्षेत्र में मानी जाती है फिर भी कई राज्य मिलकर कुछ संमितिय योजनायें बनाये हैं और उन योजनाओं के लिए कुछ सहायताओं की व्यवस्था करते हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अधिकार एक बोर्ड को दिये जाते हैं जिसका गठन गवर्नर करता है या जनता करता है। दर स्टेट-बाउंडेड नॉति तर करता है, न्यूनतम दर निर्धारित करता है, आर्थिक सहायताओं के विनियोग की योजनाएं बनाता है, और राज्य के अन्दर सिधा का काम करनेवाले सभी संस्थाओं का समन्वय करता है। उस बोर्ड को यह भी अधिकार है कि अपने राज्य में चानेधाने सिधा क्रम को प्रमाणित करे, स्थानीय परीक्षा और प्रयोग को प्रोत्साहन दे, घोष कराव, सहाय प्रशिक्षण के रूप में मागदर्शन दे और केंद्र की घनराशि वा योग्य विवरण करे। राज्य-बोर्डों का सबसे प्रमुख रूप में प्राथमिक और माध्यमिक (एलिमेंटरी और सेकेंडरी) सिधा में ही रहता है। कॉलेज और रियर सिधाओं के लिए अलग बोर्ड होते हैं।

हर राज्य में कुछ कर्मचारियों का एक स्टार होता है जो राज्य के शासन-संस्थाओं का न्यूनतम अनुसरण राज्य-बोर्ड की नीतियों का कार्यान्वित करता है। एक प्रमुख शासन-अधिकारी को छोड़कर बाकी सब कर्मचारी एक प्रकार से स्थायी नौकर हैं, लेकिन वे भी विद्यमान-स्तर की योग्यतावाले ही होते हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि राष्ट्र का कोई बच्चा—चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य का नागरिक हो, उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो—अपनी क्षमता और आकांक्षा के अनुसार पूरी प्रगति के अवसरों से वंचित न रह जाय।

शासन-बोर्डों के व्यय के लिए राज्य और स्थानीय दोनों स्तरों से कर वसूल करके भारी सहायता दी जाती है। अमीरों और गरीबों के बीच शिक्षा के अवसरों की विषमता न आने देने की दृष्टि से कई राज्यों ने बुनियादी कार्यक्रमों (फाउण्डेशन प्रोग्राम) की गई, १९६३ ]

स्थापना की है। इनके द्वारा एक मुनिरोजित पद्धति से राज्य से प्राप्त होनेवाले करों का अधिक भाग गरीब इलाकों में और कम हिस्सा अमीर इलाकों में बांटा जाता है। लेकिन राज्य की सहायता चाहे कम मिले या अधिक, परन्तु सब को सिधा का एक विशिष्ट स्तर समान रूप से बनाये रखना अनिवार्य है।

शासन-व्यवस्था में संबंधित प्रमुख विनियोगों और अधिकार स्थानीय शासन-बोर्डों के हाथ में होना है। २० साल पहले तक अमेरिका में ऐसे स्थानीय बोर्ड (लोकल ट्रिब्यूनल) एक लाख साठ हजार थे। यह सब वर्षों में कुछ जिलों को एट-टुमरे में मिला कर यह संख्या कुछ कम की गयी है। एक स्थानीय बोर्ड का क्षेत्र सब जगह समान नहीं है, कहीं उस जिले में पूरा राज्य भा जाता है तो कहीं एक छोटा भाग देखा जाता है, कहीं एक गांव ही तो कहीं छोटा या बड़ा इलाका आता है। कुछ जिले तो इतने छोटे हैं कि वहाँ के सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक ही पर्याप्त होता है।

प्रत्येक जिले का एक बाईं आउट-पुनर्गठन होता है जिसका निर्वाचन वहाँ के लोग करते हैं। ये बोर्ड अपने सदस्यों में से किसी एक को चारों-पारों से अपना नेता या सुपरिण्टेंडेंट चुनते हैं जो अफेले या बोर्ड के उपयोग से शासन-बोर्डों का स्टाफ नियुक्त करता है। उस स्टाफ के परामर्श से बाईं स्थानीय शिक्षा-नीति तय करता है और उसके लिए आवश्यक घनराशि स्वीकार करता है। सामान्यतया ये बाईं बच्चों के माता पिता और अभिभावकों की इच्छा के अनुसार ही सारा विचार किया करते हैं, साथ ही राज्य के कानून के दायरे में ही रह कर काम करते हैं। आम तौर पर ये बोर्ड क्षेत्रीय सभतनों द्वारा तय किये गये गुणस्तर के अनुसार ही अपनी रीति-नीति तय करते हैं, यद्यपि रीजनल सभतनों के निर्णय केवल सुझाव के रूप ही होते हैं, आदेश के रूप में नहीं। इस चौगुट के अन्दर ही रह कर ये बोर्ड यह तय करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाय, चारों-पारों के घन-राशि में कितना घन अरने लिए प्राप्त किया जाय और पढ़ाई का विशिष्ट स्तर क्या माना जाय। इसके

आलाना ये बोर्ड स्कूलों के लिए मकान देते हैं, राधन-सामग्री देते हैं, शिक्षक देते हैं, अभ्यासक्रम की आयुधि और पढ़ाई के घण्टे तय करते हैं, अनिवार्य उपरिपति पर जोर देते हैं और सहायता में प्राप्त धन के विनियोग की व्यवस्था देखते हैं। इतनी गहरी दिलचस्पी लेने के कारण ही स्थानीय शिक्षा का स्तर राज्य द्वारा निर्धारित स्तर से शायद ही कभी पीछे रहता है, बल्कि स्थानीय लोग जितनी अपेक्षा रखते हैं उससे भी कुछ आगे ही जाता है, और सभी लोग उसके लिए धन देने को तैयार होते हैं।

चूँकि अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि वहाँ के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की सुविधा देनी ही है, अतः इस समय वहाँ आर्थिक सहायता का प्रश्न कुछ निरुद्ध हो चला है, क्योंकि पचास द्वितीय महायुद्ध के बाद वहाँ की जनसंख्या निरंतर बढ़ता जा रही है। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में प्रवेश पानेवाले बच्चों की संख्या १९५९-६० में ४ करोड़ २७ लाख थी जो इससे पहले कभी नहीं थी। वहाँ इस समय एक बच्चे के पीछे औसत सागना खर्च ३९० डॉलर है अर्थात् लगभग १८५० रुपये हैं और बच्चों की पढ़ाई का कुल खर्च १६०० करोड़ डॉलर से भी अधिक है। बड़े लड़कों और लड़कियों के खर्च की कुल औसत के अनुपात में देखें तो बच्चों का यह खर्च प्रति बच्चा ९० डॉलर अधिक है। उच्च शिक्षा को भी जोड़ लें तो राष्ट्र की आमदनी का खर्च लगभग ५५। प्रतिशत भाग

शिक्षा पर हो रहा है। आज अमेरिका में यह एक विवादास्पद विषय बना हुआ है कि राष्ट्र के इतने महत्वपूर्ण विभाग पर—शिक्षा पर—इतना ही व्यय करना क्या पर्याप्त है। गत १८ वर्षों से यह प्रतिघात निरंतर बढ़ता ही आ रहा है।

स्थानीय स्रोतों से प्राप्त धन राशि का एक भाग ५५ प्रतिशत शिक्षा पर ही व्यय होता है। यह सारा धन मकान, खेतों और व्यवसाय पर कर लगाकर प्राप्त किया जाता है। ४० प्रतिशत तक सहायता राज्य सरकारें देती हैं। राज्य-सरकारें विक्री तथा अन्य करों से कुछ अतिरिक्त राशि देती हैं और कुछ हिस्सा राजस्व कर से भी देती हैं। सभी राज्यों की आर्थिक समृद्धता समान नहीं है, इसी लिए शिक्षा पर व्यय की जानेवाली धनराशि में भी राज्यों के बीच काफी अंतर रहता है। इस लिए भी केन्द्रीय सरकार से अधिक मात्रा में सहायता लेना आवश्यक हुआ है। इस लिए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक से उसकी निजी आमदनी के हिसाब से—चाहे वह आमदनी उसकी अकेले की हो चाहे साझे की—टैक्स लेने की नीति लागू की है और यह सभी राज्यों का स्तर अधिकाधिक एक-रूप बनाये रखने में काफी मददगार साबित हुआ है। इस समय नेशनल काम्रेस पर भी अधिक दबाव डाला जा रहा है कि वह सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक सहायता दे।

क्रमशः

[ अठ ३६३ का शेषांश ]

वाप्य कर देते हैं, उनका अध्ययन कीजिए और उन्हें ही अपने पारस्परिक व्यवहार में भी लाइए। इससे बढ़ कर शिक्षा आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी।'

उसी रात राज्य के प्रत्येक रहस्य ने—किसी ने स्वप्न और किसी ने जाग्रत अवस्थाओं में अपने आगम में एक त्रिवर्णीय सुन्दर बाल-मूर्ति के प्रकट हो कर कहते सुना।

'जैसा रितम्ब, निष्कपट, उदार, क्षमापूर्ण एवं न्याय-अधिकार और आदान-प्रदान की तुलनाओं से मुक्त व्यवहार तुम मेरे साथ करते हो वैसा ही आपस

में भी करने की प्रेरणा मैं तुम्हें देता हूँ। जिस दिन तुम इस प्रेरणा को ग्रहण कर सकोगे उसी दिन से तुम्हें लोक-व्यवहार का कोई अन्य पाठ सीखने की जरूरत न रह जायगी।'

मैंने यद्यपि की शिक्षण व्यवस्था की यह कथा किसी इतिहास पुराण में अभी तक नहीं आयी है किंतु मुना है कि मानव जनों की शिक्षा-व्यवस्था से अब भी उनका कुछ विशेष सम्बन्ध बना हुआ है और मानव-शिक्षणों को वे अब भी एक विशेष स्नेह-सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।

## बालक और संस्कार

बात को तूल दिया जाय तो बहुत बड़ी है, नहीं तो हँसकर टाल सकते हैं। यच्चों की बातें यों टाली ही जाती हैं।

श्री जमनालाल जैन

बच्चे का स्कूल और पिता का दफ्तर पास-पास हो है। पर और स्कूल के बीच रेलवे लाइन पटती है। आवागमन के लिए बड़िया पुल भी है। पुल से आना-जाना सुविधाजनक, सुरक्षित होता है। लेकिन आदमी का स्वभाव कुछ विचित्र, जल्दबाज़ या धाटेंकट पसंद भी होता है। सो लोग पुल के बजाय रेलवे लाइन लांघकर आते-जाते हैं। मैंने एक दिन बच्चे से कहा कि देखो, रेलवे लाइन से मत आना-जाया करो। कभी-कभी घोसा हो जाने का डर है। लेकिन एक दिन उसने मुझे रेलवे लाइनलांघकर दफ्तर जाते देस लिया। वह स्कूल से सीट रहा था। उस समय तो हम दोनों अपनी अपनी राह चल निकले—एक दूसरे को देखते हुए; लेकिन धाम को वह पूछ बैठा, बाबू जी, आज आप पटरी पर से क्यों गये?

प्रश्न ऐसा था कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं था और मैं था कि उसके चेहरे पर अपने मन की बहुत कुछ बातें पढ़ गयी।

बात को दिया तूल दिया जाय तो बहुत बड़ी है, नहीं तो हँसकर टाल सकते हैं। बच्चों की बातें यों टाली ही जाती हैं।

टाल तो सकते हैं, लेकिन टालने से प्रश्न खतम तो नहीं होता है। प्रश्न यह है कि व्यवहार की गाड़ी पर सवार होकर जब हम जीवन की सड़क पर बढ़ चलते हैं, तब पग-पग पर जो समस्याएँ आती हैं, उनको कैसे निपटाया जाय?

सबरे उठने से लेकर रात को सोने की गोद में पहुँचने तक का एक एक क्षण अनिगमन उतार-चढ़ावों से गुजरता है। और यों क्षणों पर क्षण बीतते रहते हैं, जिंदगी की राह पूरी होती रहती है। पर समस्याएँ हैं कि उमरवी-मिटटी रह कर भी सदा-सदा के लिए बनी रहती हैं।

मई-१९३१]

तुलसीदास जी बड़े पते की बात कह गये हैं कि सब से भले बं मूढ़ हैं जिन्हें जगत की कोई गति नहीं ब्यापती, कोई समस्या नहीं छूती। तो क्या हम मूढ़ बन जायें? जगत की समस्याओं में यो उलझना तो कोई नहीं चाहता, पर उलझने के बंधन में सभी दिखाई देते हैं। जड़ हम नहीं हैं, पर समझदार भी हैं क्या?

मैं भी बच्चे के उस प्रश्न को लेकर भीतर-भीतर टटोलता रहा। मैंने कहा न कि बात को तूल दिया जाय तो बड़ी बन जा सकती है। मैं भी इसमें उलझ गया और सो न सवा।

यों बात संस्कारों पर जा टिकी। हम-आप सभी चाहते हैं कि बालक सस्कारो बनें, सम्य और बुद्धिमान बनें। बल्पनाएँ करते हैं कि ऐसे सिखाया जाय, ऐसे पढ़ाया जाय, यह बताया जाय, वह दिखाया जाय। फिर भी बात कुछ बहुत बन नहीं पाती।

अपने को ही लुं! क्या 'मैं' वही है जो दिखाई देता है? मेरी सिष्टता, सम्यता, मधुरता, मिलनसारिता जो दिखाई देती है, उसके नीचे कुछ ऐसा नहीं है जिसे दवाना, हँकला, ज़रूरी हो? धर्म और बंधारम के बड़े-बड़े ग्रंथ मेरे सिरहाने रहते हैं, व्रत नियम, पूजा-पाठ का क्रम भी है, लेकिन क्या मेरा भीतर भी किसीने देखा है? जो खाने को मिल जाता है, वह इस तरह खा लेता है कि आप समझें कि बड़े प्रेम से गले उतर गया है। अर्धें तो मावुक हैं, पर वान तो बेचारे कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाते! उनको पढ़ना छो टेढ़ी खोर है और मन? इसकी तो पूछिए ही मत। वह तो एक ही ठग है।

आदमी का मला-बुरापन और कौन जान सकता है? कहते हैं, आदमी अपने को ही नहीं जान पाता! मैं क्या अपने को बुरा समझता हूँ? अपनी रचना किसे अच्छी नहीं लगती? जब आदमी की बुराई का दर्शन

[ ३६ ]



करने लगते हैं तब लगता है, कि उसमें अच्छाई भी होनी है ! जीवन क्या सचमुच उलटबांसी ही नहीं है ? सत्य का मूल चीन से उठा कहा जाता है पर क्या जीवन का चित्र भी परतों में उखा नहीं है ?

बाह्य है कि बच्चा सस्कारी बने। लेकिन सस्कार उसमें खले बँसे जायें ? माँ दूध पिलाती है खाना खिलाती है, नहलाती घुलाती है, प्यार पुचकार भी करती है। बच्चे को डाँटती भी है चाँटे भी लगाती, धमकाती, हलाती भी है। क्या इन्हें सस्कार कहा जाय ?

बच्चा कुछ बड़ा होता है, तब पढ़ने लगता है। स्कूल जाता है। किताबें खरीदी जाती हैं। कथा-कहानियाँ, चरित्र कथानक पढ़ता है। गीता रामायण, कथा-पुराण का पाठ कराया जाता है। अहिंसा, सत्य आदि गुणों का महात्म्य समझाया जाता है। सामाजिक शिक्षा, लोक व्यवहार की सीख दी जाती है। कहते हैं इनसे जीवन का निर्माण होता है, आदमी का एक ढाचा तैयार होता है, स्वरूप निखरता है। यों पत्थर का टुकड़ा प्राणवान मूर्ति बन जाता है। यह निखार भी सस्कार ही माना जाता है शायद।

लेकिन पोथियों का मार लाद कर भी प्रेम का ढाँड़ अक्षर पच नहीं पाता है। लाख लाख यत्न करके भी समझ में नहीं आता है। शिक्षायें सुनने को मिलती हैं कि रोज़-ब-रोज़ दुपटनाएँ ऐसी होती हैं कि आदमियत धर्मा जाय। कमियाँ दुगुणों और दुबलताओं को कहाँ कभी है ? हजारों वर्षों का ज्ञान ? सचित करके भी आदमियत पर शोध बढ़ती जा रही है।

सोचता हूँ कि सोचना सब बेकार है। कानून बनते हैं धम-धप रास्ता बताते हैं माँ-बाप को निगरानी रहती है फिर भी आदमी है कि अपने से बाहर हुआ जाता है। कहाँ किसी की पटती नहीं कहाँ किसी का सहयोग नहीं। सब अपने म अपने को लेकर ही परेशान।

एक सस्कार यह भी है कि बच्चे स्वच्छता, सुव्यवस्था नियमितता सीखें। सीखते तो होंगे ही। किंतु सीख सीख कर भी वर जहाँ के तहाँ ठिठके दीसते हैं। सब बे बेहरे धलम, भावनाएँ अलग-बलग। हर माँ-बाप परे-धान कि उनका लड़का कड़े में नहीं।

हम बालक पर गुस्सा हो तो वह क्या सीखेगा ?

हमारा गाली गलौज उसे क्या बनायेगा ?

ऐसी संकड़ों चीजें वह हम से हो पाता है। इनकी सीख हम नहीं देत हैं, पर वह ग्रहण करता है। क्योंकि हमारे लिए ऐसी क्रियाओं में अस्वाभाविकता नहीं रह गयी। हम बच्चों को डराते हैं क्योंकि हम स्वयं ही इन से डरते हैं। वह हमारी स्वच्छन्दता की बाध होता है।

सस्कारों की परतें इनकी अधिक हैं रि उघेहते जाइए हाथ कुछ नहीं लगता। ऊँची दुकान और फोका पत्रवान। पहाड़ खोदिए मरी चुहिया भी धायद न मिले। दो सगे भाइयों का स्वरूप भी एक दूसरे से अनोखा, भिन्न मिलेगा। सस्कारों का फामूला या नियमावली ज़नाकर गले में टांग देना ऐसा ही है जैसे गधे की पीठ पर शक्कर की बोरी लाद देना।

घर गृहस्थी के काम-काज, परिवार के व्यवहार और रहन सहन से ही बालक अपने जीवन का भवन खड़ा करता है।

अपने दिमाग पर से कल्पित 'सस्कारों' का बोझ उतार दें, सब देखिए हमारा असली स्वरूप कितना सुहाना, कितना रम्य हो उठता है। बहाने की मूर्ति बना कर उसकी पूजा ही की जा सकती है। वह न उठाया जा सकता है, न उपयोग में ही आ सकती है। अपनी रुचि का जामा पहना कर हम हर चीज की स्वाभाविकता और सौंदर्य खतम कर डालन म कुशल है। हम पाना है कि व्यक्तिस्व स्वयं सस्कार है बाकी सब तो समय के साथ बह जानेवाली धाँड़ें हैं।

कबोर ने कहा था कि भापातो बहता नीर है। उसे बूँप-जल नहीं बनने देना चाहिए। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम अपने सतान को क्या बनाना चाहते हैं ? बगल का मत सोचिए। उ हूँ अपन आप बनने दीजिए। उनके बनने म आपकी कृतियाँ आपका भयवहार आपकी हर प्रवृत्ति उ हूँ आदर्शोत्तर, गतिशील बनाती है।

असल में तो बालक ही हमें बनाता है। हम बुनियाद हैं, वह ऋण। हमारे भिसन, दबने म ही उसका धमकना है। हमार मिटने म ही उसका विकास है। हमको मुला देन म ही उसका गोरव है।

## प्रेम का जुलम

खिलाने पिलाने के मामले में हम लोग अक्सर बच्चों पर प्रेम का जुलम करते हैं। रुचि, समय या मात्रा का ध्यान न रख कर खिलाने जाना अत्रिवेक का काम है। कई माताएँ पीट-पीटकर खिलाती हैं। कभी-कभी बच्चा के तक कर देता है फिर भी खिलती जाती हैं। पूरा खाना खिला देने के बाद भी जब मैं खाने की कोई चीज भर कर बाहर खेलने के लिए भेजना सामान्य अनुमन की बात है। कई बार बच्चे को अन्न से या दूध से या और किसी चीज से अरुचि हो जाती है, ऐसे समय जबरदस्ती करना अत्यन्त अहितकर है। ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे ने कम दूध पिया तो हम चिन्तित हो उठते हैं। 'दूध बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मात्रा का ध्यान न रखा जाय। १२ छटाक दूध एक से लेकर ३ वर्ष तक के किसी भी बच्चे के लिए काफी है। इवसे अधिक पिलाने की क्यों जिद की जाय ? दूध के लिए समय समय पर अरुचि हो जाना सामान्य बात है, उसकी वजह से चिंता नहीं होनी चाहिए। दो-चार दिन में रुचि वापस आ जाती है, और अगर न आये तो दही, मट्ठा या दूध की कोई दूसरी चाज बना कर देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कोई चाज पुसला कर या दबाव डाल कर खिलाने की कोशिश न की जाय। जरूर अगर बच्चा ज्यादा दिन तक खालिस या किसी दूसरे रूप में दूध न ले तो डाक्टर से पूछ कर 'कैलियम' देना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है।

बच्चे के जीवन में भोजन की समस्याएँ सब से अधिक एक और दो वर्ष की आयु के बीच में होती

कभी-कभी बेचारी मा को चम्मच और कटोरी लेकर बच्चे के पीछे-पीछे दौड़ना पड़ता है। बच्चे की यह शरारत माँ के लिए समस्या बन जाती है। यह सोच नहीं पाती कि क्या करे।

### श्री राममूर्ति

हैं। इस उम्र में बच्चे क पान-पान को लेकर मा जितना हा अधिक पराधान होता और रसीलती है उतना ही अधिक बच्चा उसे पराधान करता है। मा और बच्चे के बीच का यह तनाव कभी-कभी वर्षों तक जारी रहता है और कई तरह के दूसरे तनावों का कारण बनता है।

खाना खाने के बारे में सही रुख यह है कि बच्चे को यह महसूस कराया जाय कि भोजन के बारे में सब से अधिक खुद उसको चिंता होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो कि मा खिलाने के लिए पाछे-पाछे दौड़ती फिर और बच्चों को उसे परीधान करने में मजा आये ? एक काम यह करना चाहिए कि जो चीजें उसे पसंद हैं उनको कुछ अधिक माना बना कर दो जाय। क्या पाया जाय और क्या नहीं, इसका निर्णय बच्चा प्राय खुद कर लता है। मा को इस क लिए तैयार रहना चाहिए कि बच्चे का पसंद जल्दा बदलता है। कुछ भी हो, अगर विशेष धारारिक या मनानैज्ञानिक उल्लेख नहीं है तो कुछ डेर फेर के साथ बच्चा अपने लिए सतुलित भोजन तय कर ही लेता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो डाक्टर से राय लेनी चाहिए।

मा के लिए एक बड़ी समस्या तब हो जाता है जब बच्चा खाना तो चाहता है लेकिन खेलना नहीं छोड़ना चाहता। कभी-कभी बेचारी माँ को चम्मच और कटोरी लेकर उसके पीछे-पीछे दौड़ना पड़ता है। बच्चे की यह शरारत माँ के लिए समस्या बन जाती है। वह सोच नहीं पाती कि क्या करे। देखा यह जाता है कि क्यों ही बच्चों के पेट में कुछ पड़ जाता है उसे खेल सुनने लगता है, जब तक पेट खाली

रहता है, खेल आदि कुछ नहीं एहता। इस लिए जब यह मालूम हो जाय कि बच्चे को बचि खाने से अधिक खेल में हो रही है तो खाना उसके सामने से हटा लेना चाहिए। ऐसा करने पर बच्चा हठ जरूर करेगा, लेकिन हड़ता से काम लेना चाहिए। अगर यह मालूम हो कि बच्चा सचमुच दुबारा खाना चाहता है तो एक मौका और दे दीजिए लेकिन इस बार भी उसका बर्ही हाल रहे तो दूसरा मौका मत दीजिए। ऐसा करने से यह होगा कि बच्चे को आदत पड़ेगी कि वह पहले जरूरत-भर भोजन कर ले, उस के बाद खेल में लगे। कभी-कभी एक साल का बच्चा खाने की किसी चीज में उगली डाल देता है। यह मत सोचिए कि ऐसा वह धरात के मारे कर रहा है; सचमुच उसके इन्द्रिय-शान की प्रक्रिया चर रही है। वह समझने की कोशिश कर रहा है कि जिस खाने को उसे खिलाया जाता है वह खूने में कैसा है।

इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा जल्द से जल्द अपने हाथ से खाने लगे। अपने हाथ से खाने की क्षमता एक साल से कम के बच्चे में भी आ जाती है, और दो साल के बच्चे में भी नहीं आती। शुरू की दिशा में अपने-आप भोजन करने का अभ्यास बहुत महत्व का स्थान रखता है। माता-पिता खाने रखें तो अधिकांश बच्चे डेढ़ साल की उम्र तक अपने-आप खाने लगेंगे। जब अभ्यासक्रम में बच्चा कुछ खाना गिरायेगा, कपड़े खराब करेगा, लेकिन इन सब बातों की धैर्य के साथ बरदाश्त करना चाहिए और उसे इस कला को सीखने का पूरा मौका देना चाहिए। योड़ा यह खुद खाए और थोड़ा मा खिलाये, यह नीति ठीक नहीं है। जब यह एक चीज खुद खा सकता है, तो बाकी चीजें भी हमें उसी को खाने देना चाहिए। मुख्य बात यह है कि बच्चा इस कला को सीखना चाहता है और हमें चाहिए कि हम उसे पूरा अवसर दें।

### [ पृष्ठ ३५३ का शेषांश ]

कौन सी दवा दी जायेगी, तथा उस दवा के क्या गुण-दोष हैं। वे उपलब्ध कहा से होती हैं? क्या उनके निवारण का कोई देशी तरीका भी है?

धान के पौधे का हवा और वर्षा से गिरना तथा उनसे बचाव के उपाय। धान की कटाई, डुलाई, दवाई के तरीके, मजदूरी व काम का हिसाब। कुल पैदावार प्रति एकड़ उपज तथा कितने खर्च में कितना धान हुआ?

### आ० बरसाती सन्निव्या—

अपने यहां जितनी सन्निव्या बोयी जायगी उनकी जानकारी करना। किस सन्निव्या के लिए कैसा भूमि चाहिए। बरसात में और कौन-कौन सी सन्निव्या हो सकती है पर यहां नहीं होती। यहां पर जो सन्निव्या होगी उनके गुण-दोष बताना तथा कौन सी सन्निव्या किस हालत में गुणकारी और किस हालत में अव-गुणकारी होती है। किस सन्निव्या को कैसे पकायें तथा दोष का शमन कैसे हो?

### ३—सामाजिक पूर्व व उत्सव

इन चार महीनों में जितने भी उत्सव पड़ें उनको

जानकारी कराना। वे उत्सव निम्नलिखित हैं—

- १-१ जून—दादाभाई नौरोजी, पुण्यतिथि
- २-३ जून—मुहूर्तम
- ३-७ जून—सत कबीर जयन्ती
- ४-१८ जून—रानी लक्ष्मीबाई उत्सव दिवस
- ५-६ जुलाई—चंद्रप्रहण
- ६-२५ जुलाई—नागपंचमी
- ७-२७ जुलाई—गुरुसीदास जयन्ती
- ८-१ अगस्त—लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि
- ९-५ अगस्त—रक्षा बन्धन
- १०-७ अगस्त—रवान्द्र पुण्यतिथि
- ११-६ अगस्त—“भारत छोड़ो” आन्दोलन दिवस
- १२-१२ अगस्त—श्री कृष्ण जन्माष्टम
- १३-१५ अगस्त—स्वतन्त्रता दिवस
- १४-११ सितम्बर—विनीवा जयन्ती
- १५-२८ सितम्बर—त्रिजयादशमी

इन उत्सवों के प्रथम में संस्कृति, सभ्यता, इति-हास, आदि की सामान्य जानकारी दी जा सकती है।

हम बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं—  
कायर या साहसी ?

## गुरुजी की छड़ी

श्री कृष्ण कुमार

माँ के बहुत कहने पर रमेश स्कूल जाने को तैयार हुआ। उसे स्कूल तक पहुँचाने के लिए मा को भी उस के साथ जाना पड़ा। मा रमेश को स्कूल में गुरु जी को मुपुर्द कर के चली आयी।

रमेश के लिए स्कूल का वातावरण अपरिचित, स्कूल के लड़के अपरिचित, हाथ का स्लेट और पैसिल, सब अपरिचित, इस अपरिचित वातावरण में वह खुद खो जाता है। किसी से बोले भी कैसे। चर्मीला जो ठहरा। आँस उठा वर किसी को देखना चाहते हुए भी देखता नहीं है। अबसर पा कर वनसियों से, कभी-कभी गुरुजी को देख लिया करता है।

गुरु जी ने रमेश को बैठने के लिए एक जगह बता दी। वह अपने साथ लाये बोरे के टुकड़े पर बैठ गया। गुरु जी ने उसे क, ख, ग, घ, स्लेट पर लिख कर दे दिया है। वह स्लेट पर लिखे अक्षरों को देखता है लेकिन चिन्त नहीं पाता है। पहले वह इस नये वातावरण से परिचित होना चाहता है। उसने देखा कि गुरु जी छड़ी लिए उसकी ओर आ रहे हैं। लेकिन वह उसके पास न आ कर उसकी बगल में बड़े लड़के के पास आये। उन्होंने उस लड़के से कुछ पूछा जिसे रमेश ने नहीं समझा। इतने में रमेश ने देखा कि गुरु जी उस लड़के को पीट रहे हैं, और डाट-डाट कर कह रहे हैं—'कल अगर पाठ याद करवे नहीं आया तो चमड़ी उभेड़ लूंगा।'

चार बच्चा। स्कूल की लुट्टी हुई। रमेश घर आया। आते ही उसने अपनी मा से कहा, 'कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा।' 'क्यों?' 'क्योंकि गुरु जी छड़ी से मारते हैं।' 'क्या तुमको उन्होंने मारा है?' 'नहीं, एक दूसरे लड़के को मार रहे थे। मुझे भी मारने।'।

मई, '६३ ]

स्कूल के पहले दिन का पाठ क्या मिला? गुरु जी को छड़ी का भय। दूसरे दिन स्कूल न जाने पर मा ने उसे पीटा और उसे स्कूल पहुँचा आये। एक तरफ स्कूल में गुरु जी की छड़ी का भय और दूसरी तरफ मा ने घप्पड़ का भय। पाठ याद नहीं है—छड़ी बच्चे आपस में लड़ पड़े—छड़ी, समय से स्कूल नहीं पहुँचे—छड़ी जब देखो, छड़ी ही छड़ी।

सोचना यह है कि आखिर हम बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं। बच्चे को कायर बनाना चाहते हैं या साहसी? और साहसी बनाना चाहते हैं तो उम की प्रक्रिया क्या यही होगी? छड़ी का भय कायरपन ही सिखा सकता है, बोरता नहीं।

लोअर प्राइमरी स्कूल हो, या मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल—शायद ही ऐसा कोई स्कूल हो जहाँ छड़ी का इस्तेमाल न होना हो। कुछ ऐसे स्कूल होंगे जहाँ छड़ी का उपयोग कम होता होगा, और कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो छड़ी को उपयोग या तो कम करते होंगे या बिल्कुल ही नहीं करते होंगे, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं है।

कोई भी शिक्षा शास्त्री आज यह कहन को तैयार नहीं होता कि छड़ी का उपयोग शिक्षा का आवश्यक अंग है, बल्कि अब तो यही कोशिश हो रही है कि छड़ी का इस्तेमाल कम से कम हो या बिल्कुल न हो। और यह बड़ी बुद्धि की बात है कि इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि छड़ी का इस्तेमाल कम किया जाय या छड़ी शिक्षक के हाथ में कमी आये ही नहीं। छड़ी नाम की कोई चीज शिक्षक के हाथ में हो ही क्यों? क्या वह जानवरों की रखवाली कर रहा है कि बड़े की आवश्यकता हो? एक स्कूल नहीं, अनेक स्कूलों में जाने

## : दूसरा चित्र :

१ कृषियोग्य भूमि में वृद्धि	७ प्रतिशत
सिंचित क्षेत्र में वृद्धि	११ प्रतिशत
दो फसलवाले क्षेत्र में वृद्धि	१५ प्रतिशत
जन-संख्या में वृद्धि	४१ प्रतिशत

### २ देश की कुल कार्यकारी शक्ति का खेती में उपयोग—

१९०१ में ६२ प्रतिशत

१९५१ में ७० प्रतिशत। केवल ग्रामीण जनता की शक्ति का अनुपात निकालें तो वह ८७ प्रतिशत है।

### ३ शक्ति का अपव्यय—

आज जितना उत्पादन हो रहा है उतने के लिए आज लग रही शक्ति का ६५ से ७५ प्रतिशत ही पर्याप्त है अर्थात् आज कृषि पर कुल लगभग ६ करोड़ ८० गजत लोगों का अतिरिक्त भार है जो अनावश्यक है।

### ४ लाभकारी काम का अनुपात—

काम कर सकनेवाले कुल लोगों में लाभदायी काम आज—

२ करोड़ लोगों के पास	प्रतिदिन १ घण्टे से कम है
४ करोड़ ५० लाख लोगों के पास	प्रतिदिन ४ घण्टे से कम है,
३ करोड़ के पास	महीने में ५ दिन से कम है,
३ करोड़ १० लाख लोगों के पास	महीने में १० दिन से कम है,
५ करोड़ ३० लाख लोगों के पास	महीने में १५ दिन से कम है।

### ५ कृषि-श्रमिकों के पास काम—

	१९५१ में	१९५६ में
पारिश्रमिक पर काम के दिन	२००	२०७
स्वतंत्र धंधे के दिन	७५	४०
बेकारी के दिन	१०	११८

### ६ खेतिहर मजदूर की आमदनी—

	१९५१ में	१९५६ में
वार्षिक आमदनी	₹ १०४	₹ ९९४

१५ प्रतिशत आबादी की आमदनी आज २५ नये पैसे दिन से कम है।

( राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर )

## सर्व-सेवा-संघ का नया साहित्य

आश्रम दिग्दर्शन : विनोबा

जुलाई १९६२ में विनोबाजीने आश्रम-वासियों के बीच विविध दृष्टिकोणों से अपने विचार रखे थे। उन्हीं प्रश्नों का विषयवार सुमपादित और समलित करके यह पुस्तिका प्रकाशित की गयी है। इसमें आश्रम-जीवन के महत्त्व, व्रत विचार, प्रार्थना, साधना, कर्मयोग, दिनचर्या आदि पर सूक्ष्म और प्रेरक विचार हैं।

पृष्ठ ११४, मूल्य रु० १-००

चीन-भारत सीमा-सर्घर्ष : विनोबा

चीन-भारत सर्घर्ष के सम्बन्ध में विनोबाजी के विचारों का यह सङ्कलन पहली बार प्रकाशित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सदर्भ में, अहिंसा की खोज की दिशा में विनोबाजी के विचारों को जानने की जिज्ञासा आज जन-मानस में तीव्र है। अहिंसक शक्ति का खोज में आज का शस्त्रास्त्र और युद्ध वैध वेकार है, यह अनुमूनि विनोबाजी के विचारों से महज होनी है।

पृष्ठ ८०, मूल्य रु० ०-५०

रुहूल कुरान ( उर्दू ) : विनोबा

विनोबाजी ने इधर काफी समय लगाकर कुरान का जो सार तैयार किया है, उसका उर्दू संस्करण प्रेस में है और वह शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। अंग्रेजी के दो संस्करण हाथोंहाथ निक गये।

लगभग ४०० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का दाम मिर्फ रु० ५-००

जातिवाद और कौमवाद : श्रीकृष्णदत्त भट्ट

विषय नाम से स्पष्ट है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखनी के धनी श्री भट्टजी ने जातिवाद और कौमवाद पर खुले मन से विचार किया है और बताया है कि इसके कारण भारतीय समाज को कब-कब किन्तनी हानियाँ उठानी पड़ी हैं।

पृष्ठ ७२, मूल्य रु० ०-५०

भूदान यज्ञ का युग-विशेषाक नि शुल्क लीजिए

भूदान यज्ञ हिन्दी के नये बनने वाले माहकों का यह २) मूल्य का ११२ पृष्ठ का महत्त्वपूर्ण विशेषाक नि शुल्क दिया जा रहा है। प्रतियाँ सीमित हैं। ग्राहक शीघ्रता करें।

वार्षिक शुल्क रु० ६ ००

अ० भा० सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

## : दूसरा चित्र :

१ कृषियोग्य भूमि में वृद्धि	७ प्रतिशत
सिंचित क्षेत्र में वृद्धि	११ प्रतिशत
दो फसलवाले क्षेत्र में वृद्धि	१५ प्रतिशत
जन-सख्या में वृद्धि	४१ प्रतिशत

### २ देश की कुल कार्यकारी शक्ति का खेती में उपयोग—

१९०१ में ६२ प्रतिशत

१९५१ में ७० प्रतिशत । केवल ग्रामीण जनता की शक्ति का अनुपात निकालें तो वह ८७ प्रतिशत है ।

### ३ शक्ति का अपनयन—

आज जितना उत्पादन हो रहा है उतने के लिए आज लग रही शक्ति का ९५ से ७५ प्रतिशत ही पर्याप्त है अर्थात् आज कृषि पर कुल लगभग ६ करोड़ ८० लाख लोगों का अतिरिक्त भार है जो अनावश्यक है ।

### ४ लाभकारी काम का अनुपात—

काम कर सकनेवाले कुल लोगों में लाभदायी काम आज—

२ करोड़ लोगों के पास	प्रतिदिन १ घण्टे से कम है,
४ करोड़ ५० लाख लोगों के पास	प्रतिदिन ४ घण्टे से कम है,
३ करोड़ के पास	महीने में ५ दिन से कम है,
३ करोड़ ९० लाख लोगों के पास	महीने में १० दिन से कम है,
५ करोड़ ३० लाख लोगों के पास	महीने में १५ दिन से कम है ।

### ५ कृषि श्रमिकों के पास काम—

	१९५१ में	१९५६ में
पारिश्रमिक पर काम के दिन	२००	२०७
स्वतंत्र घण्टे के दिन	७५	४०
बेकारी के दिन	९०	११८

### ६ खेतिहर मजदूर की आमदनी—

	१९५१ में	१९५६ में
वार्षिक आमदनी	रु० १०४	रु० ११४

१५ प्रतिशत आधार की आमदनी आज २५ नये पैसे दिन से कम है ।

( राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर )

## सर्व-सेवा-संघ का नया साहित्य

**आश्रम दिग्दर्शन : विनोबा**

जुलाई १९६२ में विनोबाजीने आश्रम-वासियों के बीच विविध दृष्टिकोणों से अपने विचार रखे थे। उन्हीं प्रवचनों को विषयवार सुसंपादित और सङ्कलित करके यह पुस्तिका प्रकाशित की गयी है। इसमें आश्रम-जीवन के मंहत्त्व, व्रत-विचार, प्रार्थना, साधना, कर्मयोग, दिनचर्या आदि पर सूक्ष्म और पेरक विचार हैं।

पृष्ठ ११४, मूल्य रु० १-००

**चीन-भारत सीमा-संघर्ष : विनोबा**

चीन-भारत संघर्ष के सम्बन्ध में विनोबाजी के विचारों का यह संकलन पहली बार प्रकाशित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, अहिंसा की खोज की दिशा में विनोबाजी के विचारों को जानने की जिज्ञासा आज जन-मानस में तीव्र है। अहिंसक शक्ति की खोज में आज के शत्रुवादी और युद्ध कैसे बेकार है, यह अनुभूति विनोबाजी के विचारों से सहज होनी है।

पृष्ठ ८०, मूल्य रु० ०-५०

**रुहुल कुरान ( उर्दू ) : विनोबा**

विनोबाजी ने इधर काफी समय लगाकर कुरान का जो सार तैयार किया है, उसका उर्दू संस्करण प्रेस में है और वह शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। अंग्रेजी के दो संस्करण हाथोंहाथ विक्रम गये।

लगभग ४०० पृष्ठ की सजिलद पुस्तक का दाम सिर्फ रु० ५-००

**जातिवाद और कौमवाद : श्रीकृष्णदत्त भट्ट**

विषय नाम से स्पष्ट है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखनी के धनी श्री भट्टजी ने जातिवाद और कौमवाद पर खुले मन से विचार किया है और बताया है कि इसके कारण भारतीय समाज को कब-कब किननी हानियाँ उठानी पड़ी हैं।

पृष्ठ ७२, मूल्य रु० ०-५०

**भूदान-यज्ञ का युग-विशेषांक निःशुल्क लीजिए**

भूदान यज्ञ हिन्दी के नये बनने वाले माहको को यह २) मूल्य का ११२ पृष्ठ का मंहत्त्वपूर्ण विशेषांक निःशुल्क दिया जा रहा है। प्रतिबंधों सीमित हैं। माहक शीघ्रता करें।

द्विमासिक शुल्क रु० ६-००

**अ० भा० सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१**



## बस, इतनी ही माँग ?

रात को जब गॉर में लगभग सोना पड़ गया तो एक आदमी आया। मैं सोने जा रहा था।

‘इहाँ से आये हो ?’ मैंने पूछा।

‘मुसहर टोले से।’

‘निस लिए आये हो ?’

‘आप से हाथ जोड़ कर यह कहने कि कज मुबह इमार टोले में सूज निफनने निफनने आइपगा।’

क्या आइपगा ?

‘जरूर आऊँगा।’

मैं ‘नहीं’ नहीं कह सता, इस लिए ‘हा रह दिया।’

कुछ देर तक मैं सोचता रहा, फिर सो गया। सुबह मुसहर टोले में गया तो देखता हूँ कि चारपाई निट्टी हुई है और बीस पचीस मर्द, श्रीरत, बच्चे घेरकर बैठे हुए हैं। मेरी प्रतीक्षा हो रही थी। पहुँचते ही लोटे का पानी मिना, गिलास भर दूध आया।

‘क्या तुम्हारे यहाँ दूध होता है ?’ मैंने आश्चर्य के साथ पूछा।

‘नहीं, खरीद लाये है।’

‘पैसा पास था ?’

‘नहीं आठ आना उधार लाये थे।’

‘कज क्योँ लिया ?’

‘कज में तो खिदगी हो बीत रही है, लेकिन आप तो रोज नहीं आयेँगे।’

इस तर्क का क्या जवाब था ?

‘अच्छा बताओ, क्योँ बुलाया है ?’

‘एक माँग है।’

‘क्या ?’

‘माँग इतनी ही है कि हम सब लोग गॉर से भाग जाना चाहते हैं लेकिन मालिक जाने नहीं देते।’

रात को यहाँ पहरा निठा देते हैं।’

‘आखिर भागने की क्या बात है ?’

सब चुप हो गये। कुछ देर बाद बुद्धिया बोली—‘सहते सहते बत्तेजा फट गया। वायू, अब नहीं सहा जाता तो मोचने हैं भाग ही जाँव।’

पूछा—‘बस इतनी ही माँग है ?’

‘हा इतनी ही।’

‘कौन मालिक है ?’

जो शाम को आप की सभा में समापित थे, सामने उनकी कोठी है—एक बीस इक्कीस साल का जवान बोला।

मैं जानता तो नहीं पर शायद ही उन मुसहरों की माँग पूरी हुई हो।

—राममूर्ति

भोष्णपत्र भट्ट, अ० भा० एवं सेवा सच, की ओर से शिव मेस, प्रह्लादपाठ, बाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित  
केवल कर—मुद्रक खण्डेलवाल मेस, मानमन्दिर, बाराणसी।

गत मास छपी प्रतियाँ २००० इस मास छपी प्रतियाँ १५५०

प्रधान सम्पादक  
धीरेन्द्र मजूमदार

सम्पादक  
आचार्य राममूर्ति

वर्ष ११

अंक ११

वार्षिक खर्च  
एक प्रति

६-००

०-५०

पुनर्जाती शिक्षा असफल क्यों ?

श्री धीरेन्द्र मजूमदार

राष्ट्रीय शिक्षा में उत्पादक श्रम

श्री राधाकृष्ण

बाबूबाड़ी में भाषाशिक्षा

श्रीजुगतराम द्वे

शिक्षा की योजना क्यों और कैसे ?

श्री त्रिलोकीनाथ श्रमवाल

मूँदोवाली माँ का पुण्य स्मरण

श्री काशिनार्थ त्रिवेदी

# नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ ,, जुगताराम दवे
- ३ ,, काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ ,, मार्जरी साइक्स
- ५ ,, मनमोहन चौधरी
- ६ ,, क्षितिशराय चौधरी
- ७ ,, राधाकृष्ण मेनन
- ८ ,, राधाकृष्ण
- ९ ,, राममूर्ति

ॐ

## सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरंभ होता है।
- किमी भी मास से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक मर्यादा का उल्लेख अवश्य करें।
- चन्दा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम का पता

नयी तालीम

अ० भा० सव सेवा संघ राजघाट,  
वाराणसी-१

ॐ

## अनुक्रम

पृष्ठ

युनियादी शिक्षा असफल क्यों ?	३७७	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
राष्ट्रीय शिक्षा म उद्गादक अम	३७६	श्री राधाकृष्ण
राष्ट्रीय शिक्षा योजना क्यों		
और कैम ?	३८३	श्री त्रिलाकीनाथ अमवाल
रचनात्मक कार्यक्रम प्रागइकाई		
प्रामस्वराज्य	३८७	श्री राममूर्ति
भेड़ोंपाली माँ का पुण्य स्मरण	३६३	श्री काशिनाथ त्रिवेदी
दोषी कौन ?	३६८	श्री गिजुमाई
बालवाडी म भाषाशिक्षा	४०४	श्री जुगताराम दवे
बच्चे की शुरु से शिक्षा-८		
दो साल का बच्चा	४०८	श्री राममूर्ति
संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षा पद्धति	४१०	श्री चांटलिंग
उत्तम युनियादी कृषि महा विद्यालय, सेनाग्राम	४१४	श्री० ठामुरदास बग
सार सरस्वन	४१६	—

ॐ

## बुनियादी शिक्षा असफल क्यों ?

ता० ११ से १४ जून तक भारतीय दृष्टि-अनुसन्धान-परिषद् की ओर से शिमला में बुनियादी शिक्षा पर एक परिसंवाद का आयोजन हो रहा है। इस परिसंवाद में बुनियादी शिक्षा के माध्यम के रूप में दृष्टि को दाखिल करने के प्रश्न पर चर्चा होगी। यह एक शुभ-सूचना है। आशा है, विद्वज्जनों की इस गोष्ठी का परिणाम देश की शिक्षा पर अच्छा होगा।

पिछले दो साल से देश के नेता यह महसूस कर रहे हैं कि बुनियादी तालीम या तो ठीक से चलायी नहीं गयी और चलायी गयी तो उसमें सफलता नहीं मिली। अभी उस दिन पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री डा. के. एल. श्रीमाली ने कहा कि बुनियादी शिक्षा सफल नहीं हुई है। चर्चा में जितने कारण बताये गये हैं उनमें मुख्य कारण यह रह गया है कि बुनियादी शिक्षा की जो परिवर्तना थी उसे ठीक ढंग से अमल में नहीं लाया गया और उसके अमल में लाने के लिए योग्य शिक्षकों का अभाव रहा।

प्रारम्भ से ही बुनियादी शिक्षा के प्रश्न पर नेताओं तथा राज्यकर्ताओं में मतभेद रहा है; लेकिन आज असन्तोष उनमें भी है, जो बुनियादी शिक्षा के कायल थे। देश के उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन साहब तो योजना के जन्मदाताओं में से एक हैं। डा० श्रीमाली बुनियादी शिक्षा के निष्ठावान सेवक रहे हैं। आज भी इस शिक्षा-मदति पर उनकी निष्ठा भरपूर है। ऐसे लोगों का असन्तोष निस्सन्देह एक गम्भीर विचार का प्रश्न हो गया है।

जब शिक्षा-जगत के नेता बुनियादी शिक्षा पर पुनर्विचार करने बैठे हैं तो उन्हें इस शिक्षा की बुनियाद पर से ही सोचना होगा। शिक्षा के माध्यम के रूप में कौन सा उद्योग होगा? अभ्यासक्रम तथा पाठ्यक्रम में वहाँ वहाँ परिवर्तन करना चाहिए? शिक्षकों की योग्यता क्या हो इत्यादि प्रश्न महत्व के हैं, लेकिन मुख्य नहीं हैं। मुख्य प्रश्न है—शिक्षा का लक्ष्य और उसके पीछे का सामाजिक विचार। वस्तुतः बुनियादी शिक्षा की असफलता का कारण योग्य शिक्षकों का अभाव उतना नहीं है, जितना सही लक्ष्य तथा सामाजिक विचार का अभाव।

हर देश और काल में शिक्षा-मदति की परिकल्पना सामाजिक विचार के आधार पर ही की जाती है। हमने अपने देश में लोकतन्त्र को ही अपना सामाजिक विचार माना है। लोकतन्त्र में दो मुख्य आवश्यकताएँ मानी गयी हैं—

१. प्रत्येक बालिग का बौद्धिक तथा वैचारिक स्तर कम-से-कम इतना हो, जिससे वह निम्न-व्यक्ति और पक्ष द्वारा घोषित नीतियों का विश्लेषण कर राय कायम कर सके।

२. चुने हुए लोगों के अधिकार पर चले जाने के बाद उस अधिकार के दुरुपयोग पर जनता में उसके प्रतिरोध की शक्ति हो।

अर्थात् हमारी शिक्षा-मदति ऐसी होनी चाहिए, जिससे हरेक बालिग लोकतन्त्र के लिए

मुश्किलें नागरिक हो सके। इसके लिए आवश्यक होगा कि देश का आर्थिक तथा राजनीतिक ढाँचा क्या है, यह स्पष्टता के साथ स्थिर हो। गांधीजी ने युनियादी शिक्षा की परिक्ल्पना अपनी सामाजिक कल्पना के आधार पर की थी। उन्होंने लोकतंत्र का अर्थ यही माना था कि जनता अपने नित्य जीवन के लिए किसी के द्र के नियंत्रण में न रहे, क्योंकि वे मानते थे कि जब तक समाज अपने नित्य जीवन के लिए के द्र निरपेक्ष न हो जाय तब तक वह कर्त्रीय अधिकार के उपयोग पर प्रत्यक्ष प्रतिरोध की शक्ति हासिल नहीं कर सकेगा। अतः उन्होंने हिन्दु-स्वराज्य की अर्थ-नीति विकेंद्रित औद्योगीकरण है, ऐसा कहा और उसा का अपने परिकल्पित शिक्षा का माध्यम बनाया। निस्सन्देह ऐसे औद्योगीकरण का अनुपपन्न इति से ही हो सकता है क्योंकि भारत की विशिष्ट परिस्थिति में जनता का आर्थिक जीवन इति मूलक ही रहेगा, अतः शिमला के परिसवाद में शिक्षा के माध्यम के रूप में इति को मूल उद्योग मानकर चर्चा रखी गयी है, यह उचित ही है।

लेकिन इतना काफी नहीं है। आज जनता और राज्यकर्ता की मान्यता एसी नहीं है कि देश में शिक्षा का ध्येय स्वतंत्र नागरिक बनने का हो। वे शिक्षा की परिक्ल्पना नौकरा के ध्येय को ही रखकर बनाते हैं। ऐसा न हुआ हाता तो पाठ्यक्रम में तीसरे दर्जे में ही अंग्रेजी का समावेश न हुआ होता। जबतक यह मान्यता बदली नहीं जायेगी तब तक शिक्षण-काल में इति या अथ किसी उद्योग में दक्षता हासिल करने की दिलचस्पी नहीं होगी। अगर शिक्षा समाप्ति के बाद नौकरा हा करनी है तो इति तथा उद्योग में लगाकर समय का अपकय क्यों किया जाय, ऐसा सोचना स्वाभाविक होगा। आज इस चिंतन के फलस्वरूप शिक्षाक्रम में जो कुछ समय इति आदि उद्योगों के लिए दिया जायेगा वह अनिभावक, शिक्षक तथा छात्र सबके लिए भाररूप होगा। इस प्रकार भाररूप कार्यक्रम शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकता है, यह स्पष्ट है।

मान्यता परिवर्तन के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि देश के नेता मूलक में ऐसा वातावरण बनाये, जिससे इति-उद्योग आधारित जिद्गी समाज में प्रतिष्ठित हो। यह तभी हो सकेगा जब समाज के प्रतिष्ठित जन इन कार्यक्रमों को अपने जीवन का पेशा बना सकेंगे। प्रतिष्ठा श्रम को टालने में हो और शिक्षा का मूल आधार श्रम हो, यह विसंगति नहीं चल सकती।

दूसरी आवश्यकता यह है कि जनता के मन में इस बात का विश्वास हो कि इतिमूलक औद्योगिक जीवन आर्थिक समृद्धि का जरिया हो सकता है। यह तभी होगा जब देश के वैज्ञानिक तथा दूसरे विद्वान वैशे के रूप में इसे अपना कर आकर्षक जीवन स्तर का प्रदर्शन कर सकें।

जनता की मान्यता यह है कि "उत्तम चाकरी मध्यम धान, निधिन सेती भीर निदान। इस मान्यता के बदले जब तक उत्तम सेती की मान्यता अधिष्ठित नहीं होगी तब तक शिक्षा के माध्यम के रूप में इति का अपनाता आकर्षक नहीं हागा।

मुझे आशा है, शिमला के परिसवाद में जहाँ शिक्षा के माध्यम के रूप में इति को अपनाने पर चर्चा होगी वहाँ उपर्युक्त सामाजिक पहलू पर भी गम्भीर चर्चा हो सकेगी और देश के नेता तथा विद्वान इतिमूलक औद्योगिक जीवन के लिए अग्रसर होकर जनता का सही नेतृत्व कर सकेंगे।

—धीरेन्द्र मजूमदार

देश के संकट के सन्दर्भ में

# राष्ट्रीय शिक्षा में उत्पादक श्रम

श्री राधाकृष्ण

सामाजिक न्याय, सदाचार और सहकारिता से श्रोतप्रोत जीवन की शिक्षा को हमारी शिक्षा-योजना का प्राणत्व होना चाहिए और शिक्षा का सम्बन्ध देश की गरीबी, भूख और विषमता के साथ, उन्हें दूर करने के कारगर साधन के रूप में होना चाहिए।

भारत-चीन संघर्ष से उत्पन्न संकट के कारण शिक्षा और विकास-कार्यों के व्यय में भी कटौती करने का विचार देश भर शिक्षा-जगत को घका लगना स्वाभाविक था, लेकिन राष्ट्र-नेताओं के ध्यान में आया कि देश को मजबूत बनाने की दृष्टि से शिक्षा-व्यय में कमी करना उचित नहीं है। साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि यदि भारतीय समाज को 'उद्योगशील' बनाये रखना है तो शिक्षा का अनुबन्ध उत्पादक श्रम के साथ जोड़ना भी आवश्यक है। यह निर्णय सराहनीय है और इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।

वातावरण की अनुकूलता

गार्धीजी के समय से ही उत्पादक श्रम को शिक्षा का माध्यम बनाने के विचार पर रचनात्मक ध्यान में काफी जोर दिया जाता रहा, लेकिन स्वावलम्बन, उत्पादन-कुशलता आदि सभी पहलुओं से बुनियादी शिक्षा की सफलता जिस मात्रा में अपेक्षित थी उस मात्रा में वह देखने में नहीं आयी और व्यापक पैमाने पर उस ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। आज देश के संकट काटौन स्थिति के कारण ही क्यों न हो, शिक्षा में उत्पादक श्रम को स्थान देने का विचार कार्यरूप लेने जा रहा है, निश्चय ही यह स्वागत के योग्य है। प्रौद्योगिकी में उत्पादक श्रम पर जोर देने से

प्राथमिक शालाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सकेगा और धीरे धीरे उत्पादक श्रम को शिक्षा का प्रमुख अंग ही नहीं, शिक्षा का माध्यम भी स्वीकार किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय विकास और उद्योग

उच्च कक्षाओं में उत्पादक श्रम दाखिल करने के प्रश्न पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इससे पहले बुनियादी शालाओं में उद्योग दाखिल करने के लिए जिन बातों का विचार किया जाता रहा है, आज उच्च शालाओं में उद्योग दाखिल करने की दृष्टि से उनसे भिन्न कुछ दूसरी ही बातों का विचार करना होगा। बुनियादी शालाओं में ऐसे ही उद्योग चुनने का आग्रह रहा है, जिनमें शिक्षा के विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालने योग्य क्षमता हो, समाजके उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन हो और जिन के द्वारा बच्चों के अवयव अधिक कार्यकुशल और पढ़ें।

आज की स्थिति में उच्च शिक्षा के साथ उद्योग जोड़ने की दृष्टि से शर्तें पर्याप्त नहीं होंगी। समवाय, कुल वस्तुओं का उत्पादन और कला की ही प्राधान्य देकर इनके मिला-जुटा उद्योगों को हम चुनें तो इतने से आज की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकेगी।

जून, '६३ ]

[ ३७६ ]

समवाय सचे, वस्तुओं का उत्पादन हो और इन्द्रियों की कला का विकास हो, यह कम महत्व का नहीं है, लेकिन आज के सन्दर्भ में उद्योगों का स्वरूप यहाँ तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि उच्च शिक्षा के साथ उद्योगों को जोड़ने का जो विचार आया है उसका उद्देश्य दूसरा ही है, समवाय और इन्द्रियों की कुशलता के स्थान पर राष्ट्र उद्योगशील कैसे बने और राष्ट्रीय सम्पत्ति का विकास और वृद्धि कैसे हो, यही लक्ष्य माना गया है और इस माने में इसका लक्ष्य यहाँ तक सीमित है। अतः हम यहाँ इसी दृष्टि से विचार करेंगे।

### राष्ट्रीय सम्पत्ति की वृद्धि

आज उच्च शालाओं के लिए ऐसे उद्योग चुने जाने चाहिए, जो राष्ट्रीय सम्पत्ति को वृद्धि में सहायक हों। कृषि का उदाहरण लें। शालाएँ कृषि को अपना उद्योग स्वीकार करती हैं तो उनका पहला प्रयत्न यह होगा कि कृषि का साधन यानी भूमि अधिकाधिक उपजाऊ कैसे बने। केवल रुपये की आमदनी की बात हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि जैसे भी खाद्यान्न के स्थान पर आर्थिक फल उगाने से खेती की आमदनी बढ़ती है। देहाती इलाके की भूमि से अधिक आमदनी हो सकती है, लेकिन इससे यह नहीं माना जा सकता कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में कोई वृद्धि हुई। भूमि का सुधार हो, कटाव रुके, मेद-बन्दी हो, खादों का उपयोग बढ़े, सिंचाई का अच्छा और सस्ता प्रबन्ध हो और इसी प्रकार अन्त्याय सुधारों से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो माना जा सकेगा कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि हुई। शैक्षणिक उद्योगों का यह एक प्रमुख पहलू माना जाना चाहिए।

### समाज से एकरूपता

शालाएँ अपने अधीन कुछ भूमि लेकर स्वतन्त्र रूप से चाहे जितनी पूँजी लगा कर अपना प्रयोग चलाती जाएँ और प्रगति करती जाएँ, यह पर्याप्त नहीं मना जायेगा। प्रत्येक शास्त्र को अपने आसपास के गाँवों या कस्बों के साथ एकरूप होकर काम करना चाहिए। गाँवों की आवश्यकता, सामर्थ्य

३८० ]

और भावनाओं को ही अपनी आवश्यकता, सामर्थ्य और भावना मान कर उसी में अपना प्रयोग और विकास करना चाहिए, ताकि शाला का काम उस क्षेत्र का काम हो सके और क्षेत्र के विकास में शाला के अनुभवों का आसानी से सहारा दिया जा सके। अतः शैक्षणिक उद्योगों के चुनाव का दूसरा पहलू क्षेत्रीय परिस्थिति की अनुरूपता होनी चाहिए।

### सामूहिकता

तीसरा एक और पहलू है, जो बहुत महत्व का है। यह यह कि ऐसे उद्योग चुने जाने चाहिए, जिनके माध्यम से न केवल शांति के अन्दर, बल्कि शांति के दुर्दुर्गम के वातावरण में भी लोगों में सहकारिता की वृत्ति का विकास किया जा सके। यह काम की पद्धति का भी प्रश्न है और काम के स्वरूप का भी। लोग सामूहिक रूप से बैठकर सीधे विचारों, सामूहिक रूप से निर्णय करें, सामूहिक हित के लिए कार्यक्रम बना कर सहयोग के साथ उसे अन्त तक ले जायें। यह बहुत आवश्यक तत्व है, जो देश को अधिक मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य है। शालाओं का यह कर्तव्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों में इस प्रकार सामूहिक वृत्ति का विकास करें और इसके लिए योग्य आयोजन करें, जिसका परिणाम बाहरी समाज पर हो सके।

### तब और अतः

दुनियावारी शालाओं के उद्योगों में और आज के अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से अपनाये जाने वाले उद्योगों में जो विवेक क्रिया जाना चाहिए वह संक्षेप में यों है—पहले जहाँ पाठ्य विषयों के साथ उद्योगों के समवाय की बात सोची जाती थी वहाँ आज समाज की आवश्यकता और समृद्धि के साथ समवाय की बात सोची जानी चाहिए। पहले जहाँ बच्चों के अवसरों की कुशलता विकसित करने पर जोर दिया जाता रहा है वहाँ आज सहकारिता की कला को विकसित करने पर जोर देना चाहिए तथा जहाँ पहले उद्योगों के चुनाव में उनकी शैक्षणिक

[ नयी सलीम

धमता पर ध्यान रखा जाता रहा है वहाँ आज राष्ट्रीय परिस्थिति से एकरूप होने का बात का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए ।

### सम्भावनाओं का संकेत

उदाहरण के लिए हम ने यहाँ खेती का निर्देश किया है । इसी प्रकार बहुत से काम चुने जा सकते हैं । जैसे जगल लगाने का काम है । जगल लगाना राष्ट्र को बहुत आगे तक का योजना का एक विषय है । इसके माध्यम से लोगों के अन्दर एक विशाल दृष्टि निर्माण किया जा सकता है । यह समाज की एक आवश्यकता है ही । इन दिनों हर प्रदेश में हर साल कहीं न कहीं बाढ़ के कारण भारा हाना होता रहता है । शाखाओं के अभिक्रम से नदियों के नियंत्रण का काम चलाया जा सकता है । पिछले दिनों देश के कुछ प्रदेशों में एसा हुआ भी है । उड़े शहरों में गन्दा गालियों का सुधार और सुच्छता लाने का एक बहुत विशाल क्षेत्र है । कसबों में आम मण्डियों या साता दिक् हाटों की व्यवस्था, सफाई आदि काम के द्वारा गौन-समाज को सम्पन्न करने के साथ लोक शिक्षण का काम भा शालायें कर सकती हैं ।

आशय यह है कि तिन प्रवृत्तियों में प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर समाज और देश की समृद्धि और सम्पन्नता के लिए कुछ करने की वृत्ति जगाने की क्षमता हो, जिसे राष्ट्र का मजबूत बढ सके और तिनमें शाला को और साधन सामग्रियों के लिए अधिक पैसा लगाने का आग्रहकता न पड़े, ऐसे कामों को शिक्षा में प्राथमिकता देनी चाहिए ।

### 'हाथी-क्लब'

हमारे देश में कुछ इने गिने स्कूलों को छोड़ कर आम तौर पर कहीं भी विद्यार्थियों के आने ऐसे क्लब नहीं हैं, जहाँ वे आपस में मिल कर स्वच्छा से कुछ बनायें, गिराई, यंत्रों को गोल ग्वाल कर जोड़ें और इस प्रकार अपनी नैसर्गिक रचनात्मक प्रवृत्ति को सन्तुष्ट कर सकें और अपनी रुचि या दिलचस्पा का विकास कर सकें । बच्चे निभाऊ हो कर यह सब करेंगे तभी उनमें कुशलता और कारीगरी

पनप सकती है । हमारे गरीब देश में यह अपेक्षा की ही नहीं जा सकती कि घर घर में बच्चों को ऐसी सुविधा मिले, इसलिए ऐसे रचनात्मक तोड़ फोड़ के काम के लिए स्कूल की ओर से मुक्त अवसर उन्हें मिलना चाहिए । ८-१० साल में समाज के सक्रिय नागरिक बननेवाले आज के विद्यार्थियों को अधिक कुशल, अधिक अभिक्रमशील और अधिक उत्प्रेमी बनाने की दृष्टि से 'हाथी-स्कूल' की ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

### पढाई का भार बनाम देश निष्ठा

इस प्रसंग में एक प्रश्न यह आता है कि ऊपर जिस प्रकार के काम का हमने निर्देशन किया है उसमें प्रामाणिकता के साथ लगने पर शिक्षा के दूसरे पढ़ को—पाठ्य विषयों के आग के परिमाण की कुल कम करना होगा ।

लेकिन आज हमारा शिक्षा का मूल्य मापन हम उस परीक्षा से करते हैं, जिसका लक्ष्य एकागी है । अध्ययन का एक माना हुआ स्तर है, और ज्ञान का कितना क्या भार रहे उसकी एक कल्पना है, जिसे अगु एक पद्धति की परीक्षाओं से हम बनाये रखते आये हैं । ( आज हमारे यहाँ वह स्तर यों भी तनी के साथ गिरता जा रहा है । ) लेकिन विद्यार्थियों में समाज और देश के साथ एकात्म बनने की भावना के विकास को क्या उस पुस्तकीय अध्ययन से कम महत्व का समझा जाय ? खास कर देश को मजबूत बनाना जहाँ सर्वाधिक महत्व की समस्या बना हुआ हो वहाँ देश के सुख दुख के साथ ओतप्रोत होने की बात पर देश में कहीं दो राय नहीं हो सकती, और यह सक्त् का काल कोई तात्कालिक नहीं है, आगे भा बहुत समय तक बना रहने वाला है, इसलिए हमारी नम्र राय है कि पुस्तकीय अध्ययन का भार कुछ कम करके भी उपर्युक्त सुझावों पर विचार करना चाहिए और राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र के विकास के प्रति एकरूपता साधने का दिया में उद्योग और शरीर-भ्रम का मेल बैठाना चाहिए ।



अनुशासन नहीं, स्वयंस्फूर्ति

नागरिकों में राष्ट्रनिष्ठा पैदा करने का प्रयत्न सशर के सभी राष्ट्रों में चलता ही है। रूस और चीन का एक तरीका सर्व विदित है, लेकिन केवल अधिनायकवादी (टोटलिटेरियन) राष्ट्र ही नहीं, घाना, टागानिका जैसे अमी हाल में स्वतंत्र हुए प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भी करीब करीब वही सत्तों की पद्धति अपना रहे हैं। डिक्टेटरी नाम भले बदनाम हुआ हो, लेकिन डिक्टेटरी पद्धति सभी को आसान और लाभदायी दीखती है और इसलिए उसका आकर्षण अधिक है, लेकिन हमें विश्वास है कि भारत में वह तानाशाही कभी नहीं आने दी जायेगी, विवेक-पूर्वक उस सत्तार से बचने का प्राणपण से प्रयत्न किया जायेगा।

सत्तार की पद्धति छोड़ देते हैं तो शिक्षा ही एक साधन रह जाती है, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक

को स्वयं प्रेरणा से देशनिष्ठ बनाया जा सके। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि देश में व्यापक समाज निष्ठा और उसके अनुकूल सहयोगात्मक जीवन पद्धति की एक प्रथा, एक तन्त्र और एक विलसिला कायम करने का महत्वपूर्ण काम अनुशासन के नाम पर केवल कवायद कराने या आशाकारिता का पाठ पढ़ा देने से होने वाला नहीं है। सामाजिक न्याय और सत्ताचार तथा सहकारिता से औद्योगिक जीवन की शिक्षा हमारी शिक्षा-योजना का प्राणतत्व होना चाहिए और शिक्षा का सम्बन्ध देश की गरिबी, भूख और विपत्तियों के साथ उन्हे दूर करने के कारण साधन के रूप में होना चाहिए। तभी न केवल राष्ट्र की सम्पत्ति बढेगी, बल्कि विचारियों में सहकारी अभि क्रम से स्वानुशासन की नींव डाली जा सकेगी, जो आज राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

★

मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियाँ क्यों न हों, मैं उससे उसी तरह चिपट रहूँगा, जैसे अपनी माँ की छाती से। वही मुझे जिदगी देनेवाला दूध दे सकती है। मैं अंग्रेजी को उसकी जगह प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वह उस जगह को हड़पना चाहती है, जिसकी हकदार नहीं है तो मैं उससे सख्त नफरत करूँगा। वह बात मानी हुई है कि अंग्रेजी आज सारी दुनिया की भाषा बन गयी है? इसलिए मैं उसे दूसरी भाषा के तौर पर जगह दूँगा—लेकिन युनिवर्सिटी के कोर्स में, स्कूलों में नहीं। वह कुछ लोगों के सीखने की चीज हो सकती है, लातों-करोड़ों की नहीं। आज जब हमारे पास प्राथमिक शिक्षा को भी देश में अनिवार्य बनाने के साधन नहीं हैं तो हम अंग्रेजी सिखाने के जरिये कहीं से जुटा सकते हैं? रूस ने बिना अंग्रेजी के ही विज्ञान में तरक्की की है। आज अपनी मानसिक गुलामी की वजह से ही हम यह मानने लगे हैं कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। मैं इस चीज को नहीं मानता।

—गांधीजी

★

# शिक्षा की योजना क्यों और कैसे ?

श्री त्रिलोकीनाथ अप्रवाल

आज विद्यालय में शिक्षा का सम्बन्ध समाज से नहीं है। इस आलोचना का महत्व आज हम अपने स्वतन्त्र भारत में अनुभव करते हैं; क्योंकि आज का विद्यार्थी विद्या-अध्ययन के उपरान्त समाज में अपने को भिन्न परिस्थिति में पाता है।

गाबोजो की बुनियादी शिक्षा का महत्व हमारे देश के लिए इस युग में अत्यधिक है, क्योंकि इस शिक्षा का सम्बन्ध बालक के विकास से सम्बन्धित है। यद्यपि प्रचलित शिक्षा का भी यही राग है कि बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है; परन्तु वास्तव में आज का बालक क्या होता है, इसको समाज प्रतिदिन देखता है। बालक नियमित जीवन नहीं व्यतीत कर पाते हैं, न उनमें गुरु और माता-पिता की सेवा का भाव ही उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, उनकी समाज का वास्तविक ज्ञान भी नहीं हो पाता है। पुस्तक का ज्ञान भी ४० प्रतिशत ही होता है, क्योंकि सफलता का मापदण्ड केवल २१ अंको पर निर्भर है।

आज विद्यार्थी के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। विद्यालय में प्रवेश हो जाने के उपरान्त उनका जीवन वहाँ की मान्यताओं के अनुसार विकसित होता है। आज विद्यालयों में विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान दे दिया जाता है, लेकिन वह भी विद्यार्थी की ही इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि कक्षा में छात्र अधिक होते हैं और उपस्थिति देकर किसी प्रकार वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार का आचरण छोटी कक्षाओं में भी प्रचलित हो गया है। छोटे बालक पुस्तकीय ज्ञान से घबरा कर कक्षा के बाहर प्राकृतिक वातावरण में सारा लेते हैं।

आज पाठशालाओं में बालक को नीरस वातावरण मिलता है। वे वहाँ केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है कि बालक एक वर्ष की अवस्था में ही क्रियाशील हो जाते हैं। वे प्रत्येक वस्तु को स्वयं उठाकर, फेंककर और तोड़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जब तक वे स्कूल नहीं जाते हैं, बराबर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, इसलिए बालको को प्रारम्भ से ही इस प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त करना चाहिए, जहाँ वे सोच कर स्वयं कार्य कर सकें।

आज विद्यालय में शिक्षा का सम्बन्ध समाज से नहीं है। इस आलोचना का महत्व आज हम अपने स्वतन्त्र भारत में अनुभव करते हैं, क्योंकि आज के विद्यार्थी विद्या-अध्ययन के उपरान्त समाज में अपने को भिन्न परिस्थिति में पाते हैं। उसका वह पुस्तकीय ज्ञान, जिसको उन्होंने अब तक प्राप्त किया था, इस वास्तविक परिस्थिति में सहयोग नहीं देता है। इसमें विद्यार्थियों का कोई भी दोष नहीं है। उन्होंने तो परीक्षा में किसी प्रकार सफलता पायी है। वे समाज की वास्तविक परिस्थिति को नहीं जानते हैं। वे दैनिक जीवन की समस्याओं को भी नहीं सुलझा पाते। इतना ही नहीं, उनमें व्यावहारिकता का भी अभाव होता है। विद्या-काल में वे अपने को समाज का एक अंग नहीं मानते हैं। वे अपने को भिन्न

समझते हैं, इसलिए वे समाज में ऐसे कार्य करते हैं, जो अनिश्चित हैं। समाज में टोड-फोड, अनुशासनहीनता और अन्य इसी प्रकार के कार्य करते रहते हैं। वे मही समझते कि जो हानि कर रहे हैं उसका प्रभाव उन पर भी पड़ता है। धार्मिक हानि उनके सरदाको की और चारित्रिक हानि उनको होती है।

आज की प्रायः शिक्षा विधियाँ रुढ़िग्रस्त हो गयी हैं। उनमें कोई नवीनता नहीं है। अध्यापक किसी प्रकार उन रुढ़ियों के आधार पर शिक्षा देता है। उन विधियों को भी वह पूरा रूप से प्रयोग में नहीं ला सकता है, क्योंकि उसे विद्यालय में अन्य कार्यों से ही अवकाश प्राप्त नहीं होता है। अगर वह किसी प्रकार कार्य करना भी चाहता है तो उसके पास साधन नहीं है। कक्षाओं में भी अनुशासन का अर्थ है—शान्त बैठना। अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछता है और अध्यापक उत्तर देता है तो निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है, इसलिए अध्यापक अपने को विद्यार्थी की जिज्ञासा शान्त करने में असमर्थ पाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को आवश्यकता और जिज्ञासा पूर्ण नहीं हो पाती है।

गांधीजी के विचार से बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाय, जिसमें उनका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास हो, इसलिए उन्होंने शिक्षा का सम्बन्ध समाज से और उद्योग से जोड़ा। बालक बुनियादीशाला में क्रिया करके और समाज से सम्बन्ध स्थापित करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। बुनियादीशाला में योजना के आधार पर शिक्षा ग्रहण की जाती है।

योजना की कतिपय विशेषताएँ

१—बालक के समस्त समस्या होती है और उस कक्षा के सब बालक मिलकर उस समस्या को सुलझाने लग जाते हैं। वे तत्परता से कार्य करते हैं। कार्य करते समय उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान को स्मरण रखने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है।

२—योजना में बालक क्रियाशील होते हैं। अध्यापक के सहयोग से वे उस समस्या को क्रियारमक रूप देते हैं। उस क्रिया के करने में बालक का उत्साह बढ़ता

है। उनमें धार्य करने की धमता उत्पन्न होती है। वे विचार करके अपने अन्य सहयोगियों को परामर्श देते हैं और दृष्टी व्यापारों पर वे सब सवक करते हैं। सवक करके वे समस्या को कम से कम समय में पूर्ण करते हैं। इस प्रकार बालकों में आत्म विश्वास उत्पन्न होता है।

३—बालकों का परिचय वास्तविकता से होता है। वे कार्य को वास्तविक परिस्थिति में करते हैं। उन्हें कार्य का सम्बन्ध जीवन से अनुभव होता है। जैसे—बालकों को डाकघर के बारे में ज्ञान देना है तो वे डाकघर जाकर देखेंगे और उसके उपरान्त कक्षा में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार बालक कार्य में रुचि लेते हैं। वे एक निष्क्रिय श्रोता न होकर सक्रिय कार्यकर्ता हो जाते हैं। उसे ज्ञान प्राप्त करने में आनन्द आता है। उनकी जिज्ञासा का समाधान मिल जाता है और वह उसी आधार पर अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। इससे उनके ज्ञान की वृद्धि होती है। उनके पुस्तकीय ज्ञान का सम्बन्ध जीवन के अनुभव से होता है, क्योंकि वे पुस्तकों में पढ़ते हैं, परन्तु वास्तविक परिस्थिति में उसका अनुभव नहीं करते हैं।

४—योजना में उपयोगिता की विद्येयता है—बालक उही योजनाओं में रस लेते हैं। जिनमें वे अपनी आय-व्ययता अनुभव करते हैं। रुचि के साथ-साथ उनका ध्यान एकाग्र होता है और इस प्रकार वे स्वतः ही अपना ध्यान कार्य में केंद्रित कर लेते हैं।

५—योजना में बालक कार्य चुनने में स्वतन्त्र होते हैं। वे स्वयं अध्यापक के सामने समयानुसार प्रस्ताव रखते हैं कि हमें यह कार्य करना है। इससे समय-सारणी का बन्धन नहीं होता और बालक की रुचि के कारण कार्य की प्रगति होती है।

योजना पद्धति के विचार से कोई नयी पद्धति नहीं है। प्रत्येक युग में मानव ने अपना ध्येय बनाकर ही कार्य किया है। हम स्वयं अपने जीवन में देखते हैं कि किसी कार्य के करने से पहले उसके बारे में सोच लेते हैं कि वह कैसे किया जायगा। हमारे घरों में प्रतिदिन ही योजना बना करती है। प्रत्येक कार्य करने से पहले उसके बारे में दिन, समय और अर्थ आदि की व्यवस्था की

जाती है और उस के आधार पर कार्य का वितरण कर दिया जाता है। कार्य करने में, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें वितरण करने के लिए विचार विमर्श किया जाता है और इस प्रकार प्रतिदिन जीवन के कार्य किये जाते हैं। इसी आधार पर महात्मा गांधी का विचार था कि जो योजना हमारे क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण है वयो न हम उसी का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करें।

— आपने देखा है कि व्यापारी वर्ग के बालक आरम्भ से ही अपनी दुकानों पर जाने लगते हैं। वे कार्यारम्भ निरीक्षण से करते हैं। उनके पिताजी किस प्रकार ग्राहक से बात करते हैं, किस प्रकार उसको विश्वास दिलाने हैं कि वह वस्तु अच्छी और सस्ती है। उसको वहाँ पर वास्तविक ज्ञान वास्तविक परिस्थिति में मिलता है, जिसके लिए उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। दो-एक वर्ष के अनुभव के उपरान्त वही बालक अपने पिता की अनुपस्थिति में दुकान पर बैठने लगता है।

आज के युग में यह प्रचलित है कि योजना-पद्धति के जन्मदाता श्री डब्ल्यू. एच. क्लिफ्टॉक हैं। आपने दृष्टी के प्रयोगवाद पर ही योजना पद्धति का निर्माण किया। उनके विचार से प्रोजेक्ट को परिभाषा इस प्रकार है—'प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्य पूर्ण कार्य है, जो पूर्ण सलज्जता से सामाजिक वातावरण में किया जाय।' इस परिभाषा से प्रतीत होता है कि कार्य हृदय से हो। उपयोगिता, कार्य और ध्यान के साथ वास्तविक परिस्थिति में हो, जिससे बालक का ध्यान स्वतः ही केन्द्रित होता है, क्योंकि प्रस्ताव बालक की रचि के अनुसार है।

योजना कैसे—

बुनियादी शालाओं में वर्ष भर की योजना बनायी जाती है। यह योजना साधन, विचारों और परिस्थितियों के आधार पर निर्मित होती है। ऐसा क्यों? कार्यकर्ताओं के सामने उद्देश्य है—बालक का सर्वांगीण विकास करके उन्हें समाज के लिए उपयोगी बनाना। उनका विकास किस प्रकार किया जाय, जिससे उद्देश्य भी प्राप्त हो जाय। इसी प्रकार से योजना पद्धति में निम्नलिखित अवस्थाएँ आती हैं—

जून, '६३ ]

१—परिस्थिति (सिचुएशन)

२—योजना (प्रोजेक्ट)

३—कार्यक्रम (प्लानिंग)

४—कार्यक्रम को क्रियान्वित करना (एक्सक्यूशन  
आव दि प्रोग्राम)

५—मूल्यांकन (अप्रेजल)

६—लेखा (रेकार्ड)

परिस्थिति—

जीवन में जैसी परिस्थितियाँ आती हैं उन्हीं के अनुसार कार्य किया जाता है। इसी प्रकार बुनियादी-शालाओं में परिस्थिति के अनुसार बालक में कार्य करने की टेव डाली जाती है। यह परिस्थिति भविष्यगत भी होती है और सामाजिक भी। भविष्यगत परिस्थिति में बालक अपने बारे में सोचता है। सामाजिक परिस्थिति में सभी बालक भाग लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति के बालकों में सामाजिकता और नागरिकता के गुणों का विकास होता है।

बालक उन समस्याओं पर विचार करते हैं। घरों में त्योहार मनाते हैं तो स्वयं ही उस त्योहार के बारे में पूछते हैं। क्या-क्या करना है, बाजार से क्या लाना है इत्यादि। इस प्रकार वह स्वयं क्रियाशील होकर कार्य करते हैं। इसी प्रकार विद्यालय में किसी महापुरुष की जयन्ती मनानी है तो उसके बारे में बालक योजनाएँ प्रस्तावित करेंगे। इस प्रकार बालक और अध्यापक विचार-विमर्श करके उस परिस्थिति के बारे में निर्णय करेंगे।

योजना—

बुनियादीशाला में इस प्रकार का वातावरण हो कि बालक ही उन योजनाओं को अध्यापक के समक्ष रखे, जिनको उसे शाला में क्रियान्वित करना है। जैसे, बालक घर में झुन लेता है कि होली के त्योहार पर रंग खेला जाता है तो वह अपनी माँ से उन दिन के लिए बराबर पूछता है। इस प्रकार से शाला में ऐसा वातावरण हो, जिसमें बालक स्वयं ही अध्यापक के समक्ष प्रस्ताव रखे। अध्यापक का कर्तव्य एक पथ प्रदर्शन का होगा। वह बालकों से कक्षा में वाद विवाद करेगा। बालक अपने-अपने मत रखेंगे। अन्त में जिस योजना के बारे में सब बालकों के मत एक हों, उसे चुन लिया जायेगा।

मेरा विचार है कि अध्यापक को कभी योजना के चुनाव करते समय अपना विचार धीरे प्रभुत्व नहीं रखना चाहिए। अगर किसी योजना को अध्यापक चाहता है तो उसके लिए इस प्रकार का वातावरण हो कि विद्यार्थी उस योजना का स्वयं प्रस्ताव रखें। वातावरण वाद-विवाद से, उदाहरण देकर, उपयोगिता घटाकर, मुक्तियों से लेख पढ़कर आदि अनेक प्रकार से तैयार हो सकता है। यह अध्यापक की कुशलता पर निर्भर है।

### कार्यक्रम बनाना—

योजना बन जाने के बाद उस योजना का कार्यक्रम बनाया जाता है। कार्यक्रम में भी बालक स्वतन्त्र रूप से परामर्श देंगे। उस परामर्श के आधार पर कार्यक्रम बनेगा। यह कार्यक्रम विभिन्न भागों में बाँट दिया जायगा। इन कार्यों को करने के लिए बालक स्वयं कार्य के अनुसार भाग लेंगे। इस प्रकार प्रत्येक बालक अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार योजना में कार्य करेगा।

### कार्यक्रम को क्रियान्वित करना—

बालक स्वयं ही काम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्हें क्या-क्या, किस कार्यक्रम के अनुसार करना है। इस प्रकार वे क्रिया द्वारा सीखते हैं। करना और सीखना ही मुख्य सिद्धान्त है। इस पद्धति से बालक को अधिक प्रयास करना पड़ता है, परन्तु उसे कोई कष्ट नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करना भार स्वरूप नहीं होता, क्योंकि उसे उस कार्य में रुचि होती है। कार्य को पूरा करने में लिखना-पढ़ना, निरीक्षण करना, धूमना और अन्य कार्यकर्ताओं से सहयोग लेना होता है। बालक में कार्य करने से आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। अगर कार्य में परिवर्तन होगा या कठिनाई होगी तो अध्यापक उसमें पथ-प्रदर्शन करेगा।

### मूल्यांकन—

कार्य करने के बाद बालक और अध्यापक यह निर्णय करते हैं कि उस कार्य को करने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आई थीं और कहीं तक कार्य में सफलता प्राप्त हुई। निर्णय बालकों से परामर्श से होगा। इसी आधार पर आगामी योजनाओं में भी ध्यान रखा जायगा। बालक

३८६ ]

अपनी-अपनी गृहियों का अनुभव करते हैं। इस प्रकार वे वास्तविक परिस्थिति की आलोचना करना भी सीखते हैं। यह आलोचना तथ्यों पर आधारित होती है, कल्पना पर नहीं।

### कार्य का लेखा—

बालक जो कुछ भी कार्य करते हैं उसे अपनी कानियों में लिख लेते हैं। इसी आधार पर अध्यापक बालकों को अभ्यास के लिए कार्य देते हैं। इस प्रकार बालक क्रियाशील रहते हैं। सेसन में बालक आलोचना भी लिखेगा, वह अपने अनुभव भी व्यक्त करेगा, जो उसने कार्य करते समय प्राप्त किये हैं।

पूरे विद्यालय में निश्चित समय के लिए योजना बनायी जाती है। इस योजना में स्कूल के सभी छात्र और अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं। उस योजना के कार्यक्रम को बच्चा के अनुसार विभक्त कर लेते हैं। उस निश्चित समय में प्रत्येक बच्चा अपनी योजना के कार्यक्रम को पूर्ण करती है। जैसे—१४ नवम्बर मनाना, २६ जनवरी मनाना, त्योहार मनाना। ये योजनाएँ अन्य निश्चित तिथि से एक माँ दो सप्ताह पूर्व ही बच्चे प्रारम्भ कर देते हैं और निश्चित तिथि को उसका मूल्यांकन करते हैं।

होली का त्योहार हमारे देश में महत्वपूर्ण है। ग्रामीण बाला एक सामाजिक केन्द्र है। इसी भावना को लेकर होली मनाने की योजना स्कूल में प्रस्तावित की जायगी, उसी आधार पर स्कूल में कार्यक्रम बनेगा और निश्चित दिन ग्रामीण एकत्र होकर होली का त्योहार मनायेंगे। इससे त्योहार का भी महत्व बढ़ जायेगा। गाँव में एकता और प्रेम का प्रभाव होगा और सब एक स्थान पर बैठकर आनन्द मनायेंगे। गाँव वाले भी शांति में ही मनोरंजन करेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बालक तो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे ही। इस प्रकार वे ग्रामीणों का (सहायकों) प्रदर्शन देख कर अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे।

### विस्तृत पाठ्यक्रम—

क्रिया—होली मनाना।

[ दोप गृह ४०० पर ]

[ नयी छातीम ]

## रचनात्मक कार्य : ग्राम-इकाई ग्राम-स्वराज्य

स्वराज्य की लड़ाई के दिनों में रचनात्मक कार्य का संगठन काँग्रेस के तत्वावधान में स्वराज्य-समाम की व्यवस्था के अग के रूप में हुआ था। काँग्रेस मध्यमवर्गीय थी, पूरा स्वराज-आन्दोलन ही मध्यमवर्गीय था, इसलिए रचनात्मक कार्य के मूल्य भी प्रगतिशील मध्यमवर्गीय ही हुए। ऐसा होना उस समय की परिस्थिति में, सुरत जय देश में नागरिक जावन की परम्परा नहीं थी, अनिवार्य था। काँग्रेस का धारा ध्यान अँग्रेजी राज से छुटकारा पाने पर था, दमन या शोषण से मुक्ति गांधी तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के मन में भले ही रही हो, देश के जावन में किसी मूल्य के रूप में नहीं प्रकट हुई थी।

१९४४ में चरखा सत्र के नवसंस्करण के रूप में बापू ने वर्गान्तराकरण और शोषण-मुक्ति को रचनात्मक कार्य का मूल्य बनाना चाहा, लेकिन रचनात्मक कार्य के मध्यमवर्गीय, कल्याणकारी स्वरूप (Class Character) में इस परिवर्तन की दृष्ट पूर्वक अस्वीकार कर दिया। तबतक स्वराज्य आ गया। स्वराज्य की विभीषिका गांधी की सा गयी और सत्ता, सेवा को हजम कर गयी। राज्य की शक्ति मध्यमवर्गीय काँग्रेस के हाथ में आयी। गांधी की दीक्षा और जमाने की माँग का इतना असर हुआ कि देश में बालिग गताधिकार के आधार पर चलनेवाली सवदीय लोकतन्त्र की प्रणाली कायम हुई। बोट का अधिकार पाकर जनता

जून, '६३ ]

अगर सस्थाओं के सचालक, इकाइयों के सगठक सर्वु खर और फाइल या रचनात्मक कार्य के कुछ पिटे पिटाये आइटेम तब ही सीमित रह गये और सारी जिम्मेदारी ग्राम सहायकों पर मढ दी गयी तो मुझे सन्देह है कि योजना शुरू में ही कुठित होने से नहीं बचेगी।

### श्री रामभूति

की आगल्लाएँ बढ़ों। कल्याणकारी राज्य ने आका सारों की पूर्ति का बीड़ा उठाया।

सरकार में जाने से काँग्रेस का राजनीतिक रक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन रचनात्मक कार्य के लिए गांधी की जो वसीयत थी कि वह क्रान्ति के दूसरे चरण को पूरा करे यानी 'बुर्जुआ रेवोल्यूशन' को 'प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन' का रूप दे, वह नहीं पूरी हुई। जब सरकार ने कल्याण करने का बीड़ा उठा लिया तो कौन से एसे रचनात्मक कार्य थे, जो जनता का कल्याण को जगा सकते थे, और कौन एसे रचनात्मक कार्यकर्ता थे, जो बड़े पैमान पर जनता का विश्वास प्राप्त कर सकते थे ? तात्कालिक कल्याण से भिन्न क्रान्ति की दृष्टि और शक्ति के अभाव में रचनात्मक कार्य सत्ता का आश्रित होकर सरकारी पचवर्षीय योजना का अग बन गया।

१९-१९५१ से ही ढीक कल्याण के क्षेत्र में सरकार और रचनात्मक कार्य की साझेदारी चल रही है। रचनात्मक कार्य सरकार की धुपा पर आश्रित है, जनता की सद्भावना पर नहीं। इस धुपा का मूल्य उसे चुकाना पड़ रहा है या सायद मूल्य देकर ही वह अपने अस्तित्व को कायम रख रहा है। सरकार के कारण उसकी आकाखा अग भी गांधी और निनोवा के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन पैर उसके पाछे फँसे हुए हैं। इस दैव स सायद हित की जगह अहित अधिक हो रहा है।

१३-१५१ के बाद कई वर्षों तक, सम्भवतः १९५७ तक, रचनात्मक कार्य ने विनोबा के साथ चलने की कोशिश की। विनोबा ने रचनात्मक कार्य को नया मोड़ देने की कोशिश की थी। उन्होंने रचनात्मक कार्य को उस छोर से पकड़ा था, जिसकी १९४४ में गांधीजी ने कल्पना की थी। विनोबा ने रचनात्मक कार्य का जो नया संस्करण शुरू किया उसके दो मुख्य पहलू थे—आर्थिक तथा राजनीतिक स्वामित्व का अन्त एवं शीक शिक्षण द्वारा लोक मानस में नये सामाजिक मूल्यों का प्रवेश। इस कार्यक्रम में मुक्ति द्वारा कल्याण या, क्रान्ति द्वारा राहत थी, लेकिन पुराना रचनात्मक कार्य जिस तरह १९४४ में गांधी के साथ नहीं चल सका उसी तरह विनोबा के नये संस्करण के साथ भी दूर तक नहीं जा सका। रचनात्मक कार्य का विनोबा के साथ जो भी सम्बन्ध रहा वह मुख्यतः भावनात्मक था। रचनात्मक कार्य भूदान, ग्रामदान का पूरक नहीं हुआ। अगर हम विरासत और विवेक के साथ नये कार्यक्रम में लगे होते तो हमारी सारी शक्ति भूदान को किसान कारीगर (Peasant Craftsman) बनाने तथा उसके और पुराने मालिक के बीच रचनात्मक साझेदारी (Constructive partnership) फायम करने के काम में लगाते, लेकिन स्वामित्व मिलने और उत्पादकों का समाज बनाने की प्रेरणा हम अपने अन्दर नहीं भर सके। वास्तव में हमारा अपना ही वर्ग-निराकरण (Declassing) नहीं हुआ। भावनाओं में हम चाहे जहाँ भी हों लेकिन इतिहास ने हमें गांधी की सामाजिक क्रान्ति से अलग कर दिया है, यह तथ्य हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकृति से हमारे विचारों में स्पष्टता आयेगी और द्वैत (Split) से मुक्त होकर सुनिश्चित दिशा में हमारा पुरुषार्थ भी चलेगा।

१४—एक और बात है। कमीशन के नेतृत्व में वायव्य हम रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने यह मान लिया कि बेकारी निवारण की जिम्मेदारी हमारी है और उसकी शक्ति भी हममें है। यह अन्वहोनी बात है कि किसी स्वतन्त्र देश की गैरसरकारी सहाय्य, जो

१५ की आर्थिक नीति को प्रभावित न कर सके,

३८ ]

यह दावा करें कि बेकारी या अर्द्धरोजगारी का उपाय उनके पास है। यह कभी सम्भव नहीं है। गैरसरकारी प्रयत्न किसी सम्भावना का प्रयत्न प्रदर्शन (Demonstration) कर सकता है, इससे अधिक नहीं। सम्भावना की व्यापक बनाने का काम सरकार का है। अगर हम सरकारी योजना के अन्तर्गत अपने लिए उत्पादन का उत्पादक स्वीकार करते हैं तो हमें साफ-साफ अपनी स्थिति और शक्ति समझ लेनी चाहिए। आज भी हमें इस बात की खोज करनी चाहिए कि चरखा परिवार की आय बढ़ाता है या बेचन कृतिन की, और अगर बढ़ाता है तो कहीं तक, चरखे की खेती के साथ पूरक या खेती के स्थान पर मुख्य उद्योग बनने की सामर्थ्य कितनी है तथा चरखे की नमाई कृतिन के द्वारा किस तरह रच्ये होता है जादि। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे क्रायों से कितना विकास हो रहा है और कितना परिवर्तन। विकास और परिवर्तन एक चीज नहीं है। अपने ही देश में नहीं, तमाम अधिककृत देशों में विकास उनाम परिवर्तन (Development versus change) की समस्या उपस्थित हो गयी है। इन अपनी आँखों से मो देखते हैं कि जिस गाँव में घर घर चरखा चलता है उसकी सामाजिक रचना में, वहाँ के लोगों के 'ऐटीच्यूड' में कोई खास अंतर नहीं पड़ता बल्कि देश के कई क्षेत्रों में जिनमें सरकार की ओर से नमूने का विकास कार्य हुआ है वे परिवर्तन की दृष्टि से पीछे गये हैं। अगर हम परिवर्तन की अपने कार्य की कसौटी मानें तो हमें अपने कार्यक्रम और कार्य पद्धति पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

१५—परिवर्तन की बात जाने दीजिए। १९५१ से देश में जो लोक कल्याणकारी विकास कार्य शुरू हुए उनमें जो हम आगे नहीं बढ़ सके। सरकार ने देखा कि उसका विकास कार्य अंधी गली में पहुँच गया है। हमारे अपने रचनात्मक कार्य की स्थिति इससे जरा भी भिन्न नहीं है। बात यह है कि आज के जमाने में विकास केवल पैसे और प्रोग्राम के भरोसे एक धीमा के आगे नहीं जा सकता। विकास को निरन्तर आगे

[ नये साक्षी ]

बढ़ाने के लिए समाज की रचना में उपर्युक्त परिवर्तन आवश्यक होता है। सामन्तवाद, पूँजीवाद और सरकारवाद ये तीनों हमारे देश में विकास के बाधक तत्व हैं। कारण चाहे जो हो, लेकिन अगर करोड़ रुपये खर्च करने पर सामान्य लोक कल्याण का काम भी न सघे तो स्वाभाविक है कि सरकार को चिन्ता होगी और हमें भी। इस चिन्ता में हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारे काम के दग में कमी है। दो बुनियादी कमियाँ दिखायी पड़ीं—एक यह कि जनता हमारे और सरकार दोनों के काम से अलग रहती है, दूसरी यह कि दोनों के काम एकागी सिद्ध होते हैं, जनता के समग्र जीवन को नहीं प्रभावित करते और सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि उसके दग में कमी है। इस पर दोनों ने सोचा कि अगर पचायत के स्तर पर विकास के सब कार्यक्रम एक सूत्र में बाँधे जायँ और सब साधन 'पूले' किये जायँ तो शायद कुछ अनुकूल परिणाम आये। आर्थिक योजना की दृष्टि से शायद गाँव छोटा पड़ता है और पचायत में सरकार की ओर से पचायत के रूप में एक व्यवस्था पहिले से मौजूद है, इसलिए पचायत को आधार माना गया। इस तरह हमने और सरकार दोनों ने देख लिया कि स्थानीय अभिक्रम के बिना काम नहीं चलेगा, स्थानीय विकास के साधनों को पूरा किये बिना काम नहीं चलेगा और गाँव के समग्र जीवन को छूये बिना काम नहीं चलेगा। इस त्रिवेणी का नाम है ग्राम इकाई और सगम के वेड़े का नाम है ग्राम-सहायक।

इस पृष्ठभूमि में ग्राम इकाई का जन्म हुआ है। ग्राम इकाई का पाछे रचनात्मक कार्य का यह लम्बा इतिहास और परम्परा है। ग्राम इकाई राष्ट्रीय निर्माण की उस धारा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे अर्धराज्य में व्यापक लोक-कल्याण (mass welfare) कहते हैं।

अब हम इसे इतिहास और परम्परा, देश की आज की परिस्थिति, समाज के विकास की आवश्यकता, संस्थाओं की स्थिति, सरकार की राष्ट्रीयता, योजना और जनता की विचरणा और उसकी आकांक्षा को सामने रखते हैं तो ग्राम इकाई का कार्यक्रम बहुत उल्ला हुआ दिग्यायी देता है। शायद इधीलिये जन्म

से ही ग्राम इकाई के लक्ष्य, कार्यक्रम, संगठन, और कार्य पद्धति के बारे में विविध और कमी कमी परस्पर विरोधी विचार प्रकट हुए हैं; लेकिन कार्य के लिए यह आवश्यक है कि हमारे विचार में अधिक से अधिक स्पष्टता हो। एक बात तुरन्त साफ समझ में आती है कि समाज के सुनियोजित विकास के लिए जनता का सक्रिय होना आवश्यक है, इसलिए कार्यक्रम अप्रोच, कार्यपद्धति, आन्दोलन आदि चाहे जो हो उसका पहला लक्ष्य है जनता को सक्रिय (active) बनाना।

१६—ग्राम इकाई के कार्यक्रम में प्रशिक्षण सर्व-सेवा सघ के हाथ में है, पैसा कमीशन के कोऑर्डिनेशन (कहीं-कहीं कंट्रोल) स्टेट बोर्ड के और कार्यान्वयन संस्था के हाथ में है। क्या ये चारों आवश्यक हैं? और संस्थाओं में भी सब एक ही नहीं हैं। सरकार ने भी ग्राम इकाई लेकर अपने रचनात्मक होने का प्रमाण दे दिया है। क्या इस विविधता में विचार और कार्य की एकरता लगी जा सकती है?

एकता किसी कार्यक्रम की सफलता की मूल शर्त है। सर्व-सेवा सघ और कमीशन के दृष्टिकोण में एकरता नहीं है। कमीशन गाँव स्तर पर कोऑपरेटिव, सच्ची सिद्धी, उत्पादन के लक्ष्य आदि के सन्दर्भ में सोचता है। सर्व-सेवा-सघ कोऑपरेटिव के पहिले कोऑपरेशन, अनुदान के पहिले दान, ग्रामकोष, शैक्षणिक प्रक्रिया आदि की भाषा का प्रयोग करता है। एक का अग्रोच इस्टीम्युशन है, दूसरे का 'ह्यूमन' है। दोनों में बहुत अन्तर है। एक के मन में विकास है, दूसरे के मन में परिवर्तन है। परिवर्तन (Change) से ही विकास सम्भव है, यह मान्यता सर्व-सेवा-सघ की है। विकास होगा तो परिवर्तन भी हो जायगा, यह आशा कमीशन की है। हमें इस प्रश्न पर स्पष्ट होना चाहिए।

दोनों का मेठ मिलाने का दृष्टि से प्रारम्भिक कदम के रूप में दो बातों पर ध्यान देने की विचारिणी सर्व-सेवा सघ की ओर से हुई है। एक यह कि गाँव के ८० प्रतिशत परिवार ग्राम कोष में अपने निर्णय से शरीक हों। दूसरी यह कि निर्णय ऐसी ग्रामसभा के



द्वारा हो, जो हर परिवार के एक बालिक को मिलाकर बनी हो। आवश्यक यह इसलिए है, ताकि हमारा नया कार्यक्रम गाँव के निचले समुदाय को अबतक के कार्यक्रमों की तरह न छोड़ दे और गाँव धीरे-धीरे सामूहिक स्वायत्त और सामूहिक सुरक्षा (ग्रामदान) की दिशा में जाय। गाँव में नयी-नयी संस्थाएँ पक्की करके आर्थिक कार्यक्रम चलायेंगे का जो 'अप्रोच है उसमें नीचे के लोगों का छूट जाना अनिवार्य है; क्योंकि कोआपरेटिव, ग्रामोदय-समिति, सर्वोदय समिति या किसी दूसरे नाम से कोई संस्था बनाकर काम शुरू करने का अनिवार्य परिणाम यह होता है कि विकास का कार्य उन्हीं लोगों के हाथ में चला जाता है, जिनके पास ज़ात, धन, ढण्डे या अधिकार की शक्ति होती है। ऐसे लोग हमेशा परिवर्तन यानी समता और लोकतन्त्र के सही मूल्यों को कभी समझे नहीं आने देते। इसलिए हमें अप्रोच का आग्रह है कि हम परिवार की ही इकाई मानकर शुरू करें और धीरे-धीरे सहकार की परिधि बढ़ाते जायें। ऐसा करने से कुछ (Activisation, Revitalisation) विलकुल नीचे से शुरू हो सकेगा। परिवार की छोड़कर पूरे गाँव या पूरी पंचायत को जबरदस्ती इकाई मानकर काम करने का अर्थ है—नये नेतृत्व को मुठ्ठी भर लोगों में फेन्द्रित कर देना। यह मूलतः लोकतन्त्र और अहिंसक समाज की प्रक्रिया के विरुद्ध है। हम जानते हैं कि पंचायत की कौन कहे, गाँव भी एक इकाई नहीं, घरों का समूह मान है। उसे इकाई बनाना ही ग्रामइकाई योजना का काम है। अगर गाँव में कुछ जान आती है तो यह उत्पादन में अवश्य प्रकट होगी। सर्व-सेवा-संघ की कल्पना में ग्रामइकाई का कार्यक्रम गाँवों में नवजागरण (Renaissance) का एक माध्यम है, अवसर है। वह स्वयं क्रान्ति नहीं है, उसमें क्रान्ति के पहिले की सहायक प्रक्रिया बनने की सम्भावना है, जो समाज की क्रान्ति के प्रति सचेदनशील (Receptive) बना सकती है। इस अप्रोच की दृष्टि से बीघा-कहा, भ्रम-सहकार, और ग्रामकोप अनिवार्य प्रारम्भिक कदम हो जाते हैं।

१७—रूप रियर हो जाने पर कार्यक्रम स्थिर करना सरल हो जाता है। देश को आज की उलझी

हुई परिस्थिति में एक पहला कदम ठीक उठा लेना कुछ कम यात नहीं है; लेकिन कदम उठाने के पहिले दृष्टि और अप्रोच स्थिर करना आवश्यक है। हम परिवार को बुनियादी इकाई मानकर सहकार की परिधि बढ़ायेंगे या गाँव के 'नेताओं' को लेकर एक तथा-कथित सहकारी संस्था बनाकर नकली उत्पादन-शुद्धि का कार्यक्रम चलायेंगे, यह तय हो जाना चाहिए।

अभी तक हो यह रहा है कि जो प्रगती संस्था जो काम जिस दग से कर रही है उसी में ग्राम सहायक को लगा लेती है और अपने टोटल वेतन बिड का एक भाग कमीशन के मत्पे टॉक देती है। ऐसा करना किसी दृष्टि से उचित नहीं है। होना यह चाहिए कि संस्था का खादी ग्रामोद्योग का काम ग्रामइकाई कार्यक्रम का अंग बन जाय, न कि यह कि इसके विपरीत संस्था ग्रामइकाई को अपने में समेट ले।

हर ग्रामइकाई के लिए समान कार्यक्रम तय करना स्थानीय अभिक्रम और जिम्मेदारी के विचार के विरुद्ध है। हर ग्रामइकाई को नहीं, हर गाँव और टोले की, बल्कि टोले के विभिन्न समुदायों को अपनी आवश्यकता और आकांक्षा के अनुसार कार्य सोचने और करने की छूट होनी चाहिए।

इस दृष्टि से यह सम्भव है कि एक ही गाँव में एक साथ कई कार्यक्रम चलें, जिनमें अलग-अलग परिवारों, समूहों या व्यक्तियों को रुचि हो। नाटक से लेकर इंट के भडे तक, भजन कौतन से लेकर खेती, चरखे और खाद बनाने तक काम ही काम हैं। इसका अर्थ यह है कि जो जहाँ है वहाँ से अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने के लिए सक्रिय हो, सचेष्ट हो। इसे 'marginal approach' कहते हैं।

गाँव में थोड़ी भी सक्रियता आती है तो कई ऐसे मिश्र निकल आते हैं, जिनके द्वारा गाँव-स्तर पर सामूहिक कार्य की भूमिका तैयार होने लगती है। पुस्तकालय या स्कूल का निर्माण, सहक की मरम्मत, कोई उत्सव या किसी मान्य अन्याय का प्रतिकार आदि ऐसे प्रसंग हैं, जो ग्रामीण जीवन के दूरे हुए धागों को जोड़ने का काम कर सकते हैं।

१८—कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ अनुकूल सगठन पर निर्भर है। सगठन के तीन तत्व हैं :—  
 (क) स्वयं इकाई का तन्त्र, (ख) ग्राम सहायक-सहायक संगठक का व्यक्तित्व और परस्पर सम्बन्ध, (ग) स्थानीय पचायत, कोआपरेटिव स्कूल तथा क्षेत्र का प्लाक।

यद्यपि ग्रामइकाई कार्यक्रम अर्द्ध सरकारी है, फिर भी हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि वातावरण अधिक से अधिक गैर सरकारी रहे। सगठक, सहायक सगठक और ग्राम सहायक के पद और वेतन की निम्नता एक बाधक तत्व है। होना यह चाहिए या कि ग्राम सहायकों में से ही लोग अनुभव और क्षमता के आधार पर सहायक सगठक बनते और धीरे धीरे सगठन का विकास होता, लेकिन तन्त्र पहिले बन गया और काम का विकास अत्र हो रहा है। फिर भी हमारा यह प्रयत्न रहे कि ग्रामइकाई में कागज और टाल-फाँटे की प्रधानता न होने दें और ग्राम सहायक को दूसरा V. L. W. होने से बचाये। इसके दो उपाय हैं—एक यह कि सस्थाएँ अपने अनुभवी, अरुस्था प्राप्त कार्यकर्ता गाँव के लिए निकालें, सस्था के पदाधिकारी खुद भी किसी ग्रामइकाई को अपना प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्र बनाये। इसके अलावा ग्रामइकाई शुरू करने के पहले पूर्ण तैयारी के रूप में लोकसम्मति प्राप्त करने का आग्रह रखा जाय, ताकि जब ग्रामसहायक इकाई में जाय तो स्थानीय जनता उसे एक नये विचार, नये मूल्य, नयी पद्धति के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करे और उसे केवल मददगार माने।

हर एक सहायक सगठक ग्रामसहायक के साथ किसी ग्राम इकाई को अपनी माने, ताकि वह अपने निचाराओं को प्रत्यक्ष अनुभव की कक्षाटी पर कस सके।

स्टेट बोर्ड या राज्य सरकार से मिलकर यह काम होना चाहिए कि जिस प्लाक में ग्रामइकाइयाँ हों वहाँ पंचायत-स्तर पर पंचायत-अधिकारियों, पंचायतों, कोआपरेटिव और स्कूलों के प्रतिनिधियों की समय-समय पर बैठकें हों और वे क्षेत्र के विकास के बारे में निचार करें। कोई मिली जुपी समिति भी बनायी जा सकती है।

जून, '६३ ]

ग्रामसहायकों के चुनाव के बारे में बहुत अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। आज जिस तरह के नये युवक प्रायः लिये जा रहे हैं। वे इस काम को उठाने में समर्थ नहीं होंगे। हमारे अच्छे से अच्छे लोगों को इस काम के लिए सामने आना चाहिए।

१९—अगर हम ग्रामइकाई के कार्यक्रम को नव-जागरण का अंग और माध्यम मानते हैं तो हमारी पद्धति शैक्षणिक ही हो सकती है, उपदेश या दबाव की नहीं। कार्यकर्ता गाँव का मित्र होगा और इस नाते वह गाँव के जीवन में सम्मिलित होकर, अपनी नेत्र सलाह से और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से काम करने की कोशिश करेगा। वह श्रम की विरादरी कायम करेगा। खेल में, उत्सव में, सारे सुख दुख में गाँव का साथी होगा। बीमारी में प्राथमिक चिकित्सक होगा। खेती, खाद, खादी के लिए शिक्षक होगा। शान्ति रक्षा के तथा मान्य अन्याय के प्रति कार के लिए निपट, कठोर मित्र होगा।

हमारी पद्धति चेतन से चेतन को जोड़ने की होनी चाहिए, सस्था बना कर गाँव वालों से कायदे-कानून मनाने की नहीं। जल्दी कुछ कर देने की अर्धरता में विकास का बुनियादी तत्व छूट जाता है। हमें सबसे अधिक गाँव के लोगों में काम के प्रति, पड़ोसी के प्रति, समाज की समस्याओं के प्रति नया ऐंटीब्यूड पैदा करना है। वह कायदे-कानून से नहीं पैदा होगा। उसके लिए शिक्षण और सद्कार की ही कोई प्रक्रिया निकालनी होगी, ताकि गाँव के लोग सामूहिक हित में अपना और अपने परिवार का हित देखने का अभ्यास कर सकें। मुझे लगता है कि जिसे 'इस्टिब्लिशमल अप्रोच' कहते हैं वह गाँव के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त ही नहीं, बल्कि लोकतन्त्र के विकास के लिए अहितकर है। अगर हमने काम का यही ढंग रखा तो मुझे भय है कि जो भी थोड़ी गैरसरकारी चेतना और शक्ति बची है वह समाप्त हो जायगी और देश में सर्वाधिकारी राज्य (Totalitarian state) के लिए रास्ता साफ हो जायगा। 'mass welfare' की अर्थनीति की यह अनिर्णय गणनीतिक निष्पत्ति होती है।

इतना तो न हो कि हमारी अछावधानी से साम्यवाद या फासिस्टवाद के लिए अवसर मिल जाय ।

मित्रों, ग्राम इकाई की समस्या सरल नहीं है, अत्यन्त कठिन है । हिन्दुस्तान के गाँवों की समस्या इस देश के पुनर्वास्य के लिए एक चुनौती है । इसी देश के गाँवों में साम्यवाद और सर्वोद्यम का अन्तिम निर्णय होने वाला है और ४५ करोड़ नर नारियों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो लोकतन्त्र को समाप्त समझिए, अगर नागरिक शक्ति संगठित नहीं होती तो स्वतन्त्रता को समाप्त समझिए । कौन, किस तरह इन उठती हुई आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा ? कौन नागरिक शक्ति को संगठित करेगा ? बावजूद चेतानगी के हमारी मध्यम वर्गीय लीडरशिप देश की अर्थनीति और राजनीति को तेजी पसे विन्दु पर पहुँचा रही है, जहाँ प्रामीण हितों और शहरी व्यापार और केन्द्रित उद्योगों में घातक संघर्ष अनिवार्य होता जा रहा है । जातिगत दमन और वर्गगत शोषण के साथ साथ अगर दलगत तनाव और प्रामीण और शहरी हितों का संघर्ष भी जुड़ जाय तो इस देश का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है ।

लेकिन घने बादलों में छिपी प्रकाश की रेखा भी है । वह रेखा यह है कि आज औसत व्यक्ति भी परिवर्तन चाहने लगा है और मन से परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है । युद्ध की ललकार के बीच भी वह शान्ति निर्माण की बात सुनने से इनकार नहीं करता । चीन के आन्दोलन ने भारतीय आत्मा में मन-यन पैदा कर दिया है ।

इसलिए आवश्यकता है एक व्यापक प्रामीण नेतृत्व (रूरल लीडरशिप) निर्माण करने की जो करोड़ों को दिशा दे, जो दृष्टते दिलों में नयी जान फूँक सके । क्या ग्रामइकाई यह चुनौती स्वीकार करेगी ?

नेतृत्व पैदा करने की प्रतिष्ठा क्या होगी ? हम मुग्य रूप से उत्पादन के फ़ट पर काम करना चाहते हैं तो हमारी टेक्नालोजी क्या है, पूँजी के अभाव में अगर धम की प्रचुरता का इस्तेमाल उत्पादन के लिए करना हो तो धम प्रधान टेक्नालोजी का अभ्यास कहाँ होगा ? और अगर समाज में धम की प्रचुरता का प्रयोग करना हो तो धमिक और पूँजीपति का सम्बन्ध क्या होगा ?

इन प्रश्नों का उत्तर केवल एक सीमित आर्थिक विकास के कार्यक्रम से नहीं मिलेगा । इसका उत्तर हमें अध्ययन, शोध, अनुभव से ढूँढ़ना है, लेकिन हम ढूँढ़ने में सफल भी तभी होंगे जब हम समग्र विकास की भूमिका में सोचेंगे । धम और साम्य के मूल्यों को साहस के साथ घोषित करेंगे और ग्रामइकाई के कार्यक्रम को लोकतान्त्रिक नवजागरण के साथ जोड़ेंगे ।

ग्रामइकाई ग्राम स्वराज्य के लिए हवा तैयार कर सकती है । कम से कम उसमें ऐसा करने की सम्भावना है, लेकिन वह ऐसा कर सकेगी या नहीं, यह बहुत कुछ प्रवर्ती संस्थाओं पर निर्भर है । अगर संस्थाओं के सञ्चालक, इकाइयों के संगठन, सटुलर और फाइल या रचनात्मक कार्य के कुछ पिटे पिटाये आइटेम तक ही सीमित रह गये और शारी जिम्मेदारी ग्रामसहायकों पर मढ़ दी गयी तो मुझे संदेह है कि योजना शुरु में ही कुठित होने से नहीं बचेगी ।

ग्रामस्वराज्य आज एक दरपन है—वह भी इन्ते-गिने पागलों तक सीमित, इसे नारा बनाना है । इसके लिए लोक-सम्मति प्राप्त करनी है । सम्मति बन जायगी तो शक्ति बनते देर नहीं लगेगी । इसके लिए ग्रामइकाई शायद अन्तिम खुला शान्तिपूर्ण अवसर सिद्ध हो । क्या हमलोग इतिहास के इस संकेत को समझेंगे ।

[ समाप्त ]

## मूँझोंवाली 'माँ' का पुण्य स्मरण

श्री काशिनाथ त्रिवेदी

सन् १९२६ की बात है। उन दिनों मैं इन्दौर के क्रिश्चियन कालेज में इण्टर का विद्यार्थी था। गरमी की छुट्टियों में मुझे हाल ही खुले एक गुफकुल में काम करने का मौका मिला। गुफकुल इन्दौर के पास राऊ में खुला था। नाम था—मालव विद्यापीठ। इसी गुफकुल में मैंने श्रद्धेय श्री गोपीवल्लभजी उपाध्याय के पास भावनगर की दक्षिणामूर्ति सस्था का कुछ गुजराती साहित्य पहले पहल देखा। 'शिक्षण-पत्रिका' और 'छात्रालय' नाम के मासिकों तथा 'दक्षिणामूर्ति' नामक त्रैमासिक के अंक भी वहीं पहली बार पढ़ने को मिले। 'शिक्षण पत्रिका' के अकों ने मुझे बहुत प्रभावित, प्रेरित और आकर्षित किया। तभी से मैं उसका एक नियमित पाठक बन गया। स्वर्गीय श्री गिजुभाई बघेका के प्रत्यक्ष दर्शन का और उनके सत्संग तथा सीधे मार्गदर्शन फाल्गुमी १९३१ के सितम्बर महीने के लगभग मिला, पर उनके प्राणवान साहित्य का रसवारवादन और उसका अध्ययन अनुशीलन मैं सन् '२६ के मई महीने से ही करने लगा था। उनके विचारों ने और उनकी लेखन-शैली ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। मेरे जीवन को नयी दिशा और नया मोड़ देने में गिजुभाई के साहित्य का पर्याप्त योग रहा।

पहली जनवरी, १९२९ को मैं छापरमती आश्रम पहुँचा। वहाँ मुझे गांधीजी के हिन्दी साप्ताहिक 'हिन्दी नवजीवन' के सहायक सम्पादक का और हिन्दी-

अध्यापन का काम मिला। आश्रम के पुस्तकालय और वाचनालय में दक्षिणामूर्ति का साहित्य बराबर आता रहता था, इसलिए मैं वहाँ भी अनायास ही सर्व श्री गिजुभाई, नानाभाई, ताराबहन और हरभाई की रचनाओं को बराबर रुचि पूर्वक और ध्यान-पूर्वक पढ़ता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अनूठा, तेजस्वी और मौलिक प्रयोग उन दिनों दक्षिणामूर्ति सस्था कर रही थी, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में उसका अपना एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण स्थान था। उस महान और अद्भुत प्रयोग ने सारे गुजरात सौराष्ट्र की नयी-पुरानी दोनों पीढ़ियों को आन्दोलित, प्रभावित और प्रेरित कर रखा था। उस जमाने में शिक्षा का वैसा प्राणवान प्रयोग देश में और कहीं इतनी क्रान्त दृष्टि और वृत्ति के साथ शायद हो भी नहीं रहा था। इसलिए वापू के आश्रम में रहते हुए भी मैं दक्षिणामूर्ति के इन प्रयोगों को बड़ी श्रद्धा और भावना से पढ़ा, सुना और देखा करता था।

स्वर्गीय श्री गिजुभाई ने उन दिनों बाल-जीवन और बाल-शिक्षण के सम्बन्ध में जो क्रान्त चिन्तन किया था और गुजरात-सौराष्ट्र के जन मानस को अपने विचारों तथा प्रयोगों से तिस प्रकार प्रभावित किया था, वह उस जमाने की उनकी अपनी एक अद्भुत और अलौकिक सिद्धि ही थी। स्वयं गिजुभाई भी बालोपासना के अपने इस युग कार्य में एक साधक की-सी श्रद्धा, निष्ठा, उत्कटता और तन्मयता से जुट गये थे।

सन् १९१६ के लगभग उन्होंने अपना कार्य-क्षेत्र बदला। अच्छी, जमी जमाई और चल्ती हुई वकालत छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अनुभव किया कि उनका अपना स्वधर्म शिक्षा है, इसलिए स्वधर्म पालन का व्रत धारण करके वे बकील से विद्यार्थक बने। शिक्षा के क्षेत्र में भी छोटे बच्चों की शिक्षा को उन्होंने अपना जीवन कार्य बनाया और वे उसमें अद्भुत एकाग्रता के साथ रम गये। लगातार तैरे स वर्षों तक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रचण्ड पुरुषार्थ किया। बाल शिक्षा के तो वे भगीरथ ही बन गये। उनको सी निष्ठा और उनका-सा क्रांतिकारी चिन्तन, अनुशीलन और प्रयोग, अपने समय में उन्हीं की अगनी चीज रही। वे अपने क्षेत्र में अद्वितीय सिद्ध हुए।

उन्होंने अपने समय के समाज में छोटे बच्चों की प्रतिष्ठा, पूजा और उपासना का जो विचार फैलाया और प्रत्यक्ष जीवन में उसे जिस तरह स्वयं सिद्ध किया तथा दूसरों से सिद्ध करवाया, उसकी अपनी एक अद्भुत-रम्य कथा है। शब्दों में उसका वर्णन करना सम्भव नहीं। जिन्होंने उन दिनों गिजुभाई को अपनी मुष् बुष् खोकर काम करते देखा है, वे ही जानते हैं, समझते हैं और वे ही हमें बता सकते हैं कि गिजुभाई बाल जीवन के पीछे, उसे स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कितने पागल थे, कितने अधीर उत्सुक और उत्कण्ठ थे। जो निष्ठा कर्मठता और एकाग्रता धनुर्धारी अर्जुन के जीवन में प्रकट हुई थी, बाल शिक्षा के क्षेत्र में उसी को गिजुभाई ने अपने जीवन में बहुत दूर तक सिद्ध कर दिखाया था। यही कारण है कि वे अपने समय में बाल शिक्षा के सबसे बड़े प्रयोनिर्धर सिद्ध हुए।

वैसे तो बाल जीवन और बाल शिक्षा के मर्म को गिजुभाई ने इटली पिाविनी मेरिया मोण्टाडेसोरी के प्रार्थों से पकड़ा और आत्मसात किया था पर इस विषय में उनकी अपनी प्रतिभा और मौलिकता ने भी बहुत बड़ा और गहरा काम किया। भारतीय वातावरण में, भारतीय लोकभावन की उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखकर, बाल शिक्षा की दिशा में गिजुभाई ने जो मौलिक वि-ज्ञा किया और बालजीवन

को सब प्रकार से समृद्ध बनाने के लिए, विपरीत वातावरण में भी जैसे साहस पूर्ण और सक्षम बूझ भरे प्रयोग किये वे सब तो भारत के लिए, भारत-वासियों के लिए अनमोल देन ही बने।

अपने जीवन काल में गिजुभाई माता मोण्टाडेसोरी को प्रत्यक्ष देख नहीं सके। उन्होंने केवल बाल जीवन और बाल शिक्षण-सम्बन्धी उनके ग्रन्थों का गहन अध्ययन और अनुशीलन ही किया था, पर उनकी प्रेरक प्रतिभा उन्हें इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा ले गयी। यदि हम यह कहें कि बाल शिक्षा के क्षेत्र में गिजुभाई ने एकलव्य की सी अद्भुत निष्ठा, एकाग्रता और सिद्धि पायी थी तो मेरे नम्र विचार में इसमें तनिक भी अ-युक्ति न होगी।

सन् १९२० में गिजुभाई ने भावनगर में अपना सबसे पहला बालमन्दिर आरम्भ किया। माता कस्तूरबा गांधी ने उसका उद्घाटन किया और उसे अपने अन्तर का आशीर्वाद दिया। गिजुभाई का यह बालमन्दिर दिन दूना, रात चौगुना बढ़ता ही चला गया। देखते देखते उसकी सुवास चारों ओर फैल गयी। बालशिक्षा का यह एक तीर्थ ही बन गया। यात्रियों का तर्ता-सा लग गया। गिजुभाई का उत्साह और उनकी उपासना दोनों में भारी सकामकता थी। उन दिनों जो भी उनके निकट सम्पर्क में आया, जिस किसी ने भी उनको बाल सेवा और बालोपासना करते देखा, वही उनके साथ ही लिया और उनके जीवन कार्य को सिद्ध करने में उनका साथी-सहयोगी बन गया।

उन दिनों जो भी उनके साथी सहयोगी बने, उनमें साधना, सेवा और समर्पण की उत्कण्ठता पायी गयी। प्राय वे सब अपने समूचे जीवन के लिए बाल सेवक बन गये। उनमें भ्रामती ताराबहन मोडक का नाम सबसे पहले आता है। हमारे देश में गिजुभाई के बाद बाल शिक्षा के विचार को अनन्य भाव से पकड़ कर उस पर अपना सारा जीवन न्योछार कर देने वालों में ताराबहन अद्वितीय हैं। आज भी लगभग ७५ साल का वय्र में वे महापटू के जिले के आदिवासी क्षेत्र में, पहाड़ों और जंगलों के बीच बड़ी उत्कण्ठता, धीरत

और अनन्यता के साथ चाल जीवन की गहराइयों को नापने में लगी हैं ।

एक समय था, जब गिजुभाई और ताराबहन का नाम सारे गुजरात, काठियावाड़ में 'राधा वृष्ण' के नाम की तरह घर घर फैला हुआ था और नित्य-स्मरणीय बन गया था । बाल-सेवा के काम में ये दोनों भिन्न इतने ओतभोत हो गये थे कि इनकी एक अटूट जोड़ी ही बन गयी थी । आज भी गुजरात काठियावाड़ की जनता इन दो नामों को बड़ी भद्रा से सुनती है और बड़े भाव से इनका स्मरण करती है ।

बपों तक बाल शिक्षा के क्षेत्र में नाना प्रकार के क्रान्तिकारी प्रयोग करने के बाद गिजुभाई ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया । बार बार के प्रयोगों से जो साहित्य बच्चों में बहुत चला, जिसे बच्चों ने बड़ी रुचि से सुना, पढ़ा और आत्मसात किया, उसे गिजुभाई ने छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के रूप में छापना शुरू किया । सबसे पहले उन्होंने टाई से ल बरस के बच्चों के लिए लोफ़रूपाओं पर आधारित बालगाथाएँ पाँच भागों में लिखीं । फिर 'बाल-साहित्य-माला' के नाम से अस्सी पुस्तकों का एक सेट क्रमशः प्रकाशित किया । उसे हम उस समय के बालकों के लिए एक छोटा बाल विश्वकोश कहें तो शायद वह गलत न होगा । गुजराती भाषी समाज में उन दिनों ये छोटी छोटी पुस्तिकाएँ बहुत लोकप्रिय हुईं और खूब चलीं ।

बच्चों के साथ ही बड़ों ने भी इन पुस्तिकाओं के द्वारा बहुत कुछ नया और प्रेरणा देने वाला विचार पाया । फिर गिजुभाई ने कुछ बड़े बच्चों के लिए किशोर साहित्य की रचना की । दो भागों में लिखी हुई उनकी 'किशोर कथाएँ' खूब चलीं । बाद में 'बाल-साहित्य-गुच्छ' के नाम से गिजुभाई ने स्वयं २५ किशोरोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित कीं । इसमें कुछ खुद उनकी लिखी थीं और कुछ ताराबहन, गिरीशभाई आदि उनके साथियों की । 'बाल-साहित्य-गुच्छ' के बाद उन्होंने 'बाल-साहित्य-वाटिका' के नाम से १०८ पुस्तकें निकालने का एक महान सफल क्रिया और अपने साथियों के सहयोग से अपने जीवन-काल में लगभग ४० पुस्तकें विविध विषयों पर निकालीं भी । यदि

भगवान के घर से उन्हें जल्दी बुलाया न जाता तो वे अपना यह सकल्प भी अवश्य हो पूरा करते । उनके मन में एक 'बाल विश्वकोश' की रचना का विचार रूप ले चुका था । वे उसकी तैयारी में लग भी चुके थे । यदि भगवान की ओर से उन्हें दस-बारह वर्ष का समय और मिल जाता तो इसमें सन्देह नहीं कि इस देश के बालकों को गुजराती के माध्यम से एक अनूठी भाषा शैलीवाला, ऊँचे दर्जे का 'बाल विश्वकोश' मिल जाता, किन्तु शायद देव की वह स्वीकार न था, इसलिए गिजुभाई का वह मनोरथ सिद्ध न हो सका ।

बालकों के लिए गिजुभाई ने दाय जितना कुछ लिखा और जितना कुछ अपने साथियों से लिखाया, उससे भी अधिक उन्होंने बालकों के पालकों और शिक्षकों के लिए लिखा और लिखाया । गुजराती में उनकी लिखी ये पुस्तकें आज भी बड़े चाव से और मनोयोग पृथक पढ़ी जाती हैं । उन्होंने माता पिताओं और शिक्षकों का दिल दिमाग तैयार करने के लिए गुजराती में 'शिक्षण-पत्रिका' के नाम से एक मासिक पत्र निकालना शुरू किया था, जो गुजरात और मराठी भाषा में आज भी निरूत्तर रहा है । अपने जीवन-काल में गिजुभाई ने 'शिक्षण पत्रिका' के माध्यम से गुजरात के माता पिताओं और शिक्षकों के लिए जो मौलिक और विविध साहित्य प्रस्तुत किया, उसे हम बिना किसी संकोच के शायद साहित्य की श्रेणी में रत सकते हैं । उसकी अधिकांश रचनाएँ तो ऐसी हैं, जो किसी भी समय में, और किसी भी समाज के बीच, उतनी ही रुचि के साथ पढ़ा जायेंगी जितनी वे गिजुभाई के जीवन काल में उस समय के गुजराती समाज में पढ़ी गयीं । हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी राष्ट्र भाषा हिन्दी में अब तक गिजुभाई के उस साहित्य को उतार नहीं पाये ।

जैसे जैसे गिजुभाई का अनुभव और विश्वास बढ़ता गया जैसे-जैसे उनके अन्दर वैदा हुआ मिश्र नरी भार जोर पड़ता गया और वे अपने मिशन को व्यापक बनाने के प्रयत्न में लग गये । उन्होंने जगह-जगह माता-पिताओं, शिक्षकों और शासकों आदि को

मेरित तथा प्रोत्साहित करके ढाई से छ वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शहरों, कस्बों और गाँवों में चौकड़ों बाल-मन्दिर खुलवाये और इन बाल-मन्दिरों में मिथ नरी श्रुति से काम करने वाले निष्ठावान शिक्षक शिक्षिकाओं को तैयार करने के लिए उन्होंने भावनगर के दक्षिणामूर्ति भवन में एक बाल अध्यापन मन्दिर का भी गणेश किया। गिजुभाई रजय इसके आचार्य बने।

उन्होंने अपने जीवन-काल में इस अध्यापन-मन्दिर के कई सत्र कड़े परिश्रम और बड़ी सफलता के साथ चलाये। गुजरात काठियावाड़ के कोने-कोने से नयी उम्र के शिक्षक भाई बहन गिजुभाई के अध्यापन मन्दिर में इकट्ठा होने लगे और उनके तथा तारा बहन मोडक के चरणों में बैठकर बाल-जीवन और बाल शिक्षण की गहराइयों को मनोयोग पूर्वक समझने लगे। इस प्रकार लगभग ६०० भाई-बहन बालोपासना की नयी दीक्षा लेकर सारे गुजरात और काठियावाड़ में फैल गये। इन सबका परिणाम यह हुआ कि समूचे भारत में आज गुजरात ही एक ऐसा प्रान्त है, जहाँ प्राथमिक से पहले की शिक्षा बहुत बड़े पैमाने पर गाँवों, कस्बों और शहरों में फैली हुई मिलती है। विशेषता यह है कि इन बाल शिक्षा-संस्थाओं का सारा काम मुख्यतः अशासकीय संस्थाओं द्वारा जन सहयोग के आधार पर चलाया जा रहा है।

सन् १९३४ में गिजुभाई ने निश्चय किया कि बाल शिक्षा सम्बन्धी उनके विचारों और प्रयोगों की जानकारी गुजरात का बाहर भी फैलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी 'शिक्षण-पत्रिका को हिन्दी में भी प्रकाशित करने का फैसला किया। जून, १९३४ में 'हिन्दी शिक्षण पत्रिका' का पहला अंक इन्दौर से प्रकाशित हुआ। उसके सम्पादन और प्रकाशन की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी। जून, १९३४ से अप्रैल १९५७ तक हिन्दी में 'शिक्षण पत्रिका' निकलती रही। '५३ तक मैं उसका सम्पादक प्रकाशक बना रहा। बाद में परिस्थितिवश मुझे पत्रिका की सेवा से अपना हाथ पीछे लेना पड़ा। गिजुभाई चाहते थे कि देश की सभी मानवीय भाषाओं में बाल शिक्षा का विचार फैले और उसका व्यापक अपरपन अनुयाजन हो,

किन्तु साधनों और सहयोगियों के अभाव में उनका यह मनोरथ पूरा नहीं हो पाया, पर इस विषय में उनके मन में जो उत्कण्ठता थी वह तो अन्त तक बनी ही रही।

गिजुभाई दक्षिणामूर्ति संस्था के आजीवन सेवक बन गये थे। सन् '३८ में वे दक्षिणामूर्ति की सेवा से निवृत्त हुए और स्वतन्त्र सेवा के सपने सँजोने में रम गये। उनकी आकांक्षाओं का कोई पार नहीं था। बच्चों के लिए वे अपना सर्वस्व छुटाने को तैयार रहते थे। बाल सेवा और बाबोपासना के विचार ने उन्हें इतनी मजबूती से पकड़ लिया था कि उसके अगला उन्हें जीवन में और किसी काम के लिए कोई रस शायद रह ही नहीं गया। वे दिन रात बाल-सेवा के ही सपने नाना प्रकार से देखा करते थे। निवृत्ता होने पर भी वे सुप नहीं बैठे। उनकी निवृत्ति के अवसर पर गुजरात की जनता ने उनका बड़े भाव के साथ सार्वजनिक सम्मान किया। उन्हें दस हजार रुपयों की एक पैली भेंट की गयी।

गिजुभाई ने जनता के इस प्रेमोपहार को भी अपने बाल भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। बाल साहित्य के क्षेत्र में उनकी मौलिक और मूल्यवान सेवाओं की बड़ी कद्र की गयी। उन्हें रणजीतराम स्वर्ण पदक भेंट किया गया, किन्तु स्वयं गिजुभाई इन सब सम्मानों से अलिप्त रहे। उ होने अपनी जीवन साधना को कभी धीन नहीं होने दिया। निवृत्ति के कुछ समय बाद से ही उनका शरीर धरने लगा था।

जिस मनुष्य ने अपने उपास्य के लिए 'पीर बचची भिश्ती खर' की भूमिका धारण करके दिन की दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा और लगातार २० वर्षों तक भूल की सी गति से प्रचण्ड पुष्पार्य किया, शरीर से कहीं अधिक चिन्ता अपने सेवा कार्य की रखी। यदि अति धम के कारण निवृत्ति के बाद उसके शरीर ने साथ देना कम कर दिया तो उसने अनुचित किया। शरीर ने अपना धर्म ही पाला। गिजुभाई ने भी अपने धर्म की रक्षा की।

धीरे धीरे शरीर इस योग्य नहीं रहा कि वह कड़ा परिश्रम कर सके। शरीर की चेतावनियों को गिजुभाई

ने चेतावनी नहीं माना। अस्वस्थ दया में भी वे मावी बाल-शिक्षकों की एक टोली के साथ मेहनत करते ही रहे। बीमारी के बिछौने पर लेटे-लेटे उनके प्रवचन होते रहे। आखिर जब शरीर बहुत ही लड़खड़ा गया तो वे निरुपाय हो गये। उन्हें उपचार के लिए बम्बई ले जाना पड़ा। वहाँ वे हरकिशनदास अस्पताल में भर्ती हुए। डाक्टरों के भी बस का नहीं रहा। जिस भगवान को गिजुमाई ने बाल-रूप में पूजा था, उसने उन्हें अपने पास बुला लिया। उनका नश्वर शरीर पंच तत्त्वों में विलीन हो गया। २३ जून, १९३६ के दिन उन्हें भगवान के घर का बुलावा आया और वे केवल ५४ साल की उम्र में अपना परम प्रिय सेवा-कार्य छोड़कर हम सबसे सदा के लिए विदा हो गये।

इसमें सन्देह नहीं कि वे आज हमारे बीच नहीं हैं। हम से बिछुटे उन्हें २४ साल पूरे हो रहे हैं। इसी २३ जून को उन्हें जानने-मानने वाले देश में उनकी २५ वीं पुण्यतिथि मनायेंगे और उनकी महान तथा अद्भुत बाल-सेवा के प्रति अपनी श्रद्धा-भक्ति चढ़ायेंगे। हमें विश्वास है कि जब तब देश में बाल-शिक्षा का प्रश्न रहेगा और बाल-शिक्षा का चिन्तन-मनन, अनुशासन-परिशीलन चलता रहेगा, तब तक गिजुमाई की प्रेरणाएँ अमर बनी रहेंगी और उनका छोड़ा अधूरा काम क्रम क्रम से पूरा होता रहेगा।

अपने जमाने के सन्दर्भ में गिजुमाई ने बाल-सेवा और बाल-शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कुछ सोचा, किया और कराया, वह अपनी जगह अद्भुत और अपूर्व था। उसमें व्यापक क्रान्ति की सम्भावनाएँ थीं। यही कारण था कि उस जमाने में गिजुमाई के आस-पास क्रान्ति-कार्य के लिए सैकड़ों माई-बहन इन्ट्रा हो गये थे। उन दिनों हम अपने देश में दूसरों के गुलाम थे। गिजुमाई ने भावनगर-जैसी एक प्रगतिशील रियासत में रहकर अपना सारा चिन्तन और प्रयोग किया था। फिर भी देश में जो दासता छाया हुई थी, उसके प्रभाव और परिणाम से वे अछूते नहीं रह सके थे। जिस व्यक्ति ने परार्थीन भारत में इतनी तेजस्विता और स्वतन्त्रता के साथ बाल शिक्षा के सफल प्रयोग

किये, वह व्यक्ति किसी स्वतन्त्र देश में पैदा हुआ होता तो अपने बाल-देवता के लिए क्या-क्या नहीं करता और करा लेता ! सौभाग्य से आज देश स्वतन्त्र है; पर देश के पास कोई गिजुमाई नहीं है, जो ४५ फरोड़ भारतवासियों के बच्चों को स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वावलम्बन, सामर्थ्य और समृद्धि की दीक्षा दे सके और सारी बाल-जाति को मानवता का नया मार्ग सिखा सके। यदि हम चाहते हैं कि हमारे इस स्वार्थीन देश में नया निर्भीक, स्वावलम्बी और स्वतन्त्रचेता नागरिक खड़ा हो, तो उसके लिए हमें अपने बीच एक नहीं, अनेक गिजुमाइयों का आराधन करना होगा अथवा स्वयं गिजुमाई बनना होगा और इस समय के अपने बाल-देवताओं की उपासना-आराधना गिजुमाई की-सी उत्कृष्टता और अनन्यता के साथ करनी होगी। काय, हम सन ऐसा कर सकें !

मैंने इस लेख का नाम 'मूँहोवाली माँ का पुण्य स्मरण' रखा है। पाठक पूछेंगे कि यह मूँहोवाली माँ कौन थी ! मेरा निवेदन यह है कि गिजुमाई पूरे गुजरात-काठियावाड़ में बाल-देवता की अपनी अनन्य उपासना के कारण इसी नाम से याद किये जाते थे। भगवान ने उन्हें पुरुष का शरीर दिया था, पर उनका मन माँ का था। जो प्यार-दुलार एक माँ अपने बच्चों को देती है, उससे अधिक ऊँचा प्यार-दुलार उन्हें देने की शक्ति और भक्ति भगवान ने गिजुमाई को दी थी। बड़ी-बड़ी मूँहों से चिरा हुआ उनका भरा-पूरा चेहरा बच्चों के लिए माँ का ही चेहरा बन गया था; इसीलिए गिजुमाई को निकट से जानने और बाल-सेवा की उनकी लगन को समझनेवाले उनके साथी-सगी उन्हें कभी 'मिनोद' में तो कभी सन्धे हृदय से 'मूँहोवाली माँ' कह कर पुकारते थे और इस प्रकार उनकी बालोपासना के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे। ऐसे मातृ वात्सल्य से भरे-पूरे एक महान जीवन शास्त्री और शिक्षा-शास्त्री के पुण्य स्मरण का लाम 'नयी तालीम' के सम्पादक जी की प्रेरणा से मुझे इस बार मिला और मैं स्व० श्री गिजुमाई के चरणों में अपनी श्रद्धा के ये कुछ

:

[ ये पृष्ठ ४०९ पर ]



## दोपी कौन ?

स्व० श्री गिजुभार्दे

कई घर देख कर आया • दु ल का घोभा लेकर आया ।

एक घर पहुँचा—

बाप मजदूरी पर था । माँ पानी मरने गयी थी । घर में बालक रो रहा था । सिसक-सिसक कर रो रहा था । दरवाजा बाहर से बन्द था ।

दूसरे घर पहुँचा—

भक्तियार्थी भिनभिना रही थीं । बालक पड़ा पड़ा रो रहा था । पालने में हगा हुआ था । घर में कचरा पड़ा हुआ था । माँ खाना पका रही थी । बाप बीड़ी पी रहा था । माँ पर नाराज हो रहा था । बालक खूब रो रहा था । उसे उठाने वाला कोई न था ।

तीसरे घर पहुँचा—

घर बिल्कुल सूना पड़ा था । न बरतन भाड़ थे, न कपड़े-लुत्ते थे । विधवा माँ थी । तीन उसके बच्चे थे । घर में पेट भर खाने को न था । बदन पर फटे फुटे कपड़े थे । मुट्ठी मुट्ठी अनाज माँग कर लायी थी । बालक आपस में लड़ रहे थे । माँ की आँखें डबडबायी हुई थीं ।

चौथे घर पहुँचा—

बाप आँखें दिखा रहा था । लड़का पाठ पढ़ रहा था । माँ बुरा भला कह रही थी । बहन को उलाहने सुना रही थी । बहन नीचा सिर किये सुन रही थी । मन ही मन मुसमुसा रही थी ।

पाँचवें घर पहुँचा—

माँ-बाप झगड़ रहे थे । लड़के उन्हें देख रहे थे । दोनों चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे । हाथ दिखा दिखाकर बोल रहे थे । एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे ।

छठे घर पहुँचा—

घास-बहू का शगडा था । ननद घात बदा रही थी । नन्दा बालक रो रहा था । बहू ने उसे पीट दिया था । समुर बहू को बुरा भला कह रहे थे । पतिदेव कहीं बाहर गये थे ।

सातवें घर पहुँचा—

बालक बीमार था। लिङ्गकी दरवाजे सब बन्द थे। हवा-उपैले का नाम न था। घर में ओझा बैठा था। धूप घास कर रहा था। मोले माता-पिता देख रहे थे। बालक घबरा रहा था। दवा कोई लाता न था। 'माताजी' की मनाही थी।

आठवें घर पहुँचा—

घर में सप्राटा था। अम्माजी बाहर गयी थीं। बाबूजी अलमार पढ़ रहे थे। बालक बैठे पढ़ रहे थे। गिद्धक पत्थर की तरह गुमगुम बैठे थे। गिद्धक से सब डरते थे। झट-झट पाठ रट रहे थे। गिद्धक तपकीर सँप रहे थे। सिर खुजला रहे थे।

नवें घर पहुँचा—

बालक देहली पर ही मिल गये। नौकरों के साथ खेल रहे थे। नौकर गन्दी बोली बोल रहे थे। लड़के गन्दी बातें मुन रहे थे। नौकर बीड़ी पी रहे थे। लड़कों को चूमा दे रहे थे। नौकर दरा रहे थे। लड़के चुपचाप बैठे थे।

दसवें घर पहुँचा—

आँगन में लड़के खेल रहे थे। गन्दी धूल में खेल रहे थे। घर घर खेल रहे थे। दुल्हा दुल्हिन खेल रहे थे। गन्दी बातें कर रहे थे। कोई उन्हें कुछ कहता न था। किसी को उनकी परवाह न थी।

**माँ से न हीं बोलूँगा**

'मैं माँ से न हीं बोलूँगा।'

माँ कहती हैं—'तुझे पूछी न बेलने दूँगी। तू टेढ़ी-मेढ़ी बनाता है।'

'जरा टेढ़ी मेढ़ी तो बनेंगी ही न ! मैं अभी बच्चा जो हूँ !'

माँ कहती हैं—'तुझे पानी न भरने दूँगी, तू पानी फैलाता है।'

'तो थोड़ा पानी तो फैलेगा ही न ! मैं तो अभी बच्चा हूँ !'

माँ कहती हैं—'साम न काटने दूँगी, अँगुली कट जायगी !'

'कमी कट भी गयी तो क्या हुआ ! मैं अभी बच्चा हूँ न !'

माँ कहती हैं—'साबुन न लगाने दूँगी, तुझे लगाने नहीं आता !'

'तो बगैर लगाये आयेगा कैसे ! और मैं अभी बच्चा जो हूँ !'

'मैं माँ से नहीं बोलूँगा।'

**अप किमी से कुछ पूछूँगा ही नहीं !**

मैंने माँ से कहा— देखो तो, यह कीड़ा कैसा चलता है !'

माँ बोलीं—'फँक दे उसे। कोई छूता भी है !'

मैंने बाबूजी से कहा—'देखिए तो, मैंने यह अक लिखे हैं !'

बाबूजी बोले—‘ये तो सच शून्य हैं। धाढ़, क्या कहने हैं, इस अंक के। मूर्ख कहीं का !  
 भैया से मैंने कहा—‘देखो तो दहा, यह गुलदस्ता कैसा बना है !’  
 दहा बोले—‘बना क्या है, तुम्हारा फिर। गुलदस्ते ऐसे बनते होंगे ?’  
 जीजी से मैंने पूछा—‘जीजी, देखो तो, यह कटोरी मैंने कितनी साफ माँजी है ! धूल  
 किस किस कर माँजी है, भला !’  
 जीजी बोली—‘इस पर ये दाग जो हैं। यह भी कोई माँजना हुआ !’  
 जमुना चाची से मैंने कहा—‘देखो चाची, मैंने अपने बाल कैसे सँवारे हैं ! खुद अपने  
 शायों सँवारे हैं, भला !’  
 काकी बोली—‘इतनी उमर हो गयी, फिर भी बाल सँवारना न आया तुम्हें। जरा  
 आईने में तो देख !’

### माँ को फुर्सत है

‘माँ तुम आओगी न ? देखो, हमने ये घर बनाये हैं।’  
 ‘हाँ, लेकिन ये माँजे हुए बरतन ऊपर चढ़ा दो तो तुरत आ जाऊँगी।’  
 ‘माँ, चलो-चलो, तुम्हें रामू का तमाशा दिखाऊँ। देखो न, वह जाली से लटका है और  
 हँस रहा है।’  
 ‘चलो, यह आयी। झाड़ू लौट कर दे लूँगी।’  
 ‘माँ, आज साँस को हमारे साथ घूमने चलीगी ?’  
 ‘हाँ चलेगी, पर जरा इसे ठीक से जमा दोगे तो जल्दी पुरसत पा जाऊँगी और झट  
 चली चलेगी।’  
 ‘माँ, आज हम चाँदनी में खेलेंगे। तुम आना, भला !’  
 ‘भाई, जरा यह जूटन साफ कर दो तो काम जल्दी हो जाय और मैं जल्दी चले।’

### माँ को फुरसत नहीं

‘माँ माँ, देखो तो ! मैंने मोतियों की यह कैसी सुन्दर माला परोसी है।’  
 ‘भाई, मुझे फुरसत नहीं है। दूर हटो। मुझे बरतन माँजने दो।’  
 ‘माँ-माँ, इधर तो आओ। इस पेड़ पर कितने सारे पपीते लगे हैं। और, इसे तो देखो,  
 कितना बड़ा है !’  
 ‘भाई, मुझे फुरसत नहीं है। तुम्हीं देखो। मैं तो जूटन साफ कर रही हूँ।’  
 ‘माँ, तुम आज हमारा खेल देखने आओगी ? आज हम एक नया खेल खेलेंगे।’  
 ‘भाई, मुझे फुरसत नहीं है। मैं तो कपड़े धोऊँगी।’  
 ‘माँ, ओ माँ ! चलो, देखो तो, भैया ने एक सुन्दर बैंगला बनाया है। देखने लायक है।’  
 ‘तुम देखा करो। मुझे फुरसत नहीं ! मुझे अभी कपड़े सुताने हैं।’  
 ‘ओ माँ, माँ ! चलो, तुम्हें एक तमाशा बताऊँ। मुझी हँस रही है—देखो तो, कैसी  
 रिल-खिला कर हँस रही है।’  
 ‘भाई, मैं ना देख सकेगी। साँस पड़ने को है, और मुझे घर सुधारना है।’

प्रभाकर बाबू से कहा—‘दिलो प्रभाकर बाबू, मैंने इस कागज की कैसी सुन्दर बेल बनायी है !’

वह बोले—‘देखी तो सभी बना लेंगे । इसमें तारीफ़ की क्या बात हुई ! बड़े बताने चले हैं !’  
‘सब मुझे टेढ़े-टेढ़े जवाब देते हैं । मैं अब किसी से कुछ पूछूँगा ही नहीं !’

## बालक को न मारिए !

बच्चे तो बच्चे हैं । वे हमसे बड़कर और बलवान नहीं हैं । हमारा सामना करने योग्य भी नहीं हैं । यदि हमने उन्हें मारा भी तो वे रोकर धैरे रहेंगे । सिचक-सिचक कर सो जायेंगे । मूले-प्यासे सो जायेंगे ।

मारने से पहले शरमाइए—

निरबल को सताने में शोभा क्या !

कमजोर को मारने में बहादुरी क्या !

गुलाम को पीटने में पुरुषार्थ क्या !

जो भली-भाँति बोल नहीं सकता और न जो अपनी बात समझा सकता है, उसे मारने में बहादुरी क्या !

मारने से कुछ नहीं होता—

मारने से उन्हें अकल नहीं आती ।

मारने से उनमें समझ नहीं आती ।

मारने से उन्हें याद नहीं होता ।

मारने से बिगड़ी बात नहीं सुधरती ।

मारने से वे चतुर नहीं बनते ।

लेकिन—

मारने से बालक बीमार पड़ता है ।

मारने से बालक मार-मूक बनता है ।

मार खाने से बालक मारनेवाला बनता है ।

मार खाने से बालक बेहया बनता है ।

मार खाने से बालक डरपोक बनता है ।

मार खाने से बालक झूठ बोलता है ।

मार खाने से बालक गुण्डा बनता है ।

न मारिये ! बालक को न मारिये !!

## साहब, याद नहीं रहता

विठ्ठल सुतार था । धनी लड़का ही था, मगर लकड़ी चीरना और रुन्दा चलाना जान गया था । छोटी-मोटी चीजों भी बना लेता था; लेकिन इतिहास भूगोल थे कि उसे कभी याद ही न होते थे । बेचारा रट-रट कर परेशान हो जाता था ।

बाबूजी बोले—‘ये तो खय शय्यन हैं। याह, क्या पहने हैं, इस अक के। मूरन फहीं का !’  
 मैया से मैंने कहा—‘देरतो तो दहा, यह गुल्दस्ता कैया बना है !’  
 दहा बोले—‘बना क्या है, तुम्हारा खिर। गुल्दस्ते ऐसे बनते होंगे ?’  
 जीजी से मैंने पूछा—‘जीजी, देरतो तो, यह फटोरी मैंने कितनी चाकू माँजी है ! एत  
 विष विष बर माँजी है, भला !’  
 जीजी बोरी—‘इस पर ये दाग जो हैं। यह भी कोई माँजना हुआ ?’  
 जमुना चाची से मैंने कहा—‘दिलो चाची, मैंने धपने बाट कैसे सँवारे हैं ! सुद अपने  
 हाथों सँवारे हैं, भग !’  
 काकी बोली—‘इतनी उमर हो गयी, फिर भी बाल सँवारना न आया तुम्हें। जरा  
 आईने में तो देख !’

### माँ को फुरसत है

‘माँ तुम आओगी न ? देखो, हमने ये घर बनाये हैं !’  
 ‘हाँ, लेकिन ये माँजे हुए बरतन ऊपर चढ़ा दो तो तुरत आ जाऊँगी !’  
 ‘माँ, चलो-चलो, तुम्हें रामू का तमाचा दिखाऊँ। देखो न, वह जाली से लटका है और  
 हँस रहा है !’  
 ‘चलो, यह आयी। झाड़ू लौट कर देखोगी !’  
 ‘माँ, आज सँझ को हमारे साथ घूमने चलोगी ?’  
 ‘हाँ चलाईगी, पर जरा इसे ठीक से जमा दोगे तो जल्दी फुरसत पा जाऊँगी और छट  
 चली चलाईगी !’  
 ‘माँ, आज हम चाँदनी में खेलेंगे। तुम आना, भला !’  
 ‘भई, जरा यह जूटन छाफ कर दो तो काम जल्दी हो जाय और मैं जल्दी चढ़ूँ !’

### माँ को फुरसत नहीं

‘माँ माँ, देखो तो ! मैंने मोतियों की यह कैसी सुन्दर माला पिरोयी है !’  
 ‘भारं, मुझे फुरसत नहीं है। दूर हटो ! मुझे बरतन माँजने दो !’  
 ‘माँ-माँ, इधर तो आओ। इस पेड़ पर कितने सारे पपीते लगे हैं। ओर, इसे तो देखो,  
 कितना बड़ा है !’  
 ‘भारं मुझे फुरसत नहीं है। तुम्हीं देखो। मैं तो जूटन छाफ कर रही हूँ !’  
 ‘माँ, तुम आज हमारा खेल देखने आओगी ? आज हम एक नया खेल खेलेंगे !’  
 ‘भारं मुझे फुरसत कहाँ। मैं तो कपड़े धोऊँगी !’  
 ‘माँ, ओ माँ ! चलो, देखो तो, भैया ने एक सुन्दर बैंगला बनाया है। देखने लायक है !’  
 ‘तुम देखा करो। मुझे फुरसत नहीं। मुझे अभी कपड़े सुताने हैं !’  
 ‘ओ माँ, माँ ! चलो तुम्हें एक तमाचा बताऊँ। मुझी हँस रही है—देखो तो, कैसी  
 खिन्न खिन्न कर हँस रही है !’  
 ‘भारं मैं ना देख सँझी। सँझ पढ़ने को है, और मुझे घर सुधारना है !’

प्रभाकर बाबू से कहा—'दिलो प्रभाकर बाबू, मैंने इस कागज की कैसी मुन्दर बेल बनायी है ?'

वह बोले—'दिसी तो सभी बना लेंगे । इसमें तारीफ की क्या बात हुई ! बड़े घताने चले हैं !'  
'सब मुझे टेढ़े-टेढ़े जवाब देते हैं । मैं अब किसी से कुछ पूछूँगा ही नहीं ।'

### बालक को न मारिए !

बच्चे तो बच्चे हैं । वे हमसे बड़कर और बलवान नहीं हैं । हमारा सामना करने योग्य भी नहीं हैं । यदि हमने उन्हें मारा भी तो वे रोकर बैठे रहेंगे । ठिसक-ठिसक कर सो जायेंगे । भूले-प्यासे सो जायेंगे ।

मारने से पहले शरमाइए—

निबंल को सताने में धोमा क्या ?

कमजोर को मारने में बहादुरी क्या ?

गुलाम को पीटने में पुरुषार्थ क्या ?

जो भली-भाँति बोल नहीं सकता और न जो अपनी बात समझ सकता है, उसे मारने में बहादुरी क्या ?

मारने से कुछ नहीं होता—

मारने से उन्हें अन्त नहीं आती ।

मारने से उनमें समझ नहीं आती ।

मारने से उन्हें याद नहीं होता ।

मारने से बिगड़ी बात नहीं सुधरती ।

मारने से वे चतुर नहीं बनते ।

लेकिन—

मारने से बालक बीमार पड़ता है ।

मारने से बालक मार-प्रूफ बनता है ।

मार खाने से बालक मारनेवाला बनता है ।

मार खाने से बालक बेहया बनता है ।

मार खाने से बालक डरपोक बनता है ।

मार खाने से बालक झूठ बोलता है ।

मार खाने से बालक गुण्डा बनता है ।

न मारिये ! बालक को न मारिये !!

### साहब, याद नहीं रहता

विठ्ठल सुवार था । भभी लड़का ही था; मगर लकड़ी चीरना और रत्ता चलाना जान गया था । छोटी-मोटी चीजें भी बना लेता था; लेकिन इतिहास-भूगोल ये कि उसे कभी याद ही न होते थे । बेचारा रट-रट कर परेशान ही जाता था ।

जून, '६३ ]

[ ४०९ ]

और गुब्बजी थे, जो पिटल ऐसों को या तो डाँटते-टपटते थे या पीटते थे। पिटल को तो गालियाँ भी सुननी पड़तीं और मार भी रानी पड़ती। गुब्बजी विट्ठल से कहते—'टाँगों में से हाथ निकालकर कान पकड़ और जब वह कान पकड़ लेता तो ऊपर से जोरों का एक घूँसा जड़ देते।

बेचारा विट्ठल 'चीं' बोल जाता और गिड़गिड़ा कर कहता 'साहब, मैं क्या करूँ, मुझे याद ही नहीं रहता।'

और विट्ठल को अखीर तक इतिहास याद न हुआ। वह तो सुतार बनने के लिए जनमा था, आज वह एक अच्छे सुतारों में है—कारीगर माना जाता है।

गुब्बजी थे, जो पढ़ाते थे और पीटते थे।

## बालक बहुत नहीं चाहता

अपने विकास के लिए बालक हमसे बहुत नहीं चाहता। सबसे पहले वह हमसे सम्मान की अपेक्षा रखता है। यदि हम उससे कहते हैं—'तुम्हें यह न हो सकेगा। अरे, तू क्या कर सकता है! तुझे तो छाल पीनी ही न चाहिए।' तो हमारे ये सब वचन बालक का अपमान करनेवाले हैं। बालक को ये सब अच्छे नहीं लगते। हम कुछ कर रहे हों या करना चाहते हों और कोई तीसरा आकर उसमें दबाव डाल दे तो कहिए हमें वह कैसा लगेगा।

बालक के विषय में प्रायः हमारा यह रगाल रहता है कि जैँहूँ, वह इसमें क्या समझता है? अपनी इस धारणा के कारण जब जब वह हमसे कुछ पूछता-परछता है, हम उससे कहते हैं—'यह तेरे समझने की बात नहीं है, तू अभी नहीं समझ सकेगा। बालक के लिए अवश्य हा यह एक अपमानजनक स्थिति है। यदि हम किसी से कुछ पूछें और वह हमें दुल्कार दे तो हम उसे कदाँ तक पसन्द करेंगे ?

## विशाल शिक्षक

जिस शिक्षक का ज्ञान पाठ्य पुस्तक के अन्तिम पाठ तक ही परिमित है, जो शिक्षक बिना पाठ्य पुस्तक के भूगोल नहीं खिलवा सकता, जिसका विज्ञान सम्बन्धी, सवार सम्बन्धी और व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान इतना कम है कि इन विषयों के प्रश्नों का उत्तर वह या तो हमसवा सिर खुजलाकर या प्रश्नकर्ता पर हँसलाकर देता है, उसे हम पोखर-पाड़े या नूप मण्डूक शिक्षक कह सकते हैं। पोखर का यह मँदक अपने पुराने और परिमित ज्ञान के अन्धकार में सड़ता रहता है। पोखर में रहते हुए उसे न नया प्रकाश मिलता है, न नवीनता, शुद्धि और साजगी के दर्शन होते हैं। जिस कुएँ या पोखर में नया पानी नहीं आता, उसमें काँड़ बिलबिलाने लगते हैं, गिद्ध और कौएँ उस पर मँडराने लगते हैं। कोई प्यासा राहगीर उधर नहीं आता और अमृत-सा मीठा जल पीकर उसे आशीर्वाद नहीं देता। शिक्षक को तो अमृत का सरना बनना चाहिए। उसके ज्ञान की विशालता अनन्त और उसकी बुद्धि भेद्य होनी चाहिए। शिक्षक का नाम तभी सार्थक है, जब उसकी ज्ञान रागा के अखण्ड प्रवाह के किनारे बैठकर छात्रगण अपनी प्यास इतनी बुझा लें कि छक जायें। शिक्षक का ज्ञान भण्डार सागर की तरह अगाध और अनन्त होना चाहिए। उसका ज्ञान और उसकी दृष्टि जितनी पैनी, गहरी और विशाल होगी, युक्त-पद को

उसकी पानना भी उतनी ही अधिक होगी। यह एक कसौटी है, हमें सोचना चाहिए कि हम सब शिक्षक, भाई-बहन इस पर कितने सच्चे उतरते हैं !

## कुशल शिक्षक ?

बालक एक कतार में बैठे हैं। शिक्षक उन्हें कुछ मुना रहे हैं। वह बोलने में बड़े कुशल हैं। बालक एकटक उनको—उनके मुँह को, उनके हाव भाव को—देखने में तल्लीन हैं। शिक्षक की वाणी ने सबको मन्न मुग्ध-सा कर रखा है। शिक्षक मला आदमी है। उसने कूट पीस कर, मिर्च-मसाला मिला कर कई चाँजे तैयार की हैं। अपनी इन तैयार चीजों को वह बड़े प्रेम से बच्चों के सामने परसता है। बालकों को ये चीजें न तो चवानी पड़ती हैं, न निगमने की मेहनत करनी पड़ती है। सब खुल सटासट गले के नीचे उतरता जाता है। शिक्षक पूछता है—‘क्यों, समझे ! बाऊ कहते हैं, ‘जी हौं—अच्छी तरह समझ गये।’ शिक्षक पूछता है—‘क्या समझे !’ बालक ने जो मुना है, वही फिर मुना देता है। शिक्षक पूछता है—‘लेकिन यह ऐसा क्यों हुआ ! इसका कारण क्या है ?’

बालक कार्य-कारण की उस परम्परा को, जो उन्हें शिक्षक से मिली थी, फिर यथावत शिक्षक को मुना देते हैं। शिक्षक सोचता है—‘आज काम बहुत अच्छा हुआ।’ विद्यार्थी सोचते हैं—‘आज हमने बहुत सीखा।’

परीक्षक आते हैं और एक सीधा सादा नया सवाल पूछते हैं। लड़के बगलें झाँकने लगते हैं—किसी से कुछ बन नहीं पड़ता। परीक्षक अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं—‘विद्यार्थी समझदार हैं। याददास्त भी अच्छी है। पका-पकाया खाने की शक्ति है, पर खुद पकाने की ताकत नहीं, स्वय-सुद्धि नहीं, कल्पना नहीं।’

शिक्षक सोचता है—‘यह मेरी प्रशंसा है या निन्दा !’



जिस दिन गिजुभाई देवलाक सिघारे उस दिन मैंने अस्पताल जाने का इरादा किया था, परन्तु देव ने कुछ और ही सोच रखा था। बाल शिक्षा के क्षेत्र में गिजुभाई की अनुपस्थिति हर घड़ी खटकती रहेगी। जा गिजुभाई के मंत्र का ग्रहण कर सके हैं, उनका धर्म है कि वे अपने कार्यों द्वारा उनकी ज्ञाति को कम से कम खटकने दें।

—गाधीजी



# बालवाड़ी में भाषा-शिक्षा

श्री जुगतराम दवे

बालवाड़ी में ३ से ५-७ वर्ष की उम्र के बालक आते हैं। उनका स्वभाव देखकर यह प्रतीत होता है कि वे उल्लेखपूर्वक, घुमें किरें, भाँति भाँति के जीवन के लिए स्वावलम्बन पूर्वक आवश्यक काम काज करना सीखें, सुन्दर-सुन्दर चीजें निर्मित कर अपनी कुशलता बढ़ायें। यह वृत्ति उनके लिए स्वाभाविक समझनी चाहिए। इस उम्र के बच्चों के जीवन में बैठाऊ जीवन की आदत डलवाना, किसी भी राष्ट्र के लिए घातक मानना चाहिए।

यदि इतनी छोटी उम्र में बालकों की पढ़ने-लिखने की ओर रुचि पैदा करेंगे तो उनके जीवन के प्रारम्भ में ही छाया में, घर के अन्दर बन्द होकर बैठे बैठे पूरा दिन गुजारने की टेव पड़ जायगी। इस कारण बड़े होने पर बालकों को बाहर निकलने और हाथ पाँव से काम करने में कठिनाई महसूस होगी। उनके हाथ पैर तुरत एक जायेंगे और उनकी अँगुलियों की विविध फलाकौदल के काम करने का शिक्षण न मिलने से सब कामों से यह अनभिन्न रह जायेंगे। यह किसी भी बालक के लिए कितनी बड़ी हानिकर वस्तु है।

आप की शाश्वत शिक्षा की आयोजना करने वाले लोग अधिकतर भेज-कुरसी या गादी-तकियों का जीवन गुजारने वाले विद्वान, राजनीतिक नेता और व्यापारी या कारकुन वर्ग के आदमी हैं। उन्हें अपने देश की मुद्र पवस्ती-रिखान और कारीगर-के जीवन का और उनकी आवश्यकताओं का पूरा ख्याल नहीं है, इसलिए उनके द्वारा आयोजित शिक्षण में किसान

और कारीगरों की आवश्यकताओं को स्थान नहीं मिलता। गादी-तकियों के अपने जीवन की आवश्यकताओं को हा उन्होंने शिक्षण में स्थान दिया है। इसके फलस्वरूप पाठशालाओं में जितने बालक सीखते हैं वे सब शरीर भ्रम से ऊरने वाले कलाकौशल से वञ्चित और गादी तकियों की नौकरियों में डूबने वाले होते हैं।

मनुष्य का सच्चा और स्वाभाविक जीवन क्या है, इस विषय में भी शाश्वत शिक्षण की योजना करने वाले विद्वान और राजनीतिक पुरुषों की यथार्थ कल्पना नहीं होती। योड़े गादी-तकियों वाले दुनिया में हों और करोड़ों उनके लिए मेहनत-मजदूरी का जीवन जीने वाले मजदूर हों, यह आज की स्थिति स्वाभाविक और ईश्वर निर्मित है, ऐसा वे मानते हैं। आज जो कुछ सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, वह गादी तकियोंवालों को ही मिलती हैं। करोड़ों मजदूरों के लिए उसकी आवश्यकता मानी ही नहीं जाती।

हम मानते हैं बालवाड़ी में उमगी उम्र के बालकों में ऐसे राष्ट्र घातक जीवन की टेव नहीं डलवानी चाहिए। उल्टे पाठशालाओं ने जो भूल की है, वह सुधार लेने का प्रयत्न करना चाहिए। बालवाड़ी ही में बालक को सु दर और उसके लयक जीवन की आरतें डलवायी जायें कि आगे ऊपर की पाठशालाओं में जाने पर वह वहाँ बैठा ठाला शिक्षण पसन्द नहीं करे और मनुष्योचित शिक्षण और कामों की माँग करे। ऐसे सुदृढ़, चपल और कुशल बालकों को सारा दिन बैठा ठाला शिक्षण देते हुए उनके

शिक्षकों को धर्म आवेगी। ऐसे शिक्षण की योजना करने वालों को भी इसका भान होगा कि वे बड़ा अपराध कर रहे हैं।

प्राथमिक शालाओं के प्रारम्भिक वर्षों में जब बालकों की अँगुलियाँ अभी नाजूक, अस्थिर और बिना कानू के होती हैं। ऐसे समय उन्हें लिखना सिखाने पर जोर दिया जाता है। उससे बालकों के अक्षर बिगड़ते चले जाते हैं, ऐसा आज कल सामान्यतः सर्वत्र देखने में आता है। फिर बाल बाली में भी यदि लिखने का काम कराया गया तो क्या स्थिति होगी? छोटे बच्चों की अँगुलियाँ बाल-वाड़ी की उम्र में उससे भी अधिक नाजूक और अग्रज होती हैं, यह देखा जाता है। उनसे अँगुलियों द्वारा या पेन्सिल पकड़कर दृढ़ता से रेखाएँ खींचने की आशा नहीं रखी जा सकती।

फिर लिपि के अक्षरों में सामान्य रेखाएँ नहीं हैं। उनके आकार में भिन्न भिन्न विचित्र बाँक, कोने और उल्लंघन होते हैं। छोटे बालकों की अँगुलियाँ स्थिरता-पूर्वक ऐसे आकार कैसे बना सकेंगी? अक्षर कमजोर और कँपे हुए हों और उनमें यदि बाँक साफ न आ सके तो उसमें आश्चर्य क्या है?

फिर छोटे बच्चों की आँसों भी प्रशिक्षित नहीं होती। लिपि के विचित्र अक्षरों के उल्लंघन से भरे हुए आकार देखकर उन्हें याद रखने की शक्ति उनमें नहीं होती। कोई भी शिक्षक समझ सकेगा कि जब तक अक्षरों का आकार बालकों की बुद्धि पर अन्तित नहीं होगा तब तक वे कागज या स्लेट पर सही मुडौल अक्षर चित्रित कर ही नहीं सकते।

इसलिए बालवाड़ी के दिनों में अक्षर लिखवाने के बदले बालकों में अलग-अलग हाथ के चित्र निकालने का रस निर्माण करना अधिक अच्छा है। ये चित्र भी पेन्सिल से कागज पर न निकाले जायँ, क्योंकि उनमें पेन्सिल दृढ़ता से पकड़ने की शक्ति आने में अभी देर है। अँगुलियों में या हाथ में एक सलाई या छोटी लकड़ी पकड़ कर खड़े-खड़े और लम्बे हाथ से भूमि पर मोटी मोटी रेखाएँ और वृत्त, फूल पान और झाड़ू-सुआड़, धर दरवाजा और गाय घोड़ा

तथा मनुष्यों के चित्र निकालने की दिलचस्पी उनमें लानी चाहिए। इस प्रकार प्रशिक्षित आँसों के मार्गदर्शन में बालकों की अँगुलियाँ आगे जाकर जन कागज पर लेखनी या मोटी पेन्सिल से अक्षर लिखना शुरू करेंगी तब वह स्वाभाविक रीति से ही मुडौल मोड़वाड़े सुन्दर अक्षर चित्रित कर सकेंगी। यहाँ हम पाठकों को गलत न समझने की प्रार्थना करते हैं। पढ़ने लिखने के शिक्षण का हमने निषेध किया है। यानी हमने भाषा शिक्षण का निषेध किया है, ऐसा अर्थ कोई न करे। पढ़ना लिखना यह कोई यथार्थ भाषा शिक्षण नहीं है। बाँक द्वारा ललित एवं भावपूर्वक भाषा बोलना सही भाषा शिक्षण है। अपने छोटे से मन में उठते चित्र, विचार, उसी प्रकार की सुन्दर वाणी में सामने वाले मनुष्य से कहना, मधुर कण्ठ से शुद्ध उच्चारण के साथ गाना, दूसरे लोग जो कहते हैं उसे कान देकर सुनना और उत्तम रीति से उसे समझकर ठीक जवाब देना अथवा उस प्रकार का काम बिना किसी भूलचूक के करना, सच्चा भाषा-शिक्षण है।

बालवाड़ी में शिक्षिकाएँ गीत गवातीं और कहानियाँ कहती हैं। नाटक कराती हैं और कुछ कुछ पढ़कर सुनाती हैं, उसमें क्या भाषा शिक्षण नहीं होता है? यदि बालक उसमें आने वाले शब्द तथा भाव नहीं समझे होंगे तो वे उस सब गानों और बोलों के साथ बराबर मेल बिटाने वाला अभिनय किस प्रकार कर सकेंगे। क्या स्वयं बालक विचारों को उन्हीं ऐसी ही दिलचस्प रीति और ऐसे ही मनोहर हाव भाव के साथ बोलकर नहीं बताते हैं? इस पर से यह यकीन होता है कि बालवाड़ी के कार्यक्रम, बालकों को भाषा-शिक्षण उत्तम रीति से देते ही हैं।

बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कब कितनी भाषा शक्ति प्राप्त की है। जैसे, बालक अपने प्रारम्भ के श्रेष्ठ दो वर्षों में, बिलकुल न जानते हुए और किसी तरह के बोझ के बिना बोलना सीख गया, उसी प्रकार बालवाड़ी के कार्यक्रम योग्य रीति से चलायेंगे तो बालक, न जानते हुए और बिना बोझ के भाषा स्वामी बन सकेंगे। सुँह के शब्द से भाषा शिक्षण देने के

प्राकृतिक क्रम को छोड़कर बालवाड़ी के बच्चों को छपी हुई पुस्तक द्वारा शिक्षण देंगे, ऐसी रीति अपनाते जायेंगे तो बच्चों का शिक्षण कितना आहिस्ता और थकाने वाला हो जायेगा, इसका अनुभव करके देखें, बालक के मन में और उसके जीवन में प्रवेश कर दें।

भाषा शिक्षण का यह प्रकरण समाप्त करने के पहले बाल शिक्षिकाओं को एक सूचना देने की इच्छा होती है।

बालवाड़ी में जो भी प्रवृत्ति चलाओ, उसमें तुम्हारे मन में हमेशा यह विचार रहे कि तुम्हारे बच्चे जो कुछ करते हैं, उनमें उर्दू रस मिलता है। उसके साथ भाषा के नये नये शब्द और नये नये भाव समझ लेने का रस भी उनके स्वभाव में पड़ा हुआ है। वे नये शब्द और नये भाषा प्रयोगों की तुम्हारे साथ चर्चा करने नहीं बैठते अपव्याप्त उसका व्याकरण जानने नहीं बैठते पर स्वाभाविक रीति से ही यह उनकी बुद्धि में अंकित हो जाता है।

बाल-स्वभाव की यह खूबी समझकर शिक्षिकाओं को चाहिए कि वे बालवाड़ी की सब प्रवृत्तियों में अन्य कई विषयों के साथ बालकों को भाषा में कुछ न कुछ नित्य नया बताने की इच्छा रखें।

इसका ऐसा अर्थ नहीं कि उन्हें नये भाषा प्रयोगों के बारे में विवेचन और व्याख्यान करने हैं। इस विषय में बालकों का ध्यान खींचकर उन्हें उसका भान कराना ही नहीं चाहिए परन्तु शिक्षिका के मन में इतना रहना चाहिए कि आज मुझे बच्चों को अमुक शब्द और अमुक भाषा प्रयोग बताने हैं।

उदाहरण के लिए शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों के नाम बालकों को जानने को मिले तो भाषा का प्रभुत्व प्राप्त करने की दृष्टि से उनके लिए वह अछूटा रहेगा। उसके लिए वे लम्बी विहमिलत कण्ठ नहीं कर सकेंगे परन्तु सहज प्रयोग जायेंगे और उसका लाभ लेकर शिक्षिका कई नाम धारे धारे बच्चों को सिखा सकती है।

मानो, 'बगल और दाढ़ी' ये दो अवयवों के नाम बच्चों को सिखाने हैं। तो जब नहाने घोंने का काम चलेगा उस समय शिक्षिका कुछ न कुछ कारण निकाल

कर उन शब्दों का पुन पुन प्रयोग करेगी और समय-समय पर बच्चों से पूछती भी रहेगी।

“कल्लू ने बगल ठीक से धोया है या नहीं ?”

“बगल में पसीना बहुत होता है, इसलिए बगल को ठीक ठीक धो लो।”

“ठल्ली, सुँह भगी माँति धो लो, तुम अपनी दाढ़ी भी ठीक ठीक साफ करो।”

इसी तरह शरीर पोंछते समय भी इन नये शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाय।

फिर कहानियाँ कहने या बातचात करने का प्रयोग आये तब भी उन नये शब्दों का प्रयोग करने का ध्यान रखा जाय।

“कल्लू चाचा की इजामत बनाने नाई थाया। बगल में धोपटी (जिसमें इजामत का सामान रखा जाता है) वह लेकर आया। चाचा की दाढ़ी बहुत बढ़ गयी थी। नाई ने उस्तता निकाला और चाचा की दाढ़ी बनाने लया।”

सामान्यतः कहानियों में ऐसे शब्दों के प्रयोग की कोई दास जरूरत नहीं होगी, फिर भी ये शब्द बच्चों को सिखाने हों तो थोड़ा विषयान्तर करके उन शब्दों का प्रयोग करना होगा।

उसके बाद खेल के मैदान में जाने का प्रयोग आयेगा तब भी शिक्षिका के ध्यान में बगल और दाढ़ी शब्द होंगे ही।

देखो, कोड़ा पीठ पर ही भरना है, सामने से नहीं मारो नहीं तो किसी की दाढ़ी में लप जायगा।

“कुडवा (कोड़ा) मैंने छुपा दिया है, चलो इँद निकालो।”

बच्चे कहेंगे—“यह देखो तुम्हारी बगल में है।”

उसी प्रकार शिक्षिका भाषा के नये नये प्रयोग भी बच्चों के ध्यान में ला सकती है।

उदाहरण के लिए—“अरे जाओ कोई न मानने जैसी बात करता है तब हम उसे यह नहीं कहते कि तेरी बात मानने जैसे नहीं है। यही भाव प्रकट करने के लिए हम उसे चुनाते हैं ‘अरे जाओ।’

मान लो शिक्षिका को यह इच्छा है कि वह सुन्दर खेलों के जरिए भाषा प्रयोग सिखाये तो बालवाड़ी

की जो मित्र मित्र प्रवृत्तियाँ चल रही होंगी, उनमें भाषा प्रयोग के इस्तेमाल का प्रसंग वह हूँ दू लेगी ।

सफाई का काम चलता है, छोटा मुन्ना कहता है—“मेरी बारी पानी छिड़कने की है ।” शिक्षिका सामान्य परिस्थिति में उसे याद दिलावेगी कि तुमने कल पानी छिड़का है, इसलिए आज तुझे झाड़ू देना है, पर उसे तो आज ‘अरे जाओ’ का प्रयोग करके दिखाना है, इसलिए वह दूसरी रीति से बात करेगी । वह कहेगी ‘अरे जाओ’ रोज-रोज कहीं पानी छिड़का जाता है ! आज तो तू झाड़ू लेकर जमीन बुहार । मल्टू किसे कहता है, अरे आज रामजी नहीं आये ।

शिक्षिका भाषा प्रयोग के इस्तेमाल का अवसर पा लेती है और कहती है—“अरे जाओ, क्या बात करते हो, रामजी तो उस बुँद पर पानी खींच रहा है ।” फिर “भाषा आया की कहानी चलती है” बाध

आया की आवाज सुनकर बिहारीजी दौड़े आये । गडेरिया कहता है—अरे जाओ, यहाँ कहाँ बाध है ?

जब सचमुच बाध आया तो गडेरिया फिर चिल्लाया ।

बिहारीजी बोले—“अरे जाओ, तू तो हमें ठगता है ।”

इस प्रकार धीरे धीरे और बालक को थोड़ा भी भान न हो, इस प्रकार हम उसके छोटे से शब्द भण्डार में वृद्धि कर सकते हैं । वैसे ही उनकी विचार प्रकट करने की शक्ति विकसित कर सकते हैं । यही भाषा का यथार्थ शिक्षण है । इस प्रकार के भाषा शिक्षण का निषेध नहीं है, उसे तो प्रोत्साहन देना ही है । भाषा शिक्षण को छोड़कर असमय वाचन, लेखन की शिक्षा को शिक्षण क्रम में प्रवेश देने का निषेध अलक्ष्यता जरूर है !

### [ पृष्ठ ३८६ का शेषार्थ ]

- १-उपक्रिया—१—नियोजन तथा कवियों का चुनाव,
- २—पुस्तिका का आयोजन,
- ३—प्रदर्शन के द्वारा ऋतुओं का ज्ञान,
- ४—होली के साधन व सामग्री का ज्ञान ।

यह योजना ४ बच्चाओं में विभक्त की जा सकती है और इसकी कक्षाओं के अनुसार छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है । योजना-पद्धति में अध्यापक और बालक स्वतन्त्र हैं । वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार किसी भी क्रिया की योजना बनायी जा सकती है । जो योजना ऊपर दी गयी है वह अपने स्कूल के वातावरण के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है ।

समयानुसार योजना छोटी भी हो सकती है, परन्तु वह वर्ष भर तक चल सकती है । जैसे, भूगोल का बोड पे

अर्थ है कि एक बोर्ड पर बालक सप्ताह में किये हुए कार्य का प्रदर्शन करते हैं । वे एक नवशा स्वयं बनाते हैं । उस पर लिखने का कार्य तथा अन्य स्थानों का लेखन होता है । उस देश के बारे में अध्ययन करके सक्षेप में विवरण दिया जाता है । इस प्रकार के कार्य में ५ से लेकर ६ या ७ तक के विद्यार्थी कार्य करते हैं । इस प्रकार से पूरा बोर्ड पर भी कार्य होता है, यह दैनिक योजना है । इसमें बालक अध्यापक की सहायता से अलक्षार से समाचार पढ़ते हैं । मुख्य-मुख्य समाचारों को काट कर निकाल लेते हैं । फिर बोर्ड पर लगे हुए नवशे पर वे उन समाचारों को डोरे और पिन की सहायता से विवरण सहित उस स्थान को संकेत करते हुए लगा देते हैं । इस प्रकार वे प्रतिदिन अपना कार्य एक निश्चित समय में करते हैं ।



## बच्चे का दूसरा साल

श्री राममूर्ति

दूसरा साल पूरा होते ही बच्चा मोड़ का लघु संस्करण बन जाता है। डाक्टर का बच्चा स्टेपेसकोप उठाकर अपनी छाती पर लगाता है, अपने पिता के जूतों में पैर डालकर चलने की कोशिश करता है, घर पर माँ झाड़ू लगाती है तो वह भी लगाने लगता है, साथ साथ झाड़ने से क्रुस्वी-नेम पोलता है; मुँह धोते देखकर मुँह धोने लगता है। वह जो कुछ करते देखता है उसी को करने की कोशिश करता है और पूरी संजीदगी के साथ करने की कोशिश करता है। यह प्रारम्भ है अनुकरण द्वारा धोर्जों को समझने और सीखने का। इस तरह बच्चा क्रियाशीलता की दुनिया में अपना स्थान बनाता है।

इस उम्र में एक तरफ तो वह अधिक क्रियाशील होता दिखायी देता है; लेकिन दूसरी ओर माँ पर पहिले से अधिक आश्रित होता दिखायी देता है। वह हर वकन माँ से चिपका रहना चाहता है। वह घर से किसी को जाने देखता है तो उसे घुरा लगता है। वह नहीं चाहता कि किसी भी समय माँ से अलग हो। यह एक खास बात है, जिसे बराबर ध्यान में रखना चाहिए।

दो साल के बच्चे बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ नहीं खेलते; बल्कि दिखायी यह देता है कि वे एक दूसरे से अलग अलग खेलते हैं। एक दूसरे को खेलते देखते हैं; लेकिन मिलकर नहीं खेलते। ऐसे समय माता पिता को चाहिए कि जहाँ और बच्चे खेलते हों वहाँ अपने दो साल के बच्चे को बार-बार ले जायँ और दिखायें, ताकि उसके अन्दर साथियों के साथ

रहने और खेलने की चाह पैदा हो। सामाजिकता के इस जरा-से अभ्यास में कमी-कमी महीनों लग जाते हैं; लेकिन यह अभ्यास जरूरी है। यह नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी है; इसलिए बिना अभ्यास के उसके सामाजिक तत्व सही ढंग से विकसित हो जायँगे।

पौने दो से सवा दो साल के बच्चे फो कर्द दृष्टियों से बहुत संभालना पड़ता है। कमी-कमी माँ से अचानक अलग हो जाने का उसके ऊपर गहरा असर पड़ता है। वह किसी तरह माँ से अलग नहीं होना चाहता। कमी-कमी ऐसा होता है कि माँ को अचानक कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाना पड़ता है। ऐसे समय जब माँ लौटती है तो बच्चा बुरी तरह उसके साथ चिपकने की कोशिश करता है। विशेष रूप से सोने के समय उसकी चिन्ता सबसे अधिक प्रकट होती है। डरा हुआ बच्चा किसी तरह सोना नहीं चाहता। उसके मन में यह भय रहता है कि माँ उसे छोटा छोड़कर कहीं चली न जाए। कमी-कमी वह घण्टों रोता रहता है। यह भी देखने में आता है कि माँ जब तक बैठी रहती है, बच्चा चुपचाप पड़ा रहता है; लेकिन ज्यों ही वह चारपाई से उठ जाती है वह भी उठ बैठता है और रोने लगता है।

एक और बात होती है। बच्चा बार-बार पेशाब करने के लिए कहता है। पेशाब के लिए जो भी शब्द उसे आता है उसका वह उच्चारण करता है—ऐसा वह दो कारणों से करता है। एक कारण तो यह है कि वह माँ को अपने पास रखने का बहाना ढूँढ़ता

रहता है; लेकिन दूसरा कारण ज्यादा दिलचस्प है। उसके मन में यह भय भी रहता है कि अगर वह विस्तर पर पेद्याव कर देगा तो माँ नाराज हो जायगी और उसे अकेला छोड़ देगी। इस भय के कारण भी वह विस्तर पर पेद्याव करने के जोखिम से बचने की कोशिश करता है।

हर दृष्टि से अच्छा होता है कि बिल्कुल शुरू से बच्चे को विभिन्न लोगों के साथ रहने तथा विभिन्न स्थानों में आने जाने का अवसर मिले। कुछ भी हो, बच्चे को अचानक किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ या अपरिचित स्थान पर छोड़ना जरूरी हो तो दो-तीन हफ्ते पहले से आदत डालनी चाहिए। इस उम्र में बच्चे को किसी नये स्थान या व्यक्ति की आदत डालने में काफी समय लगता है।

अगर बच्चा किसी अवसर पर अकेला रहने के कारण डर गया हो तो उसे होशियारी के साथ सम्मालना चाहिए। बहुत जरूरी यह है कि सौते समय माँ बच्चे के पास उस वक्त तक बैठी या लेटी रहे, जब तक वह सो न जाय। उसे कच्ची नींद में छोड़कर कभी नहीं हटना चाहिए। चाहे भय निराकरण

की इस प्रक्रिया में हफ्तों लग जायें; लेकिन ऊचना नहीं चाहिए। यह मानकर चलना चाहिए कि ऐसा करने से अन्त में बच्चे का भय दूर हो जायगा। अगर भय का कारण यह था कि माँ कहीं चली गयी थी तो फिर बहुत दिनों तक कहीं जाना नहीं चाहिए। बाहर आराम की ऐसी स्थिति हो कि रोज जाना जरूरी हो तो जाते समय बच्चे को प्यार करना चाहिए और उसे खुश और आश्वस्त छोड़कर ही हटना चाहिए। बच्चा शकल देखकर मन की स्थिति का अन्दाज लगा लेता है।

दवा देकर सुलाना या दिन में इस नीयत से जगाये रखना कि रात को वह सो जायगा, प्रायः बेकार होता है। भय के प्रभाव में बच्चा थका रहने पर भी घंटों जगा रह सकता है। मुख्य बात यह है कि उसके मन से भय निकाला जाय।

अगर बच्चा इसलिए धबराया है कि उससे विस्तर पर पेद्याव हो जाता है तो उसे आश्वस्त कर देना चाहिए कि ऐसा करने के कारण वह माँ के प्यार से वंचित नहीं किया जायगा। माँ का प्यार न पाना उसके लिए सबसे बड़ा दण्ड है। इस दण्ड की नीयत नहीं आने देनी चाहिए।

### [ पृष्ठ ३९७ का शेषांश ]

सुमन चढ़ा सका, इससे मैं सहज ही एक कृतार्थता का अनुभव करता हूँ और सम्पादकजी का अन्तर से आभार मानता हूँ।

भगवान हम सबको स्व० श्री गिनुभाई के पावन और प्रेरणाप्रद चरण-चिह्नो पर चलने की और अपनी शक्तिमय बाल सेवा तथा बालोपासना करने की सामर्थ्य दे !





## संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षा-पद्धति

गतांक से आगे

पिछले अंक में संयुक्तराज्य अमेरिका की शिक्षा-पद्धति के विकास का इतिहास, संगठन और स्वरूप के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा की गयी थी। इस अंक में विभिन्न श्रेणियों की शिक्षा का सक्षिप्त विवेचन श्री वाटलिंग के लेख के आधार पर किया गया है।

### बाल-मन्दिर

बैसे अमेरिका की शिक्षा पद्धति को प्रमुख चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है, जिसमें पहला है बाल-शिक्षा। सामान्यतया ३ से ६ वर्ष तक की अवस्था के बालकों के लिए नर्सरी स्कूल और किडरगार्टन स्कूल होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में या सम्पन्न इलाकों में ही ऐसे स्कूलों की व्यवस्था है। इनका संचालन शिक्षा-बोर्ड के अधीन नहीं होता है, बरन माता पिता और अभिभावक मिल कर स्वयं सारा संयोजन कर लेते हैं, आवश्यक निधि जुटा लेते हैं और योग्य शिक्षक भी रख लेते हैं।

### प्राथमिक शिक्षा

दूसरी श्रेणी प्राथमिक (एलिमेंटरी) शिक्षा की है। अमेरिका की शिक्षा पद्धति की बुनियाद इन्हीं एलिमेंटरी स्कूलों में है, जहाँ ७ से १४ साल तक के बच्चे दाखिल किये जाते हैं। शुरू में इस पद्धति की धारणा करने में बड़ी कठिनाइयाँ आयीं। निधुनक पढ़ाई की सुविधा प्राप्त करने के लिए बड़ा सघर्ष करना पड़ा और अन्त में सफलता मिली। यहाँ से अनिवार्य उपस्थिति का नियम समान रूप से अमल में लाया गया है कि ६-७ साल से लेकर १४-१५ साल तक की पढ़ाई में सभी बच्चों की अनिवार्य रूप से स्कूल में उपस्थित होना ही है।

इन एलिमेंटरी स्कूलों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को सवित्तवाली लोकतन्त्र के नागरिक के लिए आवश्यक भावना, समझदारी, कुशलता और बुनियादी ज्ञान मिले ही। ये स्कूल विभिन्न जाति के और अलग-अलग भाषाओं के बच्चों को एक सार्वभौम संस्कृति के ही अभिन्न अंग के रूप में एक-दूसरे के साथ समरस होने की वित्तवृत्ति विकसित करने के माध्यम माने जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, फिर भी वहाँ के एलिमेंटरी स्कूल इस काम में उत्कृष्टतम यश प्राप्त कर रहे हैं।

पहले एलिमेंटरी स्कूलों में ८ साल की पढ़ाई होती थी। उनमें एक ही शिक्षक को निश्चित अभ्यास-क्रम के अनुसार सभी विषय पढ़ाने पड़ते थे। वहाँ जूनियर हाईस्कूल होते थे वहाँ एलिमेंटरी स्कूलों की पढ़ाई केवल ६ वर्षों की रहती थी। पिछले दिनों जब छात्रों की संख्या बढ़ने लगी तो एक शिक्षक के बदले शिक्षकों का एक छोटा सा दल (टीम) नियुक्त किया जाने लगा। वह दल पूरे अभ्यासक्रम को प्राइमरी, मिडिल, अपर, एलिमेंटरी आदि दो-तीन स्तर (स्टेज) में बाँट कर पढ़ाता है। सालाना परीक्षा की जगह स्तरीय शिक्षण के अन्त में एक परीक्षा ली जाती है और अगले स्टेज में प्रमोशन दिया जाता है।

कौन छात्र किस संस्था से आया है, इसका बिलकुल ख्याल नहीं किया जाता, बल्कि उस छात्र को क्या धमना है, वह किस क्षेत्र में आगे बढ़ने योग्य है, यह देखकर उसके छात्रक पाठ्य पुस्तकें और अन्य साधनों की व्यवस्था की जाती है। रोजाना ५ या ६ घण्टों की पढ़ाई होती है जिसमें ११२ घण्टों के पीरियड होते हैं। स्थानीय निपमो के अनुसार साल भर में पढ़ाई १७५ से २०० दिनों तक होती है।

इस समय १ से ८ वें स्टेज तक के बच्चों में २ करोड़ ५० लाख बच्चे पढ़ते हैं। इसमें लगभग १० प्रतिशत बच्चे स्वतन्त्र संस्थाओं और चर्चों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। कुल ९५ हजार स्कूल हैं। ८ लाख ५० हजार शिक्षक हैं, जिनमें ७५ प्रतिशत शिक्षक उच्च परवर्ती प्राण्ड हैं। १९६० में एलिमेंटरी स्कूलों के शिक्षकों का औसत वेतन ५,२०० डालर था।

### सेकेण्डरी शिक्षा

अमेरिका के हाई स्कूल अपने ढंग के उच्चतर स्कूल हैं। वहाँ राष्ट्र के लगभग ९० प्रतिशत लड़के लड़कियाँ, जिनको अबस्था १३ से १८ वर्ष के बीच की है, इन स्कूलों में पढ़ते हैं। शिक्षा-शुल्क के रूप में इन शालाओं को सहायता दी जाती है, जो टैक्स के रूप में इकट्ठा की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को विकास का मुक्त अवसर मिले और अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार पूरी उन्नति का मौका मिले—यह तो राष्ट्र का आदर्श है और ये स्कूल गोया उसके सशिष्ट संस्करण हैं। लोकतन्त्रीय नागरिकता विकसित करने और राष्ट्र की बुनियादी मनुष्य-शक्ति आवश्यक परिणाम में उपलब्ध कराने में राष्ट्र को इन स्कूलों से अब से अधिक अपेक्षाएँ हैं।

इन आधुनिक हाई स्कूलों का रूप लगभग ३०० वर्ष के विकास का परिणत रूप और यूरोप की देन है। अमेरिका का पहला सेकेण्डरी स्कूल १६३५ में बोस्टन लैटिन ग्रामर स्कूल के नाम से स्थापित हुआ था। तब उच्च शिक्षण की पूर्व तैयारी करना उसका उद्देश्य था। दूसरे स्कूलों का भी वर्षों तक यही उद्देश्य रहा। प्राइवेट ट्यूशन परिपक्वों की स्थापना इस सिलसिले का दूसरा कदम था, जो लगभग १७५० में हुई। उन

जून, '६३ ]

परिपक्वों के पाठ्यक्रम को प्रात्यक्षिक और वैज्ञानिक विषयों को जोड़ कर समृद्ध बनाया गया था, ताकि उस समय के विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के लाभकर्मचारी तैयार किये जा सकें। उसके बाद आज के ट्यूशन फी सेकेण्डरी स्कूल की स्थापना १८२१ में हुई, जिसके द्वारा प्रत्येक लड़के को अधिक प्रात्यक्षिक शिक्षा देने का प्रयास होने लगा। तब से आज तक उसमें जो विकास और प्रगति होती आयी है वह सर्वविदित है। इस समय अमेरिका में लगभग २७ हजार ५ सौ सेकेण्डरी स्कूल हैं, जिनमें १ करोड़ १२ लाख ५० हजार के करीब लड़के पढ़ते हैं। १९५९-६० में इन स्कूलों से १८ लाख युवक तैयार होकर बाहर आये।

संगठन की दृष्टि से सेकेण्डरी स्कूलों के दो भाग हैं—जूनियर और सीनियर। जूनियर स्कूलों में ७, ८ और ९ की कक्षाएँ होती हैं, सीनियर में १०, ११ और १२ की। हाईस्कूल की पढ़ाई सामान्यतया १८ वें वर्ष में समाप्त होती है।

पहले सेकेण्डरी स्कूलों का पाठ्यक्रम कुछ खास विषयों के अध्ययन का होता था, जो कालेज में प्रवेश पाने की योग्यता के लिए जरूरी था। उसके लिए भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के विषयों की पढ़ाई का क्रम था। अभी हाल में हम अभ्यासक्रम को काफी व्यापक बना दिया है और उसमें कला, स्वास्थ्य, शिक्षा, परेलू अर्थशास्त्र के अलावा कई प्रकार के व्यावसायिक विषयों का भी समावेश कर दिया है। विद्यार्थियों को कालेजों के लिए तैयार करना ही आज का उद्देश्य नहीं रहा। आज लोकतन्त्रात्मक जीवन बिताने की क्षमता और साधारण व्यावसायिक क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति हासिल करने की योग्यता लाने का प्रयत्न हो रहा है। इन दिनों आधुनिक उद्योगमन समाज में किसी भी धर्म का प्रारम्भ करने के लिए सामान्यतया हाई-स्कूल तक की पढ़ाई आवश्यक होती ही है। धर्मों के लिए आवश्यक कुशलता का भी शिक्षण वहाँ मिलता है। यह सही है कि टेक्निकल शिक्षण को ही प्रधानता देने वाले सेकेण्डरी स्कूलों में किसी खास धर्म के लिए आवश्यक कुशलता ही सिखायी जाती है, फिर भी इधर कुछ नये ढंग के सेकेण्डरी स्कूल खुलने लगे हैं, जहाँ दोनों प्रकार



के लोग—कालेज की पढ़ाई के लिए आवश्यक योग्यता-वाले और व्यवसाय के लिए आवश्यक योग्यतावाले—निर्माण किये जा सकें। इन्हें काम्प्रहेंसिव स्कूलया मस्ट्री परण्ड स्कूल कहते हैं।

आज अमेरिका में हाईस्कूला के शिक्षकों की सरया लगभग ५ लाख ३० हजार है। इसमें ४४ प्रतिशत लोग एम० ए० हैं, बाकी बी०ए०।

बच्चों में रुचि का विकास करने के लिए शिक्षक कई तरीके काम में लाते हैं। लड़कों को स्वतन्त्र रूप से कोई न कोई कार्यक्रम हाथ में लेने को कहते हैं, जो उपयोगी हो, सार्थक हों, फिर उसमें जल्दी मार्गदर्शन देते हैं। पहले स्थिति यह थी कि अधिकतर विद्यार्थी सेकेण्डरी स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते थे, लेकिन इन दिनों स्थिति कुछ सुधरी है। प्राथमिक शिक्षा समाप्त करनेवाले प्रति हजार लड़कों में ८८५ लड़के सेकेण्डरी में आते हैं और उनमें से लगभग ५८४ लड़के वहाँ की पढ़ाई सफलता पूर्वक समाप्त करके कालेजों में जाते हैं।

उच्च शिक्षण

१९३६ में हार्वर्ड में पहला कालेज खुला। तब से अमेरिका का उच्च शिक्षण काफी प्रभावशाली होता गया। १७७६ में अमेरिका स्वतन्त्र राष्ट्र बना, तब तक लगभग ९ कालेज बन चुके थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शुरू शुरू में कालेजों के सामान एक मात्र उद्देश्य था—शासन कार्य में उपयोगी हो सकने वाले प्रेजुएट तैयार करना। उन कालेजों का संचालन धार्मिक संस्थाएँ करती थीं, लेकिन ज्यो-ज्यो राष्ट्र अ्य मामलों में विकास करता गया र्यों-र्यों उच्च शिक्षण के क्षेत्रों की विशाल-तर बनाया गया और कालेजों का सगठन भी कुछ मजबूत बनाया गया।

आज अमेरिका में उच्च शिक्षा की संस्थाएँ लगभग १९०० हैं, जिनमें लगभग ४० लाख विद्यार्थी अर्थात् १८ से २१ वर्ष तक की अवस्था के कुल युवकों का लगभग ४० प्रतिशत पढ़ते हैं। यद्यपि इन कालेजों में विविधता काफी है फिर भी अधिकतर कालेजों में कला और विज्ञान की पढ़ाई का समय थार वर्ष का ही होता है, जिसको पूर्ण करने पर बैचलर की पदवी दी जाती है। एक दूसरे प्रकार के भी विश्वविद्यालय हैं जिनके अन्तर्गत सामान्यतः

कई कालेज होते हैं। वहाँ सामान्य शिक्षण, औद्योगिक शिक्षण और प्रौढ-शिक्षण तीनों की व्यवस्था रहती है। कई राजकीय विश्वविद्यालय भी हैं, जहाँ २० हजार से अधिक छात्र हैं, जो पूरा समय वहीं रह कर पढ़ते हैं। उनके अतिरिक्त आंशिक समय के लिए आ कर पढ़ने वाला की संख्या भी कई हजार है। एक तीसरे प्रकार के कालेज भी हैं, जहाँ कानून, वैद्यक, संगीत, नीतिशास्त्र अध्यापन और टेक्नालोजी आदि विविध पेशों की शिक्षा दी जाती है। इनमें कई कालेजों को आर्थिक सहायता प्राइवेट स्रोतों से मिलती है। ऐसे कालेजों में कई तो विश्वविख्यात हैं। हर एक राज्य-सरकार कम से कम विश्व-विद्यालय अपनी ओर से चलाती ही है।

कालेज और विश्वविद्यालय अधिकतर स्वायत्त संस्था के होते हैं, शासन का हस्तक्षेप उनमें नहीं के बराबर होता है। उनके संचालन के लिए सामान्यतया एक-एक ट्रस्टीमण्डल होता है, जो नीति तय करता है, कार्यक्रम मजूर करता है और पदवी प्रदान करता है।

इन दिनों उच्च शिक्षा के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए आर्थिक प्रश्न कुछ जटिल होता जा रहा है। आज कुल वार्षिक खर्च लगभग ३ अरब २५ करोड़ डालर है, जिसमें ५ प्रतिशत सार्वजनिक खर्चे से, ५ प्रतिशत ऐच्छिक दान से, २० से ५ प्रतिशत छात्रों द्वारा प्राप्त शुल्क से और बाकी ६०-६५ प्रतिशत सरकारी स्रोतों से प्राप्त होता है। निःशुल्क शिक्षा के प्रश्न को लेकर आज काफी चर्चा हो रही है।

अमेरिका के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का ध्येय और कार्यक्रम को लेकर काफी मतभेद है, फिर भी सभी विश्वविद्यालयों में सामान्यतया तीन काम ती होते ही हैं—पढ़ाई, शोध और विस्तार-कार्य। १९५९-६० में सभी विश्वविद्यालयों में कुल मिलाकर ४१००० बैचलर पदवियाँ, ७६ हजार मास्टर पदवियाँ और ९७ सौ डाक्टर पदवियाँ दी गयी हैं।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद शोधकार्य का महत्त्व बढ़ गया है। शोधकार्य का मुख्य लक्ष्य यह है कि नये ज्ञान की खोज करना और वर्तमान ज्ञान का नये परिस्थितियों के अनुसार विकास करना। इस कार्य पर लगभग २ अरब ५० करोड़ डालर का वार्षिक व्यय होता है।

यह कार्य सुदृढ विद्वानों और प्रेज्युएट विद्यापियों द्वारा सम्पन्न होता है। वे अपने-अपने दूसरे कामों को करते हुए भी उसी के एक अमिन्न अंग के रूप में यह कार्य करते हैं।

सेवा श्रद्धा विस्तार-कार्य की सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से चलनेवाले कालेजों की एक विशेष जिम्मेदारी मानी जाती है। इन सेवाओं के अन्तर्गत राज्य या क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन, क्षेत्रीय कार्यकर्ता-प्रशिक्षण की दृष्टि से विविध-सम्मेलनों का आयोजन उद्योग-शालाओं (वर्क शाप) का संगठन तथा विस्तार कार्य के वर्गों का संचालन शामिल है।

शुद्ध शिक्षा के नियन्त्रण में केन्द्रीय हस्तक्षेप नहीं के बराबर है; इसलिए शिक्षा का गुण और स्तर बनाये रखने के लिए दूसरा उपाय अपनाया गया है। कई कालेज मिल कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की क्षेत्रीय समिति बना लेते हैं, जिसके सदस्य स्वेच्छा से स्तर की ओर विशेष ध्यान देते हैं। जिन कालेजों में पर्याप्त साधन-सामग्री सन्तोषजनक रूप में नहीं हैं उन्हें समिति अलग कर देती है। किसी कालेज का स्तर किसी कारण से गिरता है तो उसे भी समिति की सदस्यता से बंचित होना पड़ता है। यह समिति एक काम यह करती है कि विशिष्ट काम करनेवाली जो राष्ट्र स्तर की संस्थाएँ होती हैं उनसे अपेक्षित स्तर का निद्वय करा लेती हैं और जो कालेज अपने यहाँ वह स्तर लायें जन्हीं को अपना सदस्य बनाती हैं। अमेरिकन मेडिकल असोसियेशन राष्ट्रस्तर पर काम करनेवाली एक संस्था है और आज राष्ट्र भर में चलने वाली मेडिकल ट्रेनिंग पर उच्च संस्था का जबरदस्त प्रभाव है।

अमेरिका में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब ताजुक समय आनेवाला है। १९७० तक लगभग राष्ट्र के ७५ प्रतिशत युवक उच्च शिक्षा के लिए तैयार होंगे, ऐसा अन्दाज है। एक ओर अर्थान्भाव तो है ही, दूसरी तरफ भौतिक और सामाजिक क्षेत्रों में दीर्घ अत्यन्त आवश्यक है और जिसे सुशिक्षित अपार मानव-शक्ति में उपलब्ध कराना है—इनमें भी विश्व विद्यालयों को काफी शक्ति

लगानी होगी। इस दृष्टि से अभी से प्रतिक्षण के नये तरीके अपनाये जाने लगे हैं, सुघरी हुई शिक्षा-पद्धतियों का काम में ली जा रही है, भवन तथा अन्य साधन सामग्रियों की सुविधा भी बढ़ायी जा रही है और इसी प्रकार के और भी कई प्रबन्ध होते जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी उत्पादक कामों के लिए अधिक से अधिक योग्य हों।

अमेरिका में प्रौढ़ शिक्षा का भी तीव्र गति से विकास हो रहा है। उसके पीछे धारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि सुखी रहना चाहे और समाज का एक उपयोगी और उत्पादक सदस्य बनना चाहे तो उसे जीवन-भर शिक्षा ग्रहण करते रहना होगा। अमेरिका में जब से सामाजिक और तकनीकी सुधार तेजी से होने लगे हैं तब से अधिकांश प्रौढ़-समाज स्वेच्छा से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे आया है।

प्रौढ़-शिक्षा के लिए सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत धनराशि लगभग ५-६ करोड़ तक आज प्राप्त होती है। इससे प्रति वर्ष ५-६ करोड़ लोग शिक्षित हो रहे हैं। प्रौढ़ों के लिए कई प्रकार के अभ्यासक्रम चलाये जाते हैं, फिर भी सामान्यतः टेकनिकल, व्यावसायिक और व्यावहारिक शिक्षण अधिक लोकप्रिय रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा का यह आन्दोलन भी वहाँ की शिक्षा-योजना का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है।

उपसंहार करते हुए यह कहना ठीक रहेगा कि अमेरिका की शिक्षा परिवर्तन की एक असङ्ग प्रक्रिया है। केवल इसलिए नहीं कि सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं, बल्कि इसलिए भी कि अपेक्षित परिणामों को कम से कम समय में प्राप्त करने के लिए नये-नये तरीके बराबर अपनाये जा रहे हैं। यहाँ के समाचार पत्र, मासिक पत्र-पत्रिकाएँ, विशाल साहित्य का प्रकाशन तथा रेडियो, टेलिविजन आदि अन्यान्य लोक-सम्पर्क के साधन भी शिक्षण की ओर जनता की रुचि बढ़ाने में बहुत मददगार हो रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से अमेरिका का विकास निश्चित गति से हो रहा है और राष्ट्र शक्तिशाली होता जा रहा है।

( समाप्त )

# उत्तम बुनियादी महाविद्यालय सेवाग्राम

प्रो० ठाकुरदास बंग

राष्ट्रपति से लेकर सामान्य नागरिक तक सब लोग आज की शिक्षा पद्धति को दोष देते हैं। वह हमारी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती, वह बरसों के अनुभवों ने अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है। आज की शिक्षा-पद्धति से केवल किताबी और शौकीन स्नातक बाहर निकलते हैं। शरीर तथा मन की अनन्त शक्तियाँ हैं। इनमें से केवल स्मरण शक्ति की ही परीक्षा आज की शिक्षा पद्धति में होती है। परिणामस्वरूप सच्चा ज्ञान मिलने के बजाय रटनविद्या शुरू हो गयी। शारीरिक शक्ति बढ़ने के बजाय घटती ही जा रही है। नैतिक शिक्षण के अभाव के कारण हृदय का विकास तथा मन का सन्तुलन नहीं सधता। स्कूल कालेज की पढ़ाई पूरी करने पर नौकरी न मिली तो जीवन अपकारमय बन जाता है। आज की शिक्षा-पद्धति अत्यंत खर्चीली होने से पालक परेशान हो जाते हैं। विद्यार्थी के रहनसहन का दर्जा ऊँचा हो जाता है किन्तु अपने पैरों पर खड़े रहने का आम-विश्वास उनमें पैदा नहीं होने से उसके जीवन में घोर निराशा छा जाती है। पुराने जमाने की तरह अपना पीढ़ीगत धर्या भी आज के विद्यार्थी जानते नहीं। अतः नौकरी न मिली तो उनकी सारी जिन्दगी बरबाद हो जाती है।

भाविष्य में सब के सब सच्चे शिक्षण लेने वाले हैं, लेकिन आज की तरह शिक्षण बराबर नौकरी यह सभी कारण यदि फायदा रहेगा तो इन सब बच्चों को क्या कोई राष्ट्र नौकरियाँ दे सकता है ? और यदि नौकरी

न मिली तो इनकी जिन्दगी चाद शिक्षा पाकर घोर निराशा में डूब जायेगी इसलिए विद्यार्थी अपने पैरों पर जीवन में खड़ा रह सकें, ऐसा ज्ञान और आत्म-विश्वास निर्माण हो, ऐसी शिक्षा पद्धति चालू करना आज अत्यन्त आवश्यक हो गया है। आज भी अनेक शिक्षित तरुण बेकार हैं। अतः आज की शिक्षा-पद्धति में आमूलग्राम क्रांति होनी ही चाहिए।

भारत का मुख्य धंधा खेती है। अतः खेती के उद्योग को माध्यम मानकर सेवाग्राम में १५ जून १९६३ से उत्तम बुनियादी का खेती में कृषि कालेज की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। चाद शिक्षा के दोष टालकर गांधी ने मनुष्य का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकसित करने की दृष्टि से नयी तालिम शिक्षा पद्धति शुरू की। चरित्र निर्माण और स्वावलम्बन इन दो बातों पर उनका बहुत जोर था, इसलिए सेवाग्राम में चलनेवाली इस नयी तालीम शिक्षा पद्धति में जीवन जाते जीते और जीवन क लिए शिक्षा दी जाता है। जीवन और शिक्षा ऐसे जीवन के दो टुकड़े न मानकर जीवन जीते जाते ही विद्यार्थी शिक्षा पाता जाता है। न्यायाधारित सहयोगी समाज के निर्माण के लिए उपयुक्त मानव निर्माण की दृष्टि से यहाँ शिक्षण का सारा काम चलता है। अतः सिर्फ स्मरण शक्ति के बल पर ली गयी शार्पिक परीक्षा का यहाँ अवलम्बन नहीं किया गया है। विद्यार्थी का सर्वोत्तम विकास करने का सार्वभर प्रयत्न किया जाता है और उसी से उसकी प्रगति नापा जाती है।

उत्तम बुनियादी में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने शरीरभ्रम में से अपना भोजन एवं कपड़े का खर्च निकाल सके, ऐसा लक्ष्य शुरू में रहेगा। 'कमाओ और पढ़ो' (अर्न ऐण्ड लर्न) यह उत्तम बुनियादी का प्रात्यक्षिक पाठ्यक्रम होगा। तीन साल का उत्तम बुनियादी का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त करने पर स्नातक खेती पर काम करके १००।१५० रु० मासिक आमदनी प्राप्त कर सके, इतना बौद्धिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना इसका अन्तिम लक्ष्य रहेगा।

उत्तम बुनियादी का पाठ्यक्रम तीन साल का है। पढ़ाई का माध्यम हिन्दी है।

### प्रवेश

उत्तम बुनियादी में निम्न प्रकार के विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा।

(१) उत्तर बुनियादी उत्तीर्ण (कृषि विषय लेकर)

(२) हायर मैट्रिक उत्तीर्ण (कृषि विषय लेकर)

जिन विद्यार्थियों ने उत्तर बुनियादी में या मैट्रिक में कृषि विषय न लिया हो उन्हें एक साल ज्यादा देना होगा। इस वर्ष सिर्फ दस विद्यार्थी प्रथम वर्ष में लिये जायेंगे, जिसे हर विद्यार्थी की ओर विशेष ध्यान दिया जा सके।

जो भाई प्रवेश चाहते हैं वे अपना आवेदन पत्र ३० जून तक भेज सकते हैं। वह मजूर होते ही सूचित किया जायेगा। प्रवेश शुल्क १० रु० देना होगा।

विद्यार्थी को छात्रालय में रहना अनिवार्य होगा और छात्रालय के सब नियमों का पालन करना होगा। यहाँ खादी पहनना अनिवार्य है। हर माह २० रु० भोजन खर्च आवेगा। आते समय साथ में चरखा, थाली, दो फटोरी, लोटा, लाठटेन, पेटी आवश्यक सामान लावें।

इस बारे में पत्रव्यवहार आचार्य, उत्तम बुनियादी, सर्व सेवा सत्र, सेवाग्राम, जि०-वर्धा (महाराष्ट्र), इस पते पर करें।

यदि हमें उस दुनिया में सच्ची शान्ति प्राप्त करना है और यदि हमें युद्ध के खिलाफ सचमुच युद्ध चलाना है तो हमें अपने कर्तव्य का आरम्भ बालकों से करना होगा।

-महात्मा गांधी



१९६०-६१ में देश के कुल कर दाता केवल ८.२८ ००० के अर्थात् कुल जन संख्या का ०.२ प्रतिशत के लगभग ।

उसमें १६६४ व्यक्ति ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आय १ से २ लाख तक है, जो अपनी आय की औसत ५८% कर में देते हैं ।

२५७	व्यक्तियों की आय	२ से ३ लाख है,	६६%	कर देते हैं ।
१०३	"	३ से ४ " "	६८%	"
४०	"	४ से ५ " "	७२%	"

बाकी सब की आय १ लाख से कम है ।

सम्पत्ति कर, व्यय कर और उपहार कर सब मिला कर कुल ९ ९५ करोड़ का कर जमा होता है, जो कुल कर का लगभग ३% है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना बनने के पहले कर से वसूल होने वाली धनराशि राष्ट्र की कुल आमदनी का ७% से भी कम ही थी ।

प्रथम योजना में सार्वजनिक उद्योगों के लिए १ अरब ८५ करोड़ से ४ अरब ८० करोड़ तक की धन राशि करों द्वारा प्राप्त करने की योजना बनी अर्थात् करो से लगभग ४१ से ७० प्रतिशत भाग इकट्ठा करने का लक्ष्य था ।

दूसरी योजना में वह धनराशि ४ अरब ८० करोड़से बढ़कर १० अरब ५० करोड़ रुपये की अर्थात् १२० प्रतिशत आँकी गयी ।

अब तीसरी योजना में लगभग १७ अरब १० करोड़ रुपयों के अतिरिक्त कर की योजना बनायी गयी है, जो दूसरी योजना के अतिरिक्त कर से लगभग दूनी से भी अधिक है ।

## भारत में सहकारिता का विकास

### एक चित्र

सन्	समिति संख्या	सदस्य संख्या	संचालन पूंजी
१९१५	११ ७९०	५ लाख ४८ हजार	५ करोड़ ४८ लाख
१९२०	२८ ४८०	११ लाख २९ हजार	१५ " १८ "
१९३०	८३ ९४०	३६ लाख ८९ हजार	७४ " ८९ "
१९४०	१,१६,९६०	५० लाख ७७ हजार	१ अरब २४ " ६८ "
१९५०	१,५९,६१०	१ अरब ७७ लाख २८ हजार	२ अरब ७५ " ८५ "
१९६०	३,१३,४९०	३ अरब ९३ लाख २१ हजार	१० अरब ८३ " ४७ "

### दूसरा चित्र

	१९५१-५२	१९५५-५६
प्राथमिक सहकारी मण्डल	९,५७९	७,३५९
सदस्यता	१८,३९,०००	१४,१४,०००
खरीद ( मूल्य ) रु०	७९ करोड़ ६० लाख	१३ करोड़ ६९ लाख
बिक्री ( मूल्य ) रु०	८३ करोड़ ७५ लाख	१४ करोड़ ४८ लाख

## नये प्रकाशन

### रुहुल कुरान ( उर्दू )—विनोबा

कुरान का यह सार उर्दू जनता का सुविधा के लिए प्रकाशित हुआ है। सरल-सुधाध शैली और सुवाच्य लिपि में प्रकाशित ४०० प्रष्ठ की सज्जिलद पुस्तक का दाम केवल—

मूल्य ४ ००

### रुहुल कुरान ( उर्दू भाषा, नागरी लिपि )—विनोबा

उर्दू रुहुल कुरान का यह नागरी लिपि का मस्करण उन पाठकों के लिए प्रकाशित किया गया है जो उर्दू भाषी तो हैं पर जिनके सामने लिपि की कठिनाई रहती है। इसे हिन्दी भाषी जनता भी सरलता पूर्वक पढ़ सकगा। उर्दू शब्दों के हिन्दा अर्थ भी पाद-टिप्पणियों में दिये गये हैं।

मूल्य २ ००

### नशाबंदी : क्यों और कैसे ?—रमावतलभ चतुर्वेदी

नशाबंदी भारत की सस्कृति और सभ्यता की मांग है और इसलिए गांधीजी ने अपने कार्यक्रमों में जीवन भर नशाबंदी पर जोर दिया। स्वतन्त्र भारत की सरकार ने भी अपने सविधान में इसे स्वीकार किया। किन्तु १५ वर्षों के भीतर देश में पूरी तरह नशाबंदी नहीं हो पायी है।

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने नशाबंदी का सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक महत्व बताते हुए उसका आर्थिक पहलू पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है और सिद्ध किया है कि भारत-जैसे गरीब देश में तथा यहाँ की जलवायु में नशाबंदी के बिना निस्तार नहीं है। इस दिशा में सरकार और सरकारी तन्त्र के रवैये की, उसके उत्तरदायित्व की खुले मन से विस्तृत विवेचना की गयी है।

नशाबंदी नियम में दिलचस्पी रखनेवाले कार्यकर्त्ताओं तथा समाज हितैषियों का तो इस में पर्याप्त जानकारा मिलेगा ही, नशे और धूम्रपान में पैसे हुए लाभ भी इसे पढ़कर मुक्ति की राह पा सकेंगे।

मूल्य ० ६०

### अहिंसक शक्ति की खोज—विनोबा

सर्व सेवा-संघ के आराम बाग अधिवेशन में दिये गये विनोबा जी के महत्वपूर्ण प्रवचनों का सफल, चीन भारत सम्पर्क, सत्याग्रह, भैवी यात्रा, युद्ध-निषेध, सवायद और साम्प्रदाय, सर्व सेवा-संघ के विसर्जन आदि विषयों पर विनोबाजी का सूक्ष्म विश्लेषण चिंतन की राह खोलता है। सर्व सेवा-संघ का निवेदन तथा प्रस्ताव भी आज दिखे गये हैं।

मूल्य ० ७५

### जीवन-दृष्टि—विनोबा

प्रस्तुत पुस्तक में विनोबाजी के उन लेखों, विचारों और भाषणों का सफल है जो उन्होंने भारत का स्वतन्त्रता के पूर्व लिखे या किये थे। उनकी तात्विक भूमिका और गभारता आज भी पाठक की साक्षी देता है।

जीवन का जाने की क्रान्ति-निष्ठ दृष्टि प्रदान करने वाला मधुर रचना—

मूल्य १ २५

अ० भा० सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

## मुझे भी जैसे होश आ गया

मसूरी की वह शाम अपना सोना बचेर देने के बाद छुप जाना चाहती थी। वस-स्टैंड के पास रिक्शा-बुलियों के बीच सरगर्मी देखकर हमलोगों को कुतूहल हुआ, अतः हमलोग उमीं तरफ बढ़े। पास पहुँचने पर एक जवान बुली ने बताया, 'साहूत्र पाँच रुपये तय करके आये थे, यहाँ आने पर सिर्फ चार देकर देखिये चले जा रह है। कहते हैं यहाँ तक के पाँच रुपये बहुत ज्यादा है। हमलोगों ने जान देकर इतनी जल्दी पहुँचाया है, लेकिन अब दिल इतना छोटा हो रहा है। बड़े अमीर बनते हैं, कभी मौका लगा तो मजा चखा दिया जायगा।'

'तो तुम लोगों ने वह रुपया कबूल ही क्यों किया? न लेते फिर देखा जाता!'

'न लेते तो वह रुपया भी हाथ से जाता। तब फिर खाते क्या, बाल-बच्चे क्या करते। कोई नयी बात नहीं है बाबू, यह सब तो होता ही रहता है'। ढलती उम्र के दूसरे कुली ने जवाब दिया।

'तुम पैसा छोड़ देते तो बिना पूरा पैसा दिये उनकी हिम्मत न पड़ती ऐसे जाने की।'

'इन लोगों के शरम कहाँ है बाबू? भलमनसी होती तो ऐसा बर्ताव ही क्यों करते'—पहला कुली अपने को रोक नहीं सका।

'रहने दो भाई! कड़ी जवान कहने से क्या फायदा? भगवान् उसका भला करे और उन्हें अच्छे समझ दे ताकि वह भी जमाने की रफ्तार पहचान सकें'—कहते हुए दूसरे ने उसे समझाने की कोशिश की।

उस साधारण कुली की इस सद्भावनापूर्ण बात से तो मुझे भी जैसे होश आ गया।

×

×

×

×

समाज-परिवर्तन की दिशा में केवल गरीब ही नहीं अमीर भी हमारी सहानुभूति के पात्र हैं, इस तथ्य को वह कुली पहचान गया था, हम कब पहचानेंगे?

—रामभूषण

श्रीकृष्णदत्त भट्ट, अ० मा० म० मेवा सुख, की श्रौर से शिव प्रेम, महादत्त, धाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित कर मुद्रक—लण्डेलावाल प्रेम, मानमन्दिर, धाराणसी।

गत मास छपी प्रतियाँ १८५० इस मास छपी प्रतियाँ १८००

प्रधान सम्पादक  
धीरेन्द्र मजूमदार

सम्पादक  
आचार्य राममूर्ति

वर्ष ११

अंक १२

वार्षिक चन्द्रा  
एक प्रति

६-००

०-२०

घाबघाडी में गणित-शिक्षण

श्री जुगताराम दवे

खुब गया कुदरत का स्कूथ

श्री नरेन्द्र

बरसात का पहला दिन

श्री रुद्रमान

बच्चों की दुनिया

अब्दुल रज्जाक

घरती-माँ की खुशी किताब

शिरीष

बच्चों को नोट कैसे लिखायें

श्री कृष्ण कुमार

जुलाई १९६३



# नयी तालीम

सप्ताहवार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ „ जुगताराम दवे
- ३ „ काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ „ मार्जरी साइक्स
- ५ „ मनमोहन चौधरी
- ६ „ क्षितीशराय चौधरी
- ७ „ राधाकृष्ण मेनन
- ८ „ राधाकृष्ण
- ९ „ राममूर्ति



## सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होना है।
- किता भी मास से माहक बन सकते हैं।
- पत्र व्यवहार करते समय माहक अपनी माहक मत्वा का उल्लेख अवश्य करें।
- उदा भेजते समय अपना पता स्वच्छ अक्षरों में लिखें।

नया तालीम का पत्र

नयी तालीम

३० भा० सर्व सेवा सघ राजघाट,  
वाराणसी-१



## अनुक्रम

पृष्ठ

आ गयी जुनाई	४१७	श्री राममूर्ति
बरसात का पहला दिन	४१६	श्री रत्नभान
गुन गया कुदरत रा खून	४२१	श्री नरेन्द्र
बच्चों की दुनिया	४२३	श्री अब्दुल रजाक
बच्चों को नोट कैसे दिखाय ?	४२५	श्री कृष्ण कुमार
धरती माँ की सुनी स्तिताय	४२७	श्री शिरोप
बानसाड़ी में गणित-शिक्षण	४३०	श्री जुगताराम दवे
प्यार बनाम पुरुषार्थ	४३३	श्री राममूर्ति
हालड की प्रागम्भिय शिक्षा प्रणाली	४३५	डा० तारकेश्वर प्रसाद मिश्र
एन पार्थिवर्ता-मित्र का प्रश्न	४३८	श्री राममूर्ति
तीन चुनौतियाँ	४४०	श्री लीलाधर सिंह
नेत्रय की शिक्षा	४४१	श्री ति० न० आत्रेय
अनुरासन	४४५	श्री हरप्रसाद विद्यार्थी
सामुदायिक विरास के लिए		
		प्रशिक्षण ४४६
पुस्तक समीक्षा		४४२ एक समालोचक
आज की माँग और शिक्षा		४४३ सफल
लेख-सूची		४४४ —



# नयी तालीम

वर्ष : ११ ]

[ अंक - १२

## आ गयी जुलाई

जब अपने बचपन के दिन याद आते हैं तो आज भी यह सोचकर बहुत पुरा लगता है कि उसी समय जब आमों का पेड़ से टपकना ज़ोर पकड़ता था हम लोगों की छुट्टी खत्म हो जाती थी। जी चाहता था कि बरसते पानी में भीगें, सेलें, बाग में दीड दीडकर आम पीनें, भैया के साथ सेत म बाँज बाँधें; लेकिन उसी वक्त स्कूल की याद आ जाती थी। आठ-दस वर्ष की उम्र के हम लगभग पचास बच्चे एक साथ छात्रावास में रहते थे। हम लोग आपस में कमी-कमी कहते थे कि अगर रजुल गरमी के लिए बन्द हो सनता है तो वर्षा, आम, भूले, सेती और कनड़ी के लिए क्यों नहीं बन्द हो सनता ?

ये यादें और ये बातें आज की नहीं हैं; पैंतीस चालीस साल पहिले की हैं। उस वक्त मेरे जैसे बच्चे का दिमाग शिक्षा और प्रकृति के अनुबन्ध को नहीं समझता था, लकिन दिल पानी और पत्तों के साथ खेलने का तरसता था। मैं सोचता हूँ कि चालीस वर्षों में ये स्कूल कितने बदले हैं ! और बदले भी हैं या नहीं ? आज भी किताब और कुदरत म कहीं कोई लगाव दिखायी देता है ? जमाना बदला, विज्ञान बदला, मनुष्य की आशाएँ, आकांक्षाएँ और वासनाएँ बदली, लेकिन 'पढाई' न बदली, न बदली !

शिक्षा के लिए तो पुस्तक, परीक्षा और नोकरी के सिवाय जैसे चीजों कोई चीज ही नहीं है। उँगलियों का हुनर, प्रकृति के प्रति सम्बेदनशीलता, सामाजिक चेतना आदि चीजें शिक्षा के शासक और उसके अधीन काम करने वाले शिक्षक के लिए जैसे कोई अर्थ ही नहीं रखती। वही पिटाई, बही रटाई, वही पढाई चलती चली जा रही है।

क्रितीनी जुलाइयों चीत गर्या और नयी जुलाई फिर आ गयी । रकुल, फालेज, विश्व-विद्यालय, सब खुल गये । हजारों लारों बच्चों और तरुणों से शालाएँ आवाद हो गयीं । शालाएँ ही नहीं, होटल, बाजार, सिनेमा की चहल-पहल बढ़ गयी । एक साथ गाँव से करोड़ों रुपयों का शहर में आ जाना, जो कभी चापस नहीं जायगा, कोई मामूली बात नहीं है । शादी हो या श्राद्ध, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, हर मीका और हर आदमी पैसों का गाँव से शहर की ओर सींचता है । माँ चाप सोचते हैं कि चौदह-पन्द्रह साल बाद जब बच्चा सयाना हों जायगा और पढ़-लिख लेगा तो एक साथ सब सचें समूल हो जायगा—बुद्ध तनखाह से, नुछ उपरी आमदनी से; इसलिए वे तकलीफ उठाते जाते हैं, पैसा लगाते जाते हैं; लेकिन बेचारे शायद जानते नहीं कि अपने देश की पढ़ाई वह सौदा है, जो या तो सूद दर-सूद के साथ लौटेगा या लागत को भी डुबा देगा । शिक्षा सचमुच एक व्यवसाय बन गयी है, और चूँकि वह व्यवसाय है; इसलिए उमका भी सत्ता और सम्पत्ति के साथ उसी तरह का सम्बन्ध है जैसा और व्यवसायों का । वह भी बाजार के ही नियमों से प्रभावित है—भर्ती में, रितावों में, परीक्षा में वही भ्रष्टाचार, वही मुनाफा-खोरी ! यही कारण है कि ऊपर से आदर्श की चाहे जो बातें कही जायँ, पढ़ाई और परीक्षा के लिए चाहे जो अभ्यासक्रम बनाया जाय, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की संख्या चाहे जो हो जाय तथा संस्थाएँ चाहे जितनी खुल जायँ, किसी से शिक्षा का कोई वास्तविक सुधार हो नहीं पाता । बातें, बातें ही रह जाती हैं । युद्ध की तरह शिक्षा भी एक भयंकर बर्बादी है । यह शिक्षा कब बदलेगी, कहना कठिन है ।

ये बच्चे क्या जानें कि सही शिक्षा उन्हें क्या बना सकती थी और आज की इस शिक्षा में वे क्या होकर रह जायँगे; ये तरुण क्या जानें कि विज्ञान और लोकतन्त्र की आकांक्षा रखनेवाला यह देश, जो अपने पर्सिने से उन्हें पाल रहा है, उनसे क्या अपेक्षा रखता है और किस तरह यह शिक्षा हर कदम पर उस अपेक्षा को खंडित कर रही है ?

अभी तक देश ने शिक्षा में जो लागत लगायी उसके बदले में उसे क्या मिला ? शिक्षा बढ़ी, लेकिन साथ साथ अनारथा, विवेकहीनता, बेकारी और चदनीयता भी बढ़ी । शिक्षा से शासक मिले, और भरपूर मिले; लेकिन शिक्षा से देश को निर्माण की शक्ति नहीं मिली; बल्कि यह हुआ कि जिसने जितनी ही ज्यादा शिक्षा पायी वह उतना ही अधिक अपने दिल और दिमाग से अपने ही देश में पराया हो गया—परम्पराओं से अनभिज्ञ, समस्याओं से अपरिचित आकांक्षाओं से उदासीन । प्रचलित शिक्षा और देश के जीवन में कहीं कोई अनुबन्ध भी है, यह दिखायी नहीं देता, और इस क्रम में गाँवों की तो दुहरी मार खानी पड़ रही है । व्यवसाय गाँव का पैसा ले रहा है, कारखाने उमकी श्रम शक्ति और कारीगरी को खींच रहे हैं, और शिक्षा उसकी बचीबूची बुद्धि को ही निकाल रही है !

गुलामी का मंडा १५ अगस्त १९४७ को बदला । तब से १६ जुलाईयों आ चुकी । गुलामी की यह शिक्षा कब बदलेगी ?

—राममूर्ति



# बरसात का पहला दिन

श्री रुद्रमान

बरसात का समय बच्चों के लिए खुशी, जिज्ञासा और चंचलता का होता है। वे बरसते पानी में भीगना और उछलना-कूदना चाहते हैं और जरा-सा भी मौका मिलते ही घर के बाहर नजर आते हैं।

अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा हो, इसी बीच पानी बरसने लगे तो पढ़ाई का सिलसिला जारी रखना बहुत कठिन हो जाता है। बच्चों का मन उस समय बरसात के तरह-तरह के दृश्यों की ओर रम जाता है। ऐसे समय में बच्चों का ध्यान पुस्तक, कापी या स्वामपाठ की ओर लगाये रखना प्रारम्भिक कक्षाओं के कुछ शिक्षक के लिए तैयार हो जाता है। एक जामरुक और समझदार शिक्षक ऐसे अवसर पर बधा करे !

कम से कम बरसात के पहले दिन प्रारम्भिक कक्षाओं के शिक्षकों को अपनी चालू पढ़ाई के सिलसिले पर रोक लगा लेनी चाहिए।

पाठशाला में आये हुए बच्चों को बरसात के पानी में भीगने की छूट दी जाय या नहीं, इसमें लोगों की अलग अलग रायें हो सकती हैं; लेकिन उस समय छोटे बच्चों को - किसी पूर्व निश्चित कार्यक्रम में न उलझा रखा जाय, इस पर दो रायें नहीं होंगी। बच्चे उमड़ते घुमड़ते बादल, बर्षा और आसमान में चमकने वाली बिजली के मोहक दृश्य को खुलकर देख सकें, उसका आनन्द लूट सकें और शिक्षक से उसके बारे

में मनमाने सवाल पूछ सकें, इसका उन्हें मौका मिलना ही चाहिए।

पाठशाला के आसपास कहीं छोटी या बड़ी नदी बहती हो तब तो बरसात यमते ही बच्चों की टोली के साथ नदी-किनारे पहुँचने का सुनहला मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उस समय नदी के किनारे पहुँचने पर बच्चों की प्रादेशिक और राष्ट्रीय भूगोल सम्बन्धी अनेक सवालों का परिचय प्राप्त होगा।

नदी की ओर जाते समय रास्ते में छोटी-मोटी नालियाँ, बड़ी नालियाँ और नाले पड़ेंगे। नदी के किनारे पहुँचते ही बच्चों का दिल खुशी से उछल पड़ेगा। एक दिन की बरसात से नदी के पानी और उसके बहान में भिजना परिवर्तन आ जाता है, यह दृश्य वे आसानी से नहीं मूल सकेंगे।

बरसात के पहले नदी का पानी न इतना मटमैला था, न उसकी धारा ही इतनी तेज थी। बरसात होने से नदी का पानी मटमैला हो गया है। नदी के बहाव के साथ साथ पेड़ की खूनी पत्तियाँ, सफेद झाग और छोटी-छोटी टहनियाँ बहती देख पड़ती हैं। कभी-कभी पेड़ की बड़ी डाल या जड़ समेत पूरा पेड़ ही नदी की धारा में बहता दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी खूबी घाघ, जलकुम्भी, बाँव के टुकड़े और लकड़ी के तपटे भी बहते नजर आते हैं। पानी की

तेज धारा में एकाध बार साँप, बत्तखें या अन्य छोटे-मोटे जानवर भी बहते देख पड़ते हैं।

बच्चों ने अब तक जो कुछ देखा है उससे सम्बन्धित कुछ बहुत सहज और सीधे सवाल उसके सामने उठाये जा सकते हैं। जैसे—

१ नदी में इतना पानी कहाँ से आया ? यह पानी वर्षा से आया, इतना ही उच्चार काफी नहीं है। यह पानी नदी में क्यों और कैसे पहुँचा, यह भी कहना होगा। वर्षा का पानी नदी के रूप में कैसे बहने लगता है ?

२ बरसात का पानी आया कहाँ से ? वर्षा के पहले आसमान साफ था, फिर बादल धिर आये, बिजली चमकी और पानी बरसने लगा। बच्चे इतना तो जान लेते हैं कि पानी बादलों ने बरसाया लेकिन बादल कहाँ से आये और उनमें पानी कहाँ से आया और फिर वह धरती पर कैसे बरसा, यह वे नहीं जानते।

३ नदी का पानी एक ही तरह क्यों बहता चला जाता है ? वर्षा के पहले नदी का पानी धिधर बहता था, वर्षा के बाद भी उधर ही जोरदार बहाव के साथ क्यों बहता जाता है ?

४ वर्षा के पहले नदी का पानी इतना शुद्ध और साफ था, लेकिन वर्षा के बाद इतना मटमैला क्यों हो गया ? नदी का थोड़ा-सा मटमैला पानी किसी शीशी या गिलास में साथ लेते आये। दूसरे दिन बच्चों को यह पानी देखने दें। साफ पानी ऊपर दौल पड़ेगा और पेंदी में मिट्टी या कीचड़ का एक पतली तह रहेगी। शीशी या गिलास के हिला देने पर पानी पुन पहले जैसा मटमैला हो आवेगा। इस मिट्टी या कीचड़

के कारण ही नदी का पानी मटमैला होता है, यह बच्चे समझ जायेंगे। यह मिट्टी पानी में कैसे आयी ?

५ नदी हमेशा से एक ही ओर बह रही है। बरसात में उसमें हमेशा मिट्टी बहती जाती है। इस बहते पानी और उसमें की मिट्टी का अन्त कहाँ और किस रूप में होता है ?

६ वर्षा छोटी-बड़ी सभी नदियों में बाढ़ ले आती है। हमारे देश में ऐसी न जाने कितनी छोटी-बड़ी नदियाँ हैं। दुनिया भर में ऐसी हजारों नदियाँ होंगी। सभी नदियों में बरसात में बाढ़ आती है। और, वे हजारों वर्षों से पानी और मिट्टी को बहाकर ऊँचाई से दाल की ओर ले जा रही हैं।

वर्षा के अवसर पर बच्चों ने अब तक जो कुछ देखा और इस सिलसिले में उनके सामने जो सहज प्रश्न उठाये गये उनका सम्बन्ध प्रायः एक ही विषय—भूगोल—से रहा है।

इस अवसर पर वर्षा सम्बन्धी छोटी छोटी कविताएँ बच्चों को आसानी से बताया जा सकती हैं।

बच्चों की अवस्था तथा कक्षा के अनुसार कई अन्य विषयों की चर्चा भी आसानी से हो सकेगी। यथा—कितने समय में कितने सेंटीमीटर पानी बरसा ? ऊँचाई क्यों मापूँ होती है और उसके बाद प्रायः (वर्षा के पहले) आँधी क्यों आती है ? वर्षा का पानी नदियों के अलावा और कहाँ कहाँ जाता है ? वर्षा के दिनों में किन किन बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है और इसके कारण क्या हैं ? बरसात के दिनों में कहाँ कब और कहीं अधिक पानी क्यों बरसता है ? वर्षा से पेड़-पौधों तथा खेती का क्या सम्बन्ध है इत्यादि।

★

घरती-माँ ने हरे रंग की साड़ी पहन ली है। पत्नी, मेटक, मोर अपने अपने स्वरों से चादलों का दिन-रात स्वागत करते हैं। यही है वर्षा ऋतु और यही है इक्ष्वा सोम्वर्य। ऐसे समय बच्चों की घर में विट रतने वाले प्रकृति-सौम्य के दुश्मन हैं, वे बालकों के दुश्मन हैं और वे उनकी प्रगति के घातक हैं।

—स्व० गिजुभाई

## खुल गया कुदरत का स्कूल

श्री 'नरेन्द्र'

वैसे बुद्धि के अनेक गुण हैं; लेकिन आज के शिक्षण में उन गुणों का समग्र विकास नहीं हो पाता है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि शिक्षण का आधार भक्ति की स्वामाविरु परिस्थिति और जिज्ञासा को न मान कर, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को माना जाता है, जिससे मनुष्य का सर्वाङ्गीण और समग्र विकास नहीं हो पाता। इतना ही नहीं है; बल्कि मनुष्य के प्रवृत्ति प्रदत्त गुणों के भी क्षीण होने की आशंका बनी रहती है।

निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण करके सीखने का गुण मनुष्य को प्रकृति की एक बहुत बड़ी देन है। इसी गुण के बल पर मनुष्य पाषाण-युग से अणु-युग तक पहुँचा है। तालीम का सारा दारोमदार इसी गुण के उपयोग करने पर है। इस गुण का जितना अधिक विकास होगा उतना ही मनुष्य में समग्रता और सर्वाङ्गीणता आयेगी। जो भी साधु शिक्षक का काम करते हैं उनको इस बात का पर्याप्त ध्यान रखना होगा कि बच्चे को योग्य और सम्भ बनाने के फेर में वहाँ उसके इस गुण को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं।

पक्षीस वरसात पहिले की बात है। मैं एक छोटा लड़का था। चौथी कक्षा में पढ़ता था। एक दिन रात को खूब जोर से पानी बरसा था। गाँव में टट्टी तो खुले मैदान में जाना पड़ता ही है। घर से बाहर

निङ्गलते ही देखा कि पूरा रास्ता कँचुओं से भरा पड़ा है। हम इनको उन दिनों 'गिढोया' कहते थे। बस, अब तो मजा आ गया। एक लकड़वां ली और तेजी से सरकते हुए कँचुए को छू दिया। बेचारा सिकुड़ कर जरा-सा हो गया। एक, दो, तीन करके साथी आ गये। उनको लकड़ी लुआ कर सिकोड़ने का यह खेल यहाँ भला लग रहा था।

“दुष्ट लड़को ! क्यों सता रहे हो इस जीव को ?” — स्कूल के पण्डितजी की इस कड़कड़ाती आवाज से हम सब में खलबली मच गयी। सब तितर-बितर हो गये। मैं भी भागने की कोशिश में था कि पैर फिसल गया और कीचड़ में जा गिरा। चोट तो लगी थी, परन्तु पण्डितजी के डर के मारे रोने की हिम्मत नहीं हो रही थी।

“दूसरे जीवों को सताने का मजा चल लो” — यह कहते हुए मुझे पण्डितजी ने उठाया और उपदेश करते हुए कहा— “अब मत सताना किसी जीव को !”

मैं क्या कहता ! मेरे मन में तो अब दूसरा ही सवाल पड़ा हो गया था। बल तरु जिस कँचुए की शक्ल भी नहीं देखी थी, आज सुबह ही सुबह बारिश होने के बाद वह कहाँ से आ टपका ! कुदरत में इस गिलसिके जीव की क्या ज़रूरत है, आदि-आदि। पण्डितजी से तो इस प्रकार के सवाल पूछने की हिम्मत

ही नहीं थी; क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार तो पण्डितजी को ही था। हम ठीक ठीक जवाब न दें तो भी पण्डितजी की छड़ी पीठ पर पड़ने का डर और अगर इस तरह के उटपटांग सवाल पूछें तो भी पण्डितजी की टाँट या छड़ी पीठ पर पड़ती थी।

“क्या अटपटांग बातें पूछते हो? तुमको पढ़ाई से कुछ मतलब है कि नहीं? न इतिहास याद करोगे न भूगोल-गणित के प्रश्न हल करोगे। आजकल के लड़के इधर-उधर की बातें ही अधिक बघाते हैं, पढ़ने के नाम पर जाँरी हैं। बैठ जाओ, करो चुपचाप अपना काम।”—बस यही रटा रटाया उत्तर हमेशा पण्डितजी से मिलता था।

न अक्षर को देना, न क्लाइव के दर्शन किये, थागटीवीक्याग तो कुछ समझ में ही नहीं आती, जेररा भी माफ्स नहीं, लेकिन इनकी जानकारी दिमाग में ठूस ठूस कर भरनी जरूरी है और वह भी बिना किसी प्रश्न के, क्योंकि यह सब तो पाठ्यक्रम में शामिल है; लेकिन केंचुआ न तो पाठ्यक्रम में है, न पाठ्यपुस्तक में ही। यह तो रातों में पढ़ा है मेरी आँखों के सामने। उसको जानने की मेरी जिज्ञासा है; लेकिन कोई नहीं बतायेगा उसके बारे में। जब पाठ्यक्रम के अनुसार उसका क्रम आयेगा वह मेरी आँख के सामने से ओझल हो जायेगा, उस समय डिसेम्बरन के लिए गढ़े खोद-खोद कर उसे खोज कर लाना होगा।

आखिर मैंने अपना जिज्ञासा अपने ताऊजी के सामने प्रकट की। “ताऊजी, यह गिड़ोया कहाँ से आता है?” वे बैचारे फर्मकाण्डी पण्डित, आंस पास की देहात में उनकी बड़ी धाक। कहने लगे—“बेटा यह सब भगवान की भाषा है। उसकी इस सृष्टि में बड़े ही विचित्र विचित्र जीव हैं। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं।”

मुझे समाधान न हुआ। दादी से पूछा। उन्होंने भीधा सादा उत्तर दिया—“बेटा इसे रामजी बरसाते हैं। जब बारिश होती है तो गिड़ोया भी बरसता है।”

दो चार दिन बाद जब एक दिन तेजी से बारिश हो रही थी तो मैं चुपके से पर से निकला। एक टोकरी साथ में ली। खुले मैदान में टोकरी रख दी। बहुत देर तक मैदान में टोकरी रखी रही; परन्तु उसमें एक भी केंचुआ नहीं आया। निराश होकर घर लौट आया। बात कुछ समझ में न आयी।

इसके बाद एक-एक करके आठ बरसातें बीत गयीं। केंचुए के बारे में जानने की उत्सुकता भी प्रायः समाप्त हो गयी; लेकिन प्रयोगशाला में एक दिन केंचुए से फिर मूलाकृत हुई। पुरानी घटना की स्मृति भी नहीं रह गयी थी। केंचुए का डिसेम्बरन किया। उसकी उत्पत्ति, जीवन-क्रम, और अन्दरूनी रचना के बारे में पढ़ा। परीक्षा दिया, पास हुआ। अब पिछली घटना रिस्मृति के गर्त में पड़ गयी।

बसों में केंचुआ लगा कर मछली पकड़ने के लिए बच्चे केंचुआ लुन रहे थे। जुलाई '६३ की इस बरसात ने बचपन की उस घटना को ताजा कर दिया। केंचुआ उठाते हुए बच्चों को कई बार छोड़ा। जानना चाहता कि उनमें से किसी को उसके बारे में जानने की उत्सुकता है क्या? परन्तु जब मैंने पूछा कि जानते हो, केंचुआ बरसात में कहाँ से आ जाता है? कुछ ने लापरवाही से कहा कि आसमान से बरसता है, कुछ ने उससे भी अधिक लापरवाही से रुहा—जमीन में रहता है।

पूर्विया जिले के बलिया गाँव में श्री घोरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में नयी तालीम का यह प्रयोग चल रहा था। प्रकृति, समाज और काम के अनुबन्ध से ज्ञान किस प्रकार देना चाहिए, इसके अनेक प्रयोग बर्तों किये जा रहे थे। बस, बरसात शुरू हुई, जमीन पर केंचुआ दिखाई दिया, आसमान में उमड़ घुमड़कर बादल भँडराने लगे। खुल गया कुदरत का स्कूल और उसकी किर्तियों के पन्ने। काम करते-करते बीच में आराम के समय तथा रात को एक-दो घण्टे बच्चे, किसान, मजदूर सब बैठ जाते थे। उनको सहज और स्वाभाविक ढंग से इन सब घटनाओं से अनुबन्धित

( शेष पृष्ठ ४२९ पर )

# बच्चों की नयी दुनिया

श्री धन्वदुल रज्जाक

जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था उस समय लेजिम, लाठी और कगड़ों आदि खेल खेलाने जाते थे। मैं स्वमान से ही खेलाने रहा हूँ। गेल के सामने पढ़ाई क्या अपने तक को भूल जाया करता था। ऐसे अनेक मौके आये हैं, जब हमारे कई साथी पढ़ाई के घंटे में दरजे से पेशाब करने के बहाने उठे हैं और मैदान में जाकर कगड़ों, गुल्लो-डंडा, आती पाती ऐसे विभिन्न खेलों में जुट गये हैं। हमें याद है कि हमारी संस्था बीच-बीच में बढ़ती गयी है। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हुआ है कि गुरुजी को भी बलास छोड़ देना पड़ा है। कभी खुश हुए तो आकर खेल में रस लेने लगे, कभी रंज हुए तो हम पर बेमाव की पड़ी है। सारी घटनाएँ जैसे नयी सी लग रही हैं। अभी कितने दिन हुए ही, बुध-बुधमा आठ दिन। ये १६-१७ साल कब चल गये, पता न चला।

हमारी नहीं, हमारी तरह के जितने भी बच्चे हैं, ऐसी उम्र में खेल बहुत पसन्द करते हैं। छोटा बच्चा माँ की गोद में खेलने को मचल उठता है। अपना हाथ पैर बार बार सटकता, फँसता, फिलकारियाँ भरता और विस्तर या माँ की गोद को रौंद डालता है। छोटे माई-बहन उसके साथ एकरूप होकर उसके खेल में हाथ बँटाते हैं। कभी छनछना, तो कभी चिड़िया या गुड़िया, कुछ नहीं हुआ तो अपनी पढ़ने की किताब, पेंसिल कापी वगैरह बच्चे के हाथ में देकर घंटों उससे खेला करते हैं। माँ की गोद से उतर कर सुन्ना जमीन पर घुटने के बल चलने लगा, अपने नन्हें-नन्हें पैरों को सँभालता हुआ उठने, चलने, फिर दौड़ने

डंडे का प्रवेश ही विद्यालय को अग्रद्वार बना देता है। कहीं सरस्वती की सुमोमल सरस घाणी से गँजता विद्या-मन्दिर और कहीं रणचंडी की विभीषिन्ना साथ लिये आया क्रूर डंडा। दोनों का समन्वय न हुआ है, न हो सकता है।

भी लगा। अब उसके खेल की सीमा बढ़ी, क्षेत्र बढ़ा और साथ ही साथ खेल के नये साथी भी उसने ढूँढ़ने शुरू कर दिये। अपने अनेक मित्रों के बीच खेलने हुए बच्चा खाना खाना तक भूल जाता है।

बच्चा स्कूल पहुँचा। उसे मिली नयी दुनिया। यहाँ उसकी उम्र के बच्चों की लगभग कतार पहले से ही सत्रों सेवरी इन्तजार कर रही है। घर पर तो कभी साथी के अभाव में अनेके ही मनमारे इधर-उधर घूमना पड़ता था। यहाँ घूमने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इच्छा की, साथी हाजिर। कभी-कभी तो यहाँ तक नौबत आ गयी कि इच्छा न होते हुए भी अपने साथी की इच्छा पर मैदान में दौड़ जाना पड़ता है।

छोटे छोटे नन्हें मुन्नों अपने माँ-बाप से ४,६ और आठ-आठ घंटे के लिए अलग होकर आते हैं। उनके ये माँ-बाप जो अपने बच्चों को पल भर के लिए भी आँसों से ओसल होने नहीं देते थे, बच्चे का मन प्रसन्न रखने के लिए हर क्षण प्रयास करते थे, आज दिन दिन भर की जुदाई सहने की तैयार हो गये। ऐसा क्यों! इसका भी एक खास कारण है। गुरुजी का स्थान माँ बाप की निगाह में अपने समकक्ष ठहरता है। माँ समक्ष तो है-बच्चा हमसे दूर नहीं, पास ही है। पिता समक्षता है-सुन्ना अपने नये पिता के पास विद्या अर्जन करने गया है। हमने आज तक तिला-पिलाकर उसके शारीरिक अवयव को पृष्ठ किया है। भुबुजी उन अवयवों में शक्ति भरेंगे; मन में, बुद्धि में प्रबल प्रताप पैदा करेंगे।



ऐसी है कलना इन नौनिहालों को शांति भेजने के पीछे। हम इसे पूरा करें, यह हमारा काव्य है पर कैसे ? यह है हमारे प्रेम वात्सल्य तथा सम्पूर्ण जागरूकता विराटने का अच्छा अरसर। हमारे गुणजन जितने ही अधिक सजग और सचेत होंगे बच्चों का विकास उसी गति से हो पायगा।

एक रात और। आगिर गुफा भी तो आदमी है। दया प्रेम, मोक्ष, सारी भावनाएँ उनमें भी तो आती ही होंगी। लगातार शरारत करने वाले बच्चों की लम्बी डीली बड़ परेशान करेगी तो कमी न कमी उनमें मन को असंतुष्ट बना ही देगी। शिष्टकी और चपल गाने तक को जी चाहने गता होगा। पुराने जमाने में तो कहावत मा प्रन गयी थी कि डडा से काम न लें तो बच विगड़ते हैं। मार और पदाई दोनों में चोरी दामन का साथ बताया जाता था।

आज अनेक प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि पुरानी बात थोड़ी बहुत नहीं, अमूल गलत है। डडे का प्रवचन हा विद्यालय को अशुद्ध बना देता है। कहीं सरस्वती की कोमल सरस वाणी से गूँजता विद्या भिंदर और कहीं रणचण की विभीषिका साथ लिये आया क्रूर डडा। दोनों का समन्वय न हुआ है, न हो सकता है।

कहानी ! क्या पढ़ने ! नानी दादी की कहानियों में रस लेनेवाले बच्चे स्कूल में भी कहानी-कहानी चिन्ता उठते हैं। कहानियों की कहानी भी निराली है। कहानियाँ भूल प्रेत की हो सकती हैं, द्वय तथा घृणा पैदा करनेवाली कहानियों की भी कमी नहीं है पर हम क्या ऐसी ही कहानियाँ अपने भानी राष्ट्र निमाताओं को सुनायें ? नहीं कमी नहीं। हमें तो चरित्र निर्माण, देश प्रेम, वीरता तथा उत्साह से ओत प्रोत् कहानियाँ स्वयं पढ़नी, आनन्दप्रकृता पढ़ने पर नयी मद्दना और अपने बच्चों को सुनानी चाहिए।

मरा अपना अनुभव है कि जब मैं एक वर्ष का विद्यालयों को महाभारत का कहानियाँ सुनाने बैठ जाता तो धारे धारे पशान करने व बहाने दूसरे वर्ग के भी विद्यार्थी उठ उठकर हमारी कथा में आने जाने और भीम के क्रिस्ते मुन मुनकर वर्ग में सीना तानकर कहते

हम भी भीम गँग। न डर होगा, न भय। फर्तव्य भावना का विकास करने के लिए कहानियों से अच्छा माध्यम आत्माक में दूसरा नहीं समझ पाया।

पहले दिन घर के स्नेहिल वातावरण से हटकर बच्चा अपने जैसे दूसरे एक छुट में प्रवेश करा है। छुट व दूसरे बच्चे का म उसके जैसे होने पर भी चहरे मोहरे, रूप रंग, पहनावा और आपसी व्यवहार में अलहदा दग से दीखते हैं। पर परमाँ-याप, माई-बहन सनका प्यार दुलार उसे अपने आप मित्रता था। यहाँ आरर वह छुट में खी जाता है। स्कूल का नया वातावरण, नये-नये चेहरे और छोटे बड़े उग्यों की मीढ़ कमी कमी अपने घर के लिए उसे विह्वल बना देती है। वह अनमना सा हो जाता है। सुस्त चेहरे से हँसी गायन-सी हो जाती है और क्रोध क्रोध तो फूट फूट कर रोने भी लगता है। ऐसा अरस्था में गुद की का उसे बुलाकर प्रेम से दो चार बातें पूछ लेना, व्यक्तिगत स्नेह देना, हँसा बुग कर सारी चिन्ताओं से मुक्त करा कर फिर से समूह में रहने योग्य बना देना, कम कीमत नहीं रणता।

आमतौर से छोटे बच्चे अपने बड़ भाद के साथ उगे उनका हा वर्ग में जा बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है ? इसका भी कारण है। कुछ बच्चे स्वभाव से ही लजाल प्रकृति व होते हैं, कुछ दूसरों से मिलने उगने में हिचकते हैं पर कुछ तो ऐसे भी होत हैं, जो दोस्त बनाने फिरते हैं। इन अनेक क्रिम के बच्चों को अलग-अलग व्यक्तिगत चचाओं द्वारा इस प्रकार मोड़ लेना चाहिए जैसे उसे ऐसा लगे कि गुदकी सबसे पनादा हमी से प्रेम करते हैं। स्कूल में एकदम पारि वारिक वातावरण पैदा करना भले ही आसान न हो पर उससे बच्चे का मन न ऊबे, इतनी कोशिश करना कठिन नहीं है। स्कूल का परिवार से भिन्न एक अपना आकर्षण भी होता है। बच्चा उस जितनी जल्दी महसूस कर सके जितना उसमें रम सके उतना ही उसे स्कूल पसंद आयेगा। स्कूल में बच्चे को खेल बूद की जगह दोस्ती के लिए दूसरे और बच्चों का सग साथ मिलता है।

( शेषांश पृष्ठ ४३९ पर )

## बच्चों को

### नोट कैसे लिखायें ?

• श्री कृष्ण कुमार

याद पुरानी तो है, लेकिन ताजी भी कम नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय मैं आठवीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे शिक्षक, जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, उन्हें हम लोग बहुत योग्य मानते थे। उन्हें व्याकरण पढ़ाने का बड़ा शौक था। वे जब व्याकरण पढ़ाना शुरू करते तो प्रायः पूरे 'पीरियड' तक पढ़ाते रह जाते। वह बोल कर नहीं पढ़ाते थे, बल्कि श्यामपाट पर पूरा लिख देते थे और नकल करने को कहते थे। श्यामपाट पर शायद इसलिए लिखते थे कि हम सही-सही नकल कर सकें।

उनका वह तरीका मुझे पसन्द नहीं था। कुछ समय में नहीं आता था कि वह क्या लिखाये ज रहे हैं। हमारी पूरी कापी भर गयी, फिर भी हम कुछ समझ नहीं पाये। एक दिन मैंने उनसे पूछा—“मास्टर साहब, आप वह सब क्या लिखा रहे हैं ?” उन्होंने बताया—“अभी पृष्ठो मत, लिखते जाओ, खुद समझ में आ जायेगा।”

चूँकि मास्टर साहब लिखा रहे थे; इसलिए लिखना था; लेकिन लिखने की इच्छा नहीं होती थी। जन्त तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि उन्होंने वह सब किसलिए लिखाया था। शायद वह चाहते थे कि अंग्रेजी का पूरा व्याकरण हमें कण्ठस्थ हो जाय। हम उसके पण्डित हो जायें, लेकिन कम से कम मेरे पल्ले वह चीज नहीं हो पड़ी।

बारह साल बीत गये—आज भी स्कूलों में नोट लिखाने की वही पद्धति चालू है। शिक्षक जो कुछ लिखाता है, बच्चे उसे लिखते हैं। जो शिक्षक नहीं लिखाता, वह अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। जो जितना ही अधिक लिखाता है वह उतना ही अधिक योग्य और परिश्रमी माना जाता है।

यह है विद्यार्थियों की दृष्टि में आज के शिक्षक को योग्यता का प्रचलित माप-दण्ड। कभी-कभी तो विद्यार्थी स्वयं नोट लिखाने की माँग करते हैं। हर नियम के नोट लिखा दिये जायें और उन्हें कुञ्जी मिल जाय, ताकि उन्हें अधिक परिश्रम न करना पड़े, यही वे चाहते हैं।

अगर जाँच करके देखा जाय तो परीक्षार्थियों का अधिक प्रतिरात कुञ्जी से पढ़ता पाया जायेगा। कुञ्जी का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। छोटे बड़े सभी दर्जों में यह महारोग समान रूप से फैल चुका है। विद्यार्थी मूल पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। बाजार में जाकर चावल, दाल, सब्जो खरीदने और उसके भाग जानने तथा भोजन पकाने में समय गंवाने की तत्कालीन कर्पो की जाय, जबकि पकान-पकाया भोजन मिल जाता है। ऐसी मनोदशा हमारे विद्यार्थियों की बन गयी है। इस मनस्थिति के निर्माण में मूढ़ किण्वकी मानी जाय, बच्चों की या शिक्षक की !

इस भवानक भूट का परिणाम क्या हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। हम शिक्षक हो या मा ब प, सब कहते हैं कि पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसीलिए न, कि छात्रों का बौद्धिक विकास अत्यन्त सामित होना जा रहा है, उनकी रूप भण्डकता बढ़ती जा रही है, बाह्य ज्ञान की बात तो दूर, उन्हें अपने पठित विषयों की जानकारी भी बहुत कम रहती है।

अगर हम-आप बच्चों का बौद्धिक स्तर ऊँचा उठाना चाहते हैं तो उनकी बुद्धि से पढ़ने की आदत छुड़ानी होगी। इसके साथ ही हमें कोशिश करनी होगी कि विद्यार्थी ठीक टिप्पण करने। वह अपने पाठ का नोट खुद बना सके, ऐसी धमता उसमें होनी ही चाहिए और इसका अभ्यास शिक्षक को कराना होगा।

पहली श्रेणी में तो नोट लिखाने का सवाग नहीं उठता। दूसरी श्रेणी में, पूरे पाठ को समझाते हुए उसका सारांश लिखा देना जरूरी है। बर्ग तीन और चार तक पाठों का सारांश तथा प्रश्नोत्तर लिखाया जा सकता है, नोट नहीं परंतु वह सारांश बच्चों को बण्टरथ हो, ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए। शिक्षक न इसकी अपथा रख और न अधिक जोर हा दे। सापग लिखाने का मतलब इतना ही है कि बच्चा समझे कि बड़े पाठ को योडे में कैसे लिख सकते हैं और कैसे कह सकते हैं।

बग दो से बर्ग चार तक जो पाठ पढ़ाये जायें उनका सम्बन्ध में छोटे छोटे प्रश्न देकर बच्चों से जवाब लिखना सकते हैं या जवाना पूछ सकते हैं। ये प्रश्न इतने छोटे छोटे हों कि इनके जवाब चार पाँच छ, वाक्यों में ही पूरे हो जायें। अलग अलग कक्षाओं में उनके स्तर के अनुसार प्रश्नों का स्तर भी बढ़ता जायगा।

चौथे बर्ग तक के बच्चों को नोट लिखाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है बल्कि उन्हें अधिक लाभ मिलेगा—छाटे छोटे प्रश्नों का हल से।

मैंने ऊपर बताया कि बर्ग चार तक नोट न लिखाकर सारांश लिखाया जाय और वह सारांश प्रश्नोत्तरों पद्धति पर आधारित होना चाहिए। पाँचवें बर्ग से नोट लिखाना गुरु किया जा सकता है। नोट से पढ़ना एक बात है और नोट बनाकर उसकी मदद लेना दूसरी। बर्ग पाँच में कुछ नोट के नमूने बताना होगा। इसी बर्ग से प्रश्नोत्तरों लिखाना बन्द कर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि जो पाठ पढ़ा दिया गया उसका नोट विद्यार्थी स्वयं तैयार करें। उनका तैयार किया हुआ नोट शिक्षक देखे। श्यामपट्ट पर उस पाठ का नोट बनाकर बतवा दे। इस तरह बार बार अभ्यास हो ता धारे धारे नोट लिखने का तराका विद्यार्थियों को मादूम हो जायेगा और वे बर्ग आठ में जाते जाते नोट तैयार करने में पूर्ण स्वावलम्बी हो जायेंगे। विद्यार्थी खुद नोट लिखना सीख लेंगे तो न शिक्षक को नोट लिखाना पड़ेगा और न विद्यार्थी ही उसकी माँग करेंगे।

एक बात की ओर यहाँ और ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पाठ्य पुस्तकों से प्रश्नों का उत्तर ढूँढना कठिन काम होता है। इसके लिए पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ती है। इसमें समय ज्यादा लगता है, इसीलिए विद्यार्थी के लिए आसान होता है कि वह बुद्धि उठाये और कुछ मुख्य प्रश्नों से उत्तर रट ले, उन्हें इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं दीखता। यह रटने की कला अच्छी मानी जाने लगी है। इससे विद्यार्थी मले हा परीक्षा पास हो जाय, किन्तु उसकी बुद्धि का ठीक विकास नहीं होता है। इसलिए नोट लिखने का अभ्यास के साथ-साथ प्रश्नों का जवाब भी सही सही ढूँढ लें, इसका भी अभ्यास कराना होगा।

अक्सर विद्यार्थी नोट लिखने के बावजूद प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाते। इसका अभ्यास कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रश्न लिखा दें। उन्हें यह छूट दें कि वे उन प्रश्नों का जवाब किताब देकर भी दे सकते हैं। ऐसे अभ्यास से प्रश्न का सही उत्तर देना आ जायेगा। सरालों का सही जवाब वे पुस्तकों में ढूँढ पायेंगे।

★

## धरती-माँ की खुली किताब

शिरीष

जेठ की तपन एतम हुई। आ गया असाढ़ और आ गये बरसाती बादल। कुछ काले, कुछ सफेद। कहीं भरे मन से, कहीं बेमन से बरस गये। जाते जाते वे छहर-छहर कर बरसात न भूल सके। सूखी धरती का आँसुल लहर उठा। नये आँसुए कुनमुना उठे।

गरमी की छुट्टी भी बीत गयी। ग्राह-बरातों की धूम-धान भी न रही। किसान खेती में जुट गये। शिक्षक शालाओं में पहुँच गये।

कमरों की नये छिरे से सफाई हुई। शान्त पोंछ कर बैठकें ठीक हुईं। बच्चों के नये-पुराने वेहरे शिक्षक की ओर उठ गये। उसका मन उल्लास से भर गया। उल्लास भी ऐसा-वैसा नहीं, कर्तुन शक्ति से ओतप्रोत। “तुमने छुट्टी कैसे बितायी?”—शिक्षक की मधुर ध्वनि गूँज उठी। एक-एक छात्र बारी बारी अपने अनुभव बताने लगा। कुछ देर तरु चर्चा चलती रही। एतम हुई।

“अब क्या करना है?”—शिक्षक का दूसरा सवाल था।

“अब हम लोग पढ़ेंगे, खूब मन से पढ़ेंगे।”— कई बच्चों का समवेत स्वर अभी गूँज ही रहा था कि एक कोने से—“लेकिन”—एक स्वर प्रश्नचिह्न बनकर अटक गया।

“हाँ-हाँ मोहन क्या बात है?”—मनेह भरे स्वर में शिक्षक ने कहा।

“अभी हम लोगों के पास क्रापियाँ-किताबें नहीं हैं। पढ़ाई-लिखाई कैसे शुरू करेंगे?”

शिक्षक मुसकरा उठा।

“भेरे बच्चो!”—बह धोल उठा—“हमारी पढ़ाई-लिखाई कानी किताब पर ही निर्भर नहीं है। धरती-माँ की खुली किताब तो हमारे सामने है ही। माँ अपने बच्चों को सिखाने में तोताही नहीं करती।”

“धरती माँ हमें क्या सिखायेगी?”—एक बच्चे ने पूछा।

“बहुत कुछ, तुम जिन्दगी भर सीखकर भी पूरा न सीख सकागे। इस धरती पर जब से पहला जीव आया तब से धरती माँ उसे और उसकी सन्तानों को अनवरत सिखा रही है। सीखते-सीखते आज का आदमी ‘अणु युग’ तक पहुँच गया है; लेकिन क्या उसके जानने को और धरती के ज्ञानने का यही सीमा है? नहीं, अभी तो अनन्त ज्ञान का खजाना लिये माँ बैठी है। ललकार रही है तुम्हें सीखने के लिए। सीखो, जी भर कर सीखो।”

“धरती-माँ हमें क्या सिखाना चाहती है तुम्हें?”

“यह तो शायद वह भी नहीं जानती?”

“ऐसा क्यों ?”

“इसलिए कि तुम घोड़े को पानी के पास तक ले जा सकते हो; लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। पानी तो यह तभी पियेगा जब उसे प्यास लगेगी और उसकी इच्छा होगी। इसी तरह तुम धरती-माँ से क्या सीपना-समझना चाहते हो, यह उसके ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अब तुम्हीं सोच कर बताओ—तुम क्या जानना चाहते हो ?”

क्षण भर के लिए एक प्रकार की शान्ति छा जाती है। कई लड़के एक-दूसरे का मुँह देखने लगते हैं। शिक्षक शान्त भाव से बच्चों को बारी बारी देखता है, फिर अनुभव करता है कि बच्चों की ऊँचाई बढ़ती जा रही है। ऐसा सोचकर उसने पूछा—“अच्छा, पहले यह बताओ कि पारसाल तुम लोगों ने शाका-खेती में क्या क्या बोया था ?”

“शाक सब्जी, धान आदि-आदि।”

“इस खेती से तुम ने क्या क्या सीखा ?”

लड़के चुप रहते हैं।

“तुमने बहुत कम सीखा या कुछ खास नहीं सीखा—यही कहना चाहते हो न ?”

“जी हाँ।”—एक लड़के ने धीरे से कहा।

“तुम बहुत हद तक ठीक कहते हो। इसके लिए मैं ही बोपी हूँ। गये साल हमने व्यवस्थित ढंग से योजना नहीं बनायी थी। इस साल हम साल भर की पूरी योजना बना कर ही काम करेंगे। हमें क्या करना है, कैसे करना है, तय कर लेंगे। वैसे तो हमारे लिए खाने-पाने के बाद सबसे जरूरी रहने के लिए मकान है, लेकिन अगर मकान भी न रहे, तोभी कुछ दिन गुजर बसर तो किया ही जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जिनके बिना काम नहीं ही चलता। उनमें कपड़ा भी है। बताओ तो—यह कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिलता है ?”

“दुकान से, मिलों से आदि विभिन्न उच्चर मिलने पर शिक्षक पूछता है—“यह कपड़ा बनता किस चीज से है ?”

“कपास से।”

“कपास का पौधा तुम में से किसने-किसने देखा है ?”

“नहीं देखा है।”—एक साथ ही कई लड़के बोल उठते हैं।

“तुम सभी कपड़ा पहनते हो और कपास का पौधा किसी ने नहीं देखा। बोलो यह कितने आश्चर्य की बात है ! मैंने सोचा है कि इस साल हम लोग शाक-सब्जों के साथ साथ कपास की भी खेती करेंगे। कपास से हमें रुई मिलेगी। तकली और चरखे पर हम सूत कातेंगे, ताना करेंगे, बुनेंगे और अपने पहनने के लिए तैयार करेंगे कपड़ा। हमें संकल्प लेना है कि हम लोग घर वालों पर कपड़े का बोझ इस साल से ही कम करना शुरू कर देंगे और कुछ ही दिनों में अपने लिए पूरा पूरा कपड़ा तैयार कर लेंगे। तब हम वस्त्र-स्वावलम्बी होंगे। फिर देखोगे, तुम्हें धरती माता इस कपास के अंजुआ फूटने से कपड़ा तैयार होने तक कितनी नयी-नयी बातें सिखाती है।”

बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है।

“हम सब जरूर कपास लगायेंगे गुरुजी; लेकिन कपास की खेती शुरू कब होती है ?”

“जून और जुलाई इसकी बुआई का समय है। हमें खेत तैयार करने में शीघ्र लग जाना है।”

“लेकिन बीज कहाँ से आयेगा ?”

“बीज मैं सेनापुरी आश्रम से लाया हूँ। इसके बीज को ‘विनौला’ कहते हैं।”

आलमारी से निकालकर शिक्षक उन्हें विनौला दिखाता है। लड़के उत्सुक होकर उससे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं।

एक लड़का पूछता है—“गुरुजी, क्या कपास की कई किस्में होती हैं ?”

“वैसे तो इसकी बहुत-सी किस्में हैं; लेकिन हमारे यहाँ खास तौर पर दो तरह की कपास उगायी जाती है। पहली वृष कपास और दूसरी, खेत कपास। एक तीसरे किस्म की भी कपास होती है, जिसे शाही कपास कहते हैं।”

“इन्हें पहचानते कैसे हैं ?”

“इन्हें हम पल-पूल-पत्ते और पेड़ देकर आसानी से पहचान सकते हैं।”

“विनौला देकर क्या नहीं पहचान सकते ?”

शिक्षक के चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ जाती है। वह कहता है—“तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, विनौला देकर भी हम कपास पहचान सकते हैं। दोनों तरह के विनौलों को दिखाकर—“इनमें कोई फर्क है ?”

“हाँ, एक बड़ा है और दूसरा छोटा।”

“ठीक है, बड़ा वाला विनौला वृक्ष कपास का है और छोटा विनौला खेत कपास का।”

“ध्यान से देखकर बताओ—दोनों में और कोई अन्तर है ?”

“जी हाँ, खेत कपास के सभी विनौलों में रेशे चिपटे हुए हैं और वृक्ष कपास में कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें थिलकुल रेशे नहीं हैं।”

“ठीक है पेड़ कपास के विनौले दोनों क्रिम के होते हैं।”

“और कोई बात ?”

“और कोई अन्तर तोसमस में नहीं आता”

“अच्छा एक बात और समस लो कि वृक्ष कपास

के विनौलो में बड़े होने हुए भी तेल कम निरलता है और खेत कपास के छोटे विनौलो में अधिक।

“इन्हें दुयारू जानवरों को खिलाने से दूध बढ़ता है। विदेशों में कुछ ऐसे बड़े विनौले भी पाये जाते हैं, जिन्हें पशु नहीं खाते, बल्कि उनका खाद बनाते हैं।

“इसे बोते कैसे हैं गुजरा ?”

“खेत तैयार करके इसे कतार में बोते हैं। एक साथ दो दो बीघा डालते हैं। करीब एक इंच की गहराई में बीघा बोते हैं। दो कतारों के बीच का फासला कम से कम ३ फीट और अगर जमीन अच्छी हो तो वृक्ष कपास के लिए ६ से ८ फीट तक का फासला रखना चाहिए।”

“एक पौधे से दूसरे पौधे का दूरी कितनी होनी चाहिए गुजरा ?”

“सामान्यतः पौधों का आपसी अन्तर १२” से १६” तक रखते हैं, लेकिन अच्छी जमीन और वृक्ष कपास होनेपर यह दूरी और अधिक रखनी चाहिए।”

चर्चा के बाद शिक्षक के साथ बच्चों की टोली पावड़ा कुदाल और खुरपी लेकर खुशी खुशी निरल पड़ती है।



### ( पृष्ठ ४२२ का शेष )

शन कराया जाता था। अब जब कमी बरखात होती है तो मन में ये पत्तियाँ गूँज उठती हैं—

कंचुआ कहाँ निरर्थक होता,

यह कुदरत का हल है।

यह छोटा-सा जीव सही,

पर यह किमान का बल है।

प्रकृति में वर्षा ऋतु का बड़ा ही महत्व है। वनस्पति-जगत के लिए तो यह मौसम प्राण ही है।

वर्षा-ऋतु शुरू होते ही प्रकृति में देखते-देखते बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, सारी सृष्टि बदल गयी, ऐसा लगने लगता है।

बच्चे, बड़े, बूढ़े, स्त्री और पुरुष के जिज्ञासु मन को निरीक्षण, परीक्षण और विद्वलेपन करने का एक अगर खजाना खुल जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी के लिए तो प्रकृति की पुस्तकों के पन्ने ही खुल जाते हैं।



# बालवाड़ी में गणित-शिक्षण

श्री जुगतराम दवे

पाठशालाओं में गणित की शिक्षा का अर्थ आमतौर पर आँकड़े बोलना जोड़ने घटाने की रीति सिखाना आदि ही समझा जाता है। ऐसा चलता रहे और इसमें बच्चे होशियार हो जायें तो वह पाठशाला बहुत अच्छी चल रही है एसा सतोप निरीक्षक को होता है इसलिए लोगों का अपेक्षा रहती है कि बालवाड़ी में भी इसी ढंग से गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए।

बालवाड़ी में गणित की शिक्षा अवश्य होगी परन्तु जो ऊपर बताया गया है, क्या उसमें गणित जैसी कोई चीज है भी ? पाठशालाओं में बालक आँकड़े याद करता है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह 'सात पने पैंतीस' का अर्थ समझता है। इसका इतना ही अर्थ होता है कि उसने एक प्रकार की कविता कण्ठस्थ की। दूसरी कविताओं का कुछ अर्थ भी समझता है पर इसका तो कुछ भी अर्थ नहीं समझता। शिक्षक खिलवा रहा है और हम चूँकि सीखने आये हैं इसलिए अर्थ समझें या न समझें, हमने कण्ठस्थ तो करना ही है, ऐसा बालक मानते हैं।

मनुष्य की स्मरण शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। बार बार वही बात बोलते रहें तो वह बालकों को कण्ठस्थ हो जाती है। समझें या न समझें, पर कण्ठस्थ हो ही जाती है। बालवाड़ी के बालक भी पाँच वर्ष की उम्र में इस प्रकार समझे या बिना समझे याद

कर सकते हैं। आँकड़े बोलने हैं तो तोते की तरह बोल सकते हैं। इसका इतना ही अर्थ होगा कि बच्चे ने याद कर लिया परन्तु उन्हें गणित का ज्ञान हुआ इसका यह अर्थ नहीं होगा।

उसी प्रकार बालक अक लियकर जोड़ना और घटाना सीख जाते हैं। बार बार देख सुनकर एक प्रकार की युक्ति अथवा रीति को उनकी बुद्धि पकड़ लेती है। इकाई के आँकड़ों को जोड़ना और दोष आँकड़ों का दहाई के आँकड़ों में जोड़ने की कला वे सीख लेते हैं। थोड़े ही समय में वे पाँच सात दस सर्रा तक जोड़ करने लगते हैं।

छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार स्मरण शक्ति की अद्भुत कला दिखाते हैं उसी प्रकार व गणित की विशिष्ट रातियाँ और तद्दीरें जानकर लम्बे लम्बे गणित के प्रश्न हल करते हैं। उन्हें ऐसा करते देग कर बड़े लोग खुश ही जाते हैं। वे कहते हैं—बच्चे को बहुत अच्छा गणित आ गया, इसे बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, लेकिन यह उनका निरा भ्रम है।

दूसरी तरफ बच्चों का भी ध्यान अपनी स्मरण शक्ति की ओर जाता है तब उन्हें उसमें रस आने लगता है और वे गणित के भिन्न भिन्न तरीके जान कर उसे बार बार करना चाहते हैं।

यह देखकर बड़े लोगों के मन पर यह छाप पड़ती है कि बालक गणित में रस गये हैं और आगे चल कर

बड़े गणित शास्त्री होंगे, पर ऊपर जैसा हमने कहा है— बच्चे गणित में रमे नहीं हैं, बल्कि किन्हीं और चीजों में रमे हैं और वह चीजें हैं—नयी नयी युक्तियाँ और नये-नये धरीके ।

बच्चे इस तरह रम जायें और अपने आन्तरिक आनन्द से स्मरण शक्ति और कला कौशल के पराक्रम दिखायें, यह अच्छा अन्वय है और उन्हें प्रोत्साहन देकर विकसित करने जैसा है, परन्तु स्मरण शक्ति का विकास करने के लिए निश्चय अर्थ ही जे नहीं समझते, ऐसा बेमतलब परिश्रम करवाना उचित नहीं । इसका बजाय वे समझ सकें और उनके जीवन की रसमय बनायें, ऐसे गीत श्लोक वे याद रखें तो उनमें उनकी अभिरुचि उत्पन्न होगी । यह उनके लिए अधिक हितकर होगा । जो आँकड़ें उनकी समझ में आते नहीं, उन्हें भी उनकी बुद्धि आन्तरिक रीति से काम करे और उसी में वे तन्मय हों, यह कराने का बदले यदि उन्हें मित्रों के भित्तिभ्रम आकार बनाने की रीतियाँ या नातुक अँगुलियों से कपास से बोन निकारना सिखाया जाय तो यह कितना आनन्दमय और ज्ञानवर्द्धक होगा ।

गणित के नाम से भ्रम में डालकर बालकों को उल्लसमान बनाय, इस विषय में हमने यह विवेचन किया, लेकिन सही गणित तो बाउनाड़ी में चलना ही चाहिए । बालक के मन में बुद्धि की चमक क्यों क्यों रदती जाती है त्यों-त्यों यह गणित ज्यादा समझने लगता है । इस बच्चे से यह बच्चा छोटा है और उस बालक से यह बालक बड़ा है, बालक जन से यह समझने लगा तब से उसके मस्तिष्क में गणित का आरम्भ हो चुका, ऐसा हमें समझना चाहिए । यह घड़ा भारी है और यह हल्का है, यह समझने में भी उसके मन में गणित काम कर रहा है, हमें यह समझना चाहिए । उसी प्रकार इस ओर कम ध्यान है और उस ओर ज्यादा है, जब बालक यह बोलता है तब मानना चाहिए कि वह गणित बोल रहा है ।

बाल्याड़ी की उम्र तक बालक को पहिले २३ तक, आगे चलकर ६७ तक और फिर थोड़े आगे चलकर ८१० तक की संख्या समझ में आने लगती

है । उस वक्त उसे उतनी संख्या तब वस्तुएँ गिनते रहने में मार्गदर्शन करना चाहिए । एसा करते हुए उसका छोटे मस्तिष्क में नया गणित का द्वार खुलगा मानो उसमें गणित की एक नवान इन्द्रिय हा फूट निकलेगी । व पड़ गिनते, पहले गिनते, मनुष्य गिनते, गिनते हा रहेंगे, गिनत गिनते रहेंगे नहीं ।

इस तरह संख्या गिनते गिनते उन्हें लम्बे आँकड़ों की गिनता करने में दिलचस्पी पैदा करना सरल होगा । दो चरण आगे बढ़ो, चार चरण पीछे हटो, फिर दस चरण आगे बढ़ो, इस प्रकार का गणित उनके मन में आने लगेगा । बर्गव के सिरे एक दूसरे से कितना दूर हैं, यह गिनने का उनका मन होगा । पहले कितने दूर है, उन्हें वह नापने लग जाते हैं । इस तरह करत करते कुछ दिनों में उनमें गणित का उदय होगा और उनका छोटे कदमों से, बालिश से या हाथ से नाप लकर वे कहने लगेंगे—चगे, हम आप दो दो हाथ दूर बैठेंगे, फिर तान-तान बालिश नचदीक आयेंगे आदि ।

बाद में व पानी नापने लगेंगे । एक लोटा पानी, तीन लोटा पानी, पाँच लोटा पानी । अगर वे बगीचे को पानी देते होंगे तो उनके अन्दर उदित हुआ गणित शास्त्री कहेगा—‘इस क्यारी को मैंने दो ‘हचारा’ पानी दिया । वह क्यारी बड़ा है, इसलिए चार हजार पानी दिया ।’ कुँए पर से बालक पाना भर लाते होंगे तो मन ही मन वे गिनती करेंगे कि मैंने तीन घड़ा पानी भरा, चार घड़ा पानी भरा । कुछ दिनों बाद एक नवीन शोध जैसा उनके मन में स्फुरण होगा—‘इस घड़े में पाँच लोटा पानी और उस घड़ में सात लोटा ।’

छोटी सी चक्की पर पसने या दूधने जायेंगे तो छोटे माप से अनाज लेंगे । एक कहेगा—‘हमने दो माप पसे’, दूसरा कहेगा—‘हमने तीन माप पसे’, ऐसा बताकर वे बेहद खुश होंगे ।

खानेवाले खाते खाते भी गणित में रस लेने लगेंगे । मैंने चार लखर खायी, मैंने दो मिठास दूध पिया और तीन चम्मच खीर पानी । ऐसा करने से उन्हें खाने में ज्यादा मजा आया या गणित में ?



ऐसा करते करते बालक का गणित मन कुछ दिनों में अचानक बढ़ा हुआ दिखायी देगा। वह शिक्षिका के पास जाकर कहेगा—“हम पाँच बच्चे हैं, हमें पाँच आम बाँजिए।”

कमी खुशी से कहेगी—“दो आम दे दिये, अब तान बाँकी रहे और बच्चे भी तो तीन ही हैं।”

बाल मन्दिर में छोटे-छोटे तराशू भी टांगे जायँ इनसे बच्चे गणित के भिन्न भिन्न खेत खेतेंगे। दो पत्रों में दो लड्डू टाल कर तोलेंगे। अमुक लड्डू मारी है और अमुक हलका। एक पत्रके में पत्थर डालकर दूसरे में रेत डालेंगे। इस तरह तोलने का खेल खेलते रहेंगे।

गिनत गिनते बच्चे आधी रोटी और पात्र रोटी भी समझ लेंगे। दूध का माप दो जनों में बाँटना होगा तो वे कल्पना से दो भाग करके आधा करेंगे और चार को देना है तो चार भाग करके बाँट लेंगे। तीन को बाँटना हो तो भी शिश्नकेंगे नहीं, तीन भाग करके तीनों ले लेंगे।

चतुर बाह्य शिक्षिका इस प्रकार आँकड़े कण्ठ कराये बिना या सपना लिखाये बिना या पहाड़ा पूछे बिना बालक को गणित के आनन्द में आहिस्ता आहिस्ता प्रवेश करायेंगी। गणित में बच्चों का आनन्द बढ़े, इसलिए शिक्षिका को चाहिए कि जहाँ बच्चों का अलग अलग काम चलता है वहाँ कुछ तदितर्था टटका दे। वहाँ बच्चों के अलग अलग निशान चिह्न कर बच्चों से कहे कि वे जितना काम करेंगे उतनी लकारें उस निशान के नाचे लीचें। चर्कों के पास एक तरती पर वह एक शून्य बनायें दूसरा लें तो दूसरा रनायें।

पानी के घड़े के पास एक तरती टाँग कर फह दिया जाय कि घड़े घड़े में एक घड़ा पानी डाले तो एक निशान बना दो। टाकरो में रेत लीकर जमीन पर फैलाते हुए वहाँ टंगी तरता पर एक लकीर लीचें और दूसरी टोकरी पर दूसरी लकीर।

जिन बच्चों ने गणित का स्वाद पहले ही चरपा होगा वे शिक्षिका का इशारा तुरत समझ लेंगे और एक एक काम करते हुए वहाँ की पाटियों या तदितर्था पर बिना गलती के लकीर लीचें लेंगे।

चर्की पीसते हुए उसकी धुन में अगर शून्य का चिह्न करना भूल जायेंगे तो याद आते ही वहाँ से उठ कर शून्य का चिह्न लगायेंगे। बच्चे बीच-बीच में उठ कर अपने कितने शून्य हुए, उसकी गिनती करते रहेंगे। अपने साथियों के कितने शून्य हुए, उन्हें भी गिनने और उसकी तुलना करेंगे। मरे पाँच हुए, तुम्हारे तीन हुए—एसा कहते मिलेंगे और बहुत खुशी में आयेंगे तो शिक्षिका का हाथ पकड़ कर उसे धुला लायेंगे और उसको अपने काम का हिसाब बतायेंगे।

इस प्रकार आप बालक को उगतो हुई बुद्धि को गणित का विविधता से भरा स्वाद चखा सकते हैं। यह सब आँकड़े कण्ठ करने या जोड़ घटाव के जजाल में बच्चों को डाले बिना हम कर सकते हैं। इन रातियों के ये जाल जजाल गणित जैसा नजर आते हुए भी सही तौर से कुछ अग्य ही वस्तु हैं। यह सब और दूसरा भी बहुत कुछ बालक की छोटी सी दुनिया की मर्यादा में रह कर अर्थात् ५, ७ और बहुत हुआ तो १० की सपना की मर्यादा में रह कर, कर सकते हैं।

और इस नवीन गणित शिक्षण का परिणाम क्या आयेगा ? बालक की छोटी सी बुद्धि उससे चमकने लगेगी। वे तो कुछ देखेंगे उसे वे गिनने नायेंगे और तौलेंगे। ऐसा किये बिना उनकी बुद्धि को चैन नहीं पड़ेगा। ऐसा करने में उन्हें थकावट नहीं आयेगी, उन्मत्ताहट नहीं होगी, बल्कि एक प्रकार का अद्भुत आनन्द होगा। सही गणित करना, मनुष्य का स्वभाव है उसका गुण है। इस कारण उस काम से अहचि या अनिच्छा नहीं होता। उसमें तो उसे खुशी ही खुशी है। इस बात को हम समझ लें कि हम बालक को गणित के एक अद्भुत और आनन्ददायक सवार में सैर करायेंगे।

★



बच्चा कहता है मैं सुद करूँगा  
माँ कहती है मैं कर दूँगी

## प्यार बनाम पुरुषार्थ

श्री राममूर्ति

एक माँ बच्चे को गोद में अधिक से अधिक रखती है। नीचे इसलिए नहीं उतारती कि धूल लग जायगी, या हो सकता है, यह भी सोचती हो कि हर बच्चा छाती से चिपटा कर रखने में ही बच्चे का सच्चा प्यार है। कई स्त्रियों में यह धारणा होती है कि जबतक दूसरा बच्चा गोद में न आ जाय तबतक पहले बच्चे को गोद से नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि गोद सूती ही जायेगी और सूती गोद स्त्री के लिए शोभा की आज नहीं है।

इस तरह की धारणाओं से प्रेरित होकर जो प्रेम प्रकट होता है उसमें मोह और मूर्खता की मात्रा अधिक होती है, जिससे बच्चे का उदा अहित होता है। यह बात नहीं है कि मूर्खता अशिथिल और गरीबों तक ही सीमित है, शिक्षित और सम्पन्न लोगों में भी बच्चों के सम्बन्ध में कम अपेक्षा नहीं होता। हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारा 'प्यार' भी बच्चे के लिए विपत्ति बन सकता है। अति प्यार के कारण हम बच्चों में तरह तरह का भय पैदा कर देने हैं। थोड़ी देर के लिए भी बच्चा अलग हो गया तो अनावश्यक चिन्ता प्रकट करना, रात को खीच खाँच कर छाती से लगा कर रखना, जरा तद्विषय सरास हो गयी तो

सिर पर आसमान उठा लेना आदि माँ की ओर से होने वाली ऐसी बातें हैं, जो निश्चित रूप से बच्चे को मोह बनाती हैं। बच्चा सोचने लगता है कि अगर सचमुच भय का कारण न होता तो माँ इतनी परेशान क्यों होती !

माँ को दो कोशिशें एक साथ करनी चाहिए। एक ओर यह आवश्यक है कि वह बच्चे को आदर रखे, वह सोने जाय तो थोड़ा देर उसके पास बैठती रहे और दूसरी ओर यह भी जरूर है कि वह अपना भय और चिन्ता दिला कर बच्चे को भाव न बनाये। अगर माँ स्वयं प्रसन्न, आदरमूल और भय-मुक्त रहेगी तो बच्चे में आत्म विश्वास आयेगा। राश्ट्र में माँ की इसकी चिन्ता रखनी चाहिए कि बच्चे में आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता पैदा करने का कोई अदसर न लोभे बल्कि अगर बच्चा आत्म निर्भर होने की जरा भी यह तैयार दिखाता है तो उसे प्रोत्साहित करे। माता पिता का बच्चे को अपने पर अतिनिर्भर बनाकर रखना उसके व्यक्तित्व के विकास में कई गम्भीर समस्याओं का कारण बन जाता है।

कई माता पिता जो कोमल हृदय के होते हैं यह सोचने लगते हैं कि अगर प्यार में जरा भी कमी

आदी तो वे अपनी ही नजर में दोषी सिद्ध होने लगेंगे। कैसी भी माँ हो, और कैसा भी पिता हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके मन में बच्चे के लिए उपेक्षा या क्रोध का भाव कभी आये ही न। कभी कभी अच्छा होता है कि अवस्था देख कर बच्चे के सामने अपना असली भाव स्वीकार कर लिया जाय और बच्चे को भी अपने मन की बात प्रकट करने दी जाय।

अगर बच्चा किसी कुत्ते से, गहरे पानी से या बस में चढ़ने से घबराता है तो माता पिता को तुरन्त भय मुक्ति का अभियान शुरू करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों का भय गच्चा धीरे धीरे स्वयं छोड़ देता है। अगर बच्चा माल मन्दिर या स्कूल में जाने की उम्र का है तो छोटे मोटे भयों के कारण उसे जाने से रोकना नहीं चाहिए। भय से रचाने के लिए बच्चे का रात के समय अपने पास सुलाना बिल्कुल गलत है। कोशिश यह होनी चाहिए कि बच्चा अलग सोये, लेकिन दूसरे तरीकों से उसे आश्वस्त रखा जाय।

बच्चे के लिए यह स्वाभाविक होता है कि वह माँ के पास अधिक से अधिक रहने की कोशिश करे इसलिए तरह-तरह के बहाने बना कर वह उसे अपने पास से अलग नहीं होने देना चाहता। अभी पेशान करके आया है, फिर कहता है—'पेशान करेंगे।' अभी पानी पिया है, फिर चिल्लाता है—'पानी-पानी।' यह क्रिया क्यों है? इसलिए कि उसकी कोशिश है कि माँ किसी न किसी बहाने पास बनी रहे। ऐसी स्थिति में माँ को क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि माँ प्यार से, लेकिन दृढ़ता के साथ बच्चे से कह दे—'तुम ने पानी पा लिया, पेशान कर लिया, अब आराम के साथ सो जाओ।' और यह कहकर कमरा छोड़ दे। बने जरा भी भय या चिन्ता नहीं प्रकट करने चाहिए। ऐसा करने पर अगर बच्चा थोड़ा रोता भी है तो रो होने देना चाहिए। रोकर वह सींग लेगा कि बेवकूफी करने से प्यार नहीं मिलता। कभी कभी दो साल का बच्चा बार बार बिस्तर पर उठ खड़ा होता है और माँ को अपनी बाल लंगोठों से मुलापे में रगता है। पछी हालत में उसे

समझा बुझाकर मसहरी के अन्दर रग देना अच्छा होता है। यह सोचना कि ऐसे छोटे बच्चे को क्या समझाया जाय, गलत है। समझाने का असर होता ही है और समझाने का धैर्य माता पिता में होना ही चाहिए, लेकिन अगर बच्चा सचमुच बहुत डरा हुआ हो तो यह उपाय सही नहीं साबित होगा। ३ साल के बच्चों को कभी कभी धिरो हुई जगहों का नडा भय होता है, इसलिए उनके लिए इस उपाय का प्रयोग जहाँ तक हो सके, न किया जाय। कभी कभी दूसरे माई या बहन को बगल में चारपाई डालकर सुलाने से समस्या हल हो जाती है।

२ से ३ साल के बीच अकसर बच्चे में एक बात बहुत दिखायी देती है। बात नयी नहीं है, पुरानी है, लेकिन उसके नये रूप प्रकट होते रहते हैं। अकसर एक साल का बच्चा अपनी माँ की रात काटता है। दवाई साल का बच्चा माँ की बात तो काटता ही है, अपनी बात भी काटता है। ऐसा लगता है जैसे वह निर्णय ही न कर पा रहा हो। एक ही काम को कभी इस तरह करता है, कभी दूसरी तरह। हर काम अपने ढंग से करना चाहता है, हर चीज अपने ढंग से रखना चाहता है, और अगर किसी ने जरा भी छेड़ छाड़ की तो नाराज हो जाता है। बात यह है कि २ ३ साल के बीच बच्चे का स्वभाव उसे स्वतन्त्र निर्णय शक्ति विकसित करने की दिशा में प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में अगर माता पिता जरा दुर्बल जमाने वाले हुए तो बच्चा तरह तरह के तनावों का शिकार हो जाता है। यही बात ६ से ९ साल के बच्चों के साथ होती है जब वह माता पिता की निर्भरता छोड़ने के लिए उतावला हो जाता है।

२ से ३ की अवस्था कठिन होती है। कठिनार्थ का एक ही उपाय है—धैर्य। इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की क्रियाओं में कम से कम छेड़छाड़ की जाय। बच्चा अपने आप फरफड़ा पहनना चाहेगा, अपने आप बूद बूद कर नहाना चाहेगा, अपने आर साना चाहेगा आदि। उसे ऐसा करने देना चाहिए। सोने के समय या वही

( भाग छठ ४३७ पर )

# हालैंड

की

## प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली

डा० तारकेरवर प्रसाद सिंह

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सम्पत्ति है। इसकी उन्नति से ही देश, जाति तथा समाज की उन्नति सम्भव है, इसलिए प्रत्येक देश की सरकार का सर्व प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने यहाँ की शिक्षा-व्यवस्था की ओर ध्यान दे, उसे सुदृढ़, व्यावहारिक एवं विकासशील रूप देने का सतत प्रयास करे। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की अपनी अलग अलग विशेषताएँ होती हैं और उसकी उन्नति तथा अवनति में वहाँ की सरकार का पूरा पूरा हाथ रहता है।

हालैंड में दो प्रकार के प्रारम्भिक विद्यालय होते हैं। प्रथम प्रकार के वे हैं, जिनका निर्माण जनता द्वारा होता है, और दूसरे प्रकार के अन्तर्गत वे विद्यालय आते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्मित होते हैं। इन दोनों प्रकार के विद्यालयों में आपस का सम्बन्ध भी होता है। वह पारस्परिक सम्बन्ध कई क्षेत्रों में अन्य देशों से भिन्न है।

शिक्षण की स्वतन्त्रता

जनता के विद्यालयों की शिक्षा-व्यवस्था सरकार या नगरपालिका प्रशासन द्वारा होती है। दूसरे प्रकार

के निजी शिक्षा विद्यालयों की व्यवस्था व्यक्तिगत सस्थाओं तथा सम्प्रदायों द्वारा की जाती है। इस तरह शिक्षा सम्बन्धी समुदाय तथा सस्थाएँ धार्मिक या धर्म निरपेक्ष दोनों प्रकार की हो सकती हैं।

इस प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था तथा उपयुक्त विद्या केन्द्रों द्वारा शिक्षा के प्रसार से नैतिकता के विकास में भरपूर योग मिलता है। माता पिता का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वे जिस तरह चाहें अपने बालकों को शिक्षित करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त दो प्रकार के प्रारम्भिक विद्यालयों की व्यवस्था की गयी है। उन विद्यालयों द्वारा बालकों की प्रतिभा का अपेक्षित बहुमुखी विकास होता है।

व्यक्तिगत शिक्षण सस्थाओं को भी आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन दोनों प्रकार के विद्यालयों में किसी भी प्रकार का सवर्ष न हो और उनमें सन्तुलन बना रहे, ऐसी व्यवस्था रहता है। उनका सन्तुलन एक प्रकार से उनका मेरुदण्ड होता है।

व्यक्तिगत शिक्षा से जनता द्वारा निर्मित विद्यालयों की स्थिति में भिन्नता होती है। सविधान के

अनुसार जनता की निर्मित शिक्षा प्रणाली कानून द्वारा नियन्त्रित की जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा की अर्थ व्यवस्था का भार सरकार या नगरपालिका पर रहता है। कानून की ओर से ऐसा प्रतिबन्ध और प्रबन्ध रहता है कि दोनों प्रकार की शिक्षा प्रणालियाँ सुचारु रूप से अपना आर्थिक प्रबन्ध चला सकती हैं। इसमें शर्तें रहती हैं कि किस प्रकार अर्थ-व्यवस्था दी जायगी। जब ऐसी शर्तें बनायी जाती हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि व्यक्तिगत शिक्षा के व्यवस्थापकों को व्यक्तिगत शिक्षा के निर्देशन की पूरी स्वतन्त्रता रहे। इस प्रकार की स्वतन्त्रता का प्रयोग शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षकों की नियुक्ति में किया जाता है। इस प्रकार यहाँ के सुविधान में शिक्षा की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गयी है।

### पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में ८० प्रतिशत विद्यालयों को हार्लैंड में व्यक्तिगत सस्थाएँ चलाती हैं। साधारण प्राथमिक शिक्षा में यह उपयुक्त सस्थाएँ ७० प्रतिशत विद्यालयों का सञ्चालन करता हैं। वहाँ प्राथमिक उच्चतर शिक्षा ६० प्रतिशत तथा वैसिक, सैकड़े ९० हैं।

हार्लैंड की शिक्षा प्रणाली में स्वतन्त्रता होने से वहाँ विभिन्न प्रकार के विद्यालयों तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षा-मदतियों का विकास हुआ है। इससे शिक्षा के बहुमुखी विकास में योग मिला है। शिक्षा अधिकारियों को पूर्ण स्वतन्त्रता है। यहाँ कोई भी ऐसा केन्द्रभंग प्रयासक या अधिकारी नहीं, जो विद्यार्थियों को नियन्त्रित करे तथा उनके कार्य-कलापों पर नियन्त्रण रखे। विद्यालयों की प्रकाशादीय समितियों को अंशम अधिकार दिये गये हैं। शिक्षा मन्त्री तथा उस विभाग के अधिकारी यहाँ के जनता विद्यालयों में पर्याप्त हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन निजी शिक्षा प्रणाली में अधिकारी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। केवल अधिकारी इस पर दृष्टि रखते हैं कि निजी शिक्षा व्यवस्था में अर्थ-व्यवस्था की शर्तें मानी आ रही हैं या नहीं। अधिकारी अपनी राय देते हैं, निजी शिक्षा विधि के संरक्षकों को इस बात

की पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वे उनकी मन्त्रणा या वाद को मानें या नहीं मानें।

जब शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्णय होता है तो जिन विद्यालयों को आर्थिक अनुदान मिलता है उनके लिए एक नियम यह होता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण विद्यालय की प्रशासन समिति करे।

निधान के अनुसार जनता के विद्यालय सभी प्रकार की धार्मिक भावनाओं तथा विश्वासों की प्रतिष्ठा करते हैं। इससे बालकों की बहुमुखी उन्नति में पर्याप्त योग मिलता है। सभी बच्चों के अभिभावक यह चाहते हैं कि उनको धार्मिक शिक्षा भी मिले। इसके लिए प्रयत्न भी करना होता है। जहाँ तक व्यक्तिगत विद्यालय हैं वे भी धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध जैसा चाहते हैं, करते हैं।

नीदरलैंड्स में साठेसात तथा साठेचौदह वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है और निशुल्क भी। इस प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था होने से प्रत्येक साठेचौदह वर्ष का बालक सरकारी अनुदान पर शिक्षित होकर राष्ट्र की उन्नति में पर्याप्त योग देता है। वहाँ वाले ऐसी आशा करते हैं कि उपयुक्त शिक्षा की अवधि और बढ़ा दी जायगी।

प्रायः बच्चे अपनी शिक्षा छठे वर्ष की अवस्था से शुरू करते १२ वें वर्ष तक समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद व उससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्रामर स्कूल ( ग्रीक और लैटिन की शिक्षा देने वाला विद्यालय ) में प्रवेश पाते हैं। इन स्कूलों के अलावा वे ग्रामर स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण विद्यालयों, प्रगतिशील वैसिक विद्यालयों, औद्योगिक विद्यालयों, दृष्टि विद्यालयों में या एगमोलशास्त्र के विद्यालयों में जहाँ चाहे प्रवेश करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में बालक वैसिक विद्यालयों में ही शिक्षा का सातवाँ या आठवाँ वर्ष बिता देते हैं। ६० प्रतिशत बच्चों को वैसिक स्कूल के प्रथम वर्गों में प्रवेश मिलता है। वे क्रमिक कक्षाओं को समाप्त किये बिना भी छठी कक्षा में पहुँच जाते हैं। ८ से १५ वर्ष के बीच की उम्र वाले लगभग १५ प्रतिशत बालक छठी से निचली कक्षा तक ही पढ़ कर स्कूल छोड़ देते हैं।

निम्न प्रकार के बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित रहते हैं—

१ जो सदा श्यामी रूप से एक स्थान पर निवास नहीं करते,

२ विद्यालय दूर होने के कारण जिन बच्चों के अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते और

३ जो लिखित डाक्टरी जाँच के अनुसार विद्यालय जाने में असमर्थ हैं ।

### बच्चों का विद्यालय

उसमें चार वर्ष की अवस्था से ७ वर्ष की अवस्था तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है किन्तु यह अनिवार्य नहीं है । कभी कभी डाक्टर के प्रमाणित करने पर बच्चों को ८ वर्ष तक वहाँ रहने दिया जाता है । इसके लिए १९५६ के पूर्व कोई आर्थिक अनुदान प्राप्य नहीं था । इस पर भी इस प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था ने पर्याप्त उन्नति की है । १९५९ की जनवरी में ३,७२,७९५ बच्चे, जो कि ५ वर्ष की अवस्था वाले कुल बच्चों का ७० प्रतिशत थे, उपयुक्त विद्यालयों में प्रवेश करते थे । माता पिता को अपने बच्चों की इस प्रकार की शिक्षा के लिए छात्र भें १८ गिल्टर ( १ गिल्टर = फ्रीड १ रु० ३२ न० पै० ) देना पड़ता है । जिन की आय कम है उन्हें विद्यालय का शुल्क नहीं देना पड़ता । जहाँ एक ही परिवार से दो या अधिक बच्चे जाते हैं तब उनकी फीस में कमी कर दी जाती है ।

जनता-बाल विद्यालयों में बाबकों तथा शिक्षकों में वह घनिष्ठ सम्पर्क नहीं होता, जो उन व्यक्तिगत बाल विद्यालयों के बच्चों और शिक्षकों में होता है,

जाने के समय उससे प्यार की बातें कहनी चाहिए, ताकि वह मचले न, ज़िद न करे । जहाँ तक हो सके, उससे डुबड़त की नौबत न आने दी जाय ।

इस सम्बन्ध में एक अन्तिम बात यह है कि जब कभी बच्चा यह देखता है कि माता और पिता दोनों मिलकर उस अकेले को डाँट रहे हैं, या उसकी किसी

जोकि भिन्न भिन्न प्रकार की सस्थाओं तथा समितियों द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए जनता के हर विद्यालय में अपनी, अभिभावकों की एकसमिति होती है, जो विद्यालय के सम्बन्ध में नगरपालिका के सदस्यों तथा नगरपालिका की प्रगन्ध समिति से परामर्श तथा विचार विनिमय करता है । यदि नगरपालिका में एक से अधिक अभिभावकों की समिति है तो वह अभिमानक समितियाँ एक 'अभिभावक सभा' भी बना सकती हैं ।

जहाँ भी एक प्रमुख न्यूनतम सत्या में बच्चे आ सकते हैं, वहाँ बच्चों का विद्यालय प्रारम्भ किया जा सकता है । ऐसी नगरपालिकाओं में जिनकी सत्या एक लाख से अधिक है वहाँ एक स्थान में बच्चों का विद्यालय तभी खोला जा सकता है, जबकि कम से कम ७० बच्चे वहाँ नित्य प्रति आने वाले हों । जहाँ की जनसत्या ५० हजार से ऊपर है और एक लाख से नीचे है, वहाँ बच्चों की सत्या स्कूल आने के लिए ६० हो । छोटी नगरपालिका में यह सत्या ३० है । विशेष परिस्थितियों में यह सत्या कम भी की जा सकती है, पर किसी भी अवस्था में २० से कम बच्चों के लिए बाल विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकती ।

१९५६ से बच्चों के विद्यालय के लिए सभी राज्च राज्यकोष से प्राप्त होता है । १९५७ में बच्चों के विद्यालय पर कुल व्यय ८ करोड़ ८० लाख गिल्टर था । इस में सरकार ने ८ करोड़ ५० लाख गिल्टर राज्च किये तथा नगरपालिकाओं ने बाकी ३० लाख गिल्टर ।

( अपूर्ण )

✱

### ( श्रुत ४३४ का शेषार्थ )

क्रिया में बाधा डाल रहे हैं तो वह भयभात हो जाता है । पिता को एसी स्थिति में अपने ऊपर अक्रुश रचना चाहिए । माता पिता को बहुत धैर्य पूर्वक बच्चे में यह प्रतीति जगानी चाहिए कि वे दोनों एक हैं, अटूट प्रेम-सूत्र में बंधे हुए हैं, और उसे दोनों का प्रेम और संरक्षण समान रूप से प्राप्त है ।

✱

## एक कार्यकर्ता मित्र का प्रश्न

श्री राममूर्ति

उत्तर—किसी विचार या योजना के सम्बन्ध में गाँव में रहनेवाली जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसे आँकने समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाँव में एक ही सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक स्तर के लोग नहीं रहते। किसी प्रश्न पर विभिन्न स्तर के लोगों की समान प्रतिक्रिया नहीं होती। और, यह भी नहीं है कि एक बार जो प्रतिक्रिया हो गयी वह बराबर बनी रहती है। इसके कारण अनेक हैं लेकिन यह वस्तुस्थिति है। इस दृष्टि से पहिले यह सोचना पड़ेगा कि जो 'सामान्य मनुष्य' आपके सामने है वह किस समुदाय—जाति वर्ग, धर्म, लिंग आदि—और किस सामाजिक आर्थिक स्तर का है।

मजदूर सोचता है कि विकास की ओर से स्कूल, सड़क, पुल आदि बनाने या खर्चजा देने के कुछ ऐसे काम होते हैं, जिनमें उसे मजदूरी के लिए काम मिल जाता है आदिवासी प्रायः कुछ सोचता ही नहीं साधारण किसान बीज, खाद आदि से आगे नहीं जाता बड़े किसान का दिमाग खेतों के व्यापारिक पद्धत तक जाता है दस्तकार देखता है कि विकास की ओर से अधिक से अधिक कोआपरेटिव सोसाइटी बन जाती है, इसके आगे शायद और कुछ नहीं। इस तरह हर एक अपनी अपनी भूमिका से देखता है। विकास के कामों में शुरु में ज्यादा धोर निर्माण पर था, अब कुछ अधिक ध्यान उत्पादन की ओर गया है।

प्रश्न—क्या यह सही है कि गाँव में रहनेवाला सामान्य मनुष्य सामुदायिक विकास (कम्युनिटी डेवलपमेंट) का इतना ही अर्थ लगाता है कि इसके जरिये उसे कुछ शहरी सुविधाएँ प्राप्त होंगी? यदि हाँ, तो उसका ऐसा सोचना कहाँ तक ठीक है?

गाँव के गरीब दिमाग में यह बात घुस गयी है कि मुल, सपाइ, सुविधा शहर के जीवन के लक्षण हैं, गाँव में तो गरीबी है, गन्दगी है, असुविधा है। कभी एक दिन गाँव की एक ओख रचनात्मक कार्य के एक केन्द्र में लिपाइ कर रही थी। उसकी लिपाइ देखकर एक कार्यकर्ता ने कहा—“देहा मेदा क्यों लीपती हो, सीधा क्यों नहीं लीपती?” मैं सुन रहा था। उस औरत ने तुरन्त उत्तर दिया—“बाबू, हम शहरी ढंग नहीं जानित”। उसके इन बेरसी भरे शब्दों में उसकी मनोभूमिका प्रकट हो जाती है। इसके अलावा गाँव वाला देखता है कि गाँव के जिन लोगों को विकास से लाभ पहुँचता है उनके घरों में कुछ शहरी प्रसाधन पहुँचते हैं, और उनका रहन सहन शहरी होने लगता है। आप साँचें, विकास 'सामुदायिक' है, इसका क्या लक्षण गाँववाला देखता है? क्या वह देखता है कि पूरे ग्रामसमुदाय का विकास हो रहा है? क्या हमारा विकास योजनार्थ गाँव के निचले वर्गों को छूती है? बावजूद इतने वर्षों के विकास कार्यों के समाज में सामाजिक सम्बन्ध जैसे थे उसी तरह हैं। जो मालिक था वह मालिक है, जो मजदूर था वह मजदूर है। सामाजिक सीढ़ी पर जो ऊपर बैठा हुआ था वह ऊपर है, जो नीचे था वह नीचे है। दुर्भाग्य यह है कि सामुदायिक विकास में न प्रथम सामुदायिक है, न परिणाम सामुदायिक है।

किसी विकास-योजना को सामुदायिक बनाने के लिए सत्ता और सम्पत्ति का प्रश्न उठाना ही पड़ेगा। सत्ता में सत्ताका स्थान हा, सम्पत्ति में सत्ताकी अवसर हो, जनतक यह नहीं होगा तरतक जाति, सम्पत्ति और सांस्कृतिक स्तर के भेद किसी चीज को सामुदायिक होने नहीं देंगे। विनोबा टाक ही कहते हैं कि जब समुदाय ही नहीं है तो सामुदायिक विकास कैसा ? इसलिए प्रामदान प्रामस्वरुप विनोबा के दिमाग का फिन्स नहीं है, भारत-जैसे अतिक्रिस्त देशों की रोटी और स्वतन्त्रता क लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। क्या सामुदायिक विकास, समस्या के इस उनियादी पहलू को छोड़ नहीं देता ? अगर हाँ, तो क्या आश्चर्य कि गाँव का सामान्य आदमी विकास को भी शहरी सरकार, शहरी बाजार और शहरी शिक्षा प्राप्त लोगों द्वारा चलता हुआ गारलषभा समझता है। इसके विपरीत सरकार यह मानकर चलती है कि समुदाय तो है हा, केवल उसका विकास करना है। यह भयकर भ्रम है। यही कारण है कि भावना के पूर्ण जमाव में सहकार के नाम में चलनेवाले कार्यक्रम, जैसे पचायत तथा खेती और उद्योग के क्षेत्र में सहकारी समितियों का सगठन आदि, असफल हो रहे हैं। यह सत्र देखते हुए अत्र हमें निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हमारे देश में विकास का मूल प्रश्न क्या है। हमारी समझ में वह मूल प्रश्न यह है कि अलग अलग लाखों

गावों और शहरों में 'जन-सत्या' को 'जन मुदाय' कैसे बनाया जाय। एकता (इन्टीग्रेशन) की इस प्रक्रिया में से सामुदायिक विकास को सामुदायिक शक्ति प्रकट होगी। यह व्यापक पैमाने पर लोक शिक्षण की एक छ्म प्रक्रिया ही हा सकता है, लेकिन यह शिक्षण प्रक्रिया तब सफल होगा जब साथ-साथ सत्ता और सम्पत्ति का फौलादी पत्रा हटे तथा सरकार और बाजार दोनों दमन और शोषण का रास्ता छोड़कर त्रोकहित के पापग और और सरक्षण में प्रवृत्त हो।

अतः में विज्ञान और लोकतन्त्र की भूमिका में सामुदायिक विकास का प्रश्न केन्द्रित सकार शक्ति के स्थान पर सामुदायिक लोकशक्ति के विकास का प्रश्न बन जाता है अथवा सामुदायिक विकास का यह नारा भी विषमतापूर्ण समाज में प्रिधिग तत्त्वों का कल्याणवाद ( बेलफेयरिज्म ) होकर रह जायगा, और इक कल्याणवाद से समुदाय का वास्तविक विकास न होकर सरकार और उसके साथ चलनेवाला दमन और शोषण की ही शक्तियों का विकास होगा। पिछले वर्षों में उच्च मध्यम वर्ग क मुन्नाविठे छाटे किसान, श्रमिक और उत्पादक का क्या हाल हुआ है ? निश्चित ही एक के विकास और दूसरे के हास को सामुदायिक विकास नहीं कहेंगे। हमारा विकास 'साम्य' के तत्त्व से रहित है एसी विकास नीति से सहकारी समाज का विकास कैसे होगा ?





## तीन चुनौतियाँ

में 'टैंकडही' गाँव गया। वहाँ के युवक सच के समापति से मिला। उनसे मैंने अपने दो महीने के काम का अनुभव बताया। गाँव में कितने चरखे चलते हैं, कितनी कसिनें हैं और कितना सूत होता है आदि। समापतिजी की मदद से आज फिर उनके साथ घर घर घूम। विवाह के कारण कइयों के घर में सूत पड़ा हुआ था। 'बीट' पर सूत ले जानेवाला कोई नहीं है। चरखे बन्द होने के और कई कारण बताये गये। उनकी सारी कठिनाइयाँ दूर की जायँ, ताकि मैं फिर से चलाये जायँ, ऐसा आश्वासन मैंने दिया और गाँव को ज्वादा समय देने का निश्चय कर लिया।

तब से मैं प्रतिदिन करीब दो बजे गाँव में जाता हूँ। मुझे अधिक लोग सोये या ताश खेलते मिलते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं—“आप इतनी धूप में क्यों घूमते हैं?” मैं कहता हूँ—“आप लोगों से बात करने आ जाता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि कहीं किसी दोष के कारण कोई चरखा बन्द तो नहीं पड़ा है।”

प्रत्येक रविवार को गाँव की सफाई होती है। जिस रविवार को मैं किसी कारण वश नहीं जा पाता उस रोज सफाई नहीं होती है।

इधर कुछ दिनों से मैं भूदान के काम में लगा था। इस गाँव वालों के पास अपनी जमीन बहुत कम है। सब दूसरे गाँव की बटाई करते हैं। ब्राह्मण जाति के लोग इस गाँव में रहते हैं परन्तु अपना पशा खेती बताते हैं, हालाँकि यजमानी खस चलती है।

यह छोटा सा गाँव २५ घरों का है। इसमें तीन घर कुम्हारों के हैं, जो अपना धंधा आज भी करते हैं, गाँववाले उन्नत किस्म की खेती करना चाहते हैं। पास पड़ोश में गत वर्ष की जापानी दग से की गयी धान खेती का अच्छा असर पड़ा है।

दूसरा गाँव 'गाद्री बुकार' है। इसमें भी कुछ काम हुआ है। सम्पर्क अच्छा है। शाम को गाँव के बच्चे इकट्ठा होते हैं और उन्हें खेल खेलाता हूँ। यह क्रम कभी कभी ही टूट पाता है।

इस इलाके में सबसे अच्छा गुड़ इसी गाँव में बनता है। जब गुड़ की चर्चा करता हूँ तो शररत जरूर मिलता है। गाँववाले कहते हैं—“हम आपसे चरखे की नहीं, खेती की बात सुनना चाहते हैं।”

यहाँ कुछ फर्पोस्टपिट बने हैं। और बनेंगे। गन्ने में दीमक न लगे, दूसरे नये कीड़े न लगें, अच्छी खाद मिश्रें आदि कुछ एसी चीजें हैं, जिनके लिए वे हमसे अपेक्षा रखते हैं।

चूँकि यहाँ की मुख्य फसल गन्ना है, इसलिए इन्हें इसी को बचाने की चिन्ता रहती है। नये दग से गन्ने की खेती करने की तैयारी है। यहाँ ग्रामीणोगी चानी का उद्योग अच्छा चलेगा।

इस गाँव की महिलाएँ चरखा परीक्षना चाहती हैं लेकिन कहती हैं—“पैसा बाद में देंगे।”

तीसरा गाँव 'पुराना बुकार' है। इसमें तीन पार्टियाँ हैं। गाँव के बड़े आदमी पार्टी के नेता बने हुए हैं। एक भाई बी० ए० पास हैं। वह भी एक पार्टी के नेता हैं। मैं तो सब पार्टीवालों से समानरूप से मिलता हूँ। परन्तु इस बात का ध्यान रखता हूँ कि किसी विशेष पार्टीवालों के साथ ज्यादा उठना बैठना न हो जाय। जब कभी पार्टियों के मेल की बात करता हूँ तो वे मुझे नेता कहने लगते हैं और कहते हैं कि आप क्या, नेहरूजी भी आयें तो मेल होना सम्भव नहीं है। यह सुनकर मुझे चुप हो जाना पड़ता है।

महिलाएँ अपने पुरुषों की ही पार्टी में घूमती हैं और बच्चे भी उसी पार्टीवालों के बच्चों के साथ खेलते हैं।



## नेतृत्व की शिक्षा

श्री ति न आत्रेय

समाज में हमेशा नेतृत्व की आवश्यकता रही है, आगे भी रहेगी—इसमें कभी दो राय नहीं रही है, लेकिन नेतृत्व के स्वरूप को लेकर कारी चर्चा हुई है। नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए और उसे किस प्रकार के नेतृत्व की शिक्षा मिलनी चाहिए—यह चर्चा का निपण रहा है।

भारत में अब महत्त्व करने लगा है कि ग्राम नेतृत्व का निकसित किये बिना राष्ट्र का सही विकास नहीं होगा। लगभग १५ सौ साल पहले प्लेटो ने इससे मिलती-जुलती बात कही थी। प्लेटो कोई लोकतन्त्र का समर्थक नहीं था, पर उसने देखा कि एक ओर सामान्य जनता में इतनी अज्ञान नहीं है, न नैतिक शक्ति ही है कि वह समाज का संचालन कर सके, दूसरी ओर सत्ताधारी इतने लुब्ध और भ्रष्ट हैं, आपस में ही इतने लड़ते-झगड़ते हैं कि राष्ट्र का संचालन ठीक नहीं हो पाता, इसलिए उसने सुझाया था कि समाज का सर्व-साधारण लोगों में से कुछ लोगों को चुनकर उन्हें सन्तुलित शिक्षा देकर नेतृत्व के लिए तैयार किया जाय, ताकि शिक्षा पूरी होने के बाद राष्ट्र संचालन का सारी प्रक्रिया को वे ठीक समझ सकें, उसके अनुसार शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकें और इस प्रकार राष्ट्र की एकता और स्थिरता बनाये रख सकें। इंग्लैण्ड में भी इस प्रकार का प्रयत्न हुआ है कि सामान्य वर्ग के लोगों से कुछ प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को चुनकर शासन चक्र संभालने योग्य शिक्षा दी जाय।

समान ऐसा हो, जहाँ योग्य समय पर, योग्य काम के लिए, योग्य व्यक्ति मिल सकें; यानी यह नेता का प्रश्न नहीं है, व्यक्तिमान के अन्दर अधिक मात्रा में योग्यता और चरित्र निर्माण करने का प्रश्न है, जो हर एक स्थिति में जमाने की माँग की पूर्ति कर सके।

नेतृत्व आवश्यक क्यों ?

इन दिनों सघार भर में 'नेतृत्व' बहुत प्रतिष्ठित नहीं रहा। लोग नेतृत्व की कल्पना से चॉरते हैं। इसके मुख्य तीन कारण हैं। पहला कारण यह कि एक लम्बे अरसे से नेतृत्व का उपयोग वानासाही में ही अधिभूत हुआ है इसलिए सामान्य भक्ति के मन में 'नेतृत्व' शब्द ही सटकने लगा है। दूसरा कारण यह कि गत दो त न शतकों में लोकतन्त्र का विचार जोर पकड़ता आया है, जिसमें व्यक्ति स्वातन्त्र्य और व्यक्तिगत अधिकारों का बिनाप समर्थन किया गया है, इसलिए सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर किसी दूसरे का अतुल्य शक्ति करने की स्थिति में नहीं है। तीसरा कारण यह है कि इन दिनों सबको समान देखने का दृष्टि सर्वत्र विकसित हुई है। व्यक्ति विशेष की विशिष्टता पर भरोसा नहीं रहा है और इसलिए सबको खींच-तानकर एक स्तर में बैठाने की कोशिश चली है।

लेकिन, जैसे किसी ने कहा है—नेतृत्व के प्रति यह जो चिढ़ दिखाई देती है यही इस बात का समर्थन है कि आज सही नेतृत्व की निदान्त आवश्यकता है, क्योंकि आज सम्पत्ता बहुत जटिल हो गयी है इस युग में सत्ताधारी में बहुत ऊँचे दर्जों की क्षमता की जरूरत है। एक तो इसलिए कि उनका सामने जो अक्षर्य और विविध प्रश्न खड होते हैं उन्हें सहा-सही समझने की शक्ति उनमें होनी चाहिए, दूसरा इसलिए कि वे किसी भी प्रश्न पर जो भी निर्णय

लेंगे उससे परिणाम बहुत दूरगामी होनेवाले हैं। आज विज्ञान और टेक्नालोजी के विकास के कारण लोगों में जो भौतिकता का माहा विरोध प्रभावशाली होता जा रहा है, उसको ठीक नियन्त्रित करने के लिए उच्च नैतिक नेतृत्व की नितांत आवश्यकता है। एक शिक्षाशास्त्री का कहना है कि आज की इस बढ़ती हुई भौतिकता का एकमात्र इलाज यही है कि समाज में कुछ लोग ऐसे रहें, जो अपने सद्गुणों और नैतिक मूल्यों के बल पर समाज के अधिकांश लोगों के मन में उन नैतिक जीवन के प्रति श्रद्धा जगा सकें।

लोकतन्त्र में सही नेता कौन ?

लेकिन, ये नेता कैसे हों ? इस प्रश्न का उत्तर बहुत महत्व का है। नेता तानाशाही दग का न हो, इतना तो निश्चित ही है क्योंकि दूसरों के साथ तानाशाही वाले नेता का सम्बन्ध डराने भ्रमकाने का ही होता है और यह प्रक्रिया लोकतन्त्र के विलकुल विरुद्ध है। जबकि लोकतन्त्र कुलीनता तक को, वह चाहे हित चिन्तक ही क्यों न हो, बरदाश्त नहीं करता तब व्यक्ति को व्यक्ति के नाते समान अवसर दिलाने से वंचित करने वाले अधिसत्तावादी नेता को वह कैसे पसंद करे ! 'सत्ता चलाना' और 'शक्ति जगाना' ये दो अलग अलग काम हैं। सत्ता चरानेवाला नेता दूसरों में विघ्नता पैदा करता है और शक्ति जगाने वाला नेता दूसरों को आदेश देने के बदले परिस्थिति से आदेश ग्रहण करता है। परिस्थिति का अध्ययन करने तथा आगे के काम के सयोग में वह सभी साधनों का सहयोग प्राप्त करता है। इस प्रकार शक्ति जगाने वाला नेता लोकतन्त्र का सही नेता है और यही नेतृत्व आज आवश्यक है।

नेता और शिक्षक में अन्तर

एक विचारक ने तो नेता और शिक्षक के बीच अन्तर ही मान लिया है। वह कहता है—लोकतन्त्र-प्रीय नेता और अच्छे शिक्षक में कई गुण समान होने हैं। जैसे—वह व्यर्थ ही किसी पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाता डिक्टेटर की तरह किसी पर कोई चीज नहीं लादता, या किसी परिवर्तन को नहीं रोकता।

वह सहयोग का स्वागत करता है, किसी भी प्रकार के मतभेद या असहमति से डरता नहीं, धीरज के साथ सब सहता है। मतभेदों को हमेशा किसी न किसी नये समझौते की ओर मोड़ने का ही वह प्रयत्न करता है। वह विवेक और समझदारी से लोगों को अपने साथ ले चलता है, शासन या दबाव से नहीं। वह सत्ता के लिए आकांक्षी नहीं होता बल्कि जो सत्ता उसके हाथ में सहज आ जाये उसका सबसे हित में ही उपयोग करता है। सबसे बड़ी विशेषता उसकी यह है कि वह जिन्का नेता है उन लोगों के विचारों और आदर्शों को प्रथम देते हुए उनका साथ निकटता बनाये रखता है और उनके लक्ष्यों का आदर ही करता है। उस समाज के साथ उस नेता का सम्बन्ध श्रद्धा भेरी का होता है, जिसमें भय का लक्ष्य शेष भी नहीं रहता।

नेता की परख

लार्ड जेम्स एक विख्यात शिक्षाशास्त्री हैं। उनके अनुसार नेता में श्रेष्ठ प्रज्ञा होनी चाहिए, समन्वय, धीरज, निर्णयशक्ति, दृढ़ता, कार्यकुशलता, सहिष्णुता आदि नैतिक तथा भावनात्मक गुण होने चाहिए, बड़े पैमाने पर सहानुभूति होनी चाहिए, व्यक्तिगत मूल्यों का सही निरीक्षण करने की शक्ति होनी चाहिए, और अत्यंत विनम्रता होनी चाहिए क्योंकि नेताओं में अकस्मर सत्ता लोभ का जो रोग होता है उसे दूर करने का रामबाण औषध यही है।

प्लेटो तथा अन्य विचारकों ने भी लगभग इसी प्रकार की अपेक्षा नेता के सम्बन्ध में व्यक्त की है।

सर्व सुलभ नेतृत्व

लेकिन, इससे भिन्न एक विचार और है। उपर्युक्त विचार में और सामान्यतया 'नेतृत्व की शिक्षा' के नाम से ही सहज रूप से यह कल्पना आती है कि जिस व्यक्ति को नेतृत्व की शिक्षा दी गयी है उसे किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व ही करना होगा लेकिन यह गलत धारणा है। समाज में किसी भी व्यक्ति का स्थान हमेशा एक-सा नहीं रहना चाहिए। वास्तव में अल्प अल्प प्रसंगों में व्यक्ति का अलग अलग स्थान

और मान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कोई प्रोफेसर पदार्थ के समय छात्रों का मार्गदर्शन जरूर करेगा पर वही जब खेल के मैदान में आता है तो वहाँ खेल के मुनियता क नेतृत्व को मान्यता देगा। कोई पुरा तत्ववेत्ता अपने घर की गाय के बारे में मामूली किसान की हिदायतें मानने से इनकार नहीं करेगा। कोई बूढ़ा समाजशास्त्रा किसान नये समाजशास्त्र क युनक विद्वान का लोक समन्वी धारणाओं का आदर करने में हिचकिचायेगा नहीं।

सहा समाज तो वही है, जहाँ किसान मामले में पुनर्तनी अधिकार की कोई जड़ रेखा र्त्तीचा हुर नहीं होती बलिक वह अधिकार, प्रतिभा, क्षमता और निवेक का अनुसरण करके समर्दा अपना आधार बदलता रहता है। भारत की जन्मगत जातिप्रथा इस दृष्टि से पुनर्निवार करने योग्य हो जाता है। रूढ़ि से जो भा व्यक्ति जातिगत प्रतिष्ठा का पात्र रहा हो उसे भा इतना तो निवेक करना साधना होगा कि वह किस नियम म अधिकार पूर्णक थोड समता है और किस में नहीं क्योंकि ना व्यक्ति एक नियम म नता बन समता है उसक लिए यह आवश्यक नहीं कि दूसरे नियमों का भी नेतृत्व करने का क्षमता उसमे हा हा। यदि वह अनुमन करे कि अमुक काम उसकी जपत्ता अधिक सहा दग से दूसरा व्यक्ति कर समता है तो उस वहाँ आना नेतृत्व समेट लेना हागा और दूसरे सामा न लोगों से अपनी विद्वापता जताने का अभियन्क प्रदर्शित करने से बचना होगा।

### समाज का संचालक

साथ हा इस सन स भा इनकार नहीं किया ना करना कि समाज क नेतृत्व का काम सब के सब का नहीं है। कोई प्रोफेसर या इन्जिनियर चहे तो किसान के काम को उसस भा अन्धा सीप सकता है लेकिन एक किसान, निश्चयी बुद्धि मँजी हुई नहीं है, किसान भा प्रकार स उन विद्वानों का काम नहीं कर समता। दूसरे शब्दों मे कहना है तो पात यह है कि उद्योग न्यापार, राजनसति आदि शस्त्र नियमों का एक जगत है, जहाँ कुछ खास योग्यता की

आवश्यकता अनिवार्य है, जो सर्व-साधारण म नहीं पायी जाती। आज के युग में समाज की व्यवस्था का भार ऐसे ही विशिष्ट लोगों को लेना होगा क्योंकि देश-राजा नीति निर्धारण करना है समीधन कार्यों का संचालन करना है समस्याओं को जानना है, निर्णय लेना है-पानी सारे समाज का नेतृत्व करना है तो ऐसे ही लोग कर सकते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के शिक्षण की व्यवस्था अलग से करनी होगी ? अगर अलग से करना है तो कैसे और कहाँ !

### स्वतन्त्र व्यवस्था पर आक्षेप

यहुत विनादास्यद विषय यही है। इस सम्बन्ध में सब का मत एक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह की नेतृत्व की शिक्षा की धारणा ही मूलत गलत है क्योंकि नेतृत्व की शिक्षा लोकतन्त्रात्मक समाज का चाज नहीं है, वह नीकरशाही कलनना की उपज है क्योंकि यह सब उस समाज में चलता है, जो लोगों में बैदा हुआ हो और कुछ लोग आगे आगे चलनेवाले और दसके उसके पछे-पछे चलनेवाले होते हैं। इसके विपरात लोकतन्त्र में तो नेता बनाने का विचार ही गलत माना जाता है। अलग अलग विषयों के प्रतिभावान जिस काम को क्षमता मे निभा सकते हैं उस काम का नेतृत्व उनके पास अपने आप आ जाता है। अब सभी कामों म नेतृत्व करने के लिए खास चुने हुए व्यक्तियों को हमदा के लिए नियुक्त करना या उसके लिए तैयार करना ठीक नहीं है।

### आक्षेप पर आपत्ति

कुछ लोग कहते हैं कि यह सुझाव खतरों स भरा हुआ है क्योंकि लोग भले ही अमुक काम में सक्षम हों, दूर दक्ष हों, फिर भी वे अपनी उस क्षमता का उपयोग सहा सती कर पायेंगे ही, यह कोई निश्चित नहीं है। नेता में ना नम्रता चाहिए, लोकतन्त्र के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति की महानता को उसका पूरी महाराई के साथ पश्चानने की जो शकत चाहिए तथा सहानुभूत और धरन चाहिए, यह सारा प्रयेक सम्म व्यक्तित्व म होगा हा, इसका क्या भरोसा !

इसलिए नेतृत्व के लिए अत्यावश्यक धमता जिन लोगों में हो उन्हें चुनकर मामूली प्रशिक्षण देकर उनके हाथों में समान ऋ नेतृत्व सौंपना ही ठाक होगा।

### काम्ब्रेहेन्सियन स्कूल

नेतृत्व के सम्बन्ध में दो प्रकार का कल्पना रखने-वाले लोग स्कूल-कालेजों के सम्बन्ध में भी दो प्रकार की कल्पना प्रस्तुत करते हैं। नेतृत्व की स्वतन्त्र शिक्षा का निषेध करनेवाले लोग ऐसे स्कूल की सिकारिध करते हैं, जिसमें सभी विषयों की सिलाने की व्यवस्था (काम्ब्रेहेन्सियन) हो। कम से कम कुछ वर्षों तक तो यह सर्वतोमुखी शिक्षा प्रत्येक छात्र को मिले हा। उस स्थिति में विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतिभाओं का स्पष्ट दर्शन हो सकेगा, न केवल बौद्धिक क्षेत्र में बल्कि खेल कूद, संगीत, नाटक, परिभ्रम आदि सभी प्रवृत्तियों में वे अपनी अपनी धमता के अनुसार निपट आयेंगे। इसमें नेता के नाम से कोई अलग वर्ग का निर्माण नहीं होपा, वे कोई विशेष 'क्षेत्र' वाले हैं और इसलिए सर्व साधारण से कुछ ऊँचे हैं, एसी मानना भी अवसर नहीं मिलेगा। इस विपरीत लोकतन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे का पूरक बनने का मौका मिलेगा। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में दूसरों का अगुआ बनता है तो वही दूसरे क्षेत्र में दूसरे की अगुआई स्वीकार करके चलेगा। इस प्रकार नेतृत्व और अनुगमन समय समय पर बदलता रहेगा।

### विशिष्ट स्कूल

दूसरा पक्ष कहता है कि जिन बच्चों में कुछ विशेषता पाया जाता है उन्हें कम से कम सेवेगडरी स्कूल की शिक्षा तक अलग ही व्यवस्था करनी चाहिए वरना सर लड़क एक साथ रहेंगे तो दूसरे में द विद्यार्थियों के सम्पर्क में उनकी विशेषता कुण्ठित हो जाने का भय है। इन लोगों का कहना है कि उन विशेष लक्षणों को अगुा एक दर्जे तक बाहरी समाज के दूषित प्रभावों से भी बचाकर रखना चाहिए। पुराने जमाने में राजकुमारों और गृहपति के

बच्चों की पढ़ाई के लिए इसी प्रकार अलग शिक्षा का प्रयत्न हुआ करता था।

### निष्कर्ष

इन सब मत मतानुसारों के बावजूद कुछ सर्व सम्मत निष्कर्ष हम स्पष्ट देखते हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

पहली बात यह कि समाज जीवन के सभी पहलुओं में कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता सभी महसूस करते हैं, जो उच्च कोटि के गुणों से सम्पन्न हों। उच्च कोटि के वे गुण क्या हैं, यह प्रत्येक समाज को अपने समय के सामाजिक मूल्यों के अनुसार समय समय पर निर्धारित करना होगा। जो लागू सत्ता, राजनीति तथा शिक्षा-क्षेत्र में हैं उनके बारे में तो निश्चित ही यह अपेक्षा रहती है कि वे उच्च कोटि के लोग हों। एक बात जरूर है—उन सबको 'नेता' कहना बहुतां को खल सनता है और कुछ हद तक उस शब्द से गलत फहमी भी बढ़ सकती है क्योंकि 'नेता' शब्द से अकसर यही बोध होता है कि नेता तो कुछ ही लोग हो सकते हैं बाकी सबको उनके इशारे पर चलना पड़ता है। अतः उन्हें नेता कहने के बदले सेनक कहें, शिक्षक कहें कुछ भी कहें पर इतना जरूर है कि ऐसे कुछ लोगों की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह कि ऐसे लोगों के हाथ में जो अधिकार आवेगा उन्हें उस अधिकार का उपयोग लोकतांत्रिक जीवन को बनाये रखने में और वह भी उद्युक्त समाज में सामूहिक अधिकार और शक्ति जमाने में हा करना होगा।

तीसरी बात यह कि लोकतन्त्र का ही यह भी तर्का है कि नेताओं में उत्तरदायित्व, अभिक्रम नम्रता आदि जिन गुणों का होना अनिवार्य है उन सब गुणों का कुछ न कुछ विकास जन साधारण में भी हो ही। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति उन नेताओं के बराबर उतनी ऊँची स्थिति प्राप्त कर सकेगा कि नहीं, यह फर्क नहीं आ सकता फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से जिस ऊँचाई तक चढ़ सकता हो, वहाँ तक तो जरूर ही चढ़े, ऐसा अवसर उसे मिलना चाहिए।

( दोप पृष्ठ ४४८ पर )

## अनुशासन

श्री हरप्रसाद विद्यार्थी

अनुशासन एक स्वयम्बू वस्तु है, इसलिए इसे ऊपर से लादना सरासर अन्धगम्य है। यह बात सही है कि बालक को अनुशासन की आवश्यकता है किन्तु हम तो उस पर यह अनुशासन ऊपर से लादने का प्रयत्न करते हैं। हमें इस बात का विश्वास हो नहीं है कि बालक समय आने पर स्वयं ही अनुशासन को अपनायेगा। हम शिक्षक अनेक प्रकार के अनुभवों और विचित्र परिस्थितियों से गुजरे हैं। फलतः हम अनुशासन के महत्व को समझते हैं और इसलिए हम व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में अनुशासन को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, किन्तु हमारे अन्दर यह अनुभव अंधा तापैदा करता है और बालक को स्वानुभव के मार्ग पर जाने से रोकता है। भारी जीवन में जिस अनुशासन की अत्यन्त आवश्यकता होगी, उसको हम आज ही पैदा कर देने के लिए निकल पड़ते हैं, किन्तु जो वस्तु स्वयम्बू है, यानी स्वतः उत्पन्न होनेवाली है, वह दूसरों के द्वारा कैसे पैदा की जा सकती है? इस तरीके से तो अनुशासन ग्रहण करनेवाला और अनुशासन प्रदान करनेवाला दोनों ही शानि उठाते हैं, किन्तु वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में उक्त अवाञ्छनीय प्रयत्नों से ही काम लिया जाता दिखाई पड़ता है।

स्वभावगत प्रारम्भिक दशा में मनुष्य को अपनी वृत्ति के आवश्यक साधनों का ज्ञान नहीं होता और

जो स्वातन्त्र्य अनुशासन का पोषक नहीं, वह स्वातन्त्र्य नहीं। जो अनुशासन स्वातन्त्र्य का अपहरण करता है, वह अनुशासन नहीं। अनुशासन और स्वातन्त्र्य का सम्बन्ध बीज और वृक्ष जैसा है। बीज में से वृक्ष की उत्पत्ति होती है और वृक्ष बीज का जनक है। इसी प्रकार स्वातन्त्र्य में से अनुशासन की उत्पत्ति होती है और अनुशासन स्वातन्त्र्य का पोषक है।

इन साधनों के विवृत होने के कारण बालक या तो इनकी निन्दा करता है या इनको विवृत रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी गाल्यावस्था में उत्कृष्ट साधनों को बहुत कम और उनके विवृत रूप को अधिक अपनाता है, इसलिए शिक्षकों को इस बात पर अधीर नहीं हो जाना चाहिए कि प्राथमिक दशा में से गुजरता हुआ बालक उत्तम साधनों के विवृत रूप को स्वीकार कर लेता है। प्रारम्भिक दशा में बालक सदैव स्थूल साधनों का ही विचार करता है और उन्हीं को काम में लाता है। अतः ऐसी स्थिति में ये स्थूल साधन जितने अविवृत रह सकें, उतना ही श्रेयस्कर है।

बालक ज्यों ज्यों प्राथमिक स्थिति से गुजरता जाता है त्यों-त्यों ये स्थूल साधन विटल होते हैं और धीरे धीरे सूक्ष्म साधन उसके सामने आते जाते हैं। अतः प्रत्येक शिक्षक को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

यदि हम इस बीज को समझ लें तो उन्नति के सूक्ष्म साधनों को प्रस्तुत करने के लिए हम कभी आतुर न होंगे। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अनुशासन जितना सुन्दर साधन है उतना ही सूक्ष्म भी। प्राथमिक दशा से निकलते ही मनुष्य अनुशासन को अपने जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार

करता ही है। यह स्वीकृति किस उम्र में और किसने विकास के बाद होगी, व्यक्तिगत कब और समष्टिगत कब होगी, इस सवाल का जवाब मनुष्य की विकसित शक्तियों पर अधिक निर्भर है। इसके लिए न तो स्थिर नियम बनाये जा सकते हैं और न कोई निर्णय ही लिया जा सकता है। हमें तो केवल इतना समझ लेना चाहिए कि अनुशासन प्रत्येक आत्मा की अनिवार्य आवश्यकता है। इतना समझने पर ही हम ऐसा वातावरण और परिस्थिति उत्पन्न करने का विशेष प्रयत्न करेंगे, जिससे बालक को शीघ्र ही अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान हो सके और तभी हम कुसमय और गलत ढंग से अनुशासन लादने की घुरी प्रथा को तिलांजलि दे सकेंगे।

जीवन में सन्तुलन बनाये रखने के लिए किये गये प्रयत्नों के पीछे उसकी निश्चित दृष्टि भले ही न हो, किन्तु किसी अगम्य प्रेरणा के बल से यह इन प्रयत्नों द्वारा आवश्यक अनुशासन उत्पन्न करने की चेष्टा अवश्य करता रहता है। उस ही इन चेष्टा को हम उसके अनेक प्रकार के कार्यों द्वारा प्रकट होता हुआ देख सकते हैं। अनुशासन प्राप्ति के लिए किये गये उसके इन प्रयत्नों को मन्थनकाल के प्रयत्नों के रूप में स्वीकार करते हुए हमें सहजानुभूति पूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके हम तो विद्यार्थी को अपनी ही कसौटी पर कसने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज तो हमारी यह धारणा है कि जिस वस्तु का उपयोग हम नहीं करते उसका उपयोग विद्यार्थी को भी नहीं करना चाहिए। इस धारणा के प्रतिमूल यदि कोई छान काम करता है तो हम यह समझने लगते हैं कि उसने जान बूझकर अनुशासन भंग किया है। इस बात के अनेक उदाहरण हमारे और विद्यार्थी के निरपेक्ष प्रति के व्यवहार में मिल सकते हैं।

अव्यवस्था का तनिक भी विचार किये बिना अगर कोई बालक व्यवस्था तन्त्र के साधारण नियमों को भंग कर देता है तो तुरन्त ही हम उसे अनुशासन-विरोधी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामाजिक नियमों को भंग करने का लक्ष्यमात्र भी विचार न

रखते हुए, अगर विद्यार्थी अनजाने कोई ऐसा आचरण कर बैठे, जो समाज के अनुकूल न हो, तब भी हम उसे अनुशासन का शत्रु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा ज्ञान हमें इस बात का परामर्श देता है कि विद्यार्थी का यह मन्थनकाल है और इसी काल में उसको अपने प्रयत्नों द्वारा सन्मार्ग को खोज करनी है; लेकिन फिर भी हम अपनी अन्तरात्मा की आवाज की उपेक्षा कर, अपने विकारों के बर्गीभूत हो, बालक को अनुशासन विरोधी-नियमभंग करने-वाला और अपराधी मानते हैं।

यह सत्य है कि विद्यार्थी के आज के व्यवहार में अनुशासन और नियम-पालन की भावना दिखाई नहीं देती, किन्तु इससे यह परिणाम निकालना कि अनुशासन एव नियम भंग-दुष्ट वृत्तियों से प्रेरित होकर निश्चयपूर्वक किया गया है, बाल-स्वभाव सम्बन्धी हमारे अज्ञान का ग्लूब है। बालक के आचरण में संकल्प का पुट बहुत कम होता है। हम बरकर पुरुष बिना कारण उस पर संकल्प का आरोपण करके अनेक बार संकल्प की भावना उसमें पैदा कर देते हैं। यह वस्तुस्थिति भविष्य में ऐसा विषम रूप धारण करती है कि बालक के प्रत्येक अनिष्टकर काम के पीछे संकल्प का भाव पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में निश्चय पूर्वक अनुशासन का या नियमों का भंग होना सम्भव है।

हम इस बात को भूल जाते हैं कि इस प्रकार जबरदस्ती अनुशासन एवं व्यवस्था उत्पन्न करके हम विद्यार्थी के मन में अव्यवस्था और अनुशासन-भंग का बीजारोपण करते हैं। इस तरह एक अनर्थ में से दूसरे अनर्थ का जन्म होकर विद्यार्थी और शिक्षक के व्यवहार में अनर्थ परम्परा का दौरा दौरा शुरू हो जाता है। यही कारण है कि आज की शिक्षण-संस्थाओं में पढ़नेवाले विद्यार्थियों के अनुचित व्यवहार के पीछे संकल्प की भावना पायी जाती है। शिक्षक इस व्यवहार को घृणा की दृष्टि से देखता है और दमन-नीति से काम लेता है। इस प्रकार विद्यार्थी और शिक्षक में द्वेष भाव बढ़ता रहता है और इसी पूर्ण अविश्वास के वातावरण में उनका काम चलता रहता

है। ऐसी स्थिति में सहानुभूति, सहयोग और प्रेम का अभाव होना विलकुल स्वामात्रिक है।

यदि विद्यार्थी के प्रति हमारी दृष्टि में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो जाये तो वही विद्यार्थी, जो आज अनुशासन विरोधी प्रतीत होता है, भविष्य में अनुशासन और नियमपालन के लिए प्रयत्नशाली दिखाई देगा। यह हो सकता है कि विद्यार्थी के आज के व्यवहार में हमारी कल्पना के अनुसार चाहे अनुशासन और व्यवस्था का अभाव हो, किन्तु यदि हम यह मान लें कि जिसे हम अनुशासन भग और व्यवस्था कहते हैं, वह अनुशासन और व्यवस्था प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न है तो विद्यार्थी के प्रति हमारे व्यवहार में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है।

विद्यार्थी जीवन में अनुशासन पैदा करने की अपनी भावना को मनोविज्ञान की दृष्टि से अन्वेषण करने की जरूरत है। जैसा व्यवहार हम खुद करते हैं उसा प्रकार के व्यवहार की हम दूसरों से आशा रखते हैं। इच्छा रखते हुए भी जिस बात की विडि में असमर्थ होने पर हम अपने किसी आत्माय द्वारा उसकी सिद्ध का प्रयत्न करते हैं। व्यक्तित्व तथा समग्रित्व जीवन पर दृष्टिपात करने से पता चल जायेगा कि हम अपने पारस्परिक तथा सामाजिक जीवन में अनेक बार अनुशासन और व्यवस्था भंग करते हैं। ऐसे व्यवहार से हमारे हृदय पर चोट भी लगता है और यह भी स्वामात्रिक है कि हम अपने उस व्यवहार और तत्त्वचन्य दुष्ट के प्रतिकार का प्रयत्न करते हैं। उसका प्रतिकार हम अपने जीवन पर जिस प्रकार का दबाव डालते या जनरदस्ती नियम या अनुशासन का पालन करने अपना अपने आत्मीयों से उसी प्रकार का अनुशासन एवं नियम पालन करा कर करते हैं।

हम सब जानते हैं कि जब हम किसी दुःख घड़ी में अन्तले बैठे होते हैं तब अपने शिथिल व्यवहार पर धृष्टता करत हुए प्रभु को साजी मानकर, हृदय से यह निर्णय करते हैं कि हमारे आपसी और निजी जीवन में किसी न किसी प्रकार का अनुशासन एवं नियम पालन तो होना ही चाहिए। हम यह भी जानते हैं

कि जब हम किसी समाज में बैठे हों या कोई काम करते हों तब हमारी ऐसी धारणा होती है कि उस समय अमुक प्रकार का अनुशासन और नियमपालन करके समाज के एक सदस्य के नाते हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए इसीलिए व्यक्ति पारस्परिक व्यवहार के लिए एक प्रकार की नियमावली की आवश्यकता स्वीकार करता है और उसी के अनुसार चलता है। समाज को भी कुछ निश्चित व्यावहारिक नियम बनाने और स्वीकार करने पड़ते हैं। व्यक्ति को समग्रि के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है और समग्रि को व्यक्ति से ऐसे त्याग का अपक्षा भा रहती है।

व्यक्तिगत तथा समग्रियत व्यवहार में मनुष्य जहाँ जहाँ अपनी अपूर्णताओं को देखता है वहाँ वहाँ वह अपने आत्मीयों से उन कमियों को पूरा करने की इच्छा रखता है, मानों अपनी ही अपूर्णताओं का प्रतिकार करता है। इस विचार शैली से प्रेरित होकर हम अपने बालकों और विद्यार्थियों से अनुशासन पालन का आग्रह करते हैं। उसे बदले की दृष्टि कहते हैं। जरा गम्भीरता से विचार करने पर हमें पता चल जायगा कि अनुशासन सम्बन्धी जिन जिन बातों पर हम खुद अग्रह नहीं कर सकते, उन सब बातों पर अमल करने के लिए हम अपने विद्यार्थियों को प्रिय करते हैं। अपनी इस मनोवृत्ति को समझने पर ही हम बाटकों की मनोवृत्ति को समझने में समर्थ हो सकते हैं।

मनोविज्ञान का एक नियम है कि आत्मनिरीक्षण करनेवाला मनुष्य ही दूसरे की मनोदशा को यथार्थ रूप से समझ सकता है। अनुशासन के सम्बन्ध में यह नियम पूर्णतया लागू होता है। विद्यार्थियों से कठोर अनुशासनपालन की आशा रखनेवाले शिक्षक इस तथ्य को भली प्रकार समझ लें तो विद्यार्थी के प्रति उनकी दृष्टि में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो जाय।

अब हमें यह देखना है कि जो विद्यार्थी अनुशासन पालन के लिए प्रयत्नशाली दिखाई नहीं देते, उन्हें इस ओर आकृष्ट करने के लिए हम क्या करना चाहिए। यह बताया जा चुका है कि विद्यार्थी जान-बूझकर



अनुशासन भग नहीं करता। अनुशासन सम्बन्धी हमारी और विद्यार्थियों की कल्पनाएँ और विचार भिन्न भिन्न होते हैं। जिसे हम अनुशासन मानते हैं, विद्यार्थी उसे ग्रन्थन मानता है। जिसे हम अनुशासन-भग मानते हैं, विद्यार्थी उसे स्वातन्त्र्य मानता है। बन्धन और स्वातन्त्र्य सम्बन्धी इन धारणाओं की अपनी कुछ उपयोगी मर्यादाएँ हैं, जो मानव जीवन की प्रगति के लिए हितकर है। इन्हे यथार्थरूप से समझकर, विद्यार्थी को सम्मार्ग पर ले जाना हम शिक्षकों का परम कर्त्तव्य है। हमें यह देयते रहना चाहिए कि अनुशासन स्थापित करते हुए विद्यार्थी कहीं बन्धन में तो नहीं पड़ रहा है। साथ ही इस बात की भी सावधानी रखना चाहिए कि स्वातन्त्र्य प्राप्त करते हुए विद्यार्थी कहीं अनुशासन-विराधी और स्वच्छन्द तो नहीं बनता है।

इस प्रचलित धारणा में कि स्वातन्त्र्य अनुशासन का शत्रु है, जरा भी तथ्य नहीं है। जो स्वातन्त्र्य अनुशासन का पोषक नहीं, वह स्वातन्त्र्य नहीं। जो अनुशासन स्वातन्त्र्य का अहरण करता है, वह अनुशासन नहीं। अनुशासन और स्वातन्त्र्य का सम्बन्ध बीज और वृक्ष जैसा है। बीज में से वृक्ष की उत्पत्ति

होती है और वृक्ष बीज का जनक है। इसी प्रकार स्वातन्त्र्य में से अनुशासन की उत्पत्ति होती है और अनुशासन स्वातन्त्र्य का पोषक है। इस सिद्धान्त की भली प्रकार समझ लेने पर स्वातन्त्र्य को ऐश्यामान भी हानि न पहुँचाकर हम विद्यार्थी को अनुशासन के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं।

यदि वर्तमान घर, समाज या शाला को अनुशासन-भग करनेवाले विद्यार्थियों से छुटकारा पाना है तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जगतक विद्यार्थी घर में रहे, तबतक यह योग्य, रुचिकर और रुचिक प्रवृत्तियों में लग्न रहे। इसी प्रकार शाला में भी रुचिकर और स्वास्थ्यप्रद प्रवृत्तियों का प्रबन्ध होना चाहिए और यदि विद्यार्थी को किसी सामाजिक प्रवृत्ति में भाग लेना पड़े तो यहाँ भी ऐसी प्रवृत्तियों और कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, जिससे उसके व्यक्तित्व को सम्मान और अवकाश मिले। इस प्रकार घर, गाँव और समाज बालक के प्रति अपने कर्त्तव्य को समझ लें और उसके व्यक्तित्व का सम्मान करना सीख लें तो अनुशासन भग और जन्मवस्था की जो पुकार आज सुनाई देती है, बन्द हो जाय। [ 'जीवन शिक्षण' से सामार ]

★

( पृष्ठ ४४४ का शेषांश )

अन्तिम बात यह कि यदि हम नेता और नेता गिरी दोनों शब्दों को भूल सकें तो उड़ा अच्छा हो। सबसे पहले इतना ही कहें कि हम में ऐसे लोग पर्याप्त संख्या में ही, जो प्रत्येक प्रसंग में योग्य और आवश्यक क्रियेवादी उठा सकें, समस्या का मुकामला कर सकें और समाज की आगे बढ़ाने में सहायक हो सकें। आनन्दकरता इस बात की है कि समाज ऐसा ही, जहाँ यात्र समग्र पर, योग्य काम के लिए, यात्र व्यक्ति मिल सकें, यानी यह नेता का प्रदन नहीं है, व्यक्तिमान के अन्दर अधिक मात्रा में योग्यता और चरित्र निर्माण करने का प्रदन है, जो हर एक स्थिति में जमाने की

माँग की पूर्ति कर सके। इस अर्थ में नागरिक शिक्षा और नेतृत्व शिक्षा जैसी दो चीजें नहीं रह जाती हैं, दोनों एक ही लोक शिक्षण के दो पहलू बन जाते हैं।

समाज निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में आज हम अभी प्रयोगावस्था में हैं। हमें हर प्रकार से प्रयोग करके देखना होगा कि शिक्षा और लोकतन्त्र का मेल सभता कैसे है और व्यक्ति एक साथ नागरिक और मनुष्य दोनों कैसे रह सकता है। ऐसी तालीम निश्चित ही नयी तालीम होगी और नये जमाने के लिए नयी तालीम अनिवार्य होगी।

# —सामुदायिक विकास के लिए

## प्रशिक्षण

•  
रामभूषण

यदि इतिहास का सहारा लिया जाय तो हमें पता चलेगा कि सामुदायिक विकास की शुरुआत तो उसी समय से हो गयी थी जब आदमी ने छोटे-छोटे समूहों में रहना शुरू किया था और इस तरह सामाजिक विकास की गाड़ी प्रगति पथ पर गतिमान हो उठी थी। अपनी उसी छोटी शुरुआत से आगे बढ़ते बढ़ते आदमी आज विशाल सगठनों में रहने का आदी हो गया है। आज वह देश और राष्ट्र ही नहीं, अन्तर राष्ट्रीय और जागतिक रूप में विकास की बात सोच रहा है। विज्ञान और डिमोक्रैसी के नित नये बढ़ते चरण आदमी को आज किसी खास समुदाय के ही नहीं, सपके विकास की बात सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सामुदायिक और सामूहिक विकास के चारों जितने बड़े रूप आज हमें दिखायी दे रहे हों, यह निश्चित है, उनकी शुरुआत दूर अतीत में अत्यन्त छोटे रूप में ही हुई थी।

सामुदायिक विकास जैसे तो दुनिया के हर देश में होता रहा है, लेकिन आज हम जिन्हें अर्थ विकसित या अर्थविकसित देश कहते हैं उनकी अपेक्षा विकसित देशों में

सामुदायिक विकास की गति अधिक तेज रही है। आधुनिक काल में अर्थ विकसित देशों के लिए सामुदायिक विकास की उड़ी ही उपयोगिता मानी जाती है। सुसंगठित और सुव्यवस्थित रूपों में सामुदायिक विकास की योजना को कार्यरूप में परिणत करने पर अर्थ विकसित देशों के विकास की सम्भावनाएँ बहुत ही अधिक बढ़ जाती हैं, ऐसा आज अनेक देशों में अनुभव किया जा रहा है। देश देश में, राष्ट्र राष्ट्र में, आदमी के चतुर्दिक् विकास की साँकी प्रस्तुत करने के लिए, जो चीज प्रयत्नशील है उसे हम कुछ और विशिष्ट रूप में समझने का प्रयास करें।

सामुदायिक विकास की कुछ परिभाषाएँ

सामुदायिक विकास का प्रयोग आज विशिष्ट अर्थों में होने लगा है इसलिए उसका परिभाषा देने की भी अनेक कोशिशें हुई हैं। सामुदायिक विकास की कल्पना 'समाज शिक्षण' का शान्तिरूप प्रयोग इंग्लैंड के 'सेन्ट्ररी आब स्टेट' की सलाह देनेवाली समिति ने १९४४ में प्रकाशित अपनी 'मॉडल एजुकेशन इन ऐमि-कन सोसाइटी' धीर्पक रिपोर्ट में किया था। इस रिपोर्ट

के प्रकाशा को हम सरकारी नीति के एक अंग के रूप में सामुदायिक विकास को रथा दिया जाा मान सकते हैं ।

ऊपरीकी प्रकाशन के सम्बन्ध म १९४८ की गर्मियों में बुलायी गयी कैम्ब्रिज कांग्रेस ने सामुदायिक विकास की निम्न शब्दों में परिभाषा की—

“एक ऐसा आन्दोलन, जो सारे समुदाय के विकास को दृष्टि में रख कर चलाया गया है, जिसमें सभी लोगों का सक्रिय सहयोग हो और यदि सम्भव हो तो समुदाय की ही प्रेरणा और उसके ही सक्रिय कदम पर उसकी शुरुआत हुई हो। किन्तु यदि यह सक्रिय कदम स्वयं समुदाय की तरफ से न उठाय जा सके तो उसे माध्यमों का सहारा लिया जाय, जिससे आन्दोलन को गति मिल सके।”

१९५४ में ऐशरिज कांग्रेस आन सोशल डवलपमेंट ने कैम्ब्रिज कांग्रेस की इस परिभाषा को ठीक तो मान लिया लेकिन उसने एक सन्निप्त परिभाषा अधिक प्रसन्न की, जो बाद में मलाया की एक कांग्रेस द्वारा स्वीकृत भी हुई। यह परिभाषा इस प्रकार थी—“सामुदायिक विकास सारे समुदाय के विकास के लिए चलाया गया वह आन्दोलन है जो समुदाय के सक्रिय सहयोग और उसकी स्वतः प्रेरणा पर आधारित हो।

एक दूसरी परिभाषा इस प्रकार है— सामुदायिक विकास का प्रयोग विभिन्न सरकारों द्वारा प्रयुक्त उन उपायों के वर्णन के लिए किया जाता है, जिनका सहारा गरीब के लोगों तक पहुँचाने और अच्छे जीवन मान और अधिक उत्पादन की दृष्टि से स्थानीय कार्य शक्ति का सही उपयोग करने की दिशा में लिया जाता है। दूसरे अर्थों में, सामुदायिक विकास सामाजिक-कार्यों की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समुदाय के लोग अपने को आयोजन और कार्य सिद्धि के लिए संगठित करते हैं और साथ ही अनजाने-बतियत आवश्यकताओं और समस्याओं की भी स्पष्ट रूप से समझने की चेष्टा करते हैं।

सामुदायिक विकास की ये परिभाषाएँ विक्रम की एक तस्वीर धामने रखने की कोशिश करती हैं।

वैसे काम चगाने के लिए समुदाय राष्ट्र संगठन द्वारा निर्मात्रित परिभाषा अपनायी गयी—

“वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा समुदायों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों के साथ लोगों के प्रयत्नों का भी मेल हो, साथ ही जिसके द्वारा इन समुदायों का जीवन राष्ट्र के पूरे जीवन के साथ एकाकार हो और जा उन समुदायों को उस पूरे जीवन में अपना योगदान देने के लिए पूर्ण सक्षम बनाती है।”

सामुदायिक विकास का विभिन्न रूपों और संगठनों के कुछ इस रूप में चिन्तित करने का प्रयत्न किया है—

परिवर्तन का वह प्रक्रिया, जो सामाजिक समुदायों का उनका परम्परागत जीवन से निकसित तरीके को आरंभ करे वह तरीका, जो लोगों को अपनी योग्यताओं और शक्तियों के अनुसार आगे बढ़ाने में सहायक बने वह कार्यक्रम, जिसके द्वारा सामाजिक लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में कुछ उपलब्धियाँ हों वह आन्दोलन, जिसमें कुछ आदर्शों के साथ विकास की ओर बढ़ा जाय। इस प्रकार सामुदायिक विकास प्रक्रिया, ढग, कार्यक्रम और आन्दोलन इन चार तत्त्वों से परिपूर्ण एक ऐसा आदर्शपूर्ण आन्दोलन माना गया है, जिसमें समुदाय स्वयं अपनी प्रेरणा और क्रिया शक्ति से विकास की ओर बढ़ता है।

यदि सामुदायिक विकास के दो ही मूल तत्त्वों की ओर निर्देश करना हो तो पहला यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक सम्भव हो अपना जीवन-स्तर उठाने के लिए लोगों की अपनी प्रेरणा और अपनी मेहनत, दूसरे, तकनीकी तथा अन्य सुविधाओं की इस प्रकार आयाजना जो कार्य प्रेरणा आमनिर्भरता तथा पारस्परिक सहायता को अधिकारिक बढ़ते और समुदाय के विकास के अंग और भी तत्त्व हैं, जिनमें से पास ये हैं—सामाजिक जनता की कार्यक्षमता पर विश्वास, छोटे समुदायों का महान, डिमोक्रेसी, साइड, टेक्नालोजी, सामाजिक न्याय में विश्वास और सामाजिक क्षेत्रों के विकास पर अधिकाधिक बल।

## सामुदायिक विकास की कुछ सोमाएँ

सामुदायिक विकास एक ऐसे कार्यक्रम की कल्पना है, जिसके द्वारा लोगों को प्रेरित करके कुछ परिवर्तन की ओर ले जाया जाता है, लेकिन परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार कर लेना कोई आसान चीज तो है नहीं, और यदि परिवर्तन के लिए लोग तैयार भी हुए तो वह परिवर्तन भी लोग जल्दी-जल्दी ही करेंगे, इसकी भी कोई गारंटी तो है नहीं, इसलिए योजना कितनी भी सक्षम हो, उसका सफल कार्यान्वयन ही प्रमुख समस्या है। समस्या का समाधान कैसे हो, यह जाग तब चिन्तन का विषय है, और चिन्तन ही भी रहा है।

ऐसा अक्सर देखा जाता है, लोग किसी भी परिवर्तन का पहले विरोध करते हैं। यह विरोध उन लोगों की तरफ से ज्यादा होता है, जो सकीर्ण विचार के होते हैं और जो अपने को समान के हित अहित के लिए एक तरह से जिम्मेदार समझते हैं। दूसरे, परिवर्तन से जिन लोगों के निश्चित स्वार्थों पर आघात पहुँचता है वे भी उसका विरोध करते हैं, इसलिए, परिवर्तन लाने के लिए वही ही योग्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। ऐसे कार्यकर्ता, जो यह समझते हों कि परिवर्तन की प्रक्रियाएँ क्या-क्या हैं, और साथ ही यह भी जानते हों कि लोगों को किस तरह की मदद पहुँचाया जाय कि वह अपने आप परिवर्तन कर लें। साथ ही, ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना सरल नहीं है, और इसीलिए सामुदायिक विकास के मार्ग में यह समस्या एक प्रभक्चिह्न बन कर खड़ी हो जाती है।

अविकसित और अर्ध विकसित देशों की सभी समस्याओं में इहल सामुदायिक विकास से हो जाय, ऐसी बात भी नहीं है। अर्ध विकसित देशों में, जहाँ तकनीकी और प्रशासनिक सेवाएँ आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं हैं, सरकारी और बाहरी माध्यमों के ऊपर अत्यधिक निर्भरता के कारण आत्म निर्भरता और आत्म परिपूर्णता की स्थिति की ओर बढ़ी ही थीमी प्रगति होती है और ऐसी स्थिति में लोगों में निराशा और कार्यक्रम के प्रति दुराव उत्पन्न होना सामाजिक ही है।

यह मान लेना बड़ा मुश्किल है कि सामुदायिक विकास स्थानीय साधनों के आधार पर सफल हो सकेगा, क्योंकि वह कमी भी पर्याप्त नहीं होते। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सच की आर्थिक और सामाजिक कौन्सिल की एक रिपोर्ट से कुछ शब्द यहाँ दे देना समीचीन होगा—

“पूर्ण रूप से प्रभावशाली होने के लिए सामुदायिक विकास कार्यों को सरकार की विस्तृत और गहरी दोनों प्रकार की सहायता की जरूरत है सामुदायिक विकास-कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के लिए निश्चित नीतियों, विविध प्रकार के प्रशासनिक प्रबन्धों, योग्य लोगों की भर्तों और उनकी व्यग्रस्थित ट्रेनिंग, स्थानीय और प्राकृतिक साधनों में उचित प्रयोग, अनुसन्धान और मूल्यांकन, इन सभी चीजों की जरूरत है स्थानीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विस्तृत और राष्ट्रीय स्तर पर भी समानान्तर जैसा ही विकास हो।”

## सामुदायिक विकास को अधुनातन कल्पना

ऊपर की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि सामुदायिक विकास के कार्यक्रम, समुदाय के विकास की दृष्टि से वांछित फल का प्राप्ति नहीं करा सकते फिर हिन्दुस्तान—जैसे विद्यालय देश में तो सध्या का भी एक बड़ा प्रश्न है। सरकार की हज़ार शक्ति हा, फिर भी वह इस महादेश के इतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, जो शक्ति उपलब्ध भी है वह तमाम लोगों तक पहुँचायी कैसे जाय ? इसलिए यह निश्चित है कि सामुदायिक विकास के वर्तमान कार्यक्रम हमें एक ऐसी स्थिति तक ही पहुँचायेंगे, जहाँ फिर किसी विकास की दान सम्भव नहीं हो सकेगी। उन्हीं चीजों पर बार-बार जोर देने से लाभ ही क्या, जब हमें पहले से ही यह मातृभू हो कि हमारी तमाम उल्लङ्घन का अन्तिम परिणाम असफलता ही होने वाला है, इसलिए आज की तात्कालिक आवश्यकता केवल विकास ही नहीं, जपितु सम्पूर्ण सामाजिक उलटफेर और परिवर्तन है।



नाम पुस्तक • दिवास्वप्न

प्राथमिक शाला में भाषा-शिक्षा

लेखक स्व० गिजु भाई

प्रकाशक

व श्री काशिनाथ त्रिवेदी

अनुवादक ग्राम भारती आश्रम, टवलार्ड घाट (म० प्र०)

“यद्यपि लगभग ३० वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी ‘दिवास्वप्न’ और ‘प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा’ दोनों आज भी उतनी ही ताजी, उतनी ही प्रेरक और मार्ग दर्शक हैं, जितनी ३०-३५ साल पहले थीं। प्राथमिक पाठशालाओं की पढ़ाई में जो भारी बोझ आ चुके हैं, उनकी ओर इशारा करके उसके रूप स्वरूप को बदलने की अत्यन्त मूलगामी, मूल्यवान और व्यावहारिक सूचनाएँ इन दोनों मौलिक पुस्तकों में मरी पड़ी हैं।”

स्व० आचार्य गिजु भाई की इन दो पुस्तकों का अनुवाद श्री काशिनाथ त्रिवेदी ने किया है। शायद ही कोई हो, जो गिजु भाई की इन दो पुस्तकों को पढ़े और अनुवादक के इस दावे से सहमत न हो। ३०-३५ साल पहले गिजु भाई ने प्रयोग किये थे आज भी हमारे लिए नये हैं। क्यों नये हैं ? इसलिए कि हमारी शिक्षा इन वर्षों में जहाँ भी वही रह गयी। अगर हम ने और प्रयोग किये होते तथा लोचतन्त्र और शिक्षा की भूमिका में शिक्षा का दर्शन और पद्धति विकसित की होती तो हम कह सकते थे कि गिजु भाई के प्रयोग पुराने पड़ गये और हम आगे बढ़ गये, लेकिन बात ऐसी हुई नहीं। यह बात नहीं है कि सभ्य सभ्यता में बाल शिक्षण के क्षेत्र में नया विचार नहीं हुआ या

कोई नया अनुभव हाथ नहीं आया, लेकिन अपने देग में बाल शिक्षा सामान्यतः आज भी बच्चों के लिए यातना और हमारे स्मृत यातना-ग्रह जैसे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमारे विद्यालयों में विद्या का लय अधिक होता है। ‘दिवास्वप्न’ को पढ़ कर विश्वास हो जाता है कि अभ्यासक्रम कुछ भी हो, साधा मले ही अपूर्ण हों लेकिन शिक्षा के शासक में सहानुभूति हो और शिक्षक में रुग्ण और हृदय हो तो हमारी शालाओं में नया जीवन पैदा किया जा सकता है। लेकिन, ये दोनों शर्तें कितनी कठिन हैं ? प्रगतिशील शासक और निष्ठावान शिक्षक ये दोनों वस्तुएँ शिक्षा जगत में दुर्लभ होती जा रही हैं। शिक्षा के मौलिक, प्रयोग, ऐसा लगता है, शासन-मुक्त शिक्षा में ही सम्भव है।

ये दोनों पुस्तकें हर बाल शिक्षक और बाल शिक्षा प्रेमी को पढ़नी चाहिए। इन्हें पढ़ने से यह माझम होगा कि बाल शिक्षा में बच्चों की बुद्धि को जगाना और उनके हृदय को जीवना, एक ही प्रक्रिया है और यही बाल शिक्षण की मुख्य समस्या भी है।

इन पुस्तकों में गिजु भाई के विरक्षण व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक है। ऐसी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अनुवादक और प्रकाशक दोनों शिक्षाजगत के धन्यवाद के पात्र हैं।

—एक समालोचक

★



# आज की माँग और शिक्षा

३

१

देश की उन्नति में वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों का अत्यधिक आवश्यकता मानी जाती है; लेकिन ३१ मार्च १९६२ में देश के छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही है—

स्तर	विज्ञानके छात्र	कला के छात्र	कामर्स के छात्र
प्री यूनिवर्सिटी	११.६३६	१.४१.५२७	२३.७८७
इण्टर मीडिएट	२६.८८६	२.११.५४५	
बेचिलर स्टेज	१.३०.६६५	१११.८७५	५१.८७८
पोस्ट ग्रेज्युएट	१२.०६२	३४.७६०	५.३८१

२

## भारत के शहर और उनकी आबादी

सन्	कुल शहर	कुल आबादी
१९०१ में	१.९१०	२ करोड़ ६० लाख
१९२१ में	२०५०	२ करोड़ ८० लाख
१९४१ में	२४२७	४ करोड़ ५० लाख
१९६१ में	२.६९०	७ करोड़ ९० लाख

शहरों की वृद्धि का यह अनुपात भारतीय जनमानस का सामान्य परिचय करा देता है; लेकिन क्या देश के सही विकास का यह लक्षण है ?

## विरव में बोली जाने वाली भाषाएँ

१. मदारियन ( चीन )	४५	७० करोड़
२. अँग्रेजी	२८.	१० करोड़
३. हिन्दी	१८	८० करोड़
४. रूसी	१५.	२० करोड़
५. बँगला	९	०० करोड़
६. मलयालम्	६.	९० करोड़
७. उर्दू	५	७० करोड़
८. तेलुगू	३	९० करोड़
९. तामिल	३.	६० करोड़

बहु सड़क लोगों से बोली जानेवाली भाषाओं में हिन्दी का स्थान तीसरा है, जब कि कुछ निहित स्वार्थों उसे भारत की राज्य भाषा भी बनाने के विरोधी हैं ।

४

## भारत में साक्षरता--प्रति हजार

१. केरल	४६८	२. मद्रास	३१३
३. गुजरात	३०५	४. बंगाल	२९२
५. महाराष्ट्र	२९२	६. उत्तरप्र	२७७
७. असम	२७४	८. मैसूर	२५४
९. पंजाब	२४२	१०. आन्ध्र	२१२
११. बिहार	१८४	१२. उत्तर प्रदेश	१७६
१३. मध्य प्रदेश	१७१	१४. राजस्थान	१५२
१५. कश्मीर	११०		

यह साक्षरता की प्रशस्ति है या साक्षरों के लिए चुनौती ?



# नयी तालीम

## ११ वें वर्ष की लेख-सूची

विषयवार :

### १ कार्यकर्ता की डायरी

- १ असम के अंचल का एक जन-जीवन श्री रवीन्द्रनाथ ३३२
- २ कार्यकर्ता की डायरी १६४
- ३ कोई हर्ज नहीं, लेकिन दुनिया मानती है ? सुश्री विद्या २९१
- ४ बलिया गाँव में समग्र नयी तालीम के अनुभव धा० मजूमदार ७
- ५ बालमन्दिर ग्रामशाला सुश्री विद्या, क्रान्ति १३२
- ६ मैं कहीं पहुँचा हूँ एक कार्यकर्ता ३०१ | ३४४
- ७ विवाह क्या बला है ? सुश्री विद्या २९१
- ८ सासू नाम बहू ! ,, विद्या २९१
- ९ सरकार शिक्षण ,, क्रान्ति २०२

### ३ ग्राम-रचना

- १ गाँव के काम के कुछ पहले कदम श्री राममूर्ति १२
- २ ग्राम कार्यकर्ताओं की हस्त-पुस्तिका का सारांश २०६
- ३ तीन चुनौतियाँ श्री लीलाधर सिंह ४४०
- ४ रचनात्मक कार्य ग्राम इकाई: ग्राम स्वराज्य श्री राममूर्ति ३४९
- ५ लोक शिक्षण में कार्यकर्ता-प्रशिक्षण २०९
- ६ समुदाय की समस्याएँ और हमारी कार्य पद्धति १६९

### २ कार्रवाई तथा प्रस्ताव

- १ अध्ययन मण्डल की पहली बैठक २५
- २ अ० भा० सर्व सेवा सच की प्रारम्भ समिति के प्रस्ताव १७३
- ३ उ० प्र० नयी तालीम गोष्ठी श्री कृष्ण कुमार १९४
- ४ नयी तालीम परि-सवाद, सेनाग्राम ९०
- ५ सेनाग्राम परिषद् के निर्णय २११

### ४ ग्रामभारती

- १ ग्रामभारती : ग्रामशाला श्री वि० बहादुर १६५
- २ ग्रामभारती : बरनपुर श्री रामचन्द्र राही २९०
- ३ ग्रामभारती ( लक्ष और योजना ) बरनपुर, इलाहाबाद श्री धी० मजूमदार ३३५
- ४ दो प्रश्न श्री ,, ,, १३९
- ५ नयी शिक्षण : नयी विद्या श्री वि० बहादुर २४७
- ६ बुनियादी शिक्षा और ग्रामसेवा श्री मनमोहन चौधरी १०९  
१४९, १८१
- ७ भूदान आन्दोलन और ग्रामभारती श्री धी० मजूमदार १०६

## ८ रचनात्मक सत्याओं

से अर्पील	श्री० मञ्जूमदार	१३४
९ अममरती का वितर्जन	श्री राममूर्ति	२४५ ३६१

## ५ परिस्थिति और प्रवृत्ति

१ अफ्रीका की पुस्तकालय-योजना	२१५
२ उ० प्र० के चल पुस्तकालय	२१६
३ एक स्तुत्य प्रसंग	२१४
४ हमारा कर-भार	४१६
५ निर्माण कार्य का एक नमूना	२१५
६ भारतीय किसान को क्या चाहिए	८५
७ भारत की कृषि और बेकारी	३७०
८ भारत में शिक्षा का विस्तार	३७०
९ भारत में सहकारिता का विकास	४१६
१० भाँग और शिक्षा	४५३
११ रूस में पुस्तक प्रकाशन	२९४
१२ शिक्षा और माता पिता	३३४
१३ शिक्षा का मूल्य कमाई में	३३४
१४ शिक्षा बनाम सिगरेट	३९०
१५ हमारा भूधन और आयोजना	२९५
१६ अम को प्रेरणा	३३४

## ६ परीक्षा

१ मूलराजन और समीक्षा	
श्रीमती मार्जरी साइक्स	४८

## ७ पुराने बोल नये मोल

१ मानव धर्मसार	श्री काशिनाथ त्रिपेठी	३२६
२ विष्णु-स्तुति	श्री काशिनाथ त्रिपेठी	२७९
३ शारदा स्तुति	श्री काशिनाथ त्रिपेठी	२३३

## ८ पुस्तक-समीक्षा

१ पुराने बोल : नये मोल	श्री आ०	२०४
२ मूदान और नव निर्माण	श्री वृ० कु०	२८६
३ गांधी के पथ पर	" वृ० कु०	२८६
४ गंतों के अनुभव	" राममूर्ति	२१३
५ दिवालय	एक समालोचक	४५२
६ प्राथमिक शास्त्र में भाषा शिक्षण	"	४५२

## ९ प्रशिक्षण

१ प्रशिक्षण कार्य के अनुभव श्री अमरनाथ	५७
२ सामुदायिक विकास के लिए प्रशिक्षण	श्री रामभूषण ४४९

## १० बच्चे की शुरू से शिक्षा

१ मल-भूज त्याग	श्री राममूर्ति	५५ ८८
२ पेशान करना	" "	१३०
३ एक साल के बच्चे की खतरनाक आयु	" "	१६७ २४९
४ एक साल के बच्चे का खाना और खाना	" "	२८५
५ प्रेम का लुलम	" "	३७१
६ दो साल का बच्चा	" "	४०८
७ प्यार बनाम पुरुषार्थ	" "	४३३

## ११ बालमन्दिर

१ बच्चों की कहानियाँ श्री जुगताराम दवे	३२६
बालवाड़ी में गणित शिक्षण	" ४३०
२ बालवाड़ी में बच्चों की खेलमाल	श्री बी० एच० मे० ३०३
३ बालवाड़ी में भाषा शिक्षा	" जुगताराम दवे ४०४

## १२ भारत-चीन-संघर्ष

१ इस लड़ाई में हमारे स्टेक	" राममूर्ति	१३७
२ जयहिंद जय जगन्	" राममूर्ति	९७
३ देश के संकट के बारे में दो प्रश्न	" श्री० मञ्जूमदार	९९
४ भारत-चीन संघर्ष का रिफ्लेक्	" शंकराराम देव	१८९
५ मैत्री के बानों	" राममूर्ति	२५८
६ राष्ट्रीय शिक्षा में उदात्तक अम	, राधाश्या	३७९
७ शिक्षा और सुरक्षा	" राममूर्ति	३४०
८ हम शिक्षक क्या करें	" मा० सारकम	२०३



## १३ भाषा

- १ नया अंग्रेजी का वाक्यांश बना रहेगा ! श्री देवेंद्र कुमार १२६
- २ भारती पाठशालाओं की निम्न श्रेणियों में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण „ प्रो स आ आ १२२
- ३ भाषा कानून का संश्लेषण „ राममूर्ति ३२०
- ४ भाषा का प्रश्न स्पष्ट और वैज्ञानिक चिंतन के लिए एक अनुरोध „ सिद्धराज टंडन १४
- ५ भाषा-सम्बन्धी सर्व-संस्था सच का प्रस्ताव १३
- ६ भाषा ज्ञान स्व० कि० ए० म० ७२

## १४ रचनात्मक कार्य

- १ एक वर्षकर्ता मिन का प्रश्न श्री राममूर्ति ४३८
- २ तारी का नया मोड़, लिटिन मुँहे फिर ! „ राममूर्ति २२५
- ३ नया मोड़ नहीं, नया छोर „ धा० मजूमदार २९७
- ४ घरवाओं पर समझ गदा तालिम का रस „ राममूर्ति ४७

## १५ लघु कथा

- १ मैत्रेय का विवाह „ शशी १७४

## १६ लोचनत्रय

- १ लोचन और आश्रम रचनात्मक कार्य श्री धी० मजूमदार २५९
- २ लोचनत्रय का आश्रम श्री राममूर्ति २७७
- ३ लोचनत्रय की रक्षा कैसे करें ? श्री धी० मजूमदार २१९
- ४ लोचनत्रय का धर्म का धर्म श्री राममूर्ति १७७
- ५ विश्व और लोचनत्रय का धर्म श्री धी० मजूमदार १७९

## १७ शांति-सेना

- १ लक्ष्य शांति सैनिक श्री नारायण देसाई १२८
- २ लोक-सेवक तथा शांति सैनिकों की शिक्षण-समस्या श्री बद्रीप्रसाद स्वामी १२९

## १८ शिक्षा के अनुभव

- १ क्या यह जिम्मेदारी स्कूल की नहीं ? श्री कादम्बर २९२
- २ गुब्बो की छड़ी श्री कृष्णकुमार ३७३
- ३ दोरी कौन ? स्व गजुमाई ३९८
- ४ न हा महरसे चला डा जाकिर हुसेन ११७
- ५ बच्चों भी दुनिया श्री अब्दुल रजाक ४२३
- ६ बच्चों को नोट कैसे लिखायें कृष्णकुमार ४२५
- ७ बालकों की यह दुर्दशा और उपेक्षा क्यों ? श्री कामोनाथ त्रिवेदी १८९
- ८ मैं मेरे बच्चे और उनका स्कूल श्री कादम्बर ६२

## १९ शिक्षा दर्शन

- १ नयी तालिम और माधा दर्शन आचार्य कृपालानी १०७
- २ नयी तालिम का हार्ड और शकरराव देव १४५
- ३ नया तालिम सवाइय तालिम है श्री काका कालिंकर २५१
- ४ नागरिकता की शिक्षा भी तिन न आयेय ३५६
- ५ नैतृत्व की शिक्षा श्री तिन न आयेय ४४१
- ६ प्राथमिक शिक्षा श्री राजमोनाथ त्रिवेदी २८७
- ७ बुनियादी शिक्षा अस्पर्श क्यों ? श्री पार्षद मजूमदार ३७७
- ८ स्वीडिश का शिक्षण दर्शन श्री काका कालिंकर १०
- ९ यम निराकरण की नया धारणा का धर्म नयी तालिम श्री धी० मजूमदार ४१
- १० शिक्षा का अर्थशास्त्र श्री राममूर्ति २६४
- ११ शिक्षण और लोकतंत्र श्री तिन न आयेय २६७
- १२ शिक्षण और सामाजिक „ „ ३१९
- १३ शिक्षण और समाज „ „ २३८
- १४ शर शक्ति श्री त्रिनेत्र २

१५. सपर्यम्बत क्रांति का वाहन  
नयी तालीम श्री धी० मजूमदार ७३  
१६ हमारी शिक्षा आचार्य कृपालानी ३,३४

## २० शिक्षा-मनोविज्ञान

- १ बाल मनोविज्ञान और  
मातापिता श्री आर. एस. विचार्य १९९  
२ बालक और सत्कार श्री जमनालाल जैन ३६९

## २१ शिक्षा : विभिन्न देशों में

१. इंग्लैण्ड में शिक्षा  
का स्वरूप श्री रामभूषण २७३  
२ इंग्लैण्ड की शिक्षा पद्धति ,, ,, ३०९  
३ पश्चिमी जर्मनी में स्कूली  
शिक्षण डा तारकेश्वर प्र सिंह २३७  
४ संयुक्तराज्य अमेरिका की  
शिक्षा पद्धति श्री वाटलिंग ३६४,४१०  
५ डालैंड की प्रारम्भिक  
शिक्षा प्रणाली डा० तारकेश्वर प्र० सिंह ४३५

## २२ समवाय

- १ आ गयी जुलाई श्री राममूर्ति ४१७  
२ खुल गया कुदरत  
का स्कूल श्री नरेन्द्र ४२१  
३ धरती माँ की खुली किताब शिरीष ४२७  
४ बरसात का पहला दिन श्री रुद्रमान ४१९  
५ राष्ट्रीय शिक्षा योजना क्यों  
और कैसे ? श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल ३८३  
६ घाति सताह और तालीम १६८  
७ समवाय की बुनियाद गाधीजी ३४२  
८ समवायी पाठ :  
एक मुझाव श्री कमलापति ३५३  
९ सामाजिक-सांस्कृतिक शिक्षण के  
आगामी अवसर श्री रुद्रमान २३

## २३ सामयिक लेख

१. अच्छी नीयत के साथ  
सही हिकमत चाहिए श्री राममूर्ति १५५  
२ क्या पढ़ायें, किसलिए पढ़ायें,  
कितने पढ़ायें ? श्री राममूर्ति ३३  
३ नयी तालीम की जिम्मेदारी ,, ,, ६५  
४. 'शिक्षक दिवस' ,, ,, ६०  
५ सम्पादकीय ,, ,, १  
६. सर्वोदय पर्व श्री रुद्रमान ५०

## २४ सूचनाएँ

- १ उत्तम बुनियादी कृषि महा-  
विद्यालय, सेनाग्राम श्री ठाकुरदास बग ४१४  
२. प्रातः पुस्तकें ६४  
३ सादर स्वीकार २५६  
४ सर्वोदय पर्व ३२  
५ सेनाग्राम में नयी तालीम का  
परिसवाद श्री राधाकृष्ण २४

## २५ स्मरण

- मूँछोंवाली 'मा' का  
पुण्यस्मरण श्री काशिनाथ त्रिवेदी ३९३  
रानेंद्र बाबू श्री राममूर्ति २५७  
श्री किशोरलाल भाई श्री गोपालकृष्ण मल्लिक ५४

## २६ स्फुट लेख

१. अनुशासन श्री हरप्रसाद विचार्य ४४५  
२ नयी तालीम की तारक शक्ति  
कुण्ठित क्यों ? श्री काशिनाथ त्रिवेदी ११४  
३ शिक्षा और राष्ट्रीय  
एकता श्री शंकरराव देव ८०  
४ सद्ग्रन्थों का प्रभाव श्री विनोय २६६  
५ हम और हमारे  
उत्सव श्री काशिनाथ त्रिवेदी ३४६

# नयी तालीम

## ११ वें वर्ष की लेख-सूची

### लेखकार

१ अब्दुल रज्जाक बच्चों की दुनिया	४२३	९ श्री कि० घ० मश्रूवाला भाषा शान	५१
२ श्री अमरनाथ प्रशिक्षण कार्य के अनुभव	५७	१० ,, आचार्य वृपालानी १ हमारी शिक्षा	३, ३४
३ ,, उ० आ० आसराणी भारतीय पाठशालाओं की निम्न श्रेणियों में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण	१२२	२ नयी तालीम और गांधी दर्शन	६८
४ एक कार्यकर्ता में कहाँ पहुँचा हूँ ?	३०१, ३४४	११ ,, कृष्णकुमार १ उत्तर प्रदेश नयी तालीम मोट्टी	१९४
५ श्री कमलापति समवायी पाठ एक सुझाव	३५३	२ गुज्जी की छड़ी	३७३
६ ,, काका बालेलकर १ रवीन्द्रनाथ का शिक्षण दर्शन	१९	३ बच्चों को नोट कैसे लितायें ?	४२५
२ नयी तालीम सर्वोदय तालीम है	२५१	१२ ,, क्रान्ति १ बालमन्दिर ग्रामशाला	१३२
७ ,, कादम्ब १ मैं मेरे बच्चे और उनका स्कूल	१२	२ सरकार शिक्षण	२०२
२ क्या यह जिम्मेदारी स्कूल की नहीं ?	२१२	१३ ,, गांधीजी समवाय की बुनियाद	३४२
८ ,, काशिनाथ त्रिवेदी १ नयी तालीम की तारक शक्ति कुण्ठित क्यों ?	११४	१४ स्व० गिजुभाई दोरी फौन ?	३९८
२ बालकों की यह दुर्दशा और उपेक्षा क्यों ?	१८६	१५ श्री गोपाल कृष्ण मल्लिक श्री किशोरलाल भाई	५४
३ धारदा-स्तुति	२३३	१६ ,, जमनालाल जैन पालक और सरकार	२६९
४ विष्णु-स्मृति	२७९	१७ डा० जाकिर हुसैन न हा मदरसे चला	११७
५ मानव धर्मधार	३२६	१८ श्री जुगताराम दवे १ बच्चों की कहानियाँ	३२९
६ हम और हमारे उत्सव	३४६	२ बालवाड़ी में भाषा शिक्षा	४०४
७ मूँहोवाला 'मौ' का पुण्य स्मरण	३९३	३ बालवाड़ी में गणित शिक्षण	३०

१६ प्रो० ठाकुरदास बंग	
उत्तम बुनियादी कृषि	
महाविद्यालय सेवा प्राम	४१४
२० डा० तारकेश्वर प्रसाद सिंह	
१ पश्चिमी जर्मनी में रूढ़ी शिक्षण	२३७
२ हालैंड की प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली	४३५
२१ श्री ति० न० श्राय्येय	
१ शिक्षण और समाज	२३८
२ शिक्षण और लोकतन्त्र	२६७
३ शिक्षण और वातावरण	३१९
४ नागरिकता की शिक्षा	३५५
५ नेतृत्व की शिक्षा	४४१
२२ ,, त्रिलोकीनाथ भद्रवाल	
राष्ट्रीय शिक्षा-योजना	
क्यों और कैसे	३८३
२३ ,, देवेन्द्र कुमार	
क्या अंग्रेजों का साम्राज्य बना	
रहेगा ?	१२६
२४ ,, धीरेन्द्र मजूमदार	
१ बलिया गाँव में समग्र नयी	
शालीम के अनुभव	७
२ बर्ग-निराकरण की नयी क्रांति	
का वाहन : नयी शालीम	४१
३ सर्प-मुक्त क्रांति का वाहन :	
नयी शालीम	७३
४ देश के संकट के बारे में दो प्रश्न	९९
५ मूदान आन्दोलन और	
ग्रामभारती	१०५
६ रचनात्मक समस्याओं से अपील	१३४
७ दो प्रश्न	१३९
८ विज्ञान और लोकतन्त्र की चुनौती	१७९
९ लोकतन्त्र की रक्षा कैसे करें	२१९
१० लोकतन्त्र और आज का	
रचनात्मक कार्य	२५९
११ नया मोड़ नहीं, नया छोर	२९७

१२ ग्रामभारती : (लक्ष्य और योजना)	
वरनपुर, इलाहाबाद	३३५
१३ बुनियादी शिक्षा अक्षय कर्मों ?	३७७
२५ श्री नरेन्द्र	
सुल गया कुदरत का स्कूल	८३०
२६ ,, नारायण देसाई	
तृष्ण शान्तिसेना	१२८
२७ ,, बद्री प्रसाद स्वामी	
लोक सेवा और शान्तिपैतिकी	
की शिक्षण समस्या	१२९
२८ ,, बहराम एच० मेहता	
बालवाड़ी में बच्चों की देखभाल	३०३
२९ ,, मनमोहन चौधरी	
बुनियादी शिक्षा और ग्रामसेवा	१०९
	१४९-१८१
३० श्रीमती मार्जरी साइक्स	
१ मूल्यांकन और समीक्षा	४८
२ हम शिक्षक क्या करें ?	२०३
३१ श्री रवीन्द्रनाथ	
असम के एक अचल का	
जन जीवन	३३२
३२ ,, राजगोपालाचारि	
प्राथमिक शिक्षा	२८७
३३ ,, राधाकृष्णा	
१ सेवाग्राम में नयी शालीम का	
परिषदाद	२४
२ राष्ट्रीय शिक्षा में उत्पादक श्रम	३७९
३४ ,, रामचन्द्र राही	
ग्रामभारती वरनपुर	२९०
३५ ,, राममूर्ति	
१ सम्पादकीय	१
२ गाँव के काम के कुछ पहले कदम	१२
३ क्या पढ़ाये, किसलिए पढ़ाये,	
कितने पढ़ाये ?	३३

४	संस्थाओं पर समग्र नयी तालीम का रंग	४७	३८	रावी	मैत्रेय का शिक्षक दल	३७४
५	मल-भूख त्याग	५५-८८	३९	रुद्रभान	१ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षण के ज्ञानामो अवसर	२३
६	शिक्षक दिवस	६०			२ सर्वोदय पर्व	५०
७	नयी तालीम की जिम्मेदारी	६५			३ बरसात का पहला दिन	४१९
८	जयहिन्द : जय जगत्	९७	४०	श्री लीलाधर सिंह	तीन जुनौतियाँ	४४०
९	पेक्षा करना	१३०	४१	वाटलिंग	समुच्च राज्य अमेरीका की शिक्षा-पद्धति	३६४-४१०
१०	इस लड़ाई में हमारा स्टेक	१३७	४२	विजय बहादुर	१ ग्रामभारती : ग्रामशाला	१६५
३१	अच्छी नीयत के साथ सही दिक्रमत चाहिए	१५५			२ नयी शिक्षा : नयी दिशा	२४७
१२	लोकतन्त्र की शक्ति का स्रोत	१७७	४३	मुश्री विद्या	१ बालमन्दिर : ग्रामशाला	१३२
१३	एक साल की खतरनाक आयु	१९७			२ कोई हर्ज नहीं, लेकिन दुनिया मानती है	२९१
१४	खेती के अनुभव	२४९-२१३			३ विवाह क्या गला है	२९१
१५	लोकतन्त्र का 'लोक'	२१७	४४	श्री विनीता	१ शोष-शक्ति	२
१६	खादी का नया मोड़ : लेकिन मुझे किधर	२२५			२ सद्ग्रन्थों का प्रभाव	२९९
१७	भ्रमभारती का विसर्जन	२४५-३६१	४५	शंकरराव देव	१ शिक्षा और राष्ट्रीय एकता	८०
१८	गजेन्द्र यात्रा	२५७			२ नयी तालीम का हाद	१४५
१९	मैत्री के यन्त्री	२५८			३ चीन भारत सघर्ष का विकल्प	१८९
२०	शिक्षा का अर्थशास्त्र	२६४	४६	शिरीष	घरती-माँ की खुली किताब	४२८
२१	एक साल के बच्चे का खाना और छीना	२८५	४७	सिद्धराज जी ढड्डा	भाषा का प्रश्न - स्पष्ट और वैज्ञानिक चिन्तन के लिए एक अनुरोध	९४
२२	भाषा कादून का सखेत	३३७	४८	श्री हरप्रसाद विद्यार्थी	अनुशासन	४४४
२३	शिक्षा और सुरक्षा	३४०				
२४	रचनात्मककार्य ग्राम इकाई					
	ग्राम स्वराज्य	३४९-३८७				
२५	ग्रेम का जुलम	३७१				
२६	दो साल का बचवा	४०८				
२७	आ गयी जुलाई	४१७				
२८	प्यार बनाम पुरुषार्थ	४३३				
२९	एक कार्यकर्ता मित्र का प्रश्न	४३८				
३६	रा० स० विद्यार्थी					
	बाल मनोविज्ञान और माता पिता	१९९				
३७	रामभूपया					
	१ दृष्टिकोण में शिक्षा का स्वरूप	२७३				
	२ दृष्टिकोण की शिक्षा-पद्धति	३०९				
	३ सामुदायिक विकास के लिए प्राविशण	४४९				

\*

लाइसेन्स न० ४६

पटले से डाक व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

जुलाई १९६३

नयी तालीम

रजि० सं० ए १७२३

## ‘तब दिल एक था, अब दिल दो है’

‘क्यों, भाई, तब खुश थे या अब खुश हो ? यह सवाल मैंने उदयपुर के एक तागे वाले से किया । पहिले राणा का राज था, अब जनना का राज है, इसलिए मरे मन में पहिले से था कि तागवाले को क्या जवाब देना चाहिए ।

“बाबूजी, तागा तब भी चलाता था, अब भी चलाता हूँ । मेहनतवाले के लिए क्या तब और क्या अब ?”

यह जवाब मुझे अच्छा नहीं लगा । मैंने सोचा, मनहूस के लिए भी क्या तब और क्या अब ? इसी बीच वह फिर बोला—‘लेकिन एक बात हुई है ।’

‘वह क्या ?’ मैंने उत्सुकता के साथ पूछा ।

‘वह यह कि तब इस शहर में दिल एक था, अब दिल दो है । हिन्दू हिन्दू है, मुसल्मान, मुसल्मान ।

इसके बाद पूछने को कुछ रह नहीं गया ।

—राममूर्ति

भीकृष्णदत्त भट्ट, अ० भा० सर्व सेवा सघ, की ओर से शिव प्रेस, प्रह्लादघाट, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

करर मुद्रक—खण्डेलखाल प्रेस, मानमन्दिर, वाराणसी ।

गत मास एषी प्रतिर्था १९०० इस मास एषी प्रतिर्था २०००